1955

Vol. I Nos. 1-10 = 10

~~(PART I)~~

Chandigarh

CONTENTS

Tuesday, 2nd March, 1955.

CHANDIGARH :

Printed by the Controller, Printing and Stationery, Punjab
1957

Price : Re 5.25

P

C

R

Pre
(S

Pres
Su

Disc

Pric

Punjab Vidhan Sabha Debates

2nd March, 1955

Volume I—No. 1

OFFICIAL REPORT

CONTENTS

Tuesday, 2nd March, 1955.

CHANDIGARH :
Printed by the Controller, Printing and Stationery, Punjab
1957

Price : Re 5.25

ERRATA

PUNJAB VIDHAN SABHA DEBATE, VOL. 1, NO. 1, DATED 2ND MARCH, 1955.

Read	*For*	*On page*	*Line*
line	lie	(1)14	14.
adjourrment	adjourment	(1)41	1.
corruption	corrupion	(1)44	17.
Apart	A part	(1)46	7.
s.:' il'zed	stabilished	(1)46	24.
प्रोत्साहन	ोत्साहन	(1)56	last line.
जा कर यह	जाकरह	(1)57	15.
Mun'cip.lit'es	Munic'-alitives	(1)61	16-17.
grateful	gratefull	(1)65	3rd from below.
g ievances	griev-nes	(1)67	6.
subsidiary	subsidary	(1)69	20.
adopted	adoped	(1)69	8th from below.
respectfully	rescetfully	(1)29	10th from below.
[illegible]	[illegible]	(1)86	14.
गुरेज़	गुरज	(1)88	3.
तहफफज़	तवक्कों	(1)88	14.
नज़र अंदाज़	नज़र अदांज़ा	(1)96	9th from below.
नज़र अंदाज़	नज़र अदंदाज़	(1)97	3rd from below.
कूएं	कूव	(1)98	10th from below.
जो	जी	(1)102	4.

PUNJAB VIDHAN SABHA

Tuesday, 2nd March, 1955.

The Vidhan Sabha met in the Assembly Hall, Sector 10, Chandigarh Capital at 2 p. m. of the Clock. Mr. Speaker (Sardar Gurdial Singh Dhillon) in the Chair.

REFERENCE TO THE DEATH OF THE LATE SHRI JAGAT RAM BHARDWAJ, M.L.A.

मुख्य मंत्री (श्री भीमसेन सच्चर) : स्पीकर साहिब, जब हम पिछली दफा मिले उस अरसे में हमारे एक निहायत काबले कदर और अज़ीज़ साथी हम से जुदा हो गये हैं–मेरा इशारा पंडित जगत राम जी की तरफ है। पंडित जगत राम इस एवान के निहायत मम्ताज़ रुकनों में से थे। उन की ज़िन्दगी हमारे लिये एक खुली किताब है जिस से हमें देश भक्ति और देश सेवा की लग्न की तसवीर दिखाई देती है। छोटी उम्र में ही पंडित जगत राम जी आज़ादी की लड़ाई लड़ने की वजह से हाकिमाने वक्त के मौरदे अताब हुए और बड़ी बड़ी तकलीफें जो आज़ादी की लड़ाई लड़ने वालों के हिस्से में आई हैं उन के हिस्से में भी आईं। उन्हें बहुत सा वक्त अंडेमान में व्यतीत करना पड़ा। बावजूद इन तकलीफों के वह अपना काम पूरी लग्न से करते रहे और जैसे सोना आग में पड़ कर ज्यादा चमकता है इसी तरह वह भी चमकते गये। हाउस में, स्पीकर साहिब, आप जानते हैं कि उन की मौजूदगी हमारे अंदर ज़बत को पैदा करने वाली होती थी। उन की खिदमात खास तौर पर बहैसियत चेयरमैन भ्रष्टाचार नाशक कमेटी के हाउस के सामने आ चुकी हैं। जिस लग्न और जिस जोश से उन्होंने अपना वक्त वहां बिताया था वह सब को पता है। उन के दिल के अंदर एक लग्न थी और अगर कोई चीज़ उन्हें परेशान करती थी तो वह यह कि पढ़े लिखे नौजवानों के अंदर बेकारी फैल रही है और उस का इलाज करने की ज़रूरत है। वह हर वक्त देश और विदेश की समस्याओं को गौर की निगाह से देखते थे और उन की ख्वाहिश यह रही कि जो भी उन से बन पड़े वह उन को हल करने में मददगार हो सकें। मुझे उन्हें बीमारी की हालत में मिलने का मौका मिला। स्पीकर साहिब, अगर्चि दिन-ब-दिन उन की सेहत खराब होती जा रही थी और डाक्टर उन की ज़िन्दगी के बारे में नाउम्मीद हो चुके थे लेकिन उन के दिल में किसी किस्म की लग़ज़िश न पैदा हुई। एक दिन वह कहने लगे कि क्या आप समझते हैं कि "मैं मर रहा हूं" मैं नहीं मरूंगा। वह बहुत बुलंद इरादे के और ऊंचे इखलाक के और मेहनत करने वाले हमारे भाई थे। मैं और सब मेम्बरान उन की जुदाई को महसूस करते हैं। मैं आप से दरखास्त करूंगा कि आप इस एहसास को उन के लवाहिकीन तक पहुंचाने की तकलीफ गवारा फरमाएं।

Mr. Speaker: I fully associate myself with the feelings and sentiments expressed by the Chief Minister.

This Assembly has lost in the death of Pandit Jagat Ram Harianvi a parliamentarian of outstanding merit and the State a patriot who from the early days of his life had chosen the path of a revolutionary and contributed his all in the fight for the freedom of the country from the domination of the British.

[Mr. Speaker]

In 1911, he left for America and joined the Hindustan Ghaddar Party of which he became the organiser and also the editor of its Paper. On his return to India in 1914, he was sentenced to death for political offences but was later sent to Andamans to serve life imprisonment. From there, he was released after 20 years and his life was, therefore, one long process of trial and sufferings for the cause of freedom which he held dearest to his heart. He was a quiet, unassuming and honest worker who had since Independence devoted himself wholeheartedly to the service of the masses. In 1952, he was elected to this Assembly and he will always be remembered for his valuable work as Chairman of the *Bharishtachar Nashak Committee.*

I hope the House joins with me in offering prayers for the peace of his soul and also in conveying its deep condolences to the members of the bereaved family.

Now we will stand for two minutes and observe silence in his memory.

(The Members then stood up in silence for two minutes.)

पंडित श्री राम शर्मा : On a point of Order, Sir. स्पीकर साहिब, इस असेम्बली का यह convention चला आया है कि जब कभी किसी माननीय मेम्बर की मौत का यहां reference किया जाये तो Leader of the House के बाद विरोधी दल के मेम्बरों को भी बोलने का मौका दिया जाता है लेकिन आज जब Leader of the House ने स्वर्गीय पंडित जगत राम की मौत पर हाउस में अपने ख्यालात जाहिर किये तो उस के बाद किसी विरोधी दल के मेम्बर को बोलने नहीं दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आयंदा ऐसे मौकों पर पहला convention कायम नहीं रखा जायेगा और Opposition के मेम्बरों को बोलने का मौका नहीं दिया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में करीबन सब states में यह convention है कि जब कोई ऐसा वाक्या हो जाता है तो केवल Speaker ही बोलता है। लेकिन अगर Leader of the Opposition उठते तो उन्हें जरूर बोलने का मौका दिया जाता। (There is a convention in almost all the State Legislatures that on occasions like this only the Speaker gives expression to the feelings and sentiments of the House. However, in this case, if the Leader of the Opposition had risen to speak, he would have been given an opportunity to do so.)

(आवाजें : आपने उन्हें उठने ही नहीं दिया।)

अध्यक्ष महोदय : Omission हो गई है। आयंदा नहीं होगी। (An omission has taken place this time. It will not be repeated in future.)

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

POSTS EXCLUDED FROM PURVIEW OF THE PUNJAB SUBORDINATE SERVICES SELECTION BOARD

***4416. Shri Mool Chand Jain** : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the names of departments, if any, in which posts have been excluded from the purview of the Subordinate Services Selection Board, Punjab, the number of posts in each department and the period for which this exclusion is likely to continue ; and the reasons therefor ;

(b) the number of posts advertised by the said Board and filled up on its recommendations together with the number of posts advertised but not filled up, respectively ?

Shri Bhim Sen Sachar, : The information is being collected and will be supplied to the Member as soon as possible.

SEPARATION OF JUDICIARY FROM THE EXECUTIVE

***4417. Shri Mool Chand Jain :** Will the Chief Minister be pleased to state whether any memorandum has been received by the Government from the Punjab High Court regarding the scheme for the separation of the Judiciary from the Executive in the State ; if so, the details thereof and the action taken thereon ?

Shri Bhim Sen Sachar: 1*st part.*— Yes.

2*nd part.* The High Court has made certain suggestions regarding the complete separation of the Judiciary from the Executive, and these are under consideration.

Shri Dev Raj Sethi : What are the details of the suggestions made by the High Court ?

मुख्य मंत्री : अगर High Court ने कहा कि Judiciary और Executive की separation recognized sense में की जानी चाहिए तो एक कमेटी बनाई जा सकती है जो कि सारी स्कीम को formulate करे ।

श्री मूल चन्द जैन : क्या High Court ने एक बड़ी suggestion यह भी दी है कि Judicial Magistrates को उस के मातहत किया जाए ?

मुख्य मंत्री : मैं इस बात को मानता हूं कि मुकम्मल separation तभी होगी जब Magistrates बराहे रास्त हाई कोर्ट के मातहत हो जायेंगे । मगर अभी तो न हम ने कहा और न कहते हैं कि orthodox sense में separation हुई है । हम ने तो केवल यही किया है कि जो लोग अदालतों में जाते हैं उन को इस कारण तकलीफ न हो कि Magistrates executive के काम में लगे हुए हैं । इस लिये काम को बांट दिया गया

[मुख्य मन्त्री]

है। Executive काम करने वाले को judicial काम नहीं दिया गया और judicial काम करने वाले को executive काम नहीं दिया गया ताकि मुकद्दमे वालों को तकलीफ न हो। इस के इलावा अदालतों को लोगों के नज़दीक लाया गया है।

खान अब्दुल गफ्फार खां : वाधू प्रश्न ! (हंसी) मैंने पंजाबी हिंदी को मिला दिया है और बराबर दर्जा दिया है।

अध्यक्ष महोदय : इस उम्र में सब कुछ माफ है। (Everything becomes excusable when one is at this stage of one's life.) (Laughter)

खान अब्दुल गफ्फार खां : मैं यह मालूम करना चाहता हूं कि आया Judicial Magistrates Executive के influence से ऊपर हो चुके हैं।

Mr. Speaker : This question does not arise.

श्री श्री चन्द : Judicial Magistrates districts में अब किस के मातहत हैं ?

Mr. Speaker : This is not relevant. In the original question, it has been asked 'whether any memorandum has been received by the Government from the Punjab High Court regarding the scheme for the separation of judiciary etc.,

श्री श्री चन्द : What are the details of that memorandum? अगर Magistrates आज कल High Court के मातहत नहीं हैं तो किस के मातहत हैं ?

मुख्य मंत्री : Judicial Magistrates को A.D.Ms के मातहत रखा गया है। उन की reports Sessions Judges की मारफ़त आती हैं। The District Magistrate does not report on them. उन की तब्दीली भी उन्हीं ज़िलों में होती हैं जिन्हें separated districts कहा गया है। इन की तादाद 4 ही है। इन में इज़ाफ़ा करने से पहले हम देखेंगे कि यह इन्तज़ाम कैसे चलता है।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या यह अमरे वाक्या नहीं है कि पिछले बजट सेशन में और पहले भी कहा जाता रहा है कि Judiciary को Executive से बिल्कुल अलग कर दिया जाएगा ? क्या उस के यही मायने थे ?

मुख्य मंत्री : कानूनी तौर पर अभी उन्हें अलग नहीं किया गया। इस चीज़ को हमने अभी करना है। यह सिलसिला वह नहीं है।

पंडित श्री राम शर्मा : Governor's Address में तो कहा गया है कि यह उस तरफ पहला कदम है।

मुख्य मंत्री : हम Judiciary and Executive के functioning को अलग करने का तजरूबा कर रहे हैं मगर कई मेम्बर साहिबान की तरफ से शिकायतें आई हैं कि फलां Magistrate को न रहने दिया जाए, फलां को तब्दील न किया जाए।

पंडित श्री राम शर्मा : Address में फरमाया गया है "Steps have also been taken towards separation of the judiciary from the Executive" क्या इन के मातहत यही किया गया है ?

Chief Minister : Let me tell the House that they had no objection to the scheme regarding the separation of the Judiciary from the Executive in five districts. They were of the view that it could not by any stretch of meaning be considered to be a step towards the separation of the Judiciary from the Executive as contemplated in Article 50 of the Constitution.

जब यह काम करेंगे तो उस समय एक कमेटी मुकर्रर करेंगे जो कि इस सारे कार्य को भली भांति जांच करके इस को पूरा करेगी। अभी हम ऐसा नहीं कर रहे हैं।

पंडित श्री राम शर्मा : गवर्नर साहिब ने जो अपने भाषण में कहा है कि—

> "Steps have also been taken towards separation of the Judiciary from the Executive on the basis of executive orders in five districts"

क्या मैं इस सम्बन्ध में दरियाफ्त कर सकता हूं कि ये steps वही हैं या कोई और हैं ?

मुख्य मंत्री : ये दो किस्म की चीजें हैं। हम ने अभी Judiciary को Executive से जुदा करने के लिये steps लेने हैं।

श्री मूल चन्द जैन : क्या चीफ मिनिस्टर साहिब कृपा कर के बतायेंगे कि High Court के memorandum का जवाब गवर्नमेण्ट ने भेज दिया है ? और क्या वे यह भी बतायेंगे कि कब तक real sense में Judiciary और Executive की separation हो जाएगी ?

मुख्य मंत्री : माननीय सदस्य का प्रश्न वाकई ठीक है परन्तु मैं अभी तक नहीं कह सकता कि कब तक separation हो जाएगी। स्पीकर साहिब, यह मैं ने पहले ही पढ़ दिया है कि Executive और Judiciary की separation वास्तव में उसी वक्त होगी जब कि सारा सिलसिला एक तरफ से दूसरी तरफ transfer हो जाएगा। मगर अभी वह बात इन जिलों में नहीं की गई है।

CONFIRMATION OF TEMPORARY GOVERNMENT SERVANTS IN THE STATE

***4418. Shri Mool Chand Jain** : Will the Chief Minister be pleased to state —

(a) whether any time-limit exists for the confirmation of temporary Government servants in the State ;

(b) the number of temporary Government servants in the State with more than ten years' continuous service and the names of the departments in which they are serving ?

Shri Bhim Sen Sachar: *part* (*a*) No.

(*b*)—

Punjab Civil Secretariat	..	6
Police Department	..	4
Financial Advisor, Capital Project	..	13
P. W. D., Buildings and Roads Branch	..	35
P. W. D., Irrigation Branch	..	357
Industries Department	..	71
Civil Supplies	..	8

Information in respect of Jails, P. W. D., Electricity Branch and Revenue Departments is being collected and will be supplied to the member as soon as possible.

श्री देव राज सेठी : क्या मुख्य मंत्री साहिब कृपा करके बतायेंगे कि 10 वर्ष के अरसे तक अफसरों की इतनी भारी तादाद को permanent न करने की क्या वजूहात हैं ?

मुख्य मंत्री : जब ऐसा विचार हो कि किसी post पर काम तो बहुत importance का है और वह काम खत्म भी किसी वक्त हो सकता हो तो उस वक्त तक अफसर को permanent नहीं किया जाता लेकिन उस का service में रखा जाना भी बहुत ज़रूरी होता है ।

श्री मूल चन्द जैन : क्या एक ही पोस्ट जब 10 वर्ष के लिये कायम रहती है तो यह ज़ाहिर नहीं होता कि वह पोस्ट बहुत ज़रूरी है इस लिये उस को permanent कर दिया जाए ?

मुख्य मंत्री : नहीं, यह कोई बात नहीं है ।

श्री मूल चन्द जैन : क्या यह हकीकत नहीं है कि एक ही department के मुलाज़मीन को जिन की service केवल 6 वर्ष है permanent कर दिया गया है जब कि दूसरे मुलाज़मीन को, जिन की service 10, 10 वर्ष है, permanent नहीं किया गया है ?

मुख्य मंत्री : यदि मेरे फाज़िल दोस्त ऐसी कोई मिसाल जानते हैं तो वे मेरे नोटिस में लायें ।

पंडित श्री राम शर्मा : अगर आप पूछें तो बता दूं और अगर तबियत पर नागवार गुज़रे तो न कहूं । (Laughter)

श्री बाबू दयाल : क्या Road Inspectors पर भी यही rule applicable होता है ?

Mr. Speaker: It is a general question.

श्री बाबू दयाल : क्या मुख्य मंत्री कृपा कर के बतायगे कि Road Inspectors जिन की service 10 वर्ष या उस से अधिक हो गई है क्यों permanent नहीं किये गए ?

Mr. Speaker: It is a separate question.

पंडित श्री राम शर्मा : क्या मैं पूछ सकता हूं कि जो temporary officers 10 वर्ष की service करने के बाद भी permanent नहीं हुए यह उन की नाअहलियत की वजह है.....

मुख्य मंत्री : उन की नाअहलियत या गवर्नमेण्ट की ?

पंडित श्री राम शर्मा : उन की अपनी और गवर्नमेण्ट की भी सही।

मुख्य मंत्री : हो सकता है कि जो लोग 1952 तक permanent नहीं हुए वे गवर्नमेण्ट की नाअहलियत के कारण ही न हो सके हों (Laughter)।

श्री मूल चन्द जैन : क्या मुख्य मंत्री साहिब बतायेंगे कि 10 वर्ष तक––जो कि ज़िन्दगी का बेहतरीन हिस्सा है—service करने पर भी गवर्नमेण्ट यह अन्दाज़ा नहीं लगा सकती कि अफसर अहल है या ना अहल ?

Mr. Speaker: It is an expression of opinion and not a question.

MERGER OF PART OF DEARNESS ALLOWANCE IN PAY

***4190. Shri Khushi Ram Gupta** : Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under the consideration of the Government to merge a portion of the dearness allowance being paid to Government servants in their pay ; if so, the details thereof ?

Sardar Ujjal Singh : There is no such proposal under the consideration of Government.

श्री देव राज सेठी : क्या मंत्री महोदय कृपा करके बतायेंगे कि इस सम्बन्ध में कोई representation मुलाज़मीन की तरफ से हुकूमत को आया है ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਤਾਂ ਦਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

REVISION OF SCALES OF PAY OF GOVERNMENT SERVANTS

***4191. Shri Khushi Ram Gupta** : Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under the consideration of Government to revise the scales of pay of Government servants serving in the State ; if so, the details thereof ?

Shri Bhim Sen Sachar: There is no proposal under the consideration of Government for a general revision of the scales of pay of Government servants serving in this State.

PUBLIC RELATIONS COMMITTEES

***4428 Shri Ram Kishan** : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether the public relations committees appointed in the districts have been dissolved ; if so, since when and the reasons therefor ;

[Shri Ram Kishan]

(b) whether any other machinery has been devised in the districts to co-ordinate the officials and the legislators for redressing public grievances ; if so, the details thereof ?

Shri Bhim Sen Sachar : (a) No. In fact steps are being taken to convert the District Public Relations Committees into Standing Committees for General Administration.

(b) Both non-officials and legislators will be members of the proposed Standing Committees for General Administration. Details are being worked out.

श्री राम किशन : मुख्य मंत्री साहिब ने फरमाया है कि Public Relations Committees को Standing Committees में तबदील कर दिया जाएगा। क्या मैं जान सकता हूं कि Standing Committees का दर्जा क्या होगा ?

मुख्य मंत्री : असल बात यह है कि Public Relations Committees किसी खास काम के लिये बनाई जाती थीं। वे अब खत्म हो गई हैं। गवर्नमेण्ट ने यह मुनासिब समझा कि उन की जगह पर General Administration के लिये committees बना दी जाएं। मतलब यह कि वहां के popular element को—Legislators और non-officials—को इकट्ठा कर के district के लिये एक कमेटी बना दी जाए। इस तरह उन को officers के ज़्यादा नज़दीक लाया जा सकता है और जो element वहां पर popular है वह अपने district की बातों को ज़्यादा अच्छी तरह समझ सकता है। उन की जो suggestions होंगी उन पर वह committee ग़ौर किया करेगी, इस तरह जो चीज़ें district level पर ही हो सकती हैं उन को करने में सुविधा रहेगी। इस सिलसिले में मैं यह भी बता दूं कि:—

At the district headquarters there are at present a large number of Advisory Committees, *e.g.*, Committee for Political Sufferers, District Civil Supplies Advisory Committee, Town Allotment Committee, District Public Relations Committee, District Public Library Committee, District Scheduled Castes Advisory Committee, Project Advisory Committee, District Food Production Committee, District Urban and Rural Electrification Committee and some other Committees as detailed in para 5.6 of the Report. For the future, it has been decided that, besides a District Officers Board, corresponding to the existing Board, there should be the following three Standing Committees—

(1) Standing Committee for Development ;

(2) Standing Committee for General Administration; and

(3) Standing Committee for Co-ordination and Local Government..

Apart from these Standing Committees, it will be open to you ie, D.Cs to set up new ad hoc Committees for the purpose of tackling specific problems like locusts etc. All other existing Committees which are not covered by the above decision should be abolished and no new Standing Committee (except ad hoc Committees which may be set up by you to tackle specific problems) should be formed in the Districts without reference to Chief Secretary to Government, Punjab.

So far as Standing Committee for General Administration is concerned, it has been decided to convert the existing Public Relations Committees into Standing Committees for General Administration. It should not be necessary

to have all the local Heads of Departments included in this Committee as at present. A selection of the officers to be included will be made by Government. On the non-official side, in addition to all the Legislators of the district, there shall be some other non-officials to be nominated by Government. Their number in each district shall be ten of whom two should be members of the Backward Classes and two should be women.

श्री राम किशन : मुख्य मंत्री साहिब ने non-official element के साथ legislators को associate करने की तजवीज़ की है तो क्या मैं पूछ सकता हूं कि वह non-official element किस तरह appoint किया जाएगा ? क्या उन की election होगी ?

मुख्य मंत्री : Appointment की जाएगी ।

श्री राम किशन : कृपा करके details बता दी जाएं कि किन principles पर उन की appointment होगी ?

मुख्य मंत्री : वे लोग persons drawn from public life होंगे।

श्री राम किशन : वह Standing Committee एक Advisory Committee होगी या कि उस का फैसला गवर्नमेण्ट पर binding होगा ?

मुख्य मंत्री : वह कमेटी एक advisory committee होगी ।

श्री राम किशन : Public Relations Committee और Standing Committee के status में क्या फर्क होगा ?

मुख्य मंत्री : Standing Committee का scope Public Relations Committee के scope से ज्यादा कर दिया गया है। पहली Committee में केवल legislators ही थे जहां कि दूसरी Committee में public men भी शामिल किये जायेंगे। जो चीज़ें पहले public के सामने नहीं आ सकती थीं वे अब आ जाया करेंगी ।

श्री राम किशन : क्या non-official element की तादाद fix की गई है ?

मुख्य मंत्री : है तो सही। उन का number fixed है लेकिन इस वक्त exactly नहीं बता सकता क्योंकि याद नहीं ।

श्री राम किशन : क्या चीफ मिनिस्टर साहिब बतायेंगे कि ये Standing Committees सिर्फ district level पर ही होंगी या Sub-Division और तहसील level पर भी ?

मुख्य मंत्री : आप का ठीक ख्याल है। सभी levels पर—District, Sub-Division और तहसील सभी levels पर होंगी ।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या मैं दरियाफ़्त कर सकता हूं कि Public Relations Committees को Standing Committees में तब्दील करने के हुकुम के मुताबिक आया अभी तक पुरानी कमेटियों की जगह नई कमेटियां constitute हुई हैं या नहीं ?

मुख्य मंत्री : अभी नहीं ।

पंडित श्री राम शर्मा : तो इस का मतलब यह हुआ कि जब तक नई कमेटियां constitute नहीं होंगी तब तक पहली कमेटियां ही जारी रहेंगी ।

मुख्य मंत्री : जी हां ।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या मैं जान सकता हूं कि Public Relations Committees और Standing Committees के functions में क्या फर्क है ?

मुख्य मंत्री : जो Public Relations Committees हैं उन की बहुत भारी मेम्बरशिप सरकारी अफसरों पर मुश्तमिल है और उन के functions का scope बस इतना ही था कि वे complaints और representations वगैरह को entertain कर सकती थीं। अब ये जो कमेटी है इस को मिसाल के तौर पर—अलाटमेंट का काम भी दिया जा सकता है। इस पर उस के फैसले या जो राएं होंगी उन की अहमियत भी यकीनन मुख्तलिफ होगी ।

पंडित श्री राम शर्मा : तो क्या यही function District Public Relations Committees के सुपुर्द नहीं किया जा सकता था ? इस का नाम बदलने की क्या जरूरत पड़ी ?

मुख्य मंत्री : गवर्नमेंट ने जो Decentralisation Committee बनाई थी उस की recommendations के मुताबिक general administration के लिये District, Sub-Division और तहसील level पर कमेटियां बनाई गई हैं । यह step उन recommendations को implement करते हुए उठाया गया है ।

मौलवी अब्दुल गनी डार : क्या चीफ़ मिनिस्टर साहिब फरमायेंगे कि इस वक्त जो District Public Relations Committees हैं उन में यह कायदा सरकार के हुकम के मुताबिक अपनाया गया है कि वहां पर एक एक महकमे का अफ़सर आये और तोते की कहानी की तरह अपनी रिपोर्ट पढ़ जाए ?

Mr. Speaker : How does this question arise ?

मौलवी अब्दुल गनी डार : यह भी Public Relations Committee के ही सिलसिला में है। जनाब मैं यह सवाल इस लिये उठा रहा हूं ताकि हमें पता लग सके कि आया जिस मकसद और फायदे के लिए ये कमेटियां बनाई गई थीं, वह पूरा भी हुआ है या नहीं । वहां पर तो यह सिलसिला है कि एक अफ़सर आता है और तोते की तरह अपनी कहानी कह सुनाता है। उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं होती, कोई राय नहीं दी जाती। क्या यह सरकार के आर्डर पर होता है ?

Mr. Speaker : This question does not arise out of the main question.

श्री बाबू दयाल : क्या चीफ़ मिनिस्टर साहिब फरमायेंगे कि Public Relations Committees के अन्दर मेम्बर्ज़ की जो suggestions होती थी उन्हें रिकार्ड किया जाता था ? अगर रिकार्ड किया जाता था तो क्या उन्हें Government के पास convey किया जाता था और क्या गवर्नमेंट ने उन पर कोई action लिया ?

अध्यक्ष महोदय : यह सवाल पैदा नहीं होता। (This question does not arise.)

श्री बाबू दयाल : जो suggestions होती थीं......

अध्यक्ष महोदय : क्या यह Public Relations Committees के मुताल्लिक है? (Is it with regard to the Public Relations Committees?)

श्री बाबू दयाल : जी ?

Mr. Speaker : I am sorry. This question does not arise out of the main question.

श्री गोपी चन्द : क्या मैं पूछ सकता कि आया इन कमेटियों में जो non-official members मुकर्रर किए जाएंगे, वे Deputy Commissioner मुकर्रर करेगा या चीफ़ मिनिस्टर ?

मुख्य मंत्री : चूंकि आनरेबल मेम्बर साहिबान इस सवाल में काफ़ी interested मालूम होते हैं, इस लिये स्पीकर साहिब, मैं आप की विसातत से इस की details उन तक पहुंचाना चाहता हूं। मैं इन्हें पढ़ कर सुनाता हूं :—

खान अब्दुल गफ्फार खां : जनाब चीफ़ मिनिस्टर साहिब ने फ़रमाया था कि अभी तक यह Standing Committees form नहीं हुईं और जब तक ये form नहीं होतीं उस वक्त तक Public Relations Committees ही function करेंगी। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आया चीफ़ मिनिस्टर साहिब को यह इल्म है कि बहुत सी जगह Public Relations Committees तो function ही नहीं कर रहीं ? चुनांचि अम्बाला भी उन में से एक जगह है।

मुख्य मंत्री : वही Standing Committees में convert हो गई होंगी।

खान अब्दुल गफ्फार खां : कोई convert नहीं हुई।

मुख्य मंत्री : क्या मैं यह समझूं कि अभी तक आप Standing Committee के बिना ही हैं और इस से भी आप हाथ धो बैठे हैं ? अगर ऐसा है तो मैं देखूंगा क्योंकि जब तक Standing Committees नहीं बनती तब तक Public Relations Committees ही continue रहेंगी।

प्रोफैसर मोता सिंह आनन्दपुरी : चीफ़ मिनिस्टर साहिब ने फरमाया है कि अम्बाला में कोई ऐसी कमेटी बनी मालूम नहीं देती—न ही Standing Committee और न ही Public Relations Committee, जालन्धर में भी इसी तरह हुआ। मैं तो यह पूछना चाहता हूं कि आया आप की तरफ़ से कोई instructions भी issue हुई हैं या नहीं ? क्या आप कोई चीज clarity से भी करते हैं या इसी तरह haphazard way से सब कुछ करते रहते हैं ?

मुख्य मंत्री : मेरा ख्याल है कि अगर मेरे फ़ाज़ल दोस्त इस तरफ़ मेरी तवज्जुह दिलाते तो मैं जरूर इस को देखता ।

श्री राम किशन : जो detailed जवाब चीफ़ मिनिस्टर साहिब ने पढ़ा उस में 3 कमेटियों का ज़िक्र किया गया है । क्या आप फरमायेंगे कि तीनों कमेटियों की constitution एक जैसी है या अलग अलग ?

मुख्य मंत्री : जो Development Committee है उस की constitution तो अलहदा indicate हो गई है । मैंने पहले भी कहा था और अब फिर पढ़ कर सुना देता हूं ।

"I am directed to address you on the subject noted above and to say that after considering the report of the Committee which was appointed to make recommendations regarding the Re-organisation of District Administration, Government have taken certain decisions regarding the setting up of Advisory Committees and Boards at the Districts, Sub-Divisional and Tehsil Headquarters which are described below for your information and necessary action......."

मैं ने कहा था कि जो District Reorganisation Committee थी उस की सिफारिशात को accept करते हुए हमने District, Tehsil और Sub-Division level पर कमेटियां बनाई हैं । इन में non- officials भी लिए जाएंगे ।

ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਮੈਂ ਪੁਛ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ non-official members ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ? ਕੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿਚੋਂ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਫਸਰ ਮੁਨਾਸਿਬ ਸਮਝਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ?

Mr. Speaker : This question does not arise.

श्री धर्म वीर वासिष्ठ : चीफ़ मिनिस्टर साहिब ने फरमाया है कि ये जो 3 Standing Committees बनाई जा रही हैं इन में 10 non-official मेम्बर होंगे जिन में दो औरतें और दो हरिजन होंगे । मैं जानना चाहता हूं कि क्या यही 10 आदमी तीनों कमेटियों पर काम करेंगे या तीनों के लिये अलग अलग 10 मेम्बर होंगे ?

मुख्य मंत्री : मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि District Development Committees की constitution अलग है बाकी कमेटियां District Re-organisation Committee की recommendations के मुताबिक हैं ।

ਸ਼੍ਰੀ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ : ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦਮੀ ਰਖੇ ਜਾਣਗੇ ਕੀ ਉਹ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਆਦਮੀ ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ ਕੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ public men ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਜਕਲ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰਖਣ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ਹੋਣਗੇ ।

मुख्य मंत्री : मैं यह बात अपने फ़ाज़ल दोस्त को बता देना चाहता हूं कि हमारी गवर्नमेण्ट यह अच्छी तरह जानती है कि वह कौन लोग हैं जिन की activities तखरीबी हैं, कौन सूबे की हवा को खराब करना चाहते हैं या वह यहां गड़बड़ डालना चाहते हैं। सरकार उन्हें हरगिज़ ऐसी कमेटियों का मेम्बर नहीं बनने देना चाहती और न ही इन्हें बनने देगी।

COMPLAINT AGAINST A MAGISTRATE OF LUDHIANA

***4578. Sardar Gopal Singh** : Will the Chief Minister be pleased to state whether he has received any representation from the employees of the District Board, Ludhiana against a Magistrate, 1st class, posted in Ludhiana; if so, the action, if any, taken thereon ?

Shri Bhim Sen Sachar:

Part I : Yes.

Part II : The charges were enquired into and were found to be baseless.

EXPENDITURE ON GURDWARA ELECTIONS

***4473. Shri Rala Ram**: Will the Chief Minister be pleased to state —

(a) the total amount of expenditure incurred by the Government on the Gurdwara elections held in November, 1954 ;

(b) whether any part of the expenditure is debitable to the budge of the Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee?

Shri Bhim Sen Sachar : (a) The information is being collected and will be supplied to the member as soon as it is ready.

(b) No.

DETENTION OF DEPUTY COMMISSIONER, AMRITSAR, BY THE PAKISTAN POLICE

***4322. Shri Dev Raj Sethi** : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether the Government is aware of the detention of the Deputy Commissioner, Amritsar, by the Pakistan Police ; if so, the circumstances which led to the detention ;

(b) the period of detention referred to in part (a) above ;

(c) the steps, if any, taken by the Government to prevent recurrence of such incidents ?

Shri Bhim Sen Sachar : (a) Yes. On 17th October, 1954, the Deputy Commissioner, Amritsar, was out to inspect the Joint Check Post at Wagah and had also fixed inspection of the flooded areas in the vicinity of villages Hardo Rattan, Attari, Mode etc., in Amritsar District. After going round the Customs, the Police and Army Check Posts, he came back to canal bridge at R.D. 93140 where people of these villages were waiting for him. From the canal bridge he drove along Mananwala canal bank and reached the boundary line at a distance of about 1½ miles from the bridge where he saw two static Pakistan Border Police guards on duty about 20 yards from the demarcation pillar. He drove up to them just to wish them. When the D. C. and his companions wanted to come back they were informed by the Pakistan sentries that the (Indian officers) were all under detention since the Pakistan Police had instructions to arrest any one who stepped across the boundary line.

(b) The period of detention was one hour and forty minutes (i. e. from 11.35 a.m. to 1.15 p. m.)

(c) The Government of India, Ministry of External Affairs have been requested to lodge a strong protest in this connection with the Government of Pakistan, through the High Commissioner for India in Pakistan, and to ask the Pakistan Government to take suitable action against the Pakistan Police Officers concerned.

श्री देवराज सेठी : क्या चीफ़ मिनिस्टर साहिब बतायेंगे कि जब वह पकड़े गए थे तो वह हिन्दुस्तान के इलाके में थे या उन के कदम पाकिस्तान के इलाके में चले जा चुके थे।

मुख्य मंत्री : मैं ने कहा है कि वह पाकिस्तान के इलाके में चले गए थे।

श्री देवराज सेठी : क्या उन के साथ कोई सिपाही या फौज के मुसल्ला ग्रादमी उन की रक्षा के लिये थे या वह ग्रकेले ही थे ?

मुख्य मंत्री : यदि माननीय मेम्बर इस सवाल का नोटिस दे देवें तो उन को जवाब दे दिया जावेगा।

पण्डित श्री राम शर्मा : क्या मैं माननीय मुख्य मंत्री से पूछ सकता हूं कि इस में कसूर ग्रमृतसर के डिप्टी कमिश्नर का था या कि पाकिस्तान के सिपाहियों का था ?

ग्रध्यक्ष महोदय : **माननीय मेंबर को मालूम होना चाहिये** कि यह तो चीफ़ मिनिस्टर साहिब ने पहले ही बताया है कि इस बारे में पाकिस्तान की गवर्नमेंट को protest के तौर पर लिखा गया था।

(The hon. Member should know that the Chief Minister has already stated that a protest in this regard had been registered with the Pakistan Government.)

EXTENSIONS TO SUPERANNUATED OFFICERS

*4333. **Shri Ram Chandra Comrade** : Will the Chief Minister be pleased to state whether any extension in service was granted to any superannuated officers, Class I, during the years 1953-54 and 1954-55 ; if so, the number of such officers and the Departments to which they belonged ?

Shri Bhim Sen Sachar :

First part :	Yes.		
Second part :	1953-54.	Five	2 Health 2 P.W.D., B. and R. Branch. 1 Education
	1954-55	Seven	2 Health 2 P.W.D., B. and R. Branch. 1 Education. 1 P.W.D., Irrigation Branch. 1 Police.

श्री देवराज सेठी : क्या मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से पूछ सकता हूं कि इन को extension देने की क्या वजूहात थीं ? क्या P.W.D. जैसे महकमें में और आदमी नहीं मिल सकते थे ?

मुख्य मंत्री : यह तो मेरे दोस्त को मालूम ही है कि हमारी गवर्नमेण्ट की policy extension देने के बिल्कुल खिलाफ़ है। लेकिन यह सूरत तो खास वजूहात की बिना पर हुई है । जो technical hands हैं या जो engineers वगैरह हैं उन की कमी है इस लिए हमें उन को re-employ भी करना पड़ रहा है और Public Health में हमारे पास trained आदमी नहीं थे इस लिए उन को रखना पड़ा। लेकिन ऐसा करते हुए हम ने यह instructions भी जारी कर दी हैं कि उन को जब कोई trained आदमी मिल जाए तो re-employed आदमियों की जगह उस को रख लिया जाए । चुनांचि यहां चन्डीगढ़ के लिए Public Health के लिए एक District Health Officers को re-employ किया हुआ था उस को अब..........

श्री मूल चन्द जैन : क्या मैं चीफ़ मिनिस्टर साहिब से पूछ सकता हूं कि re-employed आदमियों को तनखाह किस rate पर दी जाती है ? क्या उन को वही pay दी जाती है जो उन की retire होते वक्त थी या कोई और ?

मुख्य मंत्री : उन को तनखाह उन रूल्ज़ के मुताबिक दी जाती है जो extension के लिये बने हुए होते हैं ।

GOVERNMENT ADVERTISEMENTS IN PAPERS

***3720. Maulvi Abdul Ghani Dar**: Will the Chief Minister be pleased to state the names of Dailies, Weeklies and Periodicals which have been given Government advertisements together with the total amount paid to them on this account during the years, 1954-55 (up to 1st September)?

Shri Bhim Sen Sachar: A statement containing the necessary information is given below—

List of the Dailies, Weeklies and Newspapers showing the amount paid to them for Government advertisements during the year 1954-55 (up to 1st September).

(*March to 1st September, 1954.*)

S. No.	*Name of the newspaper*	*Amount Paid* Rs.	As.	P.
1.	'Ajit', Jullundur ..	2,291	14	0
2.	'Arya Gazette', Jullundur ..	505	8	0
3.	'Akali Patrika', Jullundur ..	1,155	0	0
4.	'Amrit Bazar Patrika', Calcutta ..	1,053	4	0
5.	'Bombay Chronical', Bombay ..	1,650	0	0
6.	Free Press Journal, Bombay ..	1,102	0	0
7.	'Hindustan Times', New Delhi ..	16,631	2	0
8.	'Hindi Milap', Jullundur ..	2,337	0	0
9.	'Hindustan', Jullundur ..	673	12	0
10.	'Hindi Hindustan', New Delhi ..	177	0	0
11.	'Hindustan Standard', New Delhi ..	4,668	5	0
12.	'Hind Samachar,' Jullundur ..	3,697	8	0
13.	'Indian Express', Madras ..	3,097	0	0
14.	'Khalsa Sewak', Amritsar ..	225	0	0
15.	'Milap'. Jullundur ..	4,522	0	0
16.	'Naya Daur', Jullundur ..	897	0	0
17.	'Nai Sayasat', Delhi ..	724	8	0
18.	'Panchayat', Jullundur ..	105	0	0
19.	'Preet', Jullundur ..	696	9	0
20.	'Prabhat', Jullundur ..	2,062	8	0
21.	'Punjabi Punch', Amritsar ..	316	15	0
22.	'Partap', Jullundur ..	1,699	0	0
23.	'Roshni', Sonepat ..	81	0	0
24.	'Reformer', Delhi ..	671	0	0
25.	'Rahber-i-Gurdaspur' ..	171	0	0
26.	'Riyasat', Delhi ..	31	0	0
27.	'Sikh', Amritsar ..	386	2	0
28.	'Statesman', New Delhi ..	9,793	0	0
29.	'Sadaquat', Ludhiana ..	443	0	0
30.	'Sanatan Dharam Parcharak', Amritsar ..	249	0	0
31.	'Tribune', Ambala Cantonment ..	26,140	8	0
32.	'Tarjman', Ludhiana ..	1,206	0	0
33.	'Times of India', Bombay ..	14,081	0	0
34.	'Tej', Delhi ..	1,603	0	0
35.	'Vir Bharat', Jullundur ..	1,736	0	0

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : क्या मैं मुख्य मंत्री साहिब से पूछ सकता हूं कि क्या वजह है कि जो इश्तिहारात दिये गये हैं उन में से रियासत अखबार को सिर्फ 31 रुपया के इश्तिहार दिये गये हैं लेकिन Tribune को उस के मुकाबिला में 26 हज़ार रुपये के दिये गये हैं? यह फर्क किस बिना पर रखा जाता है ?

मुख्य मंत्री : मेरे फाजल दोस्त को पता होना चाहिये कि जब यह इश्तिहार मुख्तलिफ अखबारात को दिये जाते हैं तो इस बात का ख्याल रखा जाता है कि वह अखबार किस किस का है और वह इश्तिहार किस किस्म के अखबारात को जाने चाहिएं ।

मौलवी अब्दुल गनी डार : क्या चीफ़ मिनिस्टर साहिब बतायेंगे कि इस की क्या वजह है कि अंग्रेजी अखबारात को 36,36 हजार रुपये तक के इश्तिहारात दिये जाते हैं और हिन्दी के papers को बहुत कम रुपये के दिये जाते हैं ?

मुख्य मंत्री : इस की वजह साफ़ है कि उन अखबारात की शरह ज़्यादा है और गवर्नमैण्ट को इस बात को देखना पड़ता है ।

मौलवी अब्दुल गनी डार : क्या इन की शरह में इतना फर्क है कि कइयों को तो कई कई रुपये के इश्तिहार भेजे जाते हैं और दूसरों को बहुत ही थोड़े ?

मुख्य मंत्री : यह तो अखबार वालों को ही पता होगा ।

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : क्या मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि इस की क्या वजह है कि हिंद समाचार को मिलाप अखबार के मुकाबला में दुगने इश्तिहार दिये गये हैं और प्रताप को इस से भी कहीं कम ?

मुख्य मंत्री : यह मेरे दोस्त को पता ही है कि किन हालात में उन में से किसी खास अखबार को इश्तिहार देने बन्द कर दिये गये थे और अब दिये गये हैं ।

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : मैं मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि ऐसे अखबारात को फिर क्यों इश्तिहारात दिये जाते हैं जब कि गवर्नमेण्ट उन्हें ठीक नहीं समझती ?

मुख्य मंत्री : जो मेरे फाज़ल दोस्त ने कहा है गवर्नमेण्ट उस पर चलने की पूरी कोशिश करेगी ।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या चीफ मिनिस्टर साहिब फरमायेंगे कि केवल निरखों की बिना पर ही उन को इश्तिहार कमोबेश कीमतों के दिये जाते हैं ?

मुख्य मंत्री : Press को जो इश्तिहारात दिये जाते हैं वह Public Relations Department नहीं देता। जिस महकमे का ताल्लुक होता है वह कहता है कि यह इश्तिहार फलां अखबार को, अंग्रेज़ी की या दूसरी को जाना चाहिये जिस से उस इश्तिहार का purpose serve हो ।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि आया वह अफसर या वह महकमा जो इश्तिहारात भेजता है किसी बात का ख्याल रखता है ? अगर कोई ऐसी बातें हैं जिन का कि उन्हें ख्याल रखना पड़ता हो तो वह बातें क्या हैं और उन में से सब से ज्यादा किस बात का ख्याल रखना पड़ता है ? इस बारे में गवर्नमेंट की कोई set policy है या नहीं ?

मुख्य मंत्री : गवर्नमेण्ट सिर्फ उन्हीं अखबारों को इश्तिहारात देती है, जिन की इशायत की बिना पर ऐसा करना justified हो । अखबारों के standard का भी ख्याल रखा जाता है कि आया कोई ऐसा अखबार तो नहीं जो सूबे में मुनाफरत फैलाता है या गन्दी २ गालियां निकाला करता है। बाकी इस सिलसिले में मैं गवर्नमेण्ट की कुछ कमज़ोरी

[मुख्य मंत्री]

भी तसलीम करता हूं। बात यूं बन जाती है कि हम पर फिर्कापरस्ती का इल्जाम लगाया जाता है कि यह हिन्दु editor है और वह सिख editor है, इस लिये....

पंडित श्री राम शर्मा : On a point of Order, Sir, सवाल यह है कि गवर्नमेंण्ट किस मियार की बिना पर इश्तिहारात देती है और मुख्य मंत्री........

Mr. Speaker: He is giving a reply to the same question.

मुख्य मंत्री : गवर्नमेंण्ट के पास मियार है अखबारों की इशायत का और यह देखा जाता है कि इस अखबार में इश्तिहार देने से कितना purpose serve होगा।

पंडित श्री राम शर्मा : चीफ मिनिस्टर साहिब ने बताया कि इश्तिहार देते समय अखबारों का मियार और circulation का ख्याल रखा जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि इन में से main बात कौन सी है? क्या अखबार का मियार political या moral दृष्टिकोण से भी देखा जाता है? Opposition Party के papers किस फेहरिस्त में शामिल हैं ?

मुख्य मंत्री : मियार सिर्फ शराफत का है। यह चीज़ नहीं देखी जाती कि यह किस political party का अखबार हैं। उस Paper की शराफत का अंदाजा इस बात से लगाया जाता है कि यह कोई मुनाफरत तो नहीं फैलाता, State की यकजहती और security को नुकसान तो नहीं पहुंचाता। खबरों की हकीकत को कायम रखता है या नहीं। मैं ने अपनी सरकार की कमज़ोरी तसलीम की है मगर मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर मुझे House की तरफ से ताकत और अख्तियार मिल जाये कि ऐसे अखबारों को जो गालियां निकालते हैं, लोगों में मुनाफरत फैलाते हैं, इश्तिहारात बन्द हो सकें तो मैं आज ही ऐसा कर दूं।

पंडित श्री राम शर्मा : जवाब में बताया गया है कि एक अखबार को 31 रुपये के, दूसरे को 105 रुपये, तीसरे को 26,000 रुपये के और चौथे को 14,000 रुपये के इश्तिहारात दिये गये। क्या यह रकमें इन अखबारों की शराफत का मियार जाहिर करती हैं ?

Mr. Speaker: This has already been answered.

श्री तेग राम : क्या इश्तिहारात देते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जो अखबार राष्ट्र भाषा हिंदी या दूसरी देशी भाषाओं में निकलते हैं उन की सहायता इश्तिहार दे कर की जाए ?

मुख्य मंत्री : यह एक ज़बान तक ही महदूद नहीं।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या गवर्नमेंण्ट किसी अखबार के approved list पर होते हुए भी हिदायतें जारी करती है कि उस paper को इश्तिहारात न दिये जायें ?

मुख्य मंत्री : यह तो कोई गलत बात नहीं होगी कि किसी अखबार बारे जो पहले approved list पर हो, उस की पालिसी को देखते हुए, यह approval दे कर वापिस ले ली जाये।

मौलवी अब्दुलगनी डार : अखबार रियासत को जो कि एक कौम प्रस्त अखबार है, सिर्फ 31 रुपये के इश्तिहार ही क्यों दिये गये ?

Mr. Speaker : You are expressing your own opinion.

मौलवी अब्दुल गनी डार : जनाब मैं तो वजह पूछ रहा हूं ।

Mr. Speaker: This has already been replied to.

श्री मूल चन्द जैन : चीफ मिनिस्टर साहिब ने फरमाया कि अगर हाउस इजाज़त दे तो वह उन अखबारों पर पाबन्दी लगा दें जिन में शराफत कम है, तो क्या हाउस ने कभी उन्हें रोका है कि यह इश्तिहारात इन अखबारों को न दिये जायें ?

मुख्य मंत्री : रोका तो नहीं मगर कई बार ऐसे सवाल आ जाते हैं जिन का मफहूम यही निकल आता है ।

खान अब्दुल गफ्फार खां : यह कहा गया कि यह गवर्नमेण्ट की कमज़ोरी है कि इस ने शराफत से गिरे हुए अखबारात के खिलाफ action नहीं लिया ।

मुख्य मंत्री : Action तो लिया गया ।

खान अब्दुल गफ्फ़ार खां : Action से मेरी मुराद है कि उन के इश्तिहारात बन्द नहीं हुए । क्या उन्होंने कभी भी कोशिश की है कि इन को इश्तिहारात न दिये जायें और अगर की है तो क्या उस में कोई रुकावट आई और फिर क्या चीफ मिनिस्टर साहिब यह बतायेंगे कि फिरकादाराना जज़बात भड़काने वाले अखबारों को कभी भी आयन्दा इश्तिहारात नहीं दिये जायेंगे ?

Mr. Speaker: It is a question of opinion.

मुख्य मंत्री : स्पीकर साहिब, मेरे दोस्त ने अब जो सवाल उठाया है तो मैं आप से दरखास्त करूंगा कि आप House में से एक कमेटी मुकर्रर कर दें जो अच्छे अखबारात छांटने में हमारी मदद करे । गवर्नमेण्ट इस की सिफारशात पर अमल करेगी ।

मौलवी अब्दुल गनी डार : क्या चीफ मिनिस्टर साहिब बतायेंगे कि जिस कमज़ोरी का उन्होंने ज़िक्र किया है, वह कमज़ोरी क्या है ?

मुख्य मंत्री : यही कि ऐसे अखबारात को इश्तिहारात देते हैं । (हंसी) ।

GRIEVANCES OF HARIJANS AGAINST CERTAIN PANCHAYATS OF DISTRICT AMBALA

***4036. Sardar Darshan Singh**: Will the Chief Minister be pleased to state whether complaints regarding the ejectment of Harijans and members of backward classes from their long standing possession of 'Banjat' lands and houses by the Panchayats of villages Chimpur Tanda and Garwala, district Ambala, have been received by the Government; if so, the action, if any, taken by Government thereon?

Shri Bhim Sen Sachar: There are no Panchayats known by the names of Chimpur Tanda and Garwal in the Ambala District. It is, therefore not possible to answer the question unless the correct names of the Panchayats are given.

FINANCES OF PANCHAYATS

*3973. **Sardar Achhar Singh Chhina**: Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the number and names of Panchayats district-wise in the State which have not so far paid their share of land revenue and the reasons therefor ;

(b) the steps, if any, so far taken by the Government to augment the finances of Panchayats?

Shri Bhim Sen Sachar: (a) A statement is given below. The land revenue of these Panchayat areas is either under suspension or remission or Jagirs or Muafis are in force there.

Government have provided an *ad hoc* grant of rupees one lac in the revised estimates of the current financial year to compensate the said Panchayats.

(b) Government have undertaken a survey of the tax resources of Panchayats existing and potential. This will enable them to assess their needs and their capacity to meet them by raising adequate tax revenue. The question of augmenting their existing resources will then be considered in the light of the recommendations of the Taxation Enquiry Commission when these become available.

List of Panchayats which have not so for been paid their share of Land Revenue.

AMBALA DISTRICT

Naraingarh Tehsil

1. Ramgarh
2. Toka
3. Badi Basi
4. Shahpur
5. Rehna
6. Samtu
7. Manak Tabra
8. Dhandarru
9. Khatauli
10. Nangal Moginand
11. Mankan
12. Bikla
13. Bunga
14. Kazimpur
15. Mukandpur
16. Panjeton
17. Kakar Majra
18. Bhud
19. Dandlawar
20. Firozepor
21. Garhi Kotaha
22. Kheri
23. Morni
24. Bjoj Mataur
25. Bhoj Dharti
26. Bhoj Nagal
27. Bhoj Palasra
28. Bhoj Kudana
29. Khet Purali
30. Rampur
31. Raipur

32. Kherwali Palwala
33. Ratewali
34. Tandwal
35. Salamla
36. Patheri
37. Khanpur Brahmanan
38. Patwi
39. Tasrauli
40. Bhoj Rajpura
41. Bhoj Koti
42. Baduyaon
43. Koti
44. Harbon
45. Bichpari
46. Bheron
47. Hareoli

Kalka Circle (Tehsil Kharar)

1. Kami
2. Kurri
3. Sohana
4. Mataur
5. Landiala
6. Bakarpur
7. Dhurali
8. Sanda
9. Raipur Kalan
10. Shampur
11. Gobindgarh
12. Bathlana
13. Caho Majra
14. Chudiala
15. Batawar
16. Jalauli
17. Bharaily
18. Daffarpur
19. Tangaur
20. Moti Majra
21. Manauli
22. Giga Majra
23. Nangal
24. Barwala
25. Lady Trivedi Camp Mubarikpur

Rupar Tehsil

1. Dahdi
2. Attari
3. Badi Jhakian
4. Bara Pind
5. Dharat Garh
6. Alowal
7. Nagal
8. Chanaoli
9. Chanola
10. Noohan
11. Thali
12. Magror
13. Thona
14. Bindrak
15. Ballamgarh
16. Mianpur
17. Raje Majra
18. Panjola
19. Akalgarh
20. Oind
21. Kurmi

[Chief Minister]

22. Katlaur
23. Taprian Amar Singh
24. Dalla
25. Rashidpur
26. Sindanpur
27. Bazidpur
28. Hafizabad
29. Bela
30. Firozepur
31. Sheikhupur
32. Jatana

Ambala Tehsil

1. Singhawala
2. Ghel
3. Dang Deri
4. Kakru
5. Khatoli
6. Panjokhara
7. Kalar Heri
8. Tundla
9. Janetpur
10. Garmala
11. Barnala
12. Dhulkot
13. Kanwala
14. Sonda
15. Talheri Jattan
16. Behhalpur
17. Bhano Kheri
18. Nasirpur
19. Sonta
20. Kaleran
21. Malwa
22. Barola
23. Kanakpur
24. Dhurana
25. Fazalpur
26. Dhaneori
27. Mohra
28. Kot Kachhwa Kalan
29. Shahpur
30. Machhonda
31. Salheri (Salar Heri)
32. Kardhan
33. Sirsa Heri
34. Babyal
35. Boh
36. Rollan
37. Khudda Kalan
38. Saphera
39. Rattan Heri
40. Pilakhni
41. Tapla
42. Dhakala
43. Bihta
44. Chhapra
45. Rampur
46. Dhakola
47. Saha
48. Mahmudpur
49. Tanoli
50. Mahoni

51. Sphana
52. Patti Chanar Khal
53. Holi
54. Nurhad
55. Sherpur
56. Sarda Heri
57. Jaffarpur
58. Duliana
59. Dubani
60. Dhanuura
61. Tandwal
62. Sabga
63. Dinapur
64. Sohata
65. Phushiala
66. Nagla
67. Kesri
68. Landa
69. Khanpur
70. Chudiala
71. Dhurala
72. Dukheri
73. Mohra
74. Sambhalka
75. Toba
76. Alipur
77. Bikopur
78. Manki
79. Khan Ahmadpur
80. Dhin
81. Sirsgarh
82. Dera Salempur
83. Talheri Rangran
84. Dahya Majra
85. Bara Khas
86. Kapli
87. Harra
88. Halda Heri
89. Langar
90. Bhurangpur
91. Batrohan
92. Babeola
93. Khanna Majra
94. Baroli
95. Labhna
96. Tharwa
97. Bara
98. Mohri

Jagadhri Tehsil

1. Arnauli
2. Alsbarpur
3. Bhambhol
4. Bara Khera
5. Damla
6. Dudhla
7. Dhaurang
8. Daulatput Malian
9. Ghoran
10. Gohlanpur
11. Gaglon
12. Haripur
13. Hafizpur
14. Haibatpur
15. Harnoul

[Chief Minister]

16. Jagdhoula
17. Khera
18. Kulpur
19. Mandebar
20. Mahar Majra
21. Mamida
22. Masimbal Hinduan
23. Mustfaabad
24. Masimbal Musalmanan
25. Mahlanwali
26. Rattan Singh
27. Sasouli
28. Saran
29. Sudhail
30. Sialba
31. Tala Kaur
32. Uncha Chandna

DISTRICT HISSAR

Tehsil Bhiwani

1. Bhiwani Jonpal
2. Tigrana
3. Mitathal
4. Ghuskani
5. Prem Nagar
6. Bapaura
7. Dinaud
8. Rewari
9. Biran
10. Dang Khurd
11. Gurera

Hissar Tehsil

12. Adampur
13. Durak
14. Darauli
15. Jakhod Khera
16. Kalirawan
17. Khara Barwala
18. Kohli
19. Ladwi
20. Siswala
21. Hindwan
22. Hansawala
23. Ghabipur

Tehsil Hansi

24. Kanwari
25. Dhamyan
26. Balawas
27. Nalwa
28. Ratera
29. Ruhnat
30. Sippar
31. Kirawar
32. Bhurtana
33. Jamalpur
34. Paposa
35. Bawani Khera
36. Baliali
37. Sui
38. Lohari Jatu
39. Mandhana
40. Siwara
41. Talu

42. Dhanana
43. Badesra
44. Mundhal
45. Madan Heri
46. Sighwa
47. Bas Azamshahpur
48. Bas Ambarpur
49. Bas Badhsahpur
50. Bas Khurd Bijan

Tehsil Sirsa

51. Jogiwala
52. Chaharwala
53. Kagdana
54. Kumharia
55. Gigorani
56. Turkanwali
57. Nathusari Kalan
58. Shahpuria or Shahpur Mandauri
59. Shakar Mandauri
60. Rupana Bishnoiyana
61. Mehrana
62. Kutta Budh
63. Makhusheoran
64. Bhuratwala
65. Chilkani Dhab
66. Umedpura
67. Godia Khera
68. Dhukra
69. Jamal
70. Bairasari
71. Joran
72. Hazira
73. Rampura Dhillanwala
74. Goshiana
75. Kheri
76. Ding
77. Sherpura
78. Narain Khera
79. Rajpura Kairanwali
80. Sahuwala
81. Kanwarpura
82. Pulka
83. Ali Mohd
84. Kasumbhi
85. Darbi
86. Darba Kalan
87. Rupana or Darba Khurd
88. Ludesar
89. Rupana or Rupawas
90. Nirban
91. Bakriwali
92. Dhingtania
93. Arniwali
94. Ellenabad
95. Poharka
96. Mithi Surera
97. Dhani Jatan
88. Karam Sana
99. Dhaul Palia
100. Biruwala Khurd
101. Amrits
102. Mamera
103. Bilasar
104. Kusar

[Chief Minister]

105. Gandhran
106. Chakan
107. Bachihar
108. Nathohar
109. Kaluwana
110. Mamber Khera
111. Matuwala
112. Chotala
113. Panniwali Ruldu
114. Risalya Khera
115. Jodhpuria
116. Bhangu
117. Burj Bhangu
118. Chanmal
119. Shergarh
120. Haibuwana
121. Phullu
122. Alika near Masitan

Tehsil Fatehabad

123. Birabaddi
124. Alika
125. Sardarwala
126. Lali
127. Jallopur
128. Kumharia
129. Hajranwan Kalan
130. Nakta
131. Nagpur
132. Haroli
133. Phul
134. Aharwan
135. Ayalki
136. Khairanpur
137. Khabra Kalan
138. Dhabi Kalan
139. Thuiyan
140. Dhabi Khurd
141. Jandwala
142. Ramsara
143. Chuli Bagarian
144. Bodiwali
145. Mehunwala
146. Ban Mandauri
147. Pili Mandauri
148. Bhatu Kalan
149. Ratta Khera
150. Chuli Kalan

DISTRICT ROHTAK

Nil.

DISTRICT GURGAON

Nil.

DISTRICT KARNAL

Nil.

DISTRICT KANGRA

Tehsil Dehra

1. Tipri
2. Bathra
3. Khasha Jagir Dada Siba
4. Kotla
5. Jamal
6. Garnwar
7. Dada
8. Raili
9. Bari
10. Ghamrur

11. Sansarpur
12. Nandpur Bhatoli
13. Upli Badhopal
14. Bacholar
15. Bhatoli Khas

Tehsil Kulu ..

16. Bhalan
17. Chong-cum-Ratocha
18. Diyar
19. Jalu
20. Kothi Kanewar
21. Malana
22. Manjhli
23. Parli
24. Rela
25. Rote
26. Sensar
27. Shilihar

Tehsil Nurpur

28. Branda Ghandwal

Tehsil Palampur

29. Bir
30. Bara Bhangal
31. Bandahu
32. Chadhiar
33. Durag
34. Dagoh
35. Daraman
36. Bhawana
37. Gandar
38. Jalag
39. Kothi Kohar
40. Kosri
41. Khaira Buhla
42. Kahira Uperla
43. Lahat
44. Lambagaon Buhla
45. Lambagaon Uperla
46. Multhan
47. Rakkar
48. Kotla

Tehsil Hamirpur

49. Mandli
50. Tihra
51. Lathiani
52. Dhingli
53. Hathol
64. Nadaun
55. Chauru
56. Tika Sapahal
57. Jangal Beri

HOSHIARPUR DISTRICT

Tehsil Garhshankar

1. Akalgarh
2. Ajnoha
3. Aiman Jattan
4. Baddon
5. Bharta
6. Bihran
7. Bilron
8. Bharowal
9. Chansu (Jattan)
10. Chak Narial
11. Chahalpur

[Chief Minister]

12. Dihana
13. Dhagham
14. Dansiwal
15. Dudial
16. Fatehpur
17. Fatehpur Khurd
18. Golian
19. Gujjarpur
20. Haolwal
21. Havali
22. Harijana
23. Jangliana
24. Jandiala
25. Jalwera
26. Jassowal
27. Jiwanpur Jattan
28. Kaharpur
29. Khanni
30. Kukran
31. Kitna
32. Kalewal
33. Langeri
34. Lalwan
35. Lasara
36. Manolian
37. Muzara Dingrian
38. Mehngarwal
39. Mehogowal
40. Muggowal
41. Moranwali
42. Mohanwal
43. Mahdud
44. Nadalon
45. Nangal Thandal
46. Nangal Khurd
47. Panjaur
48. Pandori Ganga Singh
49. Paldi
50. Pandori Ladha Singh
51. Painsera
52. Pathrala
53. Parowal
54. Pakhowal
55. Possi
56. Padrana
57. Paddi Khuthi
58. Paddi Sura Singh
59. Rohali
60. Rupowal
61. Rihala
62. Rampur
63. Rasulpur
64. Rampur
65. Soni
66. Sakruli
67. Saidullapur Badhowan
68. Saidpur
69. Satnawar
70. Salempur
71. Saila Khurd
72. Saila Kalan
73. Todarpur

74. Tuto Muzara
75. Thakarwal
76. Thona
77. Wahidpur
78. Dandian

Tehsil Hoshiarpur

1. Sasol Khera
2. Sandhra
3. Bhanowal
4. Handowal Kalan

Tehsil Dasuya

1. Darya

DISTRICT JULLUNDUR

Tehsil Nawanshahr

1. Dosanjh Khurd
2. Chhokera

DISTRICT LUDHIANA

Tehsil Ludhiana

1. Chomon
2. Dhoul Khurd
3. Dhoul Kalan
4. Lehal
5. Phullanwal
6. Rabon Unchi
7. Ramgarh Sardaran
8. Saharan Mazra
9. Zirak
10. Kishanpur
11. Ber Khurd
12. Ber Kalan
13. Bhiki Khatra
14. Babarpur
15. Kuhli Kalan
16. Kartarpur
17. Jogimazra
18. Siahar
19. Kheri Sumel
20. Kuhli Khurd
21. Sekha
22. Maloud
23. Goslan
24. Daud Unchi
25. Rabon Nichi
26. Daulatpur
27. Sohian
28. Dadhal
29. Uksi
30. Ravsiana
31. Kheri Bandher

Tehsil Jagraon

32. Talwandi Kalan

Tehsil Samrala

33. Balion
34. Nilon Kalan
35. Bharthala
36. Poonian
37. Diwala
38. Kulhal
39. Madpur
40. Ranwan
41. Badla
42. Bhari
43. Jolajan
44. Kotla Badla

[Chief Minister]

45. Kotla Bhari
46. Takhran
47. Bhagwanpur
48. Khatran
49. Chahlan
50. Dhanda
51. Dhindsa
52. Ladhran

DISTRICT AMRITSAR

1. Chinpur
2. Harse Chhina
3. Tera Kalan
4. Kotli Sakka
5. Chak Kamal Khan
6. Ran wali
7. Malu Nangal
8. Barar

DISTRICT FEROZEPORE

Nil

DISTRICT GURDASPUR

Nil

ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ : ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਵਰਨਮੇਂਟ ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਬਿਲ ਲਿਆਵੇ ?

Mr. Speaker. This is a suggestion.

ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ : ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਵਾਂ ਹਿਸਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ?

Mr. Speaker : It is a suggestion, I won't allow it.

GRAM PANCHAYATS

***4552. Shri Teg Ram** : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the total number of Gram Panchayats at present in the State;

(b) the number of Panchayats against the Panches of which election petitions have been filed ;

(c) the number of petitions referred to in part (b) above which have been accepted and the elections to Panchayats held void;

(d) the number of Panchayats where fresh elections have been ordered;

(e) whether any time limit for re-elections referred to in part (d) above has been fixed; if so, what ?

Shri Bhim Sen Sachar: (a) 9,194.

(b) 479.

(c) 111.

(d) Elections have actually been held in 26 cases.

(e) Yes. 60 days from the occurrence of vacancy.

श्री तेग राम : मैं ने तो यह पूछा था कि गवर्नमेण्ट पंचायतों का दुबारा चुनाव कितने दिनों के अन्दर करेगी ?

मुख्य मंत्री : साठ दिनों में ।

श्री देव राज सेठी : क्या मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि जहां 60 दिन में चुनाव न हो सके तो वहां क्या कार्रवाई की जायेगी ?

मुख्य मंत्री : इस के लिये आप पंचायत ऐक्ट देखिए ।

PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS

***4472. Shri Rala Ram**: Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the measures being taken at present to prevent cruetly to animals in the State;

(b) total number of persons prosecuted during the year, 1954-55 for cruelty to animals?

Shri Bhim Sen Sachar: The requisite information is being collected and will be supplied to the Member when ready.

---

3 p. m.

पण्डित श्री राम शर्मा : जनाब, मैं आप की इजाज़त से यह बात आप के नोटिस में लाना चाहता हूं कि अब Question Hour का time खत्म हो चुका है ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे पता है कि आप की Adjournment Motions हैं, लेकिन हमने Question Hour का पांच मिनट का टाइम पहिले लिया है इस लिये Question Hour के लिये पांच मिनट का टाईम और दिया जाएगा ।

(I know you are anxious about your Adjournment Motions. But as we had already taken five minutes from the Question Hour in the beginning I allow five minutes more for the questions.)

DISTURBANCE IN LUDHIANA

***4429. Shri Ram Kishan**: Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether any disturbance took place in Ludhiana on the 31st December, 1954, in connection with a religious procession; if so, the reasons therefor and the action taken by the Government to meet the situation;

(b) whether the Commissioner, Jullundur Division was appointed to make an inquiry into the causes of the disturbances referred to in part (a) above; if so, the terms of reference of the inquiry ;

(c) whether the above-mentioned officer has submitted any report to the Government; if so, the details thereof ;

(d) the action taken as proposed to be taken on the recommendation made in the said report;

(e) the steps, if any, the Government has taken or intends to take for preventing such incidents in future;

[Shri Ram Kishan]

(f) whether any correspondence has passed between the Union Government and the State Government with regard to the Ludhiana incident; if so, the details thereof?

Shri Bhim Sen Sachar: The matter is sub-judice in court and it is not in the public interest and in the administration of justice to disclose this information.

Shri Ram Kishan : May I draw the attention of the Chief Minister to part (f) of my question, which reads as under :—

> "whether any correspondence has passed between the Union Government and the State Government with regard to the Ludhiana incident; if so, the details thereof?"

Has any correspondence passed between the Union Government and the State Government ?

Chief Minister : No, please.

श्री राम किशन : क्या माननीय मुख्य मंत्री बतायेंगे कि क्या Enquiry Committee की रिपोर्ट भी sub-judice है ?

मुख्य मंत्री : Enquiry Committee की रीपोर्ट को examine किया जा रहा है। अभी तक गवर्नमेंट ने कोई action नहीं लिया।

पण्डित श्री राम शर्मा : क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि आया गवर्नमेंट Enquiry Committee की पड़ताल आ जाने तक ऐक्शन लेने में इन्तज़ार करेगी ?

मुख्य मंत्री : पड़ताल आ जाने तक तो रोकना ही पड़ेगा।

UNSTARRED QUESTIONS AND ANSWERS

COMPLAINTS OF CO-OPERATIVE LABOUR AND CONSTRUCTION SOCIETIES

649. Shri Kesho Dass : Will the Minister for Irrigation be pleased to state –

(a) whether it is a fact that he ordered the canal authorities of Gurdaspur District in June, 1954, to look into the complaints of the Co-operative Labour and Construction Societies; if so, the action, if any, taken thereon ;

(b) whether the final bills of the said Societies have so far been paid ; if not, the reasons therefor ;

(c) whether it is a fact that the said Societies complained against the S.D.O., Tibri ; if so, the action, if any, taken in the matter ?

Chaudhri Lahri Singh : (a) Yes. The detailed enquiry into the complaints was conducted by the Executive Engineer, Gurdaspur Division, and it was found that the complaints were not based on facts.

(b) Final bills have since been paid.

(c) Yes, but no action was called for against the S.D.O. Tibri, as the complaint of the Society was baseless.

MEASUREMENTS IN TIBRI SUB-DIVISION

650. **Shri Kesho Dass** : Will the Minister for Irrigation be pleased to state:

(a) the system of measurements followed in the Tibri Sub-Division, of the Gurdaspur District for making payments ;

(b) whether he is aware of the fact that in the case of Sohan Singh Contractor, measurements were taken by borrowpits while in the case of the Co-operative Labour and Construction Societies measurements were taken by cross sections ; if so, the reasons if any, why two different systems are followed in one Sub-Division?

Chaudhri Lahri Singh : (a) The system of measurements followed in Tibri Sub-Division is according to the codal Rules, viz., either by measuring the borrowpits or by taking cross sections of the completed bank, as constructed.

(b) Yes. The work was originally given to Sohan Singh, contractor but on stressing by the Societies the work of the contractor was stopped and allotted to them. The measurement of incomplete work done by the contractor was based on borrowpits because the second alternative could only be used when the work is eomplete.

CO-OPERATIVE CONFERENCE AT MADHOPUR

651. **Shri Kesho Dass** : Will the Minister for Irrigation be pleased to state whether the resolutions passed in the Conference of Cooperative Labour and Construction Societies held at Madhopur on 10th September, 1954 regarding the irregularities committed by Canal Officers have come to the notice of the Government; if so, the action, if any, taken thereon?

Chaudhri Lahri Singh : Yes, but the so-called irregularities alleged to have been committed by the Canal Officers were found not to have been based on facts and therefore no action was called for.

CUT ON PAYMENTS TO CO-OPERATIVE LABOUR AND CONSTRUCTION SOCIETIES

653. **Shri Kesho Dass** : Will the Minister for Irrigation be pleased to state—

(a) whether any instructions to suspend the cut on payment due to the Co-operative Labour and Construction Societies were issued by the Chief Engineer in December, 1952,—*vide* Chief Engineer's letter No. 28160-74/MB, dated 5th December, 1952 ;

(b) whether the cut on payments for the works executed after the date mentioned in part (a) above was levied; if so the reasons therefor?

Chaudhri Lahri Singh : (a) The reference quoted by the member is wrong. No orders for suspending cut on payments to the Labour and Construction Co-operative Societies were issued in December, 1952. Orders were, however, issued,—*vide* I.B. letter No. 26324-45/WG/998/1945, dated 20th December, 1954 to deduct 5 per cent security from the running payments for works allotted on work order basis.

(b) Does not arise.

ALLOTMENT OF UNSKILLED WORK

654. **Shri Kesho Dass** : Will the Minister for Irrigation be pleased to state—

(a) whether the instructions contained in canal wire No. 150, dated 3rd September, 1954, were amended by the Superintending Engineer, Upper Bari Doab Canal, Amritsar; if so, the reasons therefor ;

(b) whether tenders for unskilled work were invited by the said Superintending Engineer from contractors; if so, why?

Chaudhri Lahri Singh : (a) The instructions have not been amended by the Superintending Engineer.

(b) No such tenders have been called by the Superintending Engineer.

SALAMPUR FEEDER WORK

655. **Shri Kesho Dass** : Will the Minister for Irrigation be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the date for inviting tenders for Salampur Feeder Work was postponed by the Executive Engineer (U.B.D.C.), Gurdaspur ; if so, the reasons therefor ;

(b) whether he is aware of the fact that the work referred to in part (a) above was entrusted to the contractors before inviting tenders; if so, the reasons therefor ;

(c) whether the Government has ordered enquiry into the case referred to in parts (a) and (b) above ; if so, the results thereof ?

Chaudhri Lahri Singh ; (a) Yes. The date of inviting tenders was extended from 30th October, 1954, to 8th November, 1954, as the original notice was considered insufficient.

(b) No work was allotted to the contractors prior to the receipt of tenders.

(c) There is no cause of enquiry in view of (a) and (b) above.

TENDERS FOR WORK OF THE SALAMPUR FEEDER

656. **Shri Kasho Dass** ; Will the Minister for Irrigation be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the Executive Engineer, Gurdaspur, invited tenders for work on the Salampur Feeder from Labour and Construction Societies on 5th November, 1954,—*vide* his office No. 13791-83/110-A ;

(b) whether any tender from the Labour and Construction Societies of Gurdaspur in this connection was received on 8th November, 1954, if so, the lowest rate quoted therein ;

(c) whether he is aware of the fact thatr ates with percentage were intimated to Societies by the Sub-Divisional Officer, Headwork Madhopur, while only through rates were required to be quoted; if so, the reasons therefor ?

Chaudhri Lahri Singh : (a) Yes. Tenders on through rate basis were invited from the Societies as well as the Contractors. The tender notice was advertised in the Press.

(b) Out of 23 No. tenders received, 14 were from the Societies and 9 from the Contractors. The lowest tendered rate from the contractors was Rs. 13-8-0 per 100 Cubic Feet while the lowest tendered rate from the Societies was Rs. 17 per 100 Cubic Feet.

(c) The rates had to be tendered by the Societies themselves and the question of ensuring any rate to them prior to the receipt of tenders does not arise.

PAYMENTS FOR SALAMPUR FEEDER WORK

657. Shri Kesho Dass : Will the Minister for Irrigation be pleased to state—

(a) whether any "running" payment was made to the Labour and Construction Societies when the Salampur Feeder works were in progress ;

(b) whether any payment has been made to the said Societies when the said work has been completed ; if not, the reasons therefor ?

Chaudhri Lahri Singh : (a) Running bills were prepared and offered after every 15 days and the Societies were informed to receive payment.

(b) Final Bills are lying in deposit. It is for the Societies now to come and receive payments.

TENDER FOR SALAMPUR FEEDER

658. Shri Kesho Dass : Will the Minister for Irrigation be pleased to state—

(a) whether it is a fact that on 26th February, 1954, for works on the Salampur Feeder tenders for gravel work were invited and work given to the contractors ;

(b) whether it is also a fact that on 8th November, 1954, for works similar to those mentioned in part (a) above, tenders were invited and work given to the Co-operative Labour and Construction Societies ;

(c) whether the said Societies were given soft earth rates for the work for which gravel rate were paid to the contractors; if so, the reasons therefor ?

Chaudhri Lahri Singh: (a) Yes.

(b) Tenders for the work of excavating bed of Salampur Feeder were invited on through rate basis and the work was allotted both to contractors and Societies. The work for which tenders were invited on 8th November, 1954 is not similar to the work referred to in para (a) of the question.

(c) No. The through rate includes all such allowances. The contractors were also paid the same through rate.

MEMORANDA FROM THE LABOUR AND CONSTRUCTION SOCIETIES, GURDASPUR

659. Shri Kesho Dass : Will the Minister for Irrigation be pleased to state whether the Government has received any memoranda, dated the 29th December, 1954 and No. 142, dated 11th January, 1955 from the Labour and Construction Societies, district Gurdaspur; if so, the details thereof and action, if any, taken thereon ?

Chaudhri Lahri Singh : (a) Yes.

(b) A statement showing the details of these memoranda is laid on the Table.

(c) The matter is receiving active attention of Government.

(1) The work of increasing capacity of Salampur Feeder had been allotted to individual contractors even before tenders for it were invited.

(2) The contractors had completed 1/3 of the work by the time the societies could start work.

(3) In contravention with the Government instructions tenders for the same work had been invited both from the societies and contractors.

(4) On pointing out that the societies were not required to compete with the contractors, they (Societies) were allowed to start work at the lowest tender rate of their own.

(5) The Superintending Engineer, Uppar Bari Doab Canal did not agree to it and offered lowest rate of tenders to contractors.

(6) The Superintending Engineer had done all that to avenge himself on societies for the complaint they had made against him to the Irrigation and Power Minister.

ALLOTMENT OF WORK AT BASE BUND RAVI

660. Shri Kesho Dass : Will the Minister for Irrigation be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the tenders of the Labour and Construction Societies of Gurdaspur for the Base Bund on Ravi from Kakar Manj to Wara were accepted by the authorities ;

(b) whether it is also a fact that more than half of the work referred to in part (a) above, was allotted by the Executive Engineer, Madhopur Division, Amritsar, to contractors ;

(c) if the answer to part (b) above be in the affirmative, the reasons therefor ?

Chaudhri Lahri Singh: (a) Yes.

(b) Yes.

(c) Although the river works are excluded from the exclusive allotment to the Co-operative Societies yet the work to the Co-operative Societies was allotted to the extent that they promised to do. All the Societies which tendered were given work according to their capacity. Whereas the work of the contractors is more or less complete, the work of the Societies continues to be backward and some of them have not even started the work so far. This shows that the Societies have actually been given the work more than their capacity.

TENDERS FOR KALANAUR DISTRIBUTARY

661. Shri Kesho Dass : Will the Minister for Irrigation be pleased to state —

(a) whether the tenders of the Labour Construction Societies of Gurdaspur District for the Kalanaur distributary from R.D.0 to R.D. 45 were lower than those of the contractors when tenders were first called ;

(b) whether tenders were invited afresh in connection with the work mentioned in para (a) above by the Executive Engineer, Madhopur Division, Amritsar, from contractors and Societies, respectively ; if so, the lowest tender;

(c) the reasons, if any, for inviting tenders a second time ?

Chaudhri Lahri Singh : (a) Yes.

(b) Yes. The lowest tenders were from R.D. 0—24 Rs. 11-4-0 and R.D. 24—45 Rs. 12.

(c) Tenders were wrongly invited for the entire work, viz., Flood embankment and for the Kalanaur distributary. To avoid future complications in connection with the payment for the two different works, the tenders were reinvited separately for each work and on through rates because the previous tenders were on premium basis over the schedule. The reinvitation of tenders has not only caused saving to the Government but also eradicated the possibility of subsequent claims.

TENDERS FOR UNSKILLED WORK IN UPPER BARI DOAB CANAL CIRCLE

662. Shri Kesho Dass : Will the Minister for Irrigation be pleased to state—

(a) whether there are any instructions to the effect that only Co-operative Labour and Construction Societies are eligible for giving tenders for unskilled work ;

[Shri Kesho Dass]

(b) whether any tenders for unskilled work were invited from Contractors in the Upper Bari Doab Canal Circle ;

(c) if the reply to part (b) be in the affirmative, the action, if any, taken or proposed to be taken against the delinquent officer ?

Chaudhri Lahri Singh : (a) Yes. In case of maintenance works only. Project, emergent and closure works are excluded and in these cases tenders are invited both from contractors and societies.

(b) Where the tenders from Societies are above permissible ceiling premium, they are reinvited from both contractors and societies. Similarly in the case of project, emergent and closure work which are beyond the capacity of societies, tenders are invited from both contractors and societies.

(c) Does not arise.

SIRHIND AND BIST DOAB CANALS

663. **Shri Teg Ram :** Will the Minister for Irrigation be pleased to state—

(a) the total discharge of Sirhind Canal and Bist Doab Canal respectively at the Rupar Headworks ;

(b) the total number of days during the months of December, 1954, and January, 1955, when the discharge was full, 75 per cent and 50 per cent of the total discharge and the number of days when the discharge was less in the two canals mentioned above ?

Chaudhri Lahri Singh : (a) Rabi and Kharif authorized full supply discharge of the two canals is as under :—

	Rabi	*Kharif*
	Cusecs	Cusecs
Sirhind Canal—		
Pre.-Bhakra stage	8,438	9,040
Post-Bhakra stage	12,625	12,625
Bist Doab Canal—		
Pre-Bhakra stage	..	1,500
Post-Bhakra stage	1,500	1,500

(*b*) *Sirhind Canal*—

	December, 1954	*January, 1955*
(i) Number of days when the discharge was full	..	...
(ii) Number of days when the discharge was 75 per cent or above	..	..

	December, 1954	January, 1955
(iii) Number of days when the discharge was 50 per cent to 74 per cent	30	9
(iv) Number of days when the discharge was below 50 per cent	1	22

On account of annual canal closure for repairs of Rupar Headworks and other works the Sirhind Canal remained closed for twelve days during January, 1955, when this supply was utilised in running the Bhakra Canals System.

Bist Doab Canal—The canal remained closed during the months of December, 1954 and January, 1955, as it can run only as a kharif channel during the pre-Bhakra stage.

MULTI-LATERAL SCHOOLS

664. Shri Teg Ram: Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) the total number of multi-lateral schools established in the State at present together with the names of the districts where these are situated ;

(b) the total number of such multi-lateral schools and the names of the places where such schools are proposed to be established during 1955 ;

(c) the factors which are taken into consideration by the Government for establishing such schools at particular places ?

Shri Jagat Narain: (a) Nil.

(b) Preliminary steps to convert 2-3 schools per district to the multipurpose type will be taken during 1955-56.

(c) The factors to be taken into consideration by the Government for establishing such schools at particular places are yet to be determined.

OBSERVATIONS MADE BY THE SPEAKER

अध्यक्ष महोदय : आज बहुत से सवालात रह गए हैं। क्या House की sense यह है कि इन सवालों को कल ही लिया जाए या बाद में ? (Today most of the questions have been left over, I would like to take the sense of the House whether the remaining questions on today's list be carried over to next day or some other day ?)

पण्डित श्री राम शर्मा : स्पीकर साहिब, मैं दरखास्त करता हूं कि जो सवाल रह जाएं वह अगले दिन जरूर लिये जाएं। अगर ऐसा न किया जाए तो बहुत से सवाल मारे सैशन में ही रह जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या House की sense भी यही है ?

(आवाजें : जी हां) तो जो सवाल आज रह गए हैं वह कल लिए जाएंगे। (Is that the sense of the House that the remaining questions be taken up tomorrow ? (*Voices* : Yes, Sir). Then the questions which have been left over will be taken up tomorrow.)

ADJOURNMENT MOTIONS

(*Pandit Shri Ram Sharma got up to speak.*)

अध्यक्ष महोदय : मेरा ख्याल था कि अब आप को काफी parliamentary तजरुबा हो गया होगा और आप parliamentary practices और conventions से वाकिफ हो गए होंगे। पिछले Budget Session में भी यह सवाल उठाया गया था और आज भी आप adjournment motions के सवाल को उठा रहे हैं।

Adjournment Motions को बजट सैशन में पेश करने के बारे में मुझ से पहले मेरे predecessors ने rulings दे रखी हैं। मैं अपने predecessors की rulings की कदर करता हूं। यह parliamentary practice है कि Budget Session में adjournment motions पेश नहीं की जातीं। इस सैशन में गवर्नर महोदय के Address पर बहस होगी। बजट भी discuss होगा। इस लिये मैं समझता हूं कि इन सब बातों को नजरअन्दाज़ करके adjournment motions लाई गई हैं। आप को गवर्नर साहिब के Address पर बहस करते समय मौका मिलेगा, और भी बहुत से मौके मिलेंगे इस लिये मैं उन conventions और practices को मद्देनज़र रखते हुए जो यहां राइज हैं और अपने predecessors डा. सत्यपाल, सरदार कपूर सिंह, दीवान बहादुर एस. पी. सिंघा और सर शहाबुद्दीन की Rulings के पेशेनज़र में इन सब adjournment motions को disallow करता हूं।

(Honourable Members, I was under the impression that by now all of them would have fully acquainted themselves with the parliamentary practices and conventions obtaining in this Legislature. The question of moving adjournment motions during the Budget Session was raised last year and is being raised this year also.

As they are perhaps aware, my predecessors gave certain rulings with regard to the moving of adjournment motions during the Budget Session. Since I have great regard for them I have a mind to uphold their

rulings. Our practice with regard to the adjourment motions is that these are not allowed to be moved during the Budget Session. During the Budget Session the Governor's Address comes under discussion. The Budget is also fully discussed. I think these facts have not been taken into consideration while bringing forward these adjournment motions. The Members will get ample opportunities to discuss such matters during the discussion on the Governor's Address as well as the Budget. I therefore, keeping in view these parliamentary practices and conventions and rulings given by my distinguished predecessors like Dr. Satyapal, Sardar Kapoor Singh, Diwan Bahadur S. P. Singha, and Sir Shahab-ud-din, disallow these Adjournment Motions.)

पण्डित श्री राम शर्मा : तब भी सर शहाबुद्दीन ऐसी बातों की इजाजत दे दिया करते थे।

अध्यक्ष महोदय : आप को बोलने का मौका मिलेगा। जिन मेम्बर साहिबान ने Adjournment Motions के नोटिस दिए हैं उन्हें ज्यादा वक्त दिया जाएगा। आज इन में से जो मेम्बर साहिबान बोलें वह 5 मिनट ज़्यादा ले सकते हैं, वह अपनी Adjournment Motion की reference भी दे सकते हैं। All the Adjournment Motions are therefore disallowed.

(The hon. Member will get an opportunity to speak. Not only this, all those Members who have given notices of adjournment motions will get more time than others. I, therefore, disallow all the adjournment motions. Out of these Members, those who would like to speak to-day, can get 5 minutes extra and they can make a reference to the subject matter of their adjournment motions. All the Adjournment Motions are, therefore, disallowed.)

PANEL OF CHAIRMEN

Mr. Speaker : Under rule 11(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Punjab Legislative Assembly, I have nominated the following four Members as members of the Panel of Chairmen :—

(1) Shrimati Dr. Parkash Kaur.

(2) Sardar Partap Singh Rattakhera.

(3) Dewan Jagdish Chandra.

(4) Sardar Sarup Singh.

COMMITTEE ON PETITIONS

Mr. Speaker: Under Rule 177 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Punjab Legislative Assembly, I nominate the following members as members of the Committee on Petitions :—

(1) Chaudhri Sarup Singh, Deputy Speaker *Ex-officio* Chairman.

(2) Sardar Sarup Singh.

(3) Shrimati Shanno Devi,

[Mr. Speaker]

(4) Sardar Waryam Singh.

(5) Shri Guran Dass Bhagat.

REPORT BY SPEAKER RE. GOVERNOR'S ADDRESS

Mr. Speaker : In pursuance of rule 13(i) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Punjab Legislative Assembly (Vidhan Sabha), I have to report that the Governor was pleased to address both the Houses of Legislature assembled together on the 1st March, 1955, under Article 176(i) of the Constitution.

A copy of the Address is laid on the Table of the House.

GOVERNOR'S ADDRESS

MEMBERS OF THE LEGISLATURE

I have great pleasure in welcoming you once again after a period of a year to a fresh session of the Legislature. During this period the Legislative Assembly has suffered a grievous loss in the person of its Speaker, Dr. Satya Pal. As you all know, Dr. Satya Pal was a brave and courageous leader and his association with the cause of freedom will always form a part of our history. As a Speaker he was fearless and independent and to the very end he took a deep and sympathetic interest in the plight of all others who like him strove and suffered in the battle of freedom. His death has been a great loss not only to the Assembly but also to the country as a whole. We have also to mourn the recent death of another member of the Assembly, Pandit Jagat Ram Harianvi. He was a great revolutionary and in his person he possessed the sterling virtues of saintliness and a shining integrity of character. As Chairman of the Bharashtachar Nashak Committee set up by Government, he displayed to the last a burning zeal for uprooting corruption and an unequalled devotion to the work which he had undertaken in an honorary capacity. Another member of the Assembly who is no longer with us is Shri Nidhan Singh, also a fighter for the freedom of the country.

2. All orderly progress is dependent on prevalence of peace and tranquillity. I am, therefore, happy to state that the law and order position has continued to remain satisfactory. In fact the figures of total crime for the year 1954, show a decrease of 2,695 over the corresponding period of the previous year, and these figures are the lowest since Partition. This is equally true of figures of all serious crime, like murders, riots and dacoities. The period 1942—46 was particularly notable in this respect in the United Punjab. It is remarkable, therefore, that although the figures for average monthly murders during this period and 1954 are almost the same, such figures for docoities, robbery, riot and burglary for 1954 are 1.5, 15.2, 20.2 and 356.8 as against 8,40, 38.3 and 501 respectively. To this might be added the achievement that all known gangs of dacoits have been liquidated. This is evidence, on the one hand , of the clear fact that Government have a firm hold on the law and order situation and, on the other, of the circumstance that the public as a whole is in an increasing measure taking to constructive activities.

3. On the administrative side my Government are wedded to a policy of increasing decentralisation. The two-fold aim is that administration

should come nearer to the people and that the people themselves should be associated with administration in a larger degree. It is pleasing to recall that after its sojourn at Simla it has been possible, at last, for the High Court to move down to the more accessible plains of Chandigarh. This has been achieved with the co-operation of the Chief Justice and Judges of the High Court and the Members of the High Court Bar. As envisaged last year, ten new sub-divisions have already been set up and the construction of buildings in some other places for the same purpose is in hand. Government are shortly going to consider fresh proposals which seek to spread this network of sub-divisions throughout the State in the next two years. Steps have also been taken towards separation of the judiciary from the executive on the basis of executive orders in five districts. It is not claimed that complete separation has been achieved, but the beginnings of it have been firmly made by separating executive and judicial magistrates, by placing the judicial magistrates under the Additional District Magistrate and through him under the District and Sessions Judge and in restricting the transfers of judicial magistrates only to those districts in which this experiment of separation is being made. The way in which closer association of the people with administration is being sought may be illustrated by a reference to Community Projects and National Extension Schemes and the proposed reorganisation of local Government. I am sure you are all acquainted with the Community Projects programme and the National Extension Service. They aim at intensive and co-ordinated development of rural life as a whole. The lowest administrative unit of National Extension Service and Community Projects programme is a block under the charge of a Block Development Officer who, assisted by Extension Service Officers of various departments, is required to function through village level workers. In due course, it is proposed to make the National Extension Service a permanent pattern of administration. The officers under this scheme attempt to make rural people aware of their problems and to indicate to them ways and means by which they can solve them. They educate them in determining their problems and methods of solving them and inspire them towards positive action. On the local government side, as you must be equally aware, more than 9,000 Panchayats have been established and given considerable freedom to look after the interests of their constituents and to develop the villages. Government had had to place the administration of the District Boards under *ex-officio* members as a temporary measure due to stagnation in their administration which had resulted from lack of living contacts with the people. The question of reorganisation of rural local government has been under examination and a scheme about it will be placed before you during this session. My Government have attempted in it to combine the greatest measure of freedom and initiative to representatives elected from rural areas with guidance and technical advice from Government. The scheme is based on the Panchayats and provides a local government organisation in which there will be an integral relationship between the Panchayats and the larger units above it. Executive authority will be established in each Tahsil in consonance with the principle of decentralisation. I am convinced that in this scheme you will find that we enter on a great adventure and I commend to you the work and vision which will alone make it a success. With a view to overhaul the system of urban local government also, my Government have appointed a Committee whose duty it is to examine all the existing laws and rules on the subject and to suggest modifications therein so as to give to the local bodies wider powers and opportunities for initiative and self-help. I am very happy to say that the trust which Government have so

far put in the people has met with an extremely encouraging response. They have shown a vivid sense of responsibility and valuable local leadership has been thrown up which augurs well for the future democratic set-up of the country. The evidence of self-help which has been generated is to be found scattered all over the State. It is estimated that in the Community Projects and Community Development Blocks alone many miles of pucca roads and more than 1,100 miles of kacha roads have been constructed. Jeepable hill-roads have been constructed in hilly areas and foot-paths have been widened. Over 5 lac feet of drains have been constructed and over 40 lac feet of streets have been paved. Bunds have been constructed, buildings have been donated for public purposes and land and labour have been offered for building roads and bridges. All in all, the bold step taken by my Government to trust to the initiative, the energy and the good sense of the people of the State, has proved to be a most happy experience.

4. It has been the constant endeavour of my Government to eradicate corrupiion from the services wherever found and in all its forms. The Anti-Corruption Committee continued to function with the assistance of the Special Inquiry Agency and other departments. The Bharashtachar Nashak Committee also worked for most part of the year. Government have now decided to go further and set up a separate high-powered department for anti-corruption work. The preparation of detailed proposals in this connection have been entrusted to a senior officer. It is envisaged that this department will be directly under the Chief Minister and that it will have wide powers to take action in cases which come to its notice in the ordinary course or which are brought to its notice by other departments of Government. Although other departments will not be deprived of their normal authority to institute enquiries and take disciplinary action, this central department will be in a position to handle all enquiries and to pass same orders in disciplinary cases in respect of all Government servants which other departments can pass in respect of their officers. I am confident that the setting up of this department will be of great benefit both to the public and the administration. Two other measures which Government is adopting for increasing efficiency may also be mentioned. In the first place, powers are being taken to retire a Government servant compulsorily at the close of 10 years of service, or at any time after the completion of 15 years of service on the analogy of powers which Government possess already to retire a Government servant compulsorily on the expiry of 25 years service. Secondly, Government have decided that in promotions by selection much greater weight should be attached to merit rather than seniority. In implementing these decisions it is essential to ensure that there is neither favouritism nor victimisation and proposals are being considered to provide safeguards against these attendant evils.

5. The material prosperity of the State and its people is close to the heart of my Government and any examination of this subject must make us turn at once to the Bhakra Nangal Project. Work on the dam has made good progress. The river was diverted through the right diversion tunnel in October. The upstream coffer dam has been completed for a height of 70 feet. The excavation of the downstream coffer dam has also been completed. Both the

coffer dams will be completed before the monsoons. A rail-cum-road bridge has been thrown across the river Sutlej. Heading up of the river upstream of the coffer dam will occur during the monsoon seasons of 1955 and 1956. The huge Bhakra Canal system was completed last year and opened by the Prime Minister on the 8th July, 1954. Finishing touches to the huge distributary system will be given in the ensuing year. Over 3 lac acres of new irrigation was done in 1954 and the main canal ran with a discharge of 6,500 cusecs. It is expected to be raised practically to full supply this year if the Rajasthan canal system is completed in time. Minor irrigation schemes were pushed through on almost all canals and more are expected to be executed during the forthcoming year. Attention is also being paid to waterlogging and drainage, and flood control works on the Ravi, costing about Rs 21 lac, were completed during the year. The starting of the Ganguwal Power House, the opening ceremony of which was performed by the Rashtrapati on the 2nd Janunry, 1955, marked the inauguration of the Nangal Power Project. Construction of the second power house at Kotla is in progress. Its completion and commercial operation is scheduled during the year 1955-56. Electricity from Ganguwal Power House has already been supplied to a large number of places. During the next year it is hoped that power supply will be available in almost all urban areas. Government attaches great importance to the promotion of rural electrification in the State. The conditions of supply of electricity to rural areas have been liberalised and during the present year supply has been given to about 200 additional villages. Another 200 villages are expected to be electrified during the next year. The road system of Punjab has a reputation of its own. The entire Grand Trunk Road from Delhi to Amritsar has now been widened. The Jullundur-Mukerian-Pathankot road is open to traffic. The Jullundur-Hoshiarpur-Dharamsala road which provides a direct communication between Jullundur and Kangra has been completed. The road from Mandi to Kulu has been improved. Industrial development is also not lagging behind. Out of 1,921 plots planned in six industrial areas, 1,149 have been sold and factory buildings have been constructed over 142 plots out of them. Loans for development of industries under the State-Aid to Industries Act will aggregate to about Rs. 11 lac during the year. In addition, the State Government propose to give financial aid to three sugar factories proposed to be set up at Panipat, Rohtak and Bhogpur. On the cottage and small scale industries side, State boards have been set up corresponding to the All-India Boards for Khadi and village industries, handloom, silk, handicraft and small scale industries. The Government of India have allotted to us a sum of Rs. 6 lac odd for utilisation partly as grant and party as loan. Depots for sale of handloom cloth have been set up at several places, and co-operatives of the handloom weavers are being formed. Schemes aimed at creating designs centres, establishment of a wood seasoning plant and the establishment of a calendering plant are also being taken up. In the sphere of small scale industries, a number of developmental schemes have been taken up by the Department of Industries either separately or jointly with the Co-operative Department. Special attention is also being paid to the development of sericulture. Consolidation of holdings is proceeding according to plan. Work has been completed in 11 Tahsils and will be completed in another in one or two months more. Consolidation in 12 fresh Tahsils was taken up during the year. It is expected that in 40 out of 47 Tahsils work will be completed by August, 1957, and in

remaining in August, 1958. The work of relief and rehabilitation of displaced persons has reached a stage which can be called final. About 2½ million of uprooted persons have been fully absorbed in the economy of the State. In addition to land allotted already, an area of about 20,000 standarad acres, belonging to evacuees but mortgaged with locals, has been redeemed and will be available for allotment to unsatisfied claimants. A part from houses built or plots laid-out in townships set up in the State, 3,184 eight marala cheep houses have been built for the people in the low-income group. 5,395 cheap tenements will further be ready by the close of March for providing accommodation to displaced persons living in *Sarais* and religious places, etc. Shopping centres have been set up at several places. Flourishing grain and cloth markets have been set up at Rohtak. and a mandi has been developed in Ambala City. Till the end of December, 1954, small urban loans for business and industry, house-building loans and educational loans to the tune of Rs. 2,33,09,013, Rs. 1,03,08,319 and Rs. 25,18, 305 respectively have been advanced to displaced persons. A settlement organisation was also set up during the year for implementing the interim compensation scheme. It will be pointless to multiply details any further. The remarkable fact stands out that as a result of the material progress achieved, this deficit State is now surplus in foodgrains, that all controls on the purchase, storage, sale and movement of foodgrains within the State have been completely abolished, that except for cement and coal no shortages have been felt and that prices of foodgrains have stabilished themselves at reasonable levels.

6. In the sphere of social and physical welfare of the people in general, Government have decided to set up a Directorate of Social Welfare with the object of giving a co-ordinated direction to social activities of Government and even private institutions. My Government has further come to the conclusion that a certain amount of co-ordination in educational activities is also required. At present some of these would seem to be the concern of the Education Department and some of technical departments. Government are proposing to appoint a single Administrative Secretary for the entire sphere of education, and a scheme for the purpose is being prepared. I trust that these measures will appeal to the members of the Legislature. On the education side, during the year much emphasis was laid on primary education. Nearly 3,000 new schools were started. Apart from this, 300 primary schools were raised from 4-year institutions to 5-year institutions with a view to enlarging the basis of elementary education. With regard to physical well-being of the people, I must refer to Government's efforts to combat malaria. Out of the total population of this State, nearly 70 lac people live in malarious areas. The State is, therefore, participating in the National Malaria Control Programme initiated by the Government of India. Seven anti-malaria units have been working in the State at an estimated cost of about Rs. 11 lac during the present year. As a result of these anti-malaria measures, there has been a great saving of human lives, a great saving in labour days and a considerable increase in wages earned. The anti-malaria units will continue to function in the next year also.

7. It is the firm policy of my Government to promote by all means in their power the uplift and well-being of the lower strata of society of all categories and the backward classes. Members are already aware that at

present 21 per cent of vacancies in Government departments stand reserved for members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and the Backward Classes. The same percentage of seats in education, technical and professional institutions is also reserved for them. During the present year, it has been decided to reserve 50 per cent of the vacancies in the rank of police constables for them on the basis of a lower physical standard. This will go a long way in restoring confidence in members of these classes and enable them to seek redress of their petty grievances. A sum of Rs 23 lac was spent during the year on the promotion of education amongst them and it is likely that this expenditure will be recurring at least for some years. Government have also several housing schemes for the benefit of the low-income groups. In the Scheduled Areas of Lahaul and Spiti large sums of money are being spent on improving communications, on providing more schools and scholarships, in improving medical facilities and in providing better means of irrigation. As far as political sufferers, those soldiers of freedom, are concerned, during the present year, Government spent no less than a sum of Rs. 3,60,000 in granting relief to them. The scheme to grant land on lease to the sufferers also bore fruit during the year. Twelve and a half acres of land per person has been allotted under this scheme to no less than 388 persons. It is expected that 172 more allotments of the same kind will be made shortly. I may not anticipate the budget, but I earnestly hope that it will disclose fresh evidence in support of Government's avowed intentions to uplift all these classes of people.

8. We are coming to the close of the First Five-Year Plan. As originally formulated the State Plan stood at a little over Rs. 20 crores. The size of the Plan was subsequently expanded on account of additional provision for various purposes and it now stands at a little over Rs. 30 crores. Besides this, there is a Plan provision of little over Rs. 16 crores for centrally sponsored schemes for various development programmes. The State has also been continuing its development operations in various fields outside the Plan and the expenditure on this account is likely to be over Rs. 6 crores. The final Plan for the first five years may, therefore, go up to Rs 36.21 crores, excluding Rs. 16 crores on centrally sponsored schemes. The progress of Plan schemes is satisfactory, but earnest efforts will be required to complete during the coming financial year, which will be the last year of the plan, the schemes which are due to be completed. The preparation of the second Five-Year Plan is under way and by the time the second Plan period starts, schemes will be ready for execution. The aim of the second Plan is a general all-round economic and over all betterment of the people. Emphasis in drawing up the Plan is to be laid on self-help, maximum development and use of co-operative agencies, all-round improvement of agriculture, development of small scale and cottage industries, expansion of the National Extension Service, development of areas which suffer from special disabilities and the utilisation of power in both rural and urban areas. The special feature of the second Plan will be that it will be based on the proposals and plans made by the people themselves through Panchayats, Local Bodies and other local organisations. The Plan will, thus, be a Plan from the people and for the people.

9. The Budget for 1955-56 will shortly be presented and the Government's proposals placed before you. I trust the Legislature will find that the proposals made by the Government are satisfactory in the matter of development, spread of educational, medical and other facilities, both in

the rural and urban areas of the State and particularly in the backward tracts.

10. Members of the Legislature, this brief survey which I have made will convince you that your State is making steady progress in all directions under the guidance of my Government. It is to your credit that this has been possible, because it is in your hands whether there should or should not be a stable Government. In your wide discretion you have decided in favour of stability and you have, thus, enabled the Government to carve out policies and to implement them with vigour. Much credit, in this respect, is also due to the services on whom falls the responsibility of implementing policies. By and large they have borne this responsibility with devotion and sincerity. In the ultimate analysis, however, all credit for the achievements of Government must belong to the people themselves, and Punjab is, indeed, fortunate in its people who are full of courage, resourcefulness, initiative and adventure. I would, however, be failing in my duty if I did not refer before closing to the spirit of communalism which has bagun to become visible here and there. I am afraid, those who preach it in the name of religion either know not the dangers which follow in its wake, or are intentionally not prepared to see them, although the terrible spectacle which we witnessed only a few years ago must be vividly before their minds. No progress can be achieved by a State or a people divided in itself. It is, therefore, of utmost importance that all separatist and fissiparous tendencies should be checked, and every attempt at impairing the solidarity of the State put down with a strong hand. I am confident that my Government can depend on you and, through you, on the people of the State for a rigid enforcement of measures designed to secure a peaceful and orderly growth of the State.

11. Ladies and gentlemen, you have a long programme ahead of you. May your deliberations truly guide my Government in meeting the various problems before them.

JAI HIND

PAPERS LAID ON THE TABLE

Secretary: I beg to lay on the Table a statement showing the bills which were passed by the Punjab State Legislature during its November, 1954 Session (8th Session) and December, 1954 Session (9th Session) and assented to by the President/Governor.

I also lay on the Table of the House a *statement showing action taken against corrupt officials in the State during the period from 1st January, 1953 to 31st December, 1953.

STATEMENT SHOWING THE BILLS WHICH WERE PASSED BY THE PUNJAB STATE LEGISLATURE DURING ITS NOVEMBER, 1954 SESSION (8TH SESSION) AND DECEMBER, 1954 SESSION (9TH SESSION) AND ASSBNTED TO BY THE PRESIDENT/GOVERNOR

1. The Punjab Gram Panchayat (Second Amendment) Bill, 1954.
2. The Punjab Town Improvement (Amendment) Bill, 1954.

*Kept in the Library.

3. The Court Fees (Punjab Amendment) Bill, 1954.

4. The Punjab Land Revenue (Surcharge) Bill, 1954.

5. The East Punjab Holdings (Consolidation and Prevention of Fragmentation) (Second Amendment) Bill, 1954.

6. The Punjab District Boards (Temporary Constitution) Bill, 1954.

7. The East Punjab War Awards (Amendment) Bill, 1954.

8. The Sikh Gurdwaras (Fourth Amendment) Bill, 1954.

9. The Punjab Municipal (Second Amendment) Bill, 1954.

10. The Sikh Gurdwaras Committees Election (Validation) Bill, 1954.

11. The East Punjab Holdings (Consolidation and Prevention of Fragmentation) (Third Amendment) Bill, 1954.

Chief Minister (Shri Bhim Sen Sachar): Sir, I beg to lay on the Table of the House the Punjab Entertainment Tax (Cinematograph Shows) Rules, 1954, made under the Punjab Entertainment Tax (Cinematograph Shows) Act, 1954, as required by section 19(3) of the said Act.

Minister for Education (Shri Jagat Narain): Sir, I beg to lay on the Table of the House the Rules made under the Motor Vehicles Act, 1939, as required by section 133(3) of the said Act.

PRESENTATION OF SUPPLEMENTARY ESTIMATES (SECOND INSTALMENT) 1954-55

Chief Minister (Shri Bhim Sen Sachar): Sir, I present the Supplementary Estimates (Second Instalment) 1954-55.

PRESENTATION OF REPORT OF THE COMMITTEE ON ESTIMATES ON THE SUPPLEMENTARY ESTIMATES (SECOND INSTALMENT) 1954-55

Sardar Hari Singh: Sir, I present the Report of the Committee on Estimates on the Supplementary Estimates (Second Instalment) 1954-55.

DISCUSSION ON GOVERNOR'S ADDRESS

Shrimati Sita Devi (Jullundur City, South-East): Sir, I beg to move—

> That the members of this House assembled in this Session are deeply grateful to the Governor for the address he has been pleased to deliver to both the Houses assembled together.

स्पीकर साहिब, कल हमारे गवर्नर साहिब ने जो भाषण दिया है मैं उस के लिये उन्हें धन्यवाद देने के लिये खड़ी हुई हूं। उस भाषण को शुरु से आखीर तक पढ़ने से मालूम होता है कि पंजाब की चौमुखी उन्नति हो रही है। कोई भी दिशा ऐसी नहीं जिस की तरफ पंजाब सरकार ने अग्रसर होने का यत्न न किया हो। अवाडी में जो कांग्रेस सैशन हुआ है उस में Socialistic Pattern of Society की स्थापना की जो announcement

[श्रीमती सीता देवी]

की गई है इस ऐड्रेस (Address) को पढ़ने से पता लगता है कि सरकार उसी दिशा की ओर चलने का प्रयत्न कर रही है। इस में Law and Order के मुतअल्लिक जो हमें बताया गया है उस के सम्बन्ध में figures देखने से पता चलता है कि जिस दिन से इस गवर्नमेण्ट ने हकूमत की बाग डोर अपने हाथ में संभाली है उस दिन के मुकाबले में आज Law and Order की position में ज़मीन और आसमान का फर्क है (*Interruptions*), मैं मैम्बर साहिबान से अपील करती हूं कि वह मुझे interrupt न करें। 1947 में border के ऊपर 294 incidents हुए और उस के मुकाबले में 1953 में 12 जिन में 9 बिल्कुल मामूली यानी पशुओं के झगड़ों पर और 3 ऐसे थे जो ज़मीन के झगड़े की वजह से हुए। इस प्रकार 1954 में भी 12 incidents हुए जिन में से 7 पशुओं के झगड़े पर--इस में केवल एक serious nature का था और 5 ज़मीन सम्बन्धी झगड़े के कारण हुए। इन आंकड़ों से पता चलता है कि सीमा की रक्षा हमारी Provincial Armed Police निहायत अच्छी तरह से कर रही है और वह इस के लिये हमारी मुबारकबाद की मुस्तहिक है। इसी तरह इस एड्रेस में हमें बताया गया है कि पंजाब में 2,695 अपराध पिछले वर्ष के मुकाबले में कम हुए। चोरियों और डकेतियों तथा हत्याओं की वारदातें कम हुईं। जंगा और हेम राज जो नामी डाकू थे और जिन्होंने पंजाब के अन्दर तूफान बरपा किया हुआ था और जिन के भारी gang ने प्रांत की शान्ति भंग कर रखी थी उसे हमारी सरकार की पुलिस ने अपनी बहादुरी से खत्म कर दिया और इस तरह से पंजाब के अन्दर शान्ति स्थापन करने में सफ़ल हुई। इस के लिये मैं अपनी पुलिस को बहुत मुबारकबाद देती हूं। हमारी पुलिस ने सिर्फ पंजाब में नहीं बल्कि बम्बई, कश्मीर, हैदराबाद, पैप्सु और दूसरे प्रांतों में जो बहादुरी के काम किये हैं उन के लिये वह प्रशंसा की पात्र है। हमें सरकार की हर बात पर नुकताचीनी करने की आदत को छोड़ देना चाहिये और जो काम सरकार जनता के हित में कर रही है उन की सराहना करनी चाहिये। गवर्नर साहिब का भाषण जो आज अखबारों में छपा है उस ने पंजाब की जनता के अन्दर एक नया जीवन पैदा कर दिया है। मैं गवर्नर साहिब का इस बात पर धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने साम्प्रदायिकता का ज़हर फैलाने वाली शक्तियों को सख्त चेतावनी दी है कि उन्हें सिर उठाने नहीं दिया जायेगा। स्पीकर साहिब, आप को ज्ञात है कि पंजाब एक सीमा प्रान्त है। हिन्दुस्तान में दाखिल होने का यह gate way है। अगर यहां शान्ति न होगी तो इस का मतलब यह होगा कि 36 करोड़ नर नारी की स्वतन्त्रता खतरे में पड़ जायेगी। इस लिये यह ज़रूरी है कि हमारी सरकार communal forces को मज़बूत हाथ से दबा कर प्रान्त के अन्दर शान्ति स्थापित करे। अमरीका के प्रधान Ibraham Lincoln ने कहा था कि Government of the people, by the people and for the people, अर्थात जनता का राज्य जनता द्वारा जनता के कल्याण के लिये होना चाहिये। स्पीकर साहिब, स्वराज्य मिलने से पहले जो देहातियों की हालत थी वह किसी से छिपी हुई नहीं। अंग्रेज़ के राज्य के वक्त तो देहातियों को तीन कामों के लिये इस्तेमाल किया जाता था। एक तो उन्हें फौजों में भेज कर तोपों का खाजा बनाया जाता था। दूसरे उन्हें 14 रुपये माहवार देकर सैनक के तौर पर भर्ती किया जाता था। तीसरे देहातियों से टैक्स वसूल कर के शहरियों

पर खर्च किया जाता था। उन्होंने देहातियों का जीवन इस तरह neglect किया हुआ था। ऐसा मालूम होता था कि देहात के अन्दर जो गवर्नमेंट थी वह कुछ नहीं करती थी। इस सरकार ने सब से पहला कदम यह उठाया है कि देहातों के अन्दर 9,000 पंचायतें स्थापित कर दी हैं। जो लोग गांव में रहते हैं और जिन्हें पंचायतों का तजुरुबा है उन्हें मालूम है कि पंचायतों की स्थापना के बाद देहातियों को कितनी ज़्यादा आसानी और उन में आत्म-विश्वास हो गया है।

अब लोगों को छोटे २ झगड़ों के फैसले करवाने के लिये दूसरी जगहों पर नहीं जाना पड़ता। अपने घरों में बैठे ही वे अपने दु:ख सुख को बांट लेते हैं। पंचायतों को प्राचीन तरीके पर चलाया जा रहा है।

इन के इलावा Sub-Divisions बनाई गई हैं। पहिले यह हालत थी कि अगर बदकिस्मती से कोई लड़ाई हो जाती, मुकद्दमा चल पड़ता तो लोगों को District Headquarters पर जाना पड़ता था, किराया देने के इलावा, कई मुसीबतों और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जब जाट के घर दाने आ जाते थे तो उस का सारा पैसा मुकद्दमों पर लग जाता था। Sub-Divisions के बन जाने से देहात में रहने वालों को न्याय बड़ी आसानी से मिल सकता है, उन्हें मारा २ फिरने की जरूरत नहीं।

भाषण में बहुत सी बातें कही गई हैं। मैं यहां पर चन्द बातों की ओर ही आप का ध्यान दिलाना चाहती हूं। देहातियों की हालत में जितनी improvement हो चुकी है, सब भाई जानते ही हैं। 1954 में 2,500 वर्ग मील के रकबे में देहातों में बिजली लग चुकी है। देहातों का नकशा ही बदल चुका है, जगह जगह पर हरि हरि खेतियां लहलहाती हुई दिखाई देती हैं। 16,000 Co-operative Societies बन चुकी हैं। सरकार चाहती है कि सारी administration को decentralize कर दिया जाए। जनता अपने रुपये को अपनी इच्छानुसार ही खर्च करे। सरकार चाहती है कि सब काम co-operative basis पर हों, सरमायादारी के basis पर न हों। यह न हो कि सारा काम मज़दूर करें और सारा मुनाफा सरमायादार खा जायें, मजदूरों को केवल मज़दूरी ही मिले। Co-operative system को प्रोत्साहन दे कर सरमायादारी को खत्म करने के लिये मंत्री महोदय ने जो कोशिश की है, उस के लिये मैं उन्हें मुबारकबाद देती हूं। उन्होंने एक बड़ा progressive कदम उठाया है। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को Co-operative Societies द्वारा देने का प्रबन्ध किया गया है। तीन बड़ी sugar mills को भोगपुर, रोहतक और पानीपत में co-operative basis पर लगाने का फैसला किया गया है। अभी तक पंजाब में इतनी बड़ी factories co-operative basis पर नहीं चलाई गई थीं। भोगपुर की मिल के लिए जालन्धर में एक ही meeting में चन्द मिंटों में हज़ारों रुपये इकट्ठे हो गए थे। यही चीज़ बताती है कि co-operative system के लिये लोगों में कितना enthusiasm पाया जाता है।

सारे सूबे में जगह २ पर मुरब्बाबन्दी हो रही है। इस काम को अभी कुछ समय और लगेगा परन्तु इस से किसानों की हालत बहुत सुधर

[श्रीमती सीता देवी]

जाएगी। अभी तक इस स्कीम पर पांच करोड़ रुपया खर्च हो चुका है। मैं figures इस लिए बता रही हूं ताकि उन भाइयों को जो कहते हैं सरकार ने कुछ नहीं किया, पता लग जाए कि प्रांत में क्या कुछ हो रहा है।

भाखड़ा-नंगल के बारे में कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। वह तो सूर्य की तरह खुद ही रोशन है। पहले कहा जाता था 'वहां तो कोई काम नहीं हो रहा, लाखों रुपये खाए जा रहे हैं'। अब वह बात नहीं रही। 8 जुलाई को पंडित नेहरू जी ने भाखड़ा नहिर का उद्घाटन किया था; सब भाई इस बात को जानते हैं कि कैसा काम वहां पर हो रहा है। दरिया के पानी को tunnels में मोड़ कर बांध बनाया जा रहा है। यह बांध जब बन जायेगा तो एशिया में प्रथम दर्जे पर होगा। पंजाब में तीन लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होगी। जहां आज रेत दिखाई देती है वहां लहलहाते खेत दिखाई देने लग पड़ेंगे। 4 लाख किलोवाट बिजली की ताकत पैदा होगी। बड़े २ कारखाने चलेंगे, छोटी २ और cottage industries का विकास होगा। Unemployment दूर होगी। नौकरियों द्वारा तो सरकार इसे दूर कर ही नहीं सकती, cottage industries द्वारा ही लोगों को काम मिल सकता है। इस सिलसिले में हमारी सरकार को काफी कामयाबी हुई है। जहां पहले हमारे सूबे में 200 factories थीं, अब 12,000 हैं; 11 लाख रुपये की रकम उन्हें कर्जों के तौर पर दी गई है। सियालकोट की sports industries दुनिया भर में प्रसिद्ध थी, अब इसे जलंधर में स्थापित किया गया है। इस में लोगों ने बहुत सारा रुपया लगाया है, सरकार ने भी loan दिया है। लुधियाना में hosiery, cycle parts की, पानिपत में कम्बलों और खेसों की, सोनीपत में साईकल बनाने की, बटाला और फिलौर में लोहे का जराअती सामान और टोके बनाने की industries चल रही हैं।

थोड़े से समय में सरकार ने industries को बहुत तरक्की दी है। इस तरह। सरकार ने unemployment की समस्या को दूर करने के लिये काफी प्रयत्न किये हैं।

2 जनवरी को राष्ट्रपति जी ने गंगोवाल Power-house का उद्घाटन किया। इस से अब 200 गांवों को बिजली मिल गई है, अगले साल इतने ही और ग्रामों को मिलेगी। Kotla Power-house भी एक साल तक तैयार हो जायेगा। यह सारी बिजली सूबे की उन्नति के लिये काम आयेगी, industries को चलाने के काम आयेगी। हर देहात में पहुंचेगी, घर घर में दी जायेगी और प्रान्त को खुशहाल बनायेगी।

फिर Community Projects और National Extension Service Schemes के मातहत बड़ी तनदही से काम हो रहा है—all-round development, हो रही है। Opposition की तरफ से जो remarks कहे गये थे मैं वह दुहराना नहीं चाहती। सच्चाई सामने आ ही जाती है। लोग सब कुछ जानते हैं कि वहां पर क्या हो रहा है। जगह २ सड़कें, स्कूल बन रहे हैं। जो अच्छा काम गवर्नमेंट करती है, Opposition वाले भाई उस की सराहना भी नहीं करते।

स्पीकर साहिब, चाहिये तो यह कि मेरे Opposition वाले भाई सच्ची बात की तारीफ करें लेकिन वे नहीं करते। मैं इस सिलसिले में अर्ज़ करना चाहती हूं कि Anandpur के Election के दिनों में मुझे भी कुछ गांवों में जाने का इत्तफाक हुआ। Polling stations पर मैं ने देखा कि दूसरी पार्टी के लोग आम लोगों से कह रहे थे कि और vote दो कांग्रेस को, टोकरियां उठाओगे और सिर पर मिट्टी ढोओगे। कांग्रेस गवर्नमैण्ट तुम से और क्या करवायेगी ? ऐसी ऐसी बातें कह कर आम जनता को बहकाया जाता है। हकीकत यह है कि अब पंजाब में आम जनता के अन्दर इतनी जाग्रति और इतना enthusiasm आ गया है, उन के अन्दर ये feelings पैदा हो गई हैं कि पंजाब हमारा है और हम ने ही इस को बनाना है और इसी विचार से वे स्वयं श्रम दान करते हैं और भूमि दान करते हैं। मेरे भाइयों का ग़लत propaganda उन के मन पर कोई असर नहीं कर सकता। सचाई सामने है। स्पीकर साहिब, आप के सामने चार Bye-Elections—Moga, Amritsar, Anandpur Sahib और Hissar—हुए हैं। आप ने देखा है कि जनता ने हज़ारों की तादाद में वोट देकर कांग्रेस को सफल बनाया है। वोट लेने में तो किसी प्रकार की ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती। यह चीज़ इस बात का सबूत है कि लोग कांग्रेस गवर्नमेंट के प्रोग्राम को पसन्द करते हैं। इस लिये उन्होंने कांग्रेस को vote दिये हैं। अगर लोग कांग्रेस गवर्नमैण्ट की नीति को पसन्द न करते तो कभी कांग्रेस को vote न देते। कहने को तो Communist भाई बहुत कुछ कहते हैं लेकिन हकीकत वही है जो कि मैं ने अर्ज़ की है।

स्पीकर साहिब, यदि आप education side को लें तो वहां भी हमें बहुत तरक्की नज़र आती है। अंग्रेजों ने तो बम्बई, मद्रास, बंगाल आदि के मुकाबले में पंजाब को जान बूझकर पिछड़ा रखा था, क्योंकि वे समझते थे कि पंजाब Sword Arm of India है अगर पंजाब के लोग शिक्षित हो गये तो पंजाब में common sense बढ़ जायेगा और हुकूमत को 14 रुपये माहवार पर Military के लिए सस्ते recruits, नहीं मिलेंगे। इसी कारण उन्होंने पंजाब को शिक्षाक्षेत्र में सब सूबों से पिछड़ा हुआ रखा था। अब चन्द सालों से ही कांग्रेस गवर्नमेंट ने हकूमत की बाग डोर सम्भाली है। इस ने यह अनुभव किया है जब तक निरक्षरता (illiteracy) को दूर नहीं किया जाता तब तक कांग्रेस का राज्य पक्की नींव पर कायम नहीं हो सकता। इस सम्बन्ध में मैं अर्ज़ करना चाहती हूं कि इस थोड़ी सी अवधि में ही शिक्षा के क्षेत्र में कितना परिवर्तन आया है। हमारे सूबे में—

1950-51 में	... 4,315 प्राइमरी स्कूल 429 हाई स्कूल और 39 कालेज
1951-52 में	... 4,591 प्राइमरी सकूल, 468 हाई स्कूल और 45 कालेज
1952-53 में	... 5,415 प्राइमरी स्कूल, 513 हाई स्कूल और 46 कालेज

[श्रीमती सीता देवी]

1953-54 में ... 7,200 प्राइमरी स्कूल
688 हाई स्कूल,
और 51 कालेज

थे। जब कि—

1954-55 में ... 10,000 प्राइमरी स्कूल,
704 हाई स्कूल
और 54 कालेज हैं।

इन figures को देखने से मालूम होगा कि इस वर्ष के अन्दर 3 हज़ार नये प्राइमरी स्कूल खोले गये हैं। Basic स्कूल 132 से 298 हो गये हैं। Figures तो और भी बहुत सारे हैं लेकिन मैं ने थोड़े दिये हैं। जहां Education ने इतनी तरक्की की है वहां मैं सरकार का ध्यान एक बात की ओर दिलाना चाहती हूं। वह यह है कि हमारे teachers-District Boards के और दूसरों—की तनखाहें बहुत कम है और जितनी बढ़नी चाहियें थीं उतनी नहीं बढ़ीं। इस लिये मैं आप के द्वारा मंत्री मंडल से यह अर्ज़ करना चाहती हूं कि इस आवश्यक बात की ओर शीघ्र ही विशेष ध्यान दिया जाए।

अब मैं Health side की ओर आती हूं। अंग्रेज के राज में शहरों में थोड़े ही अस्पताल वगैरह होते थे। बाकी private अस्पतालों से ही काम चलता था। परन्तु देहातों में मीलों तक कोई अस्पताल नज़र नहीं आता था, कोई dispensary नहीं होती थी। कांग्रेस सरकार ने इस दिशा में भी कोशिश की है। अस्पतालों की तादाद बढ़ाई है, dispensaries खोली गई हैं और Ayurvedic dispensaries भी खोली गई हैं। पंचायतों ने भी बहुत सी dispensaries खोली हैं। इस दिशा में एक और कदम उठाया गया है। देहाती अस्पतालों को provincialise किया गया है और Headquarter Hospitals को नए साधनों से सुसज्जित किया गया है। मुझे पता है कि हमारे नज़दीक नकोदर अस्पताल में X-Ray Plant लगाया गया है। वहां पर blood examination, urine examination और stools examination आदि करने की व्यवस्था की गई है। अब लोगों को यह ज़रूरत नहीं रह गई कि थोड़ी सी परीक्षा करवाने के लिये District Hospitals को दौड़ें। आया यह सब इस बात का सबूत नहीं कि कांग्रेस सरकार देश की उन्नति के लिये अविरल प्रयत्न कर रही है? अभी कल गवर्नर साहिब ने बताया है कि 11 लाख रुपया malaria को combat करने के लिये खर्च किया गया है। इसी तरह पंजाब में 109 नए Maternity Centres खोले गए हैं, 40 Ayurvedic Dispensaries खोली गई हैं। गवर्नर साहिब के भाषण से पता चलता है कि हमारा प्रान्त चौमुखी उन्नति कर रहा है।

स्पीकर साहिब, यदि आप Transport को लें तो आप देखेंगे कि गवर्नमैण्ट कुछ सालों से Transport को nationalise करने का यत्न कर रही है। कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं परन्तु हकीकत यह है कि —मैं challenge तो नहीं करती लेकिन

मेरा विचार जरूर है—सारे हिंदुस्तान में किसी सूबा की गवर्नमैण्ट को इतना profit Transport की nationalisation से नहीं हुआ जितना कि हमारी गवर्नमैण्ट को हुआ है। इस साल के figures से मालूम होता है कि 16,12,360 रुपये लाभ Transport से हुआ है। हमें उम्मीद है कि अगले साल इस से भी अधिक लाभ होगा। अभी तक nationalisation का काम इतना ही हुआ है जो कि सारे सूबे को cover नहीं करता। चंडीगढ़ से दिल्ली, चंडीगढ़ से अमृतसर, चण्डीगढ़ से रोहतक, चण्डीगढ़ से होशियारपुर और चंडीगढ़ से लुधियाना तक गवर्नमैण्ट की Transport चलती है। अब जल्दी ही फिरोज़पुर को हिस्सार से link किया जायेगा। यह सब बातें बतानी इस लिये ज़रूरी हो रही हैं कि जो लोग कहते हैं कि गवर्नमैण्ट Transport को नहीं चला सकेगी, इस को कोई profit नहीं होगा वे केवल propaganda के लिये ही कहते हैं। मैंने जो figures बताई हैं इन की मेरे भाई पूरे तौर पर enquiry करवा सकते हैं कि आया ये figures सही हैं या कि नहीं। सड़कों की ओर आयें तो मालूम होगा कि इस दिशा में भी काफी प्रगति हुई है। दिल्ली से अमृतसर जाने वाली सड़क 22 फुट चौड़ी कर दी गई है। जालन्धर से पठानकोट, जालन्धर से होशियारपुर, धर्मशाला और कुल्लू अर्थात् सब जगहों पर सड़कें पक्की बनाई गई हैं। स्पीकर साहिब, आप की विसातत से मैं हाऊस से कहना चाहती हूं कि कोई माननीय सदस्य चाहे बस में या ट्रेन में सफर करें तो जगह जगह पर उन को construction का काम नज़र आएगा। पिछले दिनों कुछ लोग दूसरे मुल्क से यहां आये थे। उन के साथ नंगल जाने का मुझे इतिफाक हुआ। हम लोग car के ज़रिए Nangal गए। उन्हों ने देखा कि सारे रास्ते में कहीं पर सड़कें, कहीं पर नहरें और कहीं पर पुल बन रहे हैं। तो वे लोग यह सब कुछ देख कर कहने लगे कि पंजाब में construction का काम बहुत हो रहा है। मैंने उत्तर दिया कि यह काम तो सब जगहों पर हो रहा होगा क्योंकि Five-Year Plan तो सारे देश में ही लागू है। वे कहने लगे कि दूसरे सूबों में इतना construction का काम नहीं हो रहा जितना कि पंजाब में होता है। कहने का मेरा मतलब यह है कि अपनी पोज़ीशन का ज्ञान तब होता है जब कि कोई गैर हमारी तुलना दूसरे सूबों से करता है। दूसरी स्टेट्स में जो कुछ हो रहा है उस को देख कर और हमारी स्टेट में जो तरक्की हुई है उसे देख कर वे कहने लगे कि हम हैरान हैं कि आप ने बावजूद इस बात के कि उधर से उजड़ कर आए, चन्द सालों में सूबे को इतना आगे ले गये और अपने पैरों पर खड़े हो गए। यह मैं नहीं कह रही। पंडित जवाहर लाल नेहरू का भी यही विचार है। जब वे अमृतसर में आए तो उन्होंने कहा कि जिस तरह पंजाब अपने पैरों पर खड़ा हुआ है अगर कोई और सूबा होता तो शायद इतनी जल्दी इस तरह खड़ा न हो सकता।

इसी तरह आप देखें कि हरिजनों के उद्धार के लिये, इन को ऊंचा उठाने के लिए भी गवर्नमैंट ने क्या कुछ किया है। हमारे स्वर्गीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी स्वराज्य के लिए आन्दोलन करते हुए जहां मुल्क की और दिशाओं में बेहतरी की ओर ध्यान देते थे वहां पर हमेशा उन की यह इच्छा रही थी कि जो पिछड़े वर्ग या जातियां हैं उन को ज़्यादा से ज़्यादा आगे लाया जाए, बल्कि वह तो यहां तक कहा करते थे कि जब कभी हमारे अपने हाथों में सरकार आई तो मैं सब से पहले एक हरिजन लड़की को देश का प्रधान बनाऊंगा। (विघ्न).....ऐसा भी वक्त कभी ज़रूर

[श्रीमती सीता देवी]

आयेगा। (अप्पोजीशन की ओर इशारा करते हुए) "घबराओ नहीं, तुसां नहीं बनना, बनना किसे हरिजन कुड़ी ने ही है।" खैर, मैं कह रही थी कि उसी बात का, उसी दृष्टिकोण का अनुकरण करते हुए पंजाब सरकार ने अपने सूबे में हरिजनों को बहुत ही ऊंचा स्थान दिया है। मैं समझती हूं कि कांग्रेस ने, कांग्रेसी सरकार ने और किसी के लिये चाहे कुछ किया हो या न परन्तु हरिजनों के लिये जो कुछ किया है वह विशेष तौर पर प्रशंसनीय है। आप सब को पता है कि 21 प्रतिशत सीटें विधान सभाओं और पार्लियामेंट में इन के लिये सुरक्षित हैं। इस के अतिरिक्त दूसरी बातों और सुविधाओं के इलावा अभी कल ही गवर्नर साहिब ने अपने भाषण में बताया था कि 23 लाख रुपया extra हरिजनों के बच्चों की शिक्षा के लिये वज़ीफों वग़ैरह के लिये खर्च किया जा रहा है। इस के अलावा पुलिस में भी उन के लिये 50 प्रतिशत तक आसामियां रख दी गई हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप कितना टाइम और लेना चाहती हैं। [How much more time will the hon. Lady Member require ?]

श्रीमती सीता देवी : दस मिनट से ज्यादा नहीं। स्पीकर साहिब, इस के इलावा एक बात और जो गवर्नमेण्ट ने की है और जो विशेषत: प्रशंसनीय है, वह है anti-corruption से सम्बन्ध रखने वाला कदम जो कि अब वह उठा रही है और जिस की ओर गवर्नर साहिब ने अपने भाषण में संकेत किया है। आगे भी यहां पर Anti-Corruption Committees बना करती थीं और काम करती थीं। सरकार की शुरु से ही यह मनशा रही है कि corruption को State की administration से खत्म किया जाये। किसी हद तक अब तक सरकार अपने इस उद्देश्य में कामयाब भी रही है और कहीं नहीं भी हुई। पर अब तो सरकार ने Anti-corruption का एक खास department कायम कर के, जो कि सीधा मुख्य मंत्री के नीचे होगा एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह इस बात का सबूत है कि पंजाब सरकार ने इस बात का फैसला किया है कि छोटे से लेकर बड़े तक--चाहे कोई बड़े से बड़ा अफ़सर--यदि इस अपराध के लिये पकड़ा जाता है तो वह दंड से मुक्त नहीं हो सकता। यह एक बहुत अहम कदम है। मैं इस की सराहना किये बिना नहीं रह सकती। पर इस के साथ ही साथ मैं एक suggestion भी देना चाहती हूं। वह यह है कि अगर उस कमेटी में कोई हाई-कोर्ट का जज या कोई और आदमी हो तो वह और भी ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि उस के किसी फैसले पर किसी को किसी प्रकार की आपत्ति न हो सकेगी।

एक और बात जिस के लिये मैं सरकार को मुबारकबाद देना चाहती हूं वह उस का वह फैसला है जिस में कैबिनेट ने यह निर्णय किया है कि कोई भी official एक औरत के ज़िन्दा रहते दूसरी शादी नहीं कर सकता। नि:संदेह यह फैसला बहुत प्रशंसनीय है। पर साथ ही मैं यह अपील करना चाहती हूं कि सरकार अपने इस फैसले को विशेष सख्ती से कार्यान्वित करे। ऐसा करने में वह किसी प्रकार की कोई exception न रखे। तभी उस का यह निर्णय सही अर्थों में implement हुआ समझा जायेगा।

इसी तरह देहात सुधार के सिलसिला में औरतों से सम्बन्ध रखने वाले एक और काम को प्रोत्साहन दिया है। यह भी एक ऐसा कदम है जिस से social work करने

वाली संस्थाओं को गवर्नमेण्ट के साथ सम्बन्ध स्थापित करने में काफ़ी मदद मिलती है। और वह है Social Welfare Boards। यह बोर्ड सारे हिन्दुस्तान के अन्दर बने हैं और पंजाब के अन्दर भी। ऐसे 13 प्राजेक्ट्स को पंजाब के गांव के अन्दर खोलने का निश्चय हुआ है। इस का काम औरतों और लड़कियों की welfare को देखना होगा, उन के लिये शिक्षा हस्पतालों और अन्य आवश्यक बातों का प्रबन्ध करना होगा। इन 13 सेंट्रों में से कुछ गुड़गांव और करनाल के लिए भी है। दो सालों के लिये इस का 50 हजार बजट है जिस में से 50 प्रतिशत गवर्नमेण्ट आफ इंडिया, 25 प्रतिशत हमारी गवर्नमेण्ट देगी और 25 प्रतिशत गांव के लोग खुद इकट्ठा करेंगे। कोई भी व्यक्ति इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि बच्चों और स्त्रियों के कल्याण के लिये सरकार का यह एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है।

गवर्नमेण्ट लोगों को मुख्तलिफ कामों के लिये कर्जे दे रही है। यह बहुत भली बात है लोगों को अपने पैरों पर खड़ा होने की सहायता करने में। दूसरी स्कीमों के इलावा एक स्कीम मकान बनाने के लिये कर्जे देने की भी है। उस के अनुसार उस हरेक व्यक्ति को जो कि मकान बनाना चाहे आठ हजार रुपये तक का कर्जा मिल सकता है। इस सिलसिले में भी में एक suggestion देना चाहती हूं। इस में एक शर्त यह है कि आप को पहले अपने मकान वग़ैरह का नक्शा पेश करना पड़ता है। यह बताना पड़ता है कि प्लाट कैसा है और कितना है। फिर कहीं जाकर कर्जा मिलता है। इस से यह देखा गया है कि कई लोग लाभ नहीं उठा सकते। इस लिये मेरा यह सुझाव है कि इस बात का प्रबन्ध किया जाये कि वह प्लाट भी उसी लोन से ले सकें। इस तरह गरीब आदमी भी मकान बना सकेंगे। यह वक्त की पुकार है कि प्रत्येक नागरिक को मकान मिलना चाहिये। इस लिये मैं समझती हूं कि यदि मेरे सुझाव को स्वीकार किया जाये तो इस उद्देश्य में काफ़ी सफलता मिल सकेगी। इस चीज़ की इस वक्त आवश्यकता इसलिए भी है कि जल्दी ही सारी की सारी evacuee property नीलाम होने जा रही है। जब यह नीलाम होगी तो कुदरती तौर पर जो आदमी उसे नीलामी में खरीदेगा। उस की property हो जायेगी और जो परिवार इस वक्त उस में रह रहा है उसे दूसरे मकान की जरूरत होगी। इस लिये मेरी suggestion को accept करने की इस लिये भी परम आवश्यकता है कि इस तरह उन लोगों को जो इस समय evacuee property में बैठे हैं उन्हें अपने सस्ते मकान बनाने में प्रोत्साहन मिलेगा।

यह ठीक है कि हमारे सूबे में बम्बई, अहमदाबाद या बंगाल जैसी industrialisation नहीं है। उतने बड़े पैमाने पर industries नहीं हैं या कारखाने नहीं हैं। फिर भी यहां पर कुछेक ऐसी industries और कारखाने हैं जिन में मजदूरों की काफी संख्या काम करती है। हमें यह देखना है कि जहां कहीं भी इस प्रकार की concerns हों वहां पर मालिकों और मज़दूरों के आपसी सम्बन्ध अच्छे हों—शान्तिमय हों। यह किसी भी सूबे के लिये पहली और आवश्यक बात है। इस लिये मैं समझती हूं कि इस मामले पर भी यदि गवर्नर साहिब ने अपने भाषण में कोई संकेत कर दिया होता तो बहुत अच्छा होता।

इन कुछ शब्दों में, स्पीकर साहब, मैंने हाउस के आगे इस बात पर रौशनी डालने की कोशिश की है कि हमारी सरकार ने इस वर्ष क्या काम किया है और अगले वर्ष उस का क्या कुछ करने

[श्रीमती सीता देवी]

का विचार है। यह सारी चीज़ें बताने की इस लिये ज़रूरत पड़ी क्योंकि हमारी विरोधी पार्टियों के लोग बहस के दौरान में कई ऐसी बातें कह जाते हैं जो कि सचाई पर आधारित नहीं होतीं। मैं मानती हूं कि हमारा देश प्रजातन्त्र है---इस में प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी प्रकार की रुकावट के अपने विचार व्यक्त करने की स्वतन्त्रता है। यह ठीक है कि लोग सरकार की आलोचना करें, criticise करें लेकिन साथ ही प्रजातन्त्र यह भी मांग करता है कि वह healthy criticism हो, सचाई पर based हो। आखिर आप को पता ही है कि सरकार हाथ पर हाथ रख कर थोड़े ही बैठी है। एक पांच-साला स्कीम पूरी हो रही है और दूसरी बनाई जा रही है। सभी दिशाओं में खूब तरक्की हो रही है और देश उन्नति के मार्ग पर आगे ही आगे जा रहा है। स्कीमों पर करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है। वह किस लिए? इस लिए कि हमारी एक Welfare State बने। देश से बेरोज़गारी दूर हो। देश से भूख और दरिद्रता का विनाश किया जाए। इस लिये, स्पीकर साहिब, अपनी जगह पर बैठने से पहले मैं केवल दो शब्द और कहना चाहती हूं। मैं समझती हूं कि ये सारी की सारी स्कीमें धरी की धरी रह जाएंगी और देश में कोई तरक्की होने वाली नहीं यदि हमने दो विशेष बातों की ओर ध्यान न दिया तो। वे दो चीज़ें कौन सी हैं? पहली तो यह कि हमारे सूबा के अन्दर अमन और शान्ति कायम रहे और दूसरे हम एकता के बन्धन में इस तरह बंध जाएं कि कोई भी शक्ति हमारी आपसी एकता को भंग न कर सके। इस लिये जब तक हमारे अन्दर एकता की भावना न होगी हम किसी भी दिशा में आगे नहीं बढ़ सकते। हमारी तरक्की अधूरी ही क्या बल्कि हो ही नहीं सकेगी अगर हमारी आपस में गड़बड़ रही और सूबे के अन्दर शान्ति कायम न रही। इस लिये मैं आप सब से अपील करती हूं कि अगर हम उस स्वतन्त्रता को कायम रखना चाहते हैं जिस के लिये सरदार भक्त सिंह जैसे वीरों ने फांसी के तख्तों को चूमा, जिस के लिए देश के प्रिय नेता श्री सुभाषचन्द्र बोस ने आत्म बलिदान दिया और जिस के लिये सरदार अजीत सिंह, श्री जगतराम भारद्वाज जैसे देश भक्तों ने अपना सर्वस्व न्योच्छावर कर दिया। इस स्वतन्त्रता को यदि अब हमने बनाए रखना है तो आवश्यक है कि हम अपने सूबा में इन दो चीज़ों को न केवल पैदा करें बल्कि चिरंजीवी बनावें। हमें इन दो बातों की ओर ध्यान देना चाहिये। जो हमारा आदर्श है, जो हम विनोबा भावे जी की बताई हुई classless society बनाना चाहते हैं, जो हम एक Welfare State बनाना चाहते हैं वह हम कभी नहीं बना सकेंगे यदि हम इन दो बातों की ओर पूरी तवज्जुह नहीं देंगे। हमें इस के लिये co-operation से काम लेना पड़ेगा।

स्पीकर साहिब, इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर महामान्य राज्यपाल का धन्यवाद करती हूं।

श्री राम किशन (जालन्धर शहर उत्तर पश्चिम) : स्पीकर साहिब, श्रीमती सीता देवी जी ने जो प्रस्ताव गवर्नर महोदय को शुक्रिया अदा करने का पेश किया है उस की ताईद करने के लिय मैं खड़ा हुआ हूं। स्पीकर साहिब, गवर्नर महोदय ने पंजाब की सरकार ने जो achievements पिछले साल हासल की हैं या इस की आइन्दा की जिस पालिसी

का जिक्र उन्होंने अपने Address में किया है मैं उस की सराहना करना चाहता हूं। इस में मुख्तलिफ़ points जिन का उन्होंने जिक्र किया है उन सब को एक फ़िकरे में कहा जा सकता है कि पंजाब में सब तरह की social reforms हो गई हैं यानी इस ने electricity, industries और agriculture में development की है। इस सिलसिले में मैं हाउस का ध्यान चन्द बातों की तरफ़ दिलाना चाहता हूं।

स्पीकर साहिब, यह जरूरी है कि कोई सटेट पूरी तरह से चल नहीं सकती जिस के अन्दर Law and Order पूरी तरह से कायम न हो और उस ने इस के कायम करने में progress न की हो। मैं इस सिलसिले में आप का ध्यान पंजाब के पिछले आदादोशुमार की तरफ़ दिलाना चाहता हूं। मैं 1947 और 1948 के सालों के आदादोशुमार का जिक्र नहीं करता जो कि परिवर्तन के साल थे बल्कि मैं पिछले साल के आदादोशुमार का और उस से पिछले साल की figures की तरफ़ ध्यान दिलाता हूं जिन को देख कर यह मालूम होता है कि किस तरह पंजाब की पुलिस ने, किस तरह इस की सारी services ने और किस तरह यहां के लोगों ने अपना सहयोग दे कर Law and Order को सुधारने में एक अहम कदम उठाया है। Annual Crime Report जो पिछले साल के मुताल्लिक शाया की गई है उस से पता चलता है कि दो दर्जन डाकू जो हमारे पंजाब के अन्दर, देहली, राजस्थान और पैप्सू के अन्दर फैले हुए थे और जिन को पकड़ने या मारने के लिये सात सात हज़ार रुपये के नकद इनाम रखे हुए थे मारे गए हैं। उन को बराबर पकड़ने की कोशिश की गई उन से encounters हुए और लड़ाई झगड़े हुए। 14 दिसम्बर, 1954 को हेमराज डाकू जिस ने पुलिस से मुकाबला कर रखा था मारा गया। वह पंजाब के कई इज़ला में कई साल तक terror बना हुआ था। उस की जान पर 7 हज़ार रुपये का इनाम रखा हुआ था। पिछले साल में पहले साल से 2,246 जराइम पंजाब में कम हुए। हाल ही में जो report शाया हुई है उस से पता चलता है कि जहां 1953 में 509 murders हुए थे वहां 1954 में 447 हुए, जहां 35 dacoities हुई थीं वहां पिछले साल में 14 dacoities हुईं। 1953 में burglaries (चोरी चिकारी) 4940 हुईं थीं लेकिन 1955 में 4028 हुईं। इसी तरह 1953 में robberies की तादाद 239 थी तो 1954 में उन की तादाद 164 हुई। अम्बाला range में 12 notorious dacoits मारे गए थे।

स्पीकर साहिब, इसी तरह ज़िला फीरोज़पुर में बकर सिंह डाकू, काहना नवाब और गुरमुख सिंह डाकू मारे गए हैं। मैं उन बातों का ज़िक्र यहां नहीं करना चाहता कि किस तरह से हमारी Provincial Armed Police ने या Border Police ने smugglers का मुकाबला किया। मेरा कहने का point of view तो यह है कि यदि हम सारे भारत के crimes के आदादोशुमार को देखें तो पता चलता है कि जहां तक पंजाब का ताल्लुक है यहां वह कहीं कम हुए हैं। Crimes के point of view से पंजाब हर लिहाज़ से अच्छा रहा है। इस ने progress की तरफ़ कदम उठाया है। अभी हाल ही में सारे भारत के crimes की जो रिपोर्ट शाया हुई है उस से पता चलता है कि जहां कुल भारत में एक लाख आदमी के पीछे

[श्री राम किशन]

149.4 cognizable offences हुई हैं वहां हमारे पंजाब में murders 4.2 हुए हैं, dacoities तथा robberies 1.2, kidnapping 3·1 house-breaking and thefts 27.5 और roits 1.8 हुए हैं।

स्पीकर साहिब, मैं यह समझता हूं कि जहां तक Law and Order का ताल्लुक है अगर्चि हमारे पंजाब ने काफ़ी progress की है फिर भी इस की बड़ी काफ़ी जरूरत है। एक Welfare State कायम करने की मनज़ल को पूरा करने के लिये इस को और सुधारने की जरूरत है और मैं यह जानता हूं कि हमारी सरकार इस से पूरी तरह ग़ाफ़ल नहीं है। स्पीकर साहिब, वह इस काम में पूरी तरह कोशिश करेगी। हम सारे हिन्दुस्तान में एक Welfare State कायम हुई देखना चाहते हैं। हम एक socialistic pattern की हकूमत बनाना चाहते हैं। तो हमारी सरकार की कोशश इन्हीं बातों तक ही महदूद नहीं हैं। दूसरी भी बहुत सी एसी बातें हैं जिन का देश की बेहतरी से ताल्लुक है। मैं ने उन सारी amendments को पढ़ा है जो कि Opposition की तरफ़ से पेश की गई हैं। स्पीकर साहिब, मैं अर्ज़ करता हूं कि इस Address में एक एक बात की तरफ़ तवज्जुह दी गई है। इन सारी चीज़ों की तरफ़ ध्यान दिया गया है। इस सिलसिले में Aristotle ने कहा है :

That Government is the best that governs the least.

इस point of view को मद्दे नज़र रखते हुए हमारी सरकार decentralization की policy पर अमल कर रही है, खाह वह judicial reforms में हो खाह वह local bodies की administration से सम्बन्ध रखती हो। जो directives हमारी Constitution के Article 48 में इस बारे में दिए हुए हैं हमारी सरकार उन पर पूरी तरह से चल रही है और अपनी सारी की सारी powers को decentralize करने की कोशिश कर रही है। आप गौर फरमाएं कि इस प्रान्त की कुल 47 तहसीलों में हम ने 11 Sub-Divisions बना दिए हैं। जहां तक लोकल बाडीज़ का ताल्लुक है खाह वह District Boards के अदारे हों या Municipal Committees के अदारे हों, उन को इसी असूल को मद्देनज़र रखत हुए तबदील किया जा रहा है। पिछले दो तीन सालों से इस बात की ज़बरदस्त मांग हो रही थी कि पहले के District Boards को नए तरीका स बनाना चाहिए क्योंकि इन का rural areas के लोगों से ताल्लुक है अब उन के हाथ में इन की administration होनी चाहिए जो कि पहले नहीं थी। देश में Community Projects और National Extension Services भी इस मकसद से चलाई गई हैं ताकि देहात के लोग administration को अपने हाथों में लें। और वहां पूरी तरह से rural leadership हो जाए। इसी मतलब के लिए अब District Boards को तोड़ कर हमारी सरकार उन को नई शक्ल दे रही है चाहे वह तहसील कौंसिलें बनाए या पंचायतों को लेकर उन से District Development कौंसिलें बनाए। वह जल्द अज़ जल्द देहात के लोगों

के हाथों में administration देना चाहती है। दो तीन साल पहले स्पीकर साहिब, Government of India ने 1952 के अन्दर एक Grow-More-Food कमेटी बिठाई थी। उस कमेटी ने यह सिफारिश की थी कि तमाम लोकल बाडीज़ के ढांचों को बदलने की ज़रूरत है। इन के ढांचों को इस तरीके से बदला जाए ताकि देहात के रहने वाले लोगों का इन की administration में हिस्सा हो। अंग्रेज़ी राज्य में इन लोगों का हिस्सा नहीं होता था। उस समय administration ऊपर से चलती थी। 150 साल हुकूमत ऊपर से चलाई गई थी। उस में गांव के लोगों का हाथ नहीं होता था लेकिन अब हमारी हुकूमत administration को नीचे से चलाना चाहती है ताकि देहात के लोगों का इस में हिस्सा हो। और इस सिलसिला में देहातियों को पूरी तरह power देने के लिये तबदीली की जा रही है और पंजाब निवासी इसे खुश-आमदेद कहते हैं। मैं समझता हूं कि पंजाब इस लिहाज़ से किसी तरह भी पीछे नहीं है।

4 p.m.

जहां तक Municipal Committees का ताल्लुक है, इन का बिगड़ा हुआ ढांचा अंग्रेजी राज के ज़माने के बने हुए कानूनों के मुताबिक बना हुआ था। यह Municipal Act 1911 और 1883 के बने हुए थे। इन में तब्दीली की ज़रूरत थी ताकि गवर्नमेंट के अन्दर से red tapism दूर हो। पंजाब में कोई 70,80 Municialities हैं। इन सब के ढांचों को पूरी तरह बदलने की ज़रूरत महसूस हुई। यह हम पंजाब में कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि इस सिलसिले में जो Local Bodies Committee बनाई गई है, उस के directives के अनुसार यह सारी changes होंगी। फिर मैं आप की तवज्जुह इस बात की तरफ दिलाता हूं कि यह कमेटी सरकार को report करेगी। जैसा कि इस extract से ज़ाहिर होता है।

....have appointed a Committee whose duty is to examine all the existing laws and rules on the subject and to suggest modifications therein so as to give to the local bodies wider powers and opportunities for initiative to self help.

इस सिलसिले में बहुत सी changes की गई हैं। Local Bodies क इन्तज़ाम में जहां तक District Boards का ताल्लुक है इन में ज़बरदस्त तबदीली आ गई है और यह तबदीली अहम part अदा करेगी। यह तो मैं ने आप की तवज्जुह administrative reforms की तरफ दिलाई।

एक और मांग अंग्रेजी राज के ज़माने से लेकर अब तक चली आती थी कि इनसाफ ससता हो। अब हमारी गवर्नमेण्ट ने इस ख्याल से Sub-Divisions create किये हैं। फिर जो reforms, Judiciary को Executive से जुदा करने के सिलसिले में की गई हैं, इन से इनसाफ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और ससता मिलने लगेगा। मैं यह बात समझता हूं कि यह चीज अभी तक पूरी तरह अमल में नहीं आई और जिस तरह की separation होनी चाहिये वह अभी नहीं हुई और यह तब ही होगी जब Prosecuting Agency पूरी तरह अलहदा होगी। और भी कई changes होंगी। कानून में भी

[श्री राम किशन]

तब्दीली होगी। लेकिन आखिर Constitution में दिये गये directives की lines पर यह एक सही कदम तो है, कुछ न कुछ कोशिश तो है।

फिर जहां तक पंजाब की material progress का ताल्लुक है कई बार इस किस्म के नारे सुने जाते हैं, Opposition की तरफ से कि पंजाब को बरबाद किया जा रहा है और यहां के लोगों को कुचला जा रहा है। हो सकता है कि उन की राय में पंजाब बरबाद हो रहा है मगर मैं आप की विसातत से इन से कहना चाहता हूं कि ज़रा facts को ध्यान में रखें और फिर कहें कि सचमुच पंजाब बरबाद हो रहा है? क्या उन्हें पता नहीं कि पंजाब ने 1947-48 में 35,000 टन foodgrain बाहर से मंगवाया था। उन को यह भी पता होगा कि इन सात सालों में कितनी position बदल गई है। हमारी foodgrain production इतनी बढ़ी है कि हम ने पिछले साल 28,000 टन wheat और 89,000 टन चावल बाहर भेजा (तालियां) यह कैसे हो गया? यह production क्योंकर बढ़ गई। 1947-48 का foodgrains में इतना deficit province इतना surplus कैसे हो गया? क्या यह पंजाब की material progress नहीं? फिर यहां का irrigation system है। फिर हमारी electricity schemes हैं। जरा मौजूदा आदादोशुमार का मुकाबला 1947-48 के अदादोशुमार से करें तो पता चलेगा कि कितनी तरक्की हुई है। फिर Ganguwal Power House, नंगल Power House हैं। क्या यह पंजाब की progress की निशानियां नहीं हैं? फिर इसी तरह Bhakra Canals System है। यह लोग चाहे कुछ भी कहें, लोगों को कितना भी बहकाएं, मज़ाहरे और demonstrations करें, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आप को पता है कि भाखड़ा कैनाल्ज़ के ज़रिए कितनी irrigation हुई है? पिछले साल 21 जुलाई और 24 सितम्बर के दरमियान जब यहां वर्षा नहीं हुई थी और जब हर जगह यही डर था कि पंजाब में कहत पड़ जायगा क्योंकि बारिश न होने की वजह से wheat की फसल पर बुरा असर पड़ने का डर था, तब आप को पता है कि जिस वक्त यह canal non-perennial तौर पर चली तो 3 लाख एकड़ ज़मीन को ज़्यादा से ज़्यादा पानी मिला। क्या इस 3 लाख एकड़ जमीन की पैदावार जिस को पानी दिया गया बढ़ी कि नहीं? मैं इन दोस्तों से पूछना चाहता हूं कि जब पंजाब के अन्दर demonstrations होते हैं कि नहर के पानी के साथ टैक्स बढ़ा दिये हैं, क्या ज़मीनों को फायदा नहीं पहुंचा, पैदावार नहीं बढ़ी? मुझे अपने ज़िले का पता है। बिस्त दोआब कैनाल्ज़ से 45,000 एकड़ ज़मीन को पानी दिया गया। उस पर water rate 1,52,000 रु. लगाया गया। क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या यह ज़्यादा है? फर्ज़ कीजिये 10 रु. फी एकड़ फसल की पैदावार बढ़ी। इस तरह किसानों को करीब 5 लाख की आमदनी बढ़ी जब कि टेक्स सिर्फ $1\frac{1}{2}$ लाख बढ़ाया गया। तो क्या यह figures नहीं बतातीं कि पैदावार के बढ़ जाने से जमींदार को फायदा ही हुआ है चाहे उस पर और टेक्स लगा दिया गया है। इस देश के मसले अगर हल होंगे तो कोशिश से होंगे न कि नारों

श्रौर demonstrations से। वह कौन सी सरकार है जो टैक्स नहीं लगाती ? इस के बगैर वह चल ही नहीं सकती। बाकी यह तो होना ही चाहिये कि टैक्स उतना ही हो जितना कि लोग बरदाश्त कर लें श्रौर ज़मींदारों को तकलीफ न हो। फिर चाहे Land Revenue Surcharge या water rate हो, इस बात का ध्यान रखा ही जाना चाहिये। नारों से कोई बात नहीं बनती। मुझे पता है कि Address में Agrarian Reforms का ज़िक्र नहीं किया गया, मगर मुझे पंजाब सरकार की नीति का पता है। उस के मुताबिक मुझे यह पूरी श्राशा है कि जहां तक agrarian reforms या tenants का ताल्लुक है, सरकार इन मसलों को इस तरह हल करेगी कि पंजाब का ज़मींदार पूरी security महसूस करे। यह मसले Planning Commission, Government of India, की कांग्रेस सरकार की नीति श्रनुसार हल किये जायेंगे। किसी के नारे लगाने से इस नीति में तब्दीली न श्राएगी श्रौर नारे लगाने वालों को यह भूलना न चाहिये कि society श्रब नारे नहीं service चाहती है।

इस के बाद मैं श्राप की तवज्जुह पंजाब की unemployment problem की तरफ दिलाना चाहता हूं। यह problem सिर्फ पंजाब की ही नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान की है। यह मसला नारे लगाने, demonstration करने श्रौर गालियां निकालने से हल नहीं होगा। श्रभी २ जो Government of India ने Census Report के tables release किए हैं उन्हें देखने से पता चलता है कि एक श्रादमी की सालाना श्रामदनी एक हज़ार रुपया है।

Shri C.D. Deshmukh, Finance Minister, Governmentof India, ने एलान किया कि दूसरा Five-Year Plan जो श्रा रहा है इस से सारे हिन्दुस्तान में एक करोड़ 20 लाख श्रादमियों को jobs दिए जाएंगे। उन्हें काम पर लगाया जाएगा। श्रगर हम देश के Economic Table को देखें तो पता चलता है कि इस काम के लिए श्राजकल 2 करोड़ 40 लाख की investment चाहिए। मैं पूछता हूं कि क्या यह रक्म बाहर के देशों से श्राएगी या क्या हम नासिक Printing Press में Currency Notes छाप लेंगे ? हमने इस खर्च को पूरा करने के लिए production श्रौर wealth को बढ़ाना है।

फिर स्पीकर साहिब, First Five-Year Plan के बारे में यह शिकायत की गई थी कि प्लान सरकारी श्रफसरों ने बनाया था। देश की तरक्की का प्लान नीचे से श्राना चाहिए था। श्रब यह प्लान नीचे से श्रा रहा है। मैं यह पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि हमारी दूसरी पंच-वर्षीय योजना (Second Five-Year Plan), People's Plan है। यह नीचे से तैयार हुश्रा है। इस प्लान को पंचायतों ने तैयार किया है। पंचायतें पंजाब का नक्शा बदल देंगी। मैं जानता हूं कि Districts से प्लान श्रा रहे हैं। ज़िलों की तरक्की के लिए रुपया खर्च किया जा रहा है। हम इन ज़िलों पर पहले से डेढ़ गुना श्रौर दो गुना खर्च कर रहे हैं।

स्पीकर साहिब, सब जानते हैं कि पंजाब के श्रन्दर situation क्या थी। यहां पहले हर 10 में से 7 श्रादमी agriculture से गुज़ारा करते थे। हम ने

[श्री राम किशन]
agriculture के उस बोझ को कम करना है। हम चाहते हैं कि 10 में से 6 आदमी agriculture के ऊपर काम करें। इसके लिए हमारे पंजाब में शानदार काम किए जा रहे हैं। दूसरी पांच वर्षीय योजना में industrialisation किया जाएगा जिस से पंजाब की पैदावार बढ़ेगी। पंजाब की पैदावार foodgrain, sugarcane और कपास की बढ़ेगी। Industrial Plan के मातहत पंजाब की agriculture का नक्शा ही बदल जाएगा। पंजाब सारे देश में sugarcane की पैदावार के नाते तीसरे दर्जे पर है। पंजाब के अन्दर sugar Factory जो रोहतक में खोली जा रही है यह देश भर में अपनी मिसाल आप है।

स्पीकर साहिब, रोहतक की Sugar Factory co-operative basis पर चलाई जा रही है। यह सारे देश में पहली फैक्टरी होगी। इस से sugarcane का मसला हल हो जाएगा।

फिर स्पीकर साहिब, सब अच्छी तरह जानते हैं कि जहां 1947-48 में कपास की 40 हज़ार bales तैयार होती थी अब वहां 4,5 लाख bales तैयार होती हैं। स्पीकर साहिब, handloom industry में 92 हज़ार आदमियों को रोज़गार मिल रहा है। इस सिलसिले में Government of India की instructions के मातहत तरक्की की जा रही है। पंजाब में चाहे cottage industries हैं या बड़ी सब को तरक्की मिल रही है।

आप cottage industries को देखें। बड़ी industries को देखें। Cement की industry है। Fertilizers की industry है, cycles की industry है और ये सब खूब तेज़ी से काम कर रही हैं। इस के बारे में गवर्नर महोदय ने Address में इशारा किया है।

फिर स्पीकर साहिब, लुधियाना में hosiery की industry है। इस की जो वुक्कत है वह आप सब जानते हैं। South East Asia में जितना भी माल जाता है उसका 62 प्रतिशत माल लुधियाना supply करता है। Cycle industry और sports industry में बहुत काम हो रहा है। इस तरह से हम माल पैदा कर के पंजाब में revolution पैदा कर देंगे। जिन स्कीमों पर पंजाब के अन्दर काम हो रहा है उन से पंजाब की सब समस्याएं हल हो जाएंगी और industrial revolution से पंजाब की wealth बढ़ेगी।

स्पीकर साहिब, गवर्नर महोदय ने देहातों की तरफ इशारा किया है। आप सब जानते हैं कि Community Projects और National Extension Schemes बहुत से गावों में जारी हैं। 4,200 गावों के अन्दर National Extension Schemes चल रही हैं। मैं इस के बारे में सरकार का ज़िक्र नहीं करना चाहता। Community Projects और National Extension Schemes लोगों की पूरी co-operation से चल रही हैं। लोगों ने इस के लिए देहात में donations दिए

हैं, lands दी हैं और इस तरह देहात में तरक्की हुई है। मुझे यह कहने में खुशी है कि इस तरक्की के लिए 1 करोड़ रुपया लेबर के रूप में या नकद रुपया लोगों ने अदा किया है। Community Projects और National Extension Schemes से 4,300 गावों के लोग खुशी महसूस कर रहे हैं। यह स्कीमें पंजाब के गावों की सारी आबादी को cover करेंगी।

पंजाब का कोई गांव नहीं रह जाएगा जहां Community Project और National Extension की स्कीम न हो।

इन स्कीमों से गावों में hospitals, सड़कें बनाई जा रही हैं। इस से yield में भी तरक्की हो रही है। मैं पूरे यकीन से कह सकता हूं कि यह स्कीमें हमें कहीं आगे ले जाने वाली हैं।

स्पीकर साहिब, मेरे कुछ भाई Opposition Benches पर बैठे हुए हैं। वह criticise करेंगे। Criticise करना उनका हक है। लेकिन मैं यह बता दूं कि जहां तक देश में welfare स्कीमों का ताल्लुक है वह तमाम लोगों की भलाई के लिए चलाई जा रही हैं। तमाम लोग इकट्ठे हो कर काम कर रहे हैं।

स्पीकर साहिब, जहां तक Community Project Plan का ताल्लुक है या जहां तक National Extension Schemes का सम्बन्ध है यह हमारे तक ही महदूद नहीं। दुनिया के सब मुल्कों में इनका चर्चा है। चाहे Russia हो या China and America हो या Australia चाहे कोई मुल्क किसी भी ideology का हो उसने हमारे Community Projects की सराहना की है।

स्पीकर साहिब, कौन नहीं जानता कि पंजाब तरक्की कर रहा है। इस की तरक्की का इस से ज़्यादा और क्या सबूत हो सकता है कि 26 जनवरी को रूस के सरकारी अखबार "परवादा" ने भारत सरकार की सराहना की थी। स्पीकर साहिब, इस सिलसिले में सब जानते हैं कि जहां तक तालीम का सम्बन्ध है या Health का सम्बन्ध है देहात में 7,000 स्कूल खोले गए हैं। । देहात में dispensaries खोली गई हैं। हम ने primary education के लिए 3,000 स्कूल खोल दिए हैं। हम जानते हैं कि हमारी शिक्षा प्रणाली बाबू बनाने की रही है और बेकार लोगों की गिनती में इज़ाफा करने की रही है। हम Government of India की instructions के अनुसार शिक्षा प्रणाली के अन्दर तब्दीली कर रहे हैं। पंजाब में technical स्कूल खोले गए हैं। Multipurposes स्कूल खोले गए हैं। इस तरह से तालीम में भी revolution पैदा की जा रही है।

स्पीकर साहिब, और बहुत सी समस्याएं थीं जिन पर मैं ने कुछ कहना था परन्तु अब समय हो गया है। मैं इन अलफाज़ के साथ गवर्नर महोदय के Address पर Thanks की motion की ताईद करता हूं। (तालियां)।

Mr. Speaker. Motion moved—

> That the members of this House assembled in this Session are deeply gratefull to the Governor for the address he has been pleased to deliver to both the Houses assembled together.

[अध्यक्ष महोदय]

इस एड्रेस के सम्बन्ध में निम्नलिखित amendments आई हैं । इन को move किया गया समझा जाए ।

तकरीर करते समय hon. Members धन्यवाद के प्रस्ताव और संशोधनों पर बोल सकते हैं । चूंकि बोलने वाले मेम्बरों की गिनती काफी होगी, इसलिए अगर हाऊस चाहे तो तकरीरों के लिए समय निश्चित कर दिया जाए । क्या आप 10 मिनट चाहेंगे या 15 मिनट ।

[I have received the following amendments to the Motion of Thanks. All these will be deemed to have been moved. The hon. Members can discuss them along with the main motion.

Since the number of Members wishing to speak on them, is going to be pretty large, I think, if the House so desires, time limit for speeches may be fixed. Should it be 10 minutes or 15 minutes.]

1. Maulvi Abdul Ghani Dar:

That at the end of the motion, the following be added—

"but regret that—

(1) no mention of the death of great patriot Janab Rafi Ahmed Kidwai, who solved the food problem and carried out all the duties entrusted to him by the Union Government as a Union Minister, has been made in the Governor's Address ;

(2) the Government has failed so far to call the displaced Muslims to place their claims before the required authority ;

(3) no mention has been made for the supply of drinking-water as well as irrigation water to the Gurgaon District ;

(4) no clear policy has been laid down in the Governor's Address with regard to cow-slaughter."

2. Shri Mool Chand Jain:

That at the end of the motion, the following be added—

"but regret that no mention has been made therein of—

(i) acute tenants' problem in the State or its solution ;

(ii) increasing labour dis-satisfaction in the State and steps to remove it ;

(iii) growing unemployment especially amongst the educated ;

(iv) moral regeneration of the State with particular reference to—

(a) extension of prohibition,

(b) necessity of Bhoodan Act in order to facilitate Bhoodan work in the State.

(c) re-organisation of educational system in the State;

(v) housing problem of landless in the State and its solution;

(vi) land hunger of landless poor and distribution of Government lands to them ;

(vii) removing the great disparity between low and high paid Government servants ;

(viii) necessity of introduction of Hindi as official court language in the State."

3. **Sardar Ajmer Singh**:

4. **Sardar Shamsher Singh**:

5. **Sardar Gopal Singh** :

6. **Sardar Puran Singh**:

That at the end of the motion, the following be added—

"but regret that the Government has failed to redress the genuine grievances of Sikh community who have been made target by the communalists of the majority community who wield power in the State."

7. **Comrade Ram Chandra**:

That at the end of the motion, the following be added—

"but regret that—

there is no mention of any attempt to secure social justice to the industrial labour and establish peace in the industrial area."

8. **Pandit Shri Ram Sharma** :

That at the end of the motion, the following be added—

"but regret that—

there is no mention of the growing unemployment, industrial unrest, great disparity between the pays of Government servants and the solution of the tenants problem."

9. **Shri Mam Chand**:

That at the end of the motion, the following be added—

"but regret that—

the percentage of reservation of vacancies in Government departments for scheduled castes has been lowered by implication in the words that at present 21 per cent of vacancies in Government departments stand reserved for members of Scheduled Castes and Scheduled Tribes and the Backward Classes."

10. **Shri Maru Singh Malik**:

11. **Shri Sri Chand**:

That at the end of the motion, the following be added—

"but regret that—

(a) nothing has been done to ameliorate the condition of the low-paid employees of the State ;

(b) nothing has been done to combat unemployment among the educated and uneducated people of the State ;

(c) nothing has been done to check the fall in the prices of agricultural produce;

(d) nothing has been done to end corruption, nepotism, favouritism and interference in day to day administration of the State."

12. **Sardar Gopal Singh**:

That at the end of the motion, the following be added—

"but regret that—

[Sardar Gopal Singh]

(1) no mention has been made about condemning the brick throwing by the hooligans on the procession taken by the Sikhs at Ludhiana on the occasion of the celebration of the birthday of Guru Gobind Singh Ji, in the Governor's Address;

(2) no mention of the undue and uncalled for intervention by the Government in regard to the Sikh Gurdwaras is made in the Governor's Address."

13. Sardar Achhar Singh Chhina:

14. Sardar Darshan Singh:

15. Shri Wadhawa Ram:

16. Sardar Bachan Singh:

17. Sardar Harkishan Singh Surjit:

18. Sardar Chanan Singh Dhut:

That at the end of the motion, the following be added—

"but regret that—

(1) the failure of the Government to enforce labour laws, awards of the Industrial Tribunal and decisions of the Tripartite Conferences and prevent lock-outs, retrenchment of workers and reduction of wages by millowners in the State, have not been mentioned.

(2) the failure of the Government to restore ejected tenants to their tenancies and refusal to protect them from ejectment have not been mentioned ;

(3) the continuous and disproportionate fall in the prices of agricultural produce and increasing tax burdens on the peasants have not been mentioned ;

(4) the policy pursued by the Government of increasing the communal tension in the State has not been mentioned ;

(5) the failure to implement promises given by the Government to D. B. teachers and private college teachers has not been mentioned.

(6) the curtailment of civil liberaties and increasing police repression have not been mentioned.

(7) suppression of the freedom of Panchayats and suspension and supersession of large number of Panches and Panchayats have not been mentioned ;

(8) failure to reserve land for the needs of agricultural labourers and the landless during consolidation of land holdings and to vest common lands in the Panchayats have not been mentioned."

19. Shri Banarsi Dass Gupta :

That at the end of the motion, the following be added—

"but regret that no mention is made of—

(1) technical education in the State ;

(2) dairy farming ;

(3) (a) Gita University of Kurukshetra,

(b) development of sacred tirthas at Kurukshetra ;

(4) abolition of beggary ;

(5) opening of homes for lepers and apahaj (disabled) ;

(6) grant of loans for purchasing land for landless labourers (Mortgage Bank);

(7) increase in the salaries of low-paid servants;

(8) water-logging in Khadar areas and Radaur etc;

(9) anti-tuberculosis measures in the State ;

(10) unemployment among the educated Section and petty shop-keepers".

20. Shri Babu Dayal Sharma:

That at the end of the motion, the following be added—

"but regret that—

(1) no mention has been made for extending the Bhakra Dam Canal to Gurgaon District, which was initiated generally for Hariana and particularly for the Gurgaon District ;

(2) the Government has failed so far to restore the land to Muslim Meos in the Gurgaon District;

(3) no mention has been made for providing residential land to Harijans and backward classes in the rural areas;

(4) no mention has been made to ban the import and manufacture of Vanaspati ghee in the State, which has up set the rural economy of cultivators of the State, particularly of Hariana who chiefly depend on the breeding of cattle and dairy. The adulteration of pure ghee is a heavy blow on subsidary income of agriculturists in the State ;

(5) the Government has failed to settle the nomads and criminal tribes as yet such as Bhubalias, Kanjars, Pernas, Banjaras and Bavarias etc;

(6) no mention has been made to nationalise the transport companies, cinemas, insurance business the main sources of exploitation of the State labour;

7) no mention has been made to keep the agricultural production rates stable for rural uplift etc.;

21. Rao Gajraj Singh:

That at the end of the motion, the following be added—
"but regret that—

(1) no mention has been made for the development of backward Gurgaon District and other backward areas of the State;

(2) no mention has been made about the implementation and execution of Gurgaon project (water-supply) and speedy electrification of rural areas and supply of cheap electricity for irrigation purposes in Gurgaon District".

22. Shri Teg Ram:

That at the end of the motion, the following be added—

"but regret that—

no mention has been made in the address regarding the present serious problems of the farmers in the State and the means to be adoped for their solution by the Government."

23. Shri Mehar Singh :

That at the end of the motion, the following be added—

"but regret that—

(1) no mention has been made to remove the general backwardness of mountainous district Kangra of the Punjab in the matter of education, drinking water, Transport, Industries, Irrigation and adequate representation in services ;

[Shri Mehar Singh]

(2) no mention has been made to remove the unemployment among the educated people of the State ;

(3) no mention has been made to reform the educational system in the State to check up growing unemployment among the educated ;

(4) no mention has been made to take steps to hasten the completion of Chandigarh, the Capital in the making."

24. **Shri Chand Ram Ahlawat :**

That at the end of the motion, the following be added—

"but regret that no mention has been made of—

(1) solution of tenancy problem in the State ;

(2) growing unemployment in the State and its solution;

(3) land hunger and unrest amongst Harijans and other landless persons and distribution of government lands and other lands beyond a fixed maximum ceiling to them ;

(4) acute and distressing housing problem for landless in the State and its solution ;

(5) removing the great disparity between low and high paid Government employees ;

(6) steps to introduce Hindi in the various Government departments ;

(7) steps to re-orientate educational system ;

(8) steps to make Bhoodan movement popular in the State ;

(9) abolition of Professional Tax on Harijans and other cottage workers ;

(10) steps to uplift Scheduled Castes and other backward classes ;

(11) steps to remove grievances of backward areas of Rohtak, Gurgaon, Hissar, Karnal and Kangra Districts."

25. **Sardar Khem Singh :**

That at the end of the motion, the following be added—

"but regret that—

(1) no mention of free land for cultivation to the Harijans in the State has been made ;

(2) no reference has been made to the enhancement of the amount of basic earnings liable to be brought under the Harijan Professional Tax."

26. **Shri Lajpat Rai :**

27. **Shri Teg Ram :**

That at the end of the motion, the following be added—

"but regret that no mention has been made of—

(1) abolition of beggary ;

(2) increase in the salaries of low-paid servants;

(3) protection of villages in Hansi Tehsil from water-logging."

Mr. Speaker: Now I call up Sardar Gopal Singh to make his speech.

ਸਰਦਾਰ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ : (ਜਗਰਾਉਂ) ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ । ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਿਸੇ ਵਿਚ ਡਰਦਿਆਂ ਡਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ—

"I wou'd be, however, failing in my duty if I do not refer before closing to the spirit of communalism which has begun to become visible here and there."

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਮੈਂ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ communalism ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਸਿਰ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਮੇਦਾਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦੁਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਹਦੇ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ minority community ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਲਗਾ । ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਸਿਖ ਮਜ਼ਹਬ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਦਾਖਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ । ਸਿਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ । ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ, 5,4000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜੇਲ੍ਹਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਗਏ, ਕਈ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਹੋਏ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈਆਂ । ਐਨੇ ਕਸ਼ਟ ਸਹਿਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਇਆ । ਜਦੋਂ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ । ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ 1942 ਵਿਚ ਜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਕੰਦਰ-ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪੈਕਟ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆਇਆ । ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਤਰਮੀਮਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ propose ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਾਂ voting ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ majority ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੋਵੇ । ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ 1944 ਵਿਚ Sikh Gurdwara Amendment Act ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ Sikh Community ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਨ । ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਿਆਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਇੰਤਖਾਬ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ । ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ represent ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ represent ਕਰਦੇ ਹਨ । ਪਰ ਹੁਣ ਦੀ ਗੁਰਦੁਵਾਰਾ ਚੋਣ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ representative ਸਿਰਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ । ਸਾਨੂੰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ convention ਚਲੀ ਆ ਰਿਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਵਾਰਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਤਰਮੀਮ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ

[ਸਰਦਾਰ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ]

ਉਸ convention ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਵਾਰਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਗੈਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਮਨ ਮਾਨੀਆਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਵਾਰਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਤਰਮੀਮਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਬਿਨਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ । ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਨੂੰ ਅਜਾਜ਼ਤ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਵਿਚ ਰਹੇ । ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਾ constitutional ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ । ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੈਨੂੰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ Address ਵਿਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਕੇ Constitution ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਰ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਿਆਂ ਇਖਤਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਲਾਹੌਰ ਗਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਗਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਗਤ ਮੁਸਲਮਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਝੁਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਹੇ ਹਨ । ਜੇ ਕਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਵੇਖਣ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਝੁਕ ਜਾਏ ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मैम्बर अपनी तकरीर गवर्नर के एड्रेस पर महदूद रखें। (The hon. Member should confine himself to the Governor's Address.)

ਸਰਦਾਰ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ, ਸਾਹਿਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਡੇ ਤੋਂ ਵਡੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਆਇਆ ਕਿਹਾ । ਪਰ ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਨ ਓਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਣ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਖਾਸ community ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰਖਦੇ ਹਨ?

Chief Minister : On a point of Order, Sir. The hon. Member is discussing the conduct of the Governor.

Mr. Speaker : I have already drawn the attention of the hon. Member that he should not discuss the conduct of the Governor but should speak on the Address.

ਸਰਦਾਰ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ : ਹੁਣ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਪਰ ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ recovery staff ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ protest ਨਹੀਂ

ਸੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿਖ ਨੂੰ ਉਸ ਸਟਾਫ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿਖਾਂ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ । ਉਸ ਵੇਲੇ Governor ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ।

Chief Minister : On a point of order, Sir. I am afraid the hon Member is again digressing from the subject under discussion. The conduct of the Head of the State should not be allowed to be discussed on the Floor of the House.

अध्यक्ष महोदय : माननीय मैम्बर ने अभी अभी Deputy High Commissioner for India in Pakistan का भी जिक्र किया है जो हमारी Indian Government और Pakistan Government के दरमियान एक international चीज़ है । उन्हें ऐसी बातों का ज़िक्र नहीं करना चाहिए जिस से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात पर असर पड़े । बाकी रहा गर्वनर साहिब के बारे में I have already asked the hon. Member to avoid discussing the conduct of the Head of the State. (The hon. Member made a mention of the Deputy High Commissioner for India in Pakistan a short while ago. This is an international matter and concerns only the Government of India and the Government of Pakistan. As regards his reference to the Governor, I have already asked the hon. Member to avoid discussing the conduct of the Head of the State.)

Sardar Gopal Singh : Sir, I have not mentioned the name of the Head of the State.

Mr. Speaker : It is no question of mentioning the name of the Head of the State. The Head of the State means the Governor whose conduct is not to be discussed here.

ਸਰਦਾਰ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਵਾਗਤ ਦੀ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ

Chief Minister : On a point of Order, Sir. I am sorry again the hon. member is referring to a matter which is not before the House. There is no such statement under discussion as has been referred to by my hon. friend opposite. The House is not aware of it. I again respcetfully submit that Governor's conduct cannot be allowed to be discussed here

पंडित श्री राम शर्मा : On a point of order, Sir. गवर्नर साहिब ने अपने एड्रेस में कहा है कि पंजाब में फिरकादारी की spirit फैल रही है । अगर कोई माननीय मैम्बर यह कहे कि communalism कहां से पैदा हुई है तो क्या यह irrelevant बात होगी ?

Mr. Speaker : I will not allow any reference to Governor's conduct.

ਸਰਦਾਰ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਚ secular policy ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ

[ਸਰਦਾਰ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ]

ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ Sikh is the best friend and a worst enemy. ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਛੂਤ ਛਾਤ ਤੇ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਏਤਕਾਦ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

Chief Minister : On a point of Order, Sir. I beg to draw the attention of the Chair to the fact that the hon. Member is entirely irrelevant. There is nothing in the Governor's Address which merits his present remarks. He is rather flouting the order of the Chair in persisting to discuss such things.

ਸਰਦਾਰ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ communalism ਜਮਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ।

अध्यक्ष महोदय : मैं दो बार माननीय मैम्बर की तवज्जुह इस बात की तरफ दिला चुका हूं कि गवर्नर के conduct को discuss न करें। अगर इस के बावजूद वह इसी पर बहस करने पर insist करेंगे तो मुझे मजबूरी तौर पर कहना पड़ेगा कि वह अपनी तकरीर बंद करें।

[Twice I have requested the hon. Member to refrain from discussing the conduct of the Governor. If in spite of this he insists upon doing so, then I shall be compelled to stop him from speaking any further]

पंडित श्री राम शर्मा : मैं इस बात पर आप की ruling चाहता हूं कि क्या किसी मेम्बर को यह बताने का भी हक नहीं कि communalism जिसे Address में बुरी चीज़ कहा गया है कहां से और कैसे पैदा होती है ?

अध्यक्ष महोदय : आप बार २ क्यों यही point of Order raise कर रहे ? मैं इस का जवाब दे चुका हूं। [Why are you raising this point of Order again and again? I have already given a reply.]

ਸਰਦਾਰ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ : Address ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ law and order ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਰਖਿਆ ਹੈ। ਦੋ dacoits ਫੜ ਲਏ, ਦੋ ਚੋਰ ਫੜ ਲਏ, ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਇਕ peaceful ਜਲੂਸ ਉਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਕਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਕ ਮੁਨੱਜ਼ਮ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਕਰ ਕੇ, ਪਥਰ ਵਰਸਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿਚ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ।

Mr. Speaker : This case is subjudice; he cannot discuss it.

ਸਰਦਾਰ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ : ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬੜੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ confidence ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੋਣਾ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ guarantee ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

अध्यक्ष महोदय :एक religious body के elections से आप यह नतीजा कैसे निकाल सकते हैं कि सिखों को पंजाब सरकार में confidence नहीं है। आप कह सकते हैं कि गुरद्वारों के मुताल्लिक आप की जो policy थी वह लोगों ने approve नहीं की है मगर इस मामले का हाऊस के साथ कोई ताल्लुक नहीं।

[How can he deduce from the elections of a religious body that the Sikhs have no faith in the Punjab Government. All that he can say is that the policy advocated by him has not met with the approval of the people, but even this has nothing to do with the House.]

ਸਰਦਾਰ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ : ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਕੋ ਸਿੱਖੋਂ ਕਾ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਲੀਡਰ ਸਮਝ ਕਰ....

Mr. Speaker ; No such references, please. आप गुरद्वारा की इलैकशन लड़े होंगे, सरदार प्रताप सिंह लड़े होंगे, हाउस का इस से कोई ताल्लुक नहीं। [He may have contested the Gurdwara elections or Sardar Partap Singh may have; the House is in no way concerned with this matter.]

ਸਰਦਾਰ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ : ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ....

पंडित श्री राम शर्मा : On a point of Order, Sir. मैं इस बात पर आप की ruling चाहता हूं कि क्या कोई मेम्बर किसी वज़ीर के बारे में किसी ऐसी राए का इज़हार नहीं कर सकता जो आप की राए से differ करती हो ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने तो यह कहा है कि State के constitutional Head पर attack नहीं किया जा सकता। (All that I have said is that no Member can attack the constitutional Head of the State.)

पंडित श्री राम शर्मा : पंडित नेहरू constitutional Head तो नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : वे तो कह रहे थे कि शिरोमणि गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी जैसी एक religious body के elections से पता लग गया है कि सिखों को पंजाब सरकार में confidence नहीं।

[अध्यक्ष महोदय]

[He said that as a result of elections to a religious body like the Shiromani Gurdwara Prabandhak Committee, it has become patent that Punjab Government has forfeited the confidence of the Sikhs.]

Pandit Shri Ram Sharma: He is free to say whatever he likes. ज़रूरी नहीं कि हर मेम्बर Chief Minister या स्पीकर की राए से इत्तफाक करे। वह उन की बातों को contradict कर सकते हैं।

Mr. Speaker : Please don't impute motives.

पंडित श्री राम शर्मा : मैं motives attribute नहीं कर रहा। मैंने यह कहा है कि वाक्यात के मुताल्लिक Chief Minister या Speaker की राए से हर मेम्बर differ कर सकता है।

Mr. Speaker: How can anybody be allowed to express his opinion on a matter which is sub-judice?

पंडित श्री राम शर्मा : अगर कोई मेम्बर यह कहे कि सिखों को गवर्नमेंट पर एतमाद नहीं है तो इस में क्या हर्ज है?

मौलवी अब्दुल ग़नी डार (नूह) : स्पीकर साहिब, कल हमारे गवर्नर साहिब ने अपनी ज़बाने मुबारिक से सरकार की काफी तारीफ की और आज बहिन सीता देवी और भाई रामकिशन ने काफी लम्बे-चौड़े व्याख्यान दिए और picture को ज़्यादा से ज़्यादा शानदार बनाने की कोशिश की।

मैं मानता हूं कि पंजाब सरकार ने बाज़ बातें ऐसी की हैं जिन की तारीफ Opposition भी किए बगैर नहीं रह सकती। मैं जहां इन की अच्छी बातों की तारीफ़ करता हूं, वहां तसवीर के दूसरे पहलू को भी नहीं भूलना चाहता। जहां गवर्नर साहिब ने हमारे बुज़ुर्ग पंडित जगत राम और सरदार निधान सिंह जी की जुदाई का ज़िक्र किया था, वहां अगर श्री रफ़ी अहमद की जुदाई का ज़िक्र भी कर देते, तो ठीक होता।

दोनो speakers ने अपने भाषणों में law and order की बहुत चर्चा की है। यह चर्चा करते हुए उन्होंने पुलिस को काफ़ी credit दिया है। हम भी पुलिस को credit देते हैं। अवादी कांग्रेस-सैशन का भी ज़िक्र किया गया है। Socialist नज़रिए का कबूल किया जाना बड़ी दिलखुशकुन बात है मगर अफसोस की बात है कि इस सारे Address में पंजाब सरकार ने यह नहीं बताया कि वह उस police constable की जिस के सिर पर law and order कायम है भलाई के लिए क्या करना चाहती है। क्या सरकार को मालूम नहीं कि उन की तनखाहें इतनी कम हैं कि उतने रुपए से कोई शरीफ़ आदमी शरीफाना गुज़र नहीं कर सकता। उनको सफर पर भेजा जाता है तो इतना थोड़ा भत्ता दिया जाता है कि जितना एक कुली दो फेरे लगा कर कमा सकता है। लड़ते मरते तो सिपाही हैं, नाम सरकार का होता है, वह लोग रातों को जागते हैं, चोरों और डाकुओं का मुकाबिला करते हैं। उन के लिए हमारी सरकार क्या करना चाहती है? क्या उन को इतनी तनखाह दी जाएगी कि वे अपनी ज़िन्दगी का इस socialist निज़ाम

में जिसे सरकार कायम करना चाहती है एक मामूली से मामूली शरीफाना मियार कायम कर सकें।

लुधियाना का case sub-judice है मगर क्या सरकार को मालूम है कि डा. कालीचरन की हिफाज़त के लिए आज भी कई बन्दूकों और रिवालवरों वाले खड़े हैं ? क्या यही law and order की हालत है जिस की तारीफ की गई है ? Dacoits को कत्ल करने का तरीका भी सरकार ने खूब निकाला है। उनको घरों से पकड़ कर गोली से उड़ा दिया जाता है और दिखाया यह जाता है कि वे पुलिस का मुकाबला करते हुए मारे गए हैं। यह तजवीज़ निकाल कर सरकार ने अच्छा किया है।

जनाबेवाला, इन्होंने कभी ग़ौर नहीं किया कि दफा 109 के मातहत कितने चालान होते हैं। क्या उन्होंने कभी ग़ौर किया कि कितने cases हैं जो दर्ज ही नहीं होते ? ये कहते हैं कि कौन मुकदमा चलाए, कौन गवाह ढूंढे, कौन अदालतों में जाए, Sessions Court में जाए और कौन हाई कोर्ट में जाने की तकलीफ गवारा करे। वैसे ही बदमाशों को मार दो। यह है तो अच्छा, लेकिन कितने मुकदमे हैं जो दर्ज ही नहीं होते। यह ठीक है कि उन के घर का काम है, घर की खेती है जो चाहें खुशी से करें, जो मुकदमा चाहें दर्ज करें और जो न चाहें न करें।

जनाबे वाला, एक और ज़रूरी बात जिस की तरफ मैं सरकार की तवज्जुह और हुज़ूर की तवज्जुह दिलाना चाहता हूं वह यह है कि इस सुन्दर हाउस को बैठते हुए बजट Session में आज चौथा मौका है। मैं ने किसी दफा भी सरकार के मुंह से नहीं सुना कि जो displaced muslims हैं उन के पुनर्स्थापन के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं। वे तबाह-शुदा लोग हैं उन को अपने claims किस तरह देने चाहिएं। इस सम्बन्ध में मैं ने हमेशा उन की तवज्जुह दिलाने की कोशिश की कि आखिर आप की एक Secular State है, आप Secular State के मालिक हैं। मैं नहीं कहता कि मुसलमानों को सरकार पर एतमाद नहीं है। मुसलमानों को कांग्रेस सरकार पर काफी भरोसा था लेकिन उन के साथ इस सरकार ने चार वर्षों में क्या सलूक किया है ? मैं ने न तो Chief Minister और न ही Finance Minister के मुंह से कोई लफ्ज़ उन के बारे में सुना। मुझे इस बात का कोई रंज नहीं है। मुझे रंज तो उस ज़िंदगी का है जो मैंने बचपन से ले कर गुज़ारी। मुसलमान मुझे महाशय कह कर पुकारते थे। मुझे रंज है कि इतने सुन्दर वादे करने वाली जमायत अब उन वादों को भूल गई है। कल हमारे गवर्नर साहिब ने जब भाषण दिया तो मुसलमानों को बिल्कुल ignore कर दिया गया। मुझे यह बात पसंद नहीं है कि एक Secular State में मुसलमानों के साथ यह बर्ताव हो।

सरकारे वाला, एक और बात जिस की तरफ मैं सरकार की तवज्जुह खींचना चाहता हूं वह यह है कि गवर्नमेंट ने भाकड़ा डैम का काफी चर्चा किया है। मैं मानता हूं कि आखिर यह बहुत बड़ी achievement है। लेकिन देखने की बात यह है कि इस में सब से ज़्यादा हिस्सा किन लोगों का है ? "हलवाई की दुकान और दादा जी का श्राद्ध।" Central Government रुपए देती है। आखिर यह सरकार किस लिए बैठी है ? Central Government देने वाली है और यह सरकार भण्डारी है; इन्होंने आगे बांटने है। उस में भी कहते हैं कि हम ने यह किया, वह किया। इस picture की तरफ भी ज़रा देखें।

[मौलवी अब्दुल गनी डार]

हमारे Chief Minister साहिब को बीसों चिट्ठियां Official Party और Non-official Party के मैम्बरों की तरफ से आतीं हैं। मैं नहीं कहता कि चालीस करोड़ रुपए का ग़बन हो गया है, यह हो गया या वह हो गया। लेकिन मैं इतना ज़रूर मानता हूं कि Chief Minister साहिब को आज चार वर्ष के बाद यह महसूस हुआ है कि उन्हें Anti-Corruption Committee बिठानी चाहिए क्योंकि लोगों को कुछ शिकायत है और वे चाहते हैं कि Corruption इतनी बढ़ गई है कि इस की रोक-थाम के लिए कुछ करना आवश्यक है। यह अच्छा है लेकिन इन्होंने इस का इलाज क्या किया है ? हम देखेंगे कि वह कौन सा नुसखा है। करोड़ों रुपया बरबाद किया जा रहा है। दूसरे देशों से second hand और third hand machinery मंगवाई जा रही है। हज़ारों रुपए तनख्वाह लेने वाले engineers को import किया जा रहा है। इन बातों की तरफ कभी किसी का ध्यान गया ? यह मैं जानना चाहता हूं। ऐसी चीज़ें जो कि अपने देश में बढ़िया मिल सकती हैं हज़ारों और लाखों रुपए बरबाद कर के बाहर से मंगवाई जा रही हैं। अपने देश में constables की मुसीबत है, पटवारियों का मसला है, व्यापारियों और पानबीड़ी वालों का मसला है। स्पीकर साहिब, मुज़ारों का कितना अहम मसला है। हाउस कब से परेशान है। सारा सूबा परेशान है। न सिर्फ सारा सूबा, सारा देश बल्कि स्वयं पंडित जवाहर लाल जी नेहरू इस मसले की वजह से परेशान हैं। इस सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई ज़िक्र नहीं किया कि वे क्या करने वाली है। और किस तरह से इस मसले का हल करने वाली है। मेरे सामने बैठे दोस्त लम्बी-चौड़ी स्कीमें करते हैं कि हम यह करने वाले हैं वह करने वाले हैं। मैं कहता हूं कि वे क्या करने वाले हैं ? अपने मुख्य मंत्री जी के लिए 5 लाख रुपए का बंगला, उस में 50 हज़ार का furniture चाहिए और इस लिये चाहिए कि मज़दूरों को अच्छे मकान मिल गये हैं और सारा पंजाब सुखी है और सारे displaced लोग आबाद हो गए हैं। Comrade Ram Kishan जी तारीफों के पुल बांध रहे हैं लेकिन वह यह नहीं सोचते कि यह सब कुछ किस ने किया है यह उन लोगों ने किया है जिन्होंने Montgomery और Lyallpur के इलाकों को आबाद किया था पहले वे लोग जम कर नहीं बैठे थे अब कुछ जम कर बैठे हैं तो उन्होंने मेहनत की है। यह सब उन की मेहनत की बदौलत है। कहते हैं कि हम ने पानी दिया है जब Central Government रुपए देती है तो यह पानी क्यों न देंगे क्या पानी इन्होंने घर ले जाना था पानी तो लोगों को ही देना था। बहरहाल अगर ये समझते कि हमारे चपड़ासी सुखी हैं तो अपने लिये इतनी २ शानदार और बड़ी २ इमारतें खुशी से बनवा लेते। अगर ये नहीं समझते तो इन को इतनी बड़ी २ कोठियों में नहीं रहना चाहिये था और न ही अपने लिये बनवानी चाहिए थीं।

प्रधान जी, इस के बाद मैं अर्ज़ करूंगा कि Bhakra और Nangal Dams का बड़ा चर्चा किया गया है। इन को यह सचाई मालूम नहीं है कि गुड़गांवां ज़िला में 3, 3 कोस तक पीने का पानी भी नहीं मिलता। लोग दूर दूर से पीने के लिए पानी लाते हैं और बेचारे ग़रीब लोग तीन-तीन और चार-चार आने का घड़ा पानी का मोल लेते हैं। लेकिन Governor साहिब के Address में इस बात का कोई ज़िक्र नहीं आया कि

उन बेकस लोगों की तकलीफ को दूर करने का क्या प्रबन्ध किया गया है। फिर कहा जाता है कि देश में communism फैल रहा है। हालात ही ऐसे बन रहे हैं कि लोग खाह मखाह उधर जा रहे हैं। हरियाना के मैम्बर कांग्रेस में अलहदा होना चाहते हैं। हिन्दुओं का दिल बावजूद हिन्दू होने के कांग्रेस की बजाए communism के साथ है क्योंकि वे जानते हैं कि कांग्रेस अन्याय करती है। उन्होंने गुड़गावा ज़िला के साथ अन्याय किया है उस ज़िला की कोई हिफाज़त नहीं की, उन का कोई फिक्र नहीं किया। लोग उन से बदज़न हो रहे हैं।

स्पीकर साहिब, यह कहते हैं कि अगर आब्याना न लें तो गवर्नमेंट को कैसे चलाएं। मैं मानता हूं कि taxes के बिना कोई सरकार नहीं चलती। मैं चाहता हूं कि taxes इतने मिलें कि वे 5 लाख की बजाए 10 लाख रुपए का बंगला बनाएं लेकिन मैं यह भी चाहता हूं कि यह सब उस वक्त हो जब कि किसान की हालत सुधर जाए, गरीब मज़दूर का पेट भर जाए। ग़रीब किसानों को सुनहरे ख्वाब दिखा कर आब्याना बढ़ाया जाए और उन की हालत बेहतर न हो। क्या हाउस के लीडर साहिब को मालूम नहीं कि उन्होंने आब्याने के सवाल को लेकर ही पिछली सरकार के विरुद्ध तूफान खड़ा कर दिया था और उस का तख्ता उलट गया था इन्हें इस मसले को मामूली मसला नहीं समझना चाहिए।

स्पीकर साहिब, आप की इजाज़त से एक-दो बातें और अर्ज़ करना चाहता हूं। बहिन सीता देवी ने transport की तारीफों के पुल बांध दिए हैं। उन्होंने nationalisation of transport और rationalisation of taxes का बहुत चर्चा किया है। उन्होंने बताया है कि 16 लाख रुपए का मुनाफा हुआ है। लेकिन वह नहीं जानती कि यह मुनाफा गरीबों का खून चूस कर ही दिखाया गया है। मैं पूछता हूं कि वे कितनी तनखाहें drivers को देते हैं? कितनी तनखाहें conductors को देते हैं? सब लोपेड (low-paid) लोगों का पेट काट कर उन्होंने यह मुनाफा दिखाया है। मैं अर्ज़ कर रहा था कि चिराग़ तले अन्धेरा। स्पीकर साहिब, यहां पर राम राज्य का बड़ा चर्चा किया जाता है। पंचायतों का भी बहुत शोर मचाया जाता है। लेकिन यह कितने sincere और serious हैं इस का अन्दाज़ा आप District Panchayat Officers से लगाएं जो सात-आठ सौ पंचायतों की निगरानी के लिए रखे गए हैं और जो इन के अपने ही नुमाइन्दे हैं। उन के पास न तो जीपें हैं और न ही कोई स्टाफ़। उन की तनखाह भी 170 रुपए से शुरू होती है जबकि दूसरों की तनखाहें बहुत काफ़ी हैं। इस से पता चलता है कि यह किस तरह काम चलाते हैं।

श्री मूल चन्द जैन (सम्भालका) : स्पीकर साहिब, गवर्नर साहिब के ऐड्रैस को काफ़ी ग़ौर से मैंने सुना। इस में जो अच्छी बातें कही गई हैं और अच्छी बातें हुई हैं, उनकी तारीफ़ न सिर्फ़ मैं करूंगा बल्कि मेरे साथी मौलवी अब्दुल गनी जी ने भी की हैं। खास तौर पर मैं इस बात की तरफ इशारा करना चाहता हूं कि Community Projects और National Extension Service की मार्फ़त देहातियों के अन्दर जो उमंग और सेवा से काम करने की लगन पैदा हुई है, वह निहायत ही काबिलेतारीफ है। यह इन्हीं स्कीमों का नतीजा है

[श्री मूलचन्द जैन]

कि करोड़ों रुपए का काम जो कि आम हालात में गवर्नमेंट के खज़ाने से होना चाहिए था, वह लोगों ने ज़मीन के दान और लेबर के दान की शक्ल में किया है। इस तरह उन्होंने अपनी कौम और मुल्क के लिए सच्ची लगन और सेवा का सबूत दिया है। लेकिन अगर हम इस एड्रैस को इस कसौटी पर देखें कि हमारी स्टेट का, हमारे country का आदर्श क्या है और उस आदर्श को हासिल करने के लिए आया हमारी गवर्नमेंट ने कुछ बातें की हैं, तो मैं कहूंगा कि जो इस आदर्श की तरफ़ हुकूमत की तवज्जुह ज़रूर होगी लेकिन जिस रफ्तार के साथ उस ओर कदम बढ़ाने चाहिए थे वह नहीं बढ़े।

आज़ादी हासिल करने के बाद हमारे देश के सामने एक ही बड़ा मकसद था। उस मकसद का ज़िक्र हमारे राष्ट्रपति ने पार्लियामेंट में दिए गए अपने एड्रैस में किया है। वह आदर्श है मुल्क में एक ऐसा निज़ाम कायम करने का है जो Socialistic pattern of Society पर based हो। हमारा उद्देश्य मुल्क में सोशलिस्ट नमूने का समाज बनाने का है। इस शुक्रिया की तहरीक की mover ने जो इस चीज़ को उठाने की कोशिश की लेकिन उस पर वह ज़्यादा रौशनी नहीं डाल पाई। बहुत अच्छा होता अगर वह यह बतला सकतीं कि पिछले साल की निसबत इस साल हमारी सरकार ने इस मकसद को हासिल करने के लिए क्या कुछ कदम उठाए हैं। यह जो सोशलिस्ट नमूने की समाज है, आखिर इसका क्या मकसद है? इस का सिर्फ मोटा मतलब यह है कि हमारे देश और सूबा में दौलत बढ़े और उसकी तकसीम का इन्तज़ाम न्याय पर हो। इसलिए इस एड्रैस को अगर हम इस कसौटी पर देखें तो मालूम होगा कि यह ठीक है कि हमारे सूबा में दौलत बढ़ रही है—दौलत को बढ़ाने के साधन हो रहे हैं—लेकिन उस दौलत की तकसीम का जो इन्तज़ाम है वह बिल्कुल उसी तरीके से चल रहा है जैसा कि पिछले ज़माना में चलता आ रहा था। ऐसा मालूम होता है कि हमारे लोगों का यह ख्याल है—उन लोगों का जिन के हाथ में दौलत तकसीम करने के साधन और इख्तियारात हैं—कि वे लोग जो अब से पहले बेज़मीन और बे-पूंजी थे उन्हें उसी तरह बेज़मीन और बेपूंजी रखा जाए। लेकिन जब इस topic का ज़िक्र किया जाता है तो कहते हैं कि देखिए पंजाब में जगह जगह लोकल development के काम हो रहे हैं, नहरें खोदी जा रही हैं, सड़कें बनाई जा रही हैं वग़ैरह वग़ैरह। मैं लेबर की हालत को बताना चाहता हूं और बताने से पहले उन लोगों की पोज़ीशन बयान करना चाहता हूं जो यह कहते हैं कि अब बेरोज़गारी कैसी? जो यह कहते हैं कि अब से पहले जहां मज़दूर को 4 आने दिन की मज़दूरी मिला करती थी अब 1-12-0 रोज़ मिलते हैं। लेकिन ऐसी विचारधारा रखने वालों की जो पसे-मंज़र है जो background है वह यह है कि वह चाहते हैं कि जो मज़दूर हैं वे मज़दूर ही रहें—ऊपर न उठें। हमारी Constitution का आदर्श—जो कि मैं पहले भी कह चुका हूं—Socialistic Pattern of Society है। इस में हरेक आदमी को बिना किसी लिहाज़ के ऊपर उठने के यकसां मौके हैं। इस लिए जब हम इस Address को इस कसौटी पर परखते हैं तो पता लगता है कि इस तरह के जो लोग तरक्की करना चाहते हैं उन के लिए कोई खास कदम नहीं उठाया जा रहा। मैं खास तौर पर मुज़ारों के मसले का ज़िक्र करना चाहता हूं। हालांकि

पिछले साल में prevention of ejectments के सिलसिला में issue किए गये ordinance पर काफ़ी हलचल रही; लेकिन मैं हैरान हूं कि इस की तरफ क्यों ज़रा भी इशारा नहीं किया गया। मैं चाहूंगा कि इस मसले को ज़रूर सामने रखा जाना चाहिए था। हल करने की तो बात ही क्या एड्रैस में इस की तरफ़ इशारा भी नहीं किया गया। मैं चाहता हूं कि इस समस्या को जल्द-अज़-जल्द हल किया जाए। इस सिलसिला में गवर्नर साहिब ने पिछले साल जो Ordinance जारी किया था वह बिल न बन सका और lapse हो गया है। उस के lapse हो जाने से लाखों मुज़ारियान की उम्मीदें खाक में मिल गई हैं। इस से पहले हज़ारों दरखास्तें लोगों ने इस लिए दी थीं कि जिन ज़मीनों से वे बेदखल किए गए थे उन्हें वे वापिस मिल जाएंगी। लेकिन Ordinance के लैपस (lapse) हो जाने की वजह से उन लोगों का हज़ारों रुपया बेकार चला गया है जो वकीलों की फीसों वग़ैरह पर उन्होंने लगाया था। अब वे सभी दरखास्तें खारिज कर दी गई हैं। इस का नतीजा क्या हो रहा है? यह कि हमारे स्टेट के अन्दर दिन-ब-दिन unrest फैल रहा है और ज़्यादा होता चला आ रहा है। मैं हैरान हूं कि क्यों इस problems की तरफ Address में तवज्जुह नहीं दिलाई गई।

दूसरी चीज़ जिस का मैं ज़िक्र करना चाहता हूं वह है स्टेट के अन्दर moral regeneration लाने की ज़रूरत। जहां पर देश में economic uplift लाना सरकार का काम है वहां democracy में यह भी ज़रूरी है कि सरकार आम लोगों के morals का भी ध्यान रखे और उन की बुराइयों को दूर करने की कोशिश करे। हमें लोगों के इखलाक को सुधारना है। इस सिलसिला में खासतौर पर मैं शराब-बन्दी और 'भूदान' का हवाला देना चाहता हूं। हमारी Constitution में एक specific provision है कि शराब-बन्दी को सारे हिन्दुस्तान में लागू किया जाएगा। अभी कुछ साल हुए हमारे सूबा में रोहतक ज़िला में शराब-बन्दी का काम शुरू हुआ था। पिछले साल भी गवर्नर साहिब के Address में इस चीज़ का कुछ ज़िक्र आया था। मेरा ख्याल था कि इस साल रोहतक से आगे भी इस चीज़ को लाया जाने का कोई प्रोग्राम बनाया गया होगा लेकिन मुझे ताज्जुब हुआ कि बावजूद Constitution के provision के इस एड्रैस में इस ओर कोई इशारा नहीं किया गया। शराब-बन्दी की पालिसी हमारे हां वही की वहीं कायम है और एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी।

एक और चीज़ जो इसी बात से ताल्लुक रखती है वह है भूदान की तहरीक। यह तहरीक सारी दुनिया में अपनी मिसाल आप है और Socialistic Pattern को achieve करने के लिए peaceful revolution है। बेज़मीन लोगों की regeneration के लिए इस तहरीक को आचार्य विनोबा भावे जी ने समाज में बराबरी लाने के लिए चलाई है और अपना सारा वक्त इस को आगे बढाने के लिए लगा रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह तहरीक सारे हिन्दुस्तान में एक ही रफ़्तार से तभी आगे बढ़ सकती है अगर हमारे सूबे की legislature 'भूदान एक्ट' बनाए। आगे भी इस चीज़ की तरफ गवर्नमेंट की तवज्जुह दिलाई गई थी लेकिन मैं हैरान हूं कि क्यों अभी इस ओर कदम उठाया नहीं गया। जबकि दूसरे सूबों में अकसर भूदान एक्ट पास किया जा चुका है। मैं पूरे यकीन के साथ यह

[श्री मूल चन्द जैन]

कह सकता हूं कि जब तक यह एक्ट नहीं बनता तब तक हमारे सूबा में यह तहरीक ज़ोर नहीं पकड़ेगी ।

तीसरी चीज़ है तालीमी तरक्की । तहरीक की mover साहिबा बहन सीता देवी और कामरेड राम किशन जी ने इशारा किया है कि हमारे सूबा में कितनी तालीमी तरक्की हो रही है । इस में कोई शक नहीं कि काफी स्कूल खोले गए हैं—हाई स्कूल और प्राइमरी स्कूल बहुत से नए खोले गए हैं । लेकिन यह तादाद जितनी बढ़ी है उस से मैं समझता हूं, तालीमी तरीका को बदले बिना बेकारी में अज़ाफा ही हुआ है । क्योंकि फर्क तो system में आना चाहिए । पढ़े-लिखे लोगों में इस बेकारी और बेरोज़गारी के नतीजा के तौर पर अन्दर ही अन्दर आग सुलग रही है—एक ऐसा आतश-फ़शां पहाड़ पैदा हो रहा है जिस के किसी भी वक्त फट जाने और फट कर देश के लिए बहुत सी समस्याएं खड़ी कर देने का अन्देशा है । मैं नहीं जानता कि एड्रैस में इस ओर क्यों इशारा नहीं किया गया । मैं समझता हूं कि बेरोज़गारी में पड़े हुए लोग, बेज़मीन और बेपूंजी किसान एक निहायत खतरनाक आतश-फ़शां पहाड़ हैं जिन का वक्त से पहले कोई न कोई इन्तज़ाम करना हमारी सरकार के लिए निहायत ज़रूरी है । पिछले साल और अब की बार का Address भी एक तरह से अदादोशुमार की भूल-भुलैयां है । लेकिन उस आदर्श को पूरा करने के लिए क्या इकदाम किये गए हैं या किए जाएंगे खासकर कोई ज़िक्र नहीं किया गया । हां, इस बात की तरफ ज़रूर तवज्जुह दिलाई गई है कि पसमान्दा और गरीब लोगों के लिए 13 लाख रुपया तालीम के लिए रखा गया है । मैं समझता हूं कि इस रुपए से उन लोगों की हालत जो गुलामी से दबे आ रहे हैं—बहुत अच्छी नहीं होने वाली । मौजूदा तालीम हासिल कर के भी वह पढ़े-लिखे बेकारों की जमात में ही दाखिल होंगे और फिर आप से पूछेंगे कि बताइए हमारी बेहतरी के लिए आप ने कौन से कदम उठाए हैं, हमारे रोज़गार के लिए आप ने क्या इन्तज़ाम किया है ।

5 p.m.

स्पीकर साहिब, हमारी Constitution की preamble में लिखा हुआ है कि हिन्दुस्तान के हर आदमी को तरक्की करने का बराबर मौका मिलेगा । इस के जवाब में शायद यह कहा जाए कि हर आदमी को तरक्की करने का मौका दिया जा रहा है लेकिन मुझे इस में खुशी नहीं है । देखना यह है कि दुनिया किस रफ्तार से चल रही है । स्पीकर साहिब, हम एक dynamic age से गुज़र रहे हैं । जहां हमारे हां political democracy कायम हो चुकी है वहां हम ने economic democracy भी कायम करनी है । यह हमें जल्द-अज़-जल्द कायम करनी चाहिए । अगर हम ने इस में सुस्ती की तो ज़माना हमारी इंतज़ार नहीं करेगा । गरीब किसान और मज़दूर हमारी इन्तज़ार नहीं करेंगे । इस लिए हमें जल्द-अज़-जल्द economic और सोशल democracy कायम करनी चाहिए । हम बड़ी सुस्त रफ़तार से चल रहे है और दुनिया हिन्दुस्तान की तरफ़ देख रही है कि किस तरह यह पुर अमन तरीका से social और economic democracy कायम करने में सफल होता है । अब दुनिया political democracy

के साथ साथ social और economic democracy की तरफ बढ़ रही है। इस सिलसिला में मैं एक अर्ज़ अपनी सरकार से खास तौर पर करना चाहता हूं कि गांव की ज़िन्दगी की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाए। हम देखते हैं कि गावों में बेज़मीन लोगों के पास अव्वल तो रहने के लिए अपने घर ही नहीं हैं, और अगर हैं तो वह इतने छोटे छोटे हैं कि उन का गुज़ारा ही बड़ी मुश्किल से होता है। जिस एक कमरे में वह बेज़मीन आदमी आप सोता है वहीं उस की बहिन सोती है, वहीं उस के लड़के की बीवी और बच्चे सोते हैं और वहीं उस के मवेशी भी बन्धते हैं और अगर उस के पास कोई मेहमान आजाए तो उस को भी वहीं सुलाना पड़ता है। जब वह आदमी अमीर लोगों के बड़े-बड़े मकान बनते देखता है तो उस के दिल में भी ख्याल आता है कि उस के भी बच्चे हैं, उस की भी आबादी बढ़ रही है, उसे भी अच्छी तरह से रहने क लिए मकान और जगह चाहिए। मैं इस सिलसिले में अर्ज़ यह करता हूं कि यह मसला पंजाब के किसी खास एक गांव का नहीं है यह मसला तो तमाम पंजाब के गांव का मसला है।

स्पीकर साहिब, इस के साथ ही मैं इन बेज़मीन लोगों के बारे में एक और अर्ज़ करना चाहता हूं और वह है इन लोगों के रोज़गार के बारे में। इन लोगों को कोई और रोज़गार न मिलने के कारण ज़मीन की ज्यादा भूख होती है। इन की ज़मीन की भूख को पूरा किया जाना चाहिए और इस के लिए हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि वह ज़्यादा मज़बूती के साथ कदम उठा कर जो सरकारी ज़मीनें पड़ी हैं इन लोगों में बांट देनी चाहिए। जो तस्वीर इस Address में पंजाब की खींची गई है वह देखने को जितनी सुन्दर लगती है असल में उतनी सुन्दर नहीं है।

इस के बाद, स्पीकर साहिब, मैं अगली चीज़ की तरफ़ गवर्नमेंट की तवज्जुह दिलाना चाहता हूं। आज जो सरकारी मुलाज़िम हैं इन की तनखाहों में बहुत फर्क है। एक तरफ तो दो-दो तीन-तीन हज़ार तनखाहें लेने वाले हैं तो दूसरी तरफ वह हैं जो अपनी तनखाह से अपने बाल-बच्चों का गुज़र भी नहीं कर सकते? यह फर्क इतना नहीं रहने दिया जाना चाहिए। इस के जवाब में यह कहा जा सकता है और शायद कहा भी जाए कि यह फर्क दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में पाया जाता है और बाकी के हिन्दुस्तान में भी है तो मैं कहता हूं कि यदि हम देश को एक Socialistic state के pattern पर बनाना चाहते हैं तो इस फर्क को जल्दी हटाना होगा। दुनिया बड़ी जल्दी से इस social pattern की तरफ बढ़ रही है।

स्पीकर साहिब, मैं एक और अहम मसले की तरफ़ अपनी सरकार का ध्यान दिला कर अपनी speech को खत्म करता हूं। और वह मसला है कि हिन्दी भाषा को तरक्की दी जाए। और इसे court language बनाया जाए। इस मामले में हमारी State बहुत पीछे रह गई है। यहां हम देखते हैं कि अभी तक उर्दू और अंग्रेज़ी ही official languages चल रही है हालांकि हमारी Constitution में जिन regional languages का ज़िक्र है उन में उर्दू नहीं है। कहते हैं, है। होगी। लेकिन उर्दू पढ़ाई जानी बन्द हो गई है फिर यह court language क्यों नहीं बदलते। हम देखते हैं कि U. P. में हिन्दी सरकारी ज़बान हो गई है, देहली में हो गई है और यहां अभी अंग्रेज़ी और उर्दू ही official languages चल रही है। मैं अर्ज

[श्री मूल चन्द जैन]

करता हूं कि इस मामले में हम पंजाबी पीछे रह गए हैं और हमें पछताना पड़ेगा जब हिन्दुस्तान के दूसरे सूबे तरक्की कर जाएंगे। वह हिन्दी में माहिर हो जाएंगे और हमारे बच्चे All India मुकाबले के इम्तहानों में पीछे रह जाएंगे। इस के लिए भी इस Address में कोई ज़िक्र नहीं किया गया।

ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ (ਅਜਨਾਲਾ): ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ Address ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ Motion of Thanks ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਤਾਈਦ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਇਥੇ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸਭ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ Address ਵਿਚ ਖਿਚੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਐਨ ਏਹੋ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਇਕ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਡੰਡਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਬਾਹਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਵਾਰਡਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛੋਟੇ ਵਾਰਡਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ Address ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਹਾਲ ਚੰਗਾ ਹੈ। Administration ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। Law and Order ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ development ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਦੀ ਰਾਹੀਂ, ਇਹ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਇਆ ਇਥੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ administrators ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ? ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ landlords ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ? ਇਸ Address ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੱਤੀ ਭਰ ਜਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਥੇ capitalists ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਤਾਲੁੱਕ ਹੈ। Address ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਉਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਥੇ labour ਵਿਚ ਬੜੀ ਬੇਚੈਨੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਥੇ ਇਕ ਲੇਬਰ ਮਨਿਸਟਰ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਲੇਬਰ ਮਨਿਸਟਰ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿ capitalist minister। ਇਸ ਬੇਚੈਨੀ ਬਾਰੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ Address ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਹ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ Address ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਲਿਖਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਾ ਲਈ ਬਣਾਇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਥੇ ਵੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਤੁਸੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਮਤਲਬ ਲਈ ਵਾਵੇਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ Government of India ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਨੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਥੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਖ਼ੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲੇਬਰ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਲੇਕਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ Law and Order ਕੇਵਲ ਡਾਕੂ

ਪਕੜਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਖ਼ਤ ਬੇਚੈਨੀ ਫੈਲੀ ਹੋਵੇ । ਕੀ ਇਹ law and order ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ? ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਭ ਅੱਛੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ । ਅਜ ਇਥੇ ਚੰਡੀ ਗੜ੍ਹ ਵਿਚ 144 ਦਫਾ ਕੇਵਲ ਇਸ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ । ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਰ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ? ਇਸ ਵਿਚ ਕੀ ਹਰਜ ਸੀ ਜੇਕਰ ਮਾਨਯੋਗ ਵਜ਼ੀਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਡੇ ਅਫ਼ਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੁਖ ਹੈ ? ਪਰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਗਿਆ ਹੈ ? ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਥੇ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ।

ਇਹ Law and Order ਹੈ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਹੀਦ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਰਕਰ ਸ੍ਰੀ ਪਿਸ਼ੌਰੀ ਲਾਲ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ Law and Order ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਸ਼ੌਰੀ ਲਾਲ ਬਾਰੇ ਥਾਨੇਦਾਰ ਨੇ report ਲਿਖੀ "ਯਿਹ 10 ਨੰਬਰ ਕਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ" ਹਾਂ ਉਹ ਬਿਚਾਰਾ ਹੁਣ 10 ਨੰਬਰ ਦਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਹੁਣ 10 ਨੰਬਰੀਏ ਹੋ ਗਏ । ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਜੋ ਹੋਇਆ !! ਥਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਖਰ ਤਕ ਸਪੀਚਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਗੋਂ record ਵਜਦਾ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ record ਵਾਂਗ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਹੈ । ਮਹਿਰਾ ਮਿਲ ਵਿਚ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹਨ। O. C. M. factory ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ Industrial Tribunal ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਉ । ਪਤਾ ਨਹੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਬੈਠੇ Labour Minister ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਨ ? Cabinet ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਉਹ ਕੇਸ Conciliation Board ਅਗੇ ਭੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਦੇ ਹਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਮਾਇਆਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ? ਜਦ Labour Minister ਜਾਂ Chief Minister ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੁਝ action ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ । ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਭੁਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਬੇਕਾਰ ਹਨ, ਉਹ protest ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ ਮਗਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ । ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ orders ਤੇ instructions ਨੂੰ by-pass ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ । Mehra ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਂਜ ਫੈਕਟਰੀ ਇਕ ਹੀ ਹੈ । ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ । ਜਿਥੇ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਦੂਸਰੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇਕਰ ਭੀਮਸੈਨ ਨਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਥਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਗਤ ਨਰਾਇਣ ਲਿਖ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਹਾਸਾ) ਤਾਂ ਜੋ Government of India ਦਾ ਕੋਈ ਐਕਟ ਉਸ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ । ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ protest ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਕੀਤਾ ਇਸ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ

[ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ]

ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਵੇ । ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੁਹਾਈ ਪਾਂਦਾ ਤੇ ਪਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ । ਇਹ ਸਾਰਾ Law and Order ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਕੋਈ ਬੰਦ ਕਰਕੇ 144 ਦਫਾ ਦਾ ਜੰਦਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਭ ਅੱਛਾ ਹੈ, Law and Order ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ "ਇਤਨੇ ਡਾਕੂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਇਤਨੇ ਪਕੜ ਲਏ ਗਏ"। ਮਗਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਤੱਅਲੁਕਾਤ, ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਤੱਅਲੁਕਾਤ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦਾ Address ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਭੀ ਨਹੀਂ । ਜਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਭੀ ਹਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ । ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ Motion of thanks ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭੀ ਕਹਿ ਦੇਂਦੇ ਹਨ 'ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ'; ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਇਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । Prices ਗਿਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਮਗਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਉਹ ਪਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਥੋਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ demonstrations ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣ ਗੀਆਂ । ਮਗਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਪਾਣੀ ਦਿਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਕ ਦਮ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ? ਸਿਰਫ ਇਕ ਬਾਦ ਪਾਣੀ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਸੈਂਕੜੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿਤੇ ਹਨ । ਜਦ ਉਹ ਵਾਵੇਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ । ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਭੀ ਮੈਂਬਰ ਦਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ criminal neglect ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬੰਨ੍ਹਾ ਢੇ ਪਿਆ ਤਾਂ engineer ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿਤਾ 'ਟੈਕਸ 6 ਗੁਣਾ ਲਗੇਗਾ' ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਆਖਿਆ 'ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ' ਤਾਂ ਆਖ ਦਿਤਾ 'ਜਾਓ, ਜਾਓ, 6 ਗੁਣਾ ਟੈਕਸ ਲਗੇਗਾ' । ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ engineer ਕੀ ਹੈ । ਸਾਡਾ, ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਇਕ technical ਨੌਕਰ । ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖੇ 'ਜਾਓ, ਜਾਓ' । ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ Law and Order ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਫਿਰ ਧੁੱਸੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ । ਮਗਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬੰਨ੍ਹੀ ? ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਦਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ । ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਆਪ ਨੇ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਕਰ ਲਵੋ । (He may take up some important points he wants to discuss.)

ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ : ਮੈਨੂੰ adjournment motion ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਬੋਲਣ ਲਈ ਵਕਤ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ...

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਮੈਂ ਪੁਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵਕਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 15 ਮਿੰਟ ਮੰਗੇ ਸਨ । (When I enquired from him the time he would like to have, he told me that he wanted only fifteen minutes.)

ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ : ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ (ਹਾਸਾ) । ਧੁੱਸੀ ਦਾ ਬੰਨ੍ਹ engineers ਬੰਨ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ । ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ

ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਰਿਆ ਤੇ ਧੁੱਸੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹਾਂ । ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਚਲਾ ਦਿਆਂਗੇ । ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸਾਥੋਂ 2 ਫੁਟ ਦੂਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਧੁੱਸੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ । ਧੁੱਸੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ? ਜਦ ਪਾਣੀ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਨੱਠਣਗੇ । ਜਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ । ਆਖਿਆ ਇਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, Law and Order ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

ਫਿਰ Co-operative Societies ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ । ਹਰ ਵਕਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ Co-operative movement ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ । ਜੋ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਸਾਈਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਔਖੇ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਪੈਸੇ ਵਕਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ । Administration ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ । ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਵਕਤ ਤੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ Co-operative Society ਨੂੰ ਨਠਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ । ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਤੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕਿ 'Our co-operation movement is getting along very fine' । Governor ਦਾ Address ਹੋਵੇ ਜਾਂ Motion of thanks ਹੋਵੇ, ਹਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ... ...

अध्यक्ष महोदय : मैं ने आप को 5 मिनट ज़्यादा वक्त दिया है जिस में से आप 3 मिनट बोल चुके हैं । (I allowed him five minutes more out of which 3 minutes are over.)

ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ : ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੱਅਲੁਕਾਤ ਕਿਸਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ । Demonstrations ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ।

ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ, ਮੁਜਾਰੇ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਨੇ ਢੋਲ ਪਿਟੋ ਕਿ Administration decent ਹੈ, Development ਬੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ Address ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ। ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ development ਕਿਸ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ development ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਗਰੀਬ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਠੀਕ ਨਹੀਂ । ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਅਛਾ, ਸਭ ਅਛਾ ਕਹਿ ਕੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਢੋਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਭੈੜਾ ਪਾਸਾ ਦਸ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਰਫ਼ਾ ਕਰੇ ।

श्री धर्म वीर वासिष्ठ (हसनपुर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय गवर्नर महोदय के अभिभाषण पर काफी देर से वाद-विवाद चल रहा है और उन का धन्यवाद किया जा रहा है। मेरे कुछ भाई इस धन्यवाद में शामिल होने से गुरज़ कर रहे हैं। अब हमारे मुख्य मन्त्री आप आ गए हैं। मैं इन के सिलसिले में इन का एक लेख अध्यक्ष महोदय, आप के द्वारा पढ़ना चाहता हूं। आप सब जानते हैं कि पंजाब राज्य का एक कौमी रिसाला निकलता है। इस में हमारे मुख्य मन्त्री जी का एक एलान निकला है कि कौमी कैरैक्टर क्या है। आपका कहना है :—

"जब तक हम में से हरेक आला कौमी कैरैक्टर का मालिक नहीं बनता और अपने अन्दर खिदमते मुल्क का जज़बा पैदा नहीं करता तब तक भ्रष्टाचार जैसी बुराइयों को जड़, बुनियाद से उखाड़ फेंकना मुमकिन नहीं। यह अवाम ही हैं जो अपने देश की आत्मा के रक्षक हैं और यह अवाम का आला चलन है जो कौम को बड़ा बनाता है। बददयानती जिस कौम की खसलत में शुमार हो उस कौम का सर दुनिया में कभी ऊंचा नहीं उठ सकता। बददयानत और अदना कैरैक्टर वाली कौम आज़ादी जैसे अनमोल रत्न को भी खो बैठती है। इस लिए हम सब का फर्ज़ हो जाता है कि अपनी आज़ादी की तवक्को के लिए और अपने देश के शानदार भविष्य को महफूज़ बनाने के लिए अपने अन्दर एक आदर्श कौम की खूबियां पैदा करें और बिला-शुबा दयानतदारी इन खूबियों में सब से पहले नंबर पर आती है।"

तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि हमारे मुख्य मन्त्री किस तरह सोचते हैं। मैं ने अभी बतलाया कि कौमी कैरैक्टर में दयानतदारी का कौन सा स्थान है। अव्वल अगर आप इस में ईमानदारी की बात को देखते हैं, पीछे जब control का ज़माना था तो जनता में, लोगों में और अफसरों में बेईमानी और बददयानती पूरे ज़ोरों पर थी। यह देश के विकास और देश की उन्नति में बाधा है। इस के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि इस को दूर किया जाए। यह कई जगहों पर अब भी है। आप सब जानते हैं कि जो रुपया National Plan Loan के रूप में collect किया गया है वह डेढ़ सौ करोड़ के करीब है। यह रुपया हम सब ने कई जगहों से savings से और अन्य कामों से बचा कर दिया है। अब इस रुपया को Community Projects और अन्य देश की विकास योजनाओं पर खर्च किया जा रहा है। मैं यह नहीं चाहता कि इस रुपया को Community Projects पर खर्च न किया जाए। खर्च ज़रूर हो परन्तु कड़ी निगरानी में हो। हमारे माननीय मुख्य मन्त्री तथा माननीय विकास मन्त्री जानते हैं कि यह रकम किस प्रकार खर्च की जा रही है। हमें यह देखना चाहिए कि जो रुपया बैलों के लिए लिया जाए या कुएं खोदने के लिए लिया जाए वह उसी काम पर खर्च किया जाए।

अध्यक्ष महोदय, आज हम देखते हैं कि किस तरह रुपया खर्च किया जा रहा है। Bombay State ने एलान किया कि उन्होंने पांच साल के लिए रखा गया रुपया ४ साल में खर्च कर दिया है। इसी तरह कई अन्य राज्यों से भी खबर आई है। इस में तो मुझे कोई कमाल नज़र नहीं आता कि रुपया कम समय में खर्च कर दिया गया। कमाल तो इस में है कि रुपया किस अच्छे ढंग से खर्च किया गया।

मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि अब दूसरी पंच-वर्षीय योजना पर भारी रकम खर्च होनी है तो इस खर्च पर कड़ी निगरानी रखी जाए। इस रकम को इस तरह खर्च किया जाए जिस तरह महात्मा गांधी खर्च किया करते थे। वह एक एक पैसे का हिसाब रखते थे। दो-दो आने की रसीद बनाया करते थे। इस लिए मैं निवेदन करता हूं कि जो रुपया अब दिया जा रहा है इस का पूरा record रखा जाए। इस की भली प्रकार देख-भाल की जाए। Community Projects पर और Extension Blocks पर जो रुपया खर्च हो रहा है उस की देखभाल के लिए एक Advisory Committee पहले से ही बनी हुई है पर यह कमेटी सारे खर्चों को अच्छी तरह देख नहीं पाती। वह सैंटरों में जाती है परन्तु उस के पास समय ही नहीं होता कि वह खर्चों की details को देख सकें। उन के आने पर Community Projects में कुछ काम कर के दिखा दिया जाता है। इस तरह इन स्कीमों पर रुपया ठीक तौर पर खर्च नहीं किया जा रहा है। इस खर्च को ज़रूर check करना चाहिए।

(At this stage Mr. Deputy Speaker occupied the Chair.)

खर्चों को कम करने के लिए ईमानदारी की ज़रूरत है। ईमानदारी लोगों में भी हो और अफसरों में भी हो।

अब मैं एक और बात का ज़िक्र मुख्य मन्त्री के सामने करना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ने देहातों में dispensaries खोल रखी हैं। वहां के खर्च को आप देखें तो पता चलता है कि हरेक dispensary का एक डाक्टर होता है। जिसे 150-200 रुपए मासिक तनखाह मिलती है। एक compounder होता है। 1-2 नौकर भी होते हैं। सब पर कोई 400 रुपए मासिक तनखाह पर खर्च किये जाते हैं। अब अगर कोई यह पूछे कि वहां पर दवाई का खर्च क्या है तो पता चलता है कि सारे साल में 400 रुपए की दवाई खरीदी गई चारसौ रुपया से भी कुछ काट कूट कर कम रह जाता है। इस तरह अन्दाज़े से कोई एक रुपया रोज़ की कीमत की दवाई खर्च होती है। ऐसी हालत में देहातियों को कैसे लाभ पहुंच सकता है।

फिर, उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने Social Pattern की State का नारा लगाया है। इस लिए इस तरह के राज्य में हमें सब दिखाना होगा कि कितना रुपया दवाइयों पर खर्च किया गया और कितना वेतन पर। हाल ही में बल्लबगढ़ में $1\frac{1}{2}$ लाख रुपए की building तैयार की गई है। इस में लोगों ने ज़मीन दी है और 20 हज़ार रुपया भी दिया है। अगर इस से लोगों को लाभ न हो तो लोग मायूस होंगे। फिर गवर्नमेंट 16 लाख रुपया इस सम्बन्ध में खर्च कर रही है। पिछली दफा गवर्नर साहिब ने अपने अभिभाषण में इस के मुतअल्लिक ज़िक्र किया था और Nationalisation of Transport पर जोर दिया था। अब सरकार इतना ज़ोर नहीं दे रही। Routes भी लिये जाने की कोई बात नहीं कही गई।

अब मैं एक खास बात का ज़िक्र करता हूं। गवर्नर साहिब ने अपने ऐड्रैस के आखिर में यह कहा है—

> That all Separatists and fissiparous tendencies should be checked and every attempt at impairing the solidarity of the State put down with a strong hand.

[श्री धर्म वीर वासिष्ठ]

मैं ने इसे ग़ौर से पढ़ा और यहां पर मेरे भाईयों ने भी कुछ तकरीरें कीं। Communalism का फैलना यहां पर बड़े अफसोस का मुकाम बनता जा रहा है। हमें इस बारे में मिल कर सोचना चाहिये कि Communalism फैलाने का क्या नतीजा होगा। इस से मुल्क की solidarity और security खत्म हो जायेगी। मैं ने fissiparous के मायने dictionary में देखे इस का मतलब है propagating division, self-division जिस की शक्ल reorganisation होती हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि हम लोग भी तो इस देश की reorganisation करना चाहते हैं। separatist tendencies का मतलब यह है कि यह सरकार एक ऐसा अख्तियार लेना चाहती है कि separatist tendencies किसी शक्ल की भी हो—Reorganisation of States या non-communal character की भी जैसा कि अम्बाला Division के लोग पंजाब गवर्नमेंट के सामने case रख रहे हैं। मैं इस की इजाज़त नहीं दे सकता। मैं तो चाहता हूं कि ऐसे कदम उठाये जायें जिस से हमारी State को मजबूती और ताकत मिले। राष्ट्रभाषा के गांधी जी समर्थक थे। वह हकूमत बेकार है जहां एक छोटा बच्चा मातृ-भाषा न पढ़े। Division का मतलब कुछ नहीं निकलता। मैं यह नहीं चाहता कि हमारे सिख भाई मुल्क के ग़ैर-वफादार हों या ग़द्दार साबित हों। जैसे हरयाना का ज़िला लोगों के सामने है। मेरे मतलब को ग़लत न समझा जाये मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल ग़लत समस्या है। हरयाना ज़िला के लोग और अकाली गठजोड़ बना रहे हैं। यह communal tendency बिल्कुल ग़लत चीज़ है। इस की तरदीद मैं सब के सामने करता हूं। हमें इन सब बातों को ठंडे दिल से सोचना चाहिए और उन के points of view को भी समझना चाहिए। यह मामला sub-judice है इसलिये न इस में गवर्नमेंट का हाथ है और न Opposition का। गवर्नर साहिब के ऐड्रैस का भी यह मतलब है कि वह इन भाइयों की communal tendency को अच्छा नहीं समझते। मैं यह कह कर गवर्नर साहिब का शुक्रिया अदा करता हूं कि जो तरक्की की स्कीमों का उन्होंने ज़िक्र किया है वह काबले दाद हैं। तरक्की करने के लिये यह ज़रूरी है कि हम सब लोग मिल कर चलें। मैं आखिर में दरखास्त करूंगा कि हमें प्रांत में बेहतर फज़ा पैदा करने की पूरी पूरी कोशिश करनी चाहिये।

श्री रला राम (मुकेरियां) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया है उस के सम्बन्ध में धन्यवाद का प्रस्ताव इस सदन के सामने है। सब से बड़ी बात जिस पर ज़ोर दिया गया है और इस अभिभाषण के शुरू में दिया गया है वह यह है कि State के अन्दर Law and Order की जो अवस्था है वह बड़ी संतोषजनक है। कुछ माननीय मैम्बरों ने इस बात पर कड़ी नुक्ताचीनी की है। मुझे इस बात का ढिंढोरा पीटता जाना कुछ अच्छा प्रतीत नहीं होता। मैं समझता हूं कि Law and Order एक basic चीज़ है। जिस State के अन्दर यह बुनियादी चीज़ नहीं पाई जाती वह State न तो मज़दूर की हालत को बेहतर बना सकती है न किसान की हालत को बेहतर बना सकती है और न ही तरक्की का कदम उठा सकती है। इसलिये अगर गवर्नर

महोदय ने बजा तौर पर Law and Order का ज़िक्र किया और हमारे प्रस्तावक ने इस के लिये गवर्नर की प्रशंसा की तो मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल सही बात है। इस संतोषजनक स्थिति पर हम बजा तौर पर फख्र कर सकते हैं। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि हमारी एक border State (सीमा प्रांत) है। अगर यहां किसी सूरत में शान्ति की अवस्था वह नहीं रहती जो होनी चाहिये और बिगड़ जाती है तो इस से महज़ पंजाब ही खतरे में नहीं पड़ता बल्कि सारा भारत ही खतरे में पड़ जाता है। इस लिये इस Law and Order के लिए जो अपनी State के अन्दर हम देखते हैं मैं समझता हूं कि हमारे मुख्य मन्त्री, Cabinet और हमारे जो Administration के Heads हैं वह इस बात के पात्र हैं कि हम उन का धन्यवाद करें। विन्ध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश और दूसरे प्रदेशों में डाकुओं की संख्या इतनी बढ़ती जा रही है कि साधारण आदमी अपनी ज़िन्दगी को सुरक्षित नहीं समझता। क्या हम बजा तौर पर फख्र नहीं कर सकते कि पंजाब जो एक सीमा प्रांत है वहां Law and Order की अवस्था संतोषजनक है जहां हर एक आदमी बग़ैर किसी खतरे के रहता है। जहां हर एक आदमी बिना किसी खतरे के प्रांत के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जा सकता है। जब भी डाकुओं और लुटेरों ने सिर उठाने की कोशिश की तो मैं अपनी सरकार का धन्यवाद करता हूं कि उस ने फौरन अपने मज़बूत हाथ से लुटेरों और डाकुओं को दबा दिया।

गवर्नर महोदय ने अपने ऐड्रेस में इस बात का ज़िक्र किया है कि फिरकापरस्त जमायतें अपना सिर उठाती जा रही हैं। हमारी गवर्नमेंट का कर्तव्य है कि वह पूरी दृढ़ता से उन का मुकाबला करे और उन्हें इस बात की इजाज़त न दें कि इस राज्य के अन्दर जो शान्ति की अवस्था है उसे तोड़ सकें। मैं समझता हूं कि उन्होंने बजा तौर पर कहा है कि जब इस किस्म के फिरकापरस्त हमारे राज्य में मौजूद हैं जो बग़ावत की धमकियां देते हों जो violence का openly प्रचार करते हों, अखबारों के अन्दर लेख लिख कर छापते हों उन्हें ऐसा करने से बाज़ रखने में हम किसी तरह पीछे नहीं हटेंगे। मैं समझता हूं कि अगर हमारा शासन किसी तरह से ढील करता है तो प्रांत के साथ गद्दारी नहीं बल्कि सारे देश के साथ गद्दारी करता है। इसलिये मैं यह समझता हूं कि हमारे गवर्नर महोदय हमारे धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने इस बात की तरफ इस सदन की तवज्जुह दिलाई है कि गवर्नमेंट इस मामले से लापरवाह नहीं है। गवर्नमेंट इस बात की इजाज़त नहीं देगी कि कोई जमायत किसी तरह से प्रांत की शान्ति की अवस्था के साथ खेल खेले। मैं समझता हूं कि Cabinet, चीफ मिनिस्टर और Administration के Heads इस बात के लिये हमारे धन्यवाद के पात्र हैं। अभी माननीय मेम्बरों की तरफ से इस बात की तरफ इशारा किया गया कि separatist tendencies जो हैं वह ऐसी शकल इख्तियार नहीं कर रहीं कि उन्हें हम खतरनाक समझें।

मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि जिस उदारता के साथ पंजाब की वर्तमान कांग्रेस सरकार अल्प-संख्यक जातियों से सलूक कर रही है उस की मिसाल पंजाब के इतिहास के अन्दर नहीं मिलती (*Cheers*) इन लोगों के अधिकारों को कहीं भी नज़र अन्दाज़ नहीं किया गया। चाहे departments के heads हैं चाहे दूसरे अफसर, इन की नियुक्तियां हमारी कांग्रेस सरकार फिरकादारी के भाव से ऊपर हो कर करती रही है। यदि parity

[श्री रला राम]

को उड़ाया गया है, तो किन लोगों के हक में उड़ाया गया है। हमारी गवर्नमेंट हर काम में हर चीज़ में national angle of vision को सामने रखती रही, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। खेद की बात है कि पंजाब गवर्नमेंट की इस उदारता के बावजूद कुछ लोग ऐसे हैं जो इस कांग्रेस सरकार को धमकियों से डराना चाहते हैं। वे धमकियां देते चले जाएं, मुझे विश्वास है कि गवर्नमेंट ऐसे दृष्टिकोण रखने वाली जमातों को सिर नहीं उठाने देगी, प्रांत की शांति भंग नहीं करने देगी। उन को पंजाब के अमन के साथ खेलने की आज्ञा नहीं दी जाएगी। जहां तक उदारता और nationalist policies पर चलने का ताल्लुक है, आप compare कर के देखें, कौनसा राज्य है जिस में हमारे प्रांत से ज्यादा nationalist policy follow की जा रही है। हमें इस बात पर प्रसन्नता है कि फिरका-परस्ती को हमारी गवर्नमेंट ने किसी तरह भी अपने Departments में दाखिल नहीं होने दिया। हमें खुशी होनी चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट ने यह एलान किया है कि वह उन लोगों की धमकियों से नहीं डरेगी जो धमकियां दे कर ज्यादा से ज्यादा नाजायज़ हकूक हासिल करना चाहते हैं। इस सदन का कर्त्तव्य है कि वह इस मामला में गवर्नमेंट को पूर्ण सहयोग दे। मैं इस एलान के लिए गवर्नर महोदय को हार्दिक धन्यवाद देता हूं और एक-दो बातें तालीम के सम्बन्ध में कह कर बैठ जाता हूं।

इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि पिछले साल तालीम में काफी तरक्की हुई है। एक साल के अर्से में तीन हज़ार नए स्कूलों का खुल जाना एक ऐसा रिकार्ड है जिस पर हमारे Education Minister साहिब बजा तौर पर फख़्र कर सकते हैं लेकिन एक बात है जो मैं आप के द्वारा Cabinet तक पहुंचाना चाहता हूं।

यदि हम educational expansion के programme द्वारा राष्ट्रीय-आचरण (national character) को ऊंचा करना चाहते हैं, तो सब से पहले टीचर की हालत बेहतर होनी चाहिए। इस बात की ओर उतनी तवज्जुह नहीं दी जा रही जितनी दी जानी चाहिए। Teachers की emoluments बढ़नी चाहिए, उनका समाज के अन्दर जो मान (status) है, उसको ऊंचा करने के प्रयत्न किए जाने चाहिएं। इस वक्त teachers असंतुष्ट हैं, चौबीस घंटे ही उन्हें अपनी रोज़ी की चिन्ता लगी रहती है। उन्हें अपनी रोज़ी कमाने के लिए ऐसे methods adopt करने पड़ते हैं कि जिन से educational mission कमज़ोर हो जाता है। इस लिए आप के द्वारा मैं Education Minister साहिब और Cabinet का ध्यान इस आवश्यक मामले की ओर दिलाना चाहता हूं कि तालीम की तरक्की के लिए जो सराहनीय यत्न वे कर रहे हैं, वह निष्फल रहेंगे यदि teachers की हालत को बेहतर और उन के status को ऊंचा न किया गया।

गवर्नर महोदय ने इस बात की तरफ इशारा किया है कि सरकार उन इलाकों के लिए कुछ करना चाहती है जहां पीने का पानी नहीं मिलता मगर यह स्पष्ट नहीं किया गया कि किस किस्म की कार्यवाही किए जाने का ख्याल किया जा रहा है। दुर्भाग्य की बात है कि हमारे प्रांत में अब भी ऐसे इलाके हैं जहां गर्मियों में लोगों को 6, 7 मील से पीने के लिए पानी

लाना पड़ता है। यह इलाके तहसील ऊना और ज़िला कांगड़ा में हैं। पानी ज़िन्दगी के लिए निहायत ज़रूरी चीज़ है। इस मामले की ओर शीघ्र ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि वह लोग सुख की सांस लें।

इन शब्दों के साथ मैं गवर्नर महोदय का इस भाषण के लिए जो उन्होंने दिया है हार्दिक धन्यवाद करता हूं।

श्री बाबू दयाल (सोहना) : उपाध्यक्ष महोदय, अगर्चे जो गवर्नर साहिब का धन्यवाद किया गया है उस से तो मैं सहमत हूं क्योंकि वह Constitutional head हैं परन्तु हकीकत यह है कि उनके भाषण में बहुत सी निहायत ज़रूरी बातों का ज़िक्र तक नहीं किया कि भाखड़ा डैम नहर गुड़गांवां क्यों नहीं जावेगी।

इस से पहली गवर्नमेंट तो फरदन २ यह कहती चली आई है कि इस का पानी हरियाना के ज़िलों को आम तौर पर और गुड़गावां को खास तौर पर दिया जाएगा। वह इस का बार-बार ज़िक्र करती रही है, और इस की चमकदार तसवीर पेश करती रही है। बताया जा चुका है कि इस से तीन लाख एकड़ ज़मीन सैराब होगी, 80 करोड़ के करीब रुपया खर्च हो चुका है परन्तु अभी तक Dam तैयार नहीं हुआ। इस के अलावा भाखड़ा canal की एक और dark side भी है जो 6 बातों पर मबनी है।

पहली बात यह है कि ' the aim of the Bhakra Dam has been lost'. इस नहर के निकालने का असली मकसद जो पहली सरकारों के सामने था हरियाना को आम-तौर पर और अपने ज़िला गुड़गांव को खास तौर पर पानी supply करना। यह स्कीम उस वक्त बनी थी जब West Punjab में थल प्रोजेक्ट और हवेली प्रोजेक्ट बनाए गए थे।

ज़िला गुड़गांव सारे पंजाब में सब से ज्यादा पिछड़ा हुआ ज़िला है। इस में 450 ऐसे गांव हैं जहां लोग पीने के पानी को तरसते हैं। वहां भाखड़ा नहर का आज एक कतरा पानी का नहीं दिया जा रहा। इस तरह इस नहर के बनाए जाने का मकसद फौत हो गया है।

डिप्टी स्पीकर साहिब, भाखड़ा बनाया तो इस लिये गया था कि ज़िला गुड़गांवां जैसे पिछड़े हुए इलाकों को पानी सप्लाई किया जाए। परन्तु इस का पानी जाएगा वहां जहां पहले से नहर मौजूद है, जैसे पटियाला, जालंधर और बीकानेर के इलाकों को पानी दिया जाएगा। लेकिन गुड़गांवां में कहीं नहर का नामोनिशान भी नहीं है। लोगों को खेती के लिए न सही पीने तक के लिए पानी नहीं मिलता। इस लिए यदि दूसरी बात भाखड़ा के लिये यह कह दी जाए तो अच्छा है कि भाखड़ा is a cart before the horse.।

तीसरी बात यह है कि "Bhakra is an instance where the servant rules the master" अर्थात् Bhakra ऐसी जगह है जहां पर नौकर मालिक पर हुकमत करता है। क्योंकि कांग्रेस सरकार इस बात का दावा करती थी कि हम जनता के सेवक हैं। जनता चाहती थी नहर जावे गुड़गांवा परन्तु सेवक ले गया

[श्री बाबू दयाल]

जालन्धर इत्यादि स्थानों पर। मैं इसी सिलसिले में यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि आज से 14, 15 वर्ष पहले हरियाना में एक agitation हुआ था जिस के चलाने वाले श्री ठाकुर दास जी भार्गव जी और पंडित नेकी राम शर्मा जी थे। मैं ने भी उस समय Ministry को challenge किया था कि या तो इस इलाके में नहर लाओ और या Ministry को छोड़ जाओ। उस agitation में हम सब लोगों ने जनता को सर सिकन्दर के वादे पर बचन दिया था कि गुड़गांवा में नहर अवश्य आएगी परन्तु आज मुझे बहुत शर्म आती है इस बात की कि जो लोग आज गवर्नमेंट के मालिक बने हुए हैं और जिन्होंने agitation किया था और जो दावे करते थे, कि Bhakra Dam से हरियाना में नहर लाई जाएगी आज वही लोग कहते हैं कि यह नहर गुड़गावां में नहीं जा सकती। इस की वजह यह बताते हैं कि उस इलाका का level ऊंचा है। परन्तु दुबलदन माजरा गुड़गांवां से बहुत ऊंचा है वहां तो engine लगा कर तो पानी दे सकते हैं लेकिन गुड़गांवां में नहर नहीं जा सकती।

डिप्टी स्पीकर साहिब, इस से आगे Bhakra Dam की चौथी काली तस्वीर यह है कि " Charity begins in foreign rich countries " कितने ही memoranda और representations जो Chief Minister साहिब को भेजे जाते हैं उनकी कापियाँ हमें भी लोगों से भेजी जाती हैं। उन में लिखा होता है कि किस तरह America के मामूली २ काम करने वाले लोगों को बहुत बड़ी २ तनखाहों पर लाकर नौकर रखा जाता है। उन को हज़ारों रुपए तनखाहें कहां से दी जाती हैं ? ग़रीब आदमियों की जेब से निकाल कर. पंजाब जैसे ग़रीब किसानों और मज़दूरों की जेब से निकाल कर अमरीका जैसे धनी मुल्क के मज़दूरों को पाला जाता है। भाखड़ा की यह भी एक काली तस्वीर है।

इस से आगे एक और काली तस्वीर है। वह है "Bhakra is a history of scandals." अर्थात् भाखड़ा क्या है ? यह scandals की history है। इस काम में 40 करोड़ रुपया ग़बन हो गया था रिश्वत में लुट गया है। जब यह सरकार और इस के सहयोगी राजपाल के भाषण में बड़ी सुन्दर Address में भाखड़ा का नाम सुनते हैं तो तालियां लगाते हैं। इन्हें शर्म नहीं आती कि जिस सरकार ने इतना ग़बन करवाया, लूट खसूट मचाई उस की तारीफ करते हैं। जब बार बार हाऊस में इस बात का ज़िक्र किया गया तो कहते हैं कि Anti-Corruption Committee बैठा दी गई है। रुपया Central Government दे और वह इस तरह बर्बाद कराया जावे लूट लिया जावे और तुर्राह यह कि इस पर ये पंजाब सरकार इतने लम्बे चौड़े दावे करती हैं। मैं पूछता हूं कि कि ये लोग किस चीज़ का credit चाहते हैं ? न तो इन्होंने नहर निकाली और न ही पहली गवर्नमैण्ट निकाल सकी, और जब Central Government ने रुपया दिया तो आधा रुपया उस में से लुटवा दिया फिर इतने लम्बे चौड़े दावे करते हैं।

अगली picture है "Bhakra is a means of winning election." ये तो Election जीतने का ज़रिया बना रहे हैं। इसी की बिना पर ज़मींदारा Government

ने तीन Elections जीते थे और अब उसी तरह यह गवर्नमैण्ट भी Election जीतने का stunt बना रही है जिस की तारीफ करते २ नहीं थकते।

डिप्टी स्पीकर साहिब, इस के आगे इन्होंने पंचायतों की बहुत तारीफ की है। कहते हैं कि पंजाब प्रदेश में 9 हज़ार पंचायतें कायम कर दी हैं। पहली जमींदारा गवर्नमैण्ट ने इस बात की खोज की थी कि पंजाब का किसान क्यों गरीब है। यह चीज़ surface पर आई थी कि पंजाब के किसानों का करोड़ों रुपया मुकद्दमा बाज़ी पर खर्च होता है। इस खर्च को घटाने के लिये एक ऐक्ट भी बनाया गया था। मगर हमारी सरकार ने इस चीज़ को रोकने के लिए क्या किया है। जिन पंचायतों पर इन को फख्र है मेरे साथ कोई Minister या इन की पार्टी का कोई आदमी चल कर देखे तो असलियत वाज़ह हो जाएगी। उन को यह भी पता नहीं कि summons किस तरह issue किये जाते हैं। कहते हैं कि 9 हज़ार पंचायतें कायम कर दी हैं। शायद ही कोई ऐसी पंचायत हो जिस में ग़बन न होती हो और अगर कोई शिकायत की जाती है तो कोई सुनता नहीं। अव्वल दर्जे के शराबी और रिश्वतखोरों को सरपंच बनाया गया है। मुझे एक मिसाल याद आ गई है। एक तहसील अफसर ने एक सरपंच की शिकायत की Assistant Director साहिब ने उस सरपंच को certificate दे दिया कि उस के विरुद्ध जो शिकायत की गई थी वह गलत थी। इस पर Tehsil Panchayat Officer ने as a protest अपना इस्तीफा दे दिया तो Assistant Director साहिब ने उसका इस्तीफा मन्जूर कर लिया। डिप्टी स्पीकर साहिब, यह हैं पंचायतों और हमारी गवर्नमैण्ट के कारनामे। मैं देहात में रहता हूं इस लिये मैं जानता हूं कि हमारी गवर्नमैण्ट की कारगुज़ारी क्या है और पंचायतें क्या हैं। बेचारे शहरी लोग समझते हैं कि शायद देहातों में बहिश्त बन गया है। देहाती लोगों की बहुत बुरी हालत है और वकील लोग मज़े करते हैं। जब कभी मुझे Bar Association में जाने का मौका मिलता है तो वकील लोग कहते हैं कि पंजाब सरकार का भला हो जिस ने पंचायतें कायम कर दी हैं। हमारी practice पहले बहुत कम हो गई थी अब पंचायतें खुलने से खूब practice चल पड़ी है।

डिप्टी स्पीकर साहिब, एक और बहुत अहम मसला मैं अर्ज़ करना चाहता हूं। वह मसला Muslim Meos का मसला है। वे बहुत Nationalist लोग हैं। उन के दिल में हिंदू और मुस्लिम की तमीज़ नहीं है। वे लोग अपनी रवायात कायम रखते हैं। एक इलाके के लोग आपस में भाई भाई बन कर रहते हैं। हिंदू और मुस्लिम सब भाई भाई होते हैं। मुझे एक बात याद आ गई हैं। एक बार एक मुस्लिम ने एक हिंदू लड़की को रोक लिया तो उस के इलाके के लोग दोनों—हिंदू और मुस्लिम चढ़ कर आ गए। दूसरी तरफ से भी हिंदू और मुस्लिम चढ़ कर आ गए। नतीजा यह हुआ कि घमासान युद्ध हुआ और 600 आदमी मारे गये। Police का कप्तान बैठा देखता रह गया। बाद में दोनों पार्टियों ने बैठ कर फैसला किया कि लड़ाई तो हो ली अब सब की लाशों को सम्भाल लिया जाये। चुनांचे हिंदुओं की लाशों का दाह संस्कार किया गया और मुस्लिमों को दफना दिया गया। वे लोग देश के बड़े वफादार हैं उन के चार पांच सौ घर आज तक आबाद नहीं हो सके। हम ने बड़ा शोर मचाया, वज़ीरों को बार बार कहा जब हम ने देखा कि यह मंडली तो बैकुंठ को जाने वाली है तो हम अलग हो गये।

[श्री बाबू दयाल]

अगली बात, जनाबे वाला, जिस का मैं जिक्र करना चाहता हूं वह है Consolidation of Holdings के मुतल्लिक । Thanks की motion की mover श्रीमती सीता देवी जी ने भी इस बात का जिक्र करते हुए कहा है कि सरकार ने इस पर पांच करोड़ रुपया खर्च कर दिया है। मैं कहता हूं कि खर्च करने के लिये तो हमारी गवर्नमैण्ट बड़ी होशियार है। कैसे ? इस तरह कि 80 करोड़ रुपये में से 40 करोड़ रुपये का गबन हो जाता है। इस लिये अगर 5 करोड़ की बजाए 10 करोड़ भी खर्च कर दिया होता तो कोई बात नहीं थी। मगर उस खर्च करने से फायदा क्या हुआ ? सिवाए इस के हर मरहले पर अफसर लोग रिश्वत का बाजार गरम रखते हैं। मैं चैलेंज करता हूं कि जो बेईमान अफसर हैं वे तो इस सरकार के राज्य में मौजें उड़ा रहे हैं और ईमानदार और भले आदमी हैं उन को मुफ्त में सजाएं दी जाती हैं। मैं आप को एक केस की बाबत बताना चाहता हूं। एक बड़ा ईमानदार तहसीलदार था। उस के बाप-दादा ने भी कभी रिश्वत नहीं ली होगी। लेकिन उस बेचारे को revert करके नायब-तहसीलदार बना दिया गया। जब मिनिस्टर साहिब के नोटिस में यह बात लाई गई कि साहब इस भले मानस आदमी को क्यों सज़ा दी गई है तो उस की कोई परवाह नहीं की गई। हम पांच छः ऐम. एल. एज़. इस चीज़ को लेकर उन के पास गए और उन को विश्वास दिलाया कि यह आदमी corrupt नहीं और ईमानदार है। डिप्टी स्पीकर साहिब, आप सुन कर हैरान होंगे कि जवाब में उन्होंने कहा कि अच्छा, ईमानदार ही सही। यही समझिए कि यह सज़ा उसे ईमानदार होने के लिये दी गई थी। हो सकता है कि उस का कोई मातहत रिश्वत लेता हो, इस लिये उस को यह सज़ा दी गई हो। मैं ने उन्हें कहा कि अगर ऐसी बात है कि एक मातहत के कसूर करने पर उस के ऊपर वाले को सज़ा मिलनी हो तो सब से ज्यादा सज़ा तो आप को और हम को मिलनी चाहिये क्योंकि गवर्नमैण्ट को चलाने वाले तो आप हैं और आप को गवर्नमैण्ट की गद्दी पर बिठाने वाले हम हैं क्यों न हमें और आप को ही सज़ा मिलनी चाहिए। जब हम और आप सज़ा नहीं पाते तो उस गरीब और ईमानदार आदमी को इस लिये क्यों सज़ा मिली क्योंकि उस के किसी मातहत ने कोई रिश्वत खोरी का काम किया था ?

इस के अलावा, डिप्टी स्पीकर साहिब, आप उस नजरिये को ही लीजिए जो कि देहातों के बारे में इस गवर्नमैण्ट का है। बार बार यह शोर मचाया जाता है कि देहातियों के interest का इस सरकार के राज में पूरा २ ख्याल रखा जाता है है। पर मैं समझता हूं कि यह सब कहने सुनने की ही बातें हैं। असल में उन के interests को बिल्कुल नजर अंदाज़ा किया जाता है। आप को याद होगा कि जमींदारा गवर्नमैण्ट के वक्तों में भी यह कहा गया था कि वनस्पती घी में रंग डाल दिया जाये और इसे स्टेट के अन्दर दाखिल करने पर पाबन्दी लगा दी जाये लेकिन यह ऐसा नहीं किया गया। नतीजा यह हुआ कि देहातों के अन्दर घी बनाने की जो थोड़ी बहुत industry थी वह बिल्कुल खत्म हो गई— खास कर हरियाना प्रान्त में। वनस्पती के आने से पहले बेचारे गरीब किसान दो अढ़ाई सेर घी जो भी वह निकाल सकते थे बाज़ार में ले आते थे और बेच कर थोड़ा बहुत गुजारा कर लिया करते थे। लेकिन अब तो बेईमान आदमी के पौबारह हैं। लोग गांव में जाकर घी ले आते हैं— सस्ते भाव पर और उस में नकली घी मिला कर दोगुनी और चौगुनी रकम का लाभ उठा लेते हैं। दो रुपए सेर डालडा घी लेकर

उस में कुछ देसी घी मिला लेते हैं और 6 रुपये सेर बेच लेते हैं। अब आप ही बतावें कि यह गवर्नमेंट जो कि देहातियों के नाम पर नाना प्रकार के दावे करते नहीं थकतीं, उन की बेहतरी के लिए क्या कर रही है ? सिवाए खेती बाड़ी के इस सरकार ने देहातियों के लिये और क्या काम छोड़ रखा है ? जितनी भी Cottage Industries देहातों में पहले थीं वे सब की सब आप ने खत्म कर दी हैं। और जो थोड़ा बहुत दूसरा काम था, वह वनस्पति घी ने खत्म कर दिया है। (इस वक्त उपाध्यक्ष महोदय ने लगातार घंटी बजाई) जनाबे वाला! कहने को तो अभी बहुत सी बातें थीं जिन की amendments का नोटिस भी मैंने दिया हुआ है, लेकिन चूंकि आप का हुक्म है इस लिये इन लफ़ज़ों के साथ मैं अपनी जगह पर बैठ जाता हूं।

राम्रो गजराज सिंह (गुड़गांव) : डिप्टी स्पीकर साहब, एड्रैस के मुतअल्लिक आज जो बहस की गई वह बहुत आला पैमाने पर की गई अगर्चे कुछ एक ऐसे मामलों का भी ज़िक्र किया गया था। इस में शक की कोई गुंजाइश नहीं कि जहां सारे हिंदुस्तान में तरक्की का दौर है वहां हमारी पंजाब स्टेट भी बड़ी तेज़ी से तरक्की के रास्ते पर आगे जा रही है। इस अमर से कभी भी इनकार नहीं किया जा सकता। इस तरक्की के मुतअल्लिक गवर्नर साहिब के Address में जो भी references आए हैं वह सही हैं। यह जो तरक्की हम ने की है इस के लिये सूबे के हर आदमी को खुशी हुई है और आज हम बड़े फ़ख्र के साथ यह कह सकते हैं कि हमारे सूबे में आज तरक्की का एक दौर चल रहा है। इस तरक्की के कामों पर लगाए गए हमारे माहरीन की तनखाहें चाहे ज़्यादा हैं या कम लेकिन जिस लगन, हिम्मत और हौसले से वे इन कामों को सरअंजाम दे रहे हैं उस पर हमें नाज़ है और उन का काम काबले दाद है। इन सब चीज़ों को सामने रखते हुए हम बजा तौर पर अपनी हकूमत को और गवर्नर साहब को मुबारकबाद दे सकते हैं।

6-0 p. m.

लेकिन डिप्टी स्पीकर साहब, हाऊस का ज़्यादा वक्त न लेता हुआ चन्द बातें ऐसी हैं जिन की तरफ आप के ज़रिये सरकार की तवज्जुह दिलाना चाहता हूं और जिन का राज्यपाल जी के भाषण में कोई ज़िक्र नहीं आया। खास कर उन बातों की ओर मिनिस्टर साहिबान का ध्यान दिलाना चाहता हूं जिन की ओर मेरे दोस्त श्री बाबू दयाल और दूसरे साथियों ने भी इशारा किया है। आप को मालूम है कि पंजाब के सूबे में बदकिस्मती से एक ज़िला गुड़गावां भी है। उस की अभी तक कोई भी नुमायां तरक्की नहीं की गई है—उसे तरक्की से महफ़ूज़ रखा गया है। शायद उसे एक नमूने के तौर पर रखा गया है कि तरक्की करने से पहले पंजाब का ऐसा (अब के गुड़गावां जैसा) नमूना था और तरक्की के बाद यह हालत है जो कि दूसरे मशहूर ज़िलों की है। अगर यह बात है कि इसे नमूने के तौर पर दूसरे लोगों को दिखाने के लिए रखा गया है तब तो ठीक है—मैं इस से सहमत हूं। रखना भी चाहिये। जैसे ज़रायत के मामले में महकमे वाले बीज दिखाया करते हैं कि देखिये यह पुरानी किस्म के बीज और अब हमने research करके बीज में कितना सुधार किया है।

डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे समझ नहीं आती और मैं हैरान हूं कि बराबर सालहा साल से गुड़गांव ज़िले को क्यों नज़र अंददाज़ किया गया है और किया जा रहा है। इस में किसी पार्टी के लिहाज़ का कोई ताल्लुक नहीं। हर साल हम इस के लिये इस की तरक्की के लिये आप के दरवाज़े खटखटाते हैं। लेकिन समझ नहीं आती कि क्यों इस का गवर्नमेंट पर कोई असर नहीं होता।

[राम्रो गजराज सिंह]

अगर आप समझते हैं कि गुड़गांव का पंजाब की तरक्की में कोई हिस्सा नहीं तो क्यों नहीं आप कहते— क्यों नहीं आप साफ़ तौर पर कहते कि गुड़गांव पंजाब में शामिल ही नहीं, यह पंजाब से बाहर ज़मीन का एक टुकड़ा है। मेरे दोस्तों ने कई बार यह शिकायत की है कि गुड़गांव के लोग हिम्मत नहीं करते हौसला नहीं करते अपनी तरक्की के लिये। मैंने अपने कई दोस्तों को बुलाया और कहा कि देखिये तो सही, गुड़गांव के लोग भी voluntary काम में कितना हिस्सा ले रहे हैं। सो आज के दिन लोगों ने मिल कर 47 मील लम्बी सड़क खुद बनाई, खुद मिट्टी डाली, पत्थर डाले और सारा काम किया। लेकिन जब गवर्नमैण्ट के नाम का हिस्सा आया तो कहने लगे कि इस में गवर्नमैण्ट का कोई हिस्सा नहीं। मैं हैरान हूं कि पंजाब में और ज़िलों में तो आंखें मूंद कर रुपया खर्च किया जा रहा है लेकिन क्या गुड़गांव के भाग्य में ही कुछ लेना नहीं लिखा? आज सूबे में हमारी अपनी हकूमत है। इस लिये मैं बड़े ज़ोरदार लफ़ज़ों में यह कहना चाहता हूं कि ऐसी discrimination नहीं होनी चाहिए। इस मौके पर मैं एक बात का ज़िक्र किए बिना नहीं रह सकता। हमें नाज़ है किदवाई साहिब मरहूम पर। हम उन के पास अपनी मांग लेकर गए। जब हम ने सारी बातें उन के सामने रखीं तो बड़ी दरिया दिली से उन्होंने फरमाया कि आप फिक्र न करें, मैं गुड़गांव के लिये खूब रुपया दूंगा, Grow-More-Food Fund से दूंगा लेकिन Gurgaon Project ज़रूर चालू होना चाहिए। लेकिन फिर बदकिस्मती इस ज़िला की कि उन का देहान्त हो गया और फिर वह स्कीम पता नहीं तैरने पर है या डूबने पर। इस गुड़गांव प्राजैक्ट के काग़ज़ात पता नहीं दस से भी ज़्यादा बार गुम किये जा चुके हैं। कभी काग़ज़ात मिलने पर फिर गुम हो जाते हैं। मैं अर्ज़ करूंगा कि जब 90 करोड़ रुपया भाखड़ा डैम पर खर्च किया गया और जब वह सारी सारे सूबे की मजमूई आमदनी है तो वहां पर मेरे साथियों को कम से कम ख्याल तो रहे कि गुड़गांव की बेहतरी की तरफ भी तवज्जुह दे सके।

डिप्टी स्पीकर साहिब, मैं अपनी सरकार की तवज्जुह इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि हमारे इलाके को सस्ती बिजली दे। ऐसा करते हुए वह इस बात की परवाह न करे कि यह उस ने commercial point of view को देखते हुए देनी है। ताकि उसे घाटा न पड़े और उस की आमदनी कम न हो जाए। यदि उस इलाके को सस्ती बिजली दी जाए तो वहां कूवें लगाए जा सकते हैं। वहां उस इलाके में पानी तो मौजूद है। इस काम के लिये वह 15 या 20 करोड़ रुपये का capital लगा कर कुएं बनवा सकती है। इस काम का union-ist वज़ारत को तो अहसास नहीं हुआ था हालांकि उस वक्त दो बार वहां भारी कहत भी पड़ा था और उसे उन कहतों पर इतना खर्च करना पड़ा था जो उस ने उस इलाके से बीस साल में भी वसूल नहीं किया होगा। उस ने 20 लाख रुपये उन कहतों पर खर्च किया था। स्पीकर साहिब, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि गवर्नर साहिब के Address में गुड़गांव ज़िले के बारे में ज़िक्र तक नहीं आता।

फिर डिप्टी स्पीकर साहिब यह ज़िला साढ़े 15 सौ गांवों का है और हमारे पंजाब में बाकी ज़िले चार चार सौ गांव के ज़िले हैं और वहां हर ज़िले में गवर्नमेंट कालिज खुले हुए हैं लेकिन इस ज़िले की इतनी तहसीलों में से एक भी तहसील में गवर्नमेंट कालिज या हाई स्कूल नहीं हैं।

हमारे जिला के पास के गांव जो देहली सूबा में हैं, वहां के पसमान्दा लोगों के बच्चों को सलेटें, पैन्सिलें और किताबें मुहैय्या करने पर हज़ारों रुपये खर्च किये जा रहे हैं लेकिन हमारे जिला के बच्चों को कुछ नहीं मिल रहा हालांकि हमारे जो बच्चे देहली के स्कूलों और कालजों में पढ़ते हैं उन्हें यह इमदाद वहां से मिलती है । डिप्टी स्पीकर साहिब, मुझे अफसोस के साथ यह बात कहनी पड़ती है कि जो सरकारी इमदाद या सहूलतें दूसरे गांवों के लोगों को मिल रही हैं वह हमारे गांवों के लोगों को नहीं मिल रहीं क्योंकि ये गुड़गांवां जिला में हैं। इस लिये मैं अपनी सरकार से कहता हूं कि उसे मज़बूत इरादे से काम लेना चाहिये । इस में हमारी ज़िम्मेदारी भी है और हमारी सरकार की भी जिम्मेदारी है ।

डिप्टी स्पीकर साहिब, इस के साथ ही मैं हाऊस का ध्यान एक और चीज़ की तरफ दिलाना चाहता हूं । मुझे दुःख से कहना पड़ता है कि इन चीज़ों का ज़िक्र तक इस Address में नहीं किया गया । वहां हमारे ज़िला में अभी अभी survey किया गया है और पता चला है कि वहां साढ़े आठ सौ गांव ऐसे हैं जहां का पानी पीने के काबिल नहीं है । इस सिलसिले में मैं अपनी वज़ारत से दरखास्त करता हूं कि उन लोगों के लिये पीने का पानी मुहैय्या करने के लिये सरकारी तौर पर गौर करके कोई स्कीम बनानी चाहिए । एक और अर्ज़ मैं करना चाहता हूं कि हमारे ज़िला में से रेल की लाइन तो एक कोने से गुज़र जाती है बाकी वहां सड़कें ही हैं । पहले तो वहां Transport Companies लोकल आदमियों की थीं लेकिन Partition के बाद यह Companies बाहर से आए आदमियों के हाथ में चली गई हैं । वह लोग condemned बसें ले आए हैं जिन की वजह से वहां के लोगों को तकलीफ हो रही है । मिनिस्टर साहिबान तो वहां कारों पर दौरा करने आते हैं और दौरा करके चले जाते हैं उन को वहां के लोगों की हालत का कैसे पता लग सकता है ।

जहां तक Judiciary और Executive की separation का ताल्लुक है मैं सरकार के इस कदम की सराहना करता हूं । इस के साथ मैं यह भी अर्ज़ करना चाहता हूं कि Judiciary Executive से बिल्कुल अलग कर दी जानी चाहियें । Judicial Courts दर असल हाई कोर्ट और Sessions Judges के मातहत होनी चाहियें । यह चीज़ तो आईनी तौर पर भी अलहदा होनी चाहिए । हमारे आईन में भी यह लिखा है कि Judiciary Executive से बिल्कुल separate होनी चाहिए । इस की कोई वजह नज़र नहीं आती कि यह क्यों independent न हों । Judiciary को Executive के मातहत रख कर लोगों को इनसाफ नहीं दिया जा सकता । इनसाफ के काम में Executive का कोई दखल नहीं होना चाहिये । यदि यह पूरी तरह अलग २ कर दिए जाएं तो हम मज़बूती के साथ लोगों के अन्दर जा सकते हैं और कह सकते हैं कि हम इनसाफ में किसी किस्म की रुकावट नहीं डालना चाहते । मैं हैरान हूं कि जब हमारे वज़ीर साहिबान खुद इनसाफ में किसी किस्म का दखल नहीं देना चाहते तो फिर यह Judiciary को Executive से बिल्कुल जुदा जल्द क्यों नहीं कर देते ।

पंडित श्री राम शर्मा : Political reasons की वजह से इन्हें जुदा करने में देरी लगाई जा रही है ।

राम्रो गजराज सिंह : हमें खुशी है कि आप को Executive के मैजिस्ट्रेट ने छोड़ दिया था ।

पंडित श्री राम शर्मा : आप को पता है कि आप के साथ क्या हुआ था ।

राम्रो गजराज सिंह : मैं कभी किसी वज़ीर के पास नहीं गया ।

पंडित श्री राम शर्मा : आप किसी..........

Mr. Deputy Speaker : Order, Order.

राम्रो गजराज सिंह : मैं किसी Magistrate के पास नहीं गया । मैं उस बात का आदी नहीं हूं जिस चीज़ का हवाला अभी दिया गया है ।

डिप्टी स्पीकर साहिब, एक चीज़ की मैं और गुज़ारिश करना चाहता हूं वह है District Boards के बारे में । चाहे नई स्कीम के बारे में पूरी तफ़सील तो मालूम नहीं हुई फिर भी मैं एक दो बातें हाऊस के सामने रखना चाहता हूं । यह District Boards जो तोड़ दिये गए हैं वह rural area के लोगों के लिये एक training ground थे । यह नौजवानों को political काम में तरबीयत देने के लिये एक अच्छा training ground थे अब मैं अपनी सरकार से गुज़ारिश करूंगा कि वह इन boards की जगह पर चाहे कोई institution तहसील level पर बनाएं चाहे पंचायत level पर बनाए इन का President Tehsildars को कभी न बनाएं । तहसीलदार का या किसी और official का इन elected bodies का President बनाना आज से 50 साल पहले की बात थी । अगर तहसीलदार को उन का President बनाया गया तो गांव के लोगों को यह कभी भी गवारा नहीं होगा । हमारी सरकार को देहात के लोगों के साथ तो वैसे ही हमदर्दी है इस लिये मुझे उम्मीद है कि यह जो उनके ज़िम्मे बहुत बड़ा काम है इस को एक अमली स्कीम बनाये और इस मामले में सोच समझ कर कदम उठाए । यह एक जरूरी कदम है और अगर तहसीलदार को इन का President बनाया गया तो देहात के लोग एक बहुत बड़ी चीज़ से महरूम हो जायेंगे । मुझे विश्वास है कि इस मामले में बड़े ग़ौर से काम लिया जायेगा ।

मैं गवर्नर साहिब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और उन्हें मुबारक बाद देता हूं जो उन्होंने corruption को खत्म करने के लिये एलान किया है । इस बारे में मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि सरकारी मुलाज़मों में से छोटे मुलाज़मों में अव्वल तो corruption नहीं है और अगर वह रिश्वत लेते ही हैं तो अपना गुज़ारा करने के लिये लेते हैं। लेकिन higher level पर बहुत रिश्वत है । (तालियां) ।

गवर्नर साहिब ने अपने Address में जो corruption को खत्म करने के लिये एक High Level Committee बनाने का जिक्र किया है मुझे उम्मीद है कि वह कमेटी बड़े बड़े corrupt आदमियों को पकड़ने से दरेग नही करेगी । इस रिश्वत ने बड़ी तबाही की है हमारे प्रान्त के लोग मेहनती और जफ़ाकश होने के बावजूद इस की वजह से बदनाम हैं

डिप्टी स्पीकर साहिब, इन शब्दों के साथ मैं गवर्नर साहिब का शुक्रिया अदा करता हूं और अपनी speech को खत्म करता हूं ।

श्री माम चन्द (गोहाना) : डिप्टी स्पीकर साहिब, आज यहां पर गवर्नर साहिब के Address पर गवर्नमेंट को बधाईयां दी गई हैं । गवर्नमेंट के वज़ीरों में एक हरिजन भाई भी बैठा है । लेकिन गवर्नमेंट की एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही । यह कहते हैं कि हरिजनों को 19 फीसदी हिस्सा दिया है । (आवाजें : 21 फीसदी) हां वह भी ठीक है इस में यह लिख दिया है कि पिछड़े वर्ग भी हैं । इस लिये दो फीसदी बढ़ा दिया गया है । यह समझ में नहीं आता कि यह 19 फीसदी न्यारी है । मैं यह नहीं कहता कि यह क्यों दी है । समझ में नहीं आता कि यह 21 फीसदी सब के लिये है या 19 फीसदी हरिजनों के लिए या न्यारी २ है । Backward Classes में तो सभी आ जाते हैं और बहुत थोड़े बाकी छोड़े हैं । इस तरह हरिजनों को क्या मिलेगा ? एक तो मैं यह बात कहना चाहता हूं ।

दूसरे गवर्नमैण्ट यह कहती है कि हम हरिजनों का जो कष्ट है, जो तकलीफ है उस का ख्याल रखते हैं और दूर करते हैं । मेरे ज़िला रोहतक से छोटे २ घरों में दो २ दर्जन लोग रहते हैं । उन के लिये मकानों का कोई ज़िक्र नहीं आया उन के लिये मकान बनाए जायेंगे या नहीं । फिर तहसील झज्जर में पानी की बड़ी तकलीफ है, पानी नहीं मिलता । Governor साहिब के Address में इस बात का भी कोई ज़िक्र नहीं किया गया । हकूमत कहने को तो कहती रहती है कि हमने हरिजनों के लिये यह किया और वह किया मगर मैं सच कहता हूं कि अगर दो साल और हरिजनों की यही हालत रही तो उन में से कोई भी आप के पास नहीं आयेगा । मैं एक गांव में गया । मैं ने कहा 'हरिजनों' ! 8 साल हमारी हकूमत को आए हुए हो गए । तुम बताओ तुम्हें हकूमत से कोई फायदा हुआ ? असल बात बताओ ! एक गांव तनखला है । वहां जब मैं गया तो एक 60 वर्ष का बूढ़ा पानी के गिलास में नींबू निचोड़ कर लाया । 8 वर्ष से इस हकूमत ने पानी नहीं दिया तो उस बूढ़े ने कहा, चारे की खेती कहां से हो । सो पशु नहीं, दूध नहीं, इस लिये अपने लीडर के लिये पानी में नींबू निचोड़ के लाया हूं । मैं तो कहता हूं कि जिस कांग्रेस को अपनी राए देकर हरिजनों ने हकूमत पर बैठाया उन के लिये इस ने पिछले 8 सालों में एक भी ठोस बात नहीं की । आप देखें, जिस तरह हमारे शरणार्थी भाई आए, उन के लिये मकान, दुकान और नौकरियों का प्रबन्ध किया । मैं सच कहता हूं इस हाऊस में 21 हरिजन मैम्बर हैं । इन को छोड़ कर बाकी हर हरिजन का दिल बेताब है, उन्हें कोई तसल्ली नहीं । हकूमत कागज़ों में तो उन्हें बहुत से हक देती है मगर असल में कोई नहीं । ऐसा कब तक बर्दाशत होगा । हकूमत तो ताकत के नशे में बैठी है, हरिजनों को तसल्ली देने के बहाने गढ़ती है । मैं सच कहता हूं कि एक एक कमरे में 11,11 आदमी रहते हैं बूढ़ा है, बुढ़िया है, 5 बहुएं हैं, वह कैसे गुज़ारा करें, क्या बिछाएं और क्या पहनें ? करें तो क्या करें ? मैं सरकार को मशवरा देने के लिये खड़ा हुआ हूं कि हरिजनों को सम्भाल लें वरना यह हाथ से निकल जावेंगे ।

श्री चांद राम अहलावत (झज्जर) . प्रधान जी, गवर्नर साहिब के भाषण पर उन्हें धन्यवाद का प्रस्ताव आज इस सदन में पेश किया गया । गवर्नर साहिब ने अपने भाषण में पिछले साल

[श्री चान्द राम ग्रहलावत]

की कार्यवाहियों ग्रौर ग्रगले साल की पालिसी का जिक्र किया गया। भाषण में जिन २ बातों के मुतल्लिक इशारा किया गया उन पर गवर्नर साहिब को बधाई का प्रस्ताव पेश किया गया है मैंने दोनों तरफ के मेंबरों की तकरीरें सुनी हैं। कुछ ने उन सब कामों की सराहना की है जो पंजाब में जनता की तरक्की के लिये हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब में बहुत सी स्कीमें चालू हैं ग्रौर हम काफी तरक्की कर रहे हैं। दूसरी तरफ से कहा गया है कि पंजाब में ग्रभी बड़ी बेचैनी ग्रौर ग्रसंतोष है। मैं समझता हूं कि दोनों बातें ठीक हैं।

इस में कोई शक नहीं कि पंजाब में बहुत कुछ development हुई है। Capital बनाने की स्कीम में, भाखड़ा नंगल प्लैन के सिलसिले में ग्रौर दूसरी स्कीमों, जिन का विस्तार पांच साला प्लैन में किया गया है, के चालू करने में काफी तरक्की हुई है। जहां तक इनका ताल्लुक है महान काम हुए हैं ग्रौर जो भी राज ऐसे मौके पर वजूद में ग्राता उस का कुदरती तौर पर यह पहला फर्ज़ होता कि वह ऐसे काम करता। यह इन के लिये नया मौका था कि वह लोगों की तकलीफों, उन के ऐहसासात की तरफ ध्यान देते। मगर जहां तक लोगों की बेचैनी का ताल्लुक है मैं बिना झिझक कह सकता हूं कि ग्रभी सारे पंजाब में बेचैनी है। ग्रगर इस बात को लिया जाए तो मैं कह सकता हूं कि हमें ग्रभी पंजाब को बनाना पड़ेगा। जितनी बड़ी २ स्कीमें, बिजली ग्रौर नहरों की हैं, इन को करोड़ों रुपया खर्च करके इन्हें पूरा करना होगा इसी तरह बड़े २ दूसरे काम शुरु करके, जिन के कि हम स्वप्न देखा करते हैं, industrial plans बना कर बेरोजगारी को खत्म करना होगा बाकी इस में शक नहीं है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं। कई बार कहा जाता है कि Judiciary को Executive से ग्रलग कर दो। जब मैं यह सुनता हूं तो मुझे ताज्जुब होता है। यह ठीक है ऐसी स्कीमें भी होनी चाहिएं मगर कहता हूं कि पहले ग्राप पेट तो भर लें। तन ढांपने ग्रौर मकानों के सवाल को तो हल कर लें चाहे Opposition के Members हों चाहे Government Benches के, उन्हें यह महसूस करना चाहिए कि हम Democracy कायम कर रहे हैं, जिस का मतलब है लोगों का faith विश्वास कायम करना, जिस के सहारे हिन्दुस्तान ने चलना है।

(The Assembly then adjourned till 2 p.m. on Wednesday the 3rd March 1955.

2397 PVS—246—12-2-58—C., P. and S., Punjab, Chandigarh

Punjab Vidhan Sabha Debates

3rd March, 1955

Vol. I—No. 2

OFFICIAL REPORT

CONTENTS

Thursday, 3rd *March*, 1955

CHANDIGARH:
Printed by the Controller of Printing and Stationery, Punjab
1958

Price : Re.

ERRATA

PUNJAB VIDHAN SABHA DEBATE, VOL. I, NO. 2, DATED THE 3RD MARCH, 1955.

Read	*for*	*on page*	*line*
land	l nd	(2)8	6
co-terminus	co-tern inus	(2)11	5th from below
compromises	compromis	(2)20	in column 6, line 2
that	tha	(2)27	last line
consideration	consieration	(2)29	13
drafted	draftee	(2)28	22
invite	in ite	(2)29	24
Governments	Gornernments	(2)29	37
Rate	Rrate	(2)33	21
Practical	Practial	(2)34	29
official	offical	(2)36	26
dealing	healing	(2)36	38
will	wil	(2)41	9
behalf	behal	(2)41	35
Showing	show	(2)61	6th from below
Ferozepore	Ferozepre	(2)66	20
Chief	Cnief	(2)68	18
रहीं	रहों	(2)69	5th from below
साहिब	हाहिब	(2)70	1
Industrial	Indusria	(2)73	12
बरबाद	बरबा	(2)86	15
एरिया	ए यिा	(2)105	10
मुकावले	मुकाबल	(2)113	4
हिस	हिव	(2)122	21

The

PUNJAB VIDHAN SABHA

Thursday, 3rd March, 1955

The Vidhan Sabha met in the Assembly Hall, Sector 10, Chandigarh Capital, at 2 p.m. of the Clock. Mr. Speaker (Sardar Gurdial Singh Dhillon) in the Chair.

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

DACOITS AND MURDERERS IN THE STATE

***4553. Shri Teg Ram :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the total number of notorious dacoits and murderers arrested in the State during the period from 1st January, 1954 to 31st December, 1954, together with the place and date of arrest in each case ;

(b) the names of the police officers who arrested these dacoits or murderers ;

(c) whether any dacoits or murderers were killed in the encounters with the police ; if so, their names ;

(d) whether any police officers were killed or injured during the encounters mentioned in part (c) above; if so, their names together with the dates on which killed or injured ;

(e) whether the police officials referred to in part (d) above or their families, in case they were killed, were given any awards or relief; if so, what ?

Shri Bhim Sen Sachar : A statement is given below.

Note.—The figures for part (c) are in addition to the figures for part (a).

[Chief Minister]

Dacoits and Murderers in the State

(a)			(b)	(c)	(d)	(e)
Total number of notorious dacoits and murderers arrested in the State during the period 1st January, 1954 to 31st December, 1954, district-wise	Place of arrest	Date of arrest	Name of the Police Officers who arrested those dacoits and murderers	Whether any dacoits or murderers were killed in the encounters with the Police ; if so, their names	Whether any Police officials were killed or injured during the encounters mentioned in part (c); if so, their names together with dates on which killed or injured	Whether the Police officials referred to in part (d) or their families, in case they were killed, were given any awards or relief; if so, what ?
1. Hissar .. 5	1. Nezadala Kalan	6th February, 1954	S.-I. Pritam Singh	Yes, one. Sohan Lal, son of Ram Chander of Sarmarpur	No ..	Does not arise.
	2. Mehmadke	14th February, 1954	Sh. Bir Singh, Inspector, C.I.A.			
	3. Thaska ..	24th May, 1954	Ditto ..			
	4. Bhiwani ..	6th February, 1954	S.-I. Lal Chand			
	5. Hasanga ..	26th May, 1954	Sh. Bir Singh, Inspector, C.I.A.			
2. Rohtak.. 14	1. Rohtak ..	15th March, 1954	Shri Jaswant Singh, D.S.P.	Yes, six.	No ..	Does not arise.
		19th April, 1954		Ram Singh alias Kala		
		20th April, 1954		Chandar alias Gappar		
		24th April, 1954		Dipa of Pepsu		
		25th May, 1954		Dhare		
		27th May, 1954		Anand		
		7th June, 1954		Kehri		

	2. Chhalanga ..	7th June, 1954 7th June, 1954	Sh. Manohar Lal, Inspector, C.I.A.			
	3. Salimsar Majra	19th January, 1954 16th December, 1954	S.-I. Sat Dev Singh Offg. S.-I. Ved Parkash			
	4. Nuna Majra ..	20th April, 1954	Offg. S.-I. Gurtej Singh			
	5. Bahadurgarh ..	20th April 1954	Offg. S.-I. Chanda Singh			
	6. Gohana ..	16th April, 1954 Total –14	Offg. S.-I. Hardyal Singh Offg. A.S.-I. Joginder Singh			
3. Gurgaon .. Nil	Does not arise ..	Does not arise	Does not arise ..	Does not arise ..	Does not arise ..	Does not arise
4. Karnal .. Nil	Ditto ..	Ditto ..	Ditto ..	Yes, one. Chanan Singh	Ditto ..	Ditto
5. Ambala .. Nil	Ditto ..	Ditto ..	Ditto ..	Yes, one. Godar Singh alias Amli alias Pritam alias Kartar alias Pandit	Ditto ..	Ditto
6. Simla .. Nil	Ditto ..	Ditto ..	Ditto ..	Does not arise ..	Ditto ..	Ditto
7. Kangra .. Nil	Ditto ..	Ditto ..	Ditto ..	Ditto ..	Ditto ..	Ditto
8. Hoshiarpur Nil	Ditto ..	Ditto ..	Ditto ..	Ditto ..	Ditto ..	Ditto
9. Jullundur .. Nil	Ditto	Ditto ..	Ditto ..	Ditto ..	Ditto ..	Ditto
10. Ludhiana .. 8	1. Shahoor ..	16th February, 1954	Sh. Balwant Singh, District Inspector	Yes, one. .. Kartar Singh, son of Sadhu Singh of Rajgarh, P.S. Raikot	Ditto ..	Ditto

[Chief Minister]

(a)			(b)	(c)	(d)	(e)
Total number of notorious dacoits and murderers arrested in the State during the period 1st January 1954 to 31st December, 1954, district-wise	Place of arrest	Date of arrest	Name of the police officers who arrested those dacoits and murderers	Whether any dacoits or murderers were killed in the encounters, with the Police; if so, their names	Whether any Police officials were killed or injured during the encounters mentioned in part (c); if so, their names togther with dates on which killed or injured	Whether the Police officials referred to in part (d) or their families in case they were killed, were given any awards or relief If so, what?
	2. Shahoor ..	16th February, 1954	Sh. Balwant Singh, District Inspector			
	3. Do ..	Ditto ..	Ditto			
	4. Ludhiana ..	18th February, 1954	Ditto			
	5. Ferozepore ..	16th March, 1954	S.-I. Gurdial Singh			
	6. Sadar Ludhiana	27th May, 1954	H.C. Harjit Singh			
	7. Mazer Khera (U.P.)	12th October, 1954	H.C. Bhagwan Singh			
	8. Chauki Man ..	15th June, 1954	S.-I. Karnail Singh			
11. Ferozepore..18	1. Saoke ..	27th June, 1954	S.-I. Harbans Singh	Yes, eight. ..	Yes. H.C. Sewa Singh, of Pepsu received a simple injury on his hand on 15th July, 1954	Yes, was awar ded Rs 50
	2. Abohar ..	26th April, 1954	Sh. Ajaib Singh, I.P.S., S.S.P. Ferozepore	1. Allah Ditta of Pakistan 2. Bikar Singh		
	3. Guruharsahai	21st October, 1954	Sh. Shiv Dutt Pal District Inspector	3. Nawab alias Mukhtiar Singh alias Nihang		
	4. Court premises, Ferozepore	10th September, 1954	S.-I. Kasturi Lal	4. Mukand Singh		
	5. Langhiana ..	11th October, 1954	S.-.I. Harbans Singh	5. Amaru alias Gurdial alias Ghudhu		
	6. Sande Hasham	21st February, 1954	S.-I. Pritam Singh	6. Nikka		

	7. Agra (U.P.) ..	28th April, 1954	Sh. Des Raj, D.S.P.	7. Sajjan Singh alias Mast		
	8. Ditto ..	Ditto ..	Ditto	8. Pritam Singh		
	9. Ditto ..	Ditto ..	Ditto			
	10. Ditto ..	Ditto ..	Ditto			
	11. Tungwali ..	10th September, 1954	S.-I. Charan Singh			
	12. Khosa Randhir	10th August, 1954	S.-I. Ikhtiar Singh			
	13. Kot Bhai ..	20th October, 1954	S.-I. Balbir Singh			
	14. Khosa Randhir	18th January, 1954	S.-I. Ikhtiar Singh			
	15. Giddarbaha ..	18th February.. 1954	A.S.-I. Ajmer Singh			
	16. Ditto	Ditto	Ditto			
	17. Ditto ..	Ditto	Ditto			
	18. Ditto ..	Ditto ..	Ditto			
12. Amritsar..Nil	Does not arise ..	Does not arise	Does not arise ..	Yes, three 1. Bakhshish Singh alias Sisu 2. Gurmukh Singh alias Goma 3. Kundan Singh alias Mohna	No ..	Does not arise
13. Gurdaspur..5	1. Dokoha ..	26th June, 1954	A.S.-I. Karam Singh	No ..	No ..	Does not arise
	2. Ghuman ..	28th June, 1954	H.C. Man Singh			
	3. Gurdaspur ..	26th June, 1954	S.-I. Kidar Nath			
	4. Kapurthala (Pepsu)	29th June, 1954	S.-I. Niranjan Parshad of Kapurthala Police			
	5. Gurdaspur ..	5th July, 1954	A.S. I. Gurbukhsh Singh			
	Total .. 50					

श्री तेग राम : यह जो जवाब दिया गया है, इस की कई बातें मेरी समझ में नहीं आईं। किस २ तारीख को कौन कौन से डाकू पकड़े गये या मुकाबले में आए। कई जिलों के नीचे लिखा गया है कि कोई नहीं पकड़ा गया, फिर बताया गया है कि यह २ डाकू मारे गये हैं। यह कैसे हो सकता है ? एक तरफ कहा गया है कि करनाल और गुड़गांव के जिलों में कोई नहीं पकड़ा गया, दूसरी तरफ बताया गया है कि फलां २ मारे गये हैं। जब वे मुकाबले में पकड़े नहीं गये तो मारे कैसे गये ?

मुख्य मंत्री : जो इत्तलाह आपने मांगी थी, दे दी गई है।

Mr. Speaker: The reply has been supplied to you.

श्री तेग राम : पुलिस के जिन अफसरों ने डाकुओं को पकड़ा या मुकाबला करते हुए मार दिया, क्या उन्हें कोई इनाम या certificates दिये गये हैं ?

मुख्य मंत्री : अगर माननीय मेंबर सवाल में ही पूछ लेते तो आसानी से इस का जवाब दिया जा सकता। जब कोई official डाकुओं का मुकाबला करते हुए outstanding काम करता है, तो उस की recognition होती है, medals दिये जाते हैं और सराहना की जाती है।

CONSOLIDATION WORK IN VILLAGES OF TEHSIL JAGRAON, DISTRICT LUDHIANA

***4037. Sardar Darshan Singh** : Will the Minister for Development be pleased to state—

(a) the number of villages in tehsil Jagraon, district Ludhiana, in which consolidation work has been completed during the year 1954 ;

(b) the number of such villages where land has been reserved for use of Harijans and other landless persons for houses, etc.;

(c) the total area of land referred to in part (b) above so reserved ;

(d) the number of villages where no such land has been reserved together with the reasons therefor ?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) 40.

(b) 38.

(c) 297 kanals and 14 marlas.

(d) 2, being *Becharagh Mauzat.*

ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ: ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰੀਜਨਾਂ ਲਈ reserve ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੀਮਤਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ?

ਮੰਤਰੀ: ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁਰੱਬਾ-ਬੰਦੀ ਵਿਚ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ: ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਆਲ ਵਿਚ 7 ਕਨਾਲ 16 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ?

ਮੰਤਰੀ: ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹਨ । ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਵਿਚ ਏਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ।

GOVERNMENT INSTRUCTIONS FOR RESERVATION OF LANDS FOR HARIJANS

*4038. **Sardar Darshan Singh :** Will the Minister for Development be pleased to state—

(a) whether Government has issued any instructions regarding reservation of land for houses of Harijans and for other common purposes at the time of consolidation of land ;

(b) whether the instructions referred to in part (a) above are being implemented; if not, the reasons therefor and the steps Government intend taking for the implementation of those instructions ?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) Yes.

(b) Yes. Question does not arise.

ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ: ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਕਾਇਤ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ?

ਮੰਤਰੀ: ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਕਾਇਤ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਂਦਾ । ਸੋ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਠੀਕ ਅਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ।

ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ: ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ?

Mr. Speaker : This question does not arise.

श्री देव राज सेठी: क्या उन गांवों में हरिजनों के लिए ज़मीन छोड़ने के लिए कोई हिदायात जारी की गई हैं जहां शुरू २ में मुरब्बाबंदी हुई थी ?

ਮੰਤਰੀ: ਜਦ ਤਕ ਫੇਰ ਮੁਰੱਬਾਬੰਦੀ ਨਾ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ, ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਕਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ । ਹਾਂ, ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ common land ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿਚੋਂ ਮੁਨਾਸਬ ਥਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ reserve ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ।

TRACTOR CULTIVATION IN THE STATE

***3884. Shri Wadhawa Ram :** Will the Minister for Development be pleased to state—

(a) the total number of tractors in the State during the years 1950, 1952, 1953 and 1954, respectively ;

(b) the total area of l nd under tractor cultivation district-wise in the State at present ;

(c) the total number of tenants or agricultural labourers displaced from land due to tractor cultivation ?

Sardar Partap Singh Kairon :

(a)

Year	*Number of tractors*
1950	.. 326
1952	.. 1,004
1953	.. 1,139
1954	.. 1,275

(b) A statement is given below.

(c) 7,475

Statement showing the total area of land under tractor cultivation in the State

Districts	*Area of land under tractor cultivation in acres*
Hissar	.. 11,500
Rohtak	.. 4,206
Gurgaon	.. 6,982
Karnal	.. 26,181
Ambala	.. 14,307
Simla	.. ..
Kangra	.. 656
Hoshiarpur	.. 9,195
Jullundur	.. 15,985
Ludhiana	.. 8,372
Ferozepur	.. 93,754
Amritsar	.. 15,231
Gurdaspur	.. 5,716
Agriculture Department	.. 4,589

ਸ਼੍ਰੀ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ : ਜਿਹੜੇ 475 ਆਦਮੀ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ?

ਮੰਤਰੀ : ਇਸ ਬਾਰੇ ਯਤਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਭ State ਦੀ economy ਵਿਚ absorb ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

RESERVATION OF LAND FOR HARIJANS IN VILLAGE DHURKOT CHARAT SINGH WALA, DISTRICT FEROZEPORE

*3925. **Sardar Bachan Singh :** Will the Minister for Development be pleased to state whether at the time of Consolidation in village Dhurkot Charat Singh Wala, Police Station Mohana, Tehsil Moga, District Ferozepur, any land was reserved for houses and other common purposes for Harijans and other landless people ; if not, the reasons therefor ?

Sardar Partap Singh Kairon : The consolidation work in village Dhurkot Charat Singh Wala, Tahsil Moga, was started before 1st April, 1951, and its scheme was sanctioned on 23rd May, 1952, while the instructions for the reservation of land for extension of abadi for non-proprietors including Harijans were issued by Government on 12th/14th June, 1952. No area for houses and other common purposes for Harijans and other landless people could, therefore, be reserved.

RESERVATION OF LAND FOR HARIJANS IN VILLAGE DAUDHAR, DISTRICT FEROZEPORE

*3926. **Sardar Bachan Singh :** Will the Minister for Development be pleased to state whether any area of land was reserved for houses and other common purposes for Harijans and other landless people at the time of Consolidation of Holdings in Village Daudhar, Tehsil Moga, District Ferozepur ; if not, the reasons therefor ?

Sardar Partap Singh Kairon : No. The work has not yet reached the stage of consolidation scheme when such reservations are made.

RESERVATION OF LAND FOR HARIJANS IN VILLAGE BABAK, DISTRICT HOSHIARPUR

*3927. **Sardar Bachan Singh :** Will the Minister for Development be pleased to state whether any area of land was reserved for houses and other common purposes for Harijans and other landless people at the time of Consolidation in Village Babak, Tahsil Dasuya, District Hoshiarpur ; if not, the reasons therefor ?

Sardar Partap Singh Kairon : No land was reserved for the houses and common purposes of Harijans and other landless people of Village Babak, Tehsil Dasuya, District Hoshiarpur, during consolidation operations as no instructions to this effect existed at the time of consolidation of this village.

ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਥੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਛਡੀ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਾਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ?

ਮੰਤਰੀ: ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ Government of India ਦੀ property ਹੈ ।

RECLAMATION OF COMMON LANDS

***4654. Shri Benarsi Dass Gupta :** Will the Minister for Development be pleased to state—

(a) whether the common lands in certain villages have been transferred to the Panchayats ; if so, the proportion thereof in each village which has been left out for purposes of grazing ;

(b) whether any of the land referred to in part (a) above has been reclaimed ; if so, the provision, if any, made for grazing purposes ?

Sardar Partap Singh Kairon : The information is being collected and will be supplied to the Member as soon as possible.

COMMUNITY PROJECTS AND NATIONAL EXTENSION SERVICE BLOCKS

***4554. Shri Teg Ram :** Will the Minister for Development be pleased to state—

(a) the total number of Cummunity Projects and National Extension Service Blocks started in the State together with the names of places, district-wise, where they have been started and the date when started in each case ;

(b) the total number of Community Projects and National Extension Service Blocks being started in the State during the current year and the names of the places where they are proposed to be started ;

(c) the factors taken into consideration by the Government in deciding the location of these blocks ?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) *Community Projects*—

(1) Batala, District Gurdaspur, started on 2nd October, 1952.

(2) Jagadhri, District Ambala, started on 2nd October, 1952.

(3) Nawanshahr, District Jullundur, started on 2nd October, 1952.

(4) Sonepat, District Rohtak, started on 2nd October 1952.

(5) Faridabad, District Gurgaon, started on 16th December, 1952.

(6) Nilokheri, District Karnal, started on 2nd October, 1952.

(7) Tarn Taran, District Amritsar, started on 2nd October, 1953.

(8) Naraingarh, District Ambala, started on 2nd October, 1953.

(9) Thanesar, District Karnal, started on 2nd October, 1953.

(10) Kulu, District Kangra, started on 2nd October, 1953.

National Extension Service Blocks—

(1) Moga, District Ferozepore, started on 2nd October, 1953.

(2) Samrala, District Ludhiana, started on 2nd October, 1953.

(3) Hansi, District Hissar, started on 2nd October, 1953.

(4) Guhla, District Karnal, started on 2nd October, 1953.

(5) Una, District Hoshiarpur, started on 2nd October, 1953.

(6) Nurpur, District Kangra, started on 2nd October, 1953.

(7) Gurgaon, District Gurgaon, started on 2nd October, 1953.

(8) Kharar, District Ambala, started on 2nd October, 1954.

(9) Panipat, District Karnal, started on 2nd October, 1954.

(10) Rohtak, District Rohtak, started on 2nd October, 1954.

(11) Ludhiana, District Ludhiana, started on 2nd October, 1954.

(12) Garhshankar, District Hoshiarpur, started on 2nd October, 1954.

(13) Hamirpur, District Kangra, started on 2nd October, 1954.

(14) Palampur, District Kangra, started on 2nd October, 1954.

(15) Outer Seraj, District Kangra, started on 2nd October, 1954.

(b) Five new National Extension Service Blocks will be started in the current year. The places where these will be located have not yet been decided finally.

(c) (i) Priority is given to the areas which have been brought under consolidation or where consolidation operations are likely to be completed in the near future.

(ii) Backward areas with special problems are given preference over other areas not covered by (i) above.

(iii) The areas to be brought under the scheme should be co-terminus with the existing administrative units and as far as possible should not cut across the boundaries of two tehsils.

श्री तेग राम : क्या Development Minister साहिब कृपा करके बतायेंगे कि कौन २ से इलाके backward declare किये गये हैं और किन वजूहात पर ?

ਮੰਤਰੀ : ਇਹ ਤੇ ਕਾਮਨਸੈਂਸ ਦੀ ਗਲ ਹੈ। ਰਿਵਾੜੀ, ਊਨਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗੜੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਲਾ backward ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੱਜਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਅਤੇ ਗੁੜਗਾਂਵਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਵੀ backward ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

श्री बाबू दयाल : गुड़गांव का कौन सा इलाका backward करार दिया गया है ?

ਮੰਤਰੀ : ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਲਾ ਹੀ backward ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

श्री तेग राम : किन वजूहात पर किसी खास इलाका को backward समझा जाता है ?

ਮੰਤਰੀ : ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਲੋਗ ਗੰਦੇ ਕਪੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੁਕੇ ਸਰੀਰ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਇਲਾਕਾ backward ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਿਬ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਂਗੜੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ? ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ignore ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ?

ਮੰਤਰੀ : ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

श्रीमती सीता देवी : मंत्री महोदय ने फरमाया है कि जिस जगह के लोग गंदे कपड़ों वाले और सूखे शरीरों वाले हों तो वह इलाका backward होगा। क्या मैं पूछ सकती हूं कि अगर किसी जगह के लोगों के गंदे कपड़े हों लेकिन चेहरे अच्छे हों तो उस इलाका को backward समझा जाएगा या नहीं ?

ਮੰਤਰੀ : ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਹੈ।

WATER-LOGGING IN RADAUR AND KHADIR AREAS OF DISTRICT KARNAL

***4655. Shri Benarsi Dass Gupta** : Will the Minister for Development be pleased to state whether the Government is aware of the fact that in Radaur and Khadir Areas of District Karnal large areas of land are getting uncultivable due to water-logging every year ; if so, the steps taken or proposed to be taken in the matter and the details thereof ?

Sardar Partap Singh Kairon :

First part.—Yes, but in Radaur and Indri tracts only.

Second part.—Water pumps have been installed for drainage of water.

WAR JAGIR AWARDS

***4456. Bakshi Partap Singh** : Will the Minister for Development be pleased to state—

(a) the number of cases of War Jagir Awards so far received by the Government from district Kangra ;

(b) the date by which the said cases are likely to be decided by the Government and the Awards made payable to the people concerned ?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) Three hundred and twenty-five.

(b) Orders have been passed and a notification is under issue. The Deputy Commissioner, Kangra, will now take steps to make payments shortly after completion of the sanads.

NATIONAL EXTENSION SCHEME IN NURPUR TEHSIL

***4335. Shri Ram Chandra Comrade :** Will the Minister for Development be pleased to state—

(a) the date when the National Extension Scheme was introduced in Nurpur Tehsil, District Kangra ;

(b) the amount sanctioned for the said scheme ;

(c) the total amount spent up to 31st December, 1954 ;

(d) the staff envisaged for regular appointment for the scheme ;

(e) the date of appointment of each member of staff and the period of service put in by him till 31st January, 1955 ?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) The National Extension Service Block Nurpur was started on 2nd October, 1953.

(b) Rs. 7.50 lacs have been sanctioned for three years out of which Rs. 1 lac is for minor irrigation loans and Rs. 3 lacs is to be distributed by Co-operative Societies for which additional funds were expected to be made available by the Reserve Bank of India.

(c) Up to 31st December, 1954 an expenditure of Rs. 40253/- has been incurred in this Block.

(d) and (e)—

	Date of appointment	Period of service till 31st January, 1955.
(i) Block Development Officer ..	12-2-54	11 months and 19 days
(ii) Lady Social Education Organiser ..	4-12-53	1 year 1 month and 27 days.
(iii) Social Education Organiser ..	9-4-54	9 months and 22 days.
(iv) Five Village Level Workers ..	2-10-53	1 year 3 months and 29 days.
(v) One Village Level Worker ..	3-10-53	1 year 3 months and 28 days.

[Minister for Development]

(vi) Two Village Level Workers	..	9-10-53	1 year 3 months and 22 days.
(vii) One Village Level Worker	..	8-10-53	1 year 3 months and 23 days.
(viii) One Village Level Worker	..	21-11-53	1 year 2 months and 10 days.
(ix) Extension Officer (Agriculture)	..	2-11-53	1 year 2 months and 13 days.
(x) Extension Officer (Veterinary)	..	27-11-53	1 year 2 months and 4 days.
(xi) Extension Officer (Co-operative)	..	25-11-53	1 year 2 months and 6 days.
(xii) Overseer	..	26-7-54	6 months and 5 days.
(xiii) Accountant-cum-Store Keeper	..	19-10-53	1 year 3 months and 12 days.
(xiv) Junior Clerk	..	21-11-53	1 year 2 months and 10 days.

CHARGING OF DOUBLE TRAVELLING ALLOWANCE BY THE PRESIDENT OF A MARKETING COMMITTEE

***3499. Pandit Shri Ram Sharma :** Will the Minister for Development be pleased to state—

(a) whether the Examiner of the Local Bodies has recently made a recommendation in his report for the removal of the President of a Marketing Committee for charging double Travelling Allowance for attending the meetings of the Marketing Committee and the District Boards on the same day ; if so, a copy of the report be laid on the Table ;

(b) the action, if any, Government proposes to take in the matter ?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) No.

(b) The amount involved has since been recovered and credited to the funds of the Market Committee.

पंडित श्री राम शर्मा : क्या Local Examiner की कोई report गवर्नमैण्ट के नोटिस में नहीं आई थी या कि कोई report आई ही नहीं है ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਆਈ ।

राम्रो गजराज सिंह : कौन सी Marketing Committee के मुतअल्लिक ज़िक्र आया है ? उस का नाम नहीं दिया गया ।

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਤੁਸਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਗਲ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੁੱਝ ਲਈ ਹੈ ।

LAND GIVEN TO THE TENANTS IN DISTRICT HOSHIARPUR

***3307. Shri Khushi Ram Gupta :** Will the Minister for Development be pleased to state the total area of land constituency wise in Una Tehsil, District Hoshiarpur, given by the Government to the tenants on lease for cultivation purposes in pursuance of (i) the Grow-More-Food Campaign and (ii) the East Punjab Utilization of Lands Act, 1949, up to date ?

Sardar Partap Singh Kairon :

Serial No.	Name of Constituency	Area leased to tenants under Grow-More-Food Campaign	Area leased under East Punjab Utilization of Land Act
1	Amb	.. ..	4 acres.
2	Una	.. ..	..
3	Anandpur	.. ..	..

VESTING OF PROPRIETARY RIGHTS IN THE OCCUPANCY TENANTS

***2632. Shri Wadhawa Ram :** Will the Minister for Development be pleased to state—

(a) the total area of land district-wise under Occupancy Tenants in the State during the years 1947, 1950, 1952 and 1953 ;

(b) the total area of land district-wise in the State, the proprietary rights of which have been vested in the Occupancy Tenants during the years 1952 and 1953, respectively ;

(c) the total number of Occupancy Tenants district-wise in whom the proprietary rights in land have so far been vested ?

Sradar Partap Singh Kairon : A statement is given below about all the districts except Karnal and Ferozepore about which information is being collected and will be supplied.

[Minister for Development]

STATEMENT

District		Total area of land under Occupancy Tenants during the years				Total area of land in the State, the proprietary rights of which have been vested in the Occupancy Tenants during the years		Total number of Occupancy Tenants in whom the proprietary rights in land have been vested
		1947	1950	1952	1953	1952	1953	
			(a)				(b)	(c)
		Acres	Acres	Acres	Acres	Acres	Acres	Acres
1. Hissar	..	197,986	197,995	150,225	73,237	47,770	76,988	37,756
2. Rohtak	..	51,293	51,538	48,463	38,539	8,346	43,179	25,489
3. Gurgaon	..	112,749	112,492	100,313	80,614	35,804	64,437	27,148
4. Karnal	..	..	..	..	..	..	..	..
5. Ambala	..	40,893	39,088	31,421	17,764	13,831	13,541	21,524
6. Simla	..	1	9	1	1	8	..	19
7. Kangra	..	24,033	23,212	23,226	1,342	21,884	..	29,807
8. Hoshiarpur	..	145,964	145,958	145,665	53,835	91,830	..	78,125
9. Jullundur	..	102,166	102,166	102,166	57,212	10,350	34,604	33,066
10. Ludhiana	..	60,159	60,159	58,972	58,972	..	46,105	18,689
11. Ferozepur	..	..	..	..	..	..	—	..
12. Amritsar	..	56,609	56,577	56,514	..	56,514	..	9,933
13. Gurdaspur	..	160,526	159,788	159,684	159,434	..	20,836	4,125

ਸ਼੍ਰੀ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ: ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਇਤਲਾਹ ਕਦੋਂ ਤਕ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ।

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਤਨੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਤਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ । ਕੇਵਲ ਦੋ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਢਿਲ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਭੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ।

EJECTMENT OF TENANTS IN THE STATE

*3883. **Shri Wadhawa Ram** : Will the Minister for Development be pleased to state—

(a) the total number of ejectment notices served by the landlords on their tenants during the years 1952-53 and 1953-54, tehsil-wise, in the State together with the total number of tenants ejected ;

(b) the total number of compromises effected between the landlords and the tenants during the year 1954, tehsil-wise, in the State along with the terms on the basis of which such compromises were effected ?

Sardar Partap Singh Kairon : A statement is given below in respect of all districts except Ferozepore about which information will be supplied later.—

STATEMENT

Name of tehsil	*Total number of notices served during*		*Total number of tenants ejected during*		Total number of compromises effected between the landlords and tenants in 1954	Basis on which compromises were effected
	1952-53	1953-54	1952-53	1953-54		
1	2	3	4	5	6	7
Hissar District						
1. Hissar ..	560	2,307	..	276	1,526	The terms of the compromises varied in individual cases.
2. Hansi ..	329	2,462	..	114	1,248	
3. Bhiwani ..	321	1,647	..	165	98	
4. Fatehabad ..	380	1,854	..	224	1,234	
5. Sirsa ..	361	1,598	..	138	1,317	
Total ..	1,951	9,868	..	917	6,306	

[Minister for Development]

Name of Tehsil	*Total number of notices served during* 1952-53	*Total number of notices served during* 1953-54	*Total number of tenants ejected during* 1952-53	*Total number of tenants ejected during* 1953-54	The number of compromises effected between the landlords and tenants in 1954.	Basis on which compromises were effected
1	2	3	4	5	6	7
Rohtak District						With the mutual consent of the landlords and tenants most of the tenants exchanged their areas with the other areas of the same landlord and some of the landlords withdrew their notices and allowed the tenants to continue cultivation on regular payment of rent.
1. Rohtak ..	254	1,486	77	370	1,034	
2. Gohana ..	774	1,274	..	490	730	
3. Jhajjar ..	220	625	..	446	219	
4. Sonepat ..	342	636	..	258	354	
Total ..	1,590	4,021	77	1,564	2,337	
Gurgaon District						1. In 81 cases compromises were effected out of court. 2. In 35 cases tenants were allowed to continue for a further period of one year. 3. In 9 cases it was agreed that the rent would be paid in time by the tenants and the landlords will not demand more than admissible under the law. 4. In 123 cases landlords gave their land again for cultivation.
1. Gurgaon ..	20	99	20	99	14	
2. Rewari ..	..	164	..	100	67	
3. Nuh ..	5	42	..	7	35	
4. Ferozepur-Jhirka ..	41	54	13	6	..	
5. Palwal ..	381	366	..	221	9	
6. Ballabgarh ..	126	56	..	10	123	
Total ..	573	781	33	443	248	
Karnal District						1. The tenants agreed to pay ⅓ rent to their landlords. 2. The tenants paid arrears of rent and agreed to pay the rent in future regularly. 3. The tenants promised to release possession of land in case landlords would cultivate the land themselves.
1. Karnal ..	772	1,950	..	781	140	
2. Thanesar ..	307	570	..	306	264	
3. Panipat ..	209	999	..	389	58	
4. Kaithal ..	13	46	..	23	7	
Total ..	1,301	3,565	..	1,499	469	

Name of Tehsil	Total number of notices served during		Total number of tenants ejected during		Total number of compromises effected between the landlords and tenants in 1954.	Basis on which compromises were effected
	1952-53	1953-54	1952-53	1953-54		
1	2	3	4	5	6	7
Ambala District						
1. Ambala ..	187	2,749	11	1,161	66	Alternative lands have been given by the landlords for cultivation to the tenants.
2. Kharar ..	83	103	..	37	5	
3. Rupar ..	48	114	..	24	..	
4. Naraingarh	333	1,647	85	691	40	
5. Jagadhri ..	547	1,852	..	665	880	
Total ..	1,198	6,465	96	2,578	991	
Simla District						
1. Simla ..	1	2	..	..	..	
Kangra District						
1. Kangra ..	239	1,575	..	441	223	In some cases landlords withdrew their applications whereas in other cases tenants voluntarily vacated the land.
2. Dehra ..	20	323	..	95	88	
3. Nurpur ..	5	470	..	..	161	
4. Hamirpur ..	78	230	..	65	33	
5. Palampur ..	2,063	97	6	509	..	
6. Kulu ..	199	15	..	96	20	
7. Seraj ..	..	2	..	..	2	
Total ..	2,604	2,712	6	1,206	527	
Hoshiarpur District						1. The tenants will pay the usual rent on the share of produce without any kind of hesitation 2. In some cases the tenants left some Khasra Nos. and agreed to cultivate some other number of the same landlords.
1. Hoshiarpur	108	890	9	127	218	
2. Garhshankar	30	50	6	8	20	
3. Dasuya ..	332	3,397	..	349	2,710	
4. Una ..	126	366	..	74	115	
Total ..	596	4,703	15	558	3,063	

[Minister for Development]

Name of Tehsil	Total number of notices served during		Total number of tenants ejected during		The number of compromise effected between the landlords and tenants in 1954.	Basis on which compromises were effected
	1952-53	1953-54	1952-53	1953-54		
1	2	3	4	5	6	7
Jullundur District						
1. Nakodar ..	115	186	..	..	26	On different terms in several cases. In some cases the tenants were given other pieces of land in lieu of their old tenancies and in others the same land.
2. Jullundur ..	437	628	44	..	40	
3. Phillaur ..	71	139	..	..	10	
4. Nawanshahr..	75	96	..	..	47	
Total ..	698	1,049	44	..	123	
Ludhiana District						
1. Ludhiana ..	191	432	..	57	59	In most of the cases the tenants were allowed to keep the land under tenancy with them.
2. Samrala ..	41	51	..	30	3	
3. Jagraon ..	146	139	..	55	9	
Total ..	378	622	..	142	71	
Amritsar District						
1. Amritsar ..	472	553	54	167	..	No compromises were effected through the Revenue Courts. Parties came to compromise themselves in most of the cases by mutual adjustment of area.
2. Tarn Taran	290	336	..	64	..	
3. Patti ..	289	523	24	90	..	
4. Ajnala ..	239	589	..	138	..	
Total ..	1,290	2.001	78	459	..	
Gurdaspur District						In majority of the cases the landlords withdrew their notices as a result of persuasive efforts to restore cordial relations between the landlords and tenants. In some cases the tenants willingly left a part of their tenancies and retained the rest. In a few cases the parties voluntarily effected compromises and tenants got some other land for cultivation.
1. Gurdaspur ..	351	3,529	20	842	2,025	
2. Pathankot	325	3,164	..	1,587	1,857	
3. Batala ..	284	1,103	104	306	270	
Total ..	960	7,796	124	2,735	4,152	

EROSION IN KANGRA VALLEY

***4457. Bakshi Partap Singh :** Will the Minister for Development be pleased to state whether the Government is aware of the fact that erosion is causing havoc in the Kangra Valley ; if so, the steps, if any taken by the Government in this regard ?

Sardar Partap Singh Kairon : *First part.*— Yes.

Second part.— Remedial and curative measures.— A soil conservation unit was formed during 1949 and the following works have been carried out to reclaim the erosion so far:—

(1) Total area of 3,155.75 acres in Bihals has been closed so far.

(2) Cultural operations, i.e., sowing, planting works have been carried out on hill slopes and in closed areas.

(3) Check dams. (4) Contour trenching	Engineering works consisting of check dams gully plugging, diversion drains, torrent training structure and terracing etc., have been carried out to stablilize slips and eroding areas.

(5) River training and reclamation.

(6) Terracing and Wat Bandi of cultivated areas.

(7) Miscellaneous works, i.e., fencing, etc., as it is necessary to fence all the closed areas to save the plantations from grazing and browsing.

ASSESSMENT OF LAND REVENUE IN VILLAGES IN DISTRICT GURGAON

***4453. Shri Babu Dayal :** Will the Minister for Development be pleased to state whether any resolution passed by the villagers of Sub-Tehsil Bawal, District Gurgaon, in a conference held by them at Sulkha, on 14th January, 1955, for assessing land revenue according to the Government Land Revenue Scale has been received by Government; if so, the action, if any, taken thereon ?

Sardar Partap Singh Kairon : *First part.*—No.

Second part.—Action in the matter is, however, being taken by Government.

श्री बाबू दयाल : क्या मंत्री महोदय कृपा करके बतायेंगे कि 1954 की खरीफ की मालगुज़ारी पहले scale के मुताबिक ली गई है या कि नए scale के मुताबिक ली गई है ?

ਮੰਤਰੀ : ਜੇ ਕਰ ਪਹਿਲੇ scale ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲਈ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ remit ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ ।

ਸ਼੍ਰੀ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ : ਕੀ ਮੈਂ ਪੁਛ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ remission ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਵਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ?

ਮੰਤਰੀ : ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਵਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ।

श्री बाबू दयाल : क्या वज़ीर साहिब फरमायेंगे कि वह remission गांववार दी जाएगी या कि बिस्वेवार दी जायेगी ?

ਮੰਤਰੀ : Remission ਬਿਸਵੇਵਾਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਿੰਡਵਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ।

श्री बाबू दयाल : क्या individually दी जाएगी ?

ਮੰਤਰੀ : ਇਕ ਮਰਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 100 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ individually ਹੀ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।

श्री बाबू दयाल : क्या हर एक मालिक को अलग २ दी जायेगी या कि गांव वाले खुद तकसीम करेंगे ?

ਮੰਤਰੀ : ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਅਫਸਰ ਦੁਆਰਾ ਰਕਮਾਂ adjust ਕਰ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ remit ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ।

श्री बाबू दयाल : क्या यह बात ठीक है कि इस remission की रकम से गवर्नमेंट सड़कें बनाने की बात सोच रही है जब कि लोगों की यह मनशा नहीं है ?

Mr. Speaker : It is not a supplementary question.

श्री धर्मवीर वासिष्ठ : क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने पहले तो कहा है कि कोई representation गवर्नमेंट के पास नहीं आया और फिर बाद में कहा है कि सरकार गौर कर रही है, इस का क्या कारण है ?

ਮੰਤਰੀ : ਹੋਰ ਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ action ਲੈਣਾ ਹੈ ।

श्री बाबू दयाल : क्या मैं जान सकता हूं कि गौर करने का वक्त कितने अरसे तक महदूद है ?

ਮੰਤਰੀ : ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ । ਮੈ ਗੌਰ ਦਾ ਲਫਜ਼ ਤਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ।

SCARCITY OF FODDER IN REWARI TEHSIL

***4454. Shri Babu Dayal :** Will the Minister for Development be pleased to state—

(a) whether he has received any representation in pursuance of a resolution passed at the Conference held in Sulkha in Gurgaon District regarding the scarcity of fodder in the villages of Rewari Tehsil and asking for the sanction of Taccavi Loans to villagers of different tehsils of the said district ;

(b) if the answer to part (a) above be in the affirmative, the amount of loans, if any, sanctioned in this connection; if not, the reasons thereof ?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) None.

(b) A sum of Rs 81,000 was, however, sanctioned for distribution as taccavi loans under the Agriculturists Loans Act, XII of 1884.

AMOUNTS DUE TO AND FROM CO-OPERATIVE INSTITUTIONS IN WEST PUNJAB

***4323. Shri Dev Raj Sethi** : Will the Minister for Irrigation be pleased to state—

(a) the total amount that Punjab (P) owes to Punjab (I) on account of Co-operative Institutions ;

(b) the latest date when Registrars of the Co-operative Societies of the two Punjabs struck a balance sheet with regard to the dues of Co-operative Societies and banks of one side to the other ;

(c) the steps taken by the Government to realise the dues still out standing ?

Chaudhri Lahri Singh : (a) Rs. 78,76,964 odd according to the latest balance sheet.

(b) July, 1954.

(c) Negotiations between the Registrars, Co-operative Societies of both the Punjabs, are under progress and the matter has already been referred to the Steering Committee for settlement.

INDUSTRIAL CO-OPERATIVE SOCIETIES IN TEHSIL SERAJ, DISTRICT KANGRA

***4577. Sardar Gopal Singh** : Will the Minister for Irrigation be pleased to state—

(a) the total number of Industrial Co-operative Societies in Banjar Sub-Circle, Tehsil Seraj, District Kangra ;

(b) the dates on which these societies were inspected by the Assistant Registrar (Industrial), Co-operative Societies, Jullundur, since their registration ?

Chaudhri Lahri Singh : (a) Ten.

(b) Due to decentralization of work the record work relating to industrial co-operatives has been transferred to General Assistant Registrars. The information, therefore, is not readily available.

SUPPLY OF WATER FROM BHAKRA CANALS FOR SUB-TEHSIL BAWAL, DISTRICT GURGAON

***4452. Shri Babu Dayal** : Will the Minister for Irrigation be pleased to state whether any representation from the inhabitants of villages of Sub-Tehsil Bawal, District Gurgaon, for the supply of water from Bhakra Canals has been received by the Government ; if so, the action, if any, taken thereon ?

Chaudhri Lahri Singh : Yes. A representation has only recently been received. No supply from Bhakra Canals to this area is possible as it is far away from this canal system.

An exploratory tube-well is proposed to be sunk in village Jhabwa of this sub-tehsil and if it proves successful, the area will be provided tube-well irrigation in the Second Five-Year Plan.

श्री बाबू दयाल : मिनिस्टर साहिब ने फरमाया है tube-wells explore किए जाएंगे । क्या यह ठीक है कि गवर्नमैंट ने tube-wells की स्कीम को अभी postpone कर दिया है ?

मंत्री : Exploratory tube-wells भारत सरकार ने देने हैं और इसके लिए सारी यूनियन के लिए उन्होंने प्रोग्राम chalk out किया हुआ है । Government आफ इण्डिया के प्रोग्राम के मुताबक पहले जनूबी हिन्दुस्तान में explore हो रहे हैं । हमारी बारी सन् 1956 में आयेगी । उस वक्त जिस जिला को जितने tube-wells मिलेंगे; explore किए जाएंगे ।

श्री बाबू दयाल : तो कितनी देर के लिए postpone हुए हैं ?

मंत्री : मैं ने बता तो दिया है कि सन् 1956 में शुरु होंगे ।

श्री धर्म वीर वासिष्ठ : मंत्री महोदय ने बताया है कि बाबल के लोगों से एक representation मिला । क्या वह यह बताने की कृपा करेंगे कि वह representation किस सिलसिले में था ?

मंत्री : यही कि भाखड़ा केनाल से पानी दिया जाए ।

श्री धर्मवीर वासिष्ठ : सिर्फ यही ?

मंत्री : जी हां ।

FALLING OF COWS AND BUFFALOES IN BHAKRA CANALS

***4656. Shri Benarsi Dass Gupta :** Will the Minister for Irrigation be pleased to state:—

(a) the total number of cows and buffaloes which fell in the Bhakra Canal and in its branches each year since water started flowing together with the number of those which died in consequence ;

(b) whether any demand has been received by the Government from the public and the zamindars for fencing the canals on both sides and for constructing Ghats to enable the cattle that fall in to come out; if so, the steps, if any, proposed to be taken in the matter?

Chaudhri Lahri Singh (a) 23 cows and buffaloes fell in to the lined canals out of which 13 were taken out alive and 10 died;

(b) No ; with their natural instinct, the cattle will avoid the lined canals. Consequently it is not proposed to do anything in the matter.

श्री धर्मवीर वासिष्ठ: क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जो 10 मवेशी डूबगये उन को बचाने के लिये भी क्या कोई कदम उठाया गया ?

मंत्री : वैसे गवर्नमेंण्ट तो नहीं करती मगर मौका मिले तो यह काम करती है और करना भी चाहिए ? अगर कोई अफसर मौके पर हाजिर हो तो वह लोगों की इस हालत में मदद कर सकता है ।

श्री धर्मवीर वासिष्ठ: क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जब यह मालूम है कि नहर इतनी गहरी और चिकनी है तो डूबने से बचाने का कोई इन्तजाम क्यों नहीं किया हुआ, अगर किया हुआ है तो वह क्या है ?

मंत्री : उस के mud में दो दो feet मिट्टी साथ में मिला दी गई है । आम तौर पर mud रुकावट पैदा करता है । पर अगर कोई मरने के लिये आ ही जाये तो इस में हम क्या कर सकते हैं ।

श्री राम स्वरूप: क्या गवर्नमेंण्ट को विश्वास है कि सिर्फ 10 मवेशी ही मरे होंगे ?

मंत्री : यह तो आप अपने दिल से ही पूछिये आखिर जो मिनिस्टर कहते हैं कोई गलत थोड़ा ही कहते हैं । आप उन पर विश्वास करें ।

श्री राम स्वरूप : क्या कोई आदमी भी डूब कर मरा है ?

Mr. Speaker: This question does not arise.

REDUCTION IN WATER RATE

***3498. Pandit Shri Ram Sharma** : Will the Minister for Irrigation be pleased to state—

(a) whether it is a fact that some reduction was affected by the Government in rate of water tax; if so, the latest instructions issued to the Canal Patwaris for realization of abiana from the wheat crops sown along with sarson;

(b) whether it is also a fact that in case of mixed crop the whole abiana is charged on the basis of costly crop; if so, the reasons therefor ?

Chaudhri Lahri Singh : (a) Yes, abiana has been reduced on wheat and gram crops only. No instructions were, therefore, issued in respect of realization of abiana from the wheat crops sown along with sarson as the reduction in the water rates did not apply in the latter case.

(b) Yes, as per Rule 23 of the Canal Act which runs as follows:—

" Mixed crops which have no specific name in the schedule of occupier's rates shall be assessed at the highest rate leviable on any-one of them".

This rule is not intended to be applied to accidental mixtures of seeds or to mixtures which do not have the effect of appreciably raising the value of the out-turn of the lower-rated crop.

पंडित श्री राम शर्मा : क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि इस बात का कौन फैसला करता है कि सरसों कितनी और दूसरी जिनस जिस की आड़ लगाई गई हो वह कितनी है ?

मंत्री : पटवारी या ज़िलादार करता है ।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या गवर्नमेंट के पास figures हैं जिन से यह पता चल सके कि जिन का abiana वसूल किया गया था उन की चीज़ें अलहदा २ कितनी २ थीं ?

मंत्री : अगर आप इस सवाल का नोटिस दें तो पता मंगवा कर बता सकता हूं । इस वक्त नहीं बता सकता ।

श्री धर्मवीर वासिष्ठ : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जहां गेहूं के खेत में कोई बाड़ लगी हो उस का अंदाजा कैसे लगाया जाता है ?

मंत्री : एक एक या दो दो फुट दूर तक होती है । अगर आमदनी ज़्यादा हो तो भी इस का अंदाजा लगाया जा सकता है ?

श्री तेग राम : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जहां पर गेहूं का खेत हो और सरसों की बाड़ हो या सरसों का खेत हो और गेहूं की बाड़ हो तो उस के लिये आब्याना का फैसला कैसे किया जाता है ?

MANUFACTURE OF TRACTORS IN GOVERNMENT CENTRAL WORKSHOP AMRITSAR.

***4050. Sardar Chanan Singh Dhut :** Will the Minister for Irrigation be pleased to state—

(a) whether the Government Central Workshop, Amritsar, has started manufacturing tractors, if so, the estimated cost per tractor so manufactured by it ;

(b) the steps, if any, taken by the Government for the manufacture of tractors on a mass scale in the said workshop and for their sale ?

Chaudhri Lahri Singh : (a) No. Only a sample tractor has been manufactured.

(b) The scheme of manufacture on mass scale is under the active consideration of the Government in collaboration with Messrs Gebr. Eicher Forstern/Obb, West Germany.

HOUSING SCHEMES IN THE STATE

***4430. Shri Ram Kishan :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether any low cost and high cost housing schemes have been prepared for the State; if so, the details thereof, respectively;

(b) whether any applications have been called for from districts from persons interested; if so, the number of applications received and the amount of the loan asked for under each Scheme separately;

(c) the total amount available for the whole State for the said schemes;

(d) the details of instructions received, if any, from the Union Government in this connection and the action taken thereon?

Shri Bhim Sen Sachar : (a) A Low-Income Group Housing Scheme has been introduced at the initiative of the Government of India. The Scheme aims at enabling persons who earn less than Rs 6,000 per year to build houses, by taking loans from Government returnable in 30 years. A copy of the detailed instructions of the Punjab Government on the subject is given below.

(b) Applications have been invited by Deputy Commissioners in each district. The details of these applications are not available with Government.

(c) The amount has not yet been specified by the Government of India.

(d) A copy of the Union Government instructions is also given below. Detailed instructions have been issued to Deputy Commissioners who have invited applications. Loans will begin to be issued shortly.

GOVERNMENT OF INDIA.

MINISTRY OF WORKS, HOUSING AND SUPPLY.

No. HII-3(5)/54-Vol.-II

FROM

SHRI M. R. SACHDEV, I. C. S.,
Secretary to the Government of India.

To

ALL CHIEF SECRETARIES OF PART 'A', 'B', AND 'C' STATES.

New Delhi, the 20th November, 1954.

Subject.—LOW-INCOME GROUP HOUSING.

SIR,

THE Five-Year Plan envisages financing by the Central Government of low-income group housing to a certain extent by means of long-term loans. In pursuance of this, the Government of India have formulated a Low-Income Group Housing Scheme which is enclosed. This Scheme, in the first instance, should preferably be worked in large areas where housing shortage is acute and, extended later on, to other places in the light of experience gained and the finances available for the construction of houses.

2. Under this Scheme 30-year loans will be advanced to State Governments carrying interest at the usual rate, interest on loans sanctioned during the year 1954-55 being 4½ per cent per annum, for disbursement to persons whose incomes do not exceed Rs. 6,000 per annum, or to housing co-operative societies consisting of such persons. This loan assistance will be limited to a figure not exceeding 80 per cent of the actual estimated price of the house, inclusive of land, subject to a maximum of Rs. 8,000 per house. Loans, on almost similar terms, will be given to State Governments for the housing of the low-paid staff of their local bodies. In addition, the Scheme provides for separate 3-year loans to the State Governments at the usual rate of interest, the rate during 1954-55 being 3¼ per cent per annum, for the acquisition and development of building sites to be sold to low-income groups on a no-profit no-loss basis.

3. It will be seen that the Scheme, as formulated, deals mainly with the allotment of funds by way of loans to State Governments. It does not deal with the administrative details about how these loans should further be disbursed by the State Governments to the low-income groups. This omission is deliberate, as the Government of India feel that the State Governments should be allowed the maximum latitude possible to work out these details in the light of their particular requirements and in order to implement the Scheme as early as possible. Government of India, therefore, trust tha

[Chief Minister]

the State Governments will set up without delay the necessary administrative machinery to work out these details and implement this Scheme. It will be on the working of this machinery that will depend the success or failure of the Scheme.

4. The more important questions which this administrative machinery will be called upon to resolve are enumerated below :—

(i) the State Governments will have to decide on the rate of interest which they, in their turn, will charge the parties who come up to them for aid under the Scheme. Government of India trust that it will be possible for the State Governments to advance further the loan at practically the same rate of interest as they themselves have to pay to the Central Government and that, in any case, they will not fix the rate at too high a figure ;

(ii) the State Governments will have to decide on the manner in which they will disburse the loans to the low-income groups. It will be for the consideration of the State Governments whether they would not like to pay the loans in stages related to the progress of construction of the houses. Thus 20 per cent of the loan could be advanced when the parties concerned are possessed of the land and can undertake construction immediately; 50 per cent of it when construction reaches the plinth level and the remainder when the construction reaches the roof level ;

(iii) the State Governments will have to decide fairly early the terms and conditions which will govern the disbursement of the loans by the State Governments to the different parties. Agreements will have to be drafted about the giving of the loans and the mortgage of the property by the loanees to the State Governments ; rules will have to be framed to determine the priority in which loans will be disbursed and regulations will have to be made to ensure that construction is in fact proceeding on the lines sanctioned by the State Governments ;

(iv) the State Governments will obviously have to exercise very sparingly the discretion given to them to sanction loans to a person who already owns a house. The greatest degree of diligence and care will also have to be exercised to ensure that persons with an income exceeding Rs 6,000 per annum do not manage under one pretext or another to get the benefits of the Scheme;

(v) since the State Governments are allowed under the Scheme to construct the houses themselves initially, and to sell them later on to the low-income groups, it will have to be determined soon what the number of houses should be in each state which the government itself will construct by finding from within its own resources the 20 per cent of the cost of these houses. In case the State Governments cannot find themselves this 20 per cent easily, it will be for consideration whether they should not ask the intending purchasers of the houses to pay this amount in advance ;

(vi) the State Governments will have to choose immediately the areas which they desire to acquire and develop in terms of paragraph 4 of the Scheme for sale to such of the individuals and the co-operatives of low-income groups as apply for aid :

(vii) the State Governments will have to ensure that the local authorities give quick approval to the building plans submitted to them by the low-income groups, and that the constructions are not unnecessarily delayed on this account. They will also have to arrange that the building materials are in fact made available to such of the persons who desire to build their houses under this Scheme ; and

(viii) the State Governments will have to work out the terms under which they will sell the houses under the hire-purchase system and they will also have to see that satisfactory provisions in this respect are incorporated in the by-laws of such of the co-operatives as intend constructing the houses initially themselves for sale later on to their constituent members.

5. The matters for the consideration of State Governments mentioned above are only illustrative, but they do emphasise the fact that the greatest degree of liaison will have to be maintained not only between the various departments of Government, which will deal with this Scheme, but also with such executive authorities as the District Collector or the Deputy Commissioner, who will be incharge of the acquisition of land; the municipal authorities who are

responsible for approving the building plans; the retailers, who supply the building materials and the Public Works Department which will, in most cases, probably undertake the construction of the houses on behalf of Government. Government of India are confident that if a small "working cell" of the officials concerned is set up in each State Government with the requisite power and authority, it could resolve, without any great loss of time, all the questions that it may be confronted with in the implementation of the Scheme.

6. As it is not possible to determine at this stage the response which the Scheme will evoke, it is not possible to indicate the sum which can be allocated by the Government of India to the State Governments for the implementation of this Scheme. It will facilitate matters considerably, however, if the State Governments could send to this Ministry within a period of one month of the receipt of this letter, their probable requirements of a loan from the Central Government. In doing so, they should separately indicate the amounts which they will require under paragraphs 3, 4 and 8 of the Scheme, keeping in mind the fact that the work of constructing the houses with the help of this loan and of acquiring and developing the land under the Scheme will have to be completed by the end of March 1956, that is , the end of the First Five-Year Plan period.

7. Most of the State Governments, have at one time or another, either written to this Ministry or to the Planning Commission about their requirements of aid for low-income group housing. It is requested that these requirements may now be revised in the light of this Scheme and this Ministry informed, as soon as possible, of the money that will be required and the dates on which it should be paid.

8. I am to express the hope that you will give wide publicity to this Scheme, that you will soon in ite applications for aid under its provisions and that you will set up early the administrative machinery required to implement it in your State. A few spare copies of this letter and the Scheme are enclosed.

Yours faithfully,

M. R. SACHDEV,

Secretary to the Government of India

LOW-INCOME GROUP HOUSING SCHEME

Grant of loans for the acquisition and development of building sites and the construction of homes.

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF WORKS, HOUSING AND SUPPLY

LOW-INCOME GROUP HOUSING SCHEME

1. *Introduction.* This Scheme deals essentially with the disbursement of loans by the Central Government to State Gorvernments for the purpose of enabling persons in the low-income groups to build and own their houses. The State Governments, in their turn, are expected to pass on the loans to individuals or to co-operative housing societies belonging to the low-income groups. They can also, if they so desire. loan the money to a Housing Finance Corporation for the entire State which will provide all the facilities to the low-income groups for the construction of houses.

2. *Scope of the Scheme.* Aid under this Scheme is envisaged primarily for persons who do not already own a house and whose income does not exceed Rs 6,000 per annum. There will, however, be no objection to a State Government advancing a loan to an individual even if he owned a house already, provided that the additional house is needed for his bonafide residential purposes.

3. *Financial Assistance.* (a) Cehtral assistance to State Governments will be in the shape of loans at the usual rate of interest, recoverable in 30 annual equated instalments. The rate of interest will be 4½ per cent per annum during 1954-55 ; the rate of interest for subsequent years will be announced later. The loan will carry interest from the date on which it is advanced and repayment will commence from a date two years thereafter. The responsibility for the repayment of the laon and the interest on it to the Government of India will be that of the State Government.

[Chief Minister]

(b) The loan assistance by the Central Government will not exceed 80 per cent of the actual cost of the houses including land for which the State Governments apply for aid, subject to a maximum of Rs 8,000 per house. In other words, the individuals, co-operative societies or the Housing Finance Corporations will have to raise at least 20 per cent, of the finances themselves, the cost of land already acquired by a party applying for aid being taken into account in computing the figure of 20 per cent. Normally, the houses built under this Scheme should not cost more than the figure of Rs 10,000. but there is no objection to houses being built at a cost higher than this figure. Central assistance will, however, in no case exceed the figure of Rs 8,000.

If, however, the State Government intends giving loans to those who apply for them at figure less than 80 per cent of the cost of the house including land, Central assistance to the State Government will be limited to that figure.

(c) The State Government can, in its discretion, advance under such terms as it thinks fit and , in such manner as it considers best, the money so received from the Central Government to individuals or Co-operative Housing Societies or the Housing Finance Corporations at the reasonable rates of interest against suitable securities to be furnished by these parties. The State Government will, however, in all cases be responsible for the repayment of the loan to the Government of India.

(d) The State Governments will send quarterly statements on the disbursement of loans to the Societies together with the progress reports on the construction of houses to the Government of India. If there is no substantial progress in six months after the date of advance of the Central loan or , if the progress made has no relation to the amount of money advanced, the loan may be withdrawn or suitably curtailed at the discretion of the Government of India.

4. *Assistance for the provision of land.* As the provision of land is an important factor in the construction of a house, and as land-prices are generally high, the State Governments should try to arrange, where possible, the allotment of land to intending builders, at as low a price as possible. In order to enable the State Government s to acquire suitable sites and sell them after development to parties applying for aid under this Scheme the Government of India will be prepared to advance them loans, over and above what is mentioned in the preceding paragraph. This land can also include the requirements of a park or parks which the State Government desire to incorporate in a housing colony. These loans to be disbursed during the year 1954-55 will bear interest at 3½ per cent per annum, and will be repayable within 3 years during which period the sites must be sold on a no-profit-no-loss basis to the intending house owners. The State Governments should however, acquire land only when they are certain that they can dispose of it, after development, within this period of three years.

5. *Agency for the construction of houses.* Houses under this Scheme can be constructed by either or all of the agencies mentioned below :—

(i) the individual himself ;

(ii) the co-operative society ; and

(iii) the State Government or any authority designated by it;

provided, however, that if it is the State Government or any authority designated by it which builds the houses, the houses must be sold outright or on a hire-purchase basis to co-operatives or individuals. The State Government cannot continue to be the permanent owners and rent these houses.

6. *Minimum and maximum standards of accommodation.* The accommodation to be provided in each house, built under this Scheme, should not be less than 380 square feet of floor area and normally not more than 1,200 square feet of floor area. The State Governments are, however, expected to ensure that, as far as possible. 2-roomed houses at least are built and that costly structures are discouraged.

7. *Specifications and Densities.* (a) The specifications, designs, estimates and layouts will be approved by the State Governments before they allow the construction of the houses. Copies of the approved plans (site plan, layout plan and building plan), detailed specifications and detailed estimates, etc., should be sent to the Ministry of Works, Housing and Supply, Government of India, for information.

(b) The State Government will ensure that before the last instalment of loan is paid to the party building the house, the development of site, provision of water-supply, street-lighting, drainage, sewerage, and laying of roads, etc., in the colony have been completed.

(c) It is recommended that the housing projects sanctioned by a State Government should not have densities higher than the following :—

(i) Single-storeyed development 20 to 25 houses per gross acre.

(ii) Double-storeyed development 30 to 35 houses per gross acre.

(iii) Three-storeyed development 40 to 45 houses per gross acre.

(iv) Four or more storeyed development 50 to 60 houses per gross acre.

8. *Assistance to Local Bodies.* Loans on the same terms as in para 3 (a) will also be made available by the Government of India to the State Governments for disbursement to local bodies for housing their low-paid staff. Loan assistance in this case will, however, be limited to 80 per cent of the actual cost of the house including land subject to a maximum of Rs 2,800. In other words, the State Governments or the local bodies will have to find the remaining 20 per cent of the cost from their own resources. The ownership of these houses will vest with the local bodies which may rent them out to their low-paid staff. The local bodies are, however, free to sell these houses outright or on a hire-purchase basis to their low-paid staff.

N.B. The total amount of loans for local authorities under this paragraph will not exceed 25 per cent of the total loan made available to the State Government under this Scheme.

9. *Applications for assistance.* Applications for aid under this Scheme by Central Government employees or co-operatives of such employees will be entertained by the Ministry of Works, Housing and Supply direct, through the administrative Ministries concerned. All other applications will be entertained by the State Governments concerned.

LOW-INCOME GROUP HOUSING SCHEME—INSTRUCTIONS

For the Disbursement and Recovery of Loans

(Punjab Government letter No. 4152-Pg.-54/384, dated the 18th January, 1955)

No. 4152-Pg.-54/384.

FROM

E. N. MANGAT RAI, ESQUIRE, I.C.S.,

Secretary to Government, Punjab,
Planning Department.

To

ALL DEPUTY COMMISSIONERS IN THE PUNJAB.

Dated Chandigarh, the 18th January, 1955.

Subject.—Low-Income Group Housing Scheme—Instructions for the Disbursement and Recovery of Loans.

SIR,

Scope of this letter.

I AM directed to convey detailed instructions about the Low-Income Group Housing Scheme. Though the main outlines of the scheme have been brought to your notice already in obtaining an estimate of the requirements of your district this letter repeats the relevant information, so that you have all the necessary material in a single document.

I. THE SCHEME

A. The Government of India Offer.

Outlines of the Scheme.

2. The scheme has been initiated, on an All-India basis, by the Central Government and seeks to provide funds, through which the middle class and lower income groups may be able to construct and own houses. It provides for the advance of money, on the basis of loans to State Governments to be utilised for three different purposes :

[Chief Minister]

(1) *The construction of houses by lower income groups, or by Co-operative Building Societies comprising such persons.* The features of this part of the scheme are :

(a) The Central Government will advance 30-year loans to the State Government, which will be responsible for their repayment. The rate of interest will vary annually, that for the current year being 4½ per cent.

(b) The State Government will in turn advance loans to individuals or Co-operative Building Societies, within the following provisions :—

(i) The individual taking a loan shall not have an income of more than Rs 6,000 per year. If a co-operative society is involved, its members, shall not include persons above this level of income.

(ii) The maximum amount of loan shall be Rs 8,000 per house, or 80 per cent of the value of the house and site, whichever is less. That is to say in all cases the builder will be expected to contribute 20 per cent of costs himself.

(iii) Generally loans shall not be advanced to persons who have a residential house already, though such an advance may be made where there is evidence that the new house will be used for bona fide residential purposes. Generally also, loans shall not be advanced for houses costing above Rs 10,000 though here again suitable exceptions may be made, provided that the loan given by Government shall not exceed Rs 8,000 per house.

(iv) The accommodation in each house shall be at least 380 square feet, and shall normally not exceed 1,200 square feet. Costly structures should be avoided but at least two rooms should be constructed.

(c) The Scheme will operate up to the end of March, 1956, and houses should be constructed by that date.

(2) *The construction of houses by Local Bodies for their lower-paid employees.* The Central Government Scheme permits the advance of loans by the State Government to Local Bodies, for the construction of houses by them for their lower-paid employees, on terms similar to those at (1), except that :

(a) The loan shall not exceed Rs 2,800 per house which means that this will represent 80 per cent of the value of the house *plus* site, unless the Local Body is prepared to find more than 20 per cent itself.

(b) The Local Body may—

(i) rent the houses to their staff ; or

(ii) sell them outright to the staff ; or

(iii) sell them to the staff on a hire-purchase system.

(3) *Loans for the development of sites.* These loans are to be short-term for 3 years at a rate of 3½ per cent for the current year to State Governments, to acquire and develop sites for sale to the public.

Details left to the State Government

3. The Central Government have left the further details for operating the schemes to the State Government. These cover such matters as the rate of interest which the State Government will in turn charge from loanees, including Local Bodies, the type of security to be taken for advancing loans, the determination of priorities between applicants, and several others which will be dealt with in the course of this letter.

B. Punjab Government's decisions regarding some important details.

Limits of Loans.

4. (1) While the decisions of this Government will emerge more conveniently in the detailed instructions which follow, there are certain points which may be usefully cleared at this stage.

(2) Besides the limits and conditions set on the amount of loans which may be advanced to an individual, as at para 2(b)(i) to (iv), it has been decided that in order to link up the amount of loan directly with the ability to pay, the following maximum will apply :

Annual income		*Maximum loan*
		Rs
Rs. 1,800 and below	..	3,000
Rs 1,801 to 3,000	..	5,000
Rs 3,001 to 4,500	..	6,500
Rs 4,501 to 6,000	..	8,000

(3) There will, of course, be no objection to allowing an individual a smaller loan than that prescribed by these limits.

(4) In the case of advances to Co-operative House-building Societies, it may not be possible to go into details regarding each house to be constructed, and the exact income of each member of the society. As far as Government has been able to ascertain from you, demands from such societies are very limited, and it should, therefore, be possible to discuss their demand with the President, or other responsible official of the society, and to keep broadly within the limitations mentioned above.

Rrate of interest.

5. Government has decided that the rate of interest to be charged for loans to individuals, House-building Co-operatives, and Local Bodies shall be 1/2 per cent above the rate charged by the Central Government, which means that at present rates, the rate to be charged will be 5 per cent. This rate will be lowered or increased depending on changes, if any, made by the Central Government. I am to point out that this rate represents a concession on the part of the Punjab Government, as it normally charges 1 per cent more.

Repayment of the Loan.

6. It has been decided that loans shall be repaid in thirty annual equated instalments of principal and interest, the first instalment being due one year after the first instalment of the loan has been sanctioned in favour of a loanee.

Security and Instalments.

7. (1) The form of agreement with each loanee will provide for the mortgage to Government of the site and House.

(2) In addition to (1) above, Government has considered carefully whether to insist on the provision of sureties, and has decided that desirable though this is from the point of view of security, it may mean a hardship to many of the poorer borrowers. It has therefore, been decided that where a surety is not provided, Government should protect itself by advancing the first instalment of the loan only when the house has got to plinth level.

(3) Following from (2) above, loans shall be advanced in instalments to cover the following two classes of cases :

(a) Where the loanee produces a surety for the return of the loan, he will receive the loan; provided he has a site in his possession for the construction of the house as follows—

(i) 20 per cent as a first instalment ;

(ii) 50 per cent when the house has reached plinth level ;

(iii) the balance 30 per cent when the house has got to roof level.

(b) Where the loanee does not provide a surety, he will receive the loan in the following instalments :

(i) 50 per cent when the house has got to plinth level ;

(ii) 50 per cent when the house has got to the roof level.

(4) In the case of Local Bodies and Co-operative House-building Societies, it will not be necessary to insist on sureties, and advances may be made on the usual conditions of Government advances to such organisations.

[Chief Minister]

Specifications and costs.

8. (1) It is most important that applicants for loans should not be put to difficulties in the matter of having to conform to meticulous and detailed rules regarding the submission of layout plans and designs.

(2) On the other hand, it is also imperative that Government should be able to protect itself from a situation where, if it has to proceed, for the recoupment of a loan, against the house and land of the loanee, it should find that the amount that can be recovered in this way is less than the amount of loan together with interest on it. It is also important that when a large number of houses are being constructed in this way, certain standards are maintained in the matter of providing decent living conditions, and preventing the creation of slums.

(3) To meet the somewhat contradictory objectives mentioned at (1) and (2) above it has been decided that the following compromise will possibly be satisfactory and practical :

(a) At the stage when an application for a loan is put in, the applicant should include a drawing showing the design of the proposed house, togehter with a rough estimate of the cost on that plan, certified by a technical person not below the rank of a draftsman or overseer, whether working in private or official capacity.

(b) When the loan is sanctioned and the applicant comes forward for the receipt of the first instalment of it, he should also certify that his design has been approved by the Municipality, Small Town Committee or Notified Area Committee concerned. In the case of rural areas, it will not be possible for him to submit such a certificate.

(4) It follows from 3(b) above that you should take up with Municipalities, Small Town Committees and Notified Area Committees the question of providing adequate facilities for the quick vetting of applications received for building houses in their areas. You should ensure that there is no hold up at the offices of these Committees.

Building materials.

9. With the substantial measure of decontrol it is hoped that building material will be available to meet the demand from loanees. Should you, however apprehend any shortage, timely notice should be given, with as practial a proposition as possible, to the department concerned with the material in question, with a copy of your letter to this department.

Priorities.

10. (1) It is not yet known what amount of money the Central Government will place at the disposal of the Punjab for this Scheme. A demand, based on the requirements you have intimated, has been sent to them. It is possible that the amount given by them permits you to grant loans without having to pick and choose between claimants, who otherwise fulfil the conditions.

(2) In case, however, an order of priority becomes necessary, and you should act on the assumption that it will, Government has decided that priority should be given as follows :—

First Priority—To those who have no house of their own, and within this class according to the income groups mentioned at paragraph 4(2) ; that is first to those whose income is below Rs 1,800 ; next to those between Rs 1,801 and Rs 3,000 and so on.

Second Priority—To those who already have a house, and within this class as above:

Provided that if it becomes necessary to make a selection from applicants wtihin one of the groups mentioned above, such selection shall be done by lot.

(3) Co-operative House-building Societies should be considered as first Priority of the highest class. The demand here is small.

(4) The demands from local bodies are few, and Government will indicate the loans to be given, on the basis of the figures already forwarded by you, and decision of the Central Government regarding the amounts to be placed at this Government's disposal.

II. LOANS TO INDIVIDUALS AND CO-OPERATIVE HOUSING SOCIETIES.

A. *Inviting Applications.*

Applications to be invited.

11. (1) Government will, simultaneous with the issue of these instructions to you release a Press Note informing the public that they should get aplication forms, from your offices towards the end of January, or early February, 1955.

(2) Work relating to this Scheme should be done in your offices by the District Development Officer with the assistance of the Development Branch. At Simla, where there is no District Development Officer, the Deputy Commissioner will allocate this work elsewhere. It is true that in most districts experience of this kind of work is to be found in the Urban Resettlement Organisation. You should arrange to draw on this experience, to the extent that it is useful, by local arrangements for liaison between the District Development Officer and the Urban Resettlement Officer.

(3) In some districts where there may be a spate of applications to be considered, you may find it necessary to create temporarily the post of a clerk or two, for which you have the necessary powers. Should you take such action, this department should be informed.

(4) As soon as you receive these instructions, you should undertake the widest local publicity possible, inviting applications in prescribed form, and fixing a firm date by which these are to be received. It is suggested that this date should be February 20, 1955. You will simultaneously arrange for people to be conveniently able to get application forms from your office, and if possible, subordinate offices at Tehsils. Your publicity should state where forms will be available. It is hoped that applications forms will be printed and made available to you by the end of January, 1955, at the latest.

(5) In order to ensure that forms are not misused, a charge of 2 annas per application form will be made. This charge should not mean indulging in too meticulous activity for the accounting of these forms, which may hold up the public receiving them when they call. A simple arrangement would be for the District Development Officer to keep blank application forms in his custody, and issue counted numbers to subordinates, who would collect cash for them across the counter, pay in this cash each day, and get recouped to the extent of forms disbursed. Some similar arrangement could also be made at Tehsils.

Form of Application

12. Your careful attention is invited to the Application Form LIGH. 1,at the end of this letter. The entries required of the applicant explain themselves, and their use will become clearer in the detailed instructions which follow. No separate form is being prescribed for Co-operative Building Societies. The reason for this is that demands from two Societies only have been received from the Deputy Commissioner, Amritsar. In their case, therefore an application should be invited on an *ad hoc* basis, giving at least the following particulars :—

(1) Name of the Society.

(2) Its registration number and particulars to show its authenticity.

(3) Its registered address.

(4) The name and address of its office-bearer, who conducts bussiness on its behalf.

(5) Its composition—Number of members and certificate to the effect that they comprise persons earning less than Rs 6,000 per mensem each.

(6) The number of sites for building, which it proposes to use, their location, and the area of each.

(7) The cost of each house individually or in groups which it proposes to construct.

(8) The amount of loan it requires and how this has been calculated.

(9) A certificate to the effect that it will spend 20 per cent of the cost of the land and houses itself.

(10) The Treasury at which payments should be made to it, and where it will return the loan.

The application then should be routed through the Assistant Registrar, Co-opratives, concerned, who should be asked for his comments on it.

B. The Receipt of Applications.

Receiving Applications

13. (1) It is important that careful arrangements should be made in advance for the receipt of applications, particularly in districts where there is likely to be a rush in a concentrated period. A clerk or more should be deputed to receive replies, and deal with the preliminaries effectively. This clerk (or clerks) is referred to subsequently as the "Receiving Clerk".

[Chief Minister]

(2) Where applications are received in person, the Receiving Clerk will have no more time at this stage than to glance through them. He should see that entries are filled in against all important items, particularly (*see* Form LIGH. 1)—

Item 6 relating to income.

Item 7 relating to land for builing a house.

Item 8 relating to the area and cost of the house and to insure that a plan with an estimate of cost is attached.

Item 9 relating to the amount of loan sought.

Item 15 relating to the Treasury where payment will be made.

(3) The Receiving Clerk should then—

(*a*) Enter the Serial No. of the application in column 1 of the loose leaf Register to be maintained in Form LIGH. 2.

[*Notes.*—(i) This serial number will run continuously from 1 onwards. Where more than one clerk is used, they should at the beginning of the day reserve certain numbers between them (e.g., one clerk may take from 1 to 100 and another from 101 to 200) and fill up numbers from 1 and 101 onwards, respect-tively, taking action to fill up gaps at suitable times.

(ii) If work is organised through Tehsils or another smaller unit, the serial number for each unit should start from 1, but be prefixed in each case by a distinctive letter (which may be the first letter of the name of the Tehsil, for example), so as to differentiate between one set of applications and another.

(iii) It is important to note that for all future correspondence, and reference LIGH. 2 the application concerned shall bear the number given to it at Column 1 of the Register.]

(b) Enter the Serial Number of the Application at the back of the Form LIGH. 1, which is marked for offical use only.

(c) Enter the Applicant's name, and Serial Number on the perforated slip to be detached and returned to him.

(d) Enter the date when the applicant may expect an answer, both on the perforated slip and at the back of the application form, in the space provided for this purpose.

(*Note.*—With regard to the date to be fixed for an answer, this should be organised in advance by the District Development Officer, who will take into consideration the number of applications likely to be received, and give adequate time for their consideration, as also adequate time for each applicant to receive an answer and attention when he calls for these.)

(e) Sign and date the perforated slip, tear it from the application and return it to the applicant or his messenger.

(f) If he has time before healing with the next applicant, he should complete entries also at columns 2 to 4 of the Register in Form LIGH. 2 ; otherwise he should keep the applications, and complete these entries at suitable intervals during the day. At this stage only columns 1 to 4 of the Register LIGH. 2 are relevant.

(4) Where applications are received by post or closed cover, not brought in person or by messenger, the Receiving Clerk will take action exactly similar to (2) and (3) above except that he will post the perforated slip returnable to the applicant, instead of delivering it to him across the table.

(5) At the end of each day, the Receiving Clerk, having completed all action required at (2), (3) and (4) above, will sort out applications in the order of priority indicated at para 10(2), arranged as between the various income groups, and as between the two broad classes First and Second. He will also arrange each bundle first putting those applications where the applicant has a site to build [Item 7(a) of LIGH. 1] and next those where he proposes to get a site [7(c) of LIGH. 1]. He will then send all applications in separate bundles, with a slip showing the character of each bundle, to the District Development Officer.

(6) Co-operative House-building Societies should be treated for purposes of this section in the same way as individual applicants, except that they will not apply in the Form LIGH. 1, but by *ad hoc* correspondence.

[*Caution*.--It is important that the public should not be put to any avoidable inconvenience or delay in carrying out these instructions. After the rush for application forms is over, which should be through by the end of the first week of February, there will be a gap of about a fortnight, which should be utilised in carefully organising work. It is imperative to its correct handling that all concerned with it should thoroughly master these instructions, in so far as they relate to action by them. It is also essential that the District Development Officer should make full arrangements in advance for meeting the requirements of these instructions].

C. Recommendation of Loans on Applications

Scrutiny of Applications.

14. (1) As indicated at paragraph 13(5), at the end of each day, the District Development Officer will receive applications from the Receiving Clerk. As far as practicable, these applications should be scrutinised as they are received and not allowed to mount up till all have come in. The scrutiny at this stage should be done by the District Development Officer together with an officer from the P.W.D., B. and R. The Deputy Commissioner will have to arrange for this assistance through the local Executive Engineer. The Executive Engineer or his Assistant Engineer will assist the District Development Officer in the scrutiny of loan applications, and will also assist the Deputy Commissioner in technical aspects of the scheme, should help be necessary. The Chief Engineer, P.W.D., B. and R. has approved this procedure. These Officers will have to sit together, and go through these applications one by one.

(2) Space has been provided at the back of Form LIGH. 1 for the recommendation of these two officers. Points (a) to (f) have been mentioned, as of particular importance to be kept in mind when deciding the case. Space has been provided to make the briefest remarks or comments, to serve as a memorandum for the future. Item (9) admits of any other impressions which seem relevant.

(3) Having considered each application against the provisions of the amount allowed for various classes of loanees (*see* paragraphs 10 and 4), the two officers will record their recommendation as to the amount of loan to be given. The P.W.D. Officers will advise particularly as to whether the estimated cost seems correct, the plan generally sound, etc.

(4) In the Form LIGH. 1 there is an entry regarding the class of the application. This classification should be done as follows :—

A. Where the applicant has a plot [Item 7(a) of Form] *and* offers surety [Item 14(a) of Form].
B. Where the applicant has a plot but does not offer surety.
C. Where the applicant does not yet have a plot [Item 7(c) of Form] but does offer surety [Item 14(a) of Form],
D. Where the applicant does not yet have a plot, and does not offer surety.

(5) At this scrutiny the application is to be judged from the points of view of suitability without reference to the fact that the money available with you will require you to cut down the number of loans. Factors like the suitability of the party must also be taken into consideration to the extent possible.

(6) Where the two officers consider the loan should not be granted, they should write 'Reject' in the space provided against the entry "and recommend a loan of Rs ——————————".

(7) There may be instances where the officers are not satisfied with the information in the form, or are suspicious of its authenticity, or for other reasons with further enquiry, to be made. In such a case these forms should have a saparate slip attached to them, with such directions as the officers wish to indicate. Enquiry should be made, as far as possible by local arrangements, through existing staffs working under you. For example, it may be possible to utilise officials in the Civil Supplies Department for this purpose. Arrangements for this kind of enquiry, and earmarking of personnel for it should be done in advance. It will be realised that such scrutiny will only be possible in a limited number of cases. When the enquiry has been made the application, with the report received about it, should be put up again to the two officers by the Receiving Clerk in the correct place, with the bundles of applications being put up that day. When an Enquiry is ordered in this way in order to keep track of papers, the Receiving Clerk will make a pencil entry in the remarks column of the Register LIGH.2, showing the person to whom the enquiry has been sent, the date fixed for the return of the papers, and the date on which papers have been sent for enquiry.

[Chief Minister]

(8) After the two officers have made recommendations on the applications, these should be returned to the Receiving Clerk, who will prepare, as he receives the bundles back, a rough statement showing the value of loans recommended by the two officers. This statement will be in Form LIGH. 2A., the return being kept on sparate pages for each priority income group [*see* para 10(2)]. Under columns 2 to 5 he will show the money recommended by the two officers as a loan, showing all loans for a A class loanees [*see* sub-para (4) above] under column 2, B class loanees under column 3, and so on. Where a rejection has been recommended, he will make an entry to that effect in the remarks column. Where further enquiry is to be made on an application, it should not enter statement LIGH. 2-A till final recommendations have been made by the two officers. The idea behind this statement is to be able to total up, at short notice, the value of loans recommended, in each class, so as to assess your requirements of money and its phasing.

(9) At the end of each day the Receiving Clerk should arrange all bundles received back up to date in the same order as indicated at para 13(5).

(10) The two officers should also make recommendations on a separate attached note in regard to any applications from Co-operative House-building Societies.

D. *Final Orders by the Deputy Commissioner.*

Final Orders for Loans.

15. (1) You should stop receiving further applications after the date prescribed for this. When all applications have been received, and have been through the scrutiny provided at paragraph 14, the case should be put up by the District Development Officer to the Deputy Commissioner. By this time Government will, on the basis of the orders of the Centre, be able to tell you the amount of money placed at your disposal, and also give you a rough idea of the dates by which it will be made available to you.

(2) The District Development Officer will work out the 'phasing of his requirements on the basis of the statements made in Form LIGH. 2-A. For example, Col. 2 of the statement provides for loans to persons who have land and will provide a surety. This means that 20 per cent of the amount recommended is likely to be needed immediately ; another 50 per cent say after two or three months when the house is at plinth level ; and the final instalment of 30 per cent in a further two months when the house is at roof level [*see* paragraph 7(3)]. In this way a fairly accurate idea of requirements will be available for Class A loanees. Similarly figures should be worked out for the other classes, and a picture of the total demand made available.

(3) The Deputy Commissioner will then, in consultation with the District Development Officer and the P.W.D. Officer, pass final orders on the applications in the space provided for this purpose on Form LIGH. 1. In doing so, he will bear in mind the money made available by Government, possible shortfalls in drawing loans, and all other relevant material. He may find it useful to keep a certain number of applications pending till actual event has shown shortfalls. Where, apart from financial reasons. a loan is rejected on merits this should be indicated so that it does not come up for consideration again should finance be forthcoming.

(4) The Deputy Commissioner will also pass orders in regard to any applications from Co-operative House-building Societies.

E. *Intimation to applicants.*

Rejected applications and those kept pending

16. (1) The next stage in operations will be informing applicants of the decision taken. At this stage a separate file should be opened for each loan to be sanctioned, and for convenience of reference, these files should be arranged in serial order of their application number as given in Register LIGH. 2. Applications which have been rejected may be kept together arranged in serial order of their application number as given in Register LIGH. 2. Applications which have been kept pending should be kept together, in similar order. When at any time in the future, one of these applications is taken up for a loan, a separate file should be made for it.

(2) With regard to applications which have been rejected, the applicants should be informed in Form LIGH. 9, after cutting out the portion underneath the line. The applicant may be informed by post, or, if he calls at the office, the reply in form LIGH. 9 handed over to him. When the reply issues, the necessary entry should be made at column 5 of Register LIGH. 2.

(3) Where an application has been kept pending, the applicant should be informed in Form LIGH. 9, after omitting the reference to rejection. A date should be filled in on an estimate of when a decision will be possible. At column 5 of Register LIGH. 2, an entry of this date should also be recorded, so that, if possible, a decision is made in time.

17. (1) All applications for which a loan has been ordered will now have a separate file of their own, as indicated at paragraph 16 (1).

Accepted applications.

(2) All applications will also have been classified A, B, C or D by the District Development and P.W.D. Officers, as prescribed at paragraph 14(4).

(3) The procedure for conveying orders to applicants will differ somewhat for eac h class A, B, C and D, and is described separately below .

18. (1) Class A comprises applicants who have a site for the construction of a house and have agreed to furnish surety for the loan. In their case, the following document shall be prepared—

Class A applications.

(2) *Letter in Form LIGH.* 3. The following instructions regarding some of the entries in this form will help in an understanding of it :—

(*a*) Reference Number of applicant—here give the number allotted to the applicant at column 1. of Register LIGH. 2, which number will also be available or the application form LIGH. 1 at the top of the entries marked "for use in office only."

(*b*) *Para* 1 *of LIGH.* 3—here fill in the total amount of loan sanctioned.

(*c*) *Para* 2—*under item.* (1) show 20 per cent of the loan to the nearest Rs 10; at item (ii) 50 per cent to the nearest Rs 10, and at item (iii) the balance, which will subject to the above rounding, be 30 per cent. The total should conform to the figure at paragraph 1 of the letter.

In item (ii) for class A loanees, cut out the words in brackets "(provided agreement is signed)" as they do not apply to this class of loanees.

(*d*) *Para* 3.—No comments at this stage, as the enclosures mentioned are dealt with at (3) and (4) below.

(*e*) *Para* 4.—No comments.

(*f*) *Para* 5.—No comments.

(*g*) *Para* 6.—No comments.

(*h*) *Para* 7.—The idea behind this is that you should not have to keep offers of loans open indefinitely, and should be able to assume that a loan will not be utilised if it is not taken up within 21 days.

(*i*) *Para* 8.—Space is provided for any amplification, or special instructions relating to the applicant.

(3) *Form LIGH.* 4 is to be enclosed in duplicate in the forwarding letter at Form LIGH. 3. Both copies should be filled in accurately by the Receiving Clerk, except that the following entries will be left blank at this stage :—

(*a*) *Preamble.*—date on which agreement made. This will be filled in when the applicant returns the signed agreement.

(*b*) Signature of person signing on behalf of Government and dates will be filled in when the applicant returns the signed agreement.

In itmes (6) the words in brackets should be cut out if there is no encumberance on the land.

(4) *Form LIGH.* 5 is to be enclosed in duplicate with the forwarding letter at Form LIGH. 3. You should fill in the entries at the top (sub-para 1) before sending the form.

(5) The Receiving Clerk will also prepare an office copy of Form LIGH . 3., which should be attached to the file of the applicant. He should, if the applicant calls hand over the letter, with enclosures, to him, and make an entry at column 5 of the Register LIGH. 2. The entry under " Answer given " should merely state "LIGH. 3 with two copies each of

[Chief Minister]
LIGH. 4 and 5". If the applicant does not call, the documents should be sent by post, a similar entry being made at column 5 of Register LIGH. 2, with an indication that the documents have been sent by post.

Class 'B' applications.

19. (1) Class B comprises applicants who have a site for the construction of a house but who are not going to provide surety. The main differnce in practice between them and class A will be that there will not be due an instalment of the loan till the house gets to plinth level. They will receive the loan in two instalments, 50 per cent when the house is at plinth level and 50 per cent when it gets to roof level. In their case, the following documents shall be prepared :—

(2) *Letter in LIGH.* 3.—The instructions at sub-para (2) of para 18 will apply except for the following modifications :—

(*a*) Para 2 of Form LIGH. 3.—Cut out item (i) ; at item (ii) show 50 per cent of the loan ; and at (iii) the balance. Do not omit the words in brackets at item (ii)

(*b*) *Para* 3—cut out words in brackets, as no surety will be required.

(3) *Form LIGH.* 4 is to be enclosed in duplicate and the instructions at para 18(3) will apply, except that :—

(*a*) at item (1) you will cut out reference to an instalment "on the execution of this deed," etc.

(*b*) item 11 (a) shall be omitted as the loanee will receive money only after he has constructed to plinth level.

(4) The procedure at para 18(5) will apply.

Class 'C' applications.

20. (1) Class C comprises applicants who have not at the time of their application got a building site, but who have agreed to provide surety. As possession of a building site is an essential requirement before money is advanced, the procedure in regard to these applicants will be as indicated below :—

(2) *Letter in Form LIGH.* 6. The instructions regarding the filling of Form LIGH. 3, under class A loanees will apply in full [(para 18 (2)]. The only difference is that para 1 of the letter makes the grant of the first instalment conditional on evidence of possession of land for construction.

(3) The enclosures to the letter at LIGH, 6, will be—

Forms LIGH. 4 in duplicate [instructions as at para 18(3)].

Forms LIGH. 5 in duplicate [instructions as at para 18(4)].

Form LIGH. 7 single copy, in which you will fill in items 1 to 3 at this stage.

(4) The procedure at para 18 (5) will apply ; in column 5 of Register LIGH. 2 the entry will be "LIGH. 6 with two copies of LIGH. 4 and LIGH. 5 and one of LIGH. 7."

Class 'D' Applications

21. (1) Class D consists of applicants who do not have land for building at the time of applying and who do not wish to provide surety. The difference between them, and Class C is that they will not only have to provide evidence of possession of land, but will not be able to draw the first instalment of the loan till they have built the house to plinth level.

(2) These applicants will be addressed in Form LIGH. 6 and the instructions at para 19 (2) in regard to Class B loanees will apply.

(3) Enclosures to their letter will be :—

Form LIGH. 4 two copies [instructions at para 18 (3).]

Form LIGH. 6 single copy, in which you will fill in items 1 to 3 at this stage.

(4) The procedure at para 18 (5) will apply ; at column 5 of Register LIGH. 2 the entry will be "LIGH. 6 with two copies of LIGH. 4 and one of LIGH. 7".

22. Co-operative House Building Societies will be treated as Class A of this section, even though they will not be required to provide surety. Letters to them will be written on an *ad hoc* basis, and they will be required to execute an agreement in Form LIGH. 4, suitably amended. Entries in Register LIGH. 2 will be made in their case as in others.

Co-operative House Building Societies

F. Payment orders for First Instalment (Class A and C) and further action required (Class B and D)

23. (1) The next stage in the procedure will be the return by the loanees of the agreement form, and other documents, if any, the documents wil be :—

Return of Agreement Form and other Documents.

Class A Loanees. (i) Agreement Form LIGH. 4 (two copies).

(ii) Surety Form LIGH. 5 (two copies).

(iii) (For urban loanees). Evidence that the house has been approved for construction by the Local Body concerned.

Class B Loanees.—Items (i) and (iii) above.

Class C Loanees.—Items (i), (ii), (iii) and (iv) LIGH. 7.

Class D Loanees.—Items (i), (iii) and (iv).

(2) On receipt of these documents the Receiving Clerk will—

(a) check up that the Agreement Form LIGH. 4 has been correctly filled up, signed and witnessed ;

(b) do similarly, where relevant, in regard to the surety Form LIGH. 5 ;

(c) check up that the evidence regarding approval of the plan by the Local Body concerned is there ;

(d) check up that, where relevant, Form LIGH. 7 has been provided.

If the applicant calls personally, any errors or omissions should be brought to his notice, and the documents returned to him for correction. If the applicant sends the documents by post, errors will have to be pointed out to him in writing.

(3) Having checked up the above, the Receiving Clerk will make an entry at Column 6 of the Register LIGH. 2, and will issue a receipt to the applicant in Form LIGH. 8.

(4) Each case will then have to be put up to the District Development Officer and Deputy Commissioner for signing of the agreement forms. At this stage the District Development Officer will have to scrutinise the material carefully to see that the requirements are met, as once the agreement is signed the commitment to a loan will be final.

(5) The Deputy Commissioner will sign both copies of the agreement form on behal of Government, and the case will then be complete for further action.

24. (1) For Class A loanees, it will now be possible to advance the first instalment of the loan, and for this purpose the Letter at Form LIGH. 10 will issue. This is a composite letter dealing with all classes of loanees, and all instalments of loans, and it is important that it should be understood so that only entries relevant to the occasion are used. At this stage it is to be used for sanctioning the first instalment of the loan to a class A loanee and the following instructions will apply—

Class 'A' Loanees Payment Order

(2) *Letter in Form LIGH.* 10.—

(*a*) *Paragraph* 1.—One copy of the agreement in Form LIGH. 4 should be attached to the letter, and the second copy filed with the applicants papers.

(*b*) *Paragraph* 2.—State amount of first instalment, which will be 20 per cent of the loan, rounded to the nearest Rs 10 per cent. Also include copy of a payment order, which is discussed at (3) below.

[Chief Minister]

(c) *Paragraph* 3.—No comments.

(d) *Paragraph* 4.—Enclose copy of Form LIGH 12, so that progress reports are sent. In the blank space the first progress report should be asked for at the end of the current quarter, March, June, September, or December as the case may be.

(e) *Paragraph* 5.—Here state at this stage "Second" in the blank space provided the amount of the second instalment, and cut out the word, "roof".

Enclose copy of Form LIGH. 13 after filling up items 1 to 3.

(f) *Paragraph* 6.—Should be cut out, as it is not applicable at this stage.

(3) The enclosures to the letter at Form LIGH. 10 will be :—

(i) Copy of agreement in Form LIGH. 4.

(ii) Copy of payment order to Treasury in Form LIGH. 11.

(iii) One copy of Form LIGH. 12.

(iv) One copy of Form LIGH. 13.

Of these items (i), (iii) and (iv) are self-explanatory. With regard to item (ii) this should be filled up in quadruplicate the first copy marked 'original', the second 'duplicate' and the third 'triplicate', and the fourth 'office'. The original and duplicate should be sent to the Treasury concerned, who will return the duplicate after making payment ; the triplicate should be included in the letter LIGH. 10 to the loanee ; and the office copy should be kept on record with his file.

(4) After making documents as above, these should be made over to the loanee, if he calls, or posted to him and payment order in Form LIGH. 11 sent to the Treasury in duplicate. The Receiving Clerk should then make an entry at column 7 of the Register in Form LIGH. 2. Under "details" he should state' 'LIGH. 10, with copy LIGH 4, 11, 12 and 13 ; 2 copies LIGH. 11 to Treasury".

(5) The Receiving Clerk should also at this stage open a page in the Ledger Account to be maintained in Form LIGH. 16. He should fill in all the entries at the top except those at the right hand side. He should also fill in columns 1 to 4 of entries against the first instalment. A separate page should be allotted to each loanee, and an index prepared in alphabetical order of names and placed at the beginning of the Register, showing the page where a particular loanee's account will be found.

Class 'B' Loanees—Return of Agreement.

25. (1) In the case of Class B loanees it will not be possible at this stage to actually sanction payment of a loan to them, as they will first have to construct the house to plinth level, in view of the fact that no surety is offered. The procedure will be as follows :—

(2) *Letter in Form LIGH.* 10.—

(a) *Paragraph* 1.—One copy of the agreement should be returned, the other being retained on the file of the applicant.

(b) *Paragraph* 2.—This para will not apply at this stage and should be cut out of the reply.

(c) *Paragraph* 3.—This para will not apply at this stage and should be cut out of the reply.

(d) *Paragraph* 4.—This para will not apply at this stage and should be cut out of the reply.

(e) *Paragraph* 5.—In the first blank put in "first" and in the second 50 per cent of the amount to be given. Cut out the word "roof". A copy of Form LIGH. 13 should be enclosed, after filling in items 1 to 3.

(f) *Paragraph* 6 should be cut out as it is not relevant at this stage.

(3) The enclosures to the letters at LIGH. 10 will be—

(1) Copy of Agreement in Form LIGH. 4.

(2) Copy of Form LIGH. 13.

These require no explanation.

(4) After making documents as above, these should be made over to the loanee, if he calls or posted to him. The Receiving Clerk should make a pencil entry in the Remarks Column of Register LIGH. 2 stating "LIGH. 10 with copy LIGH. 4 and 13." No further action is required at this stage.

Class 'C' Loanees—Payment Order-

26. This class of loanees will now be eligible to receive the first instalment of the loan, and action identical to that at paragraph 24 should be taken in regard to them.

Class 'D' Loanees—Return of Agreement-

27. Action in regard to these should be identical at this stage, as that for class B loanees (paragraph 25).

Co-operative House-building Societies-

28. Co-operative House-building Societies shall be treated, on the basis of correspondence, in the same manner as Class A loanees. They will not, however, be required to provide a certificate in Form LIGH. 13, but to report construction of houses up to plinth level, through the Assistant Register concerned. They will have to submit progress reports in Form LIGH. 12, in respect of groups of houses being constructed simultaneously.

G—*First Instalment of Loan for Class B and D Loanees*

First instalment to Class 'B' and 'D' Loanees-

29. (1) When a loanee of Class B and D has produced evidence that he has constructed a house up to plinth level, he will be due the first instalment of the loan sanctioned for him. The evidence will be received in form LIGH. 13, and should be examined carefully to see that it has been properly filled in, and attested . When this has been done, a letter should issue to the loanee in form LIGH. 10, keeping the following instructions in mind for this stage.

(*a*) *Paragraph* 1.—Omit by crossing out.

(*b*) *Paragraph* 2.—Put in the word "first" in the first blank space, the amount of money due (which will be 50 per cent of the loan sanctioned) in the following blank, and the name of the Treasury. Also enclose copy of Payment Order in form LIGH. 11.

(*c*) *Paragraph* 3.—No comments.

(*d*) *Paragraph* 4.—Enclose copy of Form LIGH. 12, so that pragress reports are sent. In the blank space provided in the paragraph put in the end of the current quarter March, June, September, or December as the case may be.

(*e*) *Paragraph* 5.—Here state "final" in the blank space provided ; the amount of the second instalment, and cut out "plinth". Attach copy of Form LIGH. 13.

(*j*) *Paragraph* 6.—To be cut out at this stage.

(2) The enclosures to the letter LIGH. 10 will thus be—

(*i*) Copy of Payment Order in LIGH. 11 ;

(*ii*) Copy of LIGH. 12 ;

(*iii*) Copy of LIGH. 13 ;

(*ii*) and (*iii*) explain themselves. Regarding (*i*) the instructions at paragraph 24 (3) will apply.

[Chief Minister]

(3) Further procedure will be as at paragraph 24 (4) and (5), except that no mention should be made of Form LIGH. 4.

H——*Second Instalment of Loan for Class A and C Loaness*

Second Instalment of Loan to Class 'A' and 'C' Loanees

30. (1) The second instalment of the loan to Class A and C loanees will be due on production of evidence that their house has been built to plinth level. The evidence will be produced in Form LIGH. 13, and should be examined carefully to ensure that it is properly filled in and certified. When this is done, a letter should issue to the loanee in Form LIGH. 10, with the following instructions in mind :—

(*a*) *Paragraph* 1.—Omit.

(*b*) *Paragraph* 2—In the blank spaces in the word "Second" ; the amount of money due (which will be 50 per cent of the loan to the nearest Rs (10) , and the name of the Treasury. Enclose copy of Payment Order in LIGH. 11 to be drawn up as indicated at paragraph 24 (3).

(*c*) *Paragraph* 3.—No comments.

(*d*) *Paragraph* 4.—Omit, as the loanee has already been asked to send progress reports when the first instalment was sanctioned.

(*e*) *Paragraph* 5.—Here state 'final" in the blank space provided ; the amount of the last instalment, and cut out the word "plinth". Attach copy of Form LIGH. 13.

(*f*) *Paragraph* 6. Omit.

The enclosures will thus be—

(*i*) Payment Order LIGH. 11, and

(*ii*) Copy of LIGH. 13.

(3) After making documents as above, these should be made over to the loanee, if he calls, or posted to him, and Payment Order in Form LIGH. 11 sent to the Treasury in duplicate. The Receiving Clerk should then make an entry at Column 8 of the Register LIGH. 2. Under "details " he should state "LIGH. 10 with copy of LIGH. 11 and 13 ; 2 copies LIGH. 11 to Treasury ".

(4) The necessary entries should also be made at Columns 1 to 4 of the applicants Ledger Account in Form LIGH. 16, against the "second " instalment.

(5) In the case of Co-operative House-building Societies the instructions at para 28 will apply.

I. Final Instalment of Loan for all Classes.

The Final Instalment

31. (1) In the case of Class A and C loanees, the third instalment will be final, and in the case of Class B and D loanees the second instalment. In the first classes it will be 30 per cent of the loan and in the latter 50 per cent. The final instalment is contingent on evidence in Form LIGH. 13 that the house has got to roof level. When this evidence is produced it should be examined for correctness, and a letter in Form LIGH. 10 issued as follows :—

(*a*) *Paragraph* 1.—Omit.

(*b*) *Paragraph* 2.—In the blank spaces provided put in the words " final " ; the amount of money now to be given ; and the name of the Treasury. Enclose copy of a Payment Order in Form LIGH. 11 to be drawn up as indicated at paragraph 24(3).

(*c*) *Paragraph* 3.—No comments.

(*d*) *Paragraph* 4.—Omit.

(*e*) *Paragraph* 5.—Omit.

(*f*) *Paragraph* 6.—Prepare a statement in Form LIGH. 14 to include in your letter, Instructions regarding this statement are at (2) below.

(2) The enclosures to the letter in Form LIGH. 10 will thus be :—

(*i*) Payment Order LIGH. 11, and

(*ii*) Statement in Form LIGH. 14.

With regard to Form LIGH. 14, the following instructions should be kept in mind :—

(*a*) It is most important that the statement sent should be accurate and complete. The District Development Officer will have to satisfy himself personally of their correctness, and sign them himself.

(*b*) *Items* 1 *to* 4 *of Form LIGH.* 14.—No comments.

(*c*) *Item* 5(*a*).—No comments.

Item 5(*b*).—No comments.

Item 5(*c*).—Equated instalment should be worked out on the basis of the amount of interest and the 30 instalments as in "Archers Tables for the Repayment of Loans."

Item 5(*d*).—The date here will be the date of the sanction of the first instalment [the same as at 5(a)] and payment will start on the year following.

(*d*) *Item* 6—Whereas at item 5, interest has been included on the basis of an equated instalment during the first year, in fact the loanee will not have had the whole money for the whole year. You will, therefore, deduct at the rate of interest charged, interest for the number of days involved, for that portion of the loan which was not given with the first instalment. To this extent the equated instalment for the first year will be reduced.

(3) After making documents as above, these should be made over to the loanee, if he calls, or posted to him, and Payment Order in Form LIGH. 11 sent in duplicate to the Treasury. A copy of the Statement LIGH. 14 should also be sent to the Treasury concerned for information and record. The Receiving Clerk should then make an entry at Column 9 of the Register LIGH. 2. Under "details" he should state "LIGH. 10, with copy of LIGH 11 and Statement LIGH. 14 : 2 copies of LIGH. 11 and Statement LIGH. 14 to Treasury."

(4) The necessary entries should also be made at columns 1 to 4 of the applicants Ledger Account in Form LIGH. 16, against the "final" instalment. Entries should also be made at the top right hand corner of the Ledger Account.

(5) For Co-operative House-Building Societies the above procedure will also be followed. They will have to submit evidence of construction up to roof level through the Assistant Registrar.

J. *The Repayment of Loans.*

32. (1) The repayment of loans should be carefully watched and prompt and steady action taken against defaulters.

Repayment to be watched

(2) You should draw up a list of loanees in Form LIGH. 17, one sheet for each month, a loanee appearing in the list for a particular month depending on the month in which his date for repayment falls. At the initial stage columns 1 to 3 of this register should be filled in. For convenience of reference, names should be entered in alphabetical order.

(3) Each officer in charge of a Treasury or Sub-Treasury should be required to send a monthly statement in Form LIGH. 15, relating to repayments made to him. The first statement should be forwarded for the month of March, 1956, by which date some repayments will be due.

(4) With the assistance of the return in Form LIGH. 15, you will make necessary entry in the Ledger Account of the loanee in Form LIGH. 16 (columns 6 to 9). You will also make entries in Form LIGH. 17 (column 4 onwards). The amount need not be stated here, but merely the fact whether payment has been made or not.

[Chief Minister]

(5) The statement in Form LIGH. 16 should be studied regularly by the District Development Officer, and put up with comments once a quarter to the Deputy Commissioner. On the basis of this study, suitable action should be taken to pursue loanees who are in default. Strict action to obtain repayments must be taken promptly and pursued regularly.

(6) With effect from March, 1956, a monthly statement should be submitted to Government in this department in Form LIGH. 18, to arrive by the end of the month following that to which it relates. The first statement for March , 1956, should arrive by the end of April. It will be fairly easy to prepare this statement if Register LIGH. 17 is kept up to date.

K. *Cash Book.*

Maintenance of Cash Book

33. An account of the allotment of funds made by Government for advancing of loans, the loans advanced from time to time, and the recoveries made, should be kept in a Cash Book to be maintained in the usual form for this purpose, and so as to be able to tell you at short notice the exact position at any given time.

L. *Reports to Government*

Reports to Government.

34. (1) You will please send to Government in this Department, starting from March, 1955, to arrive by 15th April, 1955, and subsequently by the 15th of the month following that which it relates a statement in Form LIGH. 19. During the first six months of the Scheme you will also forward with this statement a note, showing roughly your likely disbursements and needs for the following six months, showing your estimate of needs for each month. It is realised that this note will have some element of guess work in it, but it is necessary to have some kind of estimate so as to plan the allotment of funds to you from time to time.

(2) You will please send to Government in this department quarterly, starting with the quarter ending March, 1955, a report , so as to get to Government by the end of the month following that to which it relates, a progress report in Form LIGH. 20. This is to serve the basis of a quarterly report desired by the Central Government, who have in-, formed this Government that unless the progress of work under the Scheme is satisfactory steps to withdraw money placed at its disposal may be necessary.

M. *Miscellaneous*

Miscellaneous.

35. (1) Several forms and registers have been prescribed for this scheme, which may initially present a formidable appearance, but in fact are likely, provided the basic instructions are properly understood and carried out, to make work much smoother. A great deal of use of these forms can also be made to check up on the progress of work from time to time, and they should be utilised for this purpose. To give one example, Form LIGH. 2 should tell, at short study, the general progress being made with dealing with applications, where there are delays, etc.

(2) It is possible that after the first spate of applications has been received and dealt with, there may be money available because people are in fact not coming forward for loans as originally anticipated. In such event, it may be necessary to allow further applications, either in one instalment, or by throwing the field open for people to apply as they wish. You should keep a look out for any such need, and inform Government in good time with a proposal for approval by them.

(3) Your attention is invited to Annexure I, which confers necessary powers for the disbursement and recovery of loans, and also declares Deputy Commissioners as Disbursing, Drawing and Collecting Officers. This order also shows the Head of Account for the scheme.

III. LOANS TO LOCAL BODIES

Applications for the grant of loans.

36. The Local Bodies should be advised by you to apply for the grant of loans under this Scheme, so that their applications get to you not later than the 15th of February, 1955. The applications should, *inter alia* furnish the following particulars in each case :—

(1) the number of houses to be built ;

(2) the description of the site/sites on which these are to be built, with area;

(3) the average cost of a house ;

(4) the average cost of a site ;

(5) the total cost of all houses to be built, including the cost of the relevant sites ;

(6) the total cost to be met by the Local Body from its own resources ;

(7) the amount of loan demanded subject to a maximum of Rs 2,800 per house or 80 per cent of the cost of a house, including the cost of land, whichever is less ;

(8) the name and address of the Office holder, who will conduct the transaction with Government on behalf of the Local Body and execute the prescribed documents.

Grant of Loans.

37. The application should be scruitinised in your office and forwarded to the Secretary to Government, Punjab, Health and Local Government Departments, with your comments, not later than the 28th February, 1955 The latter will deal with the applications in accordance with the provisions of the Local Authorities Loans Rules for the Punjab, 1922, and transmit them to the Secretary to Government, Punjab, Planning Department, with his recommendations not later than the 15th March, 1955. Government will convey sanction not later than the end of March, 1955, and will also place funds at your disposal. The whole of the amount is likely to be made available on the 1st April, 1955, or immediately thereafter. The Local Bodies should be advised that in the interim period they should make all preliminary arrangements for building houses so that as soon as they receive the loans construction work is started and completed not later than the end of March, 1956.

On receipt of the allotment of funds you should advance loans to the various Local Bodies concerned in one instalment after completing such formalities as are required to be fulfilled for the grant of loans to Local Bodies.

Forms for Local Bodies.

38. In connection with the loans given to Local Bodies, the following forms, with the instructions against them will apply :—

(1) *Form LIGH.* 12.—Local Bodies will be required to send you quarterly progress reports in this form. They may group together houses of the same class, under Part B of this form, or deal with individual houses, care being taken that information is given about all the houses under construction by them.

(2) *Form LIGH.* 14.—While this form itself is not suitable for Local Bodies, when you advance the loan to (them in a single instalment) they should be informed :—

(a) of the date from which interest will be due, which will be the date you sanction the loan ;

(b) the equated instalment of principal and interest payable in 30 instalments ;

(c) the date by which each year the instalment is payable, and the year in which repayment will start. The last will be the year following that in which the loan is given.

A copy of your instructions should be sent to the Treasury concerned to watch the repayment of the loan.

(3) *LIGH.* 15.—The Treasury should include repayments by Local Bodies, in its statement, giving the names of Local Bodies at column 2.

(4) *LIGH.* 16.—A Ledger Account for each Local Body should be kept in this form.

(5) *Form LIGH.* 17.—Information for Local Bodies should be included in this form, so that repayments come up for regular check.

(6) *Form LIGH.* 18.—While this form need not be used, information regarding Local Bodies should be sent separately to Government, starting from April, 1956, giving for each local body—

(i) the amount of Loan sanctioned ;

[Chief Minister]

(ii) the amount due up-to-date ;

(iii) the amount repaid ; and

(iv) remarks.

(7) *Form LIGH.* 20.—Information regarding loans advanced to Local Bodies should be included in this Statement, showing figures for Local Bodies separetely. Since the loan to them is to be sanctioned in a single instalment, the total figure of advances will be shown under columns 6 and 7, and not at columns 3, 4 and 5.

IV. ACQUISITION OF SITES AND THEIR SALE AFTER DEVELOPMENT TO PERSONS IN THE LOW-INCOME GROUP

Each case to be dealt with separately.

39. The Deputy Commissioners, who have asked for funds for the acquisition of sites and their sale after development under the Scheme, have not made any specific proposals, based on the possibilities in their districts. Under the Scheme the sites have to be acquired, developed and sold within a period of 3 years. The Government have to be certain that the sites acquired and developed under the Scheme will be cheaper than purchasers can otherwise find, and will attract buyers. More detailed information is needed to put the Scheme through, and the Deputy Commissioners concerned are being addressed separately. Instructions on this part of the Scheme will, in these circumstances, be issued in individual correspondence with the Deputy Commissioners concerned.

V. THE SUPPLY OF FORMS

The Supply of Forms

40. (1) The following forms are either simple, or will be required in small number and should be arranged for in the Deputy Commissioner's Office, by cyclostyling or other suitable means:—

Form LIGH. 2.A
LIGH. 8.
LIGH. 9.
LIGH. 15.
LIGH. 18.
LIGH. 19.
LIGH. 20.

(2) With regard to the remaining forms, these are being printed and will be supplied to you direct by the Controller of Printing and Stationery, Chandigarh. The Preliminary supply will be as indicated in the Annexure to this letter, which also shows the number of copies of this letter being supplied to yo. Should you require additional forms, you wlll indent, as far in advance as possible, on the Controller, with a copy to this Department.

VI. FOR DEPUTY COMMISSIONER, AMBALA.

Chandigarh.

41. As loans for Chandigarh are being advanced by the Chief Administrator, Capital Project, the Deputy Commissioner should make arrangements in consultation with the former to ensure a separate system of numbering, so that documents relating to the Capital do not get mixed up with those relating to the district.

Yours faithfully,
E. N. MANGAT RAI,
Secretary to Government, Punjab,
Planning Department.

No. 4152-Pg.-54/385, dated Chandigarh, the 18th January, 1955

COPY, with two spare copies, to the Secretary to Government, Punjab, Health and Local Government Departments, Chandigarh, for information and necessary action regarding Section III of these instructions.

E. N. MANGAT RAI,

Secretary to Government, Punjab,
Planning Department.

No. 4152-Pg.-54/386, dated Chandigarh, the 18th January, 1955

COPY, with five spare copies, to the Chief Administrator, Capital Project. The Capital Sub-committee of the Cabinet approved the issue of loans by him on the basis of procedure put up to that Sub-committee. He will, however, examine how far it is possible and useful, to bring his procedure into line with this, so as to ensure uniformity.

2. He will, in any case, send reports to Government, in this department, in Forms LIGH. 18, 19 and 20, with effect from the same dates as required by the Deputy Commissioners (*see* paragraphs 32(6) and 34 of the instructions).

3. His attention is also invited to Annexure I, where the necessary powers to disburse and collect loans, the declaration of a Disbursing, Drawing and Collecting Officer, and the Head of Account for the scheme are shown. After consultation with him the authority in his organisation has been vested in the Estate Officer.

E. N. MANGAT RAI,

Secretary to Government, Punjab,
Planning Department.

No. 4152-Pg.-54/387, dated Chandigarh, the 18th January, 1955

COPY, with two spare copies, forwarded to the Secretary to Government, Punjab Finance Department, for information.

E. N. MANGAT RAI,

Secretary to Government, Punjab,
Planning Department.

No. 4152-Pg-54/388, dated Candigarh, the 18th January, 1955.

COPY, with five spare copies, forwarded to the Secretary to Government of India Ministry of Works, Housing and Supply, New Delhi, for information.

E. N. MANGAT RAI,

Secretary to Government, Punjab,
Planning Department.

No. 4152-Pg-54/389, dated Chandigarh, the 18th January, 1955

COPY, with one spare copy, forwarded to Commissioners, Ambala and Jullundur Divisions, for information.

E. N. MANGAT RAI,

Secretary to Government, Punjab,
Planning Department.

[Chief Minister]

FORM LIGH. 1

Low Income Group Housing Scheme—Application for the Grant of a Loan.

To

The Deputy Commissioner,

———————

I request for the sanction of a loan under this scheme and give particulars required against the questions in this form.

1. Applicant's Name (Block Letters)————————————

2. Father's Name (Block Letters)————————————

3. Applicant's full address————————————

————————————

4. Applicant's age————————————Years.

5. Occupation————————————

6. (a) Annual Income with source :—

Source	*Income*
(i)————————	Rs ————————
(ii)————————	Rs ————————
(iii)————————	Rs ————————
Total Per Year	Rs ————————

(b) Do you own a house or a portion of a house already ? ————————

If so, particulars ————————————

Place ————————————

Number of shares or share in house————————————

Value of your share Rs————————————

(c) If you own a house already, state briefly reasons why you wish to build another house————————————

(d) Do you certify that you will live in the house for which you are seeking a loan, yourself ?————————

7. Particulars regarding the building site for the house :—

(a) Do you own a plot of land for construction of the house?————————

(b) If you do have a plot, give particulars about it :—

Location ————————————

Area in square feet————————————

Cost Rs————————.

Encumbrances, if any, on the plot————————————

(c) If you do not own a plot for construction, do you undertake to acquire a plot before the loan is advanced ? ————————.

Note.—No loan will be advanced till a plot has been taken into possession. If you do not have a plot you will have to arrange to obtain one before you receive the first instalment of the loan.

8. (a) Particulars of house proposed to be built :—

Cost Rs.——————————.

Plinth area————————————sq. ft.

(Attach a plan of the house, with a rough estimate of the cost on the plan. This should be certified by a person not below the rank of a draftsman or overseer.)

(b) Name and adrress of the technical person certifying your plan :—

——————————————————————————,

——————————————————————————.

9. Amount of loan desired Rs————————————.

(*Note.*—The loan shall not exceed 80 per cent of the value of the land and the house or Rs 8,000 whichever is less. The amount sanctioned will also take into consideration your ability to repay as shown by your annual income).

10. Do you certify that you will spend at least 20 per cent of the cost of the land and the house yourself ?——————————.

11. Do you undertake to start constructing the house within 2 months of the receipt of the first instalment of the loan, and complete it by March 1956 ?——————

12. Do you undertake to repay the loan and interest in 30 equated instalments as fixed by Government ?————————————.

13. Have you taken any other loans from Government, the payment of which in part or full, is still outstanding ?——————————.

Purpose of loan	*Amount*	*Amount still to be paid*
	(Rs)	(Rs)

14. (a) In case a loan is sanctioned for you, will you be able to offer a surety, who will be required to execute a bond in favour of Government, to be responsible for the payment of the loan and inetrest in the event of default by you ?——————

(b) If so, particulars of the surety——————————————

Name———————————— Address————————————

Occupation——————————————————————

(*Note.*—If you are able to offer a surety, you will receive the loan sanctioned in three instalments, viz., 20 per cent when you have obtained a plot ; 50 per cent when the house gets to plinth level; and 30 per cent when the house gets to roof level. If you are not able to offer a surety, you will get 50 percent when the house is built to plinth level, and 50 per cent at roof level.)

15. Name the Treasury at which payments should be made to you, and through which you repay the loan——————————————————

I certify that the above information is correct.

————————————
Date———————————— Signature of Applicant

[Chief Minister]

Certificate of Authenticity

(This Certificate has to be signed by an M.P., M.L.A., M.L.C., a Municipal Commissioner of your town, or by a Gazetted Officer posted in the district).

I (name)——————————(address)——————————

certify that (name of applicant)——————————is personally known to me, and that to the best of my knowledge and belief, the statements made in this application are correct.

——————————
Signature of Attester

Date——————————. Addrrss——————————

FORM LIGH. 1

(For use in Office only)

Applicant's name——————Serial No. of Application in Register LIGH. 2——

You should expect reply at this Office on——————————

Signature of Receiving Clerk

Date——————————.

(For use in Office only)

Date on which applicant has been asked to expect an answer——————

Serial No. of Application in Register LIGH. 2——————————

Recommendation of District Development Officer and P.W.D., Officer :—

We have taken into consideration—

(a) the income of the applicant——————————

(b) his need for a house——————————

(c) the position regarding his having a plot for construction——————

(d) the size and suitability of the house he proposes to construct and its likely cost———

(e) his position regarding other loans and ability to pay——————

(f) the relative priority to be given to the applicant——————

(g) (any other facts or impressions)——————————

——————————

and recommend a loan of Rs——————————

The applicant is classed as——————————

——————————
Signature of District Development Officer

——————————
Signature of Public Works Department Officer

Date——————————

Orders of the Deputy Commissioner

——————————

——————————

——————————

——————————
Signature of the Deputy Commissioner

Date——————————

FORM LIGH. 2

Low-Income Group Housing Scheme—History of applications up to grant of final instalment of a loan

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10
Serial number of application	Name of applicant	Address	Date given for answer	ROUND I		ROUND II		ROUND 3		ROUND 4		ROUND 5		REMARKS
				Date	Answer given	*Receipt of agreement and connected documents*		*Sanction of Ist instalment*		*Sanction of 2nd instalment*		*Sanction of final instalment*		
						Date	Details	Date	Details	Date	Details	Date	Details	

FORM LIGH. 2-A

Low-Income Group Housing Scheme—Rough Estimate of Loans

Income Group ________________

Reference No. of Application	*Class of Loan and Amount recommended by the District Development and P. W. D. Officers*				REMARKS
	A	B	C	D	
1	2	3	4	5	6
	Rs	Rs	Rs	Rs	

[Chief Minister]

Form LIGH. 3

——————————Office

Date——————.

Low-Income Group Housing Scheme—Preliminary Sanction of Loan.

Reference No. of Application (to be quoted in all future correspondence)——————

To

——————————

——————————

——————————

1. Your application for a house building loan has been sanctioned for Rs ———(in words——————————).

2. You will be entitled to receive this loan in instalments as follows :—

(i) Immediately on signing of agreement (and provision of surety)	Rs	———————
(ii) When your house gets to plinth level (provided you have signed an agreement)	Rs	———————
(iii) When your house gets to roof level	Rs	———————
Total	.. Rs	———————.

3. You are now required to sign an agreement in Form LIGH. 4, two copies of which are enclosed (and to provide surety in Form LIGH. 5, two copies of which are also enclosed. Will you please complete these forms, sign them, get the signatures witnessed, and enquire from the office of the District Development Officer for further action.

4. (*For urban areas only*).—You will also bring evidence that the house you are proposing to build has been passed for construction by the Municipal Committee or local body concerned.

5. The terms and conditions of the loan are as set out in the enclosed agreements form LIGH. 4.

6. Should you be unable to call personally at this office, you may send the documents required above by post.

7. Should you fail to call in regard to this loan within 21 days of the date of this letter, or send the necessary particulars by post, your application for a loan will be considered cancelled and this offer withdrawn.

8. Any other instructions :—

Yours faithfully,

District Development Officer

FORM LIGH- 4

Low Income Group Housing Scheme—Security Bond by Borrower

Reference No.——————

This deed is made the——————day of——————195. , between——

——————————, son of——————————, resident of——————

(hereinafter referred to as the borrower) of the one Part, AND the Governor of Punjab

(Hereinafter reference to as the Government) of the other Part.

Whereas a loan of Rs———————(rupees——————) has been sanctioned to me by the Government under the Low Income Group Housing Scheme for the purpose of constructing a residential house on the site measuring————square feet situated in————, Street————Town/Village of————Tehsil, District ————————, of which I am in possession and whereas the borrower is required to execute a bond in respect thereof.

AND whereas the Government has agreed to advance the loan to the borrower in the manner mentioned hereinafter on the security and on the terms and conditions hereinafter appearing.

NOW this deed witnesseth and the parties hereto hereby agree as follows :—

(1) The Government will advance the said sum of Rs————in————instalments at the time and in the manner provided below :—

On the execution of this deed (and provision of surety)	.. Rs	————
On the completion of the house to plinth level	.. Rs	————
On the completion of the house up to roof level	.. Rs	————
Total	.. Rs	————

(2) The borrower shall be liable to pay interest at such rate as may be fixed by Government from time to time from the date of payment of the first instalment of loan to the borrower till the realisation of the whole amount of loan.

(3) The borrower shall be liable to repay the amount of loan with interest in 30 annual equated instalments, the first instalment being due 12 months after the date of sanctioning the first instalment of the loan.

(4) For the consideration aforesaid and as security for the repayment to the Government of the said loan and interest, the borrower hereby transfers to the Government the said site together with house, now erected or hereafter to be erected thereon, to the intent that the same shall remain and be charged by way of mortgage in the manner following, namely, that for the purpose of recovering the said loan and interest, and any other sum as may become due by the borrower to the Government, by virtue of these presents, the Government may at its option either sell the said site and the house erected or hereafter to be erected thereon or any part thereof without the intervention of any court or enforce against the said property all or any of the remedies of simple mortgage and in case the realisation from the property mentioned above falls short of the amount due to the Government under these presents, the Government shall be entitled to recover the same personally from the borrower as well as from the movable or other immovable property belonging to the borrower.

(5) The borrower shall be bound to utilise the amount advanced by the Government for the purpose of the construction of the house on the said site and for no other purpose.

(6) The borrower hereby covenants that the sai l site is free from encumbrances (except to the extent indicated in his application for this loan).

(7) The borrower shall have to spend on the construction of the house a minimum amount of Rs ————————representing 20 per cent of the cost of the site and house.

(8) Except with the sanction of the Government, the borrower shall have no right to transfer by way of sale, gift, mortgage or otherwise the land and the building erected on it or right or title of interest therein till such time as the full amount of the loan and interest has been paid.

[Chief Minister]

(9) In the event of the borrower failing to pay any instalment on the due date, the borrower shall be liable to pay interest on the amount of that instalment at double the rate of interest prescribed for that year from the date on which the instalment became due to the date, the instalment is actually paid.

(10) The borrower shall maintain a regular and complete account of expenses incurred and stock and material purchased in connection with the constuction of the said house, and shall furnish such returns and information as may be required by Government from time to time. The borrower shall permit any person or persons authorised by the Government to inspect the building account, building under construction and the building materials and stock, build or purchased with or with the aid of the loan advanced to him.

(11) (*a*) The borrower shall commence the construction of the house within two months of the receipt by him of the first instalment of the loan.

(*b*) The borrower shall complete the house before the end of March, 1956.

(12) The borrower shall not remove the malba of the building until the entire amount due to the Government against the said loan has been repaid.

(13) In the event of non-compliance with or breach of any of the conditions of this deed by the borrower, the whole sum then remaining due to the Government under this deed on account of the said loan and interest shall become immediately payable.

(14) Any dispute arising out of this deed shall be referred for arbitration to the Secretary to Government, Punjab, Planning Department acting as such at the time of reference and his decision in the matter shall be final and binding on the parties.

In witness where of the parties hereto have signed this deed on the dates, respectively mentioned under their signatures in————year of the Republic of India.

1. Witness———— Signature of the borrower————

Address———— Dated————

2. Witness———— Signed for and on behalf of the Governor by————

Address———— Dated————

FORM LIGH. 5

Low-Income Group Housing Scheme—Surety Bond.

Reference No.————

Whereas a loan of Rs.————(rupees————)

has been granted to————, son of————,

resident of————Village/Town,————Tehsil, District————,

by Government on the condition that the borrower shall execute a bond in favour of the Punjab Government and further that the borrower shall furnish a surety and whereas, the said borrower has executed a bond in favour of the Government, I stand surety for the said borrower, and bind myself and my successors in interest as under :—

That in case of the borrower making default in payment of the said loan or any interest thereon as agreed upon by him or in fulfilling any of the conditions on which the loan has been granted to him, I shall be liable with the borrower for the repayment of the full amount with interest due from the borrower to the Government.

Dated this————day of ————195 . Signature————

Address ————

Witness————

Address————

FORM LIGH 6

——————————————Office

Dated——————————.

Low-Income Group Housing Scheme—Provisional Sanction of Loan

Reference
No. of Application
(to be quoted in all future correspondence)——————————

To

——————————

——————————

1. Your application for a loan has been sanctioned to the extent of Rs————(in words :——————————), provided that you first produce evidence in the attached Form LIGH. 7 that you have a plot of land for construction.

2. When you have produced this evidence you will be entitled to receive this loan in instalments as follows :—

(*i*) Immediately on signing of agreement (and provision of surety)	..	Rs.——————.
(*ii*) When your house gets to plinth level (provided you have signed an agreement)	..	Rs.——————.
(*iii*) When your house gets to roof level	..	Rs.——————.
Total	..	Rs.——————.

3. You are now required to produce evidence of possession of a site for building in Form LIGH. 7, and also to sign an agreement in Form LIGH. 4, two copies of which are enclosed (and to provide surety in Form LIGH. 5, two copies of which are also enclosed). Will you please complete these forms, sign them, where necessary, get the signatures witnessed, and enquire from the office of the District Development Officer for further action.

4. (*For Urban areas only*).—You will also bring evidence that the house, you are proposing to build has been passed for construction by the Municipal Committee or local body concerned.

5. The terms and conditions of the loan are as set out in the enclosed agreement form LIGH. 4.

6. Should you be unable to call personally at this office, you may send the documents required above by post.

7. Should you fail to call in regard to this loan within 30 days of the date of this letter, or send the necessary particulars by post, your application for a loan will be considered cancelled and this offer withdrawn.

8. Any other instructions :—

Yours faithfully,
District Development Officer.

FORM LIGH- 7-

Low Income Group Housing Scheme—Evidence of possession of Site for building-

1. Reference. No.——————————

2. Applicant's name——————————

[Chief Minister]

3. Address.————————————————————

4. Particulars of site for construction of the house :—

Location————————.

Area in sq. ft.————————————.

Cost Rs.——————————————.

Encumbrances, if any, on the plot————————————————

5. I certify that I have the plot mentioned at 4 above in my possession, and am able to start construction of a house on it.

————————

Signature of Applicant

Date——————————.

Certificate of Authenticity-

(This certificate has to be signed by an M.P., M.L.A., M.L.C., a Municipal Commissioner of your town, or by a Gazetted Officer posted in the district).

I (name)——————————(address)————————————

certify that (name of applicant)——————is personally known to me, and that to the best of my knowledge and belief, the statements made in this application are correct.

————————

Signature of Attester

Date——————————. Address——————————

FORM LIGH. 8.

Low Income Group Housing Scheme—Receipt for agreement Forms and connected documents.

1. Reference No.——————————————

2. Received from————————————————————
Form LIGH. 4 (2 copies), Form LIGH. 5 (2 copies) and Form LIHG. 7

3. (*For urban areas only*). Evidence has also been produced that the Municipal Committee or Local Body concerned has approved the construction of the house.

4. You will please call with this chit on————————————————
for further action.

5. Should you not be able to call personally, you should let this office know, and a decision will be sent to you by post.

————————

Date—————————————— Signature of Receiving Clerk.

FORM LIGH. 9.

————————————Office

Date——————————

Low Income Group Housing Scheme—Rejection of Application

To

————————————

————————————

Reference No.————————

I regret to inform you that your application for a loan has been rejected ——————

will be considered later, and you should enquire again on——————.

——————————
Signature of Receiving Clerk

Date——————.

FORM LIGH. 10.

——————Office.

Date——————

Low Income Group Housing Scheme—Payment of Loan

To

————————————

————————————

Reference No.——————

Sir,

WITH reference to your application for a loan, I am now returning herewith one copy of the Agreement Form duly signed in Form LIGH. 4.

2. The——————instalment of the loan, amounting to Rs——————is now due to you, and I enclose an order in Form LIGH. 11 to the Treasury at——————to pay this instalment. You will present this order and receive the money.

3. Interest on this instalment will be due from the date of this letter.

4. You will from now onwards till the house is constructed send me a quarterly statement, in specimen Form LIGH. 12 enclosed, starting from the quarter ending————————195 , showing the progress of construction of the house. When the house is complete, the final progress report should be certified as correct and to the effect that the house is now complete, by an M.P., M.L.A., M.L.C., Municipal Commissioner of your town, or a gazetted officer of the district.

5. The——————instalment of the loan, amounting to Rs——————will be due when your house gets to $\frac{\text{plinth}}{\text{roof}}$ level. You will please send me a certificate in Form LIGH. 13, copy enclosed for this purpose, when the instalment due will be paid.

6. As this is the final instalment of the loan due to you, I also enclose a statement Form LIGH. 14, showing the dates on which payments should be made by you, and the amounts involved.

Yours faithfully,

District Development Officer.

[Chief Minister]

FORM LIGH. 11

——————————Office.

Date——————.

Low Income Group Housing Scheme—Payment of Loan.

To

The Treasury Officer,

————————————————.

Application Reference No.——————————

Please pay Rs——————(in words—————) as the first / second / final instalment of the house building loan payable to (name of applicant)——————father's name————————(address)————————————, on presentation of a copy of this order by him.

The duplicate copy of this order attached should be returned to me after payment is made, with an entry on its reverse, showing the amount that has been paid.

Yours faithfully,

District Development Officer.

FORM LIGH. 12

Low Income Group Housing Scheme—Evidence of Construction

(To be sent to the District Development Officer by the 15th of the month following the end of each quarter)

Statement of progress of expenditure and construction for the quarter ending——————

Reference No.——————————

Name of Loanee——————————

Address——————————

Situation of the building site——————————

PART A—EXPENDITURE

Amount of Loan taken	Amount spent during the quarter	Amount spent up to the end of the last quarter	Total expenditure up to the end of the quarter under report
1	2	3	4

PART B—CONSTRUCTION

(Progress should be given in broad terms, such as foundations dug and material collected plinth level completed ; walls going up above plinth level ; roof level completed ; finishing operation in hand ; house completed).

Progress of construction up to the end of the last quarter	Progress of construction during the quarter under report	Present position	REMARKS
1	2	3	4

Date——————————— Signature of Loanee———————

FORM LIGH. 13.

Low-Income Group Housing Scheme—Evidence of Construction.

1. Ref. No. ——————————.
2. Loanee's name——————————.
3. Address ——————————————————
4. I hereby certify that the house for which a loan of Rs —————— has been sanctioned has now been constructed to plinth/roof level.

———————————
Signature of Applicant.

Date——————————.

Certificate of Authenticity.

(This certificate has to be obtained from an M.P., M.L.A., M.L.C., a Municipal Commissioner of your town or a gazetted officer of the district.)

I (name)——————(address) —————————— certify that (name of applicant)——————is personally known to me, that I have seen the house in question, and the statement made by the applicant is correct.

———————————
Signature of Attester

Date——————————

FORM LIGH. 14.

——————————Office.

Date——————————

Low-Income Group Housing Scheme—Statement showing Instalments of Principal and Interest due.

1. Application Reference. No.——————————.
2. Name of Loanee——————————.
3. Address——————————————
4. Treasury where payments are to be made——————————————

[Chief Minister]

5. (a) Date of payment order of first instalment, which is also the date from which interest is due——————————.

(b) Total amount of loan sanctioned (all instalments) ——————————

(c) 30 equated instalments of loan and interest amount to Rs——————per year.

(d) The amount at (c) is payable each year by—————————————— starting from——————————19

6. At the end of the first year, however, a reduced amount will be due, as the loan was taken in instalments at different dates. Deductions will be :

on account of second instalment, sanctinoed on——— Rs. ————.

on account of final instalment, sanctioned on————— Rs. ————.

Total Rs. ————.

Therefore, at the end of the first year the amount due is Rs. ——————

Date——————————. . ——————
District Development Officer

Copy to Treasury Officer,——————————for information and record.

——————
District Development Officer

FORM LIGH 15

Low-Income Group Housing Scheme—Repayment of Loans.

(This statement to be despatched every month so as to arrive by the 15th of the month following that to which it relates)

Name of Treasury ______________________

Statement for the month of ______________________.

Reference No. of Loanee	Name of Loanee	Particulars of payment		Amount Repaid			REMARKS
		Date	Challan No.	Rs.	A.	P.	
1	2	3	4		5		6

Date____ ____________ **Signature of Treasury Officer.**

FORM LIGH. 16.

Low Income Group Housing Scheme—Ledger Account of Loans Advanced and their Recovery

Name of Loanee————————— Amount of equated instalment due————Rs———————

Address ————————————— Date on which instalment due—————————

Account No . ———————————

Advances								Repayments									
Date	Instalment	Amount of Instalment			Progressive Total			Instalment	Treasury Challan		Amount Repaid			Progressive Total			Remarks
									No	Date							
1	2	3			4			5	6	7	8			9			10
		Rs	A.	P.	Rs	A.	P.				Rs	A.	P.	Rs	A.	P.	
	First ..							1956-57 ..									
								1957-58 ..									
	Second ..							1958-59 ..									
								1959-60 ..									
	Final ..							1960-61 ..									
								1961-62 ..									
	Total Loan ..							1962-63 ..									
								and so on to 1986-87..									
								Total Recoveries ..									

[Chief Minister]

FORM LIGH. 17.

Low Income Group Housing Scheme—Check Register of Repayment of Loans.

Month in which equated instalment due————————

Reference		Amount due annually	Payments					
No. in Register LIGH. 2	Page of Ledger LIGH. 16		1956-57	1957-58	1958-59	1959-60	1960-61	and so on till 1986-87
1	2	3	4	5	6	7	8	9

FORM LIGH. 18.

Low Income Group Housing Scheme—Monthly Return to Government regarding rep[illegible] of Loans

District————————Month————————

Total number of persons and Co-operative Societies to whom loans given	Number of persons from whom instalments due during the month	Number of persons who have paid instalments	Number who have not paid (col. 2 minus 3)	Number of persons who have not paid from previous months	Grand total of persons who have not paid (col. 4 plus col. 5)	Amount of money involved in figures of Col. 6			REMARKS
1	2	3	4	5	6	7			8
						Rs	A.	P.	

FORM LIGH. 19

Low Income Group Housing Scheme—Monthly Report regarding Applications, Loans sanctioned and disbursed ..

District——————————Report for the month ending——————————

(Information should include figures of Co-operative House-Building Societies. Where such a figure is included, a note should be added in the remarks column stating the number of houses for which the Society has applied for or received a loan).

Number of applications for loans received during the month	Number received in previous months	Total (col. 1 plus 2)	Number of loans sanctioned during the month (where Form LIGH. 3 or 6 has issued)	Amount of money sanctioned during the month (as in Form LIGH. 3 or 6)	Amount of money disbursed during the month	Amount of money disbursed in previous months	Total disbursements (col. 6 plus 7)	Amounts of loans sanctioned in previous months	Total amount sanctioned up to date (col. 5 plus 9)	Amount of money still to be disbursed (col. 10 minus 8)	REMARKS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Rs	Rs	Rs	Rs	Rs	Rs	Rs	

FORM LIGH. 20

Low Income Group Housing Scheme—Quarterly Progress Report

District——————————Quarter ending——————195

Total number of houses for which loans sanctioned since scheme started	Total amount of loans sanctioned for houses at column 1	AMOUNT ALREADY ADVANCED UP TO DATE SINCE START OF SCHEME					PROGRESS OF CONSTRUCTION				REMARKS
		First instalment		*Second instalment*	*Final instalment*						
		Number of houses	Amount	Amount	Amount	Total amount	Number of houses constructed up to plinth level	Number constructed up to roof level	Number completed	Number about which there is no information	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Rs		Rs	Rs	Rs	Rs					

[Chief Minister]

ANNEXURE I

Authority to Officers for disbursing and collecting loans under the Low-Income Group Housing Scheme

Order of the Governor of the Punjab

The Governor of the Punjab is pleased to authorise the Deputy Commissioners in the Punjab to advance loans under Head "Loans to Municipalities and Cultivators, etc." in connection with the Low-Income Group Housing Scheme, within their respective jurisdiction, to the extent indicated below in accordance with the detailed procedure prescribed from time to time by the Punjab Government :—

Category of person/society to whom loan is to be granted	*Amount per house*
(i) Individuals ..	Eighty per cent of the actual cost of the house including the cost of land or up to Rs 8,000, whichever is less, per individual.
(ii) Housing Co-operative Societies	Eighty per cent of the actual cost of the houses including cost of land under them or up to Rs 8,000 per house, whichever is less.

2. The Deputy Commissioners will also be Drawing, Disbursing and Collecting Officers under this Scheme. The advances will be debitable to the Head "Loans to Municipalities and Cultivators, etc.—F—Miscellaneous Loans and Advances—F-10—Loans under Low-Income Group Housing Scheme", and recoveries are to be credited to the Receipt Head "Loans to Municipalities and Advances to Cultivators—Miscellaneous Loans and Advances Loans under Low-Income Group Housing Scheme."

3. The powers at paragraphs 1 and 2 will, in respect of the Chandigarh Project Area, be exercised by the Estate Officer, Capital Project, under the general supervision of the Chief Administrator.

CHANDIGARH
January, 1955.

E. N. MANGAT RAI,
Secretary to Government, Punjab,
Planning Department.

No. 4152-Pg-54/433, dated Chandigarh, the 20th January, 1955.

COPIES to all Deputy Commissioners in the Punjab, as an enclosure to Punjab Government letter No. 4152-Pg-54/384, dated the 18th January, 1955, for information and necessary action.

By order
CHET RAM,
PLANNING OFFICER,
for Secretary to Government, Punjab,
Planning Department.

No. 4152-Pg.54/434, dated Chandigarh, the 20th January, 1955.

COPY forwarded to the Accountant-General, Punjab, Simla, for information.

By order,

BADRI NATH CHOPRA,
Deputy Secretary to Government, Punjab
Finance Department.

No. 4152-Pg-54/477, dated Chandigarh, the 21st January, 1955.

COPY forwarded to the Chief Administrator, Capital Project, Chandigarh, as an enclosure to Punjab Government letter No. 4152-Pg-54/384, dated the 18th January, 1955.

By order,
CHET RAM,
PLANNING OFFICER,
for Planning Secretary, Punjab

ANNEXURE II

Statement showing number of copies of letter and forms to be supplied

Serial No.	Address	Copies of Letter	NUMBER TO BE SUPPLIED LIGH. 1 (Forms) 13½"×8½"	LIGH. 2 (Forms) 27"×17"	LIGH. 3 (Forms) 13½"×8½"	LIGH. 4 (Forms) 13½"×8½"	LIGH. 5 (Forms) 13½"×8½"	LIGH. 6 (Forms) 13½"×8"	LIGH. 7 (Forms) 13½"×8½"	LIGH. 10 (Forms) 13½"×8½"	LIGH. 11 (Forms) 13½"×8½"	LIGH. 12 (Forms) 13½"×8½"	LIGH. 13 (Forms) 13½"×8½"	LIGH. 14 (Forms) 13½"×8½"	LIGH. 16 (Forms) 27"×17"	LIGH. 17 (Forms) 17"×13½"	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Deputy Commissioner, Dharamsala	20	500	50	500	1,000	500	500	250	1,250	5,000	2,000	1,000	500	500	50	
2	Deputy Commissioner, Gurdaspur	20	2,500	250	2,500	5,000	2,500	2,500	1,250	6.250	25,000	10,000	5,000	25,00	2,500	250	
3	Deputy Commissioner, Amritsar	20	3,000	300	3,000	6,000	3,000	3,000	1,500	7,500	30,000	12,000	6,000	3,000	3,000	300	
4	Deputy Commissioner, Jullundur	20	2,200	220	2,200	4,400	2,200	2,200	1,100	5,500	22,000	8,800	4,400	2,200	2,200	220	
5	Deputy Commissioner, Hoshiarpur	20	1,000	100	1,000	2,000	1,000	1,000	500	2,500	10,000	4,000	2,000	1,000	1,000	100	
6	Deputy Commissioner, Ludhiana	20	700	70	700	1,400	700	700	350	1,750	7,000	2,800	1,400	700	700	70	
7	Deputy Commissioner, Ferozepre	20	900	90	900	1,800	900	900	450	2,250	9,000	3,600	1,800	900	900	90	
8	Deputy Commissioner, Hissar	20	500	50	500	1,000	500	500	250	1,250	5 ,000	2,000	1,000	500	500	50	
9	Deputy Commissioner, Rohtak	20	2,200	220	2,200	4,400	2,200	2,200	1,100	5,500	22,000	8, 800	4,400	2,200	2,200	220	
10	Deputy Commissioner, Gurgaon	20	100	20	100	200	100	100	50	250	1,000	400	200	100	100	20	
11	Deputy Commissioner, Karnal	20	1,400	140	1.100	2,800	1,400	1,400	700	3,500	14,000	5,600	2,800	1,400	1,400	140	
12	Deputy Commisioner, Ambala	20	1,800	180	1,800	3,600	1,800	1,800	900	4,500	13, 00	7,200	3,600	1,800	1,800	180	

[Chief Minister]

ANNEXURE II

Statement showing number of copies of letters and forms to be supplied—(*contd*)

Serial No.	Address	Copies of Letter	NUMBER TO BE SUPPLIED														Remarks
			LIGH. 1 (Forms) $13\frac{1}{2}'' \times 8\frac{1}{2}''$	LIGH. 2 (Forms) $27'' \times 17''$	LIGH. 3 (Forms) $13\frac{1}{2}'' \times 8\frac{1}{2}''$	LIGH. 4 (Forms) $13\frac{1}{2}'' \times 8\frac{1}{2}''$	LIGH. 5 (Forms) $13\frac{1}{2}'' \times 8\frac{1}{2}''$	LIGH. 6 (Forms) $13\frac{1}{2}'' \times 8\frac{1}{2}''$	LIGH. 7 (Forms) $13\frac{1}{2}'' \times 8\frac{1}{2}''$	LIGH. 10 (Forms) $13\frac{1}{2}'' \times 8\frac{1}{2}''$	LIGH. 11 (Forms) $13\frac{1}{2}'' \times 8\frac{1}{2}''$	LIGH. 12 (Forms) $13\frac{1}{2}'' \times 8\frac{1}{2}''$	LIGH. 13 (Forms) $13\frac{1}{2}'' \times 8\frac{1}{2}''$	LIGH. 14 (Forms) $13\frac{1}{2}'' \times 8\frac{1}{2}''$	LIGH. 16 (Forms) $27'' \times 17''$	LIGH. 17 (Forms) $17'' \times 13\frac{1}{2}''$	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
13	Deputy Commissioner, Simla.	10	100	20	100	200	100	100	50	250	1,000	400	200	100	100	20	
14	Commissioner, Jullundur Division, Jullundur	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
15	Commissioner, Ambala Division, Ambala	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
16	Secretary to Government, Punjab Health and Local Government Departments, Chandigarh	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
17	The Chief Administrator, Capital Project, Chandigarh.	6	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
18	Secretary to Government Punjab Finance Department, Chandigarh Capital	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
19	Secretary to Government of India, Ministry of Works, Housing and Supply, New Delhi.	6	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
20	Secretary to Government, Punjab, Planning Department, Chandigarh Capital.	128	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
21	Reserve with the Controller, Printing.	..	500	500	500	100	200	500	200	200	2000	200	200	200	200	100	
	Total	400	17,400	2,210	17,400	33,900	17,100	17,400	8,650	42,450	1,71,000	67,800	34,000	17,100	17,100	1,810	

श्री राम किशन : जो यूनियन गवर्नमेंट से instructions आई हैं और जो State Government ने डिप्टी कमिश्नरों को भेजी है उन में एक instruction यह भी थी कि rate of interest $4\frac{1}{2}\%$ होगा। इस के साथ ही जो instructions पंजाब गवर्नमेंट ने ज़िलों में भेजी हैं, उन में लिखा है कि rate पहले साल के लिये है और फिर यह बदल कर बढ़ाया भी जा सकता है। इस की क्या वजह है ?

मुख्य मंत्री : इस की वजह यह है कि Central Government का अपना यह ख्याल है। उन्होंने यह कहा है कि सरेदस्त यह rate है और बाद में यह बदल भी सकता है। अगर वह change करेंगे तो State Government भी इसे change करेगी।

श्री राम किशन : पंजाब गवर्नमेण्ट ने Centre की instructions के मुताबिक यह instruction जारी की है कि—

"For the acquisition and development of building sites to be sold to low income groups on a no-profit no loss-basis."

हमारी गवर्नमेंट ने इस सिलसिला में implementation के लिए क्या बन्दोबस्त किया है ?

मुख्य मंत्री : Site development के लिये अभी तक कोई स्कीम नहीं ली गई। अभी तो सिर्फ ऐसा ही किया है कि जो मुख्तलिफ applicants हों उन से दर्खास्तें मांगी जाएं। ख्याल यह था कि दो तरह के लोग होंगे। एक तो वे लोग होंगे जो दूसरों की इंतज़ार कर लेंगे और दूसरे वे जो बगैर किसी स्कीम के बनाए, खुद इस बात के लिये तैयार हैं कि अगर उन्हें loan मिल गया तो वे फौरन ही मकान बना लेंगे। क्योंकि मेरे दोस्त को इस बात का तो पता ही है कि housing problem बड़ी acute है इसलिये हमने जल्दी ही उन से दर्खास्तें मांग ली हैं।

श्री राम किशन : यह जो गवर्नमेंट of India की instructions हैं इन में यह दिया हुआ है—

"There will, however, be no objection to a State Government advancing a loan to an individual even if he owned a house already provided that the additional house is needed for his bona fide residential purposes."

तो क्या चीफ़ मिनिस्टर साहिब बतायेंगे कि क्या इस सिलसिला में हमारी गवर्नमेण्ट की तरफ से भी कुछ इस तरह की instructions जारी की गई हैं और अगर ऐसा करने पर कोई applications आई हैं तो कृपा करके उन की गिनती बताई जाये।

मुख्य मंत्री : मेरा ख्याल है कि मेरे दोस्त को उन instructions की copy मिल गई होगी जो कि इस सिलसिले में हम ने जारी की हैं। अगर मिल गई हो तो वह उन को पढ़ लें, उन को सब कुछ पता लग जायेगा।

श्री राम किशन : यह instructions तो मैं ने अभी नहीं पढ़ीं लेकिन मैं चीफ़ मिनिस्टर साहिब से पूछता हूं कि क्या उन को इस बात का इल्म है कि districts के अंदर इस तरह की applications नहीं ली जा रहीं ?

मुख्य मंत्री : मेरी अर्ज़ है कि अभी दर्खास्तें हमारे पास नहीं आई हैं इस लिये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि कैसी कैसी applications मौसूल हो चुकी हैं क्योंकि अभी वह सारी District Headquarters में ही हैं। जब वे हमारे पास आ जायेंगी तो मैं अपने दोस्त को बता सकूंगा।

[Chief Minister]

श्री राम किशन : क्या मुख्य मंत्री साहिब फरमायेंगे कि Government of India की instructions में यह जो दिया हुआ है—

> " As the provision of land is an important factor in the construction of a house, and as land prices are generally high, the State Governments should try to arrange, where possible, the allotment of land to intending builders, at as low a price as possible. "

तो क्या वह बतायेंगे कि इन instructions के मुताबिक क्या requisition के सिलसिले में कोई machinery बनाई गई है, यानी क्या land acquire करने के लिये कोई agency set up की गई है ?

अध्यक्ष महोदय : इस का जवाब तो चीफ़ मिनिस्टर साहिब ने दे दिया है कि उन्होंने instructions जारी कर दी हैं। (The Chief Minister has already replied that he has issued the instructions.)

श्री राम किशन : क्या चीफ मिनिस्टर साहिब फरमायेंगे कि यह जो land requisition के मुतअल्लिक instructions दी हुई हैं इन को carry out करने के लिये कोई administrative machinery बनाई गई है कि नहीं ?

मुख्य मंत्री : यह जो स्कीम है इस को कामयाब बनाने के लिये हम ने यह किया है कि हम ने instructions जारी की हैं। वह बड़ी काफी detailed हैं। वह instructions तकरीबन 39 सफों में हैं। उन में इन सारी चीज़ों को indicate किया गया है और procedure lay down किया गया है। हम ने इस बारे में कुछ priorities मुकर्रर कर दी हैं। उन के मुताबिक लोगों को loans दिये जायेंगे ताकि यह न हो सके कि जिस किसी की सिफारिश आ गई उस को यह लोन (loan) दे दिया जाए और बाकी को नहीं। अब तो इन priorities के मुताबिक जो दर्खास्तें आयेंगी उन में से जिस applicant को ज़्यादा ज़रूरत समझी जायगी उस को पहले loan दिया जायेगा।

श्री राम किशन : इन instructions में यूं लिखा है :

> "Government of India are confident that if a small "working cell" of the officials concerned is set up in each State Government with the requisite power and authority, it could resolve, without any great loss of time, all the questions that it may be confronted with in the implementation of the Scheme."

जिस machinery के कायम करने के बारे में यह instructions हैं इन के मुतअल्लिक आप ने क्या किया है ?

मुख्य मंत्री : मेरे दोस्त ने शायद यह instructions देखी नहीं हैं। यह बड़ी detailed हैं। मेरे दोस्त को यह जानकर खुशी होगी कि जो instructions हम ने जारी की थीं उन को Government of India ने बड़ा पसन्द किया है और उन्होंने इन को model instructions बना कर बाकी के सारे सूबों में भेजा है ताकि वह भी इन्हीं lines पर इस स्कीम को चलाएं।

श्री राम किशन : क्या चीफ मिनिस्टर साहिब बतायेंगे कि Government of India ने Local bodies के low paid मुलाज़मों के बारे में जो instructions दी हैं उन के मुतअल्लिक इन्होंने क्या instructions जारी की हैं ?

मुख्य मंत्री : यदि मेरे दोस्त ने इन instructions को पढ़ा नहीं तो मैं क्या कर सकता हूं । उन को चाहिये कि वह इन को पहले पढ़ें ।

REPRESENTATION FROM THE PRESIDENT, GARDEN COLONY CO-OPERATIVE SOCIETY, HANSI

***4332. Shri Lajpat Rai :** Will the Minister for Development be pleased to state—

(a) whether he has received any representation from the President, Lajpat Rai (Mirza Ki Patti), Garden Colony Co-operative Society, Hansi, regarding heavy loss suffered by the Society due to damage of fruit plants caused by the water logging in the entire area; if so, the action taken thereon ;

(b) whether any officer visited the garden colony referred to in part (a) above, if so, the recommendations, if any, made by him ;

(c) the measures with which Government intends to combat the water-logging menace?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) Yes. The matter is under the consideration of Government.

(b) Yes. The views of the Fruit Specialist have been invited and his recommendations are awaited for further action.

(c) Schemes for combating the waterlogging menace are under the consideration of Government in tne Irrigation and Agriculture Departments.

श्री लाजपत राए : क्या विकास मंत्री जी बतायेंगे कि सवाल के पार्ट (सी) के मुतअल्लिक गवर्नमेण्ट ने क्या किया है ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਸ ਚੁਕਾਂ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਮਹਿਕਮਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

श्री लाजपत राए : तो क्या मेरे सवाल के इस हिस्से का जवाब महकमा नहर वाले देंगे ?

सिचाई मंत्री : Water logging के मुतअल्लिक provision किया जा चुका है और drain का काम हाथ में लिया जा चुका है ।

श्री लाजपत राए : जो नाली खोदी जा रही है वह तो वहां से तीस मील की दूरी पर वाक्या है । उस से उस जगह को कैसे फायदा होगा ?

सिचाई मंत्री : इस से जरूर फायदा होगा ।

REPRESENTATION FROM NON-EVACUEE TENANTS OF CHAURA BAZAR, LUDHIANA

***4576. Sardar Gopal Singh :** Will the Minister for Finance be pleased to state whether he received any representation in July, 1954 from certain non-evacuee tenants, of Chaura Bazar, Ludhiana, asking tor the protection of their interests in the evacuee shops at the time of auctioning the evacuee property ; if so, the action, if any, taken thereon ?

Sardar Ujjal Singh : No.

LOANS TO INDUSTRIAL CONCERNS BY THE INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION

***3721. Maulvi Abdul Ghani Dar :** Will the Minister for Finance be pleased to state—

(a) the names of the Industrial concerns which applied for loans to the Government during the years 1952-53, 1953-54 and 1954-55 (upto 1st September) together with the dates of submission of such applications, amount applied for and the dates of their sanction in each case ;

(b) the factors that are taken into consideration at the time of advancing such loans ;

(c) the total amount of loan sanctioned by the Government and the Industrial Finance Corporation, respectively, during the period mentioned in part (a) above ;

(d) the names of the Directors of the Industrial Finance Corporation, the mode of their selection, their tenure of office and the details of allowances being paid to them?

Sardar Ujjal Singh : (a) It is not in public interest to disclose the names.

(b) (i) Nature of Industry.
(ii) Revival of industries by modern methods.
(iii) Scope of industry.
(iv) Financial integrity of the concern.
(v) Nature of security offered.
(vi) Solvency of personal sureties in case of loans applied under the liberalised conditions of the Punjab State Aid to Industries Act, 1935.

(c)

		1952-53	1953-54	1954-55
		Rs 1952-53	Rs 1953-54	Rs 1954-55
Amount sanctioned by Government	(i) Under Punjab State Aid to Industries Act, 1935	3,11,600	2,23,675	3,14,850
	(ii) Under Community Project Scheme	11,000	57,450	1,07,850
Amount sanctioned by the Punjab Financial Corporation	..	..	28,52,000	10,91,000

(d) A note containing the required information is given below.

NOTE

The management of Punjab Financial Corporation is entrusted to a Board of 10 Directors, consisting of (i) three Directors nominated by the State Government, (ii) one Director nominated by the Reserve Bank of India, (iii) one Director nominated by the Industrial Finance Corporation of India, (iv) four elected Directors, one of whom is elected to represent Scheduled Banks, another to represent Co-operative Banks, third to represent the remaining financial institutions and the fourth to represent sundry shareholders and

(v) one Managing Director to be appointed by the State Government, in consultation with the Board. The names of the present Directors are as under :—

(1) Shri N. N. Kashyap, I.C.S., (*Chairman*), Secretary to Government, Punjab, Finance Department, Chandigarh	*Nominated by State Government.*
(2) Shri H. D. Shourie, I.A.S., Director of Industries, Punjab, Chandigarh	
(3) Shri Yodh Raj, 12, Hailey Road, New Delhi	
(4) Shri Satya Paul Virmani, c/o Jawala Flour Mills, Amritsar	*Nominated by Reserve Bank of India.*
(5) Shri S. T. Karnik, c/o Industrial Finance Corporation of India, U.S. Hospital Building, Keeling Road, New Delhi	*Nominated by Industria Finance Corporation of India.*
(6) Shri B. N. Puri, General-Manager, The Punjab National Bank Ltd., "Shree Niwas", 8, Underhill Road, Delhi	*Elected to represent Scheduled Banks.*
(7) Sardar Beant Singh, Retired Deputy Registrar, Co-operative Societies, "Roses", Tibri Road, Gurdaspur.	*Elected to represent Co-operative Banks.*
(8) Shri Kanwal Raj Puri, Managing Director, Sunlight of India Insurance Co., Ltd., Connaught Circus, New Delhi	*Elected to represent the remaining financial institutions.*
(9) Shri Jodha Mal Kuthiala, "Yodha Niwas", Simla	*Elected to represent the sundry shareholders.*
(10) Managing Director ..	(Post vacant)

First Managing Director, Shri N. D. Nangia, relinquished charge on the 30th September, 1954.

2. The Managing Director, who is a whole-time salaried officer of the Corporation, holds office for a period of four years and is eligible for re-appointment. A nominated director holds office during the pleasure of the authority nominating him and an elected director holds office for four years but two out of the four elected directors retire at the end of two years after the first election and the other two at the end of four years, the directors so to retire being determined by lot. The Board is assisted by an Executive Committee consisting of the Managing Director as the Chairman, two Directors elected by the Nominated Directors and one Director elected by the elected Directors.

3. Each Director (other than the Managing Director and a salaried officer of the State Government) receives a fee of Rs 75 for attending a meeting of the Board and a fee attending a meeting of the Executive Committee In addition each Director attending a meeting of the Board or of the Executive Committee is reimbursed his travelling and halting expenses on such scale as fixed by the Board from time to time.

मौलवी अब्दुल गनी डार : वज़ीर साहिब ने बताया है कि जिन आदमियों ने loan की दरखास्तें दीं उन का नाम बताना public interest में नहीं। जब public fund हो, देने वाली अपनी सरकार और लेने वाले पंजाबी तो इन का नाम बताने में क्या हर्ज है ?

ਅਰਥ ਮੰਤਰੀ : ਜੋ ਆਦਮੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪਤ, credit ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਸ਼ਤਹਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ Bank ਭੀ ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

मौलवी अब्दुल गनी डार : कर्ज़ा दिये जाने पर नाम बताना तो कोई बुरी बात नहीं। इस से तो लोगों में उत्साह होगा और industry की तरक्की होगी। इस लिये गवर्नमेण्ट को इन के नाम बताने चाहियें।

Mr. Speaker : This has already been replied to.

मौलवी अब्दुल गनी डार : नहीं स्पीकर साहिब, मुझे शक है कि यह कर्ज़े उन्हीं को मिलते हैं जिन से इन को फायदा होता है ।

मुख्य मंत्री : मेरे फाज़िल दोस्त तो खुद एक businessman हैं और कारखाने चलाते रहे हैं । आप जानते ही होंगे कि businessman की एक हवा होती है । उसे हमेशा यही ख्याल रहता है कि यह हवा बनी रहे और उस का credit कायम रहे । इस लिये यह नाम नहीं बताये जा सकते ।

मौलवी अब्दुल गनी डार : वज़ीर साहिब ने कहा कि एक हवा होती है कर्ज़ा लेने वाले की । भारत सरकार ने जो कर्ज़े लिये हैं या जो हमारी सरकार ने लिये हैं क्या उन से इस की हवा को कोई नुक्सान पहुंच रहा है ?

श्री धर्म वीर वासिष्ठ : चीफ मिनिस्टर साहिब ने बताया है कि businessman की हवा होती है जिसे कायम रखना होता है । तो क्या politicians की हवा को भी महफूज़ रखते हैं ? (हंसी) ।

मौलवी अब्दुल गनी डार : वज़ीर साहिब ने चौथे हिस्से के जवाब में कहा है कि जो Finance Corporation है, उस में गवर्नमेंट ने 3 आदमी नामज़द किये हैं । क्या मैं पूछ सकता हूं कि नामज़दगी के लिये क्या qualifications होनी चाहियें ?

ਅਰਥ ਮੰਤਰੀ : ਇਕ Finance Secretary, ਦੂਸਰਾ Director of Industries ਇਹ ਦੋ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਰੁਪਿਆ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰਖਣ ਲਈ ਹਨ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਲਾਲਾ ਯੋਧ ਰਾਜ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵਾਕਫ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡਾ Banker ਹੈ । ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਬੜੀ ਮਦਦ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

पंडित श्री राम शर्मा : पहले जब ऐसी information मांगी जाती थी तो मिल जाया करती थी । मगर अब जो कर्ज़े दिए गए हैं क्या उन के मुतअल्लिक किसी खास हवा बांधने की ज़रूरत है ?

ਮੰਤਰੀ : ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਭੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਸਣਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या यह fact नहीं कि united Punjab में कर्ज़ लेने वालों के नाम बता दिये जाते थे ?

ਮੰਤਰੀ : ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ । ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ businessman ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿਤਾ ਜਾਏ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਸ਼ਤਹਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ।

पंडित श्री राम शर्मा : अगर ऐसी बात है फिर चाहे अपने घर वालों को ही कर्ज़ दे दें ।

ਮੰਤਰੀ : ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਇਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 8 ਜਾਂ 10 ਆਦਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

(ਇਕ ਆਵਾਜ਼ : ਜੇ ਉਹ ਭੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਨ ?)

ਇਹ ਗਲ ਵਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ।

ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਿਬ ਸਿੰਘ : ਬੋਰਡ ਦੇ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਈਮਾਨ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿਉ ?

ਮੰਤਰੀ : ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦਸ ਚੁਕਾ ਹਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਨਾਮ ਹਨ :

(1) ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਪਾਲ ਵਿਰਮਾਨੀ ;

(2) ਸ਼੍ਰੀ ਐਸ. ਟੀ. ਕਾਰਨਿਕ ;

(3) ਸ਼੍ਰੀ ਬੀ. ਐਨ. ਪੁਰੀ ;

(4) ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ;

(5) ਸ਼੍ਰੀ ਕੰਵਲ ਰਾਜ ਪੁਰੀ ;

(6) ਸ਼੍ਰੀ ਜੋਧਾ ਮਲ ਕੁਠਿਆਲਾ ;

ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਿਬ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਾ ਹੈ ਕਿ Co-operative Bank ਦੇ members, 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, 11,000 ਰੁਪਏ ਚੀਨੀ. . . .

Mr. Speaker : This question does not arise.

श्री राम किशन : क्या उन rules बारे कोई representation आई है जिनके मुताबिक Industrial Finance Corporation कर्जे देती है ?

ਮੰਤਰੀ : ਹਾਂ, ਆਈ ਹੈ ।

श्री राम किशन : उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

ਮੰਤਰੀ : ਇਹ representation Board of Directors ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਇਦੇ ਕੁਝ ਨਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸੂਦ ਘਟ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ।

ਮੌਲਵੀ ਅਬਦੁਲ ਗਨੀ ਡਾਰ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਇਸ concern ਦੇ Managing Director ਦੀ ਕੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ?

ਮੰਤਰੀ; Managing Director ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਨਖਾਹ 2000 ਤੋਂ 2500 ਰੁਪਏ ਤਕ ਸੀ । ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 1500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ।

(ਇਕ ਆਵਾਜ਼ : ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸੂ)

Mr. Speaker : No such remarks please.

ਮੌਲਵੀ ਅਬਦੁਲ ਗਨੀ ਡਾਰ: ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਆਇਆ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਮੀਟੰਗਾਂ ਲਈ 75 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟੰਗਾਂ ਲਈ 50 ਰੁਪਏ ਅਲਾਉਂਸ ਰਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਖ ਵਖ ਕਿਨੀਆਂ ਮੀਟੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ?

ਮੰਤਰੀ: ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਤਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ । ਜਿਤਨਾ ਕੰਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੀਟਂਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਪਰ ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਵਿਚ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੀਟੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ।

Mr, Speaker : This question need not be answered.

ਮੌਲਵੀ ਅਬਦੁਲ ਗਨੀ ਡਾਰ; ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੇਂਬਰਾਂ ਨੂੰ Conveyance Allowance ਤੇ T. A. ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ?

ਮੰਤਰੀ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ T. A. ਉਸ ਰੇਟ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ admissible ਹੈ ।

HOSPITALS AND DISPENSARIES

***4051. Sardar Chanan Singh Dhut** : Will the Minister for Education be pleased to state —

(a) the total number of Hospitals and dispensaries at present in the State run by the Government or local bodies along with the number of such hospitals and dispensaries in urban and rural areas separately ;

(b) the total number of doctors employed in hospitals and dispensaries referred to in para (a) above ;

(c) whether it is a fact that there are dispensaries without qualified Doctors ; if so, their number together with the reasons therefor in each case ?

Shri Jagat Narain :

(a) (i) Number of Hospitals and Dispensaries run by Government in Urban Areas	..	112
Number of other hospitals and dispensaries functioning in Urban Areas	..	127
(ii) Number of Hospitals and Dispensaries run by Government in Rural Areas	..	150
Number of other Hospitals and dispensaries functioning in Rural Areas	..	240
Total	..	629

(b) 641

(c) Yes, 47 due to non-availability of qualified doctors.

MEDICAL AID AND PUBLIC HEALTH CO-OPERATIVE SOCIETIES

*4056. **Sardar Harkishan Singh Surjit :** Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) the total number of Medical Aid and Public Health Co-operative Societies at present in the State ;

(b) the total amount of funds raised by the said societies ;

(c) the amount of aid given by the Government for the opening of subsidized dispensaries in the State and the number of such dispensaries opened so far ?

Shri Jagat Narain : (a) 64.

(b) Rs 38,400.

(c) (i) Rs 1,55,830 — This is the revised estimate as against the budget estimate of Rs 1,86,180.

(ii) 66.

MANAGING COMMITTEE OF SIKH NATIONAL HIGH SCHOOL, VILLAGE DOLIKE DOOREH, DISTRICT JULLUNDUR

*4057. **Sardar Harkishan Singh Surjit :** Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) whether the Education Department has approved the Managing Committee of the Sikh National High School, Village Dolike Dooreh, District Jullundur; if not, the reasons therefor ;

(b) whether any instructions have been issued to the Head Master of the said School regarding the personnel of the Managing Committee; if so, the details thereof?

Shri Jagat Narain : (a) No. The matter is under consideration.

(b) The Inspector of Schools issued certain instructions. He has been directed to withdraw them.

CERTIFICATES OF THE PUNJAB ARTS COLLEGE, JULLUNDUR.

*4058. **Sardar Harkishan Singh Surjit :** Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) whether it is a fact that orders were passed by the Government for recognising the certificates issued by the Punjab Arts College, Jullundur ;

(b) whether the orders referred to in part (a) above have been cancelled; if so, the reasons therefor ?

Shri Jagat Narain : (a) No.

(b) Does not arise.

NATIONALISATION OF TEXT BOOKS

***3719. Maulvi Abdul Ghani Dar :** Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) the total number of text books nationalised during the year 1952-53, 1953-54, and 1954-55 (upto 1st September) together with the names of the presses entrusted with the work of their printing ;

(b) (i) the names of the presses entrusted with the printing of such books on tender basis and on scheduled rates, respectively, together with the total number of pages, lines, pictures, size of the pages and the printing charges paid by the Government during the period mentioned in part (a) above ;

(ii) the total number of mistakes in each of these books?

Chaudhri Sundar Singh : A statement is given below.

STATEMENT

(a)—

1952-53	.. 40
1953-54	.. 53
1954-55	.. 15 (upto 1st September, 1954)

Names of presses entrusted with the work of their printing are enumerated against (b) below:—

(b) *On Tender Basis*	*On Scheduled Rates*
1. Arya Press, Amritsar.	1. Guru Nanak Press, Ludhiana.
2. Chopra Press, Jullundur.	2. Chopra Press, Jullundur.
3. Jai Hind Press, Jullundur.	3. Qaumi Press, Jullundur.
4. Onkar Mahadevi Press, Jullundur.	4. Vir Milap Press, Jullundur.
5. J. Ray & Sons, Ltd., Simla.	5. Janta Press, Jullundur.
6. V.V. Research Institute, Hoshiarpur.	6. Hind Samachar, Jullundur.
7. Qaumi Press, Jullundur	7. Vishal Press, Amritsar.
8. Indian National Press, Jullundur.	8. Forward Block, Simla.
9. Berry Printing Press, Ambala	9. Hind Press, Ambala Cantt.
10. Guru Nanak Press, Ludhiana.	10. Hind Electric Press, Ludhiana.
11. Bharat Press, Jullundur.	11. Punjab National Press, Jullundur.
12. Hindustan Press, Karnal.	12. Indian National Press, Jullundur.
13. Union Electric Press, Delhi.	13. Bharat Press, Jullundur.
14. Janta Press Jullundur.	14. Rai's Art Electric Press, Ludhiana.
15. Coronation Press, Delhi.	15. V.V. Research Institute, Hoshiarpur.
	16. Coronation Press, Delhi.
	17. Jai Hind Press, Jullundur.
	18. Maman Chand-Hukam Chand, Rohtak.

Total No. of pages	Total No. of lines	Total No. of pictures	Size of pages
18,253	4,47,246	7,891	$\frac{20'' \times 30''}{16}$ and $\frac{20'' \times 30''}{8}$

Total printing charges so far paid by Government (including that of reprints) during the period mentioned in part (a) above:—

		Rs.	A.	P.
1952-53	..	65,969	4	6
1953-54	..	2,10,760	13	0
1954-55	..	40,106	15	0

Total No. of mistakes in these books .. Not known to Government.

ਮੌਲਵੀ ਅਬਦੁਲ ਗ਼ਨੀ ਡਾਰ: ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ Scheduled Rate ਤੇ Tender Rate ਵਿਚ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ ?

ਮੰਤਰੀ: Tender Rate ਵਿਚ ਜਿਸ ਦਾ tender lowest ਹੋਵੇ ਕਈ ਵੇਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ । ਸਗੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਤੇ Scheduled Rate ਬਾਰੇ ਜੇਕਰ ਆਪ ਨੋਟਿਸ ਦੇਵੋ ਤਾਂ ਦਸ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ technical rate ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ composition rate ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਆਪ ਜੇਕਰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਵੋ ਤਾਂ ਦਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ।

ਮੌਲਵੀ ਅਬਦੁਲ ਗ਼ਨੀ ਡਾਰ: ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਰੇਟ ਤੇ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ scheduled ਰੇਟ ਤੇ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੈ ?

ਮੰਤਰੀ: ਤੁਸਾਂ ਫ਼ਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ । (ਹਾਸਾ)

ਮੌਲਵੀ ਅਬਦੁਲ ਗ਼ਨੀ ਡਾਰ: ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਧੇਰੇ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣ ਲਗਿਆਂ ਕਿਨ੍ਹਾਂ qualifications ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ?

ਮੰਤਰੀ: ਕੰਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ capacity ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਫਿਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਪਾਸ Slender Machine ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ।

श्री धर्म वीर वासिष्ठ : क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि बाकी के मन्त्री महोदय तो सवाल के नोटिस आने पर जवाब तैयार कर लेते हैं। आप के पास दर्खास्त करने की क्या आवश्यकता है ? (हंसी)

ਮੌਲਵੀ ਅਬਦੁਲ ਗ਼ਨੀ ਡਾਰ: ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਨੂੰ Scheduled Rate ਤੇ ਕੰਮ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ Slender ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹਨ ?

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ: ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵਖਰਾ ਸਵਾਲ ਕਰੋ । (The hon. Member may give a fresh notice for this question.)

ਮੌਲਵੀ ਅਬਦੁਲ ਗਨੀ ਡਾਰ: ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਚੌਥੇ ਹਿਸੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛਪਾਈ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ । ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਪਲੰਦਾ ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ?

मुख्य मन्त्री : गवर्नमेण्ट को यह मानने से इनकार नहीं कि printing में गलतियां रह गई हैं । इसकी वजह यह है कि Government के Printing Press में पूरी capacity में काम नहीं हो सकता । फिर मुख्तलिफ जगह पर काम देना पड़ा । हमारे पास इन के proofs देखने के लिए वक्त न था । हमें इन गलतियों के लिए अफसोस है । सरकार इस बात की कोशिश कर रही है कि printing की इन खामियों को दूर किया जाए ।

ਮੌਲਵੀ ਅਬਦੁਲ ਗ਼ਨੀ ਡਾਰ: ਕੀ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਨੇ printing ਵਿਚ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਛਡ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ?

मुख्य मन्त्री : मेरे फाज़ल दोस्त का क्यास दुरुस्त है ।

ਮੌਲਵੀ ਅਬਦੁਲ ਗ਼ਨੀ ਡਾਰ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਵਜਾਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਚ ਹਰ ਇਕ ਪਰੈਸ ਨਾਲ ਇਕੋ ਜਿਹਾ treatment ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ? ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਜਲਦੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਲੇਬਰ ਮੰਤਰੀ : ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪਰੈਸ ਨਾਲ ਇਮਤਿਆਜ਼ੀ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ।

OBSERVATIONS BY THE SPEAKER RE: FORMATION OF INTER STATE LEGISLATURES' ASSOCIATION.

अध्यक्ष महोदय : मैं आप की तवज्जुह एक खास अमर की तरफ दिलाना चाहता हूं ।

3 p.m.

आप को याद होगा कि जून 1952 में मेरे predecessor स्वर्गीय डाक्टर सत्यपाल ने हाउस के सब मेम्बरों को एक चिट्ठी Inter-State Legislatures' Association के बनाये जाने के विषय पर लिखी थी जिस के साथ लोक सभा के स्पीकर की चिट्ठी जो इस सिलसिले में उन्हें आई थी भेजी गई थी । माननीय मेंबरों को याद होगा कि उन से प्रार्थना की गई थी कि वह इस सुझाव पर अपने विचार प्रकट करें । लेकिन बहुत कम मेम्बरों ने इस सम्बंध में अपने जवाब भेजे । उसके बाद मैंने भी दो दफा आप को लिखा और जो जवाब आये उन में ऐसी एसोसियेशन

बनाये जाने का समर्थन किया गया था। हाल ही में जो Speakers' Conference राज कोट में हुई उस में तकरीबन सब States की तरफ से यह फैसला किया गया कि यह एसोसियेशन ज़रूर बननी चाहिये लेकिन हमारी तरफ से हाउस का फैसला न होने की वजह से मैं अपनी अंतिम स्वीकृति न दे सका गो मैं ने अपनी राये जाहिर कर दी थी कि ऐसी Association ज़रूर कायम की जानी चाहिये। मैं बता दूं कि ऐसी ऐसोसियेशन का होना आवश्यक मालूम होता है क्योंकि इस से मुख्तलिफ विधान मंडलों के मेम्बरों को आपस में इकट्ठे हो कर उन सामाजिक, तालीमी और आर्थिक मामलों पर विचार करने का मौका मिलता है जिन का सब राज्यों से ताल्लुक होता है और इस तरह एक अखिल भारतीय दृष्टिकोण विकसित होता है। इस लिये मैं उम्मीद करता हूं कि यह हाउस Inter-State Legislature's Association के कायम करने की एक मत से स्वीकृति देगा ताकि मैं इस हाउस का निर्णय लोक सभा के अध्यक्ष को भेज सकूं। (I want to draw the attention of the hon. Members to an important matter. They will recollect that in June 1952, my predecessor--the late Dr. Satya Pal had addressed a letter to all the members of the House enclosing with it a copy of the letter received by him from the Speaker of the Lok Sabha on the subject of the formation of an Inter-State Legislatures' Association. They will also recollect that they were requested to express their opinion on the proposal but only a few replies were received from the hon. members in this connection. Subsequently, I also wrote twice to them in this behalf and whatever replies were received favoured the formation of such an Association. In the Speakers' Conference recently held at Rajkot, the Speakers of almost all the States agreed to the establishment of such an Association. But in view of the absence of any decision of this House to this effect, I could not give my final consent although I had expressed my views in favour of such an Association being formed. I may point out that existence of such an Association appears to be necessary because it would afford an opportunity to the members of the various Legislatures to come together and discuss social, educational and economic problems that are common to the different States and thus develop an All-India outlook. I, therefore, hope that the House will unanimously approve of the setting up of an Inter-State Legislatures' Association and enable me to convey the decision of this House to the Speaker of the Lok Sabha.)

माननीय सदस्य : जी हां।

RESOLUTIONS.

बख्शी प्रताप सिंह (सुंजानपुर) : Sir, I beg to move—

> That in view of the extreme backwardness of the people of Kangra District in matters of education, of the lack of adequate drinking water facilities and of suitable means of transport and communications, of proper means of irrigation, of lack of any kind of industry and of their inadequate representation in Government Services, this Assembly recommends to the Government that it should itself make funds available, and if necessary approach the Union Government for the purpose for a proper and planned development of the District and it further recommends that special concession be granted to the people of this area in the matters of admissions to all Government or Government aided institutions and of appointments to Services.

अध्यक्ष महोदय, यह कांगड़े का ज़िला रकबे के लिहाज़ से सब से बड़ा ज़िला है और अगर इसे State का बरे आज़म कहा जाये तो इस में ज़रा भी मुबालगा आमेज़ी न होगी।

[बख्शी प्रताप सिंह]

लेकिन स्पीकर साहिब, इस ज़िला के लोगों की गुरबत, तकलीफात और दूसरी कई बातों का भयानक नक्शा देख कर कलेजा मुंह को आता है। आप हर पहलू से अंदाज़ा लगायें तो आप को मालूम होगा कि यहां के लोगों की हालत नागुफ्ता बेह है। ज़राये आमदोरफ्त की मिसाल ले लीजिये। इतने लम्बे चौड़े ज़िले के लिये सिर्फ एक ही पक्की सड़क है जो पठानकोट से कुल्लू को मिलाती है। इस ज़िला के बाराई हिस्से से गुज़रती है। ज़राए आमदोरफ्त कच्ची सड़कें, कच्चे रास्ते और छोटी छोटी पगडंडियां ही हैं। बरसात के मौसम में जो लोगों की दुर्दशा होती है वह बयान नहीं की जा सकती। यह ज़िला तमाम का तमाम cut off हो जाता है और बहुत से इलाकाजात तहसील और सदर मुकाम से बिल्कुल cut off हो जाते हैं। अगर इसे काले पानी से तशबीह दी जाये तो ऐन मौज़ूं होगा। इन दिनों अगर इस ज़िला के लोगों को प्रान्त के दूसरे हिस्से में या भारतवर्ष के दूसरे हिस्सों में जाना पड़े तो उन्हें बरसाती नालों जो तुगयानी से ठाठें मारते हैं का मुकाबला करना पड़ता है। यह नदी नाले यहां के व्यापारियों के लिये मोहलक जरब ही नहीं बल्कि उन के व्यापार को हमेशा के लिये खत्म करने का कारण बन जाते हैं।

स्पीकर साहिब, तालीम के मामला में भी इस जिले की बुरी हालत है। आज तो प्राइमरी तालीम भी मिलनी मुश्किल हो रही है; Secondary तालीम की तो बहुत बुरी हालत है। इतने लम्बे चौड़े ज़िले के लिये एक कालेज का होना एक मज़ाक का मौज़ूह बना हुआ है। लड़कियों की तालीम की बहुत बुरी हालत है। चन्द एक कस्बे छोड़ कर देहात के लोगों को पता नहीं कि लड़कियों को तालीम का दिया जाना भी ज़रूरी है या नहीं। वह बेचारे क्या करें जब कि गवर्नमेंण्ट की तरफ से लड़कियों की तालीमी दरसगाहें मौजूद न हों ?

इस ज़िले में ज़राए आबपाशी बिल्कुल महदूद हैं बल्कि न होने के बराबर हैं। पुराने वक्तों में राजे महाराजे इस ज़िला के थोड़े से हिस्से को सैराब करने का बन्दोवस्त करते थे। बाकी सारे का सारा ज़िला अमूमन बारानी है जहां लोगों की निगाहें हमेशा इंद्र देवता की तरफ लगी रहती हैं। पिछले तीन चार सालों में बारिश न होने की वजह से इस ज़िला की फसलें बिल्कुल बरबाद हो गईं और लोगों को बुरी तरह से तकलीफ का सामना करना पड़ा। स्पीकर साहिब, आप सुन कर हैरान होंगे कि इस ज़िला की निसफ आबादी को एक खास मुसीबत यानी पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी के मौसम में आप जा कर देखें तो आप को पता लगेगा कि लोग 6-7 मील से इन्सानों और हैवानों के पीने का पानी लाते हैं। अक्सर हालतों में, स्पीकर साहिब, यह हकीकत है कि लोगों को घर से इरादा बांध कर पानी की तलाश में मारे मारे घूमना पड़ता है और वह रात दिन पानी लाने में मसरूफ रहते हैं। स्पीकर साहिब, यह ज़िला जोगिंदर नगर से तमाम State को ही नहीं बल्कि पाकिस्तान को भी बिजली मुहैया करता है। लेकिन यह खुद अन्धेरे में है। गवर्नमेंट की जानिब से कुछ हरकत हुई है लेकिन वह इतनी काफी नहीं जिस से इस ज़िले का उद्धार हो सके। आप सुन कर हैरान होंगे कि 21,50,455 एकड़ जंगल का वाहिद मालिक कांगड़ा का ज़िला है। दूसरे ज़िलों के मुकाबले में जंगलात का 75 प्रतिशत हिस्सा कांगड़ा के ज़िले में आता है। इस ज़िला के आदादो शुमार के मुताबिक आप को मालूम होगा कि जंगलात की सालाना आमदनी 62,10,000

रुपये है और इन पर सालना खर्च 49,08,000 रुपये है यानी, 12,49,000 रुपया सालाना की बचत है। स्पीकर साहिब, बावजूद इतनी आमदन होने के इस ज़िले की हालत यह है कि गवर्नमेण्ट की जानिब से न कोई rosin factory है न दियासलाई के कारखाने इस ज़िले में पाए जाते हैं। इस ज़िला के मेंम्बरान असैम्बली ने कई बार यह मामला गवर्नमेंट के सामने रखा लेकिन गवर्नमेंट न इस बारे में कोई कदम नहीं उठाया। जंगलात की भरमार होने के बावजूद इस ज़िला के अंदर कोई Forest School गवर्नमेण्ट की जानिब से नहीं खोला गया। इन जंगलात के अंदर जड़ी बूटियां बेशुमार पाई जाती हैं। जब तक पंजाब सरकार इस तरफ तवज्जुह नहीं देती और भारत सरकार पर दबाव नहीं डालती तब तक इन जड़ी बूटियों से फायदा नहीं उठाया जा सकता।

फिर, स्पीकर साहिब, बड़े अफसोस की बात है कि उद्योग धंधों के बारे में इस ज़िले का रिकार्ड सिफर के बराबर है। दरियाओं, नदियों और नालों की रवानी यहां से होती है, जोगिन्दर नगर की बिजली का ख़ज़ाना हमारे इलाके हैं।

Kulu Valley में Sanitorium और सैर गाहें बनाई जा सकती हैं। यह एशिया का Switzerland बन सकता है। मुख्य मंत्री और विकास मंत्री जी ने सन् 1954 में अपने दौरों में public speeches करते हुए हमारे ज़िले की ऐहमियत को स्वीकार किया था मगर अभी तक इस के विकास की तरफ ज़रा भी ध्यान नहीं दिया गया।

यह एक मुसल्लिमा अमर है कि services में हमारे ज़िले के लोगों को कोई खास हिस्सा नहीं मिला हुआ। ज़राये आमदो रफत की नागुफताबेह हालत होने के कारण नौकरियों के इश्तिहारों का लोगों को अव्वल तो पता ही नहीं चलता और अगर चल भी जाए तो उस वक्त तक आखिरी तारीख गुज़र चुकी होती है। एक और रुकावट यह है कि कुल्लू से interview करने के लिये कोई उम्मीदवार 100 रुपये लिये बगैर नहीं निकल सकता। इस ज़िले का कालेज भी एक अधूरा कालिज है। जितने graduates वहां से निकलते हैं, आम तौर पर Third Division की Degrees हासिल करते हैं, इस लिय नौकरियों के लिये दूसरों का मुकाबला नहीं कर सकते। B. T. Class में दाखिल होने की भी उन्हें इजाज़त नहीं दी जा सकती। गुज़शता साल की मिसाल मौजूद है। हमारे ज़िले के Third Division में पास होने वाले B. A's चंडीगढ़ में आये। हमने उन्हें Education Minister साहिब से मिलाया मगर उन्हें कोरा जवाब ही मिला "हम तालीम की efficiency में कमी नहीं कर सकते" Technical Institute की मिसाल भी सामने मौजूद है। सारे ज़िले की मुत्तफिक्का आवाज़ के बावजूद भी इसे खोलने की मंजूरी अभी तक नहीं दी गई है।

हमारे ज़िले को भूखा बहिश्त कहा जाता है। प्रिंसीपल छबील दास ने इसी नाम से हमारे ज़िले के बारे में एक किताब लिखी थी। वहां पर बहिश्त का नज़ारा तभी नसीब हो सकता है अगर वहां के लोगों की भूख का इलाज हो जाये, उसे पिछड़ा हुआ इलाका तसव्वर करके उस की बाकायदा planned development की जाय। मैं अपने ज़िले की काबले रहम हालत के पेशे नज़र मुअज़िज मेंबरों से गुज़ारिश करूंगा कि इस Resolution का पूरी तरह से समर्थन करें और इसे सर्वसम्मति से पास करें। तब वहां के लोग हकीकी माइनों में जान सकेंगे कि सारा

[बख्शी प्रताप सिंह]
पंजाब अपने जिस्म के पिछड़े हुए अंश को शाना बशाना अपने साथ ले जाना चाहता है। ऐसा करने के लिय पूरी तरह आमादा हो चुका है। हमारे ज़िले के जवान फौज में शामिल हो कर खून पसीना एक करते हैं। इन लोगों को इन का हक़ ज़रूर दिया जाना चाहिये।

मैं इतना ही कहता हुआ पूरी २ उम्मीद रखता हूं कि इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास किया जायगा।

Mr. Speaker : Motion moved—

In view of the extreme backwardness of the people of Kangra District in matters of education, of the lack of adequate drinking water facilities and of suitable means of transport and communications, of proper means of irrigation, of lack of any kind of industry and of their inadquate representation in Government services, the Assembly recommends to the Government that it should itselft make funds available, and if necessary approach the Union Gvovernment for the purpose, for a proper and planned development of the district and it further recommends that special concessions be granted to the people of this area in the matters of admissions to all Government or Government-aided institutions and of appointments to services.

I have received notices of the following amendments. These will be deemed to have been moved. They may be discussed alongwith the main motion.

1. **Shri Mohan Lal Datta** :

In line 2, after "District" add "and Tehsil Una of Hoshiarpur District".

2. **Pandit Shri Ram Sharma** :

In line 2, after "Kangra" add "and Haryana".

3. **Pandit Shri Ram Sharma**:

In line 2, for "District" substitute "Districts".

4. **Shri Mohan Lal Datta**:

In line 9, for "District" substitute "said areas".

5. **Pandit Shri Ram Sharma**:

In line 9, for "District" substitute "Districts".

6. **Pandit Shri Ram Sharma**:

In line 10, for "this area" substitute "these areas."

7. **Shri Ram Kumar Bidhat**:
8. **Rao Gajraj Singh**:
9. **Shri Balwant Rai Tayal**:
10. **Shri Mam Raj**:
11. **Captain Ranjit Singh**:
12. **Shri Dharam Vir Vasisht**:

In line 2. after "District" add "Bhiwani Tehsil of Hissar District and undeveloped parts of Gurgaon District."

13. **Shri Mool Chand Jain**:
14. **Shri Kasturi Lal**:

In line 2, for "District" substitute "Karnal, Gurgaon and Hissar Districts."

15. **Shri Mool Chand Jain**:

16. **Shri Kasturi Lal Goel:**

In line 9, for "District" substitute "Districts".

17. **Shrimati Parkash Kaur:**

In line 2, after "District" add " and of the area between Sakki and river Ravi in districts of Amritsar and Gurdaspur."

18. **Shrimati Parkash Kaur:**

In line 9, for "District" substitute "above mentioned areas."

19. **Shri Sadhu Ram:**

In line 2, after "District" add "Tehsil Naraingarh and other sub-mountainous and backward parts of Ambala District."

20. **Professor Sher Singh:**

In line 2, after "District" insert "Jhajjar Tehsil of Rohtak District, Rewari Tehsil of Gurgaon District, Bhiwani Tehsil of Hissar District, Kaithal Tehsil of Karnal District and Naraingarh Tehsil of Ambala District".

21. **Sardar Uttam Singh:**

In line 2, after "District" add "Bet area in Thana Kanaun, Tehsil and District Gurdaspur and Shahpur Kandi, Gurdaspur District."

22. **Shri Teg Ram:**

In line 2, after "District" add "and Tehsil Fazilka of District Ferozepur".

23. **Shri Teg Ram:**

In line 9, for "District" substitute "above mentioned areas."

24. **Shri Teg Ram:**

In line 10, for "this area" substitute "these areas."

25. **Shri Gopi Chand Gupta:**
26. **Shri Daulat Ram:**

At the end add "Kaithal Sub-Division to be declared as backward area".

27. **Shri Chand Ram:**
28. **Shri Badlu Ram:**

In line 2, after "District" add "and Haryana".

29. **Professor Mota Singh Anandpuri:**

In line 2, after "District" add "and Anandpur in Tehsil Una and Tehsil Garhshanker in the district of Hoshiarpur."

30. **Professor Mota Singh Anandpuri:**

In line 2, after "District" add "the whole area lying between Rajauri, Dholbaha and Hoshiarpur in the district of Hoshiarpur."

31. **Gyani Rajinder Singh:**

In line 2, after "district" add "and submountainous areas of Rupar Sub-Division."
In line 9, for "district" substitute "said areas."

पंडित मोहन लाल दत्त (आनन्दपुर) : अध्यक्ष महोदय, पंजाब में माली तरक्की काफ़ी हुई है परन्तु कुछ regions ऐसे हैं जिन की तरफ काफी ध्यान नहीं दिया गया। कुल्लू के बाद तहसील

[पं० मोहन लाल दत्त]
ऊना एक ऐसा इलाका है जिस की ओर कोई तवज्जुह नहीं दी गई । Geographically और culturally ऊना तहसील कुल्लू का अंश ही है। शिवालक की पहाड़ियां मैदानी दुनिया से इसे जुदा करती हैं। यहीं से पहाड़ियों का वह सिलसिला शुरू होता है जो कुल्लू तक बराबर चला गया है । ऊना तहसील का 1912-13 का बन्दोबस्त कांगड़ा ज़िला की गोपीपुर और हमीरपुर की तहसीलों के साथ २ ही हुआ था।

इस लिहाज़ से ऊना में जो कि एक पहाड़ी इलाका है वही तकलीफें और दिक्कतें हैं जो कुल्लू के लोगों को पेश आ रही हैं। इन में चोओं और स्वां नदी के कारण एक और दिक्कत का इज़ाफा हो गया है । इस वजह से यह इलाका कुल्लू से भी ज़्यादा पसमान्दा है और इस की ओर ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिये । इस तहसील का रकबा 4,41,722 एकड़ है, मगर इस में cultivated area सिर्फ 1,61,114 एकड़ है ।

इस इलाका की आबादी 2,96,722 है जिस के रोज़गार का सब से बड़ा साधन ज़मीन है। इतनी अधिक आबादी का गुज़ारा इतनी कलील अराजी से नहीं होता। ज़मीन बहुत छोटे 2 टुकड़ों में बंटी हुई है और यह टुकड़े सब uneconomic holdings हैं । फिर सारी ज़मीन बारानी है और unirrigated है । उस को भी आये साल चोओं और स्वां नदी में आने वाले floods ने बरबाद कर दिया है। यहां के रहने वाले लोग तबाह और बरबाद हो जाते हैं। बहुत सा soil sandy है और नाकस है। जिन लोगों की बड़ी २ अराज़ी भी है उन को भी परिवार का निर्वाह करने के लिये पूरा खाद्यान्न प्राप्त नहीं होता। इस रकबा में किसी प्रकार की industry नहीं है । हां एक industry ज़रूर है—यहां के गरीब लोग अमीर लोगों के जूठे बरतन साफ करने के लिये बाहर चले जाते हैं । इस के अलावा और किसी industry का नामोनिशां यहां पर नहीं है। न ही कोई industry कायम करने का प्रयत्न किया गया है। यदि ज़्यादा बड़े कारखाने न खोले जा सकते हों तो घरेलू दस्तकारियां तो चालू हो सकती हैं और लोगों के लिये थोड़ा बहुत रोज़गार मुहैया हो सकता है। लेकिन इस दिशा में कुछ भी नहीं किया गया ।

अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के लिहाज़ से ऊना तहसील को Education Code में backward area करार दिया गया है। यहां पर तालीम की ऐसी हालत है कि इतने भारी रकबे में एक भी लड़कों का सरकारी हाई स्कूल नहीं है। यहां पर private effort से लोगों ने 20 के करीब हाई और मिडल स्कूल खोल रखे हैं। अभी २ एक मिडल स्कूल लड़कियों का खोला गया है। कितनी अजीब बात है कि 1,200 मील के क्षेत्र में गवर्नमेंट ने लड़कियों के लिये एक भी मिडल या हाई स्कूल नहीं खोला । फिर इस इलाके में floods इतने आते हैं कि कई देहातों में तो आसाम की तबाही का मनज़र पेश हो जाता है। कुछ देहात का तो तमाम का तमाम रकबा floods की वजह से बह गया है । आमदोरफ़त का यह हाल है कि ऊना तहसील के दरमियान में एक स्वां नाम की नदी बहती है वह इस इलाके को दो हिस्सों में बांट देती है । बरसात के दिनों में तीन २ चार २ महीनों तक तहसील के बाशिंदे इधर से उधर नहीं जा सकते । एक दूसरे से बिल्कुल cut off हो जाते हैं। यह नदी इतनी भयंकर

है कि इस को अबूर करना कठिन हो जाता है और आमदोरफ्त की सख्त तकलीफ हो जाती है। यह नदी 80 मील के रकबे में से गुज़रती है लेकिन इतनी भारी length में कोई भी पुल तामीर नहीं किया गया। Joint Punjab में public की तरफ से बहुत सी अर्ज़दाश्तें होती रही हैं। नदी पर पुल डालने की तजवीज हुई थी और वह मनजूर भी हो गई थी। लेकिन देश का विभाजन होते ही वह तजवीज़ खटाई में पड़ गई। न कोई कोशिश होती है और न ही इस काम को निपटाने की कोई तजवीज़ होती है। बस यही जवाब मिलता है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं।

स्पीकर साहिब, इस के इलावा और भी बहुत सी तकलीफें इस रकबे के लोगों को हैं ? थाना आलम और थाना नूरपुर के एक तरफ तो दरिया बहता है और दूसरी तरफ वहां स्वां नदी है। बाकी तरफ शिवालक की पहाड़ियां हैं। वे इलाके बाकी देश से बिल्कुल अलग थलग रहते हैं। वहां अफसर लोग भी जाने की तकलीफ गवारा नहीं करते और न ही जा सकते हैं क्योंकि आमदोरफ्त की बहुत दिक्कत होती है। दूसरे देश से मिलाने के लिये इस इलाके वालों ने बहुत अर्ज़दाश्तें कीं। कई बार लिखा पढ़ा गया कि इस इलाके को या तो रोपड़ से मिला दिया जाये या कीरतपुर रेलवे स्टेशन से मिला दिया जाये लेकिन इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया जाता। बड़े दुःख की बात है कि इतने बड़े थाने में जिस की आबादी 55,000 है एक sub-post office भी न हो कि emergency के वक्त किसी अफसर से जल्दी खतोकिताबत भी की जा सके या तार वगैरह ही दी जा सके। नतीजा यह होता है कि लोगों को दरिया अबूर करके थाना आनंदपुर साहिब में जाना पड़ता है। यह हालात हैं जो कि मैंने आप के द्वारा हाउस के सामने पेश किये हैं। वज़ीर साहिबान को पसमान्दा लोगों की मुसीबत का अहसास है। वे वहां जाते हैं और लोगों से conferences करते हैं और तकरीरें भी करते हैं कि इस backward area का हम ध्यान रखेंगे लेकिन इस इलाका की बहबूदी के लिये कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। एक नाम निहाद National Extension Service Block वहां बना दिया गया है। जिस पर सात लाख रुपया खर्च करने की तजवीज़ है। मगर उस में से बहुत सारा रुपया वहां के personnel—अफसर और मुलाज़मीन पर खर्च होगा। और बाकी में से कुछ रुपया loans तकावी में दिया जायेगा। उस तकावी की शरह सूद गवनमेंट ने इतनी रखी है कि वहां के गरीब लोग इस से कोई फायदा नहीं उठा सकते। कोई ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये जिस से उन गरीब लोगों को फायदा पहुंच सके।

स्पीकर साहिब, हमारे इलाके में दो बड़े २ Power-Houses हैं। उन को बनाने के लिये कोटला और गंगूवाल में गरीब लोगों की ज़मीनें छीनी गई, उन को बेघर किया गया। लेकिन अभी तक कोई ऐसी स्कीम नहीं बनाई गई जिस के ज़रिये इस इलाके को भी बिजली दी जा सके। और २ देहातों में तो बिजली दी जा सकती है परन्तु वहां पर उन गरीब लोगों को जिन की ज़मीनें छीन कर Power-Houses बनाए गए हैं बिजली देने का प्रबन्ध नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर भी कांगड़ा की तरह बहुत सारे देहात ऐसे हैं जहां पर बदकिस्मत लोग बरसात का जमा हुआ पानी और जौहड़ों का गंदा पानी पीते हैं। उस गंदे पानी को पीने

[पं० मोहन लाल दत्त]

की वजह से उन को कई बीमारियां हो जाती हैं। उन की तकलीफों का एक बड़ा भारी बायस गंदा पानी भी है। गवर्नमेंण्ट ने कुछ देहातों को शुद्ध पानी देने की तजवीज़ की है। उस जगह का नाम लाजपत वाटरवर्क्स है। लेकिन उस का खर्च इतना ज़्यादा है और लोगों पर उस टैक्स का इतना भारी बोझ है कि लोग शुद्ध जल पीने की बजाए जौहड़ों का पानी पीने को तरजीह देते हैं। टैक्स इतना भारी है कि फी कस 3 रुपये देने पड़ते हैं। वे गरीब लोग इतना भारी टैक्स अदा नहीं कर सकते। इस लिये इस स्कीम से भी लोगों को कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। इन हालात में मैं अपने मंत्रिमंडल से निवेदन करूंगा कि इस इलाका को भी कांगड़ा की तरह backward area करार दिया जाये और विशेष सुविधाएं दी जायें ताकि ये लोग भी स्वतंत्रता का अनुभव कर सकें। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि मंत्रीमंडल हमारे इलाके को भी ध्यान में रखेगा और उस की बेहतरी के लिये यत्न करेगा।

पंडित श्री राम शर्मा (सोनीपत): स्पीकर महोदय, मेरी भी एक तरमीम है....

एक माननीय सदस्य: आप की कई तरमीमें हैं।

पंडित श्री राम शर्मा: मैंने तो एक ही भेजी थी (हंसी) खैर अगर उन सब points को मिलाया जाये तो मतलब एक ही निकलता है। और वह यह कि कांगड़ा ज़िला के साथ हरियाना को भी जोड़ दिया जाये। अगर गवर्नमेंण्ट ने कुछ करना हो (विघ्न) कुछ लोगों को शायद इस बात की तकलीफ है कि यह क्या बात है। अव्वल तो बहुतों को यह भी पसन्द नहीं होगा कि कांगड़ा के नाम पर आवाज़ क्यों उठाई गई है। खैर, यह रेज़ोल्यूशन पेश हुआ है। इस पर तरमीमें भी आई हैं—किसी में कुछ एक तहसीलों को, किसी में आधे या एक-तिहाई ज़िले को और किसी में पूरे ज़िले को भी शामिल करने की मांग की गई है। लेकिन जो मेरी तरमीम है वह पांच सात तरमीमों को इकट्ठा करने का काम दे जाती है। मैंने देखा है कि इन तरमीमों में कहीं भिवानी का नाम है, कहीं करनाल ज़िले को देखता हूं और किसी में लिखा है कि सारे गुड़गांव को लिया जाये। मैंने उन तमाम तरमीमों को भी देखा है और वह सारी की सारी मेरी तरमीम में शामिल हो जाती हैं। इस गवर्नमेंण्ट ने क्या करना है और क्या नहीं करना यह तो इस के अपने अख्तियार की बात है। लेकिन मेम्बरान को इस हाउस में क्या कहना चाहिये और यहां आकर उन की क्या ज़िम्मेदारी और फर्ज़ हैं, वह तो हर कोई अपने ख्याल से चाहेगा कि ज़ाहिर करे।

स्पीकर साहिब, आप देख रहे हैं कि जब से यह States Reorganisation Commission बना है, जब से यह ख्याल पैदा हुआ है कि मुल्क में सूबों की अज़-सरे-नौ तकसीम किस तरह और कैसे हो, तब से पंजाब में इस सिलसिला में कई तरह की बातें और आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। उस की एक यह भी वजह है कि कुछ लोग—ज़िलों और तहसीलों के लोग—यह महसूस कर रहे हैं कि पंजाब के इस मौजूदा निज़ाम में रह कर कोई तरक्की नहीं कर सकेंगे। उन्हें कोई आराम या सहूलियतें नहीं मिल सकतीं। इन हालात में उन के लिये यहां पर ज़िन्दा रहना मुश्किल है। वरना कोई वजह नहीं थी कि हरियाना प्रान्त के चारों ज़िलों के मेम्बरान—उन को छोड़ दीजिये जो कि आपोज़ीशन में हैं—जो कि कांग्रेसी बेंचों पर बैठे हुए हैं, उन की आधे से भी ज़्यादा तादाद यह ख्याल रखती है कि उन के लिये इस मौजूदा निज़ाम में, मौजूदा

जत्थेबन्दी में और मौजूदा पंजाब में से अलग किया जाए ? अगर उन को यहां पर आराम होता, सहूलियतें होतीं, तरक्की के लिये रास्ते खुले होते तो क्यों उन के दिलों में यह ख्याल पैदा होता कि उन्हें पंजाब से निकाल कर independent unit या दिल्ली के साथ मिला दिया जाये ? ठीक यही बात कांगड़ा में भी पाई जाती है । यही बात इसी हिसाब से गुड़गांव ज़िले में भी पाई जाती है । अभी कल ही गुड़गांव के मुताल्लिक सरकार के हिमायती और कांग्रेसी मेम्बर ने यह कहा था कि शायद इस ज़िला को एक नमूने के तौर पर रखा गया है ताकि यह बताया जा सके कि तरक्की से पहले पंजाब की यह हालत थी कि जिस में कि यह ज़िला पाया जाता है । तो नमूने के लिये बताये जाने वाले ज़िलों में से ऐसा एक ज़िला एक कोने पर कांगड़ा है और दूसरे किनारे पर गुड़गांव । इन दोनों ज़िलों में उन इलाकों को भी शामिल किया जाना चाहिये जहां के लोग यह महसूस करते हैं कि गवर्नमैण्ट उन के साथ अच्छा सलूक नहीं करती, उस ने उन के लिए तरक्की का कोई रास्ता खुला नहीं छोड़ा और उन का उन पांच, छः अदारों में, यानी तालीम के मामले में, सड़कों के मामले में, नौकरियों के मामले में, हस्पतालों के मामले में, सिंचाई के मामले में, कुछ फ़ायदा नहीं किया, उन के लिये ऐसी सहूलियतें नहीं पहुंचाई । वह लोग बड़ी चीखो पुकार करने के बाद अब यह कहते हैं कि गवर्नमेंट ने उन के लिये तिजारत के मामला में और सनअतोहिरफत के मामले में कोई खर्च नहीं किया हालांकि गवर्नमैण्ट का खज़ाना भरने में वे लोग किसी दूसरे ऐसे ज़िले से पीछे नहीं जहां पर यह सभी सहूलियतें दस्तयाब हैं । मतलब यह कि पंजाब के अन्दर आज बहुत से ऐसे इलाके हैं जो backward हैं, पिछड़े हुए हैं और गवर्नमेंट ने उन का ज़रा भी ख्याल नहीं किया और अगर कुछ थोड़ा बहुत किया भी तो वह भी बराए नाम । अभी पिछले दिनों इसी कांग्रेस सरकार और पार्टी के एक मेम्बर ने जो कि पंजाब कौंसिल में मौजूद हैं अम्बाला डिवीजन के कुछ आदादोशुमार शाया किये थे । उन से ज़ाहिर होता है कि उस के ज़िलों की हालत क्या है और लोग वहां किस हालत में रह रहे हैं । आप पिछले सात आठ सालों का बजट उठा कर देख लें और इस तमाम आदादोशुमार को देख लें । मेरे लिये इस वक्त इन सब चीज़ों को तफ़सील से बयान करना मुमकिन नहीं क्योंकि यहां पर बोलने के लिये समय ही इतना थोड़ा होता है कि अगर हरेक point को details में बयान करना शुरू कर दिया जाए तो बाकी बातें कहने के लिये वक्त ही नहीं रहता । लेकिन इतनी बात ज़रूर कहूंगा कि आप पिछले सात आठ सालों का बजट निकाल कर देख लें कि nation building और State development के लिये, लोगों की तरक्की और आराम के लिये, जो रुपया इस स्टेट के अन्दर खर्च किया गया है जिस इलाके को मैं इस resolution में शामिल करना चाहता हूं, आबादी और area के लिहाज़ से पंजाब में जो $\frac{1}{3}$ हिस्सा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उस पर बजट का 1/15 या 1/20 हिस्सा भी खर्च नहीं किया गया । रहा सवाल यह कि पुलिस के और executive magistrates भेजने के लिये खर्च हुआ । मान लेते हैं कि गवर्नमेंट का इन ज़िलों के लिये इन मदों में खर्च हुआ । पर क्या काम किया इन्होंने इन ज़िलों के अन्दर ? अकेले मेरे रोहतक ज़िला से पिछले तीन-चार सालों में आपने ताज़ीरी चौकियां का लोगों से $2\frac{1}{2}$ लाख रुपया वसूल किया । क्या शानदार नमूना है आप की इस administration का !! आमदनी के लिये और executive ओहदों पर बिठाने

[पं० श्री राम शर्मा]
के लिये तो उन ज़िलों में आप का काम और ध्यान है लेकिन जब कोई development की स्कीमें आती हैं, जब हस्पताल खोलने का सवाल पैदा होता है, जब development projects बनाने पर सोच विचार किया जाता है तो बावजूद इस प्रान्त की आबादी और area के इसे बिल्कुल नज़रअन्दाज़ किया जाता है। इन के कान खोलने के लिये, स्पीकर साहिब, मैं बता दूं कि यह कोई religion का सवाल नहीं, यह कोई फ़िरकापरस्ती का सवाल नहीं, यह कोई separate tactics इस्तेमाल करने का सवाल नहीं। यह कोई fissiparous tendencies का तकाज़ा नहीं कि जिस को सामने रखते हुए लोगों को डरा दिया जाये या धमका दिया जाये। असल बात यह है कि पंजाब में आज के दिन पंजाब के 40 प्रतिशत area और आबादी को 60 प्रतिशत area और आबादी के ज़रिये इस तरह treat किया जा रहा है जैसे कोई bureaucratic Government अपने अवाम को दबाना और कुचलना चाहती हो और अपनी subjugation में रखना चाहती हो। हमें खुशी है कि जहां पहिले हम पर हज़ारों मील दूर से 'राज' होता था अब वह दूरी घट कर कुछ सौ मील रह गई है। हमें इस बात की satisfaction है। लेकिन शायद मेरे यह दोस्त भूल में बैठे हैं। जिस तरह वह राज नहीं रहा उसी तरह तुम्हारा भी यह वक्त खत्म होने जा रहा है--वह दिन दूर नहीं जब तुम भी याद करोगे कि क्या थे और क्या हो गए। लोगों के दिलों में और खास कर उन इलाकों में जो backward रह गये हैं, आप की गफ़लत से, उन लोगों के भावों में, उन के sentiments में एक ज़बरदस्त क्रांति आ रही है। स्पीकर साहिब, यह बात नहीं कि गवर्नमेंट ने इन चीज़ों को महसूस न किया हो। गवर्नर साहिब के Address में backward tracts का भी ज़िक्र आया है। वह मानने लगे हैं कि पंजाब में कुछ ऐसे backward इलाके हैं जिन की सुधि नहीं ली गई। पर साथ ही backward areas की definition करते हुए एक कैसी तारीफ बताई! कहा कि मैं उन को backwards समझता हूं जिन का काला सा रंग होगा, जो मैले कपड़े पहने हुए होंगे और जिन का बदन सूखा हुआ होगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि क्या यह सब कुछ उन दिनों ही देखा जाता था जब कांग्रेस को इलेक्शन के लिये वोटों की ज़रूरत होती थी? यह चीजें तो उन दिनों में खूब देखी जाती थीं जब आज़ाद हिंद फ़ौज के लिये सिपाहियों की ज़रूरत होती थी। यह चेहरे उन दिनों देखे जाते थे जब लोग अंग्रेज़ों के झण्डे तले भरती होकर आज़ाद हिंद फौज के झंडे तले खड़े होकर देश आज़ाद कराने के लिये मर मिटते थे। लेकिन आज आप को इन चेहरों को देखने की फुरसत कहां जब आप सरकारी बैंचों पर बैठे हुए हैं, जब हुकूमत की बागडोर आप के हाथों में है।

यह backward इलाका गुड़गांव का ही ज़िला नहीं, backward area झज्जर की तहसील नहीं, यह पिछड़ा हुआ इलाका हिसार की भिवानी तहसील नहीं और न ही करनाल का वह हिस्सा है जहां नहर का पानी नहीं मिलता। यह इलाका सारा हरियाना प्रान्त और कांगड़ा का ज़िला है। मैं पूछता हूं कि पंजाब गवर्नमेंट ने $\frac{1}{3}$ से भी ज़्यादा हिस्से की development और तरक्की के लिये पिछले तीन सालों में क्या इकदाम किये? यही वजह है कि सामने Treasury Benches पर सिर्फ वही लोग बैठे हैं जो favouritism के बगैर ज़िन्दा नहीं रह सकते। मैं साफ और खुले लफ़्ज़ों

में कहना चाहता हूं कि इन इलाकों की problems को, इन की तकालीफ को सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जो पहले ही वहां के रहने वाले हैं। आप उन के दिलों को टटोलें कि उन में क्या है। तभी आप को एहसास हो सकता है कि आपने क्या किया और क्या करना है।

स्पीकर साहिब, यह गवर्नमेंट इस तरीका की policy पर चल रही है। जब उन्होंने elections लड़नी थीं तो देशभक्त भगत सिंह की फांसी का नाम ले ले कर और महात्मा गान्धी का नाम ले ले कर लड़े थे लेकिन अब उन लोगों के लिये कुछ भी नहीं कर रहे। उस वक्त लोगों को कहा जा रहा था कि भाखड़ा-नंगल से पानी देंगे लेकिन अब हम क्या देखते हैं कि सिवाए टुहाणा, सिरसा और फतहबाद के और किसी इलाके को पानी नहीं दिया गया। वहां का पानी रोहतक को, करनाल को या गुड़गांव के इज़ला को कहां दिया गया है? स्पीकर साहिब, सतलुज का पानी इन इज़ला को बिल्कुल नहीं दिया गया। रहा इन की development schemes का सवाल! मैंने चीफ़ मिनिस्टर साहिब से एक सवाल पूछा था कि उस इलाके के कितने I.A.S., कितने P.C. S., कितने पुलिस अफसर या गवर्नमेंट के Heads of Departments हैं तो उस के जवाब में उन्होंने यह कहा था कि इस सवाल के जवाब के लिये अदादोशुमार हासिल करने में जितना वक्त और labour लगेगी वह इस से होने वाले लाभ के बराबर न होगा। असल में बात यह है कि उस इलाके की development सिफर के बराबर है। मैं इस बात के हक में हूं कि यह जो resolution है जहां इस में कांगड़ा ज़िला के लिये सिफारिश की गई है वहां हरियाना प्रान्त के इलाके को भी साथ जोड़ा जाए। जहां हरिजनों की तरक्की का ख़्याल रखा जा रहा है, जहां चंद Scheduled Tribes को ऊंचा उठाने की कोशिश की जा रही है वहां इन पिछड़े हुए इलाकों की development का खास ख्याल किया जाना चाहिये। इस में किसी खास community या class का सवाल नहीं है यह तो वहां के सब बाशिन्दों का सवाल है। लेकिन हम देखते हैं कि इस के उलट इस इलाके के साथ इमत्याज़ी बर्ताव किया जाता रहा है और अब भी किया जा रहा है। न उस इलाके के लोग services में लिये जाते हैं, न वहां कोई College है और न ही वहां स्कूल और अस्पताल ही खोले गये हैं। इन चीज़ों के बावजूद कि ऐसा बर्ताव उस इलाका के लोगों से सरकार की तरफ से होता चला आ रहा है फिर भी वहां के कुछ लोग सरकारी benches पर बैठते रहे हैं लेकिन अब यह सलूक देख कर वह Opposition की तरफ आ रहे हैं। स्पीकर साहिब, मैं इन को यह बता देना चाहता हूं कि अगर गवर्नमेंट ने इसी तरह आंखें बन्द कर रखीं तो यह मामले बहुत देर तक चलने वाले नहीं। यह इन्हें मालूम होना चाहिये कि जब कुछ लोगों को बहुत तंग रखा जाए तो वे अपने भाइयों से भी लड़ सकते हैं। वे अपने पड़ोसी से भी लड़ सकते हैं। रूस के अन्दर आखिर क्या हुआ था। वहां के लोगों ने किसी गैर का तख़्ता तो नहीं उलटा था। उन्होंने वहां के ज़ालिम बादशाह ज़ार के खिलाफ ही तो बगावत की थी। मैं उम्मीद करता हूं कि अब मिनिस्टर साहिबान इस बात का खास ख्याल रखेंगे और वह लोगों को और मौका नहीं देंगे कि वे उन से अलग हो होकर इस तरफ आते जाएं। उन्हें चाहिये कि वह इस साल के बजट का 80 फीसदी हिस्सा कांगड़ा और दूसरे पिछड़े हुए इलाकों पर खर्च करके उन्हें बराबरी दें।

श्री राम चन्द्र कामरेड (नूरपुर) : स्पीकर साहिब, डाक्टर इकबाल ने एक शेर कहा था—

सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा
हम बुलबुलें हैं उस की वुह गुलिस्तां हमारा ।

यह शेर इकबाल ने उस ज़माने में कहा था जब वह patriotism और देश-भक्ती की लहर में से गुज़र रहा था। लेकिन उस के कुछ अरसा के बाद जब उस की आंखों के सामने एक और नक्शा आ गया था तो उस ने एक और शेर कहा था:—

चीनो अरब हमारा हिंदोस्तां हमारा
मुस्लिम हैं हम वतन हैं सारा जहां हमारा ।

स्पीकर साहिब, अकबर हमारे भारत के महा कवि हुए हैं। जब उन्होंने इकबाल का यह शेर देखा तो उन्होंने इस के जवाब में एक शेर कहा--

आंखें खुली जहां में हुए राज़ आशकारा
सीखा जवान ने कहना हिंदोस्तां हमारा
रकबा को कम समझ कर अकबर यह बोल उठा
हिंदोस्तान कैसा सारा जहां हमारा ।

स्पीकर साहिब, यह जो resolution इस वक्त हाउस के सामने पेश है यह एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण resolution है लेकिन अगर कांगड़ा ज़िला के साथ सारे हरियाना को जोड़ दिया जाये तो इस का वह महत्व नहीं रहेगा । मेरे ख्याल में यह यकीनन अच्छी चीज है कि जो इलाके पीछे रह गये हुए हैं उन के नाम बेशक इस के साथ ले लिये जायें लेकिन इस के साथ सारे हरियाना प्रान्त को जोड़ देना ऐसा ही होगा कि कांगड़ा का रकबा कम समझ कर बिना ज़रूरत अधिक रकबा दिया गया है । इस के साथ जालन्धर को भी मिला दिया जाए तो फिर सारा पंजाब हो जाएगा, रकबा बेशक बढ़ जाएगा परन्तु प्रस्ताव का मतलब खत्म हो जाएगा । इस ज़माना में जैसे काम होते हैं इसके सम्बन्ध में एक महापुरुष ने कहा है—

> "To him, who hath more, more shall be given and from him who hath not, even that he hath, shall be taken away."

ऐन इस के मुताबिक अमल किया गया है। यानी जिस के पास तो कुछ है उस को और भी मिलेगा और जिस के पास कुछ नहीं है उसके पास जो कुछ भी है उस से वह भी छीन लिया जाएगा। अब तो यह असूल सा बन गया है। जिस को किसी चीज की अधिक ज़रूरत है उस को वह नहीं दी जाती और जिस को किसी चीज की ज़रूरत नहीं होती वह उस को दी जाती है। स्पीकर साहिब, मैं अर्ज़ करता हूं कि जब बनी नौ इनसान करवट बदल रहा है तो हमें इस बात का अहसास होना चाहिये कि जो इलाके पहले तरक्की याफता हैं वह कुछ अरसा के लिये सबर करें और जो अभी ग़ैरतरक्की याफ़ता इलाके हैं उन को आगे लाना चाहिये । जब तक पीछे रहे हुए इलाके तरक्की याफ़ता इलाकों के बराबर नहीं आ मिलते तब तक हमारा सारा ध्यान उन्हीं पिछड़े हुए इलाकों की तरफ़ होना चाहिए । हर मामले में proportionate speed of development के तरीके को अपनाना चाहिये यानी तरक्की मुनासिब रफ्तार से होनी चाहिये । स्पीकर साहिब, मुझे रूस में जाने का मौका मिला है । वहां भी मैंने यह देखा था कि वहां जो इलाके आगे बढ़ गये थे

उन को छोड़ कर उन इलाकों की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया गया था जो उन से पीछे रह गये हुए थे। इस का यह मतलब नहीं कि उन्होंने उन इलाकों की तरक्की को बिल्कुल रोक दिया था। वैसे तो वह हर चीज़ को हर पहलू में तरक्की की तरफ ले जाना चाहते हैं और उन की सर्वदा और लगातार कोशिश भी इसी दिशा में रहती है पर उस वक्त उन्होंने उन इलाकों के सुधार की तरफ अधिक ध्यान दिया था जो कम तरक्की याफ़्ता थे। मेरी गुज़ारिश है कि यहां भी हमें वही असूल अपनाना चाहिये। सब इलाकों को पहले एक सतह पर लाया जाए। जहां हमारे प्रांत में भी कुछ इलाके ऐसे हैं जिन को यकीनन दूसरे इलाकों के मुकाबिले में ज़्यादा सुविधाएं हासिल हैं और कुछ इलाके ऐसे हैं जो ज़्यादा पिछड़े हुए हैं और उन में से एक इलाका है ज़िला कांगड़ा का। स्पीकर साहिब, मैं यह नहीं कहता कि हमारी State में पिछड़ा हुआ सिर्फ एक कांगड़ा ही ज़िला है, और भी कुछ इलाके हैं। मेरी गुज़ारिश है कि उन सब को आगे लाना चाहिये और इस असूल पर अमल करना चाहिये कि—

"To whom, who needs more, more shall be given."

अर्थात् जिसको अधिक आवश्यकता है उसको अधिक देना चाहिये।

Resolution के मुहर्रक बख्शी जी ने कहा था कि कांगड़ा एक बर्रे आज़म है। हां रक्बे के लिहाज़ से देखें तो ऐसा ही है, सारे पंजाब का रकबा 37,000 मुरब्बा मील है और अकेले ज़िला कांगड़ा का रकबा 10,000 मुरब्बा मील है। मैं तो इसे सहराए आज़म कहूंगा क्योंकि development के लिहाज़ से यह इस से बेहतर नहीं है। (एक आवाज़: कोहे आज़म कहिए)। हां यह भी ठीक है। मगर तरक्की के लिहाज़ से यह सहराए आज़म ही है। इस इलाके में सड़कें बहुत कम हैं, स्कूल भी बहुत थोड़े हैं इस लिये तालीम भी बहुत कम है। इस नई सरकार ने तालीम के लिये कुछ कोशिशें की हैं और कुछ नए स्कूल खुलवाए हैं। मगर स्कूल खोलने के लिये भी कुछ शर्तें हैं। कहा जाता है कि उस गांव या इलाके के लोग इमारत दें जहां पर स्कूल खुलवाना हो। मगर कांगड़ा के लोगों की यह हैसियत नहीं, इतनी ताकत नहीं कि इमारत मुहैया करके स्कूल खुलवा सकें। फिर जहां स्कूल होते भी हैं तो वहां पर मास्टर नहीं होते। अब मैं नूरपुर तहसील का ज़िक्र करना चाहता हूं। मैं ने एक सवाल पूछा था उस का जवाब मुझे मिल गया है। पता नहीं यह असेम्बली में आया कि नहीं। इस के मुताबिक National Extension Service के लिये $7\frac{1}{2}$ लाख रुपया मन्ज़ूर हुआ है। इस में से तीन साल में 3 लाख रुपया development पर खर्च होना है। 18 महीने में 40,000 रुपया खर्च हुआ है। इस में से 25,000 रुपया तो तन्खाहों और जीपों वगैरह पर ही खर्च हुआ होगा। बाकी 15,000 रुपया development पर खर्च हुआ है। इतने कम खर्च की क्या वजह है केवल यही कि सरकार ने proportionately उतना ही देना है जितना रुपया पब्लिक दे। बाकी पंजाब में भी यही कायदा है लेकिन जिस तरह दूसरे धनी इलाके 50% contribute करते हैं, कांगड़ा के लोग नहीं कर सकते। वे गरीब हैं। इस लिये मैं चाहता हूं कि अधिक हिस्सा गवर्नमेंट दे और इस इलाके को उस पैमाने के साथ न नापे जिस से दूसरे इलाकों को नापती है

[श्री राम चन्द्र कामरेड]

वरना यहां की तरक्की रुक जायेगी । यहां के लोग बेहद गरीब हैं, पसमान्दा हैं, उन से रुपया न मांगा जाए । बाकी उन की मेहनत देखें । नूरपुर में अवामने कम से कम 80 मील सड़क बनाई है। Parks के लिये जमीनें दीं । इसी तरह और भी थोड़ा बहुत जो कुछ श्रम वह कर सकते हैं कर रहे हैं । मगर आप कांगड़े को दूसरे इलाके के पैमाने से न नापें । यह बड़ा backward इलाका है । मेरे दोस्त कई बार मुझ से कहते हैं कि कोई मुण्डू ला दें । होश्यारपुर और कांगड़े का इलाका servants supply करता है । अगर इस district को इस अवस्था में निकालना है तो लाज़मी तौर पर यहां तरक्की के काम करने होंगे । सरकार देखे कि यहां शिक्षा कितनी कम है । लड़कियों की शिक्षा का प्रबन्ध बहुत ही कम है । स्कूल और कालिज नहीं, technical schools नहीं । पंडित अमरनाथ ने बड़ी मुश्किल से एक technical स्कूल यहां खोला है । मगर सरकार ने उसे मन्ज़ूरी नहीं दी कि प्रबन्ध का standard कम है । ठीक है, जाबता पर पूरी तरह से अमल होना चाहिये लेकिन अगर इस स्कूल का मियार ठीक नहीं तो गवर्नमेंट ठीक करे । यह तो सभी जानते हैं कि हमारे पास काफी जराए नहीं इस लिये अगर Government मदद न करे तो यहां technical education कैसे चलेगी । मैं कहता हूं पंडित अमरनाथ जी ने बड़ा अच्छा कदम उठाया है । अब यह सरकार का फर्ज़ है कि वह इस institution की मदद करे और जो कमी हो वह अपने खज़ाने से पूरी करे । फिर इस ज़िला में लड़के और लड़कियों के लिये कोई ट्रेनिंग स्कूल भी नहीं है । हम बार २ अपनी दशा बताते हैं मगर कोई तवज्जुह नहीं दी जाती । यह तो ठीक है कि वहां पर शायद दूसरे ज़िलों के स्कूलों जितने लड़के लड़कियों की तादाद नहीं । ऐसी अवस्था में दूसरे ज़िलों के बच्चे यहां आ सकते हैं । कांगड़ा की दशा मुख्तलिफ है । हम लोगों में माली ताकत नहीं कि दूसरे ज़िलों में जा कर पढ़ सकें । अब प्राइमरी शिक्षा लो । कांगड़ा में बच्चों को बड़ा मुश्किल २ रास्ता तय करके स्कूल जाना पड़ता है । हमारे स्कूल में लड़के 5, 5 मील से पढ़ने आते हैं । वे अपने साथ रोटी और आचार लाते हैं और recess में बैठ कर खा लेते हैं । कांगड़ा में कहावत है कि एक नालू, और दो कवालू अर्थात् एक ग्राम से दूसरे ग्राम में जाना है तो आप को नदी और पहाड़ी पार करनी पड़ेगी । और यह 5-6 मील का फासला हो जाएगा । इस लिये कांगड़ा ज़िले में मैदानों की निसबत ज्यादा स्कूलों की ज़रूरत है । अब आप देखें कि एक पंचायत जिस का रकबा 24 मुरब्बा मील है, वहां सिर्फ एक स्कूल है । अब यह तो ठीक है कि एक पंचायत में एक स्कूल है मगर यह भी सोचें कि यह कितने इलाके के लिये है । अगर आप समझते हैं कि इस इलाके में तालीम फैलाना ज़रूरी है तो और भी स्कूल खोलने होंगे ।

अब आप लोगों की सेहत की देख भाल का इन्तज़ाम देखें । अदादो शुमार देखने से मालूम होगा कि यहां पर सब से कम हस्पताल हैं । बरसात में वर्षा की वजह से रास्ते रुक जाते हैं और बीमार आदमी इलाज के लिये अस्पताल तक पहुंच नहीं पाते । कभी मलेरिया है तो कभी कुछ और मगर इलाज कुछ नहीं । भगवान ने दया की तो मरीज़ बच गया वरना बहुत से तो इस जहान से कूच कर जाते हैं । और जब कोई बीमारी पड़ जाये या तपेदिक हो जाए तो बचने की उम्मीद ही क्या हो सकती है । हमारी तरफ लोग कहा करते हैं कि जब सेका हो जाता है तो वह बढ़ता ही जाता है और इलाज कोई नहीं हो सकता । मेरी दरखास्त है कि medical relief का यथेष्ठ इंतज़ाम ज़रूर किया जाना चाहिये । आजकल तो वहां

अवस्था यह है कि अव्वल तो इतने हस्पताल हैं ही नहीं अगर कोई हैं भी तो दो दो तीन २ साल वहां के लिये कोई डाक्टर नहीं मिलता, compounder ही काम चलाता है और अगर कहीं डाक्टर है तो दवाई नहीं है। ऐसी खराब हालत है और तवज्जुह कोई देता नहीं।

मैं इलाके की गुरबत का ज़िक्र करना चाहता हूं। वहां पर unemployment तो है ही, under-employment भी है। लोगों का गुज़ारा खेती पर है और कोई काम नहीं। खेती करने के बाद उन लोगों के पास काम नहीं। कोई दस्तकारी नहीं है। अगर आप मदद दें तो वहां पर घरेलू दस्तकारियां चालू की जाएं ताकि पहाड़ के निवासी अपने घरों में बैठे दस्तकारी सीख कर कुछ कमा सकें। चन्द एक सनअतें भी चालू की जा सकती हैं। मिसाल के तौर पर वहां एक सिम्बल का दरख्त होता है जिस की लकड़ी से दिया सिलाई बनती है। इस तरह match factory चल सकती है। फिर आप जानते हैं कि चील के दरख्त भी हैं जिन के गन्दा बरोज़ा का कारखाना लगाया जा सकता है। इसी तरह कागज बनाने वाला घास बहुत पैदा होता है जो जगाधरी वगैरह के कारखानों को supply किया जाता है मगर फिर भी सारा इस्तेमाल नहीं होता। इसी तरह नूरपुर में भी बगड़ बहुत होता है। अगर एक कागज़ factory वहां लगा दी जाये तो लोगों को कुछ न कुछ काम मिल सकता है। आप को यह सुन कर हैरानी होगी कि किसी जमाने में नूरपुर की आबादी 25,000 थी मगर आज सिर्फ 3 हज़ार है। इस नगर को बादशाह जहांगीर की मलका नूरजहां ने बसाया था। उन दिनों पशमीने की सनअत यहां पर अरूज पर थी मगर आज किसी न किसी वजह से मौजूदा मुकाबले की ताब न लाकर खत्म हो गई है। आज भी नूरपुर की स्त्रियां सारे पंजाब में सब से बारीक पशमीना कात सकती हैं। अब मैं चन्द एक मिनटों में.......

(स्पीकर साहिब ने घंटी बजाई)

स्पीकर साहिब, आप मुझे थोड़ा सा वक्त दें।

Mr. Speaker: No please, your time is over.

ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ (ਅਜਨਾਲਾ) : ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਰੈਜ਼ੂਲਿਊਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਕਾਂਗੜਾ ਜ਼ਿਲੇ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੀ ਤਹਿਦਿਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ

4 p.m.

ਕਰਨ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਰੈਜ਼ੂਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ move ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈ ਲੈਣ। ਮੈਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਬੜੀ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗੜੇ ਨੂੰ ਪਛੜਿਆ ਇਲਾਕਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜੋ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵਡਾ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗੜੇ ਦੇ M. L. As. ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਆਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗੜੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇਕ ਰੈਜ਼ੂਲਿਊਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਚ ਅਸੀਂ amendment ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਰੁਪਿਆ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ।

[ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ]

ਇਸ resolution ਤੇ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਕਾਂਗੜੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਥੇ ਨਾਲੀਆਂ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਲਾਕਾ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਚਾਰੀ ਕਾਂਗੜੇ ਦੇ 14 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਦਹੁਰਾਇਆ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਸ ਰੇਜ਼ੂਲਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਨਾ ਰਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗੜੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਖੂਬ ਬੋਲੇ ਪਰ ਬਾਦ ਵਿਚ ਅਸਾਡੇ Education Minister ਸਾਹਿਬ ਉਠੇ ਤੇ ਬੋਲੇ "ਕਿ ਇਸ resolution ਨੂੰ ਵਾਪਸ। ਲਵੋ ਇਸ resolution ਵਿਚ Education Minister ਦਾ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿਦਿਆ ਵਲ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਰਖਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਤਾਲੀਮ ਵਧੇਗੀ, ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਨਦੀ ਨਾਲੇ ਨਹੀਂ ਟਪਣੇ ਪੈਣਗੇ।" Education Minister ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਸ resolution ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਖੈਰ ਰੇਜ਼ੂਲਿਊਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਅਸਾਡੀ amendment ਰਹਿ ਗਈ। ਹੇਠਲਾ ਘਰ ਡਿਗ ਪਿਆ ਤੇ ਚੁਬਾਰਾ ਉਪਰ ਰਹਿ ਗਿਆ (ਹਾਸਾ)। ਕਾਂਗੜੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਝਟ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ: ਤੁਸੀਂ ਹਾਊਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ comment ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਊਸ ਤੇ reflect ਨਾ ਕਰੋ।

(The hon. Member cannot comment upon any previous decision of the House. He should avoid casting reflections on the House.)

ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, resolution ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰੇਜ਼ੂਲਿਊਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ amendment ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ amendment ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗੜੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿਧਰ ਵੋਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ amendment ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਨਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਰੁਪਿਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਲਏ ਗਏ ਤਾਂ ਕਾਂਗੜੇ ਦੇ ਸਭ M. L. As. ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ।

अध्यक्ष महोदय: आप किसी मेम्बर साहिब के conduct पर reflect नहीं कर सकते। आपकी तवज्जुह इस तरफ पहले भी दिलाई जा चुकी है। [He cannot cast reflections on the conduct of any Member. His attention has already been drawn to this effect.]

ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਰੇਜ਼ੂਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗੜੇ ਦੀ development ਲਈ funds ਰਖੇ ਜਾਣ, ਸਕੂਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਾ

ਲੈ ਲੈਣ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਰਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਯਤ ਸਾਫ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰੈਜ਼ੂਲਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਸ ਕਰਾਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਇਕ election propaganda ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਕਾਂਗੜੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲੇ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਪਿਛੇ ਰਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਥੋਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਪਛੜਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫੰਡਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ, ਤਾਲੀਮ ਤੇ communication ਵਾਸਤੇ ਰਕਮ ਰਖੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਅਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਪਿਛੇ ਨਹੀਂ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਜੰਗਲ ਤੇ ਨਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹਨ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਛੜਿਆ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਪਰ ਇਥੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ "landlord ਕਸਰਤ ਸੇ ਪਾਏ ਜਾਤੇ ਹੈਂ" (ਹਾਸਾ)।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਅਸਾਡੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੰਗਲ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਹਿਸਾ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਆਪ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਦਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਥੋਂ ਦੇ ਐਮ. ਐਲ. ਏ. ਸ਼ਾਮਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਰਾਜਾ of ਲੰਬਾ ਗਾਂਓ ਹੁਣ ਤਕ ਆਲਾ ਮਲਕੀਅਤ ਵਸੂਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਮੈਂ ਪੁਛ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਦਰਖਤ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਨ ਹਨ, ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਉਹ ਕਟਵਾ ਰਿਹਾਂ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ resolution ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ....

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : Order please. ਤੁਸੀਂ M.L.As. ਦੇ conduct ਤੇ reflect ਨ ਕਰੋ। Resolution ਤਕ ਮਹਿਦੂਦ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਪਾਸ relevancy ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। (He may please refrain from casting any reflection on the Members. He should confine himself to the resolution. A sensible Member like him must be relevant to the subject under discussion.)

ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ: ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਇਸ resolution ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ support ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗੜੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪਾਸ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਯਕੀਨ ਦਿਲਾਉਣ ਤੇ ਵੀ ਇਸ resolution ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲੈਣ।

श्री लाल चन्द परार्थी (कुल्लू): स्पीकर साहिब, बख्शी प्रताप सिंह ने जो resolution कांगड़े के इलाके के बारे में पेश किया है मैं उस की ताईदे मज़ीद के लिये खड़ा हुआ हूं। यह बात

[श्री लाल चन्द परार्थी]
रोज़े-रोशन की तरह अयां है कि कांगड़ा का ज़िला एक पसमान्दा ज़िला है। पसमांदगी इनसान के माथे पर एक कलंक का टीका है। सच मुच ऐसा मालूम होता है कि पसमांदगी आज एक गुनाह है। इस बारे में ज़िला के अवाम की तरफ से मैं यह कह सकता हूं कि—

गुनाहगारों में शामिल हैं गुनाहों से नहीं वाकिफ,
सज़ा को जानते हैं हम खुदा जाने खता क्या है।

स्पीकर साहिब, पसमांदा होना गुनाह ज़रूर है लेकिन हम इस गुनाह के मुरतकिब नहीं हुए हैं। हम जान बूझ कर जहालत और गुरबत में नहीं रह रहे। इनसान फितरतन कभी भी पीछे नहीं रहना चाहता। कुछ हालात ही ऐसे बना दिये गये और जान बूझ कर हम को पसमान्दा रखा गया। उस वक्त अंग्रेज़ों को फौज में भर्ती की ज़रूरत थी। और यह रोज़े-रौशन की तरह नुमायां है कि इसी भर्ती के लिये कांगड़ा को दीदा दानिस्ता पसमांदा रखा गया। अंग्रेज़ों को खतरा था कि अगर इस ज़िला को पसमान्दा न रखा गया तो उन्हें शायद बहादुर डोगरों की भर्ती नहीं मिलेगी।

जहां तक, स्पीकर साहिब, कांगड़ा ज़िले की वुसअत का ताल्लुक है इस का रकबा 10 हज़ार मुरब्बा मील है। इस में कुल्लू सब-डिवीजन का रकबा 6 हज़ार मुरब्बा मील है। कुल्लू Sub-Division को भी जान बूझ कर ही पीछे रखा गया है। अंग्रेज़ों के लिये यह इलाका काशमीर से कम नहीं था। यह Switzerland से कम नहीं। जब अंग्रेज़ों ने colonisation की स्कीम शुरू की तो अंग्रेज यहां पर आते थे shooting और big games के लिये। Trout fishing के लिये इस इलाके से उन्हें सैंकड़ों मज़दूरों की ज़रूरत थी जो उन्हें चार चार आने रोज़ पर मिल जाते थे। इस इलाके को पसमान्दा रख कर उन्होंने अपनी तफरीह का सामान मुहैया किया हुआ था।

यह वजूहात थीं कि उस वक्त अंग्रेज़ों ने Kulu Valley को, जो health resort है, दीदा दानिस्ता backward रखने की कोशिश की। स्पीकर साहिब, आप सुन कर हैरान होंगे कि पिछले दिनों जब डाक्टर गोपी चंद जी की वज़ारत थी तो वह कुल्लू तशरीफ ले गये थे। उन दिनों में मैं वहां मौजूद था। उन के सामने जब वादिये कुल्लू के लोगों की मुश्किलात रखीं और कहा गया कि यहां के लोगों को बिजली और पानी की सहूलियात मिलनी चाहियें तो उन्होंने फरमाया कि बिजली और पानी लेकर क्या करोगे। यह इलाका देवताओं की भूमि है, यहां पुरानी तहज़ीब और पुराना तमद्दुन ही रहना चाहिये। हमीरपुर में जब उन से अर्ज़ की गई कि वहां एक कालेज खोला जाये तो उस के जवाब में उन्होंने कहा कि अगर यहां के लोग तालीम याफ्ता हो गये तो फौज में कौन भर्ती होगा। अंग्रेज़ों के वक्त में तो यह बात समझ में आ सकती थी कि उन्होंने अपनी गर्ज़ के लिये इस ज़िले को backward रखने की कोशिश की लेकिन अब जब कि हमारी अपनी गवर्नमेंण्ट है उसे इस ज़िले की development के लिये पूरी पूरी कोशिश करनी चाहिये। मेरे मोहतरिम दोस्त छीना साहिब ने ठीक कहा कि पिछली बार जब इस ज़िला के लोगों को तालीम की सहूलियतें पहुंचाने के सम्बन्ध में रैज़ोल्यूशन पेश हुआ तो गवर्नमेंट ने कुछ विश्वास दिलाए और रैज़ोल्यूशन वापिस लिया गया। लेकिन इस में शक नहीं कि सरकार की तरफ से बहुत कुछ किया जा रहा है। फिर भी, स्पीकर साहिब, मैं

अर्ज़ किया चाहता हूं कि सरकार इस ज़िला की development की तरफ पूरा पूरा ध्यान नहीं दे रही। मैं समझता हूं कि जब तक इस ज़िला की development के लिये सरकार खास कदम नहीं उठायेगी उस वक्त तक यहां के लोग आगे नहीं बढ़ पायेंगे। एक बार पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने कहा था कि "freedom can have no real meaning for us unless it is the freedom of the most exploited in the country." Gandhiji has always laid stress on this and it is from these down-trodden that he has drawn strength. इस लिये मैं समझता हूं कि जब तक सरकार अपनी खास तवज्जुह हम पसमांदा लोगों की तरफ नहीं देती तब तक यहां के लोगों के लिये तरक्की का कोई इमकान नहीं और इस के बगैर आज़ादी के कोई माने नहीं। यह खुशी की बात है कि बख्शी जी के resolution को आज first priority मिली है। इस पर एक दोस्त ने ज़िक्र किया कि कांगड़ा ज़िला के मेम्बरों ने क्या मज़ाक बना रखा है कि वे आये दिन इस ज़िला की backwardness की रट लगाते रहते हैं। मैं हैरान हूं कि बाज़ लोगों के दिलों में यह ख्याल कैसे आ जाता है कि कांगड़ा पसमांदा ज़िला नहीं है। मेरे दोस्त बेशक शोर मचाने का गिला करते रहें लेकिन मैं समझता हूं कि आज की दुनिया में और मौजूदा हालात के मुताबिक हमारे लिये शोर मचाना ही ज़रूरी है क्योंकि:—

चमनज़ोर सियासत में खामोशी मौत है बुलबुल ।
यहां की रस्म ही पाबंदिय आहो फगां तक हैं ।।

इस बात से दर असल कोई भी इन्कार नहीं कर सकता कि यह जिला बहुत पसमान्दा है और यहां के लोगों की हालत नागुफ्ता बेह है। गुरबत की वजह से लोग परेशान हाल हैं और ऐसे ऐसे वाक्यात देखने में आते हैं जहां औरत के पास बच्चा जनने के बाद एक गज़ कपड़ा बच्चे को ढांपने के लिये नहीं होता और उन्हें सर्दी से बचाने के लिये भूसे में रखना पड़ता है। वज़ीर साहिबान जो इस ज़िले का दौरा करते हैं वह आम तौर पर शहरों, बड़े बड़े बाज़ारों और main roads में फिर कर अंदाज़ा लगा लेते हैं कि सब ठीक है लेकिन अगर वह Kulu Valley के interior parts में जायें तो उन्हें पता लगेगा कि वहां अवाम की क्या हालत है और किस तरह लोग गुरबत में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस इलाके में means of transport and communications बिल्कुल महदूद हैं जिस की वजह से लोगों को बेहद तकलीफ का सामना करना पड़ता है। मैं इस सम्बन्ध में एक छोटी सी मिसाल पेश करना चाहता हूं। कांगड़ा और कुल्लू के दरम्यान तकरीबन 100 मील का टुकड़ा ऐसा है जो हिमाचल का हिस्सा है इस लिये कुल्लू पंजाब से भी cut off है और कांगड़ा से भी cut off है। लोगों को 100 मील हिमाचल में से हो कर कुल्लू पहुंचना पड़ता है इसलिये transport के मामले में यह इलाका हिमाचल के रहमो करम पर है। यहां transport का इंतज़ाम दरहम बरहम है क्योंकि monopoly हिमाचल सरकार के हाथों में है और पंजाब गवर्नमेण्ट इस मामला में टस से मस नहीं हो रही

[श्री लाल चन्द परार्थी]

है । मंडी दरबार से किये गये एक पुराने और बोसीदा agreement की बिना पर हमें हमेशा के लिये हिमाचल के रहमो करम पर छोड़ रखा है । तालीम की हालत बहुत बुरी है । नौकरियों के मुताल्लिक बहुत से भाई कह चुके हैं और में कहूंगा कि इस ज़िला के लोगों को सरकारी मुलाज़मतों में मुतनासिब और खास representation मिलनी चाहिये। पानी की बहुत किल्लत है और लोगों को कई मीलों से पीने के लिये पानी लाना पड़ता है । ज़मीन की यह position है कि इस ज़िले में 364,937 land-owners हैं । आदादो शुमार से पता चलता है कि 107,742 मालिक ऐसे हैं जो एक एकड़ तक ज़मीन के मालिक हैं, 108,390 ऐसे हे जो दो एकड़ तक के मालिक हैं, 99,340 लोग ऐसे हैं जो पांच एकड़ जमीन के मालिक हैं और 3,000 के करीब ऐसे लोग हैं जो 10 एकड़ ज़मीन के मालिक हैं यानी 95 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिन की बहुत small holdings हैं । सिर्फ 16,000 के करीब ऐसे लोग हैं जो बड़ी बड़ी ज़मीनों के मालिक हैं बाकी के तमाम petty land-holders हैं इस लिये इन छोटी २ ज़मीनों पर गुज़ारा तो हो सकता है, तरक्की नहीं की जा सकती ।

Industry के सिलसिले में में अर्ज़ करूंगा कि गवर्नमेंट ने कोई ऐसे कदम नहीं उठाये जिन से इस ज़िले को industry के लिहाज़ से तरक्की याफ्ता बनाया जा सके । पिछली गर्मियों में पानी के गरम चश्मे मनीकरण का दौरा हमारे चीफ मिनिस्टर साहिब ने किया था । यह इलाका कुल्लू वैली का वह हिस्सा है जिसे Silver Valley के नाम से पुकारा जाता है । इस वैली में कई किस्म की mines हैं— मिसाल के तौर पर iron, manganese, lead, copper, sulpher, silver, mica, precious stones वगैरह । मैंने खुद सच्चर साहिब को ग्यारह किस्म के ores analysis के लिये दिये हैं, मालूम नहीं इन का क्या हशर हुआ । इतनी दौलत होते हुए भी पंजाब सरकार भारत सरकार पर ज़ोर नहीं डाल रही कि वह इन्हें बाकायदा तौर पर explore करने का यत्न करे । मुझे बहुत हैरत होती है कि इस national wealth को exploit करने की कोशिश क्यों नहीं की जा रही है । हमारे लिये तो न सही लेकिन मुल्क की wealth को बढ़ाने के लिये तो गवर्नमेंट को ज़रूर इकदाम करने चाहियें और पहाड़ों में छुपी इस दौलत को निकालना चाहिये ।

हमारे ज़िले में बेअंत दौलत छिपी हुई है । पहाड़ के पहाड़ कीमती दरख्तों से ढके हुए हैं । देश में कागज़ की कमी का रोज़ ही ज़िक्र आता है । Norway और Sweden में जिस pulp से कागज़ तैयार किया जाता है उस की करोड़हा टन लकड़ी हमारे ज़िले में पड़ी सड़ रही है । वहां पर जो जड़ी-बूटियां पैदा होती हैं, उन का कोई शुमार नहीं, उन से pharmaceutical industry शुरू करके बेशुमार दवाइयां बनाई जा सकती हैं और देश की ज़रूरियात को पूरा किया जा सकता है । वहां पर अनगिनत पेड़ चीलों के हैं, अगर rosin factory लगाई जाए तो बहुत बड़ी मिकदार में rosin तैयार किया जा सकता है । यह factory कांगड़ा के नज़दीक या नूरपुर में लगाई जा सकती है । मगर शायद गवर्नमेण्ट इस लिये आमादा नहीं होती कि होशियारपुर के उन लोगों को जो भठियों में बरोज़ा तैयार करते हैं, नुकसान न पहुंचे ।

Paper-pulp तैयार करने के लिये जैसा कि मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूं, वहां पर बड़ी गुंजायश है। फिर वहां पर बेहद अच्छी किस्म की लकड़ी होती है जिस से आला किस्म का furniture बन सकता है।

ऊन और पशम की तो पंजाब में वाहिद मंडी ही कुल्लू है जहां यह चीज़ें तिब्बत से आती हैं। वहां पर factory न होने की वजह से सारी ऊन धारीवाल और कलकत्ते भेजी जाती है। अगर लाहौल में ऊन की mill लगा दी जाए तो गरीब लोगों को रोज़ी कमाने का एक ज़रिया मिल जाए और देश को भी लाभ हो। वहां पर बेहद अच्छी किस्म की slates पाई जाती हैं। Soap-nuts यानी रीठे के पेड़ भी पाये जाते हैं, जिन से chemicals और दवाइयां तैयार की जा सकती हैं। शहतूत के पेड़ बहुत होने से रेशम के कीड़े पाले जा सकते हैं और इस तरह रेशम की सनअत को बढ़ाया जा सकता है।

स्पीकर साहिब, हमारा ज़िला minerals का भंडार है; mining की industry शुरू करके वहां के लोगों की हालत को सुधारा जा सकता है मगर जब तक पंजाब सरकार special कार्यवाही नहीं करेगी और इस के बारे में खास ध्यान नहीं देगी, उस वक्त तक हमारा इलाका तरक्की नहीं कर सकेगा। आज़ादी आने के बाद भी हमारे ज़िले के लोग most backward और exploited लोग हैं। पिछले साल बजट में 40 लाख के करीब रुपया खास तौर पर रखा गया था। ज़िले के लिये यह एक अच्छी बात की गई थी मगर यह कोई हातमताई की कबर पर लात मारने वाली बात नहीं थी। यह काम कई साल पहले शुरू किया जाना चाहिये था। जैसा कि बख्शी जी ने फरमाया है सरकार को 12 लाख रुपए सालाना तो कांगड़ा के जंगलात से आमदन होती है। 200 साल से इतना रुपया हर साल सरकार के खज़ाने में जमा होता रहा है, इस तरह करोड़ों रुपये सरकारी खज़ाने में जमा हो चुके हैं। अगर 40 लाख रुपये भूले से हमारे ज़िले की तरक्की पर लगा भी दिये गये तो कोई बड़ी बात नहीं की गई। हम पर खर्च होना ही चाहिये, हम भी देश के citizens हैं और पिछड़े हुए हैं। ज़िला कांगड़ा का वह इलाका जिसे कुल्लू valley कहते हैं और उस के साथ लाहौल सिपिती valley एक हज़ार मील तक Tibet border के साथ चलते हैं। अगर वहां के सरहद्दी लोगों को मुनासिब रियायतें न दी गईं, उन लोगों की हालत को सुधारने की कोशिश न की गई और उन की मुश्किलात का ध्यान न रखा गया तो हो सकता है कि उन के दिलों में वहिम और शुबहात पैदा हो जाएं। ऐसा होना मुमकिन है क्योंकि हम सब जानते हैं कि पड़ोसी प्रान्त हिमाचल प्रदेश में 12 लाख आदमियों की तरक्की पर 3 करोड़ रूपया सालाना खर्च हो रहा है। कांगड़े के 10 लाख लोगों पर चन्द लाख रुपये खर्च होने पर लोग कैसे संतुष्ट हो सकते हैं। वहां के लोगों के दिलों में तसल्ली नहीं है। वे यह महसूस करने में हक बजानब हैं कि उन के साथ अच्छा बर्ताव और मुनासिब इनसाफ नहीं किया जा रहा।

अन्त में, मैं आप की विसातत से अपनी Cabinet तक यह आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं कि आइंदा सालों में ज़िला कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल और सिपिती की development की तरफ जंगी सतह पर तवज्जुह दी जाए।

राम्रो गजराज सिंह (गुड़गांव) : श्रीमान् स्पीकर साहिब, इस Resolution के mover साहिब को मैं मुबारकबाद देता हूं। कांगड़ा के लोगों के सही हालात आज हाउस के सामने आए हैं।

हम 6 मेंबरों ने इस प्रस्ताव पर एक तरमीम पेश की है। इस में ज़िला गुड़गांव का ज़िक्र किया गया जहां के हालात ज़िला कांगड़ा से किसी हालत में बेहतर नहीं। 1857 के गदर के बाद गुड़गांव के इलाके के 7 rulers, Nawab of Ferozepur-Jhirka, Nawab of Jhajjar, Raja of Rewari, etc., को फांसी की सज़ा दी गई थी। उस वक्त वहां के बाकी हुक्मरान या तो भाग गये थे या उन्हें जेल में डाल दिया गया था। राजस्थान के राजाओं और सिख Chiefs ने अंग्रेज़ों को मदद दी थी, इस लिये हमारा कुछ इलाका यानी मोहनगढ़ तो पटियाला महाराजा को दे दिया गया, कुछ जींद के राजा को और कुछ जयपुर की रियास्त में शामिल कर दिया गया था। Political Department की पुरानी files और दूसरे पुराने record में लिखा हुआ मौजूद है कि 'यह बागियों का इलाका है, इस लिये यहां के लोगों की सरकोबी की जाए, उन्हें उठने न दिया जाए। यह वजह थी कि वहां पर जो Deputy Commissioner लगाए जाते थे military के Major या Colonel होते थे ताकि इस इलाके के लोगों की हालत सुधर न सके। उस के बाद इस policy में तबदीली आई। ज़ुल्म की पालिसी, जिस का District Gazetteer में भी ज़िक्र है, को बदला गया मगर इस इलाके को backward रखने की policy पर अमल होता रहा ताकि यहां से फौज के लिये ज़्यादा से ज़्यादा भरती की जा सके।

यह ज़िला खुद ही गैर तरक्की याफता नहीं हो गया है, बल्कि इसे जान बूझकर बनाया गया है। ऐसी हिदायात कि इस इलाके को develop न किया जाए, आज भी record पर मौजूद हैं। इस इलाके को किस गर्ज़ के लिये पसमान्दा रखा गया ? इस में वहां के लोगों का कोई कसूर नहीं। आज़ादी आ जाने के बाद तो यह बात मानी जानी चाहिये कि इस ज़िले को जान बूझ कर backward रखा गया था।

हम इस बात को political शकल नहीं देना चाहते। अगर अमृतसर, जालंधर और लुधियाना के ज़िले तरक्की याफता हैं तो खुशी और फखर की बात है लेकिन हमारा फर्ज़ है कि सरकार का ध्यान उन इलाकों की ओर दिलाएं जिन की तरक्की किसी खास वजह से रुकी रही। देहाती मिसाल है कि 100 बरस के बाद तो कोढ़ी की किस्मत भी जागती है। क्या 100 साल गुज़र जाने के बाद भी हमारी बारी नहीं आएगी ? हमें खुशी है कि एक सवाल के जवाब में विकास मंत्री जी ने गुड़गांव को backward ज़िला तसलीम किया है।

स्पीकर साहिब, मुझे इस बात से दुख होता है और सरकार को भी दुख होता होगा कि इस के राज्य में इस कदर पिछड़े हुए इलाके हैं। कांगड़ा, गुड़गांव, तहसील ऊना, भिवानी और झज्जर की हालत खास तौर पर काबले गौर है। यह हुकूमत हो या कोई और भी हुकूमत हो, उस के लिये यह बात कोई खुशी की बात नहीं है कि उस के राज्य में ऐसे पिछड़े हुए इलाके हों। यह फख्र की बात नहीं है कि किसी राज्य में कुछ खास इलाकों की तरक्की को महदूद कर दिया जाए।

स्पीकर साहिब, एक और बड़ा ज़ुल्म अंग्रेज़ों के राज्य में किया गया था। यह बात Gazetteer में दर्ज है कि फर्रुखनगर में लाखों मज़दूर नमक बनाने का काम करते थे। कुएं बने हुए थे जिन में से नमक तैयार करने के लिये एक लाख मजदूर को मज़दूरी मिलती थी। शहर की आबादी 40,000 थी जब कि एक लाख आदमी मज़दूरी कर के अपना पेट पालते थे। जो लोग दूध जलेबी खाते थे मैं उन की बात तो नहीं करता बल्कि उन के बारे में बात करता हूं जो कि केवल नमक तैयार करके अपना पेट पालते थे। उस हुकूमत ने उस दस्तकारी को बन्द करवा दिया और बने हुए नमक को ज़बरदस्ती कुओं में डलवा दिया गया और आज वे कुएं बेकार पड़े हुए हैं। इस वक्त industry के मिनिस्टर साहिब बैठे नहीं हैं, उन्होंने अपनी आंखों से सब हाल देखा है। वे जानते हैं कि वे सब कुएं, जिन में से नमक तैयार किया जाता था, खुदवा दिये गये थे और चूने की क्यारियां तुड़वा दी गईं। यह मामला 10,15 वर्ष से चल रहा है कि सरकार 20 लाख रुपये की रकम कर्ज़ा के तौर पर दे दे तो वह industry फिर से चालू हो जाए। मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि सरकार को यह सहायता जल्दी से जल्दी करनी चाहिये। उस नमक के बारे में यह एक विशेष बात है कि उस में soda ash दूसरे सब नमकों से ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। अगर कुछ बड़े बड़े सरमायादार इकट्ठे कुओं को खरीदकर इस industry को चलाएं तो इस में कामयाबी हो सकती है। छोटे छोटे मज़दूर लोग इस दस्तकारी को नहीं चला सकते इसी लिये यह industry कामयाब नहीं हो सकी हालांकि Government of India की हमदर्दी हमारे साथ थी। इस के मुताल्लिका कागज़ात कभी इधर पंजाब गवर्नमेंट में आ जाते हैं और कभी उधर Government of India में चले जाते हैं और कोई फैसला नहीं हो रहा। यह हमारी सरकार की ज़िम्मेदारी है कि उस नमक को फिर से राइज करे और जहां जहां पर वह पहले बिकता था वहां वहां पर उसको फिर बेचने का प्रबन्ध करे। इस के लिये यह कोई बड़ी बात नहीं है।

इस के बाद मैं कुछ बातें तालीम के बारे में हाउस के सामने रखना चाहता हूं। पंजाब के 13 ज़िले हैं। किसी जिले का headquarter ऐसा नहीं है जहां पर गवर्नमेण्ट कालेज न हो। कांगड़ा में धर्मसाला में भी एक सरकारी कालेज है। लेकिन कितनी हैरानी की बात है कि उस ज़िला की 8 तहसीलें हैं लेकिन एक भी Government College वहां पर नहीं है। लड़कियों के हाई स्कूल का नाम तक नहीं है। आप लोगों की हिम्मत देखें; हर एक स्थान पर गवर्नमेण्ट के standard से भी बढ़िया और पुख्ता buildings बनवाई हुई हैं, सरकारी इमारतों से 2, 2 और 3, 3 गुना ज़्यादा लागत लगाई हुई है। प्राइमरी स्कूलों के लिये 1,300 रुपया सालाना, मिडल स्कूल के लिये 6 हज़ार रुपया सालाना और हाई स्कूल के लिये 15 हज़ार रुपया सालाना खर्च रखा जाता है। यह सब कुछ लोगों की अपनी हिम्मत से ही किया जा रहा है। सरकार इस सम्बन्ध में कुछ सहायता नहीं कर रही।

सब से ज़्यादा अहम मसला है पीने के पानी का। मुझे दुख होता है यह कहते हुए कि रिवाड़ी तहसील में—जो कि लुधियाना के ज़िला के बराबर है—जहां कि 400 के करीब गांव हैं, पीने के पानी का कोई इंतज़ाम नहीं है और सारे इलाका का पानी खारी है। अगर मैं उस तरीका को बताऊं जो कि वे लोग पानी पीने के लिये इस्तेमाल करते हैं तो मेरा सिर शर्म से झुक जाता है।

[राम्रो गजराज सिंह]
वे लोग बरसात के दिनों में जोहड़ों के बीचों बीच एक कुआं खोद लेते हैं और पुल वगैरह बना कर उस कुवें में से पानी भरते हैं । वहीं से ही मवैशी पानी पीते हैं। उसी गंदे पानी को वे लोग—थोड़ा मीठा और खारी मिला हुआ—पीते हैं। हालांकि रेलवे स्टेशन का स्टाफ 500 से ज़्यादा नहीं है लेकिन उन के लिये सरकार ने 11 मील की दूरी से पीने के पानी का इन्तज़ाम किया हुआ है। कितने दुख की बात है कि उस पानी को पीने की इजाज़त देहात के लोगों को नहीं है। आबपाशी के लिये हमें कितनी बार उम्मीदें दिलाई गईं कि पानी दिया जायेगा लेकिन नतीजा सिफ़र के बराबर है। हम जानते हैं कि भाखड़ा नहर से तो पानी आना नहीं है। हम ने Government से demand की थी कि भाखड़ा की नहर तो करनाल, रोहतक हिसार को दे दी है, गुड़गांव के लिये क्या इन्तज़ाम किया है ? तो उन्होंने Gurgaon Project की स्कीम हमारे सामने रखी। उस का भी यह हाल है कि हम चीखोपुकार करते हैं तो कहते हैं कि कागज़ गुम हो गये हैं। खैर कागज़ तो मिल गये। लेकिन आज एक सवाल के जवाब में कहा गया है कि इस जगह पर पानी ही नहीं जा सकता। इस atomic age में जब कि science इतनी तरक्की कर चुकी है यह कहना कि ज़मीन ऊंची होने के कारण पानी नहीं जा सकता यह कुछ मानी खेज़ नहीं मालूम होता। जब उन $2\frac{1}{2}$ सौ गांवों के इर्द गिर्द नहर आ जायेगी तो यह लोग अपने गांवों में 20 गुना लागत लगा कर जो फसलें पैदा करेंगे वह किस तरह अनाज मंडी में उसी भाव पर बेच सकेंगे जिस पर कि नहरी ज़मीन वाले बेचेंगे। हरगिज़ वहां के लोग उस rate पर नहीं बेच सकेंगे । वहां की जनता के लिये ज़रूरी सरकार को कोई न कोई पानी देने का बन्दोबस्त करना पड़ेगा। आज यह बात सोचने की है ।

स्पीकर साहिब, अब मैं electricity के बारे में कुछ अर्ज़ करना चाहता हूं। बिजली के मुताल्लिक भी अजीब तमाशा है। जब किसी गांव में बिजली की लाइन पहुंचाने के estimate बनाए जाते हैं तो 4 हज़ार से ले कर 7, 8 हज़ार रुपये तक खर्च की demand गांव वालों से की जाती है। भाखड़ा डैम तैयार करने पर 90 करोड़ रुपया खर्च किया गया है और इस के बावजूद पानी केवल $2, 2\frac{1}{2}$ ज़िलों को ही मिला है। मैं पूछता हूं कि क्या उन लोगों से पहले capital expenditure मांगा गया था ? अगर उन से नहीं मांगा गया था तो हमारे ज़िले के लोगों से बिजली के बारे में क्यों capital expenditure मांगा जाता है ? इस तरह तो वहां का एक आदमी भी बिजली लेने को तैयार नहीं होगा। मैं अर्ज़ करता हूं कि गुड़गांव ज़िले को भी पंजाब का हिस्सा समझा जाए और जिस प्रकार दूसरे ज़िलों को develop किया गया है उसी तरह सरकार को इसे भी develop करने की कोशिश करनी चाहिये। जो सहूलियतें दूसरे ज़िलों को दी गई हैं अगर वही हमारे ज़िले को दी जाएं तो वहां के लोग 10 गुना ज़्यादा तरक्की दिखा सकते हैं। आप को यह रुपया खर्च करना ज़रूर पड़ेगा।

मेरे दोस्त पंडित श्री राम शर्मा ने कहा कि हरियाना के लिये बजट का तीसवां हिस्सा भी खर्च नहीं किया गया। मैं कहूंगा कि गुड़गांव का expenditure तो 1/100 बल्कि 1/200 वां हिस्सा भी नहीं। सड़कों की तरफ देखिए तो expenditure सिफर। 22 लाख रुपया हिंद सरकार ने बड़ी सड़क को चौड़ा करने के लिये दिया। इस में से तो इन्हें मजबूरी के तौर पर

खर्च करना पड़ा लेकिन अगर आप पिछले सालों के बजट की हरेक मद को देखें तो आप को वहां पर गुड़गांव का हिस्सा सिफर ही नज़र आयेगा। वहां के लोग आकर इन्हें दरखास्तें करते हैं तो कहते हैं कि हमारे लिये यह काम करना मुश्किल है क्योंकि बजट में पैसा नहीं। नतीजा यह कि वह इलाका बहुत पसमान्दा हो गया है, बीमारी बहुत बढ़ गई है। इस हालत में मैं गुज़ारिश करूंगा कि मरी amendment को मंजूर कर के Resolution के साथ मिला लिया जाये।

श्री कन्हैया लाल बुटेल (पालमपुर) : स्पीकर साहिब, हमारे पंजाब सूबे के अन्दर एक ज़िला कांगड़ा भी है, जो इतना backward है पर अभी तक हमारी पंजाब गवर्नमेण्ट की नज़रे इनायत उस पर नहीं पड़ी। वह उन की नज़रे इनायत से महरूम रहा है। मुझे तो इस बात का अफ़सोस है ही लेकिन इस के साथ ही साथ हमारी सैण्ट्रल गवर्नमेण्ट और दूसरे सूबों की गवर्नमैण्टें भी हैरान हैं कि इतने खूबसूरत और मादनी एशियासे भरपूर इलाके को क्यों undeveloped और ignored रखा हुआ है। स्पीकर साहिब, इस ज़िला की अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अमरीका और कैनेडा वगैरह के जो मिशन हिंदुस्तान में आते हैं और जो काम उन्होंने शुरू करना होता है तो वह सोचते हैं कि हम कहां पर अपना रुपया लगा कर लोगों की सेवा कर सकते हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस किस्म के काम के लिये उन्हें कांगड़ा और कुल्लू के पहाड़ ही नज़र आते हैं और वहां आकर वह सेवा का काम शुरू करते हैं। इस तरह आप वहां पर उन के कुछेक हस्पतालों और तालीमी अदारों को देख सकते हैं।

पिछले दिनों स्वर्गीय किदवाई साहिब ने हमारे आनरेबल मिनिस्टर चौधरी लहरी सिंह जी की तवज्जुह कांगड़ा के इलाके की तरफ दिलाई। हाल ही में देश के हर दिल अज़ीज नेता पंडित जवाहर लाल नेहरू ने गवर्नर साहिब की तवज्जुह इस बात की तरफ दिलाई थी कि आखिर कांगड़ा भी हमारे मुल्क का एक हिस्सा है, इस की तरफ भी आप कुछ ध्यान रखें। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ यह कहना पड़ता है कि हमारी गवर्नमेण्ट ने जो गवर्नमेण्ट भी यहां पंजाब में आई——कांगड़ा की तरक्की का कोई खास ख्याल नहीं रखा। जो भी बजट बनता आया है, अव्वल तो कांगड़ा के हिस्से उस में कोई नुमायां रकम नहीं आती और अगर रखी भी जाती है तो जिस काम के लिये रखी जाती है वह काम पूरा नहीं होता। मैं ऐसे ही यह बात नहीं कर रहा। मैं मिसालें देकर अपनी बात की पुष्टि कर सकता हूं। सन् 1948 में डेहरा के पुल के लिये पंजाब गवर्नमेंट ने बजट में रकम मंजूर की मगर अगर आप वहां पर जाकर देखें तो पुल का कोई नामोनिशां तक नहीं। पिछले साल भी इस के लिये बजट में रकम रखी गई लेकिन कितने अफसोस की बात है कि साल खत्म हो गया है पर उस के लिये कोई प्रबन्ध नहीं किया गया। इसी तरह पालमपुर ऐनीमल हसबैंड्री के लिये पिछले साल 70 या 80 हज़ार रुपया मंज़ूर किया गया था लेकिन अभी तक वहां पर एक पाई भी खर्च नहीं की गई। साफ ज़ाहिर है कि हमारी आंखें पोंछने के लिये हमारी गवर्नमेंट कांगड़ा के नाम पर बजट में कुछ रकमें रख तो देती है मगर खर्च एक पाई नहीं करती। मैं हैरान हूं कि हमने उन इलाकों की तरक्की के लिये क्या किया है और अगर नहीं किया तो हम किस लिये यहां पर आये हुए हैं। यही नहीं कि अगर पंजाब गवर्नमैण्ट कुछ खर्च करे तो वहां के लोगों को रोज़गार मिले, यही

[श्री कन्हैया लाल बुटेल]
नहीं कि वहां के लोगों के पास पैसे आएं और पैसे से वे अपने खाने, कपड़े और रहने का इन्तज़ाम मुहैया कर सकें, बल्कि मैं समझता हूं कि व्यापार की दृष्टि से भी अगर पंजाब गवर्नमेंट वहां पर कोई काम शुरू करे तो करोड़ों रुपया का फायदा उठाया जा सकता है। लेकिन शायद पंजाब गवर्नमेण्ट ने यह समझ रखा है कि चूंकि वहां से जंगलों की काफी आमदनी है, वहां से बिजली पैदा करके काफी रुपया हासिल हो रहा है इस लिये क्या ज़रूरत है वहां पर और कोई काम शुरू करने की। वहां की बिजली सारे पंजाब को मुहैया की जाती है। यहां तक कि पाकिस्तान को मुहैया की जाती है। यह बिजली सन् 1927 से निकली मगर कितनी हैरत की बात है कि घर में गंगा होने के बावजूद भी वहां के लोग प्यासे हैं-- वहां से बिजली पैदा होती है मगर कांगड़ा के लोग उस बिजली की सहूलियत से महरूम हैं। जब सवाल उठाया जाता है कि कांगड़ा को भी बिजली दी जाए तो कहते हैं अगर आप को बिजली दे दी जाए तो घाटा पड़ जायेगा। पिछले दिनों जब कैप्टन रणजीत सिंह इस महकमा के मिनिस्टर थे तो मैंने उन्हें request की। वह भी बज़िद थे कि घाटा पड़ जायेगा। बड़ी मुश्किल से उन्होंने हमारी request को माना और पालमपुर के लिये बिजली दी। स्पीकर साहिब, आप खुद महकमा से दरियाफत कर सकते हैं कि पालमपुर में बिजली जाने से गवर्नमेंट को कितनी आमदनी हो रही है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बिजली देने से सरकार को वहां पर फायदा ही हो रहा है, नुकसान नहीं। इसी तरह अगर दूसरी जगहों पर भी कांगड़ा के इलाके में बिजली दी जाए तो मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि गवर्नमेंट और जनता दोनों का फायदा होगा। सरकार को इस काम में नुकसान पड़ने का कोई भी अंदेशा entertain नहीं करना चाहिये।

इसके अलावा अगर आमदनी बढ़ाने के ख्याल से भी देखा जाए तो सरकार के लिये कांगड़े से बढ़ कर और कोई भी ज़िला आगे नहीं आ सकता। वहां पर कई एक खानों को खोद कर और जड़ी बूटियों का काम शुरू करके गवर्नमेंट लाखों नहीं करोड़ों रुपया कमा सकती है और लाखों आदमियों को रोज़गार दे सकती है। सोना, चांदी, पीतल, प्लाटीनम, हीरा, तेल, कोयला, लोहा, नमक, सुहागा और स्लेट वगैरह कई किस्म की खानें वहां दबी हुई हैं जिन्हें खोदा जाए तो न सिर्फ कांगड़ा बल्कि सारा देश मालामाल और खुशहाल हो सकता है। जड़ी बूटियों की पुट वहां पर लाखों रुपये की हासिल हो सकती है। मिसाल के तौर पर ब्राह्मी, पेपर मिण्ट, सफैदा, गंधक वगैरह हज़ारों मन की तादाद में हासिल हो सकते हैं। ममीरी, बसूटी, हरड़, बहेड़ा, आमला, अमलतास वगैरह बड़ी बहुतात में वहां मिलते हैं जिन्हें laboratory में लाकर करोड़ों रुपये की ऐसी दवाइयां अपने देश में बनाई जा सकती हैं जो हम बहुत महंगी कीमत पर बाहर के मुल्कों से मंगवाते हैं। इस के अलावा ऊन, पशम, रेशम और सूत की काफी industry वहां पर चलाई जा सकती है। इस तरह पंजाब में लाखों लोगों को रोज़गार मुहैया किया जा सकता है और उन लोगों को, जिन्हें पेट भर कर खाना भी नसीब नहीं होता, आराम और चैन की ज़िन्दगी बसर करने के लिये सहूलियात दी जा सकती हैं। मैं समझता हूं कि जहां पंजाब ने ज़्यादा अनाज पैदा करके सारे हिंदुस्तान की भूख को मिटा कर अपना सिर ऊंचा किया है, उस के साथ ही अगर कांगड़ा की सभी कानों को खोद कर जड़ी बूटियों की दवाइयां बना कर और दूसरी industries को वहां चालू कर के देश की दूसरी

जरूरियात अपने मुल्क में ही मुहैया की जाएं तो एक तो बाहर से मंहगी कीमत पर हमें खरीद न करनी पड़ेगी और दूसरे अपने मुल्क का पैसा मुल्क की तरक्की की स्कीमों पर लगाया जा सकेगा। स्पीकर साहिब, आप के ज़रिये मैं पंजाब गवर्नमेण्ट से request करना चाहता हूं कि वह इस डर को बाहर फेंक दे कि कांगड़ा में कोई काम शुरू करने से उन्हें नुकसान होगा और सच्चे दिल से कांगड़ा को develop करने के लिये दिल खोल कर मदद करे और आमदनी के जो साधन मैंने ऊपर बताये हैं उन को explore करे।

मैं हैरान होता हूं कि जब कभी कोई कारखाना खोलना होता है तो किसी दूसरी जगह पर ही पंजाब गवर्नमेण्ट की नज़र पड़ती है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कच्चा माल जितना कांगड़ा दे सकता है उतना कोई भी पंजाब का दूसरा ज़िला मुहैया नहीं कर सकता। मैं समझता हूं कि कांगड़ा में कागज़ बनाने, टीन बनाने की industry के काफी chances हैं। सारे हिंदुस्तान में जितनी चाय निकलती है उस का आधे से ज़्यादा कांगड़ा से निकलता है। जैसे कि मैंने पहले कहा ऊन की industry वहां पर बहुत बड़े पैमाने पर चलाई जा सकती है। इसी तरह फर्नीचर के मुताल्लिक भी कहा जा सकता है। गर्ज़ेकि कांगड़ा एक ऐसा ज़िला है जो करीब करीब हर किस्म का कच्चा माल आप को दे सकता है। मैं समझता हूं कि जब इस किस्म की सहूलतें मौजूद हों तो क्यों न इस तरह की industries का network वहां पर कायम किया जाए।

अब मैं तालीम के विषय पर आता हूं। तालीम के लिहाज़ से भी अगर देखा जाये तो सारे पंजाब में कांगड़ा ही एक ऐसा ज़िला होगा जो सब से ज़्यादा पिछड़ा नज़र आयेगा। हमारी सरकार ने चार चार जमातों वाले प्राइमरी स्कूलों को पांचवीं तक करने का फैसला किया है। मैं दरखास्त करूंगा कि education के programme में भी कांगड़ा के ज़िला को तरजीह दी जाए, priority दी जाए। मैं समझता हूं कि वहां पर अगर कोई आयुर्वैदिक स्कूल या कालेज खोला जाये तो यह एक बहुत सराहनायोग कदम होगा। इस के अलावा हिंदी रत्न, भूषण, प्रभाकर वगैरह की सारे ज़िला में कोई क्लास नहीं है। इस लिये अगर पंजाब-गवर्नमैण्ट इस चीज़ के लिये प्रबन्ध करे तो इस की बड़ी कृपा होगी। कालेज तो सिर्फ एक धर्मसाला में ही है। हज़ार मुरब्बा मील से लोगों को यहां कालेज में आना जाना बहुत मुश्किल है। इस लिये बहुत अच्छा हो अगर लोगों की तकालीफ का अहसास करके वहां पर एक दो कालेज और खोले जाएं।

गवर्नमेण्ट ने यह फैसला किया हुआ है कि हर तहसील में एक मैजिस्ट्रेट होगा। कांगड़ा का एक ऐसा इलाका है जहां पर लोगों को बहुत दूरोदराज़ से आना पड़ता है। मैजिस्ट्रेट का हैडक्वार्टर पालमपुर में है जहां लोगों को आने जाने में 15,15 दिन लग जाते हैं। इस लिये मैं चीफ मिनिस्टर साहिब से अपील करूंगा कि लोगों की तकलीफ का ख्याल करते हुए वहां पर भी Divisional Magistrate मुकर्रर किये जायें ताकि लोगों को, जो पहले ही बहुत गरीब हैं, आने जाने के मुफ्त के खर्च और तकलीफ से बचाया जा सके।

स्पीकर साहिब, अगली बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो पहाड़ों का compensatory allowance या महंगाई allowance होता है वह पंजाब गवर्नमेण्ट के मुलाज़मों

[श्री कन्हैया लाल बुटेल]

को जो पालमपुर रहते हैं मिलना चाहिए। यह allowance वहां Government of India के मुलाज़मों को मिल रहा है, मसलन वहां जो डाकखाना में काम करते हैं या Central Excise के महकमे के मुलाज़म वहां काम करते हैं उन को यह allowance मिल रहा है। पंजाब गवर्नमेंट के मुलाज़मों ने सैंकड़ों बार representations भी की हैं लेकिन उन की अभी तक इस मामले में कोई शुनवाई नहीं हुई। यह उन का गिला दूर किया जाना चाहिये। हालांकि यह allowance उन को पहले मिलता भी था, बाद में बन्द कर दिया गया था। फिर, स्पीकर साहिब, पालमपुर बर्फ वाले इलाके के सब से नज़दीक है।

फिर मैं चकबन्दी के बारे में सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। जैसे कि चकबन्दी दूसरी जगहों पर की जा रही है यहां भी जल्द की जानी चाहिये। जहां ज़मीन के मालिकों के छोटे छोटे टुकड़े फैले हुए हैं, उन को चकबन्दी जल्द की जानी चाहिये ताकि वह पैदावार बढ़ा सकें।

Magistrate के बारे में भी मैं यह अर्ज़ कर दूं कि वहां 1947 से पहले एक मैजिस्ट्रेट लगा हुआ होता था जो कि बाद में हटा लिया गया था। मैजिस्ट्रेट का वहां रहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि लोगों को बहुत दूर जाना पड़ता है।

फिर, स्पीकर साहिब, मैंने सुना है कि Denmark से 30 गाएं और दो बैल ब्रीडिंग के लिये मिले हैं। इस सिलसिले में मैं सरकार से गुज़ारिश कर दूं कि पालमपुर से बेहतर इस मतलब के लिये कोई और जगह पंजाब में नहीं हो सकती। इस लिये उन्हें वहां रखा जाए।

आखिर में, स्पीकर साहिब, मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि गवर्नमेण्ट इस बात का ध्यान रखे कि आयंदा के बजट में ज़िला कांगड़ा को उस का पूरा हक मिले और जो भी रकम जिस purpose के लिये मखसूस की जाए वह उस पर सर्फ की जाए।

अध्यक्ष महोदय : बोलने वाले बहुत हैं और बोलने का time 15 minutes रखा हुआ है। क्योंकि साढ़े पांच बजे hon. Minister साहिब बहस का जवाब देना चाहते हैं इस लिये इस वक्त सारे 35 minutes बाकी मेम्बर साहिबान के बोलने के लिये रह गए हैं। इस लिये मैं समझता हूं कि केवल तीन मेंबर और बोल लें। एक Opposition के, एक कांगड़ा ज़िला के और एक गुड़गांव ज़िले के बोल लें।

(I find that the number of Members who wish to speak is fairly large. The time limit for speeches has been fixed at 15 minutes. Since the hon. Minister has to make a reply at 5-30 p.m. only 35 minutes are left for the Members and at the rate of 15 minutes a speech, hardly 3 more Members will be able to speak. I, therefore, feel that three Members, one from the Opposition, one from the Kangra District and one from the Gurgaon District should take part in the debate.)

श्री बाबू दयाल (सोहना) : अध्यक्ष महोदय, यह जो resolution पेश किया गया है जिस में दिया है कि कांगड़ा ज़िला backward है और उस को खास रिआयतें दी जाएं यानी उस की पहले development की जाए, मेरी अपनी तजवीज़ है कि

इस resolution को ज़रूर पास किया जाए और इस के अन्दर यह जो कांगड़ा district है इस की जगह यह कर दिया जाए " Backwardness of the people of the backward tracts of the State " तो यह ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। यह ठीक है कि कांगड़ा ज़िला एक backward इलाका है लेकिन इस के साथ ही गुड़गांव का इलाका भी बड़ा बैकवर्ड है। मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट यह बात मान भी जाएगी क्योंकि यह चाहती है कि जो दो साल अगली elections में रह गए हैं उन में कुछ तो कर ले ताकि वह अगली elections फिर जीत सके। (हंसी) स्पीकर साहिब, आप को यह अच्छी तरह मालूम है कि यह गवर्नमैण्ट down trodden और exploited लोगों की मदद से बनी है और अगर इस ने उन लोगों का ख्याल न किया, उन के इलाके की development पूरी तरह न की गई तो मैं पेशीनगोइ करता हूं कि यह हुकूमत अपनी कब्र अपने हाथों आप खोदेगी।

स्पीकर साहिब, मेरे कुछ भाइयों ने बताया है कि यह इलाका किस तरह से down trodden रहा है और यह किस तरह से पिछड़ गया है और elections से पहले यह हुकूमत कैसे कहा करती थी कि हम सब से पहले backward और. पिछड़े हुए लोगों को ऊंचा उठायेंगे। अब इस को चाहिए कि वह सब से पहले अपने वादों को पूरा करे। अब सवाल यह है कि सब से ज़्यादा पिछड़े हुए इलाके कौन से हैं। मेरा अपना ख्याल है, जैसा कि मेरे कुछ भाइयों ने तकरीरें की हैं कि उन के ज़िला कांगड़ा के अन्दर तो बहुत से natural resources मौजूद हैं और वहां तो थोड़ा सा काम करने से वह इलाका ऊपर उठाया जा सकता है लेकिन गुड़गांव का ज़िला ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। वहां साढ़े चार सौ गांव तो ऐसे हैं जहां पीने का पानी तक नहीं है और वहां के लोगों की इस गवर्नमेंण्ट ने आवाज़ भी नहीं सुनी। पहले ज़मींदारा गवर्नमेंण्ट ने उन की आवाज़ नहीं सुनी थी तो वहां 'करो या चलो' की एक agitation जारी हो गई थी। और यदि इस गवर्नमेंण्ट ने भी उन की परवाह न की तो फिर agitation शुरू हो जाएगी। या तो यह उन लोगों के लिये कुछ करें या फिर सम्भले रहें। मुझे यह कहने में अफसोस होता है कि यह अंग्रेज़ों की तरह हुकूमत कर रहे हैं। मेरे भाई ने बताया है कि ज़िला गुड़गांव में फर्रूखनगर और नुह में पहले नमक की industry चल रही थी। नूह और फिरोज़पुर झिरका से ज़्यादा पिछड़ा हुआ पंजाब में तो क्या बल्कि सारे हिंदुस्तान में कोई इलाका नहीं।

अध्यक्ष महोदय : आप किस चीज़ पर बोल रहे हैं? आप की कोई तरमीम है? अगर नहीं है तो आप मोशन पर बोलें। (On what subject is the hon. Member speaking? Has he given notice of any amendment? If not then he should speak to the motion.)

विकास मंत्री : ਜੀ ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਤਰਮੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੇਖਾ ਵੇਖੀ ਕਲ ਦੇ 3 ਵਜ ਕੇ 45 ਮਿੰਟ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय मेम्बर से पूछना चाहता हूं कि वह किस amendment पर बोल रहे हैं ? (Will the hon. Member please tell me on what amendment is he speaking ?)

ਵਿਕਾਸ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ amendment 3-45 ਤੇ ਭੇਜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ । ਇਹ amendment ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਸੀ । Sir, he does not mean it but nevertheless I will consider his amendment.

अध्यक्ष महोदय : अगर माननीय मेंम्बर कोई amendment मेरे पास अब भी भेज दें तो मैं move करने के लिये allow कर दूंगा । (If the hon. Member sends his amendment even now, I would allow it.)

श्री बाबु दयाल : जनाब, मैं उस amendment के बारे में अर्ज़ कर रहा हूं जो सारे backward इलाकों के बारे में है ।

5 p. m.

Mr. Speaker : What is your amendment ?

श्री बाबु दयाल : यह जो सारे backward इलाकों के बारे में है ।

अध्यक्ष महोदय : Resolution तो है मगर amendment कौन सी आप ने दी है ? (The resolution is there, but which amendment has he given notice of ?)

श्री बाबू दयाल : यह proposed amendment है । अभी आप के पास नहीं आई है मगर आप इसे कभी भी मन्जूर कर सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आप की कोई amendment नहीं । आप बोलिए बेशक मगर कांगड़े के बारे में resolution पर बोलिए । (I have received no notice of amendment from him, however, he can continue his speech but he must speak to the Resolution regarding Kangra District.]

श्री बाबू दयाल : जनाब, मैं उसी के मुताल्लिक कह रहा था कि कांगड़ा एक बहुत backward इलाका है। इसी तरह गुड़गांव भी बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है । यह बात ठीक है कि कांगड़ा के पास ऐसे resources हैं जिन्हें develop किया जा सकता है मगर गुड़गांव के पास ऐसे resources नहीं हैं । एक नमक की industry थी, वह भी खत्म हो चुकी है । अब इसे revive किया जाए ताकि गुड़गांव जैसा पसमान्दा इलाका, जहां माताएं बच्चे को पैदा होने के बाद भूसे में दबा देती हैं, भी कुछ तरक्की कर सके । तहसील नूह और फीरोजपुर झिरका में बच्चे के पैदा होते ही..........

अध्यक्ष महोदय : आप किस चीज़ पर बोल रहे हैं । अगर resolution पर न बोलना हो तो बैठ जाएं । [On what subject is the hon. Member speaking ? If he does not wish to speak on the resolution, then he should resume his seat.]

श्री बाबू दयाल : जनाब, मेरे अर्ज़ करने का मतलब यह है कि इन backward इलाकों में हरियाना को भी शामिल किया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : अगर आप ने irrelevant बोलने का इरादा किया हुआ है तो आप बैठ ही जाएं । (In case you are determined not to be relevant, you may better resume your seat.)

प्रोफैसर शेर सिंह (झज्जर) : अध्यक्ष महोदय, सदन के सामने जो प्रस्ताव बख्शी जी ने रखा है मैं उस का कुछ संशोधनों के साथ समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । यह बात सही है कि जिन इलाकों पर प्रकृति का प्रकोप रहा है या राज्य का प्रकोप रहा और इस कारण वह पनप न सके, ऐसे इलाकों के सम्बन्ध में जब तक कोई हंगामी कदम नहीं उठाए जाते, ये क्षेत्र उन्नत नहीं हो सकते । इस प्रस्ताव की ज़रूरत इस लिये है कि यदि पसमान्दा इलाकों को जहां कि हालात बहुत खराब हैं, अगर खास रियायतें न दी जायें तो वहां विकास कार्य हो ही नहीं सकता । वैसे तो अगले 5 साल में ऐसा कोई इलाका न रहेगा जहां कोई न कोई सामूहिक विकास योजना का ब्लाक न पहुंच जाए । मगर विकास योजनाओं के लिये जितने रुपये की आवश्यकता है उतना नहीं मिल सकता । National Extension Scheme के अन्तर्गत $7\frac{1}{2}$ लाख रुपये से उन इलाकों का कुछ न बनेगा जिन के नाम, झज्जर, रेवाड़ी, भिवानी, कैथल तहसीलें इत्यादि, मैं ने अपने कांगड़ा के प्रस्ताव के संशोधन में दिए हैं । अब आप देखें कि झज्जर तहसील में 70,75 गांव ऐसे हैं जहां साल में 8 महीने पीने का पानी ठीक तरह से नहीं मिलता । बरसात में उन कुओं में मीठा पानी 4 महीने मिलता है जो जौहड़ों के करीब हैं । बाकी 8 महीने पानी नहीं मिलता । गर्मियों में बहुत बुरी हालत होती है । गांव में लोग पानी भरने की बालटियों को चपटा कर लेते हैं ताकि थोड़ा बहुत रेत मिला जैसा भी पानी हो उस में थोड़ा थोड़ा करके आ जाए । काफी २ देर के बाद बालटी भरती है । रात के दो दो बजे तक अगले दिन के लिए पानी भरना पड़ता है । दिन के वक्त कुओं में पानी नहीं होता । यह हालत है इस इलाके की । 1946 में जब पंजाब एक था इस इलाके में पानी की स्कीम के लिये 40 लाख रुपया मन्जूर हुआ । इन 70, 75 गांवों को पानी देने के लिये बटवारे के बाद एक योजना बनी । मैं ने Public Health Department को एक पत्र लिखा है कि पीने के पानी का कोई इंतज़ाम होना चाहिये । इन गांवों को पीने का पानी मुहैया करने के लिये 2 करोड़ 5 लाख रुपया का अन्दाज़ा लगाया गया है । महकमे ने बताया कि ऊपर से हुकुम है कि एक आदमी के पीछे सिर्फ 10 रुपये खर्च होने चाहियें । इस काम के लिये हिसाब लगाया गया कि अगर इन गांवों को पीने का पानी देना है तो स्कीम पर 116 रुपया हरेक आदमी के पीछे खर्चा आएगा । यह मन्जूर खर्च से 11, 12 गुना ज़्यादा है जो

[प्रोफैसर शेर सिंह]

सरकार आम हालात के अन्दर नहीं देगी। 7½ लाख रुपया तो एक ही बड़े से गांव के लोगों को पानी देने पर खर्च आ जायगा और 74 गांव बचे रहेंगे।

इसी तरह से सड़कों की हालत देखिए। जो स्कीमें चलती हैं उन के अनुसार यह है कि सड़क के खर्च का आधा रुपया लोग दें या ज़मीन दें, मेहनत करें और आधा खर्च गवर्नमेंट करे। वहां हालत यह है कि दस २, पन्द्रह २ फुट ऊंचे रेत के टीले हैं और वहां मिट्टी डालने का खर्च ही इतना होगा जितना कहीं और पक्की सड़क बनाने का। इस लिये भी दूसरे इलाके सरकार द्वारा विकास के लिये रखी गई शर्तें पूरी कर सकते हैं मगर एक तो इस इलाके के लोगों की हालत खराब है और उस पर इतना ज़्यादा खर्च। ऐसे इलाका का विकास फिर कैसे हो जब तक सरकार खास रियायतें न दे। इसी तरह से और योजनाएं हैं। शिक्षा की योजनाएं हैं जिन में लोगों का सहयोग चाहते हैं और कहते हैं कि वह अपना हिस्सा दें। पीने के पानी की भी स्कीमें हैं। ज़िला रोहतक में 4 लाख रुपये की स्कीम है। 8,400 रुपये की छोटी २ स्कीमें हैं। 5,600 सरकार देगी और 2,800 लोगों को इकट्ठा करना है। लोग यह एक तिहाई भी नहीं दे सकते, उन की अवस्था ही ऐसी है, उन में दम ही नहीं है। यह इलाके तब तक विकसित न होंगे जब तक लोग यह शर्तें पूरी न करें। दूसरे इलाकों में ऐसी शर्तें पूरी हो सकती हैं, मगर यहां पर खर्चा दस २ गुना ज़्यादा है जो कि लोग नहीं दे सकते। इस तरह इस इलाके को तरक्की याफता इलाकों की सतह पर लाने के लिये खर्च करने का लोगों में दम नहीं। वह इतना ज़्यादा बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस लिये backward इलाकों के बारे इस resolution की ज़रूरत पड़ी। सरकार ने जो विकास के लिये शर्तें रखी हैं उन्हें हटा कर, खास रियायतें देकर खुद नये कदम उठा कर जितना रुपया इन विकास के कामों पर खर्च होना हो वह सारा खर्च करें तभी इन क्षेत्रों का विकास सम्भव है। पिछले 3, 4 महीनों की बात है स्वर्गवासी श्री रफी अहमद किदवई झज्जर आए। हमने उन्हें गांवों में पीने के पानी की हालत दिखाई और उन्हें बताया कि इस इलाके के लिये पीने के पानी की स्कीमों के लिये 2 करोड़ रुपया चाहिये। उन्होंने बड़ी सहानुभूति से सुना, देखा भी और उदार सहायता का आश्वासन भी दिलवाया। फिर Community Project Area में 300 गांव शामिल होते हैं। यदि इन पर 94 लाख रुपया पानी का प्रबन्ध करने के लिये लगा दिया जाये तो सब गांवों को केवल ⅓ पानी मिल सकता है। जहां तक बिजली का सम्बन्ध है या तालीम का सम्बन्ध है सरकार के पास पैसा भी नहीं बच रहता। इस लिये यह प्रस्ताव लाना ज़रूरी है। इस के बिना सब इलाकों पर थोड़ा थोड़ा रुपया खर्च किया जायेगा और विकास योजनाओं के साधारण खर्चों से इन इलाकों की तरक्की नहीं हो सकती।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि प्रस्तावक महोदय ने जो बात अपने प्रस्ताव में रखी है कि इस इलाका में तालीम का इन्तज़ाम नहीं, इलाका के विकास के लिये पूरे अवसर नहीं मिलते, यह बिल्कुल ठीक है। इस इलाके के लोगों के लिये admissions में और services में आना कठिन है। ये लोग services में नहीं आ सकते जब तक कि selection में इन का खास ख्याल न रखा जाए। आप हरियाना के इलाके को लें।

वह Technical Colleges की admission में और services में पिछड़ा रह जाता है क्योंकि वहां पर technical और ऊंची तालीम का अवसर कम है, पढ़ाई के अवसर कम हैं। इस इलाके में तो पीने तक को पानी नहीं मिलता। रुपये की भी कमी है। लोग अपने बच्चों को दूर दूर भेज कर शिक्षा नहीं दे सकते। इस लिये वह इन मुकाबल के इम्तिहानों में नहीं आ सकते। उन्हें तरक्की करने का अवसर ही नहीं मिलता। इस लिये सरकार के पास सुझाव करूंगा कि वह Basic Training Schools के अंदर दाखले की शर्तों में इन लोगों के लिये कमी कर दें ताकि इस इलाके के लोग services में और admission में आ सकें। जैसा कि आपने लुहारू, झज्जर और नाहड़ आदि के इलाके के लोगों को सहूलतें दे रखी हैं इस तरह इन को भी दी जाएं। अगर इस पिछड़े इलाके के लोगों को admission के वक्त और चुनाव के समय दस प्रतिशत नम्बर ज्यादा दे दिये जायें तो शायद यह लोग मुकाबला में आ सकें।

मैं सरकार को निवेदन करता हूं कि वह इस इलाका के लोगों के बारे में ऐलान कर दे और Subordinate Services Selection Board और Public Service Commission को इत्तला दे दे कि selection के वक्त इस area के लोगों को 10 प्रतिशत नम्बर ज़्यादा दिये जाएं। जैसे अगर interview में 200 नम्बर हैं तो 20 और अगर 100 नवम्बर हैं तो 10 की रियायत कर दी जाए। इस तरह से इस इलाके के लोग services में आ सकेंगे। अगर इस प्रस्ताव को पास किया गया तो इस इलाका के लोगों को लाभ होगा।

मैं सरकार को इस के बारे में concrete suggestions देता हूं कि सरकार कुछ प्रतिशत seats technical और professional colleges में इस इलाके के लोगों के लिये मुकर्रर कर दे ताकि हम इस backward area को मखसूस रख सकें और इस इलाके के लोग services में आ सकें। इन शब्दों के साथ मैं बख्शी प्रताप सिंह की ओर से पेश किये प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं कि इस backward इलाके की असाधारण ढंग से मदद की जाए।

हो सकता है कि जिन इलाकों का मैंने अपने संशोधन में जिक्र किया है उन के अलावा रोहतक में कलानौर जैसे भी इलाके हैं जो कि backward हैं। हम इस में सब backward इलाकों को शामिल कर सकते हैं। हमारी कोशिश है कि हरियाना और अम्बाला Divisions के वह इलाके जो उपेक्षित रहे हैं, जिन पर प्रकृति का और राज्य शासन का कोप रहा है, को तरक्की की ओर ले जाया जाये। हमें इस के लिये हंगामी कदम उठाने चाहियें। पीने के पानी का प्रबन्ध करना चाहिये, सड़कें और हस्पताल बनाये जाने चाहियें। इन कामों के लिये भारत सरकार से रुपया लेकर और अपने खजाने से भी पंजाब सरकार को खर्च करना चाहिये।

स्पीकर साहिब, मैं इस प्रस्ताव का अपने संशोधन के साथ अनुमोदन करता हूं और आशा करता हूं कि सदन सर्व सम्मति से इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगा।

अध्यक्ष महोदय : अगर hon. Minister agree करें तो उन के बोलने का वक्त 5-30 को बजाए 6 बजे रखा जाए ताकि मेंबर साहिबान को आध घंटा और बोलने का समय मिल जाए । [If the hon. Minister agrees, he may start replying to the debate at 6 p.m. instead of at 5-30 p. m. so that half an hour more may be given to Members.]

ਵਿਕਾਸ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਮੈਂਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ।

ਸਰਦਾਰ ਉਤਮ ਸਿੰਘ (ਸ੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰ) : ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕਾਂਗੜੇ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਰੇਜ਼ੂਲਿਊਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਇਤਫਾਕ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਮੈਂ ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪਛੜੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਥੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ । ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 26 ਮੀਲ ਲੰਬਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਡੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ drinking water ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦੀ problem ਹੈ । ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਜੱਦੋ ਜ਼ਹਿਦ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੀ problem ਅਜੇ ਤਕ ਹਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ।

(At this stage Mr. Deputy Speaker occupied the Chair.)

ਸ੍ਰੀ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਅਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ । ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸੰਬੰਧੀ provide ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਰੁਪਿਆ ਕਿਥੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਰੁਪਿਆ ਅਜ ਤਕ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ । ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸੜਕਾਂ ਪਕੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ । ਇਹ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਡੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਦੀ ਨਾਗੁਫਤਾ ਬਿਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ।

ਫਿਰ ਥਾਣਾ ਕਾਹਨੂੰਵਾਨ ਬਿਆਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ । ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਮ drain ਕੱਢੀ ਹੈ । ਇਕ ਪਾਸੇ ਸੇਮ drain ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਹੈ । ਜੋ ਪਿੰਡ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਾ medical aid ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਨਾ ਪਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਹਨ । ਇਸ ਬੇਟ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ । ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਬਹੁਤ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਬਿਨੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਦੇ floods ਤੋਂ ਬਚਾਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ । ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੁੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ

ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਮਾਫ਼ ਕਰਾਣ ਲਈ ਕਈ ਅਰਜ਼ਦਾਸ਼ਤਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ । ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਨਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਹ undeveloped ਇਲਾਕਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ Community Project Schemes ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ । ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ develop ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ । ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਬਿਨੇ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ Backward Area ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਸਕੇ ।

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ (ਰਮਦਾਸ) : ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਤਾਈਦ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹਾਂ । ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚ ਮੇਰੀ ਇਹ ਤਰਮੀਮ ਹੈ ਕਿ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਸਕੀ ਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਇਲਾਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ backward area ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਿਹੜੀਆਂ backward ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਕਾਂਗੜੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ development ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ development ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ wealth ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਅਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰਮੀਮਾਂ ਗੁੜਗਾਉਂ ਜ਼ਿਲੇ ਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਹਨ । ਮੇਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੜੀ ਤੰਗੀ ਹੈ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੜਗਾਉਂ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗੇਗਾ ਕਿ ਉਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੜੀ ਭਾਰੀ problem ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਦਮ ਉਠਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਇਸ area ਦੀ development ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ backward area ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੀ ਤੇ facilities ਮੁਹੱਯਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਦੋਂ ਤਕ ਇਸ ਦੀ development ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ । ਸਾਡਾ ਵੀ ਹਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰੀਏ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹਰ ਸਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ backward area ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ facilities ਮੁਹੱਯਾ ਕਰੇ । ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ area ਨੂੰ develop ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ । ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ development ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੀਏ ।

[ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਘੰਟੀ ਵਜਾ ਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ]

[ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ]

ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਨਾਸਿਬ ਵਕਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਰੇਤਲੀ ਤੇ ਨਾਕਿਸ ਬਣਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਜੰਗਲਾਂ ਤੇ ਬੇਲੇ ਵਿਚ ਜਾਨਵਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਅਸਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ 75% ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 75% ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਂਭ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਅਵਸਥਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ ਆਬਾਦ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ tube wells ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਯਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਭਰਾ ਇਸ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਸਕਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਐਨਾ ਅਸਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ। ਦੂਜੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਉਥੇ means of transport ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਕੱਚੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਬਰਸਾਤ ਦਿਆਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਰੁੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਪੱਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਥੇ means of communication ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।

ਇਸ ਦੇ ਅਲਾਵਾ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਹਨ ਉਹ ਢੈ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ contribution ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲ ਉਥੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਦੇਣ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਔਰ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਕੇ ਦੇਣ; ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪੈਸਾ contribute ਕਰਨ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ educational ਤੇ industrial facilities ਦਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ standard ਉਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ 75 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਹਨ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ holdings ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ consolidate ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਤਾਂ ਆਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਬਾਦ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੱਬਾਬੰਦੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ

ਕਰਾਈ ਜਾਏ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੇ tube-wells scheme ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਨਹਿਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ । ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਹ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ level ਠੀਕ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ । ਜਿਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੀਵੀਂ ਹੈ ਉਥੇ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ; ਜਿਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉਚੀ ਹੈ ਉਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ । ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਅਜਨਾਲੇ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬਰਬਾਦ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰਕੇ landless ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਨਾਜ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕਮੀ ਹੈ, ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਈ ਜਾਏ, ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ।

ਇਸ ਦੇ ਅਲਾਵਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ Government ਜਾਂ Government-aided institutions ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ । ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ facilities ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਅਵਸਥਾ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ standard ਉਚਾ ਹੋ ਜਾਏ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ criminal tribe ਨਹੀਂ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਜਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਰੇਜ਼ੋਲੀਊਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਈਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੈਂ ਇਕ ਹੋਰ ਗਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਕਾਂਗੜਾ ਜ਼ਿਲਾ ਦੀ development ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ । ਮੇਰੇ ਕਾਂਗੜੇ ਦੇ ਵੀਰ ਇਹ impression ਨਾ ਲੈਣ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ development ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਾਂ । ਸਾਡੀ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੀ intention ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਜ਼ਿਲੇ ਨੂੰ develop ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9,000 ਏਕੜ ਦੇ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਸੈਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ 26 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ development ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਥੇ ਐਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਥੋੜੇ ਰਕਬੇ ਦੀ development ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜੋਗਿੰਦਰਨਗਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ । ਇਹ ਨਹਿਰ ਕਢਣ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਉਥੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਨਹਿਰ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਕੇਵਲ waste of labour and money ਹੋਵੇਗੀ । ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਐਨਾ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕਰ ਕੇ ਥੋੜੇ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਸੈਰਾਬ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ।

ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੂੰ suggestion ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਂਗੜਾ ਵਿਚ ਨਹਿਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ tube-wells ਲਗਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਰਕਬਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕੇ ।

प्रोफैसर मोता सिंह आनन्दपुरी (आदमपुर) : डिप्टी स्पीकर साहिब, यह Resolution जो आज पेश हुआ है बड़ा अहम Resolution है । Politically और administratively

[प्रोफ़ेसर मोता सिंह]

शिवालिक की पहाड़ियों का इलाका भी ज़िला कांगड़ा के mountainous area से मिलता जुलता है। कुल्लू से लेकर थाना आनन्दपुर तक का सारा इलाका backward है। हरियाना भी इस के साथ मिला दिया जाए तो State के backward इलाकों का नकशा complete हो जाता है।

ज़रूरी बात जो हमें देखनी चाहिये यह है कि यह इलाके backward क्यों हैं। बहुत सारा इलाका तो ऐसा है जहां feudal system को जान बूझ कर कायम रखा गया था ताकि वहां के लोग तरक्की न कर सकें। Revolutionary movement के दिनों में मैं कई महीनों तक कांगड़ा और होशियारपुर की पहाड़ियों में छुपा रहा था। इस लिये मैं वहां के लोगों के हालात को जानता हूं। Garrett ने अपनी किताब 'Adventures of Northern India' में लिखा है "यह इलाका पुराने वक्तों से feudal system की strong hold रहा है, जितने राजे यहां पर हैं, बाकी सारे हिंदुस्तान में नहीं हैं। अंग्रेज़ों ने अवाम को गुलाम बनाये रखने के लिये इन राजाओं के राज्य को कायम रखा।" अंग्रेज़ों की C. I. D. का बड़ा हिस्सा इन राजाओं के दरबारों में रहता था क्योंकि अंग्रेज़ चाहते थे कि इस area को हमेशा इसी तरह feudal lords के मातहत रखा जाए ताकि वे politically उठ ही न सकें।

अफसोस तो इस बात का है कि आज़ादी आने के बाद भी इस backward इलाके को उठाने के लिये कुछ नहीं किया गया अगरचे हर साल वायदे किये जाते रहे हैं। Resolutions पास होते हैं, तकरीरें हो जाती हैं, जवाब दिये जाते हैं, मगर अमल में होता कुछ नहीं है। अगर backward इलाकों के लोग आगे बढ़ना चाहते हैं तो उन्हें इस गवर्नमेंट के खिलाफ revolt करनी चाहिये वरना उन के लिये कुछ नहीं किया जायेगा। (*Cheers from Opposition Benches*). जैसा कि डा. प्रकाश कौर जी ने बताया है तहसील अजनाला का कुछ हिस्सा ऐसा है जहां पर हर साल इतने floods आते हैं कि लोगों को ज़मीन काश्त करना नसीब ही नहीं होता, वे भीख मांग कर गुज़ारा करते हैं। ज़िला होशियारपुर में भी तहसील ऊना और राजोरी का इलाका ऐसा इलाका है जहां के लोगों को ordinary amenities of life का पता तक नहीं। कोई means of communications नहीं, कोई सड़कें नहीं, electricity नहीं, पीने के पानी का कोई इंतज़ाम नहीं।

लोग चिल्लाते जायें, रोते जायें, यह गवर्नमैण्ट उन की बात कभी नहीं मानेगी, उन की तकलीफों को कभी दूर नहीं करेगी। Backward इलाके के लोगों को ऊपर उठाना इस की स्कीमों में शामिल ही नहीं।

मुझे हैरानी है कि backward classes के नाम पर इन्होंने जितना काम किया है scheduled castes के लिये ही किया है। अगर कोई हरिजन, ईसाई या मुसलमान हो गया है या हो जाता है तो उस को कोई मदद नहीं दी जाती।

Minister for Development : This is wrong.

प्रोफ़ेसर मोता सिंह आनन्दपुरी : मैं चैलेंज करता हूं कि यह बिलकुल ठीक है। जालन्धर में एक हरिजन ने census वालों को बताया कि उस का मज़हब 'ईसाई' है इस लिये

उसे कोई जगह नहीं मिलती। मैं पूछता हूं, 'यह Secular State है या Communal State है ?' (*Cheers from Opposition Benches*) दावा तो करते हैं Secular State का मगर हकीकत बिल्कुल इस के उलट है। हमें इस हकूमत को जरूर बदलना पड़ेगा। नहीं बदलोगे तो इन बीमारियों का इलाज नहीं हो सकेगा।

इस हकूमत की कार्यवाहियों को कल अगर वक्त मिला, तफसील के साथ बयान करूंगा और बताऊंगा कि कैसे यह realities को face नहीं कर रही। जितनी amendments आई हैं, अगर इन से दस गुना और आ जाएं तो भी यह गवर्नमेंण्ट मानने वाली नहीं। Honourable Members, यह आप की इज्जत का सवाल है। आज देश के अन्दर कितने लोग, जिन्हें ordinary amenities of life हासिल नहीं, चिल्ला रहे हैं, मगर उन की कोई बात तक नहीं सुनता क्योंकि वजीर साहिबान को यहां पर हर तरह की amenities हासिल हैं।

ਭਗਤ ਗੁਰਾਂਦਾਸ ਹੰਸ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ) : ਮਾਨਯੋਗ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ Resolution ਦੀ ਤਾਈਦ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਖਸ਼ੀ ਜੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਇਕ ਮੁਅਜ਼ਿਜ਼ ਸਾਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੌਰਮਿੰਟ backward areas ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਹ ਮਖਾਹ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਖਲੋ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਡੀ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ development ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਥੋੜਾ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕੇ ਨਹਿਰ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਲਿਆਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।

ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗੜੇ ਦਾ ਜ਼ਿਲਾ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੱਰਕੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਇਥੋਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬ ਰਹਿਣ। ਹੁਸ਼ਿਆਪੁਰ ਦਾ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸੂਆ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਕੰਢੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤਕ ਸਾਰਾ ਰਕਬਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਆਂ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਥੇ ਕਾਫ਼ੀ ਆਬਾਦੀ ਗ਼ਰੀਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ allot ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਢੁਕਦੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਜਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਜੰਗਲਾਤ ਉੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਝ ਅਛੀ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਚੋਆਂ ਅਤੇ ਖੱਡਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪੂਜਨੀਕ ਪੰਡਤ ਜਗਤ ਰਾਮ ਨੇ ਵੀ Development Minister ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਕੰਢੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਕਿਹਾ

[ਭਗਤ ਗੁਰਾਂਦਾਸ ਹੰਸ]

ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਲੋਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣਗੇ ਅਨਾਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਕੰਢੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ । ਕਈ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੇ ਹਨ । ਉਹ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਉਸ ਵਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗੜੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹਿ ਕੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਅਲਾਕੇ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਨੂਰਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ । ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਡਤ ਮੋਹਣ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸੁੱਧ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਰਹੇ ਹਨ । ਉਥੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਨ । ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਕੇ ਅਪਣਾ ਪੇਟ ਵੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਣ । ਕੰਢੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਬਗੱੜ ਘਾਹ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਗਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜਗਾਧਰੀ ਵਿਚ ਉਹ ਘਾਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਹੋਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ ਕਾਰਖਾਨਾ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਡੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ । ਮੈਂ Development Minister ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਥੇ tractors ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਗ਼ਰੀਬ ਹਰੀਜਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਅਪਣਾ ਪੇਟ ਪਾਲ ਸਕਣ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਕਿ ਉਹ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇ । ਮੈਂ ਆਸਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਲ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ ।

श्री राम कुमार बिधाट (भिवानी) : डिप्टी स्पीकर साहिब, मैं Resolution की ताईद करते हुए अपनी amendment की तरफ हाउस का ध्यान दिलाना चाहता हूं। मेरा इलाका पंजाब में सब से ज्यादा पिछड़ा हुआ इलाका है। उस की शहादत उन कहतों से मिलती है जो कि आये वर्ष पड़ते रहते हैं और जिस के कारण हजारों मवेशी चारा न मिलने के सबब मर जाते हैं। नतीजा यह होता है कि किसान बड़ी मुश्किल से गुजारा करता है। उस इलाका में तालीम और मुलाज़िमत का तो जिक्र ही क्या लोगों के लिये मौत और जिंदगी का सवाल हमेशा बना रहता है। मैं बड़े जोर से सरकार से अर्ज़ करना चाहता हूं कि वहां पर जल्दी से जल्दी नये tube-well लगा कर किसानों को पानी पहुंचाया जाए ताकि वे ज़मीनों में गल्ला पैदा करके रोटी का सवाल हल कर सकें। वहां पर पीने के पानी की

बहुत तकलीफ है । मवेशी जौहड़ों से पानी पीते हैं और मल मूत्र से उसे गन्दा करते हैं वही पानी बेचारे लोगों को पीना पड़ता है। उन के लिये पीने के पानी की व्यवस्था बहुत जल्द की जानी चाहिये ।

डिप्टी स्पीकर साहिब, इस से आगे में अर्ज करना चाहता हूं कि वह इलाका एक सहरा की तरह है जहां कि छकड़े गाड़ियां और मोटर तो एक तरफ पैदल चलने के लिये सड़कें और पगडंडियां भी नहीं हैं. communications के वसायल की निहायत कमी है। मुझे एक वाक्य याद आया है । एक बार डाकू इस इलाके के प्रसिद्ध आदमी को मुआवज़े के लिए उठा कर ले गये किन्तु आने जाने के साधनों और तार आदि की सुविधा न होने से लोग इस वारदात की रिपोर्ट थाना में तीन दिन तक न कर सके । वहां पर न कोई सड़क और न कोई पगडंडी है। डाक और तार का तो मामला ही साफ है। सरकार को चाहिये कि मुनासिब जगहों पर डाकखाने और तार घर कायम करे। लोगों की पाने के पानी की तकलीफ को जल्दी से जल्दी दूर किया जाना चाहिये ।

डिप्टी स्पीकर साहिब, इस से अगली बात में यह कहना चाहता हूं कि Bhakra और Nangal से जो बिजली पैदा की गई है या पैदा की जानी है वह सारे पंजाब को दी जाएगी लेकिन उस इलाके को बिजली से भी महरूम रखा जा रहा है लोहारू में बिजली नहीं दी जा रही है। मैं बड़े जोर से अर्ज़ करूंगा कि वहां पर लोगों को बिजली सप्लाई करके उनकी तक्लीफों को दूर किया जाए। Complete survey किया जाए कि कौन सी industry वहां पर कायम हो सकती है। ताकि cottage industry कायम करके लोगों के निर्वाह का वसीला बनाया जाए। और वे अपनी रोजी कमा सकें। अगर यही हालत रही तो मुझे डर है कि आने वाली नसलें हमारे बारे में क्या सोचेंगी। वे यह न कहें कि हमारे नुमाइंदे ऐसे थे या हमारी सरकार ही ऐसी थी कि जब दुनिया में atom बम बन रहे थे और science इतनी तरक्की कर चुकी थी तो वे यहां पर पीने के पानी की भी व्यवस्था न कर सके । इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि सरकार उन लोगों की तकलीफों की ओर ध्यान देगी और जल्दी से जल्दी उन को दूर करने का प्रयत्न करेगी।

ਵਿਕਾਸ ਮੰਤ੍ਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ): ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਏਸ resolution ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਬੜੇ ਗੌਹ ਨਾਲ ਸੁਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਾਂਗੜੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਾਕਈ ਐਸੀ ਹੈ। ਕਾਂਗੜੇ ਦਾ ਜ਼ਿਲਾ ਨਜ਼ਾਰੇ, ਸੈਰ ਅਤੇ ਸੀਨਰੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵਾਕਈ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਲਾਕਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਕ ਦਫਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦਰਜਨਾਂ ਦਫਾ ਇਸ ਕਾਂਗੜੇ ਜਿਲੇ ਵਿਚ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਉਪਰ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਨਾਲ ਝੁਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਵੇਖੋ

[ਵਿਕਾਸ ਮੰਤ੍ਰੀ]

ਹਨ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ । ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਪੜੇ ਮੈਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਖਾਸਕਰ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਊਨਾ ਮਿਲਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਰੈਣਗੜ੍ਹ ਮਿਲਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨੂਹ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ-ਝਿਰਕੇ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਮਿਲਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਪਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਲਾਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਕਈ ਮੈਂਬਰ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ। ਜੇ ਸਚ ਪੁਛੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਈ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ backward ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਢਾਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਲਈ backward ਹਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ backward ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦਸਣਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਾਂਗੜੇ ਵਿਚ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ । ਜੇ ਗੁੜਗਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ । ਜੇ ਝਜੱਰ ਵਿਚ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਹੋਰ ਅਰਥ ਹੈ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਚਮੁਚ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ backward ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਜਾਂਚਣ ਲਈ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਇਕ criterion ਹੈ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜ ਕੇ ਖਾਣ ਲਈ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਹ ਹੀ ਇਲਾਕਾ ਸਚਮੁਚ backward ਹੈ । ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਤੱਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ vitality ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹੈ ਅਮਲੀ backward ਇਲਾਕਾ । ਹਰੇ ਭਰੇ ਖੇਤਾਂ ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ backward ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ । Backward ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆਖਿਰ ਕੁਝ degrees ਹਨ । ਪੰਡਿਤ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਮੰਤ੍ਰੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ backward ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਲਾ ਚੇਹਰਾ ਹੋਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਲੇ ਕਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰੀਰ ਸੁਕੜਿਆ ਹੋਇਆਂ ਹੋਵੇ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਹੋਣ । Common sense ਦੇ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜ ਕੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਹੀ backward ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਕਾਲੇ ਜਾਂ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ per capita income ਪਿਆ ਵੇਖਦਾ ਫਿਰਾਂ । ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੇਖਦਾ ਫ਼ਿਰਾਂ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਕੀ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਜਾ ਚੁਕੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ । ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਰਗਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ

ਕਿ ਆਇਆ ਉਹ ਇਲਾਕਾ backward ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਮੂਨ strong ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਗੋਂ ਇਸ cause ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਂਦੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਭੁਖ ਨਾਲ ਝੁਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ backward ਕਹਾਂਗਾ । ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ backward ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ represent ਕਰਦੇ ਹਨ । ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗੜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਰਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ backward ਮੰਨਿਆ ਹੈ । ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗੜਾ ਦੇ 95% ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਰਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋਣਗੇ । ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਂਗੜੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ । ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਥੋਂ ਦੇ 95% ਲੈਂਡ ਔਨਰਜ਼ ਪੰਜ standard acres ਕੋਲੋਂ ਥਲੇ ਥਲੇ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਹਨ । ਜਿੱਥੇ 95% 5 standard acres ਤੋਂ ਥਲੇ own ਕਰਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਰਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ? ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਮੈਂ ਕਾਂਗੜੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਆਂ ਹਨ । ਨਾਰਾਇਨ-ਗੜ੍ਹ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ, ਊਨੇ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ, ਫੀਰੋਜ਼ਪੁਰ-ਝਿਰਕਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਓਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ backward ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਝਜੱਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸ category ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਝੱਜਰ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਉਥੇ ਨਹਿਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ development ਦੇ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਦੇ ਹੋਇਆਂ backward ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਝੱਜਰ ਨੂੰ ਵੀ backward ਸਮਝ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅਗੇ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਇਲਾਕਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ । (*interruptions*) ਰਿਵਾੜੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਵੀ backward ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਜਿਤਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗੜਾ, ਨੂਹ, ਊਨਾ ਜਾ ਫੀਰੋਜ਼ਪੁਰ ਝਿਰਕਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਥੋਂ ਦੇ ਭਰਾ ਅਜਿਹੇ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਖਰੀਆਂ ਵਖਰੀਆਂ fields ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪੱਰ ਦਸਿਆਂ ਪਿਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ backwardness ਨਾਪਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਸੌਟੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਭੁਖ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਰੋਟੀ ਦਾ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ communications । ਇਸ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਬੇਸ਼ਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਲਾਕੇ backward ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਇਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਪੰਜ ਜਗ੍ਹਾਂ ਦਾ claim ਜ਼ਿਆਦਾ strong ਨਹੀਂ ?

[ਵਿਕਾਸ ਮੰਤ੍ਰੀ]

ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਂਗੜਾ ਨਰਾਇਣਗੜ੍ਹ, ਊਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਝਿਰਕਾ ਅਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਤਵਜੁਹ ਦੇ ਮੁਸਤਹਿਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ backward ਹੈ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ backward ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਪਿੱਛੇ ਰਿਹਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਿਸਾਰ ਅਤੇ ਰੋਹਤਕ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ। ਕਿਨੇ development ਦੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਹਿਰਾਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੰਢਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ backward ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਇਥੇ waterlogging ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ backward ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਪਿਛੇ ਹਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ communications ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। (*Interruptions*) ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਜਿਹੇ ਆਦਮੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਸੂਬੇ ਤੇ ਹੁਕੂਮਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ backward ਕਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਕਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰੀਜਨ ਬਣ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈ ਲਵੀਏ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਪ੍ਰੋ० ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦਪੁਰੀ : ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ।

ਵਿਕਾਸ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਤੁਸੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ Scheduled Castes ਇਸਾਈਅਤ ਜਾਂ ਸਿਖੀ ਵਿਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ backward classes ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦਪੁਰੀ : ਮੈਂ challenge ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

ਵਿਕਾਸ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਤੁਸੀਂ ਅਗੇ ਵੀ challenge ਕਰਦੇ ਆਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ challenges ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਵੇਖ ਚੁਕੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇਹੀਆਂ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀਆਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦਪੁਰੀ: ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

ਵਿਕਾਸ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਰਡਰਜ਼ ਅਤੇ instructions ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਰਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ issue ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ privileges ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। Backward

classes ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ opportunities provide ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਗਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ।

ਮੈਂ ਇਹ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗੜੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ । ਕੁਲੂ, ਨੂਰਪੁਰ, ਪਾਲਮਪੁਰ, ਹਮੀਰਪੁਰ ਮਿਰਾਜ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ development ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਪਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਪਰ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ Community Projects Scheme ਅਤੇ National Extension ਹੇਠ 6 ਬਲਾਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ । ਇਕ Community Project ਅਤੇ 5 National Extension ਹੇਠ । ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਤੱਰਕੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ? ਕੀ ਇਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਕਾਂਗੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰ ਇਕ ਸਕੀਮ ਦੇ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਦੀ ਹੈ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਪੰਡਿਤ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਦਤ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਗੰਗੂਵਾਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦਤੀਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ । ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁਖ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸੱਜਨ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ point carry ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ point ਨੂੰ emphasise ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ ਪਰ emphasis ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ।

6. p. m.

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ emphasis ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਢੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮਿਤ੍ਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ exaggerated emphasis ਨਾ ਦਿਤਾ ਕਰਨ । Exaggerated emphasis ਦਾ ਅਸਰ ਕੋਈ ਵਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਮੇਰੇ ਮਿਤਰ ਸ੍ਰੀ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ M. L. Aship ਤੋਂ resign ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ । ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ । ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਾਂ ਵਲ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ

[ਵਿਕਾਸ ਮੰਤ੍ਰੀ]

ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਹਾਂ । ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਤੇ ਡੇਰਾ ਗੋਪੀਪੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁਲ ਬਨਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ । ਇਹ ਗਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਛਿਪੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਿਛੋ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਪੁਲ ਦੇ ਬਨਾਉਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਘਟੋ ਘਟ ਦੋ ਸਾਲ ਲਗ ਜਾਣਗੇ । ਅਕਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਨਾਉਣ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਈ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ । ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਦਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੁਲ ਜਦੋਂ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ੀਰ ਆਪ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਸ ਦੇ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਬੜੀ engineering skill ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਪੁਲ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਣ ਲਈ ਦਰਿਆ ਦੀ ਤਹਿ ਥਲੇ ਬੜੀਆਂ ਡੂੰਗੀਆਂ ਖੂਹੀਆਂ bore ਕਰਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ । ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੁਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ । ਪਕਾ ਪੁਲ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਸਾਡਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪੁਲ ਤੇ 30 ਲਖ ਰੁਪੈ ਦਾ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ । ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਜੇਕਰ ਇਹ ਗਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਬੂ ਦਿਆਲ ਜੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਰਾਹ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ੨ ਵੀ ਤਕਰੀਰ ਝਾੜ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ । ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਬੂ ਦਿਆਲ ਵਰਗੇ M. L. A. ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆਏ ਹਨ ਉਹ ਵੀ backward ਇਲਾਕਾ ਹੈ । (ਇਕ ਆਵਾਜ਼—ਤਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਚ ਛਡ ਕੇ Opposition ਵਲ ਆ ਗਏ ਹਨ ।) ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤਦ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ backward ਹੈ । (ਹਾਸਾ) ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ ਕਹਿ ਲੈਣ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ । ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਦਾ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ।

ਪੰਡਤ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸੋਨੀਪਤ ਤੋਂ return ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ election ਜਿਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਅਸਾਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ exploit ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਗਾਂਧੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਰਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਗਲੀ election ਲੜਨੀ ਹੈ ।

ਫੇਰ ਮੇਰੇ ਇਕ ਮਿਤਰ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿਤੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ Central Government ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੁਲ ਬਜਟ 22 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਦਾ ਹੈ । ਅਸਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਕਰਨੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਕਾਂਗੜੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ 6 Community Projects ਅਤੇ Extension Service Blocks ਦਿਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਗੁੜਗਾਂਵਾ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਰਿਵਾੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ Extension Service Block ਦਿਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗੜੇ ਤੇ ਗੁੜਗਾਵਾਂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ

ਪਰ ਅਸਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ develop ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹੇ ਹਾਂ । (ਇਕ ਆਵਾਜ਼ : ਸੋਨੀਪਤ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਵੀ backward ਹੈ) ਸੋਨੀਪਤ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ highly developed ਇਲਾਕਾ ਹੈ । ਇਹ ਤੇ Unionist ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ backward ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ cost ਉਤੇ ਇਸ ਦੀ development ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ । ਸਾਡੇ ਵਿਚ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਹੋ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਤੇ ਚਿੱਲਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਚਲਦੇ ਹਾਂ । ਇਹ ਉਸ ਥਾਂ ਲਈ ਬੜੇ ਕਾਹਲੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੇਜਲੀ ਫਫੇ ਕੁਟਨ ਵਾਲੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਗੁੜਗਾਵਾਂ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ blocks ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਿਵਾੜੀ, ਨੂਹ ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਬਲਾਕ ਹਨ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਨਵੇਂ ਬਲਾਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ backward ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੇ ਹਨ ।

ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੂਸ ਵਿਚ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਤਰੀਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗੜੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਪਰਾਰਥੀ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਰ ਸੀ ਉਹ ਕਾਂਗੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਦੁਖ ਭਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ । ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗੜੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦਿਲਾਇਆ ਹੈ । ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮਚੰਦਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਥੇ ਕਿ 25, 25 ਮੁਰਬਾ ਮੀਲ area ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਇਕ ਇਕ ਸਕੂਲ ਹੈ ਤੇ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਿਚ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ । ਪੰਜ ਪੰਜ ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਵਿਚ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਡੇਢ ਹਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤੋਂ ਘਟ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਤੋਂ ਵਧ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਉਥੇ ਵੀ population ਬੜੀ ਖਿੰਡਵੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਵਧ ਸਕੂਲ ਹੋਰ ਕੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦ ਉਥੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ ਉਨੇ ਹੀ ਉਥੇ ਸਕੂਲ ਹਨ । ਇਕ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ area ਵਿਚ ਇਕ ਸਕੂਲ ਹਾਲਾਂ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ । ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵਿਰਲੀ ਪੰਚਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਅਜਿਹੀ ਹੋਵੇ ਜਿਥੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਨਾ ਹੋਵੇ । ਉਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਾਂਗੇ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਥੇ ਕੁਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਕੂਲ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗੜੇ ਵਿਚ 72 middle schools ਹਨ, ਅਤੇ 651 primary schools ਹਨ । ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ੬੦ ਛੋਟੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ ਜਿਥੇ ਕਿ ਹਾਲਾਂ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਖੁਲ੍ਹੇ । ਅਸਾਂ ਉਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਖੋਲ੍ਹਾਂਗੇ । ਕੀ ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗੜਾ District Board ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 90 ਫੀ ਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ । ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਨ ਕੇ ਦੁਖ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂਹੋਂ ਇਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਂਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਾਂਗੜੇ ਲਈ ਇਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

[ਵਿਕਾਸ ਮੰਤ੍ਰੀ]

ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਸ਼ਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਫੇਰ ਬੁਟੇਲ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਮਪੁਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਲਮਪੁਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਇਹ Assembly elect ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਢਾਈ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲੇ ਗਏ ਹਨ। 1953-54 ਵਿਚ 134 Primary Schools ਨਵੇਂ ਖੁਲ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 1954-55 ਵਿਚ 184 ਸਕੂਲ। ਤੇ ਹਾਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਕੁ provision ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਬਜਟ ਦੇ ਇਥੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦਸ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੈਂ ਦਸ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਗੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। Resolution ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਲ ਨਜ਼ਰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਰਸੇ ਵਿਚ ਉਥੋਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗੜਾ backward ਨਹੀਂ। ਇਹ backward ਹੈ ਮਗਰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਮਦਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜੇਕਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘਟੋ ਘਟ ਦੂਜਿਆਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਾਂ ਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਤਾਂ ਨਕਲੀਏ ਦੇ ਢੰਗ ਵਿਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਰਾ ਕਸੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਚੁਣੇ ਕਿਵੇਂ ਗਏ। ਨਕਲੀਏ ਦੇ ਢੰਗ ਵਿਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਖਾਂ ਵਿਚ ਧੂੜ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਡੁਬ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਡੁਬ ਗਏ ਪਸ਼ੂ ? ਪੁਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਚਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਗ੍ਹਾ ੨ ਤੇ ਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਚਕੇ ਵਜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਤਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਨਾ ਮੰਨੋ ਮਗਰ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਰੂਸ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਥੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੇ ਤੇ quote ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਮਗਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਡੰਡੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਲੋਕ ਚੁਪ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮਗਰ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਥੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਵੀ ਵੇਖੋ ਨਿੰਦਿਆ ਹੀ ਨਿੰਦਿਆ ਪਲੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਜੋ ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਇਹ ਮਾਹਰ ਰੂਸੀ propagandist ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਭੁਲ ਕੇ ਵੀ ਕਦੇ ਦੁਸ਼ਮਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। (ਹਾਸਾ) ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ (ਹਾਸਾ)। ਸੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੀ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ ਹਾਲੇ ਕਦੇ ਰੂਸ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਜੇਕਰ ਕਦੇ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਗਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਰੂਸ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੋਣੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ੨ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ (ਹਾਸਾ)।

ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਂਗੜੇ ਵਿਚ Education ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ $2\frac{1}{2}$ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੁਝ figures ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ—

30 ਨਵੰਬਰ, 1949, ਨੂੰ ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ 47 ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ 2, ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ 46, ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ 4, ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ (ਵਰਨੈਕੂਲਰ) ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ 3 ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ 9, ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ 3 ਤਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ 4, ਲੋਅਰ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ 10 ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ 651 । ਮੈਂ ਇਹ figures ਇਸ ਲਈ ਦਸੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ criticise ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਗਲਾਂ ਦੀ ਦਾਦ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ । ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਇਨਾਂ figures ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਇਹ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਬਾਰੇ figures ਸਨ ਜੋ ਕਾਂਗੜੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ $2\frac{1}{2}$ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਤੇ ਜੋ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ।

ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਮੈਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਮਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ 2 ਖੱਡਾਂ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਸਮਝਣਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਵਡੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਜੋ ਦੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ resources ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਪਿਛਲੇ $2\frac{1}{2}$ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ $4\frac{1}{4}$ ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਕਾਂਗੜੇ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜੋ ਖਰਚ ਬਜਟ ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ Finance Minister ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ । ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਾੜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਹੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਘਟੋ ਘਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਤੋਂ ਤਾਂ ਛੁੜਾ ਦੇਵੀਏ । ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ Local Bodies ਨੂੰ ਮਦਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ । ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗੜੇ ਵਿਚ 95 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟੇ Land owners ਹਨ ਜੋ ਮਾਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਲੀਆ ਮੁੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦੇਈਏ । ਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਣਕ ਸੁਕ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਈਏ । ਇਕ ਸੱਜਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੰਗਲ ਤੋਂ 12 ਲਖ ਰੁਪੈ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 92 ਲਖ ਮੋੜ ਕੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗੜੇ ਤੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲਕੜੀ ਲਈ ਰਿਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗੜੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ।

ਫਿਰ ਦੁਧ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ । ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਥੇ ਗਊਆਂ ਮੇਦਾਨ ਦੀਆਂ ਬਕਰੀਆਂ ਜਿੱਡੀਆਂ ੨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਦੁਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ

[ਵਿਕਾਸ ਮੰਤ੍ਰੀ]

ਸਿਹਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ । ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਦ ਕਰੀਏ । ਜੇਕਰ ਰਾਜਪੂਤ ਜਾਂ ਗੁੱਜਰ ਲੋਕ ਜੋ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਦੇ ਹਨ ਜ਼ਰਾ ਬਲੇ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਪੰਡੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜੋ ਇਕ ਸੱਜਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਜਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਾਵਾਂਗੇ । Pasteurised milk ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਭੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਕਰਾਂਗਾ। Central Government ਪਾਸੋਂ ਮਦਦ ਲੈਕੇ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ । ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਵਾਂਗ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਕਾਂਦੇ ਨਹੀਂ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਸਲਤ ਤਾਂ ਨੂਟੇਂ ਤੇ ਸਪ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।

ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ । ਠੀਕ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੌਲੀ ੨ ਜ਼ਰਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ ਕਾਂਗੜਾ ਬਹਿਸ਼ਤ ਬਣੇਗਾ । ਇਹ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਇਹੀ ਭੁਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਬਹਿਸ਼ਤ ਬਣੇਗਾ । ਇਹ ਹਰਿਆਨਾ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਾਂ ਖਿਚਦੇ ਹਨ; ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਟਾਂਕਦੇ ਨੇ । ਹਰਿਆਨਾ ਕੋਈ backward ਨਹੀਂ । ਕੀ ਚੌਧਰੀ ਸਿਰੀ ਚੰਦ ਜੀ backward ਨੇ ? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਪਿਛੇ ਖਿਚਦੇ ਹਨ...... ।

ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਐਨੀ ਹੀ ਸਹੀ । ਜੇ ਭਲਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਕਾਂਗੜੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਨਾ ਨਹੀਂ ਟਾਂਕਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ । ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰੇਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਾਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗੜੇ ਜ਼ਿਲੇ ਨੂੰ ਉਚਿਆਂ ਕਰੀਏ । ਅਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਕਤ ਇਸ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗੜੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਨਾਜ ਕਾਂਗੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ । (ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ) ਅਸੀਂ ਚੁਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ।

ਫਿਰ ਬਖਸ਼ੀ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਾਏ । ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਬਹੁਤ ਹੈ । ਡਬੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਕੀ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ । ਮੇਰੇ ਕਾਂਗੜੇ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਰਖਾਨੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜੇਹੇ ਮਾਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ । ਦੋ ਸੌ ਜਾਂ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਿਬਲ ਦੇ ਰੁਖਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰਖਾਨੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ । ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਚਲ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਲ ਨਾਲ ਹੱਥ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਭਾਂਵੇ ਚਲ ਸਕੇ, ਜਗਾਧਰੀ ਵਰਗੀ ਪੇਪਰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕਦੀ । ਨੂਰਪੁਰ ਦਾ ਘਾਹ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਰਖਾਨਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ । ਅਸੀਂ ਜਗਾਧਰੀ ਦੀ ਪੇਪਰ ਮਿਲ ਦੀਆਂ ਘਾਹ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤਾਂ ਭੂਪਾਲ ਆਦ ਤੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨੂਰਪੁਰ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ । ਆਪਣੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਚੀਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਖਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸ਼ਕਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ pulp industry ਸ਼ਾਇਦ

ਤੁਰ ਪਏ ਤਾਂ ਤੁਰ ਹੀ ਪਏ । ਮੈਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇਸ industry ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਆਸ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਾਹਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਕਿ wood pulp ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਾਂਗੜੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਾਂਗੜੇ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਫਿਰ ਕੇ ਇਥੋਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੀ ਹੈ । ਮੈਂ outer ਸੀਰਾਜ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਰਾਜਾ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਲਕੜਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਥੋਂ ਲਿਜਾਣਾ uneconomical ਹੈ । ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ wood pulp compress ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਹੋਰ items ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ । ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹੀ $4\frac{1}{4}$ ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਜੋ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਰੁਪਿਆ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਦਸ ਸਕਦਾ ਪਰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਨਵੇਂ ਪੰਜ-ਸਾਲਾ ਪਲਾਨ ਨਾਲ ਝਝਰ ਦੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਕਾਇਤ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਝਝਰ, ਕੰਡੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਔਕੜ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇ ਪੰਜ-ਸਾਲਾਂ ਪਲਾਨ ਵਿਚ ਇਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉਪਰ ਰਕਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕਈ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਅਬੋਹਰ, ਗੁੜਗਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲ ਗਏ ਹਾਂ । ਪਰ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁਲੇ । ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਤਰਕੀ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ education ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਉਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਫਿਰ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਥੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਥੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁਗਨਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਹੋ ਜਾਏ । ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇੰਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ ਨੇ ਜਿਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਗਿਆਂ ਸੌ ਸਾਲ ਲਾਏ ਸਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਗਿਆਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ $2\frac{1}{2}$ ਸਾਲ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ । ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ Opposition ਜੋ ਕਰਨੀ ਹੈ । ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਜਗਾਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ।

[ਵਿਕਾਸ ਮੰਤ੍ਰੀ]
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਤੇ ਐਨੇ ਚੰਗੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ Opposition ਨੂੰ ਵਧ ਥਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਥਾਂ ਲੈਣੀ ਮੇਰੇ ਵਸ ਦੀ ਗਲ ਨਹੀਂ ।

ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ $2\frac{1}{2}$ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ । ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ backward ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰੀਏ । ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਖਾਸੀ ਮਦਦ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਲ ਤੇ ਸਪਿਟੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਲ ਵੇਖੋ । ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਚ ਨਵੀਂ variety ਦੀ ਕਣਕ ਬੀਜ਼ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਅਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਨਮੂਨਾ ਹੋਵੇ ਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇ ਗੀ ।

ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੁਲੂ ਵਲ attention ਨਹੀਂ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਲੂ ਅਖਾਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਦਿਸਣ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ neglect ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਜਾਂ Feudalist ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ neglect ਕੀਤਾ । ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ । ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਗ ਅਰੋਗ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚੈਨ ਕਿੰਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਸਿਰ ਪੀੜ ਹੈ, ਲੱਕ ਦਰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਅਰੋਗ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਕੁਲੂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹਿਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ।

ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਫਿਰਕੂਪੁਣੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ । ਮੁਖਾਲਫ ਜੋ ਮਰਜੀ ਕਹਿਣ । ਜੋ ਉਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਗਲਿਆਂ ਦਾਲ ਪਿਸਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚੌਰਨ ਪਛਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (interruptions) । ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੂਹਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਕੂਹਲਾਂ ਹਨ । ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਕ ਕਾਂਗੜੇ ਵਿਚ ਕੂਹਲਾਂ ਤੇ 12 ਲਖ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁਕੇ ਹਨ । ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਮੈਂ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਦਸਣ ਲਗਾ ਪਰ ਇੰਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖਾਸੀ ਰਕਮ ਰਖੀ ਗਈ ਹੈ ।

ਕਾਂਗੜੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਗੋਰਮੈਂਟ service ਵਿਚ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ । Professor Sher Singh ਨੇ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਿਸ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ instructions ਭੇਜੋ ਕਿ ਉਹ ਦਾਖਲੇ ਵਿਚ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ । ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਪਿਛੋਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ । ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਲਗਿਆਂ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਿਚ ਲਾਏ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ । ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ । ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਾਸ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ । ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿਚ ਹਨ । ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ

ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਇੰਜੀਨਿਰਗ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏ ਪਰ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਦਮੀ ਦੇ character ਦੀ ਕਦਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਨਹੀਂ । (ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ) ਉਹ ਸਮਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ । ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹਲ ਸੋਚ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂ ਗੇ । ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ । ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਖਾਹਸ਼ ਰਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿਛੜੇ ਇਲਾਕੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ।

6.30 p.m.

(The Minister for Development was still on his legs.)

The Assembly then adjourned till 2 p. m., on Friday, the 4th March, 1955.

2400 PVS—284—28-1-58—CP. and S., Pb. Chandigarh

Punjab Vidhan Sabha Debates

4th March, 1955.

VOL. I—No. 3

OFFICIAL REPORT

CONTENTS.

Friday, 4th March, 1955.

CHANDIGARH:
Printed by the Controller of Printing and Stationery, Punjab
1957.

Price :

ERRATA

PUNJAB VIDHAN SABHA DEBATE, VOL. I, No. 3, DATED 4TH MARCH, 1955.

Read	*For*	*On page*	*Line*
को after	sufferer	(3)28	17
दी	ी	(3)48	18
रक्षा	र वा	(3)78	10
Representative	Represenative	(3)80	15
ਫਲਾਂ	ਫਲਾਨ	(3)81	5
Administration	Administartion	(3)81	16
Add Companies after the word "transport"		(3)81	23
ਜੋ	ˉ	(3)89	13
Act	Pact	(3)90	17
ਉਨ੍ਹਾਂ	ਉਠ੍ਹਾਂ	(3)94	32
कहते	कहत	(3)97	26
ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ	ਮੁਬਾਬਕਾਦ	(3)99	18
ਇਸ	ਇਸ	(3)106	1
ਬਾਟ	ਗਾਟ	(3)106	32
वसीह	वसीय	(3)112	10
Add Sr. No. 6.	before the word "unrest."	(3)123	..

PUNJAB VIDHAN SABHA

Friday, 4th March, 1955.

The Vidhan Sabha met in the Assembly Hall, Sector 10, Chandigarh Capital at 2 p.m. of the Clock. Mr. Speaker (Sardar Gurdial Singh Dhillon) in the Chair.

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

SUSPENSION OF DEPUTY TRANSPORT CONTROLLER (COMMERCIAL)

***4321. Shri Dev Raj Sethi :** Will the Minister for Education (Transport) be pleased to state—

(a) the date of suspension of the Deputy Transport Controller (Commercial) and the date of his reinstatement respectively ;

(b) the charges framed against the said Deputy Transport Controller together with the name of the officer appointed to conduct an enquiry against him and his findings ;

(c) the total expenditure incurred by the Government on the payment of salary for the period of suspension, legal charges and other incidental matters in connection with the suspension referred to in part (a) above ?

Shri Jagat Narain : (a) (i) Afternoon of the 15th April, 1953.

(ii) Forenoon of the 22nd November, 1954.

(b) (i) The required information is given below.

(ii) Shri A. L. Fletcher, I. C. S.

(iii) It is not in public interest to disclose the report containing his findings.

(c) Rs 10,583-6-0

CHARGE SHEET

Shri Sita Ram, Deputy Transport Controller (Commercial), Punjab, was charged that he, while posted as Refugee Transport Adviser/Under-Secretary to Government, Punjab, Refugee Transport Department, in 1947-48 :—

(1) proposed and recommended at Jullundur on or about the 1st May, 1948, the sale of, and finally made over at Delhi in July, 1948, for Rs 1,400, a Triumph Car requisitioned and placed at his disposal in new condition in December, 1947, by the District Magistrate Jullundur to Shri Mahesh Dutta of the Ministry of Agriculture and with a view to secure pecuniary advantage to the said Shri Mahesh Dutta in the abuse of his (Shri Sita Ram's) official position :—

(i) put the price of this new car at Rs. 6,200 whereas its correct price was Rs 13,000—14,000

[Minister for Education]

(ii) incorrectly showed shortages in this car to the tune of Rs. 1,700; and

(iii) reported this car to be 45 Model when in fact it was 1947 Model and had been made over to him when it was in-transit to importer.

(2) drove or caused to be driven from the 6th April, 1948 to the 20th July, 1948 on public roads in or about Jullundur an unregistered car by displaying on it a bogus registration number-plate (UPS 1868 or UPR 1868) in violation of the provisions of section 22 of the Indian Motor Vehicles Act of 1939.

(3) abused his powers to his pecuniary benefit by transferring his private car PBL 2837 to the Government record by bringing it on the Log Book of Government Vehicles and drew on its account 73 gallons of petrol from the Government Depot and plied without maintaining its duty slips in defiance of the order of the Secretary to Government, East Punjab, Transport Department, dated the 21st November, 1947.

(4) ordered the issue of Government petrol to vehicles which did not exist or at any rate were not with him.

श्री देवराज सेठी : क्या मंत्री महोदय कृपा करके बताएंगे कि पहले उन पर इल्ज़ामात लगाए गए, फिर तहकीकात की गई तो इस सिलसिले में जो findings हैं वह क्या हैं ? पहले उन को suspend किया गया, बाद में बरी किया गया इस की क्या वजूहात थीं ?

मंत्री : यह बात बताना public interest में नहीं है ।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या मंत्री महोदय कृपा करके बताएंगे कि यह enquiry किस officer ने की थी ?

मंत्री : Enquiry श्री ए० ऐल० फ्लैचर, आई० सी० ऐस०, ने की थी ।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या उस अफसर को partially कसूरवार ठहराया गया है या बिल्कुल ही बेकसूर ? कुछ तो बताने की कृपा करें ।

मंत्री : मैं ने जवाब दे दिया है कि यह public interest में नहीं है ।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या मैं जान सकता हूँ कि यह बात किस पहलू से public interest में नहीं है ? इस का गवर्नमेंण्ट पर बुरा असर पड़ेगा, officials पर या लोगों पर unhealthy असर पड़ेगा ?

मंत्री : कुछ नहीं बताया जा सकता । आप न पूछें तो अच्छा है ।

KATCHA ROADS CONSTRUCTED BY DISTRICT BOARD, KANGRA

*4458. **Bakshi Partap Singh** : Will the Minister for Public Works be pleased to state—

(a) the names, tehsil-wise of the katcha roads constructed by the District Board, Kangra, during the last two years ;

(b) whether public vehicles are plying on the roads referred to in part (a) above; if so, the names of such roads, if not, the reasons therefor ?

Sardar Gurbachan Singh Bajwa : (a) and (b) The requisite information is being collected and will be supplied to the Member as soon as ready.

LANDS ACQUIRED FOR BHIWANI-LOHARU ROAD

*4434. **Shri Ram Kumar Bidhat** : Will the Minister for Public Works be pleased to state—

(a) whether any compensation has been paid to the owners of lands which now form parts of the Bhiwani-Loharu Road ; if not, the reasons therefor;

(b) the procedure adopted in acquiring lands referred to in part (a) above;

(c) whether the Government took possession of the trees standing on the lands referred to in part (a) above;

(d) whether land revenue in respect of the said lands is still being realised; if so, the reason therefor;

Sardar Gurbachan Singh Bajwa ;

(a) No. The Land Acquisition proceedings are being completed and thereafter compensation will be paid.

(b) The procedure under the Land Acquisition Act, 1894, is being adopted for acquisition of land for the road.

(c) Yes.

(d) Any land revenue, if at all paid, shall be reimbursed to the owners in the shape of compensation of land.

श्री धर्म वीर वासिष्ठ : क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि यह बात उन के नोटिस में है कि कुछ लोग अभी तक land revenue अदा कर रहे हैं ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੇਰੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਈ । ਜਦੋਂ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ।

PAYMENT OF BILLS OF THE BHIWANI-LOHARU CO-OPERATIVE SOCIETY

*4435. **Shri Ram Kumar Bidhat :** Will the Minister for Public Works be pleased to state whether he has received any complaint from the Bhiwani-Loharu Co-operative Society regarding the delay in the payment of their bills for the earth work done by them on the Bhiwani-Loharu Roads; if so, the reasons therefor and the action taken threon?

Sardar Gurbachan Singh Bajwa : Yes; a telegram was received from Shri Ram Kumar Bidhat regarding non-payment of bills of the Bhiwani-Loharu Co-operative Society. On enquiry it has transpired that there had been no delay in the payment to the Society and all the dues and claims of the Society have since been finally settled.

श्री राम कुमार बिधाट : क्या यह बात वज़ीर साहिब के इल्म में नहीं है कि उन को यह आम शिकायत है कि bills की payment हमेशा ही देर से की जाती है ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕੰਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ।

BHIWANI-LOHARU ROAD

***4436. Shri Ram Kumar Bidhat :** Will the Minister for Public Works be pleased to state—

(a) the length of the Bhiwani-Loharu Road which, since construction of the road started, has been completed so far;

(b) whether Government intends to start construction of the said road from the other end, namely, Loharu, as well in order to expedite its completion?

Sardar Gurbachan Singh Bajwa : (a) Soling coat has been completed in a length of 8 miles and wearing coat in 6 miles.

(b) The construction work is also intended to be started from Loharu and after completing the construction of first 9 miles of this road, in which collection has been nearly completed.

श्री धर्म वीर वासिष्ठ : क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि उन के पास कोई ऐसा representation आया है कि सड़क दूसरी तरफ अर्थात् लोहारू से बनाई जाए ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰਫੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।

BUDGET PROPOSALS OF RUPAR MUNICIPAL COMMITTEE

***4316. Sardar Hari Singh :** Will the Minister for Public Works be pleased to state whether any petition from Pandit Ganga Ram Sharma regarding the Budget proposals of the Rupar Municipal Committee for the year 1954-55 was received by the Government in March, 1954; if so, the action, if any, taken by the Government in the matter?

Sardar Gurbachan Singh Bajwa : Yes. The matter is under the consideration of Government, in consultation with the Deputy Commissioner. Ambala.

PAY OF STAFF IN SECOND CLASS MUNICIPALITIES

***4317. Sardar Hari Singh :** Will the Minister for Public Works be pleased to state—

(a) whether any percentage of income is fixed for the pay of the staff in second class municipalities in the State; if so, what;

(b) whether the percentage mentioned in part (a) above has been changed during the period 1935 to 1954; if so, when and to what extent;

(c) if the answer to part (a) above be in the negative, whether the Government proposes to fix such percentage;

(d) if he will lay a statement showing the average income and expenditure on staff in second class municipalities in the Ambala Division during the period 1st April, 1940 to 31st March, 1954; if so, the statement be laid?

Sardar Gurbachan Singh Bajwa : (a) No.

(b) Does not arise.

(c) No such proposal is under the consideration of Government. The Government had, however, issued instructions in 1933 that the expenditure on establishment should not be unduly high considering the income.

(c) Information is being collected and the required statement will be supplied to the Member as soon as ready.

EXPENSES ON ACCOUNT OF PAY OF STAFF OF RUPAR MUNICIPALITY

***4318. Sardar Hari Singh** : Will the Minister for Public works be pleased to state—

(a) whether he is aware of the fact that expenses on account of pay of staff of the Rupar Municipality are increasing since 1944-45; if so, the action, if any, Government proposes to take in the matter;

(b) the average annual income of the said Municipal Committee during each financial year from 1941 to 1954 giving the ratio of its expenses incurred on pay of staff for each year to its income ?

Sardar Gurbachan Singh Bajwa : (a) Yes. It is due to increase in the pay of teaching staff and class IV municipal servants, increase in the rate of dearness allowance from time to time and entertainment of the new staff on account of the opening of a number of new public institutions. No proposal for the reduction of expenditure on establishment is under the consideration of Government.

(b) A statement is given below.

	Year	Average annual Income	Expenses on pay of staff	Ratio of expenses
		Rs	Rs	Per cent
1.	1941-42 ..	39,998	18,911	47.4
2.	1942-43 ..	41,783	19,953	47.8
3.	1943-44 ..	52,052	23,627	45.4
4.	1944-45 ..	77,011	28,209	36.6
5.	1945-46 ..	70,809	35,015	49.5
6.	1946-47 ..	89,450	39,063	43.6

[Minister for Public Works]

	Year		Average annual income	Expenses on pay of star	Ratio of expenses
7.	1947-48	..	1,17,563	58,472	49.7
8.	1948-49	..	1,56,907	82,585	52.6
9.	1949-50	..	2,54,974	82,652	40.3
10.	1950-51	..	2,80,392	92,703	33.0
11.	1951-52	..	1,75,488	98,896	55.2
12.	1952-53	..	1,94,275	97,698	50.1
13.	1953-54	..	1,93,275	1,09,880	56.8

DISPUTE BETWEEN WORKERS AND MANAGEMENT OF O. C. M., (INDIA) LIMITED, CHHEHARTA

***3974. Sardar Achhar Singh Chhina** : Will the Minister for Labour be pleased to state—

(a) whether it is a fact that a dispute between the workers and management of Oriental Carpet Manufacturers (India) Limited, G.T. Road, Chheharta was referred by the Punjab Government to the Second Industrial Tribunal, Punjab, Amritsar, in March, 1954; if so, the issues of the dispute referred to;

(b) whether the case referred to in part (a) above was withdrawn by the Government in August, 1954; if so, the stage at which the case was withdrawn and the reasons for withdrawal ?

Chaudhri Sundar Singh:

(a) Yes. The issues referred to the Tribunal were as under :—

(1) bonus for the year 1952 should be paid to the workers.

(2) Oriental Carpet Manufacturers Mazdoor Union should be recognised by the Management.

(b) Yes. As the conciliation proceedings held before referring the dispute to the Tribunal were found to be legally defective, the case was withdrawn. After record of evidence of the parties, arguments had to be heard, when the case was withdrawn.

REPRESENTATION FROM SECRETARY, O. C. M. MAZDOOR UNION, (REGISTERED)

***3975. Sardar Achhar Singh Chhina**: Will the Minister for Labour be pleased to state whether any representation regarding the Union and bonus to workers has been received by the Government from the Secretary, O. C. M. Mazdoor Union (Registered); if so, the action, if any, taken by the Government thereon ?

Chaudhri Sundar Singh : Yes. It was examined but no action on it was considered necessary by Government.

CLOSING DOWN OF OIL MILLS IN GURGAON DISTRICT

***3389. Sardar Chanan Singh Dhut:** Will the Minister for Labour be pleased to state—

(a) the total number of workers rendered unemployed as a result of the closure of some oil mills in Gurgaon District during the current year;

(b) whether any complaint has been received by the Government to the effect that edible oils have been exempted from the levy of Sales Tax while levy has been imposed on oilseeds; if so, the action, if any, taken thereon ?

Chaudhri Sundar Singh: (a) Information is being collected.

(b) Yes. Government has since amended item 57 of the Schedule of Exemptions appended to the East Punjab General Sales Tax Act, 1948, and the cause of complaint made by edible oil dealers has been removed.

DEVELOPMENT SCHEMES IN THE STATE

***4555. Shri Teg Ram:** Will the Minister for Development be pleased to state—

(a) the total expenditure proposed to be incurred on development purposes in each district of the State under the 1st Five-Year Plan;

(b) the total expenditure already incurred on these development works in each district of the State;

(c) the total expenditure proposed to be incurred in each district of the State on development schemes under the 2nd Five-Year Plan?

Shri Bhim Sen Sachar: (a) The First Five-Year Plan of this State was not conceived on a district basis and has not been split up into district Plans. It is, therefore, not possible to give a district-wise breakup of the total expenditure proposed to be incurred on development purposes. A sum of Rs. 27. 27 crores is, however, proposed to be incurred in this State on development schemes under the First Five-Year Plan, as the Punjab State Plan, which excludes schemes sponsored by the Central Covernment.

(b) In view of (a) above, a district-wise split up of expenditure is not possible. The total expenditure up to March, 1955, for the whole State under the First Five-Year Plan, will be Rs. 1817.31 lakhs.

(c) The Second Five-Year Plan, which will be at least partially framed on a district basis, is yet in the process of formation. It is, therefore, not possible at present, to give the total expenditure proposed to be incurred in each district of the State on development under the Second Plan.

DISPUTE BETWEEN MANAGEMENT AND WORKERS OF NEW SUTLAJ TRANSPORT COMPANY

*4366. **Shrimati Sita Devi** : Will the Minister for Labour be pleased to state the date on which the case relating to the dispute between the management and workers of the New Sutlaj Transport Company was referred to the Industrial Tribunal?

Chaudhri Sundar Singh: Two references were made to the Second Industrial Tribunal, Punjab, Amritsar, in the above-noted dispute, the dates of which are as under:—

1. First reference .. 30th June, 1954.
2. Second reference .. 6th September, 1954.

श्रीमती सीता देवी : क्या मनिस्टर साहिब बताएंगे कि सतलुज ट्रांसपोर्ट कम्पनी के झगड़े का समझौता कराने के लिए Labour Officer वहां किस तारीख को गए और उन्होंने किस तारीख को यह मामला Labour Commissioner को refer किया ?

Mr. Speaker : मनिस्टर साहिब ने आप के सवाल का सीधा जवाब दे दिया है। अब यह सवाल कैसे पैदा होता है ? (The Minister has given a straight reply to the question asked by the hon. lady Member. Now how does this question arise ?)

श्रीमती सीता देवी : इसको छोड़िए। क्या मनिस्टर साहिब को यह पता है कि 29 मई, 1954 को वहां पर Labour Officer समझौता कराने के लिए गए और उस के बाद 2 जुलाई, 1954 को case refer हुआ और वह भी ठीक नहीं हुआ ?

Mr. Speaker : How does this question also arise ?

श्रीमती सीता देवी : क्या मनिस्टर साहिब यह बताने की कृपा करेंगे कि 2 जुलाई, 1954 को जो मामला refer हुआ था आया वह डिपार्टमेंट की तरफ़ से ठीक refer हुआ या नहीं ?

मंत्री : मैं आप को बताता हूँ....

Mr. Speaker : यह सवाल ही कैसे पैदा होता है ? आप सवाल पूछने को उतावले हैं और मनिस्टर साहिब जवाब देने को। कोई दूसरा सवाल करें जो इस सवाल से पैदा होता हो। (How does this question arise ? The hon. lady Member is anxious to ask questions and the hon. Minister is equally eager to make a reply. She may ask only such question as arises out of the main question.)

श्रीमती सीता देवी : स्पीकर साहिब, यह सीधा सा सवाल है और मनिस्टर साहिब इस का जवाब देने के लिए तैयार हैं। आप मेहरबानी करके उन्हें जवाब देने की इजाज़त दें।

Mr. Speaker : No. This is not a clear cut question.

श्रीमती सीता देवी : क्या मनिस्टर साहिब की knowledge में यह बात है कि पहली दफ़ा यह मामला ठीक तौर पर refer नहीं हुआ था ?

मंत्री : जी हां । पहली दफ़ा Department की गलती से यह मामला ठीक refer नहीं हुआ था । इस लिए दूसरी दफ़ा refer हुआ । पहली दफ़ा दफ़तर की गलती से तमाम demands नहीं गईं । इसलिए दूसरी दफ़ा refer किया गया ।

श्रीमती सीता देवी : मनिस्टर साहिब ने बताया है कि Department की गलती से पहली दफ़ा सारी demands refer नहीं की गईं । क्या कृपा करके वह बताएंगे कि इस गलती के लिए अफसरान या Department के खिलाफ़ कोई action लिया गया या नहीं ?

मंत्री : जी हां ।

Mr. Speaker : मुझे समझ नहीं आती कि यह सवाल कैसे arise होते हैं । आप तो खाह-मखाह आपस में उलझे हुए हैं (हँसी) । (I fail to understand as to how these questions arise. The Minister and the lady Member are unnecessarily getting impatient.) (Laughter)

पण्डित श्री राम शर्मा : क्या मंत्री जी बताएंगे कि उन के महकमा की क्या गलती थी ?

Mr. Speaker : यह सवाल पैदा नहीं होता । (This question does not arise.

पण्डित श्री राम शर्मा : जनाब उन्होंने बताया है कि पहली दफ़ा हमारे महकमा की गलती थी । चूंकि इन्होंने खुद एक सवाल का जवाब देते हुए यह commit किया है कि इनके महकमा की गलती थी, सो मैं जानना चाहता हूँ कि वह क्या गलती थी ?

Mr. Speaker : उन का सवाल भी irrelevant था और इन का जवाब भी irrelevant । (Both the question put by the hon. Member and the reply made there to by the Minister, were irrelevant.)

पण्डित श्री राम शर्मा : On a point of Order, Sir. जब इन्होंने floor of the House पर यह कहा कि इन के महकमे की गलती थी तो....

Mr. Speaker : जब मेरे बार बार कहने के बावजूद कि यह सवाल पैदा नहीं होता, इन्होंने सवाल पूछा तो इसका हाऊस में नोटिस नहीं लिया जाएगा । (Since dispite my repeated ruling that the question did not arise, she asked that question, it would not be taken notice of in the House.)

पण्डित श्री राम शर्मा : तो क्या मैं यह समझूं कि इसे रिकार्ड से निकाल दिया जाएगा ?

Mr. Sbeaker : आप यह खा-मखाह कह रहे हैं । गलती का कोई मसला ही नहीं था । (The hon. Member is unnecessarily presuming that. There was no question of making any mistake.)

पण्डित श्री राम शर्मा : तो क्या मैं यह समझूं कि महकमा के साथ मनिस्टर की भी गलती थी ?

Mr Speaker : Next question please.

INDUSTRIAL DISPUTE TRIBUNALS.

*4367. **Shrimati Sita Devi** : Will the Minister for Labour be pleased to state the number of Industrial Dispute Tribunals at present functioning in the State?

Chaudhri Sundar Singh: Two.

CASES REFERRED TO THE INDUSTRIAL TRIBUNAL DURING THE YEAR 1953-54

*4368. **Shrimati Sita Devi** :Will the Minister for Labour be pleased to state—

(a) the number of cases referred to the Industrial Tribunal during the year 1953-54 together with the names of parties thereof ;

(b) the number of cases referred to in part (a) above in which awards have been given by the said Tribunal and the number of those in which the awards have been implemented:

(c) the number of cases in which awards have not been given and the time by which they are likely to be given?

Chaudhri Sundar Singh: (a) 28. A list of these cases is given below.

(b) 13. The number of cases in which the awards have been implemented cannot be supplied, as employers concerned are directly responsible for their implementation and action is taken by the Government for implementation when complaints are lodged by the affected persons as provided by law.

(c) 15. As the cases referred to Tribunals for adjudication are dealt with in accordance with the procedures followed by courts, it is not possible to give exact time by which these can be disposed of.

LIST

1. The New India Embroidery Mills, Ltd., Chheharta.
2. The Niemla Textile Finishing Mills, Ltd., Chheharta.
3. The Punjab Diviling Industries, Ltd., Khasa.
4. The Punjab Distilling Industries, Ltd., Khasa.
5. The Hindustan Embroidery Mills, Ltd., Chheharta.
6. The Karnal-Kaithal Co-operative Transport Society, Ltd., Karnal.
7. The Oriental Carpet Manufacturers (India), Ltd., Amritsar.
8. The Hoshiarpur-Dasuya Bus Service, Ltd., Hoshiarpur.
9. The Krishna Ice Factory, Ludhiana.
10. The New Egerton Woollen Mills, Dhariwal.
11. The Khalsa Nirbhai Transport Company, and National Transport and General Company, Ltd., Ludhiana.
12. The Karnal Co-operative Transport Society, Ltd., Karnal.

13. The Khalsa Nirbhai Company and National Transport and General Company, Ludhiana.

14. The Indian Motor Transport Company, Karnal.

15. The R. B. L. Benarsi Dass Flour Mills, Ambala Cantt.

16. The Rohtak-Gohana Bus Service, Rohtak.

17. The Jhajjar Motor Roadways.

18. The Karnal Co-operative Transport Company, Karnal.

19. The Karnal-Kaithal Transport Company, Karnal.

20. The Indian Motor Transport Company, Karnal.

21. The New Egerton Woollen Mills, Dhariwal.

22. The Standard Vaccum Oil Company (2) Caltex (India), Ltd., and (3) Burmah Oil Storage and Distribution Company.

23. The Rohtak Bhiwani Transport Company, Rohtak.

24. The Simla Hills Transport Service, Ltd., Kalka.

25. The Atlas Transport Company, Ltd., Pathankot.

26. M/s New Snow View Transport Company, Ltd., Pathankot.

27. M/s Jubilee Highways Transport, Ltd., Pathankot.

28. The Rohtak General Transport Company, Ltd., Rohtak.

श्रीमती सीता देवी : मैं मनिस्टर साहिब से कहूँगी कि जरा sincere हो कर जवाब दें ।

पण्डित श्री राम शर्मा : On a point of Order, Sir. किसी मनिस्टर को यह कहना कि sincere होकर जवाब दें, क्या इस का मतलब यह है कि और जवाब insincerely दिए जाते हैं ?

Mr. Speaker : यह इन का आपस का मसला है (हँसी) । (This is their personal affair.) (*Laughter*)

श्रीमती सीता देवी : 'A' पार्ट के जवाब में मनिस्टर साहिब ने फरमाया है कि 28 cases refer हुए थे और उन में से उन्होंने बताया कि कुछ एक cases में tribunal के फ़ैसले को implement किया गया और कई ऐसे हैं जिन्हें implement नहीं किया गया क्योंकि उसके मालिक ज़िम्मेदार हैं । मैं यह पूछना चाहती हूँ कि जिस Tribunal को गवर्नमेंट ने बनाया होता है उसके फ़ैसलों को लागू कराना क्या गवर्नमेंट का काम है या नहीं ?

मंत्री : कानून के मुताबिक जो award होते हैं वे जो affected persons होते हैं उन्हें implement कराने होते हैं । क्योंकि इतनी देर में अगर रिट (writ) हो जाए तो लागू नहीं हो सकता ।

श्रीमती सीता देवी : क्या आप के नोटिस में यह बात आई है कि खालसा निर्भय कम्पनी, लुधिआना, और दूसरी कम्पनियों की यूनियनों ने कई बार representations कीं कि award implement करें लेकिन लेबर अफ़सर ने जवाब दिया कि हमारे पास कोई ऐसा law नहीं है ?

मंत्री : खालसा निर्भय वालों ने पहले ही writ कर रखी थी । इस लिए अगर पहले न करते तो जल्दी हो जाता । इसी लिए implement करने में देरी हुई ।

श्रीमती सीता देवी : क्या मनिस्टर साहिब को मालूम है कि writ करने के लिए मालकों को एक महीने का अधिकार होता है । उसके बाद गवर्नमैंट का यह फ़र्ज़ हो जाता है कि नहीं कि यूनियन की representation पर उसको लागू कराए ?

मंत्री : जो कुछ कानून के मुताबिक हो सकता है, वह हम करते हैं । अगर कानून के मुताबिक न होता तो बहिन जी ऐसे ही नहीं छोड़तीं, उस हालत में हमें कैसे छोड़ देतीं (हँसी)।

श्रीमती सीता देवी : क्या मनिस्टर साहिब के नोटिस में यह बात आई कि कानून के मुताबिक जो वक्त था उस के अन्दर खालसा निर्भय ट्रांस्पोर्ट वर्कर यूनियन के वर्कर्ज़ ने representation की कि जो फ़ैसला है उसको implement किया जाए ?

मंत्री : इस के लिए नोटिस दें तो मैं जवाब दे सकता हूँ । ऐसे नहीं बता सकता ; दरियाफ़त करके बता सकता हूँ ।

MEDICAL EXAMINATION OF THE LABOUR COMMISSIONER

***4334. Shri Ram Chandra Comrade**: Will the Minister for Labour be pleased to state whether the Labour Commissioner, Punjab, was declared medically unfit for Government service; if so, the names of the person or persons who declared him so?

Chaudhri Sundar Singh : *1st Part.*—Yes, in the first instance. But on his preferring an appeal against the decision of the Standing Invaliding Committee, Ambala, the Labour Commissioner was declared fit by the Appellate Medical Board, Amritsar, which assembled under the Presidentship of Dr. Tulsi Das, D.O.M.S, Medical Superintendent, Victoria Jubilee Hospital, Amritsar.

2nd Part.—The names of members of the Standing Invaliding Committee, Ambala, which declared him unfit are as under:—

President .. Dr. Partap Singh, F. R. C. S., Civil Surgeon, Ambala.

Members .. 1. Dr. P. N. Chhabra, P. C. M. S., Assistant Surgeon, Class I (Gazetted).

2. Dr. Bhagat Singh, Major, AMC.

श्री राम चन्द्र कामरेड : क्या Labour Minister साहिब फरमाएंगे कि जब एक Medical Board किसी कर्मचारी को नाअहल करार दे देता है और उस की अपील पर उस को दूसरे Medical Board के सामने पेश किया जाता है तो क्या उस दूसरे बोर्ड पर पहले बोर्ड के किसी डाक्टर को रखा जाता है जिस ने कि उस को unfit करार दिया हुआ हो ?

मुख्य मंत्री : Medical बोर्डज़ Rules के मुताबिक constitute होते हैं। यह ज़रूरी नहीं है कि पहले Board का कोई डाक्टर दूसरे Board पर रखा जाए।

श्रीमती सीता देवी : क्या चीफ़ मनिस्टर साहिब बताएंगे कि क्या यह उन की knowledge में है कि इस Labour Commissioner को वहां भी medically unfit करार दिया गया था जहां से वह यहां आए थे ?

मुख्य मंत्री : How does it arise ? How can we reply to questions which pertain to some other State ?

AWARDS BY THE RASHTRAPATI

*3724. **Maulvi Abdul Ghani Dar**: Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether the State Goverment had recommended the names of those persons who were given awards by the Rashtrapati in Punjab;

(b) if the reply to part (a) above be in the affirmative, the basis for making such recommendations?

Shri Bhim Sen Sachar: (a) Yes.

(b) Recommendations for the award of the decoration are made on the basis of distinguished public service in any field including service rendered by Government servants.

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : क्या चीफ़ मनिस्टर साहिब बताएंगे कि क्या यह उन के इल्म में है कि जिन अफसरान को awards के लिए सिफ़ारिश की गई थी उन में से कई एक के खिलाफ़ serious nature के इलज़ाम भी थे ?

अध्यक्ष महोदय : मौलवी साहिब किसी खास आदमी के बारे में पूछिए। इस general से सवाल का कैसे जवाब दिया जा सकता है। (The hon. Member should put a question about a specific case. How can a reply be given to a general question ?)

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : मसलन Mr. Khungar.

मुख्य मंत्री : बिल्कुल नहीं। यह गलत बात है, उस के खिलाफ कोई इलज़ाम हमारे notice में नहीं है।

ABOLITION OF THE POST OF RESIDENT MAGISTRATE, BHIWANI

*4653. **Shri Ram Kumar Bidhat**: Will the Chief Minister be pleased to state whether the Government has received any complaint from the Bar Association, and the inhabitants of Bhiwani regarding the abolition of the post of Resident Magistrate, Bhiwani; if so, the action taken or proposed to be taken in the matter?

Shri Bhim Sen Sachar: *Part I.*—Yes

Part II.—The representation is under consideration.

POLITICAL SUFFERERS IN THE STATE

*4516. **Shri Babu Dayal**: will the Cheif Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that land has been allotted to political sufferers in the State; if so, the names of those district-wise who have been allotted lands;

(b) the names of those political sufferers who have not been considered as deserving such allotment;

(c) the names of those whose cases are still pending consideration ?

Sardar Partap Singh Kairon: (*a*) *Part I.*—No, only selection of persons eligible for allotment of land has been made. A list of such persons is given below.

(b) and (c) Does not arise.

PRESS NOTE

With a view to rehabilitate the persons who had suffered in the cause of freedom under the previous political movements, Government decided to lease out 12½ acres of land to each such person in Hissar District. In pursuance of this policy it was further decided that (i) only those, whose income is less than Rs. 75 per mensem (ii) who do not own more than 8 acres of land and (iii) who had been imprisoned for five years if convicted once, two years if convicted twice or have been confined to prison at least three times, should only be made eligible for the grant of leases of land. Accordingly 388 persons have been selected for the grant of said land. Their full particulars are given at the end of this Press note.

2. The persons selected are hereby informed that if they wish to join and form themselves into groups, they should send an intimation in this behalf within a fortnight of the publication of this note to the Deputy Secretary to Government, Punjab, Development Department, Chandigarh Capital, failing which it will be assumed that they do not desire to form any group. Ultimately all these persons will have to join in one or more co-operative societies formed on area basis. The allotment of land will be made by lots soon thereafter. All the selected persons shall also have to maintain milch cattle (Cow/Buffaloe) of some standard breed approved by the Animal Husbandry Department.

3. These persons have been selected by Government on the basis of information supplied by the applicants and it is made clear that if at any stage later it is found that the information supplied by them is false, no allotment of land will be made to them and if an allotment is already made by then, it shall be cancelled and the persons shall be even liable to be prosecuted in the courts of law. They are, therefore, advised to withdraw their claims for land if they have not furnished correct information.

Full particulars of the names selected are as under :—

HISSAR

1. Shri Jai Singh, son of Ch. Ranjit Singh, Village and Post Office Paitwar, Tehsil Hansi, District Hissar.

2. Ch. Kirpa Ram, son of Shri Rugha Ram, Village Sahadwa, Post Office Talwandi Rukka, Tehsil and District Hissar.

3. Shri Lekh Ram Sharma, son of Nanhi Ram, caste Brahman, Village Dhingsara, Post Office Bhattu Kalan, Tehsil Fatehabad, District Hissar.

4. Shri Ram Dhan Dass, son of Shri Harnam Dass, Village Chang, Post Office Chang, Tahsil Bhiwani, District Hissar.

ROHTAK

5. S. Amar Singh, son of S. Gian Singh Bhatia, Village and Post Office Bahadurgarh, Tahsil Jhajjar, District Rohtak.

6. Shri Aishi Lall, son of Shri Jiwan Dass, caste Chhabra, Village and Post Office Meham, Tahsil Gohana, District Rohtak.

7. Shri Bhura Singh, son of Kanahya, caste Saini, Village Khanpur Khurd, Post Office Butana, Tahsil Gohana, District Rohtak.

8. Shri Banwari Lall, son of Shri Lakhi Ram, Brahman, Village and Post Office Sanghi, Tahsil and District Rohtak.

9. Shri Chandgi Ram, son of Shri Ram Dhari, Jat, Village and Post Office Jagsi, Tahsil Gohana, District Rohtak.

10. Shri Chandgi Ram, son of Ch. Mukh Ram, Jat, Village Nuran Khera, Post Office Butana, Tahsil Gohana, District Rohtak.

11. Ch. Charan Singh, son of Ch. Ram Narain, Jat, Village and Post Office Bhagan, Tahsil Sonepat, District Rohtak.

12. Shri Dip Chand, son of Shri Khuba, Brahman, Village Pai, Post Office Kirholi, Pahladpur, Tahsil and District Rohtak.

13. Shri Shiv Kumar, son of Shri Dilawar Singh, Brahman, Village and Post Office Jhajjar, District Rohtak.

14. Shri Gurmukh Singh, son of Shri Ram Singh, Hindu (Arora), Vaish, Vyam Shala, Rohtak.

15. Shri Gareeb Ram, son of Shri Dhanee Ram, Hindu Jat, Village and Post Office Purkhas, Tahsil Sonepat, District Rohtak.

16. S. Harbans Singh, son of S. Teja Singh, caste Sikh, Bhiwani Stand, near City Police Station, Rohtak.

17. Shri Hoshiar Singh, son of Shri Inder Singh, Jat, Village and Post Office Chhara Tahsil Jhajjar, District Rohtak.

18. Shri Hari Datt, son of Pt. Ram Lall, caste Bhardwaj, Rohtak.

19. Shri Jug Lall, son of Ch. Neki Ram, Jat, Village and Post Office Bahu Akherpur, Tahsil and District Rohtak.

20. Shri Lachman Dass, son of L. Raghu Nath Sahai, caste Mahajan Jaini, Rohtak.

21. Shri Mehar Singh. son of Ch. Sheoji Ram, caste Jat, Village and Post Office Madina, Tahsil Gohana, District Rohtak.

22. Shri Mauji Ram Goyal, son of Shri Mohar Singh, caste Mahajan, Village and Post Office Beri, Tahsil Jhajjar, District Rohtak.

23. Shri Parit Singh, son of Shri Maya Chand, caste Jat, Village and Post Office Rabhran, Tahsil Gohana, District Rohtak.

24. Shri Phule, son of Niadar, caste Kumbhar, Village and Post Office Rohat Tahsil Sonepat, District Rohtak.

25. Shri Puran Chand Azad, son of Shri Diwan Chand, caste Khatri, B. III, 1492, Rohtak.

26. Shri Rattan Singh, son of Shri Murli Singh, caste Rajput, Village Patla, Post Office Murthal, Tahsil Sonepat, Dictrict Rohtak.

27. Shri Ram Sarup, son of Ch. Hathia Ram. caste Jat, Village and Post Office Jagsi, Tahsil Gohana, District Rohtak.

28. Ch. Raj Singh, son of Ch. Jogen Ram, caste Jat, Village and Post Office Jasia, Tahsil and District Rohtak.

29. Ch. Rattan Singh, son of Ch. Ram Nath, caste Jat, Village and Post Office Rohna, Tahsil and District Rohtak.

[Minister for Development]

30. Shri Sadhu Ram, son of Harnam, caste Harijan (Chamar), Village and Post Office Jagsi, Tahsil Gohana, District Rohtak.

31. Shri Sis Ram, son of Shri Devak Ram, caste Jat, Village Garhi Bohar, Tahsil and District Rohtak.

GURGAON

32. Shri Deep Chand, son of Shri Ram Chand, caste Brahman, Village and Post Office Palwal, District Gurgaon.

33. Shri Gobind Ram, son of Shri Ram Sarup, caste Mahajan, Mohalla Sarryan, Palwal, District Gurgaon.

34. Shri Janardan Sharma, son of Pandit Gopal Jiwan, caste Brahman Gaur, Village and Post Office Sohna, Tahsil and District Gurgaon.

35. Shri Madan Lall Varmani, son of Malik Gehla Ram, House No. E.P. 430, Gurgaon Cantt.

KARNAL

36. S. Avtar Singh Khalsa, son of S. Gopal Singh, caste Sikh, A-478, Karnal.

37. Shri Chander Kirti, son of Pt. Kundan Lall, caste Brahman, Village and Post Office Samalkha Mandi, Tahsil Panipat, District Karnal.

38. Shri Devi Dayal, son of Shri Dewan Chand, caste Khatri, Shop No. C. 674, Karnal.

39. Shri Des Raj Khanna, son of L. Charan Dass, caste Khatri, 616-New Township Panipat.

40. S. Fauja Singh Bijla, son of S. Dula Singh, caste Ramgarhia, Barrack No. 62, Kothi No. 1, Jamna Camp, Karnal.

41. S. Fauja Singh, son of S. Dula Singh, caste Jat, Village Shadipur, Post Office Mandi Samana, Tahsil Kaithal, District Karnal.

42. Shri Jagan Nath Monga, son of Shri Brij Lall, caste Arora, R. B. 127, Sadar Bazar, Karnal.

43. Shri Jiwan Singh, son of Pt. Ishar Singh, caste Brahman, House No. B-34, Ward No. 5, Shahabad Markanda, District Karnal.

44. Shri Kapur Singh, son of Shri Partap Singh, caste Jat Sikh, Village Puhlolpur Mushtarga, Post Office Bahu, Tahsil and District Karnal.

45. Shri Popat Ram, son of Shri Melu Ram, caste Nangia, Village Kishanpora, Tahsil Panipat, District Karnal.

46. Shri Rachhpal Singh, son of Bhai Lachhman Singh, caste Sikh, Mohalla Mahigiran, House No. D-83, Karnal.

47. Shri Roshan Lal Yas, son of L. Har Bhagwan Dass, caste Khatri, H/520, Saddar Bazar, Karnal.

48. Shrimati Sohag Rani, wife of Shri Hazor Chand, R-364/W 8. Panipat, District Karnal.

49. Shri Sohan Lall, son of L. Chand Mal, caste Jain Aggarwal, House No. 306, W. 6, Panipat, District Karnal.

50. S. Santokh Singh, son of S. Gauhar Singh, caste Sikh, 503-L, Model Town Karnal.

51. Shri Pran Nath Chopra, son of Shri Shiv Nath Rai, caste Khatri, Village and Post Office Ladwa, Tahsil Thanesar, District Karnal.

52. Shri Swaraj Datt, son of Master Nand Lal, caste Khatri, House No. 305, Ward No. 8, Panipat, District Karnal.

53. Shri Sharam Singh, son of Shri Maya Dass, caste Arora, Room No. 7/79, West Jamna Canal Camp, Karnal.

54. Shri Siri Ram Baghi, son of Shri Lashkari Mal, House No. 420, Ward No. 6, Panipat, District Karnal.

55. Shrimati Swarn Devi, widow of Shri Milkhan Singh, caste Rajput, Village and Post Office Ghronda, District Karnal.

AMBALA

56. Shri Sadhu Ram, son of L. Gounda Ram, 191/192 B.C. Bazar, Ambala Cantt.

57. Shri Mela Ram, son of L. Bishan Dass, caste Sachdev, House No. 4661-Chauk Faqir Mohd., Ambala Cantt.

58. S. Inder Singh alias Tota Singh, son of S. Jwala Singh, caste Sikh Jat, 3757, Ambala City

59. Shri Bashashir Dass, son of Shri Ram Chand, caste Brahman, Village and Post Office Bilaspur, Tahsil Jagadhri, District Ambala.

60. S. Balwant Singh alias Gurmukh Singh Ambalvi, son of S. Bishan Singh, caste Khatri, Village Milak Sukhi, Post Office Mustafabad, Tahsil Jagadhri, District Ambala.

61. Hakim Behari Lall, son of L. Ram Dass ji, House No. 4998, Bazar Tanduran, Ambala Cantt.

62. S. Bakhsish Singh, son of S. Hardit Singh alias Ram Ditta, Village Rurki Hiran, Post Office Lutheri, Tahsil Rupar, District Ambala.

63. Master Chater Singh, son of S. Sawan Singh, caste Jat Sikh, Village Manilee, Post Office Retoon, Tahsil Rupar, District Ambala.

64. Shri Dev Brat Bhandari, son of L. Jai Gopal Bhandari, caste Khatri, 229, BI Bazar, Ambala Cantt.

65. Jathedar Gurdit Singh, son of S. Hira Singh, caste Saini, House No. 182, Mohalla Shrikhan, Rupar, Ambala District.

66. S. Gurbachan Singh, son of S. Niranjan Singh, caste Jat Sikh, Village and Post Office Rasanheri, Tahsil Kharar, District Ambala.

67. Shri Jaimal Dass, son of Pt. Ram Chandra, caste Brahman, care of New Chenab Transport Society, Ltd, Ambala City.

68. Shri Narendra Nath Kaushik, son of Pt. Kundan Lall, caste Brahman, Ex-Member, Punjab Pradesh Congress Committee, Rupar, District Ambala.

69. Shri Ripudhuman Singh Sahodi, son of S. Sohan Singh, caste Brahman, Village Pakarwala, Post Office Khizerabad Masragi, Tehsil Jagadhri, District Ambala.

70. S. Shingara Singh, son of S. Sher Singh, caste Sikh, care of Shri Gian Chand, Secretary, The Ambala Electric and Supply Company, Ambala City.

71. Shri Yog Dhian, son of L. Bulaki Ram Ji, caste Khatri (Gulathi), Village Rajpura, Post Office Mustafabad, Tahsil Jagadhri, District Ambala.

HOSHIARPUR DISTRICT

72 Shri Kishori Lall, son of Pt. Raghbir Datt, Village and Post Office Bhera, Tahsil Dasuya, District Hoshiarpur.

73. Shri Rulia Ram, son of Shri Mihan Ram, caste Hindu (Bahti),Mohalla Misran, Hoshiarpur.

74. S. Arjan Singh Sach, son of S. Chand Singh, caste Jat, Village Kharaudi. Post Office Hakumatpur, Tahsil Garhshankar, District Hoshiarpur.

[Minister for Development]

75. S. Atma Singh Azad, son of S. Dasundha Singh, caste Sikh, Village and Post Office Rurki Khas, Tahsil Garhshankar, District Hoshiarpur.
Present address, Village Ahmadnagar, Post Office Jasspur, District Nainital (U.P.)
76. S. Balwant Singh, son of S. Maya Singh, Village Kandhala Jattan, Post Office Tanda, Tahsil Dasuya, District Hoshiarpur.
77. S. Banta Singh, son of S, Bhagwan Singh, Village Bassi Jalal Kalan, Post Office Tanda, Tahsil Dasuya, District Hoshiarpur.
78 Shri Bhola Singh, son of Shri Kirpa Singh, caste Rajput, Village Adkharan. Post Office Sham Churasi, Tahsil and District Hoshiarpur.
79. Shrimati Basant Kaur, widow of S. Diwan Singh Shahid, caste Jat Sikh, Village Mehngrowal Doaba, Tahsil Garhshankar.
80. S. Bhola Singh, son of S. Waryam Singh, caste Jat, Village Dhanian Kalan, Post Office Sham Churasi, District Hoshiarpur.
81. Shri Bal Krishan, son of Pt. Jagdish Ram, caste Brahman. Committee Bazar, Hoshiarpur.
82. Sarvshri Bachitter Singh and Harbux Singh, sons of S. Harbans Singh, Village Sarhala Khurd Post Office Sarhala Kalan, Tahsil Garhshankar, District Hoshiarpur..
83. Shri Gurbachan Singh, son of Baba Dalip Singh, caste Jat, Village Sahada, Post Office Sahiba, Tahsil Garhshankar, District Hoshiarpur.
84. Shri Ganga Ram, son of Shri Sumer Ram, caste Jat, Village Chak Hajipur, Tahsil Garhshankar, District Hoshiarpur'
85. S. Ganga Singh, son of S. Chet Singh, caste Jat, Village Bodal, Tahsil Dasuya, District Hoshiarpur.
86. S. Gurbachan Singh alias Baga Singh, son of Hari Singh, caste Jat, Village and Post Office Barian Kalan, Tahsil Garhshankar, District Hoshiarpur.
87. Baba Gurdit Singh, son of Shri Faqir Chand, caste Tailor, Garhshankar, District Hoshiarpur.
88. Jathedar Hoshnak Singh, son of S. Dalip Singh, Village and Post Office Langeri *via* Mahilpur, District Hoshiarpur.
89. Shri Hardit Singh, son of Shri Mansha Singh, caste Jat, Village Jassowal, Tahsil Garhshankar, District Hoshiarpur.
90. Jathedar Hakim Singh, son of S. Dhilla Singh, caste Jat Sikh, Mohalla Bahadarpur, Hoshiarpur.
91. Shri Harbans Singh, son of Shri Gopal Singh, caste Jat Sikh, Village Kana Post Office Talwandi Arain, District Hoshiarpur.
92. S. Iqbal Singh, son of S. Deva Singh, caste Sikh, Village Adamwal, Tahsil and District Hoshiarpur.
93. Shri Ishar Singh, son of Shri Bhagwan Singh, caste Saini Sikh, Village and Post Office Burki Khas, Tahsil Garhshankar, District Hoshiarpur.
94 Shri Jagdish Rai, son of Shri Nand Lall, caste Brahman, Village and Post Office Kandhala Jattan, Tahsil Dasuya, District Hoshiarpur.
95. S. Jagat Singh, son of S. Labh Singh, caste Jat Sikh, Village and Post Office Mujara Dingrian, Tahsil Garhshankar, District Hoshiarpur.
96. Shrimati Kirpo, widow of Surjan Singh, caste Jat Sikh, Village Hyatpur Rurkee, Post Office Dhamai, Tahsil Garhshankar.
97. S. Kishan Singh, son Taga Singh, caste Jat, Village Sandhra, Post Office Sham Churasi, District, Hoshiarpur.
98. Baba Kirpa Singh, son of Shri Jawahar Singh, caste Jat Sikh, Village Mirpur Post Office Nurpur Bedi, Tahsil Una, District Hoshiarpur.
99. S. Kartar Singh, son of S. Surjan Singh, caste Jat, Village Gondpur, Post Office Sarahala Kalan, Tahsil Garshankar, District Hoshiarpur.
100. S. Kishan Singh, son of S. Bir Singh, caste Jat (Sikh), Village Bahowal, Post Office Mahilpur, District Hoshiarpur.
101. Shri Krishan Gopal, son of Shri Duni Chand, caste Ahluwalia, Village and Post Office Barian Kalan, Tahsil Garhshankar, District Hoshiarpur.
102. Shri Lachman Dass, son of Shri Tika Ram, caste Brahman, Una, District Hoshiarpur.
103. S. Labh Singh, son of S. Suba Singh, caste Jat, Village and Post Office Jassowal Tahsil Garhshankar, District Hoshiarpur.
104. Shrimati Mohan Kaur, widow of S. Dhanna Singh, caste Jat Sikh, Village Behbalpur, Postice Kot Fatuhi, Tahsil Garshankar, District Hoshiarpur.
105. Shri Mula Singh, son of Shri Hari Singh, Jat, Village Bahowal, Post Office Mahilpur, Tahsil Garhshankar, District Hoshiarpur.
106. Shri Malkiat Singh, son of S. Bachittar Singh, caste Sikh, Rajput, Village and Post Office Baddon, Tahsil Garhshankar, District Hoshiarpur.
107. Shri Malikiat Singh, son of S. Chhaja Singh, Jat Sikh, Village Chantho, Post Office Tolo Mazara, Tahsil Garhshankar, District Hoshiarpur.

108. Shri Mehar Chand, son of Shri Bhola Ram, caste Ramgarhia, Village Phambian, Tahsil and District Hoshiarpur.
109. Giani Mehar Singh, son of Subedar Ram Singh, caste Jat Sikh, Village and Post Office Sangeri, via Mahilpur, Tahsil Garhshankar, District Hoshiarpur.
110. Shri Munshi Ram, son of Shri Jamita Ram, caste Rajput, Village Harasamansar, Post Office Jandwal, Tahsil Dasuya, District Hoshiarpur.
111. Shri Nigahia Ram Jhandewala, son of Shri Kahan Chand, Jat, Village Chak Hajipur Tahsil Garhshankar, District Hoshiarpur.
112. Shri Piara Khan alias Swarajya Sewak, son of Shri Chothu Khan, caste Arora, Gopal nagar, Committee Bazar Hoshiarpur.
113. Shri Partap Singh, son of Shri Hako, caste Jat, Village and Post Office Kot Fatuhi, *via* Mahilpur, Tahsil Garhshankar, District Hoshiarpur.
114. Diwan Pohlo Ram, son of Diwan Ramu Mal, caste Khatri, Village and Post Office Anandpur Sahib, Tahsil Una, District Hoshiarpur.
115. Shri Ram Singh Johar, son of Pt. Charanji Lall, caste Sikh (Brahman), Bahudurpur, Hoshiarpur city.
116. S. Rattan Singh, son of Hazara Singh, Jat, Village Singriwala. Post Office Piplanwala, District Hoshiarpur.
117. Shri Ram Singh Parcharak, son of S. Jiwan Singh, caste Saini, Village and Post Office Rurki Khas, Tahsil Garhshankar, District Hoshiarpur.
118. Bibi Raj Kuar, widow of S. Chhajja Singh, caste Jat Sikh, Village Chantho, Post Office Toto Mazara, Tahsil Garhshankar, District Hoshiarpur.
119. S. Raja Singh son of Shri Bhagwan Singh, caste Jat, Village Saddulahpur, Post Office Toto Magarah, Tahsil Garshankar, District Hoshiarpur.
120. S. Ram Singh, son of S. Hakam Singh, caste. Jat, Village Sahoongra, Post Office and Tahsil Garshankar, District Hoshiarpur.
121. S. Sant Singh, son of S. Dharam Singh, caste Jat Singh, Village Hayatpur Rurkee, Post Office Dhamai, Tahsil Garhshankar, District Hoshiarpur.
122. S. Sarmukh Singh, son of S. Surjan Singh, Jat Sikh, Village Hayatpur Rurkee, Post Office Dhamai, Tahsil Garshankar, District Hoshiarpur.
123. Shri Salig Ram Prashar, son of Pt. Lachmi Dhar, caste Brahman, Bahadurpur, District Hoshiarpur.
124. S. Sunder Singh Baber, son of Shri Natha Singh, caste Jat Sikh, Village Maksuspur, Post Office Kot Fatuhi, Tahsil Garhshankar, District Hoshiarpur.
125. S. Sunder Singh, son of S. Dasoundha Singh, caste Saini, Village Basialla, Tahsil Garhshankar, District Hoshiarpur.
126. Sarvshri Sansar Singh, Teja Singh and Harbux Singh, sons of S. Arjan Singh, caste Jat Sikh, Village and Post Office Jassowal, Tahsil Garhshankar District Hoshiarpur.
127. Shri Sita Ram alias Bande Matram, son of Shri Ralla Ram, Village Mangal Ishar, Post Office Hariana, District Hoshiarpur.
128. S. Thakar Singh, son of S. Maya Singh Village and Post Office Bhorta Ganeshpur Tahsil Garshankar, District Hoshiarpur.
129. Shri Udham Singh, son of Shri Harnam Singh, caste Jat, Village Kolu Wahar, Post Office Begumpur Jandiala, Tahsil and District Hoshiarpur.
130. S. Ujjagar Singh, son of S. Mangal Singh, caste Jat Sikh, Village and Post Office Moilla Vahidpur, Tahsil Garhshankar, District Hoshiarpur.

JULLUNDUR DISTRICT

131. Shri Dhanpat Rai, son of Shri Hira Lall, caste Rajput, House No. 60 WM, Basti Guzan, Jullundur.
132. S. Amar Singh, son of S. Arur Singh, caste Jat, Village Sanghwal, Post Office Alwalpur, Tahsil and District Jullundur.
133. S. Atma Singh, son of S. Mayya Singh, Jat, Village Bika, Post Office Khan Khana. Tahsil Nawanshahr, District Jullundur.
134. Shri Amar Singh, son of Shri Lachman Dass, caste Arora care of Partap Daily Civil Lines, Jullundur City.
135. Shri Agya Singh, son of Shri Hari Chand, caste Sikh, W.M. 250, Bagh Ahluwalia, Basti Guzan, Jullundur City.
136. S. Banta Singh, son of S. Khem Singh, caste Jat Sikh, Village Pragpur, Jullundur Cantt.
137. Sarvshri Banta Singh, Kehar Singh, Mohander Singh and Shrimati Harnam Kaur, sons and wife of S. Gurdit Singh, caste Jat Sikh, Village and Post Office Mandhali, Tahsil Nawanshahar, District Jullundur.
138. S. Bhagwan Singh, son of S. Jawand Singh, Jat, House No. E.Q. 338, Rainak Bazar, Jullundur City.
139. Shri Behari Lall Kher, son of Shri Diwan Chand, caste Arora, House No. W.A. 36, Kucha Baghena, Jullundur City.
140. Shri Bharat Bhushan, son of Mahasha Girdhari Lall, caste Khatri, House No. 208. E.C., Panjpur Bazar, Jullundur City.

[Minister for Development]

141. S. Bhan Singh, son of S. Jawahar Singh, caste Jat Sikh, Village Manglat, Post Office Pharala. Tahsil Nawanshahar, District Jullundur.
142. S. Buta Singh, son of S. Thakur Singh, Jat Sikh, Village and Post Office Pandori Nijran, District Jullundur.
143. S. Bhaksha Singh, son of S. Thakur Singh, caste Jat Sikh, Village and Post Office Daulatpur, Tahsil Nawanshahr, District Jullundur.
144. Shri Balwant Rai, son of L. Dewan Chand, caste Khatri, 307-A, Old Railway Road, Jullundur City.
145. Shri Chhkanda Ram, son of L. Piara Ram, caste Khatri, House No. 210/W.G., Islamabad, Jullundur City.
146. Shri Chaman Shah, son of Shri Mangal Sain care of Lachman Dass, Pan Merchant, Chowk Malkan, Jullundur City.
147. S. Gopal Singh Qaumi, son of S. Hem Singh, caste Sikh, 163, G.T. Road. Jullundur City.
148. S. Gurdip Singh Jhabalia, son of S. Jaswant Singh Jat, Village Garha, Post Office Phillaur, District Jullundur.
149. Shri Girdhari Lall Sharma, son of Pt. Dhiral Ram, caste Brahman, Village and Post Office Nakodar, District Jullundur.
150. Shri Gopal Dass Varma, son of L. Hiral Lal, caste Khatri, W.M.51-A, Basti Guzan. Jullundur City.
151. S. Harbans Singh, son of S. Jiwan Singh, Jat Sikh, Village and Post Office Bundala Tahsil Phillaur, District Jullundur.
152. Shri Hari Singh Giani, son of S. Jawala Singh, Jat Sikh, Village and Post Office Bara Pind, Tahsil Phillaur, District Jullundur.
153. S. Hari Singh, son of S. Deva Singh, caste Jat Sikh, Village and Post Office, Daulatpur, Tahsil Nawanshahr, District Jullundur.
154. Shri Hira Singh 'Dard', son of Bhai Hari Singh, Brahmin Sikh, Editor, the Phulwari, Pakka Bagh, Jullundur City.
155. Shri Hari Ram, son of Shri Narain Dass, caste Kohli Khatri, care of Shri Maharaj Krishan, Proprietor Eleka Industries Rainak Bazar, Jullundur City.
156. Shri Hans Raj, son of L. Balmukand, caste Bhattia, Qaumi Kitab Ghar, Rainak Bazar, Jullundur City.
157. Shrimati Iqbal Kaur, widow of S. Hazur Singh, caste Sikh, W.G. 160, Islam Ganj, G.T. Road, Jullundur.
158. Shri Jaswant Singh, son of Pt. Dina Nath, caste Brahmin, care of Punjab Pradesh Congress Committee, Jullundur City.
159. Sant Kaur and Shital Kaur, widow of S. Jawala Singh, caste Saini, Village and Post Office Naura, Tahsil Nawanshahar, District Jullundur.
160' Shri Kundan Lal, son of Pt. Ram Chand, Rainak Bazar, Jullundur City.
161. Shri Kundan Lal Malik Ralia Ram, caste Kapur Khatri, W.G. 40-Islamganj, Jullundur City.
162. S. Kartar Singh, son of S. Deva Singh, caste Jat Sikh, Village and Post Office Pandori Nigran, District Jullundur.
163. Shri Kharati Ram, Vasudeva, son of Shri Ram Lall Vasudeva, Caste Brahman, Village and Post Office Jamsher, Tahsil and District Jullundur.
164. Shri Lall Chand, son of L. Harjas Mal, House No. E.A. 236, Qazi Mohalla Jullundur City.
165. S. Lall Singh, son of S. Tara Singh, caste Sikh, House No. E.R. 188, Pakka Bagh, Jullundur City.
166. S. Mihan Singh, son of S. Bachint Singh, Jat, Village and Post Office Raipur, Dabba, Tahsil Nawanshahr, District Jullundur.
167. Shri Mehar Chand Ahuja, son of Shri Hari Chand Ahuja, street opposite District Courts, Pacca Bagh, Jullundur.
168. S. Narain Singh, son of S. Ladha Singh, caste Arora, care of Punjab-Pepsu-Himachal INTUC, Jullundur City.
169. S. Naurang Singh, son of S. Lall Singh, caste Jat, Village Dhahan, Post Office Banga, District Jullundur.
170. Shri Onkar Narain Gujral, son of Shri Ram Narain, caste Khatri, W.M. 280, Basti Guzan, Jullundur City.
171. S. Phuman Singh Ajit, son of Gnesha Singh, Village and Post Office Kaleran, Tahsil Nawanshahr, District Jullundur.
172. Shri Paras Ram Uppal, son of Shri Nandu Mal Uppal, Village and Post Office Nurmahal, Tahsil Phillaur, District Jullundur.
173. Shri Piara Lal, son of Shri Labhu Ram, caste Arora, Village and Post Office Rahon, Tahsil Nawanshahar, District Jullundur.
174. S. Prem Singh, son of S. Pal Singh, caste Sikh Jat, Village Progpur, Jullundur Cantt.
175. Shri Pran Nath Baba, son of L. Ghasita Ram, caste Khatri, House No. N.M 173, Mohalla Karar Khan, Jullundur City.

176. S. Pritam Singh, son of S. Ram Singh, caste Sikh Jat, House No. W.K. 187,Basti Guzan, Gali Thamakian, Mohalla Boherwala, Jullundur City.
177. S. Raj Singh, son of S. Soman Singh, caste Arora, W.G. 93, Islam Ganj, Jullundur City.
178. Shri Ram Rakha Mal, son of L. Sahib Chand Malhotra, House No. 77/W.M., Basti Guzan, Jullundur City.
179. S. Rachhpal Singh Dardi, son of S. Deva Singh, Village Rundala, Tahsil Phillaur, District Jullundur.
180. Shri Shiv Dayal, son of L. Sant Ram, care of L. Thakar Dass Kapur, Mohalla Panjpir, Bagh Karam Bakhsh, House No. 325, Jullundur City.
181. Shri Subash Chandra Mahajan, son of L. Benarsi Dass Mahajan, M.A., House No. 502, Suraj Ganj, Jullundur City.
182. S. Shiv Singh, son of S. Gurdit Singh, Village and Post Office Haripur, Tahsil and District Jullundur.
183. Shri Shiv Kumar, son of Pt. Ganga Dhar, caste Brahmin, E.D. 272, Mohalla Dhan, Jullundur City.
184. Shri Shiv Datt Ranga, son of Pt. Gopal Dass, House No. E.J. 49, Mohalla Kot Pakhian, Jullundur City.
185. Shri Saifi Kashmiri, son of Shri Amir Bhat, care of Daily Milap, Jullundur City.
186. Shri Shori Lall, son of Shri Devi Ditta Mal, caste Metha, House No. 265 ED, Mohalla Muftian, Jullundur City.
187. S. Sher Singh, son of S. Habir Singh, caste Saini, Village and Post Office Naura, Tahsil Nawanshahr, District Jullundur.
188. Shri Siri Ram, son of Shri Prabh Dayal, Rajput (Goldsmith), House No. 561 N.N., Mohalla Karar Khan, Jullundur City.
189. Shri Surinder Singh Puri, son of Shri Munshi Ram, caste Khatri Sikh, Ayurvedic Practitioner, Mandi Road, Jullundur City.
190. Shri Sardari Lal Bhatia, son of Shri Jagan Nath Bhatia, House No. 180, Basti Guzan, Jullundur City.
191. Shri Uttam Chand, son of L. Kirpa Ram, Khatri, House No. EJ/3, Mohalla Khedian, Jullundur City.
192. S. Ujaggar Singh, son of S. Partap Singh, caste Jat Sikh, Village Parsrampur, Post Office Patera, District Jullundur.
193. S. Waryam Singh, son of S. Sawan Singh, caste Jat Sikh, Village and Post Office Daulatpur, Tahsil Nawanshahr, District Jullundur.

LUDHIANA DISTRICT

194. S. Ajaib Singh, son of S. Wazir Singh, caste Jat Sikh, Village and Post Office Jassewal Kelar, Tahsil Jagraon, District Ludhiana.
195. S. Bhag Singh Bhatia, son of S. Sunder Singh, House No. B III 56, Mohalla Saidan, Ludhiana.
196. S. Bhagat Singh, son of S. Sundar Singh, Jat, Village and Post Office Chak, Tahsil and District Ludhiana.
197. S. Chanan Singh Lakhi, son of Shri Phunda Ram, Village Nasrali, Post Office Nasrali, Tahsil Samrala District Ludhiana.
198. Shri Dev Raj, son of Shri Ram Lall, caste Khatri, Village and Post Office Kakrala Kalan, Tahsil Samrala, District Ludhiana.
199. S. Dhram Singh, son of S. Deva Singh, caste Harijan, Village and Post Office Chak, District Ludhiana.
200. S. Gurmukh Singh Giani, son of S. Rugha Singh, caste Jat Sikh, Village and Post Office Powat, Tahsil Samrala, District Ludhiana.
201. Shri Ghulam Mohd, son of Shri Maula Bux, Village Rangian, Post Office Dehlon, District Ludhiana.
202. S. Gopal Singh, son of S. Khazan Singh, House No. 401, Block No. IX, Aman Din Road, Ludhiana.
203. S. Harnam Singh, son of S. Chunar Singh, Jat, Village Chhajjawal, Post Office Runi, Tahsil Jagraon, District Ludhiana.
204. S. Harnam Singh son of S. Charanjit Singh, care of Sheikhupura Hosiery Dresi Road, Ludhiana.
205. Shri Ishar Dass Khanna, son of Shri Kanshi Ram, Book Binder, opposite Tahsil Office, Chaura Bazar, Ludhiana.
206. S. Kehar Singh, son of S. Hira Singh, Jat Sikh, Village Paredi, Post Office and Tahsil Samrala, District Ludhiana.
207. S. Kehar Singh, son of S. Gurdit Singh, Jat Sikh, Village Achharwal, Post Office Pherurjan, Tahsil Jagraon, District Ludhiana.
208. S. Kehr Singh, son of S. Waryam Singh, Village and Post Office Lilan Megh Singh, Tahsil Jagraon, District Ludhiana.
209. S. Kartar Singh, son of S. Bhagwan Singh, House No. 5100 BXI, Karimpura, Ludhiana.

[Minister for Development]

210. S. Kaka Singh, son of S. Narain Singh, Jat Sikh, Village and Post Office Khanna Mandi, G.T. Road, District Ludhiana.
211. S. Kartar Singh, son of S. Uttam Singh, Jat Sikh, Village and Post Office Balaia, Tahsil and District Ludhiana.
212. S. Lall Singh, son of S. Ude Singh, Jat Sikh, Village and Post Office Narangwal, District Ludhiana.
213. S. Mal Singh, son of S. Chanda Singh, Sikh (Rajput), Village and Post Office Dhelan, Tahsil Jagraon, District Ludhiana.
214. S. Nihal Singh, son of S. Nanak Singh, Sika, House No. B 8-554, Kucha Abdul Haq, Nawan Mohalla, Ludhiana.
215. S. Niranjan Singh, son of S. Ishar Singh, Jat, Village Barhampur, Post Office Lohat Baddi, District Ludhiana.
216. S. Niranjan Singh, son of S. Rulia Singh, Jat Sikh, Village and Post Office Chak Kalan, District Ludhiana.
217. S. Narain Singh, son of S. Puran Singh, caste Sikh, 36-Brown Road, Ludhiana.
218. S. Raja Singh, son of S. Karam Singh, caste Sikh, House No. B.VIII-396, Naya Mohalla, Ludhiana.
219. S. Ranjit Singh Mastana, son of S. Jiwan Singh, caste Mazhabi Sikh, Village Dad, Post Office Badowal, District Ludhiana.
220. S. Sadhu Singh son of S. Narain Singh, caste Jat Sikh, Village Milshian Bhai Ki, Post Office Ramgarh Bhulan, Tahsil Jagraon, District Ludhiana.
221. Shri Sant Singh Kamal, son of Shri Gobind Dass, caste Khatri, House No. 746, Block IV, Wat Ganj, Ludhiana.
222. S. Thakur Singh Grewal, son of S. Bhagwan Singh, Jat, Village and Post Office Baddowal, Tahsil and District Ludhiana.
223. Shrimati Vidya Wanti, widow of Shri Nand Lall, House No. BI 903, Chhawani Mohalla, Ludhiana.

FEROZEPORE DISTRICT

224. Shri Bhardwaj Sehgal, son of Shri Faqir Chand, Village and Post Office Dharam Kot, Tahsil Zira, District Ferozepur.
225. Shri Dewan Chand (Ice seller), son of L. Kishan Chand, caste Arora Moonga, Chowk Delhi Gate, Ferozepur City.
226. S. Hakam Singh Dhillon, son of S. Ram Singh, caste Jat Sikh, Village and Post Office Buttar, Tahsil Moga, District Ferozepur.
227. Shri Jagmohan Azad, son of Shri Tehal Dass, Hindu Sikh, Gali No. 12, Abohar, District Ferozepur.
228. Shri Kashmiri Lal, son of L. Bishan Dass, caste Arora Sachdeva, Secretary, Congress Committee, Fazilka, District Ferozepur.
229. Shri Krishan Singh, son of Shri Tejpal, caste Rajput, care of Shri Chandi Ram Verma, M.L.A., Abohar, District Ferozepur.
230. Shri Kanshi Ram, son of Shri Sita Ram, caste Brahmin, Village and Post Office Chuhar Chak, Tahsil Moga, District Ferozepur.
231. S. Labh Singh alias Baba Dondi, son of S. Hazara Singh, Sukhra Basti, Abohar, District Ferozepur.
232. S. Lal Singh, son of S. Atma Singh, caste Tank Chhatri, Village and Post Office Buttar, Tahsil Moga, District Ferozepur.
233. S. Mahna, son of S. Dhiyan Singh, caste Jat Sikh, Village Karahewala, Post Office Fatehgarh Panjtoor, Tahsil Zira, District Ferozepur.
234. Dr. Narinder Singh, son of S. Kishan Singh, President, Congress Committee, Zira, District Ferozepur.
235. S. Puran Singh Hakim, son of S. Jiwan Singh, caste Kashyap, Rajput (Sikh), Village and Post Office Daulatpur Niwan, Tahsil Moga, District Ferozepur.
236. S. Thaman Singh, son of S. Rur Singh, Village Chotian Thoba, Post Office Langiana Khuram, Tahsil Moga, District Ferozepur.
237. S. Gurbachan Singh, son of S. Fauja Singh caste Sikh, Village Suba Rai Sahib, Post Office Sadar Ferozepur, at present Pingalwara Homes, Amritsar.

AMRITSAR DISTRICT

238. S. Attar Singh, son of S. Mit Singh, caste Jat Sikh, Village and Post Office Khatra Kalan, Tahsil Ajnala, District Amritsar.
239. S. Ajit Singh, son of S. Sadhu Singh, Jat, Village and Post Office, Bhusa, Tahsil Tarn Taran, District Amritsar.
240. S. Amar Singh, son of S. Pal Singh, Village and Post Office Dehriwala, Tahsil and District Amritsar.
241. S. Amar Singh, son of S. Wasawa Singh, caste Mazhabi Sikh, House No. 8, Gali No. 5, Tahsilpura, Amritsar.

242. S. Bur Singh, son of S. Sher Singh, caste Jat Sikh, Village and Post Office Harsi Chhina, Tahsil Ajnala, District Amritsar.
243. S. Bhan Singh, son of S. Bhagga Singh, caste Jat, Village Bhari Kamboki, Post Office Khalra, Tahsil Patti, District Amritsar.
244. Shri Bhawani Dass, son of Pt. Nanak Chand, caste Brahmin, Congress Worker, care of Shri Kanshi Ram, Assistant Accountant, the Central Bank of India, Ltd., Amritsar.
245. Shri Bhag Din, son of Shri Labhoo, caste Marasi, Village and Post Office Sathiala, District Amritsar.
246. Shri Bahadur Chand Malhotra, son of Malik Brij Lal Malhotra, inside Khazana Gate, Amritsar.
247. S. Bhola Singh, son of L. Hem Raj, caste Khatri, House No. 1791/10, Lahori Gate, Gali Jatan Wali, Amritsar.
248. Shri Dewan Singh, son of S. Wasawa Singh, Jat, Village and Post Office Bhuller, Tahsil Ajnala, District Amritsar.
249. Sarvshri Dharam Singh and Darshan Singh, sons of Baba Chattar Singh, caste Ahluwalia Sikh, House No. 2095/3, Kucha Kamboan, Old Lakar Mandli, Amritsar.
250. S. Dharam Singh, son of S. Ganda Singh, caste Jat Sikh, Village and Post Office, Nagoke, Tahsil Tarn Taran, District Amritsar.
251. Shri Dewan Singh, son of Pt. Joti Ram, caste Brahman, Village and Post Office Patti, District Amritsar.
252. S. Gurmukh Singh, son of S. Uttam Singh, caste Jat, Village and Post Office Nagoke, Tahsil Tarn Taran, District Amritsar.
253. S. Ganda Singh Jathedar, son of S. Nand Singh, caste Jat, Village Khatrah Kalan, Post Office and Tahsil Ajnala, District Amritsar.
254. Shri Gopal Dass son of Pt. Vir Bhan, caste Brahman, Village Fattehwal, Tahsil Ajnala, District Amritsar.
255. Shri Girdhari Lal, son of Pt. Bhola Nath, caste Brahman, House No. 2807 O/S Sultan Wind Road, Mohan Nagar, Amritsar.
256. S. Gurmukh Singh alias Ram Mohd. Singh, son of S. Ram Singh, caste Sikh, Painter, Village Akali Market, District Amritsar.
257. S. Gian Singh, son of Kesar Singh, caste Jat Sikh, Village Allowal, Post Office Khalchian, Tahsil Tarn Taran, District Amritsar.
258. S. Gurbaux Singh Taur, son of S. Kesar Singh, caste Mazhabi Sikh, Village and Post Office, Baba Bakala, District Amritsar.
259. S. Hari Singh Kakkar, son of S. Amar Singh, caste Jat Sikh, Village and Post Office Mahalanwala, Tahsil Ajnala, District Amritsar.
260. Shri Haveli Ram, son of Pt. Kanshi Ram, caste Brahman, Village and Post Office Jethowal, Tahsil and District Amritsar.
261. S. Harbans Singh Bagi, son of S. Mool Singh, caste Sikh, T.B. Sanitorium, Majitha Road, Amritsar.
262. S. Hajara Singh, son of S. Sunder Singh, caste Jat Sikh, Village Veroke, Post Office Preet Nagar, Tahsil Ajanala, District Amritsar.
263. S. Harnam Singh Panchhi, son of S. Natha Singh, caste Rajput, Village and Post Office Patti, District Amritsar.
264. S. Harnam Singh, son of S. Buta Singh, caste Jat Sikh, Village and Post Office Pheruman, District Amritsar.
265. Shri Ishar Dass, son of Pt. Kirpa Ram, caste Pushkarna, House No. 4424/9, Gali Mochian, Khazana Katra, Amritsar.
266. S. Inder Singh, son of S. Jowala Singh, Jat Sikh, Village and Post Office Gage Buha, Tahsil Tarn Taran, District Amritsar.
267. S. Inder Singh, son of S. Bhagwan Singh, caste Sikh, Village and Post Office Marhana, Tahsil Patti, District Amritsar.
268. S. Ishar Singh, son of S. Bhagat Singh, Village Basrke, Post Office Chheharta, District Amritsar.
269. S. Inder Singh, son of S. Kharak Singh, caste Jat Sikh, Village and Post Office Mohan Bhandawan, Tahsil Ajnala, District Amritsar.
270. Shri Joginder Singh, son of Ganpat Ram, caste Brahmin, Village and Post Office Khadoor Sahib, Tahsil Tarn Taran, District Amritsar.
271. S. Jagat Singh Pannun, son of S. Pal Singh, caste Jat, Village and Post Office Verka, District Amritsar.
272. S. Joginder Singh, son of S. Sohan Singh, Jat Sikh, Village Chhina Karam Singh, Post Office Jasterwal, Tahsil Ajnala, District Amritsar.
273. Shri Jagiree Mal, son of L. Guranditta Mal, caste Khatri Puri, House No. 309, Ward No 3, Patti, Amritsar.
274. S. Jagat Singh, son of Ishar Singh, caste Jat Sikh, Village and Post Office Marhana, Tahsil Patti, District Amritsar.
275. Shri Karam Chand Sawhney, son of Shri Gopi Nath Sawhney, Municipal Commissioner, House No. 26854, Bikram Gali, near Arya Smaj, Logarh Gate, Amritsar.

[Minister for Development]

276. Shri Kishori Lall Tandon, son of L. Jagan Nath, caste Khatri, House No. 329/9, Kucha Jatan, Amritsar.
277. S. Kartar Singh Valtoha, son, of S. Sadhu Singh, caste Jat Sikh, Village and Post Office Valtoha, Tahsil Patti, District Amritsar.
278. Shrimati Kartar Kaur, widow of S.Bachan Singh, caste Jat, Village Terra Khurd, Pot Office Chamari, Tahsil Ajnala, District Amritsar.
279. S. Khem Singh, son of S. Surain Singh, Village and Post Office Sohal, Tahsil Tarn Taran, District Amritsar.
280. S. Kundan Singh, son of S. Pal Singh, caste Jat, Village and Post Office Mirgindpura, Tahsil Patti, District Amritsar.
281. S. Kesar Singh, son of S. Mehar Singh, caste Jat Sikh, Village Seron Nigah, Post Office Butala, Tahsil and District Amritsar.
282. Shri Karam Chand Beri, son of Shri Fateh Chand, caste Khatri, 1901/10 Katra Sufaid, Amritsar.
283. S. Lachman Singh alias Avtar Singh, son of S. Dasaundha Singh, caste Jat Sikh, Village Thatti Jaimal Singh, Post Office Sankhatra, District Amritsar.
284. S. Lachman Singh, son of S. Kushal Singh, caste Sikh Mehra, Village and Post Office Khutrai Kalan, Tahsil Ajnala, District Amritsar.
285. Shri Lahori Ram , son of Pt. Chint Ram, caste Brahmin, care of Shri Mehar Chand, Cap Merchant, Swank Mandi, Amritsar.
286. S. Makhan Singh alias Rattan Singh, son of S. Dasaundha Singh, caste Jat Sikh, Village Thatti Jaimal Singh, Post Office Sankhatra, Tahsil Patti, District Amritsar.
287. Giani Mehar Singh, son of S. Sohel Singh, caste Jat Sikh, Village and Post Office Jabbowal, at present Meet Press, Katra Ramgarhian, Amritsar.
288. Shrimati Malan, widow of S. Ishar Singh, caste Jat Sikh, Village and Post Office Mohan Bhandarian, Tahsil Ajnala, District Amritsar.
289. Shri Mota Singh, son of S. Gopal Singh, caste Sikh Jat, Village and Post Office Jagdev Kalan, Tahsil Ajnala, District Amritsar.
290. Shri Mathura Dass, son of Shri Thakur Dass, caste Brahman Datt, Sports Dealer, Lawrence Road, Amritsar.
291. S. Niranjan Singh Nathawan, son of S. Lehna Singh, caste Ramgarhia, Sarwarpura, Sultanwind Road, Amritsar.
292. Dr. Niranjan Singh Azad, son of Shri Tirath Ram, Village Gopal Pura, Post Office Majitha, Amritsar.
293. S.Pal Singh, son of S. Ishar Singh, caste Sikh, village and Post Office Jhabal, Tahsil Tarn Taran, District Amritsar.
294. S. Puran Singh, son of S. Nand Singh , caste Jat, Village and Post Office Khadur Sahib, Tahsil Tarn Taran, District Amritsar.
295. S. Puran Singh, son of S. Massa Singh, caste Jat, Village and Post Office Sathiala, District Amritsar.
296. S. Pritam Singh, son of S. Nihal Singh, caste Jat, Village Bhalojla, Post Office Beas, Tahsil Tarn Taran, District Amritsar.
297. S. Rattan Singh, son of S. Ram Singh, caste Sikh, House No. 2365, Kot Kanhaya Lal, Outside Sultanwind Gate, Amritsar.
298. S. Saudagar Singh, son of S. Bhagwan Singh, caste Jat, Village Jaura, Post Office Kairon, Tahsil Patti, District Amritsar.
299. Shri Surjan Singh, son of L. Siri Ram, caste Sikh, Guru Ram Dass Nagar, Gali No 2. Outise Sultanwind Gate, District Amritsar.
300. S. Santa Singh, son of S. Vir Singh, caste Sikh Jat, Village and Post Office Sultanwind, District Amritsar.
301. S. Santa Singh Panchhi, son of S. Tara Singh, caste Jat Sikh, Village Jallal Usman, Post Office Mahsompura, Tahsil and District Amritsar.
302. S. Surjan Singh, son of S. Jewan Singh, Jat Sikh, Village and Post Office Mohan Bhandarian, Tahsil Ajnala, District Amritsar.
303. Shri Sohan Lal Diwana, son of Shri Kishan Gopal, caste Brahman, care of Dr. Karam Chand Dentist, Naya Bazar, Tarn Taran, District Amritsar.
304. S. Sarmukh Singh ' Chamak ', son of S. Mangal Singh, caste Sikh, 4 Kot Baba Dip Singh, Amritsar.
305. S. Surat Singh, son of S. Jawala Singh, caste Sikh, Village and Post Office Kamalpur, Tahsil Ajnala, District Amritsar, now at Village Manpur, Tahsil Suar, Rampur (U.P.)
306. S. Santa Singh, son of S. Nihal Singh, caste Jat, Village and Post Office Marhana, Tahsil Patti, District Amritsar.
307. S. Sohan Singh, son of S. Nand Singh, Village and Post Office Sheron, Tahsil Tarn Taran, District Amritsar.
308. S. Sohan Singh, son of S. Sobha Singh, Jat, Village and Post Office Marana, Tahsil Patti, District Amritsar.
309. Shri Sahib Dayal, son of Sewa Ram, care of Shri Khazan Chand, Panwala, Chowk Nemak Mandi, Amritsar.

310. S. Surain Singh, son of S. Santa Singh, caste Sikh, Village and Post Office Baba Bakala, Tahsil and District Amritsar.
311. S. Shingara Singh, son of S. Banta Singh, [caste Ghumar Sikh, Village Ahmadpura, Tahsil Patti, District Amritsar.
312. S. Teja Singh, son of S. Jawala Singh, caste Jat, Village Chak Kamal Khan, Post Office Sourian, Tahsil Ajnala, District Amritsar.
313. S. Tara Singh, son of S. Lehna Singh, caste Jat Sikh, Village Buttari, Post Office Khalchian, Tahsil and District Amritsar.
314. S. Udham Singh, son of S. Bhagwan Singh, caste Jat Sikh, Village and Post Office Varpal, District Amrisar.
315. S. Udham Singh, son of S. Budha Singh, caste Jat, Village and Post Office Mirgindpura, Tahsil Patti, District Amritsar.
316. S. Uttam Singh, son of S. Jagat Singh, Jat Sikh, Village and Post Office Khatrai Kalan, Tahsil Ajnala, District Amritsar.
317. S. Ujagar Singh, son of S. Santa Singh, caste Ghumar, Ward No. 4, Patti, Amritsar.
318. S. Wasawa Singh, son of Shri Mehtab Singh, caste Jat, Village and Post Office Butala, Tahsil and District Amritsar.

GURDASPUR DISTRICT

319. Shrimati Amar Kaur, wife of Shri Mohan Lall, caste Ahluwalia, House No. 1403 near Imambara, Incharge (Women Section) District Congress Committee, Gurdaspur.
320. Shri Gian Chand Gandhi, son of Shri Tara Chand, caste Khatri, Batala, District Gurdaspur.
321. Shri Harbans Singh, son of L. Tulsi Ram, caste Ahluwalia, Village Nangal Kotli, District Gurdaspur.
322 Shri Karam Chand, son of L Shankar Dass, caste Mahajan, Lorry Bus Stand, G.T. Road, Gurdaspur.
323. Shri Khushi Ram, son of Shri Rolu Ram, caste Saini, Village and Post Office Taragarh, Tahsil Pathankot, District Gurdaspur.
324. Shri Mohan Lall Gupta. son of L. Sham Lall, caste Aggarwal, President Town Congress Committee, Batala, District Gurdaspur.
325. Shri Munshi Ram, son of Shri Bhaga Shah, Mahajan, Village and Post Office Sujanpura, Tahsil Pathankot, District Gurdaspur.
326. Shri Puran Chand, son of Shri Mangat Ram, caste Dumna Mahasha, Village Halla, District Gurdaspur.

OUTSIDE STATE

327. Shri Amir Chand Kohli, son of Late L. Guranditta Mal, caste Khatri, House No. 9040, Ram Bagh Road, Pul Bangush, Delhi.
328. Shri Atma Ram, son of Shri Gurditt Mal, caste Malhotra, Khalla Par, Bain Haveli, Mohalla Munshian, Saharanpur.
329. Dewan Amar Nath, son of Late Hari Chand, Mohalla Morarpur, Gaya (Bihar)
330. Munshi Ahmad Din, son of M. Nuzamuddin, Phatak Dhobian-Frash-Khana, Delhi-6.
331. Shri Baldev Mitter Bijli, son of Pt. Ram Rattan, caste Brahman, Khajur Road, Karol Bagh, Delhi-5.
332. S. Balwant Singh, son of S. Sardar Singh Anand, House No. 9927, old Naya Mohalla, Pull Bangush, Delhi.
333. Bakshi Ram Pandit, son of Pt. Darbari Ram, 8A/31, W.E. A., Karol Bagh, Delhi.
334. Shri Bhim Sen Sehgal, son of L. Gokal Chand, 187-Bharat Nagar, near Sabzi Mandi-Delhi.
335. Shri Brij Lal, son of L. Mohri Ram, caste Hindu Arora, Quarter No. 13, Gandhi Nagar, Mohalla Colony, Delhi-6.
336. Shri Brij Lall, son of Shri Dayal Chand, caste Arora, care of Sita Ram-Dayal Chand, Mohalla Toli, Hajjaman, Lakhi Gate, Saharanpur.
337. Shri Bhagwat Dayal Sharma, son of Pt H ira Lall, care of L. Onkar Nath, M.P. M-Block, Cannaught Circus, New Delhi.
338. Shri Chaman Lall, son of L. Ram Ditta Mal, caste Khatri, care of Parkash Watch Company, Motia Mahal, Jamma Masjid, Delhi.
339. S. Chharrat Singh, son of S, Nihal Singh, Village Multanian, Post Office Bhatinda, District Bhatinda, PEPSU.
340. Shri Dewan Chand Kataria, son of L. Dhanna Mal, caste Arora, case of Modi Paint and Varnish Works, Modinagar (Meerut) .
341. Shri Devi Ditta Mal, son of S. Himmat Singh, Caste Bhutani, House No. B.M.S. 2/137-A, Mohalla Jafar Nawaz Khan, Saharanpur.

[Minister for Development]

342. Shri Duni Chand Toofan son of L. Ram Ditta Mal, Caste Mohayal, 43-A, Hudson Lines, Kingsway Camp, Delhi.
343. Shri Dharam Bir son of L. Bodh Raj, Plot No. 10162, Pahar Ganj, Delhi.
344. Shri Dharam Pal son of L. Sardari Lal, caste Khatri, 9654—Islamganj, Pul Bangush, Delhi.
345. S. Dalip Singh son of S. Dasaundha Singh, caste Jat Sikh, Village Mangat, Post Office Pharala, Tahsil Phagwara, District Kapurthala.
346. S. Gian Singh Bir son of S. Wasawa Singh care of S. Kartar Singh, Proprietor, Lahore Soda Water Factory, Fatehpuri, Delhi.
347. Shri Gian Chand Bubbar, son of Shahid Baba Lakhu Ram Ji, 40—Subash Nagar, Ambala Road, Saharanpur.
348. Shri Gujrati Mal, son L. Thakar Dass, caste Khatri, 172 Lajpat Rai Market, Delhi.
349. S. Gurmukh Singh, son of S. Jowand Singh, caste Sikh, D-323, Outram Line, Kingsway Camp, Delhi.
350. Shri Haveli Ram Mussafir, son of Pheru Mal Anand, House No. 9121, Nawab Ganj, Pul Bangush-Delhi-6.
351. Shri Hans Raj Sikka, son of Shri Makhan Lal Sikka, 248-C Block Pimpri Colony, District Poona.
352. Shri Hirda Ram Bhai Minhas, son of Shri Gajjan Singh, caste Rajput, Thavera Street Mandi Town, Himachal Pradesh.
353. Shri Hari Singh Chakwalia, son of S. Bhaga Singh, Editor and Proprietor, "Naujwan Mazdoor", 1136 Baradari,Phatak Habbish Khan, Delhi.
454. Shrimati Harbans Kaur, widow of Baba Gurbaksh Singh, caste Sikh Rajput, Ajmeri Gate, Qazi House No. 254, Phatak Kror, Delhi.
355. S. Ishar Singh Anand, son of S. Kanshi Singh Anand, care of I-X Chittra Gupta Road, New Delhi.
356. Shri Ishwar Datta Dewan, son of Dewan Ranjit Rai, House No. 532, Gali Bansi Lal, Mukimpura, Subzi Mandi, Delhi.
357. Shri Inder Sen Anand, son of Shri Nanak Chand, House No. 9122, Zamir Wali Gali, Mohalla Nawab Ganj, Delhi.
358. Shri Jagat Ram Joshi, son of Pt. Ram Ratten, caste Brahman, House No. 5032, Phatak Ikram Ullah Khan, Bazar Sirkiwalan, Delhi.
359. S. Jaswant Singh Bedi, son of Baba Hira Singh, 2730—Multani Dhanda, Pahar Ganj, Delhi.
360. S. Jawahar Singh, son of S. Sunder Singh, caste Khatri Sikh, 2241—Gali Resham Wali, Kucha Chellan, Daryaganj-Delhi.
361. S. Kartar Singh Bedi, son of S. Hira Singh, 2958, Multani Dhanda, Pahar Ganj Delhi.
362. S. Kulbir Singh, son of S. Kishan Singh, caste Jat, Praduman Nagar, Sahranpur
363. S. Kultar Singh, son of S. Kishan Singh, caste Jat, Praduman Nagar, Saharanpur.
364. Shri Krishan Lall, son of Shri Nanak Chand, caste Kapur, House No. 1023, Kucha Natwan Chandi Chowk, Delhi.
365. Shri Karam Chand, son of L. Joti Ram, caste Madan, House No. 46, Subash Nagar, Ambala Road, Sharanpur.
366. Shri Lachmi Narain son of Shri Bihari Lall, caste Arora, care of Krishana Co. 43—Subzi Mandi, Delhi.
367. Shri Ladha Ram, son of L. Sain Ditta Mall, caste Chatri, House No. B6/266 Driba Pan, Aligarh, U.P.
368. Shri Lachhmi Narain alias Lachhu Ram, son of Bahi Asa Nand, caste Gandhi House No. 2219, Gali Faiz Ahmad Tahsildar, Kali Masjid, Sita Ram Bazar, Delhi.
369. Shri Lal Chand, son of Shri Shankar Das, caste Soni, care of Soni General Stores, Chandrawal Road, Subzi Mandi, Delhi.
370. S. Lakha Singh, son of Beli, caste Jat, Village Sahni, Post Office Sahni, Tahsil Phagwara, District Kapurthala.
371. Shrimati Man Kaur, widow of S. Mangal Sain, caste Ahluwalia, 40-D, Sujan Singh Park, chamary, New Delhi.
372. S. Milap Singh Azad, son of S. Kartar Singh Ji, caste Sikh, Chief Editor "Masawat", 1815, Kalan Mahal, Delhi-7.
373. Shri Munshi Ram, Jain, son of L. Mool Raj Jain, Village Gobindpuri, Tahsil Ghaziabad, District Meerut, care of Janta Flour and General Mills, Govindpuri, Modinagar (U.P.)
374. Shri Mehr Chand Ahuja, son of Shri Hem Raj, caste Ahuja, House No. 4027/ Ward No. 11, Akhar Manzil, Darya Ganj, Delhi.
375. Shri Nand Lal Sharma, son of Pt. Manohar Lall, Shop. No. 29, Rajinder Nagar Market, New Delhi.

376 Shri Narain Dass Malhotra, son of L. Ramal Dass, 1140—Lajpat Rai Market, Delhi.

377. S. Raghbir Singh Bedi, son of Bawa Hira Singh, care of Kartar Singh, A.D.P.E. Phsyical Education Department, Delhi Municipal Committee, Queens Road, Delhi.

378. Shri Rishi Kesh Rishi, son of Pt. Amar Nath, caste Brahmin, Qayyum Villa, Nasimabad, Kanpur, U.P.

379. Shri Ram Saran Dass, Son of L. Bishan Dass, Caste Bajaj, care of Gopal Press, Old Post Office Street, Sadar Bazar, Delhi ..

380. Shri Rup Lall Bhatia, son of L. Daya Ram Bhatia, House No 10115, Library Road, Pul Bangush, Delhi .

381. Shri Romesh Mehta, son of L. Mool Chand, Church Compound, Fatehpuri, Delhi.

382. S. Sarjan Singh, son of L. Shiv Ram, caste Malik Arora, 31/1, Patel Nagar, Dehra Dun.

383. S. Sarnagat Singh, son of Ch. Gian Singh, caste Sikh, 553, Mantole—PaharGanj, Delhi.

384. Shri Shiv Narain Bhasin, son of L. Multani Ram, caste Khatri, Chamar Building, Bagh Kare Khan, Kishan Ganj, Delhi.

385. Shri Shri Ram Sethi, son of Late L. Kanshi Ram Sethi, Kasam Bungalow, Ganpat Chawnee, Nagpur.

386. Giani Tara Singh, son of S. Jawahar Singh, caste Sikh, House No. 6190, Basti Harphool Singh, Sadar Bazar Delhi.

387. Shri Tirath Ram Bali, son of Shri Rattan Dass Bali, caste Brahman, 21-A Baloo Ganj, Agra Cantt.

388. Shri Jaswant Arya, son of Shri Bahadur Chand, caste Mehdiratta, B-13 Government Refugees Quarters, Ghaziabad, District Meerut.

श्री बाबू दयाल: यह जो list political sufferers की वज़ीर साहिब ने दी है क्या मैं उन से पूछ सकता हूँ कि यह जो इन आदमियों को ज़मीन की allotment की गई है इन की दर्खास्तों के बारे में किसी Official या Un-official Agency से enquiry कराई गई थी या कि नहीं ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਹ ਸਾਰੀ ਗਲ ਉਸ statement ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ।

श्री बाबू दयाल : यह जो statement मेज पर रखी गई है इस में तो इस बारे में कुछ नहीं दिया हुआ ।

ਮੰਤ੍ਰੀ : Please see para 3 of the statement.

श्री बाबू दयाल : इस para में तो यह दिया हुआ है—

"Who had been imprisoned for five years if convicted once, two years if convicted twice or have been confined to prison at least three times, should only be made eligible for the grant of lease of land. Accordingly 388 persons have been selected for the grant of said land....."

पण्डित श्री राम शर्मा : क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि जिन शरायत पर Political sufferers को ज़मीनें allot की गई हैं इस बात को देखने के लिए कि वह sufferers उन शरायत को सही तौर पर पूरी करते हैं या नहीं क्या कोई enquiry कराई गई थी या उन के affidavits को ही सही मान लिया गया है ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ enquiry ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ equiry ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ । ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ affidavits ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ।

श्री बाबू दयाल : क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि जिन affidavits पर ज़मीनों की allotment की गई उन में से कोई ऐसा केस उन के नोटिस में आया है कि वह affidavit गलत दिया गया हो ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਹਾਲਾਂ ਤਾਂਈ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਨੋਟਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਰ ਹੁਣ ਕੁਝ cases ਦਾ ਪਤਾ ਲਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि जो ऐसे cases उन के notice में आए हैं कि उन्होंने गलत affidavit भरे थे तो क्या इस बात की तसल्ली कराली गई है कि वह गलत है ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ allotment ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਚੁਕੀ ਸੀ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ cases ਨਿਕਲੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਬਾਦ ਦੀ allotment ਵਿਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ case ਨਹੀ ਨਿਕਲਿਆ।

श्री बाबू दयाल : क्या किसी ऐसे case में सरकार ने उन के खिलाफ कोई action भी लिया है या कि नहीं ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦਸ ਚੁਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ allotment ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ cases ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛੋਂ ਦੀ allotment ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ case ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ । ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਅਸਾਂ ਹਾਲਾਂ ਤਾਈਂ ਕੋਈ action ਨਹੀਂ ਲਿਆ ।

श्री मूल चन्द जैन : क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि political sufferers जो land की allotment की गई है उस के करने से पहले क्या देखा गया था कि उन sufferers की मौजूदा आमदनी कितनी है ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਹਾਂ ਇਹ ਗਲ ਉਸ statement ਵਿਚ ਦਿਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ allot ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ 75 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟ ਹੈ।

पंडित श्री राम शर्मा : यह जो written जवाब में दिया गया है कि यह ज़मीन उन political sufferers को allot की गई है जिन की मासिक आमदनी 75 रुपए से ज़्यादा न थी तो क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि वह आमदनी उस individual political sufferer की देखी गई है या उस की सारी family की ? मसलन एक आदमी है उसकी आमदनी 75 रुपये से कम है मगर उस के बाप की आमदनी एक हज़ार से भी ज्यादा है तो क्या ऐसे आदमी को भी ज़मीन allot की गई है ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਹਾਲਾਂ ਤਾਈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਸਾਡੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ।

श्री मूल चन्द जैन : क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि क्या उन के पास अभी कुछ political sufferers की applications pending भी हैं ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਹਾਂ ਹਾਲਾਂ ਕੁਝ pending ਹੋਣਗੀਆਂ ।

श्री बाबू दयाल : इस सवाल के जवाब में जो लिस्ट दी गई है उस में गुड़गांव ज़िला के केवल चार ही political sufferers के नाम हैं । क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि आया उस ज़िला के कुल चार ही political sufferers थे ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗੁੜਗਾਵਾਂ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਕੇਵਲ ਇਨੇਂ ਹੀ applicants ਸਨ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਆਇਆਂ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ allot ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ।

पंडित श्री राम शर्मा : इन शरायत में एक यह भी शर्त दी हुई है कि जिस worker की पहले ज़मीन हो उस को जमीन allot न की जाए । तो क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि जिस worker की अपनी ज़मीन नहीं थी बल्कि उस के बाप की थी तो क्या उस को भी ज़मीन allot की गई है ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਹੋ ਜਹੀ ਮਿਸਾਲ ਮੇਰੇ notice ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਕਿਸੇ worker ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਬਾਪ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਹੋਵੇ ।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या political workers के बाप भी नहीं हो सकते ?

श्री देव राज सेठी : क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उन जमीनों के कबजे उन workers को कब तक मिल जायेंगे ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਦੇਣ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ group ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਕਲਿਆਂ । ਜੇਕਰ ਉਹ group ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਦ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।

मौलवी अब्दुल गनी डार : क्या वज़ीर साहिब मेहरबानी कर के बतायेंगे कि जिन political sufferers को ज़मीनें allot की गई हैं क्या उन को उन ज़मीनों की आबादकारी के लिये बैलों के लिये या दूसरे कामों के लिय कुछ तकावी के तौर पर कर्ज़े दिए जायेंगे या नहीं ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ।

मौलवी अब्दुल गनी डार : क्या मिनिस्टर साहिब बतायेंगे कि क्या यह उन के नोटिस में कोई ऐसे cases आए हैं जिन के भाई शहीद हुए हैं हों या जिन्होंने जेल काटी हो और उन्हें जमीनें allot नहीं हुई है ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਤੀ ਹੈ....

ਮੌਲਵੀ ਅਬਦੁਲ ਗਨੀ ਡਾਰ : ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਬਾਅਦ....

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 7, 8 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ । ਅਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਵਿਚ 5, 7 ਦਿਨ ਲਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ; ਇਹ ਅਰਜ਼ੀਆਂ Session ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੇ ਹੀ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ।

ਮੌਲਵੀ ਅਬਦੁਲ ਗਨੀ ਡਾਰ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਰਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਕੁਨਬੇ ਦੇ ਪਾਲਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ?

Mr. Speaker : This is suggestion for action.

मौलवी अब्दुल गनी डार : मैं ने पूछा है कि जब कोई शहीद हो जाय तो उस की family को अलाटमैंट करते हैं या नहीं ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਹਾਂ ਜੀ ਅਲਾਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ । ਇਸ ਬਾਰੇ rules ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਉਸ ਦੀ ਔਰਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

श्री देव राज सेठी : अगर कोई political sufferer ज़मीन किसी group में न लेना चाहे तो क्या उसे अकेले को मिल सकती है ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਆਂਗੇ ।

श्री देव राज सेठी : कितनी देर के बाद ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਨਾਲ ਹੀ ।

श्री चांदराम अहलावत : एक हरिजन लड़के का नाम जो लाहौर जेल में मरा, ज़मीन दिए जाने वाली list में था। उस का नाम अखबारों में भी छपा था। बाद में जो list निकली उस में उसका नाम नहीं था....

ਮੰਤ੍ਰੀ ; ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ enquiry ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या यह rules में provide किया गया है कि अगर कोई आदमी आज़ादी की struggle में मारा गया तो उसके dependents को मदद मिलेगी ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਲ ਹੈ ।

मौलवी अब्दुल गनी डार : क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि एक आदमी जिसका नाम हकूमत सिंह लाम्बा है, जिस का भाई........

Mr. Speaker : This is an individual case. Disallowed.

श्री चांद राम अहलावत : क्या वज़ीर साहिब बतायेंग कि इस की क्या वजह है कि जिस लड़के का नाम पहले list में था, अखबार में भी आ चुका है, वह इस बार एलान की गई list में क्यों नहीं आया ?

अध्यक्ष महोदय : इस के लिये अलग सवाल का नोटिस दें । [Please give a separate notice for this question.]

मौलवी अब्दुल गनी डार : जिन political sufferers की मौजूदा आमदनी 75 रुपए से ज़्यादा है मगर बाद में न रहे तो क्या गवर्नमेण्ट उस वक्त उन्हें ज़मीन देने पर विचार करेगी ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਜੀ ਨਹੀਂ । Action ਵੇਲੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

श्री चांद राम अहलावत : स्पीकर साहिब, मैं मिनिस्टर साहिब से पूछना चाहता हूं कि इस बार सरकार ने किस वजह से उस लड़के का नाम एलान में नहीं रखा ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਕ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ affidavit ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ।

पंडित श्री राम शर्मा : या दफ़्तर की गलती होगी ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਹ ਗਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਠੀਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ।

श्री खुशी राम गुप्ता : क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि आया ऐसे political workers को pensions दी गई हैं जो 1948 के बाद सियासत में आए ?

मुख्य मंत्री : Political workers को pension के लिये एक खास फार्म पर अर्ज़ी देनी पड़ती है । इस में कई किस्म की इत्तलाह रहती है । यह दरखास्त एक कमेटी के पास जाती है जो इस में दी गई इत्तलाह की बिना पर यह फैसला करती है कि वह आदमी, जिस ने अर्ज़ी दी है, पेनशन के लिए qualified है या नहीं । जो information आप ने मांगी है उस के लिए नोटिस दें और फिर cases में किये गये decisions revise भी तो हो सकते हैं ।

खान अब्दुल ग़फ्फार खां : क्या यह पेनशन किसी ऐसे political sufferer के पसमान्दगान को मिल सकती है जो मुल्क की खिदमत करता हुआ मारा गया हो ? अगर मिल सकती है तो क्या यह सारे कुनबे को मिलेगी या किसी एक आदमी को ?

ਵਿਕਾਸ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਕ ਕੇਸ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਹਿਦ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ । ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ ।

खान अब्दुल ग़फ्फार खां : मेरा पूछने का मकसद यह था कि अगर कोई ऐसा शख्स मर जाता है तो क्या यह पेनशन उस के वालिद या किसी और को जिस ने उस की खिदमत की है या किसी भाई को या दूसरों को मिलेगी ?

पंडित श्री राम शर्मा : On a point of order, Sir. क्या अगर के साथ सवालात पूछे जा सकते हैं ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕੋ ਥਾਂ ਦੇ ਦੇਵੀਏ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਦੋ ਥਾਂ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹੀ ਰਕਮ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਜੋ ਕੇਸ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ । ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ।

अध्यक्ष महोदय : आप (खां साहिब) question अगर की form में न करें क्योंकि इस तरह यह hypothetical सा बन जाता है ।

(I would request the hon. Member, Khan Abdul Ghaffar Khan not to hedge his supplementaries with "if". The addition of this word makes them hypothetical.)

खान अब्दुल ग़फ्फार खां : क्या वज़ीर साहिब फरमायेंगे कि यह pension सब को मिलेगी या एक ही को मिलेगी ? अगर वह ऐसा......

(*interruptions at the use of 'if'*)

अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठिए । आप मुझे बाद में दफतर में मिल लें । (Please resume your seat. You may see me in my office afterwards).

TOUR PROGRAMME OF MINISTERS

***4129. Sardar Chanan Singh Dhut** : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the details of tour programmes of each of the Ministers during the months of September and October, 1954;

(b) the number of days for which each of the Ministers was on tour during the period from 1st September to 4th October, 1954, along with the number of days spent by each one of them in Tehsil Moga, District Ferozepur;

(c) the purpose of the tours of each Minister during the period referred to in part (a) above ?

Shri Bhim Sen Sachar : A statement containing the requisite information is given below.

Details of tour programmes of each of the Ministers during the months of September and October, 1954

Part (a)—

Minister	Date/s	From	To	Part(c) Purpose of the tour
	September, 1954—			
Chief Minister	3rd ..	Chandigarh	Simla ..	Journeys performed from the 27th September to 29th September, 1954, were in his private capacity, whereas the rest of the journeys were undertaken in his official capacity
	4th to 11th	Halt at Simla		
	12th ..	Simla	Chandigarh	
	15th ..	Chandigarh Kalka	Kalka Delhi	
	16th ..	Delhi	Chandigarh) (on the 17th	
	18th ..	Chandigarh	Jullundur	
	19th ..	Jullundur Madhopur	Madhopur Amritsar	
	20th ..	Amritsar	Chandigarh	
	26th	Chandigarh Ludhiana	Ludhiana Moga	
	27th ..	Moga	Daudhar	
		(*En route* visited Khote, Patto-Hirasingh, Nihalsinghwala, Badhni Kalan and Buttar) (All private journey in private jeep)		

Minister	Date/s	From	To	Purpose of the tour
	September 1954			
Chief Minister (*contd.*)	28th ..	Daudhar	Raoke Moga	
		(also visited Raoke Kalan, Lopoke, Rania) (All private jouney in private jeep).		
	29th ..	Moga	Ludhiana	
		(also visited Takhanwadh, Dala, Kokri Kalan and Chuharchak in private jeep).		
	(Private journey in official car)—			
	30th ..	Ludhiana	Amritsar	
		Amritsar	Chandigarh	
	October, 1954			
	2nd ..	Chandigarh	Chhachrauli	
		Chhachrauli	Karnal	
		Karnal	Delhi	
	3rd	Halt at Delhi		
	4th ..	Delhi ..	Chandigarh	
	5th ..	Chandigarh	Jullundur	
	6th ..	Jullundur	Chandigarh	
	12th ..	Chandigarh	Delhi	
	13th and 14th	Halt at Delhi		
	15th ..	Delhi	Chandigarh	
	22nd ..	Chandigarh	Jullundur	
		Jullundur	Gagret	
		Gagret	Daulatpur	
	23rd ..	Daulatpur	Prithipur	
		Prithipur	Amb	
		Amb	Baroohi to Chauki Maniar back to Baroohi-Una	
	24th ..	Una	Raipur	
		Raipur	Nurpur	
		Nurpur	Una	
		Una ..	Bhadsali	
		Bhadsali	Pinjore	
		Pinjore	Bharwain	

[Chief Minister]

Minister	Date/s	From	To	Purpose of the tour
	October, 1954			
Chief Minister (*concld.*)	25th ..	Bharwain	Delhi	
	26th ..	Delhi	Chandigarh	
	September, 1954			
Development Minister	1st ..	Chandigarh-Jullundur-Rupar		Address public meetings.
	2nd ..	Rupar-Pehowa-Rupar		Visit Youth Camp.
	3rd ..	Rupar-Karnal-Chandigarh		Private
	4th ..	Chandigarh-Rupar-Amritsar-Batala-Jullundur		Address public meetings.
	5th ..	Jullundur-Ambala-Banala-Chandigrh.		Attend public meeting.
	6th ..	Chandigarh-Moga ..		Visit Bharat Sewak Samaj Camp.
	7th, 8th ..	Halt at Moga		Private in connection with bye-election.
	9th ..	Moga-Jullundur		..
	10th ..	Jullundur-Mukandpur-Nawanshahr-Chandigarh		Perform dedication ceremony of canal.
	11th ..	Chandigarh-Ludhiana-Chhappar-Ludhiana		Address public meetings.
	12th ..	Ludhiana-Payal-Chandigarh		See consolidation work.
	13th ..	Chandigarh-Bija-Ludhiana-Ghalib Kalan		Visit girls camp and see consolidation work.
	14th ..	Ghalib Kalan-Kala-Sidhwan Khurd-Moga-Chandigarh		Ditto
	24th ..	Chandigarh-Delhi		
	25th and 26th	Halt at Delhi ..		See Prime Minister, India
	27th ..	Delhi-Chandigarh		
	28th ..	Chandigrh-Sahnewal-Jullundur-Ludhiana-Moga		See consolidation work.
	29th ..	Halt at Moga ..		Private in connection with bye-election.
	October, 1954			
	2nd ..	Chandigarh-Kharar-Chandigarh		Enquire into consolidation complaint.

Minister	Date/s	From	To	Purpose of the tour
	October, 1954			
Development Minister	3rd ..	Chandigarh-Jullundur ..		Attend meeting of Sugar Control Board.
	4th ..	Jullundur-Amritsar		
	5th and 6th..	Halt at Amritsar ..		Hear consolidation complaint.
	7th ..	Amritsar-Chandigarh		
	9th ..	Chandigarh-Ludhiana-Batala		See Consolidation and Community Project work
	10th	Halt at Batala		
	11th ..	Batala-Chandigarh		
	13th ..	Halt at Delhi ..		Discuss Tenancy Ordinance with Planning Minister.
	14th ..	Delhi-Srihargobindpur-Amritsar		See consolidation work.
	15th ..	Amritsar-Srihargobindpur-Jullundur ..		Ditto
	16th ..	Jullundur-Chandigarh		
	22nd ..	Chandigarh-Ludhiana		
	23rd ..	Ludhiana-Jullundur ..		To hear consolidation complaints
	24th and 25th	Jullundur-Derababa Jaimal Singh-Gurdaspur-Hoshiarpur		Attend public meeting.
	25th	Hoshiarpur-Khanna-Ludhiana		Ditto
	26th ..	Ludhiana-Lidderan-Amritsar		Ditto
	27th ..	Halt at Amritsar		
	28th ..	Amritsar-Partappura-Chandigarh		Attend public meetings.
	31st ..	Chandigarh-Ludhiana-Sidhwan Bet-Chandigarh		Inaugural ceremony of hospital.
	September 1954			
Irrigation and Power Minister	1st ..	Chandigarh	Tohana ..	Attended the dedication ceremony performed by the Governor.
	2nd ..	Tohana ..	Sonepat	
	3rd ..	Sonepat ..	Delhi ..	Attended a meeting of the Canal Water Dispute.
		Delhi ..	Sonepat	

[Chief Minister]

Minister	Date/s	From	To	Purpose of the tour
	September, 1954			
Irrigation and Power Minister (*contd.*)	4th ..	Sonepat ..	Delhi	
		Delhi ..	Sonepat	
	5th ..	Sonepat ..	Delhi	
		Delhi ..	Chandigarh	
	7th ..	Chandigarh	Narwana ..	Attended the Dedication ceremony performed by F.M.
		Narwana ..	Chandigarh	
	9th ..	Chandigarh	Simla	
	10th and 11th	Halt at Simla		Discussion of important cases with Governor, C.M. and Secretaries, Irrigation Branch .
	12th	Simla ..	Chandigarh	
	18th ..	Chandigarh	Pathankot	Attended opening ceremony of the Head Regulator performed by Shri R.A. Kidwai, Union Food and Agriculture Minister.
		Pathankot ..	Madhopur	
	19th ..	Madhopur ..	Pathankot ..	Inspected Government Central Workshops at Amritsar.
		Pathankot ..	Amritsar	
	20th ..	Amritsar ..	Delhi ..	Performed the opening ceremony of the Surkhpur minor.
		Delhi ..	Bahadurgarh	
		Bahadurgarh	Delhi	
		Delhi ..	Sonepat	
	21st ..	Sonepat ..	Sisana ..	Addressed meetings in connection with the Sugar Co-op. Factory.
		Sisana ..	Madina ..	Do
		Madina ..	Rohtak ..	Do
	22nd ..	Rohtak ..	Gohana	Do
		Gohana ..	Sampla ..	Do
		Sampla ..	Rohtak ..	Do
	23rd ..	Rohtak	Bahadurgarh	Do
		Bahadurgarh	Rohtak ..	Do

Minister	Date/s	Form	To	Purpose of the tour
Irrigation and Power Minister (*contd.*)	September, 1954 24th ..	Rohtak ..	Sonepat	Addressed meetings in connection with the Sugar Co-op. Factory.
		Sonepat ..	Chandigarh	Do
	26th ..	Chandigarh	Jullundur	Attended the switching-onceremony to supply power to the town performed by S. Swaran Singh, Union Minister
		Jullundur ..	Nurmahal	
		Nurmahal ..	Jullundur	
	27th ..	Jullundur ..	Moga ..	Private.
	28th and 29th ..	Halt at Moga	..	Private
	30th ..	Moga ..	Chandigarh	
	October,1954			
	6th ..	Chandigarh	Sonepat	
	7th ..	Sonepat ..	Delhi ..	Attended meeting re. provision of irriga-tion facilities to Gurgaon.
		Delhi ..	Chandigarh	
		Chandigarh	Delhi	Attended meeting of the River Valley Projects.
		Halt at Delhi		
	15th ..	Delhi ..	Rohtak ..	Addressed meeting re. Sugar Co-opera-tive Factory.
		Rohtak ..	Sanghi	
		Sanghi ..	Rohtak	
	16th ..	Rohtak ..	Hansi ..	Performed opening ceremony of the Co-op. Gininng Factory and addressed public meeting.
		Hansi ..	Gummar	
		Gummar ..	Sonepat	
	17th ..	Sonepat ..	Chandigarh	
	21st	..	..	..
	22nd ..	Chandigarh	Jullundur ..	Addressed meetings at Bhogpur and Jullundur in connec-tiou with the Co-op. Sugar Factory.

[Chief Minister]

Minister	Date/s	From	To	Purpose of the tour
Irrigation and Power Minister (*concld.*)	October, 1954			Addressed meetings at Tanda and Allawalpur in connection with the Co-op. Sugar Factory.
				Addressed meeting at Nurmahal in connection with Co-op. Sugar Factory, and presided over the 30th Annual Day of Vishveshwaranand Vedic Research Institute at Hoshiarpur.
	25th ..	Jullundur ..	Hoshiarpur	..
		Hoshiarpur..	Chandigarh	
	September, 1954			
FinanceMinister	1st ..	Chandigarh	Jullundur	Rehabilitation and Industries work.
	2nd ..	Jullundur	Chandigarh	
	5th ..	Chandigarh	Ludhiana	Industries and Rehabilitation work—
		Ludhiana ..	Chandigarh	
	7th ..	Chandigarh	Rupar	..
		Rupar ..	Narwana ..	Opening of distributaries.
		Narwana ..	Tohana ..	Ditto
	8th ..	Tohana ..	Golewal ..	Ditto
		Golewal ..	Khuyan ..	Ditto
		Khuyan ..	Bhupsher and Back	Ditto
	9th ..	Sirsa ..	Fatehabad ..	Ditto
		Fatehabad ..	Bhiggar ..	Ditto
		Bhiggar ..	Badopal ..	Ditto
		Badopal ..	Tohana ..	Ditto
		Tohana ..	Chandigarh	Ditto
	10th ..	Chandigarh	Simla ..	Rehabilitation work and to supervise the opening of tenders of evacuee property.

Minister	Date/s	From	To	Purpose of the tour
	September, 1954			
Finance Minister (*concld.*)	11th ..	Halt at Simla		
	12th ..	Simla ..	Chandigarh	
	16th ..	Chandigarh	Moga ..	Inspection work.
	17th ..	Moga ..	Ludhiana	
	18th ..	Ludhiana ..	Chandigarh	
	19th ..	Chandigarh	Simla ..	Discussion with Industries Officer regarding 2nd Five-Year Plan.
	20th to 23rd	Halt at Simla		
	24th ..	Simla ..	Chandigarh	
	25th ..	Chandigarh	Simla	
	26th to 28th	Halt at Simla		
	29th ..	Simla ..	Chandigarh	Discussion with Industries Officer regarding 2nd Five-Year Plan and opening ceremony of the Museum.
	October, 1954			
	1st ..	Chandigarh	Delhi	
	2nd to 7th ..	Halt at Delhi	..	Discussion with the Central Ministers.
	8th ..	Delhi ..	Chandigarh	
	11th ..	Chandigarh	Delhi	
	12th and 13th	Halt at Delhi		
	14th ..	Delhi ..	Chandigarh	
	21st ..	Chandigarh	Ludhiana ..	Rehabilitation work.
	22nd ..	Ludhiana ..	Machhiwara-Khanna	To inspect Bet area.
		Khanna ..	Delhi ..	On private journey.
	24th ..	Delhi ..	Jullundur ..	Rehabilitation work.
	25th ..	Jullundur ..	Amritsar ..	Rehabilitation work.
	26th ..	Halt at Amritsar		
	27th ..	Amritsar ..	Chandigarh	
	28th ..	Chandigarh	Delhi ..	
	29th and 30th	Halt at Delhi	..	To attend meeting of the Council of Technical Education.
	31st ..	Delhi ..	Chandigarh	

[Chief Minister]

Minister	Date/s	From	To	Purpose of the tour
Education Minister		*September 1954*		
	1st ..	Delhi ..	Chandigarh	..
	3rd ..	Chandigarh..	Ambala ..	In connection with Education, Health and Transport matters.
		Ambala ..	Chandigarh	
	5th ..	Chandigarh..	Morinda ..	Opening ceremony of Central College of Eye Relief.
		Morinda ..	Chandigarh	
	6th ..	Chandigarh..	Nilokheri-Karnal-Jullundur	Attend Youth Camp.
	7th ..	Private		Private
	8th ..	Moga ..	Jullundur ..	In Connection with Education Health and Transport matters.
	9th	Jullundur ..	Amritsar Ambala Chandigarh	Opening ceremony of Sewa Samiti Free Hospital.
	10th ..	Chandigarh..	Jullundur-Adampur-Jullundur ..	Dedication of Adampur-Jullundur distributaries.
	11th ..	Jullundur ..	Chandigarh	In connection with Education, Health and Transport matters.
	14th ..	Private ..		
	16th ..	Chandigarh..	Sharifgarh and back	
	19th and 20th	Private		Private
	21st ..	Moga ..	Chandigarh	In connection with Education, Health and Transport matters.
	22nd ..	Chandigarh	Jullundur	In connection with Education, Health and Transport matters.
	23rd ..	Halt at Jullundur		
	24th ..	Jullundur ..	Delhi	To meet Transport Minister, Government of India.
	25th ..	Delhi ..	Chandigarh	
	26th to 30th..			Private

Minister	Date/s	From	To	Purpose of the tour
	October, 1954			
Education Minister (*concld.*)	1st ..			Private journey.
	3rd ..	Moga ..	Jullundur	In connection with the Education, Health and Transport matters.
	4th ..	Jullundur ..	Hoshiarpur	
	5th ..	Jullundur ..	Chandigarh	
	7th ..	Chandigarh..	Ludhiana and back	
	8th ..	Chandigarh..	Jullundur	
	9th ..	Jullundur ..	Dharamsala and back	Function of Government Coll ge, Dharamsala.
	10th ..	Jullundur ..	Hoshiarpur and back	In connection with the Edu:ation, Health and Transport matters.
	11th ..	Halt at Jullundur		
	12th ..	Jullundur ..	Chandigarh	
	15th ..	Chandigarh..	Rupar and back ..	Annual Conference of Principals of Government Colleges
		Chandigarh ..	Delhi ..	In connection with Education, Health and Transport matters.
	16th and 17th	Halt at Delhi.		
	18th ..	Delhi ..	Chandigarh	
	September, 1954			
Public Works Minister	1st ..	Amritsar ..	Stay at Amritsar ..	To meet Pak. Local Bodies Delegation.
	2nd ..	Amritsar ..	Chandigarh	
	4th ..	Chandigarh	Dhana and back	To open a Model School
		Chandigarh	Simla ..	Meeting with the Pak. Delegation
	5th ..	Halt at Simla		
	6th ..	Simla ..	Amritsar	
		Amritsar ..	Moga	
	7th ..	Moga ..	Rohtak	
	8th ..	Rohtak ..	Sirsa	
	9th ..	Sirsa ..	Moga	
	10th ..	Halt at Moga		
	11th ..	Moga ..	Amritsar	To address the students and Isac Camps at Tharu, District Amritsar and at Attari, and to perform the opening ceremony of certain heads near Phillaur.
	12th ..	Amritsar ..	Chandigarh	
	16th ..	Chandigarh	Moga	(1) To visit Tharu, District Amritsar, Community Project works. (2) To open Library at Jullundur.
	17th ..	Moga ..	Amritsar	
		Amritsar ..	Chandigarh	

[Chief Minister]

Minister	Date/s	From	To	Purpose of the tour
	September, 1954			
Public Works Minister (*concld.*)	18th ..	Chandigarh ..	Simla ..	In connection with the Local Bodies matters.
	19th ..	Simla ..	Chandigarh	
	20th ..	Chandigarh ..	Pathankot ..	In connection with the Local Bodies matters and B. and R.
	October, 1954			
	2nd ..	Pathankot ..	Chandigarh	
	6th ..	Chandigarh ..	Batala	To see the flood situation in Batala Tehsil.
	7th ..	Batala ..	Chandigarh	
	11th ..	Chandigarh	Ambala and back	To perform the foundation-stone-laying ceremony of Muni School.
	12th ..	Chandigarh	Simla ..	In connection with local bodies matters.
	13th ..	Halt at Simla		
	14th ..	Simla ..	Chandigarh	*En route* to Batala public meetings in Batala Tehsil.
	20th ..	Chandigarh	Jullundur	
	21st ..	Jullundur ..	Batala	
	22nd ..	Batala ..	Qadian	
	23rd ..	Halt at Qadian		
	24th ..	Qadian ..	Batala	
	25th ..	Batala ..	Amritsar ..	In connection with Buildings and Roads Branch matters.
	26th ..	Halt at Amritsar		
..	27th ..	Amritsar ..	Chandigarh	For attending to certain representatives from inhabitants about Improvement Trust.
	29th ..	Chandigarh ..	Jullundur, and back to Chandigarh on the 30th October, 1954)	..

Minister	Date/s	From	To	Purpose of the tour
	September, 1954			
Labour Minister	1st ..	Halt at Jullundur		In connection with Excise, Taxation, Labour and Harijan Welfare matters.
	2nd ..	Jullundur ..	Hoshiarpur and back	
	3rd ..	Chandigarh..	Delhi	
		Delhi ..	Ambala Cantt.	
	4th ..	Halt at Ambala Cantt.		
	5th ..	Ambala Cantt.	Chandigarh	
	6th ..	Chandigarh..	Ambala and back	Private visit (No D.A. has been charged and charges for petrol also paid for from the Minister's pocket).
	9th ..	Chandigarh	Jullundur City	Addressed public meeting at Village Rattewal, Tehsil Garhshankar (Hoshiarpur). Attended Dedication Ceremony of Model Town Minor.
	10th and 11th	Halt at Jullundur		
	12th ..	Jullundur to Ambala and then to Chanidgarh		
	18th ..	Chandigarh	Gurdaspur	In connection with Excise and Taxation, Labour and Harijan Welfare matters.
	19th ..	Gurdaspur ..	Madhopur and back	
	20th ..	Gurdaspur	Moga	
	21st and 22nd	Halt at Moga	..	Besides official work, the Minister did some work in his private capacity, for which no D.A. has been charged.
	23rd ..	Moga ..	Chandigarh..	
	26th ..	Chadigarh ..	Muktsar	Addressed public meetings and in connecion with matters connected with Harijan and Labour Welfare, etc.
	27th ..	Muktsar ..	Giddarbaha	
		Giddrbaha	Abohar	
	28th ..	Abohar ..	Moga ..	Besides official work, the Minister did some work in his private capacity fo which no D.A. has been charged.

[Chief Minister]

Minister	Date/s	From	To	Purpose of the tour
	September, 1954 contd—			
Labour Minister (*concld.*)	29th ..	Moga ..	Amritsar ..	Addressed a public meeting of Mazhabies and attended to labour disputes.
	30th ..	Halt at Amritsar		
	October, 1954			
	1st ..	Amritsar ..	Chandigarh	Visited flood affected areas in Gurdaspur District.
	5th ..	Chandigarh	Gurdaspur	
	6th ..	Halt at Gurdaspur		
	7th ..	Gurdaspur ..	Chandigarh	
	8th ..	Chandigarh ..	Jullundur	Addressed public meetings at Kulu, Palampur and at Har in Dehra Gopipur Tehsil and also in connection with Harijan and Backward Classes, Labour and Excise and Taxation matters.
	9th ..	Jullundur ..	Mandi	
	10th ..	Mandi ..	Kulu	
	11th, 12th and 13th	Halt at Kulu		
	14th ..	Kulu ..	Palampur	
	15th ..	Palampur ..	Dharamsala	
	16th ..	Dharamsala	Jullundur	
	17th ..	Jullundur ..	Chandigarh	
	23rd ..	Chandigarh	Delhi	To meet Ministers of Central Government in connection with Harijan Welfare matters. Addressed a Harijan Conference at Rajaund
	24th and 25th	Halt at Delhi		
	26th	Delhi to Rajaund and then to Chandigarh		

Part (b)—Number of days for which each of the Ministers was on tour during the period from 1st September. 1954 to 4th October, 1954, along with the number of days spent by each one of them in tehsil Moga, district Ferozepore

Minister		*Number of days.*
Chief Minister	(i)	23 days
	(ii)	4 days
Development Minister	(i)	16 days
	(ii)	4 days
Irrigation and Power Minister	(i)	22 days
	(ii)	4 days
Finance Minister	(i)	25 days
	(ii)	1 day
Education Minister	(i)	28 days
	(ii)	13 days
Public Works Minister	(i)	17 days
	(ii)	3 days
Labour Minister	(i)	22 days
	(ii)	3 days

SELECTION OF P.C.S. OFFICERS LAST YEAR.

***4581. Sardar Gopal Singh** : Will the Chief Minister be pleased to state the names of persons selected for appointment to the P.C.S. last year, together with the names of persons belonging to the Scheduled Castes among them ?

Shri Bhim Sen Sachar : A statement containing the information asked for is given below—

Statement showing the names of persons selected for appointment to the P. C. S. (Executive Branch) last year (1954).

(NON-SCHEDULED CASTES)

Selection made against the vacancies of the year, 1952, from Register A-I(Tahsildars and Naib-Tahsildars)	1.	Shri Pritam Singh
	2.	Shri Nand Kishore
	3.	Shri Mohinder Singh
	4.	Shri Madan Lal Mongia
Selection made against the vacancies of the year, 1953, from Register A-I (Tahsildars and Naib-Tahsildars)	5.	Shri Om Parkash Bhatia
	6.	Shri Dalip Singh
	7.	Shri Amar Singh Bedi
	8.	Shri Babu Lal
	9.	Shri Hardayal Singh
Selection made against the vacancies of the year, 1953, from Regiser A-II (Ministerial Government Servants)	10.	Shri Madan Mohan Lall Jain
	11.	Shri Sohan Lal Puri

[Chief Minister]

Selection made against the vacancies of the year, 1953, from Register B (Competition)(Direct recruitment)	12. Shri Om Parkash Bhardwaj
	13. Shri Parkash Lal Kapur
	14. Shri Ved Parkash Dhir
	15. Shri Har Krishan Lal
	16. Shri Indar Kumar Suri
	17. Shri Onkar Singh Bains
	18. Shri Keshav Dass Gupta
	19. Shri Rameshwar Prakash Ojha
Selection made against the vacancies of the year, 1954, from Register B (Competition) (Direct recruitment)	20. Shri Surat Singh Rana
	21. Shri Anand Kumar Singh Bal
	22. Shri Hari Krishan Lal
	23. Shri Satya Pal Karwal
	24. Shri Jai Krishan Bali
Selection made against the vacancies of the year, 1953, from Register C Direct recruitment made from amongst practising lawyers	25. Shri H. S. Kwatra
	26. Shri Dev Krishna Khanna
	27. Shri Sata Vir Kessar
	28. Shri Balbir Singh
	29. Shri Amar Singh
	30. Shri Dharam Parkash Kapur
	31. Shri Hira Lal Mehra
	32. Shri Amar Nath Bhoil
	33. Shri Indar Kumar Anand
	34. Shri Girdhari Lal Nagpal
	35. Shri Manohar Lal Grover
	36. Shri Ambika Lal
	37. Shri Krishna Kant Jain
	38. Shri Suraj Narain Parkash
	39. Shri Jai Chand Aggarwal
	SCHEDULED CASTES
Selection made against the vacanices of the year, 1953 from Register B (Competition)	1. Shri Pritam Singh
	2. Shri Gurdayal Singh
	3. Shri Malkiyat Singh Kailey
Selection made against the vacancies of the year 1954	4. Shri Niranjan Singh
	5. Shri Amrik Singh
	6. Shri D. D. Kashyap

GRANT OF PENSIONS TO THE POLITICAL SUFFERERS.

*4315. **Shri Khushi Ram Gupta :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the criteria according to which political sufferers are granted pensions ;

(b) whether there are any cases where pensions have been granted irrespective of the criteria referred to in part (a) above ;

(c) if the answer to part (b) above be in the affirmative, the names of such persons in the State, district-wise?

Shri Bhim Sen Sachar : (a) The principal criterion for determining eligibility for the grant of pensions was the nature of sufferings undergone by the political sufferers concerned.

(b) No.

(c) Does not arise.

पंडित श्री राम शर्मा : क्या मैं दरियाफ्त कर सकता हूं कि जैसे ज़मीन अलाट करते वक्त कुछ बातों का ख्याल रखा जाता है और ज़मीन लेने के लिये कुछ शर्तों को पूरा करना पड़ता है क्या इसी तरह पेनशन लेने के लिये भी किसी कम से कम शर्तों को पूरा करना पड़ता है ?

ਵਿਕਾਸ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਜੀ ਹਾਂ। ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਕ agreement ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸਖਤ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

पंडित श्री राम शर्मा : वह बातें क्या हैं जो कम से कम उस आदमी को पूरी करनी पड़ती हैं जिस को पेनशन दी जाती है ?

ਵਿਕਾਸ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਘਟ ਤੋਂ ਘਟ ਇਕ ਵੇਰ ਕੈਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ 1942 ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦ ਹੋਣ ਨੂੰ ਖਾਸ ਵੁੱਕਤ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या मैं दरियाफ्त कर सकता हूं कि इस के इलावा कोई और शर्त नहीं है ?

ਵਿਕਾਸ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਕ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੁਢਾ ਹੋਵੇ। Age ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

पंडित श्री राम शर्मा : कोई तीसरी बात ?

ਵਿਕਾਸ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਯਾਦ ਨਹੀਂ।

ਸਰਦਾਰ ਖੇਮ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤ੍ਰੀ ਦਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ National Welfare Scheme Board ਦੀ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ Non-official ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿ official ਹੀ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਹਨ ?

ਵਿਕਾਸ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਯਾਦ ਨਹੀਂ

मुख्य मंत्री : National Welfare Scheme Board में पंजाब के Minister भी हैं। हमारे श्री जगत नारायण जी, सरदार प्रताप सिंह कैरों है, चौधरी लहरी सिंह हैं फिर ज्ञानी गुरमुख सिंह मुसाफिर हैं, कामरेड राम किशन हैं। इन के सामने जो applications आती हैं, जैसा कि मैं ने अर्ज़ किया था, उस के सवालों का जवाब देते हैं।

फिर जिन वरकरों को पेनशन दी गई है इस के लिये हमने स्वर्गीय डा. सत्यपाल से कहा था कि वह political sufferers के बारे में बतायें और अपने political worker पंडित श्री राम शर्मा की मदद भी चाहिये थी। उन की सिफारिशों पर पेनशनें मुकर्रर की गई थीं।

श्री बाबू दयाल : क्या मैं पूछ सकता हूं कि यह पेनशनें temporary हैं या permanent?

मुख्य मंत्री : यह पेनशनें साल ब साल चलती हैं।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या मुख्य मंत्री साहिब बतायेंग कि पेनशनें देते वक्त किन बातों को सामने रखा जाता है ?

अध्यक्ष महोदय : इस का जवाब पहले ही दिया जा चुका है। (This question has already been replied to.)

पंडित श्री राम शर्मा : जनाब कुछ बातें Development Minister ने बताई हैं कि पेनशन लेने वाला कैद हुआ हो। बूढ़ा हो। मेरा ख्याल था कि मुख्य मंत्री साहिब को भी इन के इलावा कुछ बातें पता होंगी।

मुख्य मंत्री : अगर मेरे फाज़िल दोस्त यह जानना चाहते हैं कि किस आदमी को यह पेनशनें दी जाती हैं तो इस के बारे में मैं यह बताना चाहता हूं कि पेनशन लेने वाले ने अपनी ज़िन्दगी किसी काज़ में लगा दी हो। कम से कम एक दफा कैद हुआ हो। यह शर्तें तो आप के वक्त में ही बनाई गई थीं। (पंडित श्री राम शर्मा : उन को छोड़िए) आप के वक्त में जो शर्तें lay out की गई थीं उन में अब तक किसी किस्म की deterioration नहीं आई। कुछ बेहतरी ही हुई होगी। इन शर्तों में कोई तब्दीली नहीं हुई। यह पैनशन कोई जागीर की तरह नहीं और न ही इनाम है। यह उन लोगों के लिय है जो गरीब हैं, बूढ़े हैं, कुछ कर नहीं सकते। यह है भी बहुत मामूली किसी को 50 रुपये औए किसी को 30 रुपये दिये जाते हैं।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या मुख्य मंत्री साहिब फरमायेंग कि जागीर देने में किन बातों को ख्याल रखा जाता है और पेनशन देने में किन बातों का ? इन दोनों में क्या फर्क है ?

मुख्य मंत्री : अगर आप नोटिस दें तो बता दिया जायगा।

श्री रिजक राम : मुख्य मंत्री साहिब ने फरमाया है कि यह पेनशनें एक एक साल के लिये दी जाती हैं तो क्या जिन को एक साल के लिये पैनशनें दी जाती हैं वह दूसरे साल के लिये भी eligible हैं या नहीं ?

मुख्य मंत्री : जी हां ! जिन को एक साल पेनशनें दी जाती हैं उन में से कई की पेनशनें साल ब साल चलती रहती हैं।

श्री रिजक राम : क्या उन्हें दुबारा दरखास्तें देने की ज़रूरत है ?

मुख्य मंत्री : उन्हें दुबारा दरखास्तें देने की ज़रूरत नहीं। बोर्ड के पास नाम होते हैं अगर वह फैसला कर दें कि आइन्दा पेनशन जारी रहे तो पेनशन जारी रहती है।

श्री श्री चन्द : क्या कोई पेनशन पाने वाला कांग्रस का मेंबर न रहे तो उस को पैनशन मिलेगी या नहीं ?

मुख्य मंत्री : इस बारे में मुझे यह मानना ही पड़ता है कि Board वाले liberal हो गए हैं। जो पेनशन पाने वाले गलत रास्ते पर चले गए हैं उन्हें भी साबका खिदमात की बिना पर पेनशनें दे रहें हैं।

ਸ਼੍ਰੀ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ : ਕੀ ਚੀਫ਼ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗੈਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਿੰਨੇ ਹਨ ?

मुख्य मंत्री : अगर माननीय मेम्बर इस सवाल का अलहदा नोटिस दें तो तादाद बताई जा सकती है। सरेदस्त में ऐसे लोगों की तादाद नहीं बता सकता।

श्री मूल चंद जैन : क्या चीफ मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि उन लोगों की तादाद कितनी है जिन की पेनशनें दूसरे साल बन्द हो गई थीं ?

मुख्य मंत्री : इस सवाल का जबाब दरियाफ्त करने के लिये माननीय मेम्बर अलहदा नोटिस दें।

ਸ਼੍ਰੀ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ : Political sufferers ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਰਜ਼ੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਰਾਜ਼ ਹੈ ?

मुख्य मंत्री : मेरा बस चले तो मैं इस पेनशन को permanent कर दूं लेकिन हम ने financial resources को देखना होता है। हम तो अपने आप को bind कर सकते हैं लेकिन आने वाली गवर्नमेंट पर कैसे पाबन्दी लगा सकते हैं।

SIRSA INCIDENT

***4432. Shri Ram Kishan** : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether the Government is aware of the controversy and the agitation going on in the press and on the platform with regard to the Sirsa incident ; if so, the details of the incident and the action taken or proposed to be taken by the Government thereon;

(b) whether any inquiry has been held in this matter; if so, the result thereof?

Shri Bhim Sen Sachar :

(a) Yes, on the night between 2nd and 3rd September, 1954, a burglary occurred in the house of one Kundan Lal, a Socialist worker of Sirsa. The miscreants responsible for this offence made good their escape after a scuffle with two or three other residents and the Chaukidar who surprised them and on whom they inflicted some injuries as a result of this scuffle. Case F.I.R. No. 61, dated 3rd September 1954, under section 458 IPC, was registered at Police Station City Sirsa in this connection. Finding the incident a very convenient and easily acceptable weapon of exploitation, certain interested parties tried to magnify it out of all proportion. On 3rd September 1954, they organised a demonstration (about 150) and after parading through the streets, marched upto the residence of

[Chief Minister]

S. Bhal Singh, D.S.P. who, at that time, happened to be away to Tohana. In his absence, they shouted slogans like "DSP Bahal Singh Ko Bahar Nikalo", "Ham Usko Phansi Denge", in the compound of his residence. While this was going on, the D. S. P. returned. On seeing him, the demonstrators trespassed into his residence and pelted stones at him, his Reader and S.H.O. City Sirsa who was with him. As a result of this pelting of stones, the D.S.P. and the S.H.O. were injured and some glass panes of the doors of the D.S.Ps. residence were also damaged. Finding himself thus mobbed, the D.S.P. with the assistance of the few persons with him, drove out the mob from his residence, with the use of sticks. Five of the demonstrators were overpowered and arrested on the spot. The mob re-assembled and proceeded towards the court of S.D.M.. Sirsa, shouting provocative slogans. They were again dispersed near P.S. Sadar Sirsa which is adjacent to the court compound. 23 persons were arrested on the spot, 15 near P.S. Sadar Sirsa and 8 from the court compound close by where they had escaped. Three more arrests were made later on in the day i.e. in all 31 persons were arrested in case F.I.R. No. 62, dated 3rd September 1954, under Sections 147/332/452/115, I.P.C., and section 9 of the Punjab Security of State Act, P. S. City Sirsa. This occasioned a Hartal at Sirsa from the 3rd September, 1954, as a protest against the alleged high handedness on the part of the D.S.P., and to demand his transfer. The Hartal was, however, called off on 9th September 1954, at the intervention of the Deputy Commissioner, Hissar, who agreed to order a preliminary magisterial enquiry into the entire incident.

(b) Yes. The Magisterial Inquiry, which was ordered into the incident leading to the registration of the case of assault on the Police on 3rd September, 1954, has upheld the action taken by the Police in handling the situation. The Inquiry Magistrate has, however stated that in the matter of the arrests there had been somewhat of an excess which was due to reasons beyond human control at that moment.

श्री राम किशन : क्या चीफ़ मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि जो अफसर ज़ख़्मी हुए उन का डाक्टरी मुआयना करवाया गया या हस्पताल में दाखिल हुए ?

मुख्य मंत्री : जिन्हें मरहम पट्टी की ज़रूरत थी उन्हें मरहम पट्टी करवाई गई । अगर कोई ज़ख़्मी आदमी अपने आप को खुद ठीक कर सकता था वह खुद ठीक हो गया ।

श्री मूल चन्द जैन : On a point of order, Sir. क्या माननीय मुख्य मंत्री जवाब देते वक्त "अगर" का शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं ?

श्री राम किशन : क्या मुख्य मंत्री कृपा कर के बताएंगे कि जो वहां के डिप्टी कमिश्नर की ओर से assurances दी गई थीं उस में बताया गया था कि किसी शख्स का एहतराम नहीं किया गया ।

Mr. Speaker: The hon. Member is giving information and not putting a supplementary question.

मुख्य मंत्री : क्या माननीय मेम्बर मुझ से तवक्कुह रखते हैं कि बिना नोटिस के ऐसे सवालों का जवाब उन्हें दूं ?

श्री राम किशन : क्या यह सच है कि जब Finance Minister साहिब वहां तशरीफ ले गए थे तो वहां के citizens का एक deputation उन्हें मिला था ?

Mr. Speaker: This is not a supplementary question. The hon. Member is giving an information rather than seeking it.

श्री राम किशन : Enquiry Committee की रिपोर्ट आई तो उस के बाद उन्हें कहा गया। क्या यह case वह चला रही है ?

मुख्य मंत्री : जी हां। यह case Enquiry Committee चला रही है।

पंडित श्री राम शर्मा : यह जो जवाब दिया गया है कि पुलिस को चोटें आईं और इस की enquiry मेजिस्ट्रेट के सुपुर्द की गई तो क्या यह जवाब उस enquiry के नतीजे की बिना पर दिया जा रहा है ?

मुख्य मंत्री : मेजिस्ट्रेट ने जो enquiry की और उस के बाद जो रिपोर्ट दी उस में पुलिस के action को uphold किया गया है।

श्री धर्म वीर वासिष्ठ : क्या चीफ मिनिस्टर साहिब यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सिरसा के citizens की कमेटी का कोई memorandum इस सिलसिले में गवर्नमेण्ट के पास आया था ?

मुख्य मंत्री : जी हां।

श्री धर्म वीर वासिष्ठ : क्या कोई मामला सिरसा के मुताल्लिक subjudice भी है ?

मुख्य मंत्री : जी हां। जिस बात की बिना पर arrests वग़ैरह हुईं वह सारा मामला अदालत में दायर है।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या यह जो जवाबात दिए गए हैं इन के देते वक्त यह ख्याल रखा गया है कि case subjudice है ?

मुख्य मंत्री : जी हां, बड़ी एहतियात से दिए गए हैं।

श्री धर्म वीर वासिष्ठ : क्या चीफ मिनिस्टर साहिब बताने की कृपा करेंगे कि Sirsa Citizens Committee का जो memorandum गवर्नमेण्ट को मौसूल हुआ था उस के बारे में बताएंगे कि वह क्या था ?

अध्यक्ष महोदय : इस के मुत्ताल्लिक आप अलहदा नोटिस दें।

(The hon. Member should given fresh notice for this question.)

श्री राम किशन : जो citizens के deputation ने शिकायात वग़ैरह पेश की थीं उस deputation के खिलाफ Deputy Superintendent Police ने कोई action लिया ?

मुख्य मंत्री : ज़बानी नहीं बता सकता। Action उन के खिलाफ लिया जाता है जो action के मुरतकिब हों। आया वह मुरतकिब हुए या नहीं मैं सरेदस्त नहीं बता सकता।

श्री राम किशन : क्या चीफ मिनिस्टर साहिब को इस बात का इल्म है कि जो citizens का deputation वित्त मंत्री को मिला था उसे Deputy Superintendent of Police के कहने पर बस्ता 'बे' में रखा गया था ?

मुख्य मंत्री : मिनिस्टर को उसी बात का पता होता है जिस का उसे नोटिस दिया जाये। उस के इलावा उसे किसी बात का इल्म नहीं होता।

REALISATION OF PUNITIVE POLICE TAX IN ROHTAK DISTRICT

***3946. Pandit Shri Ram Sharma** : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the names of villages and the amount realised from each as punitive police tax in Rohtak District during the years 1952, 1953 and 1954 up to 30th April;

(b) the exemption from this tax, if any, given by the Government to any persons or class of persons in the case of each village. during the period mentioned in part (a) above?

Shri Bhim Sen Sachar :

(a) and (b) } A statement is given below,

Serial No.	Name of the village	Amount recovered during			Persons granted exemption by Government
		1952	1953	1954 up to 30-4-54	
			Rs A. P.	Rs A. P.	
1	Sanghi ..	271	4,436 0 0	1,126 5 0	..
2	Jassia ..	1,379 4 0	3,525 10 0	2,960 0 0	..
3	Khadwali ..	353 0 0	4,190 13 0	3,604 8 0	..
4	Bhalout ..	555 6 0	4,030 13 0	1,421 0 0	I. R.B. Ch. Lal Chand. 2. Ch. Bharat Singh retd. N. T. 3. Raj Rup, Lambardar. 4. Inder Singh, Lambardar. 5. Dharam Singh 6. Jaglu, son of Molar, Jat.
5	Sunari Kalan ..	..	1,432 0 0	438 0 0	1. Bharat Singh Lambardar 2. Abha Ram, Advocate. 3. Kidara Jat. 4. Siri Ram, son of Gugan Singh, Risaldar.
6	Dhamar ..	..	1,983 0 0	527 8 0	..

Serial No.	Name of the villages	Amount recovered during 1952	1953	1954 up to 30-4-54	Persons granted exemption by Government
7	Bahu Akbarpur ..	..	3,744 4 0	1,203 12 0	1. Ch. Tek Chand, Congress Worker. 2. Raghbir Singh Lambardar. 3. Kidara, son of Chetu Jat.
8	Totoli ..	..	2,474 1 0	839 6 0	1. Chandgi, son of Ramjas, Jat, Sarpanch.
9	Jindran ..	..	476 0 0	128 0 0	..
10	Karentha ..	..	2,032 0 0	547 0 0	1. Ch. Jag Ram, retired I. G. Police, Bharatpur. 2. Nanhu, son of Indraj Jat,
11	Makrauli Khurd ..	..	830 0 0	224 0 0	..
12	Pehrawa ..	..	992 0 0	266 0 0	1. Amrit, Lambardar. 2. Hukam Chand, Lambardar.
13	Kaloi ..	..	4,899 0 0	4,366 0 0	..
14	Dobh ..	..	1,189 0 0	319 0 0	..
15	Chamarian ..	..	1,082 0 0	977 0 0	..
16	Makrauli Kalan ..	..	2,255 0 0	2,046 0 0	..
17	Bohar ..	..	5,017 0 0	1,350 0 0	..
18	Baliana ..	..	2,955 15 0	1,236 1 0	1. Ch. Pehlad Singh, Sarpanch 2. Gyani, Lambardar. 3. Jai Lal, Lambardar. 4. Sulhar son of Lakhi, Ahir.
19	Kehrawar ..	..	2,581 0 0	2,338 0 0	..
20	Dataur ..	..	1,237 0 0	1,118 0 0	..

[Chief Minister]

Serial No.	Name of the village	Amount recovered during 1952	Amount recovered during 1953	Amount recovered during 1954 up to 30.4.54	Persons granted exemption by Government
		Rs. A. P.	Rs. A. P.	Rs. A.	
21	Kahnaur ..	..	3,691 3 0	976 9	1. Jai Lall, Jamedar Chaukidaran.
22	Aailanga ..	..	4,109 0 0	1,106 0	1. Ram Bakhsh son of Idal Singh 2. Vidya Dhan, son of Ram Chander. 3. Tulsi Ram, Lambardar. 4. Jit Ram, son of Sarwar Singh, Rajput.
23.	Sundana ..	..	2,141 0 0	576 0	1. Jug Lal, Lambardar. 2. Suraj Mal, Lambardar. 3. Sumer Chand, Sahej Ram, sons of Sub. Prithi Singh. 4. Sheo Lal, son of Gokal.
24	Kharakhauda	..	3,551 0 0	..	
25	Rohna ..	..	5,008 0 0	..	
26	Khanpur Kalan	9,468 0 0	4,974 0 0	..	
27	Nait ..	3,322 0 0	..	..	
28	Kasandi ..	4,621 0 0	..	..	
29	Kasanda ..	2,505 0 0	..	..	
30	Ganwari ..	6,139 0 0	..		
31	Mundlana ..	856 0 0	2,339 0 0	..	
32	Kailana Khas	..	..	210 0	
33	Jawahra ..	..	953 0 0	..	
34	Bosana ..		1,165 0 0	..	
35	Dhurana ..	..	851 0 0	..	

Serial No.	Name of the village	Amount recovered during 1952	1953	1954 up to 30-4-54	Persons granted exemption by Government
36	Gharwal ..	..	3,618 0 0	307 0	1. Harphul, Lambardar.
					2. Phula, Licensee.
37	Ahulana ..	..	3,208 0 0	130 0	1. Vaid Jage, Jat.
					2. Vaid Kishan Lal, Jat.
					3. Chhote Ram, Brahman.
					4. Chhotu Ram.
					5. Mathu Ram, son of Ghasi Ram,
					6. Suraj Mal, son of Ghasi Ram.
					7. Ghasi Ram, Member, Panchayat.
38	Baroda .	..	6,942 0 0	313 0	1. Santu, Lambardar
					2. Kanshi, father of Faqira, Jat.
					3. Surat Singh, Sub-Inspector Police, retired.
					4. Chhote Lal, Brahman, Secy. Panchayat.
					5. Bawa Bakhshi Nath Mahant.
					6. Risaldar Dewak Ram, Brahman, Pensioner.
					7. Sub. Munshi Ram, Jat.
39	Jauli ..	2,615 0 0	1,728 0 0	1,331 0	..
40	Kheri Damkan	1,482 0 0	1,025 0 0	..	1. Kidara, son of Shib Lal, Lambardar
41	Bidhal ..	1,083 0 0	950 0 0	..	1. Dharam Vir, son of Mool Chand, Jat, Sarpanch.

[Chief Minister]

Serial No.	Name of the village	Amount recovered during 1952	Amount recovered during 1953	Amount recovered during 1954 up to 30-4-54	Persons granted exemption by Government
		Rs. A. P.	Rs. A. P.	Rs. A.	
					2. Kanhaya, son of Molar, Jat.
					3. Ram Saran, son of Molar, Jat.
42	Katwal ..	..	3,067 0 0	..	1. Mange Ram, Jat, Congress Worker
					2. Risal Singh, Jat, son of Data Ram.
					3. Hari Singh, Lambardar.
43	Jasarana ..	1,620 0 0	618 0 0	..	1. Master Nahnun Ram, M.L.A.
					2. Subedar Suraj Mal, son of Capt. Todar Singh.
44	Bali Brahmanan	..	1,929 0 0	..	1. Ram Dhari, Brahman, Congress Secretary .
45	Bhainswal Kalan	..	5,725 0 0	..	1. Bharat Singh, son of Shib Lal, Lambardar.
					2. Abhe, son of Shib Lal.
					3. Capt. Asa Ram, Jat, Pensioner.
46	Rukhi ..	..	1,989 0 0	714 0	1. Tale Ram, Brahaman, Licensee.
					2. Mohan Lal, Jat.
					3. Jamadar Surat Singh, Pensioner.
47	Inder Garh	..	630 0 0	470 0	1. Har Narain, son of Mangat, Brahman.
					2. Ram Sarup, son of Mangat, Brahaman.

Serial No.	Name of the village	Amount recovered during 1952			1953			1954 up to 30-4-54			Persons granted exemption by Government
		Rs.	A.	P.	Rs.	A.	P.	Rs.	A.	P.	
48	Garaothi ..	..			2.360	0	0	11	0	1.	Kalia, son of Bakhtawar, Rajput.
											2. Richhpal, son of Hari Singh, Jat.
											3. Prithi, Rajput.
49	Gorwar ..	..			3,359	0	0	..			1. Charanji Lal, son of Ishwari Parshad
											2. Capt. Matu Ram, son of Chhailu Ram.
											3. Sub. Ram Sarup, Pensioner.
50	Lakhan Majra	..			2,549	0	0	1,532	0		1. Deep Chand son of Har Chand, Sarpanch.
											2. Badlu Ram, Congress worker.
51	Kharak Jatan	..			989	0	0	..			1. Mohan Lal, son of Tirkha, Jat.
											2. Puran, son of Jhundu, Jat.
											3. Raj Rup, Lambardar
											4. Raj Rup, late Sarpanch.
52	Chhapra ..	..			1,188	0	0	..			
53	Gangana ..	..			5,655	0	0	237	0		
54	Jagsi ..	..			4,291	0	0	4,828			
55	Ahmadpur Majra	..			985	0	0	..			
56	Thaska ..	..			843	0	0	..			
57	Barota ..	974	0	0	1,064	0	0	..			
58	Ghillaur Kalan	..			1,779	0	0	41	0		
59	Chhucharana	..			2,469	0	0	466	0		
60	Ghiri ..	1,660	0	0	1,635	0	0	1,257	0		
61	Nandal	..			1,571	0	0	40	0		
62	Bahalba ..	..			6.434	0	0	908	0		

[Chief Minister]

Serial No.	Name of the village	Amount recovered during								Persons granted exemption by Government
		1952			1953			1954 up to 30-4-54		
		Rs	A.	P.	Rs.	A.	P.	Rs.	A.	
63	Nidana ..	..			5,234	0	0	137	0	..
64	Farmana ..	..			5,526	0	0	1,822	0	..
65	Kanwali ..	..			1,144	0	0	307	0	..
66	Kami ..	..			1,526	0	0	410	0	..
67.	Bhola ..	..			1,260	13	0	350	3	1.Bhartu , son of Kura, Jat. 2. Jitan, son of Prabhu, Jat. 3. Arjan,. son of Ram Karan. 4. Surta , son of Neki.
68	Naina Tatarpur	..			1,207	0	0	324	0	..
69	Rolad Latif-pur	..			1,231	0	0	331	0	..
70	Pinana ..	..			2,434	10	0	743	6	..
71	Jharoti	..			819	9	0	227	7	..
72	Jharot ..	..			900	0	0	243	0	..
73	Bhatgaon ..	..			6,434	0	0	1,835	0	..
74	Guhna ..	..			3,114	0	0	2,813	0	..
75	Asauda Todaran	5,401	11	6	879	12	9	..		..
76	Asauda Sewan	2,905	8	3	..			..		..
77	Ladrawan ..	3,882	15	6	..			..		..

Note.—(i) The individuals whose names are mentioned in the last column of this statement were exempted from liability to bear any share of the cost of the Punitive Police Post located on 62 villages of the Rohtak District (S. Nos. 1 to 23 and 36 to 74 of the statement), for the period from 16th September, 1952 to 15th March, 1953.

(ii) Besides the exemptees detailed above, serving soldiers, orphans and widows, who have no source of income, have been exempted from the payment of Punitive Police tax in all the villages. The case relating to the exemption of Government servants and employees of local bodies from the payment of the Punitive Police tax is under consideration and will be decided shortly.

पंडित श्री राम शर्मा : क्या मैं चीफ मिनिस्टर साहिब से पूछ सकता हूँ कि उन्हों ने ताज़ीरी चौकियों के मुताल्लिक बताया था कि हम अनकरीब यह कानून खत्म करने वाले हैं तो इस मामला में कितनी progress हुई है ?

मुख्य मंत्री : क्या यह सवाल इस सवाल से पैदा होता है ?

PUBLIC PROSECUTORS IN THE STATE

***4580. Sardar Gopal Singh**: Will the Chief Minister be pleased to state the names of Public Prosecutors, belonging to the Scheduled Castes, appointed in the State?

Shri Bhim Sen Sachar : The name of the only Scheduled Caste Public Prosecutor at present working in this State is Shri Salig Ram Kalotra.

SOCIAL WELFARE PROJECTS

***4431. Shri Ram Kishan**: Will the Chief Minister be pleased to state whether any social welfare projects have been started in the State; if so, the number of such Projects district-wise, the details thereof and the amount spent thereon up to date?

Shri Bhim Sen Sachar : Under the Welfare Extension Projects scheme sponsored by the Central Social Welfare Board, two projects are at present functioning—one at Nuh (District Gurgaon) and the other at Karnal in the Punjab State. Each Project has five to seven centres, and is estimated to cost Rs. 25,000 per year, out of which, the Central Social Welfare Board gives Rs. 12,500 per annum as a grant. The balance has to be raised by each Project Implementing Committee as grants from the State Government or local authority and from voluntary donations from the local Community.

2. The Central Social Welfare Board have approved a Budget amounting to Rs. 11925 for the Karnal Project for the current financial year against which they have already paid Rs. 5975 as their 50 per cent share. The remaining 50 per cent is yet to be collected. The Budget of Nuh Project has not so far been approved by the Central Social Board. As such, details of up-to-date expenditure are not available with Government at present.

श्री धर्म वीर वासिष्ठ : क्या चीफ मिनिस्टर साहिब बताने की कृपा करेंगे कि जो Social Welfare Projects नूह और करनाल में हैं वह कब से शुरू हुईं ?

मुख्य मंत्री : मैं इस के मुताल्लिक वाज़ेह कर दूं कि Social Welfare Board एक autonomous body है। Projects वह देते हैं गवर्नमेण्ट अगर चाहे तो contribute कर सकती है।

श्री धर्म वीर वासिष्ठ : क्या पंजाब सरकार ने इस में contribute किया है या नहीं ?

(iii) In the 62 villages at Serial Nos. 1 to 23 and 36 to 74 above, the tax in respect, of Punitive Police Post located in these villages was levied on land-holders only during the period from 16th September, 1952 to 15th March, 1953. Displaced land-holders (refugees) were, however, exempted. The Punitive Police Post was withdrawn from 44 of these villages after 15th March, 1953, and continued in the remaining 18 villages up to 15th, June, 1954. The exemptions pereviously granted continued.

मुख्य मन्त्री : पंजाब सरकार के पास भी contribution के लिए बाकायदा तौर पर दरखास्त होनी चाहिए। इस के मुतािल्लक कोई दरखास्त नहीं आई। जब आयेंगी तो ग़ौर किया जायेगा।

श्री मूल चंद जैन : करनाल में कौनसा Social Welfare Centre है ?

मुख्य मंत्री : करनाल में Social Welfare Centre है। वह किसी जगह काम कर रहा है मैं नहीं जानता। यह autonomous body है। हमारा ताल्लुक सिर्फ इतना है कि अगर वह गवर्नमैण्ट से grant मांगे तो हम उस पर ग़ौर करें और grant दें या न दें।

श्री धर्म वीर वासिष्ठ : क्या मुख्य मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि Social Welfare Projects करनाल में कहां २ बनाए गए हैं ? सवाल साफ़ है। तफ़सील से जवाब दिया जाए।

मुख्य मंत्री : किसी और की ज़िम्मेदारी सरकार अपने ऊपर लेने के लिए तैयार नहीं। Social Welfare का काम एक autonomous body ने अपने ऊपर लिया हुआ है। Government of India उन्हें रुपया देती है, हम से भी ले सकते हैं। अगर details की किसी को जरूरत है तो वे उन्हीं से बराहेरास्त दरियाफ्त करें।

UNSTARRED QUESTION AND ANSWERS.

APPLICATIONS FOR LAND BY EJECTED TENANTS

666. Shri Wadhawa Ram : Will the Minister for Development be pleased to state—

(a) the total number of the verified applications for grant of lands received by the Government from ejected tenants during the period from September, 1954 to 31st January 1955 ;

(b) the instructions if any, issued by the Government to the Deputy Commissioners in the districts in respect of these verified applications ;

(c) the names of the districts where and the number of tenants to whom lands have been granted; together with the total area of land so granted, districtwise?

Sardar Partap Singh Kairon :

(a) and (b)—All verified applications of ejected tenants were to be received by the Revenue Assistant of each district for allotment of waste land. A number of applications from ejected tenants were received by Government which were mis-sent by the tenants and were forwarded to concerned districts for necessary action,

(c) The information is to be collected from Deputy Commissioners in the State and will be communicated to the member.

LAND IRRIGATED BY CHOWDRY DISTRIBUTARY OF THE EASTERN CANAL, FEROZEPUR

668. **Shri Wadhawa Ram** : Will the Minister for Irrigation be pleased to state whether it is a fact that for the land irrigated by 'Chowdry' Distributary of the Eastern Canal, Ferozepur, double the usual abiana is charged; if so, the reason therefor?

Chaudhri Lahri Singh : Double water rates are charged because water is lifted by Irrigation Department through pumping sets. Even then, the scheme is not productive and the Department loses Rs 8,120 annually.

ELECTRIC FITTINGS IN THE QUARTERS OCCUPIED BY DISPENSERS OF CIVIL HOSPITAL, FAZILKA

669. **Shri Wadhawa Ram** : Will the Minister for Irrigation be pleased to state whether the sanction for electric installation in the quarters occupied by the dispensers of the Civil Hospital, Fazilka has been accorded; if not, the reasons therefor?

Sardar Gurbachan Singh Bajwa : The work has not yet been sanctioned. The estimate has been prepared. Necessary data is being collected for the completion of rental statement which is to accompany the estimate.

SWEEPERS AND WATER CARRIERS EMPLOYED IN CIVIL HOSPITAL, FAZILKA

670. **Shri Wadhawa Ram** : Will the Minister for Education be pleased to state the total number of sweepers and water carriers employed in the Civil Hospital, Fazilka, together with their pays?

Shri Jagat Narain :

Sweepers	*Water Carriers.*	
*2	*1	*Their scale of pay is Rs. 27-½-32, plus usual allowances sanctioned by Government from time to time.

KHARIF CROP DEMAGED IN FEROZEPUR DISTRICT

671. **Shri Wadhawa Ram** : Will the Minister for Development be pleased to state—

(a) the total area of land, tehsil-wise situated within twelve miles of the river Sutlej in Ferozepur District which has been rendered uncultivable due to heavy rains during Kharif 1954, according to the revenue record;

(b) the total area of land in acres, shown by the canal Department tehsil-wise on 'Kharaba' together with the total acreage of land under Kharif crop, tehsil-wise damaged according to the record of Canal Department in the year ;

(c) the difference in land revenue and abiana respectively realised in the year 1954-55 and 1953-54 from the aforesaid area?

Sardar Partap Singh Kairon : The information is, being collected and will be supplied to the member as soon as possible.

WATERLOGGING DRAINAGE TAX IN FEROZEPORE DISTRICT

672. **Shri Wadhawa Ram** : Will the Minister for Irrigation be pleased to state—

(a) the names of villages in Ferozepore, Fazilka and Muktsar Tehsils of Ferozepore District which are surrounded by canals and distributaries ;

(b) the distance between the villages referred to in part (a) above and the waterlogging channel ;

(c) whether waterlogging drainage tax is being charged from the said villages, if so, the reasons therefor?

Chaudhri Lahri Singh :

(a) and (b) The names of villages along with their distance from the drains (which are probably referred to as waterlogging channels) are given in the statement attached.

(c) Yes, a drainage cess is being recovered as part cost of the construction of these drainage schemes from the owners of the land benefited by the schemes.

Statement showing names of villages and their distances from the drains in Ferozepore, Fazilka and Muktsar tehsils of Ferozepore District.

Name of village	Distance between the village and the water-logging channel
Ferozepore Tehsil	
1. Lakhoke Baihram ..	½ mile
2. Kari Khurd ..	½ mile
3. Sharinh Wala ..	½ mile
4. Mohre ..	Nil
5. Alfuke ..	Nil
6. Hamad ..	Nil
7. Dila Ram ..	½ mile
8. Burj Makhan Singh Wala ..	½ mile
9. Kari Kalan ..	1 mile
10. Machhiwara ..	Nil
11. Kili ..	½ mile
12. Phullarwan ..	Nil
13. Khai ..	Nil

Name of village		Distance between the village and the water-logging channel
14. Mahalsinghwala	..	Nil
15. Dod	..	Nil
16. Hussain Shah Wala	..	Nil
17. Saddar Din Wala	..	½ mile
18. Bhura Khurd	..	Nil
19. Khangarh	..	Nil
20. Jhok Tahal Singh	..	Nil
21. Begu Mahu	..	Nil
22. Bhabra Azam Shah Wala	..	1/8 mile
23. Tara Singh Wala	..	Nil
24. Tur	..	Nil
25 Sodhiwala	..	½ mile
26. Karma	..	Nil
27. Pir Khan Sheikh	..	Nil
28. Bharoli Bhan	..	½ mile
29. Mallhuwala	..	¾ mile
30. Bhura Kalan	..	½ mile
31. Waryam Wala	..	½ mile
32. Nawan Killa	..	¾ mile
33. Jang	..	Nil
34. Chak Mabian . Hardo Daandi	..	1½ miles
35. Dhandi-Guddar	..	½ mile
36. Alike Jhugyan	..	1½ miles
37. Chak Sumayan Wala	..	Nil
38. Koer Singh Wala	..	Nil
39. Jamiyat Singh Wala	..	½ mile
40. Chak Tahli Wala	..	1 mile
41. Game Wala	..	Nil
Fazilka Tehsil		
1. Pakhi Wala	..	2 miles
2. Hauz Khas	..	1½ miles

[Minister for Irrigation and Power]

Name of village	Distance between the village and the water-logging channel
3. Lakheke Utar	½ mile
4. Lakheke Hithar	2 miles
5. Bahak Hasta Utar	Nil
6. Jamalke	1 mile
7. Kiryan Wala	Nil
8. Lakhewala Asli	1½ miles
9. Ladhuka	Nil.
10. Tarobari	Nil
11. Bharola	Nil
12. Abdul Kyaliq Alias Miyani Basti	Nil
13. Qili	Nil
14. Badha	Nil
15. Lashkar Din alias Ghaniani	1/8 mile
16. Ram Nagar	½ mile
17. Pacnhan Wali	Nil
18. Turkan Wali or Lalanwali	Nil
19. Saidok Hithar	½ mile
20. Mohammad Amira, Mohammed Islam	Nil
21. Gul Shah	¼ mile
22. Alam Shah	¼ mile
23. Saidoke Utar alias Chandmari	¾ mile
24. Rana	Nil
25. Jaurki alias Kankar Wala	Nil
26. Shaman Khanqah	1½ miles
27. Chak Banwala	2 miles
28. Chitrinwala	2 miles
Muktsar Tehsil	
1. Moranwala	Nil
2. Chak Jamal Garh	½ mile
3. Chak Mahantanwala	¼ mile
4. Jamal Garh	½ mile

Name of Village		Distance between the village and the water-logging channel
5. Ghanga Kalan	..	½ mile
6. Araian Wala	..	Nil
7. Arnian Wala	..	Nil
8. Chak Saidoke	..	Nil
9. Haddi Wala	..	2 miles
10. Ladhu Wala	..	1/8 mile
11. Ganga Khurd	..	¾ mile
12. Chak Sohelewala	..	1 mile
13. Bur Wala		Nil
14. Chak Burwala	..	Nil
15. Chak Paniwala or Suahwala	..	Nil
16. Suanwala or Wan Suahwali	..	Nil
17. Chak Arnianwala or Phulianwala	..	Nil
18. Chak Ghulam Rasul Wala	..	Nil
19. Molahan	..	Nil
20. Dhaban Khushal Joya	..	Nil
21. Dhaban Karyal	..	Nil
22. Chak Dhab Khushal Joya or Jhugyan Nandsingh Wala	..	Nil
23. Jandwala	..	Nil
24. Kuti	..	1 mile
25. Thotheranwala	..	Nil
26. Mahantanwala	..	¼ mile
27. Chak Surghure	..	Nil
28. Bahmni Wala	..	Nil
29. Dhandi Qadim	..	2 miles
30. Parbhatsinghwala Uttar	..	2 miles
31. Mohkam Arain	..	¾ mile
32. Parbhatsinghwala Hithar	..	2 miles
33. Dhandi Khurd	..	2 miles
34. Pir Baksh Chauan	..	1½ miles
35. Baggeke Hithar	..	1 mile
36. Chak Sukkar	..	1⅛ miles

[Minister for Irrigation and Power]

Name of village		Distance between the village and the water-logging channel
37. Alimke	..	1½ miles
38. Kahnewala	..	1½ miles
39. Baggeke Uttar	..	½ mile
40. Shamsudin Chishti	..	1½ miles
41. Amir Khas	..	½ mile
42. Burhan Din Wala	..	Nil
43. Chak Rakh Amir or Daroghewala	..	Nil
44. Moharsinghwala Utar	..	1 mile
45. Lamochar Kalan Hithar	..	1 mile
46. Ladhuwala	..	1/8 mile
47. Moharsinghwala Hithar	..	1 mile
48. Chak Gharina Sandar or Machhiwala	..	1 mile
49. Fattu	..	2 miles
50. Santokh Singh Wala	..	2 miles
51. Ramsingh Wala	..	2 miles
52. Sohna Sandar	..	Nil
53. Sokhera Bodal	..	Nil
54. Jalalabad	..	Nil
55. Chak Panniwala	..	Nil
56. Chak Rum Wala	..	Nil
57. Chak Sirian	..	2 miles
58. Saryan	..	1½ miles
59. Chak Chhapriwala, or Kundyanwala	..	1½ miles
60. Chak Janisar	..	2 miles
61. Chak Janlwala, or Maulviwala	..	1 mile
62. Chak Panj Koni or Kalewala	..	1 mile
63. Chak Qabar Wala	..	1 mile
64. Kathgarh	..	1 mile
65. Chak Kherewala or Jaimal Wala	..	1 mile
66. Chak Domal	..	Nil
67. Chak Singhwala	..	½ mile

Name of village		Distance between the village and the water-logging channel
68.	Chak Totianwala ..	Nil
69.	Singhewala ..	Nil
70.	Chak Sotarya ..	Nil
71.	Chak Bhabra ..	Nil
72.	Chak Panniwala ..	1/8 mile
73.	Chak Khandwala ..	Nil
74.	Chak Hamid Saidoke ..	Nil
75.	Chak Bhamba Watu ..	Nil
76.	Bhamba Watu Utar ..	½ miles
77.	Hamid Saidoke ..	½ mile
78.	Lakheke Mussahib Utar ..	½ mile
79.	Bhamba Watu Hithar ..	1 mile
80.	Jalla Lakheke ..	1½ miles
81.	Chak Khiwa ..	2 miles
82.	Chak Sukhera or Bulaqiwala ..	1½ mile
83.	Chak Sohna Sandar ..	Nil
84.	Lamochar Kalan Utar ..	Nil
85.	Chak Lamochar ..	Nil
86.	Maujewala ..	Nil
87.	Chak Mochan Wala ..	Nil
88.	Lamochar Khurd ..	Nil
89.	Chak Mohammade Wala ..	Nil
90.	Chak Tahli Wala ..	Nil
91.	Ghuhaya Hithar and Utar ..	¼ mile
92.	Chak Kathgarh ..	Nil
93.	Chak Arnian Wala or Kattian Wali ..	Nil
94.	Chak Mannewala ..	Nil
95.	Mare Kalan ..	Nil
96.	Mandiwala ..	1 mile
97.	Sher Mohammad Mahi Gir ..	Nil
98.	Ghulla ..	2 miles
99.	Tirpalke ..	1 mile

[Minister for Irrigation and Power]

Name of village		Distance between the village and the waterlogging channel
100. Guthan Bhati	..	1 mile
101. Guru Har Sahai	..	Nil
102. Malak Zada	..	Nil
103. Tillu Arain	..	1 mile
104. Jiwa Arain	..	1 mile
105. Mohanke Hithar	..	1 mile
106. Mohanke Utar	..	Nil
107. Mare Khurd	..	Nil
108. Wirk Khurd	..	Nil
109. Qutab Garh	..	½ mile
110. Nadhana	..	Nil
111. Chak Nadhana	..	Nil
112. Mehmun Joya	..	½ mile
113. Rukna Qasam	..	2 miles
114. Thara Singhwala Utar	..	2 miles
115. Balelke Hasil		2 miles
116. Dulleke Abad	..	2 miles
117. Dulleke Ghair Abad	..	2 miles
118. Badalke Utar	..	2 miles
119. Balelke Rohela	..	2 miles
120· Midda	..	2 miles
121. Natthu Chisti	..	2½ miles
122. Pireke Utar	..	2 miles
123. Bura Sarwan	..	2 miles

ABOHAR BRANCH OF SIRHIND CANAL

673. **Shri Wadhawa Ram** : Will the Minister for Irrigation be pleased to state—

(a) whether the Abohar Branch of the Sirhind Canal is being remodelled ; if so, whether the supply of water as a result of remodelling is expected to increase or decrease ;

(b) the area of land for the irrigation of which one cusec of water is supplied from the said canal ;

(c) whether the measure of irrigation referred to in part (b) is the same as in the case of the other canals in the State ; if not, the different measures in force and the names of the canals in respect of which they are in force ?

Chaudhri Lahri Singh, : (a) Yes ; the supply will increase from 3251 cusecs to 4824 cusecs.

(b) *Non-perennial.* 400 acres per cusec.

Perennial—

(i) Areas East of Ferozepore-Jakhal Line .. 422 acres per cusec.

(ii) Areas West of Ferozepore-Jakhal Line .. 364 acres per cusec.

(c) The water allowance is different on different canals as shown below :—

	Non-perennial	*Perennial*
Upper Bari Doab Canal	(Varies from 164 to 258 acres)	300 acres.
Eastern Canal	164 acres	...
Bhakra Canal	286 acres	364 acres.
Sidhwan Canal	286 acres	...
Western Jumna Canal	..	Varies from 202 to 364 acres.

PUCCA ROADS CONSTRUCTED UNDER THE FIVE-YEAR PLAN

674. Shri Wadhawa Ram : Will the Minister for Public Works be pleased to state the total mileage of pucca roads constructed up to January, 1955, under the First Five-Year Plan together with the mileage thereof districtwise ?

Sardar Gurbachan Singh Bajwa : The Schemes sanctioned and the miles to be constructed uuder the Five-Year Plan are detailed in the attached statement.

Correct information regarding mileage constructed up to January, 1955 cannot be given as different items of work such as earth work, collection of materials, consolidation, surfacing etc., are carried out at various stages to complete the whole road.

The road schemes are prepared and sanctioned to improve communications in the Punjab as a whole. The schemes are not sanctioned district, wise. Information districtwise can not, therefore, be given.

Statement showing the construction of roads in the State under the First Five-Year Plan

Serial No.	Name of Scheme	Provision in the Plan
		Miles
	FIVE-YEAR PLAN	
1	Harike-Makhu Road ..	4.5
2	Gohana-Panipat Road ..	20.0
3	Jullundur-Hoshiarpur-Dharamsala Road ..	6.0

[Minister for Public Works]

Serial No.	Name of Scheme	Provision in the Plan
		miles
4	Una-Nangal Raad ..	10.5
5	Amritsar-Udho-Nangal Road ..	12.0
6	Morinda-Chamkaur-Bela Road ..	6.0
7	Jagadhri-Paonta Road ..	9.0
8	Bhiwani-Loharu Road ..	10.0
9	Phillaur-Nakodar-Jullundur Road ..	4.0
10	Hansi-Jind Road ..	7.0
11	Ghanauli-Nalagarh Road ..	1.88
12	Delhi Border-Kharkhauda Road ..	4.0
13	Ambala-Pehowa Road ..	12.0
	ADJUSTMENT FIVE-YEAR PLAN	
14	Ranital-Jawala Mukhi Road ..	12.0
15	Panipat-Assand Road ..	20.0
16	Hoshiarpur-Tanda-Sirigobindpur (Udho Nangal Road) ..	44.0
17	Batala-Beas Road in Amritsar District ..	12.0
18	Ambala-Pehowa Road ..	20.0
19	Mubarakpur-Raipur Road ..	6.0
20	Muktsar-Jalalabad Road ..	17.0
	BHAKRA ROADS	
1	Tohana-Barwala ..	19.0
2	Hissar-Barwala ..	19.0
3	Hissar-Balsmand ..	16.0
4	Tosham-Ratia ..	20.0
5	Uklana-Bahuna ..	11.0
6	Uklana-Narwan ..	2.0
7	Ratia-Fatehabad ..	15.0
8	Fatehabad-Bhattu ..	11.0
9	Bhattu-Ludesar ..	12.0
10	Kalanwali-Dabwali ..	18.0
11	Dabwali-Chutala ..	18.0
12	Kaithal-Gula ..	19.0
13	Kaithal-Rajond-Assandh ..	17.0
14	Rupar-Nangal (Widening) ..	36.0
15	Lisara-Rahon Road in Jullundur District ..	16.0

DISTRICT BOARD HOSPITALS IN FEROZEPORE

675. **Shri Wadhawa Ram** : Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) the total number of District Board Hospitals in Ferozepore District together with the total population served by each such hospital ;

(b) the total annual expenditure incurred on each District Board Hospitals in the district by the Government and the District Board respectively together with the total cost of medicines annually supplied to each hospital by the District Board.

Shri Jagat Narain: The required information is contained in the enclosed statement.

Statement showing the District Board Hospitals and Dispensaries in Ferozepore District together with the total annual expenditure incurred on each District Board Hospital and Dispensary during the year 1953.

Hospitals and Dispensaries run by District Board, Ferozepore	Population served by the institution	Total amount of expenditure		Cost of medicines
		District Board	Government	
		Rs	Rs	Rs
1. Ferozepore ..	Information not available. It will follow.	12,851	3,000	5,541
2. Mudki ..		9,128	3,000	1,742
3. Nathana ..		5,408	3,000	1,618
4. Makhu ..		4,089	3,000	1,276
5. Mallanwala ..		4,627	3,000	1,140
6. Kot Isa Khan ..		6,966	3,000	1,315
7. Daroli Bhai ..		3,144	3,000	1,399
8. Patto Hira Singh ..		6,596	3,000	2,034
9. Kokri Kalan ..		5,831	3,000	1,321
10. Doda ..		4,305	3,000	1,104
11. Lekhowali ..		3,985	3,000	1,484
12. Sohangarh ..		9,002	3,000	2,721
13. Kanianwali ..		2,792	3,000	978
14. Panjkosi ..		3,087	3,000	1,199
15. Lambi ..		5,090	3,000	1,827
16. Ram Nagar ..		5,687	3,000	1,089
17. Jandwala Bhime Shah..		3,944	3,000	1,043

[Minister for Education]

Hospital and Dispensaries run by District Board, Ferozepore	Population served by the institution	*Total Amout of expenditure*		Cost of medicines
		District Board	Government	
18. Sitto Gunno ..	Information not available. It will follow.	5,739	3,000	1,051
19. Sarawan ..		5,445	3,000	1,588
20. Khui Khera ..		4,703	3,000	1,459
21. Malout ..		11,288	3,000	3,067
22. Ladhuka ..		4,402	3,000	1,455
23. Chak Sheranwala ..		4,172	3,000	1,093
24. Bagha Purana ..		..	9,724	2,211
25. Badni Kalan ..		..	8,134	2,135
26. Mehraj ..		..	9,111	3,077
27. Mamdot ..		..	6,893	1,730
28. Chrik ..		..	7,997	2,133

ARMS LICENCES TO VILLAGERS IN BORDER AREA

676. **Shri Wadhawa Ram** : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that licences for arms are granted to the villagers residing in border areas of the State for self-defence ;

(b) if the answer to part (a) above be in the affirmative whether it is a fact that these licence-holders are called upon by the Punjab Armed Police for patrol duties every now and again; if so, the maintenance allowance, if any, given to them for the purpose ?

Shri Bhim Sen Sachar:

(a) It is a fact that licences are granted to suitable villagers in Border areas for self defence.

(b) It is not a fact that these licensees are called up by P. A. P. for patrolling.

THEFTS COMMITTED ON FEROZEPORE BORDER

677. **Shri Wadhawa Ram** : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the total number of cases of thefts on the Ferozepore border registered during the period from 1st January to 31st December, 1954 ;

(b) the total number of cases referred to above which have been traced and the number which still remains untraced together with the reasons therefor ;

(c) whether any relief has been given by Government to people whose stolen property has not so far been traced ; if so, what ?

Shri Bhim Sen Sachar:

(a) 14.

(b) 5 traced ; 9 still to be traced by Pakistan Police.

(c) No.

3 p.m.

POINT OF ORDER RE DISPOSAL OF FILE WORK BY AN OFFICER WHILE SITTING IN THE OFFICIAL GALLERY

श्री सिरी चन्द : On a point of Order, Sir. एक अफसर यहां बैठे दफ़तर का काम कर रहे हैं। Is this not contempt of the House? अगर उन को यहां बुलाया गया हो, तो proccedings को attend करें, यहां पर बैठ कर वे और कोई काम नहीं कर सकते ।

Mr. Speaker : I shall give my opinion later.

मुख्य मंत्री : जनाब, मैं यह अर्ज़ कर दूं कि मेरे फाज़िल दोस्त को इल्म होना चाहिए कि 'galleries are not part of the House'. Officers को यहां इस लिए बुलाया जाता है कि किसी इत्तलाह की ज़रूरत हो तो उन से ली जा सके। जब उन से कोई बात पूछी जाती है, तो वे लिख कर भेज देते हैं। अगर उन्हें यहां पर files खोलने की भी इजाज़त न हो तो काम कैसे चल सकता है, कोई इत्तलाह उन से कैसे ली जा सकती है और मेम्बर साहिबान को फौरन कैसे दी जा सकती है। मेरे फाज़िल दोस्त gallery में बैठे किसी शख्स की तरफ इशारा भी नहीं कर सकते और न galleries House का part हैं।

श्री सिरी चन्द : मेरे ख्याल में Chief Minister साहिब को convention का पता ही नहीं। Gallery में बैठ कर कोई शख्स यहां नाच नहीं कर सकता। मेम्बरों को right है ; royalty को भी वह gallery में से उठा सकते हैं। यहां तक convention है कि अगर कोई औरत अजीब कपड़े पहिन कर gallery में बैठी हो, तो मेम्बरों को इस बात का हक हासिल है कि उसे उठा दें। आप conventions देख लें। Gallery is also a part of the House. यहां पर दफ़तर का काम करने की किसी को इजाजत नहीं। That is against convention.

Mr. Speaker: Gallery is not a part of the House; however, the point that the hon. Member has raised will be considered.

पंडित श्री राम शर्मा : मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जब हाऊस के मेम्बरों के लिए बहुत सारी पाबन्दियां हैं—'वे यहां बैठ कर अखबार नहीं पढ़ सकते, जो मामला सामने हो सिवाए उस के किसी तरफ ध्यान नहीं कर सकते इत्यादि'—तो क्या यह बातें galleries में बैठने वालों पर ज़्यादा आयद नहीं होतीं ? क्या उन्हें ऐसे behave नहीं करना चाहिए जैसा कि House की dignity के मुताबिक हो ?

Mr. Speaker : अफसरों की gallery और दूसरी gallery में मुझे कुछ फर्क मालूम होता है । Heads of Departments के यहां पर files लाने और पढ़ने के मुतअल्लिक जो position है, उसके बारे में बाद में अर्ज़ करूँगा ।

(I feel there is some difference between the officers' gallery and other galleries. I shall, however, let the House know my considered opinion in regard to the Heads of Departments, bringing files and studying them in the official gallery.)

RESUMPTION OF DISCUSSION ON GOVERNOR'S ADDRESS

Mr. Speaker. Today also I have received a number of notices of the following amendments to the Motion of Thanks. These amendments will be deemed to have been moved and can be discussed along with the main motion.

28. Shri Lajpat Rai :

29. Shri Teg Ram :

That at the end of the motion, the following be added—

" but regret that there is no mention of growing unrest among the peasants due to hardships of ejectments and other repressions and on the other hand day-to-day fall in the prices of their produce (foodgrains and cotton)."

30. Professor Mota Singh Anandpuri :

That at the end of the motion, the following be added—

" but regret that no mention has been made therein of—

(1) financial stability of the deficit State and unrest caused by financial depravity amongst the poverty-pestered masses;

(2) exploration of ways and means to remove disparity in salaries and income;

(3) insecurity in rural areas; and tremendously increasing cases of murder;

(4) unemployment and abolition of beggary;

(5) retrenchment of junior servants;

(6) unrest amongst the displaced persons;

(7) unrest amongst the low-paid subordinate services, such as clerks, teachers, patwaris, chaprasis, constables, etc.;

(8) uplift of backward classes on non-religious basis;,

(9) provision for the award of land to landless people and small cultivators;

(10) repleal of Betterment Levy, Surcharge Tax and Professional Tax, etc.

(11) stabilization of costs of agricultural products and establishment of parity in the prices of industrial and agricultural products.;

(12) grant of relief to all the bonafide political sufferers, whose cases have been pending for the last two or three years;

(13) reinstatement of lambardars dismissed during the British regime for their political activities;

(14) rigid separation of judiciary from the Executive;

(15) controversy over cultural and linguistic problem;

(16) allotment of sufficient sums for the encouragement of cottage and small industries;

(17) roads and bridges in the rural areas."

31. Shri Mohan Lal Datta :

That at the end of the motion, the following be added—

" but regret that no mention has been made therein of—

(a) the ways and means to achieve the object of a socialistic pattern of society;

(b) moral and spiritual uplift of people in order to check corruption and other social evils;

(c) nationalisation of Transport at an early date;

(d) the use of hand spun and hand-woven khadi;

(e) problem of Chos and reclamation of land;

(f) distribution of land among landless cultivators."

32. Shri Gopi Chand Gupta :

33. Shri Daulat Ram :

That at the end of the motion, the following be added—

" but regret that no mention is made in the address regarding low-paid servants and the classical and vernacular teachers."

34. Shri Gopi Chand Gupta :

That at the end of the motion, the following be added—

" but regret that there is no mention of—

(a) opening new Technical Schools;

(b) opening Gita University at Kurukshetra;

(c) removal of beggary from the State;

(d) opening a home for the lepers in the State ".

35. Chaudhri Sri Chand :

That at the end of the motion, the following be added—

" but regret that no mention has been made there in of—

(1) the unemployment in the State;

(2) the falling prices of land products;

(3) the step-motherly treatment meted out to the people of Haryana, in the appointment of services ".

Mr. Speaker : On 2nd of March, 1955, when the House adjourned, Shri Chand Ram Ahlawat was still on his legs. Now I call upon him to resume his speech.

श्री चांद राम अहलावत (झज्जर) : प्रधान जी, परसों के रोज़ मैं ज़िक्र कर रहा था कि अगर ग़रीब आदमी को वोट का हक मिलने का कोई लाभ प्राप्त होना है, तो लाज़िमी तौर पर हमारी हकूमत को इस बात का प्रबन्ध करना पड़ेगा कि एक ऐसा निज़ाम कायम हो जिस में उस को सामाजिक और आर्थिक न्याय मिल सके।

हमने गवर्नर साहिब के भाषण को और उस में जो बातें कही गई हैं इस कसौटी पर परखना है। भाषण में कहा गया है कि सरकार ग़रीब, पसमांदा या दल्लित या पिछड़े हुए आदमियों को ऊपर उठाने के लिए दृढ़ निश्चय से उपाय करेगी मगर इस Address को पढ़ने के बाद कोई नहीं कह सकता कि सरकार ने पिछले साल इस सिलसिले में कौन से दृढ़ उपाय किए या भविष्य में करने वाली है। मैं समझता हूँ पंजाब में आज मुज़ारों के मसले से बड़ी कोई और समस्या है ही नहीं। इस समस्या के महत्व का इसी बात से पता चलता है कि जब हमारे देश के वज़ीरे-आज़म देहली से चल कर डलहोज़ी आए तो उन्होंने अपनी तकरीर में खेद प्रकट किया और कहा 'पंजाब में मुज़ारों की हालत बहुत बुरी है' उन मुज़ारों की परेशानी के बारे में सारे Address में एक लफ़्ज़ भी न हो, तो उस से क्या नतीजा निकाला जा सकता है? क्या हमारी सरकार को मुज़ारों की बेचैनी और तकलीफ़ों की कोई खबर नहीं? क्या अभी वक्त नहीं आया—उनकी तकलीफ़ों के इलाज का? इस सिलसिले में मैं Planning Commission के जिस ने पहली पंच-वर्षीय योजना तैयार की थी शब्दों को पढ़ कर सुनाना चाहता हूँ :—

> "It would be difficult to maintain a system in which, because of accidents of birth or circumstance certain individuals are denied the opportunity of rising in the social scale by becoming cultivators and owners of land."

प्रधान जी, ये शब्द मेरे नहीं हैं। ये शब्द उन के हैं जो हमारी आर्थिक नीति को निर्धारित करने वाले हैं और Five-Year Plan को चलाने वाले हैं। ये शब्द हमारी सरकार के लिए संकेत करते हैं कि जो लोग राज्य में काम करते हैं, परिश्रम कर के रोटी खाते हैं और जिन के पास ज़मीनें नहीं हैं चाहे वे किसी जाति में पैदा हुए हों, उन को ज़मीनें दी जाएं। यदि वे लोग भी विदेशी सरकार की खिदमत करते, चापलूसी करते तो उन को भी ज़मीनें मिली होतीं। जिन लोगों ने देश के साथ ग़द्दारी कर के विदेशी सरकार की सेवा की और खुशामद की उन्हों ने ज़मीनों पर कब्ज़ा कर लिया जबकि दूसरे लोग स्वयं हाथ से काम कर के खाते रहे। साथ ही दूसरों को भी खिलाते रहे। आज उन लोगों की दशा दयनीय है। यदि ग़ुरबत का यही निज़ाम कायम रहेगा तो हमारा democracy से विश्वास उड़ जाएगा। बीसवीं सदी के एक बड़े economist (अर्थ शास्त्र के विद्वान) हुए हैं। उन्हों ने एक पुस्तक में लिखा है कि " Poverty is the greatest degradation of mankind." जो लोग परिश्रम करने वाले हैं लेकिन दूसरे साधन जिन के पास नहीं हैं उन को साधन सम्पन्न लोग ज़मीनें बोने नहीं देते। यह बड़ी खेद की बात है। इस के फलस्वरूप वे बेचारे बेरोज़गारों की पंक्ति में जा खड़े होते हैं और देश के लिए खतरा पैदा करने वाले बन जाते हैं। अतः प्रधान जी मैं आप की वसातत से हाऊस के मैम्बरों को और वज़ीर साहिबान को कहना चाहता हूँ कि इस चीज़ का शीघ्र ही कोई उपाय करें। जो लोग मेहनत करने वाले हैं उन को उन की मेहनत का सिला दिया जाएगा याकि नहीं। जो लोग शताब्दियों से ज़मीनों की काश्त करते आये हैं उन को मालिक बनाया जाएगा कि नहीं?

प्रधान जी, इस के इलावा Address में यह ज़िक्र किया गया है कि हरिजनों को ऊपर उठाने के लिए बड़े २ इन्तज़ाम किए जा रहे हैं। हमारे विधान में छूआ-छूत को मिटाने के लिए उपबन्ध किया गया था। लेकिन जैसा कि चौधरी माम चन्द जी ने कहा था मुझे भी यह बात कहने में कोई झिझक नहीं है कि यह सब कुछ कागज़ों पर ही धरा हुआ है। मुझ बताया जाए कि हरिजनों के लिए कितने मन्दिर खोले गए हैं? कितने कुएं उन के लिए पानी पीने को खोले गए हैं? उन बेचारों में हिम्मत नहीं है कि वे अदालतों में जा कर शिकायतें करते फिरें और गवाह पैदा करते फिरें। कोई भी उन का साथ देने को तैयार नहीं है और वे ग़रीब विधान के इस उपबन्ध का लाभ उठाने से कासर रहते हैं। इस के बाद मैं reservation के बारे में कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ। मैं अपने मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूँ उन्हों ने हरिजनों के लिए नौकरियों में reservation 15 प्रतिशत से बढ़ा कर 21 प्रतिशत कर दी है। उन के लिए नौकरियों की तादाद पहले थोड़ी थी अब बढ़ गई है। लेकिन मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जो नौकरियां उन के लिए reserve की जाती हैं वह उन को नहीं मिलतीं। मुझे कहने में हिचकिचाहट नहीं है कि अखबारों में देखा जाता है कि अमुक अमुक नौकरियां हरिजनों के लिए सुरक्षित रखी गई हैं। परन्तु साथ ही यह add कर दिया जाता है कि "Provided he is found suitable". ये शब्द reservation के सारे मनशे को समाप्त कर देते हैं। फिर हमारी सरकार Nationalisation of Transport कर रही है। मैं पूछता हूँ कि कितने conductor हैं जो हरिजन हैं? Conductor के लिए कोई technical qualification की ज़रूरत नहीं है। एक दस जमात पास लड़का काम कर सकता है। पहले तो 7 और 8 जमायत पास लड़के भी काम करते रहे हैं। लेकिन वहां पर भी हरिजनों की तादाद नफ़ी के बराबर है। दूसरी technical jobs, जैसे डाक्टर्ज़, का भी यही हाल है। जब Government reservation की पालिसी पर अमल करती है तो उसे देखना चाहिए कि Reserved Post हरिजनों को क्यों नहीं मिलतीं। Technical आदमी नहीं मिलते तो उन के लिए सरकार को उपाय करना चाहिए, उन की training की व्यवस्था करनी चाहिए। जो ग़रीब आदमी $1\frac{1}{2}$ रुपया रोज़ कमाता है वह अपने बच्चों को technical Education किस तरह दिलवा सकता है। ग़रीब हरिजनों की 6, 6 और 7, 7 वर्ष की लड़कियां गोबर चुनने के लिए बाहर फिरती रहती हैं। उन के लिए 2 आने या 4 आने भी utility के होते हैं। ऐसे ग़रीब लोग किस तरह अपने बच्चों को 16, 16 और 17, 17 वर्ष तक पढ़ा सकते हैं? उन की सही हालत का अन्दाज़ा लगाना हो तो आप चण्डीगढ़ में देखें। चण्डीगढ़ की इन झौंपड़ियों में देखें जिन में वे ग़रीब लोग अपने छोटे २ बच्चों और बीवियों को लिए पड़े हैं। छोटी २ झौंपड़ियों में 10, 10 आदमी एक दूसरे के ऊपर ठुसे पड़े होते हैं। हमारे Labour Minister साहिब को तो शायद फ़ुर्सत न हो लेकिन मैं अपने मुख्य मंत्री जी से ज़रूर प्रार्थना करूँगा कि वे उन की दुर्दशा को जा कर देखें। जब ज़ोर से बारिश आती है, तूफान आता है, तो उन की झौंपड़ियां उड़ जाती हैं, बर्षा उन के सिरों पर पड़ती है और उनको सिर छिपाने की कोई जगह नहीं मिलती। जाड़ों के अन्दर ज़ोर की हवा चलती है, बर्षा होती है उन के पास सरदी से बचने का उपाय क्या है? आप लोग तो लाखों रुपए के बंगलों में आराम से पड़े रहते हैं, उन के पास रहने के लिए भी कोई जगह नहीं है। जब Sweepers' Federation के कुछ आदमी मिले तो उन को

[श्री चांद राम अहलावत]
सान्तवना दिला दी गई कि तैयार होने पर हरिजनों को सस्ते मकान दिये जायेंगे। लेकिन जब मकान तैयार हुए तो और २ आदमियों को दे दिए गए और हरिजनों का पता भी नहीं कि वे कहां रह रहे हैं। जो लोग आप की सेवा करते हैं और ऐसा घृणित काम करते हैं जिस को आप नहीं करना चाहते उन के रहने के लिए मकान भी नहीं हैं। मुझे बताइये कि 25, 25 मुरब्बा फुट झोंपड़ियों में 10, 12 आदमी किस तरह समा सकते हैं? सरकार कब उन के लिए मकानों की व्यवस्था करेगी? करेगी या नहीं करेगी? मैं अपने मुख्य मंत्री जी से अर्ज़ करूंगा कि चण्डीगढ़ के बारे में C.I.D. की रिपोर्ट मंगवा लें और देखें कि यहां पर हरिजनों की हालत क्या है। Construction के ठेकेदार, जिन को इनसानों के भी ठेकेदार बना रखा है उन की औरतों की असमत लूटते हैं, झोंपड़ियों में उन के मुन्शी उन की असमत लूटते हैं। इस स्वतन्त्रता के युग में भी इन खून चूसने वालों को इनसानों के ठेकेदार बना रखा है। उन गरीबों की औरतें और लड़कियां सिरों पर टोकरियां उठाती हैं, सड़कों पर रोड़ी कूटती हैं फिर भी उन पर किसी को दया नहीं आती। आप लोग शानदार बंगलों में बैठे रहते हैं और वे ग़रीब सड़कों की पटड़ियों पर पड़ी रहती हैं उन पर किसी को दया नहीं आती। महात्मा गांधी की जय बोलने वालों को उन का ज़रा भी खयाल नहीं आता। महात्मा गांधी की तस्वीर सब वज़ीरों के कमरे में लटक रही है, सब सैक्रेटरियों के कमरे और दूसरे बड़े २ अफसरों के दफतरों में लटक रही है। Chief Engineer, Capital के दफतर में भी लटक रही है। लेकिन किसी ने यह भी कभी सोचा है कि वह नंगा फकीर क्या कहता था? वह कहता था कि स्वतंत्रता मिलने पर मैं हरिजन की कन्या को राष्ट्रपति के तख्त पर बिठाऊँगा। लेकिन अब वास्तव में हो क्या रहा है? मेरी बातें लगती तो ज़रूर कड़वी होंगी परन्तु मेरा यह कर्त्तव्य है। मुझे हरिजनों ने यहां पर अपना नुमाइंदा बना कर भेजा है। मेरा फर्ज़ है कि इस हाऊस में उन की सही नुमाइंदगी करूँ। मुझे यह भी उम्मीद है कि मेरी बातें बहरे कानों पर नहीं पड़ेंगी। इस लिए मैं अर्ज़ करूँगा कि इस ठेकेदारी के system को जल्दी से जल्दी समाप्त किया जाए। दूसरे काम करने वालों को भी ठेकेदारों के बराबर ही अधिकार दिये जाएं।

स्पीकर साहिब, अब मैं ज़ात-पात के बारे में कुछ इशारा करना चाहता हूँ। आज भारतवर्ष में जो ज़राए पैदावार हैं वे सब ज़ात-पात के नाम पर ही बटे हुए हैं। व्यापार है, नौकरियां हैं, तालीम है वह सब कुछ इसी हिसाब से बड़ी जाति वालों के हिस्से में ही आती हैं। हमारे धर्म शास्त्र ने हरिजनों के हिस्से में ऐसा कोई ढंग नहीं छोड़ा, न शिक्षा, न व्यापार और न ही नौकरी। अब आप ने हरिजनों को नौकरियां देनी शुरु की हैं। असैम्बली में कुछ जगह दे दी और चन्द लोग Parliament में भी ले लिए गए। लेकिन इस से हरिजनों का उद्धार नहीं होता। यह मत समझिए कि हरिजन मुनज़्ज़म नहीं हैं, वे तो dumb-driven cattle है, उन की कोई organisation नहीं है। इस युग में तो उस को कुछ मिलता है जो agitation करता है, जो direct action पर तुल आए आप उस को कुछ देते हैं। Teachers ने agitation की तो उन को कुछ मिला, अगर clerks ने agitation की तो उन को कुछ दिया गया उन की तनखाहें बढ़ा दीं। जिस ने direct action की धमकी दी उस की आवाज़ सरकार तक पहुँची। लेकिन हरिजन देश में बे-चैनी नहीं पैदा करना चाहते। हम आप के democratic हिन्दुस्तान में रह रहे हैं।

संविधान ने हमें वे सब अधिकार दिए हैं जो कि दूसरों को दिए हैं। इस लिए हम अपने ही देश में अशान्ति पैदा नहीं करना चाहते। हम तो peaceful तरीके से, शान्ति पूर्ण तरीके से अपने हकूक लेना चाहते हैं। क्या हकूमत चाहती है कि हरिजन लोग भी agitation करें? क्या बिना agitation किए किसी के मन में यह विचार नहीं आता कि उन ग़रीबों को भी कुछ दिया जाए जिस से उन की जाति का भी उद्धार हो सके?

ਸਰਦਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿੰਘ (ਡਹਿਲੋਂ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਡਰੇਸ ਤੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਸੀਤਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦੀ ਦਾ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਐਡਰੇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਿਸ ਲਈ ਮੈਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਸਕਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਈਦ ਕਰ ਸਕਾਂ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਡਰੇਸ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਜਿਨੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਬੋਲੇ ਹਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦਾ ਬੜਾ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਇਹ ਸੂਬਾ partition ਤੋਂ ਬਾਅਦ deficit ਸੀ ਉਥੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵਾਲਤੂ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਗ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਭਾਖੜਾ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਖੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ credit ਦੇਵਾਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਗੌਰਮਿੰਟ ਵੇਲੇ ਬਣੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਗੌਰਮਿੰਟਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਨਿਰਾ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ। ਪੈਸਾ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਧਾਈ ਦੇਵਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਨੂੰ complete ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਮੈਂ ਇਸ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਮੁਬਾਰਿਕਬਾਦ ਦਿਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਡੈਮ ਦੇ ਤਾਮੀਰ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਜੇ ਮੁਕੰਮਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਦੀ corruption ਕਰਵਾਈ? ਕੀ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ technical knowledge ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਜਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਿਕਬਾਦ ਦੇਣ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਾਮਣੇ ਰਖਦੇ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਕੰਮਾਂ ਹੈ; condemn ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਐਡਰੇਸ ਵਿਚ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 85% ਆਬਾਦੀ ਦਿਹਾਤਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਦਿਹਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਾਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਬਨਾਉਣਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਖ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ

[ਸਰਦਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿੰਘ]

ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ anxious ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਨ 1885 ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲੀ। ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ Provision ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ non-official ਨੂੰ ਵੀ Chairman ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਦੀ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾ ਜਚੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖੋਹ ਲਈ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਇਆਂ 16, 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ representative bodies ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਤੇ democratic ਢਾਂਚਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਪ ਦੀ ਰਾਹੀਂ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੂੰ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਹਨ ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ? ਕੀ ਉਥੋਂ ਦੇ official members ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ represent ਕਰਦੇ ਹਨ ? ਕੀ ਮੈਂ ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਵਾਂ ? ਕੀ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਵਾਂ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਨੇ represenative bodies ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ officialdom ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ? ਕੀ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਬਨਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਚਮੁਚ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਪਾਸ ਨਵਾਂ ਘਰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਲਈ material ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ engineer ਨੂੰ consult ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਘਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਛਡਿਆ ਕੀ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਆਪਣੀ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿਆਂ ?

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਐਡਰੇਸ ਵਿਚ education ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਦੁਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਅਵੱਲ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਹਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਭੁਲੇ ਚੁਕੇ ਕੋਈ dispensary ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਉਥੇ ਦਵਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ? ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਸੌ ਜਾਂ ਦੋ ਸੌ ਰੁਪਿਏ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹੋਣ ਵੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੇ ਪਿੱਠੂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਦਮੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਜਦੇ। ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਕੀ ! Education ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ? ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆਂ ਅੱਠ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਉਹੀ ਬਲਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੱਦਤਰ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਕ ਆਦਮੀ 12 ਜਾਂ 14 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬੇਕਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਕੀ ਮੈਂ ਇਸ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੂੰ ਇਸੇ achievement ਲਈ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਵਾਂ ? ਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ?

ਵਿਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, corruption ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ steps ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ Address ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ corruption ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਨਿਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਹੋਵੇ ਉਹ Deputy Commissioner ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਫ਼ਸਰ ਪਾਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਫ਼ਲਾਨ ਮਨਿਸਟਰ ਦਾ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਫ਼ਲਾਣੇ ਮਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਫ਼ਲਾਣਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਜਾਏ corruption ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ministers ਨੇ corruption ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ encourage ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਉ। ਚੋਣਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਿਸਟਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਆਦਮੀਆਂ ਕੋਲ ਠਹਿਰਦੇ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੰਗੇ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ, ਗਏ ਚਾਹਾਂ ਪੀਤੀਆਂ, ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ? ਉਹ ਆਦਮੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਮਨਿਸਟਰਾਂ ਦਾ ਪੈਰ ਪੈ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੀ ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਵਾਂ ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ Administartion ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ ਚਾਲੂ ਕਰ ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰੀ, ਬੈਂਚਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ nationalisation of transport ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਇਸ ਗੌਰਮਿੰਟ ਕੋਲੋਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ transport ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ nationalise ਕੀਤਾ ਉਸ ਵਿਚ ਕੌਣ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਮਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਚੀਰ ਕੇ, ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖੋਹ ਕੇ ਕਮਾਇਆ ਗਿਆ ? ਜੇ ਸਚਮੁਚ ਮੁਨਾਫਾ ਹੀ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੀ ਗੌਰਮਿੰਟ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਲੈਂਦੀ ?

ਇਸ ਐਡਰੈਸ ਵਿਚ ਅਤੇ ਸਪੀਚਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦਾ ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ Socialistic Pattern of Society ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ Socialistic Pattern of Society ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕ ਇਕ ਝੌਂਪੜੀ ਵਿਚ ਪੰਜ ਪੰਜ ਅਤੇ ਦਸ ਦਸ families ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਹ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹੋਣ।

ਇਕ ਆਵਾਜ਼ : ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਪੰਜ ਲੱਖ।

ਸਰਦਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਇਹੀ ਇਹ pattern ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੀਂਹ, ਹਨੇਰੀ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਝੌਂਪੀੜੀਆਂ ਵੀ ਉਡ ਜਾਣ ਪਰ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਏ ਪੰਜ ਲੱਖ ਦੇ ਬੰਗਲੇ ਵਿਚ ਅਰਾਮ ਕਰਨ ? ਜੇ ਇਹ ਹੀ ਸਟੇਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਅਛੀ ਅਤੇ ਚੰਗੀ state ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ।

ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੌਰਮਿੰਟ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਦਾਵੇ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ । ਮਗਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਿਪਟਾ ਸਕੀ । ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ? Grow more food ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਧੱਕਾ ਪਹੁੰਚਿਆਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲੁਕਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ।

ਫੇਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ Address ਵਿਚ law and order ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਦਮੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ State ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫ਼ਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਗੇ ਆਪਣੇ grievances ਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਥੇ 144 ਦਫਾ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ।

ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ address ਵਿਚ separatist tendencies ਦਾ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਅਰਜ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਰ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ separatist tendencies ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ । ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤ ਸੂਬੇ ਬਨਾਣ ਲਈ ਸਾਡੀ Constitution ਵਿਚ ਵੀ provision ਰਖੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਫੇਰ Re-Organisation Commission ਵੀ ਇਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਕ ਹਾਸਿਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਣ । ਇਸ ਲਈ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਇਹ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਕਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਬਾਉਣ ।

अध्यक्ष महोदय : Separatist tendencies का मतलब यह थोड़ा हैं है जो माननीय मेम्बर निकाल रहे हैं। (The words separatist tendencies have not been used in the sense the hon. Member is trying to convey.)

ਸਰਦਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ।

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी स्पीच को इस Address तक ही महदूद रखें (The hon. Member may confine his speech to the Address only.)

ਸਰਦਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਇਆ ਉਹ ਸਿਖ ਹਨ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ । ਜੋ ਲੋਕ ਸਿਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਨੀਯਤ ਉਤੇ ਸ਼ਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖ ਹਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ।

अध्यक्ष महोदय : इस Address में सिख History और सिखों की रवायतों के बारे कहां mention किया हुआ है जो आप उन पर बोल रहे हैं ? (There is nothing in the Address about the Sikh History or the Sikh traditions on which the hon. Member is speaking.)

ਸਰਦਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿਘ : ਇਸ ਵਿਚ separatist ਦਾ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਹਨ ?

मुख्य मन्त्री : Separatist के वही मायने हैं जो आप communal नुक्ता निगाह रखते हैं ।

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ : On a point of Order, Sir. ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸ ਨੂੰ address ਕਰ ਕੇ ਕਹੀ ਹੈ ?

Chief Minister : I am sure the hon. Member, Sardar Wazir Singh can defend himself.

अध्यक्ष महोदय : वैसे तो आप का time भी खत्म हो चुका है । (The hon. Member's time is over.)

ਸਰਦਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿੰਘ : ਜੇਕਰ ਆਪ ਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ।

अध्यक्ष महोदय : पसन्द तो हैं लेकिन आप का time खत्म हो चुका है । (I like what the hon. Member talks but my difficulty is that the time placed at the disposal of the hon. Member is over.)

ਸਰਦਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿੰਘ : ਅਗਰ ਸਿਖਾਂ ਦੇ ਮੁਤਅਲਿਕ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਗ਼ਦਾਰ ਹਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਿਖਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਖਾਂ ਦੀ history ਵਿਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ।

अध्यक्ष महोदय : इस Address पर discussion में सिख history का सवाल ही पैदा नहीं होता। (The hon. Member should know that the question of bringing in the Sikh History during the discussion on the Governor's Address does not arise.)

ਸਰਦਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਫਿਰਕਾਦਾਰ class ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ congress ਗੌਰਮਿੰਟ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਫਿਰਕਾਦਾਰੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿਚ ਫਿਰਕਾਦਾਰੀ ਦੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਹਵਾ ਨਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿਖਾਂ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਝਗੜੇ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

अध्यक्ष महोदय : आप का time खत्म हो गया है। (The hon. Member's time is up.)

श्री तेग राम (खूइयां सर्वर) : श्रीमान प्रधान जी राज्यपाल महोदय जी ने जो भाषण विधान मण्डल की संयुक्त बैठक में दिया है उस के बारे में पूरी तरह से कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि पंजाब में उन्नति किस तरह से हो रही है। लेकिन हमारे पास एक ऐसी कसौटी भी है। अगर हम इसे उस से मापें तो इस बात का पूरा पता लग सकता है कि हम ने कितनी उन्नति की है। हमारे सामने जो महा पुरुष महात्मा गांधी जी का बहुत बड़ा चित्र लटका हुआ है और जिस के दर्शन हम रोज़ करते हैं उन्हों ने हमारे सामने एक कसौटी रखी थी। हमने उन्हीं के पीछे सामूहिक तौर पर लग कर देश को स्वतन्त्र कराया और उसी महा पुरुष की नीति की छाप हमारे सारे देश पर लगी हुई है और उसी नीति पर चल कर आज हमारे प्रधान मंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू दुनिया में शान्ति की दिशा में एक महान व्यक्ति माने जाते हैं। उस महा पुरुष ने अपने असूलों के अनुकूल हमारे सामने कुछ रचनात्मक कार्यक्रम रखे और उन के इस सिलसिले में कोई बीस पच्चीस प्रोग्राम थे। मिसाल के तौर पर किसानों, हरिजनों, मज़दूरों और विद्यार्थियों की उन्नति, राष्ट्र भाषा की उन्नति, मद्य निषेध, घरेलू दस्तकारी में उन्नति, पशु पालन में उन्नति आदि आदि चीज़ें हैं। तो हमें देखना है कि जो नीति हमारे सामने महात्मा गांधी ने इन रचनात्मक कार्यों की उन्नति के बारे में रखी थी उस में और क्या हमारे राज्यपाल महोदय के भाषण में बताई गई नीति में क्या फर्क है।

अध्यक्ष महोदय, सब से पहले मैं राष्ट्र भाषा को लेता हूँ। इस सभा के जितने भी माननीय सदस्य हैं उन सब में से शायद कोई भी ऐसा सदस्य नहीं है जो यह न मानता हो कि हमारी सभा की सारी कार्यवाही हिन्दी या पंजाबी में हो। मेरे विचार में यह सारी सभा की इच्छा होगी कि यहां का सारा काम हमारी राष्ट्र भाषा में हो। अगर प्रधान जी, आप भी यह समझते हैं कि सब की यही इच्छा है कि हमें अंग्रेज़ी की कोई ज़रूरत नहीं और जब कि केन्द्र के दोनों भवनों के सामने राष्ट्रपति जी हिन्दी में भाषण दे सकते हैं और वहां कोई आपत्ति नहीं करता तो यहां हमारे राज्यपाल महोदय ने अंग्रेज़ी में भाषण देना क्यों उचित समझा यह मेरी समझ में नहीं आया। फिर हमारे देश का जो विधान है वह भी इस बात का समर्थन करता

है कि शीघ्र से शीघ्र सारे देश में राष्ट्र भाषा हिन्दी को सब सरकारी कामों में अपनाया जावे। इस में देश का गौरव है अगर वह राष्ट्र भाषा हिन्दी को आगे लाना चाहता है। इस का अर्थ यह हुआ कि हमारे राज्यपाल राष्ट्र भाषा को उन्नति की ओर नहीं ले जाना चाहते। अध्यक्ष महोदय, इस का क्या नतीजा होगा। इस का नतीजा यह होगा कि इस दिशा में हमारा प्रान्त पीछे रह जाएगा और जो केन्द्रीय सरकार की नौकरियां होंगी जिस तरह कि I.A.S. आदि हैं या दूसरी जगहें हैं उन को हमारे बच्चे प्राप्त नहीं कर सकेंगे। दूसरे प्रान्तों के लोग जो हिन्दी में पूर्ण निपुणता प्राप्त कर रहे हैं वह हर काम में हम से आगे बढ़ जावेंगे।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप ने ज़बान के मुताल्लिक कोई संशोधन दिया था ? (Did he give notice of any amendment regarding language?)

श्री तेग राम : जी नहीं, इस बारे मैं ने संशोधन तो कोई नहीं दिया था। खैर मैं आगे चलता हूँ।

दूसरी बात जो महात्मा गांधी कहा करते थे वह यह है कि देश की उन्नति तब तक ठीक ढंग से नहीं होगी जब तक किसान की दशा का सुधार नहीं हो जाता। किसानों के मुताल्लिक गवर्नर साहिब के भाषण में कोई चर्चा नहीं की गई। इस के दो ही कारण हो सकते हैं। एक तो यह कि इस वर्ष में उन की अवस्था ऐसी अच्छी थी कि इस सम्बन्ध में किसी चर्चा की ज़रूरत नहीं समझी गई या फिर पंजाब सरकार ने उन की उन्नति के लिए पिछले वर्ष किया ही कुछ नहीं इस लिए उल्लेख किस बात का करें। अब यह तो ज़ाहिर ही है कि पंजाब में पिछले साल किसानों की दशा ठीक नहीं रही। मैं समझता हूँ कि हमारी सरकार और हमारे मुख्य मंत्री ने इस बात को अनुभव कर लिया है और ऐसी दशा में गवर्नर साहिब के भाषण में किसानों का उल्लेख कैसे किया जाता। भाई चांद राम जी ने बताया कि पिछले वर्ष जब नेहरू जी पंजाब आए तो उन्हों ने कहा कि यहां के किसानों की बड़ी दर्दनाक अवस्था है। इस लिए उन्हों ने पंजाब सरकार को इन की दशा सुधारने की प्रेरणा दी। पिछले वर्ष 14 अगस्त को मुख्य मंत्री जी ने पत्रों में बयान निकाला कि पंजाब में कोई किसान समस्या नहीं है। मुज़ारों की इस साल 2,200 बेदखलियां हुई हैं और हमारे पास 2 लाख एकड़ फालतू ज़मीन है इस लिए इस समस्या को हल करने में हमें कोई दिक्कत नहीं। ऊपर वाले आंकड़ों के हिसाब से प्रत्येक मुज़ारे को 95 या 98 एकड़ ज़मीन मिल सकती है और अगर इतनी ज़मीन सचमुच उन्हें मिल जाए तो उन की हालत बहुत अच्छी हो जाएगी। मुझे पता नहीं कि बेदखल मुज़ारों को कितनी २ ज़मीन दी गई। फिर बेदखल हुए मुज़ारों को ज़मीन कैसे दी जाए इस के लिए एक कमेटी बिठाई गई। उस के बाद समाचार पत्रों में निकला कि कमेटी एक ordinance बना रही है जिस के मुताबिक मुज़ारों को ज़मीन दी जाएगी। इस सम्बन्ध में एक सरकारी वक्तव्य समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ जिस में बताया गया कि जो ordinance बनेगा उस से 20, 25 हज़ार मुज़ारों को लाभ होगा। किन्तु जब इस वर्ष 22 सौ के लगभग मुज़ारे ही बेदखल हुए तो ये 20--25 हज़ार मुज़ारे कहां से आएंगे। मैं ने इस ordinance के सम्बन्ध में एक प्रश्न किया जिस के उत्तर में मुझे बताया गया कि ज़मीन की वापसी के लिए 608 मुज़ारों ने दरखास्तें दीं जिन में से सिर्फ 20 मंज़ूर हुईं और उन में से भी सिर्फ 7 मुज़ारों को 26 एकड़ ज़मीन मिली है। इस 26 एकड़ ज़मीन के लिए आप अन्दाज़ा लगाएं कि इन

[श्री तेग राम]
लोगों को कितनी परेशानी उठानी पड़ी होगी और खर्च करना पड़ा होगा । मैजिस्ट्रेटों के सामने दो २ चार २ तारीखें भुगतनी पड़ी होंगीं, फीसें देकर वकील खड़े किए होंगे । इस तरह से कम से कम 20 रुपया हरेक को खर्च पड़ गया होगा और हिसाब लगाएं तो 12, 13 हज़ार रुपया लोगों का खर्च हुआ और ज़मीन मिली कुल 26 एकड़, जो कि इतने रुपए में कीमत पर मोल ली जा सकती थी । यह फायदा हुआ किसानों को उस ordinance का ।

अब मैं आप के सामने किसानों की हालत का एक नमूना पेश करना चाहता हूँ जिस से यह अच्छी तरह पता चल जाएगा कि हमारी सरकार को किसानों और मुज़ारों से कितनी हमदर्दी है । अबोहर के पास एक सरकारी Seed Farm है कई हज़ार एकड़ का । मगर 296 एकड़ ज़मीन महकमा नहर के पास है । इस ज़मीन के 25, 25 एकड़ के मुरब्बे बनाए हुए हैं । 2 मुरब्बे ऐसे हैं जो 17 और 14 एकड़ के हैं । महकमा नहर इस ज़मीन को ठेके पर देने के लिए हर साल नीलामी करता है । आप को यह सुनकर हैरानी होगी कि पिछले साल 25 एकड़ ज़मीन के एक मुरब्बे के ठेके की नीलामी 7,700 रुपए में हुई । यह बहुत ज़्यादा महंगा ठेका है । ज़मीन कितनी भी अच्छी क्यों न हो मैं समझता हूँ हिन्दोस्तान में तो कोई ऐसा आदमी नहीं जो 924-7-0 फी एकड़ के हिसाब से एक पूरे मुरब्बे की उपज निकाल कर दे सके । यह ठेका गवर्नमैण्ट ने लिया । सरकार के कानून के मुताबिक एक तिहाई से ज़्यादा बटाई नहीं ली जा सकती । इस हिसाब से अगर यह 308 रुपए एक तिहाई माना जाए तो एक हज़ार रुपया फी एकड़ आमदनी चाहिए । मगर कौन सा ऐसा किसान है जो इतनी ज़्यादा पैदावार एक मुरब्बे में यानी 23 हज़ार रुपए की पैदावार कर सकता है । गवर्नमैंट ने खुद ही तो ऐसा कानून बनाया हुआ है कि जो ज़मींदार ज़्यादा लगान लेता है उस पर रोक लगे मगर खुद अपने ही कानून के खिलाफ इतना ज़्यादा लगान लेती है । इन दो मुरब्बों में बेचारे शरणार्थी मुज़ारे बैठे हैं । पिछले साल उन्होंने अपनी स्त्रियों के ज़ेवर गिरवी रखकर किसी तरह ठेका पूरा किया । बोली दे दी कि किसी तरह गुज़ारा चलता रहे । उन में से कोई नहर पर मिट्टी डालता है कोई कुछ और काम करके किसी तरह कुछ कमाता है । इस साल पिछली दफा से कम बोली हुई मगर सरकार के हुक्म से ठेका ही cancel कर दिया गया । वह बेचारे चंडीगढ़ आए । फरियाद लाए । सिंचाई मंत्री महोदय को सारी कथा सुनाई । कहा 'हम गरीब हैं, पिछले साल किसी तरह से ज़ेवर गिरवी रखकर ठेका पूरा किया था मगर इस साल ठेका अफसरों ने cancel कर दिया है ।' वज़ीर साहिब ने उन की दरखास्त फैंक दी और कह दिया "हम नहीं जानते, जो ज़्यादा से ज़्यादा बोली होगी वही मंज़ूर होगी ।" इस सम्बन्ध में मुझे एक बात याद आई है । शहरों में गन्ने का रस बिकता है । बेचने वाला गन्ने को बार २ पीड़ता है कि कहीं एक आध बूंद भी गन्ने में रस की बाकी न रह जाए । यही नीति है सरकार की कि किसानों के शरीर में खून की एक भी बूंद न छोड़ी जावे । अतः ज़्यादा से ज़्यादा बोली पर ठेका दिया जाता है । जब मुज़ारों की स्थिति इतनी खराब हो तो गवर्नर साहिब के Address में क्या उल्लेख किया जाता ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता . . .

अध्यक्ष महोदय : आप का वक्त खतम हो गया है । (The hon. member's time is up.)

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ (ਸਮਰਾਲਾ) ਪ੍ਰਧਾਨ : ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਦ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਜਾਂ ਬਜਟ ਵੇਲੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣੇ ਅਤੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਇਹੀ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਅਸੀਂ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਥੇ ਕਿਥੇ ਕਮੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਿਥੇ ਕਿਥੇ ਘਾਟੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਕੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦੇਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰਖਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਰਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਕਹਿ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਰਕੇ ਵਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ।

ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕਈ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਬੜੇ ਬੜੇ Community Projects ਤੇ extension ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਹਨ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਨਤੀ ਲਈ ਕਾਰਖਾਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਦਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।

ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਹਨ, ਉਹ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਾਰੋ ਮਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ; ਬਹੁਤ uncertainty ਹੈ। ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੋ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ; ਹਰੀਜਨ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੀ ਬੇਹਤਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚਪੜਾਸੀ ਲੈ ਲਵੋ। ਕਲਰਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੋ। ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਪੁਛ ਵੇਖੋ ਸਭ ਦੀ ਆਤਮਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ। ਚਪੜਾਸੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਕਲਰਕ ਆਪਣੀ ਥਾਂ। ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬਚ ਰਹੇ। ਘਰ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਮੈਂ ਪੁਛ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੌਣ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ? ਮੈਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਗ਼ਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਚਾਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਢਿਡ ਵਿਚ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਾ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਧਕੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਐਡਰਸ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਵੋਗੇ ਕਿ ਸਭ ਅੱਛਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ ਤੇ ਕੈਬਿਨਟ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਤ੍ਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਅਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਥੇ ਦੋ ਫਿਰਕੇ ਜੋ ਵਸਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਸ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਲਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਅਮਲ consciously ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇਕਰ unconsciously ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਸਣ ਵਾਲੀ minority ਦਾ confidence ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਐਡਰੈਸਾਂ ਦੀ?

[ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ]

ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵੱਲ ਜੋ burning questions of the day ਹਨ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ । ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰੀ ਇਖਰਾਜਾਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ । ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਡੇ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰਖਦੇ ਹੋ । ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਗਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਦੇ deficit ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਲਈ ਬਦੇਸ਼ਾਂ ਅਗੇ ਹਥ ਅਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ । ਅਸੀਂ ਉਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਦਿੱਤੇ, ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ, ਨਹਿਰਾਂ ਕਢੀਆਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਵਧ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਮੁਲ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ । ਕਿਸਾਨ ਪਾਸ ਤੁਸੀਂ ਐਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਛਡਦੇ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਸਕੇ । ਤੁਹਾਡੇ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਦੇਣ ਲਈ ਮੈਂ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਤੜਪ ਉਠਿਆ ਹੈ । ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਮੂੰਗਫਲੀ ਦਾ ਭਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 15 ਰੁਪਏ ਸੀ ਤੇ ਅਜ 8 ਰੁਪਏ ਹੈ । ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦਬਾਦਬ ਵਸੂਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ । ਕਿਤੇ ਮਾਮਲਾ ਟੈਕਸ, ਵਾਟਰ ਰੇਟ ਅਤੇ ਕਿਧਰੇ Surcharage ਤੇ Betterment Fees ਹਨ । ਜੇਕਰ ਮੁਰਬੇਬੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟੈਕਸ । ਟੈਕਸ ਇੰਨੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਪਾਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ । ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਉਸ ਵਡੇ ਸੇਠ ਵਾਂਗ ਹੈ ਜੋ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਵਾਂਗ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਸ ਹਦ ਤਕ ਵਧਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਘਾਟਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਦਵਾਲਾ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ । ਯਾਨੀ ਜੇਕਰ slump ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਦੋਂ ਵਧ expansion ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਾਲਤ ਸੰਭਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਜੇਕਰ ਗੌਰਮਿੰਟ insolvent ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਬਦ ਅਮਨੀ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਵਧੇਗੀ; ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਤਸ਼ਦਦ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਲੋਕ insolvent ਹੋ ਜਾਣਗੇ । ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਆਪਣੇ expenditure ਨੂੰ meet ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ । ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦਰ ਤੋਂ ਜਾਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ । ਉਹ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ । ਅਜ ਅਸੀਂ, ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ । ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਚ ਹਿਲ ਜੁਲ ਹੈ । ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ ਹਲ ਚਲ ਹੈ । ਮਾਲਿਕ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ status of life ਕਿਵੇਂ ਉਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ? ਤੁਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਲਈ 70 ਫੀ ਸਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 30 ਫੀ ਸਦੀ ਨੂੰ ਵਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ । ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀ credit ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ । ਜੇਕਰ credit ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਵੋ ਉਹ ਆਪ credit ਦੇ ਦੇਣਗੇ ।

ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਦਫਾ 144 ਲਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਫਾ 188 ਲਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀਆਂ ਬਿਠਾ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਟ ਬਨਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ । ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ । ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਫਿਕ ਨਾ ਪਾਵੋ । ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਰਾਜ ਕਰੀਏ ?

ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ? "ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ" । ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ । ਫਿਰ ਐਡਰੈਸ ਵਿਚ separatism ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ । ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਖੇਵੇਂ ਨੂੰ curb ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਖੇਵੇਂ ਨੂੰ curb ਕਰੋ ਗੇ । ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੌ ਫੀ ਸਦੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ communal tension ਨਾ ਹੋਵੇ । ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਕੇਵਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ communal basis ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ distinction ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ । ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੀ community ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ । Communal elements ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਸਿਖਾਂ ਵਲ ਨਹੀਂ । ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ । ਇਨਸਾਫ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ।

ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ services ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਹਿਤ ਹਨ । ਉਥੇ ਵੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ । ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧਕਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਫ਼ਲਾਣੀ community ਦਾ ਹਾਂ । Services ਵਿਚ ਵੀ demoralisation ਜਾਰੀ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਿਕ ਹੋ । ਜੋ ਚਾਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਪਰ minority parties ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ । ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਗਿਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਚੀਫ਼ ਮਨਿਸਟਰ ਤੇ ਗਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਇਲਤਮਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਕੇ minorities ਨਾਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ।

ਮੈਨੂੰ ਰੰਜ ਤੇ ਗਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ community ਦਾ Head ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਧਕਾ ਕੀਤਾ । ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਹੀ ਖੇਡ ਕੀਤੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।

4. p. m.

ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀਆਂ boundaries ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ । ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਜਦੋਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੀਫ਼ ਮਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਥੇ ਆਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ meeting ਵਿਚ stenographers ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਡੰਬਰ ਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਕ ਭਾਰੀ ਸ਼ਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ । ਜੇ ਕਰ ਪਾਰਟੀ communal tendency ਜਾਂ separatist tendency ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਬੇਸ਼ਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ । ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ । ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਮਾਇਤ ਦੇ ਮੁਤਅਲਕ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ separatist tendency ਨਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ communal basis ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਯੂ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰਖਣਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ । ਇਥੇ ਦੋ ਫਿਰਕੇ ਵਸਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਥੇ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਵਸਣਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇਸ਼

[ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ]

ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਛਡਣਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਅਸਾਂ ਹਰ ਮੁਮਕਿਨ ਜਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਔਕੜ ਆਏ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਮਕੀ ਜਾਂ ਡਰਾਵਾ ਦੇਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਦੀ ਤਸ਼ਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹੇ ਮਥੇ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।

ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਚਲਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਦਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਜਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜ਼ਿਮੇਦਾਰ ਆਦਮੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ communal bodies ਵਿਚ move ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ communal ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ physician heal thyself। ਆਪ ਆਪਣੀ ਮੰਜੀ ਹੇਠਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਟੀ ਫੇਰੋ ਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ communal ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਮਲ ਠੀਕ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਟੁਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਐਂਵੇ ਸ਼ਕ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਸਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ communal ਰਸਤਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ Lucknow Act ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੁਦਾਗਾਨਾ ਇੰਤਖਾਬ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ 15 ਅਗਸਤ, 1947 ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਲਗ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ rift ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ communalism ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਦਮੀ ਆਪ communal ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ? ਇਕ ਮਹਾਨ ਵਯਕਤੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ minority community ਦਾ communalism ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ communalism ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਅਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰੇ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, centre ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ large-heartedness ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਕੇ minority community ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰੇ। Punjabi-speaking province ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਤਾਈਦ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾ ਸਕਣ।

ਸਰਦਾਰ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਡ੍ਰਸ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ Law and Order ਦੀ ਹਾਲਤ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ Law and Order ਚੰਗਾ ਤੇ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਦੋ ਚਾਰ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ Law and Order ਦੀ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਲਕਿ

ਡਾਕਿਆਂ ਤੇ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ Shri G. R. Sethi ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਕਤਲ ਦਾ ਸੁਰਾਗ ਲਗਾਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਥੋਹੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਬੂਨੰਗਲ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਦੋ ਫਰਲਾਂਗ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਇਕ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਾਤਿਲ ਨੱਸ ਗਿਆ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤਕ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੀ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿਚ ਇਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇਕ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕੂ ਆਏ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੋ ਫਰਲਾਂਗ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਥਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਗੋਲੀ ਚਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਉਥੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤਕ ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗ ਸਕਿਆ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਇਕ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਦਾ ਲੜਕਾ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 10,000 ਰੁਪਿਆ ਦਿਉ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦਾ Law and Order ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ quarters ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ 7/8 ਵਜੇ ਤਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਗਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਵੇਰੇ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਬੇਸ਼ਕ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਆਇਆ ਪੁਲਿਸ 24 ਘੰਟੇ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਕਤਲ ਕਰ ਕੇ ਨੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੇ ਕਰ ਪੁਲਿਸ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਥੇ ਇਹ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚੀ।

Pandit Shri Ram Sharma : But it has firm hold on law and order, says the Government.

ਸਰਦਾਰ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ : ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ corruption ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ Chairman ਚੀਫ਼ ਮਨਿਸਟਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। Corruption ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। Transport Department ਵਿਚ ਬੜੀ corruption ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਦਸ ਬਾਰਾਂ Transport Companies ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤਕ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਹਰ ਕੰਪਨੀ 100 ਰੁਪਿਆ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਸਪੈਕਟਰ James ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ Transport Minister ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤਾਂ

[ਸਰਦਾਰ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ]
ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਫਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਫਸਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹਨ । ਕੈਬਿਨਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ । ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਤੇ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ।

पंडित श्री राम शर्मा : इस सम्बन्ध में गवर्नमेंट कहती है कि high powered Commission बनने वाला है ।

ਸਰਦਾਰ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ : ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਹੁਣ seniority ਨਹੀਂ merit ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਏਗੀ । ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਕਿਸ ਨੂੰ ਰਗੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ । ਕੀ ਇਹ ਵਜ਼ਾਰਤ merit ਦੀ ਬਿਨਾ ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ; ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ merit ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣੇ ਹਨ ? ਜਿਹੜਾ 15 ਸੌ ਸੌ ਦੇ ਨੋਟ ਗਿਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ (Please avoid reference to such matters.)

ਸਰਦਾਰ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ : ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੋ stable Ministries ਬਣੀਆਂ ਹਨ, ਇਕ ਸਿਕੰਦਰ ਮਨਿਸਟਰੀ ਤੇ ਇਕ ਇਹ ਸੱਚਰ ਮਨਿਸਟਰੀ ।

ਸਿਕੰਦਰ Ministry ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਗੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਾਇਜ਼ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਪੇਂਡੂਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ socialist ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਿਆ ਸੀ । ਸੱਚਰ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਰਵੱਈਆ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਮੈਂ ਗ਼ਰੀਬ tenants ਤੇ landless tenants ਦਾ ਹਾਮੀ ਹਾਂ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ । ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ 30 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਿਆਂ ਪੁਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ । ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਿਛੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 10 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਡੇ ਜਾਣਗੇ, 4 ਏਕੜ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦਾ । ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ।

ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ merit ਦੀ ਬਿਨਾ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪੇਂਡੂ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ । 86 ਫੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ 14 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਰਹਿਮ ਤੇ ਹੋਏਗੀ । ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਹਾਸ਼ਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪੇਂਡੂਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਰਗੜਾ ਦੇਣਗੇ । Subordinate Services Selection Board ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਲਈ test ਲੈਂਦਾ ਹੈ ।

ਸੁਹਣੇ ਪੇਂਡੂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਹਨ, ਭੱਜ ਦੌੜ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪੁਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ Yugoslavia ਦਾ President ਕੌਣ ਹੈ । ਭਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰੇਡੀਓ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਖਬਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ । ਇਹ test ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ eliminate ਕਰਨ ਲਈ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਜੇ ਇਹੋ ਹਾਲਤ ਰਹੀ ਤਾਂ ਹੋਰ 20 ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੇਹਾਤੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ।

ਹੁਣ Rehabilitation ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ । ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਜੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੁਫਤ, ਜੇ 10 ਸਾਲਾ ਤੋਂ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਕੀਮਤ ਤੇ, ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੀ ਤਾਂ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ।

ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਇਕ ਤਾਂ ਬਗਲੀਆਂ ਚੁਕਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਦੂਜਾ ਭਾੜਾ ਵਾਹੁਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ । Control ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਏ ਤੇ ਲੋਕ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਛੁੱਟੇ ਪਰ ਇਹ transport ਦੀ nationalisation ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਪੈ ਗਈ ਹੈ । ਕਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਹਾਮੀ ਸੀ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨੇਕ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਉਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਕ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਦਿਵਾਵਾਂ । ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ routes ਤੇ Omnibus ਤੇ private ਲਾਰੀਆਂ ਵੀ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ । ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਇਕ ਸੜਕ ਤੇ private companies ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ Omnibus ਚਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਬਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ Transport Minister ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲਗੇ "ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੰਦ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਨਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਥੇ ਬੱਸਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ" ਇਹ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ nationalization ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । Public ਦੇ interests ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਖਤਿਆਰ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਗੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ । ਇਹੋ nationalization ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਬੀਬੀ ਸੀਤਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਮਾਣ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ।

ਹੁਣ Taxation policy ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ । ਠੀਕ ਹੈ ਜੰਡਿਆਲਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ 129 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ । Water rates ਕਾਇਦੇ ਮੁਤਾਬਤ ਲਏ ਜਾਣ ਪਰ ਕੀ ਨੌਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਇੱਕ ਕਰ ਕੇ ਲੈਣੀ ਤੇ ਵਕਤ ਸਿਰ ਹਰ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਨਾਂ ਕਰਨੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ efficiency ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ? ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਡੇੜ੍ਹ ਰੁਪਿਆ ਫੀ ਏਕੜ ਦੇਣਾ ਸੀ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 13,14 ਰੁਪਏ ਫੀ ਏਕੜ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ । ਜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ inefficiency ਕਰਕੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਵਕਤ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੰਨਾਂ ਭਾਰਾ ਬੋਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰ ਨਾ ਸੁਟਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਅਖੀਰਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਤੋਂ ਹੀ ਉਗਰਾਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । Irrigation ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁਛਣ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ।

[ਸਰਦਾਰ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ]

ਫੇਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਟੈਕਸ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ taxation policy ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ।

ਫਿਰ ਮਾਧੋਪੁਰ ਤੇ ਨਵਾਂ Regulator ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ; ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ । ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਲੋਕਾਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਪਿਛੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਤਾਂ Beas Link ਰਾਹੀਂ, ਹਰੀ ਪੁਰ ਰਾਹੀਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ । ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੀ ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ । ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਹੈ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸ ਪੁਰ ਦੀ ਪਾਣੀ ਲਈ ਤਰਸਦੀ 7 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹੱਕ ਹੈ । ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਵਾਲਤੂ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ।

Development ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗਾ ਦੌੜ ਤੇ ਪਿੱਛਾ ਚੌੜ ।

ਅਗਾਂਹ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਜਿਥੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁਕੀ ਹੈ ਉਥੇ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ । ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਇਕ ਰਾਤ ਵਿਚ 450 bulbs fuse ਹੋਏ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਦੋ ਟੋਕਰੇ ਭਰਵਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ XEN ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਰਾਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿਖਾਈ । ਕਹਿਣ ਲਗੇ voltage ਘਟ ਹੈ । Voltage ਕਦੇ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ electric motors ਸੜ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਬਿਜਲੀ ਦੇ rates ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਬਿਆਨਾ ਘਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ । ਬਿਜਲੀ ਦੀ extension ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ । ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 17 ਮੀਲ ਦੂਰ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ।

ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ meetings ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੁਰਜ਼ੇ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਮਾਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ; ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਇਦ ਰੋਕ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਵੇ । ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਨਾਕਸ ਹੈ । ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਬੈਠਾ ਹਾਂ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੀ ਅਜੀਬ ਹਨ । ਪਹਿਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ Commissioners ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਜੇਕਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀਆਂ । ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ceiling 30 ਏਕੜ ਦੀ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ । ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਦੀ abolition ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸਿਰੇ

ਨਾ ਚੜ੍ਹਾ ਸਕੇ । ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਨੀਆਂ ਵਧ ਵਧ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ । ਗੱਲ ਉਹ ਕਰਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ । ਅਪਣੀ ਔਕਾਤ ਤੋਂ ਵਧਕੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ।

पंडित श्री राम शर्मा (सोनीपत) : स्पीकर साहिब, मेरा विचार है कि परसों तो हमारे गवर्नर साहिब ने हाऊस को Address दिया था और आज मेरे बोलने से पहले मेरे काबिल दोस्त सरदार वरियाम सिंह ने, जो कि Treasury Benches को रौनक बखशते हैं, ने बहुत अच्छा Address हमारे मुख्य मंत्री और दूसरे वज़ीर साहिबान को दिया है । यह ठीक है कि तरमीमों के द्वारा खास बातों की ओर गवर्नमेंट की तवज्जुह दिलाई गई, मगर मेरा दिल चाहता है कि आम हालत जिस का नक्शा और एक बड़ा सुहावना और खुशगवार नक्शा गवर्नर साहिब के Address में दिखाई दिया था, जिस के लिये उन की कोई ज़िम्मेदारी नहीं क्योंकि वे एक Constitutional Head हैं। जैसा उन की Ministry उन को advise करती है और जो लफज़ उन के मुंह में डालती है, यह वज़हदारी और ज़ाबते का तकाज़ा है । हाऊस में वे वैसे ही पहुंचा देते हैं । Law and order बिल्कुल मजबूत हाथों में है—इसके बारे में मुझ से पहले बोलने वाले असहाब ने मिसालें दी हैं । मैं नहीं समझता कि वे ऐसा कहने में कहां तक relevant होंगे या नहीं होंगे । गवर्नर साहिब की तकरीर में एक बात का खास तौर पर ज़िक्र किया गया है । मैं समझता हूं कि पिछले वर्ष की बातों में वह एक खास और अहम बात थी और वह यह कि हमारी गवर्नमैण्ट ने पिछले साल के अन्दर खौफनाक और खूनी डाकुओं को खत्म और मलियामेट कर दिया । इत्तफाक से इस बात का मेरे ज़िले से खास ताल्लुक है । मैं कहना चाहता हूं कि यह ठीक है कि कुछ डाकू जो बदनाम और खूंखार थे मारे गये उन से ताल्लुक रखने वाले उन के साथी जो कि पंजाब में और दिल्ली की तरफ फिरते थे वे भी मारे गये, यह ठीक है । लेकिन मैं कहता हूं कि वे डाकू खूनी या desperate मारे गये लेकिन कब जब कि Constitution का खून हो चुका । और जब मुल्क का Law ज़मीन के अन्दर गज़ों गहरा दफनाया जा चुका । महातमा गांधी को मारने वाले हत्यारे जैसा बुरा और पापी आदमी दुनिया में कोई और नहीं होगा लेकिन हमारी Constitution और देश के Law की पोज़ीशन कुछ ऐसी है कि उस में हमें इजाज़त नहीं है कि उस हत्यारे के पाकिस्तान की तरह, जिस में श्री लियाकत अली के कातिल के टुकड़े २ कर दिये गए थे, वहीं पर टुकड़े २ कर दिये जाते । उन लोगों पर मुकद्दमा चलाया गया । गवर्नमैण्ट के लाखों रुपये खर्च हुए, मुलज़िमों को वकील कर के दिये गये और यह सब कुछ होने के बाद जुर्म साबित होने पर जिन का कसूर सावित हुआ उन को फांसी दी गई और जिन का जुर्म साबित न हुआ उन को बरी किया गया । मेरे ज़िले में डाकुओं के ग्रोहों को खत्म करने के लिये और Law and Order कायम रखने के लिये सब जानते हैं कि क्या हुआ । आठ आदमियों को, जो कि अच्छे नहीं थे बुरे थे, रहते तो खराबी करते, घरों से बुलाया गया । पुलिस का सिपाही उन को घरों से बुलाने के लिये गया, A.S.I. उन को जीप में बिठा कर लाया । Superintendent Police दौरे पर गया हुआ था। उन लोगों को नहर पर ले जाकर गोली से मार दिया गया और मारने के बाद उन के गले में पेटियां डाल दी गईं और झूठे गवाह बना लिये गये । रोहतक के अन्दर "महातमा गांधी की जय हो," "पुलिस जिन्दाबाद"

[पंडित श्री राम शर्मा]

के नारे लगाए गए । इस के अलावा जब पुलिस ने देखा कि law and order कायम रखना मुश्किल है तो अगर मैं यह बताऊं कि चार और आदमियों को किस तरह मारा तो इन लोगों की हवा उखड़ जाएगी । जिन industrialists को यह कर्ज़े देते हैं अगर मैं यह ज़ाहिर कर दूं कि किन को कर्ज़े दिए हैं तो इन की हवा उखड़ जायेगी । मेरे ज़िले में पंजाब पुलिस ने यह रवैया अख्तियार कर रखा था कि जिन लोगों को वे डाकुओं के हिमायती या रिश्तेदार समझती थी उन को घरों से बुलवा लिया । फिर उन्हें कुओं में या नहरों में डाल दिया गया । लुत्फ की बात यह है कि जिस पुलिस ने लोगों को मारा उसी को तहकीकात करने पर लगा दिया गया । वह कहती है कि मुलज़मों का कोई पता नहीं है । इस पर गवर्नर साहिब कहते हैं कि law and order मज़बूत हाथों में हैं । स्पीकर साहिब, दिल्ली के करीब, जहां हम ने तीन वर्ष तक बैठ कर Constitution बनाई थी, और लोगों को fundamental rights दिये थे जिन की धूम सारी दुनिया में मच गई थी, ऐसी बातें की गईं जिन से कि Constitution और Law को खत्म कर दिया गया । मैं ऐसी बात तो नहीं कहता कि जैसी Pepsu Assembly के अन्दर कही गई थी यानी कि "डाकू liquidate हो गए लेकिन शक्ल बदल कर Ministry में आ गए हैं ।" (हंसी) मैं यह बात तो नहीं कहना चाहता लेकिन यह ज़रूर कहना चाहता हूं कि या तो गवर्नर साहिब इस मामले में मुग़ालते में हैं या उन को बिल्कुल पता नहीं है । यह ठीक है कि उन्हें Constitution, law and order नज़र आता है लेकिन मैं खुले बन्दों पूरी ज़िम्मेदारी से इल्ज़ाम लगाता हूं कि हमारी Ministry ने murder करवाए हैं, खून करवाये हैं और बाद में पर्दा पोशी की है । जब यह काम एक Superintendent of Police के ज़िम्मे लगाया गया तो उस ने इनकार कर दिया कि मैं यह काम नहीं करूंगा । मैं जानता हूं कि जब उस अफसर ने इनकार कर दिया तो एक वज़ीर साहिब जिन का इस बात से खास ताल्लुक है कितने बेताब रहे कितने बेचैन हुए । जिस Superintendent of Police, ने इनकार किया था उस को जल्दी से जल्दी बदलने की कोशिश की गई । उस को हटा कर एक और S.P. लगाया गया । उस को Ministerial level पर हौसला दिया गया कि तुम murder करो । वरना मैं जानता हूं कि कोई अफसर ऐसी बात करना मंज़ूर नहीं कर सकता । दिल्ली के करीब चार आदमियों को घरों से बुला कर individually गोली से उड़ा दिया और इस तरह law and order को liquidate कर दिया। और इस पर कहते हैं कि law and order firmly हमारे हाथों में है । ऐसी कार्रवाई बहुत दिनों तक बर्दाश्त नहीं हो सकती । जिन हुकूमतों में law and order को तोड़ कर और Constitution की उलंघना करके ऐसी बातें की जातीं हैं वे बहुत देर तक कायम नहीं रहा करतीं । आज मैं Ministry को खुला challenge करता हूं कि High Court के जजों की Commission मुकर्रर करे और इस मामले की तहकीकात करवाए । रोहतक में शहरी और देहाती लोग सब इस वाक्या को जानते हैं । ज़िला रोहतक में आठ murder हुए हैं और पुलिस ने किये हैं । मैं उन बातों को तो छोड़ता हूं जहां कि Police हवालात में रख कर आदमी को मार देती है और बाद में कह देती है कि इस को निमोनिया हो गया था और इस लिये मर गया । लेकिन मैं अर्ज़ करूंगा कि इस मामले की ज़रूर तहकीकात करवाई जाए । मैं यह बातें इस लिये कर रहा हूं क्योंकि Address शुरू ही इस बात से किया गया था कि State में law and order की पोज़ीशन बहुत अच्छी है ।

मैं बताता हूं कि आप का law and order कैसा है ! जिस डाकू का नाम लेते हो वह तो Pepsu की पुलिस ने मारा था। और जो उस के ग्रुप के दो चार आदमी थे और जो उस से पहले मारे गए थे, उन को भी गलत तरीके से मारा गया था। जब मैं यह कहता हूं तो यह नहीं समझ लेना चाहिये कि मैं उन लोगों का कोई हिमायती हूं। मैं कहता हूं कि उस हर शख्स को सज़ा होनी चाहिये जो मुल्क के law and order को खराब करता हो, जो खूनी हो, जो डाकू हो, चोर हो, उचक्का हो। आप का फ़र्ज़ है कि पुलिस के ज़रिए ऐसे आदमियों को पकड़ा जाए। अगर आप में इखलाकी जुर्रत है तो क्यों नहीं आप कहते कि ऐसे आदमी से स्टेट को खतरा था इस लिये उसे पकड़ कर गोली से उड़ा दिया गया है ? क्यों नहीं आप कहते कि हम ने ऐसा किया लेकिन किया State की security और public के interest में ? आवाज़ें तो यह उठाई जाती हैं कि हमने देश में moral regeneration लाना है, कौम और मुल्क के character को ऊंचा करना है। क्या यही है मिसालें जो इस सिलसिला में आप आगे रखना चाहते हैं ? जब हम मदरसे पढ़ा करत थे तो उस में आता था कि अंग्रेज़ी राज्य की क्या २ बरकतें हैं। उन्होंने रेलें बनाईं, डाकखाने खोले, सड़कें बनाईं—बड़ी बड़ी सड़कें बनाईं—हस्पताल खोले, स्कूल जारी किये। पर क्या वे सब कुछ उन्होंने हमारे लिए किया था? बिल्कुल नहीं। अगर रेल बनाई तो वह अपने मकसद के लिए, अपनी मिलिट्री को जल्दी एक जगह से दूसरी जगह लें जाने के लिये और अगर स्कूल खोले तो अपना काम चलवाने के लिये, हिंदुस्तानी क्लर्क पैदा करने के लिये इन सब चीज़ों में, गर्ज़ेके, उनका अपना ही कोई न कोई interest छिपा था। आप ने क्या किया? Development State और Welfare State के नाम पर आप ने पैसा खर्च किया पर कहां तक लोगों को सहूलियतें पहुंचाई ? अगर आप ने थोड़ा बहुत कर भी डाला तो आखिर आप का Welfare State का नारा किस लिए है ? देखने की बात तो यह है कि इस में आप moral side में कितने आगे आये हैं ? महात्मा गांधी जी की फोटो सामने खड़ी आप की तरफ देख रही है। आपने उन का नाम ले कर कई कामों को शुरु किया मगर अफसोस कि आप ने उन के नाम और असूलों की सारे पंजाब में बेकदरी ही करवाई। Corruption ! सारे गवर्नमेण्ट के सिस्टम के ऊपर जो मिनिस्टर बैठे हैं यहीं से शुरू हुई यह corruption इस मिनिस्ट्री में corruption कूट कूट कर भरी है और पंजाब में अगर corruption पूरे ज़ोरों पर है तो वह है सामने बैंचों में। कहते हैं कि भ्रष्टाचार को बंद करेंगे। एक पटवारी, क्लर्क या नहर के ज़िलादार ने 5 या 7 या 10 रुपए ले भी लिए तो उस को तो बड़ी ज़ोर से कह दिया कि वह बेईमान है उस ने रिश्वत ली ; रिश्वतखोर है ; नाजाइज़ तौर पर पैसे हासिल किए उसने। Corruption सिर्फ यह नहीं ; corruption cash और kind दोनों में होती है। क्या यह corruption नहीं कि सरकारी कारें मिनिस्टरों की पार्टी के लोगों को दिन रात इधर से उधर और उधर से इधर लेती फिरें ? क्या यह corruption नहीं कि मिनिस्टरों के बच्चों को कार में बिठा कर स्कूलों में लाया और वापस ले जाया जाए ? उन मिनिस्टरों के बच्चों को जो किसी तरह गरीब नहीं। कोई ऐसी बात तो है नहीं कि वे 40 या पचास रुपया माहवार पाते हों या मिनिस्टर होने से पहले वह रोटी नहीं खाते थे बल्कि असल में तो उन की लाखों रुपयों की मिलें चल रही हैं। लेकिन बावजूद इस बात के उनके लड़के, उनके

[पंडित श्री राम शर्मा]
रिश्तादार, उन के ताल्लुकदार कारों में सफर करते हैं और पैट्रोल सरकारी खर्च होता है। यह सब कुछ उसी level पर होता है जहां पर पहुँचने से पहले हमारे दोस्त कहा करते थे कि अगर हम power में आ गए तो तपस्वियों की तरह जिन्दगी बसर करेंगे; आश्रम की तरह रहेंगे और हमारे घर पर लंगर लगा रहेगा जहां पर हर एक आदमी को आने की इजाजत होगी। स्पीकर साहिब, अब देखिए कि झोंपड़ियों में रहने के लिए दावे करने वाले किन आलीशान महलों में रह रहे हैं और कैसी जिन्दगी—सादा जिन्दगी—बसर कर रहे हैं। सर सिकन्दर और गलैंसी जैसे लोगों को एक कार काफी थी मगर अब इन का तो तीन चार कारों के बगैर गुजारा ही नहीं। कोई किसी नाम पर है और कोई किसी पर। Administration की sanctity को तो इन्हों ने बिल्कुल खत्म कर दिया है। यह corruption नहीं तो और क्या है? जगह २ पर interference हो रही है। किसी को कोई लालच और किसी को कोई लालच दिया जा रहा है। Deputy Commissioners पर दबाव डाला जाता है, उन से 6, 7 दर्जे नीचे आदमियों को कहा जाता है कि फलां काम कर दो तुम्हारे लिए तरक्की के बड़े chances हैं; तुम Deputy Commissioner बन जाओगे। Superintendent, Police, को crime करने के लिए कहा जाता है; इस लिए कि तुम D.I.G. बन जाओगे। अब कहा जाता है कि इस corruption को दूर करने के लिए एक High Powered Department कायम किया जा रहा है। उस को कौन constitute करेगा? मैं कहता हूँ कि corruption शुरु ही इन सामने वाले सरकारी बैंचों से हुई और वह हर फ़ार्म में हो रही है। मैं अपने जाती तजरुबे की बिना पर कहता हूँ—अगर्चि मैं उम्र भर services का हिमायती नहीं रहा—कि अगर उन्हें रोजमर्रा की political manoeuvring और धड़ेबन्दी में तंग न किया जाए तो वह बड़े आला पैमाने पर काम कर सकती हैं। यही कारण है कि पंजाब में एक ऐसा वक्त आया कि जिस काम को मिनिस्ट्री नहीं सम्भाल सकी उस को services ने सम्भाला और अच्छी तरह सरअंजाम दिया। एक public worker और Opposition के एक लीडर होने के नाते मुझे इस बात की शर्मिन्दगी भी है। यही लोग अब कहते हैं कि भ्रष्टाचार को रोकेंगे। मैं दावे से कह सकता हूँ कि यह कभी नहीं रोक सकेंगे। सभी मिनिस्टर इस बात को जानते हैं। एक मिनिस्टर का Special Assistant एक दिन भी उस के पास नहीं रहता। वह गांव के अन्दर फिरता रहता है। अब भी अगर पता लिया जाए तो वह कहीं न कहीं गांव में ही मिलेगा और उस की जेबों में रुपए भरे मिलेंगे। एक महकमे का तो काम ही यही है कि जब तक मिनिस्टर का P.A. न हो, काम हो ही नहीं सकता। क्या इन हालात में आप कहते हो कि एक High Powered Department कायम किया है corruption को दूर करने के लिए? मैं कहता हूँ कि corruption दूसरा नाम है इस मिनिस्टरी का।

(At this stage Mr. Deputy Speaker occupied the Chair.)

मुझे पता है कि पंजाब में एक ऐसे वजीरे आजम हुए जिस ने इलैक्शनों के लिए अपने सभी अफसरों को यह हुक्म दिया कि आप सब मेरे लिए डटकर काम करो। मैं आप को elections के बाद promotions दूंगा। आप के merit को इस कसौटी

से देखूंगा कि तुम्हारे खिलाफ़ कितनी शिकायतें मेरे पास आती हैं। मतलब यह कि जिन लोगों की शिकायतें न आईं तो मैं समझूंगा कि उन्होंने कोई काम नहीं किया। उसका यह सब कुछ करने का मकसद यह था कि किसी न किसी तरह उसकी हकूमत चलती रहे। पर नतीजा क्या हुआ? उस को बड़ी ज़बरदस्त मार पड़ी और उसका नामोनिशान नहीं रहा। हालांकि ज़ाती तौर पर वह एक शरीफ आदमी था। लेकिन अब के चीफ मिनिस्टर के मुताल्लिक तो मैं यह भी नहीं कह सकता जो आज political party के लिए कानून को, सर्विसिज़ को और सारी सरकारी मशीनरी को बुरी तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मैं उन्हें warn करना चाहता हूँ कि उन का नतीजा भी वैसा ही होगा और वक्त जल्दी ही बताएगा कि इसका भी वही हशर होगा जो कि उस वज़ीरे आज़म का हुआ था।

ਭਗਤ ਗੁਰਾਂ ਦਾਸ ਹੰਸ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ) : ਮਾਨਯੋਗ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਡਰੈਸ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ; ਸੜਕਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ, ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀਜਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੱਤਰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

ਇਸ ਐਡਰੈਸ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਦੂਜੇ ਕੰਮਾਂ ਵਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਉਥੇ ਇਸ ਸਾਲ ਹਰੀਜਨਾਂ ਲਈ 23 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਰੁਪਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਤਨੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਯਾ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਪਿਛੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਜਲਸੇ ਜਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਂ ਸਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇਕ ਹੀ ਸਾਧਨ ਹੈ ਕਿ ਬਜਾਏ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਠਹਿਰਣ ਦੇ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਮਨਿਸਟਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿਚ ਠਹਿਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਦੂਜੇ ਅਫ਼ਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗੇ ਕਿ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੁਝਾਉ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ

[ਭਗਤ ਗੁਰਾਂ ਦਾਸ ਹੰਸ]
ਸ਼ਿਮਲਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗੜਾ ਵਗੈਰਾ ਵਿਚ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਡੇ ਵਡੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਡੇ ਵਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਚਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੇ ਬਚਿਆ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਗੁਰੂਕੁਲ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲਿਆਕਤ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਫੇਰ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਬਣੇ ਹਨ Public Service Commission ਅਤੇ Subordinate Services Selection Board, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਬਿਨਾ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀਜਨ candidates ਨਾਲ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਇਕ ਹਰੀਜਨ ਸੱਜਣ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੇ Excise Sub-Inspector ਦੀ ਜਗਾਹ ਲਈ Subordinate Services Selection Board ਕੋਲ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੁਝ ਮੱਦਦ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ Subordinate Services Selection Board ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੂ-ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਲੜਕਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਵੇ ਪਰ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੈਂ ਦਿਲਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਨੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗਲ ਦਸ ਕੇ ਦੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਮੂਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਕ ਮਜ਼ਮੂਨ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਦੇ ਜਿਥੇ 17 ਨੰਬਰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਉਸ ਨੇ 16 ਨੰਬਰ ਲਏ ਤਾਂ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਲਏ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਹੋਰ ਕਈ ਮਜ਼ਮੂਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ ਸਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹਰੀਜਨ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇਲਤਜਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਹਰੀਜਨ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਇਕ ਮਜ਼ਮੂਨ ਵਿਚੋਂ ਫੇਅਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ candidates ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਮੂਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਫੇਅਲ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀਜਨ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿਚ ਫੇਅਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ

ਫੇਰ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੀ ਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਬਿਨਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫੇਰ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਮੂਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਫੇਅਲ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਕ ਮਜ਼ਮੂਨ ਵਿਚੋਂ ਫੇਅਲ ਸੀ । ਇਹ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਾਉਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਕੇ ।

ਫੇਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਅਗੇ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗਲ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹਰੀਜਨਾਂ ਪਾਸ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਕਾਨ ਹਨ । ਜਿਸ ਜਗਾਹ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਉਹ ਸੌਂਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਬੰਨ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ; ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੜੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਰਖੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਆਦਮੀ ਮਕਾਨ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਪਲਾਟ ਦੱਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਮਕਾਨ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਮਤਲਬ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ Central Government ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹਰੀਜਨਾਂ ਲਈ ਹਟਾ ਦੇਵੇ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ Municipal Committees ਦੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ wastc lands ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਸਬ ਕੀਮਤ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚੋਂ ਮਕਾਨ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਸਕਣ । ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਸੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕਣ ।

ਫੇਰ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਡੀ ਤੰਗੀ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਹਰੀਜਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ । ਉਹ ਚੁਪ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਮਾਲ ਅਫਸਰ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਮਕਾਨ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਲਾਟ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਟੀਂਡੇ ਬਾਹਰ ਚੁਕ ਕੇ ਸੁਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਸ਼ਕਾਇਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ Special officer ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਕਾਨ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦੇਣ । ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕਈ ਕਈ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿਚ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ।

ਇਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ Address ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਿਰਕੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿਚ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲਵੇ । ਫ਼ਿਰਕਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ

[ਭਗਤ ਗੁਰਾਂ ਦਾਸ ਹੰਸ]

ਦਸੇ ਹੋਏ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਚਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤਦ ਤਾਈਂ ਹਰੀਜਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਧੱਬਾ ਨਹੀਂ ਲਗਣ ਦੇਣਗੇ । ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਵਡੀ ਤੋਂ ਵਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਕਲੀਫ਼ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੇ ।

श्री श्री चन्द (बहादुरगढ़) : साहिबे सदर, मुझे बड़ा....

प्रोफैसर मोता सिंह आनन्दपुरी : What about the amendments ?

Mr. Deputy Speaker : They are deemed to have been moved. These can be discussed with the main motion.

श्री श्री चन्द : साहिबे सदर, मुझे बड़ा अफसोस है कि इस वक्त न हमारे चीफ़ मिनिस्टर साहिब और न सरदार प्रतापसिंह साहिब हाऊस में तशरीफ़ रखते हैं । Law and Order की बाबत मेरे से पहले बोलने वाले मैम्बरान ने काफ़ी कह दिया है । रिश्वत की बाबत जो बहुत तरद्दद गवर्नमैण्ट करना चाहती है मैं उस की बाबत कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ । अब से पहले अफसरान और गवर्नमैण्ट के मुलाज़मीन की रिश्वत बन्द करने के लिए गवर्नमैण्ट ने काफी से ज्यादा महकमे खोले हैं और काफी से ज्यादा बन्दोबस्त करने की कोशिश की है । साहिब सदर, एक साधु जंगल में रहा करता था । एक दिन उस की लंगोटी को चूहे काट गए । वह चूहों को आप तो मारना नहीं चाहता था क्योंकि वह साधु था इस लिए उस ने एक बिल्ली रख ली । अब बिल्ली को पालने के लिए दूध चाहिए था तो उस ने दूध के लिए एक गाए रख ली । क्योंकि अब गाए के लिए चारा चाहिए था तो उस ने पास की ज़मीन में चारा बीज दिया । अब चारे का लगान वसूल करने के लिए सिपाही आ गए । क्योंकि वह साधु था और वह पैसे तो अपने पास रखता नहीं था इस लिए वह लगान अदा न कर सका । नतीजा यह हुआ कि वह उसे पकड़ कर जेल में ले गए । सो, स्पीकर साहिब, उस लंगोटी के लिए उसे जेल जाना पड़ा । ऐन इसी तरह हमारे चीफ मिनिस्टर साहिब अब रिश्वत को खत्म करने के लिए एक High Powered Department खोल रहे हैं, फिर हर Department को हुक्म है कि वह आप enquiry कर सकता है, फिर चौधरी लहरी सिंह जी ने Engineers का बोर्ड बना रखा है । मैं पूछता हूँ कि कौनसा ऐसा वज़ीर है जिस ने बिल्कुल अलहदा रिश्वत पकड़ने का इन्तज़ाम न कर रखा हो ? सब ने अपने अपने बिल्ले बिल्लियां पाल रखे हैं और अब Chief Minister साहिब ने सोचा कि हम क्यों पीछे रहें और एक बड़ा महकमा बना दिया रिश्वत पकड़ने का । कहते हैं रिश्वत खत्म कर दी है । जी हां कर दी होगी खत्म रिश्वत चपड़ासियों की, या दूसरे छोटे मुलाज़मों की । बाकी रिश्वत तो वैसी की वैसी ही है, फर्क सिर्फ इतना है कि रूप बदल गया है । अंग्रेज़ जानता था गरीब चपड़ासी का गुज़ारा नहीं होता । लोग आते थे, काम होने के बाद एक रुपया दे जाते थे । मगर चपड़ासी क्या कुछ करता था आप के लिए । कुर्सी साफ की और बैठाया, साहिब चाहे गुसलखाने में हो दौड़ा २ गया कहा साहिब बड़े रईस हैं, घण्टे से बैठे हैं, जल्दी से जल्दी आप की मुलाकात करवाई, आप अन्दर दाखिल हुए तो दर्वाज़ा खोला आप मिल आए और जाते वक्त अगर उसे रुपया दे आए तो क्या बड़ी बात थी । यह रिश्वत बन्द कर दी है और वह भी 8 नए महकमे कायम कर के । Reader होता है courts में । आप ने तारीख

लगवानी है। उस ने फाइलें देखीं, मुनासिब कागज़ात तैयार किए, Magistrate साहिब का प्रोग्राम देखा और उन के सुबह दस बजे आते ही आप के कागज़ात पेश कर दिए और साथ में कह दिया कि कुछ काम नहीं है सिर्फ तारीख ही लगानी है। साहिब ने दस्तखत किए आप 11 बजे तक फारिग़ हो कर घर चले आए। आज उन की रिश्वत बन्द कर दी है तो अगर मैजिस्ट्रेट साहिब 10 बजे दफतर आते हैं तो Reader साहिब $10\frac{1}{4}$ बजे। आए, एक केस की गवाहियां मैजिस्ट्रेट साहिब के सामने रखीं, उस के बाद दूसरे की 5 बजे और मैजिस्ट्रेट साहिब चले घर को और कह दिया बाकी सब की तारीखें लगा दो। Reader साहिब ने यह देख, वह कर, इधर जा उधर जा $6\frac{1}{2}$ बजा दिए और उस के बाद आप को तारीख सुना दी। तो पहले जो रिश्वत थी उस में तो शायद आप के 30 या 40 रुपए ही लगते मगर आज आप के 500 रुपए खुल जाते हैं। क्या यह रिश्वत बन्द कर दी है? रिश्वत बन्द कहां है, Minister तक लेते हैं रिश्वत। सिर्फ रूप बदला हुआ है। कहते हैं High Court की building पर 40 लाख रुपया लगा है। आप किसी भी Engineer को बुलाकर दिखा लें, 10 लाख रुपए की लागत से ज़्यादा कोई नहीं बताएगा। कहां गए बाकी के 30 लाख? कल विकास मंत्री जी ने बड़ी हमदर्दी दिखाई कांगड़ा के लोगों से। कहते हैं यह तो जादूगर है। इस ने यह किया और वह किया। आज ज़रा पंजाब के देहात में जाकर सुनिए लोग सरदार प्रताप सिंह को सरदार बरबाद सिंह कहते हैं और एक दूसरे मिनिस्टर को नगद नारायण कहते हैं (हँसी)। यह हैं लोग रिश्वतें बन्द करने वाले। एक बच्चे की मां उसे किसी बाबा के पास ले गई और कहा कि बाबा यह बच्चा गुड़ बहुत खाता है यह बन्द करा दो। बाबा ने कहा कि माई इसे 4 दिन के बाद लाना मेरे पास। दूसरी बार जब बाबा के पास बच्चे को ले गई उस की मां, तो बाबा ने बच्चे से कहा कि बच्चा गुड़ खाना छोड़ दे। बच्चे ने गुड़ खाना छोड़ दिया। माई ने पूछा कि बाबा अगर इतना ही कहना था तो 4 दिन पहले क्यों नहीं कह दिया। बाबा ने कहा जब तो मैं भी गुड़ खाता था तब इस से कहता तो इस पर असर क्या होता। अब 4 दिन से मैं ने भी गुड़ खाना छोड़ दिया है। यहां के Minister रिश्वत लेना छोड़ दें तो रिश्वत खुद बखुद बन्द हो जाएगी। Education की किताबें हैं यह nationalise कर ली गई हैं। एक २ किताब में आठ २ सौ गलतियां हैं। यह किताबें हैं। यह मैं मेज़ पर रखता हूँ। (इस समय चौधरी श्री चन्द ने कुछ किताबें सदन के मेज़ पर रख दीं।) कहते हैं यह हम ने nationalise कर दी हैं। यूं नहीं कहते कि businessmen की रोजी छीन कर, उन के कुनबों की रोटी छीन कर उन्हें फांसी लगा कर अपने भाई भतीजों में बांट दी है। हरेक किताब में आठ २ सौ गलतियां हैं। यह पढ़ाई जाती हैं। हमारे बच्चों को, फिर कहते हैं देहाती competition में आएं। जब तालीम का यह हाल हो तो competition में क्या आएं। फिर यही किताबें सब को ज़बर्दस्ती खरीदनी पड़ेंगी, ठेका जो दे दिया इन का। भाई चांद राम जी ने कहा इनसानों का ठेका होता है, मैं कहता हूं यहां वज़ारत का भी ठेका होता है। पहले तो रिश्वत ली जाती थीं छुप कर दलाल और intermediaries हुआ करते थे जिन को अब इन्होंने अलग कर दिया है। अब रिश्वत छुप कर नहीं, जलसों में ली जाती है और इकट्ठी की जाती है। महकमे वाले और दूसरे लोग पैसे इकट्ठे करते हैं और कहते हैं वज़ीर साहिब आप के अखबार के लिए 5,000 रुपया जनता ने दिया है। जैसे अखबार के बिना हिन्दुस्तान का काम अटक रहा है! अखबार के लिये

[श्री श्री चन्द]

ज़िलादार पटवारी रिश्वत इकट्ठी करते हैं और जलसों में दी जाती है। यह रिश्वत बन्द कर रहे हैं ! पटवारी को पता है कि Minister ने 5,000 की रिश्वत ली है तो वह अगर 200 रुपये ले लेगा तो क्या हर्ज है ? यह रिश्वत बन्द कर रहे हैं ! Chief Minister की कोठी का ठका 6 लाख रुपये का है। कहते तो थे झौंपड़ियों में रहेंगे। खैर तो 6 लाख का ठेका देंगे और खर्च होगा एक लाख, बाकी 5 लाख कहां जायेगा ? कौन सी building है जो पूरे ठेके की बनेगी। M.L.A.s के quarters हैं। कहते हैं 22,000 रुपये और किसी पर 44,000 रुपये लगेंगे। 44,000 में तो सारा गांव पक्का हो जाता है। किसी इंजनियर को दिखाएं कि क्या इन buildings पर इतनी लागत आई, हाई कोर्ट पर 44-45 लाख रुपया लगा है ? क्या एक 2 हज़ार रुपये का मेज़ आता है ? क्या यही महात्मा गांधी जी के असूल थे ?

फिर कहते हैं फिरकापरस्ती tolerate नहीं करते। मैं कहता हूं कि सब से बड़ी फिरकापरस्त जमात कांग्रेस है। 1916 से लेकर मुस्लिम लीग के आगे माथा टेकते रहे। मज़हब की बिना पर समझौता किया। आज जब पंजाबी सूबे की मांग की जाती है तो कहते हैं यह तो सिर्फ 7 जिले हैं, यह कैसे हो सकता है। यह मांग तो सिर्फ चन्द फिरकापरस्तों की है। Devil quoting scriptures कहते हैं अब कहीं सरकार में फिरकापरस्ती नहीं रही। हमें तो पता नहीं इसे निकाला कहां से गया है। वज़ीर क्या बताते हैं कि फिरकापरस्ती है, सच्चर फार्मूला क्या बताता है कि फिरकापरस्ती है, हिंदी और पंजाबी बताती है कि फिरकापरस्ती हैं। यह तो खुद आप में है। हमें कहते हैं कि हम separatist हैं। हम कोई रूस से या पाकिस्तान से मिले हैं ? आज हरियाना के ज़िलों के कन्धों पर आप पंजाब के Chief Minister हैं। आज आप अम्बाला Division में बसने वाले लोगों के ज़्यादातर हिंदू होने की बिना पर Chief Minister हैं। आज अम्बाला Division जालन्धर की colony बना हुआ है। जब पूछते हैं कि हरियाना से कितने अफसर लिये गये हैं तो कुछ नहीं बतात। भाखड़ा, नंगल और चंडीगढ़ सब इधर हैं। ऐग्रीकल्चर कालेज, मैडीकल कालेज और दूसरे जितने कालेज हैं सब इधर हैं। अम्बाला Division, जहां की 70 फीसदी हिंदू आबादी की बदौलत आप चीफ मिनिस्टर हैं, में क्या है ? हम तो कहते हैं बावा हमारा पीछा छोड़ो हमें दिल्ली में जाने दो। हमें पहले लाहौर के हिंदू खाते रहे अब जालन्धर के खा रहे हैं। हम तो दिल्ली के साथ अम्बाला Division को मिलाना चाहते हैं, कोई रूस या पाकिस्तान के साथ तो नहीं मिलना चाहते जो हमारी separatist tendency बताई जाती है। कोई हिन्दोस्तान से बाहर या इस के खिलाफ जा रहे हैं ? जब कुछ मिलने का वक्त आता है तो हमारी गिनती हिंदुओं में कर लेते हैं और जब देने का वक्त आयेगा तो जालन्धर के हिंदू और सिख एक हो जायेंगे। मैं कहता हूं कि हमें छोड़ दें। हम वफादार रहेंगे। हम हिंदुस्तान से बाहिर नहीं भाग रहे। Separatist तो आप हैं। लोगों को आप कहते हैं। Address में आप ने separatism को लिखवा दिया। यह vague नहीं तो और क्या है ? फिर वह बताते हैं कि सिख फिरकापरस्त हैं, यह लोगों में फूट डालते हैं। और बाद में हमारे Chief Minister साहिब कहते हैं कि हमारा मतलब सिखों से नहीं था। तो क्या आप का मतलब ईसाइयों से था ?

मैं अर्ज़ करता हूं कि आप का यह दावा कि हम इन्हें कुचल देंगे, हम इन्हें मार देंगे, यह झूठा है। आप इस ख्याल में न रहें कि आप किसी कौम को या मज़हब को कुचल देंगे। कोई भी कौम इस तरह से तबाह नहीं की जा सकी। सिक्खों से प्यार और हमदर्दी से रहना चाहिए क्योंकि आज कल आप किसी को भी ताकत से नहीं रोक सकते।

फिर सिखों की Punjabi speaking Province की demand है। अगर Border पर काश्मीर का सूबा बन सकता है तो अगर बार्डर पर सिखों का सूबा बन जाए तो क्या हर्ज है ? इस से क्या हो जायेगा ? क्या सिख ईरान से आए हैं या काबुल से, क्या यह गद्दार हैं, क्या ऐब है आखिर सिखों में। इनकी demand तो economic भी है। पहले यह 25 प्रतिशत थे, अब अगर 38 प्रतिशत हो जाएं तो क्या हो जायेगा ? कोई पहाड़ टूट पड़ेगा ? सिखों का सूबा बनेगा तो क्या हो जायेगा ? फिर यह कहना कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम इन्हें कुचल देंगे......

(At this stage Mr. Speaker resumed the Chair).

आप इन्हें क्या कुचलेंगे ? कुचल देने वाले तो 7 हज़ार मील दूर बैठे हैं। हम से कहो, हम U.P. में चले जाते हैं लेकिन आप हमें डराते क्यों हो ? आज कल कोई नहीं डरता। डराने से आप हकूमत नहीं कर सकते। प्यार से हकूमत कर सकते हो। दुनिया में रोअब से आज कल हकूमत नहीं हो सकती। इस किस्म की बातें कहनी कि हम इन्हें रगड़ देंगे अच्छी नहीं। Minorities से प्यार से रहो। धमकियां न दो। अगर डराने धमकाने से हकूमत हो सकती तो अंग्रेज यहां से न जाता। आप इस बात का ख्याल रखें कि सिखों को न लड़ाया जाये। मुझे तो डर है कि चाहे आप के अखबार इस खिचाव को न चाहते हों लेकिन वह पंजाबी सूबा ज़रूर बनवा देंगे। यह वही अखबार हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनवाया था। यही अखबार पंजाबी speaking नहीं, सिखों का clear सूबा बनवा के रहेंगे। आप फिर सिखों को East Punjab नहीं, सिखों का clear सूबा दोगे जैसे कि पाकिस्तान दिया है। आप सिखों को क्यों भड़काते हैं ? पंडित जवाहर लाल नेहरू अकाली पार्टी से तो लड़ सकते हैं पर सिखों से नहीं। सिख वफादार हैं। सिख सिपाही हैं, कारीगर हैं। फिर आप क्यों ऐसी कौम के पीछे पड़ गए हैं ?

मैं ने चन्द बातें और कहनी थी लेकिन अब वक्त नहीं है। मैं इतना ज़रूर कह दूं कि यहां पर सब ने रहना है। फिर किसी के नाम से आप को क्यों चिड़ है ? आप को हमारे नाम से और वोटों से ही चीफ मिनिस्टर बनाया गया। अब आप हमें पूछते भी नहीं। अगर आप हम सब को प्यार से रखेंगे तो आप की इज्ज़त होगी। आप किसी को दबा कर नहीं रख सकते।

5 p.m.

ਸਰਦਾਰ ਬਚਨ ਸਿੰਘ (ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ); ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਰਬੇ ਬੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਲਈ 11 ਲਖ 18 ਹਜ਼ਾਰ 4 ਸੌ ਦੀ ਰਕਮ ਰਖੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਰਕਮ ਕਿਥੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੀਪਾਂ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਮੇਜ਼ਾਂ ਤੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਰਬੇਬੰਦੀ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਬੁਰਜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ 5 ਲਖ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਇਕਠੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਪਰ ਇਹ 5 ਲਖ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿਥੇ ਖਰਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਕ ਵੀ ਬੁਰਜੀ

[ਸਰਦਾਰ ਬਚਨ ਸਿੰਘ]

ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਗਈ । ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਤਹਿਸੀਲ ਮੋਗੇ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਵਿੰਗੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ । ਜੇਕਰ ਬੁਰਜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਰਾਹ ਵਿੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ । ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਇਨਾ ਰੁਪਿਆ ਕਿਸ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚ ਗਿਆ । ਕੀ ਇਹ ਰੁਪਿਆ ਪੱਥਰ ਖਾ ਗਏ ਹਨ ?

ਫਿਰ ਇਕ ਹੋਰ ਸਕੀਮ ਕੱਢੀ ਕਿ ਚਾਰ ੨ ਰੁਪਏ ਦੇਵੋ ਬੁਰਜੀਆਂ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪਰ ਉਹ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬੁਰਜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ S. O., Director ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਫਸਰਾਂ ਪਾਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ । ਕੁਝ ਚਿਰ ਬਾਦ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਬੁਰਜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ । ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਜਾਂ ਇਹ ਠੇਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ।

ਫਿਰ ਇਹ rule ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਮੁਰਬੇਬੰਦੀ ਵੇਲੇ ਕਾਪੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਖੇਤ ਕਟਿਆ ਹੈ ਵੱਟ ਕਿਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ । ਫਿਰ ਸਮਾਲਸਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਪੀਆਂ ਨਕਸ਼ੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚੋਂ ਲਵੋ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਤੇ ਗਏ । ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਰਾਹ ਵੀ ਵੱਖ ਹਨ ; ਜੋ 4 ਵਿਚ ਸੀ 5 ਵਿਚ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਜ਼ਮੀਨ ਕਟਣ ਲਗਿਆਂ ਕਿਸੇ ਗਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ।

ਪਿੰਡ ਮਲ੍ਹੇਕੇ ਜਿਥੇ ਮੁਰਬੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਥੇ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 9 ਥਾਈਂ ਕਟੀ ਗਈ ਹੈ । ਜ਼ਮੀਨ ਕਟਣ ਲਗਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ।

ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ੨ ਰੁਪਏ ਦਿਤੇ ਸਨ, ਅਜਿਹੇ ਇਕ ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ 100, 100 ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ? ਅਰਜ਼ੀ ਕਰਨ । ਮੁਕਦਮੇ ਕਰਨ । ਮੋਗੇ ਵਿਚ ਤ੍ਰੀਕਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਾਸ ਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਉਥੇ ਰੋਜ਼ ਜਾ ਸਕਣ ।

ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ । ਪਿੰਡ ਦੋਧਰ ਵਿਚ ਮੁਰਬੇਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ । ਇਥੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਰਬੇਬੰਦੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਰੁਪਏ ਇਕਠੇ ਕਰੋ । 11,955 ਰੁਪਏ ਇਕਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ । ਜਮਾਂ ਕਰਾਏ ਗਏ ਪਰ ਇਹ ਰਕਮ ਵੀ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚ ਪਾ ਲਈ ਗਈ ਤੇ ਮੁਰਬੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਜਿਥੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣ ਤੇ ਸੌਦਾ ਵੀ ਨਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ । ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਰਕਮ ਮੋੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਰਬੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਨੂੰ । ਫਿਰ ਰਾਹ ਵਿੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ।

ਫ਼ਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚ ਕਾਟ ਬਹੁਤ ਲਾ ਦਿਤੀ ਹੈ । ਕਿਤੇ ਤਾਂ 2,2 ਏਕੜ ਤੇ ਕਿਤੇ 35, 35 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ । ਫਿਰ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ । ਕਾਟ ਵੇਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਚਾਰ ੨ ਕਰਮਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਕਪੜੇ ਡਾਂਗਾਂ ਦੇ ਗਜ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਉ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੈ । ਰਾਹ ਵਿੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ । ਬੁਰਜੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕਾਟ ਵੀ ਇਕ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ । ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ।

सिंचाई मंत्री (चौधरी लहरी सिंह) : साहिबे सदर, आज हाउस में कई माननीय मैम्बरों ने अपनी तकरीरों के दौरान में ऐसी बातें कहीं जिन में ज़रा भर भी सदाकत नहीं ।

सरदार खेम सिंह : On a point of Order, Sir. मैं आप की तवज्जुह इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूं कि स्वर्ण जाति के मेम्बरों को बोलने का बहुत मौका दिया गया है और अभी तक Scheduled Caste के सिर्फ दो मैम्बरों ने तकरीरें की हैं । इस लिये मैं आप से दरखास्त करूंगा कि मुझे बोलने का मौका दिया जाये ।

Mr. Speaker : This is no point of order.

सिंचाई मंत्री : साहिबे सदर, कई बातें ऐसी कही गईं जिन में बिल्कुल कोई सदाकत नहीं । ऐसा मालूम होता है कि महज़ जोश और गुस्से में आकर मैम्बर साहिबान ने ऐसी बातें कर दीं ।

पहिला एतराज़ यह किया गया है कि जालन्धर और अम्बाला Divisions में इम्त्याज़ किया गया है । उन्होंने कहा कि भाखड़ा भी उधर, नंगल भी उधर और इस किस्म की मिसालें दीं । उन्हें मालूम होना चाहिये कि भाखड़ा डैम और नंगल Project वहां ही बन सकते थे जहां दरिया का पानी काबू करने के लिये पहाड़ मौजूद हों । मैं बताना चाहता हूं कि भाखड़ा डैम पर जो 156 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है उस का फायदा सारे का सारा Ambala Division को जा रहा है, Haryana Prant को जा रहा है इस का पानी राजस्थान में जाता है, तहसील सिर्सा में और कुछ पानी और बिजली पैप्सू में जाती है । पैप्सू में भी बहुत सा इलाका हरियाना का आता है । भाखड़ा डैम का 85 फीसदी फायदा हरियाना प्रांत को पहुंचता है । इस के बावजूद मेरे दोस्त गवर्नमेण्ट पर नुक्ताचीनी करते हैं जो मैं समझता हूं कि बिल्कुल गलत और बेबुनियाद है । यहां यह बहस की जा रही है कि सारे का सारा पानी हरियाना प्रान्त में नहीं जा रहा । पानी इस मकसद के लिये इस्तेमाल हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा बिजली पैदा की जा सके । बिजली जो वहां पैदा होती है गंगुवाल पावर हाउस में अम्बाला, पानीपत और देहली में जाती है । अम्बाला कमिश्नरी को सब से ज़्यादा बिजली यहां से मिलती है । झज्जर में जो चाचा साहिब की constituency थी आज बिजली जा रही है । सांम्पले जैसे छोटे छोटे गांव में भी बिजली चली गई है । बावजूद इस के कि पानी और बिजली की सहूलियात हरियाना प्रान्त और अम्बाला डिवीजन को दी गई हैं फिर भी मैं हैरान हूं कि मेरे दोस्त गवर्नमेंट पर नुक्ताचीनी कर रहे हैं । जब बजट पर बहस होगी तो उस वक्त मैं वाज़ेह तौर पर बताऊंगा कि एक एक तहसील में पानी और बिजली की सहूलियत बहम पहुंचाने पर कितना २ रुपया खर्च किया जा रहा है ।

इस के इलावा यह कहा गया है कि हरियाना प्रान्त की सरकारी मुलाज़मतों में representation बहुत कम है । इस के मुतअल्लिक मैं कहूंगा कि सरकारी मुलाज़मतों में recruitment का मामला Services Selection Board के सुपुर्द कर दिया गया है जिस के President हरियाना प्रान्त के रहने वाले हैं । मुझे कोई माननीय मेम्बर कोई specific case बतायें जिस में पंजाब वालों से रियायत की गई हो । युनियनिस्ट वज़ारत के वक्त होता था कि नौकरियों में राजपूत जाटों को preference दी जाये । लेकिन अब तो Services Selection Board कायम कर दिया गया है जो 50 रुपये माहवार या उस से ऊपर

[सिंचाई मन्त्री]
वाली नौकरियों की recruitment करता है। बोर्ड का प्रेज़ीडेंट हरियाना का है तो फिर भी यह कहा जाये कि हरियाना वालों की तो Services में शुनवाई नहीं होती, एक बेमायनी सी बात है ।

फिर यह कहा गया है कि महकमे के अन्दर रिश्वत का बाज़ार गर्म है। ज़िलेदार चंदा इकट्ठा करते हैं और सैंकड़ों रुपये खुद हज़म कर जाते हैं। मैं माननीय मेम्बर चौधरी श्री चन्द जी से पूछना चाहता हूं कि वह बतायें कि रोहतक की history क्या रही है। वह अपने दिल पर हाथ रखें और कहें कि क्या चंदा इकट्ठा करने की आदत यूनियनिस्ट वज़ारत के वक्त में चाचा जी ने नहीं डाली थी ? उस वक्त उन्हों ने डिप्टी कमिश्नर की मार्फत एक दो लाख रुपय नहीं बल्कि 22 लाख रुपया चन्दा इकट्ठा किया था। यह 22 लाख रुपया कोई ऊपर से नहीं गिरा था बल्कि अफसरों की मार्फत इकट्ठा किया गया था। अब हालत यह है कि 500 रुपया के किदवाई फंड पर नुकताचीनी की जा रही है और मेरे दोस्त युनियनिस्ट वज़ारत का जमाना भूल गए हैं जब कि 22 लाख रुपया डिप्टी कमिश्नर की मार्फत इकट्ठा किया गया था। इस के इलावा वह शायद यह भी भूल गए हैं कि चाचा जी ने अखबार 'जाट गज़ट' के लिए और दूसरी अखबारों के लिए कितना बेशुमार चन्दा जमा किया था।

अध्यक्ष महोदय : यह चाचा जी कौन थे ?

सिंचाई मंत्री : स्वर्गीय चौधरी सर छोटू राम को चाचा जी कहते हैं।

जो भाई Unionist Ministry के वक्त का नारा लगाते हैं, मैं उन से यह पूछना चाहता हूँ कि 'जाट गज़ट' अखबार के लिए उस वक्त किस तरह चन्दे इकट्ठे किए जाते थे और फिर उस रुपए का क्या बना जो चाचा जी की यादगार के लिए जमा हुआ था ? कई लाख की रकम थी, पता नहीं कहां की कहां चली गई। फिर कहते हैं कि वज़ीर साहिब खा गए हैं। फिर हमारे दोस्त लोगों में कहते फिरते हैं कि रोहतक की sugar mill के, जो कि co-operative basis पर चलाई जानी है, shares न खरीदो। इस मिल का मुनाफा cane-growers और labourers को जाएगा, हरियाने के लोगों को फायदा होगा, मगर यह भाई जो हरियाने के साथ हमदर्दी का इज़हार करते नहीं थकते लोगों में इस के ख़िलाफ़ प्रचार कर रहे हैं।

हरियाने के अखबार "बदलती दुनिया" की writings में बहुत ज़हर उगला जाता है, मगर हर साल उस का fund हिसाब में ड्योढ़ा हो जाता है। Sugar Mill के लिए 15 meetings करनी पड़ीं। आधे के करीब रुपया पंडित जी के पास 'बदलती दुनिया' के लिए पहुँच गया।

फिर Superintendent Police की शिकायत में बहुत कुछ कहा गया है। पंडित जी और हम एक हैं। जब तक वे Minister रहे, उन्हें उस के खिलाफ़ कोई शिकायत नहीं थी। उस के लगाए जाने से पहले क्या हालत थी ; तीन चार आदमी रोज़ दिन दिहाड़े कत्ल हो जाते थे, डाकूओं ने कितनी गुंडागरदी मचा रखी थी। अब इस अफसर के ख़िलाफ़, जिस ने इतना अच्छा काम किया, कहा जाता है कि उस ने rapes करवाए।

Shri Sri Chand : Sir, this case is subjudice.

Mr. Speaker : Please don't refer to it.

सिंचाई मंत्री : I shall not refer to it at all. इल्ज़ाम लगाया जाता है कि पुलिस ने लोगों पर बहुत जुल्म किए लेकिन मैं पूछता हूँ कितने इस्तग़ासे defence के लिहाज़ से दायर किए गए हैं । पुलिस ने तो डाकूओं का मुकाबला करना ही था, मुकाबला करने वालों को मारना ही था । जितना peace और order आज वहां पर है पहले कभी नहीं हुआ था ; सब डाकू मार दिए गए हैं, कोई वारदात नहीं हो रही । मैं हैरान हूँ क्या इस लिए पुलिस पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं और साथ में वहां के रहने वाले Minister पर भी ? पंडित जी तो छटकारा पा गए, अब मुझे ज़िम्मेदार ठहराया जा रहा है । अब इन किस्सों में क्या रखा है । कहते हैं कि Minister ने लोगों को मरवाया है, Superintendent Police उस के इशारे पर चलता है । अब तो उस का भी तबादला कर दिया गया है, चन्द दिनों में दूसरा आ रहा है । हम पंडित जी के साथ मुतफिक हैं, अगर कोई ऐसी वैसी बात होती तो हरगिज़ बर्दाश्त न की जाती । अगर कोई हुई है तो court में इस्तग़ासा करें ; Chief Minister साहिब से मिलें, वे उन्हें convince करा देंगे । Peace and order वहां पर कायम हो चुका है । गुस्से में आने की कोई बात नहीं ।

मुख्य मंत्री (श्री भीमसेन सच्चर) : स्पीकर साहिब, दो दिन मैं ने इस मुअज़िज़ हाऊस में काबिल मुकर्ररों की तकरीरों को सुना है । जहां तक नुक्ताचीनी का ताल्लुक है, वह तकरीरें इस तरह से तक्सीम की जा सकती हैं । किसी में तो इल्ज़ाम हैं जो कि किसी काम की वजह से या किसी ज़ाती कमज़ोरी की बिना पर लगाए गए हैं । कुछ इल्ज़ाम ऐसे हैं जो कि मौजूदा system of administration की वजह से लगाए गए हैं । दूसरी किस्म उन तकरीरों की है जिन में मौजूदा social निज़ाम के बारे में शिकायतें की गई हैं । बाज़ भाइयों ने किसी और नज़रिये से शिकायत की है । उन्हों ने अपनी शिकायत, अपना रंज, अपना गिला हाउस में ज़ाहिर करने की कोशिश की है ।

मुझे उन भाइयों से कतअन कोई गिला नहीं जो इमानदारी से समझते हैं कि मुझ में या मेरे साथियों में कोई कमज़ोरी है । मुझे कोई गिला नहीं उन लोगों से जो यह महसूस करते हैं कि बावजूद अपनी कोशिश के हम उतनी तरक्की नहीं कर पाए जितनी हम करना चाहते हैं । मुझे कोई गिला नहीं उन भाइयों से जो यह समझते हैं कि मौजूदा निज़ाम का शिकंजा हमें इस तरह पकड़े हुए है कि हम थोड़े अर्से में ज़्यादा काम नहीं कर पाए हैं मगर मुझे गिला ज़रूर है उन भाइयों से जो नाम तो रखें public grievance का मगर उस की आड़ में चीज़ कोई और हो । अगर्चे मुझे ऐसी बात कहना अच्छा नहीं लगता, ताहम मुझे अफ़सोस है कि अगर इस की तरफ इशारा न किया जाए, खास कर जब कि इस का ताल्लुक किसी की ज़ात से हो, तो लोगों पर इस का असर वैसे का वैसा ही रह जाएगा । मुझे इस बात का भी अफ़सोस है कि मैं जिस चीज़ की तरफ़ इशारा कर रहा हूँ अपने एक अज़ीज़ दोस्त की तरफ से आई है । उन्हों ने जो शिकायत की है उस का ताल्लुक एक जगह की bus service से है । वहां पर सवारी ज़्यादा है । इस लिए उन्हों ने यह कहा कि साहिब उस transport के साथ आप

[मुख्य मंत्री]
एक omnibus चला दें। मैं अर्ज़ करता हूँ कि यह जो ख्याल है एक बहुत अच्छा ख्याल ज़ाहिर किया जा सकता है इस हाउस के अन्दर। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि जब एक रूट किसी को दिया होता है और जब तक वह route उन के पास होता है और अगर वहां पर लोगों का आना जाना ज्यादा है तो आप साहिबान को पता है, मुअज़्ज़िज़ ईवान को पता है, कि जिस पार्टी का वह route है उसी पार्टी को वहां पर और बस चलाने की इजाज़त पहले होती है। पहले उसी पार्टी का हक होता है कि और बस चलाए। यह नहीं होता कि कोई और पार्टी वहां पर बसें चलाना शुरु कर दे। स्पीकर साहिब, अगर हकीकत में यह चीज़ है कि वहां पर सवारी ज्यादा है और साथ ही यह बात है कि गवर्नमेण्ट को उन्हें फ़ायदा पहुँचाना मकसूद है तो फिर क्यों न गवर्नमेण्ट उसी transport line को और बस चलाने की इजाज़त दे दे। मगर मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि असल में बात कुछ और है, और इस तरफ इशारा करना पड़ता है कि मेरे भाई को यह ख्याल था कि elections के अन्दर उस बस transport वाले ने उस की मुखालफत की थी। वे आये और वज़ीर साहिब को फरमाने लगे कि किसी तरीके से "प्यार बस" को खत्म करो। जब तक वह बस line खत्म नहीं होती मन को शान्ति नहीं होती। लेकिन वज़ीर साहिब ने मजबूरी ज़ाहिर की। आज यह बात किस को मालूम नहीं कि पंजाब के अन्दर सारी lines nationalise नहीं हुईं। कुल 280 lines हैं; उन में से अभी तक 80 lines ही nationalise हुई हैं और 200 routes ऐसे बाकी हैं जिन को अभी nationalise करना है। अगर उन 200 में से एक यह भी हो तो मैं पूछता हूँ कि क्या ज़ाती गिले की बिना पर और किसी को नुकसान पहुँचाने की ज़ाती खाहिश पर बड़े तमतराक से आना और यह कहना कि देखिए साहिब यह गवर्नमेण्ट बड़ी बेइमान गवर्नमेण्ट है, जहां nationalisation करनी होती है वहां नहीं करते और जहां नहीं करनी होती वहां करते हैं, कहां तक ठीक है? स्पीकर साहिब! मैं ने इस बात का ज़िक्र खुशी से नहीं किया। मैं समझता हूँ कि Opposition वाले भाई यह समझते हुए भी कि यह बात ठीक नहीं है ऐसा करते हैं। जहां पर वे मुखालफत की भावना को छोड़ कर अच्छी बातें कहते हैं वहां मैं उन का शुक्रगुज़ार हूँ। इस वक्त सरदार अजमेर सिंह जी बैठे नहीं हुए हैं, जब वे तकरीर करते हैं तो कई बार constructive suggestions गवर्नमेण्ट के सामने रखते हैं। और ऐसे ही जब दूसरे भाई भी रचनात्मक सुझाव देते हैं तो हमें उन्हें कबूल करने में कोई एतराज़ नहीं होता। स्पीकर साहिब! एक चीज़ मैं इस मुअज़्ज़िज़ हाउस के सामने कह दूं कि हम नहीं claim करते कि हम ने सब समस्याओं का हल निकाल लिया है, हम नहीं दावा करते कि हमारी administration में corruption नहीं है, हम नहीं कहते कि हमारी आंखों के सामने वह मनज़र नहीं है जिस की तरफ श्री चांदराम जी ने इशारा किया है। हकीकत में यह बात किसी सरकार को भी शोभा नहीं देती कि उस के चन्द लोग तो बड़ी २ कोठियों के अन्दर रहें और उन की आंखों के सामने दूसरे लोग सड़कों की पटड़ियों पर तड़पा करें। सर्दी पड़े, गर्मी पड़े और वर्षा भी हो। किसी को भी इस से खुशी नहीं हो सकती। क्या मेरे भाइयों का विचार है कि हम इन बातों को नहीं समझ सकते या उन के साथ ही हम महसूस नहीं करते? फिर आप कहेंगे कि क्यों नहीं हम कुछ उपाय करते। मेरे मुअज़्ज़िज़ दोस्त बैठे हुए हैं; उन को पता है कि बाज़ औकात किस तरह एक चीज़ को निभाना पड़ता है, किस तरह उन की ज़िम्मेदारी पर एक

चीज़ आ पड़ती है । यह ठीक है कि चण्डीगढ़ में जो बड़ी २ इमारतें हमें नज़र आती हैं, जो बड़ी शानदार इमारतें बनी हुई हैं वह भारी तफावत की निशानियां हैं । यह ठीक है कि चण्डीगढ़ साधारण या normal चीज़ नहीं है मगर यह चण्डीगढ़ उस तरफ का एक नमूना है जिस की तरफ हम जाना चाहते हैं । और सिर्फ यही नहीं कि चण्डीगढ़ में ही इस चीज़ को करना चाहते हैं बल्कि दूसरी जगहों पर भी । लेकिन यह बात, यह इतना बड़ा परिवर्तन एक दम नहीं हो सकता । हज़ारों और सैंकड़ों वर्षों की गुलामी के दौरान में हमारे लोगों की जो हालत हुई है उस को एक रात में या चश्मज़दन में नहीं बदला जा सकता । इस लिए मुझे इस की शिकायत नहीं है । मैं कबूल करता हूँ कि हम इस थोड़े अरसे में चन्द चीज़ों को नहीं कर पाये हैं । मैं पूछता हूँ कि मैं कब उन के पास गया हूँ और दावा किया है कि सूबा में unemployment नहीं है ? और मैं ने कब कहा है कि मेरे काम करने वाले सारे सरकारी अफसर देवता हैं ? और मैं ने कब कहा है कि हमारा दिल तड़प रहा है और हमारे मुंह के नीचे लुकमा इस कारण नहीं जाता कि हमारा साथी भूखा है ? हम में और उन में क्या फर्क है ? क्या वे भूखे मरते आदमियों को नहीं देखते ? फिर वे भी खा रहे हैं और हम भी खा रहे हैं । हमारा social structure ही ऐसा है, social निज़ाम ही ऐसा है जिस में उन के और हमारे साथी जकड़े हुए हैं । स्पीकर साहिब ! जब हम इस ईवान में तकरीर करते हैं तो public platform से नहीं करते जहां किसी किस्म की पाबन्दी नहीं होती । हम यहां पर अपने विधान के मातहत काम कर रहे हैं । विधान की रीति के अन्तर्गत किसी चीज़ को ले सकते हैं । उसी कायदे के मातहत एक चीज़ को दूसरी चीज़ से बांध सकते हैं । मेरे भाई जो बहुत बेताब हैं, बहुत बेचैन हैं, मैं उन से कहता हूँ, मैं श्री चांद राम जी से कहता हूँ कि वे आगे आएं, मुझे कोई प्रोग्राम बताएं । मैं उस प्रोग्राम को हरफ हरफ पायाएतकमील तक पहुँचा दूंगा बशर्तेकि वह प्रोग्राम विधान के मुताबिक हो । यह और चीज़ है कि आप कहें कि विधान को बदल दो । यह और चीज़ है कि आप दूसरा विधान बना लें । लेकिन जब तक नहीं बदला जाता उस वक्त तक हमें इसके मुताबिक ही चलना है । हम यहां पर सारे उस ईवान के मेम्बर हैं जो एक विधान के कायदे के मुताबिक चल रहा है । मैं पूछता हूँ कि अगर आप की गवर्नमेण्ट उसी कानून के मुताबिक नहीं चल रही और इतनी तेज़ रफतारी से नहीं चल रही जितना तेज़ उस को चलना चाहिए था तो बेशक मेरे गले से आप मुझे पकड़ लें । सब से पहली चीज़ क्या है ? आखिर क्या है जो आप चाहते हैं और हम चाहते हैं ? गवर्नमेंट आखिर क्या होती है ? गवर्नमेंट का मतलब एक ऐसी संस्था है जिस के पास खास इख्तियारात हों फैसला करने के और फिर उसके बाद उस फैसला पर अमल करने के लिए उस को खर्च करने के इख्तियार हों । इन दो चीज़ों पर गवर्नमेंट की सारी definition खत्म हो जाती है । आप ने आज हमें फैसला करने और खर्च करने के इख्तियारात दिए हुए हैं । हम उन्हीं के मुताबिक, Constitution के मुताबिक काम कर रहे हैं । आप हमें बेशक दूसरी चीज़ों के लिए ताना दें मगर क्या आप यह नहीं सुनते और क्या आप खुद कई बार यह नहीं कहते कि यह गवर्नमेण्ट बड़ी तेज़ी के साथ सूबे को तरक्की के रास्ता पर आगे ले जा रही है ? क्या आप साहिबान ने कई बार यह डर ज़ाहिर नहीं किया कि जिस rate से आप पंचायतों को इतने इख्तियारात दे रहे हो ; कहीं यह चीज़ हमारे लिए मुसीबत का कारण न बन जाए और तमाम ढांचा कहीं लुड़क न जाए ?

[मुख्य मन्त्री]
अगर बावजूद इस तम्बीह के आप और मेरे साथी—स्पीकर साहिब मेरा मतलब सामने बैठे साथियों से है—हमें कोसें तो आप ही बताएं कि इस में हम क्या कर सकते हैं ? हमारा तो उद्देश्य ही यही है कि हुकूमत की सारी ताकत गांव वालों के नीचे चली जाए क्योंकि मैं समझता हूँ कि जब तक गांव वाले यह महसूस नहीं करते कि गवर्नमेंट को चलाने में उनका भी एक नुमायां हिस्सा है तब तक मैं ऐसी गवर्नमेण्ट को गवर्नमेण्ट नहीं समझता। विधान यह कहता है कि हुकूमत की ताकत unit के पास हो, पंचायत राज हो। आप हमें इस कसौटी से देखें कि आया हम पंजाब को पंचायत राज की तरफ ले जा रहे हैं या नहीं।

मेरे दोस्तों और खासकर सरदार वज़ीर सिंह जी ने डिस्ट्रिक्ट बोर्डों का ज़िक्र किया। मैं उन की तकलीफ़ को, उनके दर्द को महसूस करता हूँ कि जो साहिब किसी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन रहे हों, आप के इतने वसीय अख्तियारात रहे हों, जो आप चाहते उसको करवाते रहे हों तो इस हालत में आप को ज़रूर दर्द पैदा होगा कि हमने डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को इस शकल में खत्म कर दिया और उस शक्ल में नहीं किया जैसा कि आप चाहते थे। मगर आप देखिए तो सही कि आया हम डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को—जिन को आप कहते हैं कि लोगों की नुमाइन्दगी करने वाले हैं—खत्म करना चाहते हैं या इन को लोगों के साथ ज़्यादा वाबस्ता करके उन को ज़्यादा अख्तियार देना चाहते हैं। इस दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो आप को पता लगेगा कि हम rural population को, देहात वालों को इन में ज़्यादा ही नहीं बल्कि तमाम अख्तियारात देना चाहते हैं। (*Cheers*).

मेरे बाज़ भाई कहते हैं कि आप देहातों का तो नाम लेते हो मगर यह तो बताओ कि कितने आदमी हैं—कितनी तादाद है—जो हरियाना प्रान्त से आई हुई है और जो services में, नौकरियों में है। उनका तो शायद यही ख्याल होगा कि जो देहात हैं वे तो शायद हरियाना में ही हैं। जालन्धर डिवीज़न में तो उन के ख्याल के मुताबिक कोई देहात होगा ही नहीं। मैं आप से पूछना चाहता हूँ कि आखिर आप कब तक Rip Van Winkle की तरह चलते रहेंगे। आज ज़माना बदल चुका है—बहुत आगे चला जा चुका है। जहां पर किसी वक्त आप थे, वहां से बहुत दूर निकल आए हैं। आज नौकरियां देहातों, इलाकों, बहादुरियों वगैरह को सामने रखकर नहीं मिलतीं। आप की परेशानी का बाइस अगर कोई चीज़ है तो वह यह कि आप का ख्याल ज़माने की रफ़्तार के साथ कदम नहीं रख रहा। आज ज़माना कोई और तकाज़ा करता है। आज ज़माना इनसान और इनसान में तमीज़ नहीं करता। आज वह ज़माना नहीं जब कि चौधरी ऊँची जगह पर, ऊँचे आसन पर बैठा करते थे और हरिजन भाई उन के पांव दबाया करते थे। आज तो हमारे मुल्क का वह विधान है जो चौधरी और हरिजन को बराबर की कुर्सी पर बिठाना चाहता है और बिठा रहा है। आज तो ऐसा ज़माना है कि चौधरी हो या न हो पर हरिजन अगर merit पर आ जाता है तो उसी को लिया जाता है, चौधरी कि चौधरीपने को नहीं देखा जाता। (*Cheers*) (*Interruptions*) मैं अपने दोस्त चौधरी श्री चन्द को यह बताना चाहता हूँ कि मैं बज़ातेखुद उन के ख्यालात का या जो कुछ आप फरमाते हैं उन विचारों की उस से भी ज़्यादा कदर करता हूँ बनिस्बत उसके जितनी कि एक Opposition के मेम्बर की होनी चाहिए। मैं उन की कदर करता हूँ कि वह अच्छे ढंग से चीज़ों को सामने रखते हैं।

हरिजनों के मुताल्लिक मेरे पास कुछ figures हैं, मैं आप के सामने रखता हूँ। मैं यह नहीं कहता कि हम उनके लिए जो कुछ करना चाहते थे वह सब कुछ हो गया है। मगर मैं आप को यह बताना चाहता हूँ कि जो हमारे कदम हैं वे किस तेज़ी के साथ हमारे उस उद्देश्य की तरफ़ जा रहे हैं।

मौलवी अब्दुल गनी डार : जितनी तेज़ी के साथ इलैकशन्ज (Elections) करीब आ रहे हैं।

मुख्य मंत्री : हमने सन् 1952 में इस हकूमत की बागडोर को अपने हाथों में सम्भाला। उस वक्त यानी सन् 1952-53 में नौकरियों में हरिजनों की तादाद 4.3 प्रतिशत थी। जब हमने गवर्नमेण्ट को सम्भाला उसके अगले साल यानी सन् 1953-54 में यह तादाद बढ़कर 5.67 या 5.69 हो गई। और सितम्बर, 1954 तक यह तादाद 7.4 प्रतिशत थी। आप ही बताएं, स्पीकर साहिब, कि अब तक वह कौन सी Government आई जिसने इतनी तेज़ी के साथ इन backward classes को इतनी ज़्यादा representations नौकरियों के अन्दर दीं ?

पंडित श्री राम शर्मा : क्या इन में sweepers और चपड़ासी भी शामिल हैं ?

मुख्य मंत्री : सब कोई शामिल हैं। मुझे अलग अलग तादाद याद नहीं। बल्कि यह कह सकता हूँ कि पिछले साल E.A.C. के लिए जो इम्तहान हुआ उसमें 3 हरिजन आए और तीनों लिए गए। (*Cheers*). इसी तरह उस से पिछले साल भी तीन हरिजन भाई E.A.C. में लिए गए। इस तरह दो सालों के अन्दर Executive में 6 हरिजनों को Gazetted Officers के तौर पर लिया।

श्रम मंत्री : आठ में से तीन।

मुख्य मंत्री : मेरे दोस्त चौधरी सुन्दर सिंह जी ने मुझे याद दिला दिया है कि आठ में से तीन लिए गए थे। (*Interruptions*) स्पीकर साहिब ! मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जिन आदमियों का, जिन भाइयों का ख्याल एक खास सतह से ऊपर नहीं जा सकता मुझे उन के साथ हमदर्दी है। वह भाई यह समझते हैं कि जब तक किसी को खास वह नौकरी न दी जाए जिस के लिए वह चाहते हों तब तक उन की तसल्ली नहीं हो सकती। आखिर यह कोई शाहराह थोड़े ही है जिस में जो चाहे चला जाए। बावजूद इस तमाम नुकता-चीनी के, मैं समझता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट ने इतना अच्छा काम किया है जिस के लिए वह दुनियां के सामने अपना सिर ऊँचा रख सकती है। जो असहाब हरिजनों के मुतअल्लिक यह कहते हैं उन्हें मैं चैलेंज करता हूँ कि हिन्दुस्तान के किसी भी प्रदेश में, हिन्दुस्तान की किसी भी स्टेट में यह रूल नहीं बनाया जो हरिजनों के मुताल्लिक reservation के लिए हमने बनाया है। वह यह है कि जो पहली जगह खाली हो वह हरिजनों के लिए मखसूस हो और यह कह कर कि हरिजन मिलता नहीं हम आगे नहीं चल सकते। अगर इस साल हरिजन नहीं मिलता तो आइन्दा साल भी उसे लेना होगा यानी अगर आपने आइन्दा साल एक हरिजन लेना हो और पिछले साल कोई मिला न हो तो इस साल दो हरिजन लिए जाएं। (*Cheers*) यह ठीक है कि हरिजन पिछड़े हुए हैं। ठीक है कि हरिजन दबे हुए हैं और बर्बाद किए गए

[मुख्य मन्त्री]

थे। मैं आप को बताना चाहता हूँ कि इन हालात के लिए आप के साथ मेरी आंखें भी खून के आंसू बहाती हैं क्योंकि इनसानियत में यह क्या तमाशा है कि एक खास जमात को कई अदारों से वंचित कर दिया जाए—वह वेद न पढ़ सकें, शास्त्र न पढ़ सकें, किसी के साथ छू भी न सकें ; उन के साथ कन्धे से कन्धा मिला कर न चल सकें। स्पीकर साहिब ! यह हैरान होते हैं और यह हैरान भी क्यों न हों ? मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि अव्वल तो उन के हालात पहले से कितने ही अच्छे हो गए हैं और अगर अच्छे नहीं हुए तो मैं उन से पूछता हूँ कि पहले से बदतर तो नहीं हुए। ऐसा देखते हुए उन्हें इस बात को भुला नहीं देना चाहिए कि हमें किसी निज़ाम के साथ लड़ना पड़ रहा है। हम देखते हैं कि हरिजनों की सहायता के कार्य करते करते हम ने कई लोगों को नाराज़ कर लिया है। वे नाराज़ हो गए हैं और वह भी नाराज़ हो गए हैं (pointing to the Opposition Benches)। वे लोग तो तड़प रहे हैं और यह भी अपनी जगह पर तड़प रहे हैं। यह अपने हक लेना चाहते हैं इस लिए तड़पते हैं और इन लोगों से उन के हक वापस लिए जा रहे हैं वे इस लिए तड़प रहे हैं। स्पीकर साहिब, एक तो तड़पते हैं इसलिए कि उन से दूसरों के हक वापस लिए जा रहे हैं और दूसरे इसलिए तड़पते हैं कि उन्हें भी वही हक हासल हो जाएं जो दूसरों को हासल हैं। उन की और मेरी तसल्ली तब होगी जब उन को भी वही सहूलतें मिलनी शुरू हो जाएंगी जो बाकियों को मिल रही हैं। स्पीकर साहिब ! यह अशान्ति तब तक जारी रहेगी और मैं चाहता भी हूँ कि यह अशान्ति बनी रहे जब तक इन को दूसरों के बराबर हक नहीं मिल जाते। वे भी (हरिजन) अच्छे अच्छे बंगलों में रहना चाहते हैं, वे भी मोटरों में सवार होना चाहते हैं और वे भी ज़मीनों में हिस्सेदार बनना चाहते हैं। उन के भी मकान होने चाहिएं और उन की भी ज़मीनें होनी चाहिएं। उधर तड़पते हैं वे बड़े बड़े ज़मींदार जो मुद्दतों से उन गरीबों का खून चूसते आए हैं और अब वह देख रहे हैं कि अब यह चीज़ें रहने की नहीं। अगर कोई यह कहे कि हम इन नारों की बिना पर एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाते चले आ रहे हैं या एक बरादरी को दूसरी से लड़ाते चले आ रहे हैं, यह ठीक बात नहीं है। जो कुछ उन के मन में चीज है या जो कुछ उन को करना आता है वह तो वही करेंगे। स्पीकर साहिब, मुझे college के दिनों की एक बात याद आ गई है। एक लड़का था। उस को केवल Binomial Theorem ही याद थी। इम्तहान में उसे कोई भी सवाल आए और चाहे Binomial Theorem आए या न आए वह लिख देता था "Let me first prove it by Binomial Theorem." इसी तरह से, स्पीकर साहिब, यह अपना नुक्ता नज़र हर चीज़ के साथ जोड़ देते हैं। Government of India ने States Reorganisation Commission बनाया है सिर्फ इस लिए कि वह देखे कि सारे भारत के सूबों की हदें कहां कहां पर रहनी चाहिएं और उस ने हर आदमी को हक दे दिया है कि वह कमिशन के सामने जा कर अपने ख्यालात रखे। इसी लिए उन्हों ने Legislature के मेम्बरान को भी कह दिया है कि जाओ और इस बारे में अपने नुक्ता निगाह Commission के सामने रखो। इस Commission के बनाने का और कोई मतलब नहीं है। जो मतलब है वह यह बेशक सुन लें। मेरा कोई धमकी देने का मक्सद नहीं है। इन चीजों के नाम से सूबा के अन्दर बदअमनी पैदा नहीं होनी चाहिए,

सूबा के अन्दर नफ़रत पैदा नहीं होनी चाहिए और सूबा में धींगा मुश्ती नहीं होनी चाहिए। यहां किसी को लाठी का जोर दिखाने की जुर्रत नहीं होनी चाहिए। बेशक यह बड़े शौक के साथ अपनी मर्जी के सूबा का प्रचार करें लेकिन सूबा की फिज़ा को खराब न करें।

मौलवी अब्दुल गनी डार : तो यह प्रचार 144 दफ़ा में कैसे किया जा सकता है ?

अध्यक्ष महोदय : आप क्यों interrupt करते हैं ? (Why does the hon. Member interrupt him ?)

मुख्य मंत्री : स्पीकर साहिब ! मैं कह रहा था कि आखिर बात क्या है ? बात यह है कि सूबा बड़ा इस लिए नहीं होना चाहिए कि कोई फिर्का किसी दूसरे फिर्के को दबा सके या इस लिए इस तरह का छोटा होना चाहिए कि एक फिर्का दूसरे फिर्के को दबा सके। अगर एक फिर्का दूसरे फिर्के को दबाना चाहता है और इसी मकसद से सूबा किसी खास शक्ल का मांगता है तो मैं समझता हूँ कि यह काबले एतराज़ चीज़ है। कोई भी सूबा administration के लिहाज़ से बनाया जाना है। उस Commission ने यह देखना होगा कि एक unit कितना होना चाहिए। हिन्दुस्तान जो हमारा देश है उस को इन्तज़ाम के लिए कितने हिस्सों में बांटना चाहिए। आप नक्शे को देखते हैं कि कोई पहाड़ या दरिया किसी सूबे को दूसरे सूबे से काटता तो नहीं है। यह तो सिर्फ administrative purposes के लिए जो ज़रूरी चीज़ें होंगी देखेगा।

फिर, स्पीकर साहिब, यह जो Address है इस में सिर्फ एक चीज़ इस बारे में दी गई है कि खुदा के लिए भाई भाई से न लड़े और खुदा के लिए कोई किसी के साथ बे-इन्साफी न करे। हम पर यह इल्ज़ाम लगाया गया है कि फिर्कादारी सिर्फ हमारे ही हिस्से में आई है। और हम जितना भी काम करते हैं वह फिर्कादाराना तौर से करते हैं। आप देखिए कि हम किस तरह से फिर्कादारी को हवा दे रहे हैं। हम ने अपने पास किसी एक नौकरी को भी भरने का इख्तियार नहीं रखा है। सारी की सारी नौकरियां Public Service Commission और Subordinate Services Selection Board की मार्फत भरी जाती हैं और हम claim करते हैं कि वहां recommendations के बिना नौकरियां भरी जाती हैं। हरिजनों के लिए रियायतें दे रखी हैं। अगर वे बेचारे पढ़े लिखे नहीं होंगे तो मेरे साथी भी उन के लिए क्या कर सकते हैं ? एक आदमी M. A. पढ़ा हो और Law College में पढ़ता हो और कानून की knowledge भी रखता हो और हरिजनों के लिए दर्द भी रखता हो तो उसे यह बातें कहनी ठीक नहीं लगतीं। मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि नौकरियों के लिए हरिजनों का मुकाबला हरिजनों से होता है और आप यह भी उम्मीद रखते हैं कि हर नालायक आदमी को पीछे रखना चाहिए और बाकी को आगे लाना चाहिए, चाहे वह हरिजन हो चाहे वह और कोई हो। मैं अपने दोस्त श्री चांद राम से यह भी कह देना चाहता हूँ कि जो आप को उलटे रास्ते पर चलाना चाहते हैं वह आप के दुशमन हैं, दोस्त नहीं हैं। हम आप को ऊपर उठाना चाहते हैं। इस से कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप की Community के इस वक्त कम आदमी नौकरियों में हैं। देखना यह है कि हमारे आदर्श क्या हैं। यदि इस वक्त आप की बरादरी को तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है तो भी डरना नहीं चाहिए। इस से आप में विश्वास पैदा हो सकता है, faith पैदा हो सकता है। इस से आप की

[मुख्य मंत्री]

Community को बड़ा फायदा होगा । अपने पर विश्वास पैदा करना बहुत बेहतर है, बजाए इस के कि feeders आप के मुंह में दे दिए जाएं और आप को कह दिया जाए कि पड़े रहो । मैं अपने दोस्तों को यह बात और साफ़ कर देना चाहता हूँ कि नौकरियों के लिए हम ने जितने हरिजन लेने होते हैं वे हम उन में से चुनते हैं और दूसरों के साथ उन का मुकाबला नहीं कराया जाता । इस से उन्हें फायदा है । आखिर होता क्या है ? होता यह है कि अगर हम ने 15 आदमी लेने होते हैं और उन में से तीन या चार हरिजन लेने होते हैं तो ऊपर के ग़ैर हरिजन ले कर बाकी के हरिजन जो चाहे बहुत नीचे हों तो उन के नामों को नीचे से उठा कर ऊपर लाया जाता है । हम ने जितने हरिजन लेने होते हैं उतने ज़रूर ले लेते हैं चाहे उन की इम्तहान में कुछ ही position हो । हम यह नहीं चाहते कि फिर्कादाराना ज़हनियत आप के अन्दर आ जाए । हम तो यह चाहते हैं कि आप का हिन्दुस्तान की हर चीज़ में हिस्सा होना चाहिए और विशाल कौम का हिस्सा होना चाहिए जिस में न कोई फिर्का हो और न कोई हरिजन हो और सब अपने आप को हिन्दुस्तान के शहरी समझने लग जाएं । एक कारखाने का मालिक यदि कोई हरिजन है और उस से कहीं बदतर गरीब कोई हरिजन हो तो मैं उस गरीब हरिजन को भी कंधा देने को तैयार हूँ । मैं अर्ज़ करता हूँ, स्पीकर साहिब, यह चीज़ें इन को और दबाएंगीं । और जो आप इस पंजाब के अन्दर 5 साल या 10 साल में तरक्की

6.0 p.m.

देखने वाले हैं ; गांव २ और शहर २ में जो power और पानी दिया जा रहा है या दूसरे ऐसे काम हो रहे हैं, यह सब चीज़ें यहां के लोगों को ऊपर उठाने के लिए ही तो हैं । मैं इस में कोई चीज अपने लिए claim नहीं करता । मगर जो बातें देश के अन्दर होनी चाहिए वह असली मानों में हो रही हैं । इस लिए छोटी २ बातों में न उलझकर हमें उन से ऊपर उठना चाहिए । मुझे अपने काबिल दोस्त मौलवी अब्दुल गनी डार साहिब से उनस है ।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या अब भी है ?

मुख्य मंत्री : हां; अब भी है । अजी ! अपनी तरफ से तो टूटी नहीं, टूटी तो न्याज़मन्द की तरफ से है । हां, तो आप ने फरमाया कि दफा 144 क्यों लगाते हो । मैं अपने फाज़िल दोस्त को बता दूं कि मेरा नज़रिया यह नहीं है कि दफा 144 का नाम सुनकर कांपना शुरू कर दूंगा । जो District Authorities अपने हां के अमन को बहाल रखने के लिए दफा 144 को नाफ़िज़ करना ज़रूरी समझें, मैं उन को कभी नहीं रोकूंगा । General Discussion में खूब बहस करने के लिए मैं एक बात आप को साफ बता देना चाहता हूँ कि जो मेरे भाई हर छोटी मोटी बात पर demonstration और मुज़ाहरे करना चाहते हैं और जगह २ लोगों के अन्दर परेशानी पैदा करने वाला वायुमण्डल पैदा करना चाहते हैं, उन की ऐसी बातें कोई गवर्नमेण्ट, कोई State बर्दाश्त नहीं कर सकती । ऐसी जो conspiracies होती हैं या कोई आदमी लोगों को गलत रास्ते पर ले जाकर उन के ख्यालात को परागिन्दा करता है, नाजायज़ demonstration खड़ी करा के लोगों में नाइत्तफाकी पैदा करता है, उन को भड़काता है, ऐसी बातों की मैं कभी भी इजाज़त नहीं दूंगा और ऐसी सारी demonstration बन्द कर दूंगा । (तालियां) । (**ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ** : ਇਹ democracy ਹੈ ?)

Democracy का मतलब यह है कि हरेक बात में लोगों की आवाज़ को सुना जाए, उन के ख्यालात की कदर की जाए, जनता की हालत बेहतर बनाई जाए । Democracy का यह मतलब नहीं कि उन में ज़हरीले ख्यालात पैदा किए जाएं, भाई को भाई से जुदा करके आपस में लड़ाया जाए, गलत बयानियां और झूठ फैलाया जाए । मैं ऐसी demonstrations की हरगिज़ इजाज़त नहीं दूंगा । (तालियां) अगर इस वजह से मुझे dictator या autocrat कहा जाता है तो कोई परवाह नहीं । जो बात मैं मुनासब समझता हूँ और जिस के लिए मुझे House की इजाज़त है, मैं वह बात ज़रूर करूँगा चाहे कोई मुझे कुछ कहता रहे । (तालियां) हर वह आदमी जो कोई न कोई बहाना लेकर demonstration खड़ी करना चाहता है, लोगों को बहकाना चाहता है, दबा दिया जाएगा । कुछ आदमी religion के नाम पर ऐसी बातें करते हैं । हमें ऐसी बातों का पिछला तजरुबा है । मैं खुद एक religious आदमी होते हुए religion की कदर करता हूँ और हर religious आदमी की कदर करता हूँ । मगर जो आदमी political इगराज़ के लिए religion को prostitute करता है, उस को इस बात की इजाज़त नहीं दी जा सकती । आप बेशक धार्मिक जलूस निकालिए, महावीर जी, कृष्ण जी, गुरु नानक जी या गुरु गोबिन्द सिंह जी के नाम पर जलूस निकालिए । उस में शामिल होना हरेक का फर्ज़ है । मगर अगर कोई ऐसे धार्मिक जलूसों को या धर्म के पैगाम को, किसी दीगर purpose के लिए इस्तेमाल करेगा तो उस के खिलाफ कानून के मुताबिक action लिया जाएगा । यहां पर या Government रहेगी या anarchy । (तालियां) । आप political जलूस भी निकालिये । Political power के लिए demonstrations भी करिए—जो कुछ भी कानून के अन्दर रहते हुए आप करना चाहें करें, कोई मना नहीं करता । मगर कानून की हद के बाहर कुछ भी नहीं करने दिया जाएगा चाहे इस के लिए तमाम सूबे में दफा 144 लगानी पड़े ; मुझे इस में कोई एतराज़ न होगा । मुझे यह दफा उस वक्त लगाते हुए कोई शर्म नहीं आएगी जब यार लोग अपनी चालें चल रहे हों, पंजाब में बदअमनी फैला रहे हों । पंडित श्री राम जी ने कहा, खून हो गया । मुझे हमदर्दी है उन के ख्यालात से । मगर रोहतक की बातें मुझे याद दिलाते हुए भूल जाते हैं इस बात को कि खुद लिख कर दिया कि अगर रोहतक में मज़बूती से कानून नहीं कायम कर सकते तो मेरे हवाले करो मैं ठीक कर दूंगा । और आज कहते हैं खून हो गया । क्या इस की सुनवाई मुनासिब तरीके से नहीं हो सकती ? अगर वाकई किसी का खून हुआ है तो क्या अदालतों के दरवाज़े बन्द हो गए हैं ? क्यों High Court को move नहीं करते ? किसी आदमी के कहने से, चाहे वह कितना ही बड़ा हो, चाहे साबक वज़ीर ही हो, चाहे Government Benches या Opposition को ज़ीनत बखशने वाला ही क्यों न हो, किसी के कहने से ही कोई चीज़ साबित नहीं हो जाती । अगर कोई कत्ल हुआ है तो इनसाफ करने के लिए अदालतें मौजूद हैं ।

Mr. Speaker : Question is—

That at the end of the motion, the following be added—

" but regret that—

(1) no mention of the death of great patriot Janab Rafi Ahmed Kidwai, who solved the food problem and carried out all the duties entrusted to him by the Union Government as a Union Minister, has been made in the Governor's Address;

[Mr. Speaker]

(2) the Government has failed so far to call the displaced muslims to place their claims before the required authority;

(3) no mention has been made for the supply of drinking water as well as irrigation water to the Gurgaon District;

(4) no clear policy has been laid down in the Governor's Address with regard to cow slaughter ".

The Motion was lost

Mr. Speaker Question is—

That at the end of the motion, the following be added—

" but regret that no mention has been made therein of—

(i) acute tenants' problem in the State or its solution;

(ii) increasing labour dis-satisfaction in the State and steps to remove it;

(iii) growing unemployment especially amongst the educated;

(iv) moral regeneration of the State with particular reference to—

(a) extension of prohibition,

(b) necessity of Bhoodan Act in order to facilitate Bhoodan work in the State

(c) reorganisation of Educational system in the State

(v) housing problem of landless in the State and its solution .

(vi) land hunger of landless poor and distribution of Government lands to them ;

(vii) removing the great disparity between low and high paid Government servants;

(viii) necessity of introduction of Hindi as official court language in the State".

The motion was, by leave, withdrawn.

Mr. Speaker Question is—

That at the end of the motion, the following be added—

" but regret that the Government has failed to redress the genuine grievances of the Sikh community who have been made target by the communalists of the majority community who wield power in the State ".

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

That at the end of the motion, the following be added—

" but regret that—

there is no mention of any attempt to secure social justice to the industrial labour and establish peace in the industrial area ".

The motion was, by leave, withdrawn,

Mr. Speaker : Question is—

That at the end of the motion, the following be added'

'but regret that—

,,there is no mention of the growing unemployment, industrial unrest, great disparity between the pays of Government servants and the solution of the tenants problem".

The motion was lost.

Mr. Speaker: Question is—

That at the end of the motion, the following be added—

"but regret that the percentage of reservation of vacancies in Government Departments for scheduled castes has been lowered by implication in the words that 'at present 21 per cent of the vacancies in Government Departments stand reserved for members of Scheduled Castes and Scheduled Tribes and the Backward Classes'."

The motion was lost.

Mr. Speaker: Question is—

That at the end of the motion, the following be added—

"but regret that—

(a) nothing has been done to ameliorate the condition of the low-paid employees of the State ;

(b) nothing has been done to combat unemployment among the educated and uneducated people of the State;

(c) nothing has been done to check the fall in the prices of agricultural produce

(d) nothing has been done to end corruption, nepotism, favouritism and interference in day to day administration of the State."

The motion was lost.

Mr. Speaker: Question is—

That at the end of the motion, the following be added—

"but regret that—

(1) no mention has been made about condemning the brick throwing by the hooligans on the procession taken by the Sikhs at Ludhiana on the occasion of the celebration of the birthday of Guru Gobind Singh Ji, in the Governor's Address;

(2) no mention of the undue and uncalled for intervention by the Government in regard to the Sikh Gurdwaras is made in the Governor's Address."

The motion was lost.

Mr. Speaker: Question is—

That at the end of the motion, the following be added—

"but regret that—

(1) the failure of the Government to enforce labour laws, awards of the Industrial Tribunal and decisions of the Tripartite Conferences and prevent lock-outs, retrenchment of workers and reduction of wages by mill-owners in the State have not been mentioned;

(2) the failure of the Government to restore ejected tenants to their tenancies and refusal to protect them from ejectment have not been mentioned;

(3) the continuous and disproportionate fall in the prices of agricultural produce and increasing tax burdens on the peasants have not been mentioned;

(4) the policy pursued by the Government of increasing the communal tension in the State has not been mentioned;

(5) the failure to implement promises given by the Government to D.B. teachers and private college teachers has not been mentioned;

(6) the curtailment of civil liberties and increasing police repression have not been mentioned;

[Mr. Speaker]

(7) suppression of the freedom of Panchayats and suspension and supersession of large number of Panches and Panchayats have not been mentioned."

(8) failure to reserve land for the needs of agricultural labourers and the landless during consolidation of land holdings and to vest common lands in the Panchayats have not been mentioned."

The motion was lost.

Mr. Speaker: Question is—

That at the end of the motion, the following be added—

"but regret that no mention is made of—

(1) technical education in the State;

(2) dairy farming;

(3) (a) Gita University of Kurukshetra,
(b) development of sacred Tirthas at Kurukshetra;

(4) abolition of beggary;

(5) opening of homes for lepers and apahaj (disabled);

(6) grant of loans for purchasing land for landless labourers (Mortgage Bank);

(7) increase in the salaries of low-paid servants;

(8) water-logging in Khadar areas and Radaur, etc;

(9) anti-tuberculosis measures in the State;

(10) unemployment among the educated section and petty shop-keepers."

The motion was, by leave, withdrawn.

Mr. Speaker: Question is--

That at the end of the motion, the following be added—

"but regret that—

(1) no mention has been made for extending the Bhakra Dam Canal to Gurgaon District, which was initiated generally for Hariana and particularly for the Gurgaon District;

(2) the Government has failed so far to restore the land to muslim meos in the Gurgaon District;

(3) no mention has been made for providing residential land to Harijans and backward classes in the rural areas;

(4) no mention has been made to ban the import and manufacture of Banaspati ghee in the State, which has upset the rural economy of cultivators of the State, particularly of Hariana which chiefly depend on breeding of cattle and dairy. The adulteration of pure ghee is a heavy blow to subsidiary income of agriculturists in the State;

(5) the Government has failed to settle the nomads and criminal tribes as yet such as Bhubalias, Kanjars, Pernas, Banjaras and Bavarias, etc.

(6) no mention has been made to nationalise the transport companies, cinemas, insurance business, the main resources of exploitation of the State labour;

(7) no mention has been made to keep the agricultural production rates stable for rural uplift, etc."

The motion was lost.

Mr. Speaker: Question is—

That at the end of the motion, the following be added—

"but regret that—

(1) no mention has been made for the development of backward Gurgaon District and other backward areas of the State;

(2) no mention has been made about the implementation and execution of Gurgaon Project (water-supply) and speedy electrification of rural areas and supply of cheap electricity for irrigation purposes in Gurgaon District."

The motion was lost.

Mr. Speaker: Question is—

That at the end of the motion, the following be added—

"but regret that—

no mention has been made in the Address regarding the present serious problems of the farmers in the State and the means to be adopted for their solution by the Government."

The motion was, by leave, withdrawn.

Mr. Speaker : Question is—

That at the end of the motion, the following be added—

"but regret that—

(1) no mention has been made to remove the general backwardness of mountainous district Kangra of the Punjab in the matter of education, drinking water, Transport, Industries, irrigation and adequate representation in services ;

(2) no mention has been made to remove the unemployment among the educated people of the State ;

(3) no mention has been made to reform the educational system in the State to check up growing unemployment among the educated ;

(4) no mention has been made to take steps to hasten the completion of Chandigarh the Capital in the making ."

The motion was, by leave, withdrawn.

Mr. Speaker : Question is—

That at the end of the motion, the following be added:—

"but regret that no mention has been made of—

(1) solution of tenancy problem in the State ;

(2) growing unemployment in the State and its solution ;

(3) land hunger and unrest amongst Harijans and other landless persons and distribution of Government lands and other lands beyond a fixed maximum ceiling to them ;

(4) acute and distressing housing problem for landless in the State and its solution ;

(5) removing the great disparity between low-and high-paid Government employees;

(6) steps to introduce Hindi in the various Government departments;

(7) steps to reorientate educational system ;

[Mr. Speaker]

(8) steps to make Bhoodan movement popular in the State ;

(9) abolition of Professional Tax on Harijans and other cottage workers ;

(10) steps to uplift Scheduled Castes and other Backward Classes ;

(11) steps to remove grievances of backward areas of Rohtak, Gurgaon, Hissar, Karnal and Kangra Districts."

The motion was, by leave, withdrawn.

Mr. Speaker : Question is—

That at the end of the motion, the following be added:—

"but regret that—

(1) no mention of free land for cultivation to the Harijans in the State has been made ;

(2) no reference has been made to the enhancement of the amount of basic earnings liable to be brought under the Harijan Professional Tax."

The motion was, by leave, withdrawn.

Mr. Speaker : Question is—

That at the end of the motion, the following be added:—

"but regret that no mention has been made of—

(1) abolition of beggary ;

(2) increase in the salaries of low-paid servants ;

(3) protection of villages in Hansi Tehsil from water-logging."

The motion was, by leave, withdrawn.

Mr. Speaker: Question is—

That at the end of the motion, the following be added:—

"but regret that there is no mention of growing unrest among the peasants due to hardships of ejectments and other repressions and on the other hand day to-day fall in the prices of their produce (foodgrains and cotton)."

The motion was, by leave, withdrawn.

Mr. Speaker : Question is—

That at the end of the motion, the following be added :—

"but regret that no mention has been made therein of—

1. financial stability of the deficit State and unrest caused by financial depravity amongst the poverty-pestered masses ;
2. exploration of ways and means to remove disparity in salaries and income;
3. insecurity in rural areas ; and tremendously increasing cases of murder ;
4. unemployment and abolition of beggary;
5. retrenchmen of junior servants;

unrest amongst the displaced persons ;

7. unrest amongst the low-paid subordinate services, such as clerks, teachers, patwaris, chaprasis, constables. etc. ;

8. uplift of backward classes on non-religious basis ;

9. provision for the award of land to landless people and small cultivators ;

10. repeal of Betterment Levy, Surcharge Tax and Professional Tax, etc;

11. stabilization of costs of agricultural products and establishment of parity in the prices of industrial and agricultural products;

12. grant of relief to all the bonafide political sufferers, whose cases have been pending for the last two or three years ;

13. re-instatement of lambardars dismissed during the British regime for their political activities ;

14. rigid separation of judiciary from the Executive ;

15. controversy over cultural and linguistic problem ;

16. allotment of sufficient sums for the encouragement of cottage and small industries.

17. roads and bridges in the rural areas."

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

That at the end of the motion, the following be added:—

"but regret that no mention has been made therein of—

(a) the ways and means to achieve the object of a socialistic pattern of society ;

(b) moral and spiritual uplift of people in order to check corruption and other social evils ;

(c) nationalisation of Transport at an early date ;

(d) the use of hand-spun and hand-woven khadi ;

(e) problem of Chos and reclamation of land ;

(f) distribution of land among landless cultivators."

The motion was, by leave, withdrawn.

Mr. Speaker : Question is—

That at the end of the motion, the following be added:—

"but regret that no mention is made in the address regarding low-paid servants and the classical and vernacular teachers."

The motion was, by leave, withdrawn.

Mr. Speaker : Question is—

That at the end of the motion, the following be added:—

"but regret that there is no mention of—

[Mr. Speaker]

(a) opening new Technical Schools ;

(b) opening Gita University at Kurukshetra ;

(c) removal of beggary from the State ;

(d) opening a home for the lepers in the State."

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

That at the end of the motion , the following be added—

"but regret that no mention has been made therein of—

(1) the unemployment in the State ;

(2) the falling prices of land products ;

(3) the step-motherly treatment meted out to the people of Haryana in the appointment of services."

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

That the Members of this House assembled in this Session are deeply grateful to the Governor for the Address he has been pleased to deliver to both the Houses assembled together.

After ascertaining the votes of the House by voices, Mr. Speaker said, "I think the Ayes have it." This opinion was challenged. The question was put again,

The motion was carried.

6. 30 p.m.

The Sabha then adjourned till 9-30 a.m. on Saturday, the 5th March, 1955.

2448 PVS--284—17-1-58—CP and S., Pb , Chandigarh

Punjab Vidhan Sabha
Debates

5th March, 1955.

VOL. I—NO. 4

OFFICIAL REPORT

GOVT. PUNJAB

CONTENTS

Saturday, the 5th March, 1955 PAGES

CHANDIGARH:

Printed by the Controller of Printing and Stationery, Punjab,

1956

PUNJAB VIDHAN SABHA

Saturday, the 5th March, 1955.

The Vidhan Sabha met in the Assembly Hall, Sector 10, *Chandigarh Capital at* 9-30 *a. m. of the Clock. Mr Speaker* (*Sardar Gurdial Singh Dhillon*) *in the Chair.*

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

PRICES OF VARIOUS FOODGRAINS AND COMMERCIAL CROPS IN THE STATE

*4063. **Sardar Harkishan Singh Surjit** : Will the Chief Minister be pleased to state:—

(a) the extent of fall in prices, if any, of various foodgrains and commercial crops in the State as in May, 1954, in comparison with the prices in May, 1953;

(b) the reasons for the fall referred to in part (a) above;

(c) the measures, if any, adopted or proposed to be adopted by the Government to stabilize the prices and protect the peasants?

Shri Bhim Sen Sachar: (a) The prices of foodgrains (Gram, Barley, and Bajra) and commercial crops (Sarson, Taramira, Toria and Groundnut) were generally lower in May, 1954, as compared to those prevailing in May, 1953. In the case of wheat the fall in prices became pronounced towards the end of May, 1954. There was no fall in the prices of cotton. The prices in some of the selected mandies are compared as under :—

Name of Commodity		*May*, 1953	*May*, 1954
Wheat	..	(2nd fortnight) Rs 11-0-0 to Rs 15-0-0	(2nd fortnight) Rs 9-8-0 to 15-4-6
Gram	..	Rs 14-2-0 to Rs 16-0-0	Rs 9-10-0 to Rs 11-7-0
Barley	..	Rs 9-2-0 to Rs 11-4-0	Rs 7-0-0 to Rs 9-1-6
Bajra	..	Rs 11-0-0 to Rs 12-8-6	Rs 7-8-0 to Rs 9-12-0
Cotton(Desi)	..	Rs 23-4-0 to Rs 26-8-0	Rs 23-0-0 to Rs 27-12-0
Cotton (American)	..	Rs to Rs 43-0-0	Rs 35-0-0
Lint (Cotton)	..	Rs 47-0-0 to Rs 52-0-0	Rs 55-0-0 to Rs 60-0-0
Cottonseed	..	Rs 11-0-0 to Rs 19-0-0	Rs 11-0-0 to Rs 19-0-0
Sarson	..	Rs 22-8-0 to Rs 26-12-0	Rs 21-8-0 to Rs 25-8-0
Taramira	..	Rs 17-8-0 to Rs 21-0-0	Rs 16-4-0 to Rs 18-8-0
Toria	..	Rs 23-4-0 to Rs 26-0-0	Rs 22-8-0 to Rs 24-8-0
Groundnut	..	Rs 18-0-0 to Rs 23-0-0	Rs 16-0-0 to Rs 19-0-0
Tobacco	..	Rs 63-0-0	Rs 45-0-0

(b) The decision of the Government not to procure any foodgrains for Provincial Reserve and a good Rabi crop in the country as a whole were mainly responsible for the fall in prices of foodgrains from May, 1954, onward. Further the new crop grain was slightly damaged due to late rains and could not be stored long. As such, initially there were heavy arrivals in the market thereby depressing the prices of wheat. The prices of other sister grains fell in sympathy. The fall was also on account of general reduction in the level of prices of foodgrains and commercial crops all over the country.

[Chief Minister]

(c) With a view to arresting the fall in the prices of wheat, Government announced that they would make purchases of wheat as soon as the prices fell below Rs 10 per maund for fair average quality. This announcement had the desired effect. The decision to allow Roller Flour Mills to use indigenous wheat for the manufacture of 'fines' and the inclusion of Jammu and Kashmir state in the Zone along with Punjab, Pepsu, Delhi and Himachal Pradesh, in which the movement of wheat was free also helped in stabilizing the prices. As regards commercial crops, Government gives props to cotton and sugarcane and in the case of oil seeds, when prices fall out of proportion with other commodities, Government of India allows their export out of the country in order to boost the prices. In this connection it would be appreciated that the State Government by itself is unable to take any appreciable steps in regard to the stabilization of prices. A co-ordinated policy has to be followed by all the States through the Central Government to tackle this problem and the Punjab Government has been giving and will continue to give full support to any such measures.

ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ : ਜੇ prices ਦੀ fall ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ production ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਿਛੋਂ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ rise ਕਿਉਂ ਕਰ ਗਈਆਂ?

मुख्य मंत्री : मैंने आगे ही कह दिया ह कि जिस वक्त prices में fall हुआ उस वक्त गवर्नमैण्ट अपने decision के मुताबिक ज़्यादा store करने के लिये market में नहीं आ सकती थी। Prices में fall होने की एक वजह अच्छी फसलों का होना था। इस हालत में फसलों के Market में आने से prices में nervousness आ जाना natural है। वक्त पाने पर prices arrest हो जाती हैं।

ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ : ਕੀ ਮੈਂ ਪੁਛ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ fall ਕਿਤਨੀ ਦੇਰ ਬਾਦ ਆਇਆ? ਅਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਦੋਂ 10 ਰੁਪਿਏ ਮਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ?

मुख्य मंत्री : जिस वक्त गवर्नमैण्ट ने देखा कि कीमतें गिर रही हैं, तो उस ने in time इन्हें arrest करने की कोशिश की।

ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ : pulses ਦੇ fall ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ position ਹੈ ?

मुख्य मंत्री : इस के मुतअल्लिक हम ने यह कोई नहीं कहा था कि अगर इन की कीमतों में fall आ गया तो गवर्नमैण्ट खरीद कर लेगी।

ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ : ਤਾਂ ਫਿਰ pulses ਦੇ ਮੁਤਾਲਿਕ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ?

मुख्य मंत्री : कुछ नहीं किया। Pulses को खरीदने के लिये हमने कुछ नहीं किया।

ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ : cotton ਦੇ ਮੁਤਾਲਿਕ ਕੀ position ਹੈ ?

मुख्य मंत्री : इस के मुतअल्लिक मैं ने पहले ही बता दिया है ।

ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ : ਜ਼ਰਾ ਹੋਰ ਤਫ਼ਸੀਲ ਨਾਲ ਦਸ ਦਿਉ ।

Mr. Speaker. It does not arise.

Sardar Harkishen Singh Surjit : It does arise, Sir. In the official reply, information in regard to cotton has also been given.

Mr. Speaker. If any superfluous information has been given in the reply, it does not mean th t the hon. Member can put supplementary questions in regard to it.

Shri Dev Raj Sethi : Will the Chief Minister please state whether any steps were taken to arrest the fall in the price of gram ? If so, what are those steps?

मुख्य मंत्री : Gram को हम कोई support नहीं दे सके । Wheat को support देने का फैसला इस लिये किया गया क्योंकि यह एक staple food है जो आम तौर पर इस्तेमाल होती है । चूंकि Wheat की prices एक दम चढ़ जाएं या गिर जाएं तो इस का बहुत नुकसान होता है । इस की कीमतों को रोकने से दूसरी चीजों की कीमतों में stability आ जाती है because some economic forces and other factors do come into play—खास कर जब कि production बढ़ रही हो और माल दूसरी जगहों पर जाए । इस के अलावा मेरे फ़ाजिल दोस्त को पता ही है कि world prices भी affect करती हैं । वैसे भी हम Wheat को 33 per cent से ज़्यादा नहीं उठा सकते थे ।

प्रोफैसर मोता सिंह आनन्दपुरी : क्या चीफ़ मिनिस्टर साहिब बतायेंगे कि यह जो dis-parity है agricultural और Industrial production में, यह बहुत ज्यादा हो गई है । अगर ऐसा है तो क्या आप ने इस को check करने के लिये और इस को stabilise करने के लिये कोई इन्तज़ाम किया है ? इस के इलावा urban area में जो vegetable production है......

अध्यक्ष महोदय : क्या आप सवाल कर रहे हैं या स्पीच ? आप तो कोई suggestion देते मालूम हो रहे हैं । (Are you making a speech or asking a question ? You appear to be making a suggestion).

प्रोफैसर मोता सिंह आनन्दपुरी : मैं यह पूछना चाहता हूं कि इस बढ़ती हुई disparity को even करने के लिये और इस में equilibrium पैदा करने के लिये सरकार क्या कर रही है ?

मुख्य मंत्री : मेरे फ़ाज़िल दोस्त यह न भूलें कि हमने State में विधान के मुताबिक ही problems को tackle करना है ।

प्रोफैसर मोता सिंह आनन्दपुरी : Urban area की जो agricultural produce है, उस की price में extraordinarily fall आ रहा है..........

अध्यक्ष महोदय : इस सवाल का पहले ही काफी विस्तार के साथ जवाब दिया जा चुका है ।

(This question has already been replied to in great details.)

BUILDING OF A PRIMARY MODEL SCHOOL BY THE PANCHAYAT IN VILLAGE BHANGALI, DISTRICT FEROZEPORE

***4195. Sardar Bachan Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether the Panchayat of village Bhangali, tehsil and district Ferozepore deposited any amount of money with the District Board, Ferozepore and allotted land for the building of a Primary Model School to their village;

(b) if the reply to part (a) above be in the affirmative, whether the construction of the said school building has been started; if not the reasons therefor ?

Shri Bhim Sen Sachar : (a) Yes, the Panchayat deposited Rs 5,000 and has also allotted land.

(b) No. The construction of the building will be started as soon as the estimates for works are prepared and receive technical sanction which is being expedited.

GRANT OF LOAN FOR THE PURCHASE OF TRACTORS

***3885. Shri Wadhawa Ram :** Will the Minister for Development be pleased to state whether the Government have advanced any loans for the purchase of tractors in the State; if so, the total amount of loan so far advanced together with the number of persons who received such loan and the number of tractors purchased ?

Sardar Partap Singh Kairon : The State Government have been advancing loan for the purchase of tractors under the Grow-More-Food Schemes from the year 1951-52 in the State. Total amount of Rs 44,79,612 has so far been advanced as loan for this purpose among 472 persons and 411 tractors have so far been purchased with this loan.

EXPORT OF MILCH CATTLE FROM THE STATE

***4659. Shri Benarsi Dass Gupta :** Will the Minister for Development be pleased to state:—

(a) the approximate total strength of the milch cows and buffaloes in the State;

(b) whether he is aware of the fact that a large number of cows and buffaloes are exported from the State; if so,the average for month;

(c) whether the Government have imposed any restrictions on their export; if not, the action intended to be taken to prevent the export ?

Sardar Partap Singh Kairon · (a) 1,450,149 cows and buffaloes. These figures are according to the Live Stock Census, 1951.

(b) Yes. There is no agency which may be considered to be engaged in the collection of the figures of export of animals from Punjab. Approximate average number of cows and buffaloes per month as collected by the Animal Husbandry Department is 4,842. While arriving at this figure the number of

cattle exported from the districts of Hissar, Gurgaon and Ambala, by road has not been taken into account as the figures pertaining to these districts are not available.

(c) No. The question of putting a ban on the export of cattle from this State is under consideration of this Government.

श्री बनारसी दास गुप्ता : जो सड़कों के जरिये जाते हैं क्या सरकार के पास उन की गिनती भी है ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮਿਤ੍ਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖਰਚ ਵਧਾ ਲਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਫੈਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ।

श्री बनारसी दास गुप्ता : क्या माननीय विकास मंत्री जी बतायेंगे कि क्या वह इन की export पर कोई रोक भी लगायेंगे कि नहीं ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਜੀ ਹਾਂ । ਅਗੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ।

श्री धर्म वीर वासिष्ठ: क्या विकास मंत्री जी बतायेंगे कि जो पशु रेलों के जरिये बाहर भेजे जाते हैं उन का कोई हिसाब भी रखा जाता है ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਜੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੇ ਚੁਕਾ ਹਾਂ ।

ENFORCEMENT OF THE EAST PUNJAB UTILIZATION OF LANDS ACT, 1949 IN THE STATE

***4325. Shri Dev Raj Sethi :** Will the Minister for Development be pleased to state—

(a) the total area of land private as well as State-owned district-wise, brought under cultivation as a result of the enforcement of the East Punjab Utilization of Lands Act, 1949, in the State ;

(b) the total culturable land left uncultivated, district-wise, and the reasons for the same;

(c) the measures taken or proposed to be taken for bringing the balance of land under the plough ?

Sardar Partap Singh Kairon : The information is being collected from all Collectors in the State and it will be supplied to the member.

PAYMENT OF SALARIES AND ALLOWANCES TO THE ZAILDARS IN KANGRA DISTRICT

***4336. Shri Ram Chandra Comrade** : Will the Minister for Development be pleased to state—

(a) whether any salaries and allowances as promised by him during the Budget session 1953-54 have been paid to the Zaildars in Kangra District for the short experimental period during which they worked before the Government finally decided to end the system:

(b) the amount payable to each Zaildar and the period for which it was payable ;

(c) whether the amount referred to in part (b) above has been paid if so, when ?

Sardar Partap Singh Kairon (a) Not yet but the matter is receiving the attention of Government.

(b) A statement is given below:—

(c) *First part*—No.

Second part—Does not arise.

[Minister for Development]

STATEMENT

Serial No.	Name of village and Zail	Name of Zaildar	Date of appointment	Date of termination of post	Period for which emoluments are to be paid	Rate of emoluments	Amount payable
			TEHSIL KANGRA				
					Y. Ms. Ds.	Rs per annum	Rs. A. P.
1	Ghurkari ..	Shri Devi Singh ..	2nd August 1951	18th October, 1952	1 2 17	125	151 9 0
2	Nagrota ..	Shri Tarlok Nath ..	Ditto	Ditto	1 2 17	125	151 9 0
3	Narwana ..	Shri Anirudh Chand ..	Ditto	Ditto	1 2 17	125	151 9 0
4	Rehlu	Shri Sohan Singh ..	Ditto	Ditto	1 2 17	125	151 9 0
5	Dharmsala ..	Shri Bhawani Dass ..	Ditto	Ditto	1 2 17	125	151 9 0
6	Ramgarh ..	Shri Bhagat Singh ..	Ditto	Ditto	1 2 17	125	151 9 0
7	Bargarh ..	Shri Sohan Singh ..	Ditto	Ditto	1 2 17	125	151 9 0
8	Chetru ..	Shri Kirpa Ram ..	Ditto	Ditto	1 2 17	125	151 9 0
9	Tiara ..	Shri Onkar Singh ..	Ditto	Ditto	1 2 17	125	151 9 0
					Total	..	1,367 1 0

TEHSIL NURPUR

10	Ladori ..	Shri Mangal Singh ..	31st July, 1951	22nd June, 1952	0 10 23	125	112 3 0
11	Saliali ..	Shri Balwant Singh ..	Ditto	18th October, 1952	1 2 18	125	151 14 0
12	Kotla ..	Shri Chattar Singh ..	Ditto	Ditto	1 2 18	125	151 14 0
13	Chambi ..	Shri Raghunath Singh ..	Ditto	Ditto	1 2 18	125	151 14 0
14	Jawali ..	Shri Dulo Ram ..	Ditto	8th January, 1952	0 5 9	125	55 2 0
15	Do ..	Lieut. Dulo Ram ..	9th January, 1952	18th October, 1952	0 9 10	125	97 2 0
16	Fatehpur ..	Shri Punjab Singh ..	31st July, 1951	Ditto	1 2 18	125	151 14 0
17	Re ..	Col. Hoshiar Singh ..	Ditto	13th September, 1952	1 1 14	125	140 5 0
18	Lodhwan ..	Shri Lal Singh ..	Ditto	18th October, 1952	1 2 18	125	151 14 0
19	Indora ..	Ch. Indar Singh ..	Ditto	Ditto	1 2 18	125	151 14 0
20	Ughar ..	Ch. Maghar Singh ..	Ditto	15th June, 1952	0 10 16	125	109 12 0
21	Do ..	Risaldar Ghasita Singh ..	15th June, 1952	18th October, 1952	0 4 3	125	42 11 0
					Total	..	1,468 7 0

TEHSIL DEHRA

22	Chanaur ..	Shri Hirdass ..	1st August, 1951	30th September, 1952	1 2 0	125	145 13 0
23	Dadah ..	Shri Narotam Singh ..	Ditto	Ditto	1 2 0	125	145 13 0
24	Kohsan ..	Shri Shiv Dayal ..	Ditto	Ditto	1 2 0	125	145 13 0
25	Kaloha ..	Shri Gian Chand ..	Ditto	Ditto	1 2 0	125	145 13 0
26	Changar ..	Shri Parshotam Singh ..	Ditto	Ditto	1 2 0	125	145 13 0

[Minister for Development]

STATEMENT—CONTD

Serial No.	Name of village and Zail	Name of Zaildar	Date of appointment	Date of termination of post	Period for which emoluments are to be paid Y. M. D.	Rate of emoluments Rs per annum	Amount payable Rs. AS. P.
			TEHSIL DEHRA—CONCLD				
27	Bilahar ..	Shri Moti Singh and Ranbir Singh ..	1st August, 1951	30th September, 1952	1 2 0	125	145 13 0
28	Mangarh ..	Shri Roshan Singh ..	Ditto	Ditto	1 2 0	125	145 13 0
29	Haripur ..	Shri Kehar Singh ..	Ditto	Ditto	1 2 0	125	145 13 0
30	Guler ..	Shri Ganga Singh ..	Ditto	Ditto	1 2 0	125	145 13 0
31	Nagrota ..	Shri Bhikham Singh ..	Ditto	Ditto	1 2 0	125	145 13 0
32	Narhana ..	Shri Bakhshish Singh ..	Ditto	Ditto	1 2 0	125	145 13 0
33	Dhameta ..	Shri Jaswant Singh ..	Ditto	Ditto	1 2 0	125	145 13 0
						Total ..	1,749 12 0
			TEHSIL HAMIRPUR				
34	Bhaleth ..	Shri Kishan Chand ..	1st August, 1951	31st October, 1952	1 3 0	125	156 4 0
35	Ugaialta ..	Shri Chattar Singh ..	Ditto	Ditto	1 3 0	125	156 4 0
36	Momaniar ..	Shri Saling Ram and Ran Singh ..	Ditto	Ditto	1 3 0	125	156 4 0
37	Mewa ..	Mehar Brij Lal ..	Ditto	Ditto	1 3 0	125	156 4 0
38	Bani ..	Th. Partap Singh ..	Ditto	Ditto	1 3 0	125	156 4 0
39	Dhatwal ..	Shri Dhian Singh ..	Ditto	Ditto	1 3 0	125	156 4 0
40	Galore ..	Shri Chokas Ram ..	Ditto	9th October 1952	1 2 9	125	148 14 0

41	Galore ..	Shri Amar Singh/Brij Lal ..	Ditto	Ditto	1 2 9	125	148 14 0
42	Kutlehar ..	Shri Mohinder Paul ..	Ditto	Ditto	1 2 9	125	148 14 0
43	Lambagaon ..	Shri Khazan Singh ..	Ditto	Ditto	1 2 9	125	148 14 0
44	Nadaun ..	Raja Rajinder Chand ..	Ditto	11th February, 1952	0 6 11	125	66 7 0
					Total	..	1,599 7 0
			TEHSIL PALAMPUR				
45	Bir ..	Shri Prithipal ..	31st July, 1951	1st October, 1952	1 2 1	125	146 3 0
46	Majherna ..	Shri Jagroop Chand ..	Ditto	Ditto	1 2 1	125	146 3 0
47	Banuri ..	Shri Parmeshri Dass ..	Ditto	Ditto	1 2 1	125	146 3 0
48	Tikkar ..	Shri Rajindar Singh ..	Ditto	Ditto	1 2 1	125	146 3 0
49	Daroh ..	Shri Milap Chand ..	Ditto	Ditto	1 2 1	125	146 3 0
50	Sullah ..	Shri Ram Nath ..	Ditto	Ditto	1 2 1	125	146 3 0
51	Khaira ..	Shri Shamsher Singh ..	Ditto	Ditto	1 2 1	125	146 3 0
52	Thural ..	Shri Amar Singh ..	Ditto	Ditto	1 2 1	125	146 3 0
53	Naura ..	Shri Hari Singh ..	Ditto	Ditto	1 2 1	125	146 3 0
54	Lambagraon ..	Raja Dharub Dev Chand ..	Ditto	Ditto	1 2 1	125	146 3 0
55	Darang ..	Shri Punjab Singh ..	Ditto	Ditto	1 2 1	125	146 3 0
					Total	..	1,608 1 0
					GRAND TOTAL	..	7,789 12 0

KHALSA	JAGIR
6,841 9 0	948 3 0

Sd...
for Deputy Commissioner,
Kangra

RULES FRAMED UNDER THE EAST PUNJAB UTILIZATION OF LANDS ACT, 1949.

*4419. **Shri Mool Chand Jain :** Will the Minister for Development be pleased to state—

(a) whether the Government has framed any rules under the East Punjab Utilization of Lands Act, 1949; if so, a copy thereof be laid on the table; if not, the reasons therefor;

(b) whether any representations on behalf of the public or the district officers have been received by the Government regarding the difficulties being experienced due to the absence of rules under the said Act ;

(c) whether any waste lands have been leased out under the said Act; if so, when and the total area leased out, district-wise;

(d) whether Government is aware of the fact that the absence of rules under the said Act has resulted in different kinds of procedure and different interpretations in different districts and by different officers;

(e) whether any evacuee banjar land in Karnal District was leased out under the Act; if so, the names of lessees to whom it was leased out;

(f) whether possession of such lands was given to the lessees concerned and whether they were required to give any security; if so, under what law and whether the security has since been refunded;

(g) the names of the lessees to whom the securities were not refunded giving the reasons therefor in each case ?

Sardar Partap Singh Kairon: (a) Yes. A copy of the rules framed under the East Punjab Utilization of Lands Act, 1949, is given below.

(b) and (d). Do not arise.

(c) to (g). Information is being collected and will be supplied to the member concerned.

DEVELOPMENT DEPARTMENT

(Food Production)

NOTIFICATION

The 20th February, 1950

No. 1768-FP-59/786.—In exercise of the powers conferred by Section 16 of the East Punjab Utilization of Lands Act, 1949, the Governor of Punjab is pleased to make the following rules for carrying out the provision of the said Act:—

Rules

(1) These Rules may be called the Punjab Utilisation of Lands Rules, 1950.

(2) When any land is taken possession of under section 3 of the Act, the assessment of compensation in respect of such land shall be made according to the provisions of the Punjab, Land Acquisition Act of 1894 as amended by East Punjab Act XV of 1948 and the Rules made thereunder.

Assessment of compensation

Leases — (3) Leases granted by the Collector under Section 5 and their termination under Section 7 shall be duly recorded in the revenue papers.

Delegation of powers — (4) The delegation of powers and functions under the Act by the Collector shall be made in writing and addressed to the Officer concerned either by name or designation under his seal and signature.

D. D. KAPILA,
Deputy Secretary to Government Punjab,
Development Department.

No. 1768-FP-50/787

A COPY is forwarded for information to:—

(i) All Commissioners in the Punjab.
(ii) All Deputy Commissioners in the Punjab.
(iii) The Director of Agriculture, Punjab.

By order,
D. D. KAPILA,
Deputy Secretary to Government, Punjab,
Development Department.

श्री मूल चन्द जैन: क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि जो rules इस Act के मातहत्त बनाये गये हैं और जिन की copy table पर रखी गई हैं क्या वह इन के मुताल्लिक समझते हैं कि वह काफी होंगे ?

Mr. Speaker: Will the hon. Member please make his question a little more clear?

श्री मूल चन्द जैन : क्या मिनिस्टर साहिब फरमायेंगे कि जो rules उन्होंने इस Act के मातहत बनाये हैं वह काफी हैं ?

अध्यक्ष महोदय: आप सीधा सवाल करें कि क्या रूलज़ बने हैं कि नहीं। आप तो rules की details में जा रहे हैं। (You should put a straight question and ask whether the rules have been framed or not. You are unnecessarily going into the details of the rules).

श्री मूल चन्द जैन : जनाब स्पीकर साहिब मेरे सवाल के 6 पार्टस हैं और एक पार्ट में security के बारे में भी पूछा गया है। इस में दिया हुआ है—

"Whether they were required to give any security; if so, under what law and whether the security has since been refunded;"

स्पीकर साहिब, लोगों से securities ली गई हैं और securities मांगने के लिये न कोई provision Original Act में है और न ही इन rules में है।

मंत्री : मैं इस बारे पता करांगा।

Mr. Speaker. The hon. Minister will collect the necessary information about this matter.

FRAMING OF RULES UNDER THE PUNJAB VILLAGE COMMON LANDS (REGULATION) ACT, 1954

***4420. Shri Mool Chand Jain** : Will the Minister for Development be pleased to state—

(a) whether any Rules have been framed under the Punjab Village Common Lands (Regulation) Act, 1954; if so, a copy thereof be laid on the Table; if not, the reasons therefor;

(b) whether Government has received any representation from the public and various departments, especially that of the Panchayat Department, asking for the early framing of the said Rules; if so, the action taken in the matter ?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) *First Part*—Yes.

Second Part.—A copy of the rules is given below.

(b) *First Part* .—Yes.

Second Part:—Rules have been framed and issued.

REVENUE DEPARTMENT

NOTIFICATION

The 18th February, 1955

No. 5557-R(CH)-54/216.—In exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 10 of the Punjab Village Common Lands (Regulation) Act, No. 1 of 1954, and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of Punjab is pleased to make the following rules for carrying out the purposes of the said Act:—

RULES

Short title

1. These rules may be called the Punjab Village Common Lands (Regulation Rules, 1955.

Purposes for which the Shamlat Deh may be used

2. (1) The Panchayat shall make use of the shamlat deh vested in it under the Act, either itself or through another, in the manner set forth below—

(a) When it is cultivable land, for any one or more of the following purposes:—

(i) model farm;

(ii) better seed farm;

(iii) nursery or garden;

(iv) production of fodder;

(v) dairy farm;

(vi) grazing of cattle;

(vii) tree plantation; or

(viii) any other kindred common purpose.

(b) when it is non-cultivable land, for any one or more of the following purposes—

(i) dyeing and tanning of skins;

(ii) storage of fuel and fodder;

(iii) brick kilns, extraction of " Shora ", sand, stones, kankar, bajri, and other minor minerals;

(iv) cremation or burial ground; or

(v) any other kindred common purpose.

(c) When it is situated near the Abadi Deh, for any one or more of the following purposes:—

(i) manure pits ;

(ii) public latrines ;

(iii) pathways and drains;

(iv) play-grounds, recreation parks, and children's parks;

(v) planting of trees;

(vi) leasing out, for the purpose of Abadi, to a family having insufficient accommodation ;

(vii) school, library or reading room;

(viii) maternity or First-Aid centres;

(ix) hospital or dispensary ;

(x) veterinary hospitals or dispensary ;

(xi) vehicle park ;

(xii) panchayat ghar and Janj-ghar;

(xiii) ponds and fisheries;

(xiv) wells, hand-pumps and water-works ; or

(xv) any other kindred common purpose.

Terms for saving existing possession

3. (i) If a tenant or a member of his family, or previous co-sharer, is proved to be in cultivating possession of land for 20 years or more , he should be allowed to cultivate the land on the same terms and conditions as applied to him on the appointed date:

Provided that, if such a person also owns land, he will not be entitled to the benefit of this provision if, on the appointed date, the area of the land owned by him is 10 or more acres; and where the area of the land owned by him is less than 10 acres, he will benefit by this provision only to the extent of the difference between 10 acres and the area owned by him on the appointed date; provided further, if such a person wants to purchase such land he shall, but only to the extent defined in the first proviso, be allowed to do so, on application made to the Panchayat and on payment of money according to the scale laid down in the Punjab Occupancy Tenants (Vesting of Proprietary Rights) Act, 1952.

(ii) Where a person has built a house or erected any other structure on the Shamlat Deh, the Panchayat may allow such person to retain possession of the site by—

(a) selling it to him at the rate of Re 0-4-0 or Rs 2 per square yard as the case may be: Provided that, if the person concerned is unable to pay the entire amount immediately, it shall be recovered in three years, by yearly instalments; or

(b) leasing out the site to him at the annual rate of 3 pies or Re 0-1-0 per square yard as the case may be.

(iii) The terms and conditions for sale or lease of land as provided in sub-rule (ii) above shall be determined by the Panchayat.

Leases to be by auction.

4 (i) All leases of Shamlat land shall be by auction.

[Minister for Development]

(ii) only cultivable land may be auctioned on a long term lease, while non-cultivable land shall not be leased for a period exceeding five years.

(iii) All land near the Abadi Deh vested in the Panchayat and used for industrial purposes shall be leased out for one year or more, as the case may be, by auction in February every year.

(iv) All ponds used for the plantation of *Singharas* and for stocking fish shall also be auctioned in February every year.

(v) The lease of land for brick kilns, extraction of shora, sand, stones, kankar, bajri, and other minor minerals shall be auctioned in February every year.

(vi) The Panchayat may auction, in February every year, surplus and useless trees growing on Shamlat Deh.

(vii) The long term lease of cultivable land shall be auctioned, for rent in cash, in the month of February (Phagan), to the maximum advantage of the Panchayat, and the annual lease money shall be payable in February every year.

(viii) In the case of annual leases, one-fourth of the amount of the bid shall be paid by the bidder on the spot and the remaining three-fourth before possession of the land is delivered to him.

(ix) In every case of lease, a lease deed shall be duly executed by the lessee, who shall be bound to surrender to the Panchayat possession of the land leased to him if he defaults in the payment of rent, subject to the relevant provisions contained in the Punjab Tenancy Act, 1887.

The use of Shamlat Deh by residents of the village

5. (i) All pasturable land may be utilized by the residents for—

(a) grazing purposes; or

(b) collecting dry fuel-wood from the jungle on terms laid down by the Panchayat.

(ii) Open spaces near the Abadi Deh may, with the previous permission of the Panchayat and in the manner laid down by it, be utilized by the inhabitants of the village for thrashing the harvest.

(iii) All inhabitants of the village are entitled to purchase or lease non-cultivable shamlat land from the Panchayat, for residential, commercial, or industrial purposes on the terms and for the period settled by the Panchayat, but all such leases or sales shall be subject to the approval of the Collector of the district.

(iv) All inhabitants of the village are entitled to the use of open spaces for manure pits and the Panchayat may also allow land for "baras" on suitable payment. Before however, allowing any open space to be used by the inhabitants in this manner, the Panchayat shall consider the genuineness of the necessity.

Maximum area that may be leased by the Panchayat

6. (i) The Panchayat shall not lease cultivable Shamlat Deh to persons having a holding of 10 acres or more; and to a person whose holding is less than 10 acres, the area of cultivable Shamlat Deh that may be leased to him by the Panchayat shall be such that the total of the area leased and the holding shall not exceed 10 acres.

(ii) The Panchayat shall not lease more than one acre of shamlat land near the abadi to any one person.

Land to be used free of charge under section 10 (2) (f) of the Act

7. The Panchayat may allow the use of Shamlat Deh vested in it free of charge to the inhabitants of the village for any one or more of the following purposes:—

(a) thrashing or winnowing of harvest ;

(b) grazing ;

(c) steeping of hemp or any other plant in ponds ;

(d) residential purposes to the Scheduled and Backward classes; or

(e) any other common suitable purpose.

Uitlization of the income under section 6 of the Act

8. The income derived by a Panchayat from the use and occupation of the land vested in it shall be utilised for the common good of the village as laid down in the Punjab Gram Panchayat Act No. IV of 1953, and for the improvement, maintenance and management of the Shamlat Deh.

Maintenance of forms

9. The Panchayat shall maintain the undermentioned forms for the management of Shamlat Deh:—

(i) Register containing the description of Shamlat Deh (Form I).

(ii) Map containing the description of the Shamlat Deh along with land revenue etc.

(iii) Accounts ledger of the sale proceeds (Form II).

(iv) Agreement register for leases or Patas etc. (Form III).

(v) Accounts ledger for the rents and receipts (Form IV)

(vi) A register of tenants (Form V).

(vii) Counterfoils of receipts (Form VI).

(viii) Register showing expenditure (Form VII).

(ix) Form of lease deed (Form VIII).

The above forms are appended to these rules.

A.L. FLETCHER,
Secretary to Government, Punjab,
Revenue Department.

FORM I

Register containing the description of shamlat deh

Name of Gram Panchayat————————————

Tehsil and District————————————

Serial No	Demarcation of land	Details of land given on lease or sold	Period for which lease hasbeen decided	Amount collected as sale or lease proceeds	Signature of Sarpanch
1	2	3	4	5	6

[Minister for Development]

FORM II

Account Ledger of the Sale proceeds

Name of Gram Panchayat ————————————

Tehsil and District ————————————

Serial No.	Demarcation of land	Amount of sale proceed	To whom sold	Signature of Sarpanch	Signature of purchaser
1	2	3	4	5	6

FORM III

Agreement Register for Lease or 'Patas'

Name of Gram Panchayat————————————

Tehsil and District————————————

Serial No.	Demar-cation of land to be auctioned	Name and address of bidders	Last bid	Signature of bidders	Signature of auctioneer	Signature of Sarpanch	Amount received in cash
1	2	3	4	5	6	7	8

FORM IV

Register of rents and Receipts

Name of Gram Panchayat ————————————

Tehsil and District ————————————

Serial No.	Num-ber of the field	Area of the field	Name of the tenants	Rate fixed	Rent in arrears	Total sum recover-able	Recover-ies	Receipt No. and date
1	2	3	4	5	6	7	8	9

FORM V

Register of Tenants

Serial No.	Number of field	Area	Name of the tenant	Condition of tenancy	Date of the deed
1	2	3	4	5	6

FORM VI

Receipt

1. Name of Panchayat
2. Serial No.
3. Date of payment
4. Name of payer

Amount paid

Rs. A. P.

Nature of payment

Signature of Sarpanch

Counterfoil of receipt

1. Name of Panchayat
2. Serial No.
3. Date of payment
4. Name of payer

Amount paid

Rs. A. P.

Nature of payment

Signature of Sarpanch

FORM VII

Gram Panchayat
Register of Expenditure

Date	Amount of expenditure	Description of expenditure	Signature or thumb-mark of the Sarpanch
1	2	3	4

FORM VIII

Lease Deed

The deed of lease made the ———— day of————19————

Between———— hereinafter called the lessor and———— called the lessee witnesseth that the lessor does hereby grant to the lessee through auction a lease of all that

[**Minister for Development**]

piece of land——————bounded on the east by—————on the west by———— on the North by——————and on the South by ————— to hold the same for the term of—————————— years from the——————————— day of—————19———————— subject to the following conditions :—

(a) that the lessee has paid Rs—————in advance and shall pay to the lessor Rs —————in the months —————and Rs ————— in the month of—————————.

(b) that in case the lessee fails to pay the lease money as detailed in clause (a) above he shall be bound to deliver the possession of the land leased out to him subject of course to the provisions contained in the Punjab Tenancy Act, 1887.

Signature of Lessee

Signature of lessor

Seal of the Panchayat

Revenue Ticket

Surety and witness

1.

2.

श्री मूल चन्द जैन : क्या मिनिस्टर साहिब बतायेंगे कि यह जो rules की copy Table पर रखी गई है क्या इसे इन्हों ने पढ़ा है और क्या वह यह नहीं समझते कि इन में appeals के लिये कोई provision नहीं किया गया क्या पंचायतों ने......

अध्यक्ष महोदय : आप तो rules में की गई provision के बारे में पूछ रहे हैं। आप का सवाल तो सिर्फ rules के बारे में था। [You are now trying to obtain detailed information about the provisions made in these rules while the question enquires about the rules alone.]

श्री मूल चन्द जैन : मैं ने अपने सवाल में rules के बारे पूछा है। जो copy मुझे दी गई है उस में appeal के बारे कुछ नहीं दिया हुआ। यह दिया जाना........

Mr. Speaker : The hon. Member is making suggestions.

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਜੋ ਕੁਝ Original Act ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ Rules ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਥੋੜੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ ?

श्री तेग राम : क्या विकास मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब से यह शामलात जमीनों का कानून पास हो गया है उस के कितने समय बाद यह रूल्ज़ बनाये गए हैं।

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੜੀਆਂ ਦਿਕਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦਾ ਲਗਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

श्री तेग राम : मेरा सवाल यह है कि यह कितने समय से बने हैं।

सिंचाई मंत्री : Rules में तारीख़ दी हुई है। माननीय मैम्बर उसे ख़ुद देख सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय मैम्बरों से गुजारिश कर देना चाहता हूं कि जो information वह अपने आप हासिल कर सकते हैं उस के लिये यहां सवाल न पूछे जाएं ।

(I would request the hon. Members to refrain from putting questions for eliciting such information as they themselves can collect easily.)

RESTORATION OF TENANCIES UNDER THE PUNJAB PREVENTION OF EJECTMENT ORDINANCE, 1954

***4421. Shri Mool Chand Jain**: Will the Minister for Development be pleased to state the total number of applications by tenants, district-wise received for being restored to their tenancies under the Punjab Prevention of Ejectment Ordinance, 1954 and the action; if any, taken thereon?

Sardar Partap Singh Kairon : A statement is given below—

District	Total number of applications by tenants received for being restored to their tenancies under the Punjab Prevention of Ejectment Ordinance, 1954	Action taken on the applications
1. Hissar ..	79	73 were rejected and six are pending.
2. Rohtak ..	167	Five were accepted and the remaining were rejected due to the lapse of the ordinance.
3. Simla ..	..	..
4. Kangra	6	The applications being time-barred, no action was taken
5. Hoshiarpur ..	4	All were rejected.
6. Jullundur ..	16	In 2 cases parties effected mutual compromise, one was filed and 13 are pending.
7. Ludhiana ..	17	Thirteen have been rejected and 4 are pending.
8. Ferozepore ..	212	Thirteen were accepted, 130 rejected and 69 are pending seven out of the thirteen whose applications have been accepted have been restored.
9. Amritsar ..	8	None was restored as the ordinance expired before the cases were decided.
10. Karnal ..	99	Still under consideration.

The information in respect of other districts is being collected and will be supplied as soon as possible.

REPRESENTATION FROM THE LAND-OWNERS OF KANGRA VALLEY

***3502. Pandit Shri Ram Sharma :** Will the Minister for Development be pleased to state whether any representation from the land-owners in the Kangra Valley against the old quarries, firms working on the basis of very old contracts has recently been received by the Government; if so, the action, if any, taken thereon ?

Sardar Partap Singh Kairon : *First Part*—No.
Second Part—Does not arise.

VILLAGE COMMON LAND UNDER THE PUNJAB VILLAGE COMMON LANDS (REGULATION) ACT.

*4039. **Sardar Darshan Singh :** Will the Minister for Development be pleased to state—

(a) the total area of land that has been declared by the Government as Village Common Land under the Punjab Village Common Lands (Regulation) Act, 1953 and vested in the Panchayats;
(b) the total area of such land under cultivation, cultivable, waste and inside village abadi separately;
(c) the details of instructions, if any, issued by the Government to the Panchayts for utilisation of such common lands for the benefit of village people and specifically for Harijans and other landless persons?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) and (b)—A statement is given below.

(c) The details of instructions are contained in the Punjab Village Common Lands (Regulation) Rules, 1955, since notified.

District	(a) Total area of common lands declared by Government as village common land under the Punjab Village Common Lands (Regulation) Act, 1953 and vested in the Panchayats	Total area of land in column 2 which is under cultivation	(b) Total area of land in column 2 which is cultivable waste	Total area of land in column 2 which is inside village abadi
1	2	3	4	5
	Acres	Acres	Acres	Acres
Hissar ..	181,915	61,867	82,428	24,838
Rohtak ..	123,041	46,999	66,912	9,130
Gurgaon	176,902	35,695	27,219	No record available
Ambala ..	179,606	33,195	56,003	18,185
Simla ..	..	..	..	..
Kangra ..	272,731	4,218	1,554	4
Hoshiarpur ..	277,211	Area under these categories separately not available		
Ludhiana ..	46,064	8,123	11,053	..
Ferozepore ..	56,822	Information not supplied by the Deputy Commissioner. It is being collected and will be supplied to the Members as soon as possible.		
Amritsar ..	36,732	10,983	14,943	68
Gurdaspur ..	67,110	21,872	34,445	10,793
Total ..	1,448,134	222,952	194,557	63,018

Note:—The information in respect of the Karnal and Jullundur Districts is being collected and will be supplied to the Member as soon as possible.

ALLOTMENT OF LAND TO HARIJANS IN VILLAGE NAGLA, DISTRICT KARNAL

*4040. **Sardar Darshan Singh** : Will the Minister for Development be pleased to state whether Harijans of village Nagla, district Karnal have been allotted any land for 'Baras' or for grazing purposes at the time of consolidation; if not, the reasons therefor and the action, if any, Government has taken or propose taking in the matter ?

Sardar Partap Singh Kairon: Out of 47 non-owner families including Harijans of village Nagla, 13 were found to be such as had sufficient land for *Baras* in their possession. The remaining 34 families have been given plots of varying sizes according to their needs. All the 47 families have been provided space for one manure pit each. As there was no *Shamlat deh* area in this village, no land could be reserved during consolidation operations for grazing lands. There was, however, some area which was being used for grazing purposes, although it did not belong to shamlat deh and the owners were opposed to any area being provided for grazing purposes. The Rehabilitation Department have, however, allotted some land in favour of allottees in this village for this purpose. No action is to be taken further by Government in this matter.

SURCHARGE ON LAND REVENUE

*3976. **Sardar Achhar Singh Chhina** : Will the Minister for Development be pleased to state—

(a) the total number of land owners in the State on whom surcharge on land revenue has not been levied along with the area of land owned by each one of them;

(b) the total number of land-owners on whom surcharge of 25 per cent and 40 per cent on land revenue has been levied respectively, along with the area of land owned by each one of them;

(c) the total estimated increase in land revenue as a result of surcharge on land revenue together with the estimated increase from land-owners referred to in part (b) above, separately?

Sardar Partap Singh Kairon : (a), (b) and (c)—A statement is given below

District	(a) (i) Total number of land-owners on whom surcharge on land revenue has not been levied	(a) (ii) Total area of land owned by them	(b) (i) Total number of land-owners on whom surcharge of 25 per cent and 40 per cent on land revenue has been levied respectively — 25 per cent	(b) (i) — 40 per cent	(b) (ii) Total area of land owned by each one of them — 25 per cent	(b) (ii) — 40 per cent	(c) (i) Total estimated increase in land revenue as a result of surcharge on land revenue	(c) (ii) Estimated increase from land-owners referred to in part (b) separately in respect of — 25 per cent	(c) (ii) — 40 percent
	Acres	Acres		Acres	Acres	Acres	Rs	Rs	Rs
Hissar ..	98,336	258,286	98,802	28,895	1,189,261	1,534,187	2,82,441	1,09,368	1,73,073
Rohtak ..	112,324	274,186	59,822	25,290	638,523	418,236	3,92,669	2,43,370	1,49,299
Ambala ..	94,214	223,565	48,463	4,881	3,98,000	217,624	2,37,720	1,60,441	77,279
Simla ..	1,184	Information not supplied	10	1	Information not supplied	50	64	39	25
Kangra ..	290,731	512,176	39,563	7,596	417,843	104,964	1,05,828	78,659	27,169
Hoshiarpur	84,196	534,553	30,895	11,345	351,668	447,073	2,02,680	66,226	1,36,454
Ludhiana	94,961	128,749	55,397	3,339	521,447	148,271	2,53,532	1,91,571	61,961
Gurdaspur ..	69,170	277,231	32,807	3,303	455,148	1,47,518	1,60,247	1,12,259	47,988
Total ..	845,116	17,48,646	365,759	84,650	3,971,890	3,017,923	16,35,181	9,61,933	6,73,248

Note—Information in respcct of the Karnal, Jullundur and Ferozepore districts is being collected and will be supplied to the Member as soon as possible. Surcharge is not leviable in Gurgaon and Amritsar districts.

LAND BROUGHT UNDER CULTIVATION UNDER THE EAST PUNJAB UTILIZATION OF LANDS ACT

***3977. Sardar Achhar Singh Chhina** : Will the Minister for Development be pleased to state—

(a) the total area of land brought under cultivation under the East Punjab Utilization of Lands Act, 1949, during the years 1952, 1953 and 1954, district-wise, together with the amount of expenditure incurred by the Government thereon;

(b) the total area of land referred to in part (a) above brought under cultivation by those who own 20 acres of land or above and by those owning less than 20 acres separately;

(c) the total area of land referred to in part (a) above given to agricultural labourers for cultivation ?

Sardar Partap Singh Kairon: The information is to be obtained from the Patwari of the Ilaqa concerned and is still awaited from the Collectors of the State. It will be supplied to the member later on.

LAND RESTORED UNDER THE PUNJAB PREVENTION OF EJECTMENT ORDINANCE, 1954 (ORDINANCE NO. 9 OF 1954)

***4556. Shri Teg Ram :** Will the Minister for Development be pleased to state—

(a) the total number of tenants together with the total area of land, district-wise, in the State, which has been restored to them for cultivation purposes, under the Punjab Prevention of Ejectment Ordinance, 1954 (Ordinance No. 9 of 1954);

(b) the total number of applications filed by the tenants for the restoration of their tenancies under the said Ordinance;

(c) the total number of applications referred to in part (b) above which have been accepted or rejected and the number still under consideration?

Sardar Partap Singh Kairon : A statement containing the required information is given below:—

	(a)		(b)	(c)		
	Total number of tenants and area which has been restored to them for cultivation purposes under the Punjab Prevention of Ejectment Ordinance, 1954.		Total number of applications filed by the tenants for the restoration of their tenancies under the Punjab Prevention of Ejectment Ordinance, 1954.	*Total number of applications*		
— — —	No.	Area in acres		Accepted	Rejected	Under consideration
1. Hissar ..	..	..	79	..	73	6
2. Rohtak ..	5	19	167	5	162	..
3. Simla ..	..	..	..	..	..	..
4. Kangra ..	(Will be later	supplied on)	6	..	6	..
5. Hoshiarpur	..	..	4	..	4	..
6. Jullundur	2	7	16	2	1	13
7. Ludhiana	..	..	17	..	13	4
8. Amritsar	..	..	8	..	8	..
9. Ferozepore	(Will be later	supplied on)	212	13	130	69
10. Karnal			99	..	..	99

The information in respect of other districts is being collected and will be supplied as soon as possible.

श्री तेग राम : यह जो मेज़ पर इतलाह रखी गई है इस में दिया है कि मेरे ज़िला के 69 मुजारों की दरखास्तों का अभी तक कोई फैसला नहीं हो सका क्या माननीय विकास मंत्री बतायेंगे कि यह फ़ैसला कब तक हो जायेगा ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਜੇ ਕਰ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਗਲ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਛ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?

श्री तेग राम : मुझे वज़ीर साहिब से यह जवाब सुन कर हैरानी हो रही है। क्या अभी वह ordinance जारी है कि जिस के मातहत उन दरखास्तों का फैसला होता है ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਤਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪੁਛਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ?

DEVELOPMENT SCHEMES IN THE STATE

*4555. **Shri Teg Ram** : Will the Minister for Development be pleased to state—

(a) the total expenditure proposed to be incurred on development purposes in each district of the State under the First Five-Year Plan;

(b) the total expenditure already incurred on these development works in each district of the State;

(c) the total expenditure proposed to be incurred in each District of the State on development schemes under the Second Five-Year Plan?

Sardar Ujjal Singh : (a) The First Five-Year Plan of this State was not conceived on a district basis and has not been split up into district Plans. It is, therefore, not possible to give a district-wise breakup of the total expenditure, proposed to be incurred on development purposes. A sum of Rs 27.27 crores is, however, proposed to be incurred in this State on development schemes under the First Five-Year Plan, as the Punjab State Plan, which excludes schemes sponsored by the Central Government.

(b) In view of (a) above, a district wise split up of expenditure is not possible. The total expenditure up-to March, 1955, for the whole State, under the First Five-Year Plan, will be Rs 1,817.31 lakhs.

(c) The Second Five-Year Plan, which will be at least partially framed on a district basis, is yet in the process of formation. It is, therefore, not possible, at present, to give the total expenditure proposed to be incurred in each district of the State on development under the Second Plan.

श्री तेग राम : वजीर साहिब ने कहा कि योजना ज़िला वार नहीं बनाई गई तो यह किस आधार पर बनाई गई ?

ਅਰਥ ਮੰਤ੍ਰੀ : Development ਦਾ ਅਧਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮਸਲਨ ਸਿੰਚਾਈ, ਜ਼ਰਾਇਤ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ਆਦਿ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਖਰਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

श्री तेग राम : इस पंच-वर्षीय योजना का खर्च ज़िलों में हुआ तो पता होना चाहिये कि यह कितना २ हुआ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਖਰਚ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮਗਰ ਹਰਿਕ ਲਈ ਜੁਦਾ ਜੁਦਾ ਖਰਚ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰਖਕੇ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ । ਇਹ 1950 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਬਾਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਲ ਖਰਚ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰਖ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ।

श्री तेग राम : वजीर साहिब ने कहा कि दूसरी पंच वर्षीय योजना कुछ हद तक जिलों पर आधारित होगी । इस से इन का क्या मतलब है ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਕੀਮਾਂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਉਥੋਂ ਤਕ ਹੀ ਮਹਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰਖ ਕੇ ਬਨਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਅਧਾਰ ਕੁਝ ਹਦ ਤਕ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ।

ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ : ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ disirict-wise ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਦਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਹੁਣ ਜਦ ਕਿ ਖਰਚ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦਸਣ ਵਿਚ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ? ਦੂਜੀ ਗਲ ਇਹ ਕਿ ਜੋ ਪਲਾਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ? ਤੀਸਰੀ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ Summary Plan ਵਿਚ ਇਹ ਦਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਥੇ 2 ਕਿਹੜੀਆਂ 2 ਸੜਕਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲਾਵਾਰ ਖਰਚ ਵੀ ਦਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਕੀਮ ਜ਼ਿਲਾਵਾਰ ਤਾਂ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਮੁਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਨੀ ਹੈ । ਖਰਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ split up ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲਾਵਾਰ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਦਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ।

राओ अभै सिंह : मन्त्री महोदय ने कहा कि खर्च ज़िलों के आधार पर नहीं किया । तो मैं पूछनाँ चाहता हूं कि खर्च करने का क्या basis है ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, 1950 ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ । ਜੁਦੀਆਂ 2 ਸਕੀਮਾਂ ਮਸਲਨ Irrigation, ਸੜਕਾਂ, Agriculture, ਆਦਿ । ਖਰਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਜ਼ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ basis ਹੈ ।

श्री धर्म वीर वासिष्ठ : वज़ीर साहिब ने बताया कि 27·27 करोड़ रुपया proposed expenditure है, 18 करोड़, 17 लाख रुपया खर्च हो चुका है, और कुछ Central Grants इस के इलावा हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि Central Government के share में से कितना खर्च हो चुका है ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਹ ਗਲ ਸਵਾਲ ਵਿਚ ਪੁਛੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਨਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ।

श्री धर्मवीर वासिष्ठ : वज़ीर साहिब ने बताया है कि वह ज़िलावार खर्च नहीं बता सकते तो क्या वह Division-wise खर्च बता सकते हैं ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਜੇ ਕਰ ਆਪ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿਉਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਖਾਂਗਾ ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਖਿਆਲ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਲਾਨ ਵਿਚ neglect ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਜੀ ਹਾਂ । ਦੂਸਰੀ ਪਲਾਨ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਜ਼ਿਲੇ ਪਿਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਥੇ ਘਟ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਜਿਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ ਉਥੇ ਘਟ ਖਰਚ ਹੋਵੇ ।

श्री चांद राम अहलावत : सवाल के (b) part में पूछा गया था कि हर ज़िले में कितना खर्च हुआ । फिर हर ज़िला में सड़कें हैं, नहरें हैं या दूसरे development के काम हैं । जब सवाल बिल्कुल साफ है तो बताने में हर्ज क्या है ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲੇਵਾਰ ਹਿਸੇ ਨਹੀਂ ਰਖੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲੇ ਨੂੰ basis ਨਹੀਂ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ।

अध्यक्ष महोदय : इस बात का जवाब कई बार दिया जा चुका है फिर भी बार २ पूछी जाती है । (This question has been replied a number of times and yet it is being put again and again.)

श्री बाबू दयाल : क्या वज़ीर साहिब फ़रमायेंगे कि जो proposed expenditure है, इस में किसी खर्च को top priority भी दी गई है ?

Mr. Speaker: This question does not arise.

श्री दौलत राम : वज़ीर साहिब ने कहा कि आइंदा जो योजनाएं बनाई जायेंगी उस में उन जिलों के लिये ज्यादा रुपया रखा जायेगा जिन पर पहली योजना में कम खर्च हुआ है । मगर जब ज़िलेवार खर्च का हिसाब ही नहीं रखा गया तो यह पता कैसे चलेगा कि ख़र्च कहां कम हुआ है ?

Mr. Speaker: This question does not arise.

ਮੰਤ੍ਰੀ : Sir this is an insinuation. ਮੈਨੂੰ ਉਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਉ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲਾ ਪਿਛੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਉਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਲਗ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਰਚ ਕਿਥੇ ਘਟ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਜੋ ਪਿਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਉਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਾਂਗੇ ।

अध्यक्ष महोदय : इस सवाल को घुमा फिरा कर बार बार पूछा जा रहा है जब कि यह कई बार हो चुका है ।

(This question is being put time and again in different forms despite the fact that it has already been replied to).

ਸਰਦਾਰ ਖੇਮ ਸਿੰਘ : ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਲਾਨ 1950 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਅਜ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਖਰਚ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ?

Mr. Speaker : This question does not arise.

FLOOD CONTROL BOARD

*4433. **Shri Ram Kishan** : Will the Minister for Irrigation be pleased to state—

(a) whether any Flood Control Board has been appointed for this State; if so, the names of the Members thereof;

(b) the details of the recommendations, if any, made by the said Board and the action taken by Government thereon;

(c) whether any correspondence has passed between the Union Government Flood Control Board and the State Flood Control Board regarding the control of floods; if so, the details thereof;

(d) the total amount sanctioned for implementing the recommendations of the said Board?

Chaudhri Lahri Singh : (a) Yes, the names of members are as below:—

Chief Minister,—*Chairman*.
Irrigation and Power Minister,—*Member*.
Development Minister,—*Member*.
Public Works Minister,—*Member*.
All Chief Engineers of Irrigation Branch,—*Member*.
Chief Engineer, Buildings and Roads,—*Member*.
Finance Secretary,—*Member*.
Chief Conservator of Forests,—*Member*.
Secretary, North Irrigation Branch,—*Secretary*.
Director, Irrigation and Power Research Institute.—*Joint Secretary*.

(b) A meeting of the State Flood Control Board was held on the 22nd February, 1955. A scheme to tame 105 choes (hill torrents) which have damaged about 11 lakh acres fertile land out of 14 lakhs in Hoshiarpur District was drawn up. The scheme is estimated to cost more than Rs one crore. The contiguous Chos will be grouped together and will have their outfall into one of the main drainages of the area. Rs 5 lakhs were approved to tame Nasrala Cho which will be taken in hand before the next monsoon season. The board also sanctioned Rs 6 lakhs scheme for the construction of a bund parallel to the river Beas above the town of Dera Baba Nank to prevent inundation of villages on Indian side of the river and from flood during the monsoon. Another Rs 50,000 scheme was approved to construct a small bund in Panipat Tehsil of Karnal District.

(c) Yes. The correspondence between the Government of India and State Government is going on on the following items:—

(i) funds.
(ii) approval of schemes.
(iii) aerial photographs.

The correspondence is going on that the funds amounting to Rs 15 lakhs already allotted by Government of India for flood protection works be given as gratis and not on loan.

(d) This has been replied—*vide* para (b) above.

श्री राम किशन : क्या Irrigation Minister साहिब बतायेंगे कि जो सकीमें Government of India को भेजी गई थीं वह approve हो गई है ?

मंत्री : इन स्कीमों में से कुछ approve हो गई हैं। इन की approval लेने के बाद ही डेरा बाबा नानक के बांध का काम शुरु किया गया । कुछ स्कीमें जैसे हुशियारपुर की 1 करोड़ की स्कीम की approval अभी नहीं आई ।

ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ : ਕੀ Irrigation Minister ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਆਇਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਤੋਕਿਤਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ?

मंत्री : यह सवाल तो arise ही नहीं होता और न ही कोई खतोकिताबत हुई है ।

ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ : ਕੀ Irrigation Minister ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ Central Flood Control Board ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ?

मंत्री : जी हां । हैं ।

श्री राम किशन : उन का नाम ?

सिंचाई मंत्री : जी में हूं । (हंसी)

श्री राम किशन : क्या Irrigation Minister साहिब फरमायेंगे कि आप क्योंकि स्टेट की तरफ से Central Flood Control Board के मेंबर हैं, क्या आपने रावी नदी पर बांध बनाये जाने के सवाल पर वहां कोई विचार किया है ?

अध्यक्ष महोदय : Flood Control Board के सवाल में रावी नदी का सवाल कैसे पैदा होता है ?

(How does the question of river Ravi arise out of the main question which relates to the Flood Control Board)

श्री राम किशन : स्पीकर साहिब ! इस सवाल के जवाब में जो information दी गई है उस से पता चलता है कि यह सब ग्रांट Centre की है । इस लिये यह सवाल पैदा होता है क्या Irrigation Minister साहिब फरमायेंगे कि Central Flood Control Board के अंदर रावी नदी पर डैम बनाने का सवाल आया है ?

मंत्री : यह सवाल Flood Control Board से relate नहीं करता । Flood Control Board ने तो general principles discuss किये हैं । किसी स्टेट के किसी particular केस को नहीं लिया ।

श्री राम किशन : क्या Irrigation Minister साहिब फरमायेंगे कि रावी नदी पर जो बान्ध पाकिस्तान ने बनाया है उस का उन्हें इल्म है ?

मंत्री : जी इल्म है ।

श्री राम किशन : तो क्या इस मामले को Flood Control Board के नोटिस म लाया गया ?

मंत्री : इसी पर ही तो उन्हों ने 6 लाख रुपये की एक स्कीम मन्जूर की है ।

श्री राम किशन : क्या अजनाला और डेरा बाबा नानक के लोगों की तरफ से कोई representation मिली है ?

मंत्री : जी मिली है ।

श्री राम किशन : क्या Irrigation Minister साहिब फरमायेंगे कि उन की representations पर क्या कार्रवाई की गई है ?

अध्यक्ष महोदय: यह सवाल main question से कैसे उठते हैं ? सवाल तो Flood Control Board का है और supplementary यह है कि फलां गांव की representation आई है तो क्या action लिया गया । आप इस तरह हाऊस का time जाया कर रहे हैं ।

(How does it arise out of the main question? Whereas the question relates to the Flood Control Board, the hon. Member is asking a supplementary regarding the representation received from certain villages. In this way, he is wasting the time of the House.)

ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ : ਕੀ ਰਾਵੀ ਤੇ ਬੰਦ ਬਣਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਲ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ?

Minister : No.

TRAINING OF THE INDIANS BY THE FOREIGN EXPERTS EMPLOYED ON NANGAL-BHAKRA

***4338. Shri Ram Chandra Comrade :** Will the Minister for Irrigation be pleased to state—

(a) whether the Foreign Experts employed on Bhakra-Nangal Project also give training to the Indians to take up similar jobs in the Bhakra-Nangal Project ;

(b) the number of Indian experts, if any, thus trained?

Chaudhri Lahri Singh : (a) Yes.

(b) 21. Besides these, a large number of other Indians are being trained for special jobs for which the foreign experts were engaged.

EXPERTS EMPLOYED ON BHAKRA-NANGAL PROJECT

***4337. Shri Ram Chandra Comrade :** Will the Minister for Irrigation be pleased to state—

(a) the number of foreign experts employed on the Bhakra-Nangal Project and the total amount paid to them from year to year since the work started ;

(b) the number of foreign experts working on the said Project at present and total amount payable to them during the current financial year;

(c) the details about the appointment of and the payment made to the Indian Experts during the corresponding period in the Bhakra Nangal Project?

Chaudhri Lahri Singh : (a) :—

1947-48	No. on 1st March 1948	.. 3
	Expenditure	.. 68,000
1948-49	No. on 1st March, 1949	.. 1
	Expenditure	.. 11,000
1949-50	No. on 1st March, 1950	.. 1
	Expenditure	.. 9,200

[Minister for Irrigation]

1950-51	No. on 1st March, 1951	..	2
	Expenditure	..	14,200
1951-52	No. on 1st March, 1952	..	6
	Expenditure	..	57,120
1952-53	No. on 1st March, 1953	..	46
	Expenditure	..	24,36,576
1953-54	No. on 1st March, 1954	..	63
	Expenditure	..	67,18,088.
(b)	No. at present	..	43
	Expenditure	..	61,88,698.

(c) The total expenditure on Indian Establishment is as below :—

		Rs.
1947-48 (Post Partition)	..	12,23,378
1948-49	..	35,26,983
1949-50	..	49,73,689
1950-51	..	64,10,745
1951-52	..	82,74,750
1952-53	..	1,38,02,431
1953-54	..	2,20,30,798
1954-55 (Up to December, 1954)	..	1,02,95,696

श्री देव राज सेठी : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि 1953-54 के बारे में जो statement दी गई है उस में दर्ज है कि 63 विदेशी माहिरों पर इस साल 67 लाख 18 हज़ार रुपया खर्च किया गया है यानी औस्तन हरेक माहिर पर एक लाख रुपया । तो पूछ सकता हूं कि इन माहिरों पर औस्तन ज्यादा से ज्यादा और कम से कम कितना खर्च किया गया ?

मंत्री : इस सवाल के लिये मुझे नोटिस चाहिये ।

श्री राम किशन : क्या Irrigation Minister साहिब फरमायेंगे कि इन Foreign Experts में कितने American Experts हैं और कितने दूसरे ?

मंत्री : ज्यादा तर Americans हैं ।

श्री राम किशन : जो experts अब रह गये हैं क्या उन्हें हटाए जाने की तजवीज़ पर सरकार गौर कर रही है ?

मंत्री : इस काम के लिये हमारे best engineers की, जो भाकड़ा के सम्बन्ध में काम करते हैं, एक कमेटी बनाई गई है । उस ने अपनी रिपोर्ट भी दे दी है । उस रिपोर्ट के मुताबिक experts की reduction की जा रही है ।

श्री राम किशन : Irrigation Minister साहिब ने फरमाया है कि यह experts 6-7 साल से काम कर रहे हैं क्या 6-7 साल के अरसा में Indian Experts को तजरुबा नहीं हुआ है ?

मंत्री : अभी डैम की construction तो होनी है । Tunnel के साथ साथ काम हो रहा है ।

Mr. Speaker : This is not a supplementary question. The hon. Member is seeking opinion of the hon. Minister.

पंडित श्री राम शर्मा : क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या Foreign Experts से और भी काम लिया जाता है या सिर्फ भाकड़ा डैम के लिये ही उन्हें रखा गया है ?

मंत्री : सिर्फ भाकड़ा डैम के लिये ही इन experts को रखा गया है।

पंडित श्री राम शर्मा : जब डैम का काम पिछले 7 साल से शुरु है तो फिर इन experts ने अब तक क्या काम किया है ?

मंत्री : इन experts ने work out किया है कि belt का course कहां हो और machinery कहां कहां पर लगाई जाये।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या पिछले सात साल से यह सारे Foreign Experts काम कर रहे हैं ?

मंत्री : मैं पहले ही बता चुका हूं कि Foreign experts की गिनती 1947-48 में एक 1948-49 में एक; 1949-50 में एक; 1951-52 में 6, रही है। शुरु से ही इतनी गिनती नहीं है। काम ज्यादा शुरु होने पर इन को मंगवाया गया।

पंडित श्री राम शर्मा : सवाल यह नहीं है कि पिछले सात साल में इन की गिनती 1 थी या 60 थी। सवाल यह है कि क्या इन सात सालों में Foreign Experts ने plan की और मशीनरी की तैयारी ही की है और यह वक्त मशीनें मंगवाने पर सर्फ किया है।

मंत्री : आप ठीक कहते हैं।

TOTAL AREA IRRIGATED BY BAIJ NATH KUHL.

***4461. Bakshi Partap Singh :** Will the Minister for Irrigation be pleased to state the total area expected to be irrigated by Baij Nath Kuhl in district Kangra together with the names of villages which will be irrigated from the said Kuhl ?

Chaudhri Lahri Singh : The total area expected to be irrigated from Baij Nath Kuhl works out to 2,999 acres. The names of villages which will be irrigated from this Kuhl are as under :—

(1) Thara.
(2) Mandhole.
(3) Mohan Kela.
(4) Khopa.
(5) Bondian.
(6) Nagahar Upper.
(7) Nagahar Middle.
(8) Nagahar Lower.
(9) Rajaba.
(10) Thalyanum.
(11) Melohra.
(12) Kidaib Upper.
(13) Kidaib Lower.
(14) Chunewara.
(15) Chohara.
(16) Puta.
(17) Guwara.
(18) Danchani.
(19) Bhoota.
(20) Dakka.

बख्शी प्रताप सिंह : क्या मन्त्री महोदय कृपया बताएंगे कि इस में हिमाचल प्रदेश का कितना इलाका है ?

मंत्री : इस के मुतअल्लिक मेरे ख्याल में आप ज्यादा जानते होंगे । इस सवाल का अगर आप नोटिस दें तो मैं आप को बता दूंगा ।

श्री धर्म वीर वासिष्ठ : क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जैसा उन्हों ने बताया है कि दो हज़ार से ज्यादा एकड़ ज़मीन का रकबा इस कूहल से सैराब होगा लेकिन वह यह बताएं कि यह कितने period के बाद सैराब होना शुरू होगा ?

मन्त्री : अगली जुलाई तक यह काम complete कर दिया जायेगा ।

श्री धर्म वीर वासिष्ठ : क्या इस का यह मतलब है कि अगली जुलाई के बाद यह रकबा सैराब हुआ करेगा ?

मंत्री : जी हां ।

पंडित श्री राम शर्मा : इस स्कीम पर कितना खर्च होगा और उस लिहाज से फायदा कितनी ज़मीन को पहुंचेगा ?

मंत्री : इस के मुतअल्लिक मैं ने पिछले साल बताया था अब मुझे ज़बानी याद नहीं । अगर माननीय मैम्बर इस सवाल का नोटिस दें तो बता दिया जायेगा ।

REPRESENTATION FROM LABOURERS WORKING ON BIST DOAB CANAL

***4041. Sardar Darshan Singh :** Will the Minister for Irrigation be pleased to state whether any representation from the labourers working on Bist Doab Canal at Burji Nos. 27 and 28 district Hoshiarpur, against the contractor concerned demanding payment of Rs. 8,700 on account of arrears of their wages has recently been received by the Government; if so, the action if any, taken by the Government thereon ?

Chaudhri Lahri Singh : Yes.

The labour has disappeared and is evading settlement with the contractor.

MULTIPURPOSE CO-OPERATIVE SOCIETY, BASTI TAINKAWALI, FEROZEPORE

***4234. Sardar Bachan Singh :** Will the Minister for Irrigation be pleased to state—

(a) whether the Multipurpose Co-operative Society, Basti, Tainkawali, Ferozepore, is registered with the Department of Co-operative Societies ;

(b) whether it is a fact that on application the said Society was allotted a coal depot for Basti Tainkawali, Ferozepore, Cantonment in 1953 ;

(c) whether he is aware of the fact that the allotment referred to in part (b) above was subsequently cancelled in favour of the National Multipurpose Co-perative Society, Basti Tainkawali, an unregistered body ; if so, the reasons therefor ?

Chaudhri Lahri Singh : (a) Yes.

(b) No.

(c) Does not arise.

CO-OPERATIVE LABOUR SOCIETIES

***4047. Sardar Achhar Singh Chhina :** Will the Minister for Irrigation be pleased to state—

(a) the total number of Co-perative Labour Societies set up in the states together with the total membership of these Societies ;

(b) whether the contractors have also been allowed to become members of the said Societies, if so, the reasons therefor ;

(c) the details of concessions, if any, allowed to these Societies and their members ?

Chaudhri Lahri Singh : (a) Number of Societies .. 254
Membership .. 41,495

(b) The contractors at present are not allowed to become members of these Societies though this ban had been removed temporarily for some time in order to secure technical hands for the societies.

(c) (i) Prior to 30th September, 1954, all unskilled works and loading, unloading of material was entrusted to these Societies at scheduled rates and thereafter these unskilled works are allotted to these societies against tenders.

(ii) The work of construction of outlets is given exclusively to these societies at the estimated cost.

(iii) The Co-operative Financing Institutions make payment to these societies, against crossed cheques issued by the P.W.D. authorities in favour of these societies and they collect the proceeds of cheques from the local Government Treasury.

ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ : ਕੀ ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਦਸਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ co-operative society ਦਾ ਕੋਈ deputation ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਮਤਿਆਜ਼ੀ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ।

मन्त्री : बहुत सी सुसाइटियां आती हैं । कुछ सुसाइटियों ने कहा कि contractor के मुकाबिले में उन्हें facilities नहीं दी जातीं अफसरों को हिदायत कर दी है और उन की reports मंगवा कर उन के खिलाफ action लिया । ऐसा कोई case साबत नहीं हुआ जहां इमतियाज़ हुआ हो । किसी contractor के खिलाफ कोई शिकायत आई तो उसे फौरन हटा दिया गया । measurement करने के लिये आदमी trained नहीं होते थे हम ने trained कर दिया । Irrigation Department के कुछ अफसरों का रवैया दुरुस्त नहीं था । गवर्नमैण्ट ने उन के खिलाफ suitable action लिया । Rules को भी amend कर दिया है ताकि सारे का सारा काम Labour Co-operative Societies को दिया जाये ।

ROHTAK-HISSAR ELECTRICITY SUPPLY COMPANY

***4324. Shri Dev Raj Sethi :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the Government has decided to take over the Rohtak-Hissar Electricity Suply Compnay, if so, on what terms and from what date ;

(b) the date from which Rohtak City is to be swtiched on to the Hydro-electric current ;

(c) the Schedule of rates proposed to be enforced ;

(d) the rate at which bulk supply is given to the electricity undertakings from Uhl River and Nangal Supply System ?

Chaudhri Lahri Singh : (a) Yes. The terms of taking over are being negotiated with the South Punjab Electricity Corporation Ltd ; successors to the Rohtak, Hissar and District Electric Supply Company Ltd. Hissar.

(b) Hydro-Electricity is already available at Rohtak but it will be extended to the Rohtak Town which is served by the local Company immediately nego tiations for the purchase of the undertaking are concluded or an agreement for supply of bulk power is executed between the Government and the Company.

[Minister for Irrigation]

(c) (i) *Tariffs for Permanent Supply per unit*—

		Net Col. A. Annas	Gross Col. B. Annas
First 15 units per month	..	5·0	5·25
Next 25 units per month	..	2·0	2·25
In excess of 40 units per month plus	..	1·0	1·25

(ii) *Tariff for Temporary Supply*—

Rates as in Column B above.

(d) The rate for bulk supply to the Electric Supply Undertakings both from the Uhl River Hydro-Electric Scheme and Nangal Power Project is as under :—

Tariff—

Demand Charge—

Rs. 5-8-0 per KVA per month plus

Energy Charge—

0·70 annas/KWh for the first 10,000 KWh/month

0·65 anna/KWh for the next 20,000 KWh/month

0·60 anna/KWh for all in excess of 30,000 KWh/month.

Subject to an over all maximum of 1.25 annas/KWh without prejudice to the minimum monthly payment under item (5) below.

Note. The above tariff covers a supply at 11,000 V and a surcharge of 7½ per cent will be levied if the supply is given at 400 V.

(4) *Demand Assessment*—

(a) The demand charge shall be based on—

(i) the actual maximum demand during the month ; or

(ii) 75 per cent of the highest maximum demand during the preceding 11 months ; or

(iii) 50 per cent of the contract demand, whichever is the highest.

Provided that for the first 11months from the commencement of supply, alternative (ii) shall not be applicable.

(b) For loads below 250 kVA, the supplier shall reserve the right to measure the maximum demand in kilowatts and charge for it at Rs. 6 per KW per month for suply at 11,000 V. In this case if the consumer's power factor is lower than 85 per cent the demand shall, at supplier's option, be defined as 85 per cent of the highest average kilovolt-amperes measured during any 30 consecutive minutes period of the month.

(5) *Monthly Minimum Payment.* The monthly minimum payment shall be limited to the demand charge in (4) above.

(6) *Payment.* The above rates are net. In the event that the monthly bill is not paid in full within the time specified on the bill, a surcharge of 1 per cent shall be levied for each 30 days successive period or part thereof until the amount is paid in full.

(7) * * * * *

(8) *Revision of rates.* The above rates are subject to the condition that if the profit of an Electric Supply Undertaking after selling electricity at the retail rates recommended in the Tariff Report for the States of Punjab,Pepsu and Rajasthan exceed the limit prescribed in the Electricity (Supply) Act, 1948 thus necessitating reduction in rates even below the level of the rates followed by the State Government concerned, the suppliers shall reserve the right to increase the bulk supply tariff rate to a reasonable extent.

These rates will be applicable to such Electric Supply Undertakings as are already receiving bulk supply from the Uhl River Scheme on the expiry of existing agreements.

श्री देव राज सेठी : क्या मानीय मन्त्री कृपया बताएंगे कि इस बारे में जो negotiations हो रही हैं वह कब तक खत्म हो जायेगी ?

मंत्री : सिर्फ value के बारे में negotiations हो रही हैं । वह value ज्यादा मांगते हैं । गवर्नमेंट इस मामले को examine कर रही है और जल्दी फैसला कर दिया जायेगा ।

श्री देव राज सेठी : इस का फैसला कब तक हो जायेगा ।

मंत्री : फैसला जल्दी हो जायेगा ।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या माननीय मन्त्री कृपा कर के बताएंगे कि कम्पनी वाले क्या मांगते हैं और गवर्नमेंट क्या देने को तैयार है ?

मंत्री : वह 20 लाख रुपए मांगते हैं और गवर्नमेंट 8 लाख देना चाहती है । इस मामले पर विचार किया जा रहा है ।

श्री देव राज सेठी : इन की depreciated book value कितनी बनती है ?

मंत्री : इस के लिए नोटिस चाहिए ।

GANGUWAL POWER HOUSE

*4557. **Shri Teg Ram** : Will the Minister for Irrigation be pleased to state—

(a) the total electric energy generated at the Ganguwal Power House per day ;
(b) the names of the districts of the State to which this energy is being supplied at present and the total number of kilowatts in each case;
(c) the total number of villages in each district of the State where electricity is supplied from the said Power House ;
(d) the maximum electric energy per day which is expected to be supplied from the said Power House and also the date when its supply will reach the peak level ;
(e) the total electric power which will be supplied to each district of the State per day when the Power House will be working fully ?

Chaudhri Lahri Singh : (a) 1,70,000 KW per day with maximum demand of 12,000 kW.

(b) The above energy is being supplied to the following districts of Punjab as indicated against each :—

Name of District		*Extent of Load* KWs.
Hoshiarpur	..	3,050
Ambala	..	3,330
Karnal	..	3,000
Rohtak		500

(c) The following towns and villages are receiving the above energy :—

Name of District		*Names of Towns and Villages.*
Hoshiarpur	..	Anandpur Sahib.
Ambala	..	Rupar, Kharar, Kurali, Morinda, Chandigarh, Kalka , Ambala City, Ambala New Township, Jagadhri.

[Minister for Irrigation]

Karnal .. Karnal Proper, New Township Karnal, Garaunda, Travari, Nilokheri, Kurukshetra, Thanesar, Ladwa, Shahbad, Kutail Farm, Jundla, Nangal-Pura, Budha Khera, Kulveri, Nawal, Taprana, Kachwa, Zarifabad, Kurali, Sanjoha, Shamgarh, Ramba, Indri, Pipli, 164 Tube-wells in Jagadhri, Tube-well Project in Reach III, IV, V, VA and VB.

Rohtak .. Ganaur, Samalkha, Sonepat, Kharkhoda, Sampla, Rohtak Township and Bahadurgarh.

(d) Will be fully loaded to its peak capacity of 24,000 KWs. by June, 1955, keeping one unit as stand by at Ganguwal.

(e) On full working of the two Power Houses at Ganguwal and Kotla the various districts of Punjab are likely to receive supplies of power as indicated below—

Name of District	*Extent of load on the two Power Houses at Ganguwal and Kotla (peak) firm power 72,000 kWs*
Ferozepur	4,000 kWs.
Ludhiana	4,000 kWs.
Hoshiarpur	8,000 kWs.
Ambala	8,000 kWs.
Karnal	6,000 kWs.
Rohtak	2,000 kWs.
Hissar	4,000 kWs.
Gurgaon	2,000 kWs.
Delhi	20,000 kWs.
Pepsu	10,000 kWs.
Rajasthan	3,700 kWs.
Bilaspur	300 kWs.
Total	72,000 kWs.

श्री तेग राम : क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जिन चार जिलों को बिजली दी गई है किन बातों को मुख रख कर दी गई है ?

मंत्री : नंगल से चल कर बिजली सीधी होशियारपुर नहीं पहुंच सकती। जहां पहले towers लगते हैं वहां पहले जाती है। नंगल से चल कर पहिले जिला अम्बाला में ही जानी थी, उस के बाद करनाल और पानीपत को मिली है। इसके बाद Minister का जिला आता है, इस लिये फिर वहां जाएगी। होशियारपुर से निकलती है, ऐसा नहीं हो सकता कि बीच वाले जिलों को छोड़ कर पहले दूर के जिलों को दे दी जाए।

श्री तेग राम : ज़िला फीरोज़पुर में towers लगाने की क्यों कोशिश नहीं की गई ?

श्री धर्म वीर वासिष्ठ : क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि रोहतक और होशियारपुर के बीच २ और किस ज़िले को बिजली दी गई है ?

मंत्री : करनाल और अम्बाला को दी गई है ।

श्री तेग राम : ज़िला गुड़गांव को बिजली नहीं दी गई मगर क्या गनौर को इस लिये दी गई है कि वह मंत्री जी का अपना हलका है ?

मंत्री : मेंबर साहिब अब भी वही गलती कर रहे हैं जो उन्होंने शुरु में की थी। संभालका से चल कर बिजली को गनौर (Ganaur) ही आना था न कि झज्जर।

श्री तेग राम : क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि भिन्न २ ज़िलों को जितनी kilowatts बिजली दी गई है वह किस बिना पर दी गई है ?

मंत्री : जरूरत और demand को देख कर ।

श्री तेग राम : जवाब में बताया गया है कि 20,000 kilowatts बिजली देहली को दी जाएगी । क्या वहां इतनी बिजली की जरूरत थी, कोई मांग की गई थी या सरकार ने देने का वायदा किया हुआ था ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे डर है कि कहीं जवाब देते २ बिजली के वज़ीर साहिब का fuse न उड़ जाए । (हंसी) ।

(I am afraid lest the Minister for Electricity should get "fused" while replying to these questions.) (*Laughter*).

पंडित मोहन लाल दत्त : क्या उस इलाके के लोगों को बिजली concessional rates पर दी जायेगी जहां से यह निकाली गई है और जहां की ज़मीन ली गई है ?

Mr. Speaker : It is a suggestion.

मंत्री : Concessional rates पर तो देने का ख्याल नहीं है। देहात के अंदर वहां बिजली दी जायेगी, जहां ऐसा करना justified होगा । Central Government और दूसरी State Governments से मशवरा किया गया है कि rural electrification किन असूलों पर की जाए। हम grants भी देना चाहते हैं। होशियारपुर और ज़िला कांगड़ा के case को Government of India के साथ take up किया हुआ है ।

श्री सिरी चन्द : क्या उस ज़मीन के लिये जो कोठड़ियां बनाने के लिये शामिलात में से ली गई है, मुआवजा दिया जायेगा ?

मंत्री : मुआवजा ज़रूर दिया जायेगा। value के बारे में dispute चल रहा है । पहले Deputy Commissioner ने 3,CC0 का estimate बताया था, बाद में 70,000 का estimate दे दिया । Bhakra Control Board ने इतने ज्यादा फर्क की वजूहात पूछी हैं। गवर्नमैण्ट की तरफ से कोई delay नहीं हो रही, compensation assess किया जा रहा है ।

श्री धर्म वीर वासिष्ठ : जब बिजली की शक्ति पूरी मिकदार में पैदा होगी, तो किन २ ज़िलों में दी जाएगी ।

मंत्री : फिर पढ़ देता हूं—फिरोज़पुर, लुधियाना, अम्बाला, करनाल, रोहतक, हिसार, गुड़गांव और देहली यानी सारे अम्बाला Division को यह बिजली दी जायेगी। हरियाने के सब जिलों में जाएगी।

श्री नानहू राम : क्या गोहाना हरियाना में है या कहीं और ?

मंत्री : वहां का मेंबर कमज़ोर है। वह tour पर आते ही नहीं, अगर आते तो वहां बिजली जल्दी पहुंच जाती।

पंडित मोहन लाल दत्त : बिजली देने के लिये जो priority list बनाई गई है, क्या उस में वह इलाका सब से पहले नहीं आएगा जहां से यह निकाली गई है ?

मंत्री : पहली बात जो देखनी होती है वह है बिजली की, consumption लोगों के रहने सहने के तरीके और fashions को देखना होता है, लोगों को theatres, cinema का शौक है या नहीं। फिर industries का सवाल है।

पंडित मोहन लाल दत्त : क्या जिला होशियारपुर में tube-wells लगाने के लिये बिजली की जरूरत नहीं है ?

मंत्री : वहां बिजली जरूर दी जाएगी।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या ज़िला होशियारपुर का अंदाजा पंडित जी के हुलिये से लगाया जा रहा है ? (हंसी)।

श्रीमती सीता देवी : बिजली जरूरतों को देख कर दी जाती है या fashions को देख कर ?

Mr. Speaker: The Question Hour is over.

10-30 a.m.

PAPERS LAID ON THE TABLE

Minister for Finance (Sardar Ujjal Singh) : Sir, I beg to lay on the Table of the House the amendment made in the Punjab Requisitioning and Acquisition of Immovable Property Rules, 1954, as required by subsection (3) of section 22 of the Punjab Requisitioning and Acquisition of Immovable Property Act.

RECOMMITTAL OF THE PUNJAB DHARAM ASTHAN BILL, 1952, TO THE SAME JOINT SELECT COMMITTEE

Minister for Education (Shri Jagat Narain) : Sir, I beg to move—

That the motion—

"that in view of the fact that the Joint Select Committee on the Punjab Hindu Dharam Asthan Bill, 1952, has not been able to complete its final report by 1st October, 1954, this Bill be recommitted to the same Joint Select Committee with instructions to submit its report by April 2, 1955".

as passed by the Punjab Legislative Council on the 3rd March, 1955 be agreed to.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the motion—

"that in view of the fact that the Joint Select Committee on the Punjab Hindu Dharam Asthan Bill, 1952, has not been able to complete its final report by 1st October, 1954, this Bill be recommitted to the same Joint Select Committee with instructions to submit its final report by April 2, 1955".

as passed by the Punjab Legislative Council on the 3rd March, 1955 be agreed to.

श्री श्री चन्द (बहादुरगढ़): साहिबे सदर, यह बिल बड़ी मुद्दत से Select Committee के सुपुर्द रहा है। छोटा सा बिल है और कोई ऐसी वजूहात नज़र नहीं आती कि Select Com-

mittee इस अरसा में क्यों रिपोर्ट नहीं भेज सकी। मालूम तो ऐसा होता है कि गवर्नमैण्ट बड़े बड़े महन्तों से बात चीत कर रही है और उन का मनशा नहीं है कि यह बिल हाऊस के सामने आए और इस लिये delay करने की कोशिश की जा रही है। मैं दरखास्त करता हूं कि अगर यह फिर Select Committee के सुपुर्द किया जाए तो 20 मार्च तक जरूर इस की रिपोर्ट पेश की जाये ताकि इसी session में हाऊस में discussion के लिये आ जाए।

शिक्षा मंत्री (श्री जगत नारायण) : स्पीकर साहिब, मैं चौधरी साहिब को यकीन दिलाता हूं कि यह बिल सोच समझ कर उधर भेजा जा रहा है। और यह समय भी सोच विचार के बाद मांगा गया है ताकि meeting बुलाई जा सके। 2 अप्रैल 1955 तक कोई ज्यादा देर नहीं होगी इस लिये मैं उन से अर्ज करता हूं कि उन्हें मान लेना चाहिये।

श्री श्री चन्द : साहिबे सदर, अगर वज़ीर साहिब यकीन दिलाते हैं और इकरार करते हैं कि इस session में जरूर रिपोर्ट आ जायेगी तो वही तारीख रहने दी जाए।

Mr. Speaker : Question is—

That the motion—

"that in view of the fact that the Joint Select Committee on the Punjab Hindu Dharam Asthan Bill, 1952, has not been able to complete its final report by 1st October, 1954, this Bill be recommitted to the same Joint Select Committee with instructions to submit its final report by April 2, 1955" as passed by the Punjab Legislative Council on the 3rd March, 1955 be agreed to.

The motion was Carried

SUPPLEMENTARY ESTIMATES (SECOND INSTALMENT), 1954-55.

अध्यक्ष महोदय : अगर कोई साहिब charged expenditure के estimates पर बहस करना चाहें तो वह तकरीर कर सकते हैं।

(If any Member wishes to discuss the estimates of the expenditure charged on the consolidated fund of the State, he may do so.)

(*No Member rose to speak*).

Mr. Speaker : The House will now proceed with the next item on the Agenda, namely, voting of Demands for Supplementary Grants.

DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS.

Stamps

Minister for Irrigation (Chaudhri Lahri Singh) : Sir, I beg to move—

That a supplementary sum not exceeding Rs 11,840 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1955 in respect of 9- Stamps.

Mr. Speaker : Motion moved—

That a supplementary sum not exceeding Rs 11,840 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1955 in respect of 9-Stamps.

Mr. Speaker : Question is—

That a supplementary sum not exceeding Rs 11,840 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1955 in respect of 9-Stamps.

The motion was carried.

OTHER IRRIGATION EXPENDITURE FINANCED FROM ORDINARY REVENUES

Minister for Irrigation (Chaudhri Lahri Singh) : Sir, I beg to move—

That a supplementary sum not exceeding Rs 10 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1955, in respect of 18-Other Irrigation Expenditure financed from Ordinary Revenues—Excluding Establishment Charges.

Mr. Speaker : Motion moved—

That a supplementary sum not exceeding Rs 10 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1955, in respect of 18-Other Irrigation Expenditure financed from Ordinary Revenues—Excluding Establishment Charges.

The following cut motions given notice of by various hon. Members in respect of this Demand will be deemed to have been moved. The main motion can be discussed along with the cut motions.

1. **Sardar Achhar Singh :**
2. **Sardar Darshan Singh :**
3. **Sardar Bachan Singh :**
4. **Shri Wadhawa Ram :**

That the demand be reduced by Re 1.

5. **Shri Rala Ram :**

That the demand be reduced by Re 1.

6. **Shri Ram Kishan :**

That the demand be reduced by Re 1.

ਸਰਦਾਰ ਅਛੱਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ (ਅਜਨਾਲਾ) : ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ! ਜਿਹੜਾ Flood Protection Bund ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਉਪਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਕੁਛ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਕੁਝ ਹਫਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦ ਨੂੰ ਕੁਝ M.L.A.s, M.P.s ਅਤੇ Engineer ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਗਿਆ ਸਾਂ । ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦ ਨੇ ਕੁਝ ਬਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਅਛੱਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚੰਗਾ ਕਹਾਂਗੇ । ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਗਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਪਾਰ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਅਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਪਾਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ Development Minister ਅਤੇ Irrigation Minister ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ । 10, 12 M.L.A.s ਅਤੇ M.P.s ਨਾਲ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, Engineer ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਪਿੰਡ ਪਾਰ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ । Dera Baba Nanak ਅਤੇ Bhallarwal ਤਕ 3 constituencies ਹਨ । ਤਿਨਾਂ ਦੇ M.L.A.s ਨਾਲ ਸਨ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦ ਬਨਾਉਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਗਏ ਹਾਂ । ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੋ । ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਕਿਉਂ ਐਨੀ ਅਨਗਹਿਲੀ ਕਰ ਛਡਦੇ ਹਨ । ਘਟ ਤੋਂ ਘਟ 60 ਪਿੰਡ ਪਾਰ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਵੇਲਾ ਪਏ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ demonstration ਕਰਾਂਗੇ । ਲੇਕਿਨ ਇਥੇ ਵੀ ਦਫਾ 144 ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਸਾਂ law and order infact ਰਖਣਾ ਹੈ । ਕਲ Chief Minister ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ demonstrations ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਕੁਚਲ ਕੇ ਰਖ ਦਿਆਂਗੇ । ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਹਿਸ਼ਤ ਵਿਚ ਵੜੇ ਹੋਇ ਹਨ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੀਖ ਪੁਕਾਰ ਤਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਦੀ । ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ । ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ । ਲੋਕ ਵਾਵੇਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੋ ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ! ਸਾਡੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਦਸਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਗਏ। ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਪਾਰ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ: ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ! ਇਹ ਥੋੜੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਧੁਸੀ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਧੁੱਸੀ ਲਗਾਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਬਚਾਂਦੇ ਫਿਰੀਏ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਗਏ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਧੁੱਸੀ ਵਿਚ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਦੂਜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਕਾਨ ਡਿਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਛ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਮਕਾਨ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਗਲੇ ਪਿੰਡ ਬਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਧੁੱਸੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਪਰੇ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਵਾਬ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਧੁੱਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਧੁਸੀ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਧੁੱਸੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ਕ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਧੁੱਸੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨ ਹੋਵੇ। ਕਿਹਾ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ! ਸਪੀਕਰ ਸ਼ਾਹਿਬ ! ਜੇ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਦਵਾਰਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 60 ਪਿੰਡ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਗੌਰਨਮੈਂਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾ ਦਿਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਸਣ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਥੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਪਖ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਭੈੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪ ਦੇ ਸਾਮਣੇ ਰਖ ਕੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਇਸ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਵਾਂ।

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ (ਰਮਦਾਸ) : ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ! ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡੀਮਾਂਡ ਰਾਵੀ ਪੁਰ ਬੰਧ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਚੀਫ਼ ਮਨਿਸਟਰ, ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਨਿਸਟਰ ਅਤੇ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਮਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਥੇ ਬੰਧ ਬਨਾਉਣ ਲਈ 22 ਲਖ ਰੁਪਏ ਦਾ provision ਕੀਤਾ। ਜਿਥੇ ਮੈਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਗਲ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਉਥੇ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ late ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤਕ—ਇਸ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ। ਅਫ਼ਸਰ ਤਾਂ ਹਨ ਹੀ ਪਰ ਉਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ labour ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਹੈ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬੰਧ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਣ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਅਤੇ ਬੜੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਇਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ

[ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ]

ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਕਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਧ ਜਿਥੇ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕਾਫ਼ੀ ਬਚਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਬਚ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਲੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਣ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਮਨੇ ਰਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23 ਮੀਲਾਂ ਉਪਰ ਬੰਧ ਬਨਾਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੜੀ ਧਨਵਾਦੀ ਹਾਂ।

ਪਰ ਜਿਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਲਈ ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਥੇ ਕੁਝ ਇਕ ਕਮੀਆਂ ਵੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ।

ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਰਕੇ refugees ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਨ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰੋਟੀ ਦਾ ਇਕ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ unallotted ਜ਼ਮੀਨ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਨ੍ਹਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਕੇ ਕਿਧਰੇ ਉਥੋਂ ਉਠ ਨਾ ਜਾਨ ਤਾਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਇਕ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਿਆ ਰਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਨਾਂ ਉਜੜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਣ।

सिंचाई मंत्री : ज़मीन जो दरिया ने काट दी उस के बारे में आप कह रही हैं ?

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ : ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬੰਧ ਥਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ।

सिंचाई मंत्री : आप का मतलब यह है कि उन को compensation दिया जाए ?

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ compensation ਦਿਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੈ।

सिंचाई मंत्री : Compensation in the form of land ?

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ : ਜੀ ! ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨਾ ਹੀ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ unallotted ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੂੰਕਿ refugees ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਮਿਲੇ ਬਨਿਸਬਤ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਦਵੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਦੂਜੀ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਪਿੰਡ ਬੰਧ ਦੇ ਪਰਲੀ ਤਰਫ਼ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਛੀਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਸੜਕ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਹੜੀ main road ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ਼ ਨ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦੋਰਫ਼ਤ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੀ ਸੜਕ ਦਰਿਆ ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਣ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁਸਤਕਿਲ ਤੋਰ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪਾਸ ਤਾਂ ਇਤਨਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਤੀਜੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਜਿਸਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਧ ਬਣਨ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੂਹ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਖੂਹ ਦੋਵੇਂ ਨਾਕਾਰਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਗਾਣ ਤੋਂ ਵਰਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਧ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਮੋਰੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾ ਸਕਣ।

ਇਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਚੌਥੀ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਧ ਲਗ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਈ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਬੰਧ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਹਲ, ਗਡੇ ਅਤੇ ਡੰਗਰ ਦਿਨੇ ਬਾਹਰ ਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਗੱਲਾ ਅਤੇ ਚਾਰਾ ਇਧਰ ਦਾ ਉਧਰ ਤੇ ਉਧਰ ਦਾ ਇਧਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਲੈ ਆਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲਈ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਨਾ ਬਣਦੀ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਛੀਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ D.C. ਅਤੇ ਮਹਿਕਮਾ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਰਥਾਤ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਦਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਾ ਹੈ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਕਮਾ ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਰਿਆ ਬੁਰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਫਿਰ ਬੰਧ ਹੇਠ ਆ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਖੂੰਹਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮਹਿਕਮਾ ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ

[ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ]
ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਛਡਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰੇ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਭੈੜੀ ਗਲ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ refugees ਹਨ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੰਜ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ; ਮੁਨਾਸਬ ਤੋਰ ਤੇ compensate ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਦਲੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿਤੀਆ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਨਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਦੇ ਇਸ ਕੰਡੇ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੀ attraction ਹੋਵੇਗੀ ?

ਵਿਕਾਸ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਤੁਸੀ ਕੀ suggest ਕਰਦੇ ਹੋ ?

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ : ਇਹੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।

ਵਿਕਾਸ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਕੀ ਜੰਗਲਾਤ ਵਾਲੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ : ਇਹੋ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਮਿਟੀ ਪਾਵੇ, ਜੰਗਲਾਤ ਉਗਾਏ ਅਤੇ ਹੋਰ erosion ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤ੍ਰੀ ਅਗੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗਲ ਲਈ ਆਪ ਛਾਨ ਬੀਨ ਕਰਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਲ ਸਾਨੂੰ ਕਢਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਅਸਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਦੂਜੀ ਅਰਜ਼ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਅਗੇ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਥੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ telephone connections ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਥੇ telephone ਦਾ ਕੋਈ connection ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਈ ਲੋਕੀ ਹਮਲਾ ਹੀ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਖਬਰ ਕਿਵੇਂ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ telephone ਦਾ arrangement ਸਾਡੀ Provincial Armed Police ਜਾਂ Border ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪਾਸ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਕਤ ਤਾਂ ਉਥੇ ਦੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਰਥ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਕੀ ਅਜਨਾਲੇ ਵਿਚ ਵੀ telephone ਨਹੀਂ ਹੈ ?

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ : ਨਹੀਂ, ਅਜਨਾਲੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਮਦਾਸ ਅਰ ਘੋਣੇਵਾਲ, ਚੋਕੀ ਕਮਾਲਪੁਰਾ, ਬਲੜਵਾਲ, ਕਕੜ, ਮੰਝ, ਤਕ ਕੋਈ telephone ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਰਥ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਖਿਆਲ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਥੇ ਤਕ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?

ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ : ਇਹ ਘਟੋ ਘਟ ਰਮਦਾਸ ਤਕ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਇਸ ਦੇ ਬਗੈਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਬੜੀ ਦੇਰ ਮਗਰੋਂ ਜਾ ਕਿ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ।

अध्यक्ष महोदय : आप को पता है कि पहले guillotine के लिये $1\frac{1}{2}$ घंटा होता है पर अब में propose करता हूं कि $1\frac{1}{2}$ घंटे की बजाये $\frac{1}{2}$ घंटा पहले guillotine के लिये रखा जाए क्योंकि बहुत से मेंबर साहिबान बोलना चाहते हैं। (As you are aware guillotine is to be applied $1\frac{1}{2}$ hours before the normal hour of interruption. I propose that this period of $1\frac{1}{2}$ hours be reduced to half an hour because I find that many hon. Members wish to take part in the discussion)

श्री राम किशन (जालन्धर शहर, उत्तर पश्चिम) : स्पीकर साहिब, जिन ख्यालात का इज़हार श्रीमती प्रकाश कौर ने अब हाऊस के सामने किया है मैं उन की ताईद करता हूं। मैं सरकार की तवज्जुह दो तीन चीजों की तरफ दिलाना चाहता हूं। स्पीकर साहिब, जब यही demands पिछले साल इस हाउस के सामने आई थीं तब भी मैं ने सरकार का ध्यान इस बात की तरफ दिलाया था कि जब उस इलाके में बारिशें हुई थीं तो वह 30 या 35 गांव जिन की आबादी सत्तर अस्सी हजार के लगभग है पानी की ज़द में आ गए थे। उन की अब अजीब हालत हो गई हुई है। एक तरफ तो हमारी सरकार रावी के पानी को रोकने के लिये बंध बांध रही है और दूसरी तरफ पाकिस्तान की सरकार ने बंध बनाए हैं। इस लिये जब दर्याए रावी में तुग़ियानी आती है तो वह सारे के सारे पानी में डूब जाते हैं। उस रोज़ जब के जालन्धर Division के Commissioner श्री नुकल सैन वहां दौरे पर गये तो सैकड़ों की तादाद में देहातियों ने अपनी शिकायतें उन के सामने पेश कीं। उन के मकान हर साल उन के रहने के काबल नहीं रहते हैं। इस तरह उन के रहने सहने का गुज़ारा नहीं होता है। मैं अपनी सरकार से यह गुज़ारिश करना चाहता हूं कि वह इस मसले को हल करने के लिए top priority दें वरना वह 30 या 35 गांव का इलाका पाकिस्तान ने जो बांध बनाया है उस की वजह से वह कंधी के उस पार चले जायेगा और वह सदा के लिये पाकिस्तान का इलाका बन जायेंगे।

अध्यक्ष महोदय : नहीं वे तो पहले ही उधर ही थे।

(No, these villages already form part of the territory of Pakistan.)

श्री राम किशन : स्पीकर साहिब, मैं इस सिलसिले में अपनी सरकार की तवज्जुह दिलाना चाहता हूं कि उसे चाहिए कि इस मसले को top priority दे कर जल्दी से इस को हल करे।

श्री रला राम (मुकेरियां) : अध्यक्ष महोदय ! मैं आप के द्वारा अपने सिचाई तथा शक्ति मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि हुश्यारपुर का जिला तकरीबन सब का सब Chos की वजह से उजड़ा हुआ पड़ा है और वैरान हो चुका है और उस में रोज़गार

[श्री रला राम]

का वसीला नहीं रहा है। आप भी, अध्यक्ष महोदय सुनते रहे हैं कि वहां के अकसर लोगों को बाहर जाकर बर्तन साफ करने के सिवा और कोई रोज़गार नहीं मिलता है। हमारी सरकार ने इन chos की survey करने के लिये जो एक Division बनाया था। पता चला है कि उस Division के अफसर मुतअल्लिका ने अपनी report पेश कर दी है। मैं विश्वास से नहीं कह सकता कि यह खबर ठीक है कि नहीं। स्पीकर साहिब मैं आप के द्वारा मंत्री जी का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि यह मसला जब तक हुश्यारपुर के लिये हल नहीं होगा उस वक्त तक इस ज़िले के develop होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मुकेरियां के इलाके में जो आदमी वहां रहते हैं उन के लिये रोज़गार का कोई ज़रिया ही नहीं है। अध्यक्ष महोदय! जो भाई पाकिस्तान से आए हैं और उन को कंडी के इलाके में ज़मीनें allot की गई हैं उन्होंने वहां जाकर अपनी ज़मीनों को देखने का कष्ट भी नहीं किया और इस का नतीजा यह हुआ है कि वहां पर जंगल बढ़ते जा रहे हैं और जो लोग वहां पर बस्ते हैं उन की खेती भी सुरक्षित नहीं है। वह विचारे जो खेती बोते हैं कई बार उसे काट भी नहीं सकते कि वह चोओं के पानी से बह जाती हैं। अगर इन chos को train कर दिया जाये तो उन की ज़मीन बचाई जा सकती है। प्रति वर्ष यह चो उन लोगों की ज़मीनों को बहा ले जाते हैं। यह आम देखा जाता है कि जो ज़मीन उन के पास एक साल है वह अगले साल नहीं होती।

अध्यक्ष महोदय! मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इन को ठीक करने के लिये survey के बाद जो भी स्कीम बनाई जाये उस को leaflet की शक्ल में या booklet के रूप में छाप कर वे कंडी के इलाके में बांटी जाए ताकि उन को पता लग जाए कि महकमा किस तरह से उस स्कीम को चलाना चाहता है। इस के दो फायदे होंगे। एक तो यह कि उन्हें सारे development के काम का पता लग जायेगा और इस से उन का उत्साह बढ़ेगा और वह गवर्नमैण्ट को इस काम में सहयोग देंगे। दूसरा जो इस के साथ खतरा है वह दूर हो जाएगा। अब खतरा यह है यदि महकमे वाले एक स्थान पर बांध बांधते हैं तो लोग समझने लग जाते हैं कि इस बांध से पानी रुक कर उन के खेतों में आ जायेगा तो वे बांध को तोड़ देते हैं। यदि यह सारी स्कीम booklets की form में उन लोगों में बांटी जाए तो उन को ज्ञान हो जायेगा कि उन के इलाके में पानी नहीं चढ़ने का और वह उस से खाह मुखाह घबरायेंगे नहीं। यह booklets M.L.A.s के द्वारा या सरकारी अफसरान के द्वारा बांटी जा सकती हैं। पिछले दिनों डुगानां गांव के पास जब एक चो पर बांध बांधा गया था और जब बारिश का पानी वहां इकट्ठा हुआ था तो उस गांव के लोगों ने खुद इस डर से कि वह पानी उन के गांव में न चला जाए उस बांध को काट दिया था। इस लिये इस स्कीम के बारे में उन लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है और यह काम ऐसी booklets के द्वारा बड़ी अच्छी तरह से किया जा सकता है।

फिर अध्यक्ष महोदय, planning as a whole होनी चाहिये। अगर आप एक सिरे पर काम करें दूसरे सिरे पर कुछ न हो तो इस का प्रभाव क्या होगा? इस तरह तो आप की सारी survey और planning fail होगी। इस लिये मैं मंत्री महोदय को यह सुझाव देना चाहता हूं कि चो training के काम को पूरी तरह और शीघ्र हाथ में लिया जाए। survey हो चुकी है, plans बन चुकी हैं, अब अगर आप ने दो,

तीन साल में इन योजनाओं पर अमल न किया तो यहा की कराई survey निकम्मी हो जायेगी क्योंकि चो हर वर्ष रास्ता बदलते हैं। इस लिये जो schemes आप ने बनाई हैं उन पर जल्दी से जल्दी अमल करने का प्रयत्न करना चाहिये वरना survey व्यर्थ जाएगी और उस का कोई लाभ न होगा। चो training का काम कंडी के इलाके के लिये बहुत जरूरी है और यह इस प्रकार होना चाहिये कि जो perennial चो हैं, सारा साल जिन में पानी रहता है, उन पर बांध बांध कर irrigation का काम लिया जाये। यदि इस प्रकार चोओं को trained किया गया तो कंडी के सारे इलाके, रामपुर, हलेड इत्यादि और शायद माहिलपुर, बालाचौर के इलाके की भी सिचाई की जा सकेगी। इस लिये अध्यक्ष महोदय में मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि जो भी आप की योजनाएं बनें आप उन्हें लोगों तक पहुंचाने का प्रयत्न करें। (सिंचाई मंत्री : आप repetition न करें) जिन चोओं पर dams बनाए जा सकें बनाएं और इस काम में विलम्ब नहीं होनी चाहिये वरना खतरा है कि आप की, की कराई survey व्यर्थ जाए। अतः मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय हमारी आवाज़ पर पूरा २ ध्यान देंगे क्योंकि चोओं का मसला हुश्यारपुर के लिए जिंदगी और मौत का मसला है।

श्री मूल चन्द जैन (संभालका) : स्पीकर साहिब, इस ग्रांट के ज़रिये जमुना पर flood control के लिये बांध बांधने के लिये रुपया मांगा गया है। अब तक सरकार ने करनाल को जमुना के floods की तबाही से बचाने के लिये जो कुछ कोशिशें की हैं वे काबिले तारीफ हैं। सिंचाई मंत्री जी ने जो इस मामले में दिलचस्पी ली है उस के लिये हम उन का शुक्रिया अदा करते हैं। बाबैल का बांध पश्चिमी पाकिस्तान के नरोट जैमल सिंह वाले बांध की तरह ही बड़ा अच्छा और मशहूर बांध है। Late सरदार गन्धर्व सिंह जी ने जो दिलचस्पी ली और जितना काम किया उस के लिये वे तारीफ के मुस्तहिक हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि बांध का काम अभी मुकम्मल नहीं है। अभी जितने spurs लगाए गए हैं वे नाकाफी हैं। पानीपत में बन्ध लग गया है मगर करनाल तहसील में बंध लगना अभी बाकी है। चूंकि उस से फायदा पानीपत को पहुंचना है और करनाल तहसील को नहीं पहुंचता इस लिये वहां के लोग voluntary labour करने से गुरेज़ करते हैं। इस लिये सरकार को मदद देनी चाहिये। अब जब कि Central Flood Control Board और Central Government फ़राखदिली से मदद देना चाहती है तो हमें भी schemes खुले दिल से बनानी चाहिएं।

एक और बात मैं आप के सामने अर्ज़ करना चाहता हूं जिस में जमुना दरिया का असर करनाल ज़िला पर पड़ता है। करनाल से 4,5 मील दूर कुंजपुरा के पास झील प्राण है। जमुना का पानी उस में जा मिलने की वजह से लोगों को बहुत तकलीफ है। रास्ते बन्द हो जाते हैं। 20,25 गांव साल में 8,10 महीने दूसरे इलाकों से कट जाते हैं। यह बात कई बार अखबारों में निकल चुकी है, representations भी हो चुके हैं कि झील प्राण पर एक पुल बनाया जाए। पहले लोगों को तकलीफ सिर्फ 6 महीने होती थी मगर जब से महकमा नहर ने इसे बतौर escape के इस्तेमाल करना शुरु कर दिया है और इस में फालतू पानी छोड़ देते हैं तब से तकलीफ और बढ़ गई है और अब साल में 7,8 महीने रास्ते बन्द रहते हैं। इस लिये सरकार से दरखास्त है कि इस तरफ तवज्जुह दे कर नाले पर पुल बनाएं।

[श्री मूल चन्द जैन]

तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि जमुना के इलावा ज़िला करनाल में सरस्वती, राक्षी इत्यादि छोटी २ नदियां हैं जिन की वजह से थानेसर, इन्दरी वगैरा के इलाके को तकलीफ होती है, सैलाब आते हैं। इस लिये इन नदी नालों को control किया जाए। हमें मालूम हुआ है कि Executive Engineer ने एक स्कीम बनाई थी मगर उस पर अमल नहीं हुआ। पता नहीं स्कीम किस स्टेज पर है। अगर उस पर action लिया जा सकता हो तो जल्दी लिया जाये। करनाल ज़िले की कटोरे जैसी शक्ल है और अम्बाला ज़िले के जितने बरसाती नाले हैं वे सब यहां से निकलते हैं और पानी वहां पर रह जाता है और लोगों को परेशान करता है। फिर कुछेक और स्कीमज़ हैं जिन पर अमल करने की बड़ी ज़रूरत है। झाझपुर के आगे पुल बांधने की स्कीम है मगर अमल नहीं हुआ है। लोगों की बहबूदी के लिये स्कीम पर पूरे तरीके से अमल होना ज़रूरी है और इस में देर न की जाये। काम शुरु हुआ, हम गवर्नमैण्ट के शुक्रगुज़ार हैं, मगर इस काम को अधूरा क्यों छोड़ा जाये, इसे मुकम्मल किया जाए। इन कामों के लिये जो मांग की गई है मैं उस की ताईद करता हूं।

पंडित मोहनलाल दत्त (आनन्दपुर) : अध्यक्ष महोदय ! मैं मंत्री जी की तवज्जुह चन्द बातों की तरफ दिलाना चाहता हूं। जैसा कि चोओं का ज़िक्र आया मगर ऊना तहसील में एक चोए आज़म सवां नदी है जिस में सारे छोटे मोटे चो आकर गिरते हैं। इस नदी का ध्यान रखना सब से ज़रूरी है क्योंकि यह सब से ज़्यादा तबाही का बायस है। इस की वजह से तमाम means of communication मुनकतह हो जाते हैं........

सिंचाई मंत्री : यह मैं आप की बात मानता हूं। अब दूसरी बात कहें।

पंडित मोहन लाल दत्त : दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हुश्यारपुर में हज़ारहा चो हैं मगर पहले उन चोओं को tackle किया जाये जिन को ऐसा करना ज़रूरी है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि जिन चोओं से देहातों को खतरा है उन के लिये जल्दी ही कार्रवाई की जाय। अगर बरसात से पहले पहले प्रबन्ध न किया गया तो वह देहात उजड़ जायेंगे। मेरी तहसील ऊना में भी 2-3 देहात हैं जहां कि इस काम को जल्दी पूरा किया जाना चाहिये। नूरपुर, राएपुर, जहानियां आदि। इन को खास तौर पर मद्देनज़र रखा जाये। चोओं के मामले को tackle करते समय इन आबादियों को जो खतरा है उस को ध्यान में रखा जाय।

दूसरे मैं यकीन दिलाता हूं कि जहां तक इन चोओं पर पुल बनाने का या और कामों का सम्बन्ध है लोग voluntary labour देने के लिय तैयार हैं। मैं फिर यही निवेदन करता हूं कि अब इस आने वाली बरसात से पहले पहले यह काम वहां पर हो जाना चाहिये और जो काम शुरु किये गये थे पर किसी कारण पूरे नहीं किये जा सके उन्हें पूरा करने में विलम्ब नहीं होना चाहिये।

दूसरी अर्ज़ यह करना चाहता हूं कि सरकार ने गैडन चौ का काम हाथ में लेने की जो कृपा की है उस को पूरा किया जाये। Voluntary labour तो है परन्तु गवर्नमैण्ट की तरफ से माली इमदाद नहीं मिल रही है। मैं निवेदन करूंगा कि इस को भी बरसात शुरु होने से पहले tackle किया जाये।

श्री केशो दास (पठानकोट) : स्पीकर साहिब ! रावी नदी के किनारे जो बन्ध बनाया जा रहा है उस के लिये मैं सरकार को मुबारिकबाद पेश करता हूं । लेकिन जिन किसानों के घर इस इलाके में आ गये हैं उन के पास खाने को रोटी नहीं । चारा नहीं रहा । इस तरह वह कब तक बचे रह सकते हैं । 20-22 गांव ऐसे हैं जो बिल्कुल कट गये हैं । अगर गवर्नमेंट इन गांवों को ज़्यादा से ज़्याद बचाने की कोशिश करती है तो उस का कहना है कि सरकार को नुकसान होता है । पर गांव वाले चाहते हैं कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा बचाव किया जाये ।

दूसरे अब गरमियों का मौसम है । इन 20-22 गांव को पानी के रहम पर छोड़ना ठीक नहीं । वह अब सरकार के रहम पर हैं । पहले जब पानी आ जाता था तो पानी दूर दूर तक फैल जाता था और इन गांव के लोग तैर कर बच जाते थे पर अब दोनों तरफ से घिर गये हैं एक तरफ बन्ध है दूसरी तरफ नदी । अब यह तैर कर भी नहीं जा सकते और इस से पानी आ जाने की सूरत में नहीं निकल सकते । सरकार को चाहिये के कोई तरीका निकाले ताकि इन को बचाया जाए ।

इस के इलावा सरकार का फर्ज़ है कि जिस तरह रावी में drainage बनाई गई हैं इस तरह ब्यास में भी बनाई जाएं ताकि झजेली और दूसरे गांव में आमदोरफ्त की तकलीफें दूर हो जाएं । दरिया की रेत निकालने में भी तकलीफ हो रही है और नुकसान हो रहा है अब rains आ रही हैं, इन के लिये इन्तजाम करना चाहिये ।

सिंचाई मंत्री : इस के लिये approval दे देंगें ।

श्री केशो दास : वज़ीर साहिब को उस इलाके में खुद जा कर देखना चाहिये कि सही हालात क्या हैं और लोगों को क्या २ तकलीफें हैं ।

श्री राम सरूप (बुटाना) : स्पीकर साहिब ! आप के ज़रिये मैं अपने Irrigation Minister साहिब को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस demand के ज़रिये बन्द बनाने और चोओं पर काबू पाने के लिये कुछ रुपया तलब किया है । मुझे इस बात की खुशी है कि जमुना के floods को रोकने के लिये रुपया मांगा गया है । इस के बारे में मैं गवर्नमैण्ट को बताना चाहता हूं कि गांव चौगामा में जमना के floods से बहुत तबाही हुई है । वहां पर कई buildings थीं । लड़कों और लड़कियों के स्कूल थे सब तबाह हो गये हैं । खेड़ा छप्पड़ा के गांव भी तबाह हो गये हैं । वहां के लोग अब तक परेशान हैं उन के मवेशी भी तबाह हो गये हैं । इन बेखानमा लोगों के बचाव के लिये इन्तजाम करना चाहिए । मेरी तजवीज़ यह है कि जैसे बाबेल के पास बांध है इसी तरह झुटलाने के पास बांध बना देना चाहिये ताकि लोगों को सहूलत हो सके ।

फिर रादेर, अन्दरी और ठाकुर के इलाके ऐसी जगहों पर हैं जहां एक तरफ जमुना नदी है और दूसरी तरफ नहर जमन गरबी है । फिर इस नहर जमनगरबी का पानी भी बढ़ा दिया गया है । इस से इस इलाके में भी पानी आ जाता है । नहर की पटड़ी और टयूब वैल की पटडी के बीच में होने के कारण इस इलाके में पानी की झील सी बन गई है । श्री मूल चन्द जैन ने भी इस के बारे में कहा है । इस इलाके में जब बरसात होती है तो दरिया का पानी वहां से झील पराना में इकट्ठा हो जाता है । इस पानी के लिये धमारे से drain निकलती है । उस drain पर पुल की ज़रूरत है । यहां मैं यह भी अर्ज़ कर देना चाहता हूं कि सरस्वती और चौतल के लिये भी बरसाती नाले बनाए जाएं ताकि बरसात में इन गांवों को तबाही से बचाया जा सके ।

श्री फग्गू राम (बुटाना) : स्पीकर साहिब ! मैं अपने हलके की तकलीफें बताना चाहता हूं स्पीकर साहिब, जिस बात को मेरे भाई यहां पर लाए हैं मैं ने अपनी constituency में पैदल चल कर देखा है। राए खूथड़ा से 35 मील के इलाके में बारिश की वजह से और दरिया यमुना की वजह से बहुत तबाही हुई है। वहां पर न आदमी आ जा सकते हैं और न खाने पीने की चीज़ें। बारिशों से हर साल चौगामा उजड़ जाता है। नहोरी डूब जाती है। राए खूशड़े तक कोई इन्तज़ाम नहीं हैं। वहां पर कोई सहूलतें नहीं हैं। इस इलाके को बारिश की वजह से जो नुकसान होता है उस से बचाना चाहिये। मैं यह यकीन दिलाना हूं कि पब्लिक इस इलाके को बचाने के काम में मदद करेगी।

दूसरे टचूब वैल की पटड़ी है इस में और यमुना नदी की पटड़ी में जो गांव रह जाते हैं उन्हें बचाने के लिये कुंजपुरे को बचाने के लिये कार्रवाई करनी चाहिये। दरिया पुराना जमना का जब रौ चढ़ता है तो कुंजपुरा गांव भी डूब जाता है। अगर दरिया जमुना पुराना पर पुल बना देने का सरकार इन्तजाम कर दे तो सारा इलाका तबाही से बच जायेगा और इस इलाके के सब लोग सरकार को बधाई देंगे।

श्री बालू राम (बलाचौर) : स्पीकर साहिब ! बहुत से माननीय मैम्बरों ने होशियारपुर ज़िले में चोओं की तकलीफ का ज़िक्र किया है। बलाचौर का इलाका जो रोपड़ के साथ बिल्कुल लगा हुआ है उस की तरफ सरकार की तवज्जुह का न दिया जाना ऐसा मालूम होता है जैसे चिराग तले अंधेरा। माननीय मंत्री को याद होगा कि जब वह पिछले साल हमारे इलाके में गये इस से पहले और बाद में भी जाते रहे हैं तो उन्होंने लोगों की तकलीफों को अपनी आंखों से देखा था और लोगों ने भी अपनी शिकायात उनके सामने रखीं। उस वक्त उन्होंने महसूस किया कि वाकई अगर गवर्नमैण्ट इस इलाके की तरफ ध्यान दे तो काफी सुधार हो सकता है। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि उस के बाद उन्होंने इस इलाके की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। यहां तक हुआ कि जो बिस्तदोआब नहर निकाली गई है उस पर जितने syphons और super passages बनाए गए थे उनके protection कै सब नदियों के बांध 11-6-54 की पहिली ही बारिश से टूट गए। सारे का सारा बांध बारिश से इस दफा टूट गया। रोपड़ और बलाचौर के दरमियान 15 मील के फासले में 18 breaches हुईं। इस बारे में यही नहीं कि गवर्नमैण्ट को पहले से खबरदार किया गया हो। लोगों ने तारों और चिट्ठियों द्वारा गवर्नमेंट को इतलाह दी कि नदियों के बांध ठीक तरह नहीं बनाये गये लेकिन गवर्नमैण्ट ने इस पर कोई ध्यान न दिया। नहर के अफसर तो लोगों की बात सुनते ही नहीं। नहर और नदियों के बन्ध टूट जाने की वजह से एक गांव बिल्कुल बह गया है और पांच को काफी नुकसान हुआ है। माननीय मंत्री के नोटिस में यह बात लाई गई कि नहर का बांध टूट जाने की वजह से जिन लोगों को नुकसान पहुंचा है उन्हें सरकार की तरफ से मुनासिब मुआवज़ा मिलना चाहिये और मंत्री महोदय ने यह बात मान भी ली लेकिन गवर्नमैण्ट ने इस तजवीज़ की तरफ अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया, और उन लोगों को जिन के घर बह गये कुछ नहीं दिया। जब कभी मनिस्टर साहिब को लोगों को मिलने का मौका मिलता है और वह अपनी तकलीफें उन के गोश गुज़ार करते हैं तो उस के जवाब में

माननीय मंत्री यह कह देते हैं कि आप के ज़िले के मैम्बर ज़ोर नहीं डालते इस लिये आप के सब काम मारिज़े इलतवा में पड़ जाते है । मैं चौधरी साहिब से अर्ज़ करूंगा कि जो वायदे वह लोगों से करते हैं उन्हें पूरा करने की कोशिश ज़रूर किया करें । महिज़ झूटे वायदों से जनता संतुष्ट नहीं होती । जिन लोगों ने नहर बनाने के लिये अपनी ज़मीनें दी थीं उन्हें अभी तक उन की ज़मीनों का मुआवज़ा नहीं मिला । चोओं की menace दूर करने के लिये कोई concrete steps नहीं लिये जा रहे । मैं चौधरी साहिब से डरता भी हूं कि मेरे ऐसे कहने पर वह ज़िद में न आ जायें क्योंकि कल उन्होंने ज़िक्र किया था कि वह बहुत ज़िद्दी हैं और इस तरह से मेरे इलाके को नुकसान पहुंचे । मैं उन से दरखास्त करूंगा कि वह ज़िद न करें और होश्यारपुर ज़िला में चोओं के मसले की तरफ अपनी खास तवज्जुह कार्य रूप में दें क्योंकि इन की वजह से लोगों को बेहद नुकसान पहुंच रहा है । होश्यारपुर के चोओं को जो सुधारने का गवर्नमैण्ट का प्रोग्राम है वह बलाचौर constituency की रोपड़ साईड से शुरु करना चाहिये इस से चोओं से नहर को बचाने का मसला भी हल होगा । इस प्रोग्राम से दो मसले हल होंगे ।

सिंचाई मंत्री (चौधरी लहरी सिंह): साहिबे सदर ! मैं हाऊस का ज़्यादा वक्त नहीं लूंगा और माननीय मैम्बरों को बताना चाहता हूं कि रावी के बांध को बाढ़ आ जाने की वजह से खतरा पैदा हो गया था तो हम ने उस के बचाव के लिये जल्दी से जल्दी steps लिये । बरसात का मौसम नज़दीक आ जाने की वजह से हम मुकम्मल तौर पर काम न कर सके मगर फिर भी जो construction का काम हो सकता था हम ने किया । मेरे मोहतरम दोस्त श्री राम किशन ने फरमाया है कि रावी के दरिया से हमारी territory में पानी आ रहा है । डेरा बाबा नानक में बांध पर छ: लाख रुपये खर्च किये जा रहे हैं, बांध मुकम्मल हो गया है और अब वहां spurs बनाये जायेंगे । हमारे इंजीनियर बहुत competent हैं और वह सारी बातें मद्दे नज़र रख कर सारा प्रोग्राम बना रहे हैं । उन्हें बांध बनाने के लिये पहले survey करनी पड़ती है कि आया वहां बान्ध permanent nature का बन सकता है या नहीं क्योंकि अगर बाढ़ आ जाने से वह बांध बह जाये तो ऐसे बान्ध बनाये जाने का कोई फायदा नहीं । main बन्ध बना हुआ है ताकि हम अच्छी तरह से अमृतसर और गुरदासपुर के इलाके को बचा सकें । क्योंकि इस अलाके में नाले बहुत हैं इस लिये अगर इस को अच्छी तरह से protect न किया गया तो अंदेशा है कि हमारे 100 या 150 गांव पाकिस्तान की हद में न चले जायें । हमारी territory में बहुत नाले हैं इस लिये अगर दरिया में बाढ़ आ जाये तो खतरा पैदा हो जाने का इमकान हो सकता है । इंजीनियरों ने जो मौजूदा बांध बनाया है वह बाढ़ का मुकाबला अच्छी तरह से कर सकेगा । डेरा बाबा नानक में बांध के साथ spurs बनाये है क्योंकि सिर्फ बांध से कोई protection नहीं हो सकती जब तक उस के साथ साथ strategic points पर spurs न बनाये जायें । मैं उन माननीय मैम्बरों से जो अमृतसर और गुरदासपुर के ज़िलों से ताल्लुक रखते हैं कहूंगा कि हम न केवल spurs बना रहे हैं बल्कि बांध भी बना रहे हैं । डेरा बाबा नानक में जो breaches हुई थी उन की मुरम्मत करवाने के लिये हम पत्थर वग़ैरा का

[सिंचाई मंत्री]

इन्तज़ाम कर रहे हैं और उन की मुरम्मत का काम जल्दी शुरु कर दिया जायेगा ताकि किसी को आयंदा शिकायत का मौका न मिले। पिछले साल कुछ ज़मीन दरिया बुर्द हो गई थी। इस लिये ऐसी ज़मीनें किसी को allot नहीं की गई। इस चीज़ को रोकने के लिये मैं माननीय वित्त मंत्री से कहूंगा कि वह रुपये की मन्ज़ूरी दें ताकि ऐसी ज़मीनों की हिफाज़त की जा सके। दरिया के बांधों को protect करने की गर्ज़ से सरकार spurs बनाने पर रुपया खर्च करने के लिये तैयार है। उस के अलावा जो बातें माननीय मैम्बरों ने कहीं वह मैंने नोट कर ली हैं और उन के मुतअल्लिक सरकार जरूर कारवाई करेगी।

इस के अलावा मुझे इस बात का बड़ा एहसास है कि कांगड़ा और होश्यारपुर ज़िला में चोओं की वजह से बहुत सी ज़मीन बरबाद हो गई है। इस के मुतअल्लिक गवर्नमैण्ट का विचार है कि सारे इलाके की survey कराई जाये क्योंकि मैं समझता हूं कि जब तक survey न हो पब्लिक और गवर्नमैण्ट मिल कर कोई स्कीम तैयार नहीं कर सकती।

बगैर survey के स्कीम बनाई जाती तो fail हो जाती। इस तरफ का survey complete हो चुका है report आ चुकी है। मैं श्री रला राम जी को बताना चाहता हूं कि मैं होश्यारपुर में एक दफ़ा नहीं, पांच दफा जा चुका हूं।

11-30 a.m.

मैं उन्हें यकीन दिलाना चाहता हूं कि public को confidence में लिए बगैर हम कोई स्कीम नहीं लायेंगे। नुसराला चो को काबू करने के लिये पांच लाख रुपये की रकम grant की शक्ल में मिली है। हम गारनी चो को मज़बूत करने के काम को भी rainy season से पहले २ करवाना चाहते हैं। Finance Minister साहिब बजट में बतायेंगे कि ज़िला होश्यारपुर पर आने वाले साल में कितना रुपया खर्च किया जायेगा। Flood Control Board से भी रुपया मिलेगा, Central Government भी बड़ी anxious है। हम होश्यारपुर में नेपाल, भूटान और आसाम जैसी स्कीमें शुरु करना चाहते हैं। Central Government के इस काम के सब से बड़े expert, श्री कंवर सैन, visit कर गए हैं; हम सो नहीं रहे हैं; facts and figures जल्द ही मैम्बर साहिबान के सामने आ जायेंगे। यह फर्ज़ी बातें नहीं हैं। बालाचौर के इलाके को भी develop किया जायेगा, पंडित जी तसल्ली रखें।

यह कह देना कि सब बांध टूट गए हैं, सब नहिरें टूट गई हैं, एक बड़ा ही sweeping remark है। इस से गलत ख्याल पैदा हो सकता है, जैसा कि हमारे engineers को कुछ मालूम ही नहीं। कई बांध टूट गए, इस लिये कि floods unprecedented आए, कई जगह हमें खुद तोड़ने पड़े ताकि लोगों का ज़्यादा नुकसान न हो। अब उन को repair करवाया जा रहा है।

फिर यह एतराज़ किया गया है कि नंगल में गांव के गांव ले लिये गये हैं। डैम के बन जाने के बाद जो झील बनेगी, उस की वजह से भी लोगों को गांव खाली करने पड़ेंगे। आखिर किसी को तो sacrifice करनी ही पड़ती है। जहां तक compensation का सवाल है, मेरी जेब में तो रुपया है ही नहीं। इस सिलसिले में जो survey किया गया था उस में M.L.A.s

भी revenue staff के साथ थे। Payment तो rules के मुताबिक होनी है। Public बहुत ज़्यादा compensation मांग रही है। इस सिलसिले में M.L.A.s का deputation भी आया था। लोग जितना compensation मांगते है, महकमा वाले उतना देना नहीं चाहते। M.L.A.s को चाहिये कि चीफ़ इंजीनियर साहिब को मिलें, नहीं तो अफसरों को बार बार लिखें, खतो किताबत जारी रखें; लोग जब सीधे आ जाते हैं तो बात समझते नहीं हैं। बजाए इस के कि मेंबर साहिबान सैशन में अपनी speeches से thunderstorm पैदा करें, उन्हें चाहिए कि अफसरों को हिलाएं। Irrigation और electricity का काम इतना ज़्यादा है कि उन के सामने एक ही problem नहीं रहती। M.L.A.s को pursue करना चाहिये। Rules और finances ज़्यादा compensation देने की इजाज़त नहीं देते। मेरे हाथ में नहीं है कि उन्हें जितना वे मांगते हैं दिला दूं।

यह बात ठीक है कि ज़िला करनाल में पानीपत तहसील का कुंजपुरा तक का इलाका खतरे में है। यह स्कीम आज तक writing में नहीं आई थी, पहली दफा लिख कर भेजा गया है कि पानीपत तहसील के 25 गांव खतरे में हैं। मैंने note कर लिया है, action लिया जायेगा मगर बेहतर होता अगर एक unknown चीज़ के बारे में हाऊस में unexpectedly speech करने की बजाए यह चीज मेरे नोटिस में पहले लाई जाती, discuss की जाती ताकि कोई programme बनाया जा सकता। अगर ऐसा नहीं किया गया तो उस चीज़ के न करने के लिये जो हमें मालूम ही नहीं, गवर्नमैण्ट को कैसे कसूरवार ठहराया जा सकता है। flood control schemes के लिये हम ज़्यादा से ज़्यादा रुपया देने की कोशिश कर रहे हैं।

Mr. Speaker : Question is—

That the demand be reduced by Re 1.

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—..

That the demand be reduced by Re 1.

The motion was by leave withdrawn.

Mr. Speaker : Question is—

That the demand be reduced by Re 1.

The motion was by leave withdrawn.

Mr. Speaker : Question is—

That a supplementary sum not exceeding Rs 10 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending 31s March, 1955, in respect of 18-Other Irrigation Expenditure financed from Ordinary Revenues—Excluding Establishment Charges.

The motion was carried.

IRRIGATION ESTABLISHMENT CHARGES ETC.

Minister for Finance (Sardar Ujjal Singh) : Sir, I beg to move—

That a supplementary sum not exceeding Rs 23,430 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1955 in respect of Irrigation—Establishment Charges (Open Canals

Mr. Speaker : Motion moved—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 23,430 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1955 in respect of Irrigation-Establishment Charges (Open Canals).

Mr. Speaker : Question is—

That a suppl ementary sum not exceeding Rs. 23,430 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1955 in respect of Irrigation Establishment Charges (Open Canals

The motion was carried.

GENERAL ADMINISTRATION

Minister for Finance (Sardar Ujjal Singh) **:** Sir I beg to move—

That a supplementary sum not exceeding Rs 10 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1955, in respect of 25-General Administration.

Mr. Speaker : Motion moved—

That a supplementary sum not exceeding Rs 10 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending 31st March 1955, in respect of 25-General Administration.

श्री मूल चन्द जैन (संभालका): स्पीकर साहिब ! इस demand में removal of untouchability की जो item है इस के लिये 25,000 रुपये की मांग की गई है। 25,000 रुपया Central Government ने देना स्वीकार किया है। मैं अपनी Cabinet की तवज्जुह आप की वसातत से इस ओर दिलाना चाहता हूं कि यह रकम बहुत थोड़ी है। अकेले करनाल जिले में ही दो गांव—राजौर और असौन्ध—ऐसे हैं जिन में पानी 1,00,100 फुट गहरा निकलता है। और कुएं पर इतनी लागत आती है कि हरिजनों के लिये कुआं खोदना बहुत मुश्किल है। एक २ गांव में 5, 5 और 6, 6 हजार रुपया खर्च आ जाता है। मेरा मतलब यह है कि सारी स्टेट के लिये यह रकम बहुत थोड़ी है। इस से तो अकेले करनाल जिले का भी काम नहीं होगा। हम चाहते हैं कि हमारे देश में classless society कायम हो और गरीबों को फायदा पहुंचे। इसी सम्बन्ध में हमारे Chief Minister साहिब ने श्री चांद राम जी से सवाल किया था कि कोई प्रोग्राम गरीबों के भले का बतायें जो कि Constitution के कायदे और कानून के हों, क्योंकि कानून और कायदे के अंदर रह कर वे सब कुछ करने के लिये तैयार हैं तो यह suggestion उसी सम्बन्ध में है। पानी सब के लिये basic necessity की वस्तु है। 25,000 की रकम बहुत थोड़ी है इस से बहुत ज़्यादा रकम रखी जानी चाहिये। मुझे बाकी State का तो पता नहीं है। राजौर और असौंध में ही बहुत तकलीफ है। हालांकि untouchability के बारे में कानून भी पास कर दिया गया है लेकिन फिर भी देहातों में ब्राह्मण और जाट लोग हरिजनों को अपने कुओं से पानी नहीं भरने देते। हरिजनों को घंटों घड़े ले कर कुओं पर खड़े रहना पड़ता है। वे गरीब झीवरों को 2,2 और 3,3 रुपये महीने के देते हैं जो कि उन को पानी निकाल कर देते हैं। इस लिये गवर्नमैण्ट को इस ओर ध्यान देना चाहिये। आज कल के युग में इस की बड़ी सख़्त ज़रूरत है।

प्रोफैसर मोता सिंह आनन्दपुरी (आदमपुर) : स्पीकर साहिब ! General Administration की जिस item पर मैं बोलना चाहता हूं उस में एक खास item Marshal Tito की है। मारशल टीटो योगोस्लाविया के President हैं। हम खुश हैं कि वे हमारे देश में आये। वे यहां से बहुत अच्छा impression ले कर वापस गये। इस से हमारे international relations में इज़ाफा हुआ। इस के इलावा हमारी हुकूमत और उन की हुकूमत के दरमियान आपस में जो agreement हुआ है वह बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन इस सिलसिले में मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूं। Contingency fund में से उन की आओ भगत के लिये एक लाख रुपया खर्च किया गया है उस में से कुछ हिस्सा ऐसा है जो बिल्कुल फज़ूल खर्ची है। मिसाल के तौर पर fire works का display करना और इस तरह बहुत सारा रुपया ज़ाया करना अच्छा नहीं था। अच्छा तो यह था कि उस मौके पर हम खास २ आदमियों को बुलाते, बाहमी ख्यालात का तबादला करते और इस तरह मालूमात में इज़ाफा होता। ऐसा नहीं हुआ। एक रस्म सी बनी हुई है। वे यहां आए और चले गये। कोई खास चीज़ हम पंजाबियों के लिये हासिल नहीं हुई। वे भी सही तौर पर पंजाब के हालात से वाकफियत न कर सके।

स्पीकर साहिब ! इस के बाद गवर्नर साहिब के लिये नई कार खरीद करने की provision रखी गई है। हमारे मुल्क की economic conditions बहुत बुरी है.......

Chief Parliamentary Secretary : On a point of Order, Sir. He cannot discuss the Head of the State on the floor of the House.

Mr. Speaker : The hon. member did not discuss this item at the time when he was permitted to do so.

प्रोफैसर मोता सिंह आनन्दपुरी : जनाब मेरी दरखास्त यह है कि इस वक्त हमारी financial position बहुत कमज़ोर है।

Chief Parlimentary Secretary : On a point of Order, Sir, Is it necessary that a charged item should be discussed on the floor of the House ?

प्रोफैसर मोता सिंह आनन्दपुरी : मैं इस के खिलाफ हूं। इस की मनजूरी नहीं दी जानी चाहिये। इस के अलावा furnishing का भी ऐसा ही खर्च है। चाहता तो हर एक शख्स यही है कि वह well-furnished बंगलों में रहे लेकिन हालात हमें ऐसा खर्च करने की इजाज़त नहीं देते। इस वक्त हमारी स्टेट deficit state हैं। यहां पर इस किसम का खर्च बहुत फज़ूल खर्ची है। यह postpone किया जा सकता है, इतना ज़रूरी नहीं है।

अगली item scheduled castes के लिये sinking of new wells in the State है। देहातों में इस की बड़ी जरूरत है। यह item बहुत जरूरी है। जैसा कि मेरे दोस्त श्री मूल चन्द जैन जी ने कहा है कि यह बहुत थोड़ी रक्म है। पंजाब में इतने देहात हैं, इतनी जरूरियात हैं कि इस रक्म से कुछ नहीं बनेगा। बहुत से गांवों में dep ressd classes के लोगों को कुओं पर नहीं चढ़ने दिया जाता। इस के लिये तो चाहिये था कि भारी रक्म हो। खर्च रखते वक्त ऐसे तरीके से adjustment की जानी चाहिये थी कि बहुत जरूरी items पर

[प्रोफैसर मोता सिंह आनन्दपुरी]
भारी रक्में रखी जातीं और गैर ज़रूरी items को postpone कर दिया जाता। अन्त में म फिर कहूंगा कि इस के लिये ज़्यादा रक्म रखी जानी चाहिये।

श्री गोपी चन्द (पुण्डरी) : स्पीकर साहिब ! अभी २ मेरे बोलने से पहले मेरे आदरणीय साथी ने His Excellency Marshal Josip Broz Tito, President of Yugoslavia के हाल ही के हिंदुस्तान के दौरे के बारे में कुछ नुक्ताचीनी की है । मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि जब टीटो साहिब ने हिंदुस्तान का दौरा किया तो उस के अन्दर हमारे सूबे ने भी अहम पार्ट अदा किया है । कौन नहीं जानता कि मार्शल टीटो के दौरे से बैनुलक्वामी हालात पर कितना अच्छा असर पड़ा है। जब पंडित नेहरू बाहर के देशों में गये तो वहां पर मार्शल टीटो के दौरे की चर्चा हुई । मार्शल टीटो ने स्वयं अपने विदेशी दौरे के दौरान में हिंदुस्तान में हो रहे तरक्की के कामों की और विश्व शान्ति के स्थापित करने की और खास कर पंजाब के काम करने के ढंग की सराहना की। उन्होंने यह पैगाम सारी दुनिया को पहुंचाया। हम समझते हैं कि आदरणीय मैहमान के आने पर कंजूसी से खर्च किया जाये तो शोभा नहीं देता। मेरे साथी इस पर नुक्ताचीनी करते हैं लेकिन उन्हें मालूम होना चाहिये कि एक गवर्नमैंट को कामयाब तरीके से चलाने के लिये इस प्रकार के अखराजात ज़रूरी हो जाते हैं। दूसरे देशों से कुछ चीदा २ आदमियों को बुला कर तबादलाए ख्यालात करना लाज़मी होता है ।

Welfare of Ex-criminal Tribes के लिये 22 हज़ार रुपया रखा गया है। यह होना चाहिये बल्कि इस से भी ज़्यादा होना चाहिये। लेकिन मुझे अफसोस है कि इस के नीचे हरिजनों की रिहायश के लिये कोई इन्तज़ाम नहीं किया गया। Backward classes के बारे में यह एक अहम अमर है जब हम देहातों में जाते हैं तो हम देखते हैं कि हरिजनों और दूसरे backward classes के लोगों की रहने की हालत बहुत नागुफताबेह है। एक एक कमरे के अन्दर, एक एक झौंपड़ी और कुटिया के अन्दर तीन-तीन चार-चार कुन्बे इकट्ठे रहते हैं। इस तरह उन की निहायत बुरी हालत है। इस लिये मैं गवर्नमैण्ट से यह दरखास्त ज़रूर करूंगा कि इस तरफ खास ध्यान दिया जाय और आयन्दा बजट में जहां ex-criminal tribes की betterment के बारे में provision करें वहां हरिजनों की हालत को नज़र-अन्दाज़ न किया जाए।

इस के इलावा जैसा कि मेरे साथी श्री मूल चन्द जी ने ध्यान दिलाया है, मैं उन कूओं के बारे में कुछ कहना चाहता हूं जो हरिजनों के लिये बनाने के लिये provide किये गये हैं और जिन के लिये 50 हज़ार रुपया रखा गया है। हमारे चीफ मिनिस्टर साहिब ने बड़े ज़ोर के साथ कहा था कि यह fifty-fifty basis पर बनाएं जायेंगे। यह ठीक है कि जहां तक मुल्क की development का सवाल है आप fifty-fifty basis पर काम करें लेकिन जहां तक हरिजनों का ताल्लुक है मैं आप को बताना चाहता हूं कि उन की हालत बड़ी नाज़ुक है और वह यह पैसा अदा नहीं कर सकेंगे।

श्री मूल चन्द जैन : यह हिस्सा तो पंजाब और सेंट्रल गवर्नमैंण्ट का है ।

श्री गोपी चन्द : मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि हरिजनों और backward classes के लिये पीने के पानी का इन्तजाम किया जाये । इस चीज़ के लिये सारी State का सर्वे कराया जाए और उन के लिये इस चीज़ का मुस्तकिल तौर पर इन्तज़ाम किया जाये खास कर करनाल ज़िला में ।

श्री श्री चन्द (बहादुरगढ़) : साहिबे सदर, इस Demand के अन्दर जो 'F-District Administration General Establishment' की item है इस के बारे में मैं कुछ अर्ज़ करना चाहता हूं । कानून हमारा यह है कि आम अदालत की तरफ से किसी आदमी को सम्मन (Summons) भेजे जाते हैं बतौर गवाह तो उस के लिये अदालत में हाज़िर होना ज़रूरी होता है । लेकिन जब वे वहां पहुंचते हैं तो वे खुद चाहे कितने ही इज़्ज़तदार क्यों न हों, उन्हें अपने घर में कितनी सहूलतें क्यों न हों लेकिन अदालत में जाकर उन के लिये कोई जगह नहीं बनी हुई जहां वे आराम से बैठ सकें । हुक्म यह होता है कि 10 बजे सुबह हाज़र हो जाओ और चार बजे तक इंतज़ार करो जब तक अदालत उठ नहीं जाती (*interruptions*)

Mr. Speaker : This question does not arise here. It is irrelevant.

ਵਿਕਾਸ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਜਟ ਦੀ general discussion ਵੇਲੇ ਜਾਂ General Administration ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਲੈਣਾ । ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਠੀਕ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ।

श्री चांद राम अहलावत (झज्जर) : प्रधान जी, यह जो नए कूएं खोदने के लिये हरिजनों के लिये 25 हज़ार की रक्म इस supplementary estimates में रखी गई है, यह मैं समझता हूं देश से छूआ छूत को मिटाने के उद्देश्य से कदम उठाने के लिये सैंट्रल गवर्नमैंण्ट ने हमारी पंजाब गवर्नमैंण्ट को दी है ।

श्री श्री चन्द : On a point of order, Sir. क्या quorum पूरा है ?

अध्यक्ष महोदय : 13 मैम्बरों का कोरम होता है । इस वक्त तो यहां 13 से ज़्यादा मेंम्बर हैं । (13 members constitue the quorum. There are more than thirteen members sitting here at the moment.)

श्री चांद राम अहलावत : मैं यह समझता हूं कि असल में जो छूआ छूत का मसला है यह रक्म उस के साथ एक मज़ाक है । 25 हजार की इस रक्म से कितने कूवें बन सकेंगे ? एक कूवें पर कम से कम 5 या 6 हजार लगना एक मामूली सी बात है तो इस रक्म के साथ कितने कुवें बन सकेंगे ? पीने के पानी की हरिजनों को बहुत तकलीफ है । जिस हलके को मैं represent करता हूं वहां पर एक तरफ़ तो कास्ट हिंदुओं के कूवें हैं जहां से वे पानी लेते हैं और दूसरी तरफ वे लोग हैं जो जौहड़ों से, छप्पड़ों से, खेड़ों से और जो पीने के पियाऊ होते हैं वहां से पानी लेते हैं । मैं तो यह देखता हूं कि हरिजनों में जो चमार तबका है वह तो कहीं से कहीं पानी ले लेता है मगर जो बालमीकी तबका है जिस को आप चूड़ा भी कहते हैं, उन के लिये पीने के पानी का कोई भी इंतजाम नहीं । मेरे अकेले हलके में कोई 250 के करीब ऐसे गांव हैं । खास कर उन में 50 प्रति शत गांव ऐसे हैं जहां पीने के पानी का कोई भी इन्तजाम नहीं ।

[श्री चांद राम अहलावत]
कल हमें चीफ मिनिस्टर साहिब ने कहा था कि अगर मैं उन्हें कोई ऐसा कदम बता दूं तो वे उस पर हरफ-ब-हरफ अमल करने की कोशिश करेंगे । मुझे समझ नहीं आती कि 25 हज़ार रुपया से कौन सी छूआछूत खत्म हो जायेगी । पंजाब में हरिजनों की आबादी 25 लाख के करीब है । उन में से आधे से ज़्यादा को तो पीने का पानी भी दस्तयाब नहीं होता ।

कई लोगों की यह भावना है कि हरिजन आपस में अलग हो जाएं, उन के गांव अलग हो जाएं । मैं नहीं चाहता कि हमारे गांव अलग हों । मैं हैरान हूं कि एक तरफ तो हम लोग यह ढंढोरा पीटते रहते हैं कि छूआछूत को मिटाया जाये और दूसरी तरफ उन के कूवों के लिये अलहदा इन्तजाम किया जा रहा है । हम यह नहीं चाहते कि आप हमारे गरीब इतहाद को फोड़ें । हम चाहे गरीब हीं सही पर हम एक दूसरे से अलग होना बरदाश्त नहीं कर सकते । आपने यह जो नुक्ता निगाह इस बजट में आगे रखा है यह कोई एकता की निशानी है क्या ? मैं तो यह समझता हूं कि गवर्नमैण्ट कोई इस किस्म की campaign जारी करे कि मौजूदा कुवें किसी एक जाति या तबके की बपौती न रहे, मगर सभी जातियों के लोग बिना किसी भेदभाव के वहां से पानी भरें । तभी सही अर्थों में यह समस्या हल हो सकती है । आज कूवों के मामले में ही नहीं बल्कि स्कूलों में भी जहां शिक्षा दी जाती है और जहां पर हमारे भावी नेताओं और लीडरों का निर्माण हो रहा है, वहां पर भी यह भेदभाव जारी रखा हुआ है । वहां पर ऊंचे तबके वाले लड़कों के लिये पीने के पानी के मटके अलग रखे गये हैं और हरिजनों के लिये अलग । इन हालात में यह छुआछूत दस बीस कूवों के बनाने से खत्म नहीं हो सकती । यह एक बहुत पुरानी बीमारी है जिस का इलाज करने के लिये इसे जड़ से पकड़ने की जरूरत है ।

इसी ग्रांट (grant) में यह बताया गया है कि Ex-criminal tribes के लिये उन की betterment के लिये 22 हज़ार रुपया का provision किया हुआ है । यह रुपया उन को subsidy के तौर पर दिया जायेगा । इस से मैं समझता हूं कि बहुत सा रुपया Centre की तरफ से दिया गया है । आखिर स्टेट का क्या फर्ज़ है ? यह है कि जिस तबके के कोई रोज़गार के ज़रिये न हों, उन के लिये वे मुहैया किये जाएं । क्योंकि अगर वे कोई काम न करते हों, कोई धंधा न करते हों तो उन की प्रवृत्ति चोरी, डाके और राहज़नी की तरफ बढ़ेगी । और इस किस्म के जराइम करने के लिये लाचार हो जायेंगे । आज हम उन को शान्ति की जिन्दगी बसर करने के लिये प्रेरित करना चाहते हैं । लेकिन जिन लोगों का दिमाग ही पुरानी भावना में काम करता आया हो, उन को क्या 5 या 6 हज़ार की subsidy से ही ठीक किया जा सकता है ?

स्पीकर साहिब, क्योंकि अब इतना ज़्यादा time नहीं है जो मैं उन को सारी चीजें बता सकूं । यह चीज़ें मैं फिर किसी समय उन के notice में लाऊंगा । जो demand इस वक्त हाऊस के सामने है इस में इत्तफाक से एक चीज़ हरिजनों के बारे में भी आ गई जिस की तरफ मैं उन का ध्यान दिलाना चाहता हूं । वह इस पर सोचें कि इस demand में जो ग्रांट हरिजनों के लिये जिस मतलब के लिये दी जा रही है वह काफी है या नाकाफी है । मैं चीफ मिनिस्टर साहिब को साफ तौर पर बता देना चाहता हूं कि इस मामूली

सी ग्रांट से यह इतना बड़ा मसला हल होने वाला नहीं। इस ग्रांट को आयंदा साल के बजट में बहुत बढ़ाया जाये। हमें यह देख कर दुख होता है कि इस demand में अकेले गवर्नर साहिब की car के लिये तो 21 हजार रुपया निकाला गया है और पंजाब के हरिजनों की कुल आबादी के लिये कूवें बनाने के लिये केवल 25 हजार रुपये की रकम निकाली जा सकी है। इस रकम से उन लोगों में जो हैरानी और बेचैनी पाई जाती है वह दूर नहीं हो सकेगी। वह बहुत कम रकम है।

ਸਰਦਾਰ ਖੇਮ ਸਿੰਘ [ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ]: ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ! ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੇ uplift ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਮਾਇਕੀ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਬਣ ਸਕੇ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀਜਨਾਂ ਲਈ ਅਡ ਖੂਹ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗਲ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਅਗਲੀ elections ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਆਵੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ uplift ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਲਹਦਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਦੀ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਨਾ ਆ ਸਕੀ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਦੂਜੀਆਂ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਤੋਂ ਅਡ ਖੂਹ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਪਰ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਇਕ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਖੂਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਛੂਤ ਛਾਤ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕੇ।

अध्यक्ष महोदय : इस demand में अलैहदा करने के लिए कहां लिखा हुआ है। (There is no provision for separating them in this demand.)

ਸਰਦਾਰ ਖੇਮ ਸਿੰਘ : ਇਹ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਲਹਦਾ ਖੂਹ ਬਨਾਣ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਮੈਂ ਹਾਉਸ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲੇਸੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਦਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰੀਜਨਾਂ ਲਈ ਅਲਹਦਾ colonies ਬਨਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਹ ਦਸ ਸਕੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਤਦ ਇਸ ਤੇ ਮੈਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀਜਨਾਂ ਲਈ ਅਲੈਹਦਾ colonies ਬਨਣਗੀਆਂ ਪਰ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਲਹਦਾ colonies ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕੀਏ।

ਫੇਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਮਿਤ੍ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ district ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਹਰੀਜਨਾਂ ਲਈ ਅਲਹਦਾ ਖੂਹ ਬਨਾਣ ਤੇ ਖਰਚ

[ਸਰਦਾਰ ਖੇਮ ਸਿੰਘ]
ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੋਰ ਬੇਹਤਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਰਕਮ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਿਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਖੋਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ widows ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਲਈ ਇਹ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਕਮਾਣ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਲੈਹਦਾ ਖੂਹ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਜਾਏ ਫੈਦੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਫੇਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਆਏ ਸਾਲ General Administration ਲਈ ਰੁਪਿਆ ਮੰਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ Police Force ਅਤੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਬਰੋਰ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕਦੀ ਜੋ ਗਰੀਬ ਜੰਤਾ ਨਾਲ ਸਹੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

अध्यक्ष महोदय : आप किस तरफ चल पड़े हैं। (The hon. member is going wide of the mark.)

ਸਰਦਾਰ ਖੇਮ ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ demand No. 4 ਤੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਓਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ Magistrates ਹਨ ਉਹ ਪੁਲਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਚਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜਨਤਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ case ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ Magistrate ਪੁਲਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ 454 ਦਫਾ ਦੇ ਜਿਨੇ ਵੀ cases ਹੋਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਝੂਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੋਈ ਚਗਾ ਸਾਧਨ ਸੋਚੇ।

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी speech में relevant नहीं है। (The hon. Member is not rel evant to the motion.

ਸਰਦਾਰ ਖੇਮ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਜਿਨਾ ਵੀ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਲਹਦਾ ਖੂਹ ਬਨਾਣ ਲਈ ਖਰਚ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਜਾਏ ਫੈਦੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਮਾਇਕੀ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਬਨਾਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਦਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰੇ ਅਤੇ government waste land scheduled castes ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ G. M. F. Campaign ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇ।

ਅਰਥ ਮੰਤ੍ਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਉਜਲ ਸਿੰਘ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਮਿਤਰ ਪਰੋਫੈਸਰ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਗਲ ਦੀ ਬਾਬਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ,

ਇਕ ਤਰਫ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਰਸ਼ਲ ਟੀਟੋ ਜਿਹੜੇ ਇਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਥੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅਮਨ ਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਯੁਗੋਸਲਾਵਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਗਿਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਸ਼ਲ ਟੀਟੋ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਸਵਾਗਤ ਦੇ ਖਰਚ ਦਾ ਉਹ ਹਿਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨੇ ਵਡੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਦੇ ਲਈ ਜਿਨਾ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਉਤੇ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਜਾਇ ਇਸ ਗਲ ਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗਿਲਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜੀ ਚਲਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਾਂ ਇਨੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਇਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਇਕ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੇ ਇਕ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਹਨ ਯਾਨੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰ ਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕ ਨਵੀਂ ਖਰੀਦ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।

ਅਗਲੀ ਗਲ ਇਸ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਰੀਜਨਾਂ ਲਈ ਖੂਹ ਬਨਾਣ ਲਈ ਰਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹ 31 ਮਾਰਚ ਤਕ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਮਿਤ੍ਰ ਸ਼੍ਰੀ ਚਾਂਦ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਗਿਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਇਨੀ ਥੋੜੀ ਰਖੀ ਗਈ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰੀਜਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕੁਝ ਹਰੀਜਨਾਂ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਸਰਦਾਰ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਗਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀਜਨਾਂ ਲਈ ਅਲਹਦਾ ਅਲਹਦਾ ਖੂਹ ਬਨਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਛੂਤ ਛਾਤ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਜੇਕਰ ਅਸਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾ ਉਠਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੋ ਰੁਪਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਪੁਰ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਸਕਣ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬਨ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਚਾ ਉਠਾ ਸਕਣ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੋ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਤਨਾ ਰੁਪਿਆ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੇ ਬਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। 23 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਇਸ ਮਦ ਤੇ ਇਸ਼ ਸਾਲ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

[ਅਰਥ ਮੰਤ੍ਰੀ]

(श्री चांद राम अहलावत : 12 महीनों से वजीफे नहीं मिले) । ਇਹ ਗਲਤ ਗਲ ਹੈ । ਆਪਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ । ਇਥੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਗਲ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ । ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 23 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਾਦ ਤਕ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ।

श्री चांद राम अहलावत : On a point of order, Sir.—मैं वज़ीर साहिब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि आप पता करलें कि वज़ीफे दिये गये हैं या नहीं ।

ਅਰਥ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਦਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਰੁਪਇਆ ਦਿਤਾ ਜਾ ਚੁਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ 31 ਮਾਰਚ ਤਕ ਦੇ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ । ਇਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਦਿਤਾ ਜਾ ਚੁਕਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਮਗਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ ਤਕ 23 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ।

Mr. Speaker : (To Shri Chand Ram Ahlawat) This is no point of order.

ਅਰਥ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਖੂਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਕੀਮ ਹੈ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਜੁਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਈ ਦੂਰ ੨ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । Welfare Department ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਲਈ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ Contingency Fund ਵਿਚੋਂ ਰੁਪਿਆ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ।

श्री चांद राम अहलावत : कौन से इलाकों में काम किया जावेगा ?

ਅਰਥ ਮੰਤ੍ਰੀ : Welfare Officer scheme ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਲਾਕੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ । ਬਾਕੀ ਖਰਚ 31 ਮਾਰਚ ਤਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਭੀ ਰੁਪਇਆ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਐਵੇਂ ਗਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ।

ਫਿਰ Criminal Tribes ਲਈ 22,000 ਰੁਪਿਆ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੀ provide ਕਰਾਂਗੇ । ਇਹ ਲੋਕ ਉਜੜੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਇਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ । ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਗਰੀਬ ਹਨ, ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। (श्री चांद राम अहलावत : चन्डीगढ़ के बारे में क्या किया है ?)

ਚਾਂਦ ਰਾਮ ਜੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾਨੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਇਸ demand ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ displaced ਆਦਮੀਆਂ ਲਈ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ provision ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ allot ਹੋ ਗਈ, ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਮਕਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਦਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ demand ਪਾਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

Mr. Speaker : Question is—

That a supplementary sum not exceeding Rs 10 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1955, in respect of 25—General Administration.

The motion was carried.

POLICE

Minister for Finance (Sardar Ujjal Singh) : Sir, I beg to move—

That a supplementary sum not exceeding Rs 13,03,330 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1955 in respect of 29—Police.

Mr. Speaker : Motion moved—

That a supplementary sum not exceeding Rs 13,03,330 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1955 in respect of 29—Police.

Professor Mota Singh Anandpuri : Sir, I beg to move—

That item of Rs 11,23,530 on account of B.D.E. Proper be reduced by Rs 100.

अध्यक्ष महोदय, यह demand पुलिस के बारे में है। इस में कोई शक नहीं कि पुलिस का महकमा बहुत जरूरी महकमा है। फौज से दूसरे दर्जे पर है और मुल्क के internal इन्तजाम के लिये जरूरी है। मगर एक बात का हमें ख्याल रखना है कि जो खर्च हो रहा है वह सही तरीके से हो रहा है। जब पुलिस अफसर देहात में दौरों पर जाते हैं तो....

Mr. Speaker : On which item are you speaking ?

प्रोफैसर मोता सिंह आनन्दपुरी : जनाब मैं कुछ पुलिस अफसरों के allowances के बारे में कहना चाहता हूं।

Mr. Speaker : But is there any such item?

प्रोफैसर मोता सिंह आनन्दपुरी : कहने का मतलब यह है कि हमें इन के allowances के मुतअल्लिक खास ख्याल रखना चाहिये। यह लोग देहात में जाते हैं, सरकार से allowance लेते हैं मगर खुद खर्च नहीं करते बल्कि देहातियों पर बोझ डालते हैं।

Mr. Speaker : ऐसा कोई item नहीं इस demand में। इन बातों पर आप General Discussion में बहस करें।

(There is no such item in the demand under consideration. You may therefore discuss this matter during the General discussion of the Budget).

Mr. Speaker : Motion moved—

That item of Rs 11,23,530 on account of B.D.E. Proper be reudced by Rs 100.

Mr. Speaker : Question is—

That item of Rs 11,23,530 on account of B.D.E. Proper be reduced by Rs 100.

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 13,03,330 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1955 in respect of 29-Police.

The motion was carried.

EDUCATION

Minister for Finance (Sardar Ujjal Singh) : Sir, I beg to move—

That a supplementary sum not exceeding Rs 28,63,350 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1955 in respect of 37-Education.

Mr. Speaker : Motion moved—

That a supplementary sum not exceeding Rs 28,63,350 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1955 in respect of 37-Education.

श्री रला राम (मुकेरियां) : अध्यक्ष महोदय मेरा संशोधन इस प्रकार है—

That item of Rs 8,48,350 on account of U-Deduct-Amount met from Fund for promotion of Education Amongst Educationally Backward Classes be reduced by Re 1.

अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात में प्रसन्नता है कि हमारी गवर्नमैण्ट ने हरिजन बच्चों की शिक्षा के लिये और backward classes की शिक्षा के लिये काफी धन व्यय किया है। इस के लिये मंत्री मंडल और माननीय वित्त मंत्री सराहना के योग्य हैं। परन्तु इस कार्य में कठिनाई पैदा हो रही है। जिस की ओर अध्यक्ष महोदय आप के द्वारा वित्त मंत्री जी का और शिक्षा मंत्री जी का जो इस समय यहां नहीं हैं, ध्यान आर्कषित करना चाहता हूं। यह बात ठीक है जैसा कि वित्त मंत्री जी ने कहा है कि हरिजन तथा backward classes में बच्चों की शिक्षा के लिये रुपया मंजूर कर दिया गया है अब यह रुपया 2nd, 4th और 6th year को तो मिल रहा है परन्तु 1st, 3rd, और 5th year के लिये अभी तक मन्जूरी नहीं आई। हालांकि Government of India की छात्र स्वीकृति आ गई है परन्तु पंजाब गवर्नमैंट की नहीं आई।

अध्यक्ष महोदय, एक और समस्या है जिस की ओर में आप के द्वारा वित्त मंत्री और शिक्षा मंत्री जी का विशेष कर के ध्यान दिलाना चाहता हूं। वह यह है कि हमारे इलाका में एक बहुत बड़ी जाति उन लोगों की है जिन्हें हम पिछड़ी जाति कहते हैं। यह सराहनीय बात है कि सरकार ने उन्हें पिछड़ी जाति मान कर सहायता देने का निश्चय किया है। पर यहां पर पिछड़ी जातियों के छात्रों की संख्या बहुत है और ऐसे छात्र majority में हैं। मुझे कांगड़ा तथा हुशियारपुर के स्कूलों के हेड-मास्टर मिले हैं, उन्होंने बताया है कि इन छात्रों के लिये सहायता की मन्जूरी नहीं आई। तीन तीन चार चार महीनों से मास्टरों को वेतन नहीं मिले। इस का मुख्य कारण यह है कि पंजाब गवर्नमैण्ट से जो सहायता मिलनी थी वह नहीं मिली हालांकि यहां पर majority backward और हरिजन छात्रों की है। अब स्कूल वाले 4-4 महीने तक वेतन नहीं दे सके। में खुद भी मेंबर हूं। मुझे स्वयं पता है कि उधार की सीमा आ जाती है। उधार भी कहां तक ले कर काम चल सकता है।

एक और कठिनाई है कि जो रुपया दिया जाता है वह half-yearly basis पर दिया जाता है। कालेजों के बारे में यह कायदा है कि पिछले मार्च तक $\frac{1}{2}$ मिल जाता है और बाकी $\frac{1}{2}$ फिर half-yearly पर। इस से बहुत कठिनाई होती है। कालेज

तो फिर भी इस कठिनाई को काट गुजरते हैं उन के पास कई फंडज़ (funds) होते हैं परन्तु जो स्कूल ऐसे इलाकों में हैं जैसे गिरधर, चादे बांदी जो backward areas में हैं उन की बहुत बुरी हालत होती है । उस के लिये मैं विशेष कर शिक्षा मंत्री जी से सुझाव करूंगा कि आगे six-monthly payment होती है वह भी वक्त पर नहीं । अब छ: महीने में काम नहीं चल सकता इस लिये इस को quarterly कर दें । इस से काम चल सकेगा ।

अन्त में मैं फिर वित्त मंत्री जी का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि यह कष्ट जो इन स्कूलों को है जो कांगड़ा और हुश्यारपुर में हैं इन्हें शीघ्र ही दूर करने की कोशिश करें ।

Mr. Speaker : Motion moved—

That item of Rs 8,48,350 on account of U-Deduct Amount met from Fund for Promotion of Education amongst Educationally Backward Classes be reduced by Re 1.

ਅਰਥ ਮੰਤ੍ਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਉਜਲ ਸਿੰਘ) : ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਲਾ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਰੁਪਿਆ ਤਾਲੀਮ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਕਤ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਰਾਂਟਾ ਵਕਤ ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ । ਮੈਂ ਇਥੇ ਇਹ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਰੁਪਿਆ ਹਰੀਜਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਲਈ sanction ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ Education Department ਪਾਸ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬੰਤਾ ਸਿੰਘ (ਆਦਮਪੁਰ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22-23 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਲਈ ਰਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਜ਼ੀਫੇ ਵਕਤ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ । ਬਕਰੀ ਦੁਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੇਂਗਣਾ ਪਾ ਕੇ । ਇਹ ਵਜ਼ੀਫੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ । ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਜ਼ੀਫੇ ਸਾਲ ਪਿਛੋਂ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਵੇਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਫੀਸ ਤਾਂ ਕੁਲ 6 ਰੁਪੈ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਪਿਛੋਂ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਵੀ ਦੋ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਦਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸਕੂਲ ਦਾ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿਮੇ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਵਕਤ ਸਿਰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ । ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਰ Education Director ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਸੇ ਵਕਤ ਸਿਰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੈਸੇ ਕਦੀ ਵਕਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ।

ਅਰਥ ਮੰਤ੍ਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਉਜਲ ਸਿੰਘ): ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰਾ ਦਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗਲ ਵਲ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ । ਰਕਮ ਸਾਰੀ Education Department ਪਾਸ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ । ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂਗਾ ਕਿ ਸਭ ਰਕਮਾਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ । ਅਸੀਂ ਸਭ ਰਕਮਾਂ ਮਨੀਂ ਆਡਰ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂਗੇ ।

ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ : (ਐਨੇ ਮਨੀ ਆਰਡਰ ਕਿਂਵੇ ਕਰਾਉਗੇ ?)

ਅਰਥ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਜੇਕਰ ਮਨੀ ਆਰਡਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਛੀਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਰਫ਼ਤ ਰਕਮ ਭਿਜਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ (ਹਾਸਾ).

ਫਿਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਲਾ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗਲ ਵਲ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ payments ਦੀ ਥਾਂ quarterly payments ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਰਕਮ ਤਾਂ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਵਕਤ ਸਿਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ਕੈਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।

Mr. Speaker : Question is—

That item of Rs 8,48,350 on account of U-Deduct Amount met from Fund for Promotion of Education amongst Educationally Backward Classes be reduced by Re 1.

The motion was by leave withdrawn.

Mr. Speaker : Question is—

That a supplementary sum not exceeding Rs 28,63,350 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1955 in respect of 37—Education.

The motion was carried.

12-30 p. m.

Mr. Speaker : Now guillotine will be applied to the rest of the demands for supplementary Grants.

RECEIPTS FROM ELECTRICITY SCHEMES ETC.

Mr. Speaker : Question is—

That a supplementary sum not exceeding Rs 22,21,890 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1955 in respect of XLA-Receipts from Electricity Schemes—Deduct—Working Expenses other than Establishment.

The motion was carried.

FAMINE

Mr. Speaker : Question is—

That a supplementary sum not exceeding Rs 43,000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1955, in respect of 54—Famine.

The motion was carried.

SUPERANNUATION ALLOWANCES AND PENSIONS

Mr. Speaker : Question is—

That a supplementary sum not exceeding Rs 9,21,330 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1955 in respect of 55—Superannuation Allowances and Pensions.

The motion was carried.

MISCELLANEOUS

Mr. Speaker : Question is—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 10 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1955 in respect of 57—Miscellaneous.

The motion was carried.

CONSTRUCTION OF IRRIGATION WORKS.

Mr. Speaker : Question is—

That a supplementary sum not exceeding Rs 59,99,700 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1955 in respect of 68-Construction of Irrigation Works.

The motion was carried.

CAPITAL OUTLAY ON MULTIPURPOSE RIVER SCHEMES.

Mr. Speaker : Question is—

That a supplementary sum not exceeding Rs 2,80,05,500 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1955 in respect of 80-A—Capital Outlay on Multipurpose River Schemes.

The motion was carried.

DEPOSITS AND ADVANCES ETC.

Mr. Speaker : Question is—

That a supplementary sum not exceeding Rs 92,550 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1955 in respect of Advances Repayable--Deposits and Advances—Advances not bearing interest.

The motion was carried.

MEDICAL

Mr. Speaker : Question is—

That a supplementary sum not exceeding Rs 10 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1955 in respect of 38—Medical.

The motion was carried.

AGRICULTURE

Mr. Speaker : Question is—

That a supplementary sum not exceeding Rs 10 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1955 in respect of 40—Agriculture.

The motion was carried.

CO-OPERATION

Mr. Speaker : Question is—

That a supplementary sum not exceeding Rs 10 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1955 in respect of 42—Co-operation.

The motion was carried.

INDUSTRIES

Mr. Speaker : Question is—

That a supplementary sum not exceeding Rs 10 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1955 in respect of 43—Industries.

The motion was carried.

CIVIL WORKS.

Mr. Speaker : Question is—

That a supplementary sum not exceeding Rs 10 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1955 in respect of 50—Civil Works.

The motion was carried.

CAPITAL ACCOUNT OF CIVIL WORKS, ETC.

Mr. Speaker : Question is—

That a supplementary sum not exceeding Rs 10 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1955 in respect of 81—Capital Account of Civil Works Outsie the Revenue Account.

The motion was carried.

CAPITAL OUTLAY ON ELECTRICITY SCHEMES ETC.

Mr. Speaker : Question is—

That a supplementary sum not exceeding Rs 10 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending 31st March , 1955 in respect of 81-A Capital Outlay on Electricity Schemes (Outside the Revenue Account).

The motion was carried.

LOANS AND ADVANCES BEARING INTEREST

Mr. Speaker : Question is—

That a supplementary sum not exceeding Rs 20 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1955 in respect of Loans and advances bearing interest.

The motion was carried.

(The Assembly then adjourned till 2 p.m. on Thursday, the 10th March, 1955)

38 PVS—284—22-8-56—CP&S., Pb., Chandigarh

Punjab Vidhan Sabha Debates

10th March, 1955.

VOL. I—No. 5

OFFICIAL REPORT

CONTENTS

Thursday, 10th March, 1955

CHANDIGARH:
Printed by the Controller of Printing and Stationery, Punjab
1956

Price:

PUNJAB VIDHAN SABHA

Thursday, 10*th March*, 1955.

The Vidhan Sabha met in the Assembly Hall, Sector 10, *Chandigarh, at* 2 *p.m. of the Clock. Mr. Speaker* (*Sardar Gurdial Singh Dhillon*) *in the Chair.*

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS.

REPRESENTATION FROM SHRI DASONDHI RAM, MOHALLA KAZIAN, JULLUNDUR CITY.

***4059. Sardar Harkishan Singh Surjit :** Will the Minister for Irrigation be pleased to state with reference to the reply to Starred Assembly Question No. 8058 given during Budget Session 1954, the action, if any, so far taken by the Government in the matter ?

Chaudhri Lahri Singh : The complaint of Shri Dasondhi Ram is receiving active consideration of Government.

ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ active consideration ਵਿਚ ਕਿਨੀ ਦੇਰ ਹੋਰ ਰਹੇਗਾ । ਇਕ ਸਾਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੰਘ ਚੁਕਾ ਹੈ ।

मंत्री : जो श्री दसौन्धी राम की पहली representation थी उस पर तो पहले फैसला कर लिया गया था लेकिन बाद में हमारे notice में एक और fact आ गया था जिस पर गौर हो रहा है । मैं माननीय मैम्बर को विश्वास दिलाता हूं कि इस सैशन के अन्दर अन्दर उस केस का फैसला कर दिया जायेगा ।

WAGE RATES OF WORKERS OF TEXTILE FACTORIES IN LUDHIANA.

***3979. Shri Wadhawa Ram :** Will the Minister for Finance be pleased to state whether any complaint regarding the reduction of wage rates of workers in Textile Factories in Ludhiana has been received by the Government; if so, the action, if any, taken by the Government thereon ?

Chaudhri Sundar Singh : First part : No.

Second part : Does not arise.

FUEL ASSISTANTS.

***4053. Sardar Chanan Singh Dhut :** Will the Minister for Finance be pleased to state—

(a) the total number of Fuel Assistants at present working in the Weights and Measures Department along with their grades of pay ;

(b) the qualifications of each of the said Fuel Assistants ?

Sardar Ujjal Singh : (a) There are no posts of Fuel Assistants in the Weights and Measures Organisation of the Industries Department, but there are 22 Manual Assistants in the scale of Rs 32½—1—47½.

(b) Qualifications of Manual Assistants are :—

Intermediate	..	1
Matriculates	..	11
Non-matriculates	..	10

EXTENT OF EVACUEE AREA KEPT AS RESERVE.

***4326. Shri Dev Raj Sethi :** Will the Minister for Finance be pleased to state—

(a) the total evacuee area, district-wise, still kept as reserve ;

[Shri Dev Raj Sethi]

(b) the objects for which the area referred to in part (a) above is being retained ?

Sardar Ujjal Singh : (a) No evacuee area is at present kept as reserve.

(b) Does not arise.

SANITORIUM AT SOHNA HOT WATER SPRING

***4517. Shri Babu Dayal :** Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) whether he is aware of the fact that the Russian Scientific Delegation recently visited Sohna Hot Water Spring in district Gurgaon ;

(b) whether he is also aware of the suggestion made by the said delegation regarding the suitability of the place for setting up a Sanitorium for the case of skin diseases ; if so, the action, if any, taken or proposed to be taken by the Government in the matter ?

Shri Jagat Narain : (a) Yes, on 30th January, 1955.

(b) No such suggestion has been received so far but if it is conveyed to the State Government, due consideration will be given to it.

SOHNA HOT WATAR SPRING

***4518. Shri Babu Dayal :** Will the Minister for Eudcation be pleased to state whether it is a fact that the State Government has recently been advised by the Union Government to develop the Sohna Hot Water Spring in district Gurgaon ; if so, the action so far taken by the Government in this respect ?

Shri Jagat Narain : No instructions to develop the Sohna Hot Water Spring in district Gurgaon have been received by this State Government. However, at the instance of the Union Minister of Health, two Russian doctors recently visited Sohna in Gurgaon District with a view to explore the possibility of converting the natural mineral water at Sohna. Accordingly, an analysis of Sohna Water Spring was arranged and the result supplied to Dr. K.C.K.E. Raja, Officer on Special Duty, Ministry of Health, Government of India.

TRANSPORT CORPORATION

***3723. Maulvi Abdul Ghani Dar :** Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) the stage at which the formation of the Transport Corporation in the State is at present;

(b) the name of the authority who has nominated the Directors of the said Corporation together with the rates of allowances that would be paid to them and the tenure of their office;

(c) the total number of non-official Directors of the said Corporation and the basis of their nomination?

Shri Jagat Narain : (a) Negotiations are in progress with the Planning Commission and the Railway.

(b) Three official representatives have been nominated so far by designation. They are Secretary, Transport Department, Finance Secretary and Provincial Transport Controller of the State Government.

(c) Does not arise.

मौलवी अब्दुल गनी डार : क्या मनिस्टर साहिब बतायेंगे कि क्या वह खुद इस Corporation का Chairman बनना चाहते हैं ?

मन्त्री : यह गलत है ।

मौलवी अब्दुल गनी डार : क्या मिनिस्टर साहिब बतायेंगे कि मिस्टर कपूर जो आजकल Home Secretary हैं उन्हें Chairman किस ने बनाया था ?

मन्त्री : वह तो कभी उस Corporation के Chairman नहीं बने ।

मौलवी अब्दुल गनी डार : तो क्या जो notification हुआ था वह गलत था ?

मन्त्री : कोई ऐसा notification जारी हुआ ही नहीं ।

ABSORPTION OF EMPLOYEES OF PRIVATE TRANSPORT COMPANIES

***4371. Shrimati Sita Devi :** Will the Minister for Education be pleased to state whether there is any proposal under the consideration of the Government to absorb those employees of the private transport companies under the Transport Corporation who are likely to lose their employments as a result of nationalisation of transport ?

Shri Jagat Narain : Yes ; as far as possible and if they are suitable.

श्रीमती सीता देवी : क्या शिक्षा मंत्री जी बतलायेंगे कि क्या यह ठीक नहीं है कि जो transport workers का एक deputation उन से मिला था, उन्हें आप ने विश्वास दिलाया था कि जितने भी routes गवर्नमैण्ट लेगी वहां पर काम करने के लिये जितने भी आदमी चाहिये होंगे वह उन में से ही लिये जायेंगे ?

मंत्री : हां मैं ने कहा था कि उन में से जो योग्य worker होंगे उन को ले लिया जाएगा ।

श्रीमती सीता देवी : क्या मंत्री जी बतायेंगे कि योग्यता का क्या मियार होगा ?

मंत्री : वही योग्य समझे जायेंगे जो मोटरें अच्छी तरह चला सकते हैं और जिन को बगैर किसी फिकर के २५ या ३० हज़ार की बस सोंपी जा सकती है ।

श्रीमती सीत देवी : क्या शिक्षा मंत्री जी बतायेंगे कि जो driver प्राईवेट companies में काम करते हैं वह इतने योग्य नहीं ....

अध्यक्ष महोदय : आप तो गैर-मुतअल्लिका सवाल कर रही हैं ।

[You are asking an irrelevant question].

श्री तेग राम : मंत्री जी ने बताया है कि उन में से जो योग्य होंगे केवल उन को लिया जायेगा तो private companies में जितने कर्मचारी काम कर रहे हैं क्या वह बिना योग्यता के काम कर रहे हैं ?

Mr. Speaker : It does not arise out of the main question

ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਖਣ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਵਿਤਕਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ।

मंत्री : उन को रखते हुए सियासी नज़रिये का कोई ख्याल नहीं रखा जायेगा । सब को एक level पर treat किया जायेगा ।

PERMITS FOR KACHA ROUTES IN KANGRA DISTRICT

***4460. Bakshi Partap Singh :** Will the Minister for Education be pleased to state whether Government has received any application for the grant of permits for plying vehicles on kacha routes in Kangra District during the last year, if so, the action, if any, taken thereon ?

Shri Jagat Narain : First part : Yes.

Second part : These will be considered by the Regional Transpor Authorities, Jullundur, on merits, after finalization of the Nationalization Scheme.

बख्शी प्रताप सिंह : क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि यह रूट्स (routes) कब तक चालू किये जायेंगे ।

मंत्री : यह जल्दी किये जायेंगे ।

बख्शी प्रताप सिंह : क्या वज़ीर साहिब इस की कोई ऐसी तारीख बतायेंगे जब कि यह चालू किये जायेंगे ?

मंत्री : ऐसी कोई तारीख नहीं दी जा सकती । लेकिन में यह कह सकता हूं कि यह जल्दी चालू कर दिये जायेंगे ।

NATIONALIZATION OF NEW ROUTES

*4475. **Shri Rala Ram :** Will the Minister for Education be pleased to state the names of the new transport routes proposed to be nationalised by the Government during the rest of the current financial year ?

Shri Jagat Narain : There is no proposal to nationalize more routes during the rest of the current financial year 1954-55. However, the following new services are likely to be introduced:—

(i) Chandigarh-Bhakra Nangal.
(ii) Chandigarh-Morinda.
(iii) Chandigarh-Kharar.

श्री तेग राम : क्या शिक्षा मंत्री जी बतायेंगे कि Transport को राष्ट्रीयकरण करने के लिये गवर्नमैण्ट हर साल कितने routes लेने का ख्याल रखती है ।

मंत्री : हम इस बारे में अभी प्रोग्राम बना रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : यह अलहदा सवाल है ।

(It is a separate question.)

OVERLOADING OF BUSES IN THE STATE.

*4476. **Shri Rala Ram :** Will the Minister for Education be pleased to state the total number of private and Government buses challaned so far for overloading in Jullundur, Amritsar and Hoshiarpur. Districts respectively during the year 1954-55 ?

Shri Jagat Narain : A statement is given below :

District.		*Total number of private buses challaned on account of overloading during the year* 1954-55.	*Total number of Government buses challaned on account of overloading during the year.* 1954-55.
Jullundur	..	20	4
Amritsar	..	88	14
Hoshiarpur	..	73	2

NATIONALISATION OF BOOKS

*4369. **Shrimati Sita Devi :** Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) the classes in schools for which books have been nationalised by the Government ;

(b) whether any complaints were received by the Government to the effect that the books prescribed for the 5th and the 7th classes for the year 1953, were not made available to the students ; if so, the action, if any, taken by the Government to avoid similar delays in future ?

Shri Jagat Narain : (a) Text-books for classes IV, VII (except English) and VIII have so far been nationalised. Text-books for classes I, II, III, V, VI and VII (English only) are being nationalised with effect from 1st April, 1955.

(b) The question relates to 1953. There was no complaint with regard to books for class V. Text-books for class VII were not available in time on account of (i) long time taken by referees in giving their reports; and (ii) delays by the printing presses. Steps have been taken to make nationalised books available to students in time in future.

SINGLE-TEACHER SCHOOLS IN THE STATE

*4370. **Shrimati Sita Devi :** Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) the total number of single-teacher schools in the State together with the total annual expenditure being incurred by the Government on their maintenance ;

(b) whether the Government has received any complaints about the schools mentioned in part (a) above ; if so, the nature thereof and the action, if any, taken thereon ?

Shri Jagat Narain : (a) The total number of single-teacher primary schools in the State as on 31st October, 1954 .. 3,528

The total annual expenditure being incurred by the Government on their maintenance ..Rs 30,10,506

(b) No.

GOVERNMENT QUARTER AT CHANDIGARH FOR THE CONGRESS ASSEMBLY PARTY

*4062. **Sardar Harkishan Singh Surjit :** Will the Minister for Public Works be pleased to state—

(a) whether it is a fact that a Government quarter at Chandigarh has been placed at the disposal of the Punjab Congress Assembly Party, if so, the rent per month being charged therefor ;

(b) whether similar facilities have been given to other parties or groups in the Legislature ; if not, the reasons therefor ?

Sardar Gurbachan Singh Bajwa : (a) On receipt of a request from the Secretary, Punjab Congress Legislature Party, the house type 10-JB at Chandigarh has been allotted to the said Party for the period from the 22nd September, 1953, to the 28th February, 1955, at the standard rent of Rs 52 per mensem

(b) No such request has been received from any other recognised party in the Legislature, and, therefore, the question of giving similar facilities to them has not been considered.

REST-HOUSE

*4459. **Bakshi Partap Singh :** Will the Minister or Public Works be pleased to state whether it is a fact that Non-gazetted Officers are not entitled to stay in the Rest-Houses in the State on the same conditions as the Gazetted Officers ; if so, the reasons therefor ?

Sardar Gurbachan Singh Bajwa : No. Non-gazetted Government servants, while on duty, stay in Munshi Khanas/Subordinate Rest-Houses attached to the P.W.D. Rest-Houses and Inspection Bungalows on conditions which are analogous to those for officers.

ENQUIRY INTO THE MUNICIPAL AFFAIRS OF FEROZEPUR

*3947. **Pandit Shri Ram Sharma :** Will the Minister for Public Works be pleased to state whether any report of the Deputy Commissioner, Ferozepur, about the enquiry into the Municipal affairs of Ferozepur is pending before the Government ; if so, the nature of recommendations made therein and the action, if any, taken or proposed to be taken by the Government thereon ?

Sardar Gurbachan Singh Bajwa : Yes. Mal-administration has been reported to exist in the Municipal Committee, Feorzepur, and the appointment of an Executive Officer has been recommended to improve its affairs. After considering his lengthy report a back reference has been made to Deputy Commissioner, Ferozepur, to suggest action against ex-members for default in the performance of their duties in a number of cases and to make further enquiry into the allegations against certain officials of the Committee and laxity in the enforcement of by-laws. Necessary action is being taken on each allegation. The recommendations of the Deputy Commissioner, Ferozepur, for the extension of the Punjab Municipal (Executive Officer) Act,1931, to Ferozepur Municipality have, however, been kept pending till a decision is taken on the policy question whether the aforesaid Act should be repealed or otherwise amended in its application to the whole State.

REPRESENTATION AGAINST MUNICIPAL COMMITTEE, ABOHAR.

***3978. Shri Wadhawa Ram :** Will the Minister for Public Works be pleased to state whether any representation, dated 26th April, 1954, from Shri Satya Pal Ahuja was received by the Deputy Commissioner, Ferozepur, regarding cases of corruption and embezzlement in the Municipal Committee, Abohar, district Ferozepur ; if so, the action, if any, taken by the Government thereon ?

Sardar Gurbachan Singh Bajwa : Yes. An inquiry was held and it showed that the allegations were baseless.

INSPECTORS UNDER THE TRADE EMPLOYEES ACT.

***4052. Sardar Chanan Singh Dhut :** Will the Minister for Labour be pleased to state whether the Government has received a copy of the Resolution recently passed by the Working Committee of Punjab State Working Journalists Association complaining against the failure of the Inspectors appointed under the Punjab Trade Employees Act to inspect regularly the offices of the daily newspapers ; if so, the action, if any, taken by the Government in the matter ?

Chaudhri Sundar Singh : Yes.

The Milap, Hindi Milap, Hind Samachar and Partap dailies of Jullundur have been granted exemption from the operation of sections 6 and 7 of the Punjab Trade Employees Act, 1940, for a period of one year with effect from the 16th July, 1954, and the local Shop Inspectorate cannot check the offices of these Dailies for observance of provisions of these sections.

They are, however, required to check the offices of these dailies for the observance of other provisions of the Act and strict instructions have been issued to them in this respect.

ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ : ਇਹ exemption ਕਿਸ basis ਤੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਨ੍ਹਾਂ presses ਨੂੰ light ਘਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ light ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਘਨ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ presses ਨੂੰ ਇਹ exemption ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ।

ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਬਾਕੀ papers ਨੂੰ light regularly ਮਿਲਦੀ ਹੈ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਬਾਕੀ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ।

ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਇਹ exemption working journalists ਦੀ complaint ਤੇ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ request ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਬਾਕੀ papers ਦੇ ਆਪਣੇ ੨ presses ਹਨ ।

ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ : ਕੀ ਇਹ Act ਕਿਸੇ ਪਾਸ press ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ considerations ਵੀ ਹਨ ?

Mr. Speaker : It does not arise.

Sardar Harkishan Singh Surjit : Sir, it arises out of the reply given by the hon. Minister for Labour. Probably, you have not heard his reply. He has said that the provisions of the Punjab Trade Employees Act do not apply to the cases of those persons who have got their own presses........

Mr. Speaker : Order, order. The hon. Member should resume his seat.

WORKERS IN THE DHARIWAL WOOLLEN MILLS.

***4194. Sardar Bachan Singh :** Will the Minister for Labour be pleased to state the number of workers who were dismissed from service in the 1st week of August, 1954, in the Dhariwal Woollen Mills; and the reasons for the same ?

Chaudhri Sundar Singh : Government is not aware whether any workers of the Dhariwal Woollen Mills were dismissed by the management in an unusual manner during the month of August, 1954. The remaining part of the question does not arise.

DISPUTES BETWEEN THE WORKERS OF THE PUNJAB CLOTH MILLS, LTD., BHIWANI, AND THEIR EMPLOYERS, ETC.

***4437. Shri Ram Kumar Bidhat :** Will the Minister for Labour be pleased to state whether the dispute between workers of the Punjab Cloth Mills, Ltd., Bhiwani and their Employers and the dispute between the Staff Union of Technological Institute of Textiles, Bhiwani, and their Employers, are under the consideration of the Government, if so, the date when a decision in these disputes is likely to be taken ?

Chaudhri Sundar Singh : Yes.

Dispute between the workers of the Punjab Cloth Mills, Ltd., Bhiwani, and their Employers was referred to the Industrial Tribunal, Punjab, for adjudication, on the 15th February, 1955.

Conciliation proceedings in the dispute between the Staff Union of Technological Institute of Textiles, Bhiwani, and their Employers, conducted by the Labour Department failed on the 18th January, 1955. Matter is being further pursued by the Labour Commissioner in order to bring about a conciliation. In case these efforts also fail, the dispute will be referred to the Industrial Tribunal for adjudication as early as possible.

PUNJAB BEOPAR MANDAL AND SALES TAX.

***3722. Maulvi Abdul Ghani Dar :** Will the Minister for Labour be pleased to state—

(a) whether any agreement has been arrived at between the State Government and the Punjab Beopar Mandal ; if so, what ;

(b) whether the Government has considered the question of realising Sales Tax in a lump sum; if so, the decision, if any, arrived at in the matter?

Chaudhri Sundar Singh : (a) Yes. A copy of the proceedings of the meeting held on the 3rd March, 1954 and 22nd December, 1954, containing the said decisions is given below.

[Minister for Labour]

(b) Yes. The proposal was rejected as it was not considered workable.

Proceeding of the Meeting between the Punjab Government and the Executive of the Punjab Beopar Mandal, held in the Committee Room of the Civil Secretariat Chandigarh, on 22nd December, 1954.

Present :—

(1) Shri Bhim Sen Sachar, Chief Minister (in the Chair).	
(2) Chaudhri Sundar Singh, Labour and Excise Minister.	
(3) Sardar Lal Singh, Deputy Secretary, Revenue.	
(4) Shri S.R. Varma, I.A.S., Excise and Taxation Commissioner, Punjab.	
(5) Shri J.S. Sarohia, Assistant Excise and Taxation Commissioner, Punjab.	
(6) Chaudhri Balbir Singh, President, Punjab Beopar Mandal.	Beopar Mandal.
(7) Shri Ved Rattan Sud, Secretary, Punjab Beopar Mandal.	
(8) Shri Mool Raj Jain.	
(9) Shri Chet Ram Bhandari.	
(10) Shri Gyan Chand, and	
(11) Four others.	

This meeting was called to discuss the alternative proposals made by the President, Punjab Beopar Mandal, in his letter No. 602/PBM/4, dated the 16th December, 1954, addressed to Sardar Lal Singh, Deputy Secretary, Revenue. It may be added that an agreement was reached between the Punjab Government and the Punjab Beopar Mandal on the 3rd March, 1954, according to which the dealers were given the option to be assessed on their purchases by adding an agreed margin of profit. As a condition precedent for the implementation of this agreement, it was further agreed that the dealers would not opt to be assessed on the purchase basis unless satisfactory arrangements had been made with the railway and road transport authorities not to release the goods without the relevant documents having been countersigned by the sales tax authorities. On account of some difficulties the railway authorities have not agreed to the arrangements proposed by the Punjab Government so far. The Punjab Beopar Mandal felt that as an interim arrangement, Government might consider some alternatives. In fact the Beopar Mandal suggested some alternatives in their letter referred to above.

2. One of the alternative proposals suggested by the Punjab Beopar Mandal was that the Punjab Government should depute a clerk on every railway station to check the railway receipts and satisfy himself about the dealer's address and other particulars. This proposal was discussed and it emerged in the following final form :—

(i) That the Government would post their officials at such of the railway stations in the territory of Punjab as they consider advisable.

(ii) That the dealers exercising their option to be assessed on purchase basis would submit a declaration in the prescribed form to the officials so posted before taking delivery of the goods.

(iii) That in case the dealer submits a wrong declaration, he shall bear the consequences arising out of it.

(iv) That the Government would complete their arrangements so as to enable the dealers to exercise their option to be assessed on purchase basis with effect from the 1st April, 1955. It was assumed that the working of the proposal would be possible under the existing Act.

3. There was a considerable controversy over the question whether the stock in hand of a dealer on the eve of his change over from the sale basis to purchase basis should be taxed or not. Whereas the Boepar Mandal wanted that it should not be taxed, the Department, as represented by the Excise and Taxation Commissioner, saw no reason why it should not. The Chief Minister, as a gesture of goodwill and accommodation, agreed that the stock in

hand should not be taxed and the following formula was agreed on between the Punjab Government and the Punjab Beopar Mandal :—

(i) No tax would be levied on the stock in hand of a dealer when he changes over from the sale basis to purchase basis

(ii) Tax shall be levied on all his sales if a dealer changes over again from purchase basis to sale basis notwithstanding the fact that he has paid tax on the goods in hand at the time they were purchased.

4. The Beopar Mandal then took up the question of exempting certain goods, the list of which they had forwarded to Government. The Deputy Secretary, Revenue, explained Government's position in regard to these commodities. He explained that the Beopar Mandal had already agreed not to insist on the exemption of goods which were not included in the Schedule appended to the Central Government's enactment called the Essential Goods (Declaration and Regulation of Tax on Sale or Purchase) Act, 1952. He further pointed out that some of the other commodities listed by the Beopar Mandal were already included in the Schedule appended to the East Punjab General Sales Tax Act, 1948, and, therefore, exempt from the levy of sales tax. There were only three or four controversial commodities which the Beopar Mandal insisted should be exempted and the Government thought that there was no justification. At this stage the Chief Minister left the meeting and the Labour Minister took the Chair. Before the Chief Minister left, the Beopar Mandal thanked him most heartily for the accommodation he had shown, particularly in the matter of stock of goods in hand. After Chief Minister's departure the Beopar Mandal again took up the question of exemptions on the controversial commodities. Government agreed to reconsider the matter if the Beopar Mandal made out a case for any commodity.

5. The next point discussed related to the setting up of the Sales Tax Advisory Committee. The Beopar Mandal was requested to nominate five persons out of which Government would select three according to the agreement arrived at in the Beopar Mandal's meeting with Government on the 3rd of March, 1954. The Beopar Mandal wished that all the representatives of the trade to be put by Government on the Sales Tax Advisory Committee should be nominated by the Punjab Beopar Mandal. The Deputy Secretary, Revenue, explained that the function of the Advisory Committee is to discuss the difficulties of the trade and to arrive at decisions. If in the opinion of the Government there were certain persons who were in a position to be helpful to Government as well as to the trade, the Beopar Mandal should have no objection to their presence in the Advisory Committee. Of course such persons, who were not nominees of the Punjab Beopar Mandal, would not be there in the Sales Tax Advisory Committee in any representative capacity, they would be there in their individual capacity only.

6. The meeting dispersed with a feeling of satisfaction on having settled all the controversial issues.

———

Proceedings of the Meeting between the Chief Minister, Punjab, and the Executive of the Punjab Beopar Mandal held in the Civil Secretariat, Chandigarh, on the 3rd March, 1954.

Present :—

(1) Shri Bhim Sen Sachar, Chief Minister (in the Chair).

(2) Sardar Ujjal Singh, Finance Minister.

(3) Chaudhri Sundar Singh, Labour Minister.

(4) Shri P.K. Kaul, I.C.S., Financial Commissioner, Revenue.

(5) Shri S.R. Varma, I.A.S., Excise and Taxation Commissioner, Punjab.

(6) Shri J.S. Sarohia, Assistant Excise and Taxation Commissioner, Punjab.

(7) Chaudhri Balbir Singh, President of the Punjab Beopar Mandal.

(8) Shri Ved Rattan Sud, General Secretary.

(9) Shri Chet Ram Bhandari (Khanna).

(10) Shri Gyan Chand (Ambala).

(11) Dr. Gopal Dass (Amritsar).

(12) Shri Mool Raj Jain (Ludhiana).

(13) Shri Gobind Ram (Ambala).

} Beopar Mandal. [(7)–(13)]

[Minister for Labour]

The Chief Minister welcomed the Executive of the Beopar Mandal and assured them that he wanted to understand the difficulties of the trade. While he was anxious that the trade should not be harassed or inconvenienced in any way, he expected of the trade not to press for anything which might adversely affect the State revenue. Chaudhri Balbir Singh assured the Chief Minister that he and his colleagues and the trade in general were very keen to see that the dishonest among the mercantile community is exposed by them and brought to book.

2. The Chief Minister reviewed the previous negotiations which the Government had with the Beopar Mandal and emphasised that Government on their part had implemented all the decisions arrived at with the predecessors of the present Working Committee, although the latter could not get the decisions ratified by their Convention and that such an implementation was not binding on the Government inasmuch as the decision was subject to ratification by the Convention. That showed, he added, how desirous Government was to accommodate the beoparis in all their reasonable demands.

3. After these preliminaries, a prolonged discussion followed. The meeting which began at 10-30 a.m. was continued, after a little break in the afternoon, and lasted till 8-30 p.m. when the following unanimous decisions were accepted both by Government and the Beopar Mandal :—

(i) It was agreed that all imported taxable goods shall be liable to tax and the tax shall be payable by the first importer in the prescribed manner, viz., the value of the goods so imported *plus* 7½ per cent thereof as margin of profit:

Provided that such imported taxable goods are not for the purpose of manufacture of goods for sale.

(ii) A dealer other than an importer or a manufacturer/producer shall be liable to tax if his gross purchases exceed Rs. 50,000 a year.

(iii) A dealer in clause (ii) shall be liable to pay tax on all his purchases in the prescribed manner, viz., the value of goods so purchased *plus* Rs 7½ per cent thereof as margin of profit.

(iv) No tax shall be charged from the dealer in clauses (i) and (ii) above on the goods so purchased by him if he satisfies the Assessing Authority that the tax on the goods purchased by him has already been paid to a registered dealer or the goods have been exported outside the State.

(v) The taxable quantum for a manufacturer/producer shall be Rs. 10,000 a year. This amount represents the value of the goods manufactured/produced by him.

(vi) A manufacturer/producer liable to pay tax shall pay the tax on all his sales ;

Provided that no tax shall be paid on the goods sold by him to another registered dealer or exported out of the State of Punjab.

(vii) All registered dealers shall file their returns in the manner to be prescribed in the light of the above clauses.

(viii) All dealers liable for registration shall keep true accounts of their purchases and produce them before the prescribed authority. If the prescribed authority has definite information that the dealer does not keep faithful accounts of his purchases, he shall call on him to produce for examination his sale accounts as well and in case he keeps no such sale accounts, the prescribed authority shall direct him to maintain them in future.

(ix) No dealer liable to pay tax shall take delivery of goods from any railway or road transport authority unless he produces before the prescribed authority the documents of his purchases and get them countersigned by the said authority ; due facilities shall be provided by the Department for such countersignatures.

(x) The scheme embodied in the above clauses is subject to satisfactory arrangements having been made with the railway and road transport authorities not to release the goods without the relevant documents having been countersigned by the sales tax authorities.

4. It was agreed that the rate of tax on jewellery be reduced to Re. -/8/- per cent and at the same time bullion and specie, which at present are exempt from the levy, should be subject to a tax of Re. -/4/- per cent.

5. With regard to any amendment in the present Schedule of Exemptions, it was agreed that the Beopar Mandal should make out a case for any such amendment and submit it to Government for consideration. Each proposal shall be examined on merit.

6. The Beopar Mandal desired that before any Bill to implement the decision is brought before the Legislative Assembly, the Mandal should be consulted on the wording of the draft Bill in order to ensure that the Bill is in according with the decisions taken.

7. Chaudhri Balbir Singh requested the Chief Minister to constitute the Advisory Committee on Sales Tax now, as the negotiations of the Beopar Mandal with the Government had come to a successful termination. The Chief Minister suggested that the Beopar Mandal should send the names of five nominees of the Beopar Mandal out of which Government would select three. To this Chaudhri Balbir Singh agreed.

8. The Chief Minister insisted that the decisions arrived at between the Government and the Beopar Mandal should be placed by the Beopar Mandal in their Convention and got ratified before Government takes any step to implement them. Chaudhri Balbir Singh assured the Chief Minister that no such ratification was necessary, because the Convention of the Beopar Mandal which met at Khanna, gave them full powers to carry on the negotiations with the Government. The Beopar Mandal, therefore, he added, was fully empowered to take decisions. On this assurance the Chief Minister did not press for ratification of the decisions by the Beoparis' Convention.

9. In the end, the Chief Minister thanked all those who participated in the meeting and congratulated them on having reached an amicable settlement.

ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ : ਤੁਸੀ ਕਿਸ ਬਿਨਾ ਤੇ agree ਕੀਤਾ ਹੈ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ।

मौलवी अब्दुल गनी डार : वज़ीर साहिब ने बताया है कि फैसला 3-3-1954 को हो गया था तो एक साल तक इस में कोई amendment क्यों नहीं हुई ।

मौलवी अब्दुल गनी डार : क्या इस समझौतेको Cabinet की मन्ज़ूरी हासिल थी ?

मंत्री : आप कौन से समझौते की बात कर रहे हैं ।

मौलवी अब्दुल गनी डार : मुझे जो आप ने statement दी है क्या इसमें दरज समझौते की Chief Minister और दूसरे Ministers की मन्ज़ूरी हासिल थी ?

मौलवी अब्दुल गनी डार : स्पीकर साहिब, इन्होंने बताया है कि चूंकि समझौते पर कानूनी तौर पर अमल नहीं हो सका इस लिये उसे रद्द कर दिया गया । मैं पूछता हूं कि यह जो कुछ हुआ क्या इस के लिये Cabinet की मन्ज़ूरी थी ?

मंत्री : Cabinet की मन्ज़ूरी थी मगर ताल्लुक इस से मेरा है Cabinet का नहीं ।

मौलवी अब्दुल गनी डार: क्या वज़ीर साहिब फरमायेंगे कि जो फैसले किये जाते हैं उन में Cabinet की joint responsibility होती है या नहीं ?

Mr. Speaker : This question does not arise.

ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਆਇਆ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ legal advice seek ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗਲ ਹੈ । Legal advice ਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ।

Mr. Speaker : Order, Order.

मौलवी अब्दुल गनी डार : यह बताया गया है कि समझौता हुआ था मगर वह कानूनी वजुहात की बिना पर रद हो गया । तो क्या यह नए सिरे से किया जायेगा ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਸ ਲਈ ਵਖਰਾ ਸਵਾਲ ਪੁਛੋ।

मौलवी अब्दुल गनी डार : स्पीकर साहिब मैं आप की protection चाहता हूं, यह सब के interest की बात है कि अगर कोई रुकावट legal वजह से हुई तो उसे दूर किया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : आप तो राए पूछ रहे हैं । [You are seeking his opinion.]

मौलवी अब्दुल गनी डार : सरकार में information मांग रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं तो सरकार नहीं हूं । सरकार तो इधर बैठी है । [I am not the *Sarkar*. It is represented by the Treasury Benches over there.] (*Laughter*)

मौलवी अब्दुल गनी डार : जनाब, मैं पूछता हूं कि अगर legal कमी की वजह से समझौता टूट गया हो तो उस कमी को दूर करें ।

ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਸਮਝੋਤੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ legal flaw ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ?

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ statement ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ ।

[The reply to this question is already given in the statement attached to the main reply.]

SUBMISSION OF PETITIONS BY GOVERNMENT SERVANTS.

***3950. Pandit Shri Ram Sharma** : Will the Chief Minister be pleased to state :—

(a) whether there are any instructions authorising Government Servants to send an advance copy of their representations, petitions, etc. direct to the authority next above the one to whom their representation lies ;

(b) whether these orders are equally applicable to the police department ;

(c) whether any Officer is authorised to withhold any representation or not to forward the same to the Officer to whom it is addressed.

(d) whether these rules are applicable to the police department ; if not, the reasons therefor ?

Chief Parliamentary Secretary (Shri Prabodh Chandra) : (a) Yes.

(b) Yes, but this point is being considered further in consultation with the Government of India.

(c) Yes, under certain circumstances.

(d) As in (b) above.

AGREEMENT WITH THE PUNJAB BEOPAR MANDAL

***4328. Shri Dev Raj Sethi :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether any agreement was arrived at as a result of his discussions with the representatives of the Punjab Beopar Mandal in the second fortnight of December, 1954 ; if so, the details thereof ;

(b) the date when the agreement referred to in part (a) above is intended to be implemented ?

Chaudhri Sundar Singh : (a) Yes. A copy of each of the proceedings of the meetings held on 3rd March, 1954, 13th May, 1954 and 22nd December, 1954, is laid on the Table.

(b) First April, 1955, if the agreement can be implemented without carrying out any amendment of the Punjab General Sales Tax Act, 1949. If however, any amendments are needed, then after they are carried out.

Proceedings of the meeting between the Chief Minister, Punjab, and the Punjab Beopar Mandal, held in the Civil Secretariat, Chandigarh, on the 13th May, 1954, at 10.30 a.m.

Present :—

(1) Shri Bhim Sen Sachar, Chief Minister, Punjab (in the Chair).

(2) Sardar Ujjal Singh, Finance Minister, Punjab.

(3) Shri P.K. Kaul, I.C.S., Financial Commissioner, Revenue.

(4) Shri S.R. Varma, I.A.S., Excise and Taxation Commissioner, Punjab.

(5) Shri J.S. Uppal, Deputy Secretary, Revenue, Punjab.

(6) Shri J.S. Sarohia, Assistant Excise and Taxation Commissioner, Punjab.

(7) Chaudhri Balbir Singh, President, Punjab Beopar Mandal.
(8) Shri Ved Rattan Sud, Secretary, Punjab Beopar Mandal.
(9) Shri Gyan Chand, Ambala.
(10) Shri Kewal Krishan Mehra, Amritsar.
(11) Shri Harish Chandar Tengri, Ludhiana.
(12) Shri Hari Ram Gupta, Ludhiana.
(13) Shri Gopal Dass, Amritsar.
(14) Shri Hans Raj Kapoor, Ludhiana.
(15) Shri Mool Raj Jain, Ludhiana.
(16) Gyani Harjit Singh, Ludhiana.

} Beopar Mandal.

This meeting was called by the Chief Minister, Punjab, at the request of Chaudhri Balbir Singh, President of the Punjab Beopar Mandal. A letter, dated the 20th April, 1954, which the President of the Beopar Mandal addressed to the Chief Minister, Punjab, formed the basis of the agenda. This agenda included items on which agreement was reached by the Punjab Beopar Mandal with the Punjab Government in its last meeting with the Chief Minister held on the 3rd of March, 1954 (hereinafter referred to as the last meeting) as also some new items. The meeting which began at 10.30 a.m. concluded at 1.30 p.m.

2. The following matters were discussed :—

(i) (a). In the last meeting it was agreed that dealers or registrable as importers or ordinary dealers, other than manufacturers/ producers shall be charged sales tax on the purchase basis calculated on the value of goods imported *plus* 7½

[Minister for Labour]

thereof as margin of profit. The Beopar Mandal wanted that such dealers may, if they so wished, be allowed to pay sales tax on the existing basis of their sales. The Chief Minister accepted the request with the clear understanding that those opting to be taxed on the existing basis of their sales shall maintain and produce for examination before the departmental officers their normal accounts.

(b) The Chief Minister further agreed that the restriction that no dealer liable to pay tax shall take delivery of the goods from any railway or road transport authority unless he produces before the prescribed authority the documents of his purchases and gets them countersigned by the said authority, which was agreed upon in the last meeting, shall not apply to the dealer opting to be taxed on his actual sales.

(ii) The Beopar Mandal urged that in the case of dealers opting to be taxed on the basis of their purchases, the value of goods to which 7½ per cents is to be added as the margin of profit should include the freight, the octroi and the handling charges. The Chief Minister and the Finance Minister explained that what the Government had agreed in the last meeting was to charge sales tax on the basis of purchases by the dealers *plus* 7½ per cent as the margin of profit. That was done just to facilitate the maintaining of accounts. It was never the idea that the Government should not get the legitimate tax under this system, which they would get if actual sales were to be taxed. The *beoparis*, they added, would continue to charge tax on their actual sales price and it was, therefore, reasonable that they should pay to Government what they actually charged from the consuming public. It is common knowledge that in the determination of the sale price of an article, besides the margin of profit, incidental charges such as freight, octroi and handling charges are taken into account. The incidence of all these charges is added to the cost of goods for such determination. If, therefore, the dealers charge tax on the gross sale of price which included the incidence of freight, octroi and handling charges, it was only reasonable and fair that these charges should be added to the value of goods and the margin of 7½ per cent should be added to the amount after such addition. The Mandal, on the other hand, contended that the actual margin of profit of the trade in general is such less than 7½ per cent. In the last meeting when the Mandal agreed to the adition of 7½ per cent as margin of profit to the value of goods, the Mandal had done so on the understanding that this margin of 7½ per cent included the incidence of freight, octroi and handling charges. The Mandal further argued that the sole objective of agreeing to purchase basis was the simplification of accounts. The idea was that tax would be charged on the gross amount of a purchase invoice after adding 7½ per cent as the margin of profit. After considerable discussion the Chief Minister agreed that the expression ' the value of goods ' occurring in the proceedings of the last meeting, would mean the face value of the purchase invoice to which shall be added any advance money that might have been paid or might be paid in addition to the face value of the invoice. To this value shall be added the 7½ per cent as the margin of profit. It was made clear by the Chief Minister, that where this face value of the invoice included freight, octroi, handling charges etc., even though separately shown therein, that would be the value to which the agreed margin of profit is to be applied.

(iii) In the last meeting it was agreed that no dealer liable to pay tax shall take delivery of goods from any railway or road transport authority, unless he produces before the prescribed authority the documents of his purchases and get them countersigned by the said authority, due facilities shall be provided by the Department for such countersignatures. The Beopar Mandal proposed an alternative to this agreement by suggesting that the dealers before getting the delivery from the railway or road authority should be required to fill in a declaration from specifying full details about the consignment, viz., R/R No., amount of the invoice, sales tax registration number of the consignee, name of the consignor and further that these forms should be collected by the prescribed authority at any time convenient to him. The Chief Minister categorically refused to go back on what had already been agreed and added that the countersignature of the purchase documents before taking delivery of the goods was the *sine cua non* of the effective workability of the purchase basis system and there was no going back on that.

(iv) The Beopar Mandal in the agenda of this meeting had enumerated a number of commodities to be included in the Schedule of Exemptions. In the last meeting it was agreed that the Beopar Mandal should make out a case for any such in-

clusion and submit it to Government for consideration and that each proposal would be examined on merits. The Chief Minister informed the Beopar Mandal that the case was being examined and the Beopar Mandal would be informed of Government's decision in due course. However, the President of the Beopar Mandal, Chaudhri Balbir Singh, conceded that he would not press for inclusion of such commodities in the Schedule as are not included in the list of Commodities drawn up by Parliament under Article 286 (3) of the Constitution as commodities essential for the life of the community.

(v) The Beopar Mandal had suggested that the right of appeal against imposition of any kind of penalty or assessment of tax, without first depositing the amount of penalty or tax, should be given to the dealers. It was explained to him that powers to the appellate authorities in this behalf have already been incorporated in section 20 of the Punjab General Sales Tax Act, 1948. Chaudhri Balbir Singh did not press this point any further.

(vi) The Beopar Mandal had suggested that the discriminatory powers given to the administration in the Sales Tax Amendment Bill should be dropped. By this suggestion the Beopar Mandal meant the Sales Tax Amendment Bill which aimed at giving powers to Government to erect what are called 'Check Posts'in order to stop evasion of Tax. The Bill was before the Select Committee and he suggested that the Mandal should contact the members of the Committee and explain to them their view point. It was not fair for Government to prejudge the recommendations of the Select Committee.

(vii) The Beopar Mandal had recommended, periodic meetings between the representatives of the Beopar Mandal and the administration to discuss the working of the Tax Act. The Chief Minister told the Mandal that a forum in the shape of a Sales Tax Advisory Committee had already been agreed on between the Government and the Beopar Mandal and that it was up to the Beopar Mandal to set that forum functioning by recommending their nominees as agreed to in the last meeting.

(viii) The Beopar Mandal had suggested that the registration of dealers may be cancelled at the request of the dealer in the beginning of the year. This was not agreed to by the Chief Minister.

(ix) The Chief Minister posed a question to the Excise and Taxation Commissioner as to the position of the goods on hand of a registered dealer when he changed over from 'Sales-basis' to 'Purchase-basis'. The Excise and Taxation Commissioner explained that the value of the such goods [on hand] of a registered dealer when he changes over from 'sales-basis' to 'purchase-basis'. The Excise and Taxation Commissioner explained that the value of such goods shall be included in the value of the goods purchased by the dealer and taxed for the reason that the registered dealer had purchased these goods tax free on the strength of his registration certificate and tax must be paid on the sale thereof, when such sale is calculated even on the purchase value of the goods *plus* 7½ per cent as margin of profit. This position, the Beopar Mandal vehemently contested. The Beopar Mandal was of the opinion that such goods should not be taxed at all as they were stock in hand only. What Government was changing was the mode of collection only and there was, therefore, no justification for taxing the stock in hand, which would be very hard. The Chief Minister and the Finance Minister, however, saw absolutelv no logic in the Beopar Mandal's stand. This item was left inconclusive for further consideration of Government and the Beopar Mandal after the Beopar Mandal had discussed it with the Excise and Taxation Commissioner.†

REVISED PAY SCALES OF DIFFERENT CLASSES OF CLERKS

***4329. Shri Dev Raj Sethi :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether the Government has made the pay scales etc. of various types of clerks employed under the Government uniform ; if so, from what date and the new-scales of pay ;

(b) whether any class of clerks is likely to be adversely affected by the action referred to in part (a) above ; if so, what ;

(c) whether any representation has been received by Government in connection with the revision of pay scales mentioned above ; if so, the action, if any, taken thereon ?

†*Note* : For proceedings of meetings held on 3-3-1954 and 22-12-1954 please refer to reply to Q. No. 3722 at pages 8 to 11 ante.

Sardar Ujjal Singh : (a) Yes. The new scale of pay is Rs. 60—4—80/5—120/5—175, and it was enforced with effect from the 1st January, 1955.
(b) and (c) According to the original orders, officiating senior clerks were adversely affected in the matter of pay. As a result of the representations received from these senior clerks, the original orders have been revised. Such senior clerks, with more than two years' continuous service, will get the same pay that they were drawing previously along with the annual increments. Senior clerks with one year's continuous service on the 31st December, 1954, will get the same pay as they would have drawn as junior clerks *plus* one advance increment. These senior clerks, as also those who have less than one years' service will, however, receive personal pay, so as to make their total pay equal to what they were drawing on the 31st December,1954, which would be absorbed in their future increments. No senior clerk would, therefore, be put to any immediate financial loss consequent on the introduction of the new scale.

PERCENTAGE OF HARIJANS IN GOVERNMENT SERVICES

***3726. Shri Abdul Ghani Dar :** Will the Chief Minister be pleased to state the total percentage of Harijans employed in Government services during the years 1952-53, 1953-54 and 1954-55 (up to 1st September) together with the total number of Harijans Gazetted Officers and their percentage among the total number of Gazetted Officers in the State ?

Chief Parliamentary Secretary (Shri Prabodh Chandra) :

1952-53	..	4.3 per cent
1953-54	..	5.6 per cent
1954-55 (Up to 1st September, 1954)	..	7.4 per cent
Total Number of Gazetted Officers in the State	..	1,560.
Total Number of Harijan Gazetted Officers	..	32.
Their percentage	..	2.1 per cent

STRICTURES PASSED BY THE COURT IN GURGAON TREASURY EMBEZZLEMENT CASE

***3948. Pandit Shri Ram Sharma :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether it has come to his notice that the trying court in the Gurgaon Treasury Embezzlement Case has passed strong strictures against the Police ; if so, the details thereof together with the action ; if any, taken by the Government in the matter ;

(b) the names of officers against whom the said strictures were passed ?

Shri Bhim Sen Sachar : (a) Yes. The Special Magistrate, who tried the Gurgaon Treasury Embezzlement Case, criticised the Police investigation : a copy of the relevant extract from his judgment is given below.

No action has been taken in this connection so far. The accused filed appeals against their conviction and some of the accused also filed a civil suit against the Punjab Government and certain Police Investigating Officers for damages to the tune of Rs. 3,00,000. The appeal of Shri Matu Ram, Sadr Treasurer, was rejected by the High Court whereas the appeals of his son and son-in-law were accepted. Shri Matu Ram has now filed an appeal in the Supreme Court ; the Civil Suit has also not been decided so far. The matter is thus *subjudice*, and no action has been taken as a result of the Special Magistrate's criticism.

(b) the strictures were of a general nature against the Police and were not directed against any particular Police Officer by name.

Extract from the Judgment of Shri Kalwant Singh, Special Magistrate, Gurgaon.

"As far as Magistrates are concerned I think it would be too far fetched to impute to them any ulterior motives in the various orders passed by them. It was represented to them that the amounts about which they were being called upon to pass orders, were case property and as such orders were obtained from them under full cover of law. There may have been an error of judgment here and there but of intentional or malafide abuse of authority, there seems to be no trace. I would, however, not say the same about the Police. They were definitely more in the know of actual facts revealed by investigation and the statements of the accused and other witnesses, and their action in some instances can not be absolved from the charge of high-handedness. My general impression is that since the Police became seized of the investigation they managed to create a scare under cover of which every conceivable act was done, whether regular or irregular, the object being to seize property and make good Government loss, in whatever way it was possible. This was certainly far from being an objective approach to investigation. Another line to which the investigation appears to have been committed practically from the very start was the implication of some of these rich parties of Delhi Bullion Market, again the motive was probably same, i.e. there was a much greater chance of Government losses being made up in this way than otherwise. This opinion of mine would be further borne out by the discussion of the confessional statements made by Matu Ram accused and Om Parkash accused, before the Senior Sub-Judge Shri Mehar Singh Chadha which will follow at the proper place.

As already mentioned, it is not very relevant to the decision of this case and the determination of the innocence or the guilt of the accused, to give any more definite finding on these individual allegations of Police high-handedness, more so as it may tend to prejudice the case of either party in the Civil Litigation which is stated to be pending between Mahalakshmi Bullion Exchange and the State Government and some Police Officers."

ARRESTS UNDER SECTION 9 OF THE PUNJAB SECURITY OF STATE ACT IN DISTRICT HISSAR

***3980. Shri Wadhawa am :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the number of persons so far challaned under Section 9 of the Punjab Security of State Act, 1953, in district Hissar;

(b) the number of persons arrested under Section 9 of the said Act, in Sirsa, district Hissar, on the 3rd and 4th September, 1954 ?

Chief Parliamentary Secretary (Shri Prabodh Chandra) : (a) 28 (2 in 1953, 18 in 1954 and 8 in 1955 up to 20th February, 1955). (This does not include the number of persons challaned in case F.I.R. No. 62, dated 3rd September, 1954, under section 147/148/452/332/115 I.P.C. and Section 9 of the Punjab Security of State Act, P.S. City Sirsa).

(b) 32.

ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ : ਕੀ arrests ਇਸ ਬਿਨਾ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ complaint ਕੀਤੀ ਸੀ ?

ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦਸੀ ਹੋਈ ਦਫਾ ਦੇ under ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ arrest ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।

ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ : ਕੀ ਜੁਰਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ?

ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ : ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਦਫਾ ਨਹੀਂ ਜਿਥੇ ਪੁਲਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ arrest ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ।

ਸ਼੍ਰੀ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ?

चीफ़ पार्लिमेंटरी सैक्रेटरी : कानून की खिलाफ़वर्जी ।

PROSECUTIONS UNDER SECTION 9 OF THE SECURITY OF STATE ACT

***3982. Shri Wadhawa Ram :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the total number of prosecutions in the State, district-wise, under Section 9 of the Punjab Security of the State Act, 1953, during the year 1954 along with the number of cases decided by the Courts ;

(b) the number of such cases in which the accused were sentenced and discharged separately ;

(c) the number of cases in which the accused were sentenced by the Lower Courts but were later acquitted by the appellate Courts ?

Shri Bhim Sen Sachar : A statement containing the required information is given below :—

Statement showing the—

(a) total number of prosecutions in the State, district-wise, under Section 9 of the Punjab Security of the State Act, 1953 during the year 1954 along with the number of cases decided by the Courts ;

(b) number of such cases in which the accused were sentenced and discharged separately ; and

(c) number of cases in which the accused were sentenced by the Lower Courts but were later acquitted by the appellate courts.

District	Total number of prosecutions.	Number of cases decided by courst.	NUMBER OF CASES IN WHICH ACCUSED WERE SENTENCED AND DISCHARGED SEPARATELY.		Number of cases in which accused were sentenced by the lower Courts but were later acquitted by the Appellate Courts.	REMARKS.
			Sentenced.	Discharged.		
Hissar ..	18	6	6	..	..	12 cases pending in court.
Rohtak ..	4	..	..	..	..	4 cases pending in court.
Gurgaon ..	..	..	..	..	..	
Karnal ..	..	..	..	..	..	
Ambala ..	..	..	..	..	..	
Simla ..	..	..	..	..	..	
Kangra ..	..	..	..	..	..	
Hoshiarpur	1	..	..	..	..	1 case pending in court.
Jullundur ..	1	..	..	1	..	
Ludhiana ..	3	2	1	1	..	1 case pending in court.
Ferozepore	..	..	..	..	..	
Amritsar ..	5	2	1	1	..	3 cases pending in court.
Gurdaspur ..	..	..	..	..	..	

DEATH OF MASSU OF VILLAGE KAIRON, DISTRICT AMRITSAR WHILE IN POLICE CUSTODY

***4043. Sardar Darshan Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether it has been brought to his notice that one Massu of village Kairon, district Amritsar, was arrested by the Sub-Inspector of Police, Teja Singh and done to death while in police custody ;

(b) whether any enquiry has been held into the above-mentioned allegation ; if so, the result thereof ?

Chief Parliamentary Secretary (Shri Prabodh Chandra) : (a) *First part.*—Yes.

Second Part.—No.

(b) *First part.*—Yes.

Second part.—Magisterial enquiry was held by Shri R.D. Joshi, M.I.C., Amritsar and he came to the conclusion that Massu had died of heart disease and that the Police were in no way responsible for his death.

ਸ਼੍ਰੀ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ : ਜੋ enquiry ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੀ ਉਸ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਰਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ?

ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ : ਜੀ ਨਹੀਂ । ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ।

PETITION AGAINST ALLEGED MURDER BY POLICE

***4103. Sardar Harkishan Singh Surjit :** Will the Chief Minister be pleased to state whether the Government has received a petition, dated 24th July, 1954, from Shri Duli Chand, son of Harphool Singh, village and post office Kharawar, district Rohtak, alleging that his cousin brother, Anand and 3 others were murdered by the Police and demanding an enquiry into the circumstances of their death ; if so, the action taken by the Government in the matter ?

Chief Parliamentary Secretary (Shri Prabodh Chandra) : *First part.*—Yes ;

Second part : Anand and his 3 companions who were members of the notorious Brahman gang of Rohtak District were killed in an Armed encounter with the Police on 30th June, 1954. The District authorities instituted a magisterial enquiry into this encounter, and Shri Duli Chand submitted an application making serious allegations against the police before the Magistrate conducting the enquiry. The Magistrate afforded him every facility but he could not produce evidence to prove his allegations. The magisterial enquiry fully justified police action and the allegations made by Shri Duli Chand were found to be incorrect.

ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ : ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ enquiry ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ Police Officials ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਨ ਪਾ ਸਕਣ?

चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी : जो enquiry करने के तरीके हैं उनके मुताबिक enquiry की गई थी और शिकायत करने वाले को पूरा मौका दिया गया था कि वह evidence पेश करे मगर वह अपना case साबत न कर सका ।

ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ : ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ Police Officials ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹ murder ਦੇ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਸਨ enquiry ਕਰਣ ਵੇਲੇ ਉਥੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ?

चीफ़ पार्लियामैण्टरी सैक्रेटरी : जो formalities एक impartial enquiry के लिये जरूरी होती हैं उन्हें पूरा कर दिया गया था।

REFUND OF FINE IMPOSED ON VILLAGE BHALPUR, DISTRICT HOSHIARPUR

*4132. **Sardar Chanan Singh Dhut** : Will the Chief Minister be pleased to state —

(a) whether it is a fact that punitive police was posted in village Bhalpur, tehsil Garhshankar, district Hoshiarpur, during the years 1922, 1923 and 1924 in connection with Babar Akali movement and a fine of Rs 7,200 was collected from the residents of that village ;

(b) whether the Government has received any application, dated 27th September, 1954, on behalf of the village Panchayat for the refund of the said fine; if so, the action, if any, taken or proposed to be taken by the Government in the matter ?

Chief Parliamentary Secretary (Shri Prabodh Chandra) : (a) Yes ; Punitive Police was posted in village Behbalpur(Not Bhalpur) in tehsil Garhshankar, Hoshiarpur District, for the period from 1st August, 1922 to 31st March, 1925, in connection with the Babar Akali Movement. In spite of the efforts made it has not been possible so far to find out whether a sum of Rs 7,200 was collected from the residents of this village, on this account. However, efforts to collect this information are still in progress.

(b) Yes ; the matter is under enquiry.

ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ : ਮੈਂ ਇਹ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਾਲੇ ਤਕ ਇਹ find out ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿ fine was collected or not ?

Chief Parliamentary Secretary : This incident occurred 30 years ago and most of the relevant records are with the Pakistan Government. In this connection enquiries have been made from the Pakistan Government and we are trying our best to get the relevant files.

ARMS LICENCES GRANTED TO THE SCHEDULED CASTES IN THE STATE

*4582. **Sardar Gopal Singh:** Will the Chief Minister be pleased to state the number of persons belonging to the Scheduled Castes in each district who have been granted Arms Licences ?

Chief Parliamentary Secretary (Shri Prabodh Chandra) :

Name of the District.		*Number of persons belonging to the Scheduled Castes who have been granted Arms Licences.*
1. Amritsar	..	6
2. Ferozepore	..	15
3. Gurdaspur	..	5
4. Ludhiana	..	6
5. Kangra	..	34
6. Jullundur	..	25
7. Hoshiarpur	..	(The information is being collected and will be supplied to the member as soon as received)
8. Ambala	..	10
9. Karnal	..	75
10. Gurgaon	..	17
11. Hissar	..	244
12. Rohtak	..	65
13. Simla	..	3

MEETINGS OF PANCHES IN AREAS OF POLICE STATIONS NIHALSINGHWALA AND MEHNA, DISTRICT FEROZEPORE

***4131. Sardar Chanan Singh Dhut :** Will the Chief Minister be pleased to state if any meetings of Panches of the area under the jurisdictions of police stations Nihalsinghwala and Mehna, tehsil Moga, district Ferozepore, were addressed by the Ministers during the month of September, 1954; if so, the number of such meetings addressed and the purpose of each such address ?

Chief Parliamentary Secretary (Shri Prabodh Chandra): No meetings of Panches of the area under the jurisdiction of police stations Nihalsinghwala and Mehna, were addressed by the Ministers during the month of September, 1954.

SCHEDULED CASTE SURPANCHES IN THE STATE

***4583. Sardar Gopal Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state the number of Sarpanches, district-wise, in the State belonging to the Scheduled Castes?

Chief Parliamentary Secretary (Shri Parbodh Chandra) :

1.	Hissar	..	13
2.	Rohtak	..	12
3.	Gurgaon	..	6
4.	Karnal	..	6
5.	Ambala	..	29
6.	Kangra	..	1
7.	Hoshiarpur	..	75
8.	Jullundur	..	78
9.	Ludhiana	..	25
10.	Ferozepore	..	30
11.	Amritsar	..	10
12. -	Gurdaspur		21

श्री बाबू दयाल : यह जो आप ने फरमाया है कि छे: nominations हुई हैं क्या चीफ़ पार्लियामैण्टरी सैक्रटरी कृपा कर के बतायेंगे कि यह कहां कहां हुई हैं ?

Chief Parliamentary Secretary : I want notice for answering this question.

SHAMILAT FUNDS IN DISTRICT KANGRA

***4462. Bakhshi Partap Singh :** Will the Minister for Development be pleased to state whether he is aware of the fact that a large amount of Shamilat Funds in district Kangra is lying undeposited with the various lambardars ; if so, the reasons therefor ?

Sardar Partap Singh Kairon : *First part.*—Yes.

Second part : Prior to the enforcement of the Punjab Village Common Lands (Regulation) Act, 1953, the Shamilat income was kept with the lambardars for adjustment towards the payment of land revenue. Action is now being taken to transfer these funds to the Panchayats.

CONSOLIDATION IN VILLAGE PANJORA, TEHSIL JAGADHARI

***4511. Sardar Bachan Singh** : Will the Minister for Development be pleased to state whether any land has been reserved for manure pits for the use of agricultural labourers and landless tenants in village Panjora, tehsil Jagadhari, during the Consolidation operations ; if not, the reasons therefor and the action, if any, Government proposes to take in the matter ?

Sardar Partap Singh Kairon : Yes . Does not arise.

APPOINTMENT OF HARIJAN LAMBARDARS

***4042. Sardar Darshan Singh:** Will the Minister for Development be pleased to state —

(a) the total number of applications received by the Government from Harijans for appointment as Lambardars in the State ;

(b) the total number of applicants referred to in part (a)above appointed as Lambardars so far together with their emoluments ?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) and (b) (i) : A statement is given below

(b) (ii) No emolument is admissible to Harijan lambardars.

		Part (a)	*Part (b) (i)*
Hissar	..	1,118	166
Rohtak	..	1,248	6
Gurgaon	..	945	12
Karnal	..	Information not received.	72
Ambala	..	1,006	2
Simla	..	..	..
Kangra	..	46	1
Hoshiarpur	..	1,888	..
Jullundur	..	196	..
Ludhiana	..	1,500	276
Ferozepore	..	588	..
Amritsar	..	261	..
Gurdaspur	..	Applications have not yet been invited.	

HOUSE SITES FOR HARIJANS IN DISTRICT AMRITSAR

***4048. Sardar Achhar Singh Chhina:** Will the Minister for Development be pleased to state—

(a) whether there exists any dispute regarding the ownership of village common land in village Manu Chabal, in police station Jhabal, district Amritsar, between Harijans and Proprietors;

(b) whether any reference has been made to Government under the Punjab Village Common Lands Act, 1953; if so, the steps taken by the Government?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) Yes. A civil suit is going on between the parties.

(b) *First part.*—No.

Second part.—Does not arise.

EXTENT OF DAMAGE DUE TO RECENT FLOODS AND RAINS

***4049. Sardar Achhar Singh Chhina :** Will the Minister for Development be pleased to state—

(a) the extent of damage to life , houses, crops and other property in Rural areas district-wise in the State as a result of floods and heavy rains during the recent months ;

[Sardar Achhar Singh Chhina]

(b) the details of assistance given or proposed to be given by the Government to rural labourers and peasants for construction and repair of houses, food, fodder and seed and by way of land where their lands have been washed away ;

(c) whether any remission in land revenue and other taxes has been given by the Government ; if so, what ?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) A statement is given below.

(b) (i) Gratuitous relief-Rs 92,000.

(ii) Taccavi loans-Rs 2,70,000.

(iii) Abadi of two villages in Amritsar District shifted to safer place.

(c) The matter is still under consideration.

Statement showing the damage done by floods and heavy rains in the State

Name of the District	DAMAGE DONE TO			
	Life	Houses	Crops	Other property
1	2	3	4	5
Hoshiarpur ..	.	221	Rs 1,15,000	..
Amritsar ..	48 Cattle	1,765	15,950 acres	2,547 maunds wheat and 3,793 maunds fodder washed away.
Ludhiana ..	Light damage	to Kharif crops	in Bet areas	only.
Ferozepore ..	1 Human Life 31 cattle	2,125 houses and 25 Jhugis	17,375 acres	..
Gurdaspur ..	1 Human life 82 Cattle	1,775	..	..

ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ : ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ land revenue ਦੇ remission ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਦੋਂ ਤਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਜੇ rules ਨੂੰ amend ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ on the spot ਹੀ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ । ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੁਣ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉਸ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲਗੀ ।

PUNJAB EXTINGUISHMENT OF JAGIRS BILL, 1953

*4422. **Shri Mool Chand Jain** : Will the Minister for Development be pleased to state—

(a) whether the Punjab Extinguishment of Jagirs Bill, 1953, passed by the Punjab State Legislature has been assented to by the President ; if not, the reasons therefor, and the date on which the said Bill was returned by the President ;

(b) the action taken or proposed to be taken by the Government for the abolition of Jagirs in the State ?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) *First part.*—Not yet.

Second part.—Government of India have recently made certain enquiries which are being examined.

(b) Does not arise.

ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ : ਕੀ ਕਾਰਣ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਹਾਲੇ ਤਕ President ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ।

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ।

Sardar Harkishan Singh Surjit : I want to know the objections and reasons why the Bill has not received the assent of the President ?

Mr. Speaker : The Government of India may have raised certain objections due to which the Bill has not been assented to by the President.

ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ : ਉਹ objections ਕੀ ਹਨ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਉਹ objections ਦਸਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ।

ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ : ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ objections ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਿਲ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਹੈ ।

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਉਸ ਵਿਚ ਕਈ important ਚੀਜ਼ਾਂ involved ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ।

श्री तेग राम : जिन वजूहात की बिना पर यह बिल वापस कर दिया गया है पंजाब सरकार उस पर विचार कर के कब तक वह बिल वापस भिजवा देगी ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਸ ਸਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ Constitution ਦੀ amendment ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸਲਈ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸਹਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ।

ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ : ਕੀ ਇਹ ਵਜਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ Constitution ਦੀ amendment ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਹ ਇਕ ਭਾਰੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ।

ਸ਼੍ਰੀ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ : ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ੀਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਛਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਪੁਛ ਲਿਆ ਸੀ ।

CEILING ON LAND HOLDINGS IN THE STATE

*4424. **Shri Mool Chand Jain :** Will the Minister for Development be pleased to state—

(a) whether any communication regarding the fixation of ceiling on land holdings in the State has been received from the Planning Commission ; if so, a copy thereof may be laid on the Table ;

(b) the action, if any, taken or proposed to be taken in the matter ?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) *First part.*—No.

Second part.—Does not arise.

(b) The matter will be considered as soon as the Census of land holdings and cultivation is completed.

ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ : ਜਿਹੜੀ ceiling ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ planning commission ਨੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੀ ਉਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਰਖਦੀ ਹੈ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਜੀ ਨਹੀਂ ।

HOUSE BUILT ON ABADI DEH OF VILLAGE KAZIBANS

*4509. **Sardar Bachan Singh:** Will the Minister for Development be pleased to state whether the Government has received a representation dated 26th October, 1954, from the Secretary, Kisan Sabha, Ambala City, regarding the eviction of one Daya Ram, of village Kazibans, tehsil Jagadhari, from his house built on the Abadi Deh of the village, by the landlords with the help of the police ; if so, the action, if any, taken by the Government in the matter?

Sardar Partap Singh Kairon : *First part.*—Yes.

Second part.—Enquiries made have revealed that Shri Daya Ram was never evicted by the Police. In fact he is still in occupation of the said house.

CONSOLIDATION OF LAND HOLDINGS IN VILLAGE KULCHAR, TEHSIL JAGADHARI

***4510. Sardar Bachan Singh :** Will the Minister for Development be pleased to state whether it is a fact that the consolidation of land holdings has been completed in village Kulchar, tehsil Jagadhari; if so, whether the tenants have been given possession of the lands under their cultivation after the consolidation, if not, the reasons therefor?

Sardar Partap Singh Kairon : The consolidation work has been completed in village Kulchandu, and not Kulchar as mentioned in the Assembly Question. All the tenants residing in this village have been given possession of the lands under their cultivation after the consolidation. Some tenants who lived in Panjauri agreed to take land of the same landlords situated in village Panjauri, instead of their previous tenancy holdings. Thus all the tenants residents and non-residents got their tenancy holdings.

ਸ਼੍ਰੀ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ : ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਸੀ ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय मैंबर इस सवाल का अलहदा नोटिस दें। इस सवाल में वह सारी details नहीं ला सकते ।

(The hon. Member should give fresh notice of this question. He cannot bring in all the details in this question.)

GOVERNMENT DAIRY FARM AT CHANDIGARH

***4670. Shri Daulat Ram Sharma :** Will the Minister for Development be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under the consideration of Government to sell out the dairy farm at Chandigarh ;

(b) whether the said dairy has been working at a loss ; if so what;

(c) whether any enquiry into the causes of the loss referred in part (b) above has so far been held ; if not, whether it is proposed to hold an enquiry?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) No.

(b) The said dairy was running at a small loss. The extent of the loss is not available as the accounts of the farm have not yet been closed.

(c) No. There is no proposal under consideration of Government to hold an enquiry.

ESTABLISHMENT OF THE PUNJAB COLLEGE OF VETERINARY SCIENCE AND ANIMAL HUSBANDRY AT HISSAR

***4374. Shrimati Sita Devi:** Will the Minister for Development be pleased to state—

(a) the total amount spent by the Government since partition on establishing the Punjab College of Veterinary Science and Animal Husbandry, including its Hostel, at Hissar ;

(b) the annual recurring expenditure of this College ;

(c) the number of students in the said College, and the expenditure incurred by the Government per student who graduated in 1951, 1952, 1953 and 1954, respectively ;

(d) the expenditure on the staff per annum ?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) Rs. 13,27,000.

(b) Rs. 1,54,400 (average of recurring expenses for the last two years).

(c) the information is given below.

—	Number of students.	Expenses incurred per student.	Number of students graduated.
		Rs	
1950-51 ..	45	4,564·6	28
1951-52 ..	77	2,837·5	9
1952-53 ..	106	1,344·8	10
1953-54 ..	153	1,086·4	10
1954-55 ..	232	Year is still going on.	

(d) Rs. 1,19,850 (average of the last two years).

श्रीमती सीता देवी : इस institution पर लाखों रुपये खर्च होने के बावजूद इतने कम graduates क्यों निकलते हैं जितने कि statement में दिखाए गए हैं ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਜੇ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਦਾਖਲ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ number ਦੁਗਣਾ ਹੋ ਜਾਏ । (ਹਾਸਾ)

श्रीमती सीता देवी: क्या इस का कारण यह नहीं है कि जो graduates निकलते हैं....

अध्यक्ष महोदय : आप सलाह मशवरा देने की कोशिश न करें । (Please don't try to make a suggestion.)

श्रीमती सीता देवी : क्या इस का कारण यह नहीं है कि veterinary doctors के ग्रेड बहुत कम हैं ?

Mr. Speaker : It is not a supplementary question.

ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ : ਕੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਭੱਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ੇਰੇ ਗੌਰ ਹੈ ?

Minister : We have allowed one *girl* to get admission.

PRESERVATION OF WILD LIFE IN THE STATE

*4399. **Shri Ram Chandra Comrade** : Will the Minister for Development be pleased to state—

(a) whether the Government has received any circular letter from the Government of India advising State Governments to establish National Parks for the preservation of wild life ; if so, the steps, if any, which the Government has taken in this regard ;

(b) whether there are any sanctuaries for birds or animals existing in the State at present ; if so, where ?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) Yes. No national parks can be set up in this State as there are no forests in the State which are easily accessible. A sanctuary at Kalesar is under consideration.

(b) There are Game sanctuaries existing in the Punjab State in Gurdaspur, Simla, Amritsar, Kangra and Hissar Districts only of a minor character.

SOCIAL WELFARE PLANS IN THE STATE

*4439. **Shri Ram Kishan** : Will the Minister for Development be pleased to state whether the Government has received any instructions from the Planning Commission to make a comprehensive study and survey of the social welfare plans now in force in the State ; if so, details of these instructions together with the action taken by the Government thereon ?

Chief Parliamentary Secretary (Shri Prabodh Chandra) : Yes. Instructions were received for a Study and Survey of Social Welfare laws in force in the State. Some material was supplied to the Planning Commission, who then deputed a special officer to make a local tour and study. Discussions were held with this officer and as a result a note was prepared on the basis of which information is now being collected through the Home Department.

श्री राम किशन : क्या चीफ़ पार्लियामैण्टरी सैक्रेटरी साहिब बतायेंगे कि उन अफसरों ने जो Planning Commission की instruction के मुताबिक लगाये गये थे वथा सिफारिशें की हैं ?

चीफ पार्लियामैण्टरी सैक्रेटरी : पंजाब गवर्नमैण्ट ने कोई अफसर depute नहीं किये हैं। 11-6-53 को Central Social laws के बारे में एक चिट्ठी Planning Commission की तरफ से आई थी जिस में उन्होंने एक booklet तैयार करने के लिये information मांगी थी जो supply कर दी गई थी। इस सिलसिले में उन के अफसर आये थे, उन की हिदायत के मुताबिक तमाम information supply कर दी गई थी।

श्री राम किशन: क्या पंजाब गवर्नमैण्ट उस information को जो इस सिलसिले में Central Government को भेजी गई है शाया करने का इरादा रखती है ?

चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी : Government of India एक comprehensive booklet social laws के बारे में छाप रही है। पंजाब गवर्नमैण्ट अलहदा booklet छापने की जरूरत महसूस नहीं करती।

LAND CENSUS IN THE STATE

***4423. Shri Mool Chand Jain** : Will the Minister for Development be pleased to state—

(a) whether the Planning Commission has asked the Governmet to take land census in the State; if so, a copy of the Commission's communication in this behalf be placed on the Table together with the date when it was received ;

(b) the action, if any, so far taken by the Government in the matter referred to above ?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) *First part.*—Yes.

Second part.—It was only a reminder to the main letter from the Ministry of Food and Agriculture and hence its copy will not serve any useful purpose.

(b) The Census of Land Holdings and Cultivation is in progress.

श्री तेग राम : यह land holdings की census कब तक हो जायेगी ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਿਛੋਂ।

ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ : ਜੇ Planning Commission ਨੇ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਗਲ ਜ਼ੇਰ ਗੌਰ ਹੈ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ : ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ Planning Commission ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਅਜ਼ਚਨ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਛਡ ਦਿਤੀ ਜਾਏ।

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ census ਕਰਵਾ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਖਾਂ ਰੁਪਏ ਬਚਾ ਲਏ ਜਾਣ।

DISTRIBUTARY SERVING VILLAGE KOKRI IN DISTRICT FEROZEPORE

***4130. Sardar Chanan Singh Dhut** : Will the Minister for Irrigation be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the perennial supply of water has been sanctioned by the Government in the distributary serving village Kokri in tehsil Moga, district Ferozepore; if so, the date on which orders to this effect were passed ;

(b) the total number of new water channels or distributaries for irrigating lands in tehsil Moga, district Ferozepore, sanctioned by the Government in the months of August and September, 1954 ?

Chaudhri Lahri Singh : (a) Yes, with effect from 27th October, 1954.

(b) Nil.

श्री तेग राम : क्या मंत्री जी कृपा कर के बतायेंगे कि 27 अक्तूबर से लेकर अब तक कितनी बार पानी दिया गया है ?

Minister : Does it arise out of this question ? Am I expected to have the records with me ?

श्री बाबू दयाल : क्या वज़ीर साहिब को इस बात का इल्म है कि cut के मुतअल्लिक किस की report पर action लिया जाता है ?

Minister : Any body's.

CUTS IN CANALS IN DISTRICT HISSAR

***3981. Shri Wadhawa Ram** : Will the Minister for Irrigation be pleased to state the total number of persons prosecuted for making cuts in canals in district Hissar during the years 1953 and 1954 along with the number of persons sentenced or discharged thana-wise?

Chaudhri Lahri Singh : The information is given in the statement which is placed below.

Statement showing cuts in canals in District Hissar during the year 1953-54 and the number of persons sentenced or discharged thana-wise

Serial No.	Name of Thana	Cuts Thana-wise		Persons prosecuted Thana-wise		Persons sentenced		Persons Discharged		Remarks
		1953	1954	1953	1954	1953	1954	1953	1954	
1	Sadar, Hissar	6	9	..	..	..	..	..	..	Not traceable.
2	Barwala ..	1	4	1	..	1	..	1	..	Year 1953. Discharged by the Upper Court. Year 1954—Not traceable.
3	Bahuna ..	..	2	..	..	..	..	..	..	Report regarding cases during 1954 is still awaited from Police Station.
4	Fatehabad ..	1	3	3	..	3	..	3	..	Year 1953. Discharged by the Upper Court. Year 1954.—Not traceable.
5	Narnaund ..	2	..	..	..	..	..	..	..	Not traceable.
6	Hansi ..	1	..	1	..	..	..	1	..	Acquitted by the Court

ਸ਼੍ਰੀ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ: Cuts ਦੇ ਜਿਹੜੇ cases ਹੋਏ ਹਨ, overseer ਦੀ report ਤੇ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਜ਼ਿੱਲੇਦਾਰ ਦੀ ਤੇ ?

मंत्री: यह तो arise ही नहीं होता। Cuts के बारे में कोई आदमी (third person) report कर सकता है।

ਸ਼੍ਰੀ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ: Cuts ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ?

Mr. Speaker: This relates to procedure which you have not enquired.

ਸ਼੍ਰੀ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ: ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਕਟ (cut) ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ ਜਾਂ ਕਰਵਾਣ ਵਾਲੇ ?

मंत्री: क्या करने वाले में और करवाने वाले में कोई फर्क है ? कोई किसी को मरवा दे या मार दे, तो उस से क्या फर्क पड़ता है।

ਸ਼੍ਰੀ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ: ਜਿਹੜਾ "ਮਾਰੋ" ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ।

JAGATPUR MINOR OF UPPER BARI DOAB CANAL

***4120. Sardar Achhar Singh Chhina:** Will the Minister for Irrigation be pleased to state whether any representation to the effect that full discharge of water at the tail of the Jagatpur Minor of the Upper Bari Doab Canal has not been given for the last six months, has been received by the Government; if so, the action, if any, taken by the Government thereon ?

Chaudhri Lahri Singh: Yes, the upper outlets found tampered with have since been repaired and supply at tails improved. During winter there has been no shortage. Further improvement to ensure full supply at tails during Kharif 1955, will be carried out before 15th April, 1955.

TUBE-WELLS IN THE JAGADHRI-PANIPAT PROJECT

***4327. Shri Dev Raj Sethi:** Will the Minister for Irrigation be pleased to state—

(a) the total number of Tube-wells proposed to be installed in the Jagadhri-Panipat Project ;
(b) the total number installed up to 1st January, 1955 ;
(c) the total number energised ;
(d) the pumping capacity of the Tube-wells installed ;
(e) the manner of utilisation of the water thus pumped ;
(f) the total investment on this Project ;
(g) the estimate of running cost per cusec ?

Chaudhri Lahri Singh: Presumably the information is required in connection with Jagadhri Tube-well Project which is as under :—

(a) The total number of tube-wells proposed to be installed ..	256
(b) The total number installed up to 1st January, 1955	254
(c) The total number energised ..	220
(d) The pumping capacity of the tube-wells installed..	2 cusecs each
(e) The manner of utilisation of the water thus pumped	To convert certain kharif channels on Western Jamuna Canal into perennial Channels
(f) The total investment on this Project ..	1.4 crores.
(g) Estimate of running cost per cusec ..	Estimated cost Rs. 11,884 Say Rs 12,000 per cusec, per annum.

FLOODS IN THE PUNJAB RIVERS

*4339. **Shri Ram Chandra Comrade** : Will the Minister for Irrigation be pleased to state—

(a) whether the Government is taking any measures to control the floods in the Punjab Rivers ;

(b) if the reply to part (a) above be in the affirmative, the action, if any, taken or proposed to be taken to protect the land and villages on the banks of the Beas River in Kangra District, especially between Re and Merthal ?

Chaudhri Lahri Singh : (a) The Government is well aware of the flood menace in rivers. They are taking measures to control floods in the Punjab rivers. A State Flood Control Board has been formed to tackle problems on floods.

(b) No scheme of Kangra valley on river Beas has so for been taken in hand. Surveys shall have to be instituted.

As far as Ravi River is concerned, Government has taken steps to construct flood protection works along Ravi below Dera Baba Nanak.

श्री राम चन्द्र कामरेड : क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मलकवाल दरियाए बियास पर बन्द लगाने के बारे में जो report आई थी, उस से कितने खर्च का अन्दाजा लगाया गया है और इस सिलसिले में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

मंत्री : अभी इस स्कीम को finalise करना है, funds को देखना है, फिर priority का ख्याल कर के इसे take up किया जायेगा ।

श्री राम चन्द्र कामरेड : क्या वज़ीर साहिब बताने की कृपा करेंगे कि वहां पर 4,000 एकड़ के करीब ज़मीन बह जाने की रिपोर्ट आने पर भी सरकार ने अभी तक इस सिलसिले में कोई फैसला नहीं किया ?

मंत्री : अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया ।

ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ : ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬਰਸਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ?

मंत्री : बहुत मुश्किल है ।

ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ : ਕੀ ਮੈਂ ਪੁਛ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ flood ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ?

मंत्री : दरअसल हमें पहले ज़्यादा खतरा दरियाए रावी से है । हमारे पास staff कम है, funds भी कम हैं इस लिये हम दोनों कामों को in hand नहीं ले सकते । बरसात के बाद दरियाए बियास के बारे में कुछ करेंगे ।

LAND SUBMERGED UNDER BHAKRA DAM IN KANGRA DISTRICT

*4669. **Shri Daulat Ram Sharma** : Will the Minister for Irrigation be pleased to state—

(a) the total number of villages of ilaqa Kutlehar, tehsil Hamirpur, district Kangra, likely to be submerged under the Bhakra Dam lake together with the total number of tenants' families likely to be affected thereby ;

(b) the steps taken or proposed to be taken to rehabilitate these families and the details thereof ;

(c) whether the landowners whose lands are likely to be submerged have been given lands elsewehere ; if so, where ?

Chaudhri Lahri Singh : (a) The number of villages of ilaqa Kutlehar, tehsil Hamirpur, district Kangra, likely to be submerged under the Bhakra Dam is 110.

The total number of tenants' families likely to be affected is 1,563.

(b) The matter is under the consideration of the Bhakra Rehabilitation Committee.

(c) It has been decided to give land in Hissar District to the land owners who wish to have land for land. The land proposed for allotment to them is being acquired. Allotment to them is being expedited. Allotment will begin after the acquisition proceedings are completed.

श्री लेग राम: क्या वज़ीर साहिब बताने की कृपा करेंगे कि जो मुज़ारे वहां से उठाए जायेंगे उन को कहां पर ज़मीन देने का फैसला किया गया है ?

मंत्री : इस का जवाब पहले दे दिया गया है ।

श्री दौलत राम : क्या वज़ीर साहिब कृपा कर के बतायेंगे कि जो मुज़ारे उठाए जायेंगे उन को उन्हीं मालिकान के मातहत ज़मीन दी जायेगी ?

मंत्री : ज़मीन मालिकान की ही है और उन्हीं को दी जाएगी, मुज़ारे उन के साथ वहीं पर चले जाएंगे जहां पर ज़मीन दी जाएगी । हम जब land acquire करते हैं तो रुपया owners को देते हैं और अगर वे ज़मीन लेना चाहें तो ज़मीन भी दी जाती है । Tenants को उतनी २ ज़मीन पर accommodate किया जाएगा जितनी २ उन के पास पहले होगी ।

श्री दौलत राम : क्या यह सब कुछ सरकार की तरफ से किया जाएगा ?

मंत्री : ज़मीन owners को दी जाएगी और वे tenants को accommodate करेंगे ।

श्री लाजपत राए: क्या यह ज़मीन जो दी जाएगी वह सरकारी होगी ?

मंत्री : माननीय सदस्य ने सवाल को ही नहीं समझा । ज़मीन तो लोगों से ली जाएगी।

श्री लाजपत राए: जो ज़मीन सरकार ने acquire करनी है वह किस सिद्धांत से की जानी है ? क्या लोगों को पानी देने के बदले में सरकार उन से ज़मीन लेगी ?

मंत्री : ज़मीन तो खरीदी जाएगी । आप समझने की कोशिश ही नहीं करते ।

खान अब्दुल गफ्फ़ार खान: On a point of order, Sir. वज़ीर साहिब बातें ही ऐसी करते हैं जो किसी की समझ में ही नहीं आ सकती ।

Mr. Speaker : This is no point of order.

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : क्या वज़ीर साहिब मेहरबानी कर के फरमायेंगे कि मुज़ारों के लिए सरकार कब तक ज़मीन acquire करेगी और इतनी देर तक मुज़ारे क्या करेंगे?

मंत्री : सरकार तो ज़मीन owners के लिए acquire करेगी, मुज़ारियान के लिए नहीं ।

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : वज़ीर साहिब ने फरमाया है कि गवर्नमेंट मुज़ारों को सरकारी ज़मीन नही देगी बल्कि उन के लिये acquire करेगी । मैं पूछता हूं कि कब तक ज़मीन acquire की जाएगी ?

मंत्री : यह जवाब मैंने नहीं दिया ।

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : जनाब आप रिकार्ड देख सकते हैं ।

ਸ੍ਰੀ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ : ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਕੀ ਉਹ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹਿਰੀ?

Mr. Speaker: Its does not arise.

ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ : Tenants ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗੀ ?

मंत्री : कई काम ऐसे होते हैं जिन के लिए कानून नहीं होता । हम ने उनको accommodate करवाना है और वे किसी न किसी तरह हो जाएंगे ।

LEVY OF BETTERMENT FEE

***4064. Sardar Harkishan Singh Surjit** : Will the Minister for Irrigation be pleased to state—

(a) the total amount of betterment charges collected so far in the State district-wise ;

(b) the total amount of betterment charges expected to be collected during the year 1954 ;

(c) the total number of land-owners in the State who are expected to pay the betterment charges and the number of those, who have already started paying the same in instalments ;

(d) the total area of land in respect of which betterment charges are expected to be levied?

Chaudhri Lahri Singh : (a) So far no betterment charges have been collected in any district of the State.

(b) During the year 1954 no amount of betterment charges was collected.

(c) (i) The information is still being collected by the Betterment Charges Assessment Board, from the Revenue Records and is not available at present.

(ii) The recoveries of the betterment charges have not commenced so far.

(d) It has been decided, so far, to levy betterment fee on the following irrigation schemes only. The betterment fee is to be assessed on the culturable commanded area of the irrigation scheme, which is shown against each :—

(1) Bhakra-Nangal Project	..	5,203,019 acres
(2) Harike Project (Grey Canal areas which will get irrigation from Makhu Canal System		106,000 acres
(3) Minor Irrigation Schemes—		
(a) Jagadhri Tube-well Scheme and remodelling Western Jamuna Canal	..	483,495 acres
(b) Sukha Har Kuhl Scheme	..	2,500 acres
(c) Baij Nath Kuhl Scheme	..	3,132 acres
(d) Sidharthar Kuhl Scheme	..	7,500 acres
Total	..	58,056,46 acres

As regards other irrigation schemes, *viz.*, Minor Irrigation Schemes and Tube-well Schemes, necessary data is being collected to ascertain whether betterment fee is leviable thereon in terms of sections 2 (d) and 3 of the Punjab Betterment Charges and Acreage Rates Act, 1952, or not.

ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ: ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਪਾਰਟ (c) ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ "the information is being collected". ਇਹ information ਕਦੋਂ ਤਕ ਇਕਠੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ?

ਦੂਸਰੀ ਗਲ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਵਿਚ Betterment charges ਕਦੋਂ ਤਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ? ਕੀ ਇਹ ਇਕ ਸਾਲ ਜਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਕਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ?

मंत्री: (c) के जवाब में कहा गया है "information is being collected by the Betterment Charges Assessment Board from the revenue records". कब तक हो जाएगी, यह मैं नहीं बता सकता ।

ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ : Betterment levies ਦੀ collection ਕਦੋਂ ਤਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ? ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਇਕ ਮੁਸ਼ਤ ਵਿਚ ਲਵੋਗੇ ?

मंत्री : At the earliest possible लिया जाएगा । इकट्ठा नहीं लिया जाएगा ।

ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ : Collection ਕਿਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ?

मंत्री : हर एक गांव का अलहदा अलहदा समय है । पानी देने के एक साल बाद लिया जाएगा । किसी का पहले और किसी का बाद में । सब का इकट्ठा नहीं लिया जाएगा ।

ਸ਼੍ਰੀ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ : ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ information ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ information ਸਦਰ ਕਾਨੂੰਗੋ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰਿਏ ਇਕਠੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

UNSTARRED QUESTIONS AND ANSWERS

PROVINCIALISATION OF DISTRICT BOARD AND MUNICIPAL BOARD HIGH SCHOOLS

678. **Shri Dharam Vir Vasisht** : Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) the total number of District Board and Municipal Board High Schools in the State provincialised district wise, since April, 1952 ;

(b) whether any such High School in Gurgaon District has been provincialised ; if so, the date and the name of the school ?

Shri Jagat Narain : (a) Only one in the Kangra District.

(b) No.

WATER IN GURGAON DISTRICT

679. **Shri Dharam Vir Vasisht** : Will the Minister for Irrigation be pleased to state—

(a) whether he is aware of the fact that the water per acre charged by the U. P. Government on the Upper Agra Canal in District Gurgaon are much higher than the rates charged on the canals in this State ;

(b) whether the Government has recently received any representation from the consumers of water from the canal referred to in part (a) above of District Gurgaon regarding the difference in water rates ; if so, the action, if any, taken or proposed to be taken by the Government in the matter ?

Chaudhri Lahri Singh : (a) Yes.

(b) Yes. The Punjab Government referred the case to U. P. Government to reduce water rates in Gurgaon District enjoying irrigation from Agra Canal. They did not agree to it. Naturally the Punjab Government cannot help the irrigators of Gurgaon District in lowering the water rates and they must be treated at par with other irrigators in U. P. benefiting from the Agra Canal.

KHARIF CHANNEL PROJECT FOR DISTRICT GURGAON

680. **Shri Dharam Vir Vasisht** : Will the Minister for Irrigation be pleased to state—

(a) the progress made in the execution of the Kharif Channel Project for Gurgaon District since the opening of a Division for this purpose at Delhi ;

(b) the nature of work including earthwork done so far together with the probable date by which the earthwork is likely to be completed ?

Chaudhri Lahri Singh : (a) The Project for Gurgaon Canal (Kharif) has been prepared and submitted to the Government of India.

(b) The execution of the Project will be taken up only after funds have been allotted by Government of India.

COMMUNAL DISTURBANCES AT LUDHIANA

681. Shri Dharam Vir Vasisht : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the result of the inquiry conducted by the Government in connection with the recent communal disturbances at Ludhiana ;

(b) the steps taken by the Government to check recurrence of similar disturbances in future ?

Shri Bhim Sen Sachar : The report submitted by Shri S. Vohra, I.C.S is still under consideration.

COW SLAUGHTER

682. Shri Dharam Vir Vasisht : Will the Minister for Development be pleased to state whether any agitation is going on in Gurgaon District against the cow slaughter and if the answer is in affirmative, its extent and the steps taken by the Government to check it ?

Shri Bhim Sen Sachar : No. Does not arise.

3. 00 P.M

Mr. Speaker : Now we come to the next item on the Order Paper

---

SHORT NOTICE QUESTIONS AND ANSWERS

DISTRICT BOARD TEACHERS

***4986. Shri Ram Kishan** : Will the Minister for Education be pleased to state whether any demands have been submitted to the Government by the District Board Teachers in the State ; if so, the action, if any, taken or proposed to be taken thereon?

Sardar Gurbachan Singh Bajwa : Yes. Government are taking all possible steps within their power to ensure full implementation of the decision taken with respect to these demands.

श्री राम किशन : जवाब में मिनिस्टर साहिब ने बताया है कि decisions को implement करने के लिए गवर्नमेंट हर एक step ले रही है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि final implementation में कितनी देर लगेगी ?

मंत्री : काफी डिस्ट्रिक्ट बोर्डों ने teachers को नए ग्रेड दे दिए हैं। किसी ने पहले और किसी ने बाद में। उन सब के बजट को हम ने examine किया है। दो, तीन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐसे हैं जिन को गवर्नमेंट aid देगी तब वे decision को implement कर सकेंगे और टीचरों का बकाया अदा कर दिया जाएगा। जिन को Government ने aid देनी है उन के cases Finance Department को भेजे हुए हैं।

श्री राम किशन : क्या मिनिस्टर साहिब फरमाएंगे कि financial year खत्म होने से पहले उन्हें सरकारी ग्रेड मिल जाएंगे ?

मंत्री : इस financial year से पहले मिलना मुश्किल है। क्योंकि यह provision तो अभी District Boards में aid मिलने पर अपने budget में करना है। इस लिए कुदरती तौर पर अगले साल के खर्च में यह provision रखेंगे।

श्री राम किशन : क्या मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि उन को arrears भी मिलेंगे या नहीं ?

मंत्री : Arrears के बारे में ही बता रहा हूं कि उन का इन्तज़ाम हो रहा है ।

श्री राम किशन : क्या मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि आया यह चीज़ Board Teachers Union को convey कर दी गई है या नहीं ?

मंत्री : जब कभी भी वक्त आता रहा है हम उन को बताते रहे हैं । चन्द दिन हुए कौंसिल में भी यह सवाल आया था । मेरा ख्याल है कि वे सब इस चीज के मुतािल्लक जानते हैं ।

श्री राम किशन : क्या मिनिस्टर साहिब फरमायेंगे कि पंजाब में ऐसे कौन कौन से District Boards हैं जो कि अभी तक इसे implement नहीं कर सके ?

मंत्री : तीन—गुरदासपुर, हिसार और लुधियाना ।

श्री राम किशन : क्या मिनिस्टर साहिब फरमायेंगे कि इन District Boards को गवर्नमेंट ने जो aid या grant देनी है वह कब तक अदा की जाएगी ?

मंत्री : मैंने अर्ज़ किया है कि उन का case Finance Department को भेज दिया हुआ है । उन के फैसले की इन्तज़ार है ।

श्री राम किशन : क्या मिनिस्टर साहिब फरमायेंगे कि जहां तक aid या grant देने का ताल्लुक है आया वह उन्हें इस financial year के खत्म होने से पहले दे दी जाएगी ?

मंत्री : कोशिश कर रहे हैं और मेरा ख्याल है कि दे दी जाएगी ।

APPOINTMENT OF TRAVELLING ACCOUNTANTS IN THE ELECTRICITY DEPARTMENT

***4961. Shri Ram Kishan** : Will the Minister for Irrigation be pleased to state—

(a) whether any change has been made in the Procedure for the appointment of Travelling Accountants of the Electricity Department ; if so, the reasons therefor ;

(b) whether the designation "Travelling Accountant" has been changed into "Internal Auditor" ; if so, the reasons for the same ;

(c) whether any note has been received from the Accounts Officer, Electricity Department, Simla, in this connection; if so, the details of the note and the action taken thereon ;

(d) whether the said posts have been advertised through the daily "Tribune" ; if so, the number thereof , the qualifications required and the salaries ;

(e) whether any appointments have been made ; if so, their number ?

Chaudhri Lahri Singh : (a) Yes. Travelling Accountants, who were in the same scale of pay as Divisional Accountants were previously posted by the Accountant-General, Punjab. Owing to unprecedented increase in the number of divisions opened by the State P.W.D., the Accountant-General

found it difficult to post fully qualified Divisional Accountants against these posts of Travelling Accountants. He, therefore, sometimes authorized the Electricity Branch to post its own suitable Senior Clerks against the posts of Travelling Accountants as a temporary make-shift arrangement till suitable and fully qualified Divisional Accountants were available with him for being posted against these posts. Since the audit on the receipts is not a statutory function of the Audit Department of the Government of India, the Accountant-General, Punjab, informed the Electricity Branch that he was no longer in a position to provide fully qualified Divisional Accountants for the posts of Travelling Accountants and, therefore, the Branch, in consultation with the Finance Department, to whom the control of the Divisional Accountants cadre had been transferred by him had to make suitable arrangements for their postings. The matter was then taken up by the Branch with the State Finance Department and it was decided that the posts of Internal Auditors in the scale of Rs 130/240 should be created for the purpose and suitably qualified candidates fit for doing audit work should be recruited against these posts from the open market.

(b) Yes. The reasons for the change of designation from Travelling Accountants to Internal Auditors have been stated in reply to (a) above. Since the incumbents of these posts are to cent per cent internally audit the receipts, the designation "Internal Auditors" is more appropriate to the kind of work that they have to do rather than the previous designation of Travelling Accountants.

(c) Yes. The Accounts Officer, Electricity Branch, who supervises the internal audit work suggested the alternate qualifications that the incumbents of the posts of internal auditors should possess so as to be fit for doing the work required of them. These recommendations of the Accounts Officer were examined by the Administration in the Electricity Secretariat and were accepted with suitable modifications. It is not necessary to detail the recommendations made in the note of the Accounts Officer as these notes of the subordinate officers express their personal views and are for the assistance and consideration of the Head of the Department, who has to take final decisions and formulate his own views.

(d) Yes. A requisition for 25 posts of Internal Auditors in the scale of Rs 130—6—160/8—240 was placed by the Branch on the State Subordinate Services Selection Board and it appears that they advertised the posts in the Press. Five posts out of these were reserved for members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes. The alternative qualifications required of the candidates for these posts are as under :—

(1) S. A. S., or G. D. A. Pass examination, preferably possessing experience of accounts and Finance of Electric Supply Undertakings— Government controlled or commercial.

(2) Graduates—B.A., or B. Coms., possessing experience in commercial Accounts and/or Public Works-cum-Commercial Accounts of about 5 years, preferably in the Accounts and Finances of Electricity Supply Undertakings-Government controlled or commercial.

(3) Candidates who have passed the Matriculation Examination in the First Division or possessing higher qualifications with experience of at least eight years in commercial and or Public Works-cum-Commercial Accounts and Finances of Electric Supply Undertakings Government controlled or commercial.

[Minister for Irrigation]

(e) No appointments as Internal Auditors have so far been made, as the recommendations of the Subordinate Services Selection Board are awaited.

श्री राम किशन : मिनिस्टर साहिब ने जो statement दिया है उस में बताया गया है कि जो "Travelling Accountants" हैं उन का designation Internal Auditors में बदल दिया गया है। क्या वह फरमायेंगे कि आया यह change करने से उन के status और pay में कोई फर्क पड़ा है ?

मंत्री : पड़ा है।

श्री राम किशन : क्या ?

मंत्री : पहले जो Travelling Accountants थे उन की तनख्वाह Divisional Accountants जितनी थी। अब Internal Auditors की pay कम कर दी गई है।

श्री राम किशन : क्या वजूहात थे जिन की बिना पर pay वगैरा कम कर दी गई ?

मंत्री : काम और duties इतनी नहीं थी कि उन्हें वह तनख्वाह दी जाती।

श्री राम किशन : क्या मिनिस्टर साहिब फरमायेंगे कि Accounts Officers (Electricity), Simla, ने अपने नोट में क्या कोई ऐसी recommendation की है कि इनका status change न किया जाए ?

मंत्री : नोटिस चाहिए।

श्री राम किशन : नोटिस तो आगे ही दिया हुआ है। सवाल का पार्ट 'C' देखें।

मंत्री : तो जवाब भी दे दिया जा चुका है। पार्ट ' A ' को पढ़िए। इस से ज़्यादा और मैं क्या बता सकता हूं ? क्यों ऐसा किया गया, इस की सारी वजूहात " A " पार्ट में दी गई हैं।

श्री राम किशन : क्या मिनिस्टर साहिब फरमायेंगे कि आया उन्हें Travelling Accountants की तरफ से इस के खिलाफ कोई memorandum भेजा गया ?

मंत्री : मुझे याद नहीं।

श्री राम किशन : अगर आप के नोटिस में आए तो क्या गवर्नमेंट उस पर गौर करने को तैयार है ?

मंत्री : अगर कोई जाइज़ demand हो तो गौर किया जा सकता हैं। हां, अगर वही arguments हों जिन की बिना पर हम ने पहले फैसला किया है; तो re-consideration का सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई नया argument हो तो गौर हो सकता है।

श्री राम किशन : क्या मिनिस्टर साहिब फरमायेंगे कि अगर Accounts Officer (Electricity) Travelling Accountants की demands को reasonable समझकर recommend कर दें तो क्या गवर्नमेंट उस पर गौर करेगी और sympathetic view लेगी ?

Mr. Speaker : This is not a supplementary question. The hon. Member is making a suggestion.

Shri Ram Kishan : Sir, my question arises out of the reply given by the hon. Minister.

Minister : No, it does not arise. (*Laughter*).

श्री राम किशन : क्या मिनिस्टर साहिब फरमायेंगे कि अगर accounts officer उन की demands को support करे तो गवर्नमेंट उन पर गौर करेगी ?

Mr. Speaker : जिस सवाल के साथ "अगर" लगे वह supplementary नहीं समझा जा सकता । (No question beginning with 'if' can be considered as a supplementary question.)

श्री राम किशन : क्या department ने "Internal Auditor" रखने के लिए कोई नोट भेजा है ?

मन्त्री : मुझे याद नहीं ।

श्री राम किशन : अगर department से कोई change करने के लिए नोट आए तो क्या आप गौर करेंगे ?

Mr. Speaker : फिर "अगर"! अगर से सवाल शुरू न करें। (Again 'if' The hon. Member should not begin his question with if).

मन्त्री : इस सवाल का जवाब क्या दिया जाए । आखिर कौनसा ऐसा मिनिस्टर है जिस के पास कोई चीज़ आए तो वह उस पर ग़ौर नहीं करेगा । क्या कोई मिनिस्टर ऐसा है जो reasonable demands आने पर गौर न करे ?

श्री राम चन्द्र कामरेड : मिनिस्टर साहिब ने फरमाया है कि financial stringency की वजह से ऐसा किया गया है । क्या आप बताने की कृपा करेंगे कि जब कोई मुलाज़िम भर्ती किए जाते हैं तो क्या ऐसा कोई रूल है जिस के नीचे उन की मुलाज़मत की शरायत में तबदीली की जा सकती हो ? क्या आप को हक है कि आप भरती के वक्त तनखाहों और मुलाजमत की शरायत को बदल सकें; महज इस लिए कि आप के पास खर्च ज्यादा हो गया है या पैसे की कमी है ?

मन्त्री : खर्च का सवाल नहीं । मैंने यह बिल्कुल नहीं कहा कि खर्च की बिना पर उन का status कम कर दिया है ।

श्री राम किशन : क्या सिंचाई मन्त्री जी बताएंगे कि Travelling Accountants को recruit करते वक्त उन के जो पहले agreement of services या rules बने हुए थे उन को क्या तबदील नहीं किया गया ?

मंत्री : I want notice for that.

BILLS TO BE INTRODUCED

THE PUNJAB GRAM PANCHAYAT (AMENDMENT) BILL

Minister for Public Works (Sardar Gurbachan Singh Bajwa) : Sir, I rise on a point of Order. There are Bills of certain types which cannot be introduced except on the recommendation of the Governor and the Bill, which the hon. Member, Sardar Harkishen Singh Surjit seeks to introduce, is one of such Bills. In this connection, I invite your attention to Article 207 (1), which reads like this—

> "207 (I). A Bill or amendment making provision for any of the matters specified in sub-clauses (a) to (f) of clause (I) of Article 199 shall not be introduced or moved except on the recommendation of the Governor, and a Bill making such provision shall not be introduced in a Legislative Council.... : "

Sub-clause (a) of Clause (I) of Article 199 referred to in Article 207 (1) reads like this —

> "the imposition, abolition, alteration or regulation of any tax"

I also invite your attention to clause 6(1) of the Punjab Gram Panchayat (Amendment) Bill, which runs like this —

> "(1) A Gram Panchayat may impose as prescribed a single tax on the residents of the Gram Panchayat Area on a graded basis according to their circumstances."

Sir, if you read this clause with reference to Article 207 (1), which I have just now quoted, you will see that this Bill falls within the recognition of Article 207(I). I am, therefore, of the view that it cannot be introduced unless it is recommended by the Governor for consideration. Mr. Speaker, I do not know whether the recommendation of the Governor has been obtained or not. If not, I would request you, Sir, to ask the hon. Member to obtain the recommendation of the Governor in accordance with Article 207(1), before he introduces the Bill.

Mr. Speaker : The hon. Minister has objected that the hon. Member (Sardar Harkishen Singh Surjit) cannot introduce the Bill unless it is recommended by the Governor for consideration.

Sardar Harkishen Singh Surjit : Sir, should I speak on the technical objection raised by the hon. Minister ?

Mr. Speaker : Yes, please.

ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ: ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ! ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ objection ਵੀ ਨ raise ਕਰਦੇ। ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਐਕਟ ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਹਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਸਿਲ ਹਨ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਖੁਦ ਲਗਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਨਾ ਉਹ ਲਗਾਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਲਗਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿਚ ਨ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ legal advice ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ! ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ sanction ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਬਜਟ ਦੀ provision ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਥੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ legal ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ objection ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਹੈ,

ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਬਿਲ ਤੇ ਇਸ ਬਿਨਾ ਨੂੰ introduce ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕਰਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ tax ਲਗਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

अध्यक्ष महोदय : Constitutions के मुताबिक आप बताएं कि आया उन का जो एतराज़ है वह valid है या नहीं है। [Please tell me whether the objection raised by the Minister is valid or not according to Act 207 of the Constitution.]

ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ tax ਲਗਾਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹਕ ਹਾਸਿਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ form ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ।

Mr. Speaker : I think the objection of the hon. Minister is valid.

Sardar Harkishen Singh Surjit : Sir, it is for you to give your judgment. ਜੇਕਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ legally introduce ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਅਗੇ put ਹੀ ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਇਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

Mr. Speaker : I accept the objection of the hon. Minister. This motion cannot be put to the vote of the House. In fact, he has not moved it. I may, however, assure him that if he obtains the recommendation of the Governor, his Bill will be included in the Agenda again.

THE PUNJAB STATE MEDICAL PRACTITIONERS' REGISTRATION BILL, 1953

Shrimati Sita Devi : (Jullundur City, South-East) (*Hindi*) : Sir, I beg to move—

> That the Punjab State Medical Practitioners' Registration Bill be taken into consideration at once.

स्पीकर साहिब, Punjab State Medical Practitioners' Registration Bill जो कि पहले introduce हो चुका हुआ है उस के बारे में अब यह motion move करती हूं कि इसे फौरन consider किया जाए।

स्पीकर साहिब, आप को मालूम है कि यह बिल पंजाब के हर एक भाई, बहन, नौजवान हो या बूढ़ा, हरेक के साथ ताल्लुक रखता है क्योंकि हमारे पंजाब में Medical aid की इतनी ज़्यादा कमी है कि वर्णन नहीं की जा सकती। कितनी ही कोशिश करने पर भी हर साल qualified M.B.B.S. डाक्टर बहुत कम निकलते हैं। यद्यपि लोगों का रजूह दिन प्रति दिन इस तरफ होता जा रहा है और वह डाक्टरी पढ़ना चाहते हैं परन्तु Medical कालिजों की बड़ी कमी है इस लिए इस प्रकार के डाक्टर बड़ी कम संख्या में निकलते हैं और वह इस तरह से भी इस कमी को पूरा नहीं कर सकते। इस लिए हमारे प्रान्त के अन्दर हज़ारों की तादाद में ऐसे डाक्टर हैं जिन्होंने काफी देर तक इस विद्या को पढ़ा है या वे लोग हैं जिन्हों ने कई जगह पर काफी practice की हुई है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें तीस, तीस, चालीस, चालीस साल हो गए हैं

[श्रीमती सीता देवी]

allopathy में practice करते हुए। और उन्हें इतना तजरुबा हासिल हो चुका है कि वह M.B.B.S. या दूसरे qualified डाक्टरों का अच्छी तरह से मुकाबला कर सकते हैं। या तो ठीक है कि वे Surgery मे उन का मुकाबला नहीं कर सकते और न ही करते हैं परन्तु वे इस बात का दावा करते हैं कि medicines में वे उन का मुकाबला कर सकते हैं। हमारे देहातों और कस्बों में ही नहीं शहरों में भी बहुत बड़ी तादाद में यह डाक्टर लोगों की सेवा करते हैं और उन को Medical aid पहुंचाते हैं। मेरे सामने Health Minister बैठे हैं उन्होंने ही इस Floor of the House पर एक सवाल के जवाब में बताया था कि हमें qualified doctor गावों में जाने के लिए बहुत कम मिलते हैं। Qualified doctors गावों के अन्दर बहुत कम जाना चाहते हैं। शायद इस लिए कि वहां के लोगों का standard of living इतना low है कि वे वहां नहीं रहना चाहते। अब कोशिश करने के बावजूद भी यह कहा जा सकता है कि हमारी सरकार qualified डाक्टरों को गांवों में भेजने में पूरी तरह से कामयाबी नहीं हो सकती। अब सवाल उन Medical practitioners का है जो हजारों की तादाद में गांवों में practice कर रहे हैं। हो सकता है कि उन में से कुछ ऐसे हों जिन को पूरा ज्ञान हासिल न हो क्योंकि सारे के सारे एक तरह की योग्यता वाले नहीं हो सकते। मैं उन के लिये खड़ी हुई हूं जो अपने काम में योग्य है और उन के लिये नहीं जो योग्य नहीं हैं। अगर मैं उन योग्य डाक्टरों के नाम लूं तो वे बहुत से हैं। स्पीकर साहिब, मैं जानती हूं कि बहुत सारे डाक्टर जालन्धर में ऐसे हैं जिन की practice के आधार पर इतनी knowledge हो गई है कि मैं कह सकती हूं कि उन का diagnosis बहुत अच्छा होता है। इस के दो कारण हैं। एक तो उन का तजरुबा बहुत है और दूसरे वह पढ़ते लिखते रहते हैं। इस बिल का मुद्दा यह है कि ऐसे आदमियों को register कर लिया जाए। Bombay Government ने 1938 में एक ऐक्ट पास करके इस तरह के सब आदमियों को register कर लिया। इस के दो लाभ हैं। एक तो ऐसे नए unqualified डाक्टर न बनेंगे और जो बैठ कर दुकानदारी करते हैं और लोगों की जिन्दगियों से खेलते हैं, न खेल सकेंगे। दूसरे डाक्टरों की जो कमी हमारी State में है वह कुछ हद तक पूरी हो जायेगी। काम काज की बहुत सी lines हैं। अगर आप मैम्बर साहिबान ने इस बिल को पढ़ा है तो यह देखा होगा कि इस में objectionable कोई चीज़ नहीं है। इस में यह demand नहीं की गई कि इन डाक्टरों को M.B.,B.S. के rights दे दिये जायें। इन्हें register कर लेने से यह होगा कि जो दवाईयां यह आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे उन में वह उन का इस्तेमाल खुल कर कर सकेंगे चाहे उन में से कुछेक ही यह इस्तेमाल करते हैं जिन्हें अपने ऊपर भरोसा है, जो देर से इन दवाईयों के इस्तेमाल करने की वजह से माहर बन गए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा सदन को यह याद दिलाना चाहती हूं कि पिछले साल गवर्नमैण्ट ने आयुर्वैदिक तथा यूनानी वैद्यों तथा हकीमों को इसी तरह से register करने का एक बिल बनाया था। वह resolution मैं ने ही move किया था। तो इन वैद्यों तथा हकीमों को register करने से कोई नुकसान नहीं हुआ बल्कि फायदा ही हुआ

कि अनपढ़ तथा नातजरुबाकार वैद्यों तथा हकीमों की तादाद बढ़नी बन्द हो गई है और register शुदा लोग एक ही level पर आ गये हैं । इसी तरह से अगर यह बिल भी, जो आज पेश किया गया है, अगर इसी Session में पास कर दिया जाए तो बड़ी अच्छी बात है । दूसरे पड़ोसी सूबों ने इन लोगों को register करने की मांग को मान लिया है । यह कोई नई चीज़ नहीं है और न ही इस में कोई बुराई है । इस चीज से लोगों की और सूबे की सेहत का ताल्लुक है । इस लिये मैं House से प्रार्थना करूंगी कि इस बिल को फौरन consider किया जाए ।

Mr. Speaker : Motion moved--

That the Punjab State Medical Practitioners' Registration Bill be taken into consideration at once.

श्री राम किशन (जालन्धर, उत्तर पश्चिम) : स्पीकर साहिब, बहिन सीता देवी जी ने जो Bill पेश किया है मैं उस की ताईद करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मैं समझता हूं कि Bombay State ने जो कदम उठाया है उसी के मुताबिक हमारी state में भी कुछ किया जाना चाहिये । जहां तक Doctors का ताल्लुक है, उन की संख्या हमारी state में बहुत कम है । Education Minister साहिब ने House के अन्दर एक सवाल के जवाब में बताया था कि 1947 से कई dispensaries में डाक्टर नहीं हैं और यह बिना डाक्टरों के ही चल रही हैं । मैं समझता हूं कि हमारे पंजाब राज्य के अन्दर qualified doctors की काफी ज़रूरत है मगर वे मिल नहीं रहे । इस तरह हमारी डाक्टर्ज़ की ज़रूरत पूरी नहीं हो रही । जहां तक हमारे सूबे की health का ताल्लुक है हमें काफी बन्दोबस्त करना है । health के point of view से हमारी State की हालत अच्छी नहीं है । Birth rate एक हज़ार के पीछे 39.91 और death rate 16 है । जहां तक हमारे देहात का ताल्लुक है, हालत और भी बुरी है । 30,000 की आबादी के लिये और 100 मुरब्बा मील में एक dispensary है जबकि Five-Year Plan के मुताबिक हम 30 या 40 मील के पीछे एक dispensary लाना चाहते हैं । यह कैसे होगा ? जितनी ज़रूरत है उतने funds हमारे या हमारी गवर्नमैण्ट के पास नहीं हैं । इसे और भी development के works पर काफी रुपया खर्च करना है । इस लिये हमें दूसरे ज़राए तलाश करने होंगे । हमारे कस्बों और देहातों में काफी तादाद में non-qualified, medical practitioners हैं । उन्हें register करने का रास्ता खुलना चाहिये जिस से यह लोग देहात में बिना रोक टोक practice कर सकें । बंगाल में अभी २ rural doctors को सुविधाएं दी गई हैं । वहां पर देहात में काम करने वाले डाक्टरों को दूसरे डाक्टरों से 100 रु. ज्यादा दिया जाता है । और Provinces भी सुविधाएं दे रही हैं । मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि इस में और funds की ज़रूरत नहीं है । Bombay Government ने जो कानून बनाया है उस को ही पंजाब में लागू कर दिया जाए । मैं जानता हूं कि कई मेरे दोस्त इस बात के खिलाफ होंगे और कहेंगे कि इस से कई किस्म की complications पैदा हो जाएंगी । मगर मैं समझता हूं कि पंजाब को healthy बनाने का मसला, rural इलाके के लोगों को medical facilities

[श्री राम किशन]

पहुंचाने का मसला है और यह बहुत अहम है । देहात और करबों में ऐसे काफी डाक्टर होंगे जिन्हें अगर आप register कर के ऐसी दवाईयों के इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दें तो वह काफी दूर 2 गांवों में पहुंच कर लोगों की सेहत का ख्याल रख सकेंगे । इस के साथ सरकार दो चार सालों में Medical Colleges, Medical Schools की संख्या बढ़ा कर या course छोटा कर के trained doctors की संख्या बढ़ा सकती है । पिछले वर्ष पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने एक conference inaugurate करते हुए कहा था कि दुनिया की आबादी बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है । पांच छे साल के लम्बे course को हमें कम कर देना चाहिये ताकि हमारे पास इतने डाक्टर हों कि हम गांव 2 में medical facilities मुहैय्या कर सकें, सारे देश की health का programme बना सकें । मैं समझता हूं कि जहां तक डाक्टरों का ताल्लुक है हमें उन medical practitioners को जिन्हें काफी ज्यादा तजरुबा हासिल है, और अच्छी लियाकत है register कर लेना चाहिये । इसलिये सरकार को यह Bill मन्जूर कर लेना चाहिये ताकि इसे जल्द से जल्द लागू किया जा सके और पंजाब राज्य के अन्दर इन डाक्टरों को सुविधाएं मिल सकें और हम अपने गांव के अन्दर भी health programmes बना सकें ताकि अगले 5 सालों में दूसरे development के कामों के साथ 2 हम इस programme को भी पूरा कर पायें । इन अलफाज़ के साथ मैं इस बिल की ताईद करता हूं ।

Dewan Jagdish Chandra (Ludhiana City, North) : Sir, I beg to move—

That the Punjab State Medical Practitioners' Registration Bill be referred to a Joint Select Committee consisting of—

(1) Shri Jagat Narain, Minister for Education—*Chairman*.

(2) Shrimati Sita, Devi, M.L.A.

(3) Shri Harnam Singh Sethi, M.L.A.

(4) Shrimati Dr. Parkash Kaur, M.L.A.

(5) Rao Abhai Singh, M.L.A.

(6) Sardar Sohan Singh, M.L.A.

(7) Shri Daulat Ram, M.L.A. (Master).

(8) Shri Ram Kishan, M.L.A.

(9) Shri Som Datta Bahri, M.L.A.

(10) Shri Mehar Singh, M.L.A.

(11) Shrimati Shanno Devi, M.L.A.

(12) Shri Kedar Nath Saigal, M.L.A.

(13) Sardar Achhar Singh Chhina, M.L.A.

(14) Shri Rizaq Ram, M.L.A.

(15) Shri Chandan Lal Jaura, M.L.A.

(16) Shri Mohan Lal Datta, M.L.A.

(17) Comrade Ram Chandra, M.L.A.

(18) Dewan Jagdish Chandra, M.L.A.

and seven Members of the Punjab Legislative Council with a direction to report to the House by the 15th of September, 1955.

माननीय स्पीकर साहिब ! मुझे इस motion के मुतअल्लिक कुछ ज़्यादा नहीं कहना है। यह एक बहुत अहम बिल है जिस के ज़रिये सूबा को ज़्यादा medical इमदाद मिलेगी इस लिये इस पर काफी सोच विचार की ज़रूरत है। इस लिये यह मुनासिब है कि जिन साहिबान का नाम मैं ने लिया है उन पर मुश्तमिल एक Joint Select Committee के सपुर्द इस बिल को किया जाये ।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Punjab State Medical Practitioners' Registration Bill be referred to a Joint Select Committee consisting of—

(1) Shri Jagat Narain, Minister for Education—*Chairman.*

(2) Shrimati Sita Devi, M.L.A.

(3) Shri Harnam Singh Sethi, M.L.A.

(4) Shrimati Dr. Parkash Kaur, M.L.A.

(5) Rao Abhai Singh, M.L.A.

(6) Sardar Sohan Singh, M.L.A.

(7) Shri Daulat Ram, M.L.A. (Master).

(8) Shri Ram Kishan, M.L.A.

(9) Shri Som Datta Bahri, M.L.A.

(10) Shri Mehar Singh, M.L.A.

(11) Shrimati Shanno Devi, M.L.A.

(12) Shri Kedar Nath Saigal, M.L.A.

(13) Sardar Achhar Singh Chhina, M.L.A.

(14) Shri Rizaq Ram, M.L.A.

(15) Shri Chandan Lal Jaura, M.L.A.

(16) Shri Mohan Lal Datta, M.L.A.

(17) Comrade Ram Chandra, M.L.A.

(18) Dewan Jagdish Chandra, M.L.A.

and seven Members of the Punjab Legislative Council with a direction to report to the House by the 15th of September, 1955.

प्रोफैसर मोता सिंह आनन्दपुरी (आदमपुर) : स्पीकर साहिब ! इस बिल पर जो motion पेश की गई है मैं उस को oppose करता हूं। Oppose करने की खास वजह है। आज मुल्क के अन्दर जिस चीज की अशद ज़रूरत है, वह है medical और education की सहूलतों का मुहैया करना। इसको postpone नहीं करना चाहिये। मैं तो इसे postpone करना एक घंटे के लिये भी गवारा नहीं कर सकता। पहले ही डाक्टर हमें कम मिलते हैं अब इसे इलतवा में डालने की कोशिश नहीं करनी चाहिये। इस तरह करने से डाक्टर नहीं मिलेंगे।

[प्रोफैसर मोता सिंह आनन्दपुरी]

आज में Allopathic Practitioners पर जोर देता हूं। इन की अशद जरूरत है। Allopathic तरीके पर इस लिये जोर देता हूं कि यह Scientific तरीके से medical को आगे ले जा रहे हैं। आज मुल्क में Lady Practitioners की जरूरत है। यह बहुत थोड़ी गिनती में Services में हैं। देहातों में maternity और nursing के लिये कोई इन्तजाम नहीं। हम इस बारे में बहुत पीछे हैं। इस का नतीजा क्या है? देहातों में बहुत मौतें होती हैं। अगर मैं 90 प्रतिशत कहूं तो मुबालिगा न होगा। इस वास्ते Lady Practitioners की बहुत जरूरत है मैं इस बात पर जोर देता हूं कि इस बिल को आज ही discuss किया जाए और इसे जल्द से जल्द पास किया जाए।

हमने तजरुबे से देखा है कि यूनानी और वैदिक तरीका कामयाब नहीं रहा। तुरकी में जहां कि यूनानी तरीका था बहुत मौतें हुआ करती थीं। वहां की nurses समझती न थीं कि maternity cases को कैसे handle किया जाना चाहिये। वहां पर एक बार यूरोप से एक lady nurse आई उस ने उन्हें बताया कि यहां की नर्सों के नाखुन ही maternity cases में ज़हर फैलाने के कारण होते हैं और इस से स्त्रियों की death हो जाती है। उस ने उन्हें हाथों को disinfect करना सिखाया। इस लिये Allopathic Science की बहुत ज़रूरत है। जो Allopathic basis पर काम कर रहे हैं उन्हें जल्द से जल्द register किया जाये। देहातों में बच्चे बहुत काफी गिनती में मरते हैं इस लिये देहातों के लिये मैं समझता हूं कि वहां mobile medical aid का इन्तज़ाम होना ज़रूरी है जब तक कि डाक्टरों की काफी गिनती नहीं मिलती। इस तरह से काफी relief मिल सकता है।

दूसरी बात male practitioners की हैं। इन की भी मुल्क में थोड़ी गिनती है। जहां आपने तालीम पर काफी ध्यान दिया है इसी तरह अगर आप Health पर ध्यान दें तो rural population suffer न करेगी और बच जायेगी।

दूसरे Five-Year Plan में development के और पहलुओं की तरफ बहुत ध्यान दिया गया है और काफी रकम रखी गई है। Development की portfolio में ही Health को भी रखे जाने का हक है। इस लिये मैं कहूंगा कि इस बिल को ज्यादा इलतवा में न डाला जाए। इस की मुल्क में बहुत ज़रूरत है इस लिये इसे आज ही discuss किया जाये।

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ (ਰਮਦਾਸ) : ਸ਼੍ਰੀਮਨ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਹੈਲਥ ਮੰਤਰੀ ਪਾਸ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਚ ਕਈ ਊਣਤਾਈਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਲਈ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਬਿਲ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਇਕ villager ਹੋਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਪਰਗਟ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ villager ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ villagers ਨਾਲ ਗ਼ਦਾਰੀ ਕਰਾਂਗੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਦਸਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ medical science ਦੀ efficiency ਨਾਲ ਗ਼ਦਾਰੀ ਕਰਾਂਗੀ।

ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਫ਼ਖਰ ਨਾਲ ਦਿਹਾਤਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ practitioners ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ Sulpha Drugs ਵਰਤਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਤੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ case ਦਸ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਊੜਾ ਐੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ Ladies ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ nursing ਜਾਂ ਦਾਈਆਂ ਦੀ ਕੋਈ training ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੋਈ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰੈਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ! ਤੁਸੀ ਦਸੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ useful ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ? ਮੇਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ Lady Doctors ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ੮੫ ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਹਾਤ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਹਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ medical aid ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ inefficient ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਸੇ ਕਮਾਣ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਲਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਅਪਣੀ ਭੈਣ ਸੀਤਾ ਦੇਵੀ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ।

ਵਿਕਾਸ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਲਗੇ ਜਦੋਂ ਤਕ ਤੁਸੀ ਲੜੋਗੀਆਂ ਨਹੀਂ। (*Laughter*)

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ! ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ interested ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਜਲਦੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਨਯੋਗ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਜੇ ਕਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਿਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹੈਲਥ ਮਨਿਸਟਰ ਅਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ medical aid ਦੇਣ ਦਾ ਢੰਗ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਪੁਰ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ register ਕਰਾ ਕੇ practice ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਪੁਛਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਆਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਧਰ ਉਧਰ ਦਾ ਟਲ੍ਹੌਂ ਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨਾਲ ਰਲਾ ਦੇਣਾ ਕਿਥੋਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਕ ਪੂੰਜਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਅਫ਼ਸਰ ਬਨਾ ਦੇਣਾ ਕਿਥੋਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੈ। ਨੱਕ ਪੂੰਜਣ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਏ ਬਿਨਾਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਬਾਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਮੁਮਕਿਨ ਜਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ medical aid ਮਿਲੇ। ਇਸ ਲਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਮੇਰੀ ਮਾਨਯੋਗ ਭੈਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਲੰਧਰ ਵਿਚ ਬੜੇ ਤਜਰਬਾਕਾਰ ਡਾਕਟਰ ਹਨ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵਡੇ ਵਡੇ

[ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ]

ਅਫਸਰ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਚੰਡੀਗੜ ਤੋਂ ਚਲਕੇ V.J. Hospital ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਚੰਡੀਗੜ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਹੈ ਅਰ ਸੀਤਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਿਕ experienced Fractitioners ਉਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਉਹ ਇਸਲਈ ਕਿ ਉਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਇਕ ਤੇ ਕਾਬਲ ਡਾਕਟਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸਲਈ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਇਹ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ Surgery ਜਾਂ medicines ਦਾ ਊੜਾ ਐੜਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਸ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ladies ਕਾਬਿਲ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਮਰ ਗਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਫੇਰ ਵੀ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ statement of objects and reasons ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ —

> "This will enable the practitioners to use drugs necessary for the practice and benefit of the patient. They should be registered and their services be utilised for the State."

ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿਲ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ practitioners ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ Registration Certificate ਦੁਆਰਾ protection ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ patient ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਅਗੇ ਵਾਵੇਲਾ ਕਰਨ ਤੇ ਪੁਛ ਗਿਛ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਕਦਮਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਬਿਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੁਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਪੁਰ ਜ਼ੋਰ ਮੁਖ਼ਾਲਫਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤ੍ਰੀ ਅਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ medical aid ਪਹੁੰਚਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਰ ਅਨਪੜ੍ਹ practitioners ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਨਗੇ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਦਸਤੂਰ ਪਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ study ਦਾ ਮਿਯਾਰ ਕੁਝ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ M.B.B.S. ਇਤਿਆਦ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਇਕ ਧੱਬਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤ੍ਰੀ ਅਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਢੂੰਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮੁਹਈਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਨਹੀ ਮੁਹਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪਬਲਿਕ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੌਲਵੀ ਅਬਦੁਲ ਗਨੀ ਡਾਰ (ਨੂਹ) : ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਸੀਤਾ ਦੇਵੀ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਲ ਦੀ ਤਾਈਦ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ amendment ਦੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ! ਅਜ ਗਡਿਆਂ ਦਾ ਸਫਰ ਛਡਕੇ, ਟਾਂਗਿਆਂ ਦਾ ਸਫਰ ਛੱਡਕੇ ਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਸਫਰ ਛਡ ਕੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਫਰ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਪਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਪੁਰਾਣੇ ਗਡੇ ਨੂੰ ਹੀ ਹਿਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਲਥ ਮਨਿਸਟਰ ਇਹ ਗਲ

ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਉਹ ਹੈਲਥ ਦੇ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗੇਗਾ ਕਿ ਕਈ ਡਾਕਟਰੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿਚ medical science ਦਾ ਊੜਾ ਐੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਛਡ ਦਿਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜ ਕਦੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ । ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦਿਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੇੜ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਛੇ ਛੇ ਸਾਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰਟਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਟ ਲੈਣ ਫੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ common sense ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨ ਹੋਵੇ। ਇਕ M.B.B.S. ਭਾਵੇਂ medical science ਦਾ ਊੜਾ ਐੜਾ ਵੀ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਗਿਦੜ ਪਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ : ਕੀ ਗਿਦੜ ਪਰਵਾਨਾ unparliamentary ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ?

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬੁਰੇ ਭਾਵ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । (The hon. Member has not used this word in a bad sense.)

ਮੌਲਵੀ ਅਬਦੁਲ ਗਨੀ ਡਾਰ : ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ । ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਡਾਕਟਰ ਪਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਪੰਡਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਕ socialistic ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਡੀਆ ਵਡੀਆਂ industries ਨੂੰ nationalise ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਜੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਉਪਰ ਕਈ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ । ਅਜ ਸਾਡੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ Education ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ । ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇਕ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਮੰਦਰ ਸੀ ਜਿਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਸਨ । ਲੇਕਿਨ ਅਜ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ । ਸੌ ਵਿਚੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ 7 ਜਾਂ 8 ਵਿਅਕਤੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ basic school ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ । ਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਵਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤਵਜੋਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ । ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ Education ਤੇ Health ਦੇ port folios ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मैंबर irrelevant हो रहे हैं। वह अपनी बहस मौजूदा बिल तक महदूद रखें। (The hon. Member is becoming irrelevant. He should confine his remarks to the present Bill.)

ਮੌਲਵੀ ਅਬਦੁਲ ਗਨੀ ਡਾਰ : ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ to the point ਬੋਲਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ Development Minister ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਜੜੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ develop ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਲਈ....

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਕਹਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਔਰ ਕਹਾਂ Development Minister ਸਾਹਿਬ ! (What connection has the motion for reference to the Select Committee with the Development Minister?

ਮੌਲਵੀ ਅਬਦੁਲ ਗਨੀ ਡਾਰ : ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨੀਯਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਭੈਣ ਪਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ "ਤਾ ਤਰਿਆਕ ਅਜ਼ ਅਰਾਕ ਆਵੁਰਦਾ ? ਸ਼ਵੱਦ—ਮਾਰ ਗਜ਼ੀਦਾ ਮੁਰਦਾ ਬਵੱਦ"। ਭੈਣ ਸੀਤਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਰਾਇਣ ਜੀ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੁਆਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਨ ਕੁਝ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਖਾਹਿਸ਼ ਨੂੰ sabotage ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਹੀ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਛਾਰਾ ਬਿਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਉਪਰ ਕਿਤਨੇ ਰਗੜੇ ਝਗੜੇ ਹੋਏ।

Mr. Speaker : Please say something relevant.

ਮੌਲਵੀ ਅਬਦੁਲ ਗਨੀ ਡਾਰ : ਮੈਂ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਉਸ ਨੂੰ sabotage ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕੰਮਬਖਤ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ।

Mr. Speaker : Neither the Bill nor any amendment has been sponsored by the Government.

ਮੌਲਵੀ ਅਬਦੁਲ ਗਨੀ ਡਾਰ : ਇਹ ਤਰਮੀਮ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਈ ਹੈ।

Mr. Speaker : I can't understand what you mean by that word. Sometimes you address the Chair also as *Sarkar*.

ਮੌਲਵੀ ਅਬਦੁਲ ਗਨੀ ਡਾਰ : ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਏ (ਹਾਸਾ) ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Mr. Speaker : Please confine yourself to the motion whether this Bill should be referred to a Select Committee or not.

ਮੌਲਵੀ ਅਬਦੁਲ ਗਨੀ ਡਾਰ : ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏ ਪਰ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਹੋਈ ਨਾ।

Mr. Speaker : Say what is relevant.

ਮੌਲਵੀ ਅਬਦੁਲ ਗਨੀ ਡਾਰ : ਜਨਾਬ ! ਸੁਤੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਾਗਦੇ ਨੂੰ ਜਗਾਣ ਲਈ ਧਮਾਕਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ। 15 ਸਤੰਬਰ 1956 ਤਕ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਬੁਰਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਫੇਲ ਕਰ ਦੇਣ। ਤੇ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ medical aid ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰਮੀਮਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਫਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਭੈਣ ਸੀਤਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਦੀ ਤਾਈਦ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਮੀਮ ਦੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

श्रीमती शन्नो देवी (अमृतसर शहर, पश्चिमी) : स्पीकर साहिब ! पिछले दिनों मेरे सिर में चोट आने के कारण मुझे डाक्टरों ने केवल असैम्बली attend करने की आज्ञा दी थी, बोलने की नहीं। मैं आज इस बिल पर कोई लम्बा चौड़ा व्याख्यान नहीं देना चाहती, न ही मुझ में बोलने की हिम्मत है। केवल कुछ ख्यालात आप के सामने रखना चाहती हूं।

आज आज़ाद हिंदुस्तान में नकली चीजों को निकालने की कोशिश हो रही है और होनी चाहिए। मैं मौलवी साहिब की तकरीर को सुन कर हैरान हो रही थी। आज हर तरफ यह शोर मच रहा है कि हमें नकली चीजों से और quacks से बचाया जाये। इस बिल को पास करने का मतलब health जैसी जरूरी चीज़ को quacks के हवाले करना होगा। पता नहीं ऐसा करने से लोगों की क्या दशा होगी। इस लिये मैं ज़ोरदार शब्दों में प्रार्थना करना चाहती हूं कि इस बिल को बिल्कुल पास न किया जाए, इस की कतई कोई ज़रूरत नहीं है। मुल्क की ज़रूरतों को देखते हुए डाक्टर, वैद्य ज्यादा होने चाहियें। लम्बे २ अर्से के courses की बजाए छोटे अर्से के courses के स्कूल खोले जाने चाहियें मगर लोगों की जिन्दगी को quacks के हवाले नहीं किया जाना चाहिये।

Mr. Speaker : May I remind the hon. Lady Member that the motion before the House is that the Bill be referred to a Select Committee.

श्रीमती शन्नो देवी : यह सवाल तो बाद में पैदा होता है। यह बिल तो आना ही नहीं चाहिये था।

श्रीमती सीता देवी : अब तो पेश हो चुका है।

श्रीमती शन्नो देवी : मैं आप की विसातत से बहिन सीता देवी को कहना चाहती हूं कि अगर वह चाहती हैं कि जब वे बोलें तो उन्हें कोई interrupt न करे, तो मुझे भी वह interrupt न करें।

[श्रीमती शन्नो देवी]

इन का यह ख्याल ठीक नहीं कि सब बहिनें इस बिल के हक में हैं। एक बहिन पहिले लाहौर में practice करती थी, वहां उन के कई मकानात थे। उन के पास न कोई degree है न उन्होंने तालीम हासिल की है मगर देहली में हर जगह उन के boards लगे हुए दिखाई देते हैं, वह कारों में फिरती हैं। खैर इस बिल के पास करने का मतलब ऐसे लोगों की हौसला अफ़ज़ाई करना होगा। इस लिये मैं चाहती हूं कि ऐसे बिल हाऊस में नहीं आने चाहिएं।

श्री दौलत राम (कैथल) : स्पीकर साहिब ! किसी Welfare State के लिये दो चीजें बहुत लाजमी हैं और खासी एहमियत रखती हैं, वे हैं खुराक और दूसरी सेहत। जब तक यह दोनों चीजें किसी देश में अफरात से काफी तौर पर मौजूद न हों, उस देश के लोगों के लिये Welfare State एक ऐसा ख़ाब ही रहेगा जिस की कभी ताबीर नहीं होगी। हम जानते हैं कि हिंदुस्तान, खास कर पंजाब का सूबा, सेहत के लिहाज़ से बहुत पीछे है। पंजाब की 80 फीसदी आबादी दिहातों में रहती है, हम लोग कभी यह बरदाश्त नहीं कर सकते कि इस आबादी का बहुत सारा हिस्सा बगैर इलाज के मौत का शिकार होता चला जाये। यह ठीक है कि इस बिल को पास कर के medical practitioners की जो जमायत हम पैदा करेंगे वे सही मायनों में डाक्टर का दर्जा नहीं रखेंगे, medical men नहीं होंगे। आप को मालम ही है, इसी तरह की दौड़ धूप हम तालीम के मैदान के अन्दर भी कर रहें हैं, बड़े २ लायक और highly qualified teachers नहीं लगा सकते, मगर हम ने ऐसे तरीके निकाले हैं जिन से तालीम दर्जा बदर्जा बहुत आगे जा रही है। Highly qualified teachers के न मिलने के कारण हम रुक नहीं गये। Emergency courses खोले गये हैं, इस तरह हजारों की तादाद में ऐसे teachers पैदा किये जा रहे हैं जो अवाम को आगे ले जा रहे हैं। Highly qualified और पूरी तरह trained doctors का काफी तादाद में मिलना तो एक ऐसा मसला है जिस का हल हम हफ़्तों, महीनों तो क्या सालों में भी शायद न निकाल सकें। इस के लिये न सिर्फ काफी अर्सा बल्कि काफी रुपया भी चाहिये।

Mr. Speaker : Motion यह है कि बिल Select Committee के पास जाए। (The motion before the House is that the Bill be referred to a Select Committee.)

श्री दौलत राम : इस पर दो पहलुओं से बहस की गई है। मोशन के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं इस की ताईद करता हूं।

4.00 p.m.

वजूहात यह हैं कि अगर इस को इसी शक्ल में पास कर दिया जाये तो नामुकम्मल होने की वजह से जो फायदा हम इस से उठाना चाहते हैं वह नहीं उठा सकेंगे। अगर इस बिल को तीन चार महीने के अरसे के लिये Select Committee के सपुर्द कर दिया जाये तो वह इस को सूबे की बेहतरी, अवामुलनास की सेहत और मुफ़ाद के ज़रिए से पेश करेगी। Select Committee इस अरसे में इस बिल पर काफी गौर खोज कर के इस का ऐसा नकशा तैयार करेगी जो कि हमारे सूबे को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचा सके।

अगर हम चाहेत हैं कि अपने दहातों के दरवाज़े तक तिब्बी इमदाद ले जायें तो जब तक इस बिल पर काफी गौर न करेंगे इस से लाभ नहीं उठा सकेंगे। यह काम पायाए तकमील तक नहीं पहुंच सकेगा। बावजूद इन सब चीज़ों के कि हम रुपया खर्च करेंगे, मेहनत करेंगे, वक्त जाया करेंगे और हर किस्म की मुश्किलात का सामना करेंगे, हमारे लिये यह मुफीद नहीं साबत होगा और हमारी सारी मेहनत अकारथ जायगी। इस लिये मैं अर्ज़ करता हूं कि इस motion को पास किया जाए और Select Committee को इस बिल पर गौर करने और माकूल तरीन शकल में पेश करने का खातिर खाह मौका दिया जाये। उस के बाद यह बिल हाऊस के सामने आएगा तो अवामुलनास के लिये बहुत मुफीद साबित होगा।

श्री बाबू दयाल (सोहना) : स्पीकर साहिब ! यह motion जो पेश की गई है कि इस बिल को Select Committee के सपुर्द किया जाये मैं इस की मुखालिफत करता हूं। इस का कारण यह है कि mover साहिब ने इस की support में कोई माकूल दलील नहीं दी। अध्यक्ष महोदय ! Select Committee को तो वह बिल भेजा जाता है जिस को आम मैम्बर न समझ सकते हों। जो बिल आम मैम्बरों की समझ में न आने वाला हो उस को 5, 10 या 20 Expert मैम्बरों के सपुर्द कर दिया जाता है ताकि वे लोग उसे अच्छी तरह सोच समझ कर अच्छे ढंग से पेश कर सकें। लेकिन इस केस case में क्या है ? जिन M.L.A.s के नाम Select Committee के लिय दिये गये हैं मेरे विचार में तो उन में से कोई Expert नहीं है सब साधारण व्यक्ति हैं। Select Committee में हर एक मामले को Expert मैम्बरान अच्छी तरह से thrash out करते हैं अर्थात् वे देखते हैं कि आया इस को हाऊस के सामने पास करने के लिये लाया जाए या न लाया जाये। इसे आप Public Opinion के लिये तो चाहे circulate करवा देवें लेकिन Select Committee को भेजने के मुझे कोई माइने समझ नहीं आते। हां एक बात मैं जानता हूं कि हमारी सरकार और उस के हिमायतियों को यह आदत ज़रूर पड़ी हुई है कि किसी न किसी तरह से अपनी जेब में पैसे डाले जायें।

Mr. Speaker : Order, Please Order.

श्री बाबू दयाल : वे चाहते हैं कि Select Committee की meetings हों और वे अपना भत्ता बनाएं। सिवाए इस के मुझे और कोई मायने नज़र नहीं आते। एक बात और भी होती है। जिस मामले को सरकार टालना चाहती है उस को भी Select Committee में भेज दिया जाता है। हम ने देखा है कि मुज़ारों का मामला पहले September में Select Committee के सुपुर्द किया और फिर मार्च में भी। मतलब यह है कि अभी तक उस मामले को टालते रहे हैं। जिस बिल को उन्होंने delay करना होता है उस को Select Committee के सुपुर्द किया जाता है। वरना हाऊस में इतने ज्यादा M.L.A.s इकट्ठे हुए हैं। हर एक Constituency के M.L.A.s अपने अपने इलाके की public के point of view को हाऊस के सामने रखेंगे कि यह बिल पास होना चाहिये कि नहीं होना चाहिये। मुझ से पहले जो hon. Members इस बिल पर बोले हैं उन्होंने Select Committee की बात कम की है उन्होने सिर्फ इस बिल की मुखालिफत की है या इस के हक में बोले हैं। बहिन प्रकाश कौर ने ठीक ही कहा है कि यह सरकार देहातों

[श्री बाबू दयाल]
का नाम तो बहुत लेती है लेकिन actually उन के लिये करती बहुत कम है। अब उन के लिये आप ऐसे डाक्टर भेज रहे हैं। अध्यक्ष महोदय ! आपने एक मिसाल सुनी होगी "नीम हकीम खतरा जान"। मेरा मतलब है कि अब सरकार नीम हकीमों को डाक्टर बना कर दिहातों में भेजना चाहती है। मैं अर्ज़ करता हूं कि सरकार मेहरबानी करे उन लोगों पर और उन को नेचर के रहम पर छोड़ दे। उन को ताज़ा हवा मिलती है और साफ पानी पीने को मिलता है। उन को ऐसे डाक्टरों की ज़रूरत नहीं है। मेरे भाईयों ने यह दलील पेश की है कि वाह भाई साहिब दुनियां तो बहुत आगे बढ़ चुकी है और हम पिछड़े जा रहे हैं। यह मैं मानता हूं लकिन यह कहां की अकलमंदी है कि शहर के मामूली आदमियों को degree दे कर डाक्टर बना दिया जाये ? भला आज़ादी का मतलब यही हो सकता है ? अगर आप इस सिलसिले में वाकई कुछ करना चाहते हैं तो आप ज्यादा आदमियों को डाक्टरों के साथ University का इमतिहान देने की इजाजत दे देवें। आप course को shorten कर सकते हैं, study करने के समय को ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन देहातों का नाम ले कर quacks को डाक्टर बना कर वहां न भेजें। दिहातों में पहले ही untrained nurses होती हैं, मास्टर जाते हैं तो वे भी निकम्मे, अगर डाक्टर भेजे जाते हैं तो वह भी ऐसे जिन्होंने ने 3rd Division में पास किया हुआ हो, जिन्हें कहीं कोई सहारा न मिले उन को दिहातों में भेज दिया जाता है। यहां तक कि दिहातों के अस्पतालों में डाक्टर मिलते ही नहीं हैं। मेरी Constituency में कई dispensaries ऐसी हैं जहां पर चार पांच साल dispensers ही injection लगाने के काम करते हैं। जब हम सवाल करते हैं कि अस्पताल बगैर डाक्टर के चलते हैं तो कहते हैं कि हां चलते हैं। इस लिये मैं कहता हूं कि जो दलीलें दिहातों के नाम पर दी जाती हैं यह उन के नाम से उन की exploitation की जाती है। यह बिल on the Floor of the House discuss होना चाहिये या इसे public opinion के लिये circulate कर दिया जाए लेकिन Select Committee को भेजने का कोई मतलब मालूम नहीं होता। उस के मैम्बर expert नहीं हैं। अन्त में मैं फिर यह अर्ज़ करूंगा कि इसे Public opinion के लिये भेज दिया जाये।

श्री गोपी चन्द (पुण्डरी) : अध्यक्ष महोदय ! अभी जो माननीय सदस्य बोल रहे थे, उन्होंने सिर्फ एक बात ही की रट लगाई है कि Select Committee में बड़े Expert Members होने चाहियें। इस सिलसिले में मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि दिहातों में 80 फी सदी आबादी बसती है और वहां पर medical aid बहुत ही कम है। (Interruptions by Shri Babu Dyal) मैं hon. Member से अर्ज़ करूंगा कि वे patiently सुनें मैं उन की नुक्ताचीनी का जवाब देना चाहता हूं। उन्होंने फरमाया है कि यह बिल Select Committee को न refer किया जाये और यह कि गवर्नमैंट हर बिल को Select Committee को इस लिये refer करती है कि उस को delay किया जाये। मैं उन को बताना चाहता हूं कि किसी बिल को Select Committee के पास भेजने का मतलब यह नहीं है कि उस को delay किया जाये बल्कि यह कि उस को निहायत खूबसूरत तरीके और बढ़िया ढंग से लोगों के मुफाद के लिये तैयार किया जाये। Select Committee

में expert और तजरुबाकार hon. Member होते हैं वे किसी बिल को इस ढंग से पेश करते हैं जिस से कि पब्लिक की भलाई हो सके। लिहाज़ा उन का यह विचार कि इस को delay करने की मनशा से Select Commitee के सुपुर्द किया जा रहा है गलत है।

दूसरे यहां पर बीबी प्रकाश कौर और दूसरे भाईयों ने कहा है कि जब तक डाक्टरज़ expert न हों तब तक वे ठीक तरीके से काम नहीं कर सकते। मैं मानता हूं कि medical aid के लिये medical experts की जरूरत है। लेकिन जब तक उन experts की हम ज्यादा तादाद न पा सकें तब तक यह लाजमी हो जाता है कि ऐसे आदमियों को जो दस दस बीस बीस साल तक का तजरुबा रखते हैं---चाहे वे यूनानी, वैदिक या होमियोपैथी में हैं---practice करने का सही तौर पर लाइसैंस देने का प्रबन्ध करें, उन के तजरुबे से फायदा उठावें और उन्हें देहातों में उन जगहों पर भेजें जहां लोगों को उन की सेवाओं की ज़रूरत है। लिहाज़ा मैं बहिन सीता देवी के बिल की ताईद करता हूं।

ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ (ਜਗਰਾਉਂ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ! ਮੈਂ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਸੀਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ motion ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਮੁਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ opposition ਕਰਨ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਈਸਟ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ M.B.B.S. ਤੋਂ ਘਟ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਉਥੇ private practice ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਭਾਵੇਂ M.B.B.S. ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ introduce ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਥੇ life ਦੀ ਇਤਨੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਵਾਂਗ ਉਸ ਨਾਲ play ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ trained doctor ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਦੋਂ L.S.M.F. ਪਾਸ introduce ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 20 ਸਾਲ service ਵਿਚ ਰਖੇ। ਪਰ ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ retire ਹੋ ਜਾਣ ਬਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ private practice ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ life ਦੀ ਐਨੀ ਵਧੇਰੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ life ਨਾਲ play ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, life ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਖੌਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Medical Department ਦੀ ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਸਮਝੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਇਸ ਸਭਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ Select Committee ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਮਖੌਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ certified ਅਤੇ qualified doctors ਵਿਚ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਕ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜਿਸਦੇ ਪਾਸ ਕੇਵਲ ਇਹ pratice ਦਾ certificate ਹੋਵੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ qualified ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ 'health is wealth' ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ untrained ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਨ ਪਾਉ—ਉਹ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਮੈਂ ਇਸ motion ਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ opposition ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab State Medical Practitioners' Registration Bill be referred to a Joint Select Committee consisting of—

(1) Shri Jagat Narain, Minister for Education,—*Chairman.*
(2) Shrimati Sita Devi, M.L.A.
(3) Shri Harnam Singh Sethi, M.L.A.
(4) Shrimati Dr. Parkash Kaur, M.L.A
(5) Rao Abhai Singh, M.L.A.
(6) Sardar Sohan Singh, M.L.A.
(7) Shri Daulat Ram, M.L.A. (Master)..
(8) Shri Ram Kishan, M.L.A.
(9) Shri Som Datta Bahri, M.L.A.
(10) Shri Mehar Singh, M·L.A.
(11) Shrimati Shanno Devi, M.L.A
(12) Shri Kedar Nath Saigal, M.L.A.
(13) Sardar Achhar Singh Chhina, M.L.A.
(14) Shri Rizaq Ram, M.L.A.
(15) Shri Chandan Lal Jaura, M.L.A.
(16) Shri Mohan Lal Dutta, M.L.A.
(17) Comrade Ram Chandra, M.L.A.
(18) Dewan Jagdish Chandra, M.L.A.

and seven Members of the Punjab Legislative Council with a direction to report to the House by the 15th of September, 1955.

The motion was carried.

अध्यक्ष महोदय : अब मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूं। 14 तारीख को बजट पर general discussion है। उसी दिन Supplementary Estimates पर Appropriation Bill रखा जा रहा है। एक घंटा तो पहले की तरह सवालात होंगे। मेरा ख्याल है कि 1½ घंटा Appropriation Bill के लिए वक्त रख दें और बाकी दो घंटे बजट पर general discussion होती रहेगी। अगर आप इस arrangement को approve करें तो इस के मुताबिक काम किया जाएगा।

(Now I would like to mention one thing and that is this. We are going to have general discussion of the Budget on the 14th instant. On that very day Appropriation Bill on the supplementary estimates is also to be taken up. There will be question hour as usual. I suggest that we may utilise 1½ hours for the discussion on the Appropriation Bill and the remaining two hours may be devoted to the general discussion of the Budget. If the House approves of this arrangement, the business of the House will be taken up accordingly.

Members : Yes, Sir, we approve of this arrangement.

4—20 p.m. *The Assembly then adjourned till* 10 *a.m., on Friday, the 11th March, 1955.*

39 PVS 284—21-8-56—CP & S., Pb., Chandigarh

Punjab Vidhan Sabha Debates

11th March, 1955

Vol. I—No. 6

OFFICIAL REPORT

CONTENTS

CHANDIGARH :
Printed by the Controller, Printing and Stationery, Punjab.
1956

Price Rs. 2-9-0

PUNJAB VIDHAN SABHA

Friday, the 11th March, 1955.

The Vidhan Sabha met in the Assembly Hall, Sector 10, Chandigarh Capital, at 10 a.m. of the Clock. Mr. Speaker (Sardar Gurdial Singh Dhillon) in the Chair.

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

PERCENTAGE OF HARIJANS IN IRRIGATION DEPARTMENT

*4118. **Sardar Khem Singh :** Will the Minister for Irrigation be pleased to state—

(a) the percentage of Harijans cadre-wise in the Head Office and circle Offices of the Irrigation Branch of the Public Works Department ;

(b) whether the representation of Harijans in the cadres mentioned in part (a) above is below the percentage fixed by the Government for them ; if so, the steps, if any, taken or proposed to be taken to make it up ?

Chaudhri Lahri Singh : The member may please refer to the statement given below which indicates the whole position.

[Minister for Irrigation]

Percentage of Harijans Cadre-wise in Circle Offices of the Irrigation Branch of the Public Works Department

Serial No.	Name of Circle	Gazetted	Over-seers	Zilla-dars	Drawing Estab-lishment	Clerical Establishment	Assistant Vernacular Clerk	Signallers	Pat-waris	Class IV	Store-keepers	Accountants	Research Assistants	Recorder	REMARKS
		Per cent	Per cent	Per cent	Per cent	Per cent	Per cent	Per cent	Per cent	Per cent	Per cent	Per cent	Per cent	Per cent	
1	Western Jumna Canal, West Circle ..	..	..	17	20	15	4	..	3	8	..	..	..	..	Low percentage of Harijans amongst the Clerks and Technical Establishment is due to the fact that qualified hands of required ability were not available. All the subordinate offices have, however, been instructed to follow the instructions issued by the Government on this subject. As regards Class IV Establishment instructions have been issued to all the subordinate offices to the effect that all future recruitment to this Class
2	Western Jumna Canal, East Circle ..	..	2	..	..	2	..	..	..	7	..	..	..	..	
3	Bhakra Dam Circle ..	..	..	..	16·7	19·4	..	..	..	26·1	..	..	..	..	
4	1st Bhakra Main Line Circle ..	..	..	..	6·5	8	..	..	..	10	7	..	..	..	
5	Upper Bari Doab Circle ..	..	..	..	..	2	..	..	1·5	4·6	..	..	..	..	
6	Ferozepore Circle ..	..	1	..	12	8	2	..	6	14	..	..	..	..	
7	Project Circle ..	..	..	..	..	8	..	..	..	10	..	..	..	..	
8	Director, Irrigation and Power Research Institute ..	..	..	..	..	..	..	..	..	12·36	..	50	3	100	
9	Superintendent, Government Central Workshops	..	..	..	..	3·5	..	..	..	23·08	..	..	..	..	

10	Director, Inspection and Control ..	..	..	..	..	16	..	..	..	15·78		..	..	..	should be made from among the Backward Classes and Scheduled Caste Tribes till the present deficiency is made up.
11	Nangal Circle ..	..	1	..	7	9	..	..	..	19·27	1	..	..	..	
12	Directorate of Bhakra Dam Designs ..	2	..	..	..	11	..	..	..	23	..	..	..	..	
13	Administrative Officer, Construction and Plant Design Directorate ..	..	..	..	1·6	10	..	..	..	24·4	..	..	..	..	
14	Narwana Circle ..	..	·51	..	8·02	12·04	..	..	..	6·54	..	..	..	..	
15	Sirhind Canal Circle	..	..	..	8	7	1	..	2·5	16·48	25	..	..	..	
16	2nd Bhakra Main Line Circle ..	3	1·2	..	..	10·6	..	..	2·2	21·0	..	..	..	..	

HEAD OFFICE

Serial No.	Name of Head Office	Gazetted Officers	Superintendents	Deputy Superintendent	Assistants	Senior Clerks	Junior Clerks	Drawing Establishment	Steno-graphers	Steno-typists	Signallers	Daftris	Jamadars	Peons	REMARKS
		Per cent	Per cent	Per cent	Per cent	Per cent	Per cent	Per cent	Per cent	Per cent	Per cent	Per cent	Per cent	Per cent	
1	Punjab Irrigation Secretariat ..	1	..	..	1	9	13	..	..	..	..	25	..	20	*

*Percentage of Gazetted Officers is low due to the fact that the members of Scheduled Castes and Backward Classes with requisite qualifications were not available. As for making up the deficiency of their representation it is submitted that unless Government decide to relax the educational qualifications this situation cannot be helped.

2. The posts of Superintendents and Deputy Superintendents/Assistant Incharge are filled by promotion.

In case of Stenographers and Steno-typists the percentage of Harijans is below the ratio in view of the fact that Scheduled Caste candidates are not available.

ਸਰਦਾਰ ਖੇਮ ਸਿੰਘ : ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ head office ਵਿਚ percentage 2·8 ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਕੀ gazetted officers ਵੀ ਮਿਲੇ ਹਨ ?

ਅਰਥ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ gazetted ਅਫਸਰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹਨ।

ਸਰਦਾਰ ਖੇਮ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜੋ clerks ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ qualifications ਕੀ ਸਨ ?

Mr. Speaker : Please give notice of a separate question for eliciting this information.

पंडित श्री राम शर्मा : वज़ीर साहिब ने कहा है कि Irrigation Department में हरिजनों की भर्ती की percentage मुकर्रर है। गवर्नर साहिब के Address में हरिजनों Scheduled Tribes and Backward Classes के लिये services में 21 फीसदी मुकर्रर है। क्या इस का असर उस percentage पर पड़ा है जो पहले हरिजनों के लिये मुकर्रर थी ?

ਅਰਥ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਕਿ ਆਪ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਦਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ percentage 19 ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ backward classes ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ percentage 21 ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।

पंडित श्री राम शर्मा : मैं पूछना चाहता हूं कि पहले Scheduled Castes के लिये reservation 19% मुकर्रर थी, मगर अब Scheduled Castes, Scheduled Tribes और Backward Classes के लिये 21% मुकर्रर की गई है, तो क्या 19% Scheduled Castes के लिये ही है और बाकी 2% Backward Classes और Scheduled Tribes के लिये है ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : 21% ਸਾਰੀਆਂ ਪਛੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਵੀ qualified ਹੁੰਦਾ ਹੈ service ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

पंडित श्री राम शर्मा: क्या अब Government की policy इस मामले में बदल गई है और जो 19 की percentage Scheduled Castes के लिये मुकर्रर थी अब नहीं रही ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਜੀ ਨਹੀਂ policy ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ। Constitution ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ Backward Classes ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ services ਵਿਚ ਇਹ percentage ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या यह अमर वाकया नहीं है कि गवर्नमैण्ट ने Services में जिस में Irrigation Department भी शामिल है, Scheduled Castes की भर्ती के लिये 19 की percentage मुकर्रर की हुई है। गवर्नर साहिब के Address में कहा गया है कि Scheduled Castes, Scheduled Tribes और Backward Classes के लिये 21 की percentage है। तो क्या इस का मतलब यह है कि Scheduled Castes के लिये जो 19 की percentage थी वह हट गई है ?

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का उत्तर दिया जा चुका है। (This question has already been replied to.)

पंडित श्री राम शर्मा : स्पीकर साहिब, मेरी गुज़ारिश यह है कि इस मामले में position वाज़िया नहीं हुई। उन्होंने बताया है कि तीनों classes के लिये अब 21 की percentage हैं। पहले गवर्नमैण्ट की policy के मुताबिक 19 प्रतिशत सिर्फ Scheduled Castes को मिलती थी। तो क्या अब इस percentage में फर्क नहीं पड़ा ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਜੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ percentage ਵਧਾ ਕੇ 21 ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।

पंडित श्री राम शर्मा : तो क्या आप का यह मतलब है कि Scheduled Tribes और Backward Classes दोनों के लिये 2 प्रतिशत मुकर्रर की गई है ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਫੀਸਦੀ ਹਿਸਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਲਈ ਅਲਗ ਨਹੀਂ। 21 ਫੀਸਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੈ।

पंडित श्री राम शर्मा : मैं शायद अपने आप को clear नहीं कर सका। गवर्नमण्ट की यह ऐलान शुदा पालिसी है कि सरकारी नौकरियों में 19 फीसदी Scheduled Castes भर्ती किये जायेंगे। अब जो गवर्नर साहिब ने latest Address दिया है उस में कहा गया है कि 21 फीसदी reservation Scheduled Castes, Scheduled Tribes और Backward Classes के लिये मुकर्रर की गई है। इस से यह मुगालता होता है कि Scheduled Castes के लिये percentage घट गई है। मैं इस बारे में Government की वाज़े पालिसी जानना चाहता हूं ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੀਆਂ classes ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ percentage ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ percentage ਮੁਕੱਰਰ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ 19 ਫੀਸਦੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰੀਜਨਾਂ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 2 ਫੀਸਦੀ ਇਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਫੀਸਦੀ reservation ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਦਸਣਗੇ ਕਿ Scheduled Castes, Backward Classes ਅਤੇ Scheduled Tribes ਲਈ ਕਿਨੇ ਫੀਸਦੀ ਹੈ ?

Mr. Speaker : This question does not arise.

पंडित श्री राम शर्मा: क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि गवर्नमेंट ने Scheduled Castes के लिये Irrigation Branch में जो 19 फीसदी reservation मुकर्रर की है, उस के मुतअल्लिक कोई अन्दाज़ा लगाया गया है कि यह percentage हरिजन कब तक पूरी कर लेंगे ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ percentage ਮੁਕੱਰਰ ਹੈ, ਫੇਰ ਕਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ । Block system ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇਕਰ ਇਕ ਸਾਲ ਇਹ ਕੋਈ post ਨਾ ਭਰ ਸਕਣ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ posts ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ posts ਨੂੰ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या वज़ीर साहिब यह मानते हैं कि उन का services में 19 प्रतिशत हिस्सा मुकर्रर करने के बावजूद यह 10, 20 साल के अन्दर नहीं भर सकेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : आप तो राय दे रहे हैं (This is the opinion of the hon. Member.)

मौलवी अब्दुल गानी डार: गवर्नर साहिब के ऐडरेस में इन classes के लिए सिपाहियों की भरती में 50 फीसदी reservations रखी गई है । तो क्या यही बात class I, II, और III, की आसामियों के बारे मे नहीं की जा सकती ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : Class IV ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਹਰੀਜਨ ਕਾਫੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ percentage ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ।

मौल्वी अब्दुल गनी डार : जिस तरह हरिजनों को class IV की आसामियों में रियायत दी गई है तो क्या इसी तरह से Gazetted Officers की posts में भी यही रियायत नहीं दी जा सकती है ताकि इनकी percentage माकूल हो जावे ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ । ਘਟ ਤੋਂ ਘਟ ਮੁਕਰਰ ਸ਼ੁਦਾ qualifications ਵੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਨੌਕਰ ਰਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਮਗਰ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਭੀ ਹਰਿਜਨ ਪੂਰੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

ਸ਼੍ਰੀ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਘਟ ਤੋਂ ਘਟ qualifications ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਸਰਕਾਰ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ minimum qualifications ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਣ । 23 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ।

मौलवी अब्दुल गनी डार ; जनाब मैं पूछना चाहता हूं कि जिस तरह छोटी मुलाज़मतों में हरिजनों को ज्यादा हिस्सा दिया जाता है क्या इसी तरह अफ़सरों की मुलाज़मतों में भी दूसरों के हक कम करके सरकार इनको लेने के लिये तैयार है ?

Mr. Speaker: This question does not arise.

ਸ੍ਰੀ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ : ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੀਜਨਾਂ ਲਈ 19 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ, scheduled tribes ਅਤੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਲਈ 21 ਫੀਸਦੀ ਹੈ । ਕੀ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 21 ਫੀਸਦੀ ਹਿਸਾ ਸਿਰਫ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਹ 21 ਫੀਸਦੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ cover ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਚੂੰਕਿ minimum qualifications ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਉਥੇ backward classes ਦੇ suitable candidates ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਦਮੀ ਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹਰੀਜਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੈ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਤਰਾਂ ਹਰੀਜਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤਾਂ backward classes ਵਾਲੇ ਰਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ backward classes ਵਿਚੋਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਹਰੀਜਨ ਰਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਵਿਚ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ।

ਸਰਦਾਰ ਖੇਮ ਸਿੰਘ : Government ਨੇ 21% reservation ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਵਜਾਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ 6% ਤੇ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘਟ ਹਰੀਜਨ ਰਖੇ ਗਏ ਹਨ ?

ਵਿਕਾਸ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ service ਵਿਚ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਥੇ ਭੇਜ ਦੇਈਏ? ਇਕ hon. Member ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ percentage ਕਦ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਮਰ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਜ ਹੀ percentage ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਈਏ ।

ਸ੍ਰੀ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ backward classes ਅਤੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ।

PERCENTAGE OF HARIJANS IN THE ELECTRICITY DEPARTMENT

*4119. **Sardar Khem Singh :** Will the Minister for Irrigation be pleased to state—

(a) the percentage of Harijans, cadre-wise, in the Head Office and Circle Offices of the Electricity Branch of the Public Works Department ;

(b) whether the representation of the Harijans in the cadres mentioned in part (a) above is below the percentage fixed by Government for them ; if so, the steps, if any, proposed to be taken to make it up ?

Sardar Ujjal Singh : (a) A statement is laid on the Table.

(b) Percentage of Harijans cadre-wise separately in the Head Office and the Circle Offices is not fixed by Government. 21 per cent is fixed for the Department as a whole. Government have now introduced Block System in all direct appointments ; recruitment is made accordingly. In the case of Gazetted Officers, Harijan candidates are not available although the Public Service Commission in all requisitions placed on them is requested to recommend suitable Harijan candidates for appointment according to the percentage fixed by Government.

The percentage of Harijans, cadre-wise, in the Head Office and Circle Office of the Electricity Branch

Name of Office	Percentage of Harijans cadre-wise			Class IV Government servants	REMARKS
	Gazetted Officers	Technical	Clerical		
	Per cent	Per cent	Per cent	Per cent	
1. Head Office ..	2·8	1·96	4·34	15·6	
2. Superintending Engineer, Generation Circle Office	..	14·28 *		22	
3. S. E. N./T Circle Office	..	4 *		31	
4. Superintending Engineer, Delhi Circle Office ..	..	22	7	25	
5. Superintending Engineer, 1st Circle Office ..	..	..	6	10	
6. Superintending Engineer, Ludhiana Circle Office	.. ..	..	..	20	
7. Superintending Engineer, 2nd Circle Office ..	..	..	..	30	

(*For technical and clerical both).

पंडित श्री राम शर्मा : क्या मैं वज़ीर साहिब से दरयाफ्त कर सकता हूं कि Block System क्या है ?

मंत्री : Block System इस तरह बनाया गया है कि अगर पांच खाली असामियां हैं तो उन में अगर कोई हरिजन नहीं आ सका तो इस के बाद दूसरी पांच खाली असामियों में दो हरिजन लिये जायेंगे ताकि पहली असामियों का भी फायदा वह उठा सकें।

EVACUEE LAND OF SOHNA, DISTRICT GURGAON

*4520. **Shri Babu Dayal** : Will the Minister for Finance be pleased to state whether he is aware of the fact that the evacuee land lying at Sohna (district Gurgaon) has not so far been allotted to the refugees settled at Sohna; if so, the reasons therefor ?

Sardar Ujjal Singh : Out of 398-10 S.A. evacuee land available in village Sohna, district Gurgaon, an area of 389-3½ S.A. has already been allotted to displaced persons, leaving 9-6½ S.A. which will be allotted to unsatisfied claiments in due course.

श्री बाबू दयाल : क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि यह 9 एकड़ की units किस के लिये reserve की गई हैं।

मंत्री : यह units reserve नहीं की गई। जो unsatisfied claimants रह गये थे उन्हें यह units अब दी जा रही हैं।

श्री बाबू दयाल : क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि जिन्होंने दरखास्तें कर रखी हैं उन्हें ज़मीन क्यों अलाट नहीं की जा रही ?

Mr. Speaker : This does not arise.

NAULAKHA CINEMA, LUDHIANA

*3753. **Maulvi Abdul Ghani Dar** : Will the Minister for Finance be pleased to state—

(a) the name of party to whom the Naulakha Cinema at Ludhiana has been allotted by the Government and the conditions thereof;

(b) whether the party mentioned in part (a) above was previously carrying on Cinema business in the West Punjab and whether the bid given by it was the highest ?

Sardar Ujjal Singh : (a) The Naulakha Cinema at Ludhiana has been leased out to Messrs. National Pictures Corporation, Ludhiana, on the terms and conditions embodied in the tender form given below.

(b) There was no condition in the terms of lease that only displaced cinema industrialists could tender for the Naulakha Cinema. The Cinema has been leased out at an annual rent of Rs. 55,001 which was the highest offer received for the lease of the said Cinema.

[Minister for Finance]

TENDER FORM FOR LEASE FOR TWO YEARS

OF

INDUSTRIAL ESTABLISHMENT KNOWN AS NAULAKHA THEATRE, LUDHIANA

To

____

____

____

I/WE do hereby tender for lease of the Naulakha Theatre, Ludhiana, and for greater clearness described in the schedule below at the rate of Rs——————————year lease money.

I/We have read and understood the conditions and terms on which the lessor proposes to lease out the Naulakha Theatre tendered for and also the conditions of the tender on the reverse and I/we hereby agree to be bound by all these conditions in respect of this tender. In token of this agreement I/we have deposited Rs 1,000 in Government treasury,——————————————receipt of which I/we file along with this tender.

Tenderer ——————————

son of——————————

Present Address——————————

——————————

Dated ——————————

THE SCHEDULE REFERRED TO ABOVE

The Naulakha Theatre, Ludhiana, with its present premises and machinery installed therein ; the premises will include the shops attached with the Cinema.

Tenderer ——————————

TERMS AND CONDITIONS RELATING TO TENDER
OF LEASE OF
NAULAKHA THEATRE, LUDHIANA

1. The period of lease shall be two years in the first instance which may be extended subsequently by the lessor in writing and shall run from the date of handing over possession of the said Theatre by the lessor to the lessee. On the expiry of the said period or early determination of the lease as hereinafter provided the lessee shall make over possession of the Theatre to the lessor or his duly appointed agent in the same condition as on the date of taking over possession by the leasee from the lessor, subject, however, to normal wear and tear.

2. The lease shall be liable to be determined on six months' notice on either side. No compensation shall be payable by either party to the other party on this account. The lease can be determined without notice in case the compensation scheme comes into operation earlier.

3. The lessee shall not make any alteration in the said Theatre without specific permission in writing of the Custodian.

4. On determination of the lease in whatever manner it occurs, the lessee shall not be entitled to remove any additions made by him to the Theatre and duly registered in the books of the Custodian without the sanction of the Custodian. All other additions or alterations to the said Theatre made by the lessee during the terms of the lease without sanction shall vest in the lessor free from all encumbrances and the lessee shall not be entitled to any compensation on that account.

5. The lessee shall retain in his possession the building of the said theatre, machine and other fixtures, accessories and appurtenances belonging to the same and installed therein and shall keep the same in good and serviceable condition and order and shall not remove them without the previous consent in writing of the lessor or his nominee. The lessee shall at his own expense execute an indemnity bond in favour of the lessor indemnifying completely the lessor in respect of any loss or damage to the theatre during the period of the lease other than normal depreciation in the working of the said theatre during the said period for a sum equal to four times the annual rent on a non-judicial stamp paper.

6. The lesssee shall be responsible to take possession of the theatre within 15 days from the receipt of notice of the acceptance of his tender after execution of lease documents.

7. The lessee shall permit the lessor or any person authorised by the lessor in this behalf to inspect the theatre at all reasonable hours and the lessor or any other such person as aforesaid shall have all such powers of entry as may be necessary for the purpose of making an inspection.

8. The theatre shall not be used otherwise than for the purpose of a Cinema Hall and exhibition of pictures under the Cinematograph Act.

9. Tenderers should state whether they have any verified urban industrial or other claims and the value of the verified claims together with index number etc.

10. Tenders duly filled in and signed in the prescribed form by the tenderers shall be addressed to the Additional Custodian, Evacuee Property, Punjab, Jullundur, by name in a close cover superscribed as 'tender for Naulakha Theatre, Ludhiana' and submitted before 8 p.m. on 10th February, 1954.

11. Each tender must be accompanied by a treasury challan of Rs. 1,000 as earnest money. Besides this the lessee shall have to deposit a security equal to 3 months rent before taking over possession, which will be adjustable against the last instalments if not forfeited in default of any term or condition.

12. Tenders will be examined and opened by the Additional Custodian in the presence of the tenderers on 10th February, 1954 at 4 p. m.

13. The Custodian may reject any tender or all tenders without assigning any reasons therefor. He also reserves the right to accept other than the lowest tender. Preference would be given to the displaced persons who have industrial claims.

14. After the tender has been accepted, the lessee shall be called upon to execute an indemnity bond referred to in clause 5 above and on execution of such bond the possession of the theatre shall be made over to the lessee. The lessee shall be further called upon for the preparation and execution of the lease deed within one month of the demand by the lessor and getting it properly registered. In case of refusal or failure on the part of the successful tenderer to execute lease documents and take possession the earnest money will be liable to forfeiture.

15. The lessee shall pay to the lessor annual lease money in the shape of four quarterly instalments payable in advance for each quarter.

16. All taxes or assessments (including licence fee and insurance charges, etc..) payable in respect of the said theatre whether payable by the lessor or the lessee under any law for the time being in force shall be payable by the lessee.

17. The amount deposited by the lessee as security shall be adjusted against the lease money to be paid by the lessee for the last quarter of the period of lease. No interest shall be payable by the lessor to the lessee on this deposit.

18. The lessee shall be responsible to get the premises and the machinery including furniture with other equipment insured against fire, earthquake, etc., at his own cost and the premiums shall be paid by him regularly.

19. No transfer of any right by the lessee in the said lease will be recognised by the lessor until specific permission in writing of the lessor has been obtained in this behalf.

20. The lease is given on the distinct understanding that the lessee has seen the theatre, has satisfied himself on all points in regard to it including the nature of the machinery and equipment therein and that the lessor will, in no way, be bound to provide

[Minister for Finance]

improvements, conveniences or amenities other than those already existing at the time of tender. Execution of repairs, ordinary or special if any required in the machinery or premises will be the responsibility of the lessee and he shall claim no compensation or remission there against and that he shall be liable to return the theatre complete and in tact in all respects.

21. If the lessee makes a default in paying the lease money or any other charges due from him or fails to comply with any of the aforesaid conditions of the tender the lease shall be determined immediately without notice. At the determination of the lease in whatever manner it occurs, subject to the provisions of clause 4 above, the lessor or any agent of the lessor duly authorised in this behalf by the lessor shall have the right to enter upon the theatre and take possession of it and the lessee shall not be entitled to any compensation on that account.

22. The lessee shall be responsible to exhibit the pictures already booked by the Custodian subject to the terms and conditions of the booking contracts to avoid any complications. The advances or deposits made by the Custodian to any Distributor or any part thereof which may be awaiting adjustment shall be payable to the Custodian before entering into possession of the Cinema.

23. In case of dispute between the lessor and the lessee arising out of the terms of the lease or in respect of the interpretation of any of the terms and conditions of the said lease, the matter shall be referred to the Custodian of the State for final decision and the decision of the said Custodian shall be binding both on the lessor and the lessee.

मौलवी अब्दुल गनी डार : क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि क्या सरकार ख़ुद पहले यह सिनेमा चला रही थी ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਜੀ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ ।

मौलवी अब्दुल गनी डार : फिर इस सिनेमा को अलाट करने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਸਲਈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ।

मौलवी अब्दुल गनी डार : क्या पहले इस से आमदन कम होती थी ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਜੀ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਆਮਦਨ ਘਟ ਸੀ ।

पंडित श्री राम शर्मा : इस corporation के डायरेक्टर और मैनेजर वगैरा कौन हैं ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਆਪ ਨੋਟਿਸ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਦਸ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या 55 हज़ार की bid के इलावा और भी किसी ने bid दिये, अगर दिये तो वह bid क्या थे ?

Mr. Speaker: This is a separate question.

श्री बाबू दयाल : क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि अब सरकार को इस सिनेमा से ज़्यादा आमदन हो गई है तो क्या इस से यह पता नहीं चलता कि गवर्नमैण्ट की efficiency कम है और पब्लिक में गवर्नमैण्ट से ज़्यादा efficiency है ?

अध्यक्ष महोदय : यह आप की राय है। (You are expressing your opinion.)

पंडित श्री राम शर्मा : क्या मैं दरयाफ़्त कर सकता हूं कि इस bid से कितनी ज़्यादा आमदन हुई है ?

मन्त्री : अगर आप नोटिस दें तो मैं आप को बता सकता हूं कि साल भर में इस से कितनी आमदन हुई है।

श्रीमती सीता देवी : क्या माननीय मिनिस्टर साहिब बतायेंगे कि क्या गवर्नमेंट की पालिसी यह नहीं रही कि अलाटमेंट करते समय शरणार्थियों को तरजीह दी जाये ? अब सिनेमा अलाट करते समय क्या शरणार्थियों को preference दी गई है ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਹ ਸਿਨਮਾ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੱਟੇ ਤੇ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

श्रीमती सीता देवी : क्या सरकार शरणार्थियों को तरजीह देती है या नहीं ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ preference ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

श्रीमती सीता देवी : क्या यह सिनिमा देने के लिये जो applications आईं उन में शरणार्थियों ने भी apply किया था ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਸਿਨਮੇ ਨੂੰ ਪੱਟੇ ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਵੀ ਹਨ।

श्रीमती सीता देवी : क्या सरकार अलाटमेंट करते समय इस बात को ध्यान में रखती है कि शरणार्थी के पास पहले ही कोई और काम है या नहीं ?

Mr. Speaker: This is a suggestion.

REORIENTATION OF THE EDUCATIONAL SYSTEM

***4438. Shri Ram Kishan** : Will the Minister for Education be pleased to state whether any integrated plan for the reorientation of the educational system in the State was submitted by the Government to the Union Government, if so, the details of the plan and the action, if any, taken thereon ?

Shri Jagat Narain: No.

श्री राम किशन : क्या मिनिस्टर साहिब बतायेंगे कि क्या इस तरह की कोई स्कीम स्टेट सरकार की है ?

मन्त्री : जी नहीं। यह सारे का सारा plan Centre से आता है।

श्री राम किशन : क्या स्टेट के प्लान भी सैंटर से आते हैं ?

मन्त्री : मैं पहले ही कह चुका हूं कि multipurposes schools के बारे में और इस तरह की स्कीमें Centre से आ रही हैं ।

श्री राम किशन : क्या स्टेट गवर्नमैण्ट की तरफ से कोई प्लान तैयार हो रहा है ?

मन्त्री : जी नहीं ।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या Union Government ने जो स्कीमें स्टेट सरकार को भेजी हैं उन पर गौर हो रहा है ?

मन्त्री : जी हां, गौर हो रहा है ।

पंडित श्री राम शर्मा : इन स्कीमों को implement करने में कितना अरसा लगेगा ?

मन्त्री : जल्दी ही ।

RECOGNITION OF THE BAIJNATH DRAWING SCHOOL, KANGRA

***4519. Shri Babu Dayal :** Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the Baijnath Drawing School, Kangra, has not so far been recognised by the Government ;

(b) whether any assurance for the recognition of the said institution was given by the Government ;

(c) if the reply to part (b) above be in the affirmative, the action, if any, taken or proposed to be taken by the Government in the matter ?

Shri Jagat Narain : (a) Yes.

(b) No.

(c) Does not arise.

PRIMARY SCHOOLS IN DISTRICT HOSHIARPUR

***4478. Shri Rala Ram :** Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) the total number of primary schools in district Hoshiarpur during the year 1954-55 ;

(b) the total number of primary schools opened in the District during the years 1953 and 1954 respectively ;

(c) whether the inspectorate staff for rural schools has been increased ; if so, the number of extra Assistant District Inspectors of Schools appointed ?

Shri Jagat Narain : (a) Total No. of Primary Schools in Hoshiarpur District on 31st January, 1955 .. 732

(b) Total number of Primary Schools opened in the Hoshiarpur District during—

1952-53	..	105
1953-54	..	75

(As the school session starts from 1st April every year, information in respect of calendar years is not available).

(c) Yes ; the number of additional Assistant District Inspectors of Schools appointed in the State is—12 (i.e. one per district).

ABOLITION OF 8TH CLASS FINAL EXAMINATION

*4479. **Shri Rala Ram :** Will the Minister for Education be pleased to state whether any assessment of the educational advantages derived from the abolition of the 8th class Final Examination in the State has been made so far ; if so, with what results ?

Shri Jagat Narain : No. This will be assessed from the Matric results of 1955 onwards.

STRIKE IN THE A. J. COLLEGE, KHANNA

*4340. **Shri Ram Chandra Comrade :** Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) whether the students of A.J. College, Khanna, went on strike in December, 1954, if so, the duration thereof ;

(b) if yes, whether the Government enquired into the reasons and circumstances that led to it ?

Shri Jagat Narain : (a) Yes. For about a week. Later on the college was closed for about 3 weeks.

(b) Informal enquiries were made.

श्रीमती सीता देवी : क्या माननीय मिनिस्टर साहिब बतायेंगे कि इस सिलसिले में जो enquiry की गई है उस के बाद गवर्नमैण्ट ने कोई ऐसा step लिया है कि आयंदा strike की नौबत ही न आये ?

मन्त्री : गवर्नमैण्ट हमेशा ऐसी कार्यवाही करती है जिस से strike की नौबत किसी कालेज में न आये ।

श्रीमती सीता देवी: क्या गवर्नमैण्ट ने कालेजों में कमियों को दूर करने की तरफ अपनी तवज्जुह दी है ?

मन्त्री : उन की तरफ Managing Committee का ध्यान दिलाया गया है ।

पंडित श्री राम शर्मा : यह enquiry किस ने की थी और जो रिपोर्ट इस सिलसिले में गवर्नमेंट को भेजी गई उस पर गवर्नमेंट ने क्या कार्रवाई की है ?

मन्त्री : Enquiry करने के लिये ज़िले का Deputy Commissioner और Deputy Director of Public Instruction गये ।

पंडित श्री राम शर्मा : Deputy Director of Public Instruction की क्या रिपोर्ट थी ?

मन्त्री : इस के मुतअल्लिक आप नोटिस दें तो आप को बता दिया जायेगा ।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि किन वजूहात की बिना पर ऐसे हालात पैदा हुए?

मन्त्री : कालेज में लड़कों ने strike कर दी और इस सिलसिले में Deputy Director of Public Instruction ने enquiry की। कालेज की Managing Committee ने इन हालात में तीन हफ्ते की छुट्टियां कर दीं। बाद में लड़कों ने मुआफी मांग ली और strike खत्म हो गई। गवर्नमेंट ने, जो instructions देनी थीं वह दे दी गई हैं।

पंडित श्री राम शर्मा : वह कौन सी वजूहात थीं जिन की बिना पर strike की नौबत आई? जो इस सिलसिले में Deputy Director of Public Instruction ने तहकीकात कर के रिपोर्ट भेजी उस में क्या लिखा है और क्या वह रिपोर्ट मिनिस्टर साहिब ने पढ़ी है?

मन्त्री : जी हां, पढ़ी है। Strike इस तरह हुई कि students का आपस में झगड़ा हो गया। एक लड़की रिक्षा में बैठ कर कालेज पढ़ने के लिये जा रही थी। रास्ते में रिक्षा उलट गई और उस की वजह से लड़कों में आपस में खैंचा तानी हो गई। कुछ लड़के college authorities के साथ मिल गये और कुछ लड़कों ने strike कर दी। कालेज तीन हफ्तों के लिये बंद कर दिया गया और उस के बाद लड़कों ने मुआफी मांग ली।

ਸ੍ਰੀ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ : ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਲੜਕਿਆਂ ਨੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ।

मन्त्री : क्योंकि उन्होंने strike की थी।

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਿਰਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਉਹ ਕਿਸ ਬਿਨਾ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ?

मन्त्री : जिन्होंने law break किया उन को जेल भेजा गया।

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਕਿਸੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੀ ਲਗੀ ਸੀ?

मन्त्री : जी नहीं।

ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ : ਕੀ strike ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗਿਰਫਤਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਸੀ!

मंत्री : Strike पहले हो गई थी।

DISPENSARIES IN THE STATE

***4521. Shri Babu Dayal** : Will the Minister for Education be pleased to state whether he is aware of the inconvenience caused to people by several dispensaries in the State, specially in the Gurgaon District, being without doctors, if so, the reasons therefor and the action, if any, proposed to be taken by the Government in the matter?

Shri Jagat Narain : At present 44 dispensaries, including 7 rural dispensaries, are without doctors in the State. In Gurgaon District, 5 Civil Dispensaries and 1 Rural Dispensary are without doctors. Orders for the posting of Civil Assistant Surgeon, Class II (Non-Gazetted) at two out of the six vacant dispensaries in Gurgaon District have already been issued.

The dispensaries are vacant owing to the acute shortage of qualified doctors. The reasons for the shortage of qualified doctors are as under—

(i) The present scale of pay (Rs 120—5—145/5—170/8—250) for the Civil Assistant Surgeons, Class II (Non-Gazetted) is unattractive. The question of revision of present scale of pay of Assistant Surgeons, Class II (Non-Gazetted) is under the consideration of State Government.

(ii) The newly-recruited doctors are as a principle posted to outlying Civil or Provincialized rural dispensaries where there are no educational facilities, social amenities, recreational facilities, scope for private practice, and readily available means of conveyance.

(iii) A few of the doctors, who are appointed after a good deal of efforts, either do not join on receipt of appointment letters or leave service as a soon as they get better prospects elsewhere.

HOSPITALS IN THE STATE

*3725. **Maulvi Abdul Ghani Dar :** Will the Minister for Education be pleased to state the total number of hospitals opened by the Government in each district of the State during the years 1952-53, 1953-54 and 1954-55 (up to 1st September) together with the total amount of expenditure incurred on them and also the annual subsidy sanctioned by the Government for their running ?

Shri Jagat Narain : A statement containing the required information is given below:

(i) Total number of hospitals and dispensaries opened by Government in each district of the State during the years 1952-53, 1953-54, 1954-55.—

1952-53	1953-54	1954-55 (Up to 1st September)
1. Civil Dispensary, Haroli (District Hoshiarpur)	1. T. B. Sanatorium at Tanda, District Kangra	Canal Colony Hospital at Ludhiana
2. Civil Dispensary, Nawanshahr (District Jullundur)	2. Hospital-cum-Health Centre, Chandigarh	
3. Two Subsidized Dispensaries at Nigana and Murthal (District Rohtak).	3. Canal Dispensary, Jhansa (District Karnal)	
4. Canal Dispensary, Gobindgarh (District Ferozepur)	4. Canal Dispensary at Jullundur	
5. Twenty Ayurvedic Dispensaries (List attached)		
6. Dental College and Hospital, Amritsar		
7. Canal Dispensary at Hissar		

[Minister for Education]

(ii) Total amount of expenditure incurred towards the maintenance of the above mentioned institutions.—

—	1952-53	1953-54	1954-55 (Up to 1st September, 1954)
	Rs	Rs	Rs
1. Civil Dispensary, Haroli ..	2,189	5,157	2,440
2. Civil Dispensary, Nawanshahr (opened on 20th October, 1952) (from 20th October, .. 1952)	5,572	10,632	3,920
3. Ayurvedic and Unani Dispensaries ..	6,161	96,239	21,395
4. Dental College and Hospital, Amritsar ..	43,274	71,687	22,155
5. T. B. Sanatorium at Tanda ..	..	1,16,578	46,304
6. Hospital-cum-Health Centre, Chandigarh	..	2,48,432	47,804
7. Canal Dispensaries ..	The expenditure is met by the Canal authorities and the required information is being collected		

(iii) Annual subsidy sanctioned by State Government.—

	1952-53	1953-54	1954-55
	Rs	Rs	Rs
1. Subsidized Dispensary, Nigana, District Rohtak	940	1,500	(Subsidies are still to be paid)
2. Subsdized Dispensary, Murthal, District Rohtak	924	1,200	

List of 20 *Ayurvedic and Unani Dispensaries opened in the Punjab State during the year* 1952-53

Ayurvedic	*Unani*
1. Bamla (District Hissar)	1. Nagpur (Hissar)
2. Dullehra (District Rohtak)	2. Farmana (Rohtak)
3. Hathin (District Gurgaon)	3. Garhi Hassanpur (District Gurgaon)
4. Dahar (District Karnal)	4. Salwan (District Karnal)
5. Barwala (District Ambala)	5. Khizrabad West (District Ambala)
6. Bijhri (District Kangra)	6. Dhaneta (District Kangra)
7. Amb (District Hoshiarpur)	7. Khanpur Dhadda (District Jullundur)
8. Behlolpur (District Ludhiana)	8. Khatra Chuharmi (District Ludhiana)
9. Burj Hanumangarh (District Ferozepur)	9. Jhumba Bhai (District Ferozepur)
10. Manochahal (District Amritsar)	10. Massanian (District Gurdaspur)

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : मिनिस्टर साहिब ने बताया है कि 1952-53 में 10 आयुर्वेदिक और 10 यूनानी हस्पताल खोले गये हैं मगर 1954-55 में क्यों कोई ऐसा हस्पताल नहीं खोला गया ? क्या तजरबा कामयाब नहीं हुआ ?

मंत्री : 1952-53 में दस हस्पताल खोले गये थे ।

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : जब कुछ हस्पताल यूनानी दवाइयों के और कुछ हस्पताल ऐलोपैथिक दवाइयों के खोले गये हैं तो Homoeopathic हस्पताल खोलने के मामला को क्यों नज़रअंदाज कर दिया गया है ?

मन्त्री : Homoeopathic हस्पताल खोलने का सवाल ही पैदा नहीं होता ।

मौलवी अब्दुल गनी डार : क्या मिनिस्टर साहिब बतायेंगे कि ऐलोपैथिक और आयुर्वेदिक हस्पतालों के डाक्टरों के ग्रेडों में फर्क क्यों रखा गया है ?

Mr. Speaker: The hon. Member should give a fresh notice for this question.

ROUTES FOR GOVERNMENT BUSES

***4558. Shri Teg Ram :** Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) the total number of routes on which Government buses are being run at present under the nationalization scheme ;

(b) the total number of routes and their names which are proposed to be nationalized under the nationalization scheme during the year 1955 ;

(c) the total number of Kacha routes on which buses would be allowed to operate during the current year ;

(d) the names of Kacha-road routes proposed to be sanctioned in Ferozepore District ;

(e) the date by which buses will commence running on the routes mentioned in part (d) above ?

Shri Jagat Narain : The information asked for is given below :—

(a) 77.

(b) The list of routes to be nationalized during 1955 has not yet been finally approved.

(c) 170. Permits for the operation of these routes are proposed to be issued to the private operators during the year 1955-56.

(d) A list is laid on the Table of the House.

(e) The date cannot yet be specified.

List of Kacha routes proposed to be sanctioned in Ferozepore District

Serial No.	Name of route
1	Muktsar-Malan.
2	Malout-Bajidpur.
3	Abohar-Bajidpur.
4	Abohar-Sherwala.
5	Malout-Lakhewali-Mandi.

[Minister for Education]

Serial No.	Name of route
6	Zira-Fatehgarh-Panjtur-Jogewala Railway Station.
7	Dharamkot-Kokri Kalan-Jagraon.
8	Zira-Malanwala.
9	Malout-Sikhewali.
10	Badal-Bajidpur.
11	Dabwali-Bajidpur.
12	Gidderbaha-Bahu-Khurd.
13	Muktsar-Guruharsai.
14	Achariki-Fazilka via Panchkosi, Shahtir-wala etc.
15	Moga-Chirik.
16	Abohar-Sete-Abubshahr.
17	Ferozepore-Lohgarh.
18	Muktsar-Abohar via Bhadarchak, Chibran-wali, Mida, Paniwal and Patti.
19	Muktsar-Fazilka via Lakhewali Mandi.
20	Ferozepore-Guruharsai.

श्री तेग राम : माननीय मंत्री ने बताया है कि 77 रास्तों की nationalisation की गई है। क्या यह पक्के रास्ते हैं या इस में कुछ कच्ची सड़कें भी हैं ?

मन्त्री : सारी पक्की हैं ।

श्रीमती सीता देवी : मंत्री महोदय ने सवाल के भाग (ख) का जवाब देते हुए बताया है कि अभी इस के मुतअल्लिक सूचना नहीं दी जा सकती। यह काम कब तक मुकम्मल हो जायेगा।

मन्त्री : जब नया साल शुरु हो जायेगा। Routes के बारे में list बनाई जा रही है।

श्री धर्मवीर वासिष्ठ : हमने पहले सुना था कि यह routes political sufferers को दिए जाएंगे, फिर सुना कि displaced persons को दिए जायेंगे। क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि सरकार का इस सिलसिले में आखिरी फैसला क्या है ?

मन्त्री : अब भी political sufferers का ख्याल रखा जायेगा ।

श्री धर्मवीर वासिष्ठ : क्या सारी चीज़ nationalisation की स्कीम के मातहत की जाएगी ?

मन्त्री : कच्चे routes nationalisation की स्कीम में नहीं आते ।

श्री रिजक राम : Political sufferers को जो routes दिये जायेंगे, individuals को दिये जायेंगे या Co-operative societies को ?

मन्त्री : Co-operative societies को भी दिये जायेंगे ।

ਭਗਤ ਗੁਰਾਂਦਾਸ ਹੰਸ : ਕੀ ਕੋਈ ਰੂਟਸ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ ?

मन्त्री : उन के लिये भी रखे जायेंगे ।

पंडित श्री राम शर्मा : Nationalisation की स्कीम में गवर्नमेंट कच्चे routes क्यों नहीं ले रही है ?

मन्त्री : अभी नहीं ले रही है; वे अभी नए शुरु होने हैं।

पंडित श्री राम शर्मा : नए शुरु हों या पुराने, मैं यह दरियाफत करना चाहता हूं कि कच्चे routes सरकार क्यों नहीं लेना चाहती ?

मन्त्री : वह अभी नहीं ले रहे हैं।

ਭਗਤ ਗੁਰਾਂਦਾਸ ਹੰਸ : ਇਹ ਜਿਹੜੇ routes ਦਿਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਦਿਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਤੇ ?

मंत्री : पिछली अर्जियों पर भी गौर किया जायेगा और नई अर्जियों पर भी ।

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : ਜੋ ਕੋਈ co-operative societies ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ shares ਦੀ ਕੀ ਹਦ ਰਖੀ ਗਈ ਹੈ ?

मंत्री : Societies तो लोगों ने बनानी हैं गवर्नमेंट ने नहीं।

श्री कस्तूरी लाल : करनाल में कौन २ से कच्चे routes हैं ?

मंत्री : इस के लिये अलग सवाल पूछिये ।

मौलवी अब्दुल गनी डार : जब यह routes पुराने हो जायेंगे तो क्या गवर्नमैण्ट इन्हें भी nationalisation स्कीम में ले आयेगी ?

मंत्री : ज़रूर । (हंसी) :

श्री धर्म वीर वासिष्ठ : क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि यह कच्चे routes का मामला कितनी देर से ज़ेरे गौर है ?

मंत्री : साल, डेढ़ साल से ।

श्री धर्मवीर वासिष्ठ : मेरे ख्याल में दो साल से ज़्यादा हो चुके हैं।

मंत्री : नहीं जी ।

TRANSPORT CORPORATION

***4372. Shrimati Sita Devi :** Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) whether it is a fact that a Transport Corporation is being established in the State ;

(b) whether the Central Government have given any grant to the State Government towards the establishment of the said Corporation ; if so, the amount thereof ;

(c) whether the Indian Railways are also taking some shares in the said Corporation ;

(d) the date by which the said Corporation is likely to start functioning ?

Shri Jagat Narain : (a) The matter is under consideration.

(b) No.

(c) Yes.

(d) Not yet finally decided.

श्री देव राज सेठी : यह current year खत्म होने वाला है । कब तक उन को इजाज़त हो जायेगी ।

मंत्री : दो महीने तक Regional Transport Authority को इजाज़त हो जायेगी ?

श्री देव राज सेठी : किस बिना पर यह कच्चे routes बांटें जायेंगे ?

मंत्री : Operators से दरखास्तें मांगी जायेंगी और R.T.A. उन दरखास्तों को examine करेगा कि किस किस को इजाज़त दी जाये ।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या पिछले साल यह plan नहीं थी कि कच्चे routes दिये जायेंगे ?

मंत्री : Plan थी लेकिन यह routes इस लिये न दे सके क्योंकि nationalisation करने का ख्याल था ।

श्री तेग राम : Nationalisation करते वक्त किन किन बातों का ख्याल रखा जायेगा ?

मंत्री : जहां जहां इस वक्त हकूमत की buses चल रही हैं उन के साथ साथ जो मुलहक्का रास्ते हैं उन को nationalise करने की कोशिश करते हैं ।

श्रीमती सीता देवी : पिछले साल plan थी कि कच्चे routes दिये जायेंगे लेकिन वह किसी वजह से न दिये जा सके । क्या मिनिस्टर साहिब अब बतायेंगे कि जो अड़चनें पिछले साल थीं उन्हें अब हटा दिया जायेगा ?

मंत्री : अब ज़रूर दिये जायेंगे ।

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ: ਕੀ ਇਹ routes Regional Transport Authority sanction ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ministry ਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਹੋਵੇਗਾ ?

मंत्री : यह routes Regional Transport Authority मन्ज़ूर करेगी और इस में ministry का कोई हाथ नहीं होगा ।

श्री धर्म वीर वासिष्ठ: क्या यह अमर वाकया है कि जो कच्चे routes देने का ख्याल था उन में कुछ तबदीली आ गई है ?

मंत्री : आप बतायें कि कौन सी तबदीली आई है ।

श्रीमती सीता देवी : क्या यह proposal finalise नहीं हो चुकी है ?

मंत्री : अभी बात चीत हो रही है ।

श्रीमती सीता देवी : State Government तो Transport Corporation के बारे में अपनी तरफ से announcement कर चुकी है; यह कब तक बन जायेगी ?

मंत्री : अभी बात चीत चल रही है ।

श्री मती सीता देवी : क्या बात चीत इसी साल में खत्म हो जायेगी ?

मंत्री : जल्दी खत्म हो जायेगी ।

श्रीमती सीता देवी : Corporation ज़रूर बनेगी या proposal ही खत्म हो जायेगी ?

Mr. Speaker : This does not arise.

पंडित श्री राम शर्मा: अगर केंद्रीय सरकार Corporation के बनाये जाने पर रजामंद हैं तो फिर कौनसी चीजें रोड़ा अटका रही हैं और कौनसी बातें तै हो चुकी हैं?

मंत्री : Planning Commission ने सारी plan मंगवाई है, वे ग़ौर कर के फैसला करेंगे ।

श्रीमती सीता देवी : क्या State Government न Corporation बनाने का फैसला करने से पहले Planning Commission की मन्ज़ूरी नहीं ली थी ?

मंत्री : Central Government का ही हुक्म है कि हर State में ऐसी corporation बननी चाहिये ।

श्रीमती सीता देवी : क्या 50 लाख रुपये की रकम जो Corporation के लिये पिछले साल के बजट में provide की गई थी खर्च कर दी गई है ?

मंत्री : नहीं ।

श्रीमती सीता देवी : तो रखी क्यों गई थी ?

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ State Government ਨੇ ਜਿਹੜੀ plan ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ ?

मंत्री : अभी बनाई जा रही है ।

FOREIGN ARCHITECTS IN CHANDIGARH CAPITAL

*4668. **Shri D. D. Puri :** Will the Minister for Public Works be pleased to state—

(a) the names of the foreign architects who have been employed in connection with the construction of the Chandigarh Capital and their terms of employment ;

(b) whether any contract with any of the Foreign Architects referred to in part (a) above has been renewed ; if so, on what terms?

Sardar Gurbachan Singh Bajwa : (a) The following foreign architects were employed in connection with the planning of New Capital and designing of Government buildings at Chandigarh, on three years' contract, at the rate of salary/honorarium noted against each :—

(i) Mr. E. Maxwell Fry, Senior Architect	Rs 2,666-11-0 per month.
(ii) Miss Jane B. Drew, Senior Architect	Rs 2,666-11-0 per month
(iii) Monsieur Pierre Jeannerete, Senior Architect	Rs 3,333-5-0 per month
iv) Monsieur Le. Corbusier, Architectural Advisor	At the rate of two thousand pounds sterling for two visits to India per year ; and in addition, thirty pounds sterling per day as daily allowance during his stay in India subject to the maximum of four thousand pounds sterling per year. He was also allowed cost of his establishment employed on Chandigarh work in Paris on hourly basis and the average cost of work per hour amounted to Rs 10.

Under the terms of contract, all the four architects were to be provided with passage by sea or air, at Government expenses, from England/Paris (France) to India and back.

(b) The contract with Monsieur Pierre Jeannerete and Monsieur Le Corbusier has been extended for a further period of two years. The terms of contract with Monsieur Pierre Jeanerete remain the same ; while in case of Monsieur Le Corbusier, besides the sum of two thousand pounds sterling per year and the daily allowance of £ 30 he is to be paid at the rate of 3 per cent on the gross estimate for the Government House (Raj Bhawan) and the Assembly Chamber and at the rate of 2 percent on the gross estimate for the Secretariat building which item was not covered by this contract. The cost of his Paris establishment already reimbursed on account of these buildings is to be deducted from the amount payable on percentage basis in respect of these three buildings.

श्री देव राज सेठी : इतने विदेशी रखे गए हैं, क्या देश में लायक architects नहीं मिलते थे ?

Mr. Speaker: This is an argumentative question ; not allowed.

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਦੇਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਦੋਵੇਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ।

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ Miss Jane ਦਾ ਖਾਵੰਦ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ? (ਹਾਸਾ)

Mr. Speaker : It does not arise.

पंडित श्री राम शर्मा: वजीर साहिब ने फरमाया है कि देशी और विदेशी दोनों architects रखे गये हैं और दोनों ही अच्छा काम कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जो विदेशी architects रखे गये हैं क्या उन में ऐसी काबलियत थी जो कि देशियों में नहीं थी या कि इस बात की परवाह किये बगैर ही उन को रखा गया है ?

ਮੰਤ੍ਰੀ: ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ—ਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਰਚੀਟੈਕਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਖ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਘਟ ਜਾਂ ਵਧ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ।

खान अब्दुल गफ्फार खान : जनाब आप की विसातत से मैं जनाब वजीर साहिब से दरियाफत करना चाहता हूं कि जब उन्होंने जवाब देते वक्त फरमाया है कि देशी और विदेशी इंजीनियर दोनों ही कामयाब हो रहे हैं तो उन्हें विदेशी इंजीनियरों को नया contract देने की जरूरत क्यों पड़ी ?

ਮੰਤ੍ਰੀ: ਵਡੀਆਂ ਵਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ ਸਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या मैं पूछ सकता हूं कि जो विदेशी इंजीनियर गवर्नमैंट ने रखे हैं वे इस खयाल से रखे गए हैं कि उन में वह काबलियत है जो Indian Engineers में नहीं है या इस बात की परवाह किये बगैर ही उन को रखा गया है ?

ਮੰਤ੍ਰੀ: ਵੈਸੇ ਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀ architects ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਰਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਵੇਖ ਲਈ ਅਤੇ ਦੇਸੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਵੇਖ ਲਈ। ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਰਖ ਲਿਆ।

पंडित श्री राम शर्मा : गोया सरकार ने विदेशी architects को इस लिये रखा क्योंकि उन में वह काबलियत और तजरुबा था जो कि Indians में नहीं था।

ਮੰਤ੍ਰੀ: ਅਸੀਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਸਿਬ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਖ ਲਿਆ। ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

पंडित श्री राम शर्मा : वजीर साहिब ने फरमाया है कि देशियों की काबलियत भी देख ली और विदेशियों की काबलियत भी देख ली उस के बाद जिन को मुनासिब समझा गया रख लिया गया। क्या मैं दरियाफत कर सकता हूं कि गवर्नमैण्ट ने इस बात का अन्दाजा लगाने में यह ख्याल किया कि चूंकि qualification और तजरुबा जो चाहिये था वह देशी इंजीनियरों में नहीं था इस लिये विदेशियों को preference दी गई ?

ਮੰਤ੍ਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਦੇਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤਜਰੱਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਖ ਲਿਆ ਗਿਆ।

पंडित श्री राम शर्मा : वज़ीर साहिब ने फरमाया है कि जिन बातों का देशी इंजीनियरों को तजरुबा नहीं था उन के लिये विदेशियों को रख लिय गया । इस के इलावा उन्होंने क्या फरमाया है ?

ਮੰਤ੍ਰੀ: ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ।

श्री धर्मवीर वासिष्ठ : क्या मंत्री महोदय कृपा कर के बतायेंगे कि विदेशी भाइयों की जगह पर देशी भाइयों को लगाने की कोशिश नहीं की गई ?

ਮੰਤ੍ਰੀ: ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਉਂਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ services terminate ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ contract renew ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗਹ ਦੇਸੀ ਇੰਜਨੀਅਰ ਰਖ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰ ਕੇ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ Public Accounts Committee ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ buildings ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਸਾਡੀ ਸਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਢੁਕਦੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ contract ਕਿਉਂ renew ਕੀਤੇ ਗਏ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ contract ਨਹੀਂ renew ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਡੀਆਂ ਵਡੀਆਂ buildings ਦਾ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ contact renew ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ : ਕੀ ਵਡੀਆਂ buildings ਦਾ ਕੰਮ Indian engineers ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ?

खान अब्दुल ग़फ्फार खां : जनाब वज़ीर साहिब ने यह इरशाद फरमाया था कि जो इमारात खत्म हो गई थीं उन के इंजीनियरों को हटा दिया गया और उन की services terminate कर दी गईं । लेकिन जो इमारात शुरु नहीं हुई थीं । उस के जवाब में उन्होंने दो नाम लिये हैं—राज भवन और असैम्बली चैम्बर—तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ये दोनों इमारात शुरु हो चुकी हैं जिन के लिये विदेशी इंजीनियरों को re-employ किया गया ?

ਮੰਤ੍ਰੀ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਨਕਸ਼ੇ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।

खान अब्दुल ग़फ्फ़ार खान : जनाब वाला ! वज़ीर साहिब ने फरमाया है कि नकशे वगैरा बन चुके थे। उन्होंने पहले यह भी फरमाया है कि हिंदुस्तानी और यूरोपियन architects दोनों कामयाब हुए हैं । तो क्या हिंदुस्तानी architects उन नक्शों के मुताबिक इमारतें तैय्यार नहीं कर सकते थे ?

ਮੰਤ੍ਰੀ: ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਕਸ਼ੇ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਕਸ਼ੇ ਬਣ ਚੁਕੇ ਸਨ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਿਚ ਗ਼ਲਤੀ ਲੱਗੀ ਹੈ।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या मैं पूछ सकता हूं कि foreign architects को तनखाहें allowances और percentage वगैरा buildings के हिसाब से दिये जाते हैं या माहवारी तौर पर ?

ਮੰਤ੍ਰੀ: ਪਹਿਲੇ ਮਾਹਵਾਰੀ basis ਉਪਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਾਹਵਾਰੀ basis ਉਪਰ ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ buildings ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या वज़ीर साहिब कृपा कर के बतायेंगे कि जिस आर्कीटैक्ट ने हाई कोर्ट की बिलडिंग बनाई है उसके allowances और percentage वगैरा का हिसाब पूरा हो चुका है ?

Mr. Speaker: It is a separate question. It does not arise out of the main question.

श्री धर्म वीर वासिष्ठ : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जो विदेशी विशेषज्ञ यहां रखे हुए हैं, उन को इस लिये यहां पर रखा हुआ है कि उन की काबलियत के देशी विशेषज्ञ मिलते ही नहीं या इस लिये रखे हुए हैं कि उन के contract अभी तक खत्म ही नहीं हुए ?

ਮੰਤ੍ਰੀ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ contract ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਦ ਫਿਰ renew ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

श्रीमती सीता देवी : वज़ीर साहिब ने एक सवाल के जवाब में कहा है कि विदेशी विशेषज्ञ इस लिये रखे गये हैं कि उन को बड़ी २ buildings का काम दिया जाये क्योंकि वे बहुत योग्य हैं। मैं जानना चाहती हूं कि आया उन के बनाये हुए मकान हिंदुस्तानी atmosphere के मुताबिक हैं अर्थात् हिंदुस्तानी लोगों को suit करते हैं ?

ਮੰਤ੍ਰੀ: ਜੀ ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

श्रीमती सीता देवी : क्या वे नहीं जानते कि हाईकोर्ट की building का नक्शा ऐसा है कि जहां पर वर्षा में चपड़ासी लोग अन्दर बैठे २ भीग जाते हैं ?

ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ Public Accounts Committee ਨੇ ਅਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਕਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ?

ਵਿਕਾਸ ਮੰਤ੍ਰੀ : Certainly not. Public Accounts Committee ਵਿਚ expert architect ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। Architecture ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਮੂਨਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਵੀ suit ਕਰੇਗਾ।

श्री दौलत राम : क्या वज़ीर साहिब कृपा करके बतायेंगे कि उन्होंने इतने रुपये खर्च कर के foreign countries से architect मंगवाए हैं अगर उन्होंने foreign architects को ही रखना था तो क्या उन्हें हिंदुस्तान में ही foreign architects नहीं मिल सकते थे ? इस तरह उन का रुपया काफी बच सकता था।

Mr. Speaker : This question has already been replied to.

पंडित श्री राम शर्मा: वज़ीर साहिब ने फरमाया है कि Public Accounts Committee में expert architects नहीं हैं। तो क्या मैं पूछ सकता हूं कि Development Minister साहिब expert architect हैं उन्होंने जो फरमाया है कि आने वाले 100 वर्षों तक भी यह नमूने हमारी सभ्यता को suit करेंगे ?

ਵਿਕਾਸ ਮੰਤ੍ਰੀ: Development Minister ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਘੁਮ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਵਡੀਆਂ ਵਡੀਆਂ buildings ਵੇਖੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਹੈ।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या मैं पूछ सकता हूं कि उन्होंने अमरीका के किस होटल में architecture का तजरुबा किया था ?

ਵਿਕਾਸ ਮੰਤ੍ਰੀ: ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਤਜਰਬਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਸ਼ ! ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਵਿਧਰੇ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਝੌਂਪੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ।

श्रीमती सीता देवी : क्या मिनिस्टर साहिब यह फरमायेंगे कि जो मकान बनाये हैं उन में चोरों के लिये आने जाने के जो रास्ते छोड़े गये हैं, वे उन्होंने अपनी मरज़ी से छोड़े या गवर्नमैण्ट की रज़ामन्दी से ?

ਮੰਤ੍ਰੀ: ਇਥੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ। ਚੋਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ civilization ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।

खान अब्दुल गफ्फार खान : जनाब वज़ीर साहिब ने फरमाया है कि इमारात शुरु नहीं की गई थीं, सिर्फ नक्शे बनाये गये थे। मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब वह यह बात जानते हैं कि जो हिंदुस्तानी architects हैं वह उतने ही कामयाब हुए हैं जितने कि विदेशी architects हैं। तो इन नकशाजात को बनाने का काम उन्हीं के सुपुर्द क्यों नहीं किया गया ?

अध्यक्ष महोदय : इस का जवाब तो पहले ही दिया जा चुका है। (This question has already been replied to.)

खान अब्दुल गफ्फारखान : क्या जनाब ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि चूंकि उन्होंने नक्शे शुरु किये, इस लिये वही खत्म करेंगे (He has said that they were to complete the plans because they initiated them.)

खान अब्दुल गफ्फार खान : क्या इतनी सी बात पर ही उन के साथ contract को renew किया गया ?

अध्यक्ष महोदय : जवाब तो वह दे चुके हैं। (He has already replied to this question.)

खान अब्दुल गफ्फ़ार खान : जनाब ! आप तो मुझे सवाल ही नहीं पूछने देते । आप का हुक्म मुझे सिर आंखों पर कबूल है लेकिन जरा मुझे अपने सवाल का जवाब तो जनाब वज़ीर साहिब से हासल करने का मौका दें ?

अध्यक्ष महोदय : पूछिये ।

खान अब्दुल गफ्फ़ार खान : उन्होंने इरशाद किया है कि उन्होंने नकशे बनाने शुरु कर दिये थे इस लिये उन के contract को renew करना पड़ा । मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब उन का contract खत्म हो चुका था तो क्या उन शुरू-शुदा नकशों को हिंदुस्तानी architects से मुकम्मल नहीं करवाया जा सकता था जिन की काबलियत को यह खद तसलीम करते हैं ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਨਕਸ਼ੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖਾਂ ਸਾਹਬ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਪੈਂਸਲ ਫੜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿਉ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ design ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਉਸ ਨੂੰ finalise ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ contract renew ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ contract ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

श्री राम सरूप : क्या मिनिस्टर साहिब बतायेंगे कि विदेशी architects की qualifications क्या है और हिंदुस्तानी architects की क्या हैं ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ।

श्री रिज़क राम क्या मिनिस्टर साहिब बतायेंगे कि जो foreign experts हैं उन के आने जाने का जो खर्च terms of agreement में दर्ज है वह कितनी बार आने जाने के लिये हैं ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ

CONSTRUCTION OF ROADS IN THE STATE UNDER THE FIRST FIVE-YEAR PLAN

*4559. **Shri Teg Ram** : Will the Minister for Public Works be pleased to state—

(a) the names of the districts in the State where new roads are proposed to be constructed by the end of this year, under the 1st Five-Year Plan, along with the mileage in each case and the expenditure to be incurred thereon ;

(b) the names of the districts in the State where new Pacca roads are proposed to be constructed, the mileage thereof and the expenditure likely to be incurred thereon under the 2nd Five-Year Plan?

Sardar Gurbachan Singh Bajwa : (a) The schemes sanctioned, provision made in the Plan and the expenditure to be incurred by the end of this financial year are detailed in the statement given below.

Minister for Public Works]

The road schemes are prepared and sanctioned to improve communications in the Punjab as a whole. The schemes are not sanctioned district-wise. Information district-wise cannot therefore be given.

Correct information regarding mileage to be constructed by the end of this financial year cannot also be given as different items of work, such as earth work, collection of materials, consolidation, surfacing etc. are carried out at various stages to complete the whole road.

(b) 2nd Five-Year Plan has not yet been finalised by Government.

Statement showing the construction of Roads in the State under the 1st Five-Year Plan

Serial No.	Name of Scheme	Provision in the Plan (Rs in lacs)	Expenditure to be incurred by the end of this financial year
	Five-Year Plan		
1	Harike-Makhu Road ..	4.21	3.65
2	Gohana-Panipat Road ..	10.40	10.10
3	Jullundur-Hoshiarpur-Dharamsala Road ..	6.35	6.35
4	Una-Nangal Road ..	11.89	11.89
5	Amritsar-Udho-Nangal Road ..	6.30	6.23
6	Morinda-Chamkaur Beal Road ..	3.03	3.16
7	Jagadhri-Paonta Road ..	4.38	4.18
8	Bhiwani-Loharu Road ..	5.00	4.07
9	Phillaur-Nakodar-Jullundur Road ..	2.09	1.40
10	Hansi-Jind Road ..	3.57	2.59
11	Ghanauli-Nalagarh Road ..	0.95	0.94
12	Delhi-Border-Kharkhauda Road ..	2.00	0.54
13	Ambala-Pehowa Road ..	6.44	2.04
	Adjustment Five-Year Plan		
14	Rainital Jawala-Mukhi Road ..	10.00	4·00
15	Panipat-Assaundh Road ..	15.00	4.00
16	Hoshiarpur-Tanda-Sirigobindpur-Udo Nangal Road	25.00	10.00
17	Batala-Beas Road in Amritsar District ..	7.00	2.30
18	Ambala-Pehowa Road ..	10.09	5.00
19	Mubarakpur-Raipur Road ..	2.97	1.50
20	Muktsar-Jalalabad Road ..	7.75	4.08

Serial No.	Name of Scheme	Provision in the Plan (Rs in lacs)	Expenditure to be incurred by the end of this financial year
	Bhakra Roads		
1	Tohana-Barwala		1.00
2	Hissar-Barwala ..		3.00
3	Hissar-Balasmand ..		2.00
4	Tohana-Ratia ..		2.00
5	Uklana-Bahuna ..		2.00
6	Uklana-Narwana ..	1,30 00,000	..
7	Ratia-Fatehabad ..		2.00
8	Fatehabad-Bhattu ..		3.00
9	Bhattu-Ludesar ..		2.00
10	Kalanwali-Dabwali ..		2.00
11	Dabwali-Chautala ..		2.00
12	Kaithal-Gula ..		3.00
13	Kaithal-Rajaund-Assaundh ..		3.00
14	Rupar-Nangal (widening) ..		5.00
15	Lisara-Rahon-Road in Jullundur District ..		2.00

श्री तेग राम : जवाब हिंदी में बताने की कृपा करेंगे ।

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ।

पंडित श्री राम शर्मा : On a point of order, Sir मिनिस्टर साहिब ने जवाब दिया है कि वह हिंदी नहीं जानते । मैम्बर साहिब ने कहा कि हिंदी में जवाब दें मगर उन्हों ने इनकार कर दिया है । इस हाऊस में यह फैसला हो चुका है कि अगर मैम्बर साहिबान चाहें तो अंग्रेज़ी के साथ साथ हिंदी या पंजाबी में भी जवाब दिये जायेंगे । मैं आप की इस बात पर रूलिंग चाहता हूं कि क्या मिनिस्टर साहिब का यह जवाब House के procedure के खिलाफ नहीं है ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ।

पंडित श्री राम शर्मा : हिंदी में नहीं तो पंजाबी में ही बता दें ।

श्री देव राज सेठी : मिनिस्टर साहिब ने फरमाया है कि वह हिंदी नहीं जानते । क्या एक वज़ीर के लिये यह लाज़मी नहीं कि वह राष्ट्र भाषा को जानें ? How can he say that he does not know the national language ?

ਮੰਤ੍ਰੀ: ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ । ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ਕ ਇਥੋਂ ਹਟਾ ਦਿਓ ।

अध्यक्ष महोदय : क्या खुइंयां सरवर से आए हुए मैम्बर यह पसन्द नहीं करेंगे कि जवाब पंजाबी में दे दिया जाये ? (May I know if the hon. member representing Khuian Sarwar constituency would like to hear the reply to his question in Punjabi Language?)

श्री तेग राम : कोई फर्क नहीं पड़ता । मैं पंजाबी में सुनना भी पसन्द करूंगा ।

(The hon Minister then read out the Punjabi translation of the reply.)

श्री तेग राम : क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि किस जिले में कितनी सड़कें बनीं ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਜੇਕਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਵੋ ਤਾਂ ਦਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

प्रोफेसर शेर सिंह : Division-wise information क्या है ? अम्बाला डिवीज़न में कितनी और जालन्धर डिवीजन में कितनी ?

ਮੰਤ੍ਰੀ: ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ division wise ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।

11 A.M.

QUESTION OF PRIVILEGE RE: LEAKAGE OF BUDGET PROPOSALS

मौलवी अब्दुल गनी डार (नूह) : जनाब स्पीकर साहिब ! मैंने बजट की leakage के बारे में एक motion of privilege move करने की इजाज़त मांगी है। मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं, स्पीकर साहिब, कि यह जो बजट आज हमारे सामने आना था—जनाब फाईनेंस मिनिस्टर साहिब ने हमारे इस हाऊस के सामने पेश करना था उस के पेश होने से पहले ही जनाब मिनिस्टर साहिब की स्पीच की कापियां जिस में बजट के मुतअल्लिक तमाम ins and outs होते हैं, उन्होंने कल कुछ आदमियों के हवाले कर दीं । खास कर प्रैस वालों को । जिस से मैं समझता हूं कि जहां तक parliamentary practice का ताल्लुक है—अगर मैं गलत नहीं कहता तो— जहां कहीं भी ऐसी गलती मुखतलिफ democratic countries में हुई है जैसा कि एक बार इंग्लैण्टड में हुई और एक बार अमरीका में भी वहां पर ऐसी leakage के लिये वहां के Finance Minister को resign करना पड़ा ।

Mr. Speaker: आप बतायें कि actual leakage किस form में और कहां हुआ ? (The hon. Member will please specify where and in what form has the leakage actually taken place.)

मौलवी अब्दुल गनी डार : जनाब ! Leakage का मतलब मैं यह नहीं समझता कि यह अलफ़ाज़ में ही हो । Leakage यह भी है कि उस की कापियां क्यों वक्त से पहले लोगों को मुहैया की गईं जब कि सब से पहले यह इस हाऊस के सामने आनी चाहिये थीं । Leakage के मानी मेरी dictionary में यह भी हैं कि हाऊस के सामने आने से पहले यह कापियां क्यों प्रैस में बांट दी गईं ?

Mr. Speaker: इस का मतलब यह है कि इस के इलावा तो आप का कोई point नहीं कि बजट स्पीच की कापियां मैम्बर साहिबान को बांटने से पहले प्रैस में दी गईं ? (The hon. Member has, it means, no other point besides the one that copies of the Budget Speech were supplied to the Press before they were delivered to the Members.)

मौलवी अबदुल गनी डार : वक्त से पहले जब ये कापियां प्रैस के पास पहुंच गईं तो उन से हम को नहीं तो लोगों को तो उन तमाम चीजों का पता चल सकता था जो इस में थीं ।

अध्यक्ष महोदय: क्या आप बता सकते हैं कि असल में बजट से कौन सी चीज़ प्रैस के ज़रिये अभी तक leak हुई है ? या प्रोपेगेंडा के ज़रिये या broadcast के तरीके से ? (Can the hon. Member point out what has actually leaked out of the Budget through press, propaganda or broadcast ?)

Maulvi Abdul Gani Dar : Propaganda leakage में नहीं आता ।

अध्यक्ष महोदय : तो मतलब यह कि आप का पहला point यह हुआ कि बजट स्पीच की कापियां वक्त से पहले प्रैस को क्यों दी गई ? (So your first point is as to why the copies of the Budget speech were distributed to the press beforehand.)

मौल्वी अबदुल गनी डार : तो जनाब यह तसलीम करते हैं कि यह वक्त से पहले प्रैस को दी गईं हैं । मैं समझता हूं कि इस हाऊस की बेइज्ज़ती हुई है और इस के privileges की breach है ।

इस से पहले भी यहां जो असैम्बली बैठती थी उस में भी एक बार इस तरह बजट के कुछ facts and figures की leakage हुई । इस पर महता रणवीर सिंह ने privilege motion पेश की । उस वक्त जो इस सूबा के चीफ़ मिनिस्टर थे उन्होंने यह कहा था कि यह बहुत गलत हुआ है । उन्होंने यह विश्वास दिलाया था कि आप बतायें कि मुजरम कौन है । उस के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी । मैं यह समझता हूं कि अब जो leakage हुई है, उस की जिम्मेदारी हमारे काबल Finance Minister पर आती है ।

अध्यक्ष महोदय: इस वक्त तो आपने इस motion को move करने की सिर्फ इजाजत ही मांगी हैं । you have simply asked for leave to move this motion at this stage.

पंडित श्री राम शर्मा : क्या मैं कुछ अर्ज़ कर सकता हूं ?

Mr. Speaker: Only the hon. Member in whose name the Privilege Motion stands can explain.

पंडित श्री राम शर्मा : On a point of Order, Sir. आप रूलिंग देने से पहले जरा एक दो और मैम्बरों की बातों को तो सुन लें । इस तरह आप को फैसला करने में आसानी हो जायेगी ।

अध्यक्ष महोदय: मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं जिस का मुझे कोई शक हो । इस लिये मैं समझता हूं कि और मैम्बर साहिबान के कुछ कहने की जरूरत नहीं । इस के अलावा मैं चाहूंगा कि मैम्बर साहिब वह रूल बतावें जिस के मुताबिक वह बोल सकते हों ।

(I am not in doubt on any point in this matter and, therefore, feel that there is no need for any other hon. Member to speak on it. Besides I would like the hon. Member to quote the rule under which he can speak.)

पंडित श्री राम शर्मा : यह एक बड़ा अहम मामला है ।

Mr. Speaker: मैं जानता हूं । (I know.)

पंडित श्री राम शर्मा : On a point of order, Sir. मैं आप की इस बात पर रूलिंग चाहता हूं कि बजट का पहिले जाहिर हो जाना क्या leakage नहीं? क्या यह leakage नहीं कि वक्त मुकर्ररा से पहले किसी चीज़ को बाहर distribute कर दिया जाये?

अध्यक्ष महोदय : इस पर मैं रूलिंग दूंगा।

(I will give my ruling on this point.)

पंडित श्री राम शर्मा : Ruling देने से पहले कुछ सुन तो लें।

अध्यक्ष महोदय : मैं आप या किसी दूसरे मैम्बर साहिब की बात को सुन तो तब लूं अगर मुझे किसी किसम का doubt हो या रूल इजाज़त दें। जब शक ही नहीं तो बोलने का क्या फ़ायदा। (I would be only too glad to hear you or any other hon. Member if I am in doubt and if rules permit but when I have not the slightest doubt in my mind, I do not think that any more speeches will serve any useful purpose.)

पंडित श्री राम शर्मा : मेरी गुज़ारिश यह है कि यह देखने के लिये कि उन्होंने speech की कापियां देते समय कुछ कहा भी था कि नहीं आप हमें कुछ कहने का मौका दे दें तो आप को ruling देने में कोई मुश्किल नहीं होगी।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने उस वक्त उन से कहा तो क्या होगा। अब आप का सवाल है कि उन का इस तरह से press को यहां speech करने से पहले कापियां देना ठीक बात है कि नहीं इस पर मैं ruling अभी दे देता हूं और अगर इस मामले में मुझे हाऊस की सलाह लेने की ज़रूरत पड़ी तो मैं ले लूंगा।

(I doubt very much if he said anything to them at that time. Now your question is whether the giving of copies of this Budget Speech to the press before the speech was delivered to the House was in order or not. I shall just now give my ruling on this point and I shall consult the House in regard to this matter, if necessary).

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ : ਆਪ ਨੇ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆਪ ਹਾਊਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਲਵੋਗੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ consulting body ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ debating body ਹੈ।

अध्यक्ष महोदय: आप का किसी और बात पर तो एतराज़ नहीं है। सिर्फ इसी बात पर एतराज़ है और इस पर मैं अभी ruling दे देता हूं। (I dont think you have any other objection except the one which I have mentioned before. I am just going to give my ruling.)

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ! ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ leakage ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ leakage ਨਾਲ breach of privilege ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਪ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਹ leakage ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ . . . . . .

अध्यक्ष महोदय : आप के कहने का मतलब यही है कि अगर leakage हुई है तो उस के क्या नताइज होंगे इस के इलावा और कोई बात तो नहीं है। (What you mean to say is that if any leakage has occurred what will be the consequences. There is no other point at issue except this)

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ: ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਇਸ ਦੀ punishment ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ।

अध्यक्ष महोदय : मैं अपनी ruling देने से पहले Finance Minister साहिब से पूछुंगा कि क्या उन्होंने भी इस मामले में कुछ कहना है। (Before I give my ruling. I would ask the Finance Minister if he has to say any thing to clear the position in this matter.)

ਅਰਥ ਮੰਤ੍ਰੀ: ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ practice ਹੀ ਚਲੀ ਆਂਦੀ ਹੈ।

Chief Minister : Sir, I feel that as the Leader of the House it is my duty to draw the attention of the Chair to the fact that the House has got rules for regulating its procedure and the conduct of its business which are called "Rules of Procedure and Conduct of Business in the Punjab Legislative Assembly". The discussion on the Privilege Motion should be held according to these rules.

Mr. Speaker : The hon. Member (Maulvi Abdul Ghani) says that leakage has taken place due to copies of the Budget Speech having been made available to the Press before the speech was delivered in the Assembly.

It is an old convention dating back, I believe, to 1937 to give advance copies to the Press and this concession to the Press has not so far been abused. The same practice holds good in other States and even at the Centre. The Press is as important a part of the democratic organization as any Legislative Chamber. It is always taken into confidence in important matters. We are all engaged in a common endeavour, which is the service of the common man.

Leakage is that which leaks out. The Member has not shown that any leakage has taken place which might have had the effect of upsetting the financial markets of the State.

I, therefore, hold that there has been no leakage as such and accordingly refuse to give consent to the moving of this motion. I would, however, suggest that the Government might examine its present practice in this connection.

PRESENTATION OF THE BUDGET ESTIMATES FOR THE YEAR 1955-56

Mr. Speaker : Now I call upon the Finance Minister to present the Budget for the year 1955-56.

Minister for Finance (Sardar Ujjal Singh) : Sir, I rise to introduce the Budget Estimates for the year 1955-56.

[Minister for Finance]

Change in classification

2. Before reviewing briefly the financial picture of the State for the usual three years, namely 1953-54 (Accounts), 1954-55 (Revised) and 1955-56 (New Budget), it is necessary to bring to the notice of the House the important change that has taken place in the classification and accounting procedure. In the past, there was no uniform practice in the matter of exhibiting Central Government's contribution on schemes shared by them. In certain cases this contribution was treated as reduction in expenditure while in others it was taken to the Receipt side. In order to bring about a uniform practice, it has been decided, in consultation with the Accountant-General, that Central Government's contributions should be accounted for on the Receipt side under the appropriate head, except in those cases where the credit relates to a fund account, e.g., Central Road Fund, I.C.A. R. etc. Another change has been introduced in connection with the depicting of Revenue Receipts and Expenditure on Multipurpose River Schemes. Hitherto, Expenditure had been shown as deduction in Receipts. New major heads have now been introduced by the Auditor-General, with a view to showing expenditure not as deduction., but on the Expenditure side. Full details of these changes would be found in the Finance Secretary's Memorandum.

Economic conditions

3. The year 1954-55 has not only registered a steady progress in every direction but has definitely recorded improvement at an accelerated pace. It is the fourth year of our First Five-Year Plan, and the impact of the planned development on the economy of the State is becoming more visible. The food position has become extremely satisfactory and there is now no restriction on the movement of foodgrains to any part of India, except in the case of wheat which is permitted to move freely within the region only comprising the Punjab, PEPSU, Himachal Pradesh, Delhi and Kashmir. The production of seven major foodgrains in the Punjab, which amounted to 2.41 million tons in the first year of the Plan period, rose to 3.69 million tons at the beginning of the fourth year. The production of paddy rose from 2.5 lac tons in 1950-51 to 3·6 lac tons in 1953-54. The increase in the case of the oilseeds in the last four years has been 45 per cent while the production of cotton has gone up by about 300 percent. Whereas of 1949-50, 1,43,000 bales of cotton were produced the production according to the latest forecast for 1954-55 has touched 4.33 lac bales. (*Cheers*). The increase in the production of long-staple cotton has been phenomenal, as the production jumped from 51,000 bales in 1949-50 to 3,49,000 bales in 1954-55. These results have been achieved by extended irrigation facilities, reclamation of waste lands, greater use of fertilizers, improved varieties of seeds but above all by the hard labour of the peasantry voices hear hear. In terms of money, it can be said that Punjab is richer by 35 crores of ruppes a year on account of the increased production in food grains and cotton alone.

In the field of industry, the progress made by the State is equally heartening. The index of sugar production based on the Calendar year 1952 works out to 137.7 for 1954. Similarly paper production advanced by 15 per cent in 1953 and 24 per cent in 1954. The two cotton textile factories produced 42 pre cent more of cloth while the production of the Woollen Mills was higher by 17 percent. In the levy of the Central Excise Duty for the current year I am glad to say that the Central Government accommodated the small and medium units manufacturing art silk and staple fabrics with the result that they also carried on a floushing business. The production of aluminium, copper and brasswares went up by 58 per cent while iron and steel rerolled

increased by 12 per cent. In the bicycle, sewing-machine and general engineering industries the progress made was even more outstanding. The cycle-parts industry at Ludhiana needs a special mention in regard to its achievements in the matter of output as well as employment. Production is carried on mostly by small units whose number increased from 175 in 1952 to 250 in 1954. The value of the goods produced correspondingly rose from Rs 80 lacs to Rs 1½ crores in 1954 in spite of some recession in prices. The number of persons employed increased by more than 50 percent. The Atlas Cycle Factory at Sonepat also stepped up its production and is now producing more than 200 cycles per day as against a production of about 60 cycles per day in 1952. Hosiery manufacturing concerns also showed a similar progress. In two years' time, the value of the hosiery goods produced rose from 4 crores to 6 crores. During the last 4 years the Sports Industry has been able to firmly establish itself at Jullundur and the value of the goods produced has increased by 30 per cent. The new excise duty on woollens electric fans, sewing-machines, etc., announced by the Centre is going to hit badly the small industries in the State. These are just struggling to stand on their feet and as such it is necessary that smaller units should be exempted totally and medium ones required to pay the duty in lump sum.

The Foundry Industry at Batala has unfortunately not been able to keep up its pace. Situated as it is in one corner of the country, it suffered from several handicaps—chief among them being the price of raw material, viz. iron. As a result of the efforts made by this Government at a personal level "place-extra" has been reduced from Rs 84 to Rs 60 a ton, but even this has not substantially helped in removing the disadvantage from which the factories in this State suffer. If this industry is to survive, Government of India must come to its rescue and save it from unfair competition.

Prices particularly of agricultural commodities registered a decline during 1954 in keeping with similar trends in the country. The Punjab index of wholesale prices based on the last quarter of 1949 stood at 98.3 in January 1954. The year closed with the index at 85.5 denoting an overall decrease of 13 points during the year 1954. The index at the end of January, 1955 stood at a still lower level of 83·5. The fall in the prices of gram and pulses has, however, been to the tune of 40 per cent. The State cannot but view with deep concern a steep drop in prices, as that would take away the incentive to produce more and shake the confidence of the growers which may affect the overall food and raw material position of the country. Gradual fall in the prices of other articles must be ensured along with any fall in the prices of agricultural commodities, if there is to be a balanced economy in the State. I trust the Government of India will take necessary steps to arrest any further fall in the prices of agricultural commodities. In view of the satisfactory food position all remaining restrictions on the movement of foodgrains in the country should be abolished and greater facilities for transport provided. Also a total stoppage or considerable reduction in the import of foodgrains from abroad would be in the overall interest of the country as this would not only help in saving on the foreign exchange but would also help stabilize the prices at a level remunerative to the growers. These steps are necessary as the whole economy of the country depends on the prosperity of the people in the rural areas.

Year 1953-54

Accounts

4. According to the Revised Estimates for the year 1953-54, the surplus anticipated was Rs 16 lacs. The accounts for the year show a surplus of Rs 86 lacs. The Revenue Recepits went up from Rs 19,71 lacs to Rs 20,93 lacs, and the

[Minister for Finance]
Revenue Expenditure from Rs 19,55 lacs to Rs 20,07 lacs. The increase of Rs 122 lacs in the Revenue Receipts appears mainly under:—

		(In lacs of rupees)
State Excise Duties	..	15
Other Taxes and Duties	..	37
Irrigation	..	33
Miscellaneous	..	37

The increase of Rs 52 lacs on the Exepnditure side is due to the adjustment in respect of Debt Services. It is not necessary to go into the reasons for these variations here. These will be explained in the Appropriation Accounts by the Accountant-General and looked into by the Public Acocunts Committee. For the same reasons also I will not deal with the Capital Expenditure, Loans and Advances and other sections of Accounts but proceed with the current year.

Year 1954-55

Revenue Account

5. The original Budget for the year 1954-55, as presented to the Legislature, showed a deficit of Rs 93 lacs, as Revenue Receipts were estimated at Rs 22,19 lacs and Revenue Expenditure at Rs 23,12 lacs. While introducing the Budget, I announced the following modifications:—

		(in lacs of rupees)
Increase in Revenue Receipts—		
Land Revenue Settlement	..	30
Levy of Show Tax	..	5
Increase in Motor Vehicles Tax Rates	..	12
Share of Estate Duties	..	14
Total	..	61
Increase in Revenue Expenditure—		
Grant to Punjab University	..	2
Net improvement in Revenue Account	..	59

The deficit was thus reduced from Rs 93 to 34 lacs. According to the Revised Estimates, now prepared, the Revenue Receipts are expected to amount to Rs 21,55 lacs and the Revenue Expenditure to Rs 21,62 lacs, showing a deficit of Rs 7 lacs only. This improvement has resulted mainly from the adjustment anticipated in respect of Rehabilitation Loans Account, details of which will be found in the Finance Secretary's Memorandum. In consultation with the Accountant-General, it was discovered that, as a result of the changes in the terms of repayment of certain Rehabilitation loans, a sum of Rs 88 lacs out of the excess amounts paid in the previous years could be adjusted in the current year. Accordingly, effect came to be given under head "23—Appropriation for Reduction or Avoidance of Debt." But for this credit, the Revised Estimates would have shown a deficit of Rs 95 lacs, that is two lacs more than that anticipated in the original budget.

The Revenue Receipts dropped from Rs 22,19 lacs to Rs 21,55 lacs and the Revenue Expenditure from Rs 23,12 lacs to Rs 21,62 lacs. The net decrease of Rs 64 lacs in Revenue Receipts resulted from the following variations:—

		(*In lacs of rupees*)
Central Excise Duties	..	—4
Taxes on Income	..	—6
Land Revenue (Gross)	..	14
States Excise Duties		25
Motor Vehicles Act	..	8
Other Taxes and Duties	..	20
Irrigation	..	34
Agriculture	..	11
Civil Works	..	—21
Stationery and Printing	..	—20
Miscellaneous	..	—90
Grant-in-aid from Central Government	..	—25
Extraordinary Receipts	..	—6
Other Small Variations	..	—4

On the Expenditure side, where a net saving of Rs 150 lacs has resulted, the variations are:—

		(*In lacs of rupees*)
Land Revenue	..	—9
Irrigation Expenditure	..	—22
Debt Charges	..	—63
Police		16
Education	..	27
Agriculture	..	8
Co-operation	..	3
Industries	..	—14
Civil Works	..	—43
Pensions	..	9
Stationery and Printing	..	—4
Miscellaneous	..	—73
Community Development	..	—7
Pre-partition Payments	..	—12
Other Minor Variations	..	—10

The reasons for these variations are given in detail in the Finance Secretary's Memorandum.

Capital Expenditure

The Capital Expenditure, originally budgeted, was Rs 31,73 lacs but in the Revised Estimates it has gone up to Rs 32,23 lacs, indicating an increase of Rs 50 lacs. This, however, does not depict the true position, as the amount of Capital Expenditure stands reduced by Rs 171 lacs through a minus entry under Provincial Schemes of State Trading on account of the disposal of foodgrain reserve stocks. But for this, the increase would have been over Rs 2 crores and it mainly relates to Multipurpose River Schemes. In fact, the Bhakra-Nangal Project shows an increase of Rs 281 lacs of which Rs 208 lacs is on Bhakra Dam and the balance on Nangal Hydro-Electric Scheme etc. The increase in the tempo of work and additional provision made for new machinery and compensation for land coming in the reservoir area, account for increase in the expenditure

[Minister for Finance]
on Bhakra Dam. On the Electricity side, additional provision has been made for Local Distribution Scheme, which has been included in the Plan.

New Capital also shows a small increase, but this has been covered by savings under Nationalization of Transport, the scheme for which could not materialize during the year.

Loans and Advances

Provision was made for advances to the extent of Rs 404 lacs but according to the Revised Estimates the expenditure anticipated is Rs 387 lacs only. Despite a new item of loans under Low-Income-Group-Housing Scheme for which a provision of Rs 60 lacs came to be made, the expenditure is anticipated to drop mainly as a result of savings anticipated in the amounts provided for Rehabilitation Loans, National Extension Service Scheme, Community Projects and assistance to industrialists.

On the recovery side, the drop is only Rs 3 lacs and that too is on account of lesser recoveries expected from the displaced persons as a result of part adjustment of loans against compensation claims.

Year 1955-56

Budget Proposals

6. The main feature of the Estimates for the year 1955-56 are:—

		(*In lacs of rupees*)
I. Revenue Account—		
(a) Revenue Receipts	..	28,90
(b) Revenue Expenditure	..	29,67
Deficit	..	77

		(*In lacs of rupees*)
II. Capital Expenditure	..	34,23
III. Loans and Advances (net)	..	—10,53
IV. Public Debt (net)	..	43,24
V. Other Debt, Deposits and Advances and Remittance Transactions (net)		2,26
VI. Opening Balance	..	28
VII. Closing Balance	..	25
VIII. Invsetment in Securities	..	1,17

Revenue Account

The proposed Budget shows Revenue Receipts at Rs 28,90 lacs and Revenue Expenditure at Rs 29,67 lacs, showing a revenue deficit of Rs 77 lacs. Owing to the classification changes, mentioned already, and other factors, the Receipts have gone up as compared with the Revised Estimates by Rs 735 lacs and the expenditure

by Rs 805 lacs. Ignoring the effects of changes in the classification so as to get a true comparative picture, the increase in Revenue works to Rs 234 lacs, as detailed below:—

(In lacs of rupees)

Central Excise Duties	..	6
Taxes on Income	..	—6
Land Revenue (net)	..	26
Excise	..	— 9
Registration	..	20
Motor Vehicles	..	5
Other Taxes	..	25
Irrigation	..	5
Education	..	13
Medical	..	4
Stationery and Printing	..	10
Electricity	..	17
Miscellaneous and Extraordinary items	..	1,09
Minor Variations	..	9
Total	..	2,34

The Receipts under Central Excise Duties and Taxes on income depend on the Central Revenues anticipated by the Centre. The increase in Land Revenue Receipts is mainly the result of larger Receipts from the surcharge and the Consolidation Fees. Under Excise, the decrease has resulted from the annual 10 per cent reduction in the sale quota of opium, which is being effected as a result of the All-India policy to completely prohibit the sale of opium by 31st March, 1959. The increase in the Receipts from Registration is due to the extension of the Transfer of Property Act to agricultural properties in the Punjab, and this measure has been taken with a view to checking corruption and lessening inconvenience to the rural public. Receipts from Motor Vehicles Act are expected to go up on account of increase in the number of registered vehicles and also because the increase in the rate of taxes introduced during this year is reflected for the full year in the New Budget instead of for nine months, as in this year. Under Other Taxes and Duties, the increase is mainly contributed by the Sales Tax, Entertainment Tax and Passengers and Goods Tax. Better Receipts from Sales Tax are anticipated as a result of the appointment of two Officers on Special Duty, one for contractor's assessment and the other for the assessment of non-resident dealers ; the setting up of Check Posts and the tightening up of the Sales Tax Administration. Under Irrigation, the increase is anticipated on account of the extension of irrigation facilities to new areas. Receipts under Education show an increase mainly because of the contributions anticipated from private schools as a result of their conversion to Multi-purpose type. The increase under Medical represents contributions in respect of hospitals and dispensaries to be provincialized. Electricity is showing an increase because of the adjustment of losses relating to the thermal schemes. The increase under Stationery and Printing is due to the printing of a larger number of nationalized text-books. The head 'Miscellaneous and Extraordinary items' mainly depicts the increased gross receipts from nationalized transport.

[Minister for Finance]

On the Expenditure side, the increase of Rs 805 lacs over the Revised Estimates 1954-55 includes the effects of changes in classification. Excluding the effect of these, the increase amounts to Rs 320 lacs, which is spread over the following heads of Accounts :—

		(*In lacs of rupees*)
Land Revenue	..	13
Provincial Excise	..	12
Other Taxes and Duties	..	5
Irrigation Revenue Expenditure	..	—43
Debt Services	..	1,12
General Administration	..	37
Education	..	45
Medical	..	21
Public Health	..	14
Agriculture	..	—3
Co-operation	..	5
Industries	..	29
Civil Works	..	—19
Stationery and Printing	..	6
Miscellaneous	..	32
Community Development , etc.	..	43
Minor Variations	..	11

The reasons for these increases are fully discussed in the Finance Secretary's Memorandum. I may, however, invite the attention of the Hon. Members to the lump provisions made under major Heads. These provisions are intended to be utilized towards expenditure necessitated by the revision of scale pays, by the amalgamation of junior and senior clerks cadre and by the change in the classification of certain offices.

Capital Expenditure

7. The Capital Expenditure, as stated earlier, is estimated at Rs 34,23 lacs but this is after accounting for credits of over Rs 4 crore in respect of recoveries and receipts on Capital Account. In other words, the gross estimated expenditure is of the order of Rs 38 crores. The important items are :—

		(*Net in lacs of rupees*)
Bhakra-Nangal Project	..	19,63
Harike Project	..	67
Tube-wells	..	2,73
Other Irrigation Extensions	..	4,19
Reclamation of Banjar Lands	..	7
Sugar Factories	..	60
New Capital	..	2,41
Communications	..	1,41
Industrial Housing	..	28
Rehabilitation Works	..	10
Rural Electrification	..	50
Uhl River Electrification Schemes	..	1,24
Nationalization of Transport	..	40
Development of Mandis	..	15
Agricultural College, Ludhiana	..	28

8. The net expenditure provided under Loans and Advances is Rs 10,53 lacs, advances to be given out being Rs 12,80 lacs and recoveries Rs 227 lacs. The main items of advances for which provision has been made are :—

Loans and Advances

	(Net in lacs of rupees)
G.M.F. Loans for Percolation Wells, Pumping Sets, Tractors and Tube-wells ..	60
Fertilizers ..	95
Low-Income Group Housing Scheme ..	756
Development of Industries in the Industrial Townships ..	50
National Water Supply and Sanitation Schemes ..	75
Community Development and National Extension Service ..	77
Loans to Industrialists ..	23
Rehabilitation Loans ..	1,03

9. In a nut-shell, I have described the financial picture of the next year's Budget. I propose now to give a brief description of the activities of the various departments with a view to enable the House to assess the progress made so far and to note the directions in which a special effort is being made in the activities of the State.

General

10. With the ever-increasing tempo of development activities un ler the Five-Year Plan, it was but necessary that the Administrative machinery should also be suitably improved to meet the changing situation. As mentioned by me in my last year's Budget Speech, decentralization of Administration has been the guiding principle, so as not only to make the Administration conform to the democratic pattern, but also to make available the services of the Administration to the man in the village as near his home as possible. In this direction, a partial step was taken in 1952-53, when Resident Magistrates came to be posted at some of the important Tehsil headquarters. An effective step, however, was taken during the current year when, in implementing the recommendations of the District Reorganization Committee, nine Sub-Divisions were set up. Five more Sub-Divisions have been sanctioned and are likely to start at Nuh (for Nuh and Ferozepore-Jhirka Tehsils), Muktsar, Patti, Una and Hamirpur, as soon as the buildings are completed. The entire State, in the course of the next two years, will be covered by Sub-Divisions and a phased programme is being considered by Government. In the next year's Budget, a provision of over Rs 10 lacs has been made for providing accommodation at Sub-Divisional head-quarters and their other places for this purpose.

General Administration

For toning up the Administration in general, Government have taken important decisions on the recommendations of Committee appointed during 1953 to suggest ways and means for dealing with unsuitable officers in a more expeditious manner. It has been decided to amend the rules to enable Government to retire compulsorily Government servants after a service of ten years on the same grounds on which Government can do now under the existing rules on the expiry of 25 year's service. Instructions are also under way laying down that, in future, in making promotions, emphasis should be placed on merit rather than on seniority. (*Cheers*).

[Minister for Finance]

11. There has been steady progress in the Law and Order situation in the State. The figures of total crime by the end of December, 1954 showed a decrease of 2,695 cases, as compared with the corresponding period of the last year. Murders decreased by 56, dacoities by 23, burglaries and robberies by 1,058. It is a matter for satisfaction that the incidence of crime under head "Dacoity" was the lowest as compared with all other Part A States on the basis of population. The number of cases under the Excise Acts, of course, increased which showed oreater activity on the part of the Police and the Excise staff.

Law and Order

The most notable feature of the year was the destruction or arrest of a large number of outlaws. 31 were shot dead and 24 arrested in armed encounters with the Police, in addition to a large number arrested otherwise. The notorious Brahman gang, which had created a reign of terror in the Ambala Division and PEPSU, was liquidated in an armed encounter with the Police on the 30th June, 1954. The notorious outlaw Hem Raj, who was responsible for 20 cases of dacoities and murders and carried a reward of Rs 7,000, was killed in an armed encounter with a joint Police force of Punjab and PEPSU, at Sufidon, last December.

In spite of the shortage in men and inadequate transport our P.A.P. continued to guard the border effectively and helped the Custom's staff in putting down smuggling. (*Cheers*). Eleven smugglers came to be arrested and four killed in encounters during the year.

The Punjab Police not only did well in maintaining law and order, but also won laurels in other spheres. A Police Tattoo was held at Chandigarh on the 26th December, on the occasion of the visit of H. E. Marshall Tito, and it was highly appreciated. In the field of sports, the Police Hockey Team, won the National Championship by defeating the Services Team in the finals. Similarly, the much-coveted Championship Trophy in Athletics was won by the Punjab for the third time in succession. In the All-India Rifle and Revolver Shooting Competition at Madras, a Sub-Inspector of our P.A.P. was adjudged the best shot and was awarded a medal. I may also add that commend able work is being done for the welfare of Jawan's families.

12. The drive against corrupt elements in the State continued unabated during the current year. In the first nine months of the year, 40 persons came to be dismissed or diss-charged, 7 convicted, 4 made to resign, while about 70 received other lesser punishments. For dealing with corruption cases in the Irrigation Department, a technical officer has been attached to the Special Inquiry Agency. Government in the Revenue Department is taking special measures to check corruption and to save inconvenience to the poor land-holders. It is in the field of mutations that corrupt practices are generally resorted to by subordinate officials. For the disposal of contested mutations, Government have appointed two Revenue Assistants, who would do this work in place of the Subordinate Revenue Officers. Secondly, it was found that land-holders were put to a lot of inconvenience, expense and botheration in getting the mutations sanctioned. Government have, therefore, decided to extend the Transfer of Property Act to agricultural immovable properties in the Punjab which had hitherto remained outside its purview. This will now result in the registration of all transfers and steps are being taken to ensure that mutations take place within the one month of the registration. without calling the parties. Previously, to get a mutation sanctioned, the

Anti Corruption Activities

parties had to put in several appearances at different places and before different officials, which resulted in unnecessary expense and wastage of time and often led to corruption. Transfers as a result of inheritance will of course be exempt from registration. Apart from these measures Government have now decided to go further and to set up a separate high-powered department for anti-corruption work. This department will have very wide powers and the details are being worked out.

Jails

13. Soon after the partition, the immediate problem that the jails in this part of the Punjab had to face was that of shortage of accommodation. This problem has been successfully tackled. So far, extensions have been made in the Jails at Ambala, Ferozepore, Hissar and Jullundur. A new District Jail is under construction at Amritsar and work on the Borstal Jail at Karnal has been started during the current year. In the next year, it is hoped that the Sub-Jail at Karnal would be extended, a Reformatory Settlement would also be established and the construction of a Camp Jail at Ferozepore would be completed. Completion of the last will enable us to save expenditure by closing down Camp Jail, Yole.

In addition to solving the accommodation problem, steps have been taken to convert the Jails into reformatory and vocational institutions. The Jails Reform Committee, which was appointed in 1948, recommended about 250 reforms and some of the important ones have been, and are being, implemented. Elementary education has been made compulsory for all inmates and in order to maintain the habit of reading, libraries equipped with literature of simple and suitable character have been provided in each jail. Proper lights have been provided to enable prisoners to study at night. Indoor and outdoor games have been introduced and elected Advisory Committees of prisoners have also been instituted. Vegetables are now being supplied and weekly social and cultural gatherings are being encouraged. Women prisoners have been given more amenities and mother-craft and nursing are being taught to them. Practically all jails now stand fitted with radios and amplifiers. Several new industries like tent-making, book-binding, manufacturing of soaps, disinfectants, envelopes, card-boards, Charkhas, shuttle-cocks and plastics have been introduced. Value of the products rose from 5.80 lacs in 1951 to over 8 lacs in the current year. In the next year, it is proposed to run the jail industry on commercial lines and, as such, a provision has been made for a whole-time Director of Jail Industries. This will not only help to augment Receipts but would also enable the prisoners to learn useful trades and, later, to fit themselves in the Society after serving the penal terms.

Panchayats

14. The experiment of giving people an opportunity to administer their own affairs at certain levels through the institution of Gram Panchayats has proved fairly successful. The Village Panchayats are not only performing the duties entrusted to them, but have shown a sense of self-reliance and co-operative effort. In providing justice within the village, their work can be judged from the fact that they decided 54,644 cases and it was only in 259 cases that their decisions were upset by the appellate authorities. Outside the judicial sphere, it is, indeed, gratifying to note that the Panchayats in 1954 started 462 new schools. The Panchayats also collected Rs 6 lacs for the construction of new school buildings and the repair and extension of the old ones. Sixty-three Parks for Children, 347 Libraries and Reading Rooms also came to be started.

[Minister for Finance]
To encourage games and sports in villages, 24 District and Tehsil tournaments were held in the State in addition to a number of other local tournaments.

Government is already making a grant of 10 per cent of land revenue to the Panchayats to stregthen their finances. An additional sum of Rs one lac is also being given to cover the shortfall on account of Muafis and Jagirs in some of the villages and Government is thus in all contributing Rs 18 lacs. Taking advantage of the consolidation operations in the State fair-sized plots of land are being reserved for the Panchayats. In addition, the Punjab Village Common Lands Act, 1953, came into force in January, 1954. Since then, the Panchayats have been taking steps to take over Shamlat lands from the present occupants, though the process has been rather slow. It is hoped that in the next year, the Panchayats will be able to reap benefits with the enforcement of this Act in all the villages.

Land Reforms

15. With a view to making the Tenancy Law progressive, a Land Reforms Committee was appointed in March, 1949. On the recommendations of this Committee, several measures came to be adopted to ameliorate the lot of tenants. Full proprietary rights were given to occupancy tenants on payment of compensation to the landlords, whose rights were extinguished through the Punjab Occupancy Tenants (Vesting of Properitary Rights) Act, 1953. The rights of superior proprietors also were abolished by the Punjab Abolition of Ala-Malkiyat and Taluqdari Rights Act, 1953. For the speedy implementation of these Acts, Government have during the course of the current year, appointed a number of Special Tehsildars and these posts have been provided for in the next year's budget also.

By enacting the Punjab Security of Land Tenures Act, in 1953, an effort was made to solve two of the main problems of tenants, namely, security of tenure and fair rent. However, a situation came to be created by a fairly large number of ejectments and accordingly an Ordinance, known as the Punjab Prevention of Ejectment Ordinance No. IX of 1954, had to be promulgated in October, 1954. A Bill, based on this, has already been referred to the Joint Select Committee of both the Houses of the Legislature. The Government is, however, considering a more comprehensive measure and a Bill amending the Punjab Security of Land Tenures Act may be introduced in the current session. The House will be glad to know that a provision of Rs 7 lacs has been made in the next year's Budget for reclamation of waste lan ds which will be utilized for settling the landless and ejected tenants.

Consolidation of Holdings

16. Without consolidation of scattered holdings no planned development in the rural areas is practicable and it was for this reason that a detailed scheme, covering the entire State, was drawn up about four years ago. The tempo of work has necessarily to be quickened in view of the Community Projects and National Extension Service Schemes. Work in Tarn Taran, Batala, Nurpur, Garhshankar, Phillaur, Moga, Samrala, Rupar, Thanesar, Rohtak, Hansi and Gurgaon Tehsils covering an area of 26·33 lac acres, was started on 1st April, 1951, and has been completed. Eight more Tehsils with an area of 21·17 lac acres would be consolidated by the end of the next year. Work in the remaining Tehsils is progressing satisfactorily and it is expected that except in respect of seven Tehsils work will be finished by August, 1957, and in the case of the remaining by August, 1959.

Chandigarh Capital

17. As a result of the partition, the State having been left without an all-weather Capital, it was but necessary that Chandigarh Capital should have found a prominent place in the First Five-Year Plan. As a matter of fact, half the State's Plan, as originally drawn up, consisted of provision made for the Capital. This was in addition to the loan money of Rs 3 crores made available by the Rehabilitation Ministry. The real work at the site started in the first year of the Five-Year Plan, and the tempo of construction has since been mounting up rapidly. As against Rs 78 lacs spent in 1951-52, Rs 199 lacs and Rs 308 lacs came to be spent in 1952-53 and 1953-54. In the current year, it is expected that Rs 321 lacs would be spent and a provision of Rs 353 lacs has been made for the next year. The target laid down in the Five-Year Plan will thus be reached.

The hope expressed by me in my last Budget Speech that the Punjab High Court would start functioning in Chandigarh has already materialized. A Basic Training College, a Practising School and the Senior Model School have been established in the course of the year. 660 residential sites and 35 commercial plots have also been sold. Plots in the Grain Market and the Vegetable Market have been put up to auction, in addition to the commercial plots in the Shopping Centres of other sectors. In the private sector, the construction of residential houses has not been up to expectations, though now there are signs of increasing activity. A large number of commercial buildings have, however, been constructed . In the near future, it is hoped that building activity would receive a fillip, as a result of large sums having been provided for advancing loans to displaced persons and to others under the Rehabilitation and the Low-Income Group Housing Schemes.

In the next year, it is hoped that most of the buildings on which construction came to be started during the current year, would be complete including the main Secretariat, the main Press building, the Central Police Station, the Maternity Hospital and the schools. In addition, with more funds having become available, 334 houses for permanent staff and 465 house for temporary Government servants will also be constructed. This should enable all the Secretariat offices to move down from Simla by the end of 1956.

Relief and Rehabilitation

18. Relief work is now mainly confined to the care and maintenance of the aged and infirm displaced persons, destitute widows and unattached children, who are lodged in the five Women Homes and three Infirmaries, and for the next year a provision of Rs 40·47 lacs has been made. The total expenditure on Relief by the end of the next year is likely to amount to Rs 12.82 crores. On the Rehabilitation side, perhaps, the House may be interested in a resume of the work done so far. An area of 2,429,833 Standard Acres has been allotted to 4·67 lacs displaced persons against their claims on a quasi-permanent basis. Steps are now being taken to make these allotments permanent with full proprietary rights. In order to encourage fruit growing, 27 garden colonies, having an area of about 22,000 acres were set up in the State. To assist landless tenants and Harijans and also in the interest of Grow-More-Food Campaign, 53,829 acres of Banjar evacuee land in Bet and other areas have been given on leases, ranging from 10 to 20 years. To assist the allottees in rehabilitating themselves on land, Taccavi loans, amounting to Rs 4.78 crores, have been disbursed up to the beginning of the current year.

[Minister for Finance]

On the Urban side, the immediate problem after partition was to afford shelter and to provide business premises. About 132 thousand houses and shops, which were habitable, have been allotted. In addition, 790 industrial establishments, which were in working order came to be leased out to industrialists. Steps are now being taken for the permanent disposal of these establishments and those valued at Rs 50,000 or above, would be auctioned Since the number of evacuee houses, shops, and industrial establishments was totally insufficient to meet the requirments of displaced persons townships shopping centres, industrial areas and Mandis had to be planneds. Fourteen new townships have been set up in the State having 3,929 houses and 5,200 plots. All civic amenities in these townships have been provided. 2,910 purchasers of sites have been advanced house-building loans. To meet the need of Low-Income Group people, 14 colonies of 8-Marla cheap houses have been set up and 3,184 houses constructed up to the end of March, 1954. It is proposed to construct 100 more houses of this type at Bhiwani. In order to provide shelter to other poor people, who were living in Sarais. Dharamsalas, etc., Government undertook the construction of 5,395 cheap tenements at various places in the Punjab and it is expected that all these will be completed by the end of March, 1955. In addition 6 industrial townships and several shopping centres and Mandis have been set up at various places.

A sum of Rs 4.52 crores has been spent on Housing Schemes and in the current year it is estimated that Rs 26 lacs would be spent. For the next year a provision of Rs 38 lacs has been made. For the industrial areas, about 40 lacs have been spent so far and a provision of Rs 1 lac has been made for the next year. With a view to providing employment opportunities to displaced persons, 16 vocational and technical training centres were set up in the different places in the State and up to the end of the current year, about 16,000 persons would have been trained. In order to enable the displaced persons to settle in business, profession and industry, a sum of Rs 2.33 crores has been advanced to about 29,000 persons. House-building loans amounting to Rs 1,22 lacs have been advanced so far. For the next year, Rs 15 lacs have been provided for the grant of small urban loans and Rs 88 lacs for the grant of house-building loans. It is gratifying to note that the Government of India have issued orders for the remission of all small urban loans and rural loans advanced for non-agricultural purposes of Rs 300 and below; and have also ordered remission in full of the entire education loan given to displaced students, having no verified claims. A Settlement Organization for implmenting the Interim Compensation Scheme has been set up and every effort is being made to speed up the work in this connection.

Bhakra Nangal Project

19. I referred to the Bhakra-Nangal Project in my last year's Budget Speech also and it is not necessary now to cover the same ground again. The House is already aware that the opening ceremony of the Nangal Dam and the Hydel Channel was performed by our Prime Minister on the 8th July, 1954, when water for irrigation purposes started flowing in the Bhakra canals. The area irrigated by these canals in the summer months of 1954-55 was over 3 lac acres in this State. In the next year, the entire distributary system with masonry works, is expected to be completed and additional irrigation of at least 10 to 15 lac acres is expected.

The main attention is now being devoted to the construction of the Bhakra Dam where the tempo of work has been increased substantially. The river has been diverted through the right tunnel and the construction of coffer dams has been taken up. Both the upstream and the downstream Coffer-dams are expected to reach the required height well before the flood season. The concreting of the Bhakra Dam is scheduled to start in November, 1955, and the necessary machinery for the work is now under erection.

On account of the construction of the coffer-dams, flooding of the areas up to river level 1280, in the Bhakra Lake zone, is likely to result in the coming rainy season. Necessary steps for resettling the population, that may have to evacuate, in the districts of Punjab and Himachal are being taken.

Irrigation

20. The Punjab (I) after partition came to inherit large tracts of unirrigated area, and was deficit in foodgrains with the result that vigorous efforts had to be made to extend irrigation facilities. These efforts have yielded commendable results. In addition to the major Bhakra-Nangal Project, several minor irrigation schemes and tube-well schemes came to be undertaken, some of which have already been completed. The irrigated area will increase more and more as irrigation from the main Projects—Bhakra-Nangal and Harike—is extended.

Part II of the Schedule of New Expenditure relates to the Grow--More-Food Schemes and it would be seen that a provision of Rs 83 lacs has been made for minor irrigation works and Rs 321 lacs for major schemes like Sirhind Feeder, remodelling of Western Jamuna Canal, etc. for the next year.

In areas where canal irrigation was not possible, tube-well irrigation under the various schemes has been extended and this needs particular mention. The Jagadhri Tube-wells Scheme, consisting of 256 tube-wells was started in 1950. The scheme is almost complete and is likely to convert an area of about 3½ lac acres on the Western Jamuna Canal from non-perennial to perennial. In the Munak and Radaur scheme, which has been completed, 42 tube-wells have been sunk and are going to irrigate an area of 20 thousand acres. Under the two T.C.A. programmes, 355 tube-wells under one scheme and 175 tube-wells under the other, are being constructed. Out of these about 200 are now ready and are being gradually energized. These tube-wells are situated in Pipli-Shahbad, Samrala, Garhshankar and Jagadhri areas. The total area to be irrigated by them would be 2.3 lac acres. Under the 1954 G.M.F. programme, another 150 tube-wells are being installed and these will irrigate an area of 70,000 acres. The total expenditure to be incurred on tube-wells alone in the next year is likely to be 2¾ crores. Efforts are also being made to expedite the programme of exploratory tube-wells. These tube-wells will be bored in areas where hitherto no tube-well irrigation had been tried and in case these tube-wells succeed, they will be followed by regular production tube-wells to benefit, particularly the areas in Gurgaon, Hissar, Rohtak, Ambala and Hoshiarpur Districts.

Remodelling of Rupar Headworks, Sirhind Canal and its distributary system is likely to be completed by the end of the current year. With the work already completed, it has been possible to run extra supplies during Kharif in the Sirhind Canal. As soon as the distributaries of Abohar and Bhatinda Branches are remodelled and completed in the course of the next year, it is anticipated that about 7 lac acres of additional area on the Sirhind Canal System and about 6 lac acres on the new Bist Doab Canal system will come under irrigation. In the difficult and inaccessible district of

[Minister for Finance]
Kangra, a regular Kuhl construction and repair programme is proceeding. So far 28 Kuhls have been repaired. Sukhahar Kuhl at a cost of Rs 3·04 lacs has been completed and two Sidharthar and Tandi at a cost respectively of Rs 26·39 lacs and 2·64 lacs are under construction (*Cheers*). Work on Baijnath and Kasumal Kuhl is being started soon.

Supplies when withdrawn from Pakistan will provide irrigation facilities to border areas which have suffered so far and have been eagerly looking forward to canal supplies. In most of these areas displaced persons who had abandoned rich irrigated lands in West Punjab are settled and are restive to get irrigation supplies immediately.

Drainage and Flood Protection Works

21. With the spread of irrigation, the problem of water-logging and flooding is assuming serious proportions and necessary action to guard against the same is being taken. In the current year Rs 28 lacs were provided for drainage schemes out of which the State's contribution was Rs 7 lacs and the rest was to come from the Government of India and the beneficiaries. The programme, however, could not be implemented fully, as the realizations from the beneficiaries could not materialize at the desired speed. For the next year, a provision of Rs 20 lacs has, however, been made and it is hoped that 50 per cent will be contributed by the Central Government.

For the Flood Control Works, on the Ravi and the Jamuna and in the Gurgaon District, provisions of Rs 4 lacs, 2 lacs and 3 lacs, respectively, were made in the current year's budget. On account of the serious situation at the River Ravi, a more comprehensive scheme had to be drawn up and the total cost went up to Rs 22 lacs. The Central Government agreed to bear 50 per cent of the cost and the State's share came to Rs 11 lacs and this work was completed at top speed. The Flood Protection Works at the Ravi are now proposed to be further extended and action is also being taken for the training of Chos in the Hoshiarpur District. A provision of Rs 15 lacs has been made in the Supplementary Budget 1954-55 before you, and the Centre is being approached for approval and funds. A Flood Control Board has also been set up in the State to tackle the flood and Cho problems and as soon as detailed schemes are drawn up and approved further funds may have to be provided in the course of the next year.

Electricity

22. Electricity is another sphere where Punjab can be justifiably proud of its achievements. As against Rs 65·51 lacs spent on electrification under the Uhl River and Thermo Schemes in 1950-51, Rs 141 lacs are likely to be spent in the current year, and Rs 157 lacs are being provided in the next year's Budget for Uhl Scheme alone, as Thermo Schemes are being merged with the Nangal Project. Expenditure on the local distribution schemes under the Nangal Project is in addition to it and a provision of Rs 186 lacs has been made for the next year. Whereas in 1950-51 connected load was a little more than 54,000 Kilowatts, it exceeded the figure of 1,06,000 at the end of 1954. The number of consumers increased from 36,287 to 82,698. In the coming year, with the energy available from the Ganguwal Power-houses, it is anticipated that many more connections would be given, as several areas of the State have remained starved so far. The rural electrification is receiving special attention and conditions have been liberalized so as to assist the agricultural consumers. It is expected that another 200 villages will be electrified in the next year, in addition to 300 villages that have received supply so far. Besides nearly 1,500 tube-wells have been given electric connections.

Regular supply from the Ganguwal Power-house, with two units of 24,000 kw. each, started on January 2, 1955, when the opening ceremony was performed by the President. It is anticipated that during the next year, the work at the Power-house at Kotla would also be completed, which would result in an additional 48,000 Kilowatts energy becoming available. The scope of the Bhakra Scheme is being further expanded and additional four units of 90,000 kw. each are going to be added. These will enable the establishment of a fertilizers factory at Nangal, which is proposed to be set up by the Government of India (*Voices : hear, hear*).

Agriculture

23. The functions of the Agriculture Department are threefold, namely Agricultural education, Agricultural research, and Agricultural extension and development. The construction of the Agriculture College at Ludhiana has been undertaken, but our hopes as visualized in my last Budget Speech of getting a substantial grant from the Centre have not materialized so far in spite of our best efforts. We are, however, still trying and hope that the Central Government may reconsider our request in view of the fact, that we lost one of the finest institutions in the Agriculture College, Lyallpur. It is expected that the College building would be completed by the end of the next financial year.

As a result of the research conducted by the Department, new varieties of cotton, wheat, sugarcane and rice, etc., have been, and are being, evolved and propagated. In evolving these varieties due regard is being paid to the natural conditions prevailing in the different tracts and suitable strains are being produced. C-281 wheat has specially been produced for south-eastern districts and C-285 and C-224 for hilly areas. A new variety of long-staple cotton, H-14, has been produced which will replace 216-F in Haryana tract. Similarly diseases of some of the crops have also been investigated successfully. The extension and development activities of the Department relate to the distribution of pure seed, providing irrigation facilities through sinking of tube-wells and supplying of pumping sets, encouraging composting of farmyard manure and utilization of chemical fertilizers. The scheme for the distribution of chemical fertilizers on Taccavi basis was introduced in the State last year and this had a remarkable effect. In the current year the number of depots and sub-depots has increased to 952 and up to November, 1954, 17,300 tons of fertilizers had been distributed.

Community Projects and National Extension

24. The National Extension and Community Project Schemes are designed to assist the rural population in building a new and better life for itself through intensive and all-round development. The Community programme was launched in the State in October, 1952, when four Community Projects were started in Sonepat, Jagadhri, Nawanshahr and Batala, in addition to the three Community Development Blocks, two at Faridabad and one at Nilokheri. Four more Community Blocks were added in October, 1953, in areas around Kulu, Tarn Taran, Naraingarh and Thanesar, making up a total of 19 Blocks under the Community Projects. Seven National Extension Service Blocks, each covering an area of approximately 100 villages, came to be started at Nurpur, Una, Moga, Samrala, Guhla, Hansi and Gurgaon. Eight more Blocks were started in 1954 in Outer Seraj, Hamirpur, Palampur, Rohtak Panipat, Kharar, Garhshankar and Ludhiana. It is proposed to take up five more Blocks in the next year. Calculating on the basis of population, it is expected that by the end of First Five-Year Plan period, 25 per cent of the

[Minister for Finance]

entire rural population of the State would be covered. The remaining ¾th would be covered by 136 Blocks, proposed to be started during the Second Five-Year Plan period. Keeping the future needs in view, the training facilities for the Village Level Workers are being improved and extended. Basic Agriculture Wings and a Home Economics Wing are being added to the existing institutions.

To get an idea of the progress made so far, the House would be glad to know that in the areas covered by the Community Development Blocks and the National Extension Service Scheme, 1,420 miles of Kacha roads, 46 miles of Pakka roads and about 5½ lac feet drains have been constructed while over 40 lac square feet of streets have been paved. 427 schools for children have been opened and 63 schools have been converted into Basic Type. Adult Literacy Centres, Reading-rooms, Child Welfare Centres, Young Farmers Clubs, etc., have also been set up on an extensive scale. In the field of agriculture, 66,000 acres of culturable waste land have been reclaimed, while 990 pumping sets and 520 tube-wells have been installed. More than 90,000 maunds of improved seeds and 1½ lac maunds of fertilizers have been distributed. As consolidation operations proceed and electricity becomes available., the tempo of development will increase further in these areas. The success of these Projects and the enthusiasm aroused by them can be assessed from the fact that voluntary contributions made so far by the people in these areas in terms of money amount to Rs 118 lacs. (*Voices : hear, hear*).

Local Development Works

25. Local Development Works Scheme was initiated in order to utilize the enthusiasm of the people outside the areas served by Community Project and National Extension Service programmes. The schemes under this category mostly relate to drinking water, permanent works for the improvement of agriculture, rural sanitation, village communications, etc. The public is expected to contribute an equal amount either in cash or in kind.

During the year 1953-54, a sum of Rs 4·5 lacs was allotted by the Central Government for such works. Rs 25 lacs were provided for the current year and an equal amount was expected to be contributed by the people. For the next year a total expenditure of Rs 40 lacs is anticipated on such works.

Animal Husbandry

26. The welfare and prosperity of the agricultural communities are dependent to a large extent on the condition of livestock, and it has been rightly said, 'the cow and the working bullock bear on their patient backs the entire structure of Indian agriculture'. In spite of India having about a quarter of world's bovine population the *per capita* production and consumption of milk and milk-products are, perhaps, the lowest. This has been owing to improper breeding, inadequate control over diseases and non-elimination of useless stock. To provide for better breeding, artificial insemination centres have been opened at several places in the Punjab. For the care of useless cattle, two Gosadans have been established, one at Ludhiana and the other at Hissar. In order to improve the breed of Goshala animals, a special officer is being appointed in the next year. Similarly, schemes to improve the quality of wool-producing sheep and of poultry were started and are continuing during the next year. The number of Veterinary Hospitals and Dispensaries in the State not being adequate, it has also been decided to start twelve new Veterinary Hospitals during the next year, one in each district except Simla.

Industries

27. If the budget figures can be a guide, the progress of the Industries Department can be assessed from the fact that while for the year 1951-52, the expenditure figure both under the Revenue and Capital heads was Rs 39.71 lacs, the allotment for the next year is going to be Rs 211 lacs. While planning the activities of the department, due regard has been paid to all the aspects necessary for a co-ordinated industrial development. In the earlier years, the department had to plan with a two-fold objective, viz., the rehabilitation of displaced persons and the creation of a large technically-trained personnel and as such, a number of training and work centres were set up. A start having been made, decision has now been taken to dispose of the work centres as running concerns, so that the private industrialists can expand them further and run them on commercial lines. Six industrial areas at Ludhiana, Jullundur Panipat, Jagadhri, Sonepat and Bahadurgarh were also established but the non-availability of adequate finance retarded their growth. In orde to assist them, Government of India have been approached, and it is expected that a sum of Rs 50 lacs would be made available in the next year for advancing loans to the plot-holders, and it is hoped that the industrial areas would now develop to the extent visualized, thereby adding to the prosperity of the State. For the smaller industrialists, in general, loans have been advanced under the State Aid to Industries Act in the previous years, but the assistance afforded could not be large. Whereas in 1951-52, less than a lac was advanced, in the two succeeding years, a sum of Rs 2 lacs each came to be disbursed. In the current year, Rs 11 lacs are likely to be utilized for advancing industrial loans. For the next financial year, keeping in view the demand of the smaller industrialists, the target will be to advance loans to the extent of Rs 30 lacs including loans from the Community Projects fund. In addition, a provision of Rs 60 lacs has been made to provide financial assistance to the sugar factories proposed to be set up at Rohtak, Panipat and Bhogpur. It would thus be seen that a substantial financial assistance is proposed to be given to the industrialists in the State during the next year. This aid would, of course, be in addition to the financial assistance that is available to them from the Punjab Financial Corporation which has already sanctioned loans to the extent of half a crore.

The Cottage and Small Scale Industries also are receiving due attention. For the next year, the Handloom Board has allotted a sum of Rs 6 lacs from the Cess Fund for utilization partly as grant and partly as loan for encouraging the production and sale of handloom cloth. The main problem is that of marketing and 21 emporia and depots have been and are being set up in the State to organize and promote the sale. Similarly in the sphere of handicrafts, schemes worth about Rs 7 lacs are being taken up in the next year. These schemes will help the small industrialists in getting improved and new designs and in obtaining better finish for their products. Sericulture industry, which has a great future, is being fully kept in view and, in addition to encouraging mulberry plantations, steps are being taken to impart training in improved and modern methods of sericulture. Provision has also been made for continuing the demonstration parties during the next year for imparting training in wool spinning and weaving, dyeing and calico printing, tanning and silk cocoon reeling. A survey of small scale and cottage industries in the Punjab is also being undertaken for drawing up and carrying out a planned programme.

In the sphere of technical education, there has been considerable scope for improvement. At present, in the various industrial and technical institutions, training is being given to about 2,300 boys and girls. In order to

[Minister for Finance]

improve the institutions and to provide better facilities, substantial aid is being given this year and in the next year to the private institutions as well. It is expected that financial aid to the extent of about Rs 12 lacs would shortly be made available to the Guru Nanak Engineering College, Ludhiana, National Institute of Engineering, Hoshiarpur, Ludhiana Engineering College, etc. In the interest of balanced economy of the country and the pressing requirements of this State and the natural advantages that exist, I reiterate the demand I made last year, viz. that installation of looms in Punjab should be permitted by the Centre. Production of long staple cotton has increased 600 per cent, cheap power is in plenty and a ready market exists in Punjab. There cannot thus be more favourable conditions anywhere than obtaining in this State for the successful functioning of the cotton textile Industry.

Co-operation

28. During the first four years of the Plan period, the Co-operative movement in the State registered a steady and visible progress. Over 4,000 new Societies came to be registered during this period and the working capital of the various Societies went up from 12 crores to 16 crores. The current year saw an intensification of Co-operative activities in all directions. In the sphere of rural credit alone, about 1,000 new Societies were organized. With the credit facilities available from the Reserve Bank of India, a sum of Rs 88 lacs was utilized by the Co-operative Banks for financing seasonal agricultural operations and marketing of the produce. Department's efforts in forming Labour Construction Societies have, indeed, been commendable. The experience gained so far has, indeed, been highly encouraging and a decision has, therefore, been taken that in future tenders will be invited from Labour Co-operative Societies only in respect of certain types of works and contractors will not be employed. The number of such Societies has risen to 257, with a membership of about 45,000. The value of works executed, so far, by them runs to about a crore.

Hitherto the co-operative activities have mainly been confined to the field of agriculture. In the wider interests of the State it is necessary to extend activities to industrial field and with this end in view, steps have been taken to ensure a larger measure of co-ordination between the Industries and the Co-operative Departments. In the coming financial year an ambitious development programme in this direction is envisaged. Special staff for the formation of industrial co-operatives is being employed and in addition it is proposed to set up museums in every district for giving publicity to the products of such societies. A tanning and leather expert is proposed to be appointed who in addition to forming societies of leather workers will give technical guidance. A provision of Rs 1½ lacs has also been made for organising 120 new industrial co-operatives of shoemakers and sewing machines and tools will be supplied to them. It is expected that Co-operative Sugar Mills will be set up at Bhogpur and Rohtak and shares of the value of Rs 35 lacs have already been sold. A finishing and testing centre for cycle parts is also contemplated on a co-operative basis in Ludhiana District and a provision of Rs 16·75 lacs has been made for the same in the next year's Budget.

Labour

29. The Labour Department is not only concerned with the administration of the Labour Laws and various Labour Welfare Schemes, but is also concerned with the administration of the Indian Factories Act and the Punjab Trade Employees Act. The total number of factories registered under the Indian Factories Act has increased from 1,486 in 1951 to 2,115 in

1954. The Punjab Trade Employees Act now stands extended to 103 Towns. In addition, the Punjab is one of the few States that have enforced the Minimum Wages Act and this has been extended to rural areas also.

Labour Welfare Centres continued to provide educational and recreational facilities to the workers and one more centre came to be started at Abdullapur in the current year. Under the subsidized Industrial Housing Scheme, the construction of 200 houses at Amritsar has been completed and these have been occupied by the industrial workers. 124 houses are nearing completion at Ludhiana and would be allotted soon. In the next financial year, a sum of Rs 54 lacs has been provided for construction of houses under this scheme in the other towns of the State. It is also being considered whether instead of one-room tenements, two-room tenements should be constructed. Employees Provident Fund Scheme stands enforced in the State and about 150 factories are covered by it. About 16,000 workers employed in these factories are at present benefiting from this scheme. Employees State Insurance Scheme came to be enforced in 1953 in seven industrial centres, covering about 35,000 workers. Since then the number of workers insured has risen to 64,000 and in the current year additional facilities were also provided.

Education

30. The expenditure on education in the State has been steadily increasing from year to year since the partition. In 1950-51 the expenditure was about Rs 185 lacs. For the next year it is estimated to be Rs 442 lacs which means that in five years' time, the expenditure has increased by about 240 per cent (*Voices : hear, hear*). The expansion of primary education and the gradual introduction of basic-type education have been the most important activities of the Department so far. The number of primary and basic schools has gone up from 4,315 in 1950-51 to 10,000 in 1954-55, high schools from 429 to 704, and Arts and Science Colleges from 39 to 54. The number of students between 1951-52 and 1954-55 rose from 6 lacs to 8 lacs in the Primary Classes and from 2·64 lacs to 3·87 lacs in the Secondary. It is proposed to add another 900 primary schools in the course of the next year. The increase in the number of primary schools is indeed gratifying. Now every village in the State having a Panchayat has got a school and a stage has arrived when compulsory primary education can be introduced. Government is also taking steps to convert the four-year primary schools into five-year primary schools and approximately 300 schools are being converted every year.

The system of secondary education prevalent in the country is outmoded and monotrack. It is at present designed to prepare students for University Education. This has been one of the major reasons for the increase of unemployment amongst the educated classes. A decision has, therefore, been taken to implement the recommendation of the Secondary Education Commission and it is proposed to convert 2-3 high schools in every district into multipurpose type and provision of Rs 73·66 lacs has been made in the next year's Budget. This amount will be spent for providing necessary buildings and equipment for converting 30 high schools into the multipurpose type under which diversified courses including craft courses would be available to boys and girls. Out of 30 high schools 15 will be Government schools and 15 privately-owned and the latter will be expected to bear a portion of the cost. As in the current year grants-in-aid aggregating Rs 12 lacs have been provided in the next year's Budget for private institutions—colleges as well as schools.

[Minister for Finance]

Promotion of education among the backward classes has received special attention. The scheme has been revised during the current year so as to extend its benefits to all students of scheduled and backward classes without any distinction. The cost of the scheme is now expected to go up from Rs 9 lacs to Rs 25 lacs during the year 1955-56. It is expected that the Central Government will give a substantial grant as this is by far the most important scheme for the social and economic advancement of these classes. On the suggestion of several eminent men and taking into consideration the importance of ancient literature, Government have approved the idea of establishing a University at Kurukshetra for the propagation and study of oriental languages and philosophies (*cheers*). It is proposed to set up an Advisory Committee so as to work out the details of the scheme.

For the construction of buildings in Chandigarh Government have already given a grant of Rs 7 lacs to the Punjab University in addition to the land at concessional rates and it is hoped the construction would be started soon. The scheme of Nationalization of text-books which was started in 1953 has now been fully implemented. From the school session beginning on the 1st of April, 1955, only nationalized text-books which now number 147 will be used in the classes I to VIII.

National Cadet Corps

31. In spite of our financial difficulties, we have not lagged behind in looking after the physical fitness of our children. The N.C.C. scheme which was introduced in the Punjab in 1948-49 has made a great headway and it is now a part and parcel of the educational set-up of the State. The present authorized strength of the organization consists of 10 units of 2,920 cadets commanded by 71 officers in the Senior Division (including one Air Squadron), one troop of 90 cadets commanded by 3 officers in the Girls' Division and 162 troops of 5,346 cadets in the Junior Division. Four additional companies in the Senior Division, 7 Girls troops and 41 Junior Division boys troops have been raised and added to the existing strength during the current year.

Medical and Public Health

32. Noticeable improvements and extensions in the medical and public health facilities have been brought about during the Plan period. There were no Ayurvedic or Unani Dispensaries maintained by the State previously. 20 such dispensaries came to be established in 1952-53 and 20 more were opened during the current year. It is proposed to start another 25 such dispensaries in the next year, and necessary provision has been made. For the prevention and treatment of Tuberculosis, one more Sanatorium was opened at Tanda with 200 beds. Six B. C. G. Teams are now functioning in the State and two more are being added during the next year. T. B. Clinics are being improved and one more is beng started at Kangra so as to have one in every district. A number of hospitals on the State have already been provincialized and upgraded, and it is proposed to provincialize or upgrade the hospitals at Gurgaon, Paniapt, Kaithal, Naraingarh, Hoshiarpur, Ferozepore and Fazilka. In the last four years, 89 rural dispensaries were provincialized and it is proposed to provincialize the remaining 81 in the course of the next year. This will result in all the rural dispensaries being managed and improved by the State Government. It is also proposed to start a new Civil Hospital at Pragpur, District Kangra a Maternity Hospital at Abohar, and a grant is also being given for the Hospital at village Patto. Provision has also been made for the construction of a new hospital building at Hoshiarpur in the next year. Considerable

improvements are proposed to be carried out in the V. J. Hospital where a Children's Ward is also being started. A women section is being added to the hospital at Phillaur and a sum of Rs 50,000 has also been budgeted to provide assistance to the new maternity hospital to be started by local bodies or the public.

On the Health side, epidemic diseases have now been practically eliminated. As a result of intensive anti-malaria compaign, there has been appreciable reduction in the number of malaria cases treated in the hospitals and dispensaries. Whereas in the year 1950, the number of such cases was 6.8 lacs, the same dropped to 3·8 lacs during the current year. (*Voices : hear, hear*). Three anti-malaria units came to be added during the current year to the four functioning already and they all will continue with increased efficiency during the next year and a provision of Rs 10 lacs has been made.

Roads

33. The Punjab has a reputation for its well-knit system of road communications and a good deal of road construction has been done after the partition. Roads, being pre-requisite to the economic development in an area, due importance has come to be attached to them. The programme of road construction now stands drawn up not on a yearly basis but on a three-yearly basis. Figures below will give an idea as to how the road construction programme is being expanded :—

Total mileage as on 31st March, 1951	Metalled	.. 2,366
	Unmetalled	.. 849

		Mileage metalled or constructed
1951-52 to 1953-54 (3 years)	..	182·8
1954-55 (Estimated)	..	178·0
1955-56 (Estimated)	..	377·0 (*cheers*).

It will thus be seen that in 1955-56 the mileage constructed would be more than the mileage covered in the preceding four years and the total mileage constructed during the Plan period would be about 1/3rd of the mileage in the whole of the State previous to the plan.

Transport

34. Vigorous efforts were made during the year 1954-55 to effect improvements in the Government Transport Services and to make their operation more efficient and profitable. These have yielded good results. Whereas the net profits in 1951-52 were only 8·10 lacs, in 1954-55 they are going to be Rs 16 lacs and it is expected the figure will go up to Rs 19 lacs during the next year on the routes already nationalized. The number of Government vehicles run on these routes also increased from 195 in 1951-52 to 241 in 1954, and the seating capacity is also being increased. New Services have been added to link the new Capital at Chandigarh with the important towns, so as to provide better travelling facilities to the public coming to the headquarters of the State.

In my last Budget Speech, I stated that Government had taken a decision to pursue further the policy of Nationalization and a sum of Rs 50 lacs was also provided for Capital investment. Further nationalization could not materialize as negotiations with the Railway, the Operators and the Planning Commission could not be finalized. For the next year a Capital investment of Rs 40 lacs for nationalization has been provided. The first

[Minister for Finance]
phase of nationalization will cover 28 routes, which would conveniently be linked with the existing Government Transport Services. The private operators displaced from these routes will be rehabilitated on alternative routes. Planning Commission which was approached in regard to the implementation of the first phase has given its assent.

For providing transport facilities to the public in the rural areas, permits for the operation of new Kacha routes, numbering about 170, are proposed to be issued during the next year.

Plan and Development Expenditure

35. The First Five-Year Plan for this State, as originally formulated, contemplated an expenditure of Rs 20.21 crores. Its size came to be subsequently expanded on account of additional provisions made mainly for the Bhakra-Nangal Roads, Bhakra-Nangal Local Power Distribution Schemes, the Madhopur-Beas Link, the Rural Electrification Programme, the Western Jumna Canal Remodelling, etc. The Plan now stands approximately at Rs 30 crores and the details are as follows :—

		(In lacs of rupees)
1.	Agricultural and Rural Development ..	6,01·34
2.	Irrigation and Power Projects ..	7,86·20
3.	Industries ..	54·80
4.	Road Transport	3,10·61
5.	Social Services ..	2,40·97
6.	Capital Project ..	10,00·00
7.	Mandis and Colonization ..	20·00

In the earlier stages, the progress of expenditure was rather slow, but the pace is now mounting up. By the end of the current year Rs 19·92 crores are likely to be spent on the Plan and a provision of Rs 10.55 crores has been made for the year 1955-56. Thus by the end of the next year, the Plan expenditure would be incurred in full. Regarding the resources for financing the Plan, it may be stated that the Central Government promised an assistance of Rs 11 crores on the original Plan of 20.21 crores. The figure of Central assistance, however, was increased to Rs 16.29 crores on account of the expansion of the Plan as a result of adjustments or additions. The State was expected to raise additional revenues to the tune of Rs 5 crores from taxation for financing the Plan. I am glad to say that the State has been able to fulfil its commitment and additional funds have been found either from the existing sources, or from fresh taxes. It would thus be seen that both on the financing side, as well as on the Expenditure side, the Plan is being fully implemented in spite of several handicaps and problems that the State had to face as a result of the partition. (*cheers*).

In addition to the First Five-Year Plan, development expenditure was incurred on several Centrally sponsored schemes and on some purely State schemes approved by the Planning Commission. On these schemes, it is anticipated that by the end of the next year, more than Rs 22 crores would be spent. The Centrally sponsored schemes have substantially helped the State in developing itself but resultant recurring burden on its resources is rapidly mounting up. The Centre will have to come to the aid of the State in future also, as at present, for the continuance of these schemes.

To assess the progress made by the various development departments, the figures of expenditure on the Revenue plus Capital accounts of the years 1950-51 and 1955-56 are given below department-wise :—

		(In lacs of rupees) 1950-51	1955-56
Consolidation of Holdings	..	10	65
Forests	..	47	48
Irrigation and Electricity including Multi-purpose River Schemes	..	14,58	31,90
Education	..	1,85	4,42
Health	..	78	1,96
*Agriculture	..	3,12	2,40
Veterinary	..	23	29
Co-operative	..	17	44
Industries	..	59	2,11
Roads	..	33	2,85
Transport	..	64	2,15
Community Projects etc.	..	*Nil*	2,04
Panchayats and Scientific Departments	..	10	27
Total	..	22,96	51,96

*Expenditure on Agriculture in 1950-51 was extraordinarily large on account of heavy Capital investments in Land Reclamation and Tube-well Schemes.

It would thus be seen that whereas in 1950-51, the total development expenditure was Rs 22·96 crores only, the same is going to be Rs 51.96 crores in 1955-56 (*Cheers*). The increase in expenditure under the Revenue Account is equally impressive. As against an expenditure of Rs 7.42 crores in 1950-51, Rs 14.53 crores would be spent in 1954-55 and in the next year the expenditure is going to be Rs 17.45 crores. This is no mean an achievement on the part of a small State like ours. Considering the needs of the State, however, there is a definite scope for a larger expenditure on developmental activities. There has been no lacking of will on the part of Government, but our limitations have been financial. In spite of these, the State in the next year is proposing an expenditure 2½ times the amount it spent in 1950-51. The demand from all sides is for increased expenditure, but without additional taxation ; rather relief in the taxes already imposed is being asked for. Development expenditure cannot increase without a corresponding increase in Revenue resources. We have no cash balances to fall back upon and we do not feel that people are, at present, in a position to bear more taxes. Development pace, on the other hand, cannot be slowed down. We do hope that the Finance Commission, that is being appointed will go into the needs and peculiar conditions of this border State and will recommend additional assistance.

Unemployment

36. The problem of unemployment was discussed by me in my last year's Budget Speech also. In the rural areas un-employment generally takes the shape of under-employment, while in the urban areas it is lack of employment in the case of certain classes. In the past, the failure of rains used to aggravate the problem in the rural areas. The House is aware of the Irrigation Schemes undertaken by the State after the partition and gradually the dependence on rainfall is being reduced. The increase in irrigated area itself

[Minister for Finance]
is resulting in the employment of more men, partly through the reclamation of waste lands and partly because more workers are needed on irrigated lands than on *barani* lands. Besides, in order to provide further employment opportunities, efforts have been made in the past, and are now being accelerated, to encourage small-scale and cottage industries. These will bring about a permanent improvement and will help solve the problem of under-employment. The Development Expenditure being incurred in the rural areas, particularly on roads, Bhakra-Nangal and other Irrigation Projects, construction of hospitals and schools, both in the areas covered by the Community Projects and outside, is providing an immediate solution by opening up vast sources of employment to those under-employed.

Similarly, in the urban areas, where the problem of unemployment among educated classes was becoming a little acute about a year ago, considerable relief has come to be afforded through expanding avenues of employment in the educational and other institutions. On Multipurpose River Schemes, Rs 25 crores on an average are now being spent every year and this alone has raised the employment potential of the State. With the tremendous increase in the generation of electricity, power connections are being given freely and large sums have been, and are being, provided for the encouragement of medium and large-scale industries. These, along with the huge construction activity, that would result from the disbursement of 7½ crores of rupees under the Low-Income-Group-Housing Scheme, would further reduce the number of unemployed. A vast network of roads is under construction, which is helping in the promotion of business and trade. Several Mandi towns are also being developed and a larger provision is being made in the next year's Budget. All these schemes are surely helping in substantially absorbing the educated unemployed. Authentic statistics are not available, but judging from the data available it can be said that the problem is becoming less acute. According to the figures available from the live registers of the Employment Exchanges of this region, consisting of Punjab, PEPSU and Himachal, there were 28,260 persons registered with them in June, 1954, and this figure dropped down to 26,423 in January, 1955. The increase in population is the biggest hurdle in the way of reducing the number of unemployed. However, with the coming changes in the educational system through the opening of multipurpose schools and the setting up of more technical institutions and industrial development, it is hoped the problem of educated unemployment, which has been a legacy of the past, will gradually vanish.

Backward Classes

37. As already stated we are proposing an expenditure of Rs 25 lacs for the promotion of education amongst the backward classes, as against Rs 9 lacs in the last year's budget. This one scheme alone should substantially help thebackward classes in overcoming their social and economic handicaps. Further, both for the benefit of ex-criminal tribes and these backward classes, a dozen more schemes have been provided in the next year's Budget and our discussions with the Central Government indicate that on all these schemes, including the Harijan Education Scheme, the Central Government will share a substantial portion of the expenditure. These schemes include sinking of new, and repairs to existing wells, training facilities in mills and factories, provision of medical boxes, stipends and free studentships, provision of hospital facilities and supply of books and sports material, subsidy and loan for agricultural implements and houses. In all, including the education

scheme, a provision of about Rs 46 lacs has been made in the next year's Budget. The House is already aware that 21 per cent of the vacancies in Government Departments stand reserved for backward classes. As a further concession it has been decided to reserve 50 per cent of the vacancies in the rank of police constables for them.

Social Welfare

38. Hitherto all efforts have been mostly for developing the economy of the State or in providing more schools, hospitals etc. A time has now come when more attention towards social welfare of the people has to be paid, as without social and cultural uplift, no society can march forward. In the next year's Budget, Honourable Members will find a provision of Rs 2.31 lacs made for a new item, namely a Directorate of Social Welfare. This Directorate is being set up to co-ordinate and extend social, cultural and sports activities in the State, whether they exist under official auspices or are being sponsored by private organizations.

In order to relieve the housing-shortage in the State and for providing better living conditions, another provision of Rs 7½ crores has been made in the next year's Budget for advancing loans under the Low-Income-Group-Housing Scheme. Persons having an income of Rs 500 per mensem or less will be eligible for an advance up to 80 per cent of the cost of a house, plus land subject to a maximum loan of Rs 8,000. Details of the scheme have already been drawn up and disbursements are being made.

Local Bodies

39. With the rapidly changing conditions, it was necessary that the administration of Local Bodies should also be over hauled and geared to face the new responsibilities that are to devolve on them. Government has set up an Urban Local Bodies Advisory Committee, so as to suggest ways and means for improving the Municipal Committees and for equipping them with greater powers and opportunities to serve the people. The House is aware that the District Boards of the old pattern came to be scrapped some months ago, as they were found to be outmoded and incapable of tackling the rural problems. Reorganization of Local Government for the rural areas is under examination and the new schemes envisage the setting up of Tehsil Councils in which there will be an integral relationship between the Panchayats and the larger unit above it. It is hoped that these Tehsil Bodies would be in a more advantageous position not only for mobilizing the local resources but also for providing avenues for local initiative as well as leadership thereby accelerating the pace of development.

Most of the urban areas and particularly the rural areas do not have adequate arrangements of water-supply or drainage. Under the National Water-supply and Sanitation Scheme, it has been decided to provide adequate financial assistance to the local bodies so as to cater to the pressing needs of the urban as well as rural areas. For the next year, a provision of Rs 75 lacs has been made for advancing loans, to the urban local bodies for water-supply and drainage schemes. Similarly, a provision of Rs 21 lacs has been made for grants for rural areas. These provisions are in addition to a sum of Rs 10 lacs provided for similar purposes under the Five-Year Plan.

National Workers Relief Fund

40. To provide relief to political sufferers in straitened circumstances who took part in the country's struggle for freedom the provision made for pensions has been raised to Rs 5 lacs (*cheers*). Seven thousand acres of land in Hissar District were also reserved for their benefit. Each political sufferer is being given 12½ acres of land on lease for twenty years and so far 388 persons have been allotted lands. The

[Minister for Finance]

main condition governing the grant of the lease is that a person should have undergone five years' imprisonment if convicted once, or for two years if convicted twice, or should have been convicted on more than two occasions. Political sufferers having an income less than Rs 75 per mensem, or owning less than 8 acres of land alone are eligible.

Assistance to Low-Paid employees

41. Since 1952 we have been allowing increases in the pay of low-paid Government servants every year. Those drawing pay not exceeding Rs 30 per mensem were allowed an increase of Rs 5 per mensem each in the year 1952 and 1953 and Rs 2 per mensem in the year 1954. Those drawing between Rs 31—50 were allowed an increase of Rs 5 per mensem in the year 1952 and Rs 7-8-0 in the year 1953. During the year 1954, an increase of Rs 2 per mensem was allowed in the case of employees having a scale pay starting at Rs 40-8-0 or below. Those drawing pay between Rs 51—100 were given an increase of Rs 5 per mensem in the year 1952. The result of these increases has been that the pays of the officials drawing Rs 50 or less are now higher than those paid by the Central Government and of those with salaries not exceeding Rs 100 almost equal to them. We have also revised the pay scales of Overseers, Veterinary Stock Assistants and B.A., B.T., teachers and teachresses to which category Senior English teachers also came to be added. In the next year, it is proposed to revise the pay scales of other categories as listed below in whose case a revision has become necessary on account of the changing conditions :—

——	Present scale	Revised scale/benefit
	Rs	Rs
Forest—		
Rangers ..	90—5—145/6—200/7—235/8—275	100—5—150/7½—210/10—300
Deputy Rangers ..	50—2—90	60—3—90/4—110
Foresters ..	42½—1—52½/2—72½	45—2—65—3—80/4—100
Forest Guards ..	32—1—37/1—42	35—1—50
Weights and Measures—		
Manual Assistants ..	32—1—47	35—1—50
Agriculture— ..		
Agriculture Sub-Inspectors	39½—1—49½/2—69½	45—2—65—3—80/4—100
Veterinary—		
Laboratory Assistants, 1st Grade ..	60—4—100	65—4—105
Laboratory Assistants, 2nd Grade ..	30—3—60	35—3—65
Laboratory Attendants ..	25—1—35	32—1—42
Veterinary Assistant Surgeons ..	100—10—150/10—200/10—300	120—10—200/15—350

	Present scale	Revised scale/benefit
Revenue—		
Field Kanungos ..	50—3—80/4—100	60—4—100/5—120
Office Kanungo/Naib Sadar Kanungo ..	50—3—80/4—100 plus Rs 15 special pay	60—4—100/5—120 plus Rs 15 special pay
Sadar Kanungo ..	80—5—110/5—150	90—5—140/6—200
Naib-Tehsildar ..	125—5—185/7½—230	125—5—185/7½—230/10—300
Irrigation—		
Zilladars ..	90—5—140/6—200/7—235/8—275	100—5—150/7½—210/10—300
Computors—		
Junior ..	50—3—80/4—100	60—4—100/5—125 (Junior and Senior)
Senior ..	80—4—100/5—125	
B. and R.—		
Librarians ..	80—5—110/5—150	150—10—200/10—300 (for trained Librarians only).
Jails—		
Armourer ..	40—1—50 plus special pay Rs 30 per mensem (personal)	47½—1—57½ plus special pay Rs 15 per mensem. (Armourer and Assistant Armourer)
Assistant Armourer ..	40—1—50 plus special pay Rs 15 per mensem (personal)	
Medical—		
Civil Assistant Surgeons (non-gazetted)	120—5—145/5—170/8—250	120—10—200/15—350
Assembly and Council—		
Hindi/Punjabi Reporters	200—10—300	250—10—300/15—450 (Hindi/Punjabi and English Reporters)
English Reporters ..	300—15—450	
Industries—		
Headmasters ..	80—5—140/6—200	100—5—140/6—200
Weaving Masters and Dyers ..	50—3—80/4—100	70—4—130/5—200
Education—		
Headmasters ..	250—10—300 ..	Maximum to be raised to Rs 350
Junior Secondary trained teachers (Women)	70—5—90/5—100/5—150—150—10—190/10—220	80—5—110/8—190/10—250
Shastris ..	50—3—80/4—100 ..	70—3—100/4—120. All serving teachers to get an increase of Rs 20 when entering the revised scale.
Prabhakar, Gianis and Drawing Masters	50—3—80/4—100	Start to be given at Rs 65. All to get 5 increments of Rs 3 each.

[Minister for Finance]

As a result of these revisions and the merger of Junior and Senior Clerks cadre it is anticipated that Government will have to incur an additional expenditure of Rs 25 lacs during 1955-56 provision for which has been made under each major head and shown as lum provision. In the past, provisions made for similar purposes were Rs 28 lacs in 1952-53, Rs 55½ lacs in 1953-54 and Rs 20½ lacs in 1954-55. I admit that the pay set-up of some other services also required revision but this can only be done when the economic conditions in the country further improve.

Debt Liability

42. The debt liability at the end of 1954-55 is likely to be Rs 140·09 crores and it mainly consists of Rs 105·16 crores obtained for the Bhakra-Nangal Project, Rs 6·69 crores for the Harike Project, about Rs 8 crores for G.M.F., about5 crores for the New Capital and Rs 9 crores for Rehabilitation Loans. Loans of the order of Rs 45.85 crores are anticipated during the year 1955-56 for the following items :—

(*In lacs of rupees*)

Bhakra-Nangal	..	19,63
G.M.F.	..	7,45
Electricity Schemes	..	1,09
Chandigarh Capital	..	1,94
Industrial Development	..	1,34
Low-Income Group Housing Scheme	..	7,55
National Water-supply and Drainage Scheme		75
Rehabilitation Loans	..	1,03
Miscellaneous items	..	5,07
Total	..	45.85

Since repayments are being made annually in the case of G.M.F. Loans, including fertilizers, New Capital and Rehabilitation Loans, a sum of Rs 261 lacs is expected to be repaid during the next year. It would thus mean that at the end of the year 1955-56 a loan liability of Rs 183.33 crores would be outstanding. Out of this Rs 124.79 crores are for the Bhakra and Nangal Scheme and this figure includes the share of Pepsu and Rajasthan whose liability has not yet been apportioned.

Conclusion

43. I have given briefly an account of the multifold development activities, as well as of our financial position, including the debt liabiloty. It is now for the Honourable Members to form an opinion as to the manner in which this Government is ploting the ship of the State. We have undertaken development on a very large scale which to some superficial observers may even appear to be beyond our means. Our aim is to convert Punjab into a welfare State in the true sense of the word (*Voices : hear, hear*) and that is not possible without economic prosperity and social justice. Hospitals are being improved and measures against epidemic diseases are being intensified. More and more schools are being opened and the system of education is undergoing a change. The Bhakra-Nangal Project, on which the future of the Punjab rests, is progressing rapidly and in fact, we have already started reaping some of the benefits. After having put the State's agricultural position on a sound footing, the activities on the industries and co-operative sides are now being vastly expanded. While reorganizing the administration, we have scrupulously kept an eye on economy and have also taken steps not only to decentralize the power but also to engender a spirit of self-reliance and self-help among

the people. The results achieved have indeed been encouraging. I may also add that while bringing about these changes, we have not forgotten the lot of the low-paid Government servants. Practically every year we have taken steps to improve the pay-scales and the extra amounts budgeted so far run into a substantial figure of Rs 1.29 crores. In spite of this, the House will be glad to know that we have been able to bring down the percentage of expenditure on Civil Administration including Police and Jails progressively (*cheers*). Whereas the percentage on total Revenue Expenditure was 31 in 1950-51, it came down to 27 in 1953-54 and 25 on the Revised Estimates of 1954-55. In the next year it is going to drop further to 22 only. (*cheers*). In the course of the year we appointed a Special Officer to go into the working of the Departments to see if any economies can be effected. As a result of the suggestions made by him, we have been straightway able to make economies to the tune of Rs 1.57 lacs in the Police Budget along. (*Cheers*). These economies are not shown in the Schedules and will be enforced with effect from April 1, 1955. The reports of the Special Officer are being examined and every effort will be made for cutting out wasteful expenditure. I may further add that Government have taken a decision to integrate the staff of some of the beneficent departments with that of N.E.S. and Community Projects. Details are being worked out, and it is hoped that further economies will result in the course of the year in addition to making the administrative set up more efficient and effective.

In spite of the fact that there has been unprecedented increase in our development expenditure and on ameliorating the lot of low-paid employees, I can state with confidence that the financial stability of the State has not been allowed to suffer. Practically all the debt liability has been incurred on productive Projects and the money spent will yield us dividends all round which will help the State in discharging the same. We have scrupulously avoided financing unproductive schemes from loans as they tend to shake the financial stability of a State. We are doing our level best to augment our revenues more by tightening up the taxation machinery and by improving the existing resources rather than by new taxes. The small deficit of Rs 77 lacs that you find need not cause any anxiety. The notable feature is that we have been able to finance a very much larger development expenditure without having resort to fresh taxation. Although the record of our achievements is impressive, we feel that there is much more to be done to reach our cherished goal. There is no room for complacency. We are doing our very best and with your goodwill and co-operation we can face the future with courage and confidence. (*Voices : hear, hear*).

Acknowledgements

44. I would like in the end to acknowledge before the House my appreciation of the work done by the officers and men of the Finance Department. The unprecedented expansion in development activities has thrown a great burden on the Finance Department. I am glad to record that all of them performed their onerous duties unhesitatingly and zealously.

I also wish to record the appreciation of this Government to the Accountant-General and his staff who have given unstinted co-operation and have shared with us the burden of watching the financial interests of the State.

And now, Sir, I request your leave to present the Budget, 1955-56.

JAI HIND

12-Noon.

The Assembly then adjourned till 2 p.m. on Monday, the 14th March, 1955.

40 P.V.S.—284—10-7-56—CP & S., Punjab, Chandigarh

PUNJAB VIDHAN SABHA

DEBATES

14th March, 1955

Vol. 1—No. 7

OFFICIAL REPORT

CONTENTS

Monday, the 14th March, 1955

S. D. Press, Mani Majra

Price Rs. 3/12/-

PUNJAB VIDHAN SABHA.

Monday, 14th March, 1955.

The Vidhan Sabha met in the Assembly Hall, Sector 10, Chandigarh Capital at 2 P. M. of the Clock. Mr. Speaker (Sardar Gurdial Singh Dhillon) in the Chair.

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS.

ABOHAR-BIKANER AND ABOHAR-USMAN KHERA ROADS.

*4560. **Shri Teg Ram** : Will the Minister for Public Works be pleased to state :—

ERRATA

Punjab Vidhan Sabha Debate, Vol. I-No. 7 dated 14.3. 1955.

Read	for	on page	line
ग़नी	गन	(7) 13	12
शर्मा	श्रम	(7) 17	7th from below
assault	assult	(7) 44	4
मंज़ूर	मजूर	(7) 51	11
Put brackets before the word Pandit and after the word Act.		(7) 51	27
तरफ़	त फ	(7) 52	5
हो	ह	(7) 53	33
Read 'ਦਾ'	after ਡਾਕੂਆਂ	(7) 55	33
ਦਾਖਲਾ	ਦ ਖਲਾ	(7) 56	12
ਨੇ	ਨ	(7) 56	13
Improvement	Improvemen	(7) 57	10
ਉਠਣਾ	ਉਠਾ	(7) 58	15
without	withouf	(7) 58	24
ਕੋਈ	ਕਈ	(7) 58	33
Neimla	Nirmal	(7) 60	9
ਵਤੀਰੇ	ਵਤਰੇ	(7) 63	13
ਭਰੋਸਾ	ਭਰੇਸਾ	(7) 64	3rd from below
4,41,000	4, 41,00	(7) 67	8
सरकार	सरका	(7) 74	19
तिगुना	।ताना	(7) 77	14
से	ो	(7) 77	26
जिस	।जस	(7) 78	28
चंडीगढ़	चंडा गढ़	(7) 78	29
यदि	याद	(7) 78	32
बढ़	ढ़	(7) 79	8

Read	for	on page	line
छोड़	छाड़	(7) 79	9
पांच	ंच	(7) 79	15
गये	ग	(7) 79	22
होती तो	ता ता	(7) 79	36
दिया होता	ादया हाता	(7) 79	36
मज़बूत	जबूत	(7) 80	17
हमारी	हमा ी	(7) 80	18
रघुबीर	रघु ीर	(7) 81	23
घाटे	घटे	(7) 81	30
Resolution	Resolu ion	(7) 82	3
मास्टर	म स्टर	(7) 83	15
सकता	सका	(7) 83	16
काम	कम	(7) 83	19
भरते	भ ते	(7) 83	25
लगा	ल ा	(7) 84	19
गवर्नमैंट	गवनमेंट	(7) 85	21
कैसे	कसे	(7) 86	14
जाये	जा	(7) 87	7
तालीम	ता म	(7) 87	6th from below
तौर	तो	(7) 87	2nd from below
चाहता	च ह त	(7) 87	1st from below
देना	दे ा	(7) 88	1st line
राम	रान	(7) 90	1st line
पहले	हले	(7) 91	1
1,200	12 0	(7) 94	17
मिठी	मिठ	(7) 94	26
राम	रम	(7) 95	20
राम राज्य	रा रज्य	(7) 95	35-36
ज़ाहिर	ज़ाबर	(7) 96	17

PUNJAB VIDHAN SABHA.

Monday, 14th March, 1955.

The Vidhan Sabha met in the Assembly Hall, Sector 10, Chandigarh Capital at 2 P. M. of the Clock. Mr. Speaker (Sardar Gurdial Singh Dhillon) in the Chair.

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS.

ABOHAR-BIKANER AND ABOHAR-USMAN KHERA ROADS.

*4560. **Shri Teg Ram** : Will the Minister for Public Works be pleased to state :—

(a) the dates when the construction work on Abohar-Bikaner and Abohar-Usman Khera roads was taken in hand, their mileage and the expenditure likely to be incurred thereon, respectively ;

(b) the dates by which the roads referred to in part (a) above are expected to be completed ;

(c) the names of the contractors who have been given contracts for the construction of the roads referred to in part (a) above, the terms and value of their contracts separately ;

(d) the names of the contractors or Co-operative Labour Societies which have been entrusted with the earth-work and rates therefor and in the latter case the total number of members of each Co-operative Labour Society ?

Sardar Gurbachan Singh Bajwa :

(a) Work on Abohar-Bikaner road was taken in hand on 4th December, 1954. An expenditure of Rs. 10,87,900/- for construction of 13.2 miles of this road is likely to be incurred. Work on Abohar-Usman Khera road has not yet been taken in hand.

(b) Abohar Bikaner road is expected to be completed by 31st of March, 1956. The other road has not yet been started but it is likely to take 2 years for completion.

(c) I-Abohar-Bikaner Road.

(i) Supply of bricks by Messrs. Waryam Singh & Sons, costing Rs. 1,17,700/- within a time limit of 12 months @ Rs. 37/- per thousand bricks at road side.

(ii) Supply of stone metal by Messrs. Jawala Singh Dhian Singh Contractors, costing Rs. 2,53,000/- with a time limit of 8 months at the average of Rs. 109/- % Cft.

om below
om below
rom below
ne
ne

[Minister for Public Works]

(iii) Construction of bridges and culverts by Shri Murari Lal Narang, costing Rs. one lakh at Rs. 171/15/- percent premium with a time limit of 10 months.

(iv) Supply of Bajri by Messrs. Waryam Singh & Sons, costing Rs. 63,000/- with a time limit of 8 months at Rs. 115/8/- percent Cft.

II. Abohar-Usman Khera Road.

The work has not been started.

(d) (i) The Harijan Co-operative Labour and Construction Society Abohar @ Rs. 300/- percent premium on basic rate of Rs. 4/- percent Cft. plus Re. 1/- percent Cft. for compensation of land from which earth is taken. Total number of men employed by the Society is 40.

(ii) The Abohar Labour and Construction Society, Abohar, at the above rates. Total number of men employed is 40.

(iii) Gobindgarh Labour and Construction Society, Abohar, at the above rates. Total number of men employed is 80.

(iv) The Krishna Co-operative Labour and Construction Society, Muktsar, at the above rates. Total number of men employed is 400.

ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ: ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਉਹੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲੇ ਮੀਂਹ ਵਿਚ ਹੀ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ?

ਮੰਤਰੀ : ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ।

ਸ਼੍ਰੀ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੰਮ Labour Co-operative Societies ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ?

ਮੰਤਰੀ : ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਲੇਬਰ ਕੋ-ਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ skilled labour ਦਾ ਨਹੀਂ ।

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : ਕੀ ਠੇਕੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ record ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ apply ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ?

ਮੰਤਰੀ : ਠੇਕੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ black list ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਜੋ lowest tender ਕਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਸ਼੍ਰੀ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ : ਇਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਤੇ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ?

ਮੰਤਰੀ : ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ।

मौलवी अब्दुल गनी डार : क्या वज़ीर साहिब फरमाएंगे कि जिन ठेकेदारों का reputation खराब हो, उन को black list पर लाया जाता है ?

ਮੰਤਰੀ : ਜੀ ਹਾਂ।

MEDICAL EXAMINATION OF CHILDREN IN MUNICIPAL SCHOOLS.

*4480. **Shri Rala Ram** : Will the Minister for Education be pleased to state the names of Municipal Committees in the State which get the children attending their schools medically examined and distribute milk free to poor and undernourished children ?

Shri Jagat Narain : Usually, the school authorities make their own arrangements regarding medical examination of the school children as their schemes are financed by realizing a small monthly fee, ranging from annas two to annas four per scholar from Secondary Department pupils. The information regarding the names of Municipal Committees which get the school children medically examined is not readily available with the Punjab Health Department and the same is being collected. It will be supplied to the member in due course.

The Municipal Committees, Ludhiana, Jullundur, Gurdaspur and Sonepat distribute milk free to poor and undernourished school children. Besides, the Hospital Welfare Section (Red Cross Society) Chandigarh also distributes milk to poor and undernourished children in the local Government Girls High School out of the milk powder received from UNICEF.

श्री दौलत राम : क्या बच्चों के medical examination के लिए गवर्नमैंट भी इमदाद देती है ?

मन्त्री : जी नहीं ।

श्रीमती सीता देवी : क्या माननीय शिक्षा मन्त्री साहिब बताएंगे कि जिन स्कूलों म बच्चों का medical examination नहीं किया जाता वहां पर गवर्नमैंट की तरफ से कोई पाबन्दी है कि वह local body उन के medical examination का ज़रूर ही इन्तज़ाम करे ?

मन्त्री : पाबन्दी तो कोई नहीं, उन्हें लिखा ज़रूर गया है ।

श्रीमती सीता देवी : अगर वह local body सरकार के ऐसा लिखने पर भी इन्तज़ाम न करे तो सरकार क्या नोटिस लेती है ?

मन्त्री : हम इस बात का ज़रूर नोटिस लेंगे ।

श्री राम किशन : क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि local bodies को इस बारे में कोई instructions जारी की गई हैं ?

मन्त्री : जी नहीं ।

श्री राम किशन : क्या गवर्नमेंट इस बारे में First Five Year Plan के मातहत बने Planning Commission की हिदायतों पर काम करेगी ?

मन्त्री : इस के लिए नोटिस चाहिए ।

PAYMENT OF ENHANCED SALARIES TO THE LOW PAID EMPLOYEES OF PATHANKOT MUNICIPALITY.

*4660. **Sardar Gopal Singh :** Will the Minister for Public Works be pleased to state whether he has received any representation from the low paid employees of the Pathankot Municipality drawing salaries upto Rs. 30/-P. M. and from Rs. 31/- to Rs. 50/- P. M. the nonpayment of Rs. 5/- P. M. and Rs. 7/8/- P. M. respectively on account of increase in their salaries as sanctioned by the Government with effect from the 1st April, 1953, if so, the action, if any, taken by the Government in the matter ?

Sardar Gurbachan Singh Bajwa : No such representation from low paid employees of the Pathankot Municipality has been received. The Municipal Committee, Pathankot has, however, enhanced the rates of salaries of such employees with effect from 1st October, 1954.

WATER WORKS IN JULLUNDUR.

*4373. **Shrimati Sita Devi** : Will the Minister for Public Works be pleased to state the date by which the waterworks is expected to start functioning in Jullundur ?

Sardar Gurbachan Singh Bajwa : Jullundur water works is being built piecemeal with funds deposited in instalments by the Municipality. The works covered by the 1st instalment for which funds have, so far, been deposited will be completed in about 6 month's time and partial supply of water will be made available in areas served by the pipe lines laid by then. The complete schemes as sanctioned will be completed in about 2 years time.

REMOVAL OF UNTOUCHABILITY IN THE STATE.

*4440. **Shri Ram Kishan** : Will the Minister for Labour be pleased to state whether the Government has chalked out any programme to eradicate untouchability and to raise the living standard of the Scheduled Castes and Backward Classes in the State; if so, the details thereof together with the expenditure proposed to be incurred thereon, and the steps, if any, so far taken by the Government in the matter ?

Chaudhri Sundar Singh: Yes, the required information is given below:

The schemes for the removal of untouchability in this State, together with the proposed expenditure to be incurred thereon, during the years 1954-55 and 1955-56 are given below :—

Name of the scheme	Proposed total expenditure during 1954-55	1955-56
(i) Publicity.	Rs. 50,000	Rs. 1,20,000
(ii) Digging of new wells and repair to old wells and provision of drainage.	Rs. 1,00,000	Rs. 2,75,000
(iii) Training in mills and factories on apprenticeship basis	Rs. 12,000	Rs. 60,000
(iv) Medical boxes for villages inhabited mostly by the Harijans.	Rs. 15,000	Rs. 30,000
(v) Field staff	Rs. 1,00,000	Rs. 2,00,000

(Out of the above total expenditure half of it will be met by the Government of India during the current year as grant-in-aid and for the year 1955-56, 75% will be borne by the Government of India subject, however to their approval.)

2. The following steps have so far been taken by the State Government for the implementation of the above schemes :—

(i) PUBLICITY. Suitable posters and pamphlets on the subject are under preparation. Steps are also being taken for the preparation of a film. Some slides have also been purchased. Records of songs against untouchability are under preparation and social meetings and conferences are being arranged.

(ii) WELLS. Places where new wells are to be sunk and the existing wells which require repairs have been selected and the work will be taken up soon.

(iii) TRAINING IN MILLS. 40 suitable Harijan candidates will be given training in mills and factories and each candidate will be given a stipend of the value of Rs. 25/- P. M. The names of selected candidates have been recommended to the Industries Department.

(iv) MEDICAL BOXES. Places where medical boxes will be provided for the use of Harijans have been recommended to the Health Department.

(v) FIELD STAFF. 5 District Welfare Officers with their staff have been selected and steps for the selection of the remaining staff are being taken.

3. Besides the above schemes Government is spending a huge amount on the grant of educational facilities in the form of remission of fees and award of stipends to the Scheduled Caste and Backward Class students. The following are the details of expenditure on this scheme during the last few years :—

[Minister for Labour]

1951-52	Rs. 7,20,167
1952-53	Rs. 8,91,380
1953-54	Rs. 7,76,237
1954-55 (likely)	Rs. 23,00,000
1955-56 (likely)	Rs. 25,00,000

4. The State Government have, also chalked out a Second Five Year Plan costing a sum of Rs. 2,90,60,800/- for the removal of untouchability subject to the approval of the Government of India. A statement showing the details of proposed expenditure is placed on the Table.

Proposed expenditure to be incurred during the Second Five Year Plan for the removal of untouchability subject to the approval of the Government of India.

1.	Publicity ...	Rs.	6,00,000/-
2.	Digging of new drinking water wells and repairs to existing wells and provision of drainage. ...	Rs.	15,00,000/-
3.	Training in mills and factories on apprenticeship basis. ...	Rs.	3,60,000/-
4.	Medical boxes for villages having large concentrations of Harijans and away from dispensaries. ...	Rs.	1,50,000/-
5.	Field staff. ...	Rs.	10,00,000/-
6.	Education. ...	Rs.	2,07,52,000/-
7.	Subsidy for settling in trades learnt. ...	Rs.	3,00,000/-
8.	Subsidy and loan for construction of new houses and repairs to existing houses. ...	Rs.	30,00,000/-
9.	Subsidy and loan for seed, agricultural implements, bullocks and assistance for cottage industries. ...	Rs.	10,00,000/-
10	Replacement of medicines in boxes. ...	Rs.	1,50,000/-
11	Training in Home Nursing, House-hold hygiene and First Aid. ...	Rs.	1,22,800/-
12	Paid Secretaries for Co-operative Societies. ...	Rs.	1,26,000/-
	Total	Rs.	2,90,60,800/-

Year-wise expenditure proposed to be incurred during the Second Five Year Plan showing the share of the Government of India as grant-in-aid and the Punjab Government's share.

	Government of India's share	Punjab Govt's share	Total
1956-57	Rs. 36,09,000	Rs. 12,03,000	Rs. 48,12,000
1957-58	Rs. 39,84,060	Rs. 13,28,020	Rs. 53,12,080
1958-59	Rs. 43,59,120	Rs. 14,53,040	Rs. 58,12,160
1959-60	Rs. 47,34,180	Rs. 15,78,060	Rs. 63,12,240
1960-61	Rs. 51,09,240	Rs. 17,03,080	Rs. 68,12,320
Total	Rs. 2,17,95,600/-	Rs. 72,65,200/-	Rs. 2,90,60,800/-

ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ : ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ information ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ suitable slides, films ਵਗੈਰਾ ਬਾਰੇ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਕੀ ਮੈਂ ਪੁਛ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ?

ਮੰਤਰੀ : ਜੀ ਹਾਂ, ਫਿਲਮ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ।

ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ : ਫਿਲਮ ਕਦੋਂ ਤਕ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ ।

ਮੰਤਰੀ : ਜਲਦੀ ਹੀ ।

ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ : ਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 40 students ਨੂੰ suitable training ਲਈ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ select ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ?

ਮੰਤਰੀ : ਜੀ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ select ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਕਿਉਂ ਜੋ ਕੰਮ ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਿਖਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇਣੇ ਹਨ ।

HARIJAN WELFARE COMMITTEES.

***4044. Sardar Darshan Singh** : Will the Minister for Labour be pleased to state the functions of Harijan Welfare Committees constituted in the State together with the details of the work done by the said Committees so far ?

Chaudhri Sundar Singh : The main functions of the Harijan Welfare Committees are :—

(i) to devise means to abolish "untouchability" as laid down in Article 17 of the Constitution of India;

(ii) to bring the Scheduled and non-Scheduled Castes nearer each other by improving the social relations between them;

(iii) to devise means so that the genuine complaints of the members of the Scheduled Castes may be settled amicably without having a recourse to Courts of Law, for the enforcement of the Punjab (Removal of Social and Religious Disabilities) Act, 1948;

(iv) to see whether full use is made of the educational facilities provided for the school and college going children of the Scheduled Castes.

These Committees are constantly watching the interests of Scheduled Castes and endeavour to get their genuine grievances removed.

श्री देव राज सेठी : मैं यह दरयाफ्त करना चाहता हूँ कि "Harijans Welfare Committees" के "functions together with the details of the work done by the said Committees so far" इस का जवाब नहीं दिया गया ।

अध्यक्ष महोदय : इस का जवाब मन्त्री महोदय दे चुके हैं (The hon. Minister has already replied to this question).

श्री देव राज सेठी : उन्होंने बताया है कि उन के यह करायज़ हैं लेकिन उन्हों ने जो काम किया है इस की तफसील नहीं बताई है ।

अध्यक्ष महोदय : वह कमेटियां काम कर रही हैं । (The committees are doing their work.)

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : मैं दरयाफ्त करना चाहता हूँ कि कितने हरिजन लड़कों को तालीमी वज़ीफों की इमदाद दी गई है ?

मन्त्री : पिछले सवाल में इस का जवाब दिया गया था । 1952-53 में 7,20,167 रुपये, 1953-54 में 8,91,000 रुपये और 1954-55 में 23,00,000 रुपये खर्च किये गये हैं ।

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : ਕੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਥੇ Harijan's welfare ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ?

मन्त्री : यह काम सारे पंजाब में हो रहा है ।

TAX UNDER THE MOTOR VEHICLES ACT.

***4065. Sardar Harkishan Singh Surjit** : Will the Minister for Educatlon be pleased to state the increase in the revenue expected during 1954-55 as a result of the change in the schedule of tax leviable under the Motor Vehicles Act ?

Shri Jagat Narain : About Rs. 6,92,000/

SEPARATION OF EXECUTIVE FROM THE JUDICIARY.

*4562. **Shri Teg Ram** : Will the Chief Minister be pleased to state the progress, if any, made in the separation of the Executive from the Judiciary in the State ?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary) : The Executive and Judiciary have been separated by executive orders issued on the 8th December, 1954, in the Gurgaon Ambala, Simla, Jullundur and Hoshiarpur Districts. In these districts the officers previously doing both judicial and executive work are now divided into two categories, namely, those who do judicial work only and work under the District and Sessions Judge, and those who work under the Deputy Commissioner in the executive and non-judicial field and also do criminal judicial work, except security cases and kindred proceedings. All the officers doing judicial work in these districts are now under the direct control of the A D M., who also does not do any executive work. The personal files of the A. D. M. and also the judicial Magistrates are to be written by the District and Sessions Judge and not by the District Magistrate. The Judicial Magistrates are transferable only in the five districts mentioned above, and for purposes of leave etc. they are under the District and Sessions Judge and the Additional District Magistrate.

श्री राम किशन : क्या चीफ पार्लियामैंट्री सैक्रेट्री बतायेंगे कि जो Judicial Magistrates मुकर्रर किये गये हैं उन की transfers, promotions और confirmation कौन करते हैं ?

Chief Parliamentary Secretary : Before the separation of Judiciary from the Executive, the report of these Magistrates were signed by the District Magistrates. Thus the Magistrates were directly under the control of District Magistrates. Now their reports are being signed by the Sessions Judges and they are directly under their control.

श्री राम किशन : चीफ पार्लियामैंट्री सैक्रेट्री ने reports का ज़िक्र किया है । मैं दरियाफ्त करना चाहता हूँ कि उन की transfers, promotions और confirmations कौन करता है ?

चीफ पार्लियामैंट्री सैक्रेटरी : तमाम transfers, promotions और confirmations की ज़िम्मेदारी गवर्नमेंट पर होती है; किसी local officer पर नहीं होती ।

श्री राम किशन : Judiciary और Executive की separation के बाद मैजिस्ट्रेटों का Sessions Judges या हाई कोर्ट से क्या ताल्लुक रह जायेगा ?

चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी : मैजिस्ट्रेटों को District Magistrates की executive interference से आज़ाद कर दिया गया है और उन के काम के बारे में रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट नहीं बल्कि Sessions Judge लिखा करेगा । District and Sessions Judges के control के अन्दर वह अपना काम आज़ादाना तौर पर सर अंजाम दे सकेंगे ।

पण्डित श्री राम शर्मा : पंजाब गवर्नमेंट अब Judiciary को Executive से अलहदा कर रही है । मैं यह दरयाफ्त करना चाहता हूं कि क्या Judiciary को Executive से अलहदा करने का मतलब यह है कि कुछ मैजिस्ट्रेटों के मुकद्दमों का काम किसी executive को दिया जाए या गवर्नमेंट के control से हटा कर High Court के मातहत कर दिया जाए ।

अध्यक्ष महोदय : आप इस के scope के बारे में पूछ रहे हैं ? (Do you want to know about its scope ?)

चीफ पार्लियामैंट्री सैक्रेटरी : जिस मामले की तरफ पंडित जी ने तवज्जुह दिलाई है, उस की तरफ गवर्नमेंट का यह पहला कदम है । Judiciary को Executive से अलहदा करने की मांग की वजह यह थी कि Judicial Magistrates District Magistrate के अंगूठे के नीचे होते थे और Executive वाले उन से मन मानी करवा लिया करते थे । यह पहला कदम है, ऐसी achievement नहीं कि जिस से Judiciary का Executive से बिल्कुल कोई ताल्लुक न रहे but this is definitely a step forward.

पंडित श्री राम शर्मा : क्या Magistrates District Magistrates की बजाए A. D. Ms. के मातहत हो जाने से ज़्यादा independent feel करेंगे ?

Minister for Irrigation : Yes, because they will be under the Sessions Judges.

पंडित श्री राम शर्मा : क्या Judicial Magistrates हर respect में और बिल्कुल उसी तरह Sessions judges के under होंगे जैसे Executive Magistrates Government के under हैं ?

Mr. Speaker. He has already answered it.

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : High court ਦੇ ਇਕ ਜੱਜ ਨੇ Judiciary ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲੀਸੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਆਇਆ ਹੈ ?

Mr. Speaker : Is that statement before the House at the present moment ?

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : ਪ੍ਰੈਸ ਵਿਚ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ।

Mr. Speaker : The House can't take notice of it. There is no official statement before the House.

श्री राम किशन : क्या चीफ़ पार्लियामैंट्री सैक्रेट्री बताएंगे कि क्या उन recommendations को अमली जामा पहनाया गया था जो Judiciary और Executive की separation के सम्बन्ध में उस अफ़सर ने की थीं जिसे सरकार ने इस मामले पर गौर करने के लिए लगाया था ?

चीफ पार्लियामैंट्री सैक्रेट्री : नोटिस दें तो बता दिया जाएगा।

Mr. Speaker : The question is very clear; you ought to have this information. You should be able to state the progress that has been made.

श्री राम किशन : क्या उन suggestions पर अमल किया गया है जो High Court Bar Association ने की थीं ?

ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ : ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ, ਜ਼ਰਾ ਦੱਸ ਦਿਉ।

पंडित श्री राम शर्मा : On a point of Order, Sir. क्या Ministers को भी मेम्बरों से सवाल पूछने का हक है ?

Mr. Speaker : क्यों नहीं ? अगर कोई बात उन्हें मालूम न हो, तो वे भी पूछ लेते हैं। (Why not ? They can also seek information which they are not in possession of.)

सिंचाई मन्त्री : Chief Minister साहिब इस सिलसिले में सरकार की policy को वाज़ह तौर पर in all respects explain कर चुके हैं।

ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 'ਅਸੀਂ separation ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ'।

Minister for Irrigation : Then accept whatever he has said.

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : ਚੀਫ਼ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਪਿੱਛੋਂ policy ਵਿਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਆਇਆ ਹੈ ?

Mr. Speaker : Please give notice of a separate question to get this information.

पंडित श्री राम शर्मा : क्या Chief Parliamentary Secretary ज़रा तफसील के साथ बता सकते हैं कि Judicial Magistrate पर A. D. M. की क्या authority होगी और Sessions Judge की क्या ?

Mr. Speaker : He has already explained it.

Chief Parliamentary Secretary : Formerly, all Magistrates used to be directly under the Deputy Commissioner, who wrote annual reports about their work on the basis of which they were promoted. अब वे A. D. M. के नीचे कर दिए गए हैं। उन की reports पर Sessions Judge sign किया करेगा और Deputy Commissioner नहीं।

पंडित श्री राम शर्मा : जो report A. D. M. लिखेगा, वह final होगी; क्या Sessions Judge उसे modify भी कर सकेगा ?

ਵਿਕਾਸ ਮੰਤ੍ਰੀ : A. D. M. ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਲਿਖੇਗਾ; ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਪੋਰਟ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਕੋਲ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਲਿਖੇਗਾ।

पंडित श्री राम शर्मा : वह मामला finally किस के पास जाएगा ? judicial Magistrate के बारे में Sessions Judge की जो report होगी, उस पर action लेने का हक Government (Executive) के पास है या High Court के पास है ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਤੋਂ ਹੋਕੇ report ਉਪਰ ਹੀ ਜਾਏਗੀ।

पंडित श्री राम शर्मा : Minister concerned के पास या High Court के पास ?

ਮੰਤਰੀ : **ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ** Rules **ਵਿਚ** provide **ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ;** off hand **ਨਹੀਂ ਦਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।**

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : **ਕੀ** Magistrates **ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ** recommendations **ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਵੀ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ?**

Minister : My hon. friend has not grasped the idea.

श्री दौलत राम शर्मा : मुख्य मन्त्री जी ने कहा था कि 6 ज़िलों में separation हुई है ; अब 5 बताए गए हैं ?

Chief Parliamentary Secretary: The reply supplied to me mentions only 5 districts.

श्री दौलत राम शर्मा : उनमें ज़िला कांगड़ा का नाम भी था ?

Chief Parliamentary Secretary : I shall let him know.

पंडित श्री राम शर्मा : आज तक तो Magistrate के काम के बारे में Police भी अपनी report देती रही है; क्या इस तरीका में कोई तब्दीली हुई है ?

Mr. Speaker : He has already said that the procedure laid down in the rules is being followed; rules are accessible to you.

पंडित श्री राम शर्मा : यह ठीक है कि अब उन की report Deputy Commissioner की बजाए Sessions Judge को जाएगी मगर जो पुरानी चीज़ चल रही है— पुलिस से पूछने का तरीका कि फलां Magistrate का काम कैसा है—क्या यह चीज़ चलती रहेगी ?

ਵਿਕਾਸ ਮੰਤ੍ਰੀ : Judiciary side ਵਾਲੇ Magistrates ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਥਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਲ ਪੁਛਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

TOURS BY MINISTERS OUTSIDE THE STATE.

*3755. **Maulvi Abdul Ghani Dar** : Will the Chief Minister be pleased to state the names of the Ministers who toured Pepsu during the last general elections in that State together with the total number of days for which each one of them stayed there ?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary) : A statement containing the requisite information is laid on the Table.

Names of Ministers who toured Pepsu during the last general elections there.	Total number of days for which each one of them stayed there.
1. Shri Bhim Sen Sachar,	3½ (approximately) (on private account)
2. Sardar Partap Singh Kairon.	11 (on private account)
3. Chaudhri Lahri Singh.	8 (on private account)
4. Shri Jagat Narain.	No record has been kept : the journeys were private.
5. Sardar Gurbachan Singh Bajwa.	4 (on private account)
6. Shri Sundar Singh.	5 (on private account)

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : जनाब आली, इस statement में यह बताया गया है कि पैप्सू के General Elections में सच्चर साहिब 3½ दिन, सरदार प्रताप सिंह कैरों 11 दिन, चौधरी लहरी सिंह 4 दिन, सरदार गुरबचन सिंह बाजवा 4 दिन और चौधरी सुन्दर सिंह 5 दिन वहां रहे लेकिन लाला जगत नारायण के आगे लिखा हुआ है कि वह प्राइवेट तौर पर गए थे इस लिए उनका कोई रिकार्ड नहीं रखा गया। क्या मैं पूछ सकता हूं कि जो मिनिस्टर साहिबान प्राइवेट तौर पर बाहर जाते हैं उनका रिकार्ड नहीं रखा जाता ?

चीफ पार्लियामैंटरी सैक्रेटरी : माननीय सदस्य ने रिपोर्ट पढ़ने की तकलीफ गवारा नहीं की है। सच्चर साहिब के नाम के आगे लिखा हुआ है कि वे approximately इतने दिन बाहर रहे और इसी तरह सरदार प्रताप सिंह और चौधरी साहिब के बारे में भी "approximately" का शब्द repeat कर दिया गया है।

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : बाकी मिनिस्टर साहिबान के नाम के आगे दिन दिए गए हैं!

लेकिन लाला जगत नारायण जी के नाम के आगे दिनों की तादाद नहीं दी गई ।

Mr. Speaker : The word "approximately" has been used before every body's name.

मौलवी अब्दुल गनी डार : जनाब मेरा सवाल मुख्तलिफ है । मैं पूछ रहा हूँ कि हर एक मिनिस्टर के नाम के आगे लिखा गया है कि approximately इतने दिन बाहर रहे । लेकिन लाला जगत नारायण के नाम के आगे यह नहीं लिखा कि एक दिन, दो दिन या तीन दिन बाहर रहे । इस में क्या खसूसियत है ?

चीफ पर्लियामैंट्री सैक्रेट्री : चूंकि पिछले साल चीफ मिनिस्टर साहिब ने यह assurance दी थी कि हर एक सवाल का जवाब देने की कोशिश कि जाएगी और यह नहीं कहा जाएगा कि "information is being collected" इस लिए उन के नाम के आगे यह लिख दिया गया है कि वे private तौर पर बाहर गए थे ।

मौलवी अब्दुल गनी डार : मेरी अर्ज़ तो यह है कि औरों के नाम के आगे तो दिनों की तादाद दी हुई है लेकिन लाला जगत नारायण के नाम के आगे क्यों नहीं दी हुई ?

Minister for Development : Sir, the information is being collected in this respect and will be supplied to the hon. Member when ready.

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : ਕੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ?

Mr Speaker : The reply has already been given that the information is being collected.

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : ਕੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ travelling ਜਾਂ daily allowance ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ ?

Minister : Not a cent has been charged from the Government on this account.

TOURS BY MINISTERS.

*3756. **Maulvi Abdul Ghani Dar** : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the names of the Ministers, together with the names of the constituencies, toured by them in the State during bye-elections held in the years 1952-53, 1953-54 and 1954-55;

(b) the total number of days for which each one of them stayed in a particular constituency;

(c) the extent of the expenditure incurred by each one of them in connection with his tour ?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary): A statement is given below:

Part (a)		Part (b)	Part (c)
Names of the Ministers and the names of the constituencies toured by them in the State during by-elections held in the years 1952-53, 1953-54 and 1954-55.		Total number of days for which each one of them stayed in the constituency.	Extent of the expenditure incurred by each one of them in connection with his tour.
Minister	Contituency.		
Shri Bhim Sen Sachar, Chief Minister.	Nakodar ...	1	The journey was performed on private account and no T.A. or Daily Allowance was charged therefor.
	Hari pur ...	$2\frac{1}{2}$	
	Dabwali	$1\frac{1}{2}$	
	Khuian Sarwar ...	1	
	Palwal ...	$1\frac{1}{2}$	
	Moga-Dharamkot (Double Member) ...	$\frac{1}{2}$	
	Rupar (Double Member) ...	$1\frac{1}{2}$	
	Fatehabad (Do) ...	2	
	Amritsar City (North) ...	1	
	Mehna	3	
	Fazilka-Sirsa (of the House of People)...	5	
	Anandpur ...	2	
Sardar Partap Singh Kairon, Development Minister.	The journeys were private and no record has been kept in respect of them. No T. A. or Daily Allowance was charged therefor.		
Chaudhri Lahri Singh, Irrigation and Power Minister.	—do—	—do—	—do—
Sardar Ujjal Singh, Finance Minister.	Moga-Dharamkot	Less than a day.	The journeys were performed on private account and no T.A. or Daily Allowance was charged therefor.
	Khuian Sarwar	—do—	
	Fatehabad.	1	
	Fazilka-Sirsa (of the House of People).		
Shri Jagat Narain, Education Minister.	The journeys were private and no record has been kept in respect of them. No. T.A. or Daily Allowance was charged therefor.		
Sardar Gurbachan Singh Bajwa, Public Works Minister.	—do—	—do—	—do—
Shri Sundar Singh Labour Minister.	—do—	—do—	—do—

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : जनाब इस सवाल के जवाब में बताया गया है कि Bye-elections के दिनों में फलां फलां वज़ीर साहिब दौरे पर रहे। लेकिन यह भी लिखा हुआ है कि इस सिलसिला में कोई खर्चा नहीं हुआ। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि सरकारी कार, सरकारी ड्राइवर, गनमैन और चपड़ासी जो उन के साथ थे वे भी दौरा पर गए कि नहीं ? अगर गए तो उन्हों ने T. A. और Daily Allowance वग़ैरा लिया कि नहीं ?

ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ : ਜੋ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ Ministers ਦਾ ਤੱਅਲੁਕ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ cent ਵੀ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।

श्री श्री चन्द : क्या यह सच है कि उन्हों ने सरकारी मोटरें इस्तेमाल कीं और जो petrol खर्च हुआ वह भी सरकारी था ?

ਮੰਤਰੀ : ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਹਾਇਤ ਗ਼ਲਤ ਅਤੇ ਲਗ਼ਵ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ।

श्री श्री चन्द : जनाब मैंने तो पूछा है कि आया यह बात ठीक है तो उन्हों ने कहा है कि मैं निहायत गलत और लगव समझता हूं।

Mr. Speaker : In place of asking a question the hon. Member himself is giving the information.

ਮੰਤਰੀ : ਜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇਗੇ।

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : जनाब मेरा सवाल साफ़ है। मैं ने पूछा है कि उन के साथ ड्राईवर, गनमैन और चपड़ासी गए थे या नहीं गए थे ?

Mr. Speaker : The hon. Member is asking the supplementaries without having carefully read the question.

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : जनाब सवाल का हिस्सा (c) पढ़िये। उस में पूछा गया है कि खर्चा क्या था ?

Mr. Speaker : It is written there that journeys were performed on private account and no T. A. or D. A. was charged therefor.

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : जनाब आली वज़ीर साहिबान के साथ स्टाफ भी होता है।

Mr. Speaker : The reply has already been given that none of the Ministers charged any T. A. or D. A. for the days they remaind on tour during these days. But the staff was allowed T. A. and D. A. according to rules.

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : जनाब मेरा सवाल बिल्कुल सीधा सा है कि क्या उस की वजह से पंजाब के खज़ाना पर कुछ बोझ पड़ा ?

Mr. Speaker : They admit it.

पण्डित श्री राम शर्मा : क्या मैं दरियाफत कर सकता हूँ कि Bye-Election में जो वज़ीर साहिबान गए उन के जाने के ताल्लुक में पंजाब के खज़ाना पर कोई बोझ पड़ा ?

ਮੰਤਰੀ : ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਸਟਾਫ ਦੇ ਸੰਬਧ ਵਿਚ ਕੁਝ ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ।

पण्डित श्री राम शर्मा : क्या मैं पूछ सकता हूँ कि जितने दिन वे By-election के सम्बन्ध में बाहर रहे उन्हों ने 15 रुपए रोज़ के हिसाब से daily allowance लिया कि नहीं ?

ਮੰਤਰੀ : ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ । ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ?

ਸ੍ਰੀ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ : ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਐਨੇ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜਿਹੇ ਸੱਜਣ ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

पण्डित श्री राम शर्मा : वज़ीर साहिब ने 15 रुपए daily allowance तो नहीं लिया । मैं पूछ सकता हूँ कि उन्हों ने उन दिनों के लिए Rules के मुताबिक तनखाह ली है कि नहीं ?

ਮੰਤਰੀ : ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਸਉ ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਉ । ਅਸਾਂ travelling ਜਾਂ daily allowance ਨਹੀਂ ਲਿਆ ।

पण्डित श्री राम शर्मा : उन्हों ने तनखाह तो ली और allowance नहीं लिया । मैं पूछता हूँ कि क्या इस से पंजाब के खज़ाना को कुछ ज़्यादा खर्च बरदाश्त करना पड़ा ?

Mr. Speaker : The hon. Member is repeating the same question again and again.

REORGANISATION OF PROSECUTING AGENCY.

*4441. **Shri Ram Kishan** : Will the Chief Minister be pleased to state whether the Government has prepared any plan for the reorganisation of its prosecuting agency ; if so, the details thereof together with the steps if any taken by the Government to implement the same?.

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary) : 1. Government have decided to replace the Public Prosecutors by a regular cadre of District Attorneys who will be whole-time Government servants, and will do the entire Civil and Criminal work in the Districts. The rules for the service are being drafted.

2. A proposal for replacing the part-time Assistant Advocates General in the High Court by whole-time Officers is also under consideration.

3. The executive control on the Police Prosecuting Agency vests in the District Superintendents of Police at present, but proposals regarding the improvement in their

status and prospects are under examination, though not yet finalised.

श्री राम किशन : कब तक रिपोर्ट तैयार हो जाएगी ?

Chief Parliamentary Secretary : The details are being worked out.

श्री राम किशन : यह काम इन के सुपुर्द कब किया गया था ?

चीफ पार्लियामैंट्री सैक्रेट्री : सवाल में यह बात नहीं पूछी गई । अगर आप इस का नोटिस देंगे तो जवाब दिया जा सकता है ।

LIBRARIES AND READING ROOMS IN THE STATE.

*4481. **Shri Rala Ram** : Will the Chief Minister be pleased to state the total amount spent by the Government on the establishment of Libraries and Reading rooms by the Public Relations Department in the State during the years 1953 and 1954 respectively ?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary) : The requisite information in respect of the calendar years 1953 and 1954 is not available. The total expenditure incurred on the establishment of libraries and reading rooms during the financial years 1952-53 and 1953-54, however, amounted to Rs. 24,672/ and Rs. 28,555/- respectively.

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : ਕੀ ਮੈਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ Libraries ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਖਬਾਰਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ?

Mr. Speaker : The question is about the amount spent by the Government on the establishment of the Libraries and not about the newspapers.

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : ਮੈਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਖ਼ਬਾਰ ਕਿਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ?

चीफ पार्लियामैंट्री सैक्रेट्री : जो अखबार गवर्नमेंट के approved होते हैं वही रखे जाते हैं ।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या चीफ पार्लिमैंट्री सैक्रेट्री बताएंगे कि libraries खोलने का जो काम है वह Public Relations Department के सुपुर्द है या Public Relations Department की co-operation के साथ किसी और अफसर के हाथ ?

चीफ पार्लियामैंट्री सैक्रेट्री : यह काम Public Relations Department की एक कमेटी का है जिस में Development Commissioner श्री रन्धावा भी शामिल हैं ।

पंडित श्री राम शर्मा : मैं यह पूछना चाहता हूं कि वह कमेटी Public Relations Department के under है या उसी के बराबर कोई अलहदा institution है ?

चीफ़ पार्लियामैंट्री सैक्रेट्री : आप तो इस कमेटी की formation के बारे में पूछने लग पड़े । इस के लिये अगर अलहदा सवाल करें तो बता सकता हूं ।

Mr. Speaker : यह एक अलहदा सवाल है । यह पैदा ही नहीं होता । (This is a separate question. It does not arise.)

पंडित श्री राम शर्मा : मैं यह मालूम करना चाहता हूँ कि जो सरकारी कमेटी लाइब्रेरियां खोलने का काम करती हैं उस की क्या organisation है ? इस के साथ Public Relations Department का क्या ताल्लुक है ? उन के जवाब से मालूम होता है कि Public Relations Department ही नहीं बल्कि एक कमेटी लाइब्रेरियों को organise करने का काम करती है जिस के चेयरमैन श्री रन्धावा हैं । इस लिए मैं यह पूछना चाहता हूँ ....

चीफ़ पार्लियामेंट्री सैक्रेट्री : अगर आप उस कमेटी की formation के बारे में सवाल करें तो जवाब दिया जा सकता है ।

पंडित श्री राम शर्मा : अगर चाहें तो अब भी जवाब दे सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे तो कोई एतराज़ नहीं ।

NOMINATION OF HARIJANS AS MEMBERS OF PANCHAYATS IN TEHSIL BHIWANI.

*4683. **Shri Mam Raj** : Will the Chief Minister be pleased to state whether any Harijan has been nominated as a member of any of the Gram Panchayats of Villages Lohani, Singhani, Deesar and Bamla, Tehsil Bhiwani, District Hissar; if not, the reasons therefor ?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary): The information is being collected and will be supplied to the member concerned when ready.

ABSORPTION OF STAFF OF CIVIL SUPPLIES DEPARTMENT.

*4443 **Shri Ram Kishan** : Will the Chief Minister be pleased to state :—

(a) whether any staff of the Civil Supplies Department has been absorbed in the various Departments of the Government after decontrol and de-rationing ; if so, the number of such staff absorbed in each Department together with the period of service at the credit of each such employee before absorption ;

(b) whether the Government has received any representation from employees referred to in part (a) above for the fixation of their seniority in the New Departments on the basis of their service in the Civil Supplies Department ; if so, the details thereof and the action taken or proposed to be taken by the Government in the matter ?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary):

(a) Yes. A statement containing the names of officials absorbed in other Departments with their length of service, where possible, along with the names of offices/Departments in which absorbed, is given below.

(b) Yes, a representation has been received from the ex-employees of the Civil Supplies Department, alleging that the benefit of their service, rendered in the Civil Supplies Department, is not being granted by their new Departments towards seniority. Government have considered the question of granting them seniority in their new Departments on the basis of service rendered in the Civil Supplies Department but have not been able to accept the position.

S. No.	Name and Designation of the Official/Officer in the Civil Supplies Department	The Department in which absorbed	Length of Service before absorption	Remarks
1	2	3	4	5
1	Shri R.N. Sharma Inspector	Ministry of Food Govt. of India	8.3.48 to 31.5.54	
2	Shri O.P. Bhasin do	P.W.D. Chandigarh	9.9.48. to 31.5.54	
3	,, V. P. Kaushal Sub-Inspector	D.I.G. Railway Police, Ambala Cantt.	7.6.47 to 31.5.54	
4	,, J.C. Trikha do	P.W.D. Dharamsala	1.9.47 to 31.5.54	
5	,, S.N. Malhotra do	do	31.8.48 to 31.1.54	
6	,, F.C. Batra do	Controller Printing & Stationery Chandigarh	1.9.48 to 31.5.54	
7	,, Haqiqat Rai do	Excise and Taxation Jullundur	1.9.48 to 31.10.53	
8	,, H.R. Joshi do	General Manager, Bhakhra Dam	16.12.48 to 31.10.53	
9	,, Kuldip Singh do	Deputy Commissioner, Ambala	11.12.48 to 31.10.53	
10	,, Dhan Raj Kaushik Sub-Inspector	Deputy Commissioner, Ambala	13.9.46 to 31.1.54	
11	,, Madho Ram Foodgrain Supervisor	Custodian Jullundur	13.9.46 to 31.1.54	
12	,, Benarsi Dass do	Superintending Engineer Electricity Chandigarh	17.12.48 to 31.5.54	
13	,, Siri Ram Mago do	XEN, Project, Ambala City	17.12.48 to 31.5.54	
14	,, Sardara Singh do	Deputy Commissioner, Ambala	15.12.48 to 31.5.54	
15	,, Ranjit Singh do	do	15.12.48 to 31.5.54	

[Chief Parliamentary Secretary]

1	2		3	4	5
16	Sh. Balwant Singh	Foodgrain Supervisor	Superintending Engineer Electricity Chandigarh	15.12.48 to 31.5.54	
17	,, Inder Datt	do	Superintending Engineer, Canals, Ludhiana	19.8.48 to 31.5.54	
18	,, Ajit Singh	do	Superintending Engineer Electricity Chandigarh	29.12.48 to 31 5.54.	
19	,, Mansukh Lal	do	Assistant Director Animal Husbandry, Ambala City	20.6 50 to 17.8.53	
20	,, Romesh Chand	do	do	14 11.51 to 17.8.53	
21	,, Gurdev Singh	do	General Manager, Bhakhra Dam	1 9 48 to 31.10 53	
22	,, Shiv Kumar	Senior Clerk	Electricity Div. P.W.D., Chandigarh	31.8.48 to 31.5.54	
23	,, Mela Singh	do	Director Home Defence Jullundur	20.9.48 to 31.1.54	
24	,. Inderjit	Junior Clerk	P.W.D. Chandigarh	1.10.46 to 31.1.54	
25	,, Pritam Singh	do	T.B. Sanitorium Tanda	3.10.48 to 31.1.54	
26	,, K.L. Malik	do	S.E. Projects Simla	27.12.48 to 31.1.54	
27	,, Ram Asra	do	Director of Public Instructions	4.12.48 to 31.1.54	
28	,, Darshan Singh	do	P.W.D. B&R, Chandigarh	25.12.48 to 31.1.54	
29	,, O.P. Verma	do	Labour Commissioner, Ambala	4.3.49 to 31.1.54	
30	,, S.P. Bali	do	Director of Public Instructions	21.1.49 to 31.1.54	
31	,, Mohan Singh	do	XEN., Electricity Nangal	20.6.51 to 31.1.54	
32	,, Prem Chand Goel	do	P.W.D. B&R, Ambala	26.8.46 to 31 1.54	
33	Mrs. Smitra Sasson	do	Women Welfare Khanna	19 5.48 to 31.5.54	
34	Sh. Saran Singh	do	P.W.D. Chandigarh	20.9.48 to 17.8.53	
35	,, Girdhari Lal	do	P.W.D. Electricity Karnal	12.11.48 to 17.8.53	
36	,, Iqbal Singh	do	do	10 5.49 to 31.1.54	
37	,, Raghbir Singh	do	Post and Telegraph, Ambala	20.7.49 to 17.8.53	
38	,, Nem Dass	do	District Rent Office, Ambala	17.6.49 to 17.8.53	
39	,, S.K. Swami	do	Punjab Legislative Council Chandigarh	9.12.50 to 17.8.53	
40	,, Warayam Singh	Peon	Settlement Officer, Ambala	10.10.48 to 31.1.54	
41	,, Ram Pershad	do	do	10.9.48 to 31.10.53	
42	,, Des Raj	do	do	10.9.49 to 31.1.54	
43	,, Kapoor Chand	do	Chief Engineer, P.W.D. Chandigarh	26.9.46 to 31.5.54	
44	,, Lal Singh	do	do	3.11.48 to 17.8.53	

1	2	3	4	5
45	Sh. Raghu Nandan Peon	Deputy Commissioner's Office, Ambala	24.4.50 to 17.8.53	
46	,, Brij Mohan do	Excise and Taxation Commissioner, Jullundur	28.3.51 to 17.8.53	
47	,, Ram Lal do	Superintending Engineer, Project, Simla	28.3.51 to 17.8.53	
48	,, Dhani Ram do	Deputy Commissioner, Ambala	28.6.50 to 17.8.53	
49	,, Gian Chand do	do	4.12.48 to 17.8.53	
50	,, Sohan Lal do	Principal Government Engineering College, Chandigarh	17.9.48 to 31.10.53	
51	,, Rajinder Singh Foodgrains Supervisor	Accountant General, Punjab	4—2—14	
52	,, Hans Raj Sood Foodgrains Supervisor	Punjab Irrigation Secretariat	4—11—27	
53	Shri D.D. Vohra, Assistant Senior Auditor	Construction and Plant Design, Nangal.	6-9-52 to 17-8-53	
54	Shri Jagat Singh, Foodgrains Supervisor	Extension Training Scheme, Batala.	14.8.50 to 17.8.53	
55	Shri Devi Dayal Foodgrains Supervisor	S.D.O. Electricity Ferozepore.	11.12.50 to 17.8.53	
56	Sh. Harbhajan Singh, Foodgrains Supervisor	S. D. O. Electricity Chandigarh	March, 1949 to 17.8.53	
57	Sh. P. N. Joshi Junior Clerk	Regional Settlement Commissioner	5.11.51 to 17.8.53	
58	Sh. Narinder Nath Junior Clerk	Competent Officer Jullundur	19.8.50 to 17.8.53	
59	Sh. Kharaiti Lal ,,	Irrigation Deptt.	10.11.52 to 28.2.53 & 31.3.53 to 17.8.53	
60	Sh. Sudershan Lal ,,	Regional Settlement Commissioner	30.12.48 to 18.10.49 26.4.50 to 8.7.50 & 10.9.50 to 17.8.53	
61	Sh. Iqbal Singh ,,	S. S. S. Board Simla	13.2.51 to 11.4.54	
62	Sh. Partap Rai ,,	Director of Land Records	11.9.50 to 17.8.53	
63	Sh. Sawaran Singh, Senior Clerk	Govt Workshop, Amritsar	23.12.48 to 26.1.55	
64	Sh. J. M. Suri, Inspector	X. E.N. Electricity Jullundur	17.12.48 to 31.1.54	
65	Sh. Nathu Ram Senior Clerk	S. S. S.Board, Simla	April, 1949 to 31.1.54	
66	Sh. Amritsaria Mal, Junior Clerk	E. & T. Commissioner Jullundur	27.7.49 to 31.1.54	
67	Shri Om Parkash Inspector	—do—	6.1.53 to 31.1.54	
68	Sh. P. L. Dhir ,,	Headmistress Govt. Industrial School, Jullundur	20.5.48 to 31.5.54	
69	Sh. B. S. Pathak ,,	Dental Hospital, Amritsar	1.9.48 to 31.5.54	

[Cnief Parliamentary Secretary]

1	2	3	4	5
70	Sh. Dattar Singh ,,	D. P. I. Simla	Not available	
71	,, Inder Singh .,	R. S. Commissioner	28.8.48 to 31.5.54	
72	,, Nath Ram Junior Clerk	Excise and Taxation Commissioner, Jullundur	16.9.46 to 10.5.54	
73	,, Madan Lal ,,	S. D. O. Electricity Muktsar	14.1.49 to 31.5.54	
74	,, P.R. Modhar ,,	E. & T. Commissioner Jullundur	June 52 to 31.1.54	
75	,, B. K. Chopra, Inspector	XEN Electricity Ludhiana	17.12.48 to 4.3.54	
76	,, Monhar Lal Sub-Inspector	Accountant General's Office, Simla	not available.	
77	,, Om Parkash Junior Clerk	XEN Electricity Ludhiana	20.5.49 to 17.8.53	
78	,. Ram Dass Senior Clerk	Construction and Plant Design Nangal	4.9.46 to 30.6.48 & 23.8.48 to 25.7.53	
79	,, Dharam Pal Kalia Senior Clerk	—do—	11.11.48 to 25.7.53	
80	,, Amar Nath Junior Clerk	Extension Training Scheme, Batala	9.9.48 to 31.5.54	
81	,, Kewal Krishan, Junior Clerk	Northern Railway	9.9.46 to 15.6.48 & 13.8.48 to Nov., 53	
82	,, Jai Kishan, Sub-Inspector	D. C. Office, Dharamsala	Not available.	
83	,, Siri Ram Sharda Foodgrains Supervisor	S.D.O. Electricity Kotla Divn.	22.6.45 to 15.6.48 & 14.12.48 to 31.1.54	
84	,, Bias Dev Foodgrains Supervisor	S. E. Irrigation Rupar	5.2.49 ta 31.1.54	
85	,, Mohinder Kumar, Junior Clerk	Construction and Plant Design, Nangal	17.3.47 to 30.4.48 & 28.8.48 to n. a.	
86	,, Man Singh, Enforcement Inspector	Military	21.12.48 to 31.10.53	
87	,, Kuldip Singh Enforcement Inspector	Community Project	15.1.46 to 17.8.53	
88	,, Harbans Lal, Sub-Inspector	Pepsu Police	9.12.48 to 17.10.49 & 12.11.49 to 31.10.53	
89	,, Chander Sharma Sub-Inspector	D. C's. Office Karnal	20.7.46 to 8.3.48 & 31.1.54	
90	,, Om Parkash Sub-Inspector	Railway Deptt.	23.10.50 to 31.10.53	
91	,, Kahan Singh, Food grains Supervisor	P.W.D. E. B.	16.5.51 to 31.10.53	
92	,. Des Raj Foodgrains Supervisor	Military	6.5.52 to 17.8.53	
93	,, Sat Parkash Foodgrains Supervisor		27.5.52 to 17.8.53	
94	,, Kul Bhushan Kumar F. G. S.	P.W.D. E.B	19.12.52 to 17.8.53	

1	2	3	4	5
95	Shri H.K. Diwan, Foodgrains Supervisor	P.W.D. E.B.	26.2.51 to 17.8.53	
96	,, Moni Ram ,,	Not Known	4.4.51 to 17.8.53	
97	,, Parmatama Sarup ,,	Pb. P.W.D. E/B	19.9.47 to 31.1.54	
98	,, Hans Raj Soni ,,	Civil Secretariat	11.2.49 to 31.1.54	
99	,, Sadhu Singh Peon		1.1.52 to 17.8.53	
100	,, Sewa Ram ,,	Community Project	6.2.52 to 17.8.53	
101	,, Piara Singh ,,	—do—	17.1.53 to 17.8.53	
102	,, Tulsi Ram ,,	Pb. P.W.D. E.B	6.11.50 to 31.1.54	
103	,, Jagan Nath ,,	Not known	27.10.48 to 31.1.54	
104	,, Gur Dial ,,	—do—	3.5.50 to 31.10.53	
105	,, Ram Kishan Peon	Not known	1.6.50 to 17.8.53	
106	,, Pritam Singh, Junior Clerk	Air Force	12.6.50 to 17.8.53	
107	,, Ram Parkash ,,	Not known	4.12.50 to 17.8.53	
108	,, Sundar Singh ,,	Medical Store Deptt.	10.12.48 to 31.10.53	
109	,, Mool Chand ,,	Not known	10.3.50 to 17.8.53	
110	,, Krishan Lal ,,	Engineering College, Nilokheri	10.12.48 to 31.10.53	
111	,, Harbans Singh, Enforcement Inspector.	D.C's office Amritsar.	28.8.48 to 31,5,54	
112	,, Madan Gopal, Foodgrains Supervisor.	Agriculture (Food) India	25.4.49 to 31.5.54	
113	,, Inderbir Singh ,,	Audit Deptt. Pb, Govt.	4.12.48 to 17.10.49 & 16.12.49 to 31.1.54	
114	,, Sher Singh, Junior Clerk	P.W.D E.B.	4.2.48 to 31.5.48 & 7.12.48 to 31.5.54.	
115	,, Lachhmi Narain ,,	-do-	2.8.46 to 31.5.54	
116	,, Surinder Nath ,,	-do-	15.5.47 to 31.5. 54	
117	,, Lajpat Rai ,,	Ministry of Food (I)	29.12.47 to 31.5.54	
118	,, Bida Ram Peon	Pb. PWD E/B	5.8.24 to 31.5.54	
119	,, Jaswant Singh ,,	Not known	5.8.25 to 31.5.54	
120	,, Jagat Ram, Junior Analyst	Ministry of Food (I)	5.3.43 to 30.9.54	
121	,, D. N. Mahajan ,,	,,	27.11.48 to 31.5.54	
122	,, Inderdev Chopra, Accountant	PWD Nangal.	14.10.46 to 17.8.53	
123	,, Suraj Parkash, Senior Clerk	Railway Deptt.	28.6.51 to 27.2.53	
124	,, Kewal Krishan, Junior Clerk	Ministry of Food (I)	22.8.46 to 30.4.48 & 30.8.48 to June, 54	
125	,, Gobind Ram, Acctt. cum Hd. Clerk	Railway Deptt.	8.1.49 to 20.4.53.	
126	,, Om Parkash, Junior Clerk	Pb. Health Deptt.	20.11.46 to 31.10. 53	
127	,, Madan Mohan ,,	Railway Deptt.	4.10.48 to November, 53	
128	,, Raj Kumar, Foodgrains Supervisor	-do-	9.12.48 to 2.2.53	
129	,, Hans Raj, Peon	Excise Deptt.	23.9.48 to October, 53	
130	,, Khan Chand ,,	D. C's office	1.9.48 to 18.11.53	
131	,, Jiwan Dass ,,	D. C's office	16.10.48 to 18.11.53	

[Chief Parliamentary Secretary]

1	2	3	4	5
132	Shri Mathra Dass Clerk	Ministry of Food (I)	27.8.46 to 30.4.48 & 1.5.48 to June, 54.	
133	„ Nand Lal, Foodgrains Supervisor	Pb. PWD E/B	9.12.48 to December, 53	
134	„ H. L. Malik, Junior Clerk	-do-	4.12.48 to 3.2.49 & 1.4.49 to December, 53.	
135	„ Kartar Singh, Senior-Clerk	-do-	20.7.46 to 30.4.48 & 4.12.48 to December, 53.	
136	„ Sudarshan Lal „	-do-	19.10.48 to December 53.	
137	„ Om Parkash, Junior-Clerk	Pb. P. W. D. Branch Electy.	9.1.50 to November, 53	
138	„ Ram Parkash, Senior-Clerk	-do-	25.10.48 to November, 53	
139	„ Radha Kishan, Junior-Clerk	Tube well Deptt.	21.12.46 to 7.4.48 & 24 12.48 to 27.7.54	
140	„ K. L. Sardana, Junior-Clerk	P.W.D., E/B. Delhi	16.9.48 to 31.1.54	
141	„ Dawarka Nath „	„ B. & R.	28.9.48 to 27.11.48 & 4.12.48 to 31.5.54.	
142	„ Partap Singh, Head-Clerk	Community Project.	5.9.46 to October, 53.	
143	„ Amar Singh, Junior-Clerk	P.W.D.Irrigation Br.	1.10.48 to November, 53.	
144	„ Khazan Singh, Junior-Clerk	-do-	17.9.46 to 31.5.48 & 31.8.48 to 31.1.54	
145	„ Sohan Lal, Steno	Not known	1.3.49 to 27.12.51	
146	„ Kapuri Lal, Clerk	Pb. Excise.	4.10.48 to October, 53.	
147	„ Prem Nath, Junior-Clerk	D.C's Office, Ambala.	28.10.47 to October, 53.	
148	„ Nand Gopal, Head-Clerk	P.W.D. Nangal.	7.5.46 to 17.8.53.	
149	„ Lachhmi Narain, Senior Clerk	Railway Deptt.	2.8.46 to 20.4.48 & 28.8.48 to 31.1.54.	
150	„ Shiv Lal Kalra, Enforcement Sub-Inspector.	Railway Deptt.	26.8.48 to 31.10.53.	
151	„ Rajinder Singh,- Civil Supplies Sub-Inspector.	Secretariat.	1.9.48. to October, 53.	

			Y	M	D
152.	Shri Surjit Singh Foodgrains Supervisor	Civil Secretariat Chandigarh	2	2	25
153.	Shri Surinder Parkash Foodgrains Supervisor	P.W.D. Electricity Gurdaspur	2	1	7
154.	Shri Piara Singh Foodgrains Supervisor	do	1	2	28
155.	Shri Harbans Singh Foodgrains Supervisor	Irrigation Department	1	2	16

1	2	3	4			5
			Y	M	D	
156.	Shri Darshan Chand Junior Clerk	Railway Department	2	3	15	
157.	Shri Raj Pal Junior Clerk	do	2	3	7	
158.	Shri Vas Dev Junior Clerk	Competent Office, Gurdaspur	1	10	29	
159.	Shri K. S. Ratra Junior Clerk	Irrigation Department	1	6	12	
160.	Shri Puran Chand Junior Clerk	Railway Department	1	0	0	
161.	Shri Ram Saran Dass Junior Clerk	do	0	11	13	
162.	Shri Prem Nath Junior Clerk	do	0	5	8	
163.	Shri Om Parkash Sharma Senior Clerk	P.W.D. Electricity	4	10	17	
164.	Shri Bachan Singh Foodgrains Supervisor	District Rent Office Gurdaspur	2	10	19	
165.	Shri Gurdarshan Singh Foodgrains Supervisor	Central P.W.D., J & K	2	8	10	
166.	Shri Om Parkash Malik Sub-Inspector	Bhakra Nangal	4	10	14	
167.	Shri Partap Singh Junior Clerk	Veterinary Hospital Gurdaspur	2	4	17	
168.	Shri Raghbir Singh Foodgrains Supervisor	District Board Gurdaspur	1	10	10	
169.	Shri Kabal Singh Sub-Inspector	Irrigation Department Madhopur	4	0	0	
170.	Shri Hans Raj Sharma Foodgrains Supervisor	Irrigation Deptt. Rupar	4	8	8	
171.	Shri Daya Ram Sharma Foodgrains Supervisor	Railway Department Saharanpur	4	6	8	
172.	Shri M. L. Sharma Foodgrains Supervisor	Central Food Ministry	4	8	7	
173.	Shri Hans Raj Sharma Junior Clerk	Irrigation Department	4	7	6	
174.	Shri Banarsi Lal Junior Clerk	P.W.D. (B&R) Ambala	4	8	7	
175.	Shri Darshan Singh Junior Clerk	District Board, Gurdaspur	4	10	24	
176.	Shri Kanshi Ram Junior Analyst	Central Food Ministry	Not known			
177.	Shri Des Raj II Peon	Competent Office Gurdaspur	4	10	0	
178.	Shri Banta Singh Peon	Deputy Commissioner Gurdaspur	4	4	24	
179.	Shri Milkhi Ram Peon	Malaria Office Gurdaspur	4	4	17	
180.	Shri Guru Das Peon	Tehsildar Office Gurdaspur	3	8	12	

[Chief Parliamentary Secretary]

1	2	3	4			5
			Y	M	D	
181.	Shri Thakar Singh Peon	Health Office Gurdaspur	3	0	0	
182.	Shri Lakshmi Chand Peon	Government College Gurdaspur	4	11	12	
183.	Shri Diwan Chand Junior Clerk	Railway Department	More than 4 years			
184.	Shri Narinder Dev Food-grains Supervisor	P. W. D. (Electricity	Not known			
185.	Shri Inder Bhan Junior Clerk	Canal Department	More than 4 years			
186.	Shri Santosh Kumar Junior Clerk	Transport Department	Not known			
187.	Shri Faqir Chand Peon	Development Department	do			
188.	Shri Harnarain Sub-Inspector	Excise & Taxation Department	do			
189.	Shri Vidya Sagar, Sub-Inspector	Railway Department	do			
190.	Shri Ishwar Datt Food-grains Supervisor	Canal Department	More than 4 years			
191.	Shri Ram Chand Peon	Consolidation Department	do			
192.	Shri Hara Singh Peon	Sessions Court Hissar	do			
193.	Shri K. L. Bagai Sub-Inspector	Excise & Taxation Department	Not known			
194.	Shri Dev Raj Gaur Food-grains Supervisor	Inspector Local Bodies Ambala	More than 4 years			
195.	Shri Om Parkash Batra Foodgrains Supervisor	Railway Department	do			
196.	Shri Behari Lal Junior Clerk	Canal Department	do			
197	Shri Durga Parshad Junior Clerk	Director Land Records Jullundur	More than 4 years			
198	Shri Ram Parkash Magon Sub-Inspector	Development Department	do			
199	Shri Lashkri Ram, Foodgrains Supervisor	Railway Department	do			
200	Shri Ranjit Singh Jain Foodgrains Supervisor	Canal Department	do			
201	Shri Harbhagwan Das Foodgrains Supervisor	Govt. Central Workshop Amritsar	do			
202	Shri Partap Singh, Foodgrains Supervisor	P.W.D. (Electricity)	do			
203	Shri Chuhar Singh Junior Clerk	Canal Department	do			
204	Shri Hari Kishan Udasi Junior Clerk	Deputy Commissioner's Office, Jullundur	do			
205	Shri Abnash Chander Junior Clerk	P.W.D. Department	Not known			

1	2	3	4	5
206	Shri Amar Nath Sharma Junior Clerk	P.W.D. (Electricity)	More than 4 years	
207	Shri Jinda Ram Junior Clerk	Canal Department	do	
208	Shri Bajrang Lal Senior Clerk	P.W.D. (Electricity)	do	
209	Shri Narain Dass Junior Clerk	Development Department	do	
210	Shri Ram Parkash Junior Clerk	Excise & Taxation Department	do	
211	Shri J. D. Kathuria Foodgrains Supervisor	U. P. Government	do	
212	Shri Ram Chand Junior Clerk	Competent Office Gurgaon	Not known	
213	Shri Shanti Lal Junior Clerk	Railway Department	do	
214	Shri Mohinderbahadur Singh, Sub-Inspector	Military Department	do	
215	Shri Kishan Chand Peon	Development-Department	More than 4 years.	
216	Shri Jodha Ram Peon	-do-	do	
217	Shri Hoshiar Singh Sub-Inspector	Military Department	Not known	
218	Shri Kaplesh Krishan Sub-Inspector	Govt. of India Food Department	do	
219	Shri Kishor Chand Senior Clerk	Financial Commissioner's Office	do	
220	Shri Hazur Singh Junior Clerk	Public Health Deptt.	Not known	
221	Shri P.C. Jain Junior Clerk	Excise & Taxation-Deptt.	do	
222	Shri Tirath Singh Inspector	Govt. Hospital Tanda	More than 4 years	
223	Shri Jagdish Chander Sharma, Inspector	Accountant General's Office, Simla.	do	
224	Shri Chuni Lal, Foodgrains Supervisor	Deputy Commissioner's Office, Jullundur	Not known	
225	Shri Amir Chand Junior Clerk	P.W.D.(Electricity)	More than 4 years	
226	Shri Brahm Dutt Junior Clerk	Civil Supplies Deptt.(re-appointed)	do	
227	Shri R.R. Bakhshi, Inspector	Development Deptt.	do	
228	Shri Dashrath Lal Junior Clerk	Govt.of India,Delhi	do	
229	Shri Dev Raj, Foodgrains Supervisor	Civil Home Defence	do	
230	Shri Swarn Singh Junior Clerk	Development Deptt.	do	
231	Shri Ude Singh Junior Clerk	Public Health Department	do	

[Chief Parliamentary Secretary]

1	2	3	4			5
			Y	M	D	
232	Shri Jaibir Singh Inspector	Irrigation Deptt.	6	5	19	
233	Shri Lal Chand Sharma Sub-Inspector	P. W. D. Punjab	3	11	3	
234	Shri Tirath Singh Senior Clerk	Agriculture Deptt.	4	10	27	
235	Shri Som Nath Chanana Foodgrains Supervisor	do	4	1	2	
236	Shri R. C. Banta Junior Clerk	do	4	8	26	
237	Shri Chet Singh Senior Clerk.	Local Bodies	4	0	13	
238	Shri Puran Singh Junior Clerk.	Excise & Taxation Office Ferozepore.	4	8	13	
239	Shri Om Dutt Sharma Junior Clerk.	Central Govt. Workshop Amritsar.	4	6	19	
240	Shri Bhagat Ram Sharma Junior Clerk.	do	3	9	0	
241	Shri Harbans Lal Malhotra Inspector	Accountant General, Punjab.	5	2	29	
242	Shri Chander Bhan, Junior Clerk.	Deputy Commissioner's Office, Rohtak.	9.11.44 to 24.1.45 & 5.2.46 to 7.8.47. & 1.10.47 to 2.7.48 & 8.4.49 to 31.5. 54.			
243	Shri Dharam Inder, Junior Clerk.	Govt. Girls School, Siri Har Gobind Pur	2.9.46 to 31.10.53.			
244	Shri Bakhatu Ram, peon.	D.C's. Office, Rohtak.	23.8.50 to 17.8.53.			
245	Shri Ram Chand, peon.	do	20.5.49 to 14 10.49 & 10.8.50 to 17.8.53.			
246	Shri Shiva Ram, peon.	Govt. College, Rohtak.	13.5.50 to 28.3.51 & 4.7.51 to 17.8.53.			
247	Shri Kanshi Ram, peon.	Railway Department.	16.11.49 to 23.9.53.			
248	Shri Girdhari Lal, peon.	Govt. College, Hissar.	26.11.49 to 23.9.53.			
249	Shri Mangha Ram, peon.	D.C.'s Office, Rohtak.	6.1.49 to 31.10.53.			
250	Shri Ram Parkash, peon.	Settlement Officer, C/H. Rohtak.	20.1.49 to 31.10.53.			
251	Shri Dhalu Ram, peon.	D.C's. Office, Rohtak.	22.9.48 to 30.11.48 & 15.12.48 to 31.10.53.			
252	Shri Dharam Singh, peon.	do	27.9.47 to 31.5.48 & 4.9.48 to 31.5.54.			
253	Shri Kishori Lal, peon.	Executive Engineer Fatehbad Division, Hissar.	7.9.48 to 31.5.54.			

1	2	3	4	5
254	Shri Sube Singh, peon.	D. C's Office, Rohtak.	18.12.48 to 31.5.54.	
255	Shri Ram Chander, peon.	do	22.1.49 to 11.11.49 & 25.1.50 to 17.3.50 & 20.3.52 to 31.5.54.	
256	Shri Ram Singh, peon.	Irrigation Deptt.	15.12.51 to 31.3.54.	
257	Shri Kewal Ram, peon.	do	17.2.47 to 30.4.48 & 4.9.48 to 9.8.50 & 23.8.51 to 31.5.54.	
258	Shri Suraj Bhan, peon.	do	31.5.52 to 31.5.54.	
259	Shri K. K. Saigal, Inspector.	Financial Commissioner's Office, Pb. Simla	20.9.48 to 18.11.53.	
260	Shri Dewan Chand, Inspector.	D. G. of Food, Ministry of Food & Agriculture Govt. of India, New Delhi.	28.8.48 to 31.5.54.	
261	Shri Jagdish Raj Sub-Inspector.	Govt. Cotton Spinning and weaving Centre, Sham Chaurasi, (District Hoshiarpur)	16.6.52 to 17.8.53.	
262	Shri Bahadur Singh, Sub-Inspector.	District Inspector of Schools, Gurdaspur.	15.12.48 to 31.10.53.	
263	Shri Parduman Singh, Sub-Inspector.	Assistant Secretary to Govt. Punjab.	11.12.48 to 17.8.53.	
264	Shri Jai Kishan, Sub-Inspector.	Settlement Officer, C/H. Rohtak.	28.4.49 to 18.11.53.	
265	Shri Jagbir Singh, Sub-Inspector.	Deputy Commissioner's office, Gurdaspur.	25.2.52 to 16.8.53.	
266	Shri Roshan Lal Sethi, Sub-Inspector.	Irrigation Department.	13.9.48 to 31.1.54.	
267	Shri Ramji Dass Sub-Inspector.	Deputy Commissioner's Office, Rohtak.	20.12.48 to 31.8.51.	
268	Shri Bishambar Nath, Sub-Inspector.	Block Development Officer, Gubla (Distt. Karnal).	29.7.46 to 31.5.48 & 1.1.49 to 31.5.54.	
269	Shri Harbans Lal Dua, Supervisor.	Director of Health Services Punjab.	20.4.51 to 17.8.53.	
270	Shri Sohan Lal, Supervisor.	Executive Engineer, Hissar.	21.2.49 to 31.1.54.	
271	Shri Bhagwan Dass, Junior Clerk.	Railway Department.	30.6.50 to 17.8.53.	
272	Shri Tilak Raj, Junior Clerk.	Competent Officer, Rohtak.	17.6.52 to 16.8.52 & 8.10.52 to 17.8.52.	
273	Shri Ved Bharat, Junior Clerk.	Competent Officer, Rohtak.	26.5.52 to 17.8.53.	
274	Shri Hoshiar Singh, Junior Clerk.	Executive Engineer, W.J.C. Hissar.	27.12.51 to 26.5.52 & 7.11.52 to 17.8.53	

[Chief Parliamentary Secretary]

1	2	3	4	5
275	Shri Ram Nath, Junior Clerk.	Estate Officer. Chandigarh.	17.1.49 to 16.5.49 & 17.5.49 to 11.6.49 & 13.6.49 to 18.6.49.& 1.7.49 to 31.10.51.	
276	Shri P. C. Kapoor, Junior Clerk.	Executive Engineer, Rupar.	15.9.48 to 31.1.54	
277	Shri Gurcharan Singh, Junior Clerk.	Central Employment Co-ordinate, New Delhi.	21.5.48 to 31.5.54.	
278	Shri Gurbachan Singh, District Food Controller,	Community project	10 9 27	
279	Shri I. D. Vij, Assistant Food Controller.	Rehabilitation Deptt.	5 4 25	
280	Shri Tarlok Singh, Sub-Inspector	Irrigation Deptt.	6 1 7	
281	Shri Shamsher Singh, Sub-Inspector	do	10 5 18	
282	Shri Chaman Lal, Food grains Supervisor.	Electricity Department	5 7 0	
283	Shri Ganpat Ram, Junior Clerk	Irrigation Deptt.	5 3 9	
284	Shri Madan Lal, Food grains Supervisor.	Police Deptt.	5 0 29	
285	Shri Banwari Lal, Junior Clerk	Civil Secretariat	5 1 12	
286	Shri Santosh Kumar, Junior Clerk.	Electricity Deptt.	4 8 6	
287	Shri Ram Lall Uppal, Foodgrains Supervisor	Education Deptt.	4 3 24	
288	Shri Om Parkash Sud Sub Inspector	Govt. workshop Amritsar	4 9 7	
289	Shri Om Parkash Sharma Foodgrains Supervisor	Police Department	4 11 17	
290	Shri Satya Pal Phoogal Sub-Inspector	Electricity Branch	5 11 2	
291	Shri Kasturi Lal Foodgrains Supervisor	Health Department	4 2 26	
292	Shri Joginder Singh Suri Sub-Inspector	Civil Secretariat	7 0 6	
293	Shri Kartar Singh Randhawa, Junior Clerk	Police Department	6 0 24	
294	Shri Banwari Lal, Junior Clerk	Deputy Commissioner's office, Dharmsala.	5 9 8	
295	Shri Bool Chand, Junior Clerk	Electricity Branch	5 6 11	
296	Shri Amarjit Singh, Food grains Supervisor	D.C's. Office	5 2 23	
297	Shri Shiv Nath, Junior Clerk	Red Cross	5 7 15	
298	Shri Jai Ram Vaid, Junior Clerk.	Red Cross	4 1 0	

1	2	3	4 Y. M. D.	5
299	Shri Lekh Ram peon	D. C's office	6 0 17	
300	Sari Asa Ram, peon	do	3 6 0	
301	Shri Mohan Lal	Rehabilitation	4 10 24	
302	Shri Sampat Ram, peon	do	4 8 2	
303	Shri Raj Kumar, peon	Consolidation Deptt.	3 6 0	
304	Shri Bogha Ram, peon	Excise & Taxation Deptt.	5 3 9	
305	Shri Som Nath, peon	Railway Deptt.	5 3 10	
306	Shri Ujjagar Singh Enquiry Officer	Govt. College, Dharamsala	7 6 0	
307	Shri Rattan Singh Rai, Foodgrains Supervisor	Civil Secretariat	7 0 0	
308	Shri Gurbhagat Singh, Foodgrains Supervisor	do	2 6 0	
309	Shri Ram Bheja, Junior Clerk	Labour Commissioner	6 0 0	
310	Shri Ranjit Singh, Junior Clerk	Irrigation Deptt.	4 0 0	
311	Shri Joginder Paul, Junior Clerk	do	6 6 0	
312	Shri Madan Mohan Lal, Junior Clerk	do	4 6 0	
313	Prem Kanwal Sahni, Junior Clerk	do	4 0 0	
314	Shri Harbhajan Lal, Junior Clerk	Canal Office, Ludhiana	4 6 0	
315	Shri Mastan Singh, Junior Clerk	Consolidation Deptt.	6 0 0	
316	Shri Mohan Lal, Junior Clerk	Electricity Deptt.	6 0 0	
317	Shri Khushi Ram, Senior Clerk	do	9 6 0	
318	Shri Vishwa Mitter, Junior Clerk	do	5 0 0	
319	Shri Inder Singh, Foodgrains Supervisor	do	2 0 0	
320	Shri Des Raj Junior Clerk	Canal Office	6 6 0	
321	Shri Bachan Singh Junior Clerk	Excise and Taxation	6 0 0	
322	Shri Krishan Chander Junior Clerk	Electricity Deptt.	6 6 0	
323	Shri Sewa Singh Junior Clerk	Industries Deptt.	7 6 0	
324	Shri Jagdish Singh, Junior Clerk	Electricity Deptt.	5 6 0	
325	Shri Saranjit Singh Asstt. Enquiry Officer	do	6 0 0	
326	Shri J. N. Jaggi, Foodgrains Supervisor	P. W. D. (B&R)	4 6 0	

[Chief Parliamentary Secretary]

1	2	3	4			5
			Y	M	D	
327	Shri Puran Singh peon	Settlement Office	5	6	0	
328	Shri Durdit Singh peon	do	5	0	0	
329	Shri Ram Bali, peon	do	6	6	0	
330	Shri Devi Parkash, peon	Excise & Taxation	5	6	0	
331	Shri Rattan Singh, peon	do	6	0	0	
332	Shri Prabh Dyal, peon	Development Deptt.	3	6	0	
333	Shri Salag Ram peon	Excise & Taxation	5	0	0	
334	Shri Ram Labhaya, peon	Electricity Deptt.	4	0	0	
335	Shri Ranjit Singh, peon	do	3	6	0	
336	Shri Piara Lal, peon	D.C's Office	4	6	0	
337	Shri Latooria Ram, peon	D.C's Office	4	0	0	
338	Shri Govind Chand, Junior Clerk	do	1	11	17	
339	Ravindar Watts Junior Clerk	District Board	1	9	30	
340	Shri Sarup Singh Food-grains Supervisor	Supreme Court	4	8	9	
341	Shri Kali Dass, peon	Community project	3	8	7	
342	Shri Bhagwan Singh, Junior Clerk	81 Brigade Yol	3	9	0	
343	Shri Milap Chand, Junior Clerk	District Board	2	9	25	
344	Shri Surindar Nanda, Junior Clerk	Military, Palampur	1	8	6	
345	Shri Roshan Lal, Junior Clerk	Development Deptt.	1	5	17	
346	Shri Swarn Singh, Sub-Inspector	Controller of Printing, Punjab	5	5	0	
347	Shri Jagdhir Singh, Sub-Inspector	District Board	5	5	21	
348	Shri Chaman Lal Gupta, Sub-Inspector	Electricity Deptt.	5	5	0	
349	Shri Sant Kumar, Food-grains Supervisor	Excise Commissioner	4	5	14	
350	Shri Khem Chand, Junior Clerk	Govt. College, Muktsar	2	11	24	
351	Shri Jagdish Parshad, Foodgrains Supervisor	Govt. Central Workshop, Amritsar	3	9	17	
352	Shri Lachhman Dass, peon	Development Deptt.	5	6	13	
353	Shri Pirae Lal, peon	Tanda Sanitorium	5	8	0	
354	Shri Baldev Singh, Food-grains Supervisor.	District Board	2	9	25	
355	Shri Behari Lal, Junior Clerk	D. C's office	5	5	22	
356	Shri Thakur Sahai, Senior Clerk	Electricity Deptt.	7	7	26	
357	Shri Bir Lal, Senior Clerk	Controller of Printing, Punjab	4	7	16	

1	2	3	4			5
			Y	M	D	
358	Shri Brij Mohan, Sub-Inspector.	Electricity Deptt.	4	11	10	
359	Shri Bhopinder Singh, Senior Clerk.	do	4	11	17	
360	Shri Sant Singh, Clerk.	Distt. & Sessions Judge Office, Ludhiana	4	1	27	
361	Shri Om Parkash Sondhi, Junior Clerk.	Electricity Deptt.	2	5	21	
362	Shri Pritam Lal, Food & C. S. Sub-Inspector.	Central Food Ministry	5	1	4	
363	Shri Om Parkash Malhotra Assistant Enquiry Officer.	Electricity Branch.	Information not included as Service Books have already been sent to the Departments concerned.			
364	Shri Mohinder Kumar, Sub-Inspector.	Irrigation Deptt.				
365	Shri Shiv Chander, Assistant Enquiry Officer.	Central Workshops Amritsar.				
366	Shri Kasturi Lal.	Electricity Deptt.				
367	Shri Bhagat Singh, Foodgrains Supervisor.	do				
368	Shri Gurbant Singh. Foodgrains Supervisor.	Police Deptt.				
369	Shri Arjan Singh. Foodgrains Supervisor.	Central Workshops, Amritsar.				
370	Shri Chaman Lal Bhandari. S/c.	Marketing Office.				
371	Shri Sita Ram. ,,	Competent Office, Amritsar.				
372	Shri Veer Singh. ,,	Central Workshops, Amritsar.				
373	Shri Om Parkash Gupta. ,,	do				
374	Shri Dalip Singh. ,,	Electricity Deptt.				
375	Shri Kidar Nath Sehgal. ,,	Irrigation Deptt.				
376	Shri Gurdial Singh ,,	Central Workshops, Amritsar.				
377	Shri Vasheshar Nath ,,	Electricity Deptt.				
378	Shri Manohar Singh ,,	Accountant General's Office.				
379	Shri Harbans Singh Kwatra, ,,	Distt. Rent Office, Amritsar.				
380	Shri Avtar Singh. ,,	Weight and Measure Inspector.				
381	Shri Kirpal Singh Junior Clerk.	Financial Commissioner's Office, Amritsar.				
382	Shri Om Parkash Brahmi. ,,	Central Workshops, Amritsar.				

[Chief Parliamentary Secretary]

1	2	3	4	5
383	Shri Om Parkash Jain. Junior Clerk	Electricity Deptt.	Information not included as Service Books have already been sent to the Departments concerned.	
384	Shri Banarsi Dass. ,,	Central Workshops, Amritsar.		
385	Shri Sham Sunder. ,,	Irrigation Deptt.		
386	Shri Surinder Nath. ,,	do		
387	Shri Mangat Ram. ,,	do		
388	Shri Mohinder Singh. ,,	Distt. Rent Office, Amritsar.		
389	Shri Brijinder Mohan, ,,	Electricity Deptt.		
390	Shri Tirath Singh. ,,	do		
391	Shri Payara Lal. ,,	Central Workshops, Amritsar.		
392	Shri Beli Ram. ,,	Irrigation Department.		
393	Shri Santokh Singh. ,,	District Rent Office, Amritsar.		
394	Shri Gopal Kishan Vaid. ,,	Electricity Department.		
395	Shri Raj Kishen Sharma ,,	do		
396	Shri Brahm Swarup. ,,	do		
397	Shri Sohan Lal Sharma ,,	do		
398	Shri Ram Sarup Singh. ,,	Punjab Mental Hospital, Amritsar.		
499	Shri Banarsi Dass. Bhatia. ,,	Post Office.		
400	Shri Mool Raj. ,,	Clerk in Punjab High Court.		
401	Shri Arjan Singh. Peon.	Punjab Mental Hospital, Amritsar.		
402	Shri Babu Lal. ,,	Settlement Office.		
403	Shri Kanta Parashan. ,,	Punjab Mental Hospital, Amritsar.		
404	Shri Jagir Singh. ,,	do		
405	Shri Sajjan Singh. ,,	do		
406	Shri Fauja Singh. ,,	Settlement Office.		
407	Shri Gulzari Lal. ,,	Election Office.		
408	Shri Harbhajan Singh. ,,	Punjab Mental Hospital, Amritsar.		
409	Shri Ram Rakha. ,,	Excise and Taxation Office, Amritsar.		
410	Shri Bachan Singh. ,,	Employment Exchange, Amritsar.		
411	Shri Lachhman Singh. Driver.	Omni Bus Service, Amritsar.		
412	Shri Raghbir Singh. Junior Clerk.	Excise and Taxation Deptt.		
413	Shri Jaswant Singh, Bhatia. ,,	Office of the Director Land Records, Punjab.		

1	2	3	4	5
414	Shri Gurnam Singh. Junior Clerk	Irrigation Department.	Information not included as Service Books have already been sent to the Departments concerned.	
415	Shri Faqir Chand Peon.	Distt. Rent Office.		
416	Shri Ved Mitter Bhargowa, Inspector.	Civil Secretariat Punjab.		
417	Shri Inder Singh, Foodgrains Supervisor.	Distt. Rent Office.		
418	Shri Peyara Singh Virdi Foodgrains Supervisor	Irrigation Deptt.		
419	Shri Jagdev Singh Foodgrains Supervisor	Excise and Taxation Office.		
420	Shri Surinder Bahadur Singh, Foodgrains Supervisor	Irrigation Department.		
421	Shri Bakhshish Singh, Senior Clerk.	Electricity Department.		
422	Shri Mohinder Singh Junior Clerk.	Central Workshops, Amritsar.		
423	Shri P.C. Bhandari, ,,	Irrigation Department.		
424	Shri Raghbir Chand. ,,	Electricity Department.		
425	Miss Lakhbir Dhillon ,,	District Board, Amritsar.		
426	Shri Bhagwati Ram, Peon.	Punjab Mental Hospital.		
427	Shri Harbans Singh, Assistant Food Controller.	Central Govt. Office.		
428	Shri Bulaqi Ram, Sub-Inspector.	Electricity Department.		
429	Shri Gian Chand, Senior Clerk.	do		
430	Shri Man Singh, Peon.	do		
431	Shri Kidar Nath Chhiber, Junior Clerk.	Excise and Taxation Deptt.		
432	Shri P. N. Bhan, Asstt. Enquiry Officer.	Central Workshops, Amritsar.		
433	Shri P. N. Sapru, Junior Clerk.	do		
434	Shri Gurbakhsh Singh, Senior Clerk.	Irrigation Deptt.		
435	Hari Singh, ,,	Director Health Services Punjab.		
436	Shri Surjit Singh, ,,	Electricity Deptt.		
437	Shri Dev Dutt, ,,	do		
438	Shri Manmohan Nath, Junior Clerk.	do		
439	Shri Karam Singh, Senior Clerk.	do		
440	Shri Bishen Singh Gopal, Foodgrains Supervisor.	Rehabilitation Deptt.		
441	Shri Abhey Kumar, Foodgrains Supervisor.	Imperial Bank.		

[Chief Parliamentary Secretary]

1	2	3	4	5
442	Shri Harnam Dass, Sub-Inspector.	Central workshops, Amritsar.	Information not included as Service Books have already been sent to the Departments corcerned.	
443	Shri Chaman Lal, Foodgrains Supervisor.	Accountant General's office.		
444	Shri Nand Lal, Foodgrains Supervisor	Secretary, Panchayat.		
445	Shri Gurdas Ram, Senior Clerk.	Excise & Taxation Office.		
446	Shri Hari Om Soni ,,	Clerk in Dry Fruit Association.		
447	Shri Om Parkash Arora, Senior Clerk.	Railways.		
448	Shri C. L. Dogra, ,,	do		
449	,, Gurbachan Singh, Junior Clerk.	Railways		
450	,, Swaran Singh, Gill, do	Excise & Taxation Office.		
451	,, Tirloki Nath, do	Punjab Civil Sectt.		
452	,, Man Singh. do	Teacher, District Board.		
453	,, Raj Pal Bhatia, Sub-Inspector.	Central Workshops, Amritsar.		
454	,, Ajudhia Parshad, Junior Clerk.	Post Office.		
455	,, Sucha Singh, Sub-Inspector.	Irrigation Deptt.		
456	,, Uttam Singh, Foodgrains Supervisor.	Absorbed. Name of Deptt. not known.		
457	,, Karam Chand. Asstt.	Pb. C. Sectt.		
458	,, Ram Parkash.	do		
459	,, Raj Pal Handa.	Directorate of		
460	,, Jagat Singh,	Construction &		
461	,, Balbir Singh.	Plant Design/		
462	,, Atam Parkash Banati.	C. A. O. Nangal		
463	,, Wisakha Singh.	do		
464	,, Narinder Singh.	do		
465	,, Balraj Chadda.	do		
466	,, Jogindar Nath Behl.	do		
467	,, V. P. Sharma.	do		
468	,, Bhiwani Parshad.	do		
469	,, Ram Dass Khurana.	do		
470	,, Ghanaya Singh.	dd		
471	,, Amrinder Singh.	do		
472	,, Ram Asra	do		
473	,, Sham Pal Sharma.	do		
474	,, Prag Raj.	do		
475	,, Chuni Lal.	do		
476	,, Ranbir Singh.	do		
477	,, Vishwa Mittar Kohli.	de		
478	,, Bhagwant Singh.	do		

1	2	3	4	5
479	Shri Des Singh Cheema.	Directorate of Construction & Plant Design/ C.A.O. Nangal	Information not included as Service Books have already been sent to the Departments corcerned.	
480	,, Bachan Singh Bal.			
481	,, Madan Mohan Lal Mehta.			
482	,, Ved Pal Handa.	do		
483	,, Rattan Lal Mittal.	do		
484	,, Sohan Lal Bhatia.	do		
485	,, Madan Mohan Grover.	do		
486	,, Brij Mohan Kapoor.	do		
487	,, Teja Singh.	do		
488	,, V. M. Malhotra.	do		
489	,, Rishi Ram Khera.	do		
490	,, Amrit Lal.	do		
491	,, Dharam Pal.	do		
492	,, Bhiwani Dass.	do		
493	,, Balkishan.	do		
494	,, Amar Chand.	High Court		
495	,, Prem Chand Bajaj.	do		
496	,, Ravi Nandan Sharma.	do		
497	,, Jai Singh Patial.	do		
498	,, Pancham Chand.	D. C. Kangra		
499	,, Sat Pal.	Excise & Taxation		
500	,, Gian Chand.	do		
501	,, S. M. Pagani.	do		
502	,, Ram Kishan Vaish.	do		
503	,, Sat Pal.	do		
504	,, Sudarshan Kumar Gaur:	do		
505	,, Kapal Dev.	do		
506	,, Balwant Singh Chohan.	do		
507	,, Hari Kishan Chadda.	do		
508	,, Dev Kumar.	do		
509	,, Rishan Lal Duggal.	do		
510	,, Bhag Singh.	do		
511	,, Sat Pal Kohli.	do		
512	,, Ram Sarup:	do		
513	,, Kartar Singh.	do		
514	,, Gurcharan Singh.	do		
515	,, O. P. Kohli.	do		
516	,, Mast Ram.	do		
517	,, Shakti Chand.	(P. W.D. Electricity)		
518	,, Harlal Singh.	do		
519	,, Hardial Singh.	do		
520	,, Bishan Singh.	P.W.D. (Public Health)		
521	,, Harish Chander.	P.W.D. (B & R)		
522	,, Bahadur Chand.	do		
523	,, Jetha Singh.	do		
524	,, Rabinder Kumar Handa.	do		
525	,, Harbhajan Singh Jaswal.	do		
526	,, Jagat Pal Soni.	do		
527	,, Sohan Lal Soni.	do		
528	,, Krishan Lal Bhatia.	do		

1	2	3	4	5
529	Shri Sukhbir Singh.	A. G. Punjab Office		
530	,, P. N. Bhagai.	do		
531	,, Harbhajan Singh.	do		
532	,, Puran Singh.	do		
533	,, R. C. Mehta.	do		
534	,, Ram Labhaya.	do		
535	,, A. S. Uppal.	do		
536	,, Gurbajan Singh Sodi.	do (P & T)		
537	,, Dev Raj Gujral.	Irrigation		
538	,, N. D. Vij.	do		
539	,, Jai Lal Kuthia.	do		
540	,, Hauja Singh.	do		
541	,, O. P. Mittal.	do		
542	,, Harish Chand.	do		
543	,, Sukhdev Singh.	do		
544	,, Kishori Lal Narula.	F. C. Office		
545	,, Shiv Kumar Prashar.	do		
546	,, Tej Krishan	do		
547	,, Joginder Pal.	do		
548	,, Gulshan Rai Khanna.	Election Commissioner's Office		
549	,, Sant Ram.	Advocate General		
550	,, Tilak Raj.	Labour Commissioner's Office		
551	,, Pritam Singh.	Punjab Engineering College.		
552	,, Manmohan Kumar Midda.	do		
553	,, Trida Ram.	do		
554	,, Rattan Dass.	do		
555	,, Shankroo Ram.	do		
556	,, Hari Har Singh.	do		
557	,, Mulkh Raj Dhingra.	Nangal Project.		

श्री राम किशन : क्या चीफ पार्लियामैण्टरी सैक्रेटरी साहिब बताएंगे कि क्या वजह है कि उन की senioirity को consider नहीं किया गया ?

चीफ पार्लियामैंट्री सैक्रेटरी : जो किसी दूसरे महकमे से गए हों और अपने parent office में confirmed हों, वापसी पर उनकी seniority तो वहां consider की जाती है लेकिन जो temporary तौर पर काम करते हों उन की seniority का सवाल कैसे पैदा होता है ?

श्री राम किशन : क्या चीफ पार्लियामैण्ट्री सैक्रेटरी साहिब यह फरमाएंगे कि आया यह अमर वाकया नहीं है कि 30 जून 1953 को Civil Supplies डीपार्टमैण्ट का जो staff Irrigation और Electricity वगैरा departments में भेजा गया था उस के मुतअल्लिक यह instructions जारी नहीं की थी कि उन को transfer basis पर लिया जाए। उसके बाद यह फैसला क्या बदल दिया गया ?

चीफ पार्लियामैंटरी सैक्रेटरी : इस के बारे में तो मुझे इत्तलाह नहीं। अगर आप अलहदा सवाल करें तो बता दिया जा सकता है।

श्री राम किशन : क्या चीफ पार्लियामैण्टरी सैक्रेटरी साहिब फरमाएंगे कि जिस वक्त यह

Civil Supplies Department का स्टाफ़ retrench किया गया था उस वक्त क्या यह एलान नहीं किया गया था कि जिन की चार साल से ज़्यादा service है उन्हें पक्का कर दिया जाएगा ? उसके बाद इस पालिसी को ध्यान में क्यों नहीं रखा गया ?

चीफ पार्लियामैंट्री सैक्रेटरी : आप नोटिस दें तो बता सकता हूँ ।

श्री राम किशन : क्या चीफ पार्लियामैंटरी सैक्रेटरी साहिब फ़रमाएंगे कि यह जो 562 को provide किया गया; क्या यह रियायतें इन्हीं के लिए थीं ?

चीफ पार्लियामैंटरी सैक्रेटरी : Government की policy uniform होती है । सभी काम एक policy के मुताबिक होते हैं जो तय हो चुकी होती है ।

श्री राम किशन : क्या चीफ पार्लियामैंटरी सैक्रेटरी साहिब बताएंगे कि इस सम्बन्ध में पार्लियामैंट के 26 मैम्बरों की तरफ से उन्हें कोई memorandum मौसूल हुआ है।

Mr. Speaker : This question is not relevant

श्री देव राज सेठी : इन की seniority को नज़र अंदाज़ किए जाने की क्या वजह है ?

पण्डित श्री राम शर्मा : पालिसी ।

Mr. Speaker : This has already been replied to.

श्री देव राज सेठी : हमारी पालिसी का वह कौन सा असूल है जिस के मुताबिक इन की seniority को नज़र अन्दाज़ किया गया है ? मेरा मतलब यह है कि उन को दूसरे महकमों में absorb करते वक्त उन की seniority को क्यों नज़र अन्दाज़ किया जा रहा है ?

मुख्य मन्त्री : मेरे फाज़ल दोस्त को इल्म होना चाहिये कि Civil Supplies Department में जो आदमी काम करते रहे हैं वे temporary थे और temporary होने की वजह से और किसी महकमा में lien नहीं था जहां पर कि वे लोग condition of service के मुताबिक seniority claim कर सकते । मुझे ज़बानी तो सब कुछ याद नहीं जब उन को किसी दूसरे department में absorb किया जाता है तो जो rules lay down किये गए हैं उन के मुताबिक seniority दी जाती है । Length of service का भी ख्याल रखा जाता है । और जो factors हैं उन्हें भी consider किया जाता है ।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या चीफ मिनिस्टर साहिब को पता है कि इन cases में seniority का कोई credit नहीं दिया गया ? अगर ठीक है तो क्या वजह है।

मुख्य मन्त्री : Seniority वगैरा का सवाल नहीं है । जैसा कि मैं ने पहले अर्ज़ किया है, उन लोगों की service purely temporary थी और उन को absorb करते वक्त जो rules enforce हैं उन्हीं के मुताबिक काम किया जाता है । जब retrench वगैरा किए उस वक्त हम ने यह देखा कि उस आदमी का रिकार्ड कैसा है, reputation कैसी है वह इस काबिल है कि उस के case को consider किया जाए या नहीं । बाकी जहां तक seniority का सवाल है, मेरे फाज़ल दोस्त जानते ही हैं कि जो कहीं permanent हो या lien करता, हो वहीं पैदा होता है । बाकी अगर वाज़य तौर पर information चाहते हैं तो नोटिस दें । ज़बानी तो मुझे सब कुछ याद नहीं ।

श्री लाजपत राए : क्या temporary service में seniority का सवाल पैदा नहीं होता ?

Chief Minister : This does not arise.

पंडित श्री राम शर्मा : मैं जानना चाहता हूँ कि जो Civil Supplies Department के ऐसे employees हैं जिन्होंने चार साल से ज्यादा service की उन को जब किसी दूसरे department में absorb किया गया तो उन की seniority में और जो उसी तरह सीधे recruit हुए उन की seniority में कोई तमीज़ रखी गई या नहीं ?

Mr. Speaker : This is a hypothetical question.

पंडित श्री राम शर्मा : फिर मैं भी दरियाफ्त करना चाहता हूं कि दूसरे departments में जो Civil Supplies के आदमी लिए गए और जो direct recruit किए गए उन में कोई फर्क रखा गया ? क्या उन की previous service को इस recruitment के बाद ख्याल में रखा गया ?

मुख्य मन्त्री : इस वक्त मैं आप को ज़बानी अर्ज नहीं कर सकता । लेकिन बात यह है कि अगर एक आदमी को जो कि Civil Supplies Department से retrenched शुदा है किसी दूसरे department में recruit करने के लिए eligible समझा गया तो उसी तरह से ले लिया जाएगा । जैसा एक नए recruit को treat किया जाता है । जब retrench हो कर recruit होता है तो तमीज़ का सवाल पैदा नहीं होता । वैसे हमने यह रखा है उन के लिए post reserve कर रखी है ।

श्री राम किशन : क्या मुख्य मन्त्री जी बताएंगे कि सन 1953 में जब decontrol हुआ और Civil Supplies Department के employees को दूसरे Department में transfer किया गया तो क्या इस हालत में direct recruit समझे जाएंगे या on transfer ?

मुख्य मन्त्री : Position यह है कि हम ने यह फैसला किया है कि जो नई appointments हों उन में से एक खास percentage हम reserve करें उन लोगों के लिए जो Civil Supplies Department में काम कर रहे थे और जो लोग इस महकमे में आने से पहले किसी एक महकमे में काम कर रहे थे वे तो अपनी जगह पर चले जायें और जिन्होंने वहां absorb होना है उन को absorb करने के लिए कुछ posts reserve रखी गई हैं ।

श्री राम किशन : क्या चीफ मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि जिन posts के against उन्हें absorb किया गया है क्या उन को वहां पक्के तौर पर रखा जायेगा या उन्हें वहां से भी retrench कर दिया जाएगा ?

मुख्य मन्त्री : स्पीकर साहिब, क्योंकि यह मामला उलझा हुआ मालूम होता है इस लिए मैं इस को तफसील में बता देना चाहता हूँ । जो Civil Supplies Department के आदमी थे वे temporary employment में थे इस लिये उन का कोई हक नहीं था कि उन को permanent कर दिया जाए । लेकिन गवर्नमेंट ने फैसला यह किया था कि जो नई appointments हों उन में से 50 percent उन के लिए reserve रखी जाएं और साथ ही यह भी फैसला किया था कि Civil Supplies के उन आदमियों में से 10 percent को permanent तौर पर absorb कर लिया जाए । इस लिए नई appointment में से जो 50 percent reserve की गई है वह इसी सिलसिले में की गई है और उन में से 10 percent को permanent तौर पर absorb किया जा रहा है । इन सब चीज़ों को गवर्नमेंट की इस policy के मुताबिक देखा जाता है ।

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी साहिब ने इस सवाल के जवाब में कहा था कि Civil Supplies Department के लोगों ने जो seniority के बारे में गवर्नमेंट से request की थी Government ने उस request पर सोचा था और इस नतीजा पर पहुंची है कि उन की यह request ठीक है इस लिए ....

Chief Parliamentary Secretary : Sir, I did not say this. He is mis-stating the facts.

अध्यक्ष महोदय : उन्हों ने यह नहीं कहा था । यह आखरी हिस्सा मौलवी साहिब अपने पास से लगा रहे हैं । (He did not say so. The last portion has been added by Maulvi Sahib himself.)

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : यह नोट लेने वाले बता सकते हैं कि Chief Parliamentary Secretary ने जवाब में यह चीज़ बताई थी कि नहीं । आप उन से पूछ सकते हैं ।

पण्डित श्री राम शर्मा : क्या मैं चीफ मिनिस्टर साहिब से यह दरियाफ्त कर सकता हूँ कि इन 10 percent आदमियों के इलावा जो Civil Supplies के बाकी आदमी मुस्तकिल तौर पर लिए जाते हैं क्या उन के बारे में यह समझा जाएगा कि उन्हों ने शुरू से ही मुलाजमत की है ?

मुख्य मन्त्री : हां ।

PUNITIVE POLICE POST IN VILLAGE BHALLA, DISTRICT KARNAL.

*4104. **Sardar Harkishan Singh Surjit** : Will the Chief Minister be pleased to state :—

[Sardar Harkishan Singh Surjit]

(a) the strength of the Punitive Police posted in village Bhalla, Police Station Gharonda, District Karnal and the date of its posting ;

(b) the total amount levied as punitive fine on the residents of the said village and the amount realised so far ;

(c) the number of cases of murder, dacoity, theft, rioting or other criminal offences committed by the inhabitants of the village in one year prior to the posting of police therein, referred to in part (a) above along with the number of persons arrested and prosecuted in this connection ;

(d) the number of criminal offences referred to in part (c) above committed since the posting of the police ;

(e) whether the Government has received any representation from the residents of the village requesting for the removal of the said police post ; if so, the action if any taken or proposed to be taken thereon ?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary):

(a) No Punitive Police has been posted in village Bhalla. However, a police guard consisting of one A.S.I. and 8 F. Cs. was stationed there from the district police strength for the period from 16th July, 1954 to 13th September, 1954.

(b) Does not arise.

(c) A statement is given below.

(d) 6 (1 theft 1 burglary and 4 other criminal offences).

(e) Yes. As no Punitive police has been posted at this village and the guard stationed there from the district strength has already been withdrawn, the representation needs no action.

STATEMENT.

Offence committed.		No. of persons arrested and prosecuted.
Murder ...	Nil ...	Nil
Dacoity ...	Nil ...	Nil
Theft ...	4 ...	Arrested2; Suspected2.
Rioting ...	1 ...	7 arrested and prosecuted.
Burglary ...	2 ...	3 arrested and prosecuted.
Other criminal offences ...	2 ...	2 arrested and prosecuted.

RAID BY POLICE ON VILLAGE CANAPIND, DISTRICT JULLUNDUR.

*4105. **Sardar Harkishan Singh Surjit** : Will the Chief Minister be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that the police raided village Canapind, Tehsil Phillaur, District Jullundur, on 8th

June, 1954 ; if so, the purpose of the raid and the number of persons arrested ;

(b) whether any prosecutions were started against the persons arrested ; if so, the result of the prosecutions ?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary):

(a) During the investigation of two cases of theft and burglary of Ludhiana City (F. I. Rs. 137 dated 13th April, 1954 and No. 172 dated 3rd May, 1954, P. S. City Ludhiana), the police got information that Ujagar Singh, Manager, Chuni and Bhola, 4 Sansis of village Canapind were responsible for the offences. As a consequence a raid was carried out on the night between 8/9th June, 1954 and house searches were conducted but nothing incriminating was recovered and so no arrests were made.

(b) No.

POSTING OF PUNITIVE POLICE IN CERTAIN VILLAGES OF TEHSIL FAZILKA, DISTRICT FEROZEPORE.

*4088. **Shri Wadhawa Ram** : Will the Chief Minister be pleased to state :—

(a) whether Punitive Police has been posted in Villages Fatehpur, Munianwal, Devan Khera and Tappa Khera in Police Station Lambi, Tehsil Fazilka, District Ferozepore ; if so, the reasons therefor ;

(b) the number of criminal offences committed in the villages referred to in part (a) above 6 months prior to the posting of the Punitive Police alongwith the number of the prosecutions started and the number of cases which resulted in convictions ?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary):—

(a) Yes ; it was posted for the period from 15th December, 1953 to 14th December, 1954. The reasons for its posting were that the area comprising these villages was found to be in a disturbed state and the conduct of the inhabitants of this area demanded an increase in the number of police. Apart from general crime these villages were also addicted to canal cuts, a form of crime which Government viewed with particular severity. During the years 1951, 1952 and 1953, 2 murders 1 culpable homicide, 5 canal cut cases, 1 dacoity and 20 other criminal offences were committed in these villages.

(b) Three criminal offences were reported from these

[Chief Parliamentary Secretary]

villages during the 6 months prior to the posting of the Punitive Police. These included one burglary, and one theft, both of which remained untraced. The third case was that of an assult on a woman, which was challaned, but the accused was discharged by the Court.

POSTING OF PUNITIVE POLICE IN DISTRICT ROHTAK.

*4154. **Sardar Chanan Singh Dhut** : Will the Chief Minister be pleased to state:—

(a) the number of Punitive Police Posts in District Rohtak at present along with punitive fine imposed and collected so far;

(b) whether it is a fact that the posting of the said punitive police was further extended on April 22, 1954, if so the reason therefor ?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary) :

(a) There is only one Punitive Police Post in the Rohtak district at present. It has been located in 13 villages with headquarters at Bidhana with effect from 1st June, 1954 for a period of one year. A levy of Rs.44,530/- has been imposed on account of this Post, but nothing has been realized so far.

(b) No ; this Post was located with effect from 1st July, 1954 for a period of one year.

पंडित श्री राम शर्मा : इन बदले हुए हालात में जबकि हमारी गवर्नमेंट कहती है कि हमारे सूबा में law and order बिल्कुल ठीक हो गया है तो क्या मैं चीफ़ मिनिस्टर साहिब से दरियाफ्त कर सकता हूं कि रोहतक ज़िला में Punitive Police force तईनात करने की क्या ज़रूरत पड़ी है ?

मुख्य मन्त्री : मैं अपने फाज़ल दोस्त को बताता हूं कि जब हमें वहां पुलिस के रखने की ज़रूरत न होगी तो हम उसे वहां एक मिनट भी नहीं रखेंगे।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या चीफ़ मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि क्या रोहतक के अन्दर law and order अभी disturbed हालत में है ?

Mr Speaker : This does not arise. The hon Chief Minister may not reply to this question.

मुख्य मन्त्री : मैं अपने दोस्त को बताऊं कि मासिवाए कुछ ब्राह्मणों के जो law and order को ठीक नहीं रहने देते बाकी सब ठीक है।

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : On a point of Order, Sir. क्या यह जायज़ है जो चीफ़ मिनिस्टर साहिब ने सब ब्राह्मणों को बुरा कहा है ?

मुख्य मन्त्री : मैं ने कुछ ब्राह्मणों के बारे में कहा है और सब के बारे में नहीं कहा है।

मौलवी अब्दुल गनी डार : किसी caste पर attack करना हमारे Chief Minister Sahib की शान के शायां नहीं है ।

मुख्य मन्त्री : मेरे फाज़ल दोस्त न कहने की बातें खाहमखाह कह देते हैं । आप को यह पता है कि जो वहां डाकुओं का जो मशहूर gang था उस का नाम भी official तौर पर ब्राहमणों gang था ।

UNSTARRED QUESTIONS AND ANSWERS.

MUSLIM TAKIAS.

683. **Shri Mani Ram** : Will the Minister for Finance be pleased to state :—

(a) whether there are any Muslim Takias, including Takia Chuttan Shah bearing No. 464, Ward No. 9 in Town Patti, District Amritsar ; if so, their list ;

(b) whether the said Takias have been declared evacuee property, if so, since when ; and manner in which they are being utilized ;

(c) whether any of the said Takias is being used as a fodder stall ; if so, the list of such Takias and the names of the persons who are occupying them ;

(d) whether any rent has so far been charged from persons referred to in part (c) above ; if so, at what rate ; if not, the reasons therefor ;

(e) whether any steps have so far been taken by the Government to get the Takias referred to in part (c) vacated ; if so, with what results ; if not, the reasons therefor ;

(f) whether any representations were received by the D. R. O. Amritsar from Babu Salig Ram, Jaugwal and others of Patti on 22nd January, 1955 and 27th January, 1955 in connection with the possession of the Takias referred to in part (a) above ; if so, the action, Government has so far taken on these representations if not, the reasons therefor ?

Sardar Ujjal Singh :

(a) Yes. There are 19 Takias including Takia Chuttan Shah, bearing No. 464, Ward No. 9 in Town Patti, District Amritsar. List of Takias is enclosed.

(b) These Takias have not been declared as evacuee property. But the management of the Takias along with the properties attached thereto vests in the Custodian under Section 11 of the Administration of Evacuee Property Act, 1950.

(c) Yes. A part of the premises attached to the Takias shown against Serial Nos. 18 and 19 in the list are

[Minister for Finance]

occupied by Sarv-shri Giana Nand and Tara Chand respectively for running fodder stalls.

(d) No rent has so far been collected from Shri Giana Nand as it was only recently discovered that he has taken possession of the premises without sanction of the Department. Rent @ of Rs. 2/- P. M. is, however, being charged from Shri Tara Chand since April, 1950.

(e) Yes. The cases have been taken up for necessary action against the occupants of the premises concerned. Proceedings are still pending.

(f) Yes. These representations were made over to the Rent Collector concerned for enquiry and report. His report is still awaited. Necessary action will be taken on receipt of the same.

LIST OF TAKIAS IN TOWN PATTI, DISTRICT AMRITSAR

Sr. No.	No. of Takias.	Name of Locality and Takia.	How utilized.	Name of occupant.	Whether rent being charged or not.
1	670/1	Ward No. 1	Occupied by Satnam Sadhu	Satnam	No.
2	590-91	Illahi Islam Ward No. 2	1. M. C. Tonga stand and Khokhas	M. C. Patti	Rs. 40/- P. M. (Assessed)
			2. Nine shops	Lal Chand	Rs. 2/- P. M. (Assessed)
3	623	Ward No. 2	Residence	Saraj (Local)	No.
4	50	Illahi Islam Ward No. 3	Gurdawara	Mahant Gulshan Das etc.	No. ...
5	228	—do—	Vacant	...	
6	356	Memorial of Illahi Islam Ward 3	Dera	Harijan Sadhus	No. ...
7	461	—do—	Vacant	...	...
8	392	—do— Ward 4	Vacant	...	...
9	403-A	—do— Ward 4	—do—	...	...
10	595	—do— —do—	—do—	...	...
11	302	—do— Ward 5	—do—	...	...
12	327	—do— —do—	—do—	...	...
13	1	—do— Ward 7	—do—	...	...
14	164	—do— —do—	—do—	...	...
15	426	—do— Ward 8	—do—	..	...
16	432	—do— —do—	—do—	...	...
17	427	—do— —do—	—do—	...	...
18	500	—do— & Grave-yard Ward No. 2	Fodder & wood Stall	Giana Nand	No.
19	464	Chuttan Shah Ward No. 9	1/3 Fodder & Wood stall Rest vacant.	Tara Chand since April, 1950.	Yes. Rs. 2/-P. M.

ALLOTMENT OF HOUSES IN VILLAGE GHARYALA, DISTRICT AMRITSAR.

685. **Shri Mani Ram** : Will the Minister for Finance be pleased to state :—

(a) the date when the allotment of houses in village Gharyala, Tehsil Patti, district Amritsar was finalised ;

(b) whether there are any vacant sites within the village Abadi which have not been so far allotted ; if so, the number of such sites ; and the reasons for not alloting them so far ;

(c) whether any application has so far been received by the District or Tehsil Authorities for the allotments of the said vacant sites ; if so, their number ; and the steps taken or proposed to be taken for their allotment ?

Sardar Ujjal Singh :

(a) Fourth September, 1952.

(b) Yes. The number of such sites is 93. These sites were not allotted as there was then no demand for these sites.

(c) 152 applications against 93 vacant sites have been received now which are being examined by the Tehsildar concerned.

SHORT NOTICE QUESTION AND ANSWER.

3 P.M. ALLOTMENT OF ACCOMMODATION TO PRESS REPRESENTATIVES AT CHANDIGARH.

*4810. **Shri Ram Kishan** : Will the Minister for Public Works be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that representatives of various newspapers and news agencies were allotted accommodation at Chandigarh when the Government shifted its headquarters to Chandigarh in September, 1953, if so the details thereof, together with terms on which it was allotted ;

(b) whether any notices have been served on representatives referred in part (a) above for vacating the said accommodation; if so, the reasons therefor ?

Sardar Gurbachan Singh Bajwa :

(a) The representatives of the following newspapers and news agencies have been allotted residential accommodation in the Government built-up quarters, with effect from the dates noted against each.

[Minister for Public Works]

Name	Quarter No.	Sector No.	Date of occupation.
Hindustan Times	7-FC/37	16/A	22-9-1953
U. P. I	9-FB/8	22	18-9-1953
Hindustan Standard	9-FB/39	22	22-9-1953
P. T. I.	9-FB/20	22	22-9-1953
The Tribune	9-FB/7	22	6-11-1953
Times of India	7-FC/18	16	1-1-1954
Statesman	7-FC/17	16	7-5-1954
Milap	11-J/48	C/22-D	23-9-1954
Hind Samachar	9-FB/9	D/22-A	1-2-1954

The above accommodation has been allotted at the standard rent and existing tenure of allotment expires on the 30th April, 1955.

(b) No notices have been served on these representatives of newspapers and news agencies requiring them to vacate the accommodation immediately. They have, however, been asked to make their own arrangements within the period of allotment of accommodation.

श्री राम किशन : क्या वज़ीर साहिब फरमाएंगे कि जब यह accommodation दी गई थी तो क्या Press Representatives पर यह शर्त आयद की गई थी कि उन्हें इस accommodation को April, 1954 में खाली कर देना होगा ?

ਮੰਤਰੀ : ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਤਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲੈਣ।

श्री राम किशन : क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि क्या गवर्नमैंट उन्हें नई accommodation का इन्तज़ाम करने के लिए facilities देने को तैयार है ?

ਮੰਤਰੀ : Facilities ਲਈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

श्री राम किशन : क्या वज़ीर साहिब फरमाएंगे कि अगर उन को और कोई accommodation न मिलती हो तो यही उन को इस्तेमाल करने दी जाएगी ?

ਮੰਤਰੀ : ਉਹ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਉਸ ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਾਂਗੇ।

श्री राम किशन : क्या वज़ीर साहिब को इस सम्बन्ध में Press Representatives का कोई deputation मिला था ?

ਮੰਤਰੀ : ਹਾਂ ਜੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਨਾਸਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

श्री राम किशन : वह मुनासिब जवाब क्या था ?

ਮੰਤਰੀ : ਇਸ ਲਈ notice ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : क्या वज़ीर साहिब फरमाएंगे कि जब दुनियां में Press को इतनी ज़्यादा अहमियत दी जाती है ....

अध्यक्ष महोदय : आप सवाल सीधा करें । (The hon. Member may put a straight question.)

मौलवी अब्दुल गनी डार : जनाब यह तो background थी, मैं कहना चाहता हूँ कि जो accommodation प्रैस वालों को दी गई है उन्हें वहां हमेशा के लिए रहने दें ।

ਮੰਤਰੀ : ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਰਹਿਣ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ । ਇਹ quarters, government servants ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ । ਜਦ ਤਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਤਦ ਤਕ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਅਸੀਂ press ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਸਿਬ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਆਂਗੇ ।

GOVERNOR'S LETTER OF THANKS.

Mr. Speaker : I have to inform the House that I have received a demi-official letter from the Governor of Punjab, which reads:-

> I have received your D.O.No. 28-LA-55/5197 dated 4th March, 1955 forwarding a copy of the motion of thanks passed by the Punjab Vidhan Sabha on 4th March, 1955 for the Address I delivered to both the Houses of the Punjab State Legislature assembled together on the Ist March, 1955. I am grateful to the Vidhan Sabha for their motion of thanks.

PAPERS LAID ON THE TABLE.

SPECIAL REPORT OF THE JOINT SELECT COMMITTEE ON THE PUNJAB PREVENTION OF EJECTMENT BILL, 1954.

Minister for Development (Sardar Partap Singh Kairon) : Sir, I beg to lay on the Table of the House a Special Report of the Joint Select Committee on the Punjab Prevention of Ejectment Bill, 1954.

THE PUNJAB APPROPRIATION (No. 1) BILL 1955.

Minister for Finance (Sardar Ujjal Singh) : Sir, I introduce the Punjab Appropriation (No. 1)Bill,

Minister for Finance : Sir, I beg to move-

> That the Punjab Appropriation (No.1) Bill, be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved-

> That the Punjab Appropriation (No.1) Bill, be taken into consideration at once.

पंडित श्री राम शर्मा (सोनी पत) : स्पीकर साहिब मैं कोई हाऊस का ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता । मेरी तवज्जुह सिर्फ दो बातों की तरफ गई है । पहली बात तो यह है कि योगोस्लाविया के Prime Minister Marshal Tito जब पंजाब में आए तो उनकी आमद के सिलसिले में हमारी गवर्नमैंन्ट ने 1 लाख रुपया मंजूर किया। Supplementry Estimates को पढ़ने से यह अन्दाज़ा नहीं लगता कि आखिर एक मुअज़िज़ महमान के आने पर 1 लाख रुपया को खर्च कर देने की सूरत क्या है। इस

[पण्डित श्री राम शर्मा]

में इस खर्च की तफसील नहीं। यह भी नहीं बताया गया कि यह खर्च पंजाब की मौजूदा माली हालत को देखते हुए कहां तक जायज़ और मुनासिब है।

(At this stage Mr. Deputy Speaker occupied the Chair.)

मैं नहीं जानता कि एक लाख रुपया के खर्च में गवर्नमैंट ने किन किन इखराजात को शामिल किया है। बहर सूरत मामला यह है कि इस बिल को पास करने से पहले वज़ीर साहिब बताएं कि यह खर्च कैसे किया गया है। अगर उन्हें पूरी details याद न हों तो मोटे अन्दाज़े बता दें जिन से लोगों को पता चल सके कि एक लाख रुपया इस तरह से खर्च किया गया है। मुझे बगैर जवाब मिले यह मालूम होता है कि गवर्नमैंट ने सूबे की माली हालत को सामने न रख कर बेरहमी और अन्धेपन से काम लिया है। यह कतई समझ नहीं आता कि एक लाख का खर्च कैसे हो सकता है। पहले वक्तों में दिल्ली दरबार हुआ करते थे Imperialist State थी। इस में बड़े २ इखराजात किए जाते थे। लेकिन अब यह Welfare State है। Socialistic pattern की State में रहने वालों को यह यकीन कैसे आए कि आप तफरीक को मिटा रहे हैं। और पंजाब के लिए कहां तक मुनासिब था कि एक लाख रुपया खर्च कर दे। पंजाब जैसी स्टेट कैसे इस खर्च को बर्दाश्त कर सकती थी? यह बात कोई तूल देने वाली नहीं है। गवर्नमैंट की तरफ से कहे गए चन्द अलफाज़ से ही पता लग सकता है कि सूबा की माली हालत को मद्दे नज़र रख कर यह खर्च कहां तक जायज़ था।

दूसरी बात, स्पीकर साहिब, यह है कि 1952 में गुड़गांव के खज़ाने में गबन हुआ। इस के बारे में लम्बा चौड़ा मुकदमा चला। अगर मैं गलती नहीं करता तो गवर्नमैंट को पता है कि मुकदमा किन लोगों पर चलाया गया। पुलिस को जो भी आदमी हाथ लगा जिसके पास रुपया नज़र आया उसी पर मुकदमा चला दिया गया। कई quarters से गवर्नमैंट को बताया भी गया कि रुपया कहां पर गबन हुआ पर गवर्नमैंट टस से मस न हुई। सरकार को बताया गया कि पुलिस धींगा मुशती कर रही है पर किसी ने बयान न दिया। दिल्ली के मेम्बरों को पकड़ लिया गया। आखिर मुकदमा चला और magistrate ने पुलिस के खिलाफ remarks पास किए और लिखा कि पुलिस ने खामखाह wholesale scale पर भले लोगों को तंग किया है। मेरे एक सवाल के जवाब में गवर्नमैंट ने तहरीरी बातें जो लिखी हैं उन से पता चलता है कि गवर्नमैंट की नियत क्या थी। गबन किया किसी और ने और रगड़े लगे भले आदमियों को। अब पुलिस के इस खर्च की गवर्नमैंट मन्ज़ूरी चाहती है कि मुकदमेबाज़ी हुई और पुलिस ने काम किया। यह जानते हैं कि गवर्नमैंट majority में है। House इस की मन्ज़ूरी दे देगा। मैं महसूस करता हूं कि यह खर्च नाजायज़ था। मैं ही नहीं बल्कि मैजिस्ट्रेट ने भी remarks पास किए हैं।

मुझे एक पुरानी कहानी याद आ गई है कि किसी को फांसी का हुक्म हुआ। फांसी का फन्दा उसके गले में पूरा फिट न आया तो उसे रिहा कर दिया गया और राजे की तरफ से एलान कर दिया गया कि जिस के गले में फांसी का फन्दा फिट आता हो उसे फांसी दे दी जाए। कहानी तो पुरानी है मगर मैं देखता हूँ कि Welfare State

में भी आज कल इसी तरह काम चलते हैं। किसी सही नतीजे पर पहुंचने से पहले ग़लत लोगों को पकड़ लिया जाता है। किसी का घाटा पूरा करने के लिए जो भी मालदार आदमी हाथ लगे उसे पकड़ लिया जाता है।

इन दो बातों की तरफ मैं ने गवर्नमैंट की तवज्जुह दिलाई है। एक तो यह कि एक लाख रुपया इस स्टेट के लिए मन्ज़ूर करना जबकि इस की माली हालत यह हो कि यह $1\frac{1}{2}$, $1\frac{2}{3}$ अरब रुपया की मकरूज़ हो, नाजाइज़ है। मुअज़्ज़िज़ मेहमानों पर 1 लाख खर्च करना और जशन करने common sense की बात मालूम नहीं होती। क्या यह गवर्नमैंट के चलाने की बात है या गवर्नमैंट का बेड़ा गरक होने की बात है कि इस तरह खर्च कर लिया जाए? यह फज़ूल खर्च है और यहां तो कतअन बेपरवाही का आलम है। सरकार पहले जो चाहे कर लेती है फिर हाऊस के सामने ले आती है कि इस खर्च को मन्ज़ूर किया जाए।

श्री राम किशन (जालन्धर शहर, उत्तर पश्चिम): डिप्टी स्पीकर साहिब, पेशतर इसके कि मैं इस Appropriation Bill के सिलसिले में दो बातें कहूँ मैं यह कहना चाहता हूँ कि मैं ने पण्डत श्री राम जी की तकरीर को सुना है। आपने His Excellency Marshal Tito की पंजाब में आमद पर एक लाख रुपया के खर्च पर एतराज़ किया है। मुझे ऐसा तकरीर को सुन कर अफसोस हुआ है।

डिप्टी स्पीकर साहिब, मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आज हिन्दुस्तान के अन्दर और एशिया के अन्दर एक ऐसी State का Head आया जो अमन और शांति चाहता है। यह किसी Imperialist State का Head न था कि जिस पर खर्च किए गए रुपया पर एतराज़ किया जाता। आज करोड़ों रुपया लड़ाई की तैयारियों के सिलसला में खर्च किया जा रहा है। Marshal Tito लड़ाई के खिंचाव को कम करना चाहते हैं। यह बात हिन्दुस्तान के credit में जाती है कि ऐसे मुअज़्ज़िज़ दोस्तों पर खर्च करे। ऐसे मेहमान पर 1 लाख रुपया खर्च करना नाजायज़ न था।

डिप्टी स्पीकर साहिब, मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि सब को याद होगा कि जब 4 बर्ष हुए हमारे Prime Minister पंडित जवाहर लाल नेहरू America में गए थे तो इनके स्वागत पर America ने 4 करोड़ रुपया खर्च कर दिया था।

Pandit Shri Ram Sharma: It was a foolish act. दुनिया के अन्दर आज जो हालत है वह आपके सामने है। हिन्दुस्तान इन हालात में एक अहम पार्ट अदा कर रहा है। हिन्दुस्तान मुखालिफ ताकतों को साथ लेना चाहता है। दुनिया में मुहब्बत और प्यार से रहना चाहता है। Marshal Tito भी इसी काम में अहम part अदा कर रहे हैं। इस लिए उनकी आमद पर एक लाख रुपया खर्च करना जायज़ था। यह रुपया जंगी ताकतों को नहीं दिया गया। यह खर्च जंगी खिंचाव को कम करने के लिए किया गया है — यह अमन और शान्ति कायम करने के लिए खर्च किया गया है। इस रुपया को खर्च कर के हम दुनिया को दिखाना चाहते थे कि हम दुनिया में जंगी खिंचाव पर नहीं बल्कि इस खिंचाव को कम करने पर खर्च कर रहे हैं। और उन मुअज़्ज़िज़ मेहमानों पर खर्च कर रहे हैं जो इस खिंचाव को कम करना चाहते हैं।

[श्री राम किशन]

Marsahl Tito world affairs में अहम काम कर रहे हैं। उनकी आमद ने दुनियां के peace loving लोगों में ties को मजबूत किया है और दुनियां में अमन और शान्ति कायम करने के काम को आगे बढ़ाया है। यह रकम किसी बुरे काम पर नहीं लगाई गई इस लिए इस खर्च पर एतराज़ करना जाइज़ नहीं।

डिप्टी स्पीकर साहिब, मुझे इस बात का अफ़सोस हुआ कि पंडित श्री राम की तरफ़ से इस पर एतराज़ किया गया। मैं आप की तवज्जुह इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूँ कि इस Appropriation Bill के अन्दर एक Capital Account of Civil Works Government Account के नीचे 20,000 रुपए चंडीगढ़ के Civil Engineers और equipment के सिलसिले में मांगे गए हैं। Grant तो 11,00,000 रुपये की है जिसे All India Council for Technical Affairs ने पिछले दिनों मंज़ूर किया था जिस में आधा रुपया State Government ने खर्च करना था। मुझे इस बात की खुशी है कि ज़्यादा से ज़्यादा equipment कर के चंडीगढ़ के कालेज को मज़बूत बनाया जा रहा है। इस Engineering College में सिर्फ 40 students दाखिल होते हैं और अनबटे पंजाब के अन्दर Engineering College Mughalpura में 3,00,000 रुपया खर्च होता था और लड़कों की तादाद 160 के करीब होती थी। इस के मुकाबले में Chandigarh Engineering College में 5,00,000 रुपया सालाना खर्च किया जा रहा है और सिर्फ 40 लड़के दाखिल होते हैं जिस में से 10 लड़के हिमाचल प्रदेश और पैप्सू से आते हैं। 6-7-1954 को ट्रिब्यून (Tribune) में एक article छपा students के बारे में जिस में इस बात की तरफ तवज्जुह दिलाई गई कि आज सारे हिन्दुस्तान के अन्दर खास कर हमारे नज़दीक प्रांत उत्तर प्रदेश और देहली में technical institutes हैं। उत्तर प्रदेश में 4 institutes हैं। सारी State के अन्दर तो बहुत लड़के F. Sc., First Division में पास होते हैं लेकिन यहां सिर्फ 15 students दाखिल हो सकते हैं बाकियों को दूसरी जगह जाना पड़ता है। अगर हम चाहते हैं कि पंजाब को develop किया जाए तो इस के लिए हमें अच्छे अच्छे Engineers चाहियें और ज़रूरत इस बात की है कि institution के अन्दर लड़कों की तादाद बढ़ाई जाये। लड़कों को इस सम्बन्ध में सुविधाएं मिलें तो वह प्रांत की development के लिये एक अहम पार्ट अदा कर सकते हैं। अगर हमारे प्रांत में अच्छे अच्छे इन्जीनियर और development की स्कीमें न होतीं तो Bist Doab कामयाब न होता। और यह सब कुछ इन्जीनियरों की ही वजह से है कि हमारा प्रांत develop हो रहा है। डिप्टी स्पीकर साहिब! आप की विसातत से मैं मिनिस्टरी का ध्यान 6-7-54 की ट्रिब्यून (Tribune) के article की तरफ दिलाना चाहता हूँ और कहूंगा कि उन्हें इस की तरफ जल्दी से जल्दी तवज्जुह देनी चाहिए। मैं उस सम्बन्ध में चिट्ठी के तीन चार फिकरे हाऊस को पढ़ कर सुनाना चाहता हूँ:

"You have earned the gratitude of a large number of students by your recent editorial on "Engineering Studies". The woeful plight of students seeking admission to engineering institutions may well be judged from my case.

I secured 68.5 per cent marks in the aggregate and 79 per cent in engineering subjects (Mathematics, Physics and Chemistry) in the F. Sc

(Non Medical) Examination of the Punjab University this year. I tried for admission at Kharagpur, Benaras, Pillani and Delhi but without success. A lot of expenditure was incurred by way of costs of application forms, registration fees, photos and medical examination fees. Now there appears to be no chance at Chandigarh."

श्री केदार नाथ सहगल : क्या हाऊस में notice पढ़ने की इजाज़त दी जा सकती है ?

श्री राम किशन : मैं मिनिस्टरी से अर्ज़ करूंगा कि यह एक अहम मामला है और इस की तरफ उन्हें जल्दी से जल्दी तवज्जुह देनी चाहिये।

दूसरी बात जिस की तरफ मैं आप की तवज्जुह दिलाना चाहता हूं वह है electricity schemes and electric repairs का सवाल। बटाला, लुधियाना, जालन्धर में वक्त मुकर्रर नहीं होता था कि किस वक्त electricity आयेगी। इस से अखबारात को नुकसान पहुंचा, विद्यार्थियों की तालीम को नुकसान पहुँचा, मज़दूरों को नुकसान पहुँचा और कारखानों को नुकसान पहुंचा। इन की तरफ मैं आप की विसातत से मिनिस्टरी का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि वह देखें कि आयंदा ऐसे हालात न होने पाएं।

इस के इलावा 'advances' के मद में Housing Scheme के लिए जो रुपया मन्ज़ूर किया जा रहा है उस से Housing की shortage पूरी हो जायेगी। इस के साथ साथ ज़रूरत इस बात की है कि हर शहर के अन्दर जहां मकानात की ज़रूरत हो वहां पर लोगों को building sites, "no profit, no loss" के basis पर दिये जाएं और हरिजनों और खाकरोब जो म्युनिसिपल कमेटी में काम करते हैं उन्हें कम से कम सूद पर कर्ज़े दिये जाने चाहियें, उन के लिये ज़मीन acquire की जानी चाहिये और जहां जहां मकानों की कमी हो उस शहर में Housing Colony बना कर ज़मीनें acquire कर के दी जाएं और ईंटें और सीमेंट वगैरा सस्ते दामों पर मुहैय्या किया जाए। इस तरह करने से मकानों की कमी का मसला काफी हद तक हल हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इन सब बातों की तरफ मिनिस्टरी अच्छी तरह से अपनी तवज्जुह देगी

मौलवी अब्दुल गनी डार (नूह) : डिप्टी स्पीकर साहिब, मैं अपने मोहतरिम दोस्त श्री राम किशन कामरेड की तकरीर जो शान्दार और आला पाया की थी सुनने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि पंडित श्री राम शर्मा ने बिल्कुल गलत बात कही। मैं मिनिस्टरी की मुज़म्मत इस लिये करना चाहता हूँ कि वाकई एक अज़ीमुश्शान मेहमान के यहां आने पर सिर्फ एक लाख रुपया क्यों मंज़ूर किया गया। इस से कहीं ज़्यादा रुपया मंज़ूर किया जाना चाहिए था। और मिनिस्टरों की कोठियों के लिये और चीफ मिनिस्टर साहिब की कोठी के लिये चार लाख रुपया सरकार सरफ करती है, उन की कारों के लिये 1,53,000 रुपया और भत्तों पर हज़ारों रुपया का खर्च बरदाश्त कर सकती है तो इस मज़लूम सूबा पर ऐसे अज़ीमुश्शान महमान के इस्तकबाल के लिये और ज़्यादा रुपया खर्च करने में क्या हर्ज हो सकता था। हमारी सरकार बेशक एक करोड़ रुपया बल्कि दो करोड़ रुपया खर्च करे लेकिन जीती रहे हमारी मरकज़ी सरकार जो हमेशा इन की मदद के लिये तैयार रहती है और हमारे फाईनैन्स मिनिस्टर साहिब ऐसे रुपए को अच्छी तरह से खर्च करते रहेंगे।

खैर मैं कहना चाहता हूं अपनी सरकार से कि जो उस के मन में आए करे। जहां तक मार्शल टीटो की तशरीफ आवरी पर उन के एज़ाज़ का ताल्लुक है हम श्री राम किशन

[मालवी अब्दुल गनी डार]

से इस मुआमले में कम जज़बात नहीं रखते मगर स्वागत कैसे किया जा सकता है औरकैसे किया जाना चाहिये इस पर इख्तलाफ राये ज़रूर हो सकता है। स्वागत सिर्फ रुपया खर्च करनेसे ही किया जा सकता था। उन के स्वागत के लिये पंजाब अपनी आंखें बिछा सकता था। पंजाब के अवाम और इस मिनिस्टरी को बनाने वाले उन के नुमायन्दे अपनी आंखें बिछा सकते थे मगर वज़ीर साहिबान ने उन्हें confidence में लेना ज़रूरी नहीं समझा। उन्हों ने इस बात का ख्याल न किया कि मैंबरों ने अपने पास से खर्च कर के आना था। वह भी यहां आकर मार्शल टीटो का एज़ाज़ कर सकते थे। पंजाब की जनता के ख्यालात उन के सामने रख सकते थे। ऐसा करने का उन्हें मौका दिया जाता तो हमारा नाता उन से मज़बूत होता। एक लाख रुपया खर्च करने से क्या हो गया? बहिन सीता देवी हर सैशन में Anti Dowry Bill लाती हैं और इस बात का चर्चा करती हैं कि पंजाब के लोग इस योग्य नहीं कि अपनी बेटियों को ज़्यादा दहेज दे सकें। बैसाखी पर अमृतसर में आतिशबाज़ी चला करती थी। कहा जाता था कि कितना रुपया बेदर्दी से खर्च किया जाता है। मगर उसे तो देखने वाले लाखों होते थे यहां पर ऐसी आतिशबाज़ी छोड़ी जाती हैं कि जिस का देखना मैम्बरों के लिये भी ज़रूरी नहीं समझा जाता। यह अमर वाकया है कि यह सूबा वज़ीरों का कितने लाख का खर्च बरदाश्त करता है मगर उस का पता तो चल जाता है कि कितना माली के ज़रीये, कितना कारों के ज़रीये, कितना पट्रोल के ज़रीये, कितना भत्ते के ज़रीये, कितना daily allowance के ज़रीए वसूल किया जाता हैं मगर इस खर्च का तो पता ही नहीं चलता कि किस तरह किया गया। ऐसा खर्च कर के सरकार ने सूबे के साथ बड़ी बेइंसाफी की है। हम महमानों की इज़्ज़त करने में किसी से कम नहीं हैं। यह कहना बेजा है कि जब हमारे महबूब नेता अमरीका गए तो वहां की सरकार ने 4 करोड़ रुपया खर्च कर दिया। कामरेड साहिब को इस बात का ख्याल नहीं रहा कि अमरीका सारी दुनिया की दौलत लिए बैठा है; हिन्दुस्तान को अपने कदमों पर खड़ा करने के लिये काफ़ी माली इमदाद दे रहा है। कहां अमरीका और कहां यह ज़ख्मी पंजाब जहां के गरीब लोग नए आबाद हुए हैं, मगर अभी अपने कदमों पर खड़े नहीं हो सके। जहां छोटे मुलाज़िमों को, कान्सटेबलों को, पटवारियों को, चपड़ासियों को इतने थोड़े रुपए मिलते हैं कि जिन से वह अपने बाल बच्चों का तो क्या अपना पेट भी नहीं पाल सकते। जहां टीचरों और दूसरे छोटे मुलाज़मों को कुछ नहीं दिया जाता वहां पर एक लाख रुपया एक मुअज़्ज़ महमान के एज़ाज़ में खर्च कर देना अन्याय नहीं तो क्या है।

(At this stage, Mr. Speaker occupied the Chair.)

फिर, जनाब, अपनी कोठियों पर इतना रुपया खर्च कर रहे हैं भत्ता लेते हैं यह सब पंजाब के साथ अन्याय नहीं तो क्या है।

Mr. Speaker : Please be relevant.

मौलवी अब्दुल गनी डार : इन सब चीज़ों पर तो खर्च हो सकता है मगर मुलाज़मों को कुछ नहीं दिया जा सकता। यह सब कुछ एक ऐसे सूबे में हो रहा है जहां यह खतरा है कि तमाम के तमाम लोग कामरेड सुरजीत की गोद में न चले जाएं। इस बात की रोकथाम नहीं की जाती। मुअज़्ज़ महमान आये हैं इस लिए एक लाख रुपया ज़रूर खर्च होना चाहिये। मैं सरकार की मुज़म्मत इस लिए करता हूं कि एक नहीं कई लाख रुपए खर्च किए जाने चाहिए थे, वैसे जो खर्च हुआ है लोग के साथ सख्त बेइन्साफी हुई है।

Sardar Achhar Singh Chhina : Sir, I beg to move-

That the question be now put.

Mr. Speaker : Question is-

That the question be now put.

The motion was carried.

ਅਰਥ ਮੰਤਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਉੱਜਲ ਸਿੰਘ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਦੋ ਮੋਟੀਆਂ ੨ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਸ ਤੇ Opposition ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰਸ਼ਲ ਟੀਟੋ ਦੇ ਸੁਆਗਤ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੁਪਏ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਵੇਂ ਇੰਨਾ ਚੋਖਾ ਰੁਪਿਆ ਗਵਾ ਦਿਆ ਹੈ।ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ mission ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ—ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਹੈ। ਜੇ ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਸੁਆਗਤ ਲਈ ਕੁਝ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੋਭਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦੱਸਣ ਤਾਂ ਸਹੀ ਇਹ ਰੁਪਿਆ ਲੁਟਾਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆ ? ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਕ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਟੈਟੂ ਵਿਖਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਕਰਤਬ ਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਖਾਏ। ਜਿਸ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਉਸ ਹਸਤੀ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਫੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੋਇਆ, ਆਖਿਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਿਨਾ ਤੇ ਇਤਨਾ ਗਿਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਫ਼ਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਜਟ ਦੀ discussion ਵਿਚ ਆਖੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਸੁਆਗਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਆਮਦਨੀਵਿੱਤ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਤਨਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੇ ਸਭ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾਕਿ ਗਿਲਾ।

ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਅੱਲਿਕ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸ਼ੋਭਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਜਟ ਦੀ general discussion ਵਿਚ ਆਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਤਨੇ ਚੰਗੇ ਕਾਰਨਾਮੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਕਈ gangs ਨੂੰ liquidate ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਅਮਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਅਮਨੋ-ਅਮਾਨ ਦਾ ਹੈ, ਚੋਰਾਂ ਡਾਕੂਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਫੇਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਖੁਸ਼ਨੂਦੀ ਜਾਂ ਸ਼ੁਕਰੀਏ ਦਾ ਇਕ ਲਫਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ।

ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਕਿਸ਼ਨ ਹੋਰਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ Engineering ਕਾਲਿਜ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕੁਲ 40 ਲੜਕੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

[ਅਰਥ ਮੰਤਰੀ]

ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ Lahore Engineering College ਵਿਚ ਲੜਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਵੀ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਕੇ ਨਹੀਂ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦੇ । ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਮੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਕਮੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ proper ਵਿਚੋਂ ਤੇ ਘੱਟ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਸਾਰੇ ਲੜਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ boarding ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੋਸਟਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲਾਹੌਰ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 10, 12 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਸੀ। ਬਹੁਤੇ ਲੜਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋਸਟਲ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਸ ਵਿਚ ਅਸਾਂ provision ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਹੋਸਟਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਸਟਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੜਕਿਆਂ ਦਾ ਦਖਲਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਰਚ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ science ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ equipment ਇਸ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਲਗਾਈ ਹੈ ਜੋਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। Professors ਵੀ ਅਸਾਂ ਉਹ ਚੁਣ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਾਇਕ ਤੋਂ ਲਾਇਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਸਨ। Professors ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਅਸਾਂ ਖੁਦ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। Technical hands ਵੀ ਅਸਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਨਾਲ ੨ ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ financial help ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਇਹੋ Engineering College ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚ ਗਰੀਬ ਲੜਕਿਆਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕੇ ਖਰਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। Hostel ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਲੜਕਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ House ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਦੂਸਰਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਓਹਲ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਇਤਨਾ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਇਤਨੀ ਥੋੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤਕ ਅਸੀਂ Nangal ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ connection ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜਾਲੰਧਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੀ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤਕ connection ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤਕਲੀਫ ਹਟ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਬਨਾਉਣੇ ਹਨ ਅੱਛੀ ਰਾਇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ acquire ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਕਾਨ

ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜ਼ਮੀਨ acquire ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ Market price ਉੱਪਰ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 15 ਫੀ ਸਦੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ Jullundur Improvement Trust ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ੨ ਟੁਕੜੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ lay out ਕਰ ਕੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ evacuee land ਵੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ੨ ਮਕਾਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋਣ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ displaced persons ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਡਿਆਂ ੨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਭਾਵੇਂ Improvemen Trust ਦੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨਿਕਾਸੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਜ਼ੇਰੇ ਗ਼ੌਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਨਾ ਬਣ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਤ ਵਿਚ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab Appropriation (No. 1) Bill , be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the House will proceed to consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Schedule.

Mr. Speaker : Question is—

That the Schedule stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Minister for Finance: (Sardar Ujjal Singh): Sir, I beg to move—

That the Punjab Appropriation (No. 1) **Bill be passed.**

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Punjab Appropriation (No. 1) Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab Appropriation (No. 1) Bill, 1955 be passed.

The motion was carried.

GENERAL DISCUSSION ON THE BUDGET.

Mr. Speaker: Now we come to the next item on the Order Paper. I call upon Sardar Harkishan Singh Surjit to initiate general discussion on the Budget

ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ (ਨਕੋਦਰ) : ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਇਹ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ Finance Minister ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਪਲੈਨ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਦ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਪਲੈਨ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜ਼ਰਾਇਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਤਰੱਕੀ ਵਲ ਵੀ ਅੱਛਾ ਕਦਮ ਉਠਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ claim ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ 1955-56 ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਅੰਤਮ ਮਕਸਦ ਦਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ—

> "Our aim is to convert Punjab into Welfare State in the true sense of the word and that is not possible without economic prosperity and social justice"

ਅਰਥ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "in the true sense of the word and, that is not possible withouf economic prosperity and social justice" ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਢੁਕਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ State ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। Administration ਵਲ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। Law and Order ਵਲ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। Corruption ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਰੱਈ reforms ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਅਤੇ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਨਅਤ ਵਿਚ ਵੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ labour ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿਚ ਕਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਸੋ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿਚ ਇਤਨੀ ਸਾਰੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਕਬਾਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹਕੀਕਤ ਜਿਸ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕਬਾਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ; ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਜਿਸ ਦਾ

ਇਕਬਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਮੀਟ ਸਕਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾ ਬਹੁਤ ਡਿਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਇਕਬਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਗੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ; ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ Memorandum Finance Secretary ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ taxes ਵਧਾਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ Taxation Enquiry Committee ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਨੂੰ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਤਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ । ਉਸ ਵਿਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਪੁਰ ਹੋਰ taxes ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ taxes ਲਗਾਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ implement ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ taxes ਨਹੀਂ ਲਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਅਤੇ ਇਹ memorandum contradictory ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ tax ਤੋਂ relief ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰਈ ਇਸਲਾਹਾਤ ਦੀ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕਿਸੇ comprehensive bill ਦੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਇਕ ਅਜਿਹੇ measure ਪੁਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕਈ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਜ਼ਰੱਈ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ; ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਵੀਏ ਅਤੇ ਸਚ ਮੁਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਬਜਟ ਦਾ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਇਕ ਅਜਿਹੀ State ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ prosperity and social justice ਦਾ ਦੌਰ ਹੋਵ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸੱਜਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾਕੇ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਚਾਹਵਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਹ ਦਿਨ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ prosperity ਅਤੇ social justice ਵਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿਨ ਛੇਤੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ administration ਸਾਫ-ਸੁਥਰੀ ਤੇ ਪਾਕ ਹੋਵੇ, law and order ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਬਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ, industry ਵਧੇ, agrarian reforms ਲਾਗੂ ਹੋਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪਰ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ! ਜਿਹੜੀ ਚਮਕੀਲੀ ਤਸਵੀਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ

(ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ)
ਹੈ ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਢੁਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਕਿਆਤ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਲਉ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ development State ਨਾਲੋਂ Welfare State ਵਲ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ facts ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਫ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ section ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।

ਤੁਸੀਂ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਲੈ ਲਉ। ਛੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ Mehra Mills ਅਤੇ Nirmal Mills ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲਾ Tribunal ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਚਾਰੇ ਰੋਟੀਓਂ ਭੁੱਖੇ ਮੋਏ ਤੇ ਆਖੀਰ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਕਿ ਮਾਮਲਾ Tribunal ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਮਾਲਕ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕੀ ਇਹ ਹੈ Welfare State ਜਿਸ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਵਿਚ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ Welfare State ਦਾ ਇਹ ਰੂਪ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕੀਂ ਇਸ State ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਇਹਸਾਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੇਦਖਲੀ ਦਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਮੁਤਜ਼ਾਦ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੇਦਖਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਖੈਰ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਦਖਲੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਪਿਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਇਕ Ordinance ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਾਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਪੰਡਤ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਦਿੱਲੀ ਗਏ, ਦੁਹਾਈ ਪਾਈ, ਪਾਰਲੀਆਮੈਂਟ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਮਚਿਆ ਤੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਲ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ Ordinance promulgate ਕੀਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਅਨਮਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰ ਬਿਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਦਿਨ ਦਾ ਇਕ ਖਾਸ ਸੈਸ਼ਨ ਇਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪਿਆ-ਅਫਸੋਸ !! ਕਿ ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ Ordinance ਵੀ lapse ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਦਖਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ taxes ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਲੈ ਲਉ, ਇਨ੍ਹਾਂ taxes ਦੀ ਵੀ ਇਕ ਲੰਬੀ

ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਬਜਾਏ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਹਕੂਮਤ ਇਹ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੇ ਕੋਈ ਅਵਾਜ਼ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ Communist Party, Akali Party ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ opposition ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ political ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ–ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ exploit ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਤੇ taxes ਦਾ ਭਾਰ ਲੱਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਰ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹ ਦੁਹਾਈ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਤਨੇ ਬਹੁਮੱਲੇ ਅਤੇ ਸਜੇ ਹੋਏ ਬੰਗਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬੈਠਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਕਸਬਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ taxes ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਿਰੇ ਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਦੁਹਾਈ ਨਾ ਪੈ ਰਹੀ ਹੋਵੇ; ਹਾਹਾਕਾਰ ਨਾ ਮਚ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਲ ਲੋੜੀਂਦੀ attention ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹੀ Welfare State ਦਾ ਹੀ ਨਮੂਨਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁਗਦੀ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ middle class employees ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬੇਸਿਕ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਰੇਡਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਵਾ-ਵੇਲਾ ਮਚਾਇਆ, ਦੁਹਾਈ ਮਚਾਈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿਉ। ਬੇਸਿਕ teachers ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ college teachers ਨੇ ਵੀ ਇਹ demand ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਇਕ "Demands day" ਵੀ ਮਨਾਇਆ। ਛੋਟੇ ਕਲਰਕ ਤਬਕੇ ਦਾ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹਾਲ ਹੈ। Senior ਤੇ junior clerks ਦੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਚਲ ਰਹੀ agitation ਜਿਸ ਦਾ ਰੂਪ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਚੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਾਸ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਾ-ਵੇਲਾ ਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਵੇ।

ਇਹੀ ਹਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇਕ ਬਹੁਮੁੱਲੀ ਸੰਪੱਤੀ ਹਨ। ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜਿੱਠਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਲਾਏ। ਕੀ ਇਹ ਹੀ ਹੈ Welfare State ਦਾ ਉਹ ਨਮੂਨਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਜਾਏ students ਦੀ demands ਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਅਤੇ ਗੌਰ ਕਰ ਕੇ ਸੁਲਝਾਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਰਾਹੀਂ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ traders ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਉ। ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇਕ ਮਸੌਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਹਕੂਮਤ ਇਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ

(ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ)

ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਫ਼ਲਾਨਾ legal ਨੁਕਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਮੁੜ ਇਸ ਨੂੰ revise ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਹੀ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ words ਜਿਹੜੇ industrialists ਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ taxes ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕੀਂ agitations ਕਰਨ? ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਿ ਰਿਹਾ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਦੂਜੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਤਾਂ Tribune ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖ ਲਓ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਸਾਫ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗੇਗਾ ਕਿ ਹਰ ਇਕ ਤਬਕਾ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਉਹ ਹਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਚਮਕੀਲੀ ਤੇ ਭੜਕੀਲੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਡੇ ਅਰਥ ਮੰਤ੍ਰੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਹ ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੋਈ Welfare State ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਉਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਹੀ ਅਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ Welfare State ਦਾ ਇਕ ਢੋਂਗ ਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਜ ਭਾਸਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ history ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ repeat ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਕੰਦਰ ਹੱਯਾਤ ਵੇਲੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੜੀ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਦਫਾ 144 ਨੂੰ ਪੂਰ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ। ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜੇ ਕਰ ਪਿਛਲੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਜੋੜ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ 200 ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। Security Act ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਜ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। 144 ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਮਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ Deputy Commissioner ਦਾ telephone ਆਇਆ ਕਿ ਜੇ ਫ਼ਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੁਕਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 144 ਦਫ਼ਾ ਲਗਾ ਦਿਉ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ instruction ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਚੂੰ-ਚਰਾਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ 144 ਨਾਫਜ਼ ਕਰ ਦਿਉ। ਕਿਉਂ? ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ grievances ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪੀੜ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਵੀ 144 ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਦੋ ਸੌ ਮੀਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਫ਼ਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਰੱਖ ਸਕਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਨਿਸਟਰੀ

ਅੱਗੇ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਪੁਕਾਰ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪੁਰ-ਅਮਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਆਪਣੇ grievances ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ? ਇਥੇ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੋਠੇ ਵੇਖਣ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਅਫਸੋਸ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੜਬੜ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ, 144 ਦਫ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੀਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਆਪ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਪੁਰ ਲਾਠੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਵਤੀਰੇ ਇਸਤਿਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।

ਫੇਰ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਇਹ ਸੁਣਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤ੍ਰੀ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਗੱਲ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੇ-ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਉਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੰਬਰ 10 ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਦਾ ਨਾਂ ਪੰਡਤ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਇਥੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ movement ਦੇ workers ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦਸ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਉ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਝੁਕਦੇ ਹਨ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ Administration ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ ਆਏ ਇਸ Administration ਤੋਂ, ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ Welfare State ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਇਹ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਏ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਦੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ New expenditure ਦੇ ਸਫ਼ਾ 470 ਤੇ ਇਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:

> "It is a matter of common knowledge that the thirteen districts which now form East Punjab were already politically more advanced than the Western districts. Perhaps it will not be incorrect to say that all activities of a subversive nature had their genesis in the Doaba and Malwa districts."

ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੇਵਲ ਪੁਲਿਸ ਤੇ C. I. D. ਦੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੇ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸੂਰਵੀਰਾਂ ਨੇ 1921, 1924 ਤੇ 1930 ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਬੇਅੰਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ

[ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ]

ਗਈ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਰਤੀ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਫੇਰ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਮਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਦਾਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਡਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਜੀ ਦਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫਖ਼ਰ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਪੰਚ ਸ਼ਿਲਾ (Five principles) ਦਾ ਅਸੂਲ ਮੰਨ ਕੇ ਅਤੇ ਅਮਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਈ ਕਦਮ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਵਕਾਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਫ਼ਖਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਉਸ ਪੰਚਸ਼ਿਲਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ provision ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ avoid ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੱਦ ਤੋਂ ਪਾਰ spying ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਇਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕੋਲੋਂ ਲਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਫੇਰ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ—

> The co-ordination and direction of work at the border became an integral part of intelligence system and it became all the more necessary to have prompt and accurate reports on all political, communal, social and economic movements across the border.

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਡਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਜੀ ਜੋ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਹਨ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਦਾਖ਼ਲਤ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਤੱਲੁਕਾਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਹੋਣ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰਕਾ-ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਪਾਰ ਬੜਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੋਰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਦਖਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਨ ਦਾ ਨਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਲਈਏ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਾ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਆਬਿਆਨਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹੀਏ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਪਾਰ ਖਤਰਾ ਹੈ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੋਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲ ਸਕਣਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਮਾਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਵ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਰਥ ਮੰਤ੍ਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਜਟ speech ਵਿਚ development ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭੁਲ-ਭਲਈਆਂ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਤੱਲੁਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਡੇ ਅਰਥ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸੇ ਹਨ ਉਹ ਗ਼ਲਤ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਬਜਟ speech ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 1949-50 ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਸੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ 1950-51 ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ 1951-52 ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੇਵਲ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟੀਸੀ ਤੇ ਹੋਣ ਨਾਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਜਟ ਸਪੀਚ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਉਹ ਰੰਗ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿਚ ਉਤਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਤੇ ਦੂਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ projects ਨੂੰ ਛਡ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਦੂਜਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 40,4,00,000 ਰੁਪਿਆ ਕੇਵਲ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੰਨਾਂ ਰੁਪਿਆ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਫ਼ਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਅਸਾਂ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਕੀਕਤਨ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਟੀਸੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੌਕਸੀ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਕਰ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਪੀਚ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਕ welfare ਸਟੇਟ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ ਇਕ Socialistic pattern of Society ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਕਰ ਇਸ ਦਾ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਕੀਕਤਨ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ land utilization ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਵਲ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਅੰਕੜੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੀ State ਵਿਚ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਹਨ ਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਕਿੰਨੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੁਖ਼ਤਲਿਫ਼ ਜਮਾਇਤਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਕੜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੇਖੇ ਹੀ ਨਾ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਾਤੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸਾਂ ਕਮੇਟੀ ਮੀਟਿੰਗਜ਼ ਵਿਚ ਅੰਕੜੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ

[ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ]

ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਸ ਲਗਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ Land Utilization ਦਾ ਦਾਵਾ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। 1945-46 ਵਿਚ 24 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ waste land ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ 1949-50 ਵਿਚ 25,86,000 ਏਕੜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ increase in waste land 1,32,000 ਏਕੜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਉਸ ਵਿਚ ਕਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ waste lands ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 1947,1948 ਤੇ 1949 ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਥੇ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਐਵੇਂ ਪਈਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਉਹ waste lands ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਲਾਂ ਤਾਈਂ ਵੀ ਕਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ partition ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁੜਕੇ ਕਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ reclaimed area ਕੁਲ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਹੀ ਹੈ ਤੇ 66 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਛਿਪੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1949 ਤਾਈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਾਸ਼ਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ waste lands ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ figures ਦੇਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗਲਤੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, Land Utilization Act ਤੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾਲ ਚਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾਲ food production ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ social justice ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਮਰਦਾਨ ਹੇੜੀ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ੨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 2 ਘੁਮਾਉਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 3 ਘੁਮਾਉਂ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਜਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਥੇ ਲੱਭੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਉ ਓਦੋਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ। 3 ਸਾਲ ਹੋਏ ਇਕ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ 700 ਘੁਮਾਉਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤਕਾਵੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੌਲੀ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਉ ਅਤੇ ਸਾਥੋਂ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖੋਵ੍ਹੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਮਾਲਿਕ ਭੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟ ਖੋਹ ਕੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਂਭੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਦਿਉ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ welfare state ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਫਿਰ ਸਵਾਲ production ਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਗਲਤ ਤਸਵੀਰ House ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ irrigation ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਾਇਆ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 1947-48 ਵਿਚ 40 ਲੱਖ ਏਕੜ irrigated land ਸੀ। ਮਗਰ 'Agricultural Statistics' ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਜੋ 1949-50 ਵਿਚ ਛਪੀ ਹੈ ਦੇ ਸਫਾ 26 ਤੇ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1947-48 ਵਿਚ total irrigated area 44,41,000 ਏਕੜ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 4,41,000 ਏਕੜ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਾ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਤਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ? ਫਿਰ 1945-46 ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਕੜੇ 52,85,000 ਏਕੜ ਸਨ। ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ 13 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1945-46 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਕੁਲ 5,15,000 ਏਕੜ area ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਨਾ ਨਹੀਂ ਜਿਤਨਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ।......(ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘੰਟੀ ਵਜਾਈ) ਜਨਾਬ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ time ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਜਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। (The hon. Member has been given that much time which he asked for.)

ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ : ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਤਾਂ 40 ਮਿੰਟ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਕੱਟ ਲੈਣਾ।

ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਾਣੀ ਨੂੰ spread ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਪਰ ਬਾਰੀ ਦੋਆਬ ਨਹਿਰ ਦੁਆਰਾ irrigated area ਵਧਿਆ ਮਗਰ ਉਹ ਭੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਫਿਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਵਧ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਅੰਕੜੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। Sugarcane ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਦਿਤੇ ਜਦ ਕਿ sugar factories ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। sugarcane ਦੀ production ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਮਿੱਲਾਂ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ sugar production ਵਧ ਗਈ ਇਕ misleading ਗੱਲ ਹੈ। ਹਮੀਰੇ ਦੀ ਮਿਲ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ।

ਫਿਰ sown area ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹਨ। 1945-46 ਵਿਚ ਇਹ area 1,67,496 ਏਕੜ ਸੀ ਤੇ 1952-53 ਵਿਚ 1,38,306 ਏਕੜ ਸੀ। ਆਬਪਾਸ਼ੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ 38 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ production of cash crops ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ production ਬਾਰੇ ਜੋ figures ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ 1949-50 ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਤਨੀ production ਵਧੀ ਹੈ ਮਗਰ ਜੇਕਰ 1941-42 ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚਲੇਗਾ ਕਿ ਕਪਾਹ ਸਿਰਫ 50 per cent ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ।

ਅਰਥ ਮੰਤਰੀ : ਉਸ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ figures ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ।

ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ : ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ । ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ 13 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇਲਾਕਾ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ । ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਅੰਕੜੇ ਗਲਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਫਿਰ wheat production ਹੈ । ਇਹ 1947-48 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ 12,42,600 ਟਨ ਵਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੁਕਾਬਲਾ 1941-42 ਦੀ production ਨਾਲ ਕਰਿਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ 63400 ਟਨ ਵਧ ਹੈ।ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ rice ਵਿਚ 50 ਪਰਸੈਂਟ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ...... (interruptions)

Mr. Speaker : No interruptions, please.

ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਾਡੀ production ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 35 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ wealth ਵਿਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ welfare ਦੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਕੀਮਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । Market price ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਹ monsoon ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈਆਂ factors ਤੇ depend ਕਰਦੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ total production ਕਿਵੇਂ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਾਵੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਮੌਜਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ । ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ benefit ਹੋਇਆ ਹੈ ਮਗਰ ਗਰੀਬ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ।

ਫਿਰ ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ industries ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਭੀ ਭੁਲਭਲਈਆਂ ਵਿਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ House ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਇਕ ਤਾਂ rate of capital investment ਹੈ । 1947-50 ਤਕ 273 registered companies ਸਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ subscribed capital 68,19,34,700 ਸੀ । 58 companies liquidate ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ Capital Rs. 55,71,720 ਸੀ । ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ 67 companies ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ Capital Rs. 6,70,00,000 ਸੀ । ਇਹ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਦੇਖਣ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ progress ਹੋਈ ਹੈ । ਮੈਂ progress report ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ । ਮੈਂ textile ਵਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ । Engineering industry ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦਸਾਂਗਾ । Agricultural implements ਦੀ industry ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਲਈ ਕਿ raw material ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ । ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । Planning Commission ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ Progress ਰੀਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਹੈ ਉਸ

ਦੇ ਸਫਾ 179 ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਜ ਹੈ :—

Under the heading Agricultural Implements and Machinery.

"In almost all branches of this industry the demand has not come upto expectations and capacity has been lying idle."

ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਤਲੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਪਏ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੱਰਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੀਮਾਰ ਚਲਦਾ ਬਣੇਗਾ, ਦੁਆਈ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੈਂ industry ਦੀ details ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਲਤ ਹਨ। ਫੇਰ cycle-parts ਦੀ industry ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ cycle parts manufacturers ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ cycle parts manufacturers ਵਲੋਂ ਇਕ ਰਸਾਲਾ ਸ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ industry ਦੀ ਮਦਦ ਸਿਫਰ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। Cycle Industry Samachar ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਜ ਹੈ :

"Punjab Cycle Samachar dated 8th November, 1954. I request the leading cycle manufacturers to celebrate a thanksgiving day for Punjab Government for the above mentioned generous significant help as soon as possible."

ਫਿਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, Central Workshop ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਜੰਗ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿਚ 5000 ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਵਲ 1500 ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਨਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ?

ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ production ਵਧੀ ਹੈ। Textile ਦੀ industry ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਮੈਂ ਪੁਛ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ handloom industry ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ suffer ਕਰਨਾ, ਪਿਆ ? ਮੈਂ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ textile industry ਵਿਚ production 58 ਲੱਖ ਗਜ਼ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 22 ਲੱਖ ਗਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਹੈ production ਵਿਚ ਵਾਧਾ ?

ਫਿਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, unemployment ਬਾਰੇ ਜੋ figures ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹਨ। Wages ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਆਨੇ ਗਜ਼ ਦੀ weavers ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸੀ ਉਥੇ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਪੈਸੇ ਗਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ socialistic pattern of society ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ pattern ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਬਦਲ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਢੰਗ ਵਿਚ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ।

ਫਿਰ falling prices ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਤੋਂ 17 ਫੀ ਸਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। Delhi School of Economics, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ Central Government ਦੀ support ਹਾਸਲ ਹੈ, ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ fall 30 ਤੋਂ 40 per cent ਤਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ

[ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ]

ਹਨ ਕਿ crops ਦੇ season ਦੀਆਂ figures ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ । ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਵੋ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ percentage ਠੀਕ ਹੋਵੇ। ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ fall ਹੈ। ਮੰਡੀ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਬੋਰੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ falling prices ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਯੂ. ਪੀ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ price support ਦੀ ਪਾਲੀਸੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।

ਫਿਰ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਏ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਅਜੇ ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਹਨ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈ। ਕਿਤੇ ਆਬਿਆਨਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਤੇ surcharge ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ? ਅਗੇ 5 ਘੁਮਾਂ ਤੇ surcharge ਸੀ ਹੁਣ 2 ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜੇ ਹੀ ਇਹ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ revenue ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੰਨੇ ਦੁਖ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਖੜੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾਂ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾ ਤਾਂ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ American Expert, ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਬਣਦੀ ਹੈ। 1952-53 ਵਿਚ 50 ਲੱਖ ਤਨਖਾਹ ਲਈ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਲਗ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਆਪ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖਰਚ ਕਿਨਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫ਼ਿਰ American Experts ਵੀ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ safety department ਖੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪੈ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਖਰਚ ਦਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਤਾਂ American Expert ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ American Expert ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ 138 ਆਦਮੀ ਮਰ ਗਏ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ welfare state ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ welfare ਦੀ ਥਾਂ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੀ ਇਹ welfare ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੜਤਾਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । Lockouts ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। Welfare ਕਰਨ ਲਈ wealth ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਭਰੂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਹਰ ਤ੍ਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। Wealth ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰਈ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬਹੁਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਬਿਜਲੀ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋ ਵਾਟ ਦਿਲੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ Development ਵਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ

ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ welfare state ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ।

अध्यक्ष महोदय : चूंकि बहुत से मेम्बर बोलना चाहते हैं इस लिए हर मेम्बर को time का ख्याल रखना चाहिए। कई मेम्बर हाऊस का काफी समय ले जाते हैं और बाकी जिन्हें वक्त नहीं मिलता वे मुझ पर गिला करते हैं। इस लिए कोई time limit जो आप चाहें मुकर्रर कर दी जाए (कुछ सदस्य: 15 मिन्ट का समय मुकर्रर कर दें) मैं 10 से 15 मिन्ट तक time limit मुकर्रर करता हूँ!

(As so many hon. Members intend to take part in the debate the hon. Members should keep the time in view. While some Members take a good deal of time of the House the others resent it. If the House agrees some time-limit may be imposed on the speeches.) (**Some hon Members** : Please, allow 15 minutes to each hon. Member.) I fix 10 to 15 minutes time limit.)

श्री रला राम (मुकेरियां) : अध्यक्ष महोदय, इस बजट को देख कर और वित्त मन्त्री महोदय की स्पीच को सुन कर यह आवश्यक हो जाता है कि माननीय वित्त मन्त्री महोदय को इस बजट के पेश करने के लिए बधाई दूं। आज development का युग चल रहा है। विकास का युग चल रहा है इस में रुपय को व्यय करने की अधिक से अधिक आवश्यकता है। मैं यह देखता हूँ कि हमारे वित्त मन्त्री महोदय ने इस बजट को 23, 24 करोड़ से उठा कर लग भग 29 करोड़ तक पहुंचा दिया है। यह अति प्रसन्नता की बात है कि इस बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। मैं समझता हूँ कि हमारे वित्त मन्त्री महोदय एक skilful Finance Minister हैं। उन्हों ने जो बजट पेश किया है मैं इस के लिए उन्हें बधाई देना उचित समझता हूं।

इस बजट में 77,00,000 का घाटा दिखाया गया है परन्तु इस बात को देखते हुए कि पिछले साल जो बजट आप ने पेश किया है उस में भी घाटा था, अब भी इस प्रांत के जो finances हैं उन को ऐसे अच्छे ढंग से चलाया है कि आयंदा में हमें सुन कर प्रसन्नता होती है कि वह घाटे को दूर कर के एक surplus में तबदील कर देता है। यह भी एक विशेष बात है जिस के लिये मैं समझता हूँ कि वित्त मन्त्री महोदय को बधाई देनी चाहिये। एक सज्जन ने कहा है कि इस बजट speech के अन्दर यह दावा किया गया है कि हम अपनी स्टेट को एक Welfare State अर्थात प्रजा हित वाली स्टेट में तबदील कर रहे हैं और यह कहा गया कि यह दावा बिल्कुल निराधार है।

मैं अध्यक्ष महोदय, एक और बात इस सदन तक पहुंचाना चाहता हूँ। यदि हम बाहर ग्रामों में जा कर देखें या शहरों में जा कर देखें तो जितना विकास का काम हो रहा है उसे देख कर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो यह न कहे कि development का काम बहुत हो रहा है। यह ठीक है कि जो कुछ हम करना चाहते हैं वह सब कुछ नहीं हो पाया। हमें अभी बहुत कुछ करना है और हम लगातार development की तरफ कदम उठाते जा रहे हैं जिस से कोई आदमी भी इन्कार नहीं कर सकता। मुझे

[श्री रला राम]

हुशियारपुर के ज़िले का विशेष ज्ञान है। यदि आप वहां जायें तो यह देखकर दिल प्रसन्न होता है कि ज़िले के अन्दर जहां communications इतनी पिछड़ी हुई थीं अब कई सड़कें ऐसी हैं जिन पर मिट्टी डाली जा रही है और एक साल के अन्दर वह पक्की हो जायेंगी। जो फायदा इन के पक्के होने से जनसाधारण को पहुंचेगा उस से कोई इन्कार नहीं कर सकता। सारे प्रांत के अन्दर जो सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है यह एक कदम तरक्की की तरफ है। छोटे से छोटा किसान भी जब उसे प्रश्न किया जाये तो वह स्वीकार करता है। मुझे ज़ाती तौर पर इल्म है कि एक दफा जब मैं अपने हलके में गया और लोगों से पूछा कि क्या आप जानते हैं कि तरक्की की तरफ कदम उठाये जा रहे हैं तो एक किसान उठा और कहा कि यह ठीक है कि अभी तक हमारी बहुत सी कठिनाइयां हैं लेकिन हम देखते हैं कि तकरीबन हर गांव के अंदर प्राइमरी स्कूल है — तीन-चार मील के फासले पर एक हाई स्कूल बच्चों की शिक्षा के लिए मिल जाता है। सड़कें जो हैं पक्की बनाई जा रही हैं। नहिरों का जाल बिछाया जा रहा है। मैं समझता हूं कि यह बुद्धिमता की बात है। कौन व्यक्ति इस बात से इन्कार कर सकता है कि हमारा कदम आगे उठ रहा है और हम तरक्की की तरफ बढ़ रहे हैं। Socialistic pattern of society अर्थात समाज वादी ढांचा कायम करने के लिये जो कुछ करना है वह मन्ज़िल अभी बहुत दूर है। उस के लिए ध्यान और प्रयत्नों की आवश्यकता है। कदम इस तरफ बराबर उठाये जा रहे हैं। कोई व्यक्ति इस बात से यदि इन्कार करने का साहस करता है तो मैं कहूँगा कि वह अपनी न्यून बुद्धि अर्थात लाइल्मी का परिचय देता है। मेरे एक माननीय मित्र ने कहा है कि लोग असंतुष्ट ही असंतुष्ट नज़र आते हैं। लेबर है तो वह असंतुष्ट है, किसान असंतुष्ट है, उधर व्यापारी असंतुष्टता का राग अलाप रहे हैं। यह ठीक है और यह असंतुष्टता का होना कोई घबराने वाली बात नहीं।

Discontent is divine-असंतुष्टता का होना भी दैवी देन है। जब तक असंतुष्टता कायम रहती है हमारा कदम उन्नति की तरफ बढ़ता है। लोग असंतुष्ट इस बात से नहीं कि कांग्रस गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। हम ने करना बहुत कुछ है और इस लक्ष्य को देख कर प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि हमारी गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी के साथ अपना कदम उठाये। मैं असंतोष के होने में समझता हूँ कि कोई बुराई की बात नहीं। यह स्वस्थय सामाजिक जीवन का लक्षण या जो healthy social life है उस का चिन्ह है। यह कहना कि यहां असंतोष बहुत पाया जाता है इस लिये कांग्रस गवर्नमेंट निकम्मी है मैं समझता हूँ कि इन सज्जनों का दृष्टिकोण बिल्कुल गलत है। असंतोष हमेशा रहा है और रहना चाहिये। यह तरक्की की निशानी है और उन्नति की guarantee है। अगर असंतोष पाया जाता है तो इस का केवल एक परिणाम है कि हमारी जनता जागी हुई है। वह हर चीज़ को देखती है और आगे बढ़ना चाहती है। आप स्कूलों की तरफ देखें। एक हज़ार प्राइमरी स्कूल इस राज्य के अन्दर खोले गए हैं। हाई स्कूलों की तादाद लग भग 150 के करीब एक वर्ष में बढ़ गई है। कालिजों की संख्या बढ़ गई है। Technical Education के लिए भी हमारी गवर्नमेंट निरंतर प्रबन्ध कर रही है।

इस बजट में हमें यह देख कर प्रसन्नता होती है कि लग भग 77 लाख के करीब हमारी गवर्नमेंट multi-purpose schools खोलने के लिये provide कर रही है। इस तरफ से भी किसी तरह हमारी गवर्नमेंट न तो सोई हुई है और न उदासीन है। जहां तक medical relief का ताल्लुक है मैं यह समझता हूँ कि इस बात पर हम बजा तौर पर गौरव कर सकते हैं कि पहले हमारे अपने system of medicines की तरफ कोई तवज्जुह नहीं थी अब पिछले वर्ष में 20 नये आयुर्वेदिक औषधालय खोले हैं और 25 नए औषधालय खोलने का प्रबन्ध किया है। यह ठीक है कि इस तरफ कदम तेज़ होना चाहिए लेकिन हम सही direction में चल रहे हैं इस बात से इन्कार किसी को नहीं होना चाहिए।

जहांतक Community Projects और National Extension Blocks का ताल्लुक है उन की संख्या निरन्तर हमारा शासन बढ़ाता ही चला जा रहा है। इन बातों को देख कर मैं समझता हूँ कि हम तरक्की की तरफ अपना कदम उठा रहे हैं। इस बजट पर जो हमारे वित्त मन्त्री महोदय ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है उस के लिए हार्दिक बधाई देता हूँ। कुछ बातें ऐसी हैं जिन की तरफ अध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा मन्त्रिमण्डल का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यह ठीक है कि तालीम के लिए लग भग $4\frac{1}{2}$ करोड़ रुपया इस वर्ष बजट के अंदर रखा गया है परन्तु मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह चोज़ है कि हमारा तालीमी ढांचा ठीक हो जाएगा और बहुत हद तक जो बेरोज़गारी का प्रश्न है उसे हम हल कर पाएंगे। लग भग जो 76 लाख रुपया रखा गया है वह मैं समझता हूँ कि काफी नहीं है। बहुत अधिक रुपया इस तरफ रखा जाना चाहिए था।

Technical Education के लिए भी प्रबन्ध काफी नहीं है। एक और बात है विशेष कर के teachers का status वगैरा ऊंचा करने के लिए जितना provision चाहिए था वह इस बजट के अंदर नज़र नहीं आता। आप यदि figures को देखें जैसे Budget speech में लिखा है पंजाब के अंदर 54 colleges हैं। इन में से केवल 9 colleges ऐसे हैं जो गवर्नमेंट के है और 45 कालिज privately managed हैं लेकिन उन की सहायता के लिए जो रुपया रखा गया है वह अगले वर्ष से भी कुछ खास कम तो नहीं सिर्फ 7,000 कम है। पहले 5,50,000 रुपया था अब 5,43,000 रुपया रह गया है।

मैं समझता हूँ कि जब तक हम teachers का status समाज में उतना ऊंचा नहीं कर सकेंगे जितना कि होना चाहिए, विद्यार्थियों को intellectual level को भी हम ऊंचा ले जाने में सफल नहीं हो सकेंगे। इस लिए teachers की हालत को बेहतर बनाने के लिए जो प्रबन्ध बजट में किए गए हैं अपर्याप्त हैं। Privately managed colleges इस राज्य में 75 फी सदी education को चला रहे हैं, इन को रुपया देने में अगर हम कंजूसी से काम लेते रहे तो हम इस प्रांत के लोगों का स्तर ऊंचा नहीं कर पायेंगे। इस प्रांत में हज़ार High Schools हैं जिन में से 550 के लग भग privately-managed हैं, इन की सहायता के लिए 7 लाख रुपये की जो रकम रखी गई है बिल्कुल नाकाफी है।

[श्री रला राम]

एक और बात है जिस के लिए अधिक provision होनी चाहिए। जनता देख रही है कि गवर्नमेंट इस बारे में क्या कदम उठाती है। हमारा राज्य सीमा प्रांत है; जब भी यदि संघर्ष हुआ, हमें सब से पहले मुकाबला करना पड़ेगा। इस लिए हमारे प्रांत में नवयुवकों के लिए military training का प्रबन्ध ample measure में होना चाहिए। यह ठीक है कि N. C. C. की संख्या थोड़ी सी बढ़ा दी गई है। हम कालिजों में रोज़ इस बात को महसूस करते है। मेरे अपने कालिज में विद्यार्थियों की संख्या 1954 में 400 थी, अब एक हज़ार विद्यार्थी इस में पढ़ते हैं परन्तु N. C. C. की संख्या वही की वही है। अनेकों नौजवान military training की मांग करते हैं। सीमा प्रांत होने के नाते हर नौजवान के लिए ऐसी training का प्रबन्ध होना चाहिए मगर बजट के अन्दर इस के लिए जो provision की गई है बिल्कुल अपर्याप्त है, यह अधिक होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आप के द्वारा मैं वित्त मन्त्री महोदय का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। एक दफा मैं अपने हलके से मोटर में आ रहा था, सड़क को पक्का किया जा रहा था। ड्राईवर कहने लगा "पाकिस्तान में स्त्रियों को military training दी जा रही है मगर हमारी सरकार इस मामले में उदासीन है। सड़कें ज़रूर पक्की बनाती जा रही है।" किसी ने पूछा, "क्यों?" ड्राईवर बोला, "Military training तो दी नहीं जा रही, जब लड़ाई हुई तो भागने के लिए ज़रूर आसानी रहेगी" (हंसी) यह जनता का दृष्टिकोण है। इस पंजाब को सबल और शक्तिशाली बनाने के लिए military training के लिए अधिक provision होनी चाहिए—स्कूलों में भी और कालिजों में भी।

जहां तक medical relief का सम्बन्ध है, मैं सरकार को आयुर्वैदिक औषधालय खोलने के लिए बधाई देता हूँ परन्तु इतना ज़रूर कहूँगा कि इस तरफ पूरा ध्यान नहीं दिया जा रहा। उदाहरणत: होशियारपुर के civil hospital की ऐसी हालत है कि इसे कायम रखने से सरकार का अपमान हो रहा है। तीन लाख रुपया दवाइयों के लिए रखा गया था मगर पता नहीं वह रकम किस तरफ divert कर दी गई। वहां पर लोगों को दवाइयां ही नहीं मिलतीं। हमारे राज्य की dispensaries में भी दवाइयों की व्यवस्था बड़ी असंतोषजनक है, इस सिलसिले में जनता में जो असंतोष पाया जाता है निराधार नहीं है। इन के लिए जो provision रखी गई है अपर्याप्त है। दवाइयों की कमी के बारे में लोगों की शिकायतों को दूर करने के लिए अभी तक उचित प्रबन्ध नहीं किया गया। यह एक बड़ी भारी समस्या है जिस की ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए।

मुझे यह पढ़ कर खुशी हुई है कि General Administration पर खर्च को कम करने का प्रयत्न किया गया है। इस सिलसिले में वित्त मन्त्री जी ने आंकड़े दिए हैं। साथ ही हमें एक और ज़रूरी बात की ओर भी ध्यान देना चाहिए। इस वक्त जो चीज़ सर्व साधारण जन के अन्दर बड़ा असंतोष पैदा कर रही है, वह है red-tapism छे: छे: महीनों तक लोग अपनी अर्ज़ियों के पीछे फिरते रहे हैं मगर उनको जवाब तक नहीं दिया जाता, उन्हें पता ही नहीं लगता कि आखिर वह अर्ज़ियां गई कहां। मैं समझता हूँ कि खर्च की कमी के साथ साथ, administration की efficiency का बढ़ाया जाना भी ज़रूरी है। कम से कम अर्ज़ियों का जवाब 'हां'

या 'नां' में दिया तो जाना चाहिए । महीनों तक अर्जी का पता न चलना administration के लिए बदनामी लाने वाली चीज़ है । लोगों में जो discontent है, उस वक्त तक दूर नहीं हो सकती जब तक कि administration को reorganise कर के expeditiousness नहीं लाई जाती ।

फिर corruption को दूर करने के बारे में यह पढ़ कर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई है कि एक High Power Committee बनने वाली है परन्तु हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि जन साधारण के मुंह से अब भी यह सुना जाता है कि ऊपर के तबके के अफसरों के तो हालात पहले से 50 फीसदी बेहतर हैं लेकिन subordinate services में corruption पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है । मैं यह समझता हूँ कि जहां तक corruption का ताल्लुक है subordinate services में corruption पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है । मैं यह समझता हूं कि जहां तक corruption का ताल्लुक है subordinate staff में 10 फीसदी से ज़्यादा improvement नहीं हुई । High Power Committee बनाने के इलावा corruption को दूर करने के लिए और effective steps भी लिए जाने चाहिएं । जब तक इस corruption पर काबू पाने के लिए पूरा प्रयत्न नहीं करेंगे तब तक हमारी administration वह सूरत हासिल नहीं कर सकेगी जो कि एक Welfare State के अन्दर इसे होनी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय अन्त में आप के द्वारा वित्त मन्त्री महोदय का ध्यान unemployment problem की ओर दिलाना चाहता हूं । उन्होंने बताया है कि सरकार बेरोज़गारी को किस प्रकार दूर करने की कोशिश कर रही है परन्तु इस वक्त तक इस को दूर करने के लिए कोई ठोस कदम उठाए गए देखने में नहीं आते । जहां तक ग्रामीण लोगों की unemployment का ताल्लुक है, कुटीर उद्योग का विकास ही उसे दूर कर सकता है लेकिन इनका ढांचा अभी तक देखने को नहीं मिलता । मैं फिर कहता हूँ कि ग्रामों के अन्दर कुटीर उद्योग (cottage industry) को organise न किया जाएगा उस वक्त तक हम बेरोज़गारी को किसी बड़े पैमाने पर दूर करने का दावा नहीं कर सकते और न हम इस बात में सफल होंगे ।

श्री श्री चन्द (बहादुरगढ़) : साहिबे सदर, हमारे वज़ीर खज़ाना साहिब ने यह शिकायत की थी कि opposition की तरफ से अच्छे कामों के लिए भी कोई मुबारकबाद पेश करने के लिये तैयार नहीं होता । मैं अपने वज़ीर खज़ाना साहिब को एक ऐसे मद्दे और एक ऐसे निकम्मे बजट को इस खूबसूरती के साथ लिखने (पेश करने) की मुबारकबाद देता हूं । चूंकि मैं उस दिन हाज़िर नहीं था जब मैं ने अखबारों में यह पढ़ा कि इस साल पंजाब में कोई Tax नहीं लगाया जाएगा तो मुझे बहुत खुशी हुई । लेकिन मुझे ताज्जुब था कि पंजाब की सरकार क्या और टैक्स न लगाए यह ना-मुमकिन था । जब मैं ने address पढ़ा तो जिस चीज़ को सोच रहा था वह ठीक निकला । एक जगह लिखा हुआ है कि ज़मींदारों को बड़ी तकलीफ होती थी क्योंकि Transfer of Property Act उन की ज़मीनों पर लागू नहीं होता था । इस लिये हम इनको यह हक देते हैं कि Transfer of Property Act उन की ज़मीन पर

[श्री श्री चन्द]

लागू हो जाएगा। मैं पूछता हूँ कि यह अगर टैक्स नहीं है तो और क्य है? अब तक यह बात थी की अगर कोई गरीब ज़मींदार अपनी ज़मीन किसी के पास बेचता हो या रहन करना चाहता हो तो उसे रजिस्ट्री करवाने के लिए दाम देने की ज़रूरत नहीं थी। वह पटवारी के पास जाता था उस से लिखवा लेता था और कागज़ दाखिल दफतर हो जाते थे। लेकिन अब वज़ीर माल ने लोगों पर बड़ी मेहरबानी कर के उन को इस Act के तहत कर दिया है जिस का मतलब यह है कि अगर अब कोई ज़मीन बिकेगी या बैय होगी या रहन होगी तो उस की रजिस्ट्री लाज़मी होगी और उन के लिये दो रुपये सैंकड़ा सरकार को देने होंगे। फिर कहते हैं कि कोई Tax नहीं लगाया गया। मुझे तो ताज्जुब है और मैं पूछता हूँ कि यह Tax नहीं लगाया गया तो और क्या लगाया गया है? कई लोग कहते हैं कि हमारी सरकार से कोई भी satisfied नहीं है, सब लोग असंतुष्ट हैं। मैं कहता हूँ कि यह भी गलत है। इस गवर्नमेंट मे सारे पंजाब में केवल यही वज़ीर इतने satisfied हैं कि (Laughter) उन्हें किसी किस्म का एतराज़ नहीं है। अगर इस राज्य में पंजाब का कोई आदमी खुश है तो वे Ministers हैं। इस के इलावा मज़दूरों से पूछो तो वे रोते हैं, किसानों से पूछो तो वे रोते हैं, मुज़ारों से पूछो तो वे कहते हैं कि हम तबाह होगए और अगर दुकानदारों के पास जाओ तो वे कहते हैं कि पंजाब छोड़ कर U.P में चले जाएंगे। मैं ने कई Transport वालों को देखा है वे रो रहे हैं। जिस किसी के पास जाएं वही कहता है कि तबाह कर दिया है इस गवर्नमेंट ने, जमुना पार चले जाएं या पंजाब में रहें क्या करें। हमारे वज़ीर साहिब कहते हैं कि देखा क्या २ तरक्की कर रहे हैं। वे कहते हैं कि 300 फी सदी तो कपास की बढ़ौती होगी। मैं मानता हूँ कि टैक्स की बढ़ौती तो हुई है और वह 400 फी सदी हुई है। सिवाए टैक्स के किसी चीज़ की बढ़ौती नहीं हुई। जिन दिनों यहां पर food control था हमारे वज़ीर साहिब एड़ियों से ऊपर उठ कर बोलते थे कि गरीबों को खिलाने के लिए ज़मींदारों को इजाजत नहीं दी जा सकती। हम नहीं देख सकते कि वे इतना महंगा अनाज बेचें क्योंकि हम ने गरीबों को खिलाना है, गरीबों का तो वे रोना रोते हैं खिलाना तो दरअसल उन्हें शहरों में अमीरों को है। उस वक्त उन्हों ने किसानों के लिये फांसी लगा दी थी कि तुम 14 रुपये मन से ज़्यादा गेहूं नहीं बेच सकते। उस वक्त तो उन्हों ने सारे पंजाब का ठेका ले रखा था। आज जब 5 रुपये मन चना बिक रहा है और 7, 8 रुपये मन गेहूं बिक रहा है तो उन की गवर्नमेंट कहां चली गई है। पहले इस बात के ठेकेदार थे। किसान काम करें लेकिन ज़्यादा कीमत नहीं ले सकते तो अब उन का यह भी ठेका होना चाहिये कि ज़मींदारों को अगर मुनाफा नहीं मिलता तो न मिले कम से कम उन की लागत तो उन को मिल जानी चाहिये। हमारी Ministry कितनी बहादुर है, पंजाब का गेहूँ दिल्ली से आगे नहीं निकाल सकती। दिल्ली में अमरीका का गेहूँ तो आ सकता है, दिल्ली में चाहे जहां से गेहूं आ कर बिके लेकिन पंजाब का गेहूँ दिल्ली को cross नहीं कर सकता। दिल्ली के ताजर तो इसे ले जा सकते हैं। हमारे वज़ीर साहिबान कहते हैं कि पंजाब का गेहूँ दिल्ली से आगे नहीं जा सकता। अगर दिल्ली से आगे पंजाब का गेहूं नहीं जा सकता तो पंजाब में और कोई गेहूँ दाखिल भी नहीं होने देना चाहिए। आज

उन के भाई साहिबान 4,4 5,5 और तीन तीन रुपये मन का सट्टा चने के भाव के लिए लगाने के लिए तैयार हैं। अगर ऐसा ही हुआ तो गेहूँ का भाव कैसे कायम रह सकता है? कहते हैं कि 78 करोड़ रुपया हम Tax का नहीं ले रहे बल्कि यह Betterment Charges हैं। यह Betterment Charges उन ग़रीबों पर, उन ज़मींदारों पर लगाए जाएंगे जिन को पानी मिलेगा। 15 अगस्त 1947 का दिन बड़ा मुबारिक दिन है लेकिन हमारी गवर्नमेंट को ज़िद है कि वह इस को मुबारिक नहीं बनने देगी वह कहती है कि 15 अगस्त 1947 के बाद जिस ज़मीन को पानी मिला है या मिलेगा उस ज़मीन पर Betterment charges लगाने का सरकार को हक होगा और जो कीमत उस ज़मीन की बढ़ी है उस का आधा ले लेने का हक सरकार को होगा। इस तरह हमारी सरकार का अन्दाज़ा है कि 78 करोड़ रुपये के करीब यह Betterment Charges वसूल करेगी। 5 करोड़ रुपया इस बात का वसूल करेगी कि यहां पर मुरब्बा बंदी की जाएगी। चार करोड़ रुपया इस्तेमाल से इकट्ठा होगा। डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को तोड़ कर local rate दुगने कर दिए हैं। उन्हों ने चौकीदारा तिगना कर दिया है। मुझे बताएं कि कौनसा टैक्स है जो इन्हों ने दुगना या तिगना नहीं किया। इस गवर्नमेंट से पहले पंजाब में 2 करोड़ रुपये का टैक्स था, आज इस में 28 करोड़ रुपये के टैक्स हैं। फिर कहते हैं कि हम बेहतरी करना चाहते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि इस टैक्स से उन्हों ने बनाया क्या? कहते हैं कि services पर पहले 33% खर्च आता था अब उन्हों ने 22% कर दिया है! अगर सात करोड़ के बजट में से खर्च 33% आता था अगर अब 28 करोड़ के बजट में 22% खर्च आता है तो इस में क्या कमी की है उन्हों ने। कहा जाता है कि हम ने पंजाब में S.D.Os का जाल बिछा देना है। पंजाब में तो उन्हों ने पहले ही बहुत से जाल बिछा रखे हैं। अब यह S.D.Os. का जाल बिछाने की क्या ज़रूरत है? कौनसा जाल है जो उन्हों ने नहीं बिछा रखा है। हमारी Government of India, Pandit Nehru की तरफ से हुक्म होता है कि अमरीका से कर्ज़ ले रहे हैं इसे economically खर्च करो और State Governments भी कर्ज़ा दें ताकि बाहर से न मांगना पड़े। लेकिन हमारी वज़ारत की बहादुरी देखो, थानेदारों और तहसीलदारों के ज़रिए ग़रीबों को मरवा २ कर 4½ लाख रुपया सिर्फ ज़िला रोहतक से ही इकट्ठा करवाया है। कहते हैं कि हिंदुस्तान में रोहतक का ज़िला सब से ज़्यादा कर्ज़ दे सकता है, सोनीपत कर्ज़ देने में हिंदुस्तान में सब से आगे है। उन से चन्दे के बहाने मांग कर बैंकों को दे कर 3½ % और 5 % में जो फर्क था वह सूद दे कर कहते हैं कि पता नहीं कि कितना बनता है। उन ग़रीबों ने पेट काट कर और डर के मारे वह रुपये दिये थे जो उन्हें वापस नहीं मिलेंगे। मण्डियों में जो करोड़पति और लाखपति बैठे हैं उन्हों ने कितना कर्ज़ा दिया है? कहते हैं कि वह तो चन्दा था और वह कर्ज़ा है।

अगर नहरें खोदी जाती हैं तो कहा जाता है कि इस में आधा हिस्सा डालो, अगर पुली बनाई जाती है तो कहा जाता है कि इस में 1/3 डालो, स्कूल खोले जाते हैं तो उन्हें building contribute करने के लिए कहा जाता है। आप बताएं कि कौन सी चीज़ आप ने देहात के लोगों के लिए की है? कौन सा उन को फायदा पहुँचाया है आप ने? आप के हस्पताल हैं, कहने को तो हस्पताल हैं। खुदा न करे अगर किसी की टांग टूट जाए तो डेढ़ डेढ़ घन्टा तो पहले इन्तज़ार करना पड़ता है और जब बारी आती है तो जवाब मिलता है कि जनाब हस्पताल में तो बांधने के

लिए पट्टी नहीं है । आप बाज़ार से पट्टी ले आएं तो बांध दी जा सकती है। कहीं हस्पताल खुले हैं पर उन में डाक्टर नहीं । कहीं dispensaries खुली हुई हैं तो उन में दवाइयां नहीं। यह क्या कम तरक्की है जो हमने पिछले चन्द सालों में की है और कर रहे हैं ? मैं आप को बताता हूँ, जनाब, मेरे एक accident हो गया ! मैं हस्पताल में गया । मैं हैरान हुआ ये देख कर कि वहां पर कोई डाक्टर नहीं था। कमपांऊडर बैठा था। जब मैं ने पट्टी के लिए कहा तो जवाब मिला पट्टी तो है नहीं, बांधूं कैसे।

हरियाना के अन्दर कितनी नहरें खोदी गई हैं, सूये खोदे गए हैं ? पर वहां पर पानी नहीं। कहते हैं वहां पर मोरियां देंगे। हाल क्या है ? किसी मोरी को कम कर दिया, किसी को इधर से उधर और किसी को उधर से इधर कर दिया । दो महीने उस में पानी दे दिया और इस से आबयाना ठोक दिया। यह तो है आप की नहरें । कहते हैं कुएं खुदवाएं गे । हरियाना में भाखड़ा का पानी नहीं आएगा इस लिये वहां कुएं खुदवाएंगे । हमारे लिए तो आप ने पहले ही कितने कुएं खोद रखे हैं, अब नए खुदवाने की क्या ज़रूरत पड़ गई (हंसी) ?

ਅਰਥ ਮੰਤ੍ਰੀ: ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

श्री श्री चन्द : खूब पानी दिया आप ने !! आखिर कौन सी तरक्की आप ने की ? एक तरफ taxes बढ़ाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ कीमतें नीचे गिरी जा रही हैं और उधर आप ज़मीनों को छीने जा रहे हैं। पहले आप ने 100 एकड़ का कानून बनाया । उस के लिए किसी ज़मींदार ने अपने लड़के को कालेज से वापिस बुलाया, किसी ने टरैक्टर खरीद किए और किसी ने कुएं खुदवाए। जब उन्होंने यह सारा सिलसिला कर दिया तो आप ने कहा नहीं भाई 100 ज़्यादा है 50 एकड़ रहनी चाहिये । उस ने पहले अपने लड़के को स्कूल से छुड़वाया कि कहीं ज़मीन और न छिन जाए, उस को ज़मींदारा पर लगाया और झट आप ने हुकम सुनाया कि नहीं, हम चाहते हैं कि 50 से ज़्यादा कोई ज़मीन अपने पास न रखें, बाकी की सब मुज़ारों में बट जाए। वह भी किया। आप को यहीं पर चैन ना आया । आप ने यहीं पर बस न किया । 50 से भी 30 पर आगए। जब यह सब कुछ होगया तो रौला रप्पा मचाया गया कि मुज़ारों को बेदखल किया जा रहा है। आप के पास कौन सा मुज़ारा आया जिस ने आप से फरयाद की कि मैं बेदखल हो गया हूँ ? मतलब सिर्फ यही है कि आप ने देहात में ज़मींदारों को इतना गरीब बना देना है ताकि उन में कोई दम न रहे, सारी चीज लालों के हाथ में चली जाए, कर्ज़ लेना शुरू हो जाए और वही बनिया और सूदखोरी का सिलसिला चल पड़े । आप पंजाब के अन्दर ज़मींदार के खून को फिर चूसना चाहते हैं। पंजाब में ज़मींदार ही एक ऐसा बैल है जिस के सींगों पर सारा पंजाब खड़ा है। यह वही बैल है जिस की मेहनत के नताजे के तौर पर चन्डीगढ़ में आलीशान इमारतें खड़ी की जा रही हैं, मिनिस्टरों की तनखाहें बनती हैं, अफसरों की तनखाहें बनती हैं, वज़ीरों को T. A. और इतने आलीशान महल रहने को मिलते हैं। मैं आप के ज़रिए, साहिबे सदर, इस गवर्नमेंट को और खासकर सरदार प्रताप सिंह कैरों जी को यह चेतावनी देना चाहता हूँ कि यदि बैल मार दिया गया तो फिर चीचड़ ही बाकी रह जाएंगे, आखिर में यह भी मर जाएंगे और सारा पंजाब खत्म हो जाएगा (हंसी)। हमें पता है कि पांच चार ऐसे लोग उन को घेरे हुए हैं जिन के या तो

interests आपस में clash करते हैं या दुश्मनी है। उन्हों ने प्रताप सिंह के हाथ में छुरा दे रखा है कि उस बैल को काटो। जब बैल मार पड़ने पर भी नहीं मरता फिर यह सिर उठाता है तो उधर से एक आदमी आ जाता है कहता है फिर काटो। इस तरह किसी ने कहीं सिर दे रखा, किसी ने इधर और किसी ने उधर। यह तो हाल है इस गवर्नमेंट का और policies का और फिर कहते है कि हमने बहुत भारी तरक्की कर ली। मैं जानता हूँ कि हमारे फाईनेंस मिनिस्टर (Finance Minister) बहुत अच्छा लिखने वाले हैं। बड़ा तर्ज़ के साथ लिखते हैं। यह भी लिखा है कि 300 फीसदी कपास की production बढ़ गई। अगर बढ़ भी गई तो क्या फायदा जब उन्हों ने यह फैसला कर लिया है कि पंजाब को छोड़ देंगे। यहां से ज़मानों को छोड़ कर यू॰ पी॰ में बस जाएंगे। पाकिस्तान को तो जाने का रास्ता नहीं है कहीं इधर चले जाएंगे। यह तो है ज़मींदारों की हालत और फिर कहते हैं कि हम socialistic pattern की State बना रहे हैं। क्या शानदार है आप की यह state जहां मिनिस्टरों की तनखाहें तो एक हज़ार रुपया माहवार हैं और चीफ़ मिनिस्टर साहब एक ऐसी कोठी में रहते हैं उस का किराया अगर उसी हिसाब से लगाया जाए जिस तरह कि मैम्बरों से चार्ज किया जाता है तो पांच हज़ार रुपया माहवार निकलता है। यह pattern उस मुल्क से लिया जा रहा है जहां कहते हैं कि पांच एकड़ ज़मीन का टुकड़ा भी ज़मींदार के लिए नहीं रहना चाहिए, यह भी ज़्यादा है। मैं हैरान हूं कि देहातों में एक तरफ तो रूस का तरीका चलाया जा रहा है और दूसरी तरफ शहरों में अमरीका का pattern अपनाया गया है। यह दोनों तजरुबे हिन्दुस्तान में एक ही वक्त किए जा रहे हैं। गांव में तो कम्यूनिस्ट तर्ज़ का ढांचा बनाया जा रहा है और शहरों को अमरीकन pattern पर खड़ा किया जा रहा है। यहां पर 65 लाख रुपये की तो सिर्फ एक हाई कोर्ट की बिल्डिंग बनी है —— उस देश में जहां का भूखा फकीर इंगलैंड के बादशाह के साथ मिलने गया तो वह भी एक लंगोटी बांध कर। उसी मुल्क में सच्चर साहिब जो उन के चेले हैं ऐसी कोठी से कम कोठी में रह ही नहीं सकते जिस का माहवार किराया 5 हज़ार रुपया हो। पहली में तो शायद सच्चर साहिब को पिस्सू पड़ गए थे (*Laughter*) मैं पूछता हूँ कि इतनी बड़ी और costly building सैक्रेटेरियेट के लिए बनाने की क्या ज़रूरत थी। क्या सूबे के Secretariat में कलर्क लोग लिख नहीं सकते थे? वहां क्या बैठ कर Financial Commissioner काम नहीं कर सकता था? मैं समझता हूँ कि उन्हों ने यह इसी लिये किया है कि भौचाल का एक झटका आए और जिस से यह बिल्डिंग बैठ जाए और फिर इन के ठेकेदारों की पौ बारह !!

यहां चण्डीगढ़ बनाया। हज़ारों ग़रीबों की झौंपड़ियों पर अब आलीशान इमारतें बन रही हैं। हाई कोर्ट के pattern को पता नहीं कि किस मुल्क से देख कर आए थे, ऐसी चीज़ तो हमारे मुग़ल ज़माने में भी नहीं मिलती थी। कहते हैं कि इस पर सिर्फ चार लाख रुपया की छत ही पड़ी है। हमें तो समझ नहीं आती कि पंजाब के सिर पर यह क्या नमूना टांग दिया है पर बड़े संजीदा होकर कहते हैं कि हमने मुल्क में यह कर दिया, वह कर दिया, बड़ी तरक्की कर दी !! क्या इस तरह इतनी कीमतों पर फजूल खर्ची करने से आपको घाटा नहीं पड़ता? बताओ शहरों में तो कर दिया लेकिन देहातियों के लिए आपने क्या किया? क्या दिया है उन्हें? क्या किया अगर चार पांच हाई स्कूल खोल दिए थे? अंग्रेज़ ने क्या यह नहीं किया? अगर और कोई हुकूमत होती तो क्या वह यह भी न करती? अंग्रेज़ ने आगे से ताला लगा दिया होता? उसने क्या सड़कें नहीं बनाई? ऐसा तो कोई भी हुकूमत हो वह अपने राज में किया ही करती है। अगर

[श्री श्री चन्द]

रेल चलाई तो अंग्रेज़ ने। क्या वह और रेलें बनाना और ज़्यादा गाड़ियां चलाना बन्द कर देता ?

आप के कालेज क्या हैं ? बेकारी पैदा करने की एक शानदार मशीन!! क्या किया कालेज के लड़कों के लिए आपने ? इन हालात में अगर मुल्क में कम्यूनिज़म न आएगा, देश में एक भयानक revolution न होगा तो और क्या होगा ? आए साल कितने लाख लड़के कालेजों से डिग्रियां हासिल करके निकलते हैं। मैंने देखा है कि कई B. A. पास लड़के मेरे पास आते हैं। कहते हैं हमें नौकरी चाहिए नौकरी दिलवाओ। मैं उन्हें कहता हूं कि भाई नौकरी तो आजकल मिलती नहीं। वैसे भी हमारे कहने से कौन देगा। हम तो Opposition में हैं। चौधरी शेर सिंह और बदलू राम के पास जाओ। अगरचि हम जानते हैं कि वहां से भी मायूस हो कर ही आना पड़ेगा क्योंकि उन्हें भी कौन पूछता है ? बात असल में यह है कि इनका कोई भी settled programme नहीं, पालिसी नहीं। अंग्रेज़ों के ज़माना में था। उनकी colonies थीं, I. C. S. रखने होते थे। इंजीनियर्ज़ भेजने होते थे। यह ठीक है कि इन्होंने 40 लड़के Engineering College में दाखिल कर लिये हुए हैं। पर यह तो यह सयास्तदान ही जानें कि इनको कहां provide करना है।

इन की सयासत का भी सुन लीजिए। हमने एक दिन चीफ़ मिनिस्टर साहिब से पूछा कि क्यों आप पंजाब की पुलिस को जम्मू भेज रहे हैं ? क्यों आप वहां के लोगों पर fire करने के लिए पंजाब की पुलिस दे रहे हैं ? जवाब मिला कि शेरे कशमीर शेख मुहम्मद अब्दुल्ला की पीठ मज़बूत करने के लिए। अब कहां है वह शेरे कशमीर ? जब हमने कहा कि यह शेरे कशमीर नहीं तो हंस दिये, हम पर मज़ाक उड़ाए गए; हमारी एक न सुनी गई। अब वही शेरे कशमीर मुल्क का गद्दार बना है और जेल की चार दीवारी में बैठा है। इसी तरह हमारी गवर्नमैंट अमरीका से इंजीनियर्ज़ लाई। कहने लगे कि इन के मुकाबले का कोई दुनिया में नहीं मिला। अब हमने पता लगाया तो मालूम हुआ कि वह वहां मिस्तरी थे, मोटरें गाड़ा करते थे। यह लिखत में आया हुआ है कि इन मिस्तरियों को 61 लाख रुपया सफ़र का दिया हुआ है।

इसी तरह, जनाबे वाला, हमारे एक और मिनिस्टर हैं। उन्होंने अपने सभी अफ़सरों के ऊपर एक teacher रखा हुआ है—S. Charanjit Singh। उसी से आखिरी सलाह की जाती है कि आया यह अफ़सर ठीक कहता है या नहीं। वही किया जाता है जो वह कहता है। यह क्या तमाशा बना रखा है ? I. C. S. अफ़सर और Director वग़ैरा के लिखे की कोई परवाह नहीं की जाती—जो कुछ चरणजीत सिंह कहे वही ठीक माना जाता है। वही होगा जो वह लिखेगा।

कहते हैं कि जिस बीमार के ऊपर ज़्यादा डाकटर लगाए जाएं वह ज़रूर मर जाता है। कहते हैं कि corruption को दूर करने के लिए अब एक कमेटी बना रहे हैं। उस कमेटी को शायद अब छत के ऊपर बठाएंगे जिस के President हमारे चीफ मिनिस्टर साहिब होंगे। उसके under और छोटी छोटी कमेटियां बनेंगी जिससे रिश्वत पकड़ी जाएगी। रिश्वत को दूर करने के लिए तो आपने पहले क्या कम कमेटियां बिठाईं? Special Inquiry Agency, Anti Corruption Committee और न जाने क्या क्या। और अब यह नई कमेटी। मैं जानता हूं कि इसका वही हाल होगा जो उस बीमार का होता है जिस के ऊपर कई डाक्टर बिठा दिए गए हों। वह बीमार कभी नहीं ज़िन्दा रह सकता—ज़रूर मर जाएगा।

स्पीकर साहिब, इन को चाहिए यह था पुलिस को इख्तियारात दे देते कि वह सब को एक जैसे तरीके से पकड़ सके। यह अजीब बात है कि अगर एक छोटा मुलज़िम रिश्वत ले तो उसे पुलिस पकड़ सकती है पर अगर एक Deputy Commissioner रिश्वत लेता है तो उसे वह नहीं पकड़ सकती और उस की शिकायत आए यहां पर चण्डीगढ़ में। यह क्या तमाशा है? जब एक कसूर करता है या जुर्म करता है—चाहे वह बड़ा है या छोटा है तो उस के लिए पुलिस को इख्तियारात होने चाहिएं लेकिन इन्हों ने हर एक के लिए अलहदा अलहदा महकमे बना रखे हैं। एक Engineer को Special Inquiry Police के साथ लगा रखा है। जब यह पुलिस कातलों को और डाकुओं को पकड़ने में कोई कसर उठा नहीं रखती तो क्या वह रिश्वत लेने वाले अफसरों को पकड़ नहीं सकेगी? फिर स्पीकर साहिब, इन्हों ने अब दाखिल खारज करने के लिए दो माल अफसर लगाए हैं क्योंकि यह समझते हैं कि नायब तहसीलदार रिश्वत ले लिया करते थे। तो मैं इन से पूछता हूं कि क्या माल अफसर रिश्वत नहीं ले लेंगे? वे लेंगे और ज़्यादा लेंगे। इस तरह से रिश्वत बन्द नहीं होगी। अगर इस दाखिल खारिज के काम पर एक I. C. S. को भी लगा दिया जाए तो वह भी रिश्वत लेगा और अगर एक काम के लिए नायब तहसीलदार 50 रुपये रिश्वत लेता है तो वह 5 हज़ार रुपया लेकर वही काम करेगा। इस सारी बात का मतलब यह है कि यह सब अपने अपने आदमी लगाना चाहते हैं किसी का कोई आदमी है किसी का कोई और यह सब को लगाना चाहते हैं। इस का नतीजा यह हुआ है कि हमारे सूबे की कुल आमदनी का 22 per cent सिर्फ नौकरी वालों पर खर्च हो रहा है यानी सूबे की आमदनी का इतना बड़ा हिस्सा इस की administration पर खर्च हो रहा है और इस के साथ ही 5 per cent मामले का इस की वसूली के लिए लम्बरदारों को पंचोतरे की शक्ल में दिया जाता है। यह हालत हो रही है हमारे सूबे की।

स्पीकर साहिब, इन इलफाज़ के साथ मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूँ।

राए रघुबीर सिंह (सिराज): अध्यक्ष महोदय, बजट जो इस सभा के सामने पेश किया गया है उस को देखने पर हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि यह बजट हमारे सूबा को तरक्की की ओर लेजाने वाले प्रोग्राम के मुताबिक लाया जा रहा है। हम इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि यह जीती जागती बहती हुई नहरें और बिजली और इस power को पैदा कर के क्या यह आगे को ले जाने वाला प्रोग्राम नहीं है? इस में कोई शक नहीं है कि जो आमदनी है इस सूबा की उस के मुताबिक ही इस का खर्च है और हमारे वित्तमन्त्री इन्हें बराबर रखने में निपुण हैं। वह घाटे को पूरा कर सकते हैं। पिछले साल भी उन्हों ने बजट में घाटा दिखाया था और उस को बहुत हद तक पूरा किया गया है और मैं उम्मीद करता हूं कि यह जो आमदनी से ज़्यादा खर्च है इस को इसी से पूरा किया जाएगा। लेकिन मैं अपनी सरकार की तवज्जुह उस इलाके की तरफ भी दिलाना चाहता हूं जिसे खुद चीफ मिनिस्टर साहिब ने दौरा कर के देख कर यह राए कायम की थी कि वह एक पीछे रहा हुआ इलाका है। अब हम ने देखना है उस देश से आमदनी के आंकड़े और उस देश पर किए जाने वाले खर्च के आंकड़े इस बजट में क्या हिस्सा रखते हैं। जो आमदनी इस देश से इस बजट में दिखाई गई है और जो खर्च उस पर किया जाना है उन्हें देखकर, अध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ

[राए रघुवीर सिंह]

निराशा हुई है इस बात के लिए बावजूद हमारी वज़ारत की उस इलाके की तरफ ज्यादा ध्यान देने की तीव्र इच्छा के, कोई खास ध्यान इस बजट में नहीं दिया गया। अभी उस दिन जब backward इलाकों के resolution पर बहस के दौरान हमारे माल मन्त्री महोदय ने फरमाया था कि वह इस इलाके को backward समझते हैं जहां के लोगों के चेहरे सूखे हों, जिन के पास पहनने को कपड़ा न हो और जिन में तालीम न हो और जब यह मन्त्री जी खुद तसलीम करते हैं कि वह इलाका एक backward इलाका है तो मैं उन से पूछता हूँ कि क्या backward इलाके के लिए जो कुछ दिया गया है वह काफी है? उस दिन माल मन्त्री महोदय ने ज़िक्र किया था कि कुल्लू को एक N.E.S. Block दिया हुआ है। तो मैं उन से पूछता हूँ कि वहां पर community project का काम खत्म होने पर क्या उस इलाके का सारा उद्धार हो जाएगा? मैं जब देखता हूं कि बाकी पंजाब किस तरह से तरक्की कर रहा है तो मुझे खुशी होती है और मैं अपनी तरफ से और अपने उन भाईयों की ओर से जो पिछड़े हुए देश के वासी हैं अपने इन पंजाबी भाइयों को बधाई देता हूँ लेकिन साथ ही यह देखता हूँ कि जो भाखड़ा पर बान्ध बान्धा जा रहा है उस के नीचे उस इलाके के गरीब लोगों की लाशें हैं जो उस को कायम रख रही हैं। स्पीकर साहिब, सिराज और कुल्लू के इलाके के लोग पशु नहीं रख सकते ताकि जंगल बच जाएं और erosion न हो। आप उन लोगों को पशु धन नहीं बढ़ाने देते, उन्हें गाय बकरी नहीं रखने देते क्योंकि जंगल बढ़ाने हैं लेकिन हमारी सरकार उस देश के वासियों को इन कुरबानियों के बदले क्या दे रही है? मेरे देश वासियों का मतलब है मेरी constituency के लोग। उन को इन कुरबानियों पर अभिमान है, उन को इन पर गर्व हासिल है, और बाकी सूबे की बेहतरी के लिए वह आयंदा भी कुरबानियां करने के लिए तैयार हैं। हमारे मन्त्री जानते हैं कि वह पिछड़े हुए लोग जो इस गौरव के पात्र रहे हैं अब भी वे Welfare State के लिए जो जरूरी प्रोग्राम हैं उन्हें पूरा कर रहे हैं। N.E.S. Block में voluntary labour द्वारा और देश के हितों में जो कुछ भी वे कर सकते हैं वे करते रहेंगे। ऐसा करने के लिए वे हरदम तैयार हैं और रहेंगे लेकिन हमारी सरकार उनके लिए क्या कुछ कर रही है? मैं हाऊस की तवज्जुह इस ओर दिलाऊंगा। जंगलात की कांगड़ा ज़िला के अन्दर और हुशियारपुर के अन्दर पांच divisions हैं और Forest Department को इन पांच divisions से काफी आमदनी प्राप्त है लेकिन इस आमदनी का लग भग 90 फीसदी हिस्सा North Circle पर खर्च किया जाता है और बाकी सारा South Circle पर। मैं यह नहीं चाहता कि South Circle पर खर्च न किया जाय यह ज़रूरी है क्योंकि West Punjab में हम छांगा मांगा इत्यादि बड़े २ जंगलात खो चुके हैं। हमें वह कमियां और जरूरत पूरी करनी है। पर मैं यह ज़रूर कहूँगा कि उन का तरफ भी ज़रूर तवज्जुह दी जाए। आखिर वह भी देश की जनता की ज़रूरत है और वह भी देश की तरक्की का हिस्सा है। बड़े बड़े जंगलात तो पहले ही उधर रह गए हैं। मैं तो यह चाहता हूँ कि बाकी के पंजाब में भी अच्छे अच्छे जंगलात हों लेकिन यह नहीं कि उन गरीब लोगों की आमदनी का हिस्सा दूसरों पर खर्च कर दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं बताता हूँ कि उन लोगों की सही मांग क्या है। नमक एक

ऐसी चीज़ है जिस की ज़रूरत गरीब से गरीब आदमी को भी होती है। यह वहां 13 रुपये मन बिकता है। स्पीकर साहिब, वहां मेरे इलाके में कुछ ऐसी जगह भी हैं जो इतनी दूर हैं जहां पर चीज़ें पीठ पर लेजानी पड़ती हैं और वहां तक ले जाने में दो रुपये रोज़ मज़दूरी लेने वाले मज़दूर को पूरा दिन लग जाता है। इसी लिए ऐसी चीज़ें जिन के बगैर किसी का गुज़ारा नहीं हो सकता वहां जा कर महंगी बिकती हैं और इसी तरह जो वहां की पैदावार है बाहर आसानी से न लाए जाने के कारण वहां से बड़ी सस्ती खरीद कर लाई जाती है। वहां की पैदावार है आलू और फल। स्पीकर साहिब, जो फल यहां 40 रुपये मन बिकता है वह वहां से 3 या 4 रुपये मन खरीद कर लाया जाता है। वहां की सड़कों की तरफ़ तवज्जुह नहीं दी गई। वहां सड़कों की बड़ी ज़रूरत है ताकि उस देश की उपज का ज़्यादा से ज़्यादा मोल मिल सके। यह उस देश की सब से पहली मांग है। मैं यह नहीं कहता कि सरकार उन लोगों के लिए कुछ नहीं कर रही। वह कर रही है। इस में कोई शक नहीं है कि वहां जितनी भी पंचायतें हैं उन में से छोटी छोटी पंचायतों को छोड़ बाकी सब में स्कूल खोले गए हैं और जो कुछ पंचायतें रह गई हैं उन के लिए भी उम्मीद की जाती है कि वहां भी स्कूल खोले जाएंगे। लेकिन यहां मैं Outer Seraj के एक स्कूल की हालत बताना चाहता हूँ। वहां एक मास्टर है और डेढ़ सौ लड़के पढ़ते हैं। वह एक मास्टर कैसे पढ़ा सकता है? फिर जो मास्टर वहां जाता है वह फंस सा जाता है। हुशियारपुर या किसी और गर्म इलाके का रहने वाला अपने आप को उस सर्द इलाके में फंसा हुआ समझता है, इस लिए मौका मिलते ही भाग जाता है। यह अवस्था है वहां के स्कूलों और पढ़ने वाले लड़कों की। मास्टर जी की appointment हुई और उस के बाद जलदी ही किसी और जगह काम बनते ही भाग गए। फिर स्कूल को 6 महीने तक कोई मास्टर ही नहीं मिलते। आप ही सोचें कि पढ़ने वाले लड़कों की क्या अवस्था होगी। सरकार ने primary तक मुफ्त तालीम कर दी है, हम इस पर इसे बधाई देते हैं। मगर Middle Schools का क्या हाल है? Outer Seraj में तीन Middle Schools हैं। दो में Headmasters नहीं हैं। यह नहीं कि ऐसा आज ही है बल्कि पिछले साल से ही नहीं हैं। मुश्किल से अब जा कर एक को Headmaster प्राप्त हुआ है। दूसरे स्कूल में अब भी नहीं। गरीब लोग बच्चों की फीसें भरते चले आ रहे हैं मगर पढ़ाने वाला कोई नहीं। वजह यह है कि वहां तो कोई लिखा पढ़ा नहीं और बाहर से कोई पहुँचता नहीं। वह बेचारा भी वहां जा कर क्या करे? जिस को एक बार घर आने जाने में 150/-/-- रु० खर्च पड़ जाए वह तनखाह में गुज़ारा कैसे करे? अर्ज़ यह है कि आप वहीं से मास्टर पैदा करें होनहार लड़कों को higher education के लिए stipends दे कर।

एक और बात बड़ी ज़रूरी है। पहाड़ के लोग, (गिरिजन) बड़े हिम्मती आदमी हैं। वह सदा self dependent रहना चाहते हैं। इस लिए एक ही family में एक भाई जुलाहे का काम करने वाला, दूसरा मिस्त्री तो तीसरा खेती बाड़ी का माहिर मिलेगा। गर्ज़ेकि हर family को हर ज़रूरत के लिए पूरी तरह तैयार करना पड़ता है। इस लिए यह कुदरती बात है कि वह हर किस्म के काम में हाथ डालना जानते हैं। तो क्यों न उन्हें vocational tra-

[राए रघुबीर सिंह]

ining दी जाए ? गर्म इलाकों के लोग वहां नहीं रह सकते। यहां के लोग कलकत्ते गए होंगे, बर्मा गए होंगे, कोई कोई और भी दूसरे देशों में जाते होंगे। इन को ज़रिए हासिल हैं। मगर कुल्लु वाले तो बेचारे पठानकोट तक भी नहीं जा सकते। बहुत से ऐसे हैं जिन्हों ने अभी तक मोटर नहीं देखी। वहां पर वज़ीफे देने की काफी आवश्यक्ता और गुन्जायश है। बाहर वाला कोई वहां आता नहीं। आए भी कैसे? दूध वहां नहीं, सब्ज़ी और मकान वहां नहीं। कोई वहां जाए भी कैसे? Tourists के लिए बड़ी अच्छी जगह है। यदि उसे इस दृष्टि से develop किया जाए तो हम पंजाब से ही नहीं अपितु सारे भारत से लोगों को वहां आकृष्ट कर सकेंगे। मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि जब हमारे मिनिस्टर साहिब वहां गए तो वे वहां की तारीफ करते नहीं थकते थे। हमारी आशा है कि उस स्थान की ओर तवज्जुह दी जाएगी। हम जानते हैं कि पंजाब के दोनों हाथ भरपूर हैं। यह बात किसी से छिपी नहीं कि पंजाब की क्या अवस्था थी। घायल हुए पंजाब को उठाया बल्कि मरे हुए में जान डाल दी। यह पंजाबियों की हिम्मत है। यह सब कुछ है मगर फिर भी satisfaction यहां नहीं है। जो आदमी मुश्किल से रुपया कमाता है उसे खर्च करते हुए भी दर्द होता है। इस लिए हमारे पंजाबी भाई यह बरदाश्त नहीं कर सकते कि उन्हें Administration से कोई तकलीफ हो। मैं देखता हूँ कि लोग अदालतों को जाते हैं उन्हें तरह तरह की तकलीफें उठानी पड़ती हैं। छुटकारा जल्दी नहीं होता। कांगड़े का एक सायल मिला तो मेरे पूछने पर बताया कि वह तारीख का पता लेने जज साहिब के पास जा रहा है। पहली तारीख पर जब वह हाज़िर हुआ तो चपड़ासी ने फौरन बाहर निकाल दिया। दूसरी तारीख का पता न लगा फिर गया तो अन्दर नहीं जाने दिया गया। मुन्शी ने कहा एक बार तुम्हें बता चुके हैं अब कल आओ परसों आओ। बेचारा कितना सफर तय कर के कितना वक्त लगा कर वहां दोबारा जाएगा?

अध्यक्ष महोदय, मेरा time खत्म हो गया है, अब मैं अपना भाषण यहीं समाप्त करता हूँ।

श्री मनी राम (फतेहआबाद): माननीय स्पीकर साहिब, मैं ने Treasury Benches और Opposition दोनों तरफ के मैम्बरान की तकरीरें सुनीं। दर असल Treasury Benches की तरफ से जो आदमी खड़ा होता है वह धन्यवाद के अलफाज़ से तकरीर शुरु करता है लेकिन बहस नुक्ताचीनी पर बन्द करता है। मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि किसी भी Welfare State का बजट यह तमन्ना करता है, यह देखता है कि कितनी आमदन है, कहां से हुई है, कितना खर्च है और कहां होना है। जो गरीब लोग हैं, जो दुखी हैं, जिनके पास कम आमदन है उन की हालत बेहतर बनाई जाए, दुरुस्त अलफाज़ में उन्हें उन की तरक्की का विश्वास दिलाया जाए। पंजाब एक किसानी सूबा है। जब तक बजट में किसान की तरक्की की बात नहीं वह बजट एक Welfare State का बजट नहीं। एक मोटी बात देखिए। आज जिन चीज़ों को किसान पैदा करता और बेचता है उन के निर्ख देखिए और जिन की उसे ज़रुरत रहती है और वह जिन्हें खरीदता है उन के निर्ख देखिए। आज उन चीज़ों को देखिए जिन के बगैर उस का काम नहीं चल सकता। आज गांव के भाव और शहरी भावों को देखिए। दोनों में कितना ज़्यादा फर्क है। किसान जिन चीज़ों को पैदा करता है, उन की कीमतें गिर चुकी हैं मगर जहां उसे अपने पैदा किए हुए अनाज के कम दाम मिलते हैं वहां उसे अपनी ज़रुरयाते ज़िन्दगी के खरीदने के लिए ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं इस तरह उस को अपना गुज़ारा करना मुश्किल हो रहा है।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं नहरों के सिलसिले में। कोई मौका ऐसा नहीं होता जब भाखड़ा का ज़िक्र वज़ीर साहिबान न करें। जितने भी वज़ीर साहिबान ने हमारी तरफ का दौरा किया उन सब ने भाखड़ा की नहरों का ज़िक्र बार बार किया। लेकिन दुख के साथ, यह कहना पड़ता है कि जनता के साथ, गरीब किसानों के साथ विश्वासघात किया। उन से सभी ने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा फसल बोओ, रब्बी की काश्त करो। हिसार के किसानों को और दूसरे इलाकों के किसानों को भी कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा काश्त करो और साथ ही यह विश्वास दिलाया, मिनिस्टर साहिबान ने कि फसल पकाने के लिए नहर का पानी देंगे। यह सब कुछ हुआ मगर महकमा नहर के पागलपन का क्या ज़िक्र करें।

किसानों को पानी नहीं मिला, फसलें सूख गईं। अगर ऐसी हालत है तो आबियाना लगाने में क्या अक्लमन्दी थी। यहां पर ही बस नहीं। अगर ईशर नाम के चार किसान हैं तो सब पर अबियाना लगा दिया गया है हालांकि ज़मीन सिर्फ एक के पास है। इस तरह से किसान तबाह हो रहे हैं।

दूसरी तरफ छोटे छोटे दुकानदार हैं। उनके पास छोटी छोटी चीज़ों के, चनों के ज़खीरे थे। उन्हें अब दिवालिया बना दिया गया है और तबाह कर दिया गया है।

हमारे मिनिस्टर साहिब कहते हैं कि रिश्वत खत्म कर दी गई है, अगर थोड़ी बहुत है तो छोटे तबके में है। यह बिलकुल गलत है। यह तो प्रमाणित बात है कि यथा राजा तथा प्रजा। यह रिश्वत ऊपर के तबके में बहुत है। मैं तो कहता हूँ कि रिश्वत की हद हो चुकी है। Hissar के अफसरों पर खुल्लमखुल्ला इसके charges लगाए गए। हिसार में रिश्वत से ज़मीनें खरीदी गईं। यह भी पता चला है कि इस रिश्वत में हमारी Cabinet के एक आदमी का भी हिस्सा है। पर गवनमेंट ने कोई enquiry नहीं कराई। तो फिर रिश्वत कहां है निचले तबका में या ऊपर के अफसरों में।

दूसरी अर्ज़ यह है कि इस बजट के अन्दर 22 % हिस्सा सरकारी administration पर खर्च किया जा रहा है। यह ठीक बात है कि सरकारी administration पर खर्च करना जरूरी है। यहां पर यह कहा गया है कि सरकारी कर्मचारियों में सन्तोष और जाग्रति है, क्या इस तरह से सन्तोष हो सकता है। जहां सरकारी machinery ही ठीक काम न कर रही हो तो वहां पर सन्तोष कैसा।

स्पीकर साहिब, लोगों में बहुत असन्तोष फैला हुआ है। लोगों को बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि यमुनानगर से दो लड़कियों को उठा लिया गया और उन का अभी तक पता नहीं चला। आज पंजाब की बहनें पंजाब सरकार से पूछ रही हैं कि उन बेचारी लड़कियों का क्या बना? मुझे इस बात का इल्म है कि इस के पीछे एक बहुत अमीर आदमी का हाथ है। क्या यह सन्तोष है लोगों में? यह घटना पंजाब के माथे पर कलंक का टीका है। लोगों में असन्तोष है।

अब कांगड़ा के लोगों को लीजिए। उन्हें कोई चपड़ासी तक भी नौकर नहीं करता। Services में हद से ज़्यादा असंतोष है। कर्मचारियों को पेट भर कर रोटी नहीं मिलती। सत्याग्रह होते हैं पर कोई परवाह नहीं करता। चपड़ासियों में, क्लर्कों में और छोटे छोटे मुलाज़िमों में असंतोष है। आपकी वह खिदमत बजा लाते हैं। आप के लिए बेगार

[श्री मनी राम]

का काम करते हैं पर आप उन्हें तरक्की नहीं देते । इस तरह से आप सूबे को तरक्की की राह पर नहीं ले जा रहे बल्कि तबाही के गढ़े में डाल रहे हैं।

फिर ज़मींदारों में unrest है । आप ने दिखावे के लिए पंच नियुक्त कर दिए हैं पर वह तो आप के मुनीम हैं । जैसे मालिक चाहे वैसे किया जाता है । आप कहते हैं कि हमारे मुनीम तामीरी काम कर रहे हैं लेकिन आज मुल्क की हालत क्या है ? पंजाब में ज़मीनों पर नाजायज़ कब्ज़ा किया जा रहा है । आप हिसार के अन्दर ही देखें कि एक नहीं, दो नहीं, पुलिस अफसरान ने ज़मीनें लेकर मुज़ारों को जबरन निकाल दिया है । यहां तक कि सरकार की तरफ से डिप्टी कमिश्नर को भी इस तरह की हिदायतें मिली हुई हैं।

तो क्या यह Welfare State ही है ? हिसार में पुलिस क्या कर रही है ? सिरसा के D. S. P. के तबादले के लिए लोगों ने कहा । उस पर इलज़ाम लगाया गया कि वह एक पार्टी की इमदाद कर रहा है, एक ग्रुप को इमदाद कर रहा है । शहरियों ने हड़तालें कीं । मेरी फाइनेन्स मिनिस्टर से बात चीत हुई । पर कोई कार्रवाई नहीं की गई । जहां इस तरीके की आवाज़ को नहीं सुना जाता, जहां लोगों की इज्ज़त का एहतराम नहीं किया जाता, लोगों की चापलूसी पर फख्र किया जाता है, वहां Welfare State कैसे बनाई जा सकती है ? आज पंजाब के अन्दर जो हालात हैं वह सब को पता हैं । यहां पर गरीबों के जज़बात को कुचला जाता है । महात्मा गांधी ने जिन democratic असूलों की बुनियाद रखी थी उनको कुचला जा रहा है । गिरफ्तारियां की जा रही हैं । स्पीकर साहिब, ज़िला हिसार में ही कई कई हज़ार गिरफ्तारियां की गई हैं इन में से सिर्फ इस ज़िले में **65** गिरफ्तारियां Section 9 के मातहत की गई हैं । पुलिस ज़ुल्म कर रही है । इस ज़िले में पुलिस ने सत्याग्रहियों को ठुड्डे मारे हैं । Opposition वालों को खास तौर पर तंग किया जाता है । मुझे हिसार के Deputy Superintendent of Police ने कहा कि श्री मनी राम बागड़ी को कत्ल किया जाएगा लेकिन मेरे जाने के बाद । लोगों ने बहुत आवाज़ उठाई पर आज तक इस के खिलाफ कोइ action नहीं लिया गया । सरकार कहती है कि इस में prestige नहीं रहता । तो मैं कहता हूं कि सरकार false prestige पर क्यों खड़ी है ?

मैं ने अपनी जान के डर से license के लिए अर्ज़ी दी । लेकिन licence मंज़ूर नहीं किया गया । यहां तक कि दरखास्त भी नहीं ली गई । मैं यह नहीं कहता कि लाइसैन्स मन्ज़ूर हो या न हो लेकिन यह बताना चाहता हूँ कि जितने शख्स 10 नम्बर में दर्ज हैं सबको लाइसैन्स मिले हुए हैं । पुलिस और सरकारी कर्मचारियों में रिश्वत का बाज़ार गर्म है । लेकिन अमन और इंसाफ का दावा किया जा रहा है । सरकार की लाडली और चहेती पुलिस खुद ही अमन को भंग करती है । हमारा सर इनके कामों को देख कर शर्म से झुक जाता है । लोग इतने दूर से मुख्य मन्त्री से मिलने आते हैं लेकिन किसी को मिलने नहीं दिया जाता । दफा 144 है, कोई जलसा जलूस नहीं किया जा सकता । फिर किस तरीके से अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुँचाया जा सकता है ? क्या यह democratic State है ? क्या यही socialistic pattern of society है ? महात्मा गांधी जी यह नहीं कहते थे कि जब कोई एक थप्पड़ लगाए तो उसका जवाब थप्पड़ में दो । वह तो कहते थे कि उसका जवाब खामोशी से दो।

आप को अगर तखरीबी अनसर को खत्म करना है तो आप डण्डे से नहीं बल्कि प्यार से इस अनसर को खत्म कर सकते हैं । आप इस अनसर को जनता को धक्के दे कर या जनता को बेदखल करके नहीं खत्म कर सकते। आप अगर socialistic pattern लाना चाहते हैं तो इस तरह से नहीं आ सकता कि हमारे Chief Minister के पास ऐसी कोठी हो जिसका किराया 4 हज़ार रुपया हो या High Court के जजों की एक एक कुर्सी एक एक हज़ार रुपए की हो और अगर services यह कहें कि हमारा Capital Allowance बढ़ाया जाए तो कहा जाए कि खज़ाने की हालत अच्छी नहीं ।

मैं आप लोगों से अर्ज़ कर रहा था कि वक्त की नज़ाकत को सोचिये । हो सकता है कि पंजाब सरकार यह सब बातें अपनी ताकत के नशे में मनवाये लेकिन उन्हें कहूँगा कि वह ऐसी बातों को मज़ाक में न टालें । मैं नहीं चाहता कि हिन्दुस्तान में bloody revolution आये और अगर वह हुकूमत की लापरवाही से आएगा तो वह देश के लिये खतरनाक होगा। और अगर देश को बचाना है और socialistic समाज बनाना है तो वह ताकत के नशे में नहीं बल्कि वह इन्साफ और इन्सानियत के तराज़ू में सब बातों को तोल कर आयेगा । अंग्रेजों के वक्त प्राईमरी जमातों में लड़के पढ़ा करते थे "मलका के राज की बरकतें" अब सच्चर साहिब के राज की बरकतों का मुतालिया किया जा रहा है । पहले के मुकाबले में कोई खास फर्क नहीं आया । बल्कि गरीबों की हालत पहले से बिगड़ी हुई है। चपड़ासियों की तनखाहें कम हैं जिन से उन का गुज़ारा नहीं चल सकता। आज किसान को पहले की निस्बत ज़्यादा पैसे देकर चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं । जब तक सूबे में ऐसे हालात हैं उस वक्त तक socialistic ढंग का ढांचा नहीं बन सकता! अगर मेरे कांग्रेस के भाई ऐसा ढांचा कायम करना चाहते हैं तो उन्हें चाहिये कि सूबे में असन्तोष को न बढ़ने दें । अगर यह असन्तोष बढ़ता गया तो पंजाब नहीं बल्कि सारा भारत विनष्ट हो जाएगा । अभी तक यमुनानगर में जो लड़कियां अगवा की गई थीं उन का सुराग़ नहीं मिल सका । बलात्कार के वाकयात आये दिन होते रहते हैं । गवर्नमैंण्ट को चाहिये कि वह इन हालात पर काबू पा कर लोगों में असंतोष को न बढ़ने दें । मेरा वक्त खत्म हो गया है इस लिए अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ और जब वक्त मिला तो इस बारे में अपने ख्यालात का इज़हार करूंगा ।

श्री दौलत राम (कैथल) : स्पीकर साहिब, मेरे एक दोस्त ने अभी अभी यह कहा है कि यह बजट जो पेश किया गया है एक निकम्मा और फ़ज़ूल बजट है । मैं इस सिलसिले में थोड़ी सी बातें आप के सामने रखना चाहता हूँ । हमारे अगले साल के बजट में जो रकमें कर्ज़े के तौर पर देनी हैं उन को शामिल कर के तकरीबन 65 करोड़ के लग भग होता है जिस में से 52 करोड़ रुपया सिर्फ तरक्की और तामीर के कामों में खर्च किया गया है । यह 52 करोड़ रुपया उस 1951-52 के बजट के लिहाज़ से जिस में सिर्फ 23 करोड़ रुपये का provision था उस के मुकाबले में 29 करोड़ रुपये का ज़्यादा बजट है । इस के मुतअल्लिक हाऊस अंदाज़ा लगा सकता है कि development के कामों में हमारी सरकार चन्द सालों में किस तरह मुसलसल तौर पर आगे बढ़ रही है और तरक्की कर रही है । मैं details में नहीं जाना चाहता

[श्री दौलत राम]

लेकिन सिर्फ इतना अर्ज़ कर देना चाहता हूँ कि पंजाब ने पिछले साल के बजट के मुकाबले में जो ज़्यादा रकम इस साल के बजट में रखी है वह 16 करोड़ के करीब है और इस भारी रकम के बजट में आने की वजह से पंजाब ने जो तरक्की करनी है इस तीन चार साल की तरक्की के मुकाबले में, अगर मुकाबला करें, तो हमें पता लगेगा कि किस तरह से हमें इस बजट से आगे बढ़ना है। एक साल के अंदर पंजाब ने इस development budget की बिना पर सिर्फ तीन चीज़ों में, जिन में foodgrains शामिल हैं और cotton शामिल है इन दिनों ज़राई पैदावार की तरक्की के लिहाज़ से 85 करोड़ रुपये एक साल के अन्दर ज़्यादा कमाये। अगर इन तीन चीज़ों को छोड़ कर बाकी चीज़ों का अंदाज़ा लगायें जैसा मैंने बताया कि 40 करोड़ रुपया पंजाब के अन्दर बढ़ा है जिस के मायने यह हैं कि अगर हम आदादो शुमार को देखें तो पता लगता है कि साल के अंदर पंजाब ने 75 करोड़ रुपये ज़्यादा कमाये हैं। यह कदम मैं समझता हूं कि एक तरक्की याफ्ता कदम है। हम आला दर्जे की welfare state की बुनियादें रखने में कामयाब हो गये हैं।

(At this stage Mr. Deputy Speaker occupied the Chair.)

मेरे एक दोस्त ने फरमाया था कि यह हमारी सरकार देहाती इलाकों का खून चूस रही है। यह अलफाज़ थे जिन को मैं ने सुना और मैं इस साहिब की खिदमत में अर्ज़ कर देना चाहता हूं कि यह 65 करोड़ रुपये का बजट जो है इस में से 52 करोड़ रुपये का बजट development के कामों पर खर्च होना है क्या मैं उन से दरियाफ्त कर सकता हूं कि इस 52 करोड़ रुपये का 90 फीसदी रुपया गांव पर खर्च होना है? अगर आप, स्पीकर साहिब, खर्चों की मदों की तरफ देखें तो आप को मालूम होगा कि 52 करोड़ रुपया में से 47 करोड़ रुपया देहात पर खर्च होना है, बाकी 16 करोड़ रुपया 65 करोड़ में से सारी administration पर खर्च होता है, Education पर खर्च होता है, Sanitation पर खर्च होता है, Road Transport पर खर्च होता है। अगर इस में से आधा खर्च शहरी लोगों को दिया जाये आधा देहाती लोगों को दिया जाये तो साफ तौर पर 58 करोड़ रुपया बनता है जो देहात पर खर्च होना है। मैं ने इस की फीसदी निकाली है। 90 फीसद रुपया देहात के हिस्से में आता है। मैं इन आदादो शुमार से यह साबित कर रहा हूं कि देहात पर खर्च इतना है कि मैं समझता हूं कि पंजाब में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि शहर के लिहाज से देहात के अंदर गरीबी ज़्यादा है। अगर इतना रुपया बजट का खर्च किया जा रहा है तो यकीनन हमारा सूबा दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करेगा और कर रहा है।

मैं इस बजट को गरीबों का बजट, Socialist Budget करार देना चाहता हूँ। वह कैसे? इस का बहुत सा रुपया देहात और शहरों के अन्दर नहीं गरीब तबकों के अन्दर तकसीम हो रहा है। उन की बेहतरी और बहबूदी के लिए किस तरह खर्च किया जाना है। मैं सिर्फ पांच छः मिसालें दूंगा ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा! शहर में लेबर की हालत को देखो, जो हमारी सरकार ने इस बारे में क्वानीन बनाये हैं यानी Minimum Wages Act, Trades Union Act या Insurance Act, Provident Fund Act यह सारे लेबर के मुफाद के लिए हैं। लेबर के लिए मकानात वगैरह का सिलसिला पैदा किया गया है। जो लाखों रुपए मुख्तलिफ मुकामात पर खर्च किए जा रहे हैं वह इस बात का सबूत है कि हमारी सरकार लेबर के लिये बहुत अच्छे कदम उठा रही है। देहात की लेबर की तरफ किस तरह से देहातों के अन्दर सरकार ने

Cooperative Societies से काम लिया है। कितनी किस्म की Cooperative Societies बनाई गई हैं। Cottage industries और तरह तरह के कारोबार की development के सिलसिले में चलाई गई हैं। खुदाई वगैरह का काम, नहरों का काम, Consolidation, Community Project वगैरह वगैरह देखें तो आप को मालूम होगा कि Co-operative Societies के ज़रिए गरीब लोगों की जेबों में कितना रुपया जाता है।

इस के इलावा हमें शहर और देहात की labour class का हाल देखना चाहिए। हरिजन देहाती आबादी का एक बड़ा तबका हैं। वे शहरों में भी रहते हैं। इन की मदद के लिए सरकार क्या कुछ नहीं कर रही। इन की education के लिए, इन की Co-operative Societies बनाने के लिए, इन की ज़मीनों की consolidation, इन के फायदे के लिए Construction Societies बनाने के लिए सरकार ने किस कदर ठोस और दिलेराना कदम उठाए हैं, उन पर कितना रुपया खर्च किया जा रहा है। जहां पिछले साल उन की तालीमी तरक्की के लिए सिर्फ 9 लाख रुपये की रकम रखी गई थी, इस बजट में 25 लाख रुपये की रकम रखी गई है। इन के आम welfare के लिए इस बजट में 42 लाख रुपये रखे गए हैं, पिछले साल 10 लाख की रकम रखी गई थी। इस से साबित होता है कि हमारी सरकार देहाती गरीबों, हरिजनों landless labourers को ऊंचा उठाने की कोशिश कर रही है। जिस बजट में गरीबों की बहबूदी के लिए इतना रुपया रखा जाए, उसे गरीबों का बजट कहना बेजा न होगा।

इस में शक नहीं कि हमारे पंजाब ने पैदावार के लिहाज़ से पिछले चन्द सालों में बहुत तरक्की की है, 1951-52 के आंकड़ों को सामने रखते हुए ज़रई पैदावार में 75 फीसदी बढ़ोत्री हुई है और सनअती पैदावार में 47 फीसदी। इस से ज़ाहिर है कि दोनों मैदानों में बहुत तरक्की हुई है। आने वाले चन्द सालों में इसी तरह तरक्की होती रही तो वह वक्त दूर नहीं जब कि हमारा पंजाब real sense में एक Welfare State बन जाएगा।

अब एक सवाल पैदा होता है। वह है इस दौलत की तकसीम का जो कि हम हैसीयते मजमूई पैदा कर रहे हैं। दौलत की तकसीम के कई तरीके हैं। कुछ भाई कहते हैं कि इस सिलसिले में एक कानून बना दिया जाए और तलवार के ज़ोर से उस पर अमल करवाया जाए। कुछ भाई ऐसे भी हैं जो कानून बनाने की ज़रूरत ही नहीं समझते, तलवार और बन्दूक के ज़ोर से सारी दौलत छीन कर गरीबों को बांट देना चाहते हैं। मगर हमारी सरकार को जो कि इखलाक और इन्सानियत पर मबनी पार्टी है ऐसे तरीके पसन्द नहीं, वह इन्हें अपनी शान के शायां नहीं समझती। वह लाज़मी तौर पर दौलत को बढ़ाना चाहती है, बड़ी तेज़ी से तरक्की की तरफ कदम बढ़ा रही है, आयंदा सालों में इतनी दौलत पैदा करना चाहती है कि इखलाक और इन्सानियत के असूलों पर चलते हुए गरीब आदमी का मियारे जिन्दगी इतना ऊंचा हो जाएगा कि जबरदस्ती मुसावात लाने या मौजूदा दौलत की तकसीम करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। दौलत खुद बखुद गरीब लोगों की जेब में आ जाएगी। दौलत की सही माइनों में तकसीम वक्त आने पर हो कर ही रहेगी।

अब मैं बजट की चन्द एक खूबियां अर्ज़ करना चाहता हूँ। इस बजट में General Administration के मुतअल्लक जो तजवीज़ें हैं, अच्छी हैं। खर्च कम हो रहा मगर

[श्री दौलत राम]

efficiency बढ़ रही है। पिछले साल जिस तरह administration को चलाया गया, अगले साल भी उसी तरह चलाया जाना है। जरायम में कमी हुई है Law and Order की हालत ऊंची सतह पर रही है।

दूसरी खूबी यह है कि Jails के लिए जो इखराजात रखे गए हैं वे जेलों की हालत को बिल्कुल बदल देंगे। जेल को हमारी सरकार मुसीबत घर नहीं रहने देना चाहती, एक reformatory, एक useful commercial institution बनाना चाहती है। अगर जेलों का ऐसा इन्तज़ाम हो गया, तो हम सही तौर पर नाज़ कर सकेंगे।

तीसरा तरक्कीकुन कदम जो हमारी सरकार उठाना चाहती है वह corruption को दूर करने के बारे में है। सरकार ने तहैय्या कर लिया है कि वह एक High-powered Department खोलेगी जिस की रहनुमाई एक बड़ा ईमानदार अफ़सर करेगा। यह एक मुबारिक कदम है, इस की बजह से corruption का कम होना लाज़मी है।

इन के इलावा तीन बड़ी जरूरी चीज़ों की तरफ सरकार ने ध्यान दिया है। सब से ज़्यादा तवज्जुह education को दी गई है। तालीम इन्सान की बुनियादी जरूरतों में से है। कौम की तरक्की का इनहसार तालीम पर होता है। हमारे Education Minister साहिब इस बात के लिए मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि जहां 4 साल पहले के बजट में तालीम के लिए एक करोड़ और कुछ लाख रुपये की रकम रखी गई थी, इस बजट में 4.46 करोड़ की provision की गई है। हजारों Primary Schools खोल कर देहातियों की मांग को पूरा किया गया है। अब ऐसी कोई जगह नहीं रही जहां पर पंचायत हो और Primary School न हो। Basic Schools भी बहुत सारे खोले गए हैं, 900 और खुल रहे हैं। देहातियों को तालीमी तौर पर उठाना एक बड़ा अच्छा कदम है तालीम उन्हें आगे बढ़ने में बहुत मदद देगी। अब मैं कुछ suggestions पेश करना चाहता हूं। अगर हम देश के अन्दर, अपने प्रांत के अन्दर socialistic state कायम करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? पहली बात यह है कि means of production पर सरकार का control होना चाहिए, वे इनफरादी हाथों में होंगे, तो ज़मीन, कारखाने, बैंक, कम्पनियां, business centres थोड़े से आदमियों के कब्ज़े में रहेंगे और वे रुपया जमा करते चले जायेंगे। इन तमाम चीज़ों पर social control तब हो सकता है, जब सरकार उन्हें अपने कब्ज़े में ले ले। Nationalisation of transport जिस तरह होनी चाहिए थी नहीं हुई। कुछ दोस्तों ने खुशी ज़ाहिर की है क्योंकि बजट में किसी नए टैक्स की तजवीज़ नहीं की गई। मैं इस ख्याल का मुखालिफ हूं। मैं चाहता हूं कि शहरों में रहने वाले factory owners, property owners, bank के मालिकों, companies के मालिकों और दूसरे सरमायादारों पर लाज़मी तौर पर taxes लगने चाहिए। कोई मुल्क ऐसा नहीं जहां ऐसे लोगों पर टैक्स नहीं लगते।

डिप्टी स्पीकर साहिब, जब तक सरकार Taxes नहीं लगाएगी तब तक मेरा विचार है कि अमीर और गरीब में जो इतनी बड़ी तफावत है वह दूर नहीं हो सकेगी।

चौथी बात मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि Education Minister साहिब ने

रहते हैं। तालीम के सम्बन्ध में बहुत कुछ किया है लेकिन मैं समझता हूं कि अब वक्त आ गया है जब कि सरकार को Primary तक की तालीम free करार दे देना चाहिये ; यह निहायत ज़रूरी बात है। इस से आगे मैं अर्ज़ करूंगा कि इस में शक नहीं है कि Teachers और low paid Government Servants के लिए बहुत कुछ किया गया है। फिर भी मैं कहूंगा कि teachers और low paid Government Servants को और खास कर चपड़ासियों की तनखाहें बहुत कम हैं। इन की तनखाहें और बढ़ाई जानी चाहियें। अन्त में फिर अर्ज़ करूंगा कि सरकार को इस तरफ ज़रूर और जल्दी ही तवज्जुह देनी चाहिये।

ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ (ਤਰਨ ਤਾਰਨ) : ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਜਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ Welfare State ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਦੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਹਿਸੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਲ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਸਮਾਂਦਾ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਲਈ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਆਬਾਦੀ ਦਾ 1/3 ਹਿੱਸਾ ਦਰਬਦਰ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ 1947 ਦੇ ਬਾਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲੀਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਕਾਰੀ ਵਧਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਨੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ tractors ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਸਭ ਬੇਦਖਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਬੇਕਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹਟ ਗਏ ਅਤੇ ਬੇਕਾਰੀ ਵਧ ਗਈ। ਮੈਂ machinery ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤਕ machinery ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿੱਨੇ ੨ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਵਾਢੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੱਤ ਸੱਤ ਰੁਪੈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਦੋ ਰੁਪੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦੇ। ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੱਟਣ, ਗਾਹਣ ਅਤੇ ਉਡਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪੇਟ ਪਾਲਦੇ ਸਨ ਉਹ ਹੁਣ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਡੀ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਪਾਲੀਸੀ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ result ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ resolution ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚ

6 p.m.

[ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ]

ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ majority ਦੀ ਬਿਨਾ ਉਪਰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਪਸਮਾਂਦਾ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ Chief Minister ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਬਿਨਾ ਉਪਰ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ?

ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਨਾਂ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ landless ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹ reclaim ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਦੀਆਂ Co-operative Societies ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਗਤ ਗੁਰਾਂਦਾਸ ਅਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹਰੀਜਨ ਰੱਖ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦਰ ਬਦਰ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਦ ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਝੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫਿਰ ਨੂੰ 600 ਵਿਘੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ tractor ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਤਕਾਵੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਮਾਹਿਰ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹਰੀਜਨ ਹਨ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਾਹਿਰ ਪੁਰ ਵਿਚ 800 ਵਿੱਘੇ ਨਿਕਾਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ Development Minister ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਸਮਾਂਦਾ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਕ ਗੱਲ ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬੋਲੀ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਬੋਲੀ ਉਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਵੇਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 6-3-53 ਨੂੰ ਗੇਂਦਾ ਰਾਮ ਵਲਦ ਕਰਮ ਚੰਦ ਨੇ ਪਟੇ ਉਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਫਿਲੌਰ ਵਿਚ ਲਈ ਸੀ। ਉਹ ਰੁਪੈ ਵੀ ਦਾਖਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਗੈਰ ਵੇਖੇ ਵਿਖਾਏ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਉਪਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਮੈਂ ਦਸਦਾ ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਕਸ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜਾ ਕਰ ਕੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ reclaim ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਹ ਹਨ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਖੈਰੈਤੀ ਰਾਮ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਚੰਦ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲੇ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਾਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਾਂ Labour Societies ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਥੇ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ Labour Societies ਵੀ Cooperative Societies ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੇ ੨ ਠੇਕੇਦਾਰ ਮਿਲਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਉੱਲੂ

ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 100 ਦੇ ਵਿਚੋਂ 89 ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 11 ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕੋਈ guarantee ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਰ ਟੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਥੇ ਟੈਕਸ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਰੁਪੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਥੇ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 5,7 ਰੁਪੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਅਤੇ ਮੰਜੀਆਂ ਜੁੱਲੀਆਂ ਕੁਰਕ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਪਿੰਡ ਮਾਲੂਵਾਲ ਥਾਣਾ ਝੱਬਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਮਜ਼ਬੀ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੰਜੀਆਂ ਅਤੇ ਜੁੱਲੀਆਂ ਸਭ ਕੁਰਕ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਕੋਈ ਭਾਂਡਾ ਵੀ ਨਾ ਛਡਿਆ ਗਿਆ।

ਮੈਂ ਇਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਦੇਂਦਾ ਹਾਂ। ਭਟੇਂਡਾ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਇਕ ਪੂਰਨ ਵਲਦ ਫੱਤਾ ਆਦਿ ਧਰਮੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਪਾਸ ਟੈਕਸ ਦਾ ਕਾਰਡ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਪਾਸ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਦ ਕਾਰਡ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਹ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਹੀ ਵਸੂਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਥੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਣ ਜਿਥੇ ਉਹ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਹਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਰੱਬਾਬੰਦੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲੈ ਲਉ। ਮੁਰਬਾਬੰਦੀ ਦੇ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਵੀ ਮੁਰਬਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਲਈ, ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ common land ਰਖੀ ਜਾਵੇ ਜਿਥੇ ਉਹ ਡੰਗਰ ਚਰਾ ਸਕਣ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੁਰੱਬਾਬੰਦੀ ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਕਾ-ਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਨ 52 ਤੋਂ ਇਹ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੁਰੱਬਾਬੰਦੀ ਵੇਲੇ 5 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਘਰਾਂ ਲਈ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ Deputy Commissioner ਜਾਂ ਮਾਲ ਅਫਸਰਾਂ ਪਾਸ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਛਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ; ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁਰ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਪੁਰ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਾਸੀ ਘਰ ਹਨ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰ ਵਸ ਸਕਣ।

ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ Labour

[ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ]

Societies ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੇਬਰ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕ ਢੌਂਗ ਹੈ; ਫਰਕ ਇਤਨਾ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 40 ਜਾਂ 50 ਰਲ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਸਾਰਾ ਆਪ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਨਾਫਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਾਂਗ ਠਕੇਦਾਰ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਰਣ ਇਹ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੇ S. D. O. ਦੂਜੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਤੈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ Labour Societies ਨਾ ਚੱਲਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਵ੍ਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ fail ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ taxes ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ limit ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ level ਵੀ ਰਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ income ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 12,0 ਰੁਪਿਆ ਸਾਲ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਨਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਂ ਦੇਹਾਤੀ ਦੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ taxes ਦੀ collection ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 47 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਦੇਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕੀ ਗਿਆ ਹੈ?

ਬੇਦਖਲੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਨਹੀ ਕਰਦੀ ਕਿ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਬੇਦਖਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਕਿਉਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਨ ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਜਰ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਝ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸ੍ਰੀ ਚਾਂਦ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ। ਪਰ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਦਬਕੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਠਾਉਣ ਲਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛਡੀ। (*Interruptions*) ਹਰੀਜਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬੜੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ 50% constables ਦੀ reservation ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਆਈ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਚਮੁਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ

ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਘਸੀਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਲੜਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਇਸਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਇਤਬਾਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ? ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਮਸਤੀ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਛੂਤਛਾਤ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਛੂਤਛਾਤ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਮਾਹਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੰਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਪੜੇ ਨਹੀਂ। ਇਸਲਈ ਇਹ ਛੂਤਛਾਤ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਛੂਤਛਾਤ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੀਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਤਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? ਬੇਸ਼ਕ ਇਹ Welfare State ਦਾ ਬਜਟ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਗਰੀਬ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਅਸੂਤ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਤੀਕਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਦਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੀ। ਇਸਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਿਖੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

श्री नान्हू राम (गोहाना) : डिप्टी स्पीकर साहिब, हमारे वज़ीर खज़ाना ने जो बजट सन् 1955-56 का हाऊस के सामने पेश किया है, मैं इस पर अपने मन्त्री महोदय को मुबारिकबाद पेश करता हूँ। मैं मुतवातर तीन साल से यह देख रहा हूँ कि एक के बाद जो अगला बजट है, बड़ा शानदार आ रहा है। यह बजट भी बहुत शानदार बजट है। कई मुखालिफ भाई हमेशा नुक्ता चीनी करते हैं। उन की नुक्ता चीनी में, हुकूमत की बुराई ही बुराई होती है। वह एक भी बात ऐसी नहीं कहते जिस में वह बताएं कि हुकूमत ने यह बात अच्छी की है। चुनांचि मेरे भाइयों का मतलब क्या है? इन का मतलब यह है कि न पुलिस हो, न अफ़सर हों, न आमदनी हो और न खर्च हो, न कानून और न कोई हिफ़ाज़त। इस किस्म की लाकानूनी मेरे भाई चाहते हैं।

खैर, डिप्टीस्पीकर साहिब, state किस तरह तरक्की कर रही है। इस का नमूना हमारी पंजाब सरकार ने पेश किया है। आज पंजाब के अन्दर 500 की आबादी का कोई ऐसा गांव नहीं जहां उन की अपनी पंचायत न हो। कोई 500 से नीचे वाला ऐसा गांव नहीं जहां पर प्राइमरी स्कूल और हस्पताल न हो। मैं आप को बताता हूँ कि जो प्रोजैक्टस और National Extension Schemes आ रही हैं उन से चार साल के अन्दर क्या होने वाला है। क्या इस पंजाब के अन्दर कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां पंचायत न हो, जहां स्कूल न हो और जहां अस्पताल न हो। आप ही बताएं कि क्या यह रामराज्य का नमूना नहीं जो हमारी सरकार पेश कर रही है?

[श्री नान्हू राम]

डिप्टी स्पीकर साहिब मैं अपने मुखालिफ पार्टी के भाइयों को बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार हर पहलू में तरक्की कर रही है। Industries में हम तरक्की करते जा रहे हैं पैदावार में हम ने तरक्की कर ली है। यह भाई कहते हैं कि हमारी सरकार ने किसानों पर आबयाना बढ़ा दिया है पर मैं कहता हूँ कि इस ने आबयाना बढ़ाया नहीं बल्कि घटाया है। मैं जानता हूं कि लड़ाई से पहले वक्त गुड़ का भाव $2\frac{1}{2}$ रुपये प्रति मन था और हमें एक बीघा नेशकर का आबयाना एक मन गुड़ देना पड़ता था जहां अब हमें एक बीघा नेशकर का आबयाना कुल 10 सेर गुड़ देना पड़ता है। मेरे दोस्त इस बात को ज़रा सोचते नहीं हैं और गवर्नमैंट की हर बात पर नुक्ता चीनी करने के लिए ही नुक्ता चीनी करते हैं।

अब यह कहते हैं कि हमारी सरकार पर मज़दूर भी नाराज़ हैं और किसान भी नाराज़ हैं लेकिन मैं समझता हूं कि हमारे किसान बड़े सौभाग्यशाली हैं जो उन के लिए भाखड़ा डैम बन रहा है और नंगल से बिजली निकाली जा रही है, नहरों का जाल बिछाया जा रहा है। यह पंजाब तो एक शानदार प्रान्त बन रहा है और यह कहा जा सकता है कि यह बहिश्त का नमूना बनता जा रहा है। हमारी हकूमत ने जो बजट में इस प्रान्त की तसवीर दी है, यानी हर एक गांव में पंचायत है और हर एक गांव में स्कूल हैं सूबे में कम्यूनिटी प्राजैक्ट और ब्लाक चल रहे हैं। पांच साल में हर एक गांव की सारे पंजाब ही में गलियां पक्की होंगी। ज़ाहिर है कि हमारा पंजाब खुशहाल होगा और हम खुशहाल होंगे। मैं अपनी सरकार को और अपने वित्त मन्त्री जी को इस बजट के पेश करने के लिए मुबारकबाद देता हूं।

इस के बाद मैं, स्पीकर साहिब, अपनी सरकार की नुक्ता चीनी भी बड़े अदब के साथ करना चाहता हूँ। हमारी State एक Republic State है, यह एक लोकतन्त्र राज्य है। हमें आम जनता को ज़्यादा से ज़्यादा मान देना चाहिए। वैसे तो हम तरक्की करते जा रहे हैं लेकिन इस तरक्की में कुछ कमी है और वह यह है कि दफ्तरों के अन्दर जो क्लर्क काम करते हैं वह आम जनता के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते। हम देखते रहे हैं कि वे आम जनता से बुरी तरह से पेश आते हैं। हमारी सरकार को चाहिए कि वह इस किस्म का एक circular जारी करे जिस में उन को हिदायतें जारी की जाएं कि Public के साथ किस तरह का सलूक होना चाहिए। मैं मुख्य मन्त्री जी से दरखास्त करता हूँ कि सरकारी मुलाज़िमों को public के साथ अच्छा बर्ताव करना सिखाने के लिए कोई ऐसा Training Centre खोला जाए जिस में हमारे सूबा के हर एक बड़े अफसर और छोटे मुलाजिम को Training दी जाए कि उन्हों ने जनता के साथ किस तरह से पेश आना है स्पीकर साहिब, देश पिता महात्मा गांधी ने गरीब आदमियों के झोंपड़ों में रह कर अपने देश को आज़ाद कराया था और हम जो यहां बैठे है उन के पीछे चलना चाहते हैं और हमारे अफसर जो हैं वह पुराने नमूना के हैं। हुकूमत को पूरी कोशिश से काम लेना चाहिए। वे अभी तक यह नहीं समझ पाये कि जनता के साथ उन्हों ने हलीमी से पेश आना है। वे अभी वही शाहाना ढंग से चल रहे है। इस बारे में, स्पीकर साहिब, मैं आप के द्वारा आप बीती एक बात सरकार तक पहुँचाता हूं। हमारे जिले के A.D.M. हैं सरदार बलबीर सिंह रंधावा। एक बार मैं उन के पास एक दरखास्त ले कर गया और दरखास्त भी थी एक licence पर

दस्तखत करने के लिए। ज्यों ही मैं ने वह दरखास्त उन के सामने पेश की तो उन्हों ने फौरन मेरी दरखास्त को फैंक दिया। लेकिन उस वक्त A.D.M. साहिब कोई अदालत का काम नहीं कर रहे थे। जब उन्हें पता चला कि मैं एक M.L.A. हूँ तो उन्हों ने बड़ा महसूस किया। यह स्पीकर साहिब हमारे अफसरों का बर्ताव आम जनता के साथ है क्योंकि मैं उन के सामने एक आम आदमी की तरह गया था और यह बर्ताव मेरे साथ उन्हों ने एक आम आदमी समझ कर किया था। मैं सच कहता हूँ कि अगर मेरे दोस्त चौधरी श्री चन्द जो Opposition के मैम्बर हैं वहां न होते और वह न बताते कि मैं एक M.L.A. हूं तो यह हो सकता था कि मुझे वहां से धक्के मार कर निकाल दिया जाता। इस तरह से public man के साथ अफसरान की तरफ से ऐसा सलूक किया जाता है। अगर हम इन्हें ऐसा करने से नहीं रोक सकते तो हम तरक्की की तरफ आगे नहीं जा सकेंगे। हमारे चीफ मिनिस्टर साहिब तो आदर्शवादी हैं, उन को इन चीज़ों की तरफ ध्यान देना चाहिए।

फिर, डिप्टी स्पीकर साहिब, मैं अपने मुख्य मन्त्री जी को यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो मेरा हलका है गोहाने का वह बड़ा backward है। हमारे मन्त्रियों को इस बात का पूरा ज्ञान हो ही नहीं सकता कि वह कितना पिछड़ा हुआ इलाका है क्योंकि वह तो कारों में दौरा करते हैं और उन की कारें वहां जा नहीं सकतीं क्योंकि वहां की सड़कें बड़ी खराब हैं। वहां की सड़कें तो बड़ी खराब हैं लेकिन नहरों को रास्ता भी गोहाना तहसील में से दिया गया है जिस की वजह से वहां की जमीनों में रेही और चोहा हो गया है जिस के कारण वहां पैदावार कम होनी शुरू हो गई है। हमारी सरकार को इन चीज़ों की तरफ ध्यान देना चाहिए और रेही और चौ को दूर करना चाहिए या खराब ज़मीन के बदले ज़मींदारों को अच्छी जमीन मिलनी चाहिये।

डिप्टी स्पीकर साहिब, मैं एक बार फिर अपने वित्त मन्त्री जी का धन्यवाद करता हूं जो वह इतना शानदार बजट लाए हैं और जिस से हमारा पंजाब एक शानदार पंजाब बन जाएगा। इन शब्दों के साथ मैं अपनी सरकार को इस बजट के लिए मुबारकबाद देते हुए अपनी स्पीच को खत्म करता हूं।

6-30 P. M.

(*The Assembly then adjourned till 2 P. M. on Tuesday the 15th March, 1955.*)

Punjab Vidhan Sabha Debates

15th March, 1955

VOL. I—NO. 8

OFFICIAL REPORT

CONTENTS

Tuesday, 15th March, 1955

CHANDIGARH:

Printed by the Controller of Printing and Stationery, Punjab,

1956

Price : Price : Rs. 3-15-0

PUNJAB VIDHAN SABHA

Tuesday, 15th March, 1955

The Vidhan Sabha met in the Assembly Hall, Sector 10, Chandigarh Capital at 2 p.m. of the Clock. Mr. Speaker (Sardar Gurdial Singh Dhillon) in the Chair.

SUPPLEMENTARIES TO STARRED QUESTION NO. 4154.

पण्डित श्री राम शर्मा : स्पीकर साहिब ! कल सवाल नं० 4154 पर supplementary questions पूछे जा रहे थे जबकि Question Hour खत्म हो गया था । अगर आप की इजाजत हो तो मैं कुछ और supplementary questions पूछना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : आप उस सवाल पर supplementry questions पूछ सकते हैं । (The hon. Member is permitted to ask supplementaries on that question.)

पण्डित श्री राम शर्मा : क्या मैं गवर्नमेंट से दरियाफ्त कर सकता हूं कि ज़िला रोहतक के कई गांवों में जहा ताज़ीरी चौकी बिठाई गई है वहां के लोगों के खिलाफ किस किस्म की शिकायात हैं जिन की बिना पर यह कार्यवाही की गई है ?

चीफ पार्लियामेन्ट्री सैक्रेटरी : असल सवाल के जवाब में जैसे चीफ मिनिस्टर साहिब ने बताया था जब हालात ऐसे हो जायेंगे कि ताज़ीरी चौकी की ज़रूरत महसूस न होगी तो उसे एक मिनट भी नहीं रहने दिया जाएगा । वहां disturbed conditions की वजह से ताज़ीरी चौकी का बिठाया जाना ज़रूरी हैं ।

पण्डित श्री राम शर्मा : सवाल के भाग (ख) में दरियाफ्त किया गया था whether it is a fact that the posting of the said punitive police was further extended on April 22, 1954; if so, the reasons therefor ?

इस के जवाब में बताया गया है कि वहां के हालात ऐसे खराब हैं कि लोगों को अमन में रखने के लिये ताज़ीरी पुलिस वहां बिठा दी गई । मैं पूछना चाहता हूं कि वहां हालात किस किस्म के हैं ? आया जरायम बढ़ गए हैं या डाकुओं को पनाह दी गई है या लोगों ने नहर को तोड़ दिया है ? किस nature की शिकायत हैं कि ताज़ीरी चौकी बिठा कर बारह, तेरह गांव के लोगों को परेशान किया जा रहा है ?

चीफ पार्लियामेन्ट्री सैक्रेटरी : जो हालात punitive police बिठाये जाने के होते हैं वह वहां हैं इसलिये वहां ताज़ीरी चौकी कायम कर दी गई है ।

पण्डित श्री राम शर्मा : क्या गवर्नमैण्ट यह नहीं बता सकती कि जो हालात वहां पर हैं वह किस किस्म के है ? किस तरह के जरायम होने का अंदेशा है जिस की वजह से ताज़ीरी चौकी वहां कायम कर दी गई है ?

Note—Starred Question No. 4154 appears in the debate, Volume I, No. 7, dated 14th March, 1955.

चीफ पार्लियामैंन्ट्री सैक्रेटरी : जिन जरायम की बिना पर punitive police post का होना जरूरी होता है वह वहां exist करते हैं। इस लिये उन हालात की बिना पर यह ज़रूरी है कि वहां पर ताज़ीरी पुलिस बिठाई जाए।

पण्डित श्री राम शर्मा : क्या कोई भी ऐसी बात बताई जा सकती है जिस की वजह से वहां ताज़ीरी चौकी का बिठाया जाना जरूरी हो ?

सिंचाई मन्त्री : अगर माननीय मैम्बर किसी खास गांव के बारे में जानना चाहते हैं तो नोटिस दें। अगर वह यह जानना चाहते हैं कि वहां कितने murders हुए तो उन की तफसील बताने के लिये नोटिस की जरूरत है।

पण्डित श्री राम शर्मा : कल चीफ मिनिस्टर साहिब ने गवर्नमैण्ट की तरफ से बताया कि ज़िला रोहतक के दस बारह गांव में ताज़ीरी चौकी बिठाई जानी ज़रूरी है। मैं दरियाफ्त करना चाहता हूं कि वह क्या हालात हैं जिन की बिना पर यह ताज़ीरी चौकी कायम की गई है?

अध्यक्ष महोदय : क्या क्या grounds हैं जिन की बिना पर ताज़ीरी चौकी बिठाई गई उस के लिये आप अलहदा नोटिस दें। (The hon. Member should give fresh notice of the question if he wants to know the grounds on which the punitive police post has been stationed there.)

पण्डित श्री राम शर्मा : मैं grounds नहीं पूछता। मैं यह दरियाफ्त करना चाहता हूं कि कल गवर्नमेंट की तरफ से बताया गया था कि ज़िला रोहतक के बारह तेरह गांव में ताज़ीरी चौकियां कायम कर दी गई हैं और साथ ही यह बताया गया कि हालात इस किस्म के हैं। यह भी कहा गया कि जब यह हालात नहीं रहेंगे तो यह ताज़ीरी चौकी उठा ली जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या गवर्नमेंट यह बताएगी कि वहां हालात किस किस्म के हैं। उन के मुतअल्लिक कोई idea दिया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप details पूछना चाहते हैं।

(Do you want to know the details ?)

पण्डित श्री राम शर्मा : मैं details नहीं पूछता बल्कि गवर्नमेंट से यह दरियाफ्त करना चाहता हूं कि वहां कौन से हालात हैं जिन की वजह से ऐसा किया गया है ?

चीफ पार्लियामैंन्ट्री सैक्रेटरी : वहां के residents का गवर्नमैण्ट के साथ non-co-operative attitude है वह offenders को shelter देते हैं। वहां जो disturbed conditions थीं उन के पेशेनज़र और law and order की स्थिति को देखते हुए यह ज़रूरी समझा गया कि वहां punitive police post कायम की जाये।

पण्डित श्री राम शर्मा : क्या गवर्नमैण्ट के अपने एलान के मुताबिक रोहतक ज़िले में डाकू खत्म नहीं हो गये ? इस एलान के पेशेनज़र अब ताज़ीरी चौकी कायम करने की ज़रूरत क्यों पड़ी ?

चीफ पार्लियामैंन्ट्री सैक्रेटरी : जैसे चीफ मिनिस्टर साहिब ने बताया है कि डाकुओं का टोला अब भी मौजूद है जो डाकुओं के ज़ुमरा में शुमार नहीं किया जा सकता और वह हालात पुरसकून रखने के खिलाफ agitate करता रहता है।

पण्डित श्री राम शर्मा : क्या मैं पूछ सकता हूं कि इन गावों में जहां ताज़ीरी चौकी बिठाई गई है कोई ब्राह्मण या गैर ब्राह्मण gang है जो डाकुओं को पनाह देते हैं ?

Minister for Irrigation: This question does not arise.

पंडित श्री राम शर्मा : गुज़ारिश है कि जवाब बे-मायनी है । मैं दरियाफ़त करना चाहता हूं कि वहां कोई gang है या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : आप नाम पूछने की हद तक जा रहे हैं । यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

(You are going to the extent of asking the names. In fact this question does not arise.)

पण्डित श्री राम शर्मा : बरादरी का नाम ले कर यह कहना कि ब्राह्मण gang के कुछ आदमी हैं । क्या गवर्नमैण्ट को ऐसे gang का कुछ इल्म है ?

अध्यक्ष महोदय : नाम वग़ैरा पूछने के लिये नोटिस चाहिये ।

(The hon. Member should give fresh notice to know about the names, etc.)

पण्डित श्री राम शर्मा : क्या कोई vague से vague idea गवर्नमैण्ट की तरफ से इस बात का दिया जा सकता है कि ज़िला रोहतक में और खास तौर पर देहात में कोई ऐसे आदमी मौजूद हैं जो मफरूरों को पनाह देने वाले हैं ?

चीफ पार्लियामैन्ट्री सैक्रेट्री : Punitive police post का कायम रखना इस बात का सबूत है कि हालात पुर सकून नहीं हैं । जब हालात अच्छे हो जायेंगे तो ताज़ीरी चौकी हटा दी जायेगी ।

पण्डित श्री राम शर्मा : क्या पंजाब गवर्नमैण्ट अपनी administration के किसी काम में कोई ग़लती नहीं करती ?

Mr. Speaker: This is a question of opinion.

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

DEAD BODY BROUGHT BY THE POLICE FOR POST-MORTEM

***3951. Pandit Shri Ram Sharma :** Will the Chief Minister be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that a dead body was recently brought by the police from the Nahar Police Chowki of the Salhawas Police Station, Post-mortemed and then cremated ; if so, the name of the deceased and the reasons for not handing over his dead body to his relatives ;

(b) whether the relatives of the deceased approached the district authorities in this connection ; if so, with what results ?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary) : (a) A statement is given below.

(b) The relatives of Gugan filed a petition with the District Magistrate Rohtak, alleging that the death of Gugan had resulted from police torture, The District Magistrate ordered a magisterial enquiry which exonerated the police.

[Shri Prabodh Chandra]

Statement giving the details of the incident—

The dead body of Gugan, son of Hans Ram, Jat, was brought to Rohtak for post-mortem examination on 26th February, 1954, by Sahlawas Police along with Hardwari, Sarpanch of Khorra from village Bahu Jholri. The circumstances attending the death of Gugan are that three of his collaterals, namely, Narayan Singh, Dalal Singh and Amar Singh were suspects in a dacoity case of Bahu Jholri. Search was made for them but they evaded arrest. Ultimately Amar Singh was arrested from Railway Station Rewari on 25th February, 1954 and remanded to police custody till 8th March, 1954. On 25th February, 1954 at about 3 p.m. Gugan came to the Patwarkhana in village Bahu Jholri where Kanwar Sain, Patwari, Pirtha Singh Lambardar, Ram Saran Lambardar, Dalip Singh Tailor, Shiv Narain Mahajan, all of village Bahu Jholri, were present. Gugan told the Patwari that his relative Amar Singh had been arrested by the Station House Officer, Sahlawas in the morning and was brought to village Bahu Jholri and that he wanted to meet him. Thereupon the Patwari told him that neither Station House Officer, Sahlawas nor A.S.I. Jasmer Singh was in the village that day and that he did not know if any Amar Singh had been brought to that village by the Police. The Patwari asked him to wait till the arrival of the bus in the evening when the S.H.O. might be coming. Gugan told the persons who were sitting there that he was running temperature for the last two days and that he was feeling cold and also pain in his chest. Gugan also told the Patwari that he had taken some medicine from a doctor in village Bahu Jholri only an hour or so before, and that the medicine had to be taken with hot water. The Patwari started arranging for hot water for him but the condition of Gugan appeared to be deteriorating suddenly. At this, Sudan Ram Sharma, a private Medical Practitioner in village Bahu Jholri, was called for through Gopal, the Jamedar of the Chaukidars. The doctor soon arrived there but Gugan could not be saved and breathed his last in the presence of all the persons mentioned above. As there was no Police Officer present in the village at that time, the Patwari wrote down the report of the death of Gugan and when he was about to take it to police station Sahlawas, H.C. Ram Dev on patrol duty reached that village and took the ruqqa to the Police Station where both the S.H.O. and A.S.I. were present. On receipt of the ruqqa the S.H.O. and the A.S.I. came to village Bahu Jholri and made an enquiry into the death of Gugan, under section 174, Cr. P.C. Information about the death of Gugan was immediately sent to his relatives but they were not available. Hardwari Sarpanch of village Khorra was, therefore, brought to village Bahu Jholri and he identified the dead body of Gugan. On 26th February, 1954 the dead body was taken to Rohtak for post-mortem examination which was conducted the same day by the Assistant Surgeon, Rohtak, who noted in the post-mortem report that there were no injuries on the person of the deceased and that the death in his opinion was due to "heart failure consequent on Massive Lober Pneumonia on whole lung of the right side". The relatives of the deceased turned up at Rohtak on 26th February, 1954 after the post-mortem examination had been conducted and the dead body was offered to them, but they refused to take it. The body was, therefore, handed over to Hardwari Sarpanch of their village. The cremation of the body was withheld under the orders of the District Magistrate who first asked the Advocate representing relatives of Gugan as to whether he would like any action to be taken in respect of the dead body before it was disposed of. When no reply was received by the District Magistrate from the Advocate by late in the evening, the body was cremated under the orders of the District Magistrate.

पण्डित श्री राम शर्मा : गवर्नमैण्ट की तरफ से जो तहरीरी जवाब दिया गया है उस की बिना पर मैं पूछना चाहता हूं कि जो magisterial enquiry हुई उस में जो आदमी मरा है उस के रिश्तेदारों के बयान लिये गये। इस के इलावा इस जवाब मे लिखा है कि Deputy Commissioner ने Advocate को इतलाह दी कि लाश को सम्भाल लो। क्या Advocate का बयान लिया गया है। इस के इलावा मुलज़मों के टोले में जिन आदमियों को पकड़ा गया था उन के बयान मैजिस्ट्रेट ने लिये ?

अध्यक्ष महोदय : इस सवाल का जवाब दिया जा चुका है।

(This question has already been replied to.)

पण्डित श्री राम शर्मा : लोगों का ख्याल है कि पुलिस ने मारा है और जवाब में कहते हैं कि वह खुद ही मर गया। Magisterial enquiry कराई और इस में लोगों के बयान लिये गये और उस enquiry की रिपोर्ट की बिना पर गवर्नमेंट बिल्कुल मुतमइन हो बैठी कि जो कुछ हुआ है, ठीक हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं कि उस मैजिस्ट्रेट ने

मुलज़मान के बयान लिये और जो आदमी मरा उस के relatives की तरफ से Advocate के बयान लिये जिस के मुतअल्लिक लिखा है कि—

"The cremation of the body was withheld under the orders of the District Magistrate, who first asked the Advocate representing relatives of Cugen as to whether he would like any action to be taken in respect of the dead body before it was disposed of".

इस सिलसिले में, मैं अर्ज़ कर दूं कि मरने वाले के रिश्तेदारों के Advocate इस असैम्बली के मैम्बर है। क्या मैजिस्ट्रेट ने मुलज़मों के बयान ले कर या इन लोगों के बयान ले कर अपनी रिपोर्ट लिखी ?

चीफ़ पार्लियामैण्ट्री सैक्रेटरी : Impartial enquiry को conduct करने के लिये जितनी बातें ज़रूरी होती हैं उन्हें ख्याल में रखा गया था। उस के रिश्तेदारों के Advocate से पूछा गया है कि वह dead body लेना चाहते हैं और जब उन्होंने कोई interest न लिया तो dead body को dispose of किया गया।

पण्डित श्री राम शर्मा : सवाल यह है कि जो magisterial enquiry हुई वह मैजिस्ट्रेट ने मौका पर जा कर तहकीकात की या कुछ आदमियों की शहादतें ले लीं।

अध्यक्ष महोदय : आप magisterial enquiry की detail में जाना चाहते हैं। अगर आप खास तौर पर शहादत के बारे में पूछना चाहते हैं तो इस के बारे में अलहदा नोटिस दें।

(You want to go into the details of the magisterial enquiry. If you want to know particularly about the evidence tendered in this case, then you should give fresh notice to get the required information.)

पंडित श्री राम शर्मा : मेरा सवाल यह है कि क्या उन लोगों में जिन के बयानात Magistrate साहिब ने लिए कोई भी ऐसा आदमी है जिस का मरने वाले के साथ दूर का भी ताल्लुक हो ?

Mr. Speaker : It does not arise out of the original question; please give a fresh notice,

पण्डित श्री राम शर्मा : जो जवाब मुझे दिया गया है, उस में कहीं नहीं लिखा कि मरने वाले के साथियों में से किसी की यानी किसी दीगर मुलज़िम की या उस के रिश्तेदारों की गवाही ली गई। क्या ऐसी enquiry में Magistrate का फर्ज़ नहीं होता कि दूसरी side के बयानात भी ले ?

Mr. Speaker : But in part (b) of the question you have only enquired—

'whether the relatives of the deceased approached the district authorities in this connection.'

And in the statement which has been supplied to the hon. Member, it has been clearly stated that the relatives of the deceased turned up at Rohtak on 26th February, 1954 after the post-mortem examination had been conducted and the dead body was offered to them but they refused to take it. . .

[Mr. Speaker]

You will see that the reply covers your question. But nowhere in the question you have asked for any details which you are now asking. For this you should give a fresh notice.

पण्डित श्री राम शर्मा : जवाब में लिखा है:—

The relatives were asked to turn up on such and such date for post-mortem but they refused

Mr. Speaker : You have not asked in the question whether the relatives turned up or not or their names. If you had done so, you could put such supplementaries.

पण्डित श्री राम शर्मा : मैं इस लिए पूछ रहा हूं क्योंकि यहां लिखा है कि Magistrate ने जा कर बयानात लिये । तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि उस ने बाकी आदमियों के बयानात क्यों नहीं लिए या लेने से क्यों इनकार किया ?

Mr. Speaker : The hon. Member should give a separate notice for this question.

REPRESENTATION FROM DHARAM SINGH, SON OF GURDIT SINGH, MAZHABI SIKH OF VILLAGE PHERUMAN, DISTRICT AMRITSAR.

***4046. Sardar Darshan Singh** : Will the Chief Minister be pleased to state whether any representation has recently been received from Dharam Singh, son of Gurdit Singh, Mazhabi Sikh of village Pheruman, district Amritsar, regarding the abduction of his wife as well as that of his brother ; if so, the action, if any, taken thereon ?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary) : No representation has been received by Government from Dharam Singh. However, Shri Dharam Singh of village Pheruman, district Amritsar, submitted an application to the Senior Superintendent of Police, Amritsar, alleging that his wife Shrimati Jito had been sold by her father Kala Singh to one Lachhman Singh with the connivance of Foot Constable Milkha Singh, No. 692, Ujagar Singh, Motor Driver, Amritsar Omnibus and others. He added that his brother's wife, Shrimati Prito, had also been abducted.

Enquiries made by the Amritsar Police revealed that Shrimati Jito, sick of her husband's cruel treatment, went away of her own accord to her parents and thence to the house of Lachhman Singh. The allegations regarding the sale of Shrimati Jito to Lachhman Singh by Kala Singh, the connivance of Foot Constable Milkha Singh and the abduction of Shrimati Prito were not substantiated. Dharam Singh failed to produce any evidence in support of his allegations. The matter appeared to be one of elopment under section 498, I.P.C., which is a non-cognizable offence and hence Shri Dharam Singh was directed to seek redress in the court of law.

JAGIRDARS OF VILLAGE KHAMENON KALAN, TEHSIL SAMRALA, DISTRICT LUDHIANA

***4697. Sardar Ajmer Singh** : Will the Minister for Development be pleased to state whether the Jagirs of the Jagirdars of village Khamenon Kalan, tehsil Samrala, district Ludhiana are being paid regularly every six months ; if not, the date from which they have been discontinued and the reasons therefor ?

Chaudhri Lahri Singh : *First part.*—No.

Second part—Not paid after Rabi, 1952 as the jagir record received from PEPSU was not up-to-date. The record has, however, now been brought up-to-date and the payment work has been taken in hand.

SLAUGHTER HOUSES IN THE STATE

*4563. **Shri Teg Ram :** Will the Minister for Development be pleased to state :—

(a) the total number of slaughter houses in the State at present ;
(b) the total number of cows, buffaloes, sheep, goats, and other animals, respectively, slaughtered therein during the year 1954 ;
(c) whether there is any ban on cow slaughter in State ; if so, the details thereof ?

Sardar Gurbachan Singh Bajwa : The information is being collected and will be supplied to the member concerned when ready.

पण्डित श्री राम शर्मा : स्पीकर साहिब ! आप इजाज़त दें तो एक सवाल पूछ लूं । क्या वज़ीर साहिब को पता है कि मुख्य मंत्री cow slaughter को बिल्कुल बन्द करने का एलान कर रहे हैं ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਸ ਸਵਾਲ ਵਿਚ ਇਹ ਗਲ ਪੁੱਛੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਇਸ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਨੇ slaughter houses ਹਨ ਤੇ ਕਿਤਨੇ ਜਾਨਵਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ?

पण्डित श्री राम शर्मा : Part (c) में जो पूछा गया है—

"Whether there is any ban on cow slaughter in the State, if so, the details thereof."

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या गऊकुशी पर इस वक्त पाबन्दी है या नहीं ?

Mr. Speaker : He has stated that information is being collected.

पण्डित श्री राम शर्मा: क्या गवर्नमैण्ट ने यह इत्तलाह भी इकट्ठी करनी है कि इस वक्त गऊकुशी होती है या नहीं ?

Minister for Public Works : Yes, it is to be collected.

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : इस का जवाब दें कि इस वक्त होती है या नहीं ?

Minister for Irrigation : Notice is required for this.

CONSOLIDATION OPERATIONS

*4512. **Sardar Bachan Singh :** Will the Minister for Development be pleased to state—

(a) the number of villages, tehsil-wise in the State in which Consolidation operations have been completed along with the total area of land consolidated ;
(b) the area of land, tehsil-wise, reserved in the villages where Consolidation has been completed for common purposes such as manure pits, extension of abadis, schools, etc., so far, along with the area reserved for use by agricultural labourers and the landless tenants ;
(c) the area of land so far reserved for being vested in the Panchayats along with the area actually so vested ?

Chaudhri Lahri Singh : The information is being collected and will be supplied to the member.

CONSOLIDATION OF HOLDINGS IN VILLAGE SAHI, DISTRICT GURGAON

*4590. **Sardar Bachan Singh :** Will the Minister for Development be pleased to state whether the Government has received any representation,

[Sardar Bachan Singh]

dated the 3rd September, 1954, regarding the irregularities at the time of consolidation of holdings in village Sahi, tehsil Ballabgarh, district Gurgaon ; if so, the action if any taken in the matter ?

Chaudhri Lahri Singh : Yes. The enquiry has been made by the Settlement Officer (Consolidation), Gurgaon, who has since submitted his report to the Director, Consolidation of Holdings. The Director, Consolidation of Holdings will pay a personal visit to this village in March, 1955 and will decide the matter on the spot.

NATIONAL DAIRY RESEARCH INSTITUTE AT KARNAL

*4400. **Shri Ram Chandra Comrade :** Will the Minister for Development be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under the consideration of Government to set up a National Dairy Research Institute and to locate it in Karnal ;

(b) if the answer to part (a) above be in the affirmative, the details of the scheme, the area of land reserved for the purpose, the amount of money set apart in this connection by the State Government and the amount expected to be received from the Government of India, and the period within which the said institute is expected to start functioning ;

(c) whether the Hissar Cattle Farm is proposed to be liquidated when the institute referred to above starts functioning ?

Chaudhri Lahri Singh : (a) There is no proposal under consideration of this Government to set up a National Dairy Research Institute and to locate it at Karnal.

(b) and (c) Does not arise.

ALLEGED IRREGULARITIES IN CONSOLIDATION OPERATIONS IN VILLAGE DOBH, DISTRICT ROHTAK

*4087. **Shri Wadhawa Ram :** Will the Minister for Development be pleased to state whether a representation, dated 23rd November, 1953 from the residents of village Dobh, tahsil and district Rohtak, complaining against the irregularities in Consolidation Operations was received by the Government ; if so, the action if any, taken thereon ?

Chaudhri Lahri Singh : Yes ; complaints were found to be somewhat correct. Action will be taken.

पण्डित श्री राम शर्मा : क्या गवर्नमैण्ट थोड़ी सी तफसील के साथ बता सकती है कि उस representation में क्या शिकायात थीं और उन में कितनी सदाकत थी ?

मंत्री : यह महकमा Development Minister साहिब का है, इस सवाल के जवाब के लिये notice चाहिए ।

पण्डित श्री राम शर्मा : क्या कोई मन्त्री किसी दूसरे वज़ीर की तरफ से कह सकता है कि 'notice चाहिए' या कि 'दूसरे महकमे की बात है, नहीं बताई जा सकती' ?

Mr. Speaker : He read the original reply on his behalf and has given this reply also on his behalf.

पण्डित श्री राम शर्मा : On a point of Order, Sir. मैं यह कहना चाहता हूं कि जब एक वज़ीर दूसरे वज़ीर के behalf पर जवाब देता है तो समझा यह जाता

है कि उसी गवर्नमैंण्ट के behalf पर वह सब कुछ हो रहा है । तो वज़ीर साहिब का यह कहना कि दूसरे का महकमा है कहां तक ठीक है ? मैं इस सिलसिले में आप की ruling चाहता हूं ।

मंत्री : जवाब तो मैं ने दे दिया है । लेकिन further details के लिये notice चाहता हूं ।

CROP PLANNING COMMITTEE

***4442. Shri Ram Kishan** : Will the Minister for Development be pleased to state—

(a) whether the Government has constituted any Crop Planning Committee in the State ; if so, its purpose and the scope of its work ;

(b) whether the said Committee has submitted its report to the Government, if so, its main recommendations and the steps, if any, taken or intended to be taken to implement them ?

Chaudhri Lahri Singh : (a) Yes. The purpose and the scope of the work of the Crop Planning Committee are given in the statement laid on the table of the House.

(b) Yes. The Committee's main recommendations are given in statement No 2. Action is already being taken to implement the recommendations of the Crop Planning Committee accepted by the Government, as per statement No. 3, given below :—

STATEMENT I

The terms of reference of the Committee will be :—

(1) To consider—

(a) the most suitable predominant crops, and the ways and means of obtaining this ;

(b) the areas requiring reclamation, the technique to be adopted and the organisation that is to be created for this purpose ;

in the light of :—

(a) Scientific soil surveys of Bhakra area.

(b) Crop experiments made by various departments.

(c) Rainfall.

(d) Water allowance approved for different areas to be served by the Project.

(e) Proximity to large towns, or other industrial areas.

(ii) To assess the changes that are likely to occur in the soil on the introduction of the canal irrigation, to study factors which are operative in bringing about deterioration of the land and the decrease in the yields and to suggest measures to prevent this deterioration.

(iii) To determine the nature and amount of artificial fertilizer required, the source from which it should be obtained and the method of distribution amongst the cultivators.

(iv) To suggest suitable legislation, if any, required for the implementation of recommendations.

[Minister for Irrigation]

STATEMENT II (Recommendations)

1. The Crop Patterns evolved by the Committee should be taken up by the cultivators in various tracts of the Project area for obtaining maximum results. The Irrigation Branch should take up the work of demonstrating these patterns among the cultivators by opening experimental demonstration farms at various places in the tracts so that the farmers of different ilaqas may have an easy access to such farms and adopt these patterns in their own fields after convincing themselves about the usefulness of these patterns. The area of each of these farms except the farm at Hissar should be 50 acres. This should be taken on lease for a period of 10 years. The farm at Hissar should be of a permanent nature and of bigger size. Publicity of these patterns should also be made through the Publicity Department and other organizations by distributing printed leaflets.

2. All the watercourses should be lined by the zamindars with a mixture of mud and gobri (cowdung) which is a cheap and easily available material. This will make more water available to the farmer for irrigation. This method of lining should also be practised on the proposed experimental farms.

3. The reclamation of 993,600 acres saline and alkaline areas should be taken up immediately as the irrigation supplies in the Bhakra Canals are available for this purpose. The work should be taken up during Kharif, 1955. 461,400 acres of Thur area is such where salts are at some depth from the surface. Their reclamation being easier and economical should be taken up first and for doing that the carrying out of detailed soil survey on 25 acres grid basis is recommended.

4. The Soil Improvement Bill should be introduced in the next Budget Session of the State Legislature so that its provisions may become effective for taking up the work of reclamation in Kharif, 1955.

5. A Fertilizer Factory should be installed in the Punjab to meet the increased demand for artificial fertilizer. The place and location of the factory cannot be recommended before the results of large scale field experiments, being conducted in this State and other States are known.

6. Timely steps for construction of drains should be taken so that the water table does not rise above 15 feet from the natural surface in areas other than Khadir. The Grey Canals tract in Ferozepore District, Bist Doab tract in Jullundur District and Khanna, Samrala tract in Ludhiana District deserve immediate attention as the water-table in these areas is already higher than 15 feet below natural surface.

7. An additional number of 23 Ginning Factories and 5 additional textile mills may be installed in the State to utilise the increased production of long staple cotton. Ginning Factories may be started in the districts of Hissar, Ludhiana, Jullundur, Karnal, and Ferozepore.

8. To utilize the increased production of sugarcane, 3 sugar factories may be installed in the State in the sugarcane growing areas, one at Rohtak, second at Panipat and third at Bhogpur.

9. With the opening up of several industries in the State, the demand for trained mechanics will increase. For this, technical training in all the high schools is recommended where it should be compulsory from 6th to 8th class. In the ninth and tenth classes it should be optional whereafter institutions for special course for two to three years may be set up. Till this scheme matures, the Government should open special centres for a period of 10 years to give special education for mechanics who should pass tests on the anology of tests now held under the Boilers Act. This will also help in reducing the unemployment problem.

STATEMENT III (Decision of the Government)

(i) It was decided that there was no need to set up separate experimental demonstration farms to demonstrate to the zamindars the crop patterns for the various tracts involved. The existing agricultural farms should be enough to serve this purpose.

(ii) The lining of water courses with indigenous material was accepted, but it was decided that no actual demonstration is necessary. Only propaganda should be done for this object.

(iii) It was decided that a detailed scheme for the reclamation of 9,93,000 acres of saline and alkaline areas should be framed by the Chief Engineer, Irrigation Branch, for consideration of the Finance Department.

The reclamation work is not to be taken up by the Government of the proposed Soil Improvement Bill.

(iv) It was decided that there was no need for the enactment of the proposed Soil Improvement Bill.

(v) Regarding setting up of a Fertilizer Factory in the Punjab, it was held that this was already being dealt with in the Industries Department.

(vi) The construction of drains in the canal irrigated areas so as to guard against water-logging and deterioration of land was approved.

(vii) The question of setting up of Ginning and Sugar Factories was already being dealt with in the Industries Department separately and it was decided that there was no need to impart technical education in the High School for training Mechanics.

श्री राम किशन : मैं पूछना चाहता हूं कि Crop Planning Committee ने जो recommendations Scientific Soil Surveys of Bhakra area के बारे में भेजी हैं गवर्नमैण्ट ने उन पर क्या action लिया है ?

मंत्री : अभी कोई action नहीं लिया गया। The matter is under consideration of the Government.

श्री राम किशन : Crop Planning Committee ने जो recommendations की हैं उन में से किसी पर अमल भी किया गया है या नहीं ?

मंत्री : माननीय सदस्य जवाब पढ़ें तो मालूम होगा कि अभी तक किसी पर भी अमल नहीं किया गया। The Cabinet took this decision only recently and it has not yet been implemented.

श्री राम किशन : उन recommendations पर कब तक अमल हो जाएगा ?

मंत्री : जल्दी से जल्दी।

श्री राम किशन : क्या मैं पूछ सकता हूं कि यह कमेटी कब बैठी थी और इस के कौन 2 मैम्बर थे ?

Minister : I want a notice for it.

पण्डित श्री राम शर्मा : क्या वज़ीर साहिब कृपा करके बतायेंगे कि इस कमेटी की क्या 2 recommendations हैं ?

Minister : The papers are laid on the Table of the House.

पण्डित श्री राम शर्मा : इस की मोटी मोटी items बता दी जाएं।

मंत्री : हाऊस के पास इतना समय नहीं है। This is for the hon. Member to read the contents of the papers.

SCARCITY OF FODDER IN GURGAON DISTRICT

***4523. Shri Babu Dayal :** Will the Minister for Development be pleased to state—

(a) whether he is aware of the scarcity of fodder in Gurgaon District;

(b) if the answer to part (a) above be in the affirmative, whether taccavi loans and cheap fodder were made available to the inhabitants of the said district ; if so, when, if not, the reasons therefor ?

Chaudhri Lahri Singh : (a) Yes.

(b) Rupees seventy-five thousand were placed at the disposal of the Deputy Commissioner in November, 1954 for distribution as taccavi loans under the Agriculturists' Loans Act XII of 1884. As regards the relief measures for the existing scarcity conditions the matter is under consideration of Government.

पण्डित श्री राम शर्मा :क्या गवर्नमैण्ट को इस बात का इल्म है कि जो रुपया Deputy Commissioners को दिया गया है उस में से कितना रुपया किस काम पर खर्च हुआ है ? अगर है तो इस काम पर कितना रुपया खर्च हुआ है ?

मंत्री : इस सूचना को देने के लिये notice चाहिये ।

SLAUGHTER-HOUSES

***3953. Pandit Shri Ram Sharma, :** Will the Minister for Irrigation be pleased to state whether it is a fact that under directions of the Government, new slaughter-houses are being opened in the State on a Co-operative basis; if so, the details of the scheme under which this is being done ?

Chaudhri Lahri Singh : No such scheme is under the consideration of Government.

पण्डित श्री राम शर्मा : क्या यह बात ठीक है कि वज़ीर साहिब ने एक जलसे में इस बात का एलान किया था कि Government co-operative basis पर एक बूचड़ खाना खोलना चाहती है ? उन का क्या ख्याल है ?

मंत्री : आप गवर्नमैण्ट के बारे में पूछें । वज़ीर साहिब तो पता नहीं क्या 2 सोचते हैं ?

पण्डित श्री राम शर्मा : क्या मैं यह दरियाफ्त कर सकता हूं कि वज़ीर साहिब के सोचने में और गवर्नमेंट के अमल करने में कुछ फर्क है ?

मंत्री : जी हां । बहुत ज्यादा फर्क है ।

Mr. Speaker: The reply which I have received is a different one.

मंत्री : जनाब वह बदल दिया गया है ।

पण्डित श्री राम शर्मा : जनाब ऐसी हालत में जब कि जवाब बदल दिया गया है मैं पूछना चाहता हूं कि क्या गवर्नमैण्ट का सूबे में कोई बूचड़ खाना खोलने का इरादा है ?

मंत्री : मैं ने पहले ही clear कर दिया है कि सरकार के सामने ऐसी कोई स्कीम नहीं है । लेकिन वज़ीर साहिब के अपने दिमाग़ में क्या चीज़ है, that is something else.

पण्डित श्री राम शर्मा : मैं पूछना चाहता हूं कि जब वज़ीर साहिब ने पब्लिक में एक एलान किया और अखबारों में भी दिया तो क्या उन्होंने गवर्नमेंट की जिम्मेदारी के साथ किया था।

मंत्री : वे मेरे personal views थे। सरकार की कोई ऐसी स्कीम नहीं है।

पण्डित श्री राम शर्मा : उन के personal views क्या हैं ?

मंत्री : ज़ाती तौर पर मेरा खयाल यह था कि Partition के बाद जितने invalid cattle—भैंसें, झोटे और कट्टे वगैरा.—हैं वे सब U. P. में जा कर कटते हैं और वहां से 7, 8 करोड़ रुपए का चमड़ा पंजाब में आता है। तो मेरी राए थी कि सिवाए गौओं के बाकी जो cattle हैं उन की खालों से leather factory चलाने के लिये एक बूचड़ खाना खोला जाए। यह मेरा personal view है।

पण्डित श्री राम शर्मा : जब वज़ीर साहिब ने यह विचार पब्लिक में ज़ाहिर किया तो क्या उन्होंने यह कहा था कि यह मेरा अपना view है ? सरकार का इस से कोई ताल्लुक नहीं ?

COMPLAINT AGAINST CONSOLIDATION OFFICER, VILLAGE JHARSA, DISTRICT GURGAON

*4663. **Sardar Gopal Singh** : Will the Minister for Development be pleased to state whether he has received any complaints by the land-owners of village Jharsa, district Gurgaon, against the Consolidation Officer, Gurgaon, if so, the action, if any, taken by the Government in the matter ?

Chaudhri Lahri Singh : No. Does not arise.

STATISTICAL SURVEY IN RESPECT OF POPULATION DEPENDING UPON AGRICULTURE IN THE STATE

*4196. **Sardar Gurbachan Singh Atwal** : Will the Minister for Development be pleased to state whether there is any proposal for publishing a report giving information on following subjects and Statistical data :—

(i) the number of agriculturist families depending on agriculture system ;
(ii) the number of rural areas' labour amongst them ;
(iii) the total value of agricultural products ;
(iv) the approximate annual income of agriculturist family from agriculture system ;
(v) the total annual income of the rural areas' labour depending upon agriculture system together with such income *per capita* ;
(vi) whether the rural areas' labourers are paid in kind or coin cases ;
(vii) the living cost of the rural areas' labourer ;
(viii) the approximate amount of annual saving or deficit *per capita*;
(ix) the approximate rate of wages for the labourers per day ;
(x) the method the Government proposes to adopt to make up the deficiency, if any, *per capita*;
(xi) the manner in which the rates of the agriculture products are fixed ?

Chaudhri Lahri Singh : (i) The information about number of agriculturist families depending on agriculture system is not available. However, the total number of persons depending on agricuture in the State is 8,020,689, according to the census, 1951.

(ii) The number of rural areas labour amongst them, as revealed by the census of India, 1951, is 3,256,046.

(iii) A statement showing the total value of crops in the Punjab during the year 1949-50 was estimated at Rs 12,494 lacs in 1950-51 at Rs 13,251 lacs and in 1951-52 at Rs 11,795 lacs.

(iv) The approximate annual net income of agriculturist family from per acre of irrigated land in 1949-50 worked out to Rs 155.84 and from unirrigated land to Rs 34.33 per acre. Latest statistics are not available.

(v) Information is not available.

(vi) The rural areas' labourers are paid partly in cash and partly in kind.

(vii) The information is not available.

(viii) The information is not available.

(ix) A statement showing the approximate daily wages paid in different districts for various agricultural operations to agricultural and skilled labourers in the Punjab during the month of November, 1954, is enclosed.

(x) There is no proposal so far to make up the deficiency in the *per capita* income. The five-year plan, however, aims at general raising of living standards.

(xi) At present prices are controlled only of sugarcane and cotton by the Central Government. The Punjab Government executes those orders.

2. There is no proposal to publish a report giving information on the various points asked for by the member, except what is contained in the reports appearing from time to time.

Wages paid to Agricultural and Skilled Labourers in the Punjab during the month of November, 1954
(In terms of rupees, annas and pies per working day of 8 hours).

District	Type of labour	For Ploughing: In Cash	For Ploughing: Commodity	For Ploughing: Cash equivalent	For Ploughing: Total (3+5)	For Sowing: In Cash	For Sowing: Commodity	For Sowing: Cash equivalent	For Sowing: Total (7+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Rs. A. P.		Rs. A. P.	Rs. A. P.	Rs A. P.		Rs. A. P.	Rs. A. P.
Hissar—	*M. ..	2 0 0	One meal	0 7 0	2 7 0†	‡	..	..	..
Mangli ..	*W. ..	..	..	..	..	..	..	..	..
	*Ch. ..	..	..	..	..	..	..	..	..
Rohtak—	M. ..	2 0 0	3 meals	0 10 8	2 0 0 if paid in cash or 3 meals if paid in kind	..	..	..	..
Sunderpur ..									
	W. ..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Ch. ..	..	..	..	..	..	..	..	..
Gurgaon—	M. ..	2 0 0	..	..	2 0 0	2 0 0	..	..	2 0 0
Bads hahpur ..	W. ..	..	..	..	..	..	..	..	
	Ch. ..	..	..	..	..	..	..	..	..

*M=Man (above 14 years). W=Woman (above 14 years). Ch.=Child (a boy or Girl up to 14 years).
†Work is done for 10 hours a day.
‡The man who ploughs also sows seeds.

[Minister for Irrigation]

Wages paid to agricultural and Skilled Labourers in the Punjab during the month of November, 1954
(In terms of rupees, annas and pies per working day of 8 hours).

District	Type of labour	For Ploughing: In cash	For Ploughing: Commodity	For Ploughing: Cash equivalent	For Ploughing: Total (3+5)	For Sowing: In Cash	For Sowing: Commodity	For Sowing: Cash equivalent	For Sowing: Total (7+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Rs. A. P.		Rs. A. P.	Rs. A. P.	Rs. A. P.		Rs. A. P.	Rs. A. P
Karnal— Uggra Kheri	M. ..	2 0 0	..	..	2 0 0	2 0 0	..	..	..
	W. ..	..	..	..	..	1 0 0	..	..	1 0 0
	Ch.	..	..	..	.. ..	0 12 0	..	..	0 12 0
Ambala— Shahpur	M. ..	3 0 0	..	..	3 0 0	..	..	..	..
	W. ..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Ch. ..	..	..	..	..	..	..	..	..
Kangra— Birta	M. ..	1 4 0	..	..	1 4 0	1 4 0	..	..	1 4 0
	W. ..	..	..	..	..	1 0 0	..	..	1 0 0
	Ch. ..	..	..	..	..	0 12 0	..	..	0 12 0
Kulu Sub-Division— Naggar	M.	Maiz 6 srs one meal	.. ..	1 8 0 / 0 8 0	2 0 0	..	..	..	..
	W.	..	..	..	..	..	..		..
	Ch.	..	..	..	..	..	..	..	..
Hoshiarpur— Sataur	M. ..	3 0 0	..	..	3 0 0	1 8 0	..	..	1 8 0
	W. ..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Ch. ..	..	..	..	..	..	..	..	..

Jullundur—									
Jamsher ..	M.	1 8 0	2 meals	0 10 0	2 2 0	1 0 0	2 meals	0 10 0	1 10 0
	W.	..	..	..	..	0 12 0	2 meals	0 10 0	1 6 0
	Ch.	..	..	..	..	..	..	..	..
Ludhiana—									
Dakha ..	M.	2 8 0	..	..	2 8 0	2 8 0	..	..	2 8 0
	W.	..	..	..	..	..	..	..	..
	Ch.	..	..	..	..	..	..		..
Ferozepore—									
Sodhi Nagar ..	M.	3 0 0	..	..	3 0 0	3 0 0	..	..	3 0 0
	W.	..	..	..	..	..	..	..	..
	Ch.	1 8 0	..	..	1 8 0	..	..	..	..
Amritsar—									
Jandiala ..	M.	1 0 0	1 meal	0 8 0	1 8 0†	1 0 0	1 meal	0 8 0	1 8 0*
	W.	..	..	..	..	..	..	..	..
	Ch.	..	..	..	..	..	..	..	..
Gurdaspur—									
Narotmehra ..	M.	..	Paddy 3 srs Food 2 srs	0 10 0 0 10 0	1 4 0	..	Paddy 4 srs	0 12 0	0 12 0
	W.	..	..	..	..	..	..	..	..
	Ch.	..	Paddy 1½ srs Food 1½ srs	0 12 0	0 12 0	..	..	..	..

*M=Man (above 14 years). W=Woman (above 14 years). Ch.=Child (a boy or Girl up to 14 years.

†Work is done for 5 hours a day.

‡The man who ploughs also sows seeds.

Minister for Irrigation]

District	Type of labour	For Weeding: In cash	For Weeding: Commodity	For Weeding: Cash equivalent	For Weeding: Total (3+5)	For Harvesting: In cash	For Harvesting: Commodity	For Harvesting: Cash equivalent	For Harvesting: Total (7+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Rs. A. P.		Rs. A. P.	Rs. A. P.	Rs. A. P.		Rs. A. P.	Rs. A. P.
Hissar—									
Mangli ..	*M. ..	..	..	..	..	..	..	..	..
	W. ..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Ch. ..	..	..	..	..	..	..	..	..
Rohtak—									
Sunderpur ..	M ..	..	..	..	..	..	..	..	..
	W ..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Ch. ..	..	..	..	..	..	..	..	..
Gurgaon—									
Badshahpur ..	M ..	..	..	..	..	..	..	..	..
	W ..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Ch ..	..	..	..	..	..	..	..	..
Karnal—									
Uggra Kheri ..	M ..	2 0 0	..	..	2 0 0†	..	..	..	..
	W ..	1 0 0	..	..	1 0 0	..	..	..	..
	Ch. ..	0 12 0	..	..	0 12 0	..	..	..	..
Ambala—									
Shahpur ..	M ..	2 8 0	..	..	2 8 0	..	..	..	..
	W ..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Ch. ..	..	..	..	..	..	..	..	..
Kangra—									
Birta ..	M ..	1 4 0	..	..	1 4 0	1 4 0	..	..	1 4 0
	W ..	1 0 0	..	..	1 0 0	1 0 0	..	..	1 0 0
	Ch. ..	0 12 0	..	..	0 12 0	0 12 0	..	..	0 12 0

Kulu Sub-Division—										
Naggar ..	M	..	..	..	..	..	..	Paddy 6 srs	2 0 0	2 0 0
	W	..	..	..	..	..	..	Paddy 6 srs	2 0 0	2 0 0
	Ch.	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Hoshiarpur—										
Sataur ..	M	..	1 8 0	..	..	1 8 0	..	..	..	..
	W	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Ch.	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Jullundur—										
Jamsher ..	M	..	1 0 0	2 meals	0 10 0	1 10 0	..	Maize 1 bundle 2 meals	1 4 0 0 10 0	1 14 0
	W	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Ch.	..	0 8 0	2 meals	0 8 0	1 0 0	..	Maize ½ bundle 2 meals	0 10 0 0 8 0	1 2 0
Ludhiana—										
Dakha ..	M	..	2 8 0	..	..	2 8 0	2 8 0	..	..	2 8 0
	W	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Ch	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Ferozepore—										
Sodhi Nagar ..	M	..	2 8 0	..	..	2 8 0	4 0 0	..	..	4 0 0
	W	..	1 4 0	..	..	1 4 0	2 0 0	..	..	2 0 0
	Ch.	..	1 0 0	..	..	1 0 0	1 0 0	..	..	1 0 0
Amritsar—										
Jandiala ..	M	..	1 8 0	One meal	0 8 0	2 0 0	2 0 0	One meal	0 8 0	2 8 0
	W	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Ch.	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Gurdaspur—										
Norotmehra ..	M	..	..	Paddy 4 srs	1 0 0	1 0 0	..	..	..	..
	W	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Ch.	..	..	Paddy 2 srs	0 8 0	0 8 0	..	..	..	..

*M = Man (above 14 years). W = Woman (above 14 years). Ch. = Child (a boy or girl up to 14 years).
†1/20th of the crop harvested.

[Minister for Irrigation]

District	Type of Labour	For Picking of Cotton: Cash	For Picking of Cotton: Commodity	For Picking of Cotton: Cash equivalent	For Picking of Cotton: Total (3+5)	For other Agricutural Operations: Cash	For other Agricutural Operations: Commodity	For other Agricutural Operations: Cash equivalent	For other Agricutural Operations: Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Rs. A. P.		Rs. A. P.	Rs. A. P.	Rs. A. P.		Rs. A. P.	Rs. A. P.
Hissar—									
Mangli ..	*M ..	..	For picking 25 to 30 srs of cotton	1 0 0 to 1 4 0	1 0 0 to 1 4 0	..	..	..	..
	W ..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Ch. ..	..	..	..	..	..	..	..	..
Rohtak—									
Sunderpur ..	M ..	..	Cotton 3 srs.	1 8 0	1 8 0	..	..	..	..
	W ..	..	Cotton 3 srs	1 8 0	1 8 0	..	..	..	..
	Ch. ..	..	..	..	..	..	..	..	..
Gurgaon—									
Badshahpur ..	M ..	..	..	..	..	..	..	..	..
	W ..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Ch. ..	..	..	..	..	..	..	..	..
Karnal—									
Uggara Kheri ..	M ..	†	..	..	..	2 0 0	..	..	2 0 0
	W ..	..	..	..	..	1 0 0	..	..	1 0 0
	Ch. ..	..	..	..	..	0 12 0	..	..	0 12 0

Ambala—									
Shahpur ..	M	2 0 0	..	..	2 0 0	2 8 0	..	..	2 8 0
	W	..	..	..	..	..	..	..	..
	Ch	..	..	..	..	..	..	..	..
Kangra—									
Birta ..	M	..	..	..	..	..	..	..	..
	W	..	..	..	..	..	..	..	..
	Ch.	..	..	..	..	..	..	..	..
Kulu Sub-Division—									
Naggar ..	M	..	..	..	..	..	..	..	..
	W	..	..	..	..	..	..	..	..
	Ch.	..	..	..	..	..	..	..	..
Hoshiarpur—									
Sataur ..	M	..	..	..	..	..	..	..	..
	W	1/8th of cotton picked	1 8 0	1 8 0	..	..	..	..	..
	Ch.	1/12th of cotton picked	1 0 0	1 0 0	..	..	..	..	..
Jullundur—									
Jamsher ..	M	..	Cotton 3 srs	1 14	0 1 14 0	1 8 0	2 meals	0 10 0	2 2 0
	W	..	Cotton 2¼ srs	1 9	0 1 9 0	..	..	..	..
	Ch.	..	Cotton 1½ srs	0 15	0 0 15 0	0 12 0	2 meals	0 8 0	1 4 0

*M=Man (above 14 years) W=Woman (above 14 years) Ch.=Child (a boy or girl up to 14 years.)
†1-10-0 for cotton or pepper picked.

[Minister for Irrigation]

District	Type of Labour	For Picking of Cotton: Cash	For Picking of Cotton: Commodity	For Picking of Cotton: Cash equivalent	For Picking of Cotton: Total (3+5)	For other Agricultural Operations: Cash	For other Agricultural Operations: Commodity	For other Agricultural Operations: Cash equivalent	For other Agricultural Operations: Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Rs. A. P.		Rs. A. P.	Rs. A. P.	Rs. A. P.		Rs. A. P.	Rs. A. P.
Ludhiana—									
Dakha ..	*M	..	..	..	..	2 8 0	..	..	2 8 0
	W	..	Cotton 1 seer	0 10 6	10 6 0	..	..	..	..
	Ch.	..	..	..	..	..	..	..	..
Ferozepore—									
Sodhi Nagar ..	M	..	..	..	..	2 8 0	..	..	2 8 0
	W	..	..	..	..	1 4 0	..	..	1 4 0
	Ch.	..	..	..	..	1 0 0	..	..	1 0 0
Amritsar—									
Jandiala ..	M	..	..	..	..	3 0 0	1 meal	0 8 0	3 8 0
	W	..	Cotton 1 seer per maund picked	1 0 0	1 0 0†	..	..	..	..
	Ch.	..	..	..	..	2 0 0	1 meal	0 8 0	2 8 0
Gurdaspur—									
Narotmehra ..	M	..	..	..	..	1 0 0	..	..	1 0 0
	W	..	Cotton 2 srs	1 4 0	1 4 0	..	..	..	..
	Ch.	..	..	..	..	0 8 0	..	..	0 8 0

Hissar—									
Mangli ..	M	No rate is fixed	..	..	..	3 8 0	1 meal	0 7 0	3 15 0†
Rohtak—									
Sunderpur ..	M	..	S. Ch Wheat 3 10 Gram 2 8 Bhusa 2 8	1 4 3 0 8 0 0 2 6	1 14 9 or 4 0 0 if employed in construction work	..	S. Ch. Wheat 3 10 Gram 2 8 Bhusa 2 8	1 4 3 0 8 0 0 2 6	1 14 9 or 4 0 0 if employed in construction work
Gurgaon—									
Badshahpur ..	M	4 0 0	..	..	4 0 0	4 0 0	..	..	4 0 0
Karnal—									
Uggra Kheri ..	M	4 0 0	..	..	4 0 0	4 0 0	..	..	4 0 0
Ambala—									
Shahpur ..	M	4 1 4	..	..	4 1 4	4 1 4	..	..	4 1 4
Kangra—									
Birta ..	M	3 0 0	..	..	3 0 0	3 0 0	..	..	3 0 0
Kulu Sub-Division—									
Naggar ..	M		Paddy 6 seers Food	1 8 0 1 0 0	2 8 0	2 8 0	..	..	2 8 0
Hoshiarpur—									
Satuar ..	M	3 0 0	..	..	3 0 0	3 0 0	..	..	3 0 0

*M = Man (above 14 years) W = Woman (above 14 years) Ch. = Child (a boy or girl up to 14 years.)

†Work is done for 5 hours.

[Minister for Irrigation]

District	Type of Labourer	For Blacksmith†				Carpenter			
		Cash	Commodity	Cash equivalent	Total (3+5)	Cash	Commodity	Cash equivalent	Total (7+9)‡
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Rs. A. P.		Rs. A. P.	Rs. A. P.	Rs. A. P.		Rs. A. P.	Rs. A. P.
Jullundur—									
Jamsher ..	M*	5 0 0	..	..	5 0 0	5 0 0	..	..	5 0 0
Ludhiana—									
Dakha ..	M	4 0 0	..	..	4 0 0	4 0 0	..	..	4 0 0
Ferozepore—									
Sodhi Nagar ..	M	4 0 0	..	..	4 0 0	4 0 0	..	..	4 0 0
Amritsar—									
Jandiala ..	M	4 0 0	..	..	4 0 0	4 0 0	..	..	4 0 0
Gurdaspur—									
Narotmehra ..	M	2 8 0	..	..	2 8 0	2 8 0	..	..	2 8 0

*M = man (above 14 years).
†When employed with an individual employer on daily wages in connection with housing repair of persian wheels etc.

‡Work is done for 10 hours a day.

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ : ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਐਸੀ proposal ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਏਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਦਿਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ?

मंत्री : आप ने तो केवल यह पूछा है कि कोई ऐसी proposal है। उस का जवाब यह है कि (there is no such proposal.)

NATIONAL EXTENSION SERVICE SCHEME IN DISTRICT HOSHIARPUR

*4704. **Shri Mohan Lal Datta** : Will the Minister for Development be pleased to state—

(a) the total amount of money sanctioned for the National Extension Service Scheme in thana Una, district Hoshiarpur;

(b) the total amount of money spent annually on the salaries of the personnel of the Development Scheme, the expenses incurred annually in connection with the Jeep Car, and other expenditure incurred annually for the purpose of running the administration in connection with the Scheme, respectively;

(c) the detail of work done in each village in each year since the Scheme was started;

(d) the target of development work in each share of activity that the Government intend to reach in the said block area ;

(e) whether any representation from the people of this block area was received by him and the Commissioner, Jullundur Division that the sum allocated was too meagre for the Development of this backward area and that the expenditure on the staff was too heavy; if so, the action, if any, taken thereon ?

Chaudhri Lahri Singh : The information is being collected and it will be supplied to the member concerned.

पंडित श्री राम शर्मा : On a point of Order, Sir. वज़ीर साहिब की तरफ से यह कहा जाता है कि जवाब तैयार नहीं है जब तैयार होगा hon. Member को दे दिया जायएगा । क्या इस के माने यह नहीं है कि एक starred question को unstarred बनाया जा रहा है। क्या आप इस point पर रोशनी डालेंगे कि जब कभी ऐसे सवालों का जवाब दिया जाए on the floor of the House दिया जाए ?

Mr. Speaker: Rules are silent on this point. I cannot force a Minister to give answer to a question.

पंडित श्री राम शर्मा : मैं यह गुज़ारिश करना चाहता हूं कि rules को बदलना भी तो आप का इख्तियार है। पहले हमेशा यह होता रहा है कि जब कभी किसी starred question का जवाब तैयार नहीं होता था तो उस का जवाब किसी अगले दिन दिया जाता था लेकिन दिया जाता था on the floor of the House तो....,

Mr. Speaker: Well, this point will be put before the Rules Committee for its consideration.

COMMUNITY PROJECT AND NATIONAL EXTENSION SERVICE SCHEMES IN THE STATE

***4705. Shri Mohan Lal Datta :** Will the Minister for Development be pleased to state—

(a) the total number of Community Project Schemes operating in the State;

(b) the names of places where such schemes are in operation;

(c) the amount of money spent on each scheme at each place;

(d) the names of places in the State where National Extension Service Schemes are operating and the total amount spent on each such scheme together with the detailed progress made in each case;

(e) the number and names of places, constituency-wise, where no scheme of either kind has been started, and the reasons therefor

Chaudhri Lahri Singh : *Parts (a, b, c, d).*

Serial No.	*Name of place where Community Project/ National Extension Service is located and is operating*		*Amount of money spent up to 31st December, 1954 in each Project/Block (in thousands)* Rs	*detailed progress made in each case*
	Community Projects—			
1	Batala	..	13,35	
2	Nawanshahr	..	10,14	
3	Jagadhri	..	11,53	
4	Sonepat	..	930	
5	Faridabad	..	646	
6	Nilokheri	..	488	
7	Tarn Taran	..	103	
8	Kulu	..	85	
9	Naraingarh	..	62	
10	Thanesar	..	127	
	Total	..	5,943	
	National Extension Service—			
11	Hansi	..	51	A copy of the latest progress reports in respect of blocks at serial No. 11—17 is enclosed. As regards the blocks at serial Nos. 18 to 25 which have recently been started no progress has been reported so far.
12	Gurgaon	..	64	
13	Guhla	..	32	
14	Nurpur		40	
15	Una	..	43	
16	Samrala	..	104	
17	Moga	..	54	

Serial No	Name of place where Community Project/ National Extension Service is located and is operating		Amount of money spent up to 31st December, 1954 in each Project/Block (in thousands)
			Rs
18	Outerseraj	..	5
19	Hamirpur	..	7
20	Ludhiana	..	4
21	Palampur	..	8
22	Rohtak	..	7
23	Panipat	..	7
24	Kharar	..	9
25	Garhshankar	..	..
	Total	..	435

Part (*e*).

Except the places mentioned above, the Community Project/National Extension Service Scheme has not been extended in other areas or constituencies of the Punjab State. The schemes being centrally financed, the Government of India allocates limited number of blocks each year which are to be selected on the basis of certain factors prescribed by them. As soon as new blocks are allotted, the Punjab Government makes its recommendations to the Government of India keeping in view the conditions laid down for the selection. The final selection rests with the Government of India. Under the Second Five-Year Plan, in accordance with the policy of the Government of India, Planning Commission, the entire State of Punjab is to be covered by the National Extension Service Scheme so that the benefits of the development programmes reach the rural masses, thereby raising their standard of living and general outlook. Delimitation of blocks in each tahsil of a district is in hand and 136 new blocks covering the rest of the State are proposed to be taken up during the second five-year plan period.

[Minister for Irrigation]

Progress of work under Major schemes of National Extension Service Blocks up to 30th November, 1954.

——	GURGAON		GUHLA		NURPUR	
	During November 1954	Up to November 1954	During November 1954	Up to November 1954	During November 1954	Up to November 1954
	1	2	3	4	5	6
						I. AGRI-
1. Seeds distributed (mds) ..	996	2,841	179	2,202	..	106
2. Fertilizers distributed (mds)	145	652	51	533	38	570
3. Implements distributed ..	53	213	21	293	21	118
4. Compost pits dug ..	240	3,102	129	2,563	49	1,180
5. Model farms laid out ..	2	11	..	8	1	8
6. Demonstrations held ..	75	283	61	678	98	220
7. Area deratted (acres) ..	29,645	1,22,398	843	11,873	..	560
8. Fruit trees planted ..	..	1,335	..	159	..	1,484
9. Timber trees planted ..	..	3,190	..	118	..	..
					II.	LAND
1. Area reclaimed (acres)	72	706	250	5,589	39	682
2. Area cleared of weeds (acres)	1,058	12,577	1,057	19,139	290	9,402
					III.	IRRIGA-
1. Wells repaired ..	20	225	2	41	..	5
2. Wells constructed ..	2	281	..	11	..	5
3. Pumping sets installed ..	..	8	..	5	..	..
4. Tube-wells sunk ..	..	..	..	11	..	..
					IV.	ANIMAL
1. Veterinary First Aid Centres and Dispensaries	..	6	..	..	..	..
2. Artificial Insemination Centres	..	..	..	..	..	..
3. Animals vaccinated or inoculated	899	16,807	9,307	44,552	1,000	7,348
4. Animals castrated ..	182	4,830	201	4,313	82	489
5. Pedigree bulls supplied ..	4	14	..	5	..	2

Blocks up to 30th November, 1954

Samrala		Una		Hansi		Moga		Total	
During November 1954	Up to November 1954	During November 1954	Up to November 1954	During November 1954	Up to November 1954	During November 1954	Up to November 1954	During November 1954	Up to November 1954
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
CULTURE									
1,427	3,584	441	2,346	1,370	5,789	929	5,016	5,342	21,884
294	11,582	190	2,532	170	2,140	180	16,603	1,068	34,612
43	1,549	8	37	1	153	749	1,113	896	3,476
55	1,249	70	6,625	15	1,683	116	3,718	674	20,120
..	39	..	5	..	24	6	28	9	123
6	538	175	562	6	244	21	377	442	2,902
1,509	18,330	1,837	28,674	3,458	51,315	25,442	191,542	62,734	424,692
..	2,989	..	2,838	..	1,777	14	1,083	14	11,665
..	8,085	..	23,835	..	7,134	..	18,284	..	60,646
RECLAMATION									
..	73	17	105	39	1,494	251	1,673	668	10,322
3,712	82,950	500	49,897	1,678	52,911	..	116,297	8,295	343,173
TION									
21	98	2	14	..	4	..	9	45	396
1	45	..	22	..	5	..	36	3	405
1	37	..	..	1	1	..	10	2	61
..	23	..	..	..	2	..	23	..	59
HUSBANDRY									
..	10	..	..	..	12	3	4	3	30
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
442	39,089	1,556	17,406	..	32,225	3,549	31,881	16,753	189,317
313	1,248	14	2,415	..	3,750	267	2,009	1,059	19,056
..	21	4	11	..	21	..	20	8	94

[Minister for Irrigation]

——	GURGAON		GUHLA		NURPUR	
	During November 1954	Up to November 1954	During November 1954	Up to November 1954	During November 1954	Up to November 1954
	1	2	3	4	5	6
IV. ANIMAL						
6. Improved poultry birds supplied	22	72	..	23	34	288
7. Eggs for hatching supplied	..	72	..	12	..	160
V. HEALTH						
1. Health and First Aid Centres	..	..	N.A.	N.A.	..	..
2. Maternity cases attended	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	..	..
3. Dais enrolled	..	..	N.A.	N.A.	..	..
4. Dais trained	..	..	N.A.	N.A.	..	..
VI. COMMUNICA-						
1. Culverts built	..	1	..	2	..	..
2. Kacha roads constructed	..	$7\frac{1}{2}$	$\frac{1}{8}$	$4\frac{1}{8}$	..	$104\frac{1}{4}$
3. Pacca roads constructed	..	..	..	..	..	..
VII. SANITA-						
1. Drains constructed (ft)	..	..	..	296	..	169
2. Streets paved (sq.)	..	..	..	41,918	..	115
3. Remodelling of wells	2	23	2	10	..	4
4. Model public latrines	8	27	..	..	..	4
5. Model cattle sheds	4	47	..	3	..	29
6. Wells purified	24	254	..	25	..	43
VIII. EDUCATION (INCLUDING						
1. Schools converted to Basic type	..	..	..	..	..	..
2. Schools for children ..	..	..	..	..	19	19
3. Adult literacy centres	..	..	22	28	8	13
4. Reading rooms ..	..	5	5	5	..	30
5. Child welfare centres ..	1	2	..	..	2	13
6. Young farmer's club ..	1	11	8	13	..	..
7. Women organisations ..	..	2	..	..	2	2

SAMRALA		UNA		HANSI		MOGA		TOTAL	
During November 1954	Up to November 1954	During November 1954	Up to November 1954	During November 1954	Up to November 1954	During November 1954	Up to November 1954	During November 1954	Up to November 1954
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
HUSBANDRY—*concld*									
..	200	..	226	..	..	..	89	56	898
..	60	..	5	..	240	..	..	..	549
..	..	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	..	1	..	1
..	..	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	..	..	..	..
..	..	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	..	23	..	23
..	..	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	..	..	..	..
TIONS									
8	41	..	..	1	14	..	12	9	70
8	39	..	44 7/8	5/8	8 3/4	..	55 1/2	8 3/4	264
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
TION									
2,660	55404	..	9,295	..	10	1,176	11,697	3,836	76,871
9,400	186303	..	9,880	..	74,745	..	..	9,400	312,961
..	8	..	5	1	17	..	2	5	69
..	2	..	..	..	..	..	41	8	74
13	28	..	42	..	20	..	1	17	170
1	40	..	52	..	34	1	5	26	455
SOCIAL EDUCATION									
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
6	86	..	16	..	..	..	10	25	131
1	25	..	13	6	16	6	16	43	111
..	4	..	4	..	..	..	..	5	48
..	1	..	..	..	5	..	..	3	21
1	17	..	1	..	..	8	16	18	58
..	4	..	2	..	1	..	4	2	15

LEASES OF LAND TO HARIJANS

*4690. **Sardar Khem Singh** : Will the Minister for Development be pleased to state the number of Harijans in the state to whom lands have been leased out for periods of twenty years by the Government ?

Chaudhri Lahri Singh : A statement is given below :—

Statement showing leases of land to Harijans

District		*Number of Harijans to whom lands have been leased out for period of 20 years*
Hissar	..	Nil
Rohtak	..	Nil
Gurgaon	..	3
Karnal		10
Simla	..	Nil
Kangra		Nil
Amritsar	..	43
Ludhiana	..	Nil
Total	..	56

Note.—Information pertaining to the districts of Ambala, Hoshiarpur, Jullundur, Gurdaspur and Ferozepore is being collected and will be supplied shortly.

ALLOTMENT OF LAND AT CATTLE BREEDING FARM, HISSAR

*4684. **Shri Mam Raj** : Will the Minister for Development be pleased to state —

(a) whether it is a fact that the landless people of Jullundur Division are being allotted lands at the Hissar Cattle Breeding Farm;

(b) whether landless Harijans and others of Hissar District are also being allotted lands at the said Farm; if not, the reasons therefor?

Chaudhri Lahri Singh : (a) No.

(b) No.

PAYMENT OF LAND REVENUE TO PANCHAYATS IN THE MALAUD AREA IN THE DISTRICT LUDHIANA

*4591. **Sardar Bachan Singh** : Will the Minister for Development be pleased to state —

(a) whether it is a fact that 10 per cent of land revenue due to Panchayats has not yet been paid in the Malaud Area of district Ludhiana; if so, the reasons therefor;

(b) whether it is also a fact that a part of the land revenue realised from the area referred to in (a) above is paid as Jagirs; if so, the amount paid during the years 1953 and 1954, respectively, and the number of those who received the same ?

Chaudhri Lahri Singh : (a) *First part*.—Yes.

Second part: The land revenue realized from villages of Malaud area is not credited to Government but is paid to Jagirdars. The matter is, however, receiving the attention of Government.

(b) *First part*—The entire amount of land revenue realized from villages of Malaud area is paid as Jagir.

Second part—

Year		*Amount paid* Rs	*Number of persons who received the amount*
1953	..	64,922	15
1954	..	64,922	15

पंडित श्री राम शर्मा : क्या में पूछ सकता हूं कि आया गवर्नमेंट ने अभी तक इस मामला पर ग़ौर किया है कि जो land revenue जागीरदारों के पास जाता है उस का हिस्सा उन से ले कर और कुछ रुपया गवर्नमैण्ट अपने ख़ज़ाने से डाल कर उस 10 प्रतिशत को पूरा करे जो गांव पंचायतों को मिलना चाहिए ?

सिंचाई मंत्री : गौर तो किया जा रहा है मगर फैसला अभी तक कोई नहीं हुआ ।

ਸ਼੍ਰੀ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਗੀਰਾਂ ਕਿਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ?

Mr. Speaker: This question does not arise.

ALLOTMENT OF LANDS TO POLITICAL SUFFERERS

***4402. Shri Ram Chandra Comrade** : Will the Minister for Development be pleased to state—

(a) whether the scheme of the Government to allot land to political sufferers has matured;

(b) if the answer to part (a) above be in the affirmative, whether lands have so far been actually allotted to political sufferers;

(c) if the answer to part (a) above be in the negative, how long it is expected to be before the said scheme takes on a practical shape?

Chaudhri Lahri Singh : (a) Yes.

(b) No.

(c) Does not arise.

ILLEGAL EXTRACTION BY PATWARI DURING COLLECTION OF CONSOLIDATION FEES

***4133. Sardar Achhar Singh Chhina** : Will the Minister for Development be pleased to state whether the Government has received any application from the President Kisan Committee, village Dakhoha, tehsil Batala, district Gurdaspur complaining that the Patwari had during the collection of the Consolidation fees from the villages extracted some money illegally; if so, the action, if any, taken by the Government thereon?

Chaudhri Lahri Singh : Yes. Enquiry in the matter is being held by the Deputy Commissioner, Gurdaspur.

ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ : ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ?

सिंचाई मन्त्री : अभी तो हो रही है । नतीजा का सवाल अभी कैसे पैदा हुआ ।

EJECTMENT OF TENANTS IN FEROZEPUR DISTRICT

***4122. Shri Wadhawa Ram :** Will the Minister for Development be pleased to state whether any complaint has been received by the Government regarding the ejectment of tenants in village Dhani-Shafiwali, tehsil Abohar, district Ferozepur; if so, the action, if any, taken or proposed to be taken thereon ?

Chaudhri Lahri Singh : *First part.*—Yes.

Second part—They should have applied for restoration if they were entitled under the provisions of the Punjab Prevention of Ejectment Ordinance, 1954.

ਸ਼੍ਰੀ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ : ਜਿਹੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿਤੀ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਹੈ ?

सिंचाई मन्त्री : मिनिस्टर को कोई दरखास्त नहीं दी जाती । जो entitled थे कि उन्हें ज़मीनें मिलें उन्हें चाहिए था कि वे कानून के मुताबिक दरखास्तें देते ।

EJECTMENT OF TENANTS FROM VILLAGE KAKKRAWAN, DISTRICT HISSAR

***4156. Sardar Chanan Singh Dhut :** Will the Minister for Development be pleased to state—

(a) the number of tenants ejected from village Kakkrawan, tehsil Fatehabad, district Hissar in the month of July, 1954;

(b) the number of those ejected with the help of police ?

Chaudhri Lahri Singh : (a) Nil.

(b) Nil .

GOVERNMENT LANDS IN THE STATE

***4626. Shri Mool Chand Jain :** Will the Minister for Development be pleased to state—

(a) the area in acres of Government lands in the State, district-wise, as on 31st December, 1954;

(b) the area referred to in part (a) above which is (i) under cultivation, (ii) uncultivable, and (iii) banjar, separately;

(c) the area referred to in part (a) above which has been leased out to landless tenants and Harijans, respectively ?

Chaudhri Lahri Singh : (a), (b), (c).—A statement is given below :—

Statement showing the area of Government Lands in the State

District	(a)	(b)			(c)		
	Area in acres of Government lands district-wise as on 31st December, 1954	THE AREA REFERRED TO IN COLUMN (A) WHICH IS			THE AREA REFERRED TO IN (A) WHICH HAS BEEN LEASED OUT TO		
		(i) Under cultivation	(ii) Un-cultivable	(iii) Banjar	Landless tenants	Harijans	REMARKS
	Acres	Acres	Acres	Acres	Acres	Acres	
Hissar ..	66,737	8,059	1,261	57,417	..	..	
Gurgaon ..	4,634	382	4,194	58	104	10	
Karnal ..	26,052	1,959	6,203	*17,890	1,959	..	*including reserve forest and encamping ground although fit for cultivation.
Simla ..	1,248	62	539	647	27	12	
Hoshiarpur ..	25,273	479	22,980	1,814	34	..	
Jullundur ..	7,970	20	6,461	1,489	..	..	
Ferozepur ..	1,873	898	835	140	522	Not available	

Note.—The information in respect of Rohtak, Ambala, Kangra, Ludhiana, Amritsar and Gurdaspur is being collected and will be supplied shortly.

श्री मूल चन्द जैन : यह जो statement table पर रखा गया है इस में 6 ज़िलों के मुतअल्लिक कोई figures नहीं दिए गए । क्या मिनिस्टर साहिब अब उन 6 ज़िलों के मुतअल्लिक figures दे सकते हैं ? जो statement दी गई है यह पांच तारीख को आनी चाहिए थी आज पंद्रह हो गई है । क्या अब वह इन figures को बतला सकते हैं ?

सिंचाई मंत्री : सवाल तो पढ़िए । इस में लिखा है—" the area in acres of Government lands in the State, district-wise" तो district-wise तो दिया हुआ है ।

श्री मूल चन्द जैन : Statement में लिखा है कि इन 6 ज़िलों की इत्तलाह अभी नहीं आई । क्या यह इत्तलाह अब आ गई है और अगर आ गई है तो क्या है ?

सिंचाई मंत्री : इस का तो मेरे पास जवाब तैयार नहीं ।

श्री मूल चन्द जैन : करनाल ज़िले में जो ज़मीन दी गई; क्या बता सकते हैं कि कितनी हरिजनों को और कितनी landless tenants को दी गई ? यह जो statement करनाल के मुतअल्लिक दिया है; उस में लिखा है कि 17,890 एकड़ बंजर ज़मीन है जिस में से सिर्फ 1,969 एकड़ tenants को दी गई । क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि ग़ैर ज़मीन वालों को कितनी ज़मीन दी गई ?

सिंचाई मंत्री : नोटिस दें तो बता सकता हूं ।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या मैं यह दरियाफ़्त कर सकता हूं कि करनाल ज़िले में गवर्नमेंट के पास जो ज़मीन बंजर पड़ी थी उस मे से कितनी अभी नहीं दी गई और इस बारे में गवर्नमेंट को क्या दिक्कतें पेश आ रही हैं ?

सिंचाई मंत्री : क्या दिक्कतें किस step पर आ रही हैं इस के लिये तो नोटिस दें । पता कर के बता सकता हूं ।

श्री मूल चन्द जैन : क्या वज़ीर साहिब यह फरमाएंगे कि 17,890 एकड़ में से culturable ज़मीन कितनी है ?

सिंचाई मंत्री : बंजर है—बंजर के मानी —इस में culturable भी है और non-culturable भी । इस में कौन सी culturable है और कौन सी non-culturable यह अभी कैसे बताऊं । The whole is *banjar*.

REPRESENTATION FROM THE PROGRESSIVE FARMERS ASSOCIATION, AMBALA

***4662. Sardar Gopal Singh :** Will the Minister for Development be pleased to state whether any representation from the Progressive Farmer's Association, Ambala containing the grievances of refugee land allottees regarding the security of tenants has been received by the Government; if so, the action, if any, taken or proposed to be taken in the matter ?

Chaudhri Lahri Singh : *First part.*—Yes.
Second part.—Receiving Government attention.

EXEMPTION OF HARIJANS FROM CHAUKIDARA TAX

***4045. Sardar Darshan Singh :** Will the Minister for Development be pleased to state whether the Government has received a representation for exemption of Harijans from the payment of Chaukidara Tax; if so, the action, if any, taken thereon?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary) : The only representation on the subject so far received by Government was the one from the Member himself received in June, 1953, asking Government to discontinue the levy of Chaukidara Tax on the Harijans of village Fazilpore Jharsa, tehsil and district Gurgaon. An enquiry was made from the Deputy Commissioner, Gurgaon, who informed Government that the levy of the tax on the Harijans of the said village had been discontinued. In view of the Deputy Commissioner's report no further action was considered necessary.

SECOND FIVE-YEAR PLAN

***4425. Shri Mool Chand Jain :** Will the Minister for Development be pleased to state —

(a) whether the Government has received any proposals from various District Officers in the State about the Second Five-Year Plan; if so, a copy thereof, district-wise, be laid on the Table;

(b) whether the Government has so far formulated a consolidated scheme for the whole State; if so, a copy thereof be laid on the Table ?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary) : (a) Proposals are still being received and, it is not possible to lay a copy of them district-wise on the Table.

(b) A consolidated scheme will be prepared when all plans are received and tabulated.

SUPPLY OF CANAL WATER FROM BIST DOAB CANAL

***4687. Shri Baloo Ram :** Will the Minister for Irrigation be pleased to state whether there is any Scheme under the consideration of the Government to supply canal water from the Bist Doab Canal to the areas between Rupar and Balachaur; if so, the names of villages which are covered by the said scheme and the date by which it is proposed to be implemented ?

Chaudhri Lahri Singh : Yes. The scheme is under contemplation. The names of the villages which are likely to be covered by this scheme are given below :—

(1) Alta
(2) Hussainpur
(3) Manda
(4) Makowal
(5) Muddon
(6) Mubarkapur
(7) Manewal
(8) Babulpur
(9) Tejpur
(10) Lohgarh
(11) Bathgarh
(12) Rakaram
(13) Garhun
(14) Thathiala
(15) Dugri
(16) Naina
(17) Said Gaman
(18) Kheja
(19) Nanuwal
(20) Sujowal
(21) Jatpur
(22) Kangana
(23) Banga
(24) Muhand Pur
(25) Lohat
(26) Sudo Majra

The scheme is likely to be implemented soon if found feasible.

श्री बालू राम : क्या यह list मिनिस्टर साहिब मुझे दे सकेंगे?

मंत्री : हां आप ले सकते हैं ।

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : ਕੀ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਨਗੇ ਕਿ ਕੀ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ?

Mr. Speaker : It does not arise out of the main question.

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : ਇਸ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਕਦੋਂ ਤਾਂਈ ਆ ਜਾਵੇਗਾ?

मंत्री : पानी तो है लेकिन किसी गांव को देने के लिए उस की ज़मीन का level वगैरा देखना पड़ता है और उस पर समय लग जाता है ।

COMPENSATION FOR LAND FOR BIST DOAB CANAL

***4688. Shri Baloo Ram** : Will the Minister for Irrigation be pleased to state whether compensation for the land acquired for the Bist Doab Canal in Hoshiarpur District has been paid out to the landowners concerned; if not, the date by which it is proposed to be paid ?

Chaudhri Lahri Singh : Not completed as yet. Payments are expected to be made by the end of this month, i. e., March, 1955.

श्री राम किशन : मिनिस्टर साहिब ने फ़रमाया है कि 1955 के आखिर तक उन ज़मीनों की compensation दी जाएगी क्या वह फ़रमाएंगे कि इस वक्त तक कोई compensation pay भी की गई है कि नहीं ?

मंत्री : यह तो ठीक है कि 1955 के आखिर तक सब को compensation दी जाएगी लेकिन यह मेरे notice में अभी तक नहीं आया कि किसी को compensation दी जा चुकी हो ।

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਨਗੇ ਕਿ compensation ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਵਗੈਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ?

Mr. Speaker: It does not arise out of the main question.

पण्डित श्री राम शर्मा : क्या मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि कितनी देर हुई है जब कि गवनमेंट ने इन ज़मीनों को acquire किया था और उन की compensation देने में कितना वक्त और लगेगा ?

मंत्री : बिस्त दोआब नहर जो कि एक काफी बड़ी नहर है उस के लिए काफी ज़मीन acquire की गई है इस लिए इस सवाल का जवाब देना कि उन ज़मीनों को acquire किए हुए कितना २ समय हो गया है बड़ा मुश्किल काम है ।

पण्डित श्री राम शर्मा : मैं ने तो यह नहीं पूछा, मैं ने तो यह पूछा है कि उन ज़मीनों के मालिकों को कब कब payments की जाएंगी ?

ਸਰਦਾਰ ਚਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਨਗੇ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ possession ਉਹ ਲੈ ਚੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਉਥੇ ਨਹਿਰ ਵੀ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ?

Mr. Speaker: It does not arise out of the main question.

पण्डित श्री राम शर्मा : क्या मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि जो ज़मीन गवर्नमैण्ट ने acquire कर ली और उस का कागज़ात में भी अन्दराज वगैरा हो गया और उस पर उस का कबज़ा भी हो गया तो क्या ऐसा भी होता है कि अभी तक उस का मुआवज़ा मालिकों को न दिया गया हो ?

Mr. Speaker : This is a hypothetical question. Disallowed.

श्री बालू राम : क्या वज़ीर साहिब को इस बात का इल्म है कि compensation तो उन ज़मीनों की मिलने लग गई है लेकिन वह उन के मालिकों को नहीं दी जा रही बल्कि वह पंचायतों को मिल रही है ?

मन्त्री : पंचायतों को किस शक्ल में दी जाएगी जबकि उन के मालिक individuals हों ? सिर्फ शामलाट ज़मीनों की compensation ही पंचायतों को मिल सकती है बाकी की नहीं ।

पण्डित श्री राम शर्मा : क्या इस मामले में वज़ीर साहिब को मालूम है कि compensation किन को मिल रही है—पंचायतों को या individuals को ?

मन्त्री : इस बात के लिए आप नोटिस दे दें कि आया compensation मिलनी शुरू हो गई है कि नहीं ।

प्रोफैसर शेर सिंह : क्या सिंचाई मन्त्री जी बताएंगे कि जिन ज़मीनों को acquire किया गया है और उनका कबज़ा भी सरकार ने ले लिया है और उनका कागज़ात में भी अन्दराज वगैरा हो चुका है लेकिन उन ज़मीनों की मालगुज़ारी अभी landowners को देनी पड़ रही है तो क्या गवर्नमेंट यह मालगुज़ारी उनको वापस करेगी ?

मन्त्री : हां, यह सारी मालगुज़ारी उन्हें with interest वापस कर दी जाएगी ।

पण्डित श्री राम शर्मा : वज़ीर साहिब ने बताया है कि उन ज़मीनों का मुआवज़ा इस साल के आखीर तक दे दिया जाएगा तो क्या वह बताएंगे कि क्या यह अमर वाकिया है कि उन ज़मीनों का मुआवज़ा पंचायतों को तो दिया जा रहा है लेकिन individuals को नहीं ?

मन्त्री : इस के लिए नोटिस दिया जाए और बताया जाए कि कौन कौन सी पंचायतों को मुआवज़ा दिया जा चुका है ।

CANAL IRRIGATED AREA

***4121. Sardar Achhar Singh Chhina :** Will the Minister for Irrigation be pleased to state—

(a) the total canal irrigated area in the State according to chak Bandi during the year 1911-12;

(b) the total Canal irrigated area in the State according to Revenue records for which land revenue for canal irrigated lands was collected during the year 1944-45 ;

(c) whether it is a fact that allotment of irrigated land to displaced persons has been made on the basis of 1944-45 land revenue records for irrigated lands;

[Sardar Achhar Singh Chhina]

(d) whether it is also a fact that during warabandi the Irrigation Department takes into account irrigated land according to Chak Bandi of the year 1911-12;

(e) if the answers to parts (a) and (b) above be in the affirmative, the action, if any, taken by the Government to remove the discrepancy ?

Chaudhri Lahri Singh : (a) The total canal irrigated area now forming part of Punjab (India) according to Chakbandi during the year 1911-12 is 5,193,322 acres.

(b) 2,812,953 acres.

(c) No.

(d) No. Warabandi is framed on the basis of latest Chakbandi.

(e) Does not arise.

ਸਰਦਾਰ ਅਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਨਗੇ ਕਿ ਜਿਥੇ displaced persons ਬੈਠੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਰਾਬੰਦੀ ਕਦੋਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਹੁਣ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ canal irrigated lands ਹੀ ਹਨ ?

मन्त्री : यह भी कोई सवाल है ।

अध्यक्ष महोदय : आप का सवाल मुझे clear नहीं हुआ । इस को clear किया जाए । (I have not been able to follow your question. Please elucidate it.)

ਸਰਦਾਰ ਅਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ : ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ displaced persons ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ allot ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਰਾ ਬੰਦੀ ਹੋ ਜਾਣੇ......

Mr. Speaker : It does not arise. The hon. Member is giving information rather than seeking it.

REQUISITION OF LAND FOR SUBMERGING IN BHAKRA DAM LAKE

*4134. **Sardar Achhar Singh Chhina :** Will the Minister for Irrigation be pleased to state —

(a) whether it is a fact that land up to the level of 1,280 feet which will be submerged in the Bhakra Dam Lake has already been requisitioned by the Government; if so, the area of land requisitioned and the amount of compensation paid in respect of it;

(b) whether it is a fact that a sum of rupees seventy thousand has been paid to the Jagirdar of Kutlehar, district Kangra and his relatives as compensation for a part of the land referred to in part (a) above; if so, the share of the compenstion paid to the tenants for their trees and houses situated on the said land;

(c) whether the land referred to in part (a) above has been leased out for cultivation pending the creation of the lake; if so, the area leased out together with the area leased out to the Jagirdar referred to in part (b) above;

(d) whether any land for cultivation has been provided to the tenants ejected as a result of the requisitioning referred to in part (a) above; if not, the reasons therefor?

Chaudhri Lahri Singh : (a) Yes. 1116.69 acres in Kangra District. Compensation of the amount of Rs 2,26,822 paid.

(b) Yes. Amount of compensation paid to the Jagirdar of Kutlehar and his relatives is Rs 71,904. Compensation for trees and houses is yet to be paid as these are still in the possession of the owners.

(c) Yes. Out of 731.7 acres of land leased out, 192.51 acres has been leased out to the Jagirdar of Kutlehar.

(d) Land was leased to the original owner initially. Later, on representation from some tenants that leases should be sanctioned in their names, the matter was reconsidered and it was decided that in the case of owners who were self-cultivators, leases be given to them and in case of owners where cultivation was done by tenants leases should be given to tenants. But before the second decision was made land had already been leased out for one year to the original owners. The later decision will be implemented when the present leases expire on 14th June 1955.

SURVEY OF SUB-SOIL WATER IN DISTRICT GURGAON

***4522. Shri Babu Dayal :** Will the Minister for Irrigation be pleased to state whether he is aware of the delay caused in conducting a survey of the sub-soil water in district Gurgaon; if so,the reasons therefor ?

Chaudhri Lahri Singh : Presumably the question relates to the Tube-well explorations which are proposed to be carried out in Gurgaon District.

The delay for conducting a survey of the sub-soil water is mainly due to non-availability of machinery required for the purpose being engaged in other states which have been given higher priority by the Central Government than Punjab.

श्री बाबू दयाल : वज़ीर साहिब ने बताया है कि Central Government 1956 से पहले exploratory tube-wells नहीं दे सकती। तो क्या मैं जान सकता हूं कि गवर्नमेंट इस काम को कब तक शुरू करेगी ?

(पंडित श्री राम शर्मा और सवाल पूछने के लिए खड़े हुए)।

अध्यक्ष महोदय : आप कैसे खड़े हो गए? उन के सवाल का जवाब तो अभी दिया नहीं गया।

(Why has he stood up when a reply even to the supplementary question of Shri Babu Dayal has not yet been given?)

पंडित श्री राम शर्मा : मेरा ख्याल था कि चूंकि वे अपनी बात clear नहीं कर सके इस लिए शायद उन्हें जवाब न मिले।

श्री बाबू दयाल : 1956 में कितने दिनों के बाद काम शुरू हो जाएगा ?

मन्त्री : 1956 में सब से पहले गुड़गांव District को preference दी गई है।

श्री बाबू दयाल : क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि क्या यह काम फिलहाल suspend किया गया है ?

मन्त्री : किस चीज़ को suspend किया गया है ?

श्री धर्म वीर वासिष्ठ: इस बात के पेशे नज़र कि भारत सरकार 1956-57 से पहले गुड़गांव में exploratory tube-wells bore करने को तैयार नहीं तो क्या पंजाब गवर्नमेंट खुद इस काम को करने का इरादा रखती है ?

मन्त्री : मैं यह बताना चाहता हूं कि जहां पर exploratory tube-wells कामयाब होंगे वहां वह हमारे हो जाएंगे और हमारे हिसाब में शामिल होंगे और जहां कामयाब न हों वहां सारा का सारा खर्च Central Government pay करेगी। तो ऐसी हालत में पंजाब सरकार risk लेने को तैयार नहीं। Possibility है कि बहुत सी जगह यह tube-wells कामयाब न हों।

श्री धर्म वीर वासिष्ठ : क्या वज़ीर साहिब कृपया बताएंगे कि भारत सरकार ने जो यह कहा है कि 1957 से पहले यह काम शुरू नहीं किया जा सकता, इस की क्या वजह है ?

मन्त्री : आप 1957 को छोड़िए। हम ने Government of India से बार २ कहा, reperesentation किए, मरहूम किदवाई साहिब से भी मिले उन के बाद दूसरों से भी मिले और सारी हालत बताई कि गुड़गांव में irrigation बिल्कुल नहीं है; tube-wells की ज़रूरत है मेहरबानी कर के इसे priority दें। उन्हों ने सारी बातें सोच कर कहा कि 1956 से पहले नहीं दे सकते। उस से पहले हम नहीं कर सकते, हमारे पास पैसे नहीं इस लिए हम risk नहीं ले सकते।

प्रोफैसर शेर सिंह : क्या सिंचाई मन्त्री जी बताएंगे कि 4 महीने पहले भारत के खाद्य मन्त्री ने उन से कहा कि अगर पंजाब सरकार मशीनरी चाहे तो भारत सरकार देने को तैयार है और अगर वह आप करना चाहे तो कर सकती है ? अगर ऐसा है तो पंजाब सरकार को यह काम कर लेना चाहिए।

Mr. Speaker : This question does not arise. You are giving information.

प्रोफेसर शेर सिंह : क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि जब उन से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम मशीनरी देने को तैयार हैं अगर आप ज़िम्मेदारी लें। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने यह कहा या नहीं ?

मन्त्री : अगर कोई ऐसी statement हो तो मुझे दिखाएं। और हमें क्या चाहिए ? अगर पैसा और मशीनरी मिल जाए तो फिर कसर ही क्या है। वह इजाज़त ही दे दें, मशीनरी हमारे पास है। उन से तो priority बारे बात चीत हुई थी।

श्री अभय सिंह : सिंचाई मन्त्री जी ने कहा है कि वह exploratory tube-wells की स्कीम में risk नहीं लेना चाहते। क्या गवर्नमेंट यह मालूम कराने की कोशिश कर रही है कि कोई risk है भी या नहीं ?

मन्त्री : सवाल तो कुछ ऐसा ही है। (पंडित श्री राम शर्मा : आप जवाब भी ऐसा ही दे दें) शायद यह खुद उन्हें clear नहीं है। फिर भी मैं बताना चाहता हूं कि जब Government of India risk लेती हो तो पंजाब गवर्नमेंट क्यों रुपया खर्च करे। What is the need of our taking this risk? Central Government जब यह खर्च खुद करती है और सब सूबों के लिए करती है तो हम survey क्यों कराएं ?

श्री अभय सिंह : क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि आबपाशी की ओर क्या स्कीम है ?

मन्त्री : कुछ इलाके जैसे रेवाड़ी, भुलबेड़ आदि ऐसे हैं जहां नहर दे रहे हैं, बाकी इलाके के लिए tube-wells की स्कीम है।

श्री धर्म वीर वासिष्ठ : वज़ीर साहिब ने कहा कि हम risk नहीं ले सकते। क्या इस बात का कोई अन्दाज़ा है कि exploratory tube-wells के लगाने में कितना risk है ?

मन्त्री : एक tube-well के कामयाब न होने पर 20, 22 हज़ार रुपए का नुकसान हो जाता है ? अगर हम जिम्मेदारी लें तो यह सारा आप का खर्च होगा ।

पंडित श्री राम शर्मा : ज़िला गुड़गांव.........

अध्यक्ष महोदय : मगर मैं ने तो आप को अभी इजाज़त नहीं दी । (I have not yet permitted you to put a supplementary question.)

श्री धर्म वीर वासिष्ठ : क्या मैं मन्त्री महोदय से पूछ सकता हूं कि क्या ऐसा risk पंजाब सरकार ने पहले सोनीपत या कहीं और लिया है ?

मन्त्री : जी नहीं ।

Mr. Speaker : You need not answer such questions.

पंडित श्री राम शर्मा : वज़ीर साहिब ने बताया कि एक tube-well की survey पर 20,000 रुपया खर्च आता है । चूंकि गुड़गांव ज़िला में दो, तीन जगह tube-wells लगाने हैं क्या इस वजह से हमारी सरकार इस काम को हाथ में नहीं ले रही ?

मन्त्री : Government of India रुपया देती है और काफी tube-wells दे रही है तो हम क्यों इस स्कीम को finance करें ?

श्री बाबू दयाल : मिनिस्टर साहिब ने फरमाया कि पंजाब सरकार risk लेने को तैयार नहीं । इन्हों ने यह कैसे अन्दाज़ा लगाया कि गुड़गांव ज़िले में ऐसा risk होगा ?

Mr. Speaker : This question does not arise.

श्री धर्म वीर वासिष्ठ : क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हों ने भारत सरकार से लिखा पढ़ी की है कि यहां के लोगों की यह बड़ी भारी मांग है इस लिए इस इलाके को priority दें ?

मन्त्री : इस का जवाब तो पहले दिया जा चुका है ।

प्रोफैसर शेर सिंह : यदि साधन मिल जाएं तो क्या पंजाब सरकार के पास ऐसे आदमी हैं जो tube-wells ....

अध्यक्ष महोदय : यह सवाल पूछने की इजाज़त नहीं है । Disallowed. क्योंकि यह पैदा नहीं होता ।

3 p. m.

SHORT NOTICE QUESTIONS AND ANSWERS

PROMOTIONS OF CLERKS IN THE POLICE DEPARTMENT

***5143. Shri Mam Chand :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the number of officiating promotions from Junior Clerk to Senior Clerk and from Senior Clerk to Assistant made in the Police Department in the State during the past 12 months;

(b) whether such promotions were made in consultation with the Subordinate Services Selection Board;

(c) if the answer to part (b) above be in the negative, the reasons therefor ?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentry Secretary) : (a) Junior Clerk to Senior Clerk :—8.

Senior Clerk to Assistant :—13.

Senior Clerk (Steno) to Assistant:—1.

(b) No.

(c) Promotion from Junior Clerk to Senior Clerk to Assistant in the scale of Rs 116—8—180/10—250 is in the same service of the Cadre, it is, therefore, excluded from the purview of the Board. As regards promotion to Assistant in the scale of Rs 150—10—200/10—300. it is not within the purview of the Board as the initial pay is above Rs 149 per mensem.

पंडित श्री राम शर्मा: क्या मैं दरियाफ्त कर सकता हूं कि मौजूदा कायदों की रू से Senior Clerks, Junior Clerks और Assistants पुलिस डिपार्टमेंट में एक ही cadre के अन्दर शुमार होते हैं और इसी लिए Subordinate Services Selection Board से नहीं पूछा जाता ?

चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी : वह सब एक ही cadre में शुमार होते हैं ।

PROMOTION OF CLERKS IN THE POLICE DEPARTMENT

*5144. **Shri Mam Chand :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether any permanent promotions were lately ordered in the Police Department in the cadres of Senior Clerks and Assistants; if so, whether the Subordinate Services Selection Board was consulted in the matter;

(b) whether the promotions referred to in part (a) above resulted in some supersessions; if so, whether the persons superseded were informed to that effect before such supersessions ?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentry Secretary): (a) *First part.*—Yes.

Second part.—No.

(b) *First part.*—Yes.

Second part .—No.

पंडित श्री राम शर्मा: इस सवाल के 'b' part का जवाब यह दिया गया है कि जिन लोगों की promotions की गईं उन में कोई supersessions नहीं की गईं । क्या यह वाकई ठीक है कि ऐसी promotions के अन्दर कोई clerk वगैरा नहीं रह गया ?

चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी : जवाब ठीक दिया गया है ।

ANNUAL CONFIDENTIAL REPORTS OF UPPER SUBORDINATES OF POLICE DEPARTMENT

*5145. **Shri Mam Chand :** Will the Chief Minister be pleased to state whether annual reports on the working of the Upper Subordinates in the Police Department are shown to them; if not, the reasons thereof ?

Shri Bhim Sen Sachar. *First part* :—No.

Second part .—It is not considered advisable in the interest of discipline to show the confidential reports to the Upper Subordinates and other ranks

पंडित श्री राम शर्मा : क्या गवर्नमैंण्ट के पास ऐसी हिदायतें मौजूद हैं कि जिन के मातहत officials concerned को adverse remarks पढ़ाए जा सकें ?

मुख्य मंत्री : Adverse Remarks दिखाए जाने से पहले गवर्नमैंण्ट, को यह फैसला करना होता है कि कौन से remarks ऐसे हैं जिन्हें पढ़वाया जाना जरूरी है ।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या यह अमर वाकिया नहीं कि सन 1949, 1950, 1951 में पुलिस डीपार्टमेंट के अन्दर मातहतों के खिलाफ जो remarks लिखे गए वह उन्हें नहीं बताए गए ?

Mr. Speaker : The Chief Minister has already explained the procedure which is being followed in this connection. Moreover, the hon. Member is giving information and not putting a question.

पंडित श्री राम शर्मा : मैं मिनिस्टर साहिब से यह दरियाफ्त करना चाहता हूं कि क्या गवर्नमेंट की तरफ से मातहत महकमों को जिस में पुलिस भी शामिल है, हिदायतें जारी की गई हैं कि जिन मातहतों के खिलाफ़ remarks हों उन को वह remarks पढ़ाए जाएं ।

मुख्य मंत्री : मैं इस का जवाब दे चुका हूं ।

पंडित श्री राम शर्मा : जवाब यह दिया गया है कि पुलिस के महकमा में जिन मातहतों के खिलाफ remarks हों उन्हें इत्तलाह नहीं दी जाती तो क्या मैं पूछ सकता हूं कि गवर्नमेंट ने ऐसा करने के लिये हिदायतें नहीं दी हुई हैं ?

मुख्य मंत्री : मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूं और फिर दुहरा देता हूं कि adverse remarks को इस लिए communicate करना होता है कि अफसरान मुतअल्लिका को पता चल जाए कि उन के खिलाफ क्या remarks हैं । अगर गवर्नमेंट यह समझे कि remarks ऐसे हैं जो उन के नोटिस में न लाने चाहिए। क्योंकि एक अफसर remarks देता है दूसरा differ करता है तो ऐसी हालतों में adverse remarks communicate नहीं किए जाते । खफ़ीफ़ nature के remarks को भी communicate नहीं किया जाता । मैं यहां यह कह देना चाहता हूं कि जहां remarks संगीन और खराब हों वहां लाज़मी तौर पर communicate किए जाते हैं ।

पंडित श्री राम शर्मा : जो remarks बड़ा अफसर देता है उस के बारे में क्या गवर्नमेंट से पूछा जाता है कि यह remarks संगीन हैं या नहीं या Minister-in-Charge से पूछा जाता है या क्या वे अफसर अपनी अकल से ही फैसला कर लेते हैं कि यह remarks संगीन है ?

मुख्य मंत्री : Remarks की nature के बारे में Competent Authority फैसला करती है ।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या यह अमर वाक्या नहीं है कि गवर्नमैण्ट की तरफ से पुलिस विभाग को बाकायदा तौर पर ऐसी हिदायतें जारी की गई हैं कि –

> " where such a practice is not desirable in the interest of discipline in the Police Department, the reporting of . . . . "

अध्यक्ष महोदय : आप हिदायतों पर क्यों बार बार ज़ोर दे रहे हैं ?

(Why is the hon. Member referring to instructions again and again?)

पंडित श्री राम शर्मा : स्पीकर साहिब ! मैं गवर्नमैण्ट को याद दिलाना चाहता हूं कि उन्होंने हिदायतें जारी की थीं ।

अध्यक्ष महोदय : आप को बजट पर बोलते समय गवर्नमेंट को याद दिलाने का मौका मिलेगा । सवालों में इस की इजाज़त नहीं ।

(The hon. Member will have an ample opportunity to refer to these instructions while discussing the Budget. Such references at this stage cannot be allowed to be made through supplementaries.)

APPOINTMENT AND PROMOTION TO MINISTERIAL, ETC. POSTS IN POLICE DEPARTMENT.

*5147. **Shri Mam Chand :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether the posts on the Ministerial Staff and the Executive Staff of the Police Department carrying initial pay of Rs. 50 per mensem or above come within the purview of the Subordinate Services Selection Board, Punjab;

(b) whether, in cases of appointments by promotions in Ministerial Staff of the Police Department, Subordinate Services Selection Board is consulted regarding the suitability of the officials proposed for promotion; if not, the reasons therefor?

Shri Bhim Sen Sachar (a) The posts on the ministerial and the Executive Staff of the Police Department carrying an initial pay of Rs. 50 to Rs. 149 per mensem come within the purview of the Subordinate Services Selection Board, when these are filled by direct recruitment.

(b) *First part.*—No.

Second part.—Promotion is made from Clerk to Assistant in two grades, viz. (1) Rs 116—8—180/10—250 and (2) Rs 150—10—200/10—300. Promotion to Assistant in the scale of Rs 116—8—180/10—280 is in the same service of the Cadre, and it is, therefore, excluded from the purview of the Subordinate Services Selection Board. As regards promotion from Clerk to Assistant in the scale of Rs 150—10—200/10—300, it is not within the purview of the Board as the initial pay is above Rs. 149.

RULING BY THE SPEAKER RE-DISPOSAL OF FILES BY OFFICERS WHILE SITTING IN THE OFFICIAL GALLERY

Mr. Speaker : The other day an hon. Member of this House brought to my notice the fact that an Officer of the Government sitting in the Officers' Gallery was disposing of his files and thereby showing discourtesy to the House.

I have very carefully considered the question whether Galleries are a part of the Chamber or not and I have come to the conclusion that they are those parts of the House which are not appropriated to the use of Members. Nevertheless, Officers and other visitors who are present in them must observe proper decorum and show proper courtesy to the House.

While I do not object to Officers noting down points which arise in the House in Debate for assisting their Ministers and also referring to files to find suitable answers thereto for submission to their Ministers, I am of the view that disposal of files apart from its being a disturbing factor to the Members sitting in the House amounts to disrespect to it.

If Officers wish to dispose of their files, the proper place for them to do so is not the Officers' Gallery of the House but their own office rooms. They come here in the discharge of their duty, namely, to assist their Ministers and their work in this Gallery must remain confined to that alone.

QUESTION OF PRIVILEGE

RE. MAKING AVAILABLE BY THE CHIEF PARLIAMENTARY SECRETARY COPIES OF A CERTAIN SCHEME TO THE CONGRESS M.L.As.

Mr. Speaker : I have received a notice of Privilege Motion from Maulvi Abdul Ghani Dar. It is like this —

> "I beg to move a motion of privilege that Shri Prabodh Chandra, Chief Parliamentary Secretary on 14th March, 1955 distributed copies of "Scheme for the reorganisation of Rural Local Government" (as approved by the Council of Ministers) and printed by the Controller, Printing and Stationery, Punjab to Congress Members of the Legislative Assembly and discriminated between Members and Members, before its being presented to this House."

Well, I am concerned with distribution which is official. I and my Secretariat are not concerned with private distribution. The hon. Member has not mentioned anywhere in the Privilege Motion that there was discrimination in official distribution. No breach of privilege is involved and, therefore, I do not give my consent to it.

RESUMPTION OF GENERAL DISCUSSION ON THE BUDGET

Mr. Speaker : Now the general discussion on the Budget will be resumed. I call upon Sardar Gopal Singh to speak.

ਸਰਦਾਰ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਜਗਰਾਉਂ): ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ! ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 1955-56 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹਿਸ ਲਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੈ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਇਤਰਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਕ ਕਾਬਲ ਸੱਜਣ ਹਨ ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦਿਆਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਤਫ਼ਸੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਸਿਆਣੇ ਤੋਂ ਸਿਆਣੇ ਸੱਜਣ ਵੀ ਧੋਖਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਾਨਯੋਗ ਵਜ਼ੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਲਰਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਕਰੇ ਤੇ ਪਰਜਾ ਸੁਖੀ ਵਸੇ । ਅਸਲ ਵਿਚ ਜਿੰਨੇ ਲਾਇਕ ਆਦਮੀ ਹਨ ਉਹ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸਲ ਗਲ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 77 ਲਖ ਦਾ ਘਾਟਾ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਪਰੰਤੂ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਇਹ ਘਾਟਾ ਡੇਢ੍ਹ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਕਲੇਗਾ । ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਨਿਸਟਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਵਿਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਆਦਮੀ ਬੇਕਾਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਗਿਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਸ fall ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਉਪਾਇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ । ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਤੇ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਛੋਟੇ ਤਬਕੇ ਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਮਾਮੂਲੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਰੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਪਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਏ । ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸਲਈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅਗੇ ਹੀ ਐਨੇ ਟੈਕਸ

[ਸਰਦਾਰ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ]
ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਥਾਂ ਥਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਿਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਨੇ ਵਿਚ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਮੁਜ਼ਾਹਿਰਾ ਹੋਇਆ। ਟੈਕਸ ਅਗੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੀ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੀ ਗਲ ਨਹੀਂ। ਫੇਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿਚ ਤਖ਼ਫੀਫ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੋ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਅਸਾਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਠੀਕ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਦੋ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹਟਾ ਦਿਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ post office ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਠੱਪਾ ਲਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ posts ਨੂੰ abolish ਕਰ ਦਏ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੇ Secretaries ਨੂੰ ਵਡੀਆਂ ਵਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਪਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ Socialistic pattern of State ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸੈਕਰੇਟਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਡੀਆ ਵਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਲ ਦੁਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਆਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਮੁਆਇਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਨਾਲ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨਾਲ ਜਾਂ ਰਾਜਾ ਭੋਪਾਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ? ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਮੁਆਇਦੇ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मैंबर को महाराजा पटियाला या निज़ाम हैद्राबाद वग़ैरा का हवाला नहीं देना चाहिये । उन्हें अपनी तकरीर बजट की बहस तक महदूद रखनी चाहिये ।

(The hon. Member should not refer to the Maharaja of Patiala or the Nizam of Hyderabad, etc. He should confine his speech to the discussion of the Budget.)

ਸਰਦਾਰ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ! ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ power ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਆਬਿਆਨਾ ਘਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਗਲ ਸੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਮਾਲ ਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਹਾਲੇ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਬਿਆਨਾ ਨਹੀਂ ਘਟਾਇਆ। ਘਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ surcharge ਲਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 35 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਸਾਲਾਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਬੈਠਕ 16 ਘੰਟੇ ਤਕ ਰਹੀ ਤੇ ਹਾਊਸ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਦਮ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਖੁਸ਼ ਹੈਸੀਅਤੀ ਟੈਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।

ਇਸ ਲਈ ਪਿਛਲਿਆਂ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਾਣ ਦਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ । ਇਕ ਪਾਸੇ ਤੇ law and order ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਤਾਜ਼ੀਰੀ ਚੌਕੀਆਂ ਬਠਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤਾਜ਼ੀਰੀ ਚੌਕੀਆਂ ਬਠਾਣੀਆਂ democratic ਅਸੂਲਾਂ ਦਾ ਘਾਤ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਜਹ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡ ਲਾਉਣਾ ਕਿਥੋਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਵੀ ਰਾਇਜ ਨਹੀਂ । ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੌਕੀਆਂ ਉਥੇ ਬਿਠਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਦਮੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੇ ਫ਼ੀਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਥੇ ਤਾਜ਼ੀਰੀ ਚੌਕੀਆਂ ਬਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । 1952 ਵਿਚ ਇਹ ਵਜ਼ਾਰਤ ਕਾਇਮ ਹੋਈ । ਕਈ ਵਜ਼ੀਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਾਲਿਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਦਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਹ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਹੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਜ਼ੀਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮੁਖਾਲਿਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ workers ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗਲ ਭੁਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਤਕਾਮ ਲੈਣ ਵਾਲੀ spirit ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ । ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਟਕਾਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇਤਹਾਸ ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ।

अध्यक्ष महोदय : यह elections वजीरों के खिलाफ़ नहीं थी। (These elections were not fought against the Ministers.)

ਸਰਦਾਰ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੱਟ ਲਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੇਰ ਕਦੀ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਲਗੇ ।

Mr. Speaker : It would be better if the hon. Member speaks in a polite language.

ਸਰਦਾਰ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ polite ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਜ਼ਦ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਬੜੇ ਸਖ਼ਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਸਨ । ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਖਾਲਫ਼ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਉਪਰ ਬੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਜ਼ੀਰੀ ਚੌਕੀਆਂ ਬਿਠਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ।

ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਤੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣਾ ਹੈ । ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਅਜੀਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਹਨ । ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੇਖੋ, ਇੰਜ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਡਾ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਸਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ architecture ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੌ ਸਾਲ ਤਾਈਂ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਾਂ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ adjectives ਵਰਤ ਕੇ ਯਾਦ

[ਸਰਦਾਰ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ]
ਕਰਨਗੇ। ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਤੇ ਪੰਜ ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮਕਾਨ ਕੀ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਕਬੂਤਰ ਖਾਨੇ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਪਿਛੇ ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਮਕਾਨ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇਤਫ਼ਾਕ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਹੀ ਚੋਰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜ ਕੇ ਗੁਸਲਖਾਨੇ ਰਾਹੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੁਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਹਰ ਕਮਰੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਮੁਕਾ ਮਾਰੋ ਤੇ ਤੋੜ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਆਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਵਡਾ agricultural land ਦਾ tract ਨਹੀਂ, ਇਥੇ ਮੰਡੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ, sugar mill ਨਹੀਂ ਲਗ ਸਕਦੀ, ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਸ ਗਏ ਹਨ। ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਇਥੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਲਗਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਸਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ opposition ਪਾਰਟੀਆ ਨਾਲ ਰਲ ਕਰਨ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਵਸਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ...... 'ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਾਲੀ ਗਲਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਵਸ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਸੇਗਾ।

ਫਿਰ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੜੇ ਤੁਮਤਰਾਕ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਭਾਰੀ development ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਇੰਨੀ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਵਤ, corruption ਤੇ ਚੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਥੇ ਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। Enquiry ਕਰਾਓ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗੇ। ਇਕ American Mr. Slocum ਉਥੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ New York ਦੀ tunnel ਵਿਚ ਮਿਸਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ President ਤੋਂ ਵਧ 75,000 ਡਾਲਰ, ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਲ ਵਿਚ 4 ਦਫ਼ਾ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਤੇ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਆਉਣ ਤੇ ਵੇਖ ਆਉਣ ਕਿ ਕੋਈ ਗੜ ਬੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਠੇਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 'ਉਹ ਸਾਡੇ ਰਾਜੇ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਜਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੀਂਹ ਵਸਾਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅਨ੍ਹੇਰੀ ਲਿਆਉਣ'। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ Slocum ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਨਾ ਸਾਡੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਨਾ Supreme Court ਵਿਚ ਮੁੱਕਦਮਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਹ ਤਾਂ California ਦੀਆਂ courts ਵਿਚ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੀ High Court ਤੇ Supreme Court ਦੀ ਕਹੀ ਸ਼ਾਨ ਰਖੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ! ਇਕ individual ਲੈ ਜਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਤੇ ਕਈ ਲਖ ਰੁਪਏ ਦਾ Junk ਲੋਹਾ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਪੁਰਾਣੀ machinery ਵੀ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਕ old oxygen plant 80 ਫੀ ਸਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ। Timber ਉਹ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸਾਲ ਵਰਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। Timber ਦੀ market Sweden Norway ਤੋਂ ਵਧ ਚੰਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ Mr. Slocum ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਆਈ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਹੈ।

ਫੇਰ Slocum ਸਾਹਿਬ 145 ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰ barbers, shopkeepers, insurance agents ਸਨ, specialist ਕਹਿ ਕੇ ਲਿਆਣਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ Bhakra Control Board ਨੇ 45 ਅਜਿਹੇ experts ਲਿਆਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। Welders ਤੇ ਮਿਸਤਰੀ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ ਜੀਕਨ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਭਦੇ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ talent ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੌਹੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੈਹਮ ਹੈ ਕਿ ਸਫੇਦ ਚਮੜੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ efficient ਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਏਥੇ cost of living ਕਿਤਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਫੇਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੱਸ ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਦੀ 50,000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 75,00 ਡਾਲਰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਸੀ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, Public Accounts Committee ਨੇ ਕੁਝ ਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀ; ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ Project ਉਪਰ ਬੜੀ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, Bhakra Canal Administration ਤੇ Project Administration ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ enquiry ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਇਕ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਹੈ ਮਗਰ enquiry ਨਹੀਂ ਹੋਈ ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਕ High-powered Officer Store Accounts ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇ, losses ਤੇ shortages ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਤੇ guilty officers ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਵਣ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ Capital Project ਦੇ style of architecture ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, cost of construction ਸੰਬੰਧੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਰੁਪਿਆ ਜ਼ਾਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਵੀ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ।

ਕਈ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ Judicial Enquiry ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਸ ਸਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਵੀ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । Central Public Accounts Committee ਨੇ 'Bhakra Nangal' ਵੇਖਣ ਦੀ ਇਛਾ ਪਰਗਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ Constitutional hurdle ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਪੰਜਾਬ ਦੀ Public Accounts Committee ਤਾਂ ਇਸ Assembly ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, political bias ਤੋਂ ਬਾਲਾਤਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ?

ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਵੇਖ ਲੌ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕੀਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 8,000 ਰੁਪਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿਆਂਗੇ । ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਧੂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਧੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਾਂ 8,000 ਰੁਪਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾਂ ਹੈ 80 ਨੋਟ ਸੌ ਸੌ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਦੇਣੇ ਹਨ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਅਗਲੇ ਨੇ ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨੇ ਹਨ । ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੜੀ ਚੰਗੀ

[ਸਰਦਾਰ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ]

Government ਹੈ ਇਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਹ ਗਲ ਨਹੀਂ ਦਸਦੇ ਕਿ ਉਸ ਕਰਜ਼ੇ ਉਪਰ 5% ਸੂਦ ਲੈਣਾ ਹੈ । 266 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕਿਸ਼ਤ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 400 ਰੁਪਿਆ ਸੂਦ ਦਾ ਬਣੇਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ 386 ਰੁਪਏ ਸੂਦ ਦੇ ਬਣਨ ਗੇ । ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 8,000 ਰੁਪਏ ਦਾ 6,300 ਰੁਪਏ ਸੂਦ ਬਣਦਾ ਹੈ । 8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਮੂਲ ਅਤੇ 6,300 ਰੁਪੈ ਉਸ ਦਾ ਸੂਦ ਸੁਖ ਨਾਲ । ਕੋਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਬਨੀਆਂ ਜਾ ਮਖੀਚੂਸ ਐਨਾ ਤੇਜ਼ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ । ਡੌਰੂ ਵਜਾਂ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਓਦੋਂ ਲਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਝੁੱਗੀ ਚੋੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਦੋ ਚੌਂਹ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਲੀ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਕਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਰਨਗੇ । ਇਸ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਦੁਨੀਆਂ ਉਪਰ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 8,000 ਰੁਪਏ ਉਪਰ 6,000 ਰੁਪਿਆ ਸੂਦ ਦਾ ਲਵੇ ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ! ਅਜ ਜਿਹੜਾ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਅਛੂਤਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨਾਂ ਹੈ ਅਸਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਚਾ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ । ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਉਚਾ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਛਤ ਪਾੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ । ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ Services ਵਿਚ 15% reservation ਕੀਤੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਮਲੇ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਕਮਾਂ ਦਸੋ ਜਿੱਥੇ ਕਿ 2% ਅਛੂਤ ਵੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਛਡੋ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸਾਂ 19% reservation ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ । ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੁਛਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 19% ਦੀ ਥਾਂ 21% reservation ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ । ਬਿਲਕੁਲ ਲਪੌੜ ਸੰਖ ਵਾਕਣਾ 15%, 19% ਅਤੇ 21% ਤੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਛੱਡੋ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ 2 ਜਾਂ 3% ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ Backward Tribes, Backward Classes ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਕੇ Scheduled Classes ਦੀ percentage 1 ਜਾਂ 1½% ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ । ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ਼ ਤੇ ਨਾਂ ਬਣਾਓ । ਖਾਮਖਾਹ ਬਹਿਸ਼ਤ ਨਾ ਵਖਾਉ । ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ! ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਵਿਚ ਕਿਤਨੇ Scheduled Caste ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਹਨ । ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਕਿ ਇਕ ਹੈ । ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸਨ । ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਭਗਤ ਹੰਸਰਾਜ ਸੀ ਉਹ 15-6-46 ਨੂੰ appoint ਹੋਇਆ, 12-4-50 ਨੂੰ confirm ਹੋਇਆ ਅਤੇ 19-1-51 ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ increment ਮਿਲੀ । ਲੇਕਿਨ 19-12-54 ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਚਿਠੀ ਮਿਲੀ ਕਿ "Governor of the Punjab is pleased to terminate the services of Bhagat Hans Raj with immediate effect." ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ । ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਦਲ ਨੌਕਰੀਓਂ ਬਾਹਰ ਹੋ । ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਆਮਤ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ । ਭਗਤ ਹੰਸ ਰਾਜ ਅਜਿਹਾ ਅਛੂਤ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਅੱਲਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ District and Sessions Judge ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੜਾ ਅੱਛਾ Public Prosecutor ਸੀ । ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ District and Sessions Judge ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅਛੇ remarks ਦਿਤੇ ਸਨ । ਗੁੜਗਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ

District and Sessions Judge ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ legal ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ Public Prosecutor ਰਹਿ ਸਕੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਓਂ ਕਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ protection ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ protection ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ! ਇਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ Budget Speech ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ service ਦੀ seniority ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ seniority ਇਕ ਵਾਹਿਆਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ merits ਉਪਰ ਖਬਰ ਲਵਾਂਗੇ; ਜਿਹੜਾ ਅਗੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਪਿਛੋਂ retire ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਪਿਛੋਂ ਹਟਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ Anti-Corruption Committee ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ Corruption ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਹ Corruption ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਇਥੋਂ Corruption ਜਮੇਗੀ, ਤਰੇਗੀ ਅਤੇ ਫੈਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ paralyse ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਾਕਿ ਉਹ ਲੋਕ Party in power ਦੀ ਗਲ ਮੰਨਣ ਉਸ ਦੇ ਪਿਛੇ ਲਗ ਕੇ ਚਲਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ ਉਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪਿਛੇ ਚਲਣਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬੜੀ objectionable ਗਲ ਹੈ ਗ਼ਲਤ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਗਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ High Powered ਅਫਸਰ Mr. Fletcher ਨੂੰ Anti-Corruption Committee ਦਾ Chairman ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ Mr. Fletcher ਦੀ ਤਰਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਜ਼ਲੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ Commissioner ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਇਥੇ ਲਗਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ recommendation ਉਪਰ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ! ਇਸ ਦੇ ਅਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ low paid Government Servants ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ Local Bodies ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। District Boards ਟੁਟ ਜਾਣ ਨਾਲ Rural ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਅਣੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ representation ਹੈ ਸੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ Teachers ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀਆਂ ਸਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ low paid staff ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਅਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਗਲ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਅਗੇ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਦੀ Ministers ਦੌਰੇ ਉਪਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਓਥੇ ਜਾ ਕੇ lecture ਝਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਾਂ

[ਸਰਦਾਰ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ]
Communalism ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਕੇ ਛਡਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ Constitution ਨੇ ਹਕ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ Constitutional ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਪਰ ਸੂਬੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ....

Mr. Speaker: Is the hon. Member discussing the Budget?

ਸਰਦਾਰ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ: ਜਨਾਬ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ Minister ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਮਾਰਸ਼ਲ ਰੇਸ (martial race) ਹੈ। ਉਹ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਨੇ ਦੇ ਗੁਜਰ ਅਤੇ ਜਾਟ ਹਨ ਓਹ ਸਾਰੇ ਮਾਰਸ਼ਲ (martial) ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ Greater Hariana ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਡੋਗਰੇ ਹਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ claimants ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਜਮਾਂ ਤਫਰੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ।

ਇਕ ਹੋਰ ਗਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ Services ਵਿਚ communalism ਇਤਨਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ਉਪਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਹ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਪੰਜ minority community ਦੇ ਸਨ। ਉਹ Superintending Engineer ਬਨਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ enquiry ਕਰਵਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ majority community ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ supersede ਕਰਵਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਦਸਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਖ Superintending Engineer ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇਗਾ। ਸਰਦਾਰ ਸੌਦਾਗਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੇ ਕਾਬਿਲ ਅਤੇ America trained ਆਦਮੀ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਜਗਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਜ਼ੁਲਮ minority community ਨਾਲ Electricity Department ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਉਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ Chief Minister ਸਾਹਿਬ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ file ਮੰਗਵਾਉਣ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਣ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ: ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀ Communalism ਅਤੇ ਦੂਜੇ individual cases ਨੂੰ discuss ਕਰਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਗਲ ਲਿਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ conventions ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ। (You were not expected to start discussing communalism and other individual cases. I may tell the hon. Member that mentioning of such matters is contrary to the healthy parliamentary conventions.)

ਸਰਦਾਰ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ: ਪਰ ਜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਨ ਲਿਆਵੀਏ ? ਇਕ ਪਾਸੇ ਅਜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ....

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ: ਪਰ ਇਹ conventions....

(But these convention....)

ਸਰਦਾਰ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ: ਜੇ ਇਹ ਅਜਿਹੀ convention ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੁਰ ਚਲਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ।

श्री साधू राम (नारायण गढ़) : स्पीकर साहिब, मैं फाईनैंस मिनिस्टर साहिब को इस बजट के पेश करने पर मुबारकबाद देता हूं। जहां तक मजमूई तौर पर बजट का ताल्लुक है, इस में कोई शक नहीं कि पंजाब हर लिहाज़ से तरक्की कर रहा है.......

एक मैम्बर : लेकिन........

साधू राम . लेकिन अभी ठहर कर आएगी ।

मुख्य मंत्री : न मानने वाले नहीं मानेंगे ।

श्री साधु राम : चाहे आप Irrigation को ले लें, चाहे आप development की schemes को ले लें और चाहे electricity को; आप हर तरफ यही देखेंगे कि हर लिहाज़ से तरक्की हो रही है । Agricultural production की मिसाल आप के सामने है । जहां पर कुछ साल पहले हम देखते थे कि हमारी स्टेट न सिर्फ अपनी जरूरियात ही पूरी नहीं कर सकती थी बल्कि एक निहायत घाटे की स्टेट थी वहां अब न सिर्फ़ यह अपनी जरूरियात ही पूरी कर रही है बल्कि दूसरे सूबों को अनाज मुहैया किया जा रहा है जहां पर उस की अशद ज़रूरत भी है। यह एक ऐसी फ़ख्र की बात है जिस से कोई भी इनकार नहीं कर सकता । लेकिन हम यह महसूस करते हैं कि बजट का यह एक पहलू है । इस का एक दूसरा पहलू भी है। वह है कि क्या यह बजट socialistic pattern of society के नज़रिये से पूरा उतरता है। उस लिहाज़ से अगर हम देखें तो हमें बहुत बड़ी शिकायात हैं जो मैं अपने मनिस्टर साहिब की सेवा में निहायत मोअदबाना तरीके से पेश करना चाहता हूं ।

जहां तक socialistic pattern of society का ताल्लुक है अगर हम इस तरीके से देखें कि आज जिन के पास ज़्यादा है उन के पास से लिया जाए और जिन के पास कम है उन के लिए ज़्यादा खर्च किया जाए—फिर चाहे सरकारी मुलाज़म हों या वे जिन के आमदन के ज़रीए कुछ और हैं—तो हम देखते हैं कि अभी हमें बड़ी तेज़ी से इस ओर कदम बढ़ाने की ज़रूरत है । अगर मैं अपने चीफ़ मनिस्टर साहिब के इलफ़ाज़ कहूं तो मैं यह कहूंगा कि हमें haves और have nots के मसले को ही सब से पहले लेना है और यही basis है जिस पर हम socialistic pattern of society कायम कर सकते हैं । हमें 'haves' से लेकर have nots को देना है । इस लिहाज़ से जब मैं देखता हूं तो मुझे एक तरफ तो खुशी होती है कि जो लोग हमारी services में low paid हैं उन्हें कुछ रियायत दी गई है—गो यह ठीक है कि जिस हद तक हम करना

[श्री साधु राम]

चाहते हैं उस हद तक नहीं कर पाए। लेकिन जब मैं दूसरी तरफ देखता हूं कि जो बड़ी बड़ी आमदनी लेने वाले लोग हैं--सरकारी अफ़सर या दूसरे गैर-सरकारी बड़े बड़े लोग--उन पर कोई पाबन्दी नहीं लगाई गई तो मुझे उतना ही दु:ख होता है जितना खुशी का इज़हार मैंने low paids को दी जाने वाली assistance पर किया है--बल्कि उस से भी कई गुना ज़्यादा। उन की आमदनी को काट कर दूसरे लोगों को फायदा पहुंचाने का इस बजट में कोई provision नहीं किया गया।

आज हमारे सामने एक चीज़ कही जाती है और वह है भी किसी हद तक ठीक कि इस बजट के अन्दर कोई नया tax नहीं लगाया गया। बल्कि इस की बजाए इस साल development की schemes पर बड़ी भारी रकमें रखी गई हैं। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि टैकसिज़ का लगाना या न लगाना ही तो आज हमारे सामने बड़ी चीज़ नहीं है। मैं तो यह कहूंगा कि अगर इस बजट के अन्दर कोई नए टैक्स लगा भी दिए जाते तो मुझे कोई हैरानगी न होती क्योंकि आखिर revenue ही से तो गवर्नमेंट का काम चलता है; आखिर पैसे ही से तो इसे लोगों के लाभ और भलाई के काम करने होते हैं। लेकिन सवाल यह है कि यह टैक्स किन लोगों पर लगाने चाहिएं? अगर आप बड़ी आमदनी वाले लोगों पर टैक्स नहीं लगायेंगे और उस टैक्स से इकट्ठे हुए रुपए से अगर आप down trodden की भलाई और उन की हालत को बेहतर बनाने की कोशिश नहीं करेंगे तो मैं समझूंगा कि आप ने socialistic pattern of society कायम करने की तरफ़ कोई अहम कदम नहीं बढ़ाया। आज इस बात के लिए बड़ी गुंजाइश है कि उन लोगों के पास से, जिन के पास बहुत ज़्यादा धन है, ले कर छोटे लोगों पर खर्च किया जाए। मैं इस बात के लिए बहुत ज़्यादा तफ़सील में नहीं जाना चाहता। Backward areas के लिए कुछ अर्ज़ करूंगा। स्पीकर साहिब! मैं इस बजट के वरक के वरक उलटता रहा लेकिन जहां तक मेरे अपने ज़िला का ताल्लुक है; मुझे बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ता है कि मेरे ज़िला में--सिवाए उस खर्च के जो routine course में होता है--उस की outstanding demands को meet करने के लिए एक पैसा भी खर्च नहीं किया गया। सब से पहले, स्पीकर साहिब, मैं Irrigation की item को लेता हूं। अगर आप सारे पंजाब की आबादी के statistics लें तो आप को मालूम होगा कि यहां 70 प्रतिशत बल्कि इस से भी ज़्यादा लोगों का गुज़ारा ज़मीन और irrigation पर है। मेरे अपने ज़िला में तो, मैं कह सकता हूं, 70 प्रतिशत बल्कि 75 प्रतिशत लोगों का गुज़ारा ज़मीन की पैदावार पर है। ज़मीन की पैदावार उतनी देर तक नहीं बढ़ेगी जब तक आप उन्हें Irrigation की ज़्यादा facilities provide नहीं करेंगे। लेकिन, स्पीकर साहिब, मुझे यह बात देख कर बहुत दु:ख हुआ कि मेरे ज़िला के लिए इस सारे बजट में से जिस बजट का एक बहुत भारी हिस्सा Irrigation पर खर्च हो रहा है; एक पाई भी नहीं रखी गई। आज अगर आप सारे पंजाब के facts and figures को लें तो 29 प्रतिशत या 30 प्रतिशत cultivable land irrigated area में आती है। मेरे ज़िले में तो आप यह सुन कर हैरान होंगे, कि वह रकबा 13 प्रतिशत से ज़्यादा नहीं। मेरी अपनी तहसील में तो यह area 2 प्रतिशत

से भी कम है । इस के अलावा, स्पीकर साहिब, अगर मैं आप को बताऊं तो आप सुन कर हैरान होंगे कि इस में तमाम के तमाम रकबे में रत्ती भर भी गवर्नमेंट irrigated नहीं। वह लोगों ने अपनी तरफ से कूएं, tube-wells लगा कर सैराब की है। वरना कोई बड़ी या छोटी स्कीम गवर्नमेंट की तरफ से यहां नहीं लगाई गई । स्पीकर साहिब ! आप यह सुन कर हैरान होंगे कि जिस ज़िला के अन्दर दो दरिया बहते हों, जिस ज़िला में से दो नहरें पहले ही गुज़रती हों, और जिस ज़िला से तीसरी भाखड़ा की नहर गुज़रती हो, जिस ज़िला में मारकंडा और घग्गर जैसी दो बड़ी नदियां बहती हों इस के इलावा बहुत बड़ी संख्या छोटी नदियों की हो उस ज़िला की तरफ रत्ती भर तवज्जुह न दी जाए तो क्या हाल हो सकता है। यहां पर न नहर का पानी मिलता है, न tube-wells हैं । जो हैं वह ज़िला अम्बाला को सैराब करने के लिए नहीं बल्कि दूसरे इलाकों को सैराब करने के लिए हैं । आप कहेंगे कि शायद मुझे एतराज है इस बात पर कि हमारे दूसरे इलाकों को क्यों पानी दिया जाता है । नहीं, नहीं, बल्कुल नहीं । मुझे इस बात पर कोई एतराज़ नहीं कि किसी दूसरे ज़िले को यह facilities क्यों provide की गई हैं। लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहता हूं कि इस ज़िला की तरफ भी तो आखिर पंजाब गवर्नमेंट को ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि आज हालत क्या है मेरा ख्याल है कि irrigational facilities को और extend करने के लिए 83 लाख रुपया खर्च किया जा रहा है । लेकिन इस के बावजूद मेरे ज़िला के अन्दर न तो tube-wells नज़र आते हैं और न ही कहीं किसी dam का provision किया गया है ।

इस के बाद अगर मैं दूसरी चीज़ लूं तो मेरे ज़िला का सब से बड़ा मसला land erosion का है। वह ज़मीन जो eroded है उस के बचाए जाने की बड़ी सख्त जरूरत है । ज़रुरत है कि उसे बचा कर reclaim किया जाए और लोगों को ज़्यादा ज़मीन provide की जाए । लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जहां पंजाब गवर्नमेंट ने बजट स्पोच और दूसरी जगहों पर दूसरे हिस्सों का ज़िक्र किया है; वहां पर मेरे ज़िला का कोई ज़िक्र नहीं आया । हालांकि यह एक fact है कि सन् 1948 में गवर्नमेंट ने एक कमेटी मुकर्रर की थी। उस कमेटी की रिपोर्ट Government के सामने है । उस रिपोर्ट को उठा कर अगर देखा जाए तो पता लगेगा कि यहां मेरे ज़िला में पंजाब के किसी हिस्सा से कम erosion नहीं है । बल्कि सारे पंजाब में अगर कहीं सब से ज़्यादा ersion हैं तो अम्बाला, कांगड़ा और होशियारपुर में है । इन दो तीन को छोड़ बाकी किसी ज़िला में खास erosion नहीं । लेकिन मैं हैरान हूं कि दूसरी जगहों के लिए तो provision कर दिया गया है । अम्बाला के लिए एक पाई भर भी तमाम बजट में नहीं है ।

इस के अलावा पिछले दिनों Irrigation Minister साहिब ने Flood Control Board की एक मीटिंग बुलाई । उस में भी मैं आया । मैं ने कहा कि मैं अपने ज़िला का केस पेश करना चाहता हूं । मुझे बताया गया कि मैं पूरे तौर पर facts and figures को इकट्ठा करूं तो केस पर ज़रूर गौर किया जाएगा । यह भी विश्वास दिलाया गया कि अगर गवर्नमेंट दूसरे ज़िलों के लिए कोई ग्रांट देगी तो

[श्री साधू राम]
अम्बाले का नम्बर सब से पहले आएगा। इस पर मुझे बड़ी आशा हुई; मुझे हौसला हुआ कि आखिर मेरे ज़िला की तरफ भी गवर्नमेंट की तवज्जुह हुई है। चंद दिन हुए इस हाऊस के अन्दर backward areas को develop करने के topic पर एक resolution पर बहस हुई। उस का जवाब देते हुए हमारे Development Minister साहिब ने और तहसीलों का ज़िक्र करते हुए मेरी नारायणगढ़ तहसील का भी बार बार नाम लिया। मुझे आशा हुई, उम्मीद हुई कि जब हमारी गवर्नमेंट के ज़िम्मेदार रुकन मेरे इलाके का बार बार ज़िक्र कर रहे हैं तो शायद आने वाले बजट में इस के लिए कोई खास provision रखा गया हो। लकिन मेरी हैरानगी की कोई इन्तहा न रही जब मैं ने इस बजट में देखा कि वह केवल ज़बानी बातें ही थीं, practically इस के लिए कुछ नहीं किया गया था। खैर आप के द्वारा, स्पीकर साहिब, मैं अपनी गवर्नमेंट से प्रार्थना करूंगा कि इस ज़िला का अब तो ज़रूर ख्याल रखा जाए। मैं यह अर्ज़ करूंगा कि आप ने Flood Control Board बनाया है। उस में land reclaim करने के लिए facts and figures इकट्ठे किये जाएंगे। इस के लिए ways and means ढूंढने के लिए provision किया गया है।

वह 1948 की रिपोर्ट को उठा कर देखें और हमारे ज़िला के लिए उस के मुताबिक कुछ किया जाए और खास तौर पर कंधी के इलाके के लिए जल्द अज़ जल्द कुछ किया जाए।

एक और मसला है स्पीकर साहिब, हमारे ज़िले का और वह है drinking water की supply का। यह कौन नहीं जानता कि अम्बाला ज़िले में पीने के पानी की बहुत तकलीफ़ है। इस काम के लिए मैं देखता हूं कि कहीं कहीं इस के लिए कुछ provision इस बजट में है। इस के लिए lump sum रक्म रखी गई है। Rural areas के लिए 25 लाख रुपया रखा गया है और शहरी areas के लिए 75 लाख रुपया रखा गया है जो लोगों को loan दिया जाएगा लेकिन जब इन की details को मैं ने देखा तो मुझे पता लगा कि मेरे इलाके का कोई ज़िक्र ही नहीं किया गया।

स्पीकर साहिब, अम्बाला ज़िले में पानी की बहुत कमी है और इसी कमी की वजह से अम्बाला शहर को Capital नही बनाया गया था।

मुख्य मंत्री : इस के लिए वक्त नहीं था।

श्री साधू राम : चीफ़ मिनिस्टर साहिब ने फ़रमाया है कि वक्त नहीं मिला। मैं उन्हें बताता हूं कि अम्बाला शहर के लोग पानी के लिए कराहते हैं, वहां के लोग पानी के लिए बेइज़्ज़त होते हैं वहां लड़ाईया हो जाती हैं और उन सब की वजह यही है कि वहां पीने का पानी नहीं है। बावजूद इस बात के कि यह कहा गया है कि वहां के लिए फलां स्कीमें बनाई गई हैं हम देखते हैं कि वह तमाम की तमाम स्कीमें बजट से गायब हैं। स्पीकर साहिब, मैं आप के सामने कुछ facts रखता हूं कि वहा पीने के पानी की कितनी कमी है। वहां कई जगह पर लोगों को पीने के लिए पानी दो दो मीलों से लाना पड़ता है और उन लोगो को छपड़ों का पानी पीना पड़ता है। आज कल उन लोगों को जमुना या सतलुज के किनारे

अपने घरों को छोड़ कर सिर्फ इस लिए जाना पड़ता है क्योंकि वहां उन के लिए और उन के मवेशियों के लिए पीने का पानी नहीं मिलता ।

फिर कुओं के लोन्ज़ के बारे में हमारे इलाके के लोगों की कुल चार या पांच दरखासतें मंजूर की गई हैं और जिन की मन्जूर हुई हैं उन्हें भी अभी तक एक धेला भी नहीं मिल सका क्योंकि Rules के मुताबिक execution का काम डिस्ट्रिक्ट बोर्डज़ की मारफ़त होता है । लोग बोर्ड की शर्तों को पूरा नहीं कर सकते इस लिए उन्हे रुपया नहीं मिल सकता । स्पीकर साहिब, मैं इस बारे में आप की विसातत से गवर्नमेंट को यह suggestion देना चाहता हूं कि यह execution का इख्तियार District Boards की बजाए पंचायतों को हासल होना चाहिए । Rules में amendment होगी या नहीं इस के बगैर अगर किसी की कोई दरखासत भी मंजूर हो गई तो उस को किसी किस्म का फायदा नहीं पहुंच सकता ।

फिर स्पीकर साहिब, मैं अपनी गवर्नमेंट को Community Projects के लिए मुबारकबाद देता हूं । जहां तक इसके काम का ताअलुक है वहां हमारे इलाके में अभी तक मुरब्बेबन्दी नहीं हुई । जब तक वहां मुरब्बेबन्दी नहीं हो जाती तब तक वहां development का कोई काम नहीं हो सकता ।

स्पीकर साहिब ! क्योंकि अब time थोड़ा है इस लिए मैं इन चीज़ों को फिर किसी मौके पर सरकार के सामने रखूंगा ।

ਸਰਦਾਰ ਉੱਤਮ ਸਿੰਘ (ਸ੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਪੁਰ) : ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ Finance Minister ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਇਥੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਮੁਬਾਰਿਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ । ਇਹ ਬਜਟ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜ਼ਿਆਦਾ development ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਵਿਚ ਚੋਖੇ Development ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਤਾਲੀਮ ਲਈ 442 ਲਖ ਰੁਪੈ transport nationalisation ਕਰਨ ਲਈ 40 ਲਖ ਰੁਪੈ, ਸਨਅਤੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 211 ਲਖ ਰੁਪੈ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਬਨਾਉਣ ਲਈ 750 ਲਖ ਰੁਪੈ ਰੱਖੇ ਹਨ । ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਬਨਾਉਣ ਲਈ 45 ਲਖ ਰੁਪੈ ਰਖੇ ਹਨ । ਇਹ ਜਿਹੜੇ item ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵਾਕਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਪੈ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮੁਬਾਰਿਕਬਾਦ ਲੈਣ ਯੋਗ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਲ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲਿਜ ਨੂੰ 12 ਲਖ ਰੁਪੈ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਣ 900 ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਨ ਲਈ ਖਰਚ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਹ item ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇ ਮੁਸਤਹਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀ ਤਰਕੀ ਦੇਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਲਾਣਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰਈ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ 75 ਲਖ ਰੁਪੈਆ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਨਅਤੀ ਤਰਕੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰੀ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਦਾ ਦਸਿਆ ਜਾਣਾ ਇਕ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿਹੇ ਮਸਲੇ ਦਸੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ

[ਸਰਦਾਰ ਉੱਤਮ ਸਿੰਘ]

ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਟਾਲਾ foundries ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਬੜੀ ਤਸ਼ਵੀਸ਼ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਅਲਿਕ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਟਾਲਾ foundries ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੋਹੇ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਫੇਰ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਜਟ ਸਪੀਚ ਵਿਚ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਸ਼ਵੀਸ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੜਾ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ land revenue ਅਤੇ surcharge ਦੀ ਤਰਫ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਭਾ ਡਿਗਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਫਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ land revenue ਤੇ surcharge ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤਕਲੀਫ ਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਂਦੀ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ Law and Order ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਕਾਫੀ control ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਗਲ ਵਿਚ ਬੜੀ ਤਸ਼ਵੀਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ Law and Order ਤੇ ਪੂਰਾ control ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਰੁਪਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕਰਰਾ ਤਾਰੀਖਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ

4 p.m.

ਵਿਚ ਜੋ Anti-Government Parties ਹਨ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ propaganda ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ shelter ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ exploit ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ and revenue, surcharge ਤੇ ਹੋਰ tax ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਾਲੀਆ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ; ਇਸ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ law and order ਵਿਚ ਢਿਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।

ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਇਲਾਕੇ ਦੀ development ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਫੀ ਰੁਪਿਆ provide ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ community project ਅਤੇ national extension scheme ਹੈ। ਮਗਰ ਜਦ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ progress reports ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਕੋਈ progress ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ projects ਦੀ administration ਨੂੰ ਕਾਫੀ tight ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ progress report ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਉਪਰੰਤ, ਕੁਝ ਤਰਕੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲਗੀ। ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੁਝ tube-wells ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਾਰੀਆਂ progress reports ਵੇਖਣ ਉਪਰੰਤ ਸਿਰਫ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਕ tube-well ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭੀ ਕਿਸੇ individual ਨੇ ਲਗਵਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਕਾਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।

ਫਿਰ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ flood ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ, ਇਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਵਸਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ protection ਵਲ ਆਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप पढ रहे हैं ? आप कागज़ से केवल reference ले सकते हैं ।

(Are you reading from the paper ? You should use it only for a casual reference.)

ਸਰਦਾਰ ਉਤਮ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਦਰਿਆਏ ਬਿਆਸ ਬਾਰੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ flood ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਜਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ protection ਲਈ ਅਤੇ ਸੁਖ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਥੇ ਧੁਸੀ ਜਾਂ ਬੰਧ ਬਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਛੇਤੀ ਅਮਲ ਕਰੇ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਕਮਾਂ ਨਹਿਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚੂੰਕਿ ਆਮਦਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਥੇ unirrigated areas ਹਨ ਉਥੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ income ਵਧੇਗੀ ਉਥੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਭੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਦਾਰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ preference ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਨਿਸਬਤ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ request ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੋ ਮਾਧੋਪੁਰ head-works ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਪਾਣੀ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਈ 40, 40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ perennial ਬਣਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਅਜ ਤਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਥੇ ਪਾਣੀ ਡੂੰਘਾ ਹੈ, water level ਨੀਵਾਂ ਹੈ, ਜਿਥੇ irrigation ਦੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਪਾਣੀ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਝਗੜਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੰਡ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ water level ਡੂੰਘਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਮ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਉਥੇ ਪਾਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਥੇ ਘਟ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਾਇਬ ਤਹਸੀਲਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਹਨ ਇਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ Agriculture Inspectors ਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

[ਸਰਦਾਰ ਉੱਤਮ ਸਿੰਘ]

ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ corruption ਬੜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿਉ। ਇਤਨੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿਉ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰ ਪਾਲ ਸਕਣ ਤਾਂ corruption ਰੁਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਗਲਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਡੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਸਰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। Drinking water ਦਾ problem ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਕ ਲਖ ਰੁਪਿਆ provide ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਗਰ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ lapse ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਫਿਰ ਜੋ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਇਲਾਕੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਤਰੋਵਾਲ, ਕਾਨ੍ਹੂੰਵਾਲ, ਆਦਿ। ਇਥੇ ਨਾ ਤਾਂ medical facilities ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਲ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ develop ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

पंडित श्री राम शर्मा (सोनीपत) : स्पीकर साहिब, अगर हमारे वित्त मन्त्री को एक ऐसे कामयाब वकील के मयार से नापा जाए जो किसी झूठे मुकदमे को सच्चा और सच्चे को झूठा साबित कर दे, मासूम को फांसी दिला दे और कातिल को छुड़वा दें और अगर उसे इस बिना पर एक बढ़िया वकील माना जाए और अगर इसी मयार से दुनिया के वज़ीर खज़ानों को नापा जाए तो हमारे सरदार उज्जल सिंह किसी से पीछे न रहेंगे। जिस वक्त इन की report House में पढ़ी और सुनी जा रही थी या अगर कोई अलग बैठ कर इसे पढ़े और बजट का मुतालिया करे तो ऐसा मालूम होता था या होगा कि कोई बड़ा ही enthusiastic Communist चीन और रूस की तरक्की के नज़ारे पेश कर रहा है या Democracies के Bloc का कोई आदमी अमरीका की तरक्की के सब्ज बाग दिखा रहा हो। मगर असली हालत क्या है? हालत यह है कि $12\frac{1}{2}$ ज़िलों की यह State आज तक $1\frac{1}{2}$ अरब रुपए की मकरूज़ है यानी 100 करोड़ और तकरीबन 50 करोड़ रुपए की। और अगले साल, जिस का कि यह बजट पेश किया गया है, के खत्म होने से पहले हम पौने दो अरब के मकरूज़ होंगे।

इसने अगले साल के बजट में 29 करोड़ की आमदनी और खर्च का अन्दाज़ा लगाया है। साले रवां में 32 करोड़ का कर्ज़ा लिया गया था। और आइन्दा साल में 48 करोड़ का लिया जाएगा।

हमारे वज़ीर साहिब ने पैदावार का ज़िक्र किया है कि रूई की production में तरक्की हुई। तिल की पैदावार बढ़ गई। अनाज की पैदावार बढ़ गई। इन चीज़ों की पैदावार बढ़ जाने से भावों में बहुत कमी हो गई है। निरख गिर गए हैं इजनास की पैदावर बढ़ जाने से और निरखों के कम हो जाने से किसान को, खेती करने वाले को और उन के साथ दुकानदारों को जो कुछ मिला है वह आप सब जानते हैं। कीमतें गिर गईं और पैदावार बढ़ गई इस से किसान के पास और दुकानदार के पास बाकी क्या रह गया।

फिर स्पीकर साहिब कहा गया है कि पंजाब ने बहुत तरक्की की है। पानी, खाद, बिजली वगैरा का ज़िक्र किया गया है। कहा गया है कि इस से सब से ज़्यादा आमदनी किसानों की बढ़ी है। पैदावार बढ़ गई है। इस के बारे में ऊपर बता चुका हूं कि पैदावार के बढ़ जाने से किसानों को क्या मिला है।

कर्ज़ा सैंटर से ले आते हैं और पंजाब के लोगों के सामने Bhakra Dam का नक्शा रख देते हैं। इस Dam में क्या हो रहा है? Bhakra Dam पर रिश्वत का बाज़ार गर्म है। लूट खसूट ऊपर से नीचे तक जारी है। लूट हज़ारों करोड़ों रुपए तक पहुंच चुकी है।

आप industries को लें। Industries का बड़ा अच्छा नक्शा खींचा गया है। बहुत सी industries का ज़िक्र किया गया है। लेकिन आखिर में यह कह दिया कि बटाला में कुछ नुकसान है। Central Government ने जो excise duty लगाई है इस से नुकसान हुआ है। अब इन दोनों बातों को देखें तो पता चल जाता है कि industries की सूबे के अन्दर क्या हालत है।

फिर cottage industries का ज़िक्र है। यही industry है जिस पर जापान ने तरक्की की है। इस के बारे में लिखा है कि हम गौर कर रहे हैं।

अब बड़ी industries को लें उस के लिए एक Finance Corporation बनाई गई है। इस का हमारे मुख्य मन्त्री साहिब को भी काफी तजरुबा मालूम होता है। इस Corporation में लोगों से रुपया इकट्ठा किया गया। जब हम ने यह पूछा कि यह रुपया किन किन industrialists को दिया गया तो जवाब दिया गया कि यह नहीं बताया जा सकता। क्यों? इस लिए कि रुपए लेने वालों की हवाई उड़ जाएगी। उन की साख खत्म हो जायेगी और वह अपना काम नहीं कर सकेंगे। यह अजीब बात है कि रुपया लोगों ने इकट्ठा किया हो और फिर लोगों को यह भी न बताया जाए कि इसे किस तरह खर्च किया गया। इस तरह से industry की तरक्की की जा रही है।

मज़दूरों की बेहतरी का हमारे सूबा में यह हाल है कि हड़तालों की कमी नहीं। हर जगह दफ़ा 144 का नफ़ाज़ है। आए दिन हड़तालें होती हैं। काम बन्द रहता है।

इस के बाद टैक्स लगाने की बात है। हमारे वज़ीर खज़ाना का कहना है कि कोई टैक्स नहीं लगाया गया। तो मैं यह पूछता हूं कि क्या टैक्स लगाने का दिन 365 दिन के अन्दर वही होता है जिस दिन वज़ीर खज़ाना बजट पढ़ें? मालगुज़ारी $1\frac{1}{2}$ गुना बढ़ा दी है। आबयाना में $12\frac{1}{2}\%$ की कमी की गई लेकिन बाद में महकमा नहर को हुक्म जारी कर दिया कि जहां पर mixed फसलें हैं वहां पर आबियाना ज़्यादा वसूल किया जाए। स्पीकर साहिब आप जानते हैं कि लोग गेहूं के खेतों में सरसों की बाड़ लगाते हैं। हमारे ज़िले में इस तरह ही बाड़ लगाते हैं। तो वहां यह देखे बिना कि सरसों किस हद तक बोई गई है आबियाना mixed फसल के हिसाब से सरसों पर लगा दिया क्योंकि उस का रेट भी गेहूं जितना है। Mixed फसल पर ज़्यादा से ज़्यादा आबियाना लिया जाता है।

[पंडित श्री राम शर्मा]

पहले District Boards वाले किसानों का ख्याल रखते थे । अब उन्हें बैठे बिठाए घर भेज दिया गया है । उन की जगह अफसर बिठा दिए गए हैं जिस से Local Rate 8 आने बढ़ा दिया गया है । Professional Tax double कर दिया गया है । स्पीकर साहिब, Unionist वज़ारत में हम सब ने चौकीदारा टैक्स की मुखालिफत की थी । उस वक्त हमारे वज़ीर खज़ाना किसी और जगह बैठते थे । अब इस चौकीदारा टैक्स को double कर दिया गया है । चूल्हा टैक्स इस के इलावा है । किसी भी टैक्स में कमी नहीं की गई । यह तो इतनी अच्छी बातें हैं कि इस से सारे देश में डंका बज गया है ।

जहां तक इस सूबे का ताल्लुक है जहां तक हमारे वित्त मन्त्री का ताल्लुक है मैं यह बताना चाहता हूं कि जितना रुपया ज़िमींदार अंग्रेज़ के ज़माने में देता था अब उस से ज़्यादा देता है । पहले जहां वह एक रुपया टैक्स देता था अब दो अड़ाई बल्कि तीन चार रुपए देता है ।

Unionist वज़ारत में जब जंगी कर्ज़ों का बिल आया तो हम सब चीखे और पीटे कि ऐसा न किया जाए लेकिन आज महात्मा गांधी के नाम पर फण्डज़ raise किए जा रहे हैं । सरकारी अफसरान इसी काम के लिए फिर रहे हैं । इस तरह यह महात्मा गांधी की आत्मा को ठेस पहुंचा रहे हैं । भारत के प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि हम America से कर्ज़ा ले रहे हैं और स्टेटों को दे रहे हैं लेकिन हम आज क्या देखते हैं कि हर जगह चन्दे और कर्ज़े इकट्ठे किए जा रहे हैं । Red Cross के मेले लगाए जा रहे हैं और इस तरह से गरीब किसानों को लूटा जा रहा है ।

अखबारों में लिखा जाता है कि यह Development का Budget है । Tax कोई बढ़ाया नहीं गया लेकिन टैक्स ही नहीं बढ़ाया बल्कि कर्ज़े और चन्दे लिए जा रहे हैं । अफसरान इन चन्दों को इकट्ठा करने और Red Cross के नाम पर रुपया वसूल करने के लिए हर वक्त गरीब किसानों पर सवार रहते हैं इस तरह जैसे भेड़िये किसी भेड़ पर ।

आज, स्पीकर साहिब, रोहतक ज़िले में क्या हो रहा है ? इस ज़िले से ही $4\frac{1}{2}$ लाख रुपया कर्ज़े के नाम पर वसूल किया जा चुका है । फिर जो रुपया चन्दे के नाम पर जमा हुआ वह सारे का सारा Punjab National Bank को दे दिया गया

फिर स्पीकर साहिब जो $2\frac{1}{4}$ करोड़ रुपया इकट्ठा किया गया यह किसने इकट्ठा किया । तहसीलदारों ने, Consolidation अफसरों ने और Magistrates ने । यहां तक कि इन्हों ने पुलिस को साथ लिया और चन्दे इकट्ठे किए । लोगों को मार मार कर पीट कर यह चन्दे वसूल किए गए । फिर गवर्नमेंट कहती है कि हम ने टैक्स नहीं लिए । यह कहती है कि मुल्क में, सूबे में, लोगों पर टैक्स का बोझ नहीं है, कर्ज़ों का बोझ नहीं है ।

मैं ने पुलिस के इस तरह चन्दे इकट्ठे करने के बारे में श्री देशमुख को लिखा था कि क्या आप ने स्टेट गवर्नमेंट को यह हिदायतें जारी की हैं कि वह लोगों को पीट कर और दबा कर चन्दे और कर्ज़े वसूल करे ? श्री देशमुख ने जो जवाब दिया उस म लिखा था कि ऐसी कोई हिदायतें जारी नहीं की गई हैं । उन्हों ने हमारे सूबे की सरकार को भी लिखा लेकिन इस से

पहले कि जवाब सूबे की सरकार को मिलता यह अपने कारनामे पूरे कर चुके थे। फिर कहते हैं कि कोई टैक्स नहीं लगाया। क्या मैं पूछ सकता हूं कि Red Cross का खर्च कैसे पूरा किया जाता है? उस के लिए Budget में कोई रकम नहीं दिखाई गई और अफसरों को हिदायतें कर दी गई हैं कि जो भी कोई डाकखाने में रजिस्ट्री करवाने आए या दवाई लेने जाए उस से Red Cross के लिए चन्दा वसूल करो। ऐसी गलत बातें अंग्रेज़ के राज में कभी नहीं होती थीं लेकिन आज राम राज्य में हो रही हैं।

हमारे सामने महात्मा गांधी की कद आदम तसवीर लगा दी गई है लेकिन सरकार ने महात्मा गांधी के असूलों के कतई खिलाफ़ काम किया है। दूसरी बात यह है कि इस तरीके से टैक्स वसूल करना, चन्दे वसूल करना और कर्जे वसूल करना गुनाह है। ऐसी हालत कभी किसी जमहूरियत में बरदाशत नहीं की जा सकती।

फिर यह कह रहे हैं कि पंजाब के अन्दर खुशहाली बढ़ रही है। जहां 5 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं वहां खुशहाली तो आएगी पर ठीक उसी तरह कि एक आदमी को पांच रुपए मिलें और वह पांच आने का मटका ले आए और कहे कि मैं ने रकम अच्छे ढंग से खर्च की है। सरकार का दावा है कि वह $\frac{3}{4}$ अरब रुपया Betterment Tax का वसूल करेंगे और वसूली का तरीका आप के सामने है।

आज जब इन की अपनी पार्टी के मेम्बर खड़े होते हैं तो पहले और आखरी फिकरे में तो सरकार को मुबारकबाद देते हैं लेकिन बीच में फराटे और तेज़ी से बोलते हैं। आप ने अभी अम्बाला के मेम्बरों को सुना है।

आप कहते हैं कि गवर्नमेंट को मुबारकबाद देते हैं उस की बाज़ीगिरी के लिये, चालाकी के लिए, और उस की फरेबकारी के लिए।

एक और बात कही गई कि जो administrative machinery है वह बड़ी ऊंची चढ़ गई है और तरक्की पर है। मैं यह कहता हूं कि पंजाब के अन्दर इस वज़ारत ने, इन अफसरों ने और इस ऐडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत गड़ बड़ मचाई हुई है। यहां के बड़े बड़े अफसर जो senior थे जिन में independent outlook था वह यहां से चले गए और अपना सर बंगाल में या सैंटर में जहां भी जगह मिली छिपा लिया। अब भी जो ज़िम्मेदार अफसर हैं उन में से एक भी पंजाब में नहीं रहना चाहता अगर उन्हें ज़रा भी मौका मिले या गुंजाइश दिखाई देती हो तो वह एक दिन के लिए भी इन वज़ीरों का मुंह देखने के लिए तैयार नहीं होंगे। यही वजह है कि तमाम senior officers जा चुके हैं और बाकी जो रह गए हैं वह भी जाने की तैयारियां कर रहे हैं। हम अंग्रेज़ों के राज के वक्त law and order पर नुकताचीनी किया करते थे। लेकिन आज क्या हालत है? मैजिस्ट्रेटों की अदालतों में पुलिस कारफरमा रहती है। रोजमर्रा के कामों में मैजिस्ट्रेट पुलिस अफसरों से थरथर कांपते हैं। वह समझते हैं कि अगर police की adverse रिपोर्ट हो गई तो उन की तरक्की खतरे में पड़ जाएगी। हम ने अपनी अदालतों और मैजिस्ट्रेटों को external influence से आज़ाद करना है और हम देख रहे हैं कि हमारी Executive Government वज़ीरों की पार्टी बाज़ी में फंसी हुई है। अब गवर्नमेंट को यह ख्याल आया है कि Judiciary और

[पंडित श्री राम शर्मा]

Executive को अलहदा अलहदा कर दिया जाये। अब इस तरह से इन्होंने कुछ मैजिस्ट्रेटों को कहा है कि वे मुकदमों का काम करें और कुछ को executive का काम करने की हिदायत की गई है। इस तरह से दोनों की गर्दन गवर्नमेंट के हाथ में रहेगी मगर फिर भी यह कहा जाता है कि Executive और Judiciary को अलहदा अलहदा किया जा रहा है। कांग्रेस का सब से पहला इजलास जो बम्बई में हुआ उस में यह आवाज़ उठी थी कि अगर किसी मुल्क ने तरक्की करनी है, इनसाफ करना है और democracy के असूलों पर चलना है तो उसे Executive और Judiciary को कतई तौर पर अलहदा अलहदा कर देना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट ने अपनी dictionary से इस के मायने यह निकाले कि कुछ मैजिस्ट्रेटों को मुकदमों का काम सौंप दिया जाए और कइयों को executive काम दे दिया जाये। अब मैजिस्ट्रेट डिप्टी कमिश्नर के control में होने की बजाए A.D.M. के control में होंगे और वह उन के काम के मुतअल्लिक Sessions Judge को रिपोर्ट करेंगे। इस तरह से हाई कोर्ट का या Sessions Judge का कोई खास ताल्लुक नहीं रह जाता। Sessions Judge बेशक हर रोज़ लिखता रहे वह क्या करने वाले हैं। मुझे याद है कि गुड़गांव में एक ग़बन के case में मैजिस्ट्रेट ने पुलिस के खिलाफ सख्त strictures pass किये मगर उन की कोई मजाल नहीं कि वह कोई action ले सकें। बात यह है कि अब magistracy को बिल्कुल एक एजन्सी बना रहे हैं। Judiciary से कहते हैं कि यह गवर्नमेंट उस वक्त तक ज़िन्दा रह सकती है जब तक Judiciary के ऊपर Executive हाथ रखे। जिस वक्त free कर दिया उन की ग्रोह-बन्दी खत्म हो जाएगी, लोगों पर ज़ोर खत्म हो जाएगा। अब तो लोगों को डरा धमका लेते हैं कि फलां को कैद कर देंगे लेकिन अगर Judiciary पर Executive का हाथ न रहे तो मिनिस्टरों के इख्तियारात खत्म हो जायेंगे। अंग्रेज़ की जब जान पर बनती थी तो वह डिप्टी कमिश्नर से कह कर मैजिस्ट्रेट को इशारे से कहा करते थे। लेकिन आज कल political मामलात में 100 प्रतिशत ऊपर से मदाखलत की जाती है और अगर डिप्टी कमिश्नर खुद न कहे तो यहां से telephone खड़कते हैं कि ऐसा कर दो। जहां तक criminal cases का ताल्लुक है मैजिस्ट्रेट आज़ाद नहीं हैं वह उस तरह से करते हैं जैसे उन्हें Superintendent of Police करवाता है।

जहां तक पुलिस का ताल्लुक है मैं अर्ज़ करूंगा कि आज ही मैं ने एक सवाल पूछा कि एक आदमी रोहतक में जो फौजी था और पाओं से लंगड़ा था पुलिस ने पकड़ लिया बाद में पता लगा कि वह ऐसे ग्रोह का काम करता था जिस का काम था खबरें वगैरा लाना। उसे पकड़ कर जान से मार दिया और मारने के बाद लाश के फ़र्ज़ी कागज़ बना लिये। डिप्टी कमिश्नर और सब लोगों ने देखा और सोचने लगे कि रोब और वकार इस तरह से बच सकता है। पटवारी के पास गये और कहा हैरत हो रही है। वैद्य से गोली खा कर आया है। फिर कहने लगे कि हालत बिगड़ती गई, वैद्य को बुलाया और आते आते फौरन मर गया। डिप्टी-

कमिश्नर ने उस के रिश्तेदारों के Advocate को कहा कि लाश संभाल लो। वह Advocate यहां बैठे हुए हैं। जो मैजिस्ट्रेट और पुलिस इस खून की तहकीकात करने गई उस तहकीकात में न मरने वाले के साथी के बयान, न रिश्तेदारों के बयान और न Advocate का कोई बयान लिया गया। एक यकतरफा और फर्जी किस्सा बना कर सामने रख दिया। हमारी गवर्नमेंट ने कह दिया कि Brahamin Gang को liquidate कर दिया है। सवाल का जवाब देने में चीफ मिनिस्टर को मजा आता है वह कहते हैं Gang के आदमी कुछ बाकी रह गये हैं। असल बात यह है कि रोहतक जिले में दो ग्रोह थे। वह आपस में लड़ते मरते थे। दीपा बदमाश पुलिस के पास पेश हो गया। पेश होने के बाद उसे सज़ा हो गई। वह सज़ा होने के बाद नज़रबन्द रहा। कैद से रिहा होने के बाद वह पुलिस के साथ मिल गया और पुलिस उस को अपने कामों में इस्तेमाल करती रही। एक दिन उसे कहा कि दुशमन को मरवा दो। उस को बुलाया और उस के दो, चार साथियों को कहा कि चलो पटवारी से कहेंगे कि 10 नम्बर रैजिस्टर से तुम्हारा नाम खारिज कर दिया जाये। फिर नहर पर ले जा कर गोली से मार दिया। इस के अलावा चार आदमियों को इनफ़ादी तौर पर ला कर मारा। एक की लाश गांव में मिली और एक की लाश नहर से मिली। जिन्होंने मारा वही तहकीकात करने बैठ गए। ऐसी बदअमनी और अंधेरगर्दी मेरे ख्याल में आज तक सुनने में नहीं आई।

अंग्रेज़ का राज्य हमारे राज्य से बहुत बुरा था। हम उस पर हज़ारों लानतें भेजते थे, चुनांचि अंग्रेज़ी राज्य को हटाने के लिए लड़ाई करते रहे। मगर हमें इस बात की कतई खबर न थी कि जब हमारा स्वराज्य आएगा, वह स्वप्न जो गांधी जी हमें दिखलाया करते थे हकीकत में बदलेंगे, तो सरदार उज्जल सिंह ऐसा बजट पेश करेंगे, पंजाब के अन्दर यह हालात होंगे, हमें इस बात का कतई पता न था। यह वज़ारत किस काम की है? मातहत महकमे ठीक काम कर सकते हैं मगर अपनी पार्टी बाजियों के लिए और ज़ाती अगराज़ के लिए Government की machinery को ऊपर से ले कर नीचे तक ऐसी बेरहमी से, बेदर्दी से और बेशरमी से इस्तेमाल करते हैं कि कोई administration कामयाबी के साथ चल नहीं सकती। कहते हैं कि जरायम को कम किया। कैसे किया? खुद जरायम कर के? तहसीलदारों, थानेदारों और दूसरे अफसरों को हुक्म दे कर कि मार दो, किसी कायदे, किसी तरीके की परवाह न करो? अपने political मुखालिफों को, दूसरी पार्टी वालों को जो इन की नज़रों में खटकते हैं, जिन को ये दबाना चाहते हैं मरवा कर अगर law and order कायम कर लिया तो क्या कर लिया? असल बात यह है कि मामूली जरायम को दबाने के लिए 10 गुना ज़्यादा serious जरायम कराए जाते हैं। फिर कहते हैं कि हमारी General Administration और services का काम बहुत बढ़िया है।

बेरोज़गारी का कोई इलाज नहीं, गरीबी का कोई इलाज नहीं। बस यही रट लग रही है कि तरक्की हो रही है। पिछले दिनों इजलास में एक हरिजन मेम्बर ने उन की बुरी हालत का लफ्ज़ों में रोना रोया और बताया कि झोंपड़ियों में रहने वाले मज़दूरों और गरीबों की क्या हालत, कैसे ज़ोर की हवा उन की झोंपड़ियों की छतों को उड़ा ले जाती है और उन के बच्चे सर्दी

[पंडित श्री राम शर्मा]

में विलकते हैं। उन के बाद वह साहिब जो चन्डीगढ़ में चार, पांच लाख के मकान में रहते हैं जिस में हज़ारों का furniture पड़ा हुआ है, जिन का लड़का सरकारी कार में, सरकारी petrol खर्च कर के High Court में practice करने जाता है, खड़े हो कर रोने लगे और कहने लगे 'हरिजन मेरे भाई हैं'। मैंने ऐसा तमाशा कभी नहीं देखा। हरिजन मेम्बर तो लफज़ों में ही उन की दर्दनाक हालत का नकशा खेंचता रहा मगर यह साहिब सचमुच रोने लगे (हंसी)।

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ (ਸਮਰਾਲਾ): ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਦਾ ਖਾਸਾ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿਚਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਕੁਝ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਇਖਰਾਜਾਤ ਹੀ ਇਖਰਾਜਾਤ ਦਿਸਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿ ਸਾਲ, ਡੇਢ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹੇਂ insolvent ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ 50 ਰੁਪਏ ਲੈਕੇ 100 ਦਾ pronote ਲਿਖ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਵਾਲਾ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੁਫਤ ਦੇ 50 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਗਏ।

ਅਜ਼ ਹਦ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ੨ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਲੁਟ ਲਿਆ ਹੈ। 8 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਅੱਜ 29 ਕਰੋੜ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਰਜ਼ਾ ਡੇਢ ਅਰਬ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਕੇ ਬੜੇ 2 ਮੱਹਲ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਰੁਪਿਆ corrupt ਆਦਮੀ ਲੁਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਢ ਦੋ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੋੜ ਕੇ ਭਜ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ successors ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ 'ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਚਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਖਰਚ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ State ਨੂੰ insolvent ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, 45 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ High Court ਉਪਰ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, 6 ਲਖ Chief Minister ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਠੀ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ State ਦਾ ਬਜਟ ਇਸ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ੨ ਸਰਮਾਯਾਦਾਰ ਹਨ, factories ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਬਜਟ ਚੰਗਾ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਪਰਜਾ ਦੇ ਮਿਯਾਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਉਚਿੱਆਂ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਹਿਰਾਂ ਕਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ rates ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬਚਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਬਜਟ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।

ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ Scandal ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬੇਖਬਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ Excise Department ਦਾ scandal ਹੈ। ਇਕ ਤਰਫ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ agreements ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ 1959 ਤਕ opium ਦੀ sale ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ

ਜਾਵੇਗੀ । ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਠੇਕੇ ਨੀਲਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੋਲੀ ਘੱਟ ਨਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾ ਘਟੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਫੀਮ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈਣ । ਸਰਕਾਰੀ ਅਫੀਮ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਆਸਾਮ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, ਏਥੇ ਹਰ ਠੇਕੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਿਕਦੀ ਹੈ । ਜੇ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਤਾਂ Excise Department ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟ ਕਰ ਦਿਓਗੇ । Figures ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ excise ਦੇ crimes ਘੱਟ ਗਏ ਹਨ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਧ ਗਏ ਹਨ ਪਰ crimes ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ । ਹਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ opium ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ । ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਲ ਦੀ support ਵਿਚ figures ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

1950-51 ਵਿਚ 14682 ਸੇਰ opium supply ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ licence fee ਤੋਂ ਆਮਦਨ 86,82,016 ਰੁਪਏ ਹੋਈ, 1951-52 ਵਿਚ 11,599 ਸੇਰ opium supply ਹੋਈ ਤੇ 98,11,395 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, 1952-53 ਦੇ figures 10,312 ਸੇਰ ਅਫ਼ੀਮ ਤੇ 82,10,305 ਰੁਪਏ, ਤੇ 1953-54 ਦੇ figures 8,879 ਸੇਰ ਅਫੀਮ ਤੇ 74,66,008 ਰੁਪੈਏ ਹਨ ।

ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ 1950-51 ਵਿਚ 14,682 ਸੇਰ opium supply ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ 86,82,016 ਰੁਪਿਆ ਵਸੂਲ ਹੋਇਆ ਤੇ 1953-54 ਵਿਚ 8,879 ਸੇਰ ਅਫੀਮ supply ਕਰ ਕੇ 74,66,008 ਰੁਪਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਸੂਲ ਹੋ ਗਏ ।

Excise Inspectors ਤੇ Sub-Inspectors ਖੁਦ ਹਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ । Calculation ਕਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਜਿਸ rate ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫੀਮ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਵੇਚਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰੁਪਿਆ ਵਸੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਠੇਕੇ ਦੇ ਰੁਪਏ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ? ਇਹੋ ਹਾਲ ਦੂਜੀਆਂ Excise duties ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਰੁਪਿਆ ਕਮਾਣ ਦਾ । ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ excise crimes ਦੀ abetment, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ?

ਕੀ ਇਹ ਬਜਟ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਤਨੇ ਕਰੋੜ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਤਨੇ ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ ? ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰੁਪਿਆ ਆਏਗਾ ਕਿਥੋਂ ?

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ 30 ਲਖ ਰੁਪਿਆ land surcharge ਦਾ charge ਕੀਤਾ ਸੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ agricultural ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਸਨ । ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕੀਮਤਾਂ ਗਿਰ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਉਜਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਇਥੇ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਮਗਰ ਮੱਛ ਵਾਲੇ ਅੱਥਰੂ ਸੁਟਕੇ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਗਿਰ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ ? ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ Betterment Charges, Land Revenue ਅਤੇ Tube-wells ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਟੈਕਸ

[ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ]

ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਗਰੀਬ ਲੋਗ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ? ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਹੀ ਖਾਤਾ ਠੀਕ ਰਖਣਾ ਹੈ --ਅਸੀਂ ਐਨਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ, ਐਨਾ ਉਸ ਉਪਰ ਸੂਦ ਪਿਆ ਅਤੇ ਐਨਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ charge ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਹਨ। ਕਤਅਨ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਹਨ ? ਉਹ ਦਿਹਾਤੀ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਲ ਕਹਿਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ sympathy ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ facts and figures ਵੇਖੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 75 ਲਖ ਰੁਪਿਆ urban local bodies ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ drainage system ਨੂੰ develop ਕਰਨ ਉਪਰ ਖਰਚ ਕਰਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 21 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ruralites ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ! ਜੇ ਕਰ ਐਸਤ ਕਢੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਤਨਾ ਰੁਪਿਆ ਫੀ ਕਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਰੁਪਿਆ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਫੀ ਕਸ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਦਸ ਸਕਣ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਵੇਲੇ ਦਸ ਦੇਣ। ਖ਼ੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਚੀਫ਼ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ step motherly treatment ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ—ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਆਬਾਦੀ ਦੀ percentage ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ administration ਦੇ ਵਿਚ ਹਿਸੇ ਦੀ percentage ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ percentage ਉਲਟ ਹੁੰਦੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਤਰ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵਸਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਐਸੇ ਹਨ ਕਿ ਮੂੰਹ ਐਸਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਕੀ ਚੋਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ! ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ merits ਦਾ ਰੋਲਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ service ਵਿਚੋਂ ਕਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ Engineering College ਦੀ administration ਲੈ ਲੋ ਵੇਖੋ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਕਿਨੇ ਕੁ ਉਥੇ ਹਨ। Merits ਉਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ—ਦਿਹਾਤੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ? ਜੇਕਰ ਇਹੋ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ, 3 ਸਾਲ ਜਾਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਅਪਣੇ ਹਕੂਕ ਤੋਂ ਬੇ ਖਬਰ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਰਜ਼ੀ ਦੌਰੇ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਉ ਉਹ ਉਥੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਅਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪਿਛਲੀ Assembly ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ Government ਨੇ ਇਹ resolution ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ services ਵਿਚ ਕੁਝ reservation ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ । ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ । ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਹੌਲਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ step motherly treatment ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਅਜ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਲ ਕਰੋ ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, scandals ਤੇ ਬਹੁਤ ਹਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ । ਹਾਂ, ਇਤਨੀ ਗਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਅਜੇ ਕਿਹਾ ਹੈ । ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਕ responsible ਆਦਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ । ਇਕ ਸੱਜਣ ਨੂੰ 50 ਲਖ ਰੁਪਿਆ advance ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਉਪਰ । ਅਤੇ ਉਹ ਰੁਪਿਆ mainly ਦਿਲੀ ਵਿਚ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ interest ਹਨ । ਜੇ ਕਰ ਇਹ ਗਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ।

ਇਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਇਕ publisher ਨੇ ਇਕ ਬੜੇ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ 52,000 ਰੁਪਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਉਪਰ ਰਖਿਆ ਅਤੇ ਕੋਈ reason ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ disbelieve ਕਰਾਂ । ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਾਂ ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅੱਧਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਲੋ ਅਤੇ ਅਧਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਉ ਪਰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਉ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਵਾ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ । ਇਹ ਗਲ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗੇਗਾ । ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਕੇ ਦਸਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿਤਾ । Education ਦਾ department ਬੜਾ profitable ਹੈ, Joint Punjab ਤੋਂ ਹੀ ਚਲਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ disclose ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ printing press ਦੇ ਸਿਲਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਰੁਪਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਪੇਪਰ market ਵਿਚ ਵਿਕਿਆ । ਅਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਥੇ ਭਾਰੀ ਲੁਟਾਂ ਹਨ ਉਹ sources ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਉਹ ਰੁਪਿਆ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਜਿਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੁਪਿਆ ਲਵੋ ਉਥੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ । ਮੈਂ ਤਿੰਨਾ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ cinemas ਉਪਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਸਿਨਮਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਨੌ ਲਖਾ theatre ਦਾ rent ਜਾਂ ਕਿਰਾਇਆ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਸਾਲਾਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਇਕ ਕੰਪਨੀ 65,000 ਰੁਪਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪ ਕਿੰਨੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਨਮੇ ਨੂੰ nationlise ਕਰ ਲੋ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ Cinema Show Tax ਲਗਾਉਣ ਲਗੇ ਹਾਂ ਅਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਵੀ show tax ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ

[ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ]

ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਲੁੱਟੇ ਗਏ। ਅਖੀਰ ਵਿਚ gazette ਵਿਚ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ 3 ਰੁਪੈ ਫੀ ਸੌ ਟੈਕਸ ਲਗੇਗਾ। ਬੜੇ ਵਡੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਲਗੇ ਹਨ। Rules ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ – ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ Government ਨੂੰ High Court ਵਿਚ challenge ਕੀਤਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੇਖੋ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਦਮੀ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ? ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨਾਂ cinema nationalise ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਭਤੀਜੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗ਼ਰੀਬ ਦਿਹਾਤੀ ਲੋਗ ਹਨ, ਬੀਮਾਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੈਲ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬਛੜੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭੁਲ ਗਏ ਹੋ। Before Partition ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ income ਟੈਕਸ ਦੀ basis ਉਪਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਅਜ ਤਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 35 ਰੁਪੈ ਵਾਲੀ ਬੋਤਲ ਤੋਂ ਘਟ ਬੋਤਲ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ। ਉਹ ਇਤਨਾ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ unemployment ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ educated unemployed ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ students ਕੋਈ 1st division ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ second ਵਿਚ ਤੇ ਕੋਈ third division ਵਿਚ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ second ਅਤੇ third division ਵਿਚ ਉਹੀ ਮੁੰਡੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ rural population ਨੂੰ belong ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ interests ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ignore ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ—ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ safeguard ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। Schools ਅਤੇ colleges ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ facilities ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ hardly ਹੀ ਕੋਈ first division ਵਿਚ place ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਗੋਂ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ prospects ਦੇ chances ਬਿਲਕੁਲ nil ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ 1st class ਲੈਣ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਸਰਦਾਰ ਉੱਜਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ unemployment ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਜਾਂ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਧੂੜ ਕਿਉਂ ਪਾਂਦੇ ਹੋ ! ਅਜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਚਿਹਰੀ ਗਿਆ, ਉਥੇ ਮੈਂ ਇਕਦਮ ਕੋਈ 1,500 ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਜਮਘਟਾ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਲਗਾ ਕਿ 90 ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ posts ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ candidates ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ! ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉ ਕਿ 90 ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ ਜੇ 1500 candidates interview ਲਈ ਆਏ ਹੋਣ ਤਾਂ unemployment ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ unemployment ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪੁਰ ਜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ majority ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ rural areas ਨੂੰ belong ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਰਖਦੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ

ਹੁੰਦੀ । Unemployment ਹਦ ਦਰਜੇ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸ fall back upon ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ poverty ਅਤੇ unemployment ਦੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ communism ਨੂੰ invite ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਇਹੋ ਹਾਲਤ ਰਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਭੁਖ ਦਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਹੜ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਚ, ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ warn ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਪ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ ।

ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਇਸ ਲਈ ਕੇਵਲ ਇਕ ਹੀ ਦਲੀਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ opposition ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਸਿਵਾਏ oppose ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਆਇਆ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ । ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੰਜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ! ਗਲ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ majority ਦੀ ਖੁਮਾਰੀ ਹੈ । ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਇਸ majority ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਹੋਰ ਵੀ ਝੁਰਲੂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇਹ ਹਰ ਇਕ election ਵਿਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਉਹ ਝੁਰਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ; ਉਸੇ ਦੀ ਬਿਨਾ ਪੁਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੋਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਕ All-India personality ਦਾ certificate ਆਪ ਦੇ ਸਾਮਨੇ ਰਖਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ with regard to Hindu Sikh relations ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।

अध्यक्ष महोदय : यह हाऊस में इस वक्त कहना कैसे relevant है ? (How is this relevant to what is being discussed in the House at present?)

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ : ਇਹ ਇਕ quotation ਹੈ ।

अध्यक्ष महोदय : कौन सी अखबार से (From which paper ?)

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ : 13 ਮਾਰਚ ਦੀ Tribune ਵਿਚੋਂ ।

मुख्य मन्त्री : नाम तो बताएं कौन सी personality है ।

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ : ਮਿਸਟਰ ਦੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ । ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਉਚੀ personality ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ—

"The only achievement which stands to the credit of the Congress Government is that it is constantly winning elections in all parts of India. But what is the price that the congress is paying......

अध्यक्ष महोदय : इसका इस debate से क्या ताल्लुक है ।

(How is it relevant to the matter under discussion ?)

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਇਕ quotation ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ debate ਨਾਲ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ।

(Even then how is it relevant?)

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ..

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਹੋ। ਇਸ ਦਾ ਇਸ ਬਜਟ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਕੀ ਹੈ ?

(You are an experienced lawyer. How is it relevant to the Budget?)

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ : ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ relevant ਹਾਂ।

Mr. Speaker: How does it fit in here ?

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ relevantly quote ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਤਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ....

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ quotation convention ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। (I would again tell the hon. Member that citing of quotation of this nature is contrary to the conventions.)

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ : ਨਹੀਂ ਜੀ ! ਮੈਂ ਇਸ ਪੁਰ ਆਪ ਦੀ ਰੂਲਿੰਗ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਇਆ quotations quote ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾ ਨਹੀਂ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਜੇ heat ਹੀ generate ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ।

(If you want to generate heat in the debate then it is different.)

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ : ਚੰਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇਥੇ ਹੀ ਛਡਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਬ, ਹੁਣ ਦੋ ਮਿਨਟਾ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸਾਂ Engineering College ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਵਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਵੀ Madras ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ preference ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੜਕਿਆਂ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਤਨੇ ਕਾਲੇਜ ਖੋਲਨ ਦਾ, ਇਤਨਾ ਸਟਾਫ ਰਖਨ ਦਾ ਅਤੇ ਇਤਨਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਦੇ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ?

ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੋ ਚਾਰ ਸ਼ਬਦ cattle wealth ਬਾਰੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। Cattle wealth ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਕ agitation ਚਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਗਊ ਹਤਿਆ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਹਕ ਵਿਚ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਗਰ ਇਹ ਤਾਂਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ;ਜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ? ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਡੰਗਰ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ stray cattle ਫਸਲਾਂ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਲੋਕੀ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਚ ਵੀ ਛੱਡ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ cattle wealth ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਕ ਬੜੇ ਉੱਚੇ economist ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ "where as at other places man eats the cattle, here the cattle eats the man". ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਗਲ ਹੋਣੀ ਉਲਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ cattle wealth ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ man ਦੇ benefit ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਗਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਮਨੇ ਰਖ ਕੇ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਸਕਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਚਮੁਚ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਇਕ ਭਿਆਨਕ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਈ ਉਚਿਤ ਸਾਧਨ ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤੂਫਾਨ ਵਿਚ ਉਡ ਜਾਉਗੇ।

अध्यक्ष महोदय : मैं हाऊस का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि मुझे आनरेबल मैम्बरान की तरफ़ से काफ़ी requests मिली हैं कि उन्हें बोलने के लिए टाईम दिया जाए। इस तरह कोई सारी 20 या 25 के करीब requests मुझे मिली हैं। किसी ने लिखा है कि मैंने गाड़ी पर जाना है किसी ने कहा है कि ज़रूरी काम जाना है, कोई कहता है कि फलां बीमार है उस को देखना है, इसलिए मुझे पहिले टाईम दे दिया जाए। अगर इसी तरह से ही requests आती जाएं तो आप ही बताएं कि मैं कैसे हरेक को टाईम दे सकता हूं। या यह हो सकता है कि आप time की limit कम कर दें।

(Well, I would like to draw the attention of the House to the fact that I have received a number of requests from the hon. Members requesting that they may be given time to speak. I have received twenty or twenty five requests in all. One hon. Member says that he has to catch the train, the other says that he has got some urgent piece of work, yet another has asked for time to speak first because he wants to go to see some one who is unwell. If requests continue pouring in like this how can I accommodate everyone. One thing can be done and that is that the time limit may be reduced.)

श्री राम चन्द्र कामरेड (नूरपुर) : स्पीकर साहिब। हसूले आज़ादी के वक्त से लेकर हिन्दुस्तान और हमारे तमाम सूबजात में तामीर-ओ-तरक्की की जानिब जो कदम बढ़ाए गए हैं उस के लिए हमारी मुल्क की हकूमत को हर तरफ से—मशरिक और मग़रिब से—मुबारकबाद मिल रही हैं। मैं ने जो लफज़ सूबजात कहा, उस में पंजाब भी आ जाता है। मुझे इस बात का अफ़सोस है कि हमारे बाज़ दोस्त ऐसे हैं जिन्हें हर जानिब बुराई ही बुराई

[श्री राम चन्द्र कामरेड]

नज़र आती है। लेकिन असल बात यह है, स्पीकर साहिब, आप को मालूम ही होगा कि एक ऐसा रोग भी है जो जब किसी पर गालब हो जाता है तो उसे हर तरफ़ पीला ही पीला नज़र आने लगता है। वैसे तो दुनिया में हरेक रंग मौजूद हैं। पर बात यह है कि अच्छा नज़र आने वाले को अच्छा दिखाई देता है और बुरी नज़र से देखने वाले को बुरा। जैसे एक बार गांधी जी ने Miss Meo के मुतअल्लिक कहा था कि 'she has done the job of a drain inspector. ठीक वही हालत मुझे यहां नज़र आ रही है कि आज इन्हें हर तरफ बुराई ही बुराई नज़र आती है।

स्पीकार साहिब! आप अगर जरायम की तरफ देखें तो मालूम होगा कि ये अब मुकाबलतन कम हैं। यही चीज़ सूबे की दीगर इसलाहात के बारे में कही जा सकती है। Administration को decentralise करने के लिए और इनसाफ को लोगों के दरवाज़े तक पहुंचाने के लिए इस साल यह step उठाया गया है कि सूबे में Sub-Divisions बना दिए गए हैं। जो लोग अपने मुकदमात वगैरा के लिए

5 p. m.

ज़िला के headquarters पर जाते थे उन की, Sub-Divisions खोले जाने के नतीजा के तौर पर, तकलीफ काफी हद तक रफ़ा हो गई है। Sub-Division Officers नज़दीक हो गए हैं। वे आसानी से अपने इलाकों का दौरा कर सकते हैं। लोगों की शिकायात सुन सकते हैं। इस तरह सब को बहुत इतमीनान हो गया है।

हाल ही में सरकार ने जो कुछ सरकारी मुलाज़मों की categories की तनखाहों में जो नज़रसानी की है मुझे यह देख कर खुशी हुई है कि इस से मुलाज़मों की बड़ी काफी तस्सली हो गई है। लेकिन, स्पीकर साहिब मैं इस सिलसिले में अपनी सरकार से कहूंगा कि यह एक कामिल इलाज नहीं है। वक्त आ गया है जब कि हमें चाहिए कि तनखाहों के इस सारे ढांचे को बदल दें। हम अब एक Socialist pettern की हकूमत कायम करना चाहते हैं इस लिए जितने भी छोटे मुलाज़म हैं उन को relief देना चाहिए। जो school teachers की शिकायतें हैं उन की demands पर सरकार हमदर्दी के साथ गौर करे और उन की बेचैनी को दूर करे।

स्पीकर साहिब, इस बात के लिए भी मैं सरकार को बधाई देता हूं जो उन्होंने फैसला किया है कि अगर कोई अफसर या कोई और सरकारी कर्मचारी अच्छा काम नहीं करता है तो उस को 10 साल की service के बाद retire किया जा सकेगा। यह एक बड़ा भारी कदम है जिस से अफसरान अपने काम में दिलचस्पी लेंगे और उन की efficiency बढ़ेगी और वह अपनी efficiency को बढ़ाने की ज़्यादा कोशिश करेंगे। इस के साथ ही हमारी सरकार ने यह भी फैसला किया है कि आयंदा आम तरक्कियात seniority के basis पर नहीं बल्कि merit के basis पर दी जाएंगी। जहां तक असूल का सवाल है इस पर कोई एतराज़ नहीं किया जा सकता। स्पीकर साहिब, मुझे Railways की services का कुछ तजरुबा हासिल है। वहां पर भी जब तरक्की seniority को छोड़ कर merit पर दी जाती है तो वह एक Selection Board ही करता है। अगर यह न हो तो favouritism होने

का बड़ा खतरा हो जाता है । इस favouritism का कोई इलाज करना चाहिए । Railway की तरह यहां भी अगर तरक्की seniority की बजाए merit के लिहाज़ से दी जानी हो तो यह चीज एक Selection Board करे और उस Selection Board के मैम्बर बड़े अच्छे और काबले एतबार होने चाहिएं ।

स्पीकर साहिब, मैं अपनी हकूमत को इस बात के लिए भी मुबारकबाद देना चाहता हूं कि इन्होंने मरकज़ी हकूमत से यह वायदा ले लिया है कि भाखड़ा-नंगल में खाद का कारखाना लगाया जाएगा । इस कारखाने के लग जाने से एक तो हमारे सूबे के लोगों को काम मिलेगा और बेकारी जो आज कल हमारे लिए एक अहम मसला बन चुका है वह काफी हद तक दूर हो जाएगी । इस के साथ ही जो खाद की कमी हमारे सूबे में इस वक्त है वह दूर हो जाएगी ।

स्पीकर साहिब, इस के बाद मैं अपनी सरकार को इस के लिए भी मुबारकबाद देता हूं जो इस ने ज़मीन के दाखल खारज के लिए कदम उठाया है । अब इस ने इन्तकाल चढ़ाने का automatic system बना दिया है । पहले लोगों को इन्तकाल चढ़ाने के लिए बड़ी कोशिश करनी पड़ती थी और कई कई रोज़ कचहरियों में जाना पड़ता था । अब यह अपने आप हो जाएंगे । यह हमारी सरकार का एक भारी कदम है ।

फिर चंडीगढ़ की तामीर में काफी तरक्की हुई है । इस के लिए भी मैं अपनी सरकार को बधाई देता हूं लेकिन मैं इस का ध्यान इस बात की तरफ भी दिलाना चाहता हूं कि यह जो इस ने मकानों के 14 दर्जे बनाए हैं यह ठीक नहीं किया । यह दर्जाबन्दी हमारे आदर्श के खिलाफ़ जाती है । जो मकानात छोटे दर्जे के मुलाज़मों के लिए बनाए गए हैं वह बहुत छोटे हैं, और ठीक नहीं हैं । हां वह उन मकानात से बहतर हैं जो उन लोगों के लिए पहले बनाए जाते थे । इस बारे में मैं एक बात और कहना चाहता हूं और वह यह है कि बिदेशी मुल्कों में मकानात लोगों को तनखाह की बिना पर नहीं दिए जाते बल्कि वहां इस बिना पर दिये जाते हैं कि उन का कुन्बा कितना है । बड़े कुन्बे वाले को बड़ा मकान दिया जाता है और छोटे वाले को छोटा । हमारी सरकार को भी वही असूल यहां भी अपनाना चाहिए ।

मैं अपने वज़ीर आबपाशी को भी मुबारकबाद देना चाहता हूं क्योंकि भाखड़ा-नंगल पर बड़ी कामयाबी के साथ काम हो रहा है । बहुत सी नहरें बन कर तैयार हो चुकी हैं और बाकी के लिए उम्मीद की जाती है कि इस साल मुकम्मल हो जायेंगी । मुझे इस बात पर गिला भी है कि कांगड़ा ज़िला में पानी की बहुत कमी है और वहां के लिए इस बजट में कोई provision नहीं किया गया । हो सकता है कि इस के सामने बहुत सी दीगर तजवीज़ें हों लेकिन मेरी अर्ज़ है कि कांगड़ा ज़िला जो कि बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है इस को top priority क्यों नहीं दी जाती ।

सिंचाई मंत्री : Irrigation की item पर फिर बोल लेना जब उस की demand सभा के सामने आएगी ।

श्री राम चन्द्र कामरेड : मालूम नहीं कि तब उस demand पर बोलने के लिये मेरी बारी आएगी या नहीं। इस में अब ही थोड़ी चीजें इस बारे में कह देता हूं। स्पीकर साहिब दूसरे इलाकों के लिए तो करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है लेकिन कांगड़ा की तरफ कम ध्यान दिया जा रहा है। मैं ज़िला होशियारपुर के भाईयों को मुबारकबाद देता हूं कि उन के chos को train करने के लिए डेढ करोड़ रुपया रखा गया है। इसी तरह दूसरे ज़िलों की नहरों के लिए करोड़ों रुपए का इन्तजाम किया गया है लेकिन कांगड़ा ज़िला जोकि सारे सूबे का एक-चौथाई हिस्सा है इस के लिए अगर इस सूबे की 30 करोड़ आमदनी में से इस जिला के लिए अगर दो या अढ़ाई करोड़ रुपया रख लिया जाए तो कोई बड़ी बात न होगी। यह किस से छिपी हुई बात है कि उस इलाके में इतनी गरीबी है कि वहां के अक्सर लोग दूसरे लोगों के जूठे बर्तन साफ़ कर के गुज़ारा करते हैं। मेरे अपने साथी मुझ से कई बार कह देते हैं कि हमारे लिए बर्तन मांजने के लिए एक मुन्डू ले आना। मेरा ज़िला बहुत गरीब है। इस की तरफ ज़्यादा ख्याल दिया जाना चाहिए।

तुगियानी को रोकने के लिए जहां और ज़िलों के लिए इन्तजाम किया गया है वहां ज़िला कांगड़ा के लिए कोई इंतज़ाम नहीं किया गया। इस ज़िला में से बियास दरिया बहता है वह बरसात के दिनों में बहुत कुछ बहा कर ले जाता है और नूरपुर तहसील में वह बहुत तबाही करता है। मैं चाहता हूं कि हमारे मिनिस्टर साहिब इस की तरफ भी ध्यान दें। स्पीकर साहिब ! मैं हकूमत को इस काम के लिए भी मुबारकबाद देता हूं जो इस ने हमारे सूबे में तालीम के फैलाओ को इन्तहा पर पहुंचाया है और इस लिए भी जो वज़ीर साहिब ने technical और agricultural तालीम की तरफ तवज्जुह दी है। इस सिलसिले में मैं अपना फ़र्ज़ अदा करने से कासिर रहूंगा अगर मैं उन की तवज्जुह इस बात की तरफ न दिला दूं कि जैसा कि सारे सूबा में कहीं Medical Colleges या Technical Colleges या Agricultural College हैं हमारे कांगड़ा जिला में इस किस्म का कोई कालिज अब तक नहीं खोला गया। इस लिए मैं उन से दरखास्त करता हूं कि कांगड़ा ज़िला में भी कोई Technical Training College खोला जाए।

स्पीकर साहिब। वक्त थोड़ा है लेकिन मैं यह भी चाहता हूं कि मैं हर एक चीज़ का ज़िक्र कर दूं। एक तो मैं अपनी हकूमत की तवज्जुह रिश्वत स्तानी की तरफ दिलाना चाहता हूं जो Public Works Department में पाई जाती है। अफसरों की तरफ से Labour Co-operative Societies को काम देने में कई तरह की रुकावटें डाली जाती हैं। उन्हें वक्त पर काम नहीं दिया जाता. उन के काम की वक्त पर पैमाइश नहीं की जाती और उन्हें वक्त पर payment नहीं की जाती। मैं वज़ीर आबपाशी से भी दरखास्त करता हूं कि वह भी इन बातों की तरफ ध्यान दें।

एक चीज़ मैं और चाहता हूं कि मैं अपनी सरकार के नोटिस में लाऊं। हमारी सरकार ने शामलात देह की ज़मीनें पंचायतों के हवाले कर के एक बड़ा अच्छा काम किया है। लेकिन हमारे ज़िले में सरकार ने कई ऐसे वन अपने पास रखे हुए हैं जो असल में शामलात देह थे।

इन बनों को सरकारी वन कहते हैं । इन की ज़मीन देहात की मलकियत है । सरकार को चाहिए कि यह भी पंचायतों के हवाले कर दे ताकि इन की आमदनी development के काम आ सके । मैं यह नहीं कहता कि इस सरकार ने ही यह वन अपने कबज़ा में लिए हैं । ऐसा नहीं । यह तो अंग्रेज़ सरकार ने ले रखे थे । परन्तु यह एक अन्याय था जो अब दूर हो जाना चाहिए । स्पीकर साहिब, मैं आप की तवज्जुह उस बड़े शख्स की तरफ दिलाना चाहता हूं जोकि केवल हिन्दुस्तान का ही नहीं बल्कि सारी दुनिया का रहनुमा बन गया है और हमारी यह खुशकिस्मती है कि हम उस की रहनुमाई में काम कर रहे हैं । लंका के साबिका वज़ीर आज़म श्री सेनानाईका ने पिछले दिनों कहा था कि पिछले समय में दुनियां का सब से बड़ा इनसान महात्मा बुद्ध हुआ है और इस ज़माने का सब से बड़ा आदमी पण्डित जवाहर लाल नेहरू है ।

पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने इस तरीके से हमारी रहनुमाई की है कि आज का ज़माना ही नहीं बल्कि आने वाली नसलें भी इन को भारत का ही नहीं बल्कि संसार का निजातदहिन्दा मानेंगी । उन्हो ने हमारी गरीबी के मसले को हल करने, सोसाइटी में मुसावात और आपस में प्रेम लाने के लिए हमारी रहनुमाई की है । उन्होंने इस देश के किसानों और मज़दूरों को ऊपर उठाने की ठानी है । हमें सच्चे दिल से उन की पैरवी करनी चाहिए । हमारे ही मज़दूरों और मज़ारों के मसले हैं, यह हमारे ज़ेर गौर हैं मगर हम अभी तक इन को हल करने की जुरअत नहीं कर सके । बड़ी खुशी की बात है कि हमारे वज़ीर तरक्कियात की तवज्जुह इस तरफ गई है । हमें खुशी है कि इस तरफ भी कदम उठाया जा रहा है । मगर मैं कहना चाहता हूं कि जब तक हम मज़दूरों और मुज़ारों के मसले का पूरा हल नहीं ढूंढ लेते तब तक Social Justice और Socialistic Pattern की सोसाइटी कायम नहीं हो सकती । मैं Indian National Trade Union Congress का मैम्बर हूं । हम चाहते हैं, यानी I. N. T. U. C. चाहती है कि देश की पैदावार बढ़े, सनअत की तरक्की हो । मगर हालात कुछ मज़दूरों के हक में ऐसे हैं और सरकार तथा पूंजीपतियों का रवैया ऐसा है कि हम कुछ ज्यादा कर नहीं पाते । और अमृतसर की हालत बड़ी बिगड़ चुकी है । हफ़ीज़ का शेअर याद आता है :—

अब वह फिक्रमन्द हैं तबीब ने यह कह दिया ।

इश्क है जनूं नहीं मैं इलाज क्या करूं ।।

इस हालत को सुधारने का ज़ोर दार यत्न करें और I. N. T. U. C. आप को पूरा सहयोग देगी । आप ज़रा सरमायादारों को इस बात पर राज़ी कर लें कि वह मज़दूरों से न्याय करें । तभी जो Socialistic Pattern आप लाना चाहते हैं, आ सकता है । मज़दूर खुश होंगे तो आप के सूबे की, मुल्क की सनअती पैदावार बढ़ेगी । मज़दूर सूबे में सनअती अमन चाहते हैं, सनअत की पैदावार बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि पैदावार बढ़ेगी तो distribution बढ़ेगी। मगर सनअती अमन और पैदावार बढ़ाने की ख्वाहिश तीनों पार्टियों, गवर्नमेंट, मज़दूर और मालिकान, को होनी चाहिए । अभी मेरे एक दोस्त ने ज़िक्र किया था कि मज़दूरों की बेहतरी के लिए सूबे में काफी काम किया जा रहा है । यह ठीक है, काफी काम किया जा रहा है मगर

[श्री राम चन्द्र कामरेड]

अभी काफ़ी काम ऐसा भी है जिस की तरफ़ जल्दी ध्यान दिया जाना चाहिए । (इस समय अध्यक्ष महोदय ने घन्टी बजाई) स्पीकर साहिब मुझे दो तीन मिनट और दें ।

अध्यक्ष महोदय : आपने सारी stages—हरी बत्ती, लाल बत्ती और घंटी वगैरा निकाल दीं और अब भी 2, 3 मिनट मांग रहे हैं । खैर जो एक दो बातें आप ने कहनी हैं वह 2, 3 मिनट में कह लीजिए । (Indications were made at different intervals with green and red lights and ringing of the Bell reminding you to wind up and finish your speech. You have not heeded any of them arid still demand more time. Anyhow, whatever you have to say, say within two or three minutes.)

श्री राम चन्द्र कामरेड : मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि मज़दूरों के मसले के हल में जो दिक्कत हो रही है वह Labour Commissioner की वजह से है । इक़बाल का एक शेअर है :—

मसजिद तो बना ली पल भर में, ईमां की हरारत वालों ने,
मन अपना पुराना पापी है, बर्सों में नमाज़ी बन न सका ।।

Resolutions तो पास होते हैं कि Socialistic Pattern की सोसाईटी चाहिए मगर काम इस तरफ ज़्यादा नहीं हो रहा । Labour Commissioner साहिब किसी तरह से मददगार साबत नहीं हो रहे । Trade Employees Act तो है मगर निगरानी कुछ नहीं । Time का कोई ख्याल नहीं रखा जाता, factories वगैरा में कोई निगरानी नहीं होती । अम्बाला को बनारसी दास फलोर मिल के मजदूरों के बकाया का मामला Labour Commissioner के पास गया । Labour Commissioner साहिब ने कहा कि अगर मज़दूरों का बकाया नहीं देते तो यह बतौर Land Revenue के वसूल होगा । फिर कहा कि अगर 24 घन्टों में मज़दूरों को तसल्ली न कराई गई तो सख्त कार्यवाही की जाएगी ; मगर हुआ मामले में कुछ नहीं । अपने आप चुप हो कर बैठ गए । यह मालूम नहीं कि ऐसा क्यों हुआ । यह या तो गवर्नमेंट जाने या Labour Commissioner जाने । मैं वजीर साहिब से दरखास्त करूंगा कि वह इस मामले में जल्दी तवज्जुह दें ।

श्री बनारसी दास गुप्ता (थानेसर) : स्पीकर साहिब, जो बजट आज हाऊस में पेश है मैं उस के लिए सरकार को बधाई देता हूं । इस बजट में बड़ी बात यह है कि यह एक

Welfare State का development का बजट है और इस में पंजाब की तरक्की का काफी ख्याल रखा गया है। पंजाब की बहुत गिरी हुई हालत हो चुकी थी। एक गिरी हुई इमारत की तरह पंजाब की हालत थी। उस हालत को सुधारा गया और सुधारा जा रहा है। मैं महसूस करता हूं कि कोई चीज़ पूरी नहीं होती कोई न कोई कमी रह जाती है। मगर पंजाब ने जो तरक्की की है वह काफी तेज़ रफ्तार से की है। Crime को लीजिए। यहां यह कहा गया कि Crime कम नहीं हुए, लिखे कम जाते हैं। हम सब जानते हैं कि अंग्रेजी राज में भी ऐसा ही था। तो आज और उस वक्त के crime figures का मुकाबला करें तो पता चल जाएगा कि कितना फर्क है। मेरे लायक दोस्त सरदार सज्जन सिंह मरगिन्दपुरी कहा करते थे कि देहात में कोई खूबसूरत औरत, नया साईकल या अच्छी घोड़ी नहीं जा सकती थी। क्या आज भी यही हालत है ? जितने मफरूर थे, कातिल थे, बदमाश लोग थे, वह या तो पकड़ लिए गए या मार दिए गए। मैं महसूस करता हूं कि पुलिस ने तरक्की की है। आज देहात में रहने वाले लोग या वह कहीं भी रहने वाले हों महसूस करते हैं कि पुलिस ने बड़ी तरक्की की है। ऐसा मालूम होता है कि पुलिस ने तहैय्या कर लिया है कि सूबे में हर तरह से शांति कायम रखनी है।

फिर मैं वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्हों ने Administration के खर्च को कम किया है। 25 फीसदी से कम कर के 21, 22 फीसदी कर दिया है। आज जबकि ज़माने का खर्च बढ़ता जा रहा है, खर्च में कमी करना मामूली बात नहीं है।

फिर हमें याद है कि किसी ज़माने में दियासलाई की डिब्बी लेने के लिए line लगानी पड़ती थी, आटा लेना हो तो line में खड़ा होना पड़ता था। इसी तरह Sugar और दूसरी ज़रूरियाते ज़िन्दगी line में खड़े हो २ कर लेनी पड़ती थीं। आज आप देखते हैं कि उस ज़माने से कितनी तरक्की हुई है। आज Controls हट गए हैं और तकरीबन सभी ज़रूरी चीज़ें खुली मिलने लगी हैं। और जो बाकी चीज़ें under control हैं, जैसे लकड़ी, कोयला या सीमेंट हैं इन की भी कमी नहीं है। इस लिए इन पर control रखना भी फज़ूल है और इस के लिए अमले का खर्च फज़ूल खर्च है। अगर किसी वजह से यह काम रखना ही है तो इसे Deputy Commissioners के सुपुर्द कर दिया जाए।

फिर मेरे ज़िले में Community Project और Extension Block हैं। इन्हों ने काफी तरक्की की है। देहातों में इन की वजह से गलियां पक्की हो रही हैं और दूसरे तरक्की के काम हो रहे हैं।

फिर मैं ने हिसाब लगाया है कि 9 किसम के कर्ज़े हैं जो लोगों को सरकार दे रही है। मसलन reclamation के लिए, tube-wells के लिए, pumping sets के लिए, खेती के लिए, अनाज के लिए, वगैरा २। इस तरह साढ़े चार लाख रुपया लोगों को कर्ज़ दिया गया। सो लोगों की काफी मदद की जा रही है। Community

[श्री बनारसी दास गुप्ता]

Projects की वजह से सूबे की तरक्की हो रही है। जमींदार हिन्दुस्तान की backbone हैं। इन की आबादी 70 फीसदी है। इन को पंजाब में पूरा फायदा पहुंच रहा है।

एक बात में और कहना चाहता हूं और वह यह है कि पंजाब की मंडियों के अन्दर जहां आगे 10 हज़ार मन अनाज आता था आज १ लाख मन मुन्जी, १ १/२ लाख मन गेहूं, चावल, चने की जिनसें आईं। ऐसा क्यों हुआ ? इस लिए कि सरकार की तरफ से ज़मींदारों की मदद की गई। उन्हें वक्त पर इमदाद दी। उन्हें हर सहूलियत मुहैया की गई।

पंजाब में consolidation का काम कामयाबी से हुआ है। यहां पर मैं यह अर्ज़ कर देना चाहता हूं कि यह काम कसबात में नहीं हुआ। वहां पर consolidation के काम को रोक दिया गया है और हज़ारों रुपये waste हो गए हैं। मैं सरकार को कहना चाहता हूं कि consolidation का जो काम रह गया है इसे पूरा किया जाए। इस काम में जो कानूनी कमी है उस को खत्म कर दिया जाए।

फिर स्पीकर साहिब, देहातों के लिए common land छोड़ने का हुक्म था लेकिन अब Land Reclamation Act के मातहत इस land को भी इस्तेमाल में लाया जा रहा है। इस से देहातों में रहने वाले गैर-ज़मींदार दु:खी हैं। उन के पास अपने डंगरों को खड़ा करने की भी जगह नहीं। इस लिये यह बहुत ज़रूरी है कि इस का कोई प्रबन्ध किया जाए।

अब मैं टी. बी. के इलाज की बात लेता हूं। यह मर्ज़ दिन बदिन बढ़ रहा है लेकिन इलाज बहुत महिंगा है। हमें चाहिये कि हम इलाज को सस्ता करें। इस सिलसिले में चलता फिरता हस्पताल होना चाहिए ताकि लोगों को सस्ता इलाज मिल सके।

एक अर्ज़ और मैं Irrigation के बारे में करना चाहता हूं वह यह है कि हमारे इलाके में water logging बहुत है। बारह महीने घरों के आगे पानी रहता है। कई बार इस सिलसिले में representation भेजे, दरखास्तें की, पर कोई तवज्जो नहीं की गई।

पंजाब सरकार ने नहरें निकलवाई हैं लेकिन इन का पानी कुरूक्षेत्र के इलाके को नहीं लगता। पहले लोगों को बताया गया था कि नहर से इस इलाके को पानी मिलेगा पर यहां तो न जाये मांदन न पाए रफतन वाली बात है। नहर का पानी इस इलाके को नहीं लगता और जगहों को लगता है। कुरूक्षेत्र के पास से minor गुज़रती है पर इस इलाके को पानी नहीं मिलता। पानी की कमी को पूरा करने के लिये tube-well लगाए जाने चाहियें।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं वह यह कि Property Tax जो मकानों पर लागू है नहीं लगाना चाहिए। मैं यह अर्ज़ करता हूं कि 20 रुपए माहवार की जो Property Tax में remission है वह नहीं होना चाहिये और उन मकानों पर टैक्स न लगाऐ जाएं जहां कि मकान का मालिक खुद रहता हो।

फिर जैसा कि देहातों में छोटी छोटी बातों का फैसला करने के लिए सरकार की तरफ से पंचायतें बना दी गई हैं वहां कसबात में भी ऐसे कैम्प बना दिए जाएं जहां कि छोटे छोटे मुकदमात को सुना जाए और फैसला दिया जाए ताकि लोगों को इन मुकदमात के लिए ज़िला में न जाना पड़े ।

एक बात और मैं अर्ज़ करना चाहता हूं वह यह है कि पंजाब सरकार के दफ्तरों में काम कराने में बहुत देर लगती है । पंजाब के lay man के लिये काम कराना मुश्किल हो जाता है । उस का काम सरकारी दफ्तरों में इस तरह हो जाना चाहिये जैसे कि डाकखाने में रजिस्ट्री हो जाती है । वह यह न कहे कि मेरे साथ कोई M. L .A. नहीं है इस लिये काम नहीं होगा ।

श्री बालू (फतहाबाद) : आदरणीय स्पीकर साहिब ! जो नये साल का बजट पेश किया गया है मैं उस की तरफ हाऊस के मेम्बरों का ध्यान दिलाना चाहता हूं । बजट को बाहर से देखें तो इस का रंग रूप अच्छा नज़र आता है । अन्दर से लाईनें भी सीधी सादी दिखाई देती हैं लेकिन जब इस को ग़ौर से देखा जाए और पढ़ा जाए तो इस में सिवाए ग़लतियों के और कुछ नज़र नहीं आता ।

इस हाऊस के मेम्बर इस Budget को पढ़ कर पहले तो बधाई देते हैं और कहते हैं कि गवर्नमेन्ट ने अच्छा बजट पेश किया है पर इस के साथ ही एक "लेकिन" लगा देते हैं ।

मुझे "लेकिन" पर एक मिसाल याद आ गई है । एक गांव का आदमी कहीं बाहिर गया हुआ था । वह कई दिनों के बाद घर लौटा । रास्ते में उसे गांव का एक आदमी मिला । उस से घर के बारे में पता किया तो गांव के आदमी ने जवाब दिया कि तुम्हारे घर में सब राज़ी हैं "लेकिन" । लेकिन क्या ? लेकिन तुम्हारा कुत्ता मर गया है । कुत्ता कैसे मरा ? कुत्ता इस तरह मरा कि तुम्हारी भैंस मर गई थी और कुत्ते को दूध न मिला । अच्छा तो भैंस भी मर गई । वह कैसे मरी ? गांव वाले ने जवाब दिया कि तुम्हारा लड़का बीमार हुआ और मर गया इस लिए भैंस को चारा वक्त पर न मिला तो भैंस मर गई । गर्ज़ें यह कि सारे घर का सत्यानास इस "लेकिन" में हो गया ।

इसी तरह हमारे मेम्बर बजट को पढ़ कर कहते हैं कि बजट अच्छा है

(At this stage Mr. Deputy Speaker occupied the chair).

बजट के ऊपर मेम्बर पहले तो बधाई देते हैं लेकिन इस "लेकिन" में वह बजट की बुराई करते हैं । तो मेम्बरों को पहले ही सोच लेना चाहिए कि वह बजट पर क्यों बधाई देते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप बजट पर बोलें । मेम्बरों के बारे में कुछ न कहें ।

(Please speak on the Budget. Do not bring the hon. Members into the discussion.)

श्री बालू : स्पीकर साहिब ! जब बजट रखा जाता है तो कहा जाता है कि सब ठीक है । कोई नया टैक्स नहीं है । लेकिन आप देखें तो पता चलेगा कि कोई भी टैक्स बाकी नहीं रह गया । मुर्गियों पर भी टैक्स लगा दिया गया है । छोटे छोटे जानवरों पर भी टैक्स लगा

[श्री बालू]
दिया गया है । कुत्तों पर भी टैक्स है । इन्होंने किसी चीज़ को भी नहीं छोड़ा है ।

फिर कहते हैं हम ने हरिजनों के लिए बहुत कुछ किया है । बजट में इन्होंने लिखा था कि 25 लाख रुपया हरिजनों की तरक्की के लिए रखा गया है । चौधरी लहरी सिंह कहते हैं कि नहरें कौन लाया है । सड़कें किसने बनवाई हैं ।

डिप्टी स्पीकर साहिब ! मैं चौधरी साहिब से यह अर्ज़ कर देना चाहता हूं कि नहरें अगर बनवाई हैं या सड़कें बनवाई हैं तो यह पब्लिक पर अहसान नहीं किया है । चौधरी साहिब कहते हैं कि आज से पहले श्री राम चन्द्र जी आए तो रामायण बना गए । नहरें नहीं बनवाईं । श्री कृष्ण आए तो वह गीता बना कर चले गए । नहरें तो मैं लाया हूं । तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि जिस गवर्नमेंट की, जिस पार्टी की हकूमत होती है क्या उस का फर्ज़ नहीं हो जाता कि वह देश की उन्नति के लिए ऐसी चीज़ें सोचे ?

स्पीकर साहिब, मैं मिनिस्टर साहिब से पूछना चाहता हूं कि जब अंग्रेज़ की हुकूमत थी तो क्या उन्होंने अरबों रुपया लगा कर सड़कें नहीं बनाईं ।

सिंचाई मंत्री : क्या यह बजट पर बहस हो रही है या लैक्चर दिया जा रहा है ।

Mr. Deputy Speaker : The hon. Member is making his maiden speech.

श्री बालू : स्पीकर साहिब ! मैं कह रहा था कि यह किसी का एहसान नहीं और न किसी के घर के पैसे लगे हैं । यह जनता के पैसे हैं जिस से यह सड़कें बन रही हैं । मिनिस्टर साहिब जब कभी बाहिर दौरे पर जाते हैं तो अपनी तकरीरों में पब्लिक को विश्वास दिलाते हैं कि उन की भलाई के काम किये जा रहे हैं लेकिन जब यहां आ कर अपनी गद्दियों पर बैठ जाते हैं तो ग़रीबों का खून चूसने लग जाते हैं । मैं कहूंगा कि उन्हें ऐसी बातों से ग़ैरत आनी चाहिए । डिप्टी स्पीकर साहिब ! मैं इस सिलसिले में चौधरी सुन्दर सिंह, लेबर मन्त्री के बारे में बता देना चाहता हूं कि.....

उपाध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर । आप बजट पर बोलें ।

(Order, order. Please speak on the Budget.)

श्री बालू : डिप्टी स्पीकर साहिब, मैं यह बताना चाहता हूं कि दोना गांव में चौधरी सुन्दर सिंह, लेबर मिनिस्टर ने एक आदमी से रिश्वत ली और उन्होंने रुपए लेने पसन्द न किये बल्कि उन के बदले में एक भैंस ले ली । अगर मिनिस्टरों का यह इखलाक है तो छोटे अफसरों का क्या हाल हो सकता है । यहां बापू जी की तसवीर दिखा कर हरिजनों को धोका दिया जाता है कि गवर्नमेंट ने हरिजनों के लिए बहुत कुछ किया है और कहते हैं कि बजट में कुओं की मुरम्मत के लिए रुपये का प्रबन्ध कर दिया है । लेकिन जब सवाल आता है रुपए का तो वह अपने हाथ पीछे खेंच लेते हैं । बजट के अन्दर लिखा है कि दो करोड़ रुपया आयंदा बजट में दिया जाएगा । मैं कहूंगा कि दो करोड़ रुपए की ज़मीन क्यों नहीं दे देते ताकि वह लोग अपनी रोज़ी कमा सकें ।

श्री अभय सिंह (रिवाड़ी) : डिप्टी स्पीकर साहिब ! इस बात से किसी को इन्कार नहीं हो सकता कि हमारे सूबे ने पिछले तीन चार सालों में काफी तरक्की की है । हमारा खुराक का मसला खातर खाह तरीके से हल हो गया है । और अब अनाज पर किसी किस्म की पाबन्दी

नहीं । Development की तरफ भी गवर्नमेंट की तरफ से काफी कोशिश हो रही है और भाखड़ा-नंगल स्कीमों को कामयाब बना कर हमारे सूबे ने काफी तरक्की की है । सड़कों की तरफ भी काफी ध्यान दिया गया है और जहां तक तालीम के महकमे का सवाल है वहां भी काफी तरक्की हुई है । इस के अलावा Community Projects और Extension Schemes को मुख्तलिफ मुकामों पर जारी कर के गवर्नमेंट ने प्रांत में काफी development की है । जहां तक इस साल के बजट का सम्बन्ध है, डिप्टी स्पीकर साहिब यह देखने में आता है कि पिछले सालों के मुकाबले में इस साल बजट में ज्यादा रुपया मुहैय्या किया गया है और इस के लिए हमारे वज़ीर खज़ाना मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं । गवर्नर साहिब ने अपने ऐड्रस में फरमाया था कि हमारी गवर्नमेंट backward tracts के लिये इस नये साल के बजट मे काफी रुपया मुहैय्या करने लगी है और beneficent कामो यानी तालीम के महकमे पर और सारे development के कामों में काफी सहूलियत दे रही है और इस पालिसी का ऐलान हमारी गवर्नमेंट कई दफा कर चुकी है लेकिन 1955-56 का बजट अगर किसी layman के सामने रखा जाए तो उस का पहला impression यह होगा कि इस में सिवाए चंद ज़िलों के जिन का नाम बार बार आता है दूसरे ज़िलों को काफी ignore किया हुआ है और गुड़गावां ज़िले का नाम तो शाज़ोनादर ही कहीं कही आता है । पिछले बजट सैशन की स्पीच में हमारे चौधरी साहिब वज़ीर आबपाशी ने बताया था अपनी तकरीर में कि अगले साल के बजट में गुड़गांव के लिए करोड़ों रुपए आबपाशी की स्कीमों पर खर्च करेंगे मगर अब जब इस बजट को देखते हैं तो एक पैसा भी..................

सिंचाई मंत्री : मैं माननीय मैम्बर से कहूंगा कि वह कम से कम इस बजट को पढ़ तो लें ।

Mr. Deputy Speaker : Order, Order. No interruptions, please.

श्री अभय सिंह : मैं आपकी मार्फत यह पूछना चाहता हूं कि वह करोड़ों रुपया जो इस साल में रखना था वह कहां चला गया । हमारे ज़िले गुड़गांव के लोग बहुत backward हैं और इस में रिवाड़ी की तहसील बहुत रेतली है । ज़्यादा ज़मीन बगैर आबपाशी के बंजर ही पड़ी रहती है । भाखड़ा की नहर का हमारे पड़ौसी इलाकों में आने से यह असर होगा कि हमारे यहां के लोग जो काफ़ी अनाज पैदा करेंगे वह सस्ती लागत पर पैदा होने वाले अनाज से compete नहीं कर सकेंगे । इस तरह से हमारे लोगों का काश्तकारी का काम छोड़ना पड़ेगा । मैं चौधरी साहिब से निवेदन करूंगा कि जब कि उन्होंने Bhakra Dam पर 98 करोड़ रुपया सरफ किया है तो उस के पानी का कुछ हिस्सा गुड़गांव ज़िले को भी तो ज़रूर मिलना चाहिए ।

इस के लिए मैं कुछ suggestions पेश करना चाहता हूं । गुड़गांव के लिए जो Gurgaon Canal Project तजवीज़ किया गया था वह फिर जारी किया जाए । मातनहैल माइनर को extend कर के रिवाड़ी तहसील के लिए पानी मुहैय्या किया जा सकेगा । इस पर ज़्यादा रुपया दिया जाए और जो रुपया दिया गया है उस से काम नहीं चलेगा ।

[श्री अभय सिंह]

बाद में नहर के बदले tube-wells के बारे में ऐलान किया गया था आज चौधरी साहिब ने एक सवाल का जवाब देते फरमाया था कि वह भी 1956-57 से पहले नहीं लग सकते । हमें कोई इमदाद नहीं मिल रही है ।

(At this stage Minister for Irrigation rose in his seat but Shri Abhai Singh did not give way.)

सिंचाई मंत्री : मैं आप की इजाज़त से एक चीज़ explain करना चाहता हूं । इन्होंने कहा है कि गुड़गांव के लिए एक पैसा भी नहीं रखा गया ।

Mr. Deputy Speaker : Order, Order.

Minister for Irrigation : He has made a wrong statement. I have to controvert it.

Mr. Deputy Speaker : He has not given way.

(Cries of Order, Order)

सिंचाई मंत्री : मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि गुड़गांव की नहर के लिए 48 लाख रुपए रखे गए हैं ।

Mr. Deputy Speaker : Order, order.

Minister for Irrigation : He must not be irrelevant

श्री मनी राम : On a point of order, Sir. मैं इस बात पर आप की ruling चाहता हूं कि जब कोई मैम्बर बोल रहा हो तो किसी मिनिस्टर को खड़े हो कर उसे interrupt करने का हक है ?

सिंचाई मंत्री : जब वह गलत बातें कहें तो क्या मैं ठीक बात न बताऊं ।

Mr. Deputy Speaker : I would request the hon. Minister not to interrupt him.

श्री अभय सिंह : मैं यह कहने लगा था कि अगर सूबे का एक हिस्सा बन्जर पड़ा रहा ।

Minister for Irrigation : I am again surprised, he is showing ignorance at every step.

श्री अभय सिंह : इस में ignorance की कौन सी बात है हकीकत को हकीकत मानना चाहिए जहां तक सड़कों का ताल्लुक है , इस साल हमारे ज़िले में कोई नई सड़क नहीं बनाई गई । हमारे ज़िले में सड़कों की बहुत कमी है ।

जहां तक तालीम का ताल्लुक है हमारे ज़िले में कोई गवर्नमेंट कालेज नहीं है, जबकि बाकी सब ज़िलों में एक या दो गवर्नमेंट colleges हैं। हमारे district headquarters पर Girls High School भी नहीं है ।

फिर जनाब, रिवाड़ी के आधे से ज्यादा गावों में पीने का अच्छा पानी नहीं मिलता । लोगों को खारा पानी ही पीना पड़ता है । लोगों को तीन-चार मील से पानी लाना पड़ता है । रिवाड़ी के लोग जोकि हमारे ज़िले का सब से बड़ा शहर है खारा पानी ही पीते हैं । एक दफा मुख्य मन्त्री जी वहां पर गए थे और उन्होंने पूछा था "आप लोग खारा पानी पीते हैं" मगर फिर भी कोई इन्तज़ाम नहीं किया गया ।

एक Extension Block पिछले दफा रिवाड़ी तहसील के लिए मन्ज़ूर हुआ था, लेकिन पता नहीं वह किस वजह से नहीं मिला । इस लिए गवर्नमेंट से दरखास्त है कि इस दफा रिवाड़ी का नम्बर ज़रूर आना चाहिए ।

जहां तक Executive और Judiciary की separation का ताल्लुक है, मैं गवर्नमेंट को मुबारिकबाद देता हूं, मगर मैं अपने ज़िले की एक बड़ी anomaly की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। गुड़गांव तहसील के मुकदमात और रिवाड़ी तहसील के गुड़गांव में सुने जाते हैं। इस लिए गवर्नमेंट से दरखास्त है कि रिवाड़ी में एक Judicial Magistrate और एक Sub-Judge post किया जाए, क्योंकि लोगों को मुकदमात में पेश होने के लिए 60 मील दूर जाना पड़ता है और खर्च करना पड़ता है।

बिजली के बारे में सुना जाता है कि जहां इसे दिहातों में ले जाने से गवर्नमेंट को नुकसान होगा वहां नहीं ले जाई जाएगी। मेरी दरखास्त है कि इस चीज़ का ख्याल किए बगैर, लोगों की हालत और ज़रूरतों को देख कर ही बिजली को rural areas में ले जाएं ताकि लोगों को फ़ायदा हो।

(*Minister for Irrigation rose to speak*)

ਸ਼੍ਰੀ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ : On a point of order, Sir. ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਐਸ ਵੇਲੇ ਮਦਾਖ਼ਲਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?

Mr. Deputy Speaker : He has the same rights as other members ?

सिंचाई मन्त्री (चौधरी लहरी सिंह) : जनाबे वाला ! मुझे एक काबिल, पढ़े लिखे, LL.B. M.L.A., की तकरीर को सुन कर सख्त हैरानी हुई है। अगर कोई uneducated M.L.A. ऐसी बात करता....

Maulvi Abdul Ghani Dar : Why is he making personal remarks ?

सिंचाई मंत्री: This is not a personal remark मैं हैरान हूं कि एक LL.B. ऐसा statement करें जो बिल्कुल गलत हो। कहते हैं कि जिला गुड़गांव के लिए बजट में एक पैसा भी नहीं रखा गया। हकीकत यह है कि 2,84,000 रुपए की रकम जिला गुड़गांव में bunds बनाने के लिए रखी गई है। Gurgaon Canal Project के लिए 48,11,400 रुपए की रकम provide की गई है, रिवाड़ी के लिए इस बजट में 5 लाख रुपए की रकम provide की गई है; इस साल किसी district के लिए इतना रुपया irrigation के लिए provide नहीं किया गया जितना ज़िला गुड़गांव के लिये किया गया है। मेरा ख्याल है कि मेम्बर साहिब यह किताब (बजट दिखाते हुए) पढ़ कर नहीं आए। इसी लिए वह पिछले साल वाली speech कर दी है कि गुड़गांव के लिए कोई रुपया नहीं रखा गया, इलाका बड़ा खुशक है वग़ैरा २। मैं समझता हूं कि लोगों को Opposition वालों की तकरीरें भी इतनी गुमराह नहीं करेंगी जितनी कि Treasury Benches पर बैठने वाले ऐसे मेम्बर साहिबान की ऐसी तकरीरें। एक educated आदमी के मुंह से ऐसी बातों की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। मालूम होता है कि उन्होंने बजट की किताब का एक हरफ भी नहीं पढ़ा।

[सिंचाई मंत्री]

डिप्टी स्पीकर साहिब ! वे ज़ाहिर करते हैं कि गुड़गांव ज़िले के लिये कितना interest लेते हैं। (*Interruption*)

Mr. Deputy Speaker : No interruption, please.

सिंचाई मन्त्री : जनाब में कहना चाहता हूं कि गुड़गांव ज़िले के लिए वे कुछ भी interest नहीं लेते, M.L.A.s कुछ भी interest नहीं लेते सिवाए इस के कि वे public को गुमराह करें.......

श्री अभय सिंह : on a point of order, Sir. वज़ीर साहिब personal remarks क्यों पास करते हैं ?

सिंचाई मंत्री : में करूंगा।

Mr. Deputy Speaker : No personal remarks please.

सिंचाई मंत्री : Sir, these are not personal remarks. में यह submit करना चाहता हूं कि एक Educated M.L.A. हाऊस के सामने यह कहे कि सरकार ने गुड़गांव ज़िला के लिए कुछ नहीं किया जब कि 48 लाख रुपया एक, 5 लाख रुपया एक और 3 लाख रुपया एक उस ज़िला के लिए रखा गया हो। खड़े हो कर यह कह देना कि बजट में गुड़गांवां जिला के लिये कुछ नहीं रखा गया ज़ाहिर करता है कि M.L.A.s काम में interest नहीं लेते लापरवाही करते हैं और फज़ूल गवर्नमेंट को criticise करके हाऊस का समय नष्ट करते हैं। इन अलफाज़ के साथ में बैठता हूं।

प्रोफैसर मोता सिंह आनन्दपुरी (आदमपुर) : जनाबे वाला ! आज की बहस सुन कर मुझे कोई खास खुशी नहीं हुई। इस की वजह यह है कि दोनों तरफ से कुछ ऐसे अलफाज़ का तबादला हुआ है जोकि हाऊस की dignity के शायां नहीं मालूम होते। इस माहौल को ठीक रखने के लिए जहां आप की मदद की ज़रूरत है वहां hon. Members की co-operation की ज़रूरत है।

सब से पहली बात जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूं वह यह है कि अकसर Finance Minister साहिब और दूसरे वुज़रा साहिबान की तरफ से यह कहा जाता है कि Opposition हमेशा नुकता चीनी करती रहती है और यह कि वह जायज़ और नाजायज़ चीज़ को देख कर समझ कर भी नुकता चीनी करने की आदी है। में उन्हें यकीन दिलाना चाहता हूं कि उन्हें भी ऐसा करना चाहिए कि Opposition के खयालात को अपने दिल में जगह दें और कभी २ उन की बात को मानने की भी कोशिश करें। अगर ऐसा हो गया तो Opposition भी अपना मौजूदा रवैया इख्तियार नहीं करेगी। उन के हाथ में बहुत सारी चीज़ है।

स्पीकर साहिब ! इस दफा का बजट पिछले सारे बजटों से बेहतरीन बजट है यह बात में खसूसीयत से कहता हूं। मैं ने बजट को बार बार पढ़ा है में जानता हूं कि जहां इस बजट के अन्दर खामियां हैं वहां खास २ खूबियां भी ग़ैरमामूली तौर पर मौजूद हैं। एक चीज़ जो मैं ने देखी है वह यह है कि इस बार Finance Minister साहिब ने कई नई चीजें भी लिखी हैं सफा चार पर Balance of Economy के मुतअल्लिक लिखा है। सचमुच उन्होंने वह चीज़ economic point of view से दुरुस्त चीज़ कही है।

उन्होंने बार बार यह बात ज़ाहिर करने की कोशिश की है कि जो कीमतें गिर रही हैं जब तक ज़रई पैदावार और सनअती पैदावार की prices पर control कर के उन के दरमियान balance नहीं पैदा किया जाता उस वक्त तक वह नहीं रुक सकतीं और balanced economy नहीं हो सकती। इस के अलावा उन्होंने एक बात और भी की है। वह यह कि जितनी छोटी २ industries हैं उन पर जो excise duty लगती है इस के खिलाफ उन्होंने Central Government से जबरदस्त protest किया है। यह चीज़ खसूसियत से उन की दलेरी ज़ाहिर करती है। परन्तु मैं उन चीज़ों की तरफ उन की तवज्जुह दिलाना चाहता हूं जिन पर ग़ौर कर के उन को ज़्यादा सुधारने की ज़रूरत है। सब से पहली बात यह है कि किसी देश के मसले एक ही दिन में हल नहीं होते यह दुरुस्त है। जो लोग किसी मुल्क में पैदावार का काम करते हैं मेरा मतलब है जो growers हैं उन के हक को हमेशा के लिए नहीं छीना जा सकता है। हमेशा के लिए उन को अपने हकूक से महरूम नहीं रखा जा सकता। लेकिन मैं ने देखा है कि न सिर्फ उन को अपने हकूक से महरुम किया गया है बल्कि उन्हें और परेशान किया गया है। पैदा करने वाले को उस की मेहनत का सही सिला मिलना तो दरकिनार, टैक्सों के ज़रिए से उस का कचूमर निकाल दिया गया है। अगर मैं टैक्सों का ज़िक्र करने लगूं तो 2, 3 टैक्स तो ऐसे हैं जिन की तरफ hon. Members की ज्यादा तवज्जुह जानी चाहिए। पहला है Surcharge Tax जब तक पूरी तरह settlement न हो जाए किसी हकूमत को यह हक नहीं हो सकता कि वह ऐसा टैक्स जारी करे। मेरा विचार है कि अगर इस Tax के खिलाफ हाई कोर्ट या किसी और court को move किया जाए तो यह Tax उड़ जाएगा। सारी ज़मीनें एक ही तरीके की किस तरह हो सकती हैं? सारी ज़मीनों पर एक ही जैसा Tax कैसे लगाया जा सकता है? इस लिए यह चीज़ economic point of view से ग़लत है। यह ठीक है कि soil betterment tax पहले भी लगाया गया था लेकिन 6 रुपए फी एकड़ से ज्यादा कभी नही लगा। लेकिन हमारे हां 6 रुपए से 80 रुपए तक की ceiling मुकर्रर की गई है। यह बात ठीक नहीं की गई, नहरों और बिजली का बार बार ज़िक्र किया जाता है। नहरें आईं, बिजली भी आई। लेकिन नहरों के आते ही जिस को ऊपर उठाना था उस का गला घोंटा गया। जब पहले पानी छोड़ा गया तो उन्होंने कहा कि हमारी नहरों में जो कमी थी उस को ठीक करने के लिए छोड़ा गया है। लेकिन जब पानी आया तो कहीं इधर छोड़ दिया कहीं उधर छोड़ दिया किसी की खेती खराब हुई और किसी की अच्छी भी हुई लेकिन सब लोगों पर एक जैसा ही टैक्स लगा दिया गया है। नतीजा यह है कि वे लोग दे नहीं सकते और पुलिस उन को परेशान कर रही है। उन को इतना परेशान किया जा रहा है कि आगे वे नहरों का पानी लेने का ख्याल तक भी नहीं करते। अगर किसानों ने अपनी organisation कर ली तो वे नहरों का पानी लेनें से इनकार कर देंगे। यह एक ऐसी चीज है जिस की तरफ मैं Finance Minister का खास ध्यान दिलाना चाहता हूं यह चीज आम लोगों को परेशान करने वाली है।

[प्रोफैसर मोता सिंह ग्रानन्दपुरी]

इस के बाद मैं उस चीज़ की तरफ आता हूं जिस का ज़िक्र फानेंस मनिस्टर ने अपनी बजट स्पीच के अन्दर किया है। वह यह है कि agricultural products की prices बहुत गिर गई हैं। स्पीच में यह बताया गया है कि पंजाब के अन्दर wholesale prices का index सन् 1954 में 98.3 था और यह January, 1955 में गिर कर 83.5 पर आ गया लेकिन मैं पूछता हूं कि अब भी क्या position है? अब यह और भी ज्यादा गिर गया है और 72.5 आ गया है। और 72.5 से गिर कर 53.3 पर पहुंच गया। इस तरह एक दम 45 points कीमतें गिर गईं। Commodities की individual कीमतों को आप लें। गेहूं की कीमत 14 रुपए से 12 रुपए और 12 से 11 रुपए पर पहुंची और अब यह आठ रुपए पांच आने तक आ गई है। कीमतों के इस तरह suddenly fall करने की एक और भी वजह है। वह यह है कि अनाज की movement का zone बहुत थोड़े इलाके तक restrict किया हुआ है। यह area Punjab, Pepsu और Himachal Pradesh को ही cover करता है। इस से बाहर गेहूं और कहीं नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी मुझे खुशी है कि Finance Minister साहिब ने इस problem पर ग़ौर किया है। यह उन की speech का एक heartening feature है कि उन्होंने भी इस बात को advocate किया है कि अब इन restrictions को हटा दिया जाना चहिए। लेकिन मैं यह कहता हूं कि restrictions को हटाने के साथ ही गवर्नमेंट का यह फर्ज़ है कि adequate transport facilities मुहैया की जाएं—गेहूं की export के लिए मैं जानता हूं कि जब तक यह नहीं किया जाएगा गेहूं की कीमतें नहीं बढ़ेंगी और जब तक यह कीमतें नहीं बढ़तीं किसान की किस्मत नहीं बदलेगी। गेहूं एक staple food है। किसान की existence ही गेहूं और कपास पर depend करती है। कपास की कीमतों का भी यही हाल है। 35 रु. से गिर कर यह अब 15 या 16 रु. तक आ गई हैं।

मुझे एक चीज़ देख कर और भी हैरानी हुई कि urban areas में भी जो लोग पैदावार कर रहे हैं वह भी आलू वगैरा कर रहे हैं। जब सब्जियों को मैं देखता हूं तो पता लगता है कि गोभी जो पहले 50 रु. मन थी अब 10 आने मन है। आप ही बताएं कि इस हालत में क्या लोग जिन्दा रहेंगे या मर जायेंगे। आखिर इस के बदले उसे और क्या provide किया जा रहा है ताकि वह जिन्दा रह सके। उस की जो ज़मीन थी वह भी अब आप ने नीलाम करनी शुरू कर दी है। जब वह protest करता है तो आप उस को जेल में डाल देते हैं। औरतें जेल में जा रही हैं। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने अभी तक इस तरफ़ कोई ख्याल ही नहीं किया। पहले तो वे पाकिस्तान से मुसीबत-ज़दा होकर आए लेकिन अब उन के लिए हिन्दुस्तान के अन्दर एक नया पाकिस्तान बनाया जा रहा है। उन को परेशान किया जा रहा है। मुझे खुशी है कि फाइनेंस मिनिस्टर साहिब ने इन गिरती हुई कीमतों को महसूस किया है और एक right direction में कोशिश करनी शुरू की है। लेकिन मैं यह कहना चहता हूं कि इस चीज़ में ज़्यादा ज़िम्मेदारी सैण्ट्रल गवर्नमेंट की है। हमारी गवर्नमेंट की इस में इतनी ज़िम्मेदारी नहीं। लेकिन फिर भी मैं

6 p.m.

चाहता हूं कि हमारी गवर्नमेंट सैण्टर पर इतने ज़ोर से दबाव डाले ताकि इन गिरती हुई prices को arrest किया जा सके । और मुल्क में किसी किस्म का कोई खतरा न पैदा हो ।

ਸ੍ਰੀ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ : ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ ?

प्रोफैसर मोता सिंह आनन्दपुरी : मुझे आप और सरकार, इन सब को खतरा पेश आएगा इस लिए इस को वक्त से पहले ही रोकने की ज़रूरत है ।

इस के आगे खसूसियत से एक बात जिस का मैं जिक्र करना चाहता हूं वह है law and order और General Administration के मुतअल्लिक । General Administration के मुतअल्लिक जो पालिसी अब declare की गई है; मैं उस पर बहुत हैरान हूं । मैं हैरान हूं कि इस तरह से जो services होंगी उन के सिर पर हमेशा के लिए एक तलवार लटका दी गई है कि अगर तो वे लोग हकूमत के yesmen बने रहेंगे चाहे वे मेहनती हों, दयानतदार हों, ईमानदार हों लेकिन अगर उन्होंने अपने हाकिमों को खुश न किया तो 10 साल के अन्दर बाहर निकाल दिए जाएंगे—कोई पूछने वाला नहीं है । यह एक ऐसी चीज़ है जिस ने हमारी Services में एहतमाद पर बहुत ज़बरदस्त वार किया है । इससे जो incentive होता है काम करने का वह उन के अन्दर नहीं आएगा । हो सकता है कि यह step किसी अच्छे इरादे से लिया गया हो लेकिन लाज़मी तौर पर इस का यही नतीजा होगा कि बुरे आदमी तो services में रह जाएंगे पर अच्छे नहीं रहेंगे—वह पहले मौके को हासल करेंगे कि किसी तरह से हम चले जाएं या अगर उन्होंने अपनी ईमानदारी को, नेकनियती को सामने रख कर काम करने का संकल्प किया तो इस तरह वे अपने हाकमों को खुश नहीं रख सकेंगे और खुद-बखुद नौकरी से retire कर दिए जाएंगे । आखिर कौन होगा उन को निकालने वाला ? कौन है वह मुनसिफ़ मिज़ाज जिस के हाथों में key है कि सही आदमी को निकाल दे और बद को रख ले ? इस पर ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता । पर मैं, स्पीकर साहिब, यह कहे बिना नहीं रह सकता कि इस policy ने—10 साल तक retirement की पालिसी ने, उन के दिलों में एक डर पैदा कर दिया है—एक खौफ़ पैदा कर दिया है जिस का ज़्यादा देर तक चलते रहना खतरे से खाली नहीं ।

दूसरी चीज merit और seniority के बारे में कही गई है । यह तो ठीक है कि administration को चलाने के लिए merit का ख्याल रखना ज़रूरी है । लेकिन जो senior हैं आखिर जब उन को recruit किया गया होगा तो वहां पर भी merit का ख्याल रखा गया था । मुझे बताएं कि क्या merit पर नहीं रखा गया था ? अगर नहीं रखा गया था तो मैं समझता हूं कि आप ने एक बड़ी भारी blunder की—एक बड़ा ज़बरदस्त गुनाह किया । हां, अगर उन को merit के बिना पर रखा गया था और अब भी merit के आधार पर रखना है तो इस seniority के साथ merit की distinction कैसी ? इस के क्या मानी हैं ? तो मैं समझता हूं कि ऐसी चीज़ें बिल्कुल बेमानी हैं—ये बजट के अन्दर अच्छी मालूम नहीं देतीं ।

[प्रोफैसर मोता सिंह आनन्दपुरी]

इसके आगे General Administration के अन्दर जो सब से बड़ी बुराई है उस का मैं आप के सामने ज़िक्र करना चाहता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस को पूरा करने के लिए मेरे साथ शामिल होंगे। जहां पर आप ने balanced economy का ज़िक्र किया और यह विश्वास दिलाया कि इस उद्देश्य को पूरा किया जा रहा है वहां मैं समझता हूं कि हमारी administration के अन्दर balance-mindedness का आना भी इनसाफ के लिए बहुत ज़रूरी है। आज हम देखते हैं कि आम लोगों को इनसाफ़ हासिल करना बहुत मुश्किल है। अफ़सर इनसाफ़ करने वाले बद और नालायक हैं। मैं यह नहीं कहता कि सब के सब नालायक और बदकार हैं। मुझे फख्र है कि कई मैजिस्ट्रेट, पुलिस अफसर और डाक्टर बड़े ईमानदार और लायक होंगे। उन की services को जितना appreciate किया जाए थोड़ा है। लेकिन इस से भी ज़यादा बद है मिनिस्टर साहिब। उन के मैजिस्ट्रेट भी ऐसे हैं। स्पीकर साहिब! अगर मैं इस हाऊस में उन का नाम लेकर ज़िक्र करूं तो मेरे ऊपर एक खास ज़िम्मेदारी आ जाती है कि मैं इसी वक्त साबत करूं कि कौन मैजिस्ट्रेट बद और बदकार है। मैं कहता हूं कि मेरे मुंह से इस वक्त नाम न कहलवाओ अगर मिनिस्टर साहिबान चाहें तो मैं उन को बता सकता हूं; proof सामने पेश कर सकता हूं। स्पीकर साहिब, आप हैरान होंगे कि इन अफसरों का चाल चलन और ईमानदारी कैसी ऊंची चोटी की है। एक अदालत के अन्दर मजिस्ट्रेट अपने कमरे में बैठा था। उस कमरे में एक औरत दाखिल हुई। मैजिस्ट्रेट ने कमरे का दरवाज़ा अन्दर से बन्द कर लिया और अपने चपड़ासी को हुक्म दिया कि अन्दर किसी को आने की इजाज़त नहीं। अगर कोई पूछे तो कह देना कि साहिब पूजा-पाठ कर रहे हैं। जब किसी आदमी ने जो उस मैजिस्ट्रेट से मिलना चाहता था चपड़ासी से पूछा तो उसे वही जवाब दिया गया कि साहिब अन्दर पूजा-पाठ कर रहे हैं। उस आदमी ने जवाब दिया कि भाई पूजा-पाठ कैसी! मैंने तो अपनी आंखों से एक औरत को अन्दर आते देखा था जो अभी तक अन्दर ही है, बाहिर नहीं आई!! तो फिर पूजा पाठ का क्या मतलब बड़ी अजीब हालत हो गई उस चपड़ासी की भी कहने लगा कि जनाब आप सब जानते हैं। मैं तो गरीब हूं, मैं हुक्म से मजबूर हूं मुझे मत मरवाओ। यह चीज़ मैंने कमिश्नर, जालन्धर डिविजन को उसी वक्त बताई। लेकिन अभी तक इस बारे में कोई action लिया मालूम नहीं होता। अगर यही हाल रहा तो शायद जल्दी ही वह केस पब्लिक के सामने आजाएगा। इसी तरह और भी केसिज़ हैं जिन्हें अगर यहां बयान करना शुरु किया जाए तो शायद मुझे और कुछ कहने के लिए वक्त ही न मिले। बागी हरनाम सिंह ने तीन मैजिस्ट्रेटों के मुताल्लिक अखबार में कहानियां बयान की जो कि बदकार और गन्दी औरत के पास जाते थे। लेकिन इस की भी कोई परवाह नहीं की गई। तो क्या यही है General Administration की पाकीज़गी? क्या यही है General Administration की खूबियां जिस के कन्धों पर जिम्मेदारी और जिसके हाथों में आप ने इनसाफ़ का तराज़ू पकड़ायां हुआ है? शैक्सपीयर के लफ्ज़ों को अगर मैं quote करूं तो मुझे कहना पड़ेगा कि पंजाब में Justice has taken to itself wings and flown away, अगर कोई इनसाफ़ करने वाला ठीक है और अदालत सही चीज़ करना चाहती है

तो पुलिस वाले खराबियां करते हैं। पुलिस वाले ऐसे हैं कि उन के हाथों में एक चीज़ है—ज़िमनी। अगर कोई एक ज़िमनी ठीक नहीं तो दूसरी बना देते हैं। मैं जानता हूं कि एक ऐसा पुलिस अफसर है जिसके खिलाफ शिकायत की गई। बस उसे revert कर दिया गया। मैं तो कहता हूं कि उसे फांसी होनी चाहिए थी। क्योंकि उस ने कत्ल करवाया था—एक औरत के बदले उस के मालिक का कत्ल करवाया था। यह शामचुरासी के नज़दीक का वाक्या है। उस ने मुलज़िमों को छोड़ दिया क्योंकि मुलज़िम उस के अपने आदमी थे। और किसी बेगुनाह को पेश कर दिया। उन को सैशन कोर्ट ने छोड़ दिया—इस लिये तो मैं कहता हूं कि कोई न कोई आदमी तो अच्छे भी हैं हुकूमत के अन्दर, सब के सब बुरे नहीं। तो स्पीकर साहिब, मैं आप को बताता हूं कि उस के आगे क्या हुआ। जब वह आज़ाद होकर बाहर आए तो उन चारों को कत्ल करवा दिया गया। बस उस के खिलाफ क्या action लिया गया? उसे होशियारपुर से अमृतसर transfer कर दिया।

एक case जालंधर का है वह भी मैं हाऊस के सामने रखना चाहता हूं। वहां किसी ने एक औरत को मार कर उस की सारी body को जला कर उसे एक कूएं में डाल दिया था। जब इस का पता लग गया तो जिस कूएं में वह चीज़ें डाली गई थीं उस ने पुलिस के साथ मिल कर एक जानवर को भी मार कर उस की हड्डियां उसी कूएं में डाल दीं। यह सब कुछ डाक्टर की मर्ज़ी के साथ किया गया था। जब वह सारी हड्डियां उस कूएं से निकाली गईं और अदालत में उस डाक्टर से पूछा गया यह हड्डियां क्या इनसान की हैं या किसी जानवर की। उस ने कहा कि इनसान की भी मालूम होती हैं और जानवर की भी। फिर उस से पूछा गया कि क्या यह male की हैं या female की तो उस डाक्टर ने जवाब दिया कि यह बताना मुश्किल है कि यह male की हैं या female की। इस का नतीजा यह हुआ कि अदालत ने मुलज़म को बरी कर दिया। यह सब कुछ उस डाक्टर की मेहरबानी से हुआ। मैं यह नहीं कहता कि सारे डाक्टर इसी किस्म के हैं और हुकूमत के अन्दर सारे डाक्टर रिश्वत लेते हैं। कुछ अच्छे डाक्टर भी हैं। स्पीकर साहिब, मैं कहता हूं कि अगर यह हालत सूबा के डाक्टरों की, सूबा की पुलिस की और यहां के magistrates की हो तो वह काबले लानत है। सरकार इस बात की enquiry कराए और इस का सबूत मुझ से लिया जाए। यह हालत है सूबा में Law and Order की। इस के मुतअल्लिक मेरे दोस्त सरदार वरयाम सिंह ने तरन तारन के डाके के case के बारे में तो बताया ही है कि किस तरह एक नौजवान graduate लड़की डाकुओं का मुकाबला करती रही। वह बिचारी कितनी देर तक अकेली उन का मुकाबला कर सकती थी। उस का भाई पुलिस को इतलाह देने के लिए चला गया था लेकिन पुलिस मौके पर न पहुंची। वह लड़की मारी गई और डाकू उस की शादी का सारा सामान लूट कर ले गए। पता लगा है कि उन डाकुओं की पीठ पर उस लड़की के पड़ोस का एक आदमी था जो हमारे एक वज़ीर साहिब का आदमी है और वह उसे हमेशा बचा लेते हैं। (कुछ आवाज़ें shame, shame) स्पीकर साहिब कहां है इन का इनसाफ? मैं अभी उस वजीर साहिब का नाम नहीं लेता। आगे किसी मौके पर ले लूंगा। अगली बात जो मैं कहना चाहता हूं......

उपाध्यक्ष महोदय: (घंटी बजा कर) दो मिनट बाकी हैं आप अपनी स्पीच को wind up कर लें। (Only two minutes are left. The hon. member should wind up his speech.)

प्रोफैसर मोता सिंह आनन्दपुरी : डिप्टी स्पीकर साहिब, आप ऐसा करें कि मुझे पांच मिनट और दे देवें ।

अगली बात जो मैं कहना चाहता हूं वह backward classes के मुतअल्लिक है । Backward Classes में 34 castes हैं और यह provisions, President के scheduled castes के बारे Order of 1950 में की हुई है ।

"Only those people can be considered under this category, who profess to be Hindus ...."

मैं ने इस के मुतअल्लिक एक resolution भी दिया है । यह एक Secular State है इस में मज़हब को क्यों लाया गया है । Backward Classes को आप मज़हब की बिना पर न देखें । इन को उन की social backwardness से या economic backwardness से देखा जाना चाहिए ।

एक मंत्री : उन की backwardness को ही देख कर उन्हें यह सहूलतें दी जाती हैं ।

प्रोफैसर मोता सिंह आनन्दपुरी : यह जो एक मिनिस्टर साहिब ने कहा है मैं उन्हें challenge करता हूं वह गलत बयानी करते हैं ।

मुझे समझ नहीं आती कि एक backward class का आदमी backward नहीं रहता अगर उस के मज़हब की conversion हो गई है । अगर एक हिन्दू backward class का आदमी ईसाई हो गया है, मुसलमान हो गया है तो वह कैसे backward नहीं समझा जाता । मैं ने इन वज़ीर साहिबान से इस बारे में बातें की थी लेकिन इन्होंने मेरी एक नहीं मानी थी । लेकिन जब मैंने नेहरू जी से मिल कर इस बात को हल करने की कोशिश की तो उन्होंने मेरी तज़वीज़ को welcome किया। मैं चाहता हूं कि secularism के माने ठीक तौर पर लिए जाएं । Backward Class का एक आदमी अगर मुसलमान हो गया है या ईसाई हो गया है तो उस की गरीबी दूर नहीं हो गई ।

स्पीकर साहिब ! मैं इस के लिए गवर्नमैण्ट के इस action को welcome भी करता हूं जो उस ने अपनी कुछ low-paid services जिन का हुकूमत के अन्दर एक काफी तबका है, उन की तनखाहें बढ़ाई हैं । कुछ Education Department के आदमियों की और कुछ Veterinary Department के मुलाज़मों की तनखाहें बढ़ा दी गई हैं । लेकिन मैं चाहता हूं कि हर किसी सरकारी मुलाज़म की तनखाह कम अज़ कम एक सौ रुपये होनी चाहिए और सच्चर साहिब ने भी कई दफ़ा कहा है कि उन की राए में कम से कम तनखाह लेने वाले की तनखाह कम अज़ कम सौ रुपए होनी चाहे वह चपड़ासी हो चाहे वह कोई और हों । लेकिन स्पीकर साहिब इस बजट में इन चीज़ों को कोई जगह नहीं दी गई और दी भी कैसे जाए यह तो पहले ही deficit budget है लेकिन इस के मुकाबला में अगर कई करोड़ और expenditure अच्छे कामों पर लगा दें तो यह मुबारकबाद के मुस्तहिक हों और यह ख्याल भी न आए कि यह deficit

Budget है। अगर इस Budget में 77 लाख की बजाए 87 लाख का deficit होता और वह दस लाख रुपया इन Subordinate Services की तनखाहें बढ़ाने पर लगाया गया होता तो क्या अच्छा होता।

इस के बाद landless class का सवाल है। अभी तक उन लोगों को ज़मीनें नहीं दी गई। Waste lands को जल्दी से जल्दी reclaim कर के उन्हें दें। यह काम और तेज़ किया जाए ताकि उन को जल्दी से जल्दी वह ज़मीनें दी जा सकें क्योंकि आज यहां बेकारी और बेरोज़गारी का record हो गया है। इस सिलसिले में Employment Exchange ने कुछ figures दी हैं। मैं कहता हूं कि Employment Exchange की figures बेकारी और बेरोज़गारी की सही position बताने के लिए सही index नहीं हैं। आप unemployed persons को लें और खास तौर पर educated unemployed को लें। कितनी बेकारी उन में पाई जाती है। उन में से कितने employment exchange में अपने नाम register कराने जाते हैं। बकारी इस वक्त इतनी ज़्यादा है कि बयान नहीं की जा सकती। उस दिन एक औरत ने जालंधर में तीन दिन रोटी न मिलने के बाद अपने बच्चे को साथ ले कर एक कूएं में गिर कर खुदकुशी कर ली। कितनी ही ऐसी मिसालें हैं। कई educated unemployed गाड़ियों के नीचे सिर दे कर जाने दे देते हैं।

मैं मिनिस्टर साहिबान से अर्ज़ करता हूं कि अगर वह मुल्क को prosperity की तरफ ले जाने के लिए बजट लाएंगे तो हमारी co-operation सदा उन को मिलती रहेगी।

ਸ੍ਰੀ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ : On a point of Order, Sir. ਕੀ Officer's gallery ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ?

Mr. Deputy Speaker : Yes, they are all Officers.

श्री कसतूरी लाल गोइल (असन्ध) : स्पीकर साहिब जो बजट सभा के सामने पेश किया गया है उस को देखते हुए मैं अपने वज़ीर खज़ाना को मुबारकबाद पेश करता हूं। इस में जो भी items of expenditure आए हैं, police के मुतअल्लिक जो भी खर्च किया गया है मैं यह बात दावे के साथ कहता हूं कि वे बड़े जायज़ खर्च हैं मैं एक ऐसे इलाके में रहता हूं जहां राहज़नी, डकेती और चोरियों की इतनी भरमार थी कि कोई आदमी भी एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा सकता था लेकिन आज यह हालत है कि हर आदमी पैसे उछालता हुआ एक जगह से किसी जगह पर भी बगैर किसी खौफ़ोखतर के जा सकता है। उस को अब किसी किस्म का डर नहीं है। मैं तो यह कहता हूं कि अगर इस पर इस से भी ज़्यादा खर्च किया जाए तब भी कोई हर्ज की बात नहीं होगी।

एक मेरे साथी ने कहा था कि National Loan, कौमी कर्ज़ा पुलिस ने दबाव और दूसरे तरीकों से इकट्ठा किया। मैं दावे से कह सकता हूं कि, अपने ज़िले के तजरुबे की बिना पर मैं कह सकता हूं कि यह बात बिलकुल ग़लत है। लोगों ने यह कर्ज़ा अपने प्रधान मन्त्री पंडित नेहरू और अपने Chief Minister भीम सैन सच्चर की आवाज़ पर दिया

[श्री कस्तूरी लाल गोइल]

हैं। यह सारा पैसा किसी किस्म के नाजायज़ दबाव पर नहीं बल्कि लोगों ने अपने प्यारे लीडरों की आवाज़ पर अपने मुल्क की तरक्की के लिए दिया है।

मजमूई तौर पर जहां तक सूबे की तरक्की का सवाल है, मैं इस development पर वज़ीर साहिब को मुबारकबाद देता हूं लेकिन जब मैं हरियाने का नाम लूंगा तो शायद वज़ीर साहिब के दिल में चिड़ पैदा होगी। मगर चीज़ ज़रूर आगे आनी चाहिए। मैं महसूस करता हूं कि जैसे backward classes का ध्यान रखा जाता है इसी तरह backward areas का भी ध्यान रखा जाए। मैंने अर्ज़ किया है कि मजमूई तौर पर सब कुछ ठीक है, मगर करनाल में यह चीज़ नज़र नहीं आती। मैं यह नहीं कहता कि वहां खर्च नहीं हुआ मगर तरक्की सब इलाकों की यकसां होनी चाहिए। वहां जितनी development होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई है। कोई ऐसा नाशुक्रगुज़ार मैम्बर न होगा जो काफी नए स्कूलों के खोलने के लिए सरकार को बधाई न दे। मगर मेरे गांव की आबादी 7 हज़ार है वहां High School खोलने की बार बार अर्ज़ की गई। जवाब मिला कि District Board के पास 16,000 रुपये दाखिल करवा दो। तो मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि जब हम 16,000 रुपये इकट्ठा करके और एक building बनवा कर दें तो हम गवर्नमेंट का एहसान क्यों लें। यह एहसान तो हम तब लें अगर District Board हमें कोई Engineering College या कोई Veterinary कालिज खोल कर दे। सात हज़ार की आबादी है, 10, 10 मील तक कोई High School नहीं है। इस का कुछ न कुछ प्रबन्ध होना चाहिए।

पिछले साल भी मैंने एक सड़क असन्ध ता राजोंद का ज़िक्र किया था। यह दो पुलिस स्टेशनों को मिलाने वाली सड़क सिर्फ 8 मील का टुकड़ा है। कच्ची चिकनी मिट्टी में बरसात के मौसम में मोटरों के पहिए फंस जाते हैं। मैंने चीफ मिनिस्टर साहिब से अर्ज़ की थी और मेरे पास उन की दो साल पहले की चिट्ठी भी है जिस में उन्होंने लिखा था कि यह सड़क मन्ज़ूर हो चुकी है। मगर आज तक कैथल के लोग इस 8 मील सड़क के टुकड़े का तमाशा देखते आ रहे हैं। बारिश के दिनों में उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ का सामाना करना पड़ता है।

फिर आबपाशी का सवाल है। पंजाब में नहरों पर काफी रुपया खर्च हुआ है जो काफी इलाके को सैराब करती हैं। यह साफ दिखाई देता है कि करोड़ों रुपया पंजाब राज्य में नहरों पर खर्च हुआ मगर मेरे हलका में एक नरदक राजबाहा पर कोई खर्च नहीं किया, न ही उस को चौड़ा किया गया और न ही और ज़्यादा पानी दिया गया है। इन सारी बातों को देखते हुए हम अपने वज़ीर साहिब से request करते हैं कि वह कुछ न कुछ रुपये निकाल कर पिछड़े हुए इलाके के लिये भी रखें।

फिर जो छोटे मुलाज़मों की तनखाहें बढ़ाई गई हैं यह सराहना योग्य काम किया है, मगर जिन की तनखाहें बढ़ी हैं उन नौकरियों को देख कर यूं मालूम देता है कि यह सब सिफारिशी बढ़ाई गई हैं। सब से नीचे जो नौकरियां हैं जैसे चपड़ासी पटवारी सिपाही जो 10, 10 12, 12 घन्टे duty देते हैं, सुबह से शाम तक खड़े रहते हैं उन की तन्खाहों को बढ़ाने का कोई ज़िक्र नहीं। मैं मानता हूं कि जिन की तनखाहें बढ़ी हैं जैसे कृषि विभाग के Inspector वगैरा हैं, कानूंगो, तहसीलदार और नायब-तहसीलदार हैं, इन की तन्खाहें ठीक ही बढ़ाई

गई हैं मगर जिन छोटे मुलाजमों की तनखाहों को बढ़ा कर हम समाजवादी ढांचा यहां लाना चाहते हैं, उन की तनखाहें नहीं बढ़ाई गई ।

मेरे साथी कामरेड जी ने मकानों का जिक्र किया था । चन्डीगढ़ के बारे में नेहरू जी ने कहा कि यह शहर पुरानी रवायात से आजाद शहर होगा । मैं तो ऊंच नीच की पुरानी रवायात से ही उन का मतलब समझता हूं । मगर यह ऊंच नीच तो यहां अब भी काफी है । और यहां तो हर एक नमूने के मकानों से ऊंच नीच टपकती है । इस लिए मैं नहीं समझा कि यह कैसे पुरानी रवायात से आजाद शहर है ।

मुझे मजबूरन अपने हलके के मुतअल्लिक पिछड़े हुए इलाके के मुतअल्लिक और छोटे मुलाजमों के मुतअल्लिक कहना पड़ा है । इन के लिए कुछ न कुछ जरूर करें । वैसे तो हरियाना के काफी मैम्बर महसूस करते हैं और मैं समझता हूं कि हर मैम्बर साफ तौर पर नहीं कहता मगर यह उस पहाड़ के लावे की तरह किसी दिन फट सकता है जो एक जगह इकट्ठा होता रहता है और जलजला पैदा करता है । इस से बचने के लिए हरियाना पर ज़्यादा से ज़्यादा खर्च कर के इस ज़लज़ला को रोकें ।

श्री फग्गू राम (बूड़ाना) : स्पीकर साहिब ! मैं अपनी कांग्रेस गवर्नमेंट और मिनिस्टर साहिब को मुबारकबाद देता हूं । मैं अपने वज़ीर खज़ाना को हरिजनों का ज़्यादा ख्याल रखने पर मुबारकबाद देता हूं । इन्होंने पिछले वर्ष हरिजनों के लिए 8 लाख रुपये मन्जूर किए थे और अब इन्होंने यह रकम बढ़ा कर 25 लाख रुपये कर दी है (तालियां) । यह पिछड़ी हुई जनता को ऊंचा उठाने की कोशिश कर रहे हैं । इस बजट में हरिजन भाइयों के लिए पढ़ाई की स्कीमें देख कर हमें खुशी होती है । मैं खजाना मिनिस्टर साहिब से दरखास्त करना चाहता हूं कि कई स्कूलों को वज़ीफों की ग्रांट मिली है और कईयों को अभी नहीं मिली। यह उन्हें जल्द से जल्द मिलनी चाहिए.......

(The Assembly then adjourned till 12-45 p. m. on Wednesday, the 16th March, 1955.)

101 PVS 284—24-8-56—CP and S Pb, Chandigarh

PUNJAB VIDHAN SABHA

DEBATES

16th March, 1955

Vol. I—No. 9.

OFFICIAL REPORT

CONTENTS

Wednesday, 16th March, 1955.

Price Rs. 2/10/-

Printed at S. D. Press, Mani Majra.

ERRATA

Punjab Vidhan Sabha Debate Vol. 1 No. 9, dated 16-3-1955.

		on page &	line
Read वह	for व	(9)4	34
,, मैम्बर	,, म्बर	(9)7	22
,, तरक्की	,, तक्की	(9)8	26
,, उठा	,, उ ा	(9)8	30
Put आ	before जाता	(9)11	35
Read नतीजा	for जनत	(9)11	35
,, ज़िन्दगी	,, ज़िदन्गी	(9)13	27
,, स्पीकर	,, स्पीक	(9)13	35
,, समझें	,, समझ	(9)29	9
,, criticise	,, critise	(9)39	5
,, को बोलने	,, का बालने	(9)43	1
,, ਰਕਬੇ	,, ਰਕਬ	(9)49	10
,, ਬੀਜ	,, ਬਾਜ	(9)49	22
,, ਤਕਾਵੀ	,, ਤਕਾਵਾ	(9)49	25
,, ਤਕਸੀਮ	,, ਤਕਸਾਮ	(9)49	25
,, technicians	,, technicuans	(9)51	20
,, ਕੀਮਤ	,, ਕਾਮਤ	(9)52	21
,, ਪਾਲਿਸੀ	,, ਪਲਸੀ	(9)52	22
,, 1901	,, 19 1	(9)53	5
,, 1955	,, 955	(9)60 on top right	
Put ਨਾ	before ਬਣੇ	(9)63	19
Read 140	for 110	(9)64	22

मुख्य मन्त्री : मेरे पास श्री अचिंत राम , M. P. आये थे । उन्हों ने बताया कि भूदान के सिलसिले में 18 तारीख को Conference हो रही है जिस में legislators भी शामिल हों । मैंने programme को तबदील करने से माज़ूरी जाहिर की क्योंकि मैं कह चुका था कि Thursdays को non-official काम होगा और इस programme में तबदीली नहीं की जाएगी । उन्होंने कहा था कि वे Opposition वालों के पास जाएंगे और उन्हें इस बारे में मना लेंगे । बाद में उन्होंने मुझे बताया कि पंडित श्री राम और सरदार गोपाल सिंह से वे मिले हैं और उन्हें कोई एतराज़नहीं । वक्त तंग है, demands आनी हैं, बजट पास होना है ; इस के सिवा और कोई चारा नहीं था कि कल का दिन सरकारी काम के लिए लिया जाता मगर इस का फैसला Opposition वाले ही करेंगे ।

PUNJAB VIDHAN SABHA

Wednesday, 16th March, 1955.

The Vidhan Sabha met in the Assembly Hall, Sector 10, Chandigarh Capital, at 12.45 p.m. of the Clock. Mr. Speaker (Sardar Gurdial Singh Dhillon) in the Chair.

QUESTION HOUR

Chief Parliamentary Secretary : Sir, I request that the Question Hour be dispensed with today.

Mr. Speaker : I have no objection. The Question Hour is dispensed with today.

TRANSACTION OF GOVERNMENT BUSINESS ON THURSDAY, THE 17th MARCH, 1955.

Chief Minister (Shri Bhim Sen Sachar) : Sir, I beg to move-

> That Rule 23 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Punjab Legislative Assembly be suspended and Government business transacted on Thursday, the 17th March, 1955.

स्पीकर साहिब, यह motion move करते हुए मैंने आपकी इजाज़त से एक चीज़ का एलान करना है । इस motion का फैसला सिर्फ Opposition की votes से होगा, हमारी side इस पर voting नहीं करेगी । अगर Opposition वाले चाहेंगे तो यह पास होगी; नहीं चाहेंगे तो नहीं होगी । मुझे यह बताया गया था कि Opposition वाले इस बात पर रज़ामंद हैं, चाहते हैं कि परसों काम ना हो, परसों का काम कल हो जाए। इस बात का फैसला सिर्फ Opposition की votes पर होगा ।

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : कोई वजह तो बता दीजिए।

मुख्य मन्त्री : मेरे पास श्री अचिंत राम, M. P. आये थे । उन्हों ने बताया कि भूदान के सिलसिले में 18 तारीख को Conference हो रही है जिस में legislators भी शामिल हों । मैंने programme को तबदील करने से माज़ूरी जाहिर की क्योंकि मैं कह चुका था कि Thursdays को non-official काम होगा और इस programme में तबदीली नहीं की जाएगी । उन्होंने कहा था कि वे Opposition वालों के पास जाएंगे और उन्हें इस बारे में मना लेंगे । बाद में उन्होंने मुझे बताया कि पंडित श्री राम और सरदार गोपाल सिंह से वे मिले हैं और उन्हें कोई एतराज़ नहीं । वक्त तंग है, demands आनी हैं, बजट पास होना है; इस के सिवा और कोई चारा नहीं था कि कल का दिन सरकारी काम के लिए लिया जाता मगर इस का फैसला Opposition वाले ही करेंगे ।

Mr. Speaker : Motion moved-

That Rule 23 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Punjab Legislative Assembly be suspended and Government business transacted on Thursday, the 17th March, 1955.

ਸਰਦਾਰ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਜਗਰਾਉਂ) : ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ President ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਫੇਰ We have already agreed to their proposal.

पंडित श्री राम शर्मा (सोनीपत) : स्पीकर साहिब, हम इस बात के लिए मशकूर हैं कि मुख्य मन्त्री जी के दिल में अब Opposition के लिए जगह होने लगी है। यह एक ऐसा काम है कि जिस के सिलसिले में Opposition और गवर्नमेंट के दिमायतियों में किसी तरह का इम्तयाज़ करने की ज़रूरत नहीं। अगर गवर्नमेंट का यह position लेना कि महज़ हमारे कहने पर programme को तबदील किया जा रहा है, हमारे साथ थोड़ी सी ज़्यादती होगी। अगर Treasury Benches ऐसा करना चाहते हैं तो हम भी चाहते हैं, अगर यह नहीं चाहते और हमें ही चाहें कि हम ऐसा करें, तो यह इन्साफ की बात न होगी।

अध्यक्ष महोदय : वे तो आप पर छोड़ रहे हैं (He has left the decision to you.)

पंडित श्री राम शर्मा : अगर ये रज़ामंद हैं तो हम भी हैं, अगर नहीं हैं तो हम भी नहीं हैं।

ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ (ਅਜਨਾਲਾ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੀਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ President ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਰਸੋਂ off day ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਲਾਈ ਹੈ।

मौलवी अब्दुल ग़नी डार (नूह) : जनाबे वाला! मैं हाऊस के लीडर की इस मोशन (motion) की मुखालफत करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं अभी तक समझ नहीं पाया कि हाऊस के लीडर साहिब इस असैम्बली को मज़ाक का मौज़ूह क्यों बनाते हैं। असैम्बली का ताल्लुक जो कि legislature है भूदान से नहीं है। कल को शहीदों की कान्फ्रैंस, परसों को वज़ीरों की कान्फ्रैंस हो सकती है। नेक काम भी होते रहेंगे और बुरे भी।

अध्यक्ष महोदय : उन्हों ने तो आपकी मर्ज़ी पर छोड़ दिया है। (The matter has been left to you)

मौलवी अब्दुल गनी डार : यह मर्ज़ी का सवाल नहीं है। कांग्रेस के प्रधान आ रहे हैं और अपोज़ीशन के कुछ भाइयों ने तजवीज़ को मान भी लिया है तो क्या हुआ। फिर कहते हैं कि इसका फैसला इनकी वोटों पर होगा यानी यह हमें आपस में लड़ाना चाहते हैं, और तमाशा देखना चाहते हैं कि किस का वोट किधर जाता है। मैं नहीं समझ सका कि कांग्रेस के प्रधान के आने से हमारा काम कैसे रुकता है। मेरे दिल

में उनके लिए मुहब्बत, प्रेम और श्रद्धा है। मगर यह सब कुछ होते हुए भी मैं कहता हुं कि यह कार्यवाही - यह तरीका गलत होगा। अगर Opposition वाले Government Benches पर बैठे भाइयों को ज़हर दें तो क्या वे पी लेंगे ? हरगिज नहीं पीएंगे। हमारे चीफ मिनिस्टर साहिब की पालिसी शुरु से ही यही चली आई है कि असैम्बली की कम से कम meetings हों। चुनांचे 1952 में 52 meetings हुईं, दूसरे साल 39 और तीसरे साल 35। यह सिलसिला सालबसाल चला आ रहा है। समझ नहीं आती क्यों भागते हैं ये इजलास से। रोज़ कोई न कोई नया बहाना आ जाता है। मेम्बरों का हक है कि जो काम वे non-official day को सरकार के बिना करना चाहें करें। चीफ मिनिस्टर साहिब को इस motion को वापस लेना चाहिए क्योंकि इस के पास होने से एक गलत रिवाज कायम होगा। आये दिन ऐसी तजवीज़ आएंगी। कभी कहा जाएगा शहीदों का दिन मनाना है। डर सहे दा नहीं पहे दा है। गलत रास्ते पर चलने की आदत पड़ जाती है। हमारी वज़ारत का पिछला रवैया साबित करता है कि यह कम से कम इजलास करना चाहते हैं। हम अपना एक मिनट भी नहीं छोड़ना चाहते। यह रिवाज हाऊस को pay नहीं करेगा, वज़ारत को pay नहीं करेगा, सूबा पंजाब को pay नहीं करेगा कि कोई न कोई बहाना लगा कर छुट्टी कर दो जाए जिस तरह कोई स्कूल मास्टर बहाना रख कर लड़कों को छुट्टी दे देता हैं। यह तो लड़कों को भी आपस मे लड़ाते हैं ... (हंसी) हम अपने (कांग्रेस) प्रधान जी का एहतराम करते हैं मगर पंडित जी, सरदार गोपाल सिंह जी और छीना साहब ने आपकी दरखास्त को मन्जूर कर के गलती की है और अगर ऐसी चीज़ की गई तो एक और गलती होगी।

खान अब्दुल गफ़ार खान (अम्बाला शहर) : जनाबे वाला, मैं अपने आपोज़ीशन के दोस्तों को मासिवाए मौलवी अब्दुल गनी साहिब के मुबारिकबाद देता हूँ कि इन्होंने सही बात को तसलीम कर लिया है और बड़ी मेहरबानी से उस बात को कबूल किया जो कि उन्हें कबूल करनी चाहिए थी। जनाब भूदान का मामला ऐसा है कि जिस की बाबत (रुकावटें) (*interruptions*) जनाब मैं यह अर्ज़ कर रह था कि भूदान के ज़रिये सारे हिन्दुस्तान की काया कल्प होने वाली है और न सिर्फ हिन्दुस्तानी भाई बल्कि बाहर के मुल्कों के लोग भी इसकी खामोश इनकलाब के नाम से तारीफ करते हैं। आज अगर हमारे प्रेज़ीडैंट साहिब आ रहे हैं तो वह कांग्रेस का प्रापेगैंडा करने के लिए नहीं आ रहे हैं बल्कि उस तहरीक के सिलसिले में आ रहे हैं जोकि एक साधु ने जारी कर रखी है और जिस ने एक खामोश इनकलाब का रास्ता अख्तियार कर लिया है।

स्पीकर साहिब ! मुझे ताज्जुब है कि आज हमारे मुअज़िज़ दोस्त यह कहने लगे हैं कि हमारा प्रेज़ीडैंट आता है उस प्रेज़ीडैंट के लिए जिस का नाम हमेशा ईज़्ज़त से लिया जाया करता था वही मौलवी अब्दुल गनी हैं जोकि कांग्रेस के प्रेज़ीडैंट रह चुके हैं अब प्रेज़ीडैंट आ रहा है। मैं नहीं समझता कि यह इनकलाब इन को कहां ले जाएगा। हमारा इनकलाब हमें तो ऊंचे से ऊँचा ले जाएगा (तालियाँ) आखिर में मैं अर्ज़ करूंगा कि इस बात को हाऊस को मन्जूर करना चाहिए।

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ (ਟਾਂਡਾ) : ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ! ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਹਾਊਸ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਅਸਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ Opposition ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ ਅਸਾਂ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ Opposition ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ।

Mr. Speaker : Question is-

That Rule 23 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Punjab Legislative Assembly be suspended and Government business transacted on Thursday, the 17th March, 1955.

The motion was carried.

ANNOUNCEMENT BY SECRETARY

Mr. Speaker : Now the Secretary will make an announcement.

Secretary : In pursuance of Rule 2 (ii) of the Punjab State Legislature (Communications) Rules 1952, I have the honour to inform the House that the Punjab Appropriation (No. 1) Bill, 1955, passed by the Punjab Vidhan Sabha on the 14th March, 1955 and transmitted to the Punjab Legislative Council the same day, has been agreed to by the said Council without any recommendation, on the 15th March, 1955.

RESUMPTION OF GENERAL DISCUSSION ON THE BUDGET.

Mr. Speaker : Now the House will resume general discussion on the Budget. Yesterday when the House adjourned, Shri Phaggu Ram was still on his legs. I call upon him to resume his speech.

श्री फग्गु राम (बुटाना) : स्पीकर साहिब, आप की वसातत से मैं केवल इस चीज़ पर ही, कि हरिजनों के लिए पिछले साल 18 लाख रुपया मन्ज़ूर किया गया था और इस वर्ष 25 लाख रुपया रखा गया है, अपनी कांग्रेस गवर्नमेंट को बधाई देता हूँ । यह पिछड़ी हुइ कौम है इन की तालीम के लिए और उन को दूसरी सहूलतें देने के लिए इतनी बड़ी रकम मन्ज़ूर कर के कांग्रेस सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है । साथ ही साथ मैं अपने Education Minister साहिब को मुबारकबाद देता हूँ कि व हरिजन बच्चों को grants और वज़ीफे देने के लिए इतना रुपया दे रहे हैं । साथ ही मैं दरखास्त करूंगा कि इस provision की disbursement जल्दी से जल्दी की जाए क्योंकि उन के मां बाप बहुत गरीब होने की वजह से तालीम हासिल करने में इन को रुकावटें पेश आ रही हैं । अगली बात मैं यह अर्ज़ करूंगा कि मेरे ज़िला करनाल में नीलो खेड़ी नाम की एक जगह है । वहां refugee भाई काफी तादाद में रहते हैं । उन

की मुसीबतों को देख कर मुझे बहुत दुख होता है । नीलोखेड़ी पहले Central Government ने बनवाया था लेकिन अब वह पंजाब गवर्नमेंट के under है । वहां के refugee लोग जो लुट कर आए हुए हैं उन के बच्चे, भाई और बहनें सारा सारा दिन ढाक के पत्ते चुन कर और बेच कर अपना पेट पालते हैं। उन की मुसीबत देख कर मैं बहुत हैरान हूं । इस लिए मैं आप के द्वारा सरकार से यह दरखास्त करूंगा कि नीलोखेड़ी में refugee भाइयों के लिए जल्दी से जल्दी कोई ऐसा मिल लगाया जाए कि उन की गुज़र हो सके ।

इस के बाद मैं आप के द्वारा हरिजन M. L.As. से यह अर्ज़ करना चाहता हूँ। वे 21 मेंम्बर हैं जिन्हों ने कांग्रेस का ticket लिया हुआ है। अगर वे खिण्ड मिण्ड के न रहें और आपस में संगठन कर लें तो मैं दावे से कहता हूं कि जो भी हमारी तकलीफें हैं वे जल्दी से जल्दी दूर हो जाएंगी। उन के बटे होने से उन का कोई मसला भी हल नहीं होता । साथ ही मैं Development Minister और उन की कांग्रेस पार्टी से दरखास्त करूंगा कि वे हरिजनों को support करें । यह उन का फर्ज़ है और साथ ही हरिजनों की support से कांग्रेस गवर्नमेंट हज़ारों वर्ष तक कायम रहेगी । जब तक हरिजन रहेंगे तब तक कांग्रेस सरकार रहेगी ।

स्पीकर सहिब ! इस से आगे मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि हमारी सरकार को मुज़ारों का मसला इसी session में ही हल कर लेना चाहिए। उन को ऐसी सहूलतें मुहैया की जानी चाहिए जिन से वे अपनी ज़िन्दगी अच्छी तरह बसर कर सकें । इस वक्त वे बड़ी मुसीबत में हैं।

इस के बाद मैं कहना चाहता हूं कि Chief Minister साहिब मेरे ज़िले की तहसील Kaithal में आये थे। उन के पास गांव के हरिजन जिन की तादाद तकरीबन 3750 के करीब थी इकट्ठे हो कर आए और उन्हों ने अपनी मांगें उन के आगे रखीं । मै इस सम्बन्ध में उन को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्हों ने वहां जलसे में तकरीर करते हुए हरिजनों को विश्वास दिलाया कि उन की सब मांगें पूरी की जाएंगी । मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि जिस तरह उन्हों ने कैथल में हरिजनों को विश्वास दिलाया वैसे ही दूसरी जगहों पर भी उनकी सहायता करें ।

स्पीकर साहिब, मैं अर्ज़ करूंगा कि जिस तरह चीफ मिनिस्टर साहिब ने कैथल के हरिजनों को विश्वास दिलाया उसी तरह सूबे के बाकी हिस्सों को भी पूरी मदद दें ताकि जो पिछड़े हुए लोग है वह तरक्की में हिस्सा ले सकें और आगे बढ़ सके। उन्हें जमीनें दी जाएं और उन्हें दूसरी सहूलतें पहुंचाई जाएं ।

इस के अलावा, स्पीकर साहब, मैं एक और गुजारिश करना चाहता हूँ । कैथल तहसील में एक थाना पुण्डरी है । वैसे तो मैं पुलिस को बधाई देता हूं । सभी पुलिस को सूबे में शान्ति रखने के लिए मुबारकबाद देता हूँ पर वहां के थानेदार से लोग बहुत तंग हैं उसे जरूर वहां से जल्दी से जल्दी तबदील किया जाए।

स्पीकर साहिब , वहां पर 750 घर हरिजनों के बहुत तंग हैं। अगर उनकी मांग को माना न गया तो सब के सब वज़ीर साहिब के घर पर आ कर बैठ जाएंगे। इस के

[श्री फग्गू राम]
अलावा मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ने जो leather को रंगाने का काम शुरु करवाया है उसे बड़े तौर पर रखा जाए। आखिर में मैं फिर मिनिस्टर साहिब से अर्ज़ करूंगा कि वह हरिजनों को ज़मीनें और दूसरी जरूरी सहूलतें दें। इन लफ्ज़ों के साथ में मिनिस्टर साहिब को मुबारकबाद पेश करता हूँ।

श्री देवराज सेठी (रोहतक) : अध्यक्ष महोदय, पंजाब का यह सौभाग्य है कि हमें वित्त विभाग के लिए एक ऐसा wizard of finance मिला है जो कि न सिर्फ अपनी शखसीयत की वजह से बल्कि अपने पिछले जिन्दगी के माली तजरुबा के कारण बतौर एक farmer के, बतौर एक industrialist के, बतौर एक बहुत कामयाब businessman के, बतौर एक parliamentarian के एक कामयाब नेता हैं। उन के इस सारे तजरुबे की झलक इस चौथे बजट में जो कि उन्हों ने इस हाऊस के सामने पेश किया है, आई है। इस के लिए हम उनका जितना भी धन्यबाद कर सकें जितनी भी बधाई दे सके, थाड़ी हैं।

स्पीकर साहिब, दो दिनों से बजट पर general discussion हो रही है। अक्सर बातें इस किस्म की कही गई हैं कि जिन के बारे नतायज तो उलटे निकलने चाहिए थे परन्तु निकले कुछ अजीब अजीब से ही। जिन कामों के लिए पंजाब की सरकार को श्रेय मिलना चाहिए था, credit मिलना चाहिए था, उसे न मिला उलटी दलीलें दे कर नुक्ता चीनी की गई है और उन बातों को बहस का मज़मून बनाया गया है। सब से ज़्यादा ज़ोर अपोज़ीशन की तरफ से शिक्षा विभाग पर दिया गया। तालीम के मैदान में गवर्नमेंएट ने किताबों की nationalisation की है। जाहिर है कि यह कदम इस लिये उठाया गया है कि गरीब बच्चों को किताबें सस्ते दामों पर मुहैया की जाएं। जब तक तो publishers market में रहे किताबों की कीमतें बहुत ज़्यादा चार्ज करते रहे। कई बार तो यह कीमतें इतनी ज़्यादा हुआ करती थीं कि गरीब लोगों के लिए अपने बच्चों की किताबें खरीदना मुशकिल था और वह बेचारे अपनी गुरबत से मजबूर हो कर बच्चों को शिक्षा देना ही बन्द कर देते थे, लेकिन क्या यह खुशी का अमकान नहीं कि जब से किताबों की nationalisation हुई है, वे कीमतें ½ और कई जगहों पर ⅓ रह गई है? किताबों की कीमतो में कमी हो जाने के कारण अब लोगों को बहुत आसानी हो गई हैं। Nationalisation का असूल हमारी Planning Commission हमारे देश और हमारे प्रान्त का असूल है। बड़े तमतराक के साथ यह अलज़ाम लगाया गया है कि किसी ने इतने हज़ार रुपया रिश्वत दी है। मेरी समझ में नहीं आता कि यह कैसे हो सकता है? किताबें nationalise की जा रही हैं, कुछ की जा चुकी हैं। आठ जमातों के लिए 147 के करीब किताबें छापी जा चुकी हैं। उन्हें पंजाब गवर्नमेंट खुद publish कर रही हैं। छपाई का इन्तज़ाम गवर्नमेंट का अपना है। हमारे लुधियाना के लायक वकील ने यह अलज़ाम लगाया है। मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि जिस publisher का या जिस आदमी का वह case plead करने के लिए उन्हों ने यह इलफ़ाज़ यहां कहे हैं, वह उनके कन्धे पर बन्दूक रख कर चलाना चाहता

है। अगर उन में हिम्मत है तो जिन्हों ने उन्हें आगे रख कर इस्तेमाल किया है तो मैं कहूंगा कि वह आगे आएं और पब्लिक में आ कर ऐसी स्टेटमैंएट दें और फिर उन्हें पता लगे कि दाल आटे का क्या भाव है। यह कोई बहादुरी नहीं कि असैम्बली का shelter लेकर ऐसी बेबुनियाद चीजें कही जाएं और किसी आदमी को खाहमखाह बदनाम किया जाए। इसी तरह nationalisation of transport का मामला है। मैं समझता हूँ कि जो भी लोग हमारे शिक्षा मन्त्री जी पर directly या indirectly attack करते हैं असैम्बली का नाम लेकर करते हैं या गुमनामी से करते हैं वह कोई बहादुरी का कारनामा नहीं करते। हमारे शिक्षा मन्त्री एक publicman हैं, जो एक generation से पब्लिक की सेवा कर रहें हैं। Selfless worker हैं। वह head और heart की qualities रखते हैं। उन्हों ने एक generation से पब्लिक की सेवा की है और हर तरह की sacrifice की है। He is a man of undisputed integrity. अगर उनके लिए ऐसी बातें कही जाएं तो हम समझेंगे कि उन्हें किसी अपने ही मतलब और मकसद के लिए खाहमखाह और नाजायज़ तौर पर बदनाम किया जा रहा है, वाकयात की खिलाफ वर्जी को जा रही है। एक ऐसी हस्ती को बदनाम किया जा रहा है जिसने पंजाब की सच्चे मन से सेवा की हो और कर रहा हो। वह एक बहुत श्रेष्ठ कार्यकर्ता हैं। जहां जाते हैं, जिस bye-election में जाते हैं वहां सफलता उन के पांव चूमती है। उन के लिए अगर इस तरह की चीज़ें कही जाएं तो समझ नहीं आती कि माजरा क्या है। हमें हकीकत को हकीकत में देखना चाहिए और अगर इस तरह नुकता चीनी की जाये तो उन्हें यानी नुकता चीनी करने वालों को शोभा नहीं देता।

स्पीकर साहिब, सोनीपत से आए पंडित जी ने बड़े गरम लहज़े में कई एक बातें कहीं। ऐसा करने का उनका हक है। लेकिन उन की बातें और बहादुरगढ़ से आए आनरेबल म्बर साहिब की बातों को सुनकर कोई क्या अन्दाज़ा लगा सकता है? वह वक्त भी था कि जब पंडित जी ज़मींदारा पार्टी को आड़े हाथों लिया करते थे। तमाम दुनिया के नुकायस उन में बताया करते थे लेकिन आज वे bed fellows बने हुए हैं। आज दोनों इकट्ठे हो गये हैं। जिन बातों की आज वह नुकता चीनी करते हैं, कमोबेश वही बातें 17 अप्रैल 1952 से लेकर 15 महीनों तक रहीं जब पंडित जी इस वज़ारत का एक हिस्सा थे। जब से आप वजारत से बाहर गये तब से क्या बदला, क्या तबदीली आई, यह तो सब दुनिया जानती है। अगर हुआ तो उस ज़माने से बेहतर ही हुआ है। लेकिन अगर वह किसी खास बात की वजह से उन्हीं चीज़ों की नुक्ता चीनी करेंगे जो कि अपने ज़माना में वे खुद किया करते थे तो इसका अन्दाज़ा दुनिया खुद लगा लेगी कि आप के दिल में क्या है। अगर आपने नुकता चीनी करनी ही है तो उसका गज़ या मियार एक ही होना चाहिए। यह वही होना चाहिए जो आज से तीन साल पहले था वह मियार उसी लिहाज़ से तामीरी होना चाहिए जिसे वह आज से तीन साल पहले अपनाए हुए थे। लेकिन अगर side बदल लेने से गज़ और मियार भी बदल जाए तो आप उन असूलों से पीछे रह जाते हैं जिन्हें आप advocate करते हैं। आप के argument में कोई वज़न नहीं रहता।

[श्री देव राज सेठी]

मैं पिछले दिनों में हुई बहस को बड़े एहतयात से सुन रहा हूं। हमारे Opposition के मुदल्लल और मुदब्बर लीडर ने कई वाकयात को लेकर तकरीर की। उन्होंने पंजाब और हिन्दुस्तान की पांच साला योजना को आड़े हाथों लिया और नुकता चीनी की। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि जिस मुल्क की policies को वह represent करते हैं उस देश की Five Year Plan की तुलना में रखकर अपनी इस Five Year Plan को देखें फिर उन्हें पता चलेगा कि आया हमने इन सालों के अन्दर कोई तरक्की की है या नहीं। रूस में सन् 1917 में इनकलाब आया। 1928 तक कोई प्लैन वगैरा नहीं बनी। 1928 में पहली Five Year Plan बनी। पांच सालों के बाद देखा गया कि जितनी ज़रई इजनास थी उन की पैदावार बढ़ने की बजाए कम हुई है। लेकिन इन के खिलाफ़ पंजाब को और हिन्दुस्तान को इस बात का फ़ख़्र है कि उस की जिनसों में पहली पांच साला योजना के अभी खत्म होने से पहले ही तीन सौ गुना बढ़ौतरी हो गई है। कइयों में 50% बढ़ौतरी हुई और कई इजनास में इस से कम या ज़्यादा ही हुई। अभी 6 फरवरी को, स्पीकर साहिब, हमारे यहां रूस का एक Cultural Mission आया। मैं भी वहां मौजूद था मैंने सवाल किया कि अब आप की क्या हालत है। उन्हों ने बताया कि वहां गंदम की bumper crops होती हैं। लेकिन इस का भाव 4.7 Rouble per Killow है जहां एक किलो हमारे एक सेर के बराबर होता है, और एक Rouble 18 आने के बराबर। तो इस का मतलब यह हुआ कि वहां गंदम पांच, सवा पांच रुपया प्रति सेर बिकती है।

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਗ ਸਾਰੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ।

श्री देव राज सेठी : यह बात वहां से आए Cultural Mission ने बताई थी। मैं वाक्यात की बिना पर यह चीज़ कह रहा हूं। मेरे दोस्त खुद तसल्ली कर सकते हैं। तो स्पीकर साहिब, यहां गंदम 12 या 13 रुपये मन के हिसाब से बिके और रूस में 2 सौ रुपये मन के हिसाब से मिले और फिर कहा जाए agriculture के बारे में कि इस ने तरक्की नहीं की और हमें लाल किताब निकाल कर दिखाई जाए। यह नहीं देखा जाता कि यहां कपास की पैदावार में कितनी तरक्की हुई है और दूसरी चीज़ों की पैदावार में कितनी तरक्की हुई है।

फिर स्पीकर साहिब, हमारी इस बात पर नुक्ता चीनी की गई है जो हमारा दावा है कि हम देश को एक socialistic pattern पर ढाल रहे हैं। यह कहा गया है कि हमें तो यह चीज़ इस बजट में कहीं नहीं मिली। हम ने तो इसे उठा कर अच्छी तरह देखा है, ऊपर से, नीचे से और हमें तो ऐसी कोई चीज नज़र नहीं आई। मैं इन से कहता हूं कि आखिर socialism क्या है। इस के बारे में Russia के writer Lenin एक authority माने गए हैं और वह इस देश के भी नहीं हैं। उन्हों ने socialism के बारे में कहा है-

"What is socialism? Socialism is equal to democracy plus electricity."

यह उन की पुरमायनी पेशीन थी और आज अगर हम उस के मायने यहां लागू कर के देखते हैं तो हम महसूस करते हैं कि जितनी democracy Russia में है उस से कहीं ज़्यादा अच्छी यहां भारत में है। रूस की democracy का यहां की democracy से कोई मुकाबला हो नहीं है। इसी तरह बिजली का जो सवाल है पिछली January को जब हमारे राष्ट्रपति जी ने गंगो वाल Power House का उद्घाटन किया था तो उस से 48 हज़ार किलो वाट बिजली यहां आई थी और जब कोटला का power house बन जाएगा तो वहां से भी काफ़ी बिजली हमारे सूबे को मिल जाएगी। और जब भाखड़ा के power house तैयार हो जाएंगे तो वहां से भी काफी बिजली मिल जाएगी तो इस तरह कुल मिला कर चार पांच लाख किलो वाट बिजली यहां आ जाएगी। स्पीकर साहिब, नुकता चीनी और भी की गई है। यह सब कुछ कह सकते हैं। मैं कहता हूं कि हर किसी सरकार में कमियां होती हैं और हमारी State तो एक struggling State है। इस को बहुत संघर्ष करना पड़ा है और अब भी इस के सामने बड़ी मुश्किलात हैं लेकिन फिर भी कोशिश की जा रही है कि इस को आगे ले जाया जाए और आज हम कह सकते हैं कि देश की 25 States के अन्दर अगर अव्वल नंबर नहीं तो दूसरे या तीसरे नंबर पर पंजाब दावा कर सकता है (तालियां)। स्पीकर साहिब। जब मैं यह कहता हूँ तो मेरा यह मतलब नहीं है कि अब इस म कोई और सुधार की ज़रूरत नहीं है। मैं कहता हूं कि हर लिहाज़ से और हर कदम पर हमें तरक्की की ज़रूरत है। स्पीकर साहिब, आप छोटी सी बात को देख लें। मैं आप के सामने U. P. का budget पेश करता हूँ। मैं ने इस को अच्छी तरह से study किया है। आप देखें हमारे बजट के मुकाबला में इस के बड़े छोटे छोटे volumes हैं और हमारे सूबा के कितने बड़े हैं। यह छोटे volumes वाले बजट 6 करोड़ आबादी वाले सूबा के हैं। इन के मुकाबले में अपने बजट के volume को देखें वह कितना ज़्यादा है। यह इस से तिगुने के बराबर है। स्पीकर साहिब, मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अगर इस को भी घटा कर के एक बराबर कर दिया जाए तो जहां इस के हुजम में बचत हो सकती है वहां इस के एक दो और भी अच्छे नतायज निकल सकते हैं। हमारे अकेले New Expenditure की जो copy है इस के तकरीबन नौ सौ सफे हैं और इस से ज़ाहिर है कि हमारी गवर्नमेंट के कितने ज़्यादा temporary मुलाज़िम हैं। इस सिलसिले में मैं हाउस का ध्यान इस ओर दिलाता हूँ कि जिस मुलाज़िम के दिल में यह बात खटकती रहे कि उस की नौकरी पक्की नहीं है तो वह तन मन से नौकरी कैसे कर सकता है। मैं आप की विसातत से हुकूमत से अर्ज़ करूंगा कि वह अपने तमाम temporary मुलाज़िमों को जल्द अज़ जल्द permanent कर दे। यह देख कर हैरानी होती है कि उन में से बहुत सारे तो दस दस साल के temporary hands चले आते हैं। जहां तक general administration का सवाल है हमारा

[श्री देव राज सेठी]

साढ़े 12 जिलों का सूबा जिस की कुल अबादी 1,26,00,000, है is being governed by an administration जिस पर 1,79,00,000 रुपया खर्च किया जाता है और इस के मुकाबला में जमुना के पार का सूबा यानी उत्तर प्रदेश, जो कि 52 districts वाला सूबा है और जिस की कुल आबादी तकरीबन 6 करोड़ है उस की administration पर 2,77,00,000, रुपया इस साल खर्च किया जाएगा। फिर उस सूबे का total estimated budget 85,00,00,000, रुपये है और उस की General Administration का खर्च सारे बजट का कुल 3.3 per-cent बनता है। मुझे पता है कि इस चीज़ के जवाब में यह कहा जाएगा कि हमारा सूबा एक border state है इस लिए Administration पर ज़्यादा खर्च करना पड़ता है लेकिन मैं अर्ज़ करता हूँ कि U. P. भी तो एक border state है उस का बहुत सारा इलाका नैपाल के border पर है।

अध्यक्ष महोदय : (घण्टी बजा कर) आप अपनी speech को wind up करें। Time बहुत थोड़ा है और बोलने वाले बहुत सारे हैं (Please wind up your speech. The time at our disposal is short, while the number of Members who wish to make speeches is large.)

श्री देवराज सेठी : जनाबे वाला, मैं कह रहा था कि हमारी administration के खर्च में बचत की बहुत गुंजायश है।

स्पीकर साहिब, जब इस सभा का पहला बजट पेश हुआ था तो उस में officers की special pays, का एक तिहाई भाग खत्म कर दिया गया था। लिहाज़ा जब यह चीज़ Government of India की मन्ज़ूरी के लिए भेजी गई तो वह मन्ज़ूरी आज तक नहीं आई। आया इस में कोई साज़िश है या और कोई बात है यह देखना चाहिए। मुझे इस में शक पड़ता है। It is not all clean and it is not clear. मैं अपनी वज़ारत से दरखास्त करता हूं कि वह special pays को कम कर के तीन साल में बिल्कुल बन्द कर देने वाले प्रोग्राम को मुकम्मल कराए।

Administration के बारे में पिछले साल भी मैं ने कुछ कहा था। क्योंकि उन चीजों को पूरा नहीं किया गया इस लिए मैं उन्हें फिर कहता हूं।

स्पीकर साहिब, इस steel frame के तीन हिस्से हैं, I. C. S, I. A. S. और P. C. S.। यह देखने में आता है कि इन तीनों भागों में जितनी harmony, जितनी co-operation और जितना उत्साह चाहिए वह नहीं है। मैं यह नहीं कहता कि यह क्यों है। लेकिन कुछ वजूहात तो हैं। इस State के P. C. S. अफ़सरान की कुल तादाद है 225 और I. A. S. या I.C.S. हैं 40 या 45। इस सूबा की Administration की senior posts 32 हैं और उन में से 24 I. A. S. या I. C. S. को चली जाती हैं और बाकी की 8 posts P. C. S. के आदमियों को मिलती हैं। इन senior posts पर जहां चार या पांच साल की service वाले I. C. S. को लगा दिया जाता है वहां P. C. S.

के बीस से 30 साल के तजरूबे वालों को लगाया जाता है चाहे वह कितने ही काबिल क्यों न हों। इतना भी नहीं किया जाता कि जितनी officiating posts हों वह उन को दी जाएं लेकिन ऐसा नहीं किया जाता चाहे वह काफी efficiently इन posts पर काम कर सकते हों। यह चीज़ बगैर खर्च के बड़ी आसानी से की जा सकती है।

स्पीकर साहिब, जो I. C. S. officers हैं उन को बड़ी ज़िम्मेदारी है उन में बड़े लायक administrators हैं। इन को चाहिए कि वह अवाम का काम करें। उन में अगर अभी snobbery है तो वह अब गायब हो जानी चाहिए। अंग्रेज़ अब चले गए हैं। अब जो public servants हैं उन्हें काम सेवा के भाव से करना चाहिए।

देश के अन्दर पब्लिक के अन्दर इन के इस भाव की अब ज़रूरत है। जो पुराना hold है उस को खत्म किया जाना चाहिए। इस बारे में जितनी जल्दी कार्यवाही की जाए उतना ही अच्छा है। पब्लिक की शिकायत पूरी होनी चाहिए।

Secretariat के बारे में अर्ज़ करूंगा कि यह एक भारी भरकम wooden machine है जो बड़ी ही सुस्त काम करती है। आज पब्लिक जल्दी reports चाहती है। अगर कोई कागज़ Secretariat में चला जाए तो दो महीने से पहले वापिस नहीं आता और यदि Finance Department से हो कर जाए तो एक महीना और लग जाता है। इतना ज़्यादा इन्तज़ार करना पड़ता है। इस मशीनरी को बदलें। इस से time waste होता है। कागज़ नीचे Assistant और दफ्तरी के पास जाता है, फिर ऊपर के अफसरों के पास। इसी तरह मक्खी पर मक्खी मारी जाती है। इस तरह duplication होती है जो नहीं होनी चाहिए। इन चीजों को रोकने के लिए एक अफसर लगाना चाहिए। इस मशीनरी को overhaul करने की ज़रूरत है। इसे भी commercial basis पर organise किया जाना चाहिए।

फिर पुलिस को लें। मैंने पंजाब और U. P. का मुकाबिला किया। पंजाब में पुलिस पर 3 करोड़ 56 लाख खर्च है जो कि सारे बजट का 12 फीसदी है। 12, 13 ज़िलों की इस छोटी सी State में यह खर्च बहुत ज़्यादा है जबकि इस के मुकाबिले पर U. P. में पुलिस पर 9 फीसदी खर्च किया जाता है। कोई वजह नहीं कि यहां पर भी खर्च कम न किया जाए। कुंनपुरा पुलिस Academy के लिए 175 पुलिस constables की जगह खाली रख ली जाती हैं और इस तरह उन की uniforms और तनखाहों का खर्च surrender कर के Academy का खर्च चलाते हैं। इसी तरह और भी बातें हैं जिन में तरक्की हो सकती है। फिर District Security Staff है, C. I. D. है, C. I. A. और P. A. P. । कोई चीज़ एक बार खुल जाए तो उस में फिर इन के prestige का सवाल जाता है। उस की ज़रूरत हो या न हो बन्द नहीं करने दी जाती। जनत

[श्री देव राज सेठी]
यह है कि लोगों को कहने का मौका मिल जाता है कि आया यह एक Welfare State है या एक Police State । सारे बजट का 12, 13 फीसदी हिस्सा पुलिस पर खर्च किया जाता है । यह बहुत ज़्यादा है । Secretariat में आप ने एक Special Officer लगाया तो उस ने आप को 1,57,000/-/- रुपये की बचत कर दिखाई। इसी तरह का एक Special Officer आप Police Department में भी लगाएं जो इस department के working को overhaul करे । बाकी जिसे कोई शिकायत हो उसे चाहिए कि वह public में आएं तब तो कोई बात है मगर अगर कोई चुप रहता है तो इस का किसी को पता कैसे चले ?

अन्त में मैं मिनिस्टर साहिब को बधाई देता हूं कि जैसा बेहतर से बेहतर बजट इन हालात में पेश हो सकता था वैसा पेश किया गया है और आज पंजाब हिन्दुस्तान की 2, 3 best governed states में शुमार होता है ।

श्री केदारनाथ सहगल (बल्लभगढ़) : स्पीकर साहिब, मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लेना लेकिन चन्द एक बातें जरूर अर्ज़ करना चाहता हूं । बजट हमारे सामने है । मेरे एक दोस्त ने U. P. के बजट के साथ इस का मुकाबला किया है । जिस वक्त 'तलिस्मी हुशनरुबा' 'अफसाना आज़ाद' या 'अल्फ लैला' किताब लिखी गईं तो यह महसूस किया जाता था कि शायद अब इस के बाद न ही इस किस्म की कोई किताब लिखी जाएगी और न ही अब ऐसा कोई मसन्नफ पैदा होगा । मगर जब मैं ने बजट को देखा तो मुझे खुशी महसूस हुई कि हमारे Finance Minister साहिब ने इन्हीं किताबों की तरह का एक बजट तैयार किया है । मेरे बाज़ दोस्त यह कहते हैं कि सामने के benches वाले सिर्फ नुक्ता चीनी ही करते हैं । लेकिन आप भी तो पहले मुबारकबाद से शुरू करते और फिर अपना रोना शुरु कर देते हैं जैसा कि मेरे दोस्त सेठी जी ने किया पहले मुबारिक बाद दी फिर अपना रोना शुरु कर दिया । इसी तरह और साहिबान भी करते हैं । मैं जानता हूँ कि उन की आवाज़ एक तूती की आवाज है जिसे नक्कार खाने में कोई नहीं सुनता । House में बहस हुई । बहुत सी बातें सामने रखी गईं मगर किसी मैम्बर ने ऐसा नहीं कहा कि जो हमने suggestion दी थी वह मानी नहीं गई । मैं समझता हूं कि उन्हें साफ इलफाज़ में कहना चाहिए कि जहां वह सरकार को बधाई देते हैं वहां उन की फलां फलां बात मानी नहीं गई । लेकिन खुशामद करना इंसान का शेवा है क्यों कि खुदा भी खुशामद से राज़ी होता है । आज हमारे वह दोस्त भी खुशामद करते हैं जो अंग्रेजों के ज़माने में partition से पहले अंग्रेजों और खुशामद के खिलाफ लड़ते रहे । उन्हों ने बड़ी २ तकरीरें कीं जिस में अंग्रेज़ों की नालायकी जाहर की और हिन्दुस्तानियों को उभारा ताकि वे अंग्रेज़ के खिलाफ लड़ें और अंग्रेज़ अपना बोरिया बिस्तर बांध कर यहां से चले जाएं और वे अपने मुल्क को ऊंचा ले जाएं । इस लड़ाई में सामने बैठे साहिबान में से कइयों ने बड़ी कुरबानियां दीं लेकिन आज वह भी खुशामद करते हैं । क्या हमारी सरकार ने कोई ऐसा कदम उठाया जिस से सूबे का भला हो ? कल सरदार अजमेर सिंह साहिब ने बताया कि हमारे एक वज़ीर साहिब के

रिश्तेदार को जो दिल्ली में रहते हैं लाखों रुपए का कर्ज़ा दिया गया । यह ठीक है कि charity begins at home शायद इसी लिए उन्होंने सोचा कि यह काम घर से ही शुरु करना चाहिए । पहले घर वालों को फायदा पहुँचे फिर दूसरों को । मैं अर्ज़ करूंगा कि अगर वाकई ऐसी बात है और पंजाब फाइनैन्स कार्पोरेशन का रुपया दिल्ली में लगाया गया है तो यह निहायत अफसोस की बात है क्योंकि पंजाब बेचारा तो पहले ही गरीब हो चुका है और Corporation खुले यहां और रुपया खर्च हो दिल्ली में । शायद ऐसा तो नहीं है "सागे खुदाई एक तरफ ...... का भाई एक तरफ" मैं कहता हूँ कि ऐसी बातों से हमारे सूबे को नुकसान पहुँच रहा है ।

स्पीकर साहिब, आप को मालूम होगा कि Stalin जो कि Russia का Dictator था और करीब 13 करोड़ आबादी का मालिक था जिस के मुल्क का रकबा 82 लाख square miles था और जिस का इलाका दुनिया के एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैला हुआ था यानी जो Stalin आधी दुनियां पर rule करता था वह सिर्फ 3 कमरों के मकान में रहता था । लेकिन आज के भगत हमारे Chief Minister साहिब, दूसरे वज़ीरों की कोठियों, जिन पर 80,90 हज़ार रुपया लगा है, से भी बड़ी कोठी जिस पर 2,3 लाख रुपया खर्च आया है, रहते हैं और वह भी दूसरे मिनिस्टरों की कोठियों से जुदा ताकि यह ज़ाहिर हो कि यह बड़े वज़ीर की कोठी है। अगर हमारे Chief Minister साहिब ऊँचा standard कायम करना चाहते हैं और शायद वह अंग्रेज़ों से भी ऊंचा standard कायम करना चाहते हों, तो जुदी बात है । मैं अर्ज़ करूंगा कि पंजाब छोटी सी State है । इस में 13 ज़िले हैं जिन में से एक ज़िला लंगड़ा है । तो अगर $12\frac{1}{2}$ ज़िलों का State का Chief Minister यह कहे कि मैं 3 लाख रुपया की कोठी में रहूँगा जहां 50,000. रु० का furniture लगे क्योंकि पहला furniture मैला हो गया है तो यह कहां की दानाई है ?

मैं यह अर्ज़ करना चहता हूँ कि यह कहां की दानाई है कि सूबा को ऊंचा ले जाने के लिए घर को ऊँचा ले जाना शुरू कर दिया ? यह सख्त अफसोस की बात है । इस तरह से गरीब लोगों का standard कैसे ऊंचा हो सकता है ? मुझे उन भाइयों पर निहायत अफसोस है जो अन्धा धुन्ध बजट की तारीफ करते हैं।

हमारे Chief Minister साहिब राहेबान ज़िंदगी बनना चाहते हैं । यह कहा करते थे कि दाल रोटी का लंगर चलेगा पर हम क्या देखते हैं कि हमारे राहेबाने ज़िन्दगी कैसे कोठियों में रहते हैं । कोई आदमी इन से मिलने आए तो दो दो घण्टे कोठी के बाहर चक्कर काटने पड़ते हैं । क्या इस तरीके से लोगों के standard को ऊँचा किया जा रहा है ?

अभी कल की बात है कि मेरे दोस्त श्री अभय सिंह ने गुड़गावां के मुताल्लिक जिक्र किया था तो चौधरी लहरी सिंह साहिब जाट ने गुस्से में आसतीनें चढ़ा लीं । ऐसा मालूम होता था कि इनकी ज़ात पर किसी ने हमला कर दिया हो । लेकिन यह बात न थी । वह तो गुड़गावां की तरफ सरकार की और चौधरी साहिब की तवज्जुह दिलाना चाहते थे । उन्हों ने यह कहा था कि गुड़गावां की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है । स्पीकर

[श्री केदार नाथ सहगल]

साहिब, आप को पता ही है कि गुड़गावां क्यों पंजाब से कट कर दिल्ली में शामिल होना चाहता है । इसी लिए कि उनकी कोई खबर नहीं लेता । चौधरी साहिब तो खुश होते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं कि गुड़गावां अलहदा होना चाहता है । आज गुड़गावां नहीं, गरदाबाद बना हुआ है, इसे दूर करने के लिए गुड़गावां पर और खर्च करना चाहिए ।

फिर स्पीकर साहिब फरीदाबाद का कसबा है :

अध्यक्ष महोदय : आप का टाइम खत्म हो चुका है आप कब तक बैठेंगे ?

(Your time is over, when will you resume your seat ?)

श्री केदार नाथ सहगल : स्पीकर साहिब मैं तीन बजे बैठ जाऊंगा ।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझा था तीन मिनिट तक । अच्छा आप पौने तीन तक अपनी स्पीच खत्म कर दें (I thought you would finish within three minutes. Anyhow please wind up by 2-45 p.m.)

श्री केदार नाथ सहगल : मैं स्पीकर साहिब Faridabad में Community Project के बारे में अर्ज़ कर रहा था । हमारे सात वज़ीरों में से एक बहुत अच्छे वज़ीर हैं । वह जहां भी मिलते हैं बड़े प्रेम और मुहब्बत से मिलते हैं । बड़े प्यार से बोलते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आप की concrete suggestions हों तो पेश करें । प्यार मुहब्बत को बीच में न लाएं । आज आखरी दिन है और सब की ख्वाहिश है कि उन्हें थोड़ा समय मिले । (Please make some concrete suggestions. Avoid affectionate references. Today being the last day for the general discussion of the Budget, many hon. Members are keen that a few minutes be given to each one of them.)

श्री केदार नाथ सहगल : मैं वज़ीरों का नाम नहीं लेता । मैं तो सिर्फ यह जिक्र कर रहा था कि हमारे एक वज़ीर बड़े दोस्त नवाज़ हैं और अपने दोस्त को एक हज़ार रुपया तनखाह पर इस Community Project पर लगाया हुआ है । वह खूब मज़े में हैं ।

फिर हमारे दोस्त राय रघुबीर सिंह ने कहा कि मैं सरकार को Budget पेश करने पर बधाई देता हूँ । साथ ही यह भी कह दिया कि कांगड़ा से फल बाहर नहीं भेजे जाते क्योंकि सड़कें अच्छी नहीं हैं । मैं उन्हें यह बताना चाहता हूँ कि अभी तो इस गवर्नमेंट को बने सिर्फ 7,8 वर्ष ही हुये हैं। अभी तक तो सरकार कांगड़ा के बारे में सोच रही है । वह अगर आप इन्तज़ार करें तो Kangra को Switzerland बना देंगे । इस लिए आप सरकार की खुशामद न करें कांगड़ा ज़िले की तकलीफें बयान करें । कांगड़ा ज़िले से बहुत आमदनी हो सकती है अगर गवर्नमेंट चाहे तो । वज़ीर साहिबान तो कभी कभी जब मौसम अच्छा हो वहां पर जाते हैं । लेकिन कांगड़ा के interior में नहीं जा सकते क्योंकि वहां पर सड़कें नहीं हैं इस लिये मैं कांगड़ा से आने वाले दोस्तों से कहूँगा कि वह वज़ीरों को कांगड़ा के नकशे दिखाएं ताकि उन्हें कुछ हालात का पता चले

अब मैं चन्द इलफ़ाज़ तालीम के बारे में कहना चाहता हूँ। मैं यह अर्ज़ कर देना चाहता हूँ कि पंजाब ने सैंटर से कर्ज़ा ले कर Engineering College बनाया है। इस पर बहुत रुपया खर्च किया जाता है। लेकिन फिर भी लड़के दर बदर फिरते हैं। कोई Nagpur जाता है कोई Pillani और कोई Madras जाता है। इस कालेज पर इतना रुपया खर्च करने पर भी लड़कों को जगह नहीं मिलती। मैं अर्ज़ करता हूँ कि गवर्नमैंट को इस तरफ़ ख्याल करना चाहिए ताकि लड़के इस में ज़्यादा गिनती में दाखिल हो सकें।

अब स्पीकर साहिब, मैं छोटी जमातों को लेता हूँ। छोटी जमातों में पांचवी छट्टी में उन्हें इतने बोझ से लाद दिया जाता है कि वह सीधे नहीं चल सकते। इन जमातों में बहुत किताबें उन के पढ़ने के लिए रखी हुई हैं। वह इतनी किताबें नहीं पढ़ सकते। मैं तो समझता हूं कि यह तालीम की कमज़ोरी है कि बच्चों पर इतना बोझ लाद दिया जाता है। गवर्नमैंट नहीं देखती कि क्या बच्चा इन सब किताबों को पढ़ भी सकेगा।

इस के बाद मैं किताबों की छपाई को लेता हूँ। मैं वज़ीर साहिब का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि किताबों की छपाई में बहुत गलतियां हैं हालांकि गवर्नमैंट की तरफ से छापी गई किताबों में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए थी। हमारे पास पिछले दिनों एक पलन्दा किताबों का आया था जिस में हज़ारों गलतियां थीं।

अब मैं वज़ीर साहिब से यह पूछता हूँ कि उन्हों ने क्या सोचा था जब चन्डीगढ़ या तुगलकाबाद, कबूतर खाना या गर्दखाना बनाने का फैसला किया (हंसी) पिछले तीन बर्षों में चण्डीगढ़ में private मकान 50 से ज़्यादा नहीं बने। अगर इस के लिए Centre की सरकार करोड़ों रुपए न देती तो कबूतर खाने न बन सकते। यहां पर private मकानों के न बनाए जाने की एक वजह है। वह यह है कि लोगों को यह ख्याल मिल रहा है कि Chandigarh आबाद नहीं होगा। अगर लोगों को यकीन हो जाए कि चण्डीगढ़ आबाद हो जाएगा तो आज हज़ारों मकान बन जाएं। यहां पर 8'x10' की दुकानें बनी हुई हैं। मुझे एक दुकानदार ने बताया कि उसे इस दुकान के लेने पर 5 हज़ार रुपया देना पड़ा। इस हिसाब से यहां पर ज़मीन 400, 500 रुपए गज़ के हिसाब से दी गई है। फिर सड़कों को लें। सड़कें तो इस तरह बनाई जाती हैं कि बरसात में पानी सड़क में जमा न हो पर यहां पर तो सड़कें नहरें बन जाती हैं। फिर कल अभी सड़कें बनी हैं और आज स्पीकर साहिब, आप ने कार पर जाते देखा होगा कि सड़कों पर जगह जगह पर टाकियां लगी हुई हैं। गवर्नमैंट रुपया को बहुत बुरी तरह खर्च कर रही है।

फिर सरकारी मुलाज़मों का बुरा हाल है। इस की तरफ कोई ख्याल नहीं किया गया। हां मिनिस्टर साहिबान के furniture को तबदील करने पर हज़ारों रुपए खर्च कर दिए गये और कहा गया कि furniture मैला और पुराना हो गया था।

चण्डीगढ़ में मुझे बताया गया कि पुलिस की तरफ से अन्धेर गर्दी और बुरछा गर्दी मची हुई है। बाज़ारों में से दुकानदारों के बोर्ड उतारे जा रहे हैं। किसी ने मिनिस्टर साहिबान को मिलना हो या किसी Secretary के घर जाना हो तो अगर बोर्ड न हो तो कैसे पहुँचेगा। उसे बहुत वक्त ज़ाया करना पड़ेगा। दुकानों पर बोर्ड न होने से जिस आदमी ने आटा लेना होगा वह किसी Chemist की दुकान पर चला जाएगा (हंसी) मुझे मालूम हुआ है कि कल परसों से पुलिस फिर रही है और दुकानों के बोर्ड उतरवा रही है। मैं नहीं समझता कि बोर्डों में क्या बुराई है

[श्री केदार नाथ सहगल]

अगर यह बोर्ड लगे हुए हैं कि असैम्बली का रास्ता इधर है। M. L. A's के flats इस तरफ हैं, High Court इस तरफ है तो इस में क्या हर्ज है। अगर कोई आदमी सैर करना चाहे तो चंडीगढ़ में उस के लिए बहुत मुश्किल का सामना करना पड़े। इस तरह का कमाल चंडीगढ़ में हो रहा है।

एक मकान यहां बना हुआ है और एक बहुत दूर फासले पर। हाई कोर्ट की बिल्डिंग दो तीन मील के फासले पर बना दी। इस से लोगों को इतनी तकलीफ होती है कि मैं ब्यान नहीं कर सकता। इस के इलावा मैं यह अर्ज़ करूंगा कि गवर्नमेंट को यहां एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने के लिए buses चलाने का इन्तज़ाम करना चाहिए।

गवर्नमेंट इतनी partial है कि जो अखबार सरकार का प्रापेगंडा करते हैं उन को ज़्यादा इश्तिहार छापने के लिए दिए जाते हैं और जो प्रापेगंडा नहीं करते उन्हें सिर्फ इतने इश्तहार दिए जाते हैं कि जिस से उन्हें दो सौ या अढ़ाई सौ रुपया मिल सके। यह हालत है इस गवर्नमेंट की।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬੰਤਾ ਸਿੰਘ (ਆਦਮਪੁਰ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ! ਇਹ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ। Law and order ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਸੱਜਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ Law and order ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰੀ, ਡਾਕੇ ਤੇ ਰਾਹਜ਼ਨੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ Law and order ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾ ਸਕਣ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰੀਜਨ ਬੇਜ਼ਮੀਨ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ lease ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾ ਸਕਣ। Industrialists ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ industrial plots ਨੀਲਾਮ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਅੱਗੇ ਵਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ! ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ co-operative societies ਵਲ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ co-operative societies ਖੁਲ੍ਹ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 120 co-operative societies ਜੁਤੀਆਂ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਖੁਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਾਲੀਮ ਵਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਨੇ ਸਕੂਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਖੁਲ੍ਹ ਗਏ ਹਨ। 900 ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਇਕ ਸਕੂਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਹ ਹਨ ਕਿ C. I. D. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾ ਜਮਾਂ ਕਰਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਕਰ ਦਏ। ਮੇਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ

ਜਿਹੜੇ opposition party ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰਖਦੇ ਹਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ । ਮੇਰੇ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਜ਼ੱਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦੇਂਦੇ ਹਨ । ਕਲ ਮੇਰੇ ਇਕ ਮਾਨਯੋਗ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚੋਂ ਉਹ ਭੈਂਸ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਆਏ । ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਭੈਂਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਆਏ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਢੀ ਲੈਣੀ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਭੈਂਸ ਲੈਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ । ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਖਤਮ ਕਰ ਚੁਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਹੈ । ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਗਵਾਹ ਮੌਜੂਦ ਹਨ । ਗਵਾਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਭੈਂਸ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਬਲਕਿ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਭੈਂਸ ਲਈ ਸੀ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਵੀ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਮੇਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮਿੱਤਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ! ਸਾਡੇ ਬਜਟ ਵਿਚ 46 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੇ welfare ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1945 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ 32,500 ਰੁਪਿਆ Harijan welfare ਵਾਸਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਐਨਾ ਰੁਪਿਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । 46 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿਚੋਂ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, Training Centres ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ । ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, stipends ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਖੂਹ ਖੋਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਨਵਿਆਂ ਮਕਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਪਿਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ।

ਮੇਰੇ ਕਈ ਮਾਨਯੋਗ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਹਰੀਜਨ ਹੀ ਲੈ ਗਏ ਹਨ । ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ Education ਲਈ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਰੁਪਿਆ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ । ਇਹ ਰੁਪਿਆ ਜੱਟਾਂ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਤੇ ਖੱਤਰੀਆਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਰਾਦਰੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਤਾਂ scheduled castes ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ backward classes ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ 32 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ-ਹਰੀਜਨਾਂ ਲਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਕ ਮਿਯਾਰ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਐਨੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫੇ ਨਹੀਂ ਦਿਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਫੀਸ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ । ਇਸ ਕਾਇਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨੀ ਘੱਟ ਲਖਾਉਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ । ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਿੰਨਾਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਅਰਥਾਤ ਜੱਟਾਂ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਤੇ ਖੱਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 79 ਫੀ ਸਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦਿਆਂ ਨੂੰ 21 ਫੀ ਸਦੀ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ services ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਤਨਾਸਬ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਨੂੰ exploit ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮੈਂ ਬੜੇ ਵਸੂਕ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 21 ਫੀ ਸਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਦਸ ਫੀ ਸਦੀ ਵੀ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ । ਮਿਯਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀਜਨ candidates qualify ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ minimum qualification ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਝੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਦੇ

[ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬੰਤਾ ਸਿੰਘ]
ਆਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ reservation ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ minimum qualification ਰਖੀ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ competitions ਵਿਚ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਿਆਰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਣ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰੀ, ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਪਰਭਾਕਰ ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਪਰਭਾਕਰ ਪਾਸ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪਾਸ ਟੀਚਰਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਫੱਰਕਾ ਪਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਲਈ ਪਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਇਕ dead language ਦੇ teachers ਦਾ ਗਰੇਡ ਦੂਜੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ grades ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਸ਼੍ਰੀ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ (ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ) : ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸਰਾਹਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਪਲੈਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗੜੇ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਰੋਣਾ ਰੋਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹਰਿਆਨਾ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ। ਸਾਰਾ ਸੂਬਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਹੀ ਤਰਿਹਾਇਆ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਜ਼ੀਰ ਸਭ ਪੇਂਡੂ ਹਨ, ਇਕ ਅੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਪੇਂਡੂਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤਨੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ਼ਰੀਬ ਕਰਕੇ ਕਈ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜ਼ਰੱਈ ਤਰੱਕੀ ਸਥਾਪਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਰੂਸ ਤੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜ਼ਰੱਈ ਉੱਨਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਰੋਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਛੋਟੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਥੇ 25 ਲੱਖ ਮਾਲਕ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 1,38,000 ਮਾਲਕ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 30 standard acres ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 100 standard acres ਹੱਦ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੀ, ਮਾਲਕਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਫਿਰ ਘਟਾ ਕੇ 50 standard acres ਕੀਤੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਹੱਦ 30 standard acres ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਹੱਦ ਤੋਂ ਉੱਪਰ 1,38,000 ਮਾਲਕ ਹਨ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ 37 ਫੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਕ Ordinance ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਤੇ ਰੁਪਏ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟਿਕਟ ਵੀ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਮਾਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਲੜਾਂਦੇ ਹੋ। 2.5 ਫੀ ਸਦੀ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਤਾਂ 36,000 ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਭੁਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। 44,69,000 ਰੁਪਿਆ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਕਾਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ

ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ tractors ਖਰੀਦ ਸਕਣ । ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰੀਜਨਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਿਛੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਘਰਾਣੇ ਉੱਜੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਹਲ ਹੀ ਚਲਾਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਬਿਜਾਈ ਤੇ ਛਣਾਈ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡੇ Development Minister ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਥਕਦੇ ਕਿ 'ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ,' ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਦਾਣੇ ਉਡਾਣ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਖੋਹ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ 600 ਭਰੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਇਕਤਸਾਦੀਆਤ ਕਿਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ tractors ਲਈ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ, ਕਟਾਈ ਤੇ ਛਣਾਈ ਤੇ ਹੈ। ਇਹੋ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹਨ।

ਇਹ ਪਲੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨਸਾਂ ਦਾ ਭਾਉ ਤਾਂ ਮੰਦਾ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਪੜਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰ ਲਵੋ, ਹਾੜ ਵਿਚ ਤਾਰਾ ਡੁਬ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਪੜਾ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਤਾਰਾ ਡੁਬ ਗਿਆ ਤਾਂ Ministry ਦਾ ਤਾਰਾ ਵੀ ਡੁਬ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ Memorandum ਤੇ ਕੋਟ ਗੁਰੂ ਹਰ ਸਹਾਇ ਤੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੌ ਸੌ ਸਾਲ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਕਾਗਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹਨ . ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ ਉੱਪਰ ਰਖਦਾ ਹਾਂ..........

Mr. Speaker : Under what rules can these papers be laid on the Table. I am not aware of any such rule. Do these papers relate to the same subject matter ?

ਸ੍ਰੀ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ : ਜਨਾਬ ਅੱਧਿਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਹੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਧਿਆਂ ਦਾ ਹੋਰ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 100, 100 ਸਾਲ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਖੇੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਕਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜ਼ਬਾਨ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚੋਂ 60 ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਤਾਰੀਖਾਂ ਭੁਗਤਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੱਲੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਜਿਸਦਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚਾਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ।

श्री राम किशन (जालन्धर शहर, उत्तर पश्चिम) : स्पीकर साहिब ! मैं जनाब Finance Minister साहिब को Development और Welfare State का बजट पेश करने के लिए बधाई देता हूँ । पिछले तीन दिन से मैं ने opposition के मम्बरान की तकरीरें बड़े ग़ौर से सुनी हैं। उन्हों ने बार बार इशारा किया है कि शायद पंजाब की बरबादी के दिन आ गए हैं। उन का ख्याल है कि न तो पंजाब ने पिछले 2, 4 सालों से तरक्की की है और न मौजूदा बजट किसी किसम की तरक्की का मनज़र पेश करता है। एक माननीय सदस्य ने Mr. Slocum की appointment पर हमला किया है, तो दूसरे माननीय सदस्य ने पुलिस

[श्री राम किशन]

के बारे में नुक्ताचीनी की है और communalism के बारे में हवाले दिये हैं। अभी अभी मेरे पूर्ववक्ता ने कहा है कि पंजाब सरकार का तारा 2 महीने तक डूबने वाला है। मैं उन्हें थोड़े से फिकरों में समझा देना चाहता हूं कि पंजाब सरकार का तारा डूबने वाला है कि नहीं मैं ने opposition के मैम्बरों से यह कहना है कि उन्हें बड़े गौर से और unitedly इन चीज़ों को देखना चाहिये, पढ़ना चाहिये। उन्हें जानना चाहिये कि आन्ध्रा की दीवारों पर क्या लिखा गया है। यह जो बजट हमारे सामने आया है अगर इस का नाम Development Budget नहीं है तो फिर और किस चीज़ का नाम Development हो सकता है। उन्हें चाहिए कि पिछले 2, 4 सालों का तखमीना देखें और नई तस्वीर भी अपने सामने रखें तो फिर उन को फर्क का पता लगेगा। मैं बारी बारी हर एक item को लूंगा। Welfare State को बनाने के लिये किन किन बातों की ज़रूरत होती है, आया उन बातों की तरफ हमारी सरकार ने तवज्जुह दी है या नहीं। यह देखने की बात है। अगर वाकई पंजाब सरकार उन बातों की तरफ तवज्जुह नहीं दे पाई है तो फिर opposition के मैम्बरों ने जो कुछ कहा है 100 फीसदी ठीक है। लेकिन तस्वीर बिल्कुल उलटी है। यह तो मैं समझता हूँ कि ऐसे समाज की बुनियाद जैसी कि हम Socialistic Pattern of Society बनाना चाहते हैं अभी नहीं बना पाए हैं। लेकिन इस में शक नहीं कि इस तरफ एक कदम तेज़ी से आगे बढ़ गया है। न सिर्फ तेज़ी से कदम ही बढ़ गया है बल्कि Welfare State बनाने के लिये और अफलास को दूर करने के लिये उस सिलसिले में जो जो कदम ज़रूरी हैं तेज़ी से उठाये जा रहे हैं। स्पीकर साहिब, कौन नहीं जानता कि Rome was not built in a day। रोम एक दिन में नहीं बन गया था बल्कि उसे बनते बनते कई सदियां लग गई थीं। इस बजट में जहां तक Administration पर खर्च का ताल्लुक है उस में एक तरह से कमी की गई है। गौर से देखने से पता लगता है कि यह बजट सही मानों में Development का बजट है। 1951-52 में Administration पर 31% खर्च होता था और Development की स्कीमों पर केवल 22% खर्च होता था आज चार पांच साल के बाद यह शक्ल बन गई है कि जहां तक Administration पर इखराजात का ताल्लुक है वह 31% से कम हो कर 22 से 23% तक आ गया है। जहां तक पुलिस का ताल्लुक है मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अगर हम सारे हिन्दुस्तान का नकशा देखें तो बावजूद इस बात के कि हमारी स्टेट एक बार्डर स्टेट है और इसे बार्डर पुलिस का खर्च बरदाश्त करना पड़ता है दूसरी स्टेटों से हमारी स्टेट का पुलिस का खर्च कम है। मैं इस सम्बन्ध में हिन्दुस्तान की दूसरी स्टेटों के आंकड़े देना चाहता हूँ। 1954-55 में West Bengal में पुलिस पर 10·9% बिहार में 9·9%, बम्बई में 12·6%, मद्रास में 10% और उत्तर प्रदेश में 9·1% खर्च पुलिस पर हुआ। लेकिन इन के मुकाबिले में पंजाब का खर्च सिर्फ 8% है। स्पीकर साहिब, अगर हम world के बड़े बड़े शहरों में पुलिस के खर्च को देखें तो हमें हैरानी होगी कि वहां पर कितना ज़्यादा खर्च पुलिस पर किया जाता है। Calcutta के श्री नरेश दत्त ने जो कि सारी दुनिया का tour कर के आए थे बड़े बड़े शहरों में किये जाने वाले पुलिस के खर्च के आंकड़े दिये हैं। उस खर्च को सुन कर आप को हैरानी होगी। उन के मुताबिक मास्को में

पुलिस पर 19 करोड़ रुपया सालाना खर्च होता है, लण्डन में 24 करोड़ सालाना, टोकियो में 20 करोड़ सालाना और न्यूयार्क में 25 करोड़ सालाना खर्च आता है। उस के मुकाबला में पंजाब में पुलिस पर बहुत कम खर्च होता है। और वह भी किसी को suppress करने के लिये नहीं दबाने के लिये नहीं बल्कि जनता की peaceful living के लिये, जनता की हिफाजत के लिये और border State की रक्षा के लिये है। पंजाब में कई black sheep भी हो सकती हैं। उनके हाथों से पंजाब की हिफाज़त करने के लिये और पंजाब में Law and Order कायम रखने के लिये यह खर्च किया जा रहा है। इस लिये यह कोई ज़्यादा खर्च नहीं है।

स्पीकर साहिब, इस के आगे मैं Education के बारे में कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ। पिछले सालों का बजट मुलाहिज़ा किया जाये तो मालूम होगा कि शिक्षा के खर्च में 240% इज़ाफा हुआ है। यह बात हमारे लिये कितनी काबले फख़र है। पिछले पांच सालों में प्राइमरी students की तादाद दो लाख के करीब बढ़ गई है। Secondary Schools में students की तादाद 1·23 लाख बढ़ गई है। पिछले पांच वर्षों में 5685 के करीब नये Primary Schools स्टेट में खोले गये हैं। क्या यह सब हमारे लिये गौरव की बात नहीं है? Russia जिस को मेरे दोस्त ideal State मानते हैं आज़ाद होने के बाद 19 वर्ष तक compulsory education न कर सका उस के मुकाबला में कोई ऐसा गांव नहीं रहा कि जहां पंचायत हो और स्कूल न हो। क्या इतने थोड़े से अरसे में की गई इतनी बड़ी तरक्की पर हमें गौरव नहीं हो सकता? मुझे यह कहते हुए खुशी होती है कि अम्बाला और जालन्धर डिवीज़न में 89 dispensaries पहले provincialize की जा चुकी हैं और 81 नई dispensaries अगले वर्ष में provincialize की जाएंगी। 40 आयुर्वैदिक और यूनानी dispensaries पहिले खोली जा चुकी हैं और 25 और खोलने की provision की गई है। मैं अपने भाइयों से पूछना चाहता हूँ कि जो तरक्की पंजाब स्टेट ने पिछले चार पांच वर्षों में medical तौर पर की है क्या यह सन्तोषजनक नहीं है? अभी पिछले वर्ष में ही कुरुक्षेत्र में इतना बड़ा भारी मेला हुआ था। उस मेले में सारे भारतवर्ष में से लाखों प्राणी एकत्र हुये थे। वे सब वहां की गई चिकित्सक व्यवस्थाओं को देख कर हैरान रह गए। पंजाब प्रदेश ने सारे हिन्दुस्तान के सामने एक नई तस्वीर पेश की है। स्पीकर साहिब, न सिर्फ यह बल्कि मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि अपोजीशन के मैम्बरान ने अपनी दो दिनों की तकरीरों में यह कहा कि पंजाब में industry बिल्कुल नहीं, cottage industry का नामोनिशां भी नहीं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि इस साल कपड़े की production में 42% का अज़ाफा हुआ और woollen में 17% का। इस तरह पंजाब में Five Year Plan को execute करने के लिए जहां administration decentralise करने की तरफ पूरी तौर से कोशिशें हो रही हैं और मुख्तलिफ directions में कदम उठाए जा रहे हैं, वहां cottage industries और दूसरी small scale industries को फरोग देने के लिये भी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जा रही। कोई भी आदमी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि पंजाब में आज एक आर्थिक इनकिलाब आ रहा है। एक ऐसा इनकिलाब आने वाला है जिस में बड़े बड़े आदमी नीचे आएंगे और जो पिछड़े हुये हैं, जो नीचे तबके के हैं जिन्हें भरपेट खाने को नहीं मिलता वह इधर उधर जाएंगें। वह

[श्री राम किशन]

वक्त बहुत जल्द आ रहा है जब कि from have to have not होने वाला है। मुल्क की society और economy में एक क्रान्तिकारी परिवर्तन आता जा रहा है। मेरे दोस्तों ने Socialistic Pattern of Society का नाम लेकर बड़ा वावेला मचाया। Socialistic Pattern of Society के आखिर क्या मायेंने है? क्या मौजूदा बजट मुल्क को, सूबे को उस तरफ लेजाने वाला नहीं है? स्पीकर साहिब, मैं आप के द्वारा हाऊस के मैम्बरान से पूछना चाहता हुँ कि आखिर Socialistic Pattern of Society किस चीज़ का नाम है? उस तरफ कदम बढ़ाने के लिए सब से ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि ज़्यादा अनाज पैदा किया जाए ज़्यादा दौलत पैदा की जाए और उस दौलत को बांटने के लिए ऐसे साधन ढूंडे जाएं जिन से मुल्क में दौलत की मुसावी तौर पर तक़सीम हो। अगर हम इस नुक्ता नज़र से देखें तो पंजाब की क्या हालत है? आप उस चीज़ का अन्दाज़ा लगाने के लिए सन 1944-45 या उस वक्त की हालत को देखें जब कि मुल्क में partition हुआ था। आप उस वक्त के नक्शे को देखें और उस वक्त के मुकाबला में क्या अब नुमायां अज़ाफा नहीं हुआ? क्या इस पंजाब में हमें वह prosperity होती नज़र नहीं आती जो कि socialistic **pattern** का object है? स्पीकर साहिब सन् 47-48 में सारा पंजाब जितना चावल पैदा किया करता था, उतना——उतना ही नहीं बल्कि उस से भी ज़्यादा चावल अपनी जरूरतों को पूरा करने के अलावा आज हम दूसरी States को export कर रहे हैं। यही बात cotton के बारे में कही जा सकती है। काटन की production में 300 फीसदी increase हुई है। Industrial field में भी हमारा सूबा किसी से पीछे नहीं। हौज़री, साईकल पार्टस, मशीन बनाने, धोती और काटेज industries में हम ने बहुत ज़बरदस्त कदम आगे बढ़ाये हैं।

बेकारी के मसले पर भी काफी कुछ कहा गया है। बड़ा वावेला किया गया है। मैं मानता हूँ कि हमारे मुल्क में, हमारे राज्य में बेकारी है। बेकारी आखिर कैसे दूर हो सकती है? दावों से तो बेकारी दूर नहीं होने वाली है। गाली गलौच से दूर नहीं होने की। यह बला तो तभी दूर होगी जब देश की दौलत में अज़ाफा होगा, देश की production बढ़ेगी। आज क्या हालत है? कौन नहीं जानता कि हिन्दुस्तान की हकूमत और पंजाब की सरकार बड़ी तेज़ी से बेकारी और बेरोज़गारी को दूर करने के लिये एक के बाद दूसरा कदम उठा रही है? National investment का 5% हम ने Five Year Plan पर additional खर्च किया हैं। अगले प्लान में हम और भी ज़्यादा खर्च provide करने वाले हैं। इस बात से साफ ज़ाहिर होता है कि यह प्लान मुल्क की दौलत और खुशहाली में एक बहुत भारी अज़ाफा करने वाली है। इस तरफ यह 5 Year Plan एक नुमायां कदम है। इस की बहुत भारी अहमीयत है। इस साल की तो और भी ज़्यादा अहमीयत है क्यों कि यह साल हमारी पहली पांच साला योजना का आखरी साल है। मैं तो यह कहूंगा कि हमें आप की प्लैन की importance क्या मालूम होगी अगर हम इस का उन तमाम बड़े बड़े मुल्कों से मुकाबला करें जिन्हों ने अपनी तरक्की के लिये इसी तरह की योजनाएं बनाईं। मैं आप के द्वारा मैम्बर साहिबान को बताना चाहता हूं कि जहां इन्गलैंड ने अपनी production में 100% increase करने के लिये अपनी national investment का 43% खर्च किया, जहां U S.A. ने अपनी national income में

130% increase करने के लिये 43 साल लगाये और national investment का 35% बल्कि 40% लगाया था, जहां जापान में income को दुगना करने के लिये 34 साल लगाए थे वहां हमें दावा है इस बात का और हम बखूबी फखर कर सकते हैं कि आयन्दा 15 या बीस सालों के अन्दर हम अपनी national income को 35 या 40% ज़्यादा करने में सफल हो जाएंगे जब कि दूसरे मुल्कों के मुकाबला में investment को देखा जाए तो वह 5% या 7% ही होगी जिस से न केवल देश में खुशहाली ही होगी बल्कि बेरोज़गारी भी हमेशा के लिये खतम हो जायेगी।

स्पीकर साहिब, बहस के दौरान में ही सलोकम के बारे में बहुत कुछ कहा गया। इस के अलावा बजाए गवर्नमेंट की प्रशंसा करने या इस की दाद देने के यह कहा गया कि कौनसी बड़ी तरक्की की है। अगर अंग्रेज़ी राज होता तो क्या स्कूल न खुलते ? बड़ी तन्ज़न यह कहा गया कि क्या उन के राज्य में सड़कें न बनती या हस्पताल न खुलते इस लिये अगर इस गवर्नमेंट ने भी कुछ थोड़ा बहुत काम कर दिया तो क्या हुआ। ठीक है। खास तौर पर अपने लीडर आफ दी आपोज़ीशन और दूसरे मुखालिफ़ मेंबरान को याद दिलाना चाहता हूँ कि क्या उन्हें इस Post War Development Scheme की याद नहीं जो उस गवर्नमेंट ने बनाई थी जिस के हरएक रूकन और ज़मींदारा पार्टी के मैम्बर भी रुकन थे ? उस की हिस्ट्री को पढ़ कर आप बतायें तो सही की कितनी development की गई थी plan के नीचे हमारे सूबा में। आप ज़रा बताएं तो सही कि कितनी prosperity उस प्लेन के ज़रिए हमारे मुल्क में लाई गई। आप की विसातत से बड़े अदब के साथ मैं लीडर आफ़ दी अप्पोज़ीशन को बताना चाहता हूँ कि बेशक नुक्ताचीनी करें। नुक्ताचीनी करना इस democracy में उन का पूरा हक है। लेकिन हम यह नहीं बरदाश्त कर सकते कि वह खड़े हो कर इधर उधर की बातें करते रहें और खाहमखाह कीचड़ उछालते रहें।

श्री बाबू दयालः On a point of order, Sir. क्या मैं जान सकता हूं कि वक्त की जो restriction रखी हुई है वह हमारे लिये ही है या इन के लिये भी ?

सिंचाई मन्त्रीः लियाकत के मुताबिक होती है (interruptions)

Mr. Speaker : Order, Order.

ਸਰਦਾਰ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ : ਲਿਅਕਤ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ?

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, (Why do you create heat in the discussion ?)

ਸਰਦਾਰ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ : ਆਖਿਰ ਲਿਆਕਤ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ? ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਕਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ? He should withdraw these words.

सिंचाई मन्त्री : मैं ने नहीं कहा।

ਸਰਦਾਰ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ : ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। Sir, he should be asked to withdraw his words.

Minister for Irrigation : You have no auth ority to talk like this.

Sardar Gopal Singh : Mr. Speaker, I request you to ask the Minister to withdraw his words.

Minister for Irrigation : Why should you utter such indecent words ? You must learn manners.

Mr. Speaker : I would ask the hon. Member to withdraw his words :

Sardar Gopal Singh : Sir, I withdraw my words.

Mr. Speaker : I think the Minister should also withdraw his words.

Minister for Irrigation : Sir, I withdraw my words.

पंडित श्री राम शर्मा : On a point of order, Sir. चौधरी साहिब ने क्या कहा कि टाइम लियाकत के मुताबिक दिया जाता है ? ......

अध्यक्ष महोदयः आप ने खुद ही तो सुझाव दिया था कि जो ज़्यादा important बोलने वाले हैं उन्हें ज़्यादा टाइम दिया जाये । इसी के मुताबिक मैं ने आप को आधा घण्टा, सरदार हरकिशन सिंह सुरजीत को 45 मिनट और सरदार गोपाल सिंह खालसा को 30 मिनट तक बोलते रहने की इजाज़त दी थी । इसी तरह श्री राम किशन भी कुछ और समय के लिये बोल सकते हैं । गवर्नमेंट बैंचिज़ वालों का भी यह मुतालबा है कि चाहे किन्हीं मैम्बरान को बोलने के लिए पांच या दस मिनट ही दिये जायें पर कुछ को ज़्यादा वक्त भी दिया जाए । फिर भी अगर आप हिसाब लगायें तो मालूम होगा कि आप की तरफ यानी अपोजीशन वालों को गवर्नमेंट मैम्बरोंकी बनिस्बत ज़्यादा टाइम मिला है । (You yourself suggested that the important members be allowed more time to speak. Accordingly I allowed you to speak for half an hour. Sardar Harkishen Singh Surjit spoke for forty five minutes and similarly Sardar Gopal Singh took 30 minutes to finish his speech. Similarly Shri Ram Kishan can also be allowed to speak for some more time. Members from the Government benches demand that although some may speak for only five or ten minutes but a few from amongst them should be given more time. However, if the time taken by the opposition and the Government benches is counted, it will be seen that the opposition has been allowed more time to speak than the Government party.)

पंडित श्री राम शर्मा : मैं ने तो यह नहीं कहा कि आप किसी को टाइम देते हैं या किसी को नहीं । मैं ने तो यह कहा है कि मिनिस्टर साहिब ने क्यों कहा कि टाइम लियाकत के मुताबिक दिया जाता है ?

अध्यक्ष महोदय: छोड़िए अब इस बात को । उन्होंने withdraw कर लिया है ? (Please leave this topic now. He has already withdrawn his remark about this.)

श्री राम किशनः स्पीकर साहिब, मैं यह अर्ज़ कर रहा था कि सलोकम साहिब का बार बार ज़िक्र किया गया है । इस का जवाब देने से पहले मैं अपनी तरफ से लीडर आफ दी अपोजीशन का ध्यान भाखड़ा की हिस्ट्री की तरफ खींचना चाहता हूँ । आखिर भाखड़ा को बनाने का काम कब से शुरू हुआ ? सन 1948 के अन्दर । लेकिन जब मुल्क की पार्टीशन हुई तो इस वक्त इस की

कितनी progress हुई थी ? क्या इस बात से कोई इनकार कर सकता है कि जब पार्टीशन के वक्त हम ने इसे सम्भाला तो उस वक्त इस के मुतल्लिका कागज़ात भी गुम थे तो बतायें आप की यूनियनिस्ट सरकार ने, जिसे कि इस को शुरु करने का सिला दिया जाता है इस को कहां तक मुकम्मल किया ?

स्पीकर साहिब, इस में कोई शक नहीं कि सलोकम साहिब को इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा तनखाह दी जाती है। कौन नहीं जानता कि इस पर experts लगाने के लिये बात चीत सन् 1945 से हो रही थी ? जब देश आज़ाद हुआ और मुल्क में नई वज़ारत बनी उस वक्त इस बात चीत को छोड़ा नहीं गया। यह selection हमारी पंजाब गर्वनमेंट ने ही नहीं की, इस को select करने के लिये हिन्दुस्तान के Prime Minister, Finance Minister, Public Works Minister और हमारी सरकार, सब ने मिल कर फैसला किया। लेकिन अब जब बहस की जाती हैं तो कहा जाता है कि यह एक मामूली सा मिस्त्री हैं, यह है, और वह है।

आज दुनिया में Mr. Slocum dams की construction के सम्बन्ध में एक माना हुआ engineer है। America में इस ने 18 dams बनाए हैं और America का सब से बड़ा Coolie Pally का dam भी इस ने बनाया है। इस लिए मैं इन से कहना चाहता हूं कि भाखड़ा dam के बनाने के लिये Mr. Slocum का सही इन्तखाब किया गया है। आखिर यह कौन नहीं जानता कि दुनिया में सब से बड़े तरक्कीयाफ़ता मुल्क का दावा करने वाले देश रूस में भी revolution हो जाने के 11 साल बाद सब से पहले development के काम शुरू हुए थे और यह भी कौन नहीं जानता कि वहां के Dnieper Dam को उस सरमायादार और मालदार अमैरिका देश के Marshal Cooper ने ही बनाया था और वहां के Dizney dam को किस ने बनाया था ? इस को बनाने वाले Russian Engineers नहीं थे। वह भी अमेरिका की एक Engineering Company ने रूस में जा कर ही बनाया था। स्पीकर साहिब, undeveloped countries को develop करने के लिये developed countries के technicians की सहायता लेनी पड़ती है। अंग्रेज़ हमारे देश को un developed छोड़ गये थे। इस भाखड़ा नंगल project के मुकम्मल हो जाने पर जो prosperity और खुशहाली पंजाब के अन्दर आने वाली है इसे कोई नहीं देखता। 15 अगस्त 1947, को यह उजड़ा हुआ और वीरान पंजाब हमारे हाथ आया था। जहां तक नहरों का ताल्लुक है, जहां तक बिजली का सम्बन्ध है और जहां तक tubewells का ताल्लुक है अगर इन चीज़ों के आदादोशुमार को देखा जाए तो पता चलेगा कि 15 अगस्त, 1947 से पहले यहां क्या था और अब क्या कुछ हो गया है। Partition से पहले यहां के 16,000 गावों और 185 towns में से कितने एक गांव और towns electrified थे, कितने यहां tubewells थे और यहां कितनी नहरें थीं। 15 अगस्त, 1947 से पहले, स्पीकर साहिब, यहां के कुल 40 towns और villages electrified थे और उन में से 15 गावों में बिजली गई हुई थी। लेकिन 15-8-1947 के बाद 470 villages have been electrified. इसी तरह जहां तक tubewells का ताल्लुक है partition के वक्त जहां पंजाब के अन्दर कुल 50 tube-wells, थे वहां आज 2414 tubewells हो गये हैं। (तालियां)

क्या यह हमारे लिये गौरव की बात नहीं है, क्या यह हमारे लिये फख्र की बात नहीं है कि इतने थोड़े अरसा में जहां सिर्फ 40 शहरों और गांवों में बिजली मिलती थी वहां अब 470 गांवों

[श्री राम किशन]

के अन्दर बिजली मिल रही है और जहां पहले कुल 50 tubewells थे वहां अब 2414 tubewells चल रहे हैं और tubewells भी वह जो केवल एक tubewell 400 एकड़ ज़मीन को सेराब करने वाला है। स्पीकर साहिब, यह कौन नहीं जानता कि यहां इनकलाब आ गया है और इनकलाब चला आ रहा है। आखिर यह बिजली जो हम इतनी भाखड़ा नंगल से निकाल रहे हैं वह कहां जाएगी ? वह क्या गवर्नर महोदय के बंगले में जाने वाली है, वह क्या इन मिनिस्टर साहिब के बंगलों में ही जाने वाली है ? स्पीकर साहिब, यह बात किस से छिपी हुई है कि यह बिजली पंजाब के शहरों और गांवों को जा कर रोशन करे गी वहां industries को फैलायेगी। यही नहीं वह बिजली जाएगी राजस्थान में, वह जायेगी पैप्सु के शहरों और गांवों में, वह जायेगी हिन्दुस्तान की राजधानी दिल्ली में और वह जाएगी उत्तर प्रदेश के मेरठ division में। और यह कई किस्म के काम आएगी। बल्कि स्पीकर साहिब, यह कौन नहीं जानता कि इस बिजली से सिंद्री जितना बड़ा fertiliser का कारखाना यहां चलाया जाने वाला है। सिंद्री जैसी fertiliser factory नंगल में लगने वाली है। और जितना fertiliser उस factory से तैयार होता है उतना ही यहां से तैयार किया जाएगा। फिर इस बिजली के साथ यहां atomic energy पैदा करने वाला एक plant लगाया जायेगा जिस से atomic energy पैदा की जाएगी। वह energy atom bomb बनाने के लिये नहीं इस्तेमाल की जायेगी बल्कि वह इस देश को industrialise करने; इसे ज़्यादा प्रभावशाली और शक्तिशाली बनाने के लिये काम में लाई जायेगी। यह इस देश का सारा नकशा बदलने में काम आयेगी। इस से seven tons heavy water तैयार किया जाएगा। जिस से आज जो हमें यह बिजली चार पांच आने unit मिल रही है तब वह एक पैसा या डेढ़ पैसा फी unit सारे देश को मिल सकेगी। क्या हमारा पंजाब तरक्की नहीं कर रहा, क्या यह राज्य तरक्की की तरफ नहीं बढ़ रहा ? फिर मेरे एक दोस्त ने कहा है कि यह जो हमारे पंजाब पर 183 करोड़ रुपया का debt हो गया है इस से यह दिवालिया हो जाएगा। मैं उन्हें बताता हूँ कि आखिर इस debt के बगैर, इस कर्ज़े के बगैर यह सब काम कैसे चल सकते हैं। फिर यह तो productive debt है याना यह productive कामों पर लगाया जा रहा है। इस के बगैर हम कैसे सारा projects तैयार कर सकते हैं। यहां जो अंग्रेज़ ने railways का जाल बिछाया था तो वह क्या सारा कर्ज़े की रकम से नहीं बिछाया गया था ? क्या वह कर्ज़ा उन्हीं रेलों की आमदनी से उतर नहीं गया था ? आज दुनिया में सब से ज़्यादा धनवान देश अमेरिका गिना जाता है। यह कौन नहीं जानता कि उस देश ने भी Britain से रुपये और technicians की सहायता ले कर अपनी यह सारी development की थी जिस के कारण आज वह एक बड़ा धनवान देश बन गया है। और हम ने जो कर्ज़ा लिया है यह भी डूबने वाला नहीं। जितना कर्ज़ा हम ने इस वक्त तक लिया है वह है 183 करोड़ रुपया और वह सारे का सारा development के कामों पर लगाया जा रहा है। इस में से 124 करोड़ तो सिर्फ भाखड़ा नंगल पर खर्च किया गया है और 36 करोड़ हरि के पत्तन पर खर्च होने वाला है। कौन कह सकता है कि भाखड़ा नंगल और हरिके पत्तन पर किया गया खर्च डूब जाने वाला है ? इस बात से कौन इनकार कर सकता है कि इन projects से हमारा पंजाब Ukraine बनने वाला है ? यह चार पांच साल के अन्दर Switzerland बन जायेगा।

स्पीकर साहिब, अगर हम अपने बजट को development के point of view से देखें तो यह बात साफ है कि जितना खर्च development के कामों पर 1951-52 में किया गया था उस से तकरीबन $2\frac{1}{2}$ गुना रुपया इन कामों पर खर्च करने के लिये इस साल के बजट में रखा गया है। 1951-52 के साल में development के कामों पर कुल 22 करोड़ रुपया खर्च किया गया था और इस साल अगर हम यह सारा कुछ मिला लें जो रुपया हमें इन कामों के लिये भारत सरकार से मदद की शकल में मिला है या जो हम ने इन कामों के लिये कर्ज़ा उस से लिया है या हमारी सरकार अपने पास से खर्च कर रही हैं तो यह कुल 53,56,00,000, रुपया की रकम हो जाती है। यानी 1951-52 के साल से 39,00,00,000 रुपया से ज़्यादा इस साल development के कामों पर खर्च किया जाने वाला है। मैं इन भाइयों से पूछता हूँ कि यह जो करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है यह क्या देश को बंजर बनाने के लिये किया जा रहा है। स्पीकर साहिब, नुक्ताचीनी अच्छी चीज़ है लेकिन मैं इन्हें बताता हूँ कि देश के अन्दर इनकलाब आ रहा है और यह इनकलाब की आवाज़ आ रही है और इस इनकलाब से social और आर्थिक समानता आ रही है। मेरे एक दोस्त ने कहा है कि देश में सब को एक जैसा करने के लिए बड़ों को नीचे लाना चाहिए और छोटों को ऊपर उठाना चाहिए। स्पीकर साहिब, कौन नहीं जानता कि हाल ही में जो Taxation Inquiry Committee बनी थी उस ने अपनी report दे दी है और उस रिपोर्ट की बिना पर हम अपने देश को socialistic pattern पर बनाना चाहते हैं। उस कमेटी की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर हमारी मर्कज़ी सरकार का बजट बनाया गया है। यह कौन नहीं जानता कि अगले दो तीन सालों में यह किया जाने वाला है कि अगर किसी आदमी की net income दो लाख रुपया होगी तो उस के पास कुल 59 हज़ार रुपया रह जायेगा बाकी सरकार ले लेगी और अगर किसी की net income 5 लाख होगी तो उस के पास 94 हज़ार रुपया रहने दिया जायेगा। यह तबदीली हमारी भारत की सरकार लाने वाली है। मैं अपने दोस्तों को यह कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में इनकलाब आने वाला है और अगर इन्हें अपने देश के साथ ज़रा भी दर्द है, अगर यह अपने देश को अपने पंजाब को आगे तरक्की की तरफ ले जाना चाहते हैं और यह समझते हैं कि इस राज्य की, इस पंजाब की इज्ज़त हो और मैं समझता हूँ कि वह यह सब कुछ चाहते हैं और मैं इन्हें कहूँगा कि आप आइये इस पंजाब को शक्तिशाली बनाने के लिये, इस राज्य को मज़बूत बनाने के लिये और इस पंजाब से गरीबी को हटाने के लिये जैसा कि हमारे देश के नेता पंडित जवाहर लाल नेहरू कहते हैं "quit poverty, quit ignorance", आइये हम मिल कर चलें। (तालियां)

श्री माडू सिंह मलिक (सांपला) : स्पीकर साहिब, इस बजट पर परसों से बहस हो रही है। इस के दौरान में अभी मेरे एक लायक दोस्त ने socialistic pattern का ज़िक्र किया है और इस देश में, इस सूबा में इनकलाब आने का ज़िक्र किया है। यह जो बजट हाऊस के सामने पेश है इस में तो कहीं socialism का ज़िक्र नहीं है न ही मुझे इस में कहीं socialism नज़र आता है। जिस socialism का नाम यह लेते हैं क्या वह यही है कि सरकारी मुलाज़मतों में एक तरफ तो 25 रुपया लेने वाले आदमी हों और दूसरी तरफ दस दस हज़ार रुपया तनख्वाह वाले आदमी भी हों। क्या इस का नाम ही socialism है कि बड़े बड़े कारखानेदार और सरमायादारों की मदद की जाए और जो गरीब देहात वाले हों उन की परवाह न की जाए ? इस तरह Socialistic Pattern की society नहीं बन सकती। इस तरह socialism नहीं

[श्री माड़ू सिंह मलिक]

आ सकता। इस बजट में जितनी मदद छोटी दस्तकारियों को दी जा रही है इस सारी रकम से बड़ी रकम शायद एक ही कारखानेदार या सरमायादार को Finance Corporation से दे दी गई है जिस का कल ज़िक्र किया गया। कहा गया है कि पहले भी कर्ज़ हुआ करता था। यह ठीक है कि कर्ज़े के बगैर काम नहीं चल सकता लेकिन कर्ज़ा वसूल कैसे होगा। आज कीमतें गिर रही हैं। महंगे भावों के वक्त दिया गया कर्ज़ा सस्ते भावों के वक्त अदा नहीं हो सकता। पहले अजनास के भाव 20/-/-रु० मन या 18/-/-, 19/-/-रु० मन थे। आज किसान के चने 5,6 रु० मन बिक रहे हैं, गेहूँ 10, 12 रुपए मन बिक रहा है। किसान में ताकत नहीं कि कर्ज़ अदा कर दे। आज किसान बोझ से दबा पड़ा है। Development charges, water rate और आबयाना वगैरा मुज़ारों और ज़मीनदारों से वसूल होगा। कर्ज़े का सारा बोझ किसान पर होगा। इस का सालाना सूद $5\frac{1}{2}$ करोड़ रुपया देना पड़ता है। अगले साल यह सूद की रकम 6 करोड़ हो जाएगी पंजाब जैसी छोटी State पर यह बहुत बोझ है और यह सारे का सारा किसानों से वसूल होगा। इस के अलावा रुपया वैसा का वैसा ही पड़ा रहेगा। इन हालात में यह बजट एक Socialistic Pattern की Society का कैसे हो सकता है। यह Socialism लाने वाला बजट नहीं है बल्कि सरमाएदारी लाने वाला बजट है।

मेरे लायक दोस्त लाला केदार नाथ जी ने कहा कि यह रोहतक और उस के आस पास के इलाके की खबर नहीं लेते इस लिये यह ज़िले पंजाब से कट जाना चाहते हैं। मैं अर्ज़ करूं कि यह हमारी बड़ी खबर लेते हैं। पिछले जनवरी के महीने में इन्हों ने हमारी खूब खबर ली जो रोहतक और सिरसा के लोगों को याद रहेगी। सरकार ने अपनी पुलिस के ज़रिये ज़िला रोहतक और सिरसा वालों की खूब खबर ली जिसे अम्बाला Division कभी नहीं भूलेगा। इस बात का ज़िक्र पिछले साल भी हुआ था और होता ही रहा है। इसी तरह कौमी कर्ज़ लेने के वक्त फिर रोहतक ज़िले की खूब खबर ली गई। पिछले साल Red Cross का चन्दा लिया गया। कागज़ों में दर्ज है। Deputy Commissioner ने पटवारियों की मार्फत लोगों को बुलाया कि आओ और खेवट बनवा लो वरना ज़मीन चली जायेगी। लोग तहसीलों में आए और दो 2 सौ और अढ़ाई 2 सौ रूपए उन से चन्दा लिया गया।

(सिंचाई मन्त्री : Public के लिये ही था।) ठीक है यह चन्दा public के लिये ही था मगर चन्दा लेने के लिये सरकार के ज़िम्मेदार अफसरान ने लोगों को यह क्यों कहा कि आओ खेवट अलग अलग करवा लो वरना ज़मीन चली जायेगी। इस बहाने से चन्दा लेना जायज़ करार दिया जाता है। यह public के साथ धोका नहीं तो क्या है (सिंचाई मन्त्री : Wrong statement.) मेरे दोस्त कहते हैं कि यह wrong statement है। मगर मैं कहता हूँ कि आप को पता ही नहीं, आप को नोटिस ही नहीं। मेरे दोस्त corruption को हटाना चाहते हैं। क्या यह corruption नहीं है कि Adminis- tration में दखल देते हैं, लोगों में गलत प्रचार करते हैं, public platform से वज़ीर अपने अखबारों के लिये चन्दा लेते हैं, क्या यह जायज़ है ? क्या यह corruption नहीं है ? अब मैं एक गांव की मिसाल देता हूँ। बीयुल गांव में 300 बीघे ज़मीन को मोरी दी गई है जब कि कायदा यह है कि कम से कम 300 एकड़ ज़मीन के लिये मोरी लगाई जाये। फिर कनैली गांव के अन्दर लोगों ने दरखास्त दी कि मोरी लगा दें। I. P. M. साहिब इतने ज़िम्मेदार हैं, उन्होंने कहा "नहीं मोरी नहीं देंगे,"

से एक खास गांव को नुकसान पहुंचता है। यह corruption नहीं है तो क्या है ? कहते हैं जो उन के साथ रहेगा उसे पानी मिलेगा जो मुखालिफ होगा उसे पानी नहीं मिलेगा।

(सिंचाई मन्त्री : Wrong statement.) मेरे पास दरख्वास्त मौजूद है। गुरुकुल खानपुर के अन्दर मोघे के लिये दरख्वास्त दी। पानी दिया गया मगर एक महीने के बाद बन्द कर दिया गया। फिर दरख्वास्त दी गई तो गुरुकुल के लिये तीन गुना पानी कर दिया गया मगर जब दरख्वास्त दी गई कि गांव को भी फहरिस्त में शामिल कर लिया जाए, वहां के लोगों के इस्तेमाल के लिए मोरी दी जाये तो कह दिया नहीं गांव के लिये पानी नहीं दे सकते। इन से कहा गया कि ज़मीन नई है, बारानी है, पहले काश्त नहीं होती थी पानी दें। पानी नहीं दिया गया मगर दूसरी जगह पानी दिया गया। मैं अर्ज़ करूंगा कि I. P. M. साहिब सब को यक्सां समझें और ऐसी बातों में मुखालफों और मददगारों से एक जैसा सलूक होना चाहिये। वह पंजाब के वज़ीर हैं, सूबे के मालिक हैं। यह नहीं होना चाहिये, कि किसी से रियायत करें और किसी को धमकियां दें।

(सिंचाई मन्त्री : स्पीच बजट पर कर रहे हैं या लहरी सिंह पर) चौधरी लहरी सिंह भी तो पंजाब के वज़ीर, पंजाब के मालिक हैं उन से कह रहा हूँ।

फिर Law and Order का ज़िक्र किया गया। वज़ीर साहिब फिर कहेंगे स्पीच मेरे मुताल्लिक कर रहा है। पंजाब के वज़ीर 10 नम्बर के बदमाशों के घर जा कर उन के मकानों पर उन्हें मिलते हैं। मेरे गांव में सिंचाई मन्त्री गए और उन के मकान पर गए। (सिंचाई मन्त्री : Wrong statement.) मैं challenge करता हूँ। (सिंचाई मन्त्री : You were not there. How can you challenge ?) But you were there मैं challenge करता हूँ उस का एक मुकद्मा था। एक साल की कैद भी हुई थी। उसे यकीन दिलाया कि वह बरी हो जाएगा। और वह बरी हो गया।

अध्यक्ष महोदय : आप तो वकील हैं आप ऐसी बातें न करें ? (The hon. Member is a lawyer. He should not indulge in such talk.)

श्री माड़ू सिंह मलिक : स्पीकर साहिब, मैं Law and Order के मुताल्लिक कह रहा हूं कि इस में ज़िम्मेदार लोगों की तरफ से interference होती है।......

स्पीकर साहिब, मैं आप को बताना चाहता हूँ कि हमारे वज़ीर साहिब ने ऐसे आदमी को लाईसंस देने की सिफारिश की जिस का नाम 10 न० रजिस्टर में दर्ज है। उन्होंने सिफारिश की कि इसे बन्दूक का लाईसंस दे दें। पिस्तौल का लाईसंस देदें। उस को लाईसेंस न दिया गया तो आप Superintendent of Police से नाराज़ हो गए और उन्हें कहा कि "तुम ने मेरे दोस्त को लाईसेंस नहीं दिया इस लिए तुम्हें तबदील किया जाता है"। यह है Law and Order की हालत। तो इस तरह वज़ीर साहिब ऐसे लोगों की सिफारिशें करते हैं। ऐसी हालत में अमन कैसे रह सकता है ? हमारे सूबे के अन्दर Law and Order न होने की वजह यह है कि वज़ीर अपने रिश्तेदारों के कामों के लिए Administration में मदाखलत करते हैं। Law and Order तब कायम हो सकता है जब Administration में किसी किस्म की interference न हो। Administration में ज़िम्मेदार अफसरों की तरफ से वज़ीरों

[श्री माडू सिंह मलिक]

की तरफ से और अपने दोस्तों की तरफ से रोज़ाना मदाखलत से Law and Order कायम नहीं रह सकता।

साहिबे सदर, रोहतक के ज़िले में और आस पास के ज़िलों के अन्दर पिछले दिनों पुलिस ने ज़्यादतियां कीं। बेगुनाह लोगों पर मुकदमे चलाए गए।

अध्यक्ष महोदय : General Administration की बहस पर खास दिन मिलेंगे इस लिए आप उन बातों पर ज़ोर न दें जिनके लिए अलहदा दिन रखे गए हैं। आप को काफी मौका मिलेगा। (There will be separate days for the discussion on General Administration. The hon. Member, therefore, need not discuss those points now for which he would get an opportunity on certain specific days allocated for this purpose.)

श्री धर्म वीर वासिष्ठ (हसनपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह जो आज मुझे बोलने का आप ने समय दिया है इस में से आधा समय तो मैं इधर बैठे भाइयों की बातों का जवाब देने में लगाऊंगा और आधे वक्त में (पंडित श्री राम शर्मा : मुबारिकबाद दूंगा) चन्द और बातें कहूँगा।

मेरे एक मुअज़्ज़िज़ साथी जो मेरे ज़िला से ही हैं श्री केदार नाथ सहगल ने फरमाया था कि वज़ीरों की कोठियों में furniture मैला हो जाता है और उस को बदलने पर हज़ारों रुपए लगाये जाते हैं। तो मेरा ख्याल है उनका यह सुझाव होगा कि अगर furniture को स्याह पोश कर दिया जाये तो मैला होने का डर नहीं होगा। (हंसी)

मेरे एक साथी ने U. P. के बजट का ज़िक्र किया है। अगर आप U. P. का बजट लेना चाहते हैं और इस का मुकाबिला पंजाब के साथ करना चाहते हैं तो U. P. में आप को 9%-10% खर्च दिखाया गया है और पंजाब में 10%-11% का खर्च है। उस के बारे में मैं यह अर्ज़ कर दूं कि मैं U. P. में गया। Lucknow गया वहां पर चीफ मिनिस्टर से मिला जो कि आज कल भारत के Home Minister हैं वहां के M. L. As. से बात चीत की। मैं आप को सच बताना चाहता हूँ कि उन सब ने हमारे सूबे की तारीफ की। पंजाब की Administration को सराहा। U. P. के M. L. As'. की without exception यह राए है। मैं कह सकता हूँ कि अगर मान सिंह डाकू यहां पर होता तो उसे कब का खत्म कर दिया गया होता। अगर आज यहां पर जहान डाकू होता जिस ने बुलन्द शहर के border पर शोर मचा रखा है और जो एक ठाकुर के घर का लड़का है तो उसे कान से पकड़ कर गिरफ्तार कर लिया होता। मेरे साथी बजट में तो यू. पी की तारीफ करें और बनाना चाहें महां पंजाब? यह कैसा कमाल है।

अध्यक्ष महोदय : कल हमारे पंडित जी बज़ुर्गवार श्री राम शर्मा जी ने फरमाया था। आप ने फरमाया तो बहुत कुछ था। लेकिन यह भी कहा कि पंजाब की सरकार dictator है इस सरकार ने जमहूरियत को गज़ों नीचे दफ़न कर दिया है। पंडित जी के बारे में यह ख्याल है कि कई लोग आदत से मजबूर हो जाते हैं। आज से 15 वर्ष पहले की सरकार के वक्त बिधान सभा में पंडित जी ने यह इलफाज़ उस हकूमत के लिए कहे थे।

"After all what do Hitler and Mussolini do? They have their own wishes and principles and manner of doing things. I would not hesitate in saying that what Hitler and Mussolini are doing in their countries and elsewhere, Sir Chhotu Ram is doing in the land of Five Rivers. Hitler can shoot down any person and our Government is second to none in exercising dictatorial powers like those of Hitler."

यह 19-11-1940 की बात है कि पंडित जी ने ऐसा फरमाया था। पंडित जी अपनी आदत से मजबूर हैं। फिर पंडित जी ने बहुत सी कुरबानियां कीं। कांग्रेस की हकूमत बन गई तो 1950 में इसी सदन में पंडित जी ने फिर फरमाया:—

"Sir, these Ministers have now lost faith in self suffering and have fallen easy victims to the temptation of self and power...... These people have often posed themselves as archangels in the chase of evil and have expressed anxiety to squelch corruption from the administration of the State. But instead of making any genuine efforts to remove it, they actually support the wrong doers."

यह बात सब को रोशन है कि पंडित जी दरअसल फरमाते चले आ रहे हैं कि सरकार खराब चल रही है। मासिवाय उस समय के उस सुनहरी ज़माने के जब जमहूरियत गज़ों नीचे दबी हुई गज़ों ऊंची उठ गई थी-यह था 17 अप्रैल 1952 के बाद जुलाई 1953 तक। उस समय तक जमहूरियत गज़ों ऊंची उठ गई थी।

पंडित जी ने District Boards के Amending Bill पर प्रोफैसर मोता सिंह का जवाब देते हुए 18-4-1953 को फरमाया —

"I may tell him that we are not doing anything which can be called undemocratic. I am in a position to say from my past experience that this power will not be misused. Sardar Mota Singh referred to the old days which were very different from today. He should not have lost sight of the difference. It is absolutely wrong that these powers would be used for party purposes. Such remarks do not mean anything than a false propaganda against us."

तो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि difference कोई ज़्यादा नहीं है यही 5-7 कदम का शायद difference पंडित जी को ही नज़र आता हो लेकिन मैं यह बता देना चाहता हूं कि अगर आप चाहें तो democracy को गज़ों ऊंचा उठा सकते हैं। (प्रशंसा)

मैं आप से कह रहा था कि अंग्रेज़ का ज़माना उन्हें पसन्द आ गया हमारे मुकाबले में युनियनिस्ट वज़ारत का ज़माना पसन्द आ गया। उन के दिल की कैफियत बयान करने के लिये इस सिलसिले में मुझे एक शेअर याद आ गया है—

आये थे अभी हो के परेशान जहां से।
फिर दिल का तकाज़ा है कि इक बार कहीं और।।

मेरे साथी सरदार गोपाल सिंह खालसा और सरदार अजमेर सिंह ने कहा कि साहिब चण्डीगढ़ बस नहीं सकेगा और दूसरी यह बात कही कि कांग्रेस से ज़्यादा communalist और कोई जमात नहीं, इस सिलसिले में उन्होंने हवाला दिया श्री देश पांडे की तहरीर का। उन्हों ने कहा कि

[श्री धर्म वीर वासिष्ठ]

यहां एक senior officer हैं—उन का नाम लिया लेकिन मैं उन का नाम नहीं लेता, जो high powered commission में भेजे जा रहे हैं और मज़ाकन कहा कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इख्तियारात दिये जा रहे हैं। मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि उन्हें अगर इस का एतबार न आए तो मैं समझता हूँ कि यकीनन communal differences हैं जिन की वह मदद करना चाहते हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि United Kingdom के अखबार Christian ने पंजाब के इलैक्शनों का ज़िक्र करते हुये लिखा है—

> "Communal feeling was conspicuous by its absence and those who tried to whip it were routed in the polls. The fact that a Muslim candidate should have been returned in the embittered Hindu-Sikh city of Ambala is the most helpful sign to come out of India since partition."

Communalism की दशा उन्हों ने बताई। मैं कहता हूँ कि वह यह ठीक कहते हैं कि चण्डीगढ़ नहीं बसेगा; हम भी कहते हैं कि चण्डीगढ़ नहीं बसेगा--लेकिन बसेगा क्यों नहीं? अगर यह बसाना चाहें और वह बसाना चाहें तो ज़रूर बसेगा। लेकिन communalism के दिलदादा आज यह कहते हैं कि minority community के आदमी को High Powered Commission में ले कर communalism की मदद की जा रही है।

बने हैं नासेह आज दिल मेरा जलाने को।
लगाने वाले चले आग खुद बुझाने को ॥

जो पंडित जी ने कहा उस के मुताअल्लिक अर्ज़ करता हूँ कि पंडित जी ने हर वैद्य और डाक्टर को नाअहल बताया। यह आदत सी हो जाती है हर वैद्य और डाक्टर को नाअहल बताने वाले के लिये operation तजवीज़ करें। हां हां एक बात बताई कि सरकार अन्धी है। नहीं ये सरकार अन्धी तो नहीं मगर इस की अम्बाला की तरफ की आंख की बीनाई ज़रा कमज़ोर है। हम डाक्टर के पास भी गये और देखा कि मरीज़ की इधर वाली आंख की बीनाई ज़रा कम हो गई है। डाक्टर साहिब ने कहा कि आप layman हैं। आप नहीं जानते कि जब तक यह बिल्कुल देखना बन्द न करे यह operation नहीं होता। बिल्कुल देखना यह कैसे बंद करे जब तक चौधरी साहिब बैठे हैं। धुंधलापन और अंधापन ग़लत मगर थोड़ी बीनाई की कमज़ोरी ज़रूर है मैं कहता हूँ—

तुम ही कह दो तुम्हारे दर के दीवाने कहां जायें।
यहां जब शमा जलती हो तो परवाने कहां जायें ॥
जनाबे शैख़ जितने पारसा यह हम समझते हैं।
यह हज़रत हर कसोनाकस से पहचाने कहां जायें ॥
हमें इतना ही तुम से पूछना है ऐ वतन वालो।
जिन्हें बेगाना कहते हो वह बेगाने कहां जायें ॥

कांगड़ा ज़िले के भाइयों ने कहा कि हमारा ख्याल नहीं किया जाता। वह पुरानी हवा में घूम रहे हैं। अंग्रेज़ के ज़माने में अगर कोई सरकारी अफ़सर किसी आला खिदमत की जगह से Colonel या General हो जाता था तो गांव आबाद हो जाया करते थे। आज वक्त बदल गया है अगर कोई आज M. L. A. हो जाये तो सारे काम हो जाते हैं। ताकत अब shift हो चुकी है। परन्तु स्पीकर साहिब, अम्बाला division से 51 में से 46 सदस्य कांग्रेसी M.L. As. आए। Hindi speaking area से 60 M.L.As. आए और 11 लाख वोट डाले गए। पंजाबी भाषी क्षेत्र

से 37 M. L. A's. आये और देखिये कि पंजाबी भाई कैसे राज कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि गलत फहमी में न पड़िए। 18 लाख में से 11 लाख वोट जरूर पड़े। M. L. A's. भी 60 आए लेकिन हिन्दी भाषी क्षेत्र ने वज़ीर पैदा किए ? हिसार ने पहले कभी वज़ीर पैदा किया होगा। कांगड़ा ने कभी वज़ीर पैदा नहीं किया। और मैं पूछता हूं कि गुड़गांव ज़िला का कौनसा वज़ीर बना है ?

इस के अलावा स्पीकर साहिब मैं आप की तवज्जुह इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूं कि जब कोई मैम्बर 'अगर' और 'मगर' से सवाल पूछते है तो आप उन्हें ऐसा सवाल पूछने की इजाज़त नहीं देते लेकिन स्पीकर साहिब, मैं आप से पूछता हूं कि जो बजट वज़ीर साहिब 'अगर' और 'मगर' के इलफाज़ से पेश करें तो उन्हें आप इजाजत कैसे दे देते हैं ? गुड़गांव ज़िले के मुताअल्लिक यह बताया गया है कि Fridabad Project जारी कर दी जायगी 'अगर' भारत सरकार 75 फीसदी रुपया देना मन्ज़ूर कर ले। Tubewells लगाने के बारे में भी ऐसा ही ज़िक्र किया गया है कि अगर भारत सरकार रुपया देना मन्ज़ूर कर दे तो tube wells लगाए जाएंगे वरना नहीं। इस के बाद ज़िक्र हुआ Gurgaon project का। कल भी मेरा इस के बारे में वज़ीर साहिब के साथ झगड़ा हो गया क्योंकि बजट में लिखा कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार ओखला से नहर निकालने के लिए रुपया दे तो नहर निकाली जाएगी। इस प्राजैक्ट पर कुल एक करोड़ 15 लाख रुपया खर्च होना है। हमारी सरकार कहती है कि अगर U. P. सरकार 48 लाख रुपये में weir का हिस्सा मान ले और गवर्नमेंट भी कुछ रुपया देना मन्ज़ूर करे तो Gurgaon project का काम शुरू कर दिया जाएगा। हमारी सरकार 'अगर' 'मगर' में ही सारे काम खत्म कर देती है।

यह तिफल तसल्लियों की जो बातें हैं, इस से काम चलाना मुश्किल है। Fair बात की जाए इन्साफ की बात की जाए। आज हालत बदल रही है। लोग देहली में शामिल होना चाहते हैं। बजूहात economic भी है, अगर सरकार अब भी समझ ले तो अच्छी बात होगी।

नहीं मालूम पायेंगे सकूं ऐहले वफा कब तक।
खुदा जाने रहेगा इस ज़मीं पर आसमां कब तक॥
कफ़स में तो मुझे कब तक रहना है या रब।
तसव्वर में मेरे जलता रहेगा आशियां कब तक॥

हमारी बातों के *bonafides* का आपको यकीन होना चाहिए।

मुहब्बत कर ही लेगी एतबार अपना कभी कायम।
वफाओं से हमारी तुम रहोगे बदगुमां कब तक॥

पिछली दफा सरदार उज्जल सिंह ने फरमाया था कि ज़िला गुड़गांव के local works के लिए सब से ज़्यादा रुपया रखा गया है। कहां गया वह रुपया ? चोरी हो गया ? अब कहते हैं कि canal के लिए रखा गया है।

नहीं जब पासे वायदा तो मुकर जाओगे इक दिन।
बदल जाएगा जब दिन, तो न बदलेगी ज़बां कब तक।
यह माना रफ़ता रफ़ता जिंदगी परवान चढ़ती हैं।
मगर इस 'रफ़ता रफ़ता' का नहीं मिलता निशां अब तक।
दरिंदो जंगलों से आओ और आ कर गवाही दो।
कि इनसा से नहीं पाई है इनसां ने अमां अब तक।

Sardar Sarup Singh (Amritsar City, East): Sir, before participating in this debate on the general discussion of the Budget I have to confess that I have been making a very genuine effort not to under-rate this Ministry, but I feel that in doing so I have been guilty of over-rating it over much. The rudest shock to my liberal estimate of this Ministry came when my hon. friend the Chief Minister.........

Chief Parliamentary Secretary: On a point of order, Sir. Can the hon. member read out a speech ?

Sardar Sarup Singh: I am not reading any speech. It requires sense to raise such a point of order. Well, Sir, I was submitting that the rudest shock to my liberal estimate of this Ministry came when the Chief Minister announced that he had sharpened another Damocle's sword for the services. I am referring to the amendment of the rules by which the members of services could be retired after 10 years of service. I think either my esteemed friend does not know the meaning of this change in the rule and the effect that it will have on the services or he has done so intentionally. If that is so, I wonder, if he is aware of the difficulties that will arise as a result of this amendment and the grave consequences that will follow. After all what type of services do you want ? Do you want services with dumb-founded-minds-services with palpitating hearts, trembling hands and quaking legs-always living at the mercy of frowns or smiles of my hon. friend, or services who should perform the duties conscientiously ? I think, by this intended change in the rule, you have practically marred, rather liquidated, the future of the services in this State. By this act of yours you will be demoralising the services, because you will thereby instil fear in them. And this fear will stand in the way of dispensation of justice to the people of this State and fearless discharge of duty. You inherited a steel structure but by this intended amendment you are converting your services into a wood pulp of the Japanese type. I ask the Chief Minister if that will be a desirable state of affairs. Then, Sir, in these days the District Magistrates who are king-pins of the District Administration are being transferred or have been transferred under pressure of political hounds and bullies which you have let loose in the State. I feel if you have transferred them under such pressure then you have not done well. May I ask what effect will the transfers of this nature have on the other officers of the District Administration ? I think this will have a baneful effect on several Districts, Administration.

I would, therefore, respectfully submit through you, Sir, that this state of affairs would put an end to the good administration in the Districts. In all earnestness I would request my esteemed friend the Chief Minister to retrace his steps and allow the services to discharge their duties fearlessly. But fearlessness comes only from security and fixity of tenure. If you damage that, you may damage everything and the wreckage that will be left will be of no use either to us or to you. At the top of it, Sir, comes the statement of my esteemed friend, that he is prepared to be called a dictator and an autocrat. I am very sorry to hear such things from him in this age of democracy. I feel that he should have taken advantage of the lessons of History. Some one once asked Count Bismarck as to who was a wise man and who belonged to the other category, which I cannot name here on the pain of your displeasure. Bismarck replied that wise man was one who profited by other's experience and the person belonging to the other category was one who could learn only from his own experience. It is no consolation but very painful to me that my friend is going the way of an autocrat and a dictator. The history of the World is strewn with wreckages of greater dictators and autocrats than my esteemed friend. He should take a lesson from that. I have been at pains to trace the origin of such ideas of totalitarianism getting hold of my friend. Herr Hitler who was a German Chancellor before 1945, died in the 2nd World War. I had thought Sir, that his spirit was resting in peace. But this does not appear to be so.

Sir, one of his passionate ambitions was to drive or march towards the East. I feel, Sir, that if he has not been able to come here in his august person, his spirit has travelled all the way towards the East and found abode in the mansion which my hon. Friend, the Chief Minister, has built for his residence. His residence seems to be haunted by that totalitarian spirit. I regard this as very unfortunate.

Mr. Speaker, if God forbid, my hon. Friend decides to put on Hitler's moustaches it would be bad not only for poor mortals sitting on these benches but also for you Sir, because Hitler was no respector of Assemblies or their Presiding Officers.

Chief Parliamentary Secretary: On a point of Order, Sir. Is he discussing the Budget ?

Mr. Speaker : Yes, he is discussing the Budget.

Sardar Sarup Singh : Now, Sir, my hon. Friend, the Chief Minister, says that he is going to crush this or crush that.........

Chief Parliamentary Secretary : On a point of Order, Sir. Is he relevant ?

Sardar Sarup Singh : I feel, Sir, that after your ruling this sort of interruption is most objectionable.

My hon. Friend, the Chief Minister, says that he is going to crush this and crush that. Whom are you going to crush ? Supposing you crush the Sikhs. I would ask him "Would you not be crushing one of your own limbs ? Would you not be destroying one of the two wheels of the chariot of this State ?" I would suggest to him that before coming out with threats like this, he should be clear in his mind as to whom he is going to crush. For his benefit, Sir, I would quote here what the Prime Minister of India said at the banquet given in honour of Sir Anthony and Lady Eden.

He said—

"I suppose none of us in any country is free from error and blame, either in our past history or in our present day affairs. As individuals or as nationals we are always good and bad. May be, there may be more of good in some and less of bad in others. The point is how to draw out that good, the good approach and good actions. You will forgive me for repeating these platitudes but I do feel very strongly that in our problems of to-day, it is of the highest importance how we approach and how far we try to understand others' viewpoint. We may not agree. It would be a dull world indeed if everyone agreed with everyone. I suppose an element of conflict is necessary to make the world a live world".

The Prime Minister, Shri Jawahar Lal Nehru, further said—

"Naturally, I say because in dealing with these matters, political or any other......

Chief Parliamentary Secretary : On a point of Order, Sir. Has he got the privilege to be irrelevant and thereby waste the time of the House ? There are many other hon. Members who are anxious to speak on the Budget.

Sardar Sarup Singh : Sir, I resent interference of this type. Much of the time allotted to me for making my speech is being wasted by interruptions..

Sir, I was quoting some parts of the speech which Pandit Jawahar Lal Nehru delivered at the banquet given in honour of Sir Anthony and Lady Eden. He said—

"Naturally, I say, because in dealing with these matters, political or other, we do not exactly deal as we would deal with a problem in a higher mathematics. We deal with human beings, conditioned by all kinds of factors of geography......

Mr. Speaker : I would like to know from the hon. member what connection this has got with the Budget.

Sardar Sarup Singh : Sir, if you have a little patience, I will show that this has got some connection with the Budget.

Mr. Speaker : I have lost my patience.

Sardar Sarup Singh : Sir, I would request you to have a little more of patience.

The Prime Minister further said...

"We deal with human beings, conditioned by all kinds of factors of geography, climate, history, tradition, ways of thinking, philosophy, education and so on. And where the conditioning is different, naturally the result is different in thinking".

Shri Kasturi Lal Goel : On a point of Order, Sir. Yesterday, you were pleased to observe that no Member can read out his speech on the floor of the House. The hon. Member, Sardar Sarup Singh, is reading out his speech. He should be asked not to do so.

Sardar Sarup Singh : I am not reading out my speech. I am reading out some extracts from the Prime Minister's speech.

"We should accept these differences and try to understand them. One talks about the great changes of this nuclear age, changes in weapons, in power of good or evil. But perhaps one of the biggest things in this age is the conflict or the changes that are taking place in the mind of men".

Mr. Speaker : The hon. Member should try to wind up his speech.

Sardar Sarup Singh : Sir, my hon. Friend, the Chief Minister has been placed by destiny at the head of the Cabinet of a State in which a large number of Sikhs live......

Minister for Irrigation : Not by destiny but by a majority of votes.

Sardar Sarup Singh : Has he ever asked himself "What is the history of the Sikhs ? What is their culture ? What are their traditions ? What is their worth ? What is their population ? What are their qualities and virtues ? What contribution they are making towards the prosperity of the State and the country ?"

The makers of the Sikhs welded them into an Organisation and moulded their thoughts to achieve this end. Do you disagree with the view that their traditions were some of the very best? Why should you not put up with that Organisation which has got such qualities ? Unless, we try to put up with each other as the Prime Minister has advised—there is bound to be much of unpleasantness. Now, Sir,.........

Mr. Speaker : The hon. Member's time is over. He should resume his seat.

Sardar Sarup Singh : Sir, I am extremely sorry that I have not been able to finish my speech.

ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਨੀ (ਰੋਪੜ) ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸੇ ਮੁਸੱਵਰ ਨੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚਿੱਤ੍ਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਚਿੱਤ੍ਰ ਨੇ exhibition ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਇਨਾਮ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਐਡੀ ਵਧੀਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਚਿੱਤ੍ਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਸਵੀਰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ declare ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਚਿੱਤ੍ਰ ਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਉੱਪਰ ਲਟਕਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਚਿੱਤ੍ਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਪਰ ਕਾਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦੇਵੇ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਕੇ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਿੱਤ੍ਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ੍ਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਚੋਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤਕ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਚਿੱਤ੍ਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ Finance Minister ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ Finance ਦੀ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਤਸਵੀਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਉਸੇ ਚਿੱਤ੍ਰਕਾਰ ਵਾਂਗਰ ਜਿਸਦਾ ਚਿੱਤ੍ਰ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਚਿੱਤ੍ਰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵਧੀਆ ਚਿੱਤ੍ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤਕ ਕਾਲਕ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਛੱਡੀ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚਿੱਤ੍ਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਓਸੇ ਚਿੱਤ੍ਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਇਲਾਨ ਕਰਕੇ, ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੀ ਕਾਲਕ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਕਿ ਚਿੱਤ੍ਰ ਬੇਹਤਰ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਫਿਰ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਜਾਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਚਿੱਤ੍ਰ ਕਾਲੇ ਦਾ ਕਾਲਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਆਪੇ ਇਕ ਆਦਮੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਐਸਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੁਕਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ Finance Minister ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ Budget ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ Opposition ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ art ਦੀ ਕੋਈ appreciation ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਜਟ ਦੇ ਚਿੱਤ੍ਰ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ Finance Minister ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਓਸੇ ਚਿੱਤ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਉਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਸ ਦੇ ਨੁਕਸਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਸਦੀਆਂ ਤਰੁਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਾਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਨਿਕਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ ਬੇਹਤਰ ਅਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। Finance Minister ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਝ ਅੰਕੜੇ 1950-51 ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ fodder production 300% ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। Foodgrains ਅਤੇ paddy ਦੀ production ਵੀ decidedly ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ Opposition ਵਾਲੇ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਜਟ ਵਿਚੋਂ ਨੁਕਸ ਖੋਜ ਕੇ ਕੱਢੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ ਨੇ ਬਜਟ ਉੱਪਰ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹ pre-partition days ਦੀਆਂ figures ਚੁਕ ਲਿਆਏ ਅਤੇ ਲਗੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਤਾਂ ਲਾਇਲਪੁਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਥੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਣਕ ਅਤੇ cotton ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਪੰਜਵੀਂ ਜਾਂ ਸਤਵੀਂ ਜਮਾਇਤ ਦੇ ਕਿਸੇ student ਨੂੰ dictionary ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਐਡੀਆਂ ੨ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਲਾਲ ਅਤੇ ਪੀਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆਏ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੜ੍ਹਕੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਕੋਈ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵਖਾਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਹਨ ਉਹ ਹੋਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ

ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸ਼ਕਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅੰਕੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹ ਗਲਤ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਖਾਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਾਵ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰੁਸਤ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਆਂ-ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਨ (interruption) ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੇਸ ਹੀ critise ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ criticism facts ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ।

ਸਾਡੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਵਿਚ ਇਹ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ opium 31 ਮਾਰਚ, ਸੰਨ 1959 ਤੀਕਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ਼-ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਠੇ ਤਾਂ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਸਗੋਂ ਉਲਟੇ ਇਸ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਥੇ ਇਹ ਸੇਰਾਂ ਦੀ ਸੇਰ ਵਿਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ State ਦਾ revenue ਨਹੀਂ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਹੀ opium ਆਈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨੁਕਸ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇ quantity ਦੀ sale ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਪੰਡਤ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਜੀ ਉਠੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ address ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਫ਼ਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਜਟ ਤਕਰੀਰ, ਇਸ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਉਹੀ ਕਿੱਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੀਤਾ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰੀਂ ਵੀ ਸਿਵਾਏ ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਤਨੀ ਵੀ progress ਹੋਈ, ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਬਿਹਤਰੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਨ 1950-51 ਵਿਚ ਜਿਥੇ consolidation ਉੱਪਰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇਸ ਸਾਲ 65 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ provide ਹੋਇਆ ਹੈ। Forest ਦੀ item ਵਿਚ ਜੋ ਪਹਿਲੋਂ 47 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਵਧਾਕੇ 48 ਲੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। Irrigation ਅਤੇ Electricity ਉੱਤੇ 14 ਕਰੋੜ 58 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਇਹ ਖਰਚ ਹੁਣ 31 ਕਰੋੜ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। Education ਵਿਚ ਉਹ ਸਾਲ ਦੇ 1 ਕਰੋੜ 85 ਲੱਖ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਖਰਚ ਹੁਣ 5 ਕਰੋੜ 52 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। Health ਦੇ head ਥੱਲੇ 78 ਲੱਖ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ 1 ਕਰੋੜ 96 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ provision ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ Veterinary ਤੇ 23 ਲੱਖ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਇਹ ਖਰਚ 29 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। Co-operative Societies ਤੇ 17 ਦੀ ਬਜਾਏ 44 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। Industry ਤੇ 59 ਲੱਖ ਦੀ ਥਾਂ 2 ਕਰੋੜ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, Roads ਲਈ 33 ਲੱਖ ਦੀ ਬਜਾਏ 2 ਕਰੋੜ 85 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ transport ਉੱਤੇ 64 ਲੱਖ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 2 ਕਰੋੜ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ provision ਹੋਇਆ ਹੈ। Community projects ਲਈ ਜਿਥੇ ਪਹਿਲੋਂ ਕੋਈ ਖਰਚ provide ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਇਸ purpose ਲਈ 2 ਕਰੋੜ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ provision ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 27 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਨ 1950-51 ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਸਾਰਾ ਮਿਲਾਕੇ ਖਰਚ 22 ਕਰੋੜ 96 ਲੱਖ ਰੁਪੈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹ ਖਰਚ ਵਧ ਕੇ 51 ਕਰੋੜ 96 ਲੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚ productive schemes ਉੱਪਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ irrigation ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਰੁਪਿਆ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਦੌਲਤ

[ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਨੀ]

ਬਹੁਤ ਵਧੇਗੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ production ਵਧੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਭਾਖੜਾ-ਨੰਗਲ ਵਿਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਹਰਿਆਨੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੀਕਰ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ—ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹਦੂਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ—ਸੈਰਾਬ ਹੋਵੇਗਾ । ਪਰ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ critics ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸੈਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹਿਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ? ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਸੱਪ ਵਾਂਙ ਵਲ ਵਲੇਵੇਂ ਮਾਰਦੀ ਇਹ ਨਹਿਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ? ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ! ਭਾਖੜਾ-ਨੰਗਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ tail end ਤੀਕਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਥੰਮੇ ਲਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ? ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੋਂ ਬੰਜਰ ਤੇ ਵੀਰਾਨ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੇਗਿਸਤਾਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ; ਸਰ-ਸਬਜ਼ ਪਰਫੁੱਲਤ ਖੇਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ? ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨੁਕਸ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੋਂ ਤਾਰੀਖ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ—ਛੋਟੀ State ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਵਡੇ ਵਡੇ ਸਾਮਰਾਜ ਤੀਕਰ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਗਵਰਮੈਂਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ, ਕੋਈ ਵਕਤ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਿਨਾਂ ਖਰਚ ਤੋਂ ਚਲੀ ਹੋਵੇ । ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ schemes ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵੇਂ productive ਹੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ State ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਲਾਣੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ignore ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ-ਬਾਕੀਆਂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਫ਼ਲਾਣੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ । ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ, ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਨਹਿਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਆਦਿ । ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ development sehemes ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ignore ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰ ਜਿਹੜਾ 29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਹੈ; ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਜਾਣਾ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਅਜ਼ਿਜ਼ ਮੈਂਬਰਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੱਕੀ ਹੇਠ ਨੁਕਸ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ੨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ । ਆਖਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਥੇ ਇਤਨੇ ਵਡੇ ਵਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ । ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ administration ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ! ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ । ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ । ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ constructive suggestions ਹਨ ਉਹ ਚਾਹੇ opposition ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਆਉਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੱਜ development ਦਾ ਇਕ ਸਮੁੰਦਰ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ economy ਬਿਲਕੁਲ shatter ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ; ਜਿਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਦਾ ਬਜਟ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ Law and Order ਕਾਇਮ ਹੈ; economic ਢਾਂਚਾ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ

ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਕੜੇ 29 ਕਰੋੜ ਦਾ provision ਹੋਇਆ ਦਸਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ-ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ?

ਪਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ development ਦਾ ਇਤਨਾ ਭਾਰਾ ਸਮੁੰਦਰ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਲ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੋਪੜ ਵਲ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ development ਲਈ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ 10,000 ਰੁਪਿਆ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਰੋਪੜ ਤਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਚੋਆਂ ਤੇ ਪੁਲ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ; ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੁਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸੜਕ widen ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ-ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ acknowledge ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ State ਦੇ larger interest ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਪੁਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ State ਦੇ larger interest ਵਿਚ, ਜੇ Chandigarh ਤੋਂ ਭਾਖੜਾ ਤੀਕਰ ਸੜਕ widen ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ State ਦੇ larger interest ਵਿਚ (*laughter*) ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਰੋਪੜ ਦੀ individual development ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾਣ। ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਬੇਟ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਘਾੜ ਏਰੀਏ ਤੀਕਰ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਹੀ ਸੜਕ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ constituency ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਇਕ poem ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ-

Water, water everywhere and not a drop to drink.

ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਦੁਵਾਰਾ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਪਾਸ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੀ-ਭਾਵੇਂ ਦੋ ਚਾਰ ਮੀਲ ਦੀ ਸੜਕ ਹੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਬਣਾ ਦੇਣ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਰੋਪੜ ਵਿਚ ਇਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗਰਲਜ਼ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਘਰ ਵਿਚ housed ਹੈ ਜਿਥੇ ventilation ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਲੜਕੀਆਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । Education ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਵੀ ਇਕ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਕੂਲ ਲਈ building ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੀ building ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹ request ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ requirements ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ ।

अध्यक्ष महोदय : मैं आप को बताना चाहता हूँ कि discussion का जवाब देने के लिए $1\frac{1}{2}$ घण्टा Finance Minister साहिब लेना चाहते हैं। इस के इलावा चौधरी सुन्दर सिंह भी बोलने के लिए उतावले हैं और Irrigation Minister कुछ points का जवाब देने के लिए वक्त चाहते हैं। इस तरह तीन मिनिस्टर बोलना चाहते हैं। इस लिए मैं अब Irrigation Minister साहिब से कहूँगा कि वह जो कहना चाहते हैं वह कहें।

[अध्यक्ष महोदय]

(I would like to tell the House that the Finance Minister requires 1½ hours to reply to the debate. Besides Chaudhri Sunder Singh is very keen to speak. The Minister for Irrigation also wants some time to reply to certain points. In this way there are three ministers who will speak today. In view of this I call upon the Irrigation Minister to speak.)

श्रीमती शन्नोदेवी : यह आप की discretion है जिस को चाहें टाइम दें.. (*Interruption*).

Mr. Speaker : Order, order.

श्रीमती शन्नो देवी : आज तीन दिन गुज़र चुके हैं लेकिन बहनों को एक मिनट भी बोलने के लिए नहीं दिया गया।

मौलवी अब्दुल गनी डार : बहनों के लिए तो हर वक्त हैं लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि Irrigation Minister साहिब ने कहा था कि वह अपनी डिमाण्ड के अलावा बजट पर और नहीं बोलेंगे तो फिर मेरी समझ में नहीं आता कि..

सिंचाई मन्त्री : साहिबे सदर.........

श्री मेहर सिंह : On a point of order, Sir. इस हाऊस में बहुत से मेम्बर ऐसे है जो तीन तीन चार चार दफा बोल चुके हैं लेकिन जो back benchers हैं उन का कोई ख्याल नहीं रखा जाता। तो मैं यह दरयाफ्त करना चाहता हूँ कि यह जो distinction मेम्बरान में किया जा रहा है यह क्या हक बजानब है ?

अध्यक्ष महोदय : क्या आप ऐसे मैम्बर साहिबान के नाम बतला सकते हैं जो एक से ज़्यादा बार general discussion of the Budget पर बोल चुके हैं ? (Can you please tell me the names of such members who have made speeches more than once during general discussion of this Budget ?)

श्री मेहर सिंह : उन में श्री राम किशन, श्री राम चन्द कामरेड और कई जो अच्छा बोलने वाले समझे जाते हैं, उन को एक से ज़्यादा बार बोलने का मौका मिल चुका है।

अध्यक्ष महोदय : General discussion of the Budget पर तो उन्हें केवल एक बार बोलने का मौका दिया गया है। मैं आप से पूछना चाहता हूँ कि इस टाइम में सब को बोलने का किस तरह मौका मिल सकता है (Each one of them has been allowed only one chance to speak during the general discussion of the Budget. Will he tell me how can every member hope to get time during this discussion) ?

श्री मेहर सिंह : स्पीकर साहिब, सब मेम्बरान को बोलने का मौका दिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : बाकी demands आ रही हैं, Irrigation की demands आएंगी, General Administration की demand आएगी या और कई demands

आएंगी उन पर आप को बोलने का मौका दिया जाएगा (They will be given time to speak during discussion on other demands for grants namely Irrigation, General Administration etc.)

श्री मती शन्नो देवी : On a point of order, Sir. यह जो मेम्बरान को आप बोलने के लिए time देते हैं इस का क्या मयार आप रखते हैं ? अगर मेरे कहने की गुस्ताखी न समझी जाए तो मैं कहूंगी कि जो time आपने मिनिस्टर साहिब को बोलने के लिए दिया है उस को कम कर के मेम्बरों को ज़्यादा से ज़्यादा समय दिया जाए।

Mr, Speaker : Order, Order.

पंडित श्री राम शर्मा : स्पीकर साहिब, मैं आप की ruling इस बात पर चाहता हूँ। जहां तक मैं समझता हूं और rules provide करते हैं कि मासिवाए मिनिस्टर incharge के जिस को किसी मामला पर एक से ज़्यादा बार बोलने का हक हासिल होता है क्योंकि उस ने बहस का जवाब देना होता है बाकी के मिनिस्टर दूसरे मेम्बरान की तरह एक से ज़्यादा बार उसी मामले पर नहीं बोल सकते। मैं आप की इस बात पर ruling चाहता हूं। जब यह मामला तै हो जाएगा तो यह मसला......

अध्यक्ष महोदय : Conventions यह रही हैं कि हर एक मिनिस्टर उतना ही बोल सकता है जितना कि बाकी के मेम्बरों को बोलने का हक होता है। लेकिन अगर कोई मिनिस्टर कोई explanation देने के लिए खड़ा होता है तो वह बोल सकता है। (According to the established conventions a Minister has the same right to make speech during discussion on a particular subject as is enjoyed by other members. But if a Minister rises on a point of explanation, he is allowed time.)

पण्डित श्री राम शर्मा : On a point of order, Sir. तो क्या चौधरी लहरी सिंह साहिब personal explanation पर बोलने के लिए खड़े हो रहे हैं ? क्या यह तकरीर करनेके लिये नहीं खड़े हो रहे हैं ?

सिंचाई मन्त्री : मैं तकरीर बिलकुल नहीं करूंगा। मैं तो एक point को वाज़ेह करना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : अगर आप मेम्बरों ने ऐसे ही point of order raise करने थे तो मैं यह time किसी और को दे देता तो अच्छा था। (If hon. Members had to raise points of order like this, then it would have been better if, I had allowed this time to some one else to speak.)

पण्डित श्री राम शर्मा : स्पीकर साहिब, मेरे point of order में जाबता की एक अहम बात है इस लिए मैं आप की तवज्जुह उस की तरफ दिलानी चाहता हूँ। Rules और मेरा अपना experience मुझे बतलाता है कि कायदा के मुताबिक बहस में एक मामला पर सिवाए मिनिस्टर incharge के और कोई दूसरी बार नहीं बोल सकता। मैं आप की ruling इस बात पर चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : Personal explanation पर मिनिस्टर बोल सकते हैं। जब कोई गलतफहमी पैदा हो गई हो तो वह अपनी position वाज़ह कर सकते हैं। आप भी जब मिनिस्टर थे तो आप ने भी मिनिस्टर के तौर पर statements दी थीं। यह चीज़ और है कि जब कोई गलतफहमी पैदा हो गई है तो वह personal explanation पर बोल सकते हैं। मैं इस मामले में अपने discretion पर उन्हें बोलने की इजाज़त देता हूँ। (A Minister can speak on a point of personal explanation. He can clarify his position vis-a-vis any misunderstanding that may have been created. You too made statements when you were a Minister. This is quite a different matter that a Minister can make a statement on a point of personal explanation when some misunderstanding has arisen. Exercising my discretion I allow him to make a statement.)

पंडित श्री राम शर्मा : स्पीकर साहिब, मैं यह गुज़ारिश करना चाहता हूँ कि personal explanation के यह मायने हैं कि जब किसी की ज़ात पर हमला किया गया हो तो वह उस का जवाब दे सकता है।

अध्यक्ष महोदय : कृप्या आप पहले उन्हें सुन तो लें कि वह क्या कहते हैं। (Please first hear him and see what he has to say.)

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : On a point of order, Sir. स्पीकर साहिब, आप के इख्तियारात बड़े वसीह हैं। मैं आप की ruling इस बात पर चाहता हूं कि क्या एक मेम्बर एक मामले पर दो बार बोल सकता है ?

अध्यक्ष महोदय : Personal explanation पर आप को भी बोलने की इजाज़त है। (You can also make a statement on a point of personal explanation.) (Addressing the Minister for Irrigation.) चौधरी साहिब, Personal explanation पर बोलने के लिए मैं आप को वक्त देता हूँ। आप कोई debatable matter introduce न करें। और अगर आप करेंगे तो मैं बोलने नहीं दूंगा। (Chaudhry Sahib I allow you to make a personal explanananation but please refrain from introducing any debatable matter in it. If you do that then I will have to stop you)

सिंचाई मन्त्री : साहिबे सदर, मैं ज्यादा वक्त हाऊस का नहीं लेना चाहता। सिर्फ दो तीन मिन्टों के अन्दर personal explanation पर थोड़ा कहना चाहता हूँ। खास तौर पर जो सरदार गोपाल सिंह खालसा ने कहा है कि Public Accounts Committee की report को यह पी गए हैं। मैं इस हाऊस के सामने अर्ज़ करना चाहता हूं......

ਸਰਦਾਰ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ : On a point of order, Sir. ਕੀ ਇਹ personal explanation ਹੈ ? ਇਹ ਤਾਂ debate ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

अध्यक्ष महोदय : आप उन को बोलने तो दें। अगर वह personal explanation पर न बोलेंगे तो उन्हें बोलने नहीं दिया जाएगा। (Please allow him to speek. If he goes beyond the scope of personal explanation then he will be stopped.)

मौलवी अब्दुल गनी डार : On a point of order, Sir. मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि यह जो खालसा जी के बारे में कहने लगे हैं यह क्या इन की personal explanation है ? और फिर यह पीने वाले तो Chief Minister साहिब थे इन का Public Accounts Committee की report से क्या ताल्लुक है ?

अध्यक्ष महोदय : Order, order.

सिंचाई मन्त्री : Public Accounts Committee की report जो थी इस के बारे में Central Government के मिनिस्टर हमारे तमाम Chief Engineers और हम ने reply...... ...

पंडित श्री राम शर्मा : On a point of order, Sir. स्पीकर साहिब, मैं आप का ruling चाहता हूँ कि क्या यह personal explanation है ?

अध्यक्ष महोदय : मालूम तो ऐसा ही होता है। (It appears to be so.)

मुख्य मन्त्री : मैं ने अपने वज़ीर साहिब से request की थी कि वह यह statement किसी और वक्त कह लें।

अध्यक्ष महोदय : तो चौधरी साहिब आप ऐसा किसी और वक्त कह लें ? (Yes the Minister may make this statement at some other time.)

ਅਰਥ ਮੰਤਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਉੱਜਲ ਸਿੰਘ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਲਭ ਕੇ ਇਸ ਬਜਟ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਚਾਰ opposition ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ opposition ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ warning ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਫ਼ਲਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਮਗਰ ਅਫਸੋਸ ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਈ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਫਲਾਨਾ ਕੰਮ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਤਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਕ ਗੱਲ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਚੁਭਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵਲੋਂ ਇਕ ਭੀ ਨੇਕ ਸਲਾਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਮਹਿਜ਼ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੀਤੀ, ਬਾਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਵਿਚ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੀਹੋਂ ਲਹਿ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ Finance Minister ਨੇ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦਸਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ 1950-51 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1950–51 ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਕਰ partition ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਾਲੇ

[ਅਰਥ ਮੰਤਰੀ]

ਤਕ ਅਜਨਾਸ, ਕਪਾਹ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਉਤਨੀ ਭੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਤਨੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ Treasury Benches ਗ਼ਲਤ ਦਾਵੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਪਾਹ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 300 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਵਧੀ।" ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਇਕ ਲਾਲ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਆਏ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਅੰਕੜੇ ਪੜ੍ਹ ਦਿਤੇ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚੋਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਦਾਵੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹ ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਢੁਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਦੁਖੀ ਹਨ, ਰੋਂਦੇ ਹਨ। (ਮੌਲਵੀ ਅਬਦੁਲ ਗ਼ਨੀ ਡਾਰ : ਸਿਵਾਏ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ) (ਹਾਸਾ) ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਚੂਮਰ ਕਢ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਜੋ ਆਮ middle classes ਹਨ, ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਥੇ ਬਹਿਸ਼ਤ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ?" ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਦਰਮਿਆਨੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਕੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਤਕ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨੀਵੇਂ status ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈਆਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੜ੍ਹਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਲਾਉਂਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ 750/-/- ਰੁਪੈ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਕ ਸੌ ਰੁਪਏ ਤਕ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1.29 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜੋ 50/-/- ਰੁਪੈ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸਭ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਜੋ 100/-/- ਰੁਪੈ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ Central Government ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈਆਂ।

ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ District Boards ਦੇ teachers ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆਂ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ District Boards ਨੇ ਦੇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ District Boards ਨੇ ਨਵੇਂ scales of pay ਦੇ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਹ scales April, 1953 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੱਸਣ ਜੋਗ ਹਨ, ਜ਼ਿਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਕਾਂਗੜਾ ਅਤੇ ਫੀਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲੇ। ਫੇਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਦਸੰਬਰ, 1953 ਤੋਂ ਦਿਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਜ਼ਿਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਗੁੜਗਾਂਵ, ਹਿਸਾਰ, ਜਾਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਨਾ ਸਭ ਨੇ ਇਹ scales ਦੇ ਦਿਤੇ ਹਨ। District Board teachers ਦੇ ਸਵਾਲ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। District Board ਨੇ ਕੋਤਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਗਰ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲੀ ਅਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਹੈ ਕਰ

ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਕੋਈ District Board ਇਹ ਖਰਚ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰਖਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। (ਤਾਲੀਆਂ)

ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ police constables ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਵਧੀ ਅਤੇ lecturers ਭੀ ਹੋਰ ਤਨਖਾਹ ਮੰਗਦੇ ਹਨ... (ਇਕ ਆਵਾਜ਼ : ਤੁਸੀਂ ਭੀ ਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ।) ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਆਪ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ (ਹਾਸਾ)। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ 30/-/- ਰੁਪੈ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ I class ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ 50/-/- ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ constables ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ 5/-/- ਤੋਂ 7/-/- ਰੁਪੈ ਤਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦ ਭੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ constables ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਵਾਂਗੇ।

ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ "ਵਪਾਰੀਓ ਵੇਖੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ"। ਫਿਰ ਕਿਹਾ "ਵਪਾਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਤੰਗ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭੀ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਤੰਗ ਹਨ"। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਟੈਕਸ ਨਾ ਦਿਉ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਾਉ ਫਿਰ ਦਸੋ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਫੇਰ ਮੇਰੇ ਕਈ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਕਸ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਆਖਰ ਵਿਚ ਅੰਕੜੇ ਦਸਾਂਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਕਿਤਨਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ Sales Tax ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸਾਡੀ Opposition ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਕਿ "ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ" ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਇਦਿਆਂ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਨਵੇਂ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰਖੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਨੀਯਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇਰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ Sales Tax ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਜਿਸ ਤੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਝਗੜਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਘੱਟ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਪਰ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਇਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ "ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾਹਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਤਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਦਫ਼ਾ 144 ਲਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ Security Act ਹੇਠ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ"। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਕਟਾਂ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਖਾਤਰ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ Preventive

[ਅਰਥ ਮੰਤਰੀ]

Detention Act ਹੇਠ ਕੈਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ 1954 ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਤੇ 1955 ਦੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। (ਤਾਲੀਆਂ)

ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ Security of State Act ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਐਕਟ ਹੇਠ ਜੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਕੁਝ ਆਦਮੀ ਹਨ। ਹਿਸਾਰ ਵਿਚ ਹੋਈ agrarian ਗੜ ਬੜ ਵਿਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਜੋ ਹਿਸਾਰ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਹੀਜਾਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਿਰਸਾ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁਝ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਿਰਸਾ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੀ ਰਾਮ ਬਾਗੜੀ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਤੀਜਾ ਤਰੀਕਾ ਦਫ਼ਾ 144 ਲਗਾਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲਉਡ-ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਣ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਫ਼ਾ ਅਧੀਨ ਕੁਲ 54 ਕੇਸ ਹੋਏ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 29 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਲਉਡ-ਸਪੀਕਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਖਿਲਾਫ-ਵਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਫ਼ਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਜੇ ਕਰ ਲੋਕ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਨ। ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਲਾਉਡ-ਸਪੀਕਰ ਆਦਿ ਲਾ ਕੇ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਾਉਣ। ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਮਨ ਭੰਗ ਕਰਨ।

ਮੇਰੇ ਕਈ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ civil liberties ਦਾ ਇਕ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ civil liberties ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ civil liberties ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲ ਵੇਖੋ ਅਤੇ ਜੋ ਆਦਮੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁਛੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਬੋਲਣ ਤੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੈ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। (ਪ੍ਰਸੰਸਾ) ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਨੇਤਾ ਪੰਡਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਵਲ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਇਹ ਮਹਾਨ ਨੇਤਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਜਲੂਸ ਕਢਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉੱਚੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕਢਦੇ ਹਨ। ਪਰ civil liberties ਦੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਕੀ ਇਹ civil liberties ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ political ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁਛੇ? ਸਿਰਫ ਅਮਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇ ਕਰ ਅਮਨ ਭੰਗ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁਛਦਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਕਰੋ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ।

ਮੇਰੇ ਇਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਡਤ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ ਨੂੰ ਦਸ ਨੰਬਰ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਅਤੇ 1948 ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਰੰਟ ਕਢੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਮਫ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ proclaimed offender ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ 10 ਨੰਬਰ ਰਜਿਸਟਰ ਤੇ ਰਖਿਆ ਗਿਆ। ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਆਦਮੀ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ proclaimed offender ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਆਪ ਨੂੰ

ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ proclaimed offender ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਸ ਨੰਬਰ ਰਜਿਸਟਰ ਤੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ landless cultivators ਬਾਰੇ ਪੁਛਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁਛ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ waste land ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਪਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ reclaim ਕਰਨ ਲਈ Land Utilization Act ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜੰਗਲ ਪਈ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲ ਪਏ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਜੋ ਕਾਸ਼ਤ ਜੋਗ ਸੀ 'Land reclamation' ਹੇਠ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਕਬਾ 8,96,991 ਏਕੜ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 6,05,433 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ possession ਹੁਣ ਤਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਰਕਬ ਨੂੰ landless cultivators ਨੂੰ ਕਾਸ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 4,54,340 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ Land Utilization Act ਹੇਠ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 2,11,139 ਏਕੜ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ Land Utilization Act ਹੇਠ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ reclaim ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਸ ਹੇਠ 32,086 ਏਕੜ ਪਟੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ reclaim ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 2½ ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਧ ਰਕਬਾ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ reclaim ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

(i) By lessees : 32,086 acres.

(ii) By owners : 2,05,280 acres.

(iii) Reclaimed by Government. : 66,000 acres.

ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਾਵੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਹਨ। ਤਕਾਵੀਆਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਾਂ ਤਕਾਵੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤਕਾਵੀਆਂ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਤਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬੀਜ ਵਾਸਤੇ ਤਕਾਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਪ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖੂਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਕਾਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ per tube well ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵੀ ਤਕਾਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਫੇਰ fertilizers ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਤਕਾਵੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਦੇਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ! ਆਪ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਲੋਕ ਮੇਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਫੇਰ ਮੇਰੇ ਇਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਰਕਬਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਦਸਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਕਬਾ ਇਸ ਲਾਲ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ irrigated ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਉਹ ਚਾਹੀ ਰਕਬਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਾਹੀ ਰਕਬਾ ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਰਕਬਾ ਉੱਨਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦਸਿਆ ਹੈ। ਨਹਿਰੀ ਰਕਬਾ 1948-49 ਵਿਚ 33,37,000 ਏਕੜ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 39/40 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ tube well ਨਾਲ ਆਬਪਾਸ਼ੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਰਕਬਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ irrigated area 54 ਲੱਖ ਏਕੜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸੇ ਹਨ ਉਹ ਗਲਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਣਾ

[ਅਰਥ ਮੰਤਰੀ]

ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 1945-46 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਕਪਾਹ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 50 ਫੀ ਸਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 300 ਫੀ ਸਦੀ ਤਕ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 1945-46 ਵਿਚ ਕਪਾਹ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 1,48,000 ਗੱਠ ਸੀ। 1954-55 ਵਿਚ 4,33,000 ਗੱਠ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਪਾਹ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 50 ਫੀ ਸਦੀ ਨਹੀਂ 300 ਫੀ ਸਦੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਨਾਜ ਕਿੰਨਾਂ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਬਟਵਾਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਸਾਲ 1946-47 ਵਿਚ ਬਟਵਾਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 25.6 ਲੱਖ ਟਨ ਸੀ। 1953-54 ਵਿਚ 35,68,000 ਟਨ ਤੇ ਸਾਲ 1954-55 ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 36,93,000 ਟਨ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮਿੱਤਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀ ਨਹੀਂ।

ਇਸ ਦ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮਿੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਟਵਾਰਾ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇ ਜਿਨਸਾਂ ਦਿਆਂ ਭਾਵਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗੇਗਾ ਕਿ ਰੁਪਿਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਜੇ 1946-47 ਸਾਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀ harvest price ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ 1953-54 ਸਾਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗੇਗਾ ਕਿ 1946-47 ਵਿਚ main crops ਦੀ ਕੁਲ ਕੀਮਤ ਬਣਦੀ ਹੈ 93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ 1953-54 ਵਿਚ ਕੁਲ ਕੀਮਤ ਬਣਦੀ ਹੈ 149 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧੇ ਤੇ ਰੁਪਿਆ ਘਰ ਆਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਵਧੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ। ਦਸਤਕਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਸਤਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਰੁਪਿਆ ਲਾਣ ਵਾਲੇ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਦਸਤਕਾਰੀ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਇਥੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਿਦ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਥੇ fertiliser factory ਲਗ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਫੇਰ ਪਤਾ ਲਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾਂ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। Cycle parts ਦੀ industry, sewing machines ਦੀ industry ਤੇ ਹੋਰ machines ਦੀਆਂ industries ਬਟਵਾਰੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਥੇ ਚਲੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਲ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਬਟਵਾਰੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਉਪਾਰੀ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਰੁਪਿਆ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਾਹਰ ਚਲ ਗਏ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਰੁਪਿਆ ਲਾ ਕੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ। Technicians ਵੀ ਸਾਰੇ ਬਟਵਾਰੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ 16,000 ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ training ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫੇਰ ਨਵੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। 85 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰਮਾਇਆ ਇਥੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ registered ਕਰਾ ਦਿਤਾ। 290 ਕੰਪਨੀਆਂ liquidation ਵਿਚ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। 515 ਨਵੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ register ਹੋਈਆਂ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਥੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਥੇ ਹੀ ਵਸਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ

ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜਮਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ 1157 Joint Stock Companies ਹਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ authorised capital 55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੇ ਇਕ ਮਾਨਯੋਗ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ Central Workshops ਵਿਚ ਜੰਗ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ 5,000 ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਹੁਣ 15,00 ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਮੁਬਾਲਗ਼ੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ 2,000 ਜਾਂ 2,500 ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਾਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਲ ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ਼ shelves ਬਣਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਲਈ ਸਾਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫੇਰ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਵਾਏ ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ machinery ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ Central Workshops ਨੇ 5,000 ਟਨ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਾਮਾਨ ਭਾਖੜਾ-ਨੰਗਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਸਨ ਉਹ Central Workshops ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 1,00,62,843 ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਸੋ Amritsar Workshop ਹੁਣ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਵਕਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ peace time ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ tractors ਬਨਾਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ German tractor technicuans ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ German tractors ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਸਤੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇ manufacture ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲ ਦਾ ਕਪੜਾ ਬਹੁਤ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, hand looms ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ 1951 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਥਖਡੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ।

ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮਿਲ ਦੇ ਕਪੜੇ ਦਾ ਸਸਤਾ ਵਿਕਣਾ ਸੀ, ਕਪੜੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਤੰਗੀ ਦੀ ਸੀ, ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਜੁਲਾਹੇ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਥਖਡੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਕਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ, mill-made cloth ਤੇ ਇਕ cess ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੱਥਖਡੀਆਂ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। Industries ਦੀ demand ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਤਨੀ ਮੱਦਦ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੱਥਖਡੀਆਂ ਦਾ ਕਪੜਾ ਵਿਕਾਣ ਲਈ ਡੇਢ੍ਹ ਆਨਾ ਫੀ ਰੁਪਿਆ ਇਮਦਾਦ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕਪੜਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ rebate ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ Designers ਤੇ depots ਮੁਕੱਰਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, loans ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ Co-operative Societies ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ 10 ਫੀ ਸਦੀ ਹੱਥਖਡੀਆਂ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਮੇਰੇ ਇਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਗਿਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। Index number ਕਿਸੇ year ਤੇ base ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿਚ 1951 ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ Korean War ਕਰਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

[ਅਰਥ ਮੰਤਰੀ]

ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ Government of India ਦਾ index ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਤੇ ਦਸੰਬਰ 1949 ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਤਨਾ fall ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਤਫ਼ਾਕ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਤਸ਼ਵੀਸ਼ਨਾਕ ਹੱਦ ਤਕ ਗਿਰ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ Budget Speech ਵਿਚ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਮੈਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਟਿਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਏਥੋਂ ਦੀ ਗੰਦਮ ਖੁਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੇਹਲੀ ਤੱਕ zone ਨਾ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੁਝ ਕਣਕ ਦਾ Stock ਲੈ ਜਾਕੇ ਬੰਬਈ, ਕਲਕੱਤਾ ਤੇ ਮਦਰਾਸ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਦ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਦਾ ਭਾਓ 10, 11 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹ stock ਕੱਢ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਸੁਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ prices ਨੂੰ stabilise ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਛੋਲੇ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ export ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਇਤਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ consume ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮਦਰਾਸ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

Opposition ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਰੂਈ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਕੁਝ ਦੇਸੀ ਰੂਈ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਏਥੋਂ ਦੇ ਮਿਲ ਵਾਲੇ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ export ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ prices stabilise ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ Central Government ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ 10 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੀਮਤ ਹੋਰ ਨਾ ਗਿਰੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ Central Government ਪਾਸ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਲਸੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ economy ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਟਿਕ ਕੇ ਰਹਿਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਯਕੀਨ ਰਖਣ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਨਾ ਜਾਣ।

ਫੇਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ surcharge ਬੜੇ unfair ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਬਿਨਾ ਤੇ Ordinance ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ।

ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਥੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਰਕਬਾ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਹੈ ਉਸ ਪਰ surcharge ਲਗੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 85 ਫੀ ਸਦੀ ਕਿਸਾਨ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ, exempt ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ (*Cheers*)। ਹੁਣ ਸਿਰਫ 15 ਫੀ ਸਦੀ ਤੇ surcharge ਲਗੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਤਰੀਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ 60 ਫੀ ਸਦੀ exempt ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ 85 ਫੀ ਸਦੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੱਧ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਘੱਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾਕਿ ਬੇਇਨਸਾਫੀ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀਆਂ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ! ਮੇਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮਿੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਨਿਆਂ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ surcharge ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲੀਆ ਪਹਿਲੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ surcharge

ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਨੇਚਰ ਵੇਖ ਕੇ ਓਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ surcharge ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਪਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਗਿਰ ਗਈਆਂ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲਾ ਮਾਲੀਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਲੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕਣਕ ਦਾ ਭਾ 2 ਰੁਪੈ ਮਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਬੰਦੋਬਸਤ 19 1, 1910 ਅਤੇ 1911 ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਦਾ ਭਾ $1\frac{1}{2}$ ਰੁਪੈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ $2\frac{1}{2}$ ਰੁਪੈ ਮਣ ਤਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਣਕ ਦਾ ਭਾ 10 ਰੁਪੈ ਮਣ ਤੋਂ ਘਟੇ ਹੀ ਨਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਪਾਹ ਦਾ ਭਾ ਵੀ 5 ਰੁਪੈ ਮਣ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 25 ਰੁਪੈ ਮਣ ਹੈ। (Interruptions from Maulvi Abdul Ghani)।

Mr. Speaker : मौलवी साहिब आप मदाखिलत करते हैं। (The hon. Member is interrupting.)

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : इस का नाम मदाखलत नहीं है।

Mr. Speaker : The hon. Member is very much disrespectful to the Chair. If he now passes any such remarks he will have to withdraw them.

ਅਰਥ ਮੰਤਰੀ : ਜਨਾਬ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਭਾ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਹਨ। 1909 ਦੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਵਿਚ 2 ਰੁਪੈ ਮਣ ਭਾ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। 2 ਆਨੇ ਅਤੇ 4 ਆਨੇ ਮਣ ਪਿੱਛੇ ਘੱਟ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਪਾਹ ਦੇ ਪੂਰੇ 25 ਰੁਪੈ ਮਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਬਲਕਿ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਝਗੜੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ 1909 ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਭਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਲੇਕਿਨ surcharge ਪਹਿਲੇ ਮਾਲੀਏ ਉੱਪਰ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਭਾਖੜੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ American experts ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਥੇ employ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ ਅਤੇ ਬੀਮੇ ਦੇ agents ਹਨ। ਇਹ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਕ ਜ਼ਿੰਮੇਂਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀ ਉਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ experts ਦਾ ਕੰਮ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਤਜਰਬਾ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਥੋਂ ਦਰਿਆਫਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। America ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਦਰ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ੨ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ University education ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕ Technical Schools ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ practical training ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ੨ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ practical experience ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। Russia ਨੇ ਵੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਐਡੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਿਰ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਮੰਗਵਾਏ ਸਨ। ਇਹਦੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੇਹਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ experts ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾ ਲਏ ਜਾਣ। Mr. Slocum ਨੂੰ dams ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਹਰਤ ਹਾਸਿਲ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਲਿਆਕਤ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ question ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 18 ਡੈਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ 18 ਡੈਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਪਰ ਬੜਾ confidence ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 10 ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ

[ਅਰਥ ਮੰਤਰੀ]
ਸਾਲ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲਾ Engineer ਐਸਾ dam ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ । ਅਸਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਬਲਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪੈਪਸੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਬਾਹਰੋਂ experts ਨ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ Engineers ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ । ਜਿਹੜੇ experts ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ Engineers ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। Designs ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਦਮੀ ਹਨ, construction side ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਦਮੀ ਹਨ, complicated machinery ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਦਮੀ training ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ experts ਨਾਲੇ ਤੇ ਡੈਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ training ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕਰ ਕੱਲ ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ experts ਬਾਹਰੋਂ ਨ ਮੰਗਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ; ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਗੰਗੂਵਾਲ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਸਾਡੇ Engineers ਨੇ ਬਨਾਣੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਆਕਤ ਦੀ ਦਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। (ਇਕ ਆਵਾਜ਼ : ਦਾਮੋਦਰ ਵੈਲੀ ਵਿਚ ਤਾਂ Mr. Slocum ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ) ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਡੈਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। It is the biggest dam in the world. ਬਾਕੀ ਡੈਮ ਛੋਟੇ ੨ ਹਨ। ਫੇਰ ਵੀ American experts ਦਾਮੋਦਰ ਵੈਲੀ ਵਿਚ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਖੜੇ ਵਿਚ rock ਇਤਨੀ ਖਰਾਬ ਅਤੇ situation ਇਤਨੀ difficult ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ risk ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕਰ ਅਸੀਂ risk ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬੜੇ ਬੇਵਕੂਫ ਹਨ, 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਾਮੂਲੀ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ! ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਰਿਸ਼ਵਤਸਤਾਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਹੈ । Public Accounts Committee ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਚੌਧਰੀ ਲਹਿਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ study ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਕਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ Engineers ਨੂੰ ਹੱਥ ਰੰਗਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਲੋਗ ਹੱਥ ਰੰਗ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸਾਂ ਕਮੇਟੀ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ technical ਆਦਮੀ ਕਿਉਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਰ ਇਹ ਮਲੂਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਇੱਟਾਂ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾਂ ਕਇਲਾ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾਂ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ expert ਆਦਮੀ ਦੇ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਉਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਕੰਮ earth work measurement ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ work out ਕਰਨ ਲਈ technical ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। Technical ਖੋਜ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ technical ਆਦਮੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਅਸਾਂ ਲਗਾਏ ਹਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਉੱਪਰ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ, ਉਹ ਸਭ ਚੋਰੀਆਂ ਕੱਢਣਗੇ।

ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਫਾਲਤੂ ਬਿਜਲੀ ਨਾਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨ ਦਿੰਦੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਉੱਥੇ ਵੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ Capital ਵੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਤੇ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਕਾਫੀ ਫਾਲਤੂ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ । ਇਸ

ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ Ganguwal ਅਤੇ ਕੋਟਲੇ ਦੀ 96,000 ਕਿਲੋਵਾਟ ਯਾਨੀ 72,000 ਕਿਲੋਵਾਟ firm power ਹੈ। 10,000 ਇਕ ਵਾਰ ਅਤੇ 10,000 ਇਕ ਵਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 52,000 K. W. firm power ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਰਚ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਫੇਰ ਜੇ ਕਰ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 32,000 ਕਿਲੋਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਮੰਡੀ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਅਜੇ ਅਸਾਂ ਭਾਖੜੇ ਦੇ unit ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ Government of India ਨੇ ਉਥੇ ਇਕ fertilizer factory ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ sanction ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰਚ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਰ ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦਿਆਂਗੇ ਜਿਥੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਲੋਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਸਾਂ 200 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ 300 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1500 tube wells ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਪ੍ਰਿੰ: ਰਲਾ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ multipurpose schools ਹੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਚੰਗੇ standard ਦੇ technical schools, colleges ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ multipurpose schools ਹੀ ਹੋਣ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ lines ਪੁਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਲਰਕ ਹੀ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਬਲਕਿ ਅਜਿਹੇ ਜਵਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਆਪ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ–ਹਥੌੜਾ ਮਾਰ ਸਕਣ, ਰੰਦਾ ਚਲਾ ਸਕਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਥੋਂ ਤੀਕਰ technical college ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਅਸਾਂ Ambala Technical Institute ਪੁਰ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੀ State ਦੀ strength ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ train ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸੁਝਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ benefits ਉਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ institutions ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਲ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਗੌਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ colleague ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਜੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ institutions ਨੂੰ grants ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ teachers ਅਤੇ professors ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਗਰੇਡ ਸਰਕਾਰੀ teachers and professors ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇਣ। ਅਰਥਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਗਰੇਡਜ਼ identical ਹੋਣਗੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਲਾਉਂਸ 30 ਜਾਂ 40 ਜਾਂ 50 ਰੁਪਏ ਜੋ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, provident fund ਦੀਆਂ facilities ਵੀ 6½ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਨਗੀਆਂ। ਇਤਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿਚ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ

[ਅਰਥ ਮੰਤਰੀ]

ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜੀਆਂ terms ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ appoint ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਮਿਆਰ ਵਧੇ।

ਫਿਰ ਇਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ compulsory military training ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ military training ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜੇ anxious ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ discipline ਕੁਟ ਕੁਟ ਕੇ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫ਼ਖਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਬੜੇ ਮਾਹਿਰ ਹਨ, ਫੌਜੀ ਹੁਨਰ ਵਿਚ ਖੂਬ ਮਾਹਿਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿਚ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਰਗਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ੂਨ ਹੈ ਅਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਵੀ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ organised ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ training ਦਈਏ। ਇਸ purpose ਲਈ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ N.C.C. ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚ students ਨੂੰ military training ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਦੂਜਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ troops ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੈ ਲਓ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ speech ਵਿਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਿਆ-ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। N.C.C ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 1948-49 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ Senior Division ਦੀਆਂ 10 units ਹੈਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿਚ ਇਕ air squadron ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 2920 cadets ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 71 ਅਫ਼ਸਰ command ਕਰਦੇ ਹਨ। 90 cadets ਦਾ ਇਕ girls division ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 3 ਅਫ਼ਸਰ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ junior division ਵਿਚ 162 troops ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 5346 cadets ਹਨ। ਇਸ ਚਾਲੂ ਸਾਲ senior division ਵਿਚ ਚਾਰ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ, 7 girls troops ਅਤੇ 41 junior division boy troops ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ auxiliary corps ਵੀ set up ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਟਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਕਹਿ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ discipline ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਧੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹਾਂ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ purpose ਲਈ ਰੁਪਿਆ provide ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।

ਇਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ administration ਵਿਚ red-tapism ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਅਤੇ representations ਘੱਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਥਹੁ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਪਰ

ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹਾਲਤ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਹੱਈਆ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ, ਚਿੱਠੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ representation ਆਵੇ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ-ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਕਮੇ ਪਾਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪੁਰ ਕੋਈ action ਲੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਖ਼ੁਦ ਇਹ ਪੁਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਇਹ red-tapism ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਵਜਾਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਲਮਕਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਹ ਖੁਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ red-tapism ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹਾਂ। ਆਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਚੀਫ਼ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ "clear the desk" ਬਾਰੇ orders ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ।

Unemployment ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ cottage industries ਲਗਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਹੋਰ ਦੂਜੀਆਂ ਦਸਤਕਾਰੀਆਂ ਚਾਲੂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਇਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 90 ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ posts ਲਈ 1,000 ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਆਈਆਂ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰ posts ਖਾਲੀ ਜੋ ਸਨ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਹੀ ਸਨ। ਆਖਿਰ ਹਰ ਇਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। 75,000 students ਇਸ ਵਾਰੀ matric ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਆਖਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 30 ਜਾਂ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ continue ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਨੌਕਰੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੈ? ਇਹ ਕਿ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਜੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ state ਵਿਚ development ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਤਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਲੱਭੇਗਾ ਤੇ ਉਤਨੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ literacy ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ single teacher school ਬਣਾਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ $3\frac{1}{2}$ ਹਜ਼ਾਰ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਰਖਿਆ ਜਾ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ unemployment ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਲ ਇਕ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਕਦਮ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ cottage industries ਨੂੰ encourage ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪਿਛਲਿਆਂ ਬਜਟਾਂ ਵਿਚ ਰੁਪਿਆ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। Co-operative societies ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ provision ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼

[ਅਰਥ ਮੰਤਰੀ]

ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਰੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਸਾਂ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਕਢਿਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀਆਂ Labour Organizations ਬਣੀਆਂ ਹਨ ਅਸਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਕ economic advisor ਰਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ Labour Organization ਵਿਚ 31 factories ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 12 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ industries ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 31 factories ਦੀਆਂ figures ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ labour ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ figures ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ factories ਵਿਚ 1949 ਵਿਚ 6903 ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ 1953 ਵਿਚ 7907 ਅਤੇ 1954 ਵਿਚ 8069 ਆਪ ਇਹ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਬਲਕਿ ਕੁਝ ਚੰਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ factories ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1954 ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 1100 ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। (ਇਕ ਅਵਾਜ਼-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ)।

ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ economics ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ Organization ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ trend ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਫੇਰ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਮਿਤ੍ਰ ਚੌਧਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਵ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਾਂ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਕੋਈ tax ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ Transfer of Property ਲਈ Registration ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਆਮਦਨ ਵਧਾਣ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਾਂ budget ਦੇ point of view ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤੱਲਕ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸ ਕੋਲੋਂ ਛਿਪੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲ ਖਾਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਖਰਚ ਕਿੰਨਾਂ ਕੁ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਅਸਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ registry ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਉਸ ਦਾ ਦਾਖਲ ਖਾਰਜ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁਛਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾਂ ਕੁ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਉਠਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗੇਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ਾਮਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਕਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਜਾਣਗੇ।

ਪੰਡਤ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ : इस से Revenue Stamps की कितनी sale हो जाएगी ! वह भी तो इन्हीं ने ही देनी है ।

ਅਰਥ ਮੰਤ੍ਰੀ। ਇਸ ਨਾਲ stamps ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਾਧੂ sale ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਫੇਰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਚੌਧਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ tax ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ,

ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਭਾ ਬੜੇ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਸੌਂ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਸਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗੇ 4 ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਬੜੀ ਤਸ਼ਵੀਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਡਿਤ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ : क्या मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि वह तजवीज़ें क्या हैं ?

ਅਰਥ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਉਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਤੋਂ food grain ਦੀ import ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਥੋਂ food grain ਦੂਜਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਕ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਕਈ Opposition ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਕੁਲ 7 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਅਸਾਂ tax ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਹੁਣ 28 ਕਰੋੜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ 7 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਕਿ ਇਹ 1947-48 ਦੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਜਟ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ 16 ਕ੍ਰੋੜ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਜੇਕਰ classification of accounts ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ 22 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ 28 ਕਰੋੜ ਵਿਚੋਂ ਜਿਹੜੀ Government of India ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਮਦਾਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਕਮ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ classification of accounts ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਘਟਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਫੇਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 16 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 22 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਨਵੇਂ tax ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। Sales Tax ਦੀ ਉਹੀ ਸ਼ਰਹ ਰਹੀ ਹੈ, Land Revenue ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਮਦਨੀ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਗੇ taxes ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਵਿਚ ਖੱਪੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸਾਂ leakage ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ।

ਫੇਰ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਇਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖੁਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਉਥੇ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਥੇ ਡਾਕਟਰ ਹਨ ਤਾਂ ਉਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿਥੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੁਝ rural dispensaries ਨੂੰ provincialize ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ rural dispensaries ਹਨ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ provincialize ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ dispensaries ਵਿਚ ਡਾਕਟਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਵਾਂ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਅਸਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੱਨਖਾਵਾਂ ਦੇ ਆਖਿਰ ਵਿਚ ਸੌ ਰੁਪੈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਣ। ਅਸਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ।

[ਅਰਥ ਮੰਤਰੀ]

ਫੇਰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਚੌਧਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਅਮੈਰਿਕਨ economy ਤੇ ਪਿੰਡਾ ਵਿਚ Russian economy ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦੋ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਲਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ interests ਸੇਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ tenants ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਅਸਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਕੇ tenants ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੇਵਲ peasantry ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ economy ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛਡਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜ ਕੱਲ Death Duty ਲਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਤਨੇ ਭੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਨ, ਸਰਮਾਇਆ-ਦਾਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ tax ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਪ ਨੇ Central Budget ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। (interruptions) ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ Income Tax ਤੇ Super Tax ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਵੱਡੇ ੨ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। Income Tax ਪਹਿਲਾਂ 71 ਫੀ ਸਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹ 81 ਫੀ ਸਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 5 ਲੱਖ ਕਮਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਾਸ ਸਿਰਫ 95 ਹਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਹਾਤੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ tax ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛਡਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ Company Law ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਹਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੋਈ Managing Agency ਜਿਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਪਿਆ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। (ਇਕ ਮੈਂਬਰ Central Government ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ) ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ Capitalist Economy ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ Socialistic Pattern ਦੀ Society ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤਾ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਖਤਿਆਰ Central Government ਦਾ ਹੈ। ਮਗਰ Centre ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ Congress Organisation ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਾਂਗੜੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਰਾਜਾ ਰਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਥੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗੜਾ, ਗੁੜਗਾਵਾਂ, ਅੰਬਾਲੇ ਦੀ ਨਰੈਣਗੜ੍ਹ ਤਹਸੀਲ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਿਥੇ ਚੋਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਬੜੇ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਇਸ ਵਕਤ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਾਂਗੜੇ ਅਤੇ ਗੁੜਗਾਂਵ ਵਾਸਤੇ provide ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਨੂੰ ਦਸਦਾ ਹਾਂ। ਕਾਂਗੜੇ ਵਿਚ ਕੂਲ੍ਹਾਂ ਦਵਾਰਾ irrigation ਲਈ 1953-54 ਵਿਚ 29 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਸੀ। 1954-55

ਵਿਚ 10½ ਲੱਖ ਤੇ 1955-56 ਵਿਚ 23 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ 1954-55 ਵਿਚ 17 ਲੱਖ ਅਤੇ 1955-56 ਵਿਚ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। 9 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ development ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਵਰਕਸ ਤੇ ਕਾਂਗੜੇ ਵਿਚ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ 1.9 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ water supply ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੜਗਾਵਾਂ ਜ਼ਿਲੇ ਲਈ tube- wells ਜਾਂ ਰੇਵਾੜੀ ਗੁੜਗਾਵਾਂ canal project ਲਈ 48 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ provision ਹੈ (interruptions) ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਖਰਚਾਂ ਦੇ provision ਹਨ, ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ proposals ਹੀ ਹਨ, ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਇਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਰੁਪਿਆ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਖਰਚ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਰਿਵਾੜੀ minor ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਲਈ 5 ਲੱਖ, Community Project ਲਈ 10 ਲੱਖ ਅਤੇ ਬੰਧ ਲਈ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ provide ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ exploratory tube-wells 1956 ਵਿਚ ਲਗ ਜਾਣੇ ਹਨ ਸ਼ਾਇਦ 1955 ਵਿਚ ਹੀ ਲਗ ਜਾਣ। ਜਦ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁੜਗਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੀ tube-wells ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਮਨੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਸਰਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਗਰ ਚੂੰਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਭੀ ਦੋ ਲਫਜ਼ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਭੀ ਉਥੇ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੀ magisterial enquiry ਕਰਾਈ ਗਈ। ਇਸ enquiry ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਉਸ ਵਿਚ ਉਹ ਹੱਕ-ਬਜਾਨਬ ਸੀ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ D. S. P. ਦਾ ਤੱਅਲੁਕ ਹੈ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਵਰਤੀ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਕਲ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲਾਵਾਂਗੇ।

ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਬਿਆਨਾ ਜੋ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਥਾਂ opening ceremony ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ engineer ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਬਿਆਨਾ ਨਹੀਂ ਲਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਆਬਪਾਸ਼ੀ ਲਈ ਇਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਥਾਂ ੨ ਬਿਜਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਬਿਆਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਕ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਰਨਾਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਕਰਨਾਲ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਜ਼ਿਲੇ ਬਾਰੇ ਕਹੀ ਜਿਸ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਇਤਨੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ। Western ਜਮਨਾ canal ਹੋਵੇ, ਬੰਧ ਬੰਨ੍ਹੇ ਗਏ ਹੋਣ, ਜਿਥੇ ਨਹਿਰਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਥੇ tube-wells ਹੋਣ, ਜਿਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਇਤਨੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣ ਉਸ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਆਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹਰ M. L. A. ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ

[ਅਰਥ ਮੰਤਰੀ]

constituency ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਮਗਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਹਦ ਤਕ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅੰਬਾਲਾ Division ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਲੰਧਰ Division ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਫੇਰ ਉਠੇ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਅਲੇਹਦਾ ੨ figures ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਫੇਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜੋ figures ਦੱਸਾਂਗਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਜੋ ਅੰਬਾਲਾ Division ਲਈ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ include ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਖੜੇ ਅਤੇ ਨੰਗਲ ਦਾ ਖਰਚ ਜੋ 20 ਕਰੋੜ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ figures ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹਰਿਆਨੇ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈ। $7\frac{1}{2}$ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਖਰਚ ਭੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ revenue account ਵਿਚੋਂ Ambala Division ਤੇ 5,11,84000/-/- ਦਾ ਖਰਚ provided ਹੈ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ Division ਲਈ 5, 15, 55000/-/- ਦਾ provision ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅੰਬਾਲਾ Division ਨਾਲੋਂ $1\frac{1}{2}$ ਗੁਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਖਰਚ ਵੀ ਅੰਬਾਲਾ Division ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ। (interruptions) ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੰਬਾਲਾ Division ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇਕਰ ਅੰਬਾਲਾ Division ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਰੋਹਤਕ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਜੁਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੰਬਾਲਾ Division ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ Division ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।

ਮੇਰੇ ਇਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ Commissioner ਦੀ post ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਉਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ post ਨੂੰ ਨੇਕ ਨੀਅਤੀ ਨਾਲ ਉੜਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੜਾਨ ਨਾਲ ਬੱਚਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਬੱਚਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ set up ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ decentralization ਕਰਨ ਲਗੇ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਮੁਆਇਨੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਉੱਪਰ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ supervise ਕਰੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ post ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ post ਨੂੰ abolish ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕਈ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ Community Projects ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ supervision ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ Commissioner ਦੀ post ਰੱਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ development ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ supervision ਕਰ ਸਕਣ।

ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, princes ਪਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ princes ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜੋ princes ਨਾਲ ਮੁਆਹਿਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਉਹੀ ਰਕਮ ਉਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਕਮ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ princes ਨਾਲ ਕਰ ਗਏ ਹਨ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਬੇਵਫ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਹਾਨ ਨੇਤਾ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹੀ ਗੱਲ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ Heads of Departments ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ cadre ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤਨਖਾਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਲਾਉਂਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕੁਝ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਬਿਆਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਬਿਆਨੇ ਦੇ ਰੇਟ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚੋਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਯੂ. ਪੀ. ਵਿਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਆਬਿਆਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਡਿਉਢਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਬਿਆਨਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਛੋਲਿਆਂ ਤੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਤੇ 25% ਆਬਿਆਨਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਖਲੂਤ ਫਸਲ ਤੇ ਆਬਿਆਨਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀਮਤੀ ਫਸਲ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੇ ਰੇਟ ਤੇ ਆਬਿਆਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਜੇਹੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮਖਲੂਤ ਫਸਲ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਰ ਅੱਧੀ ਫਸਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸਲ ਵਾਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਨਾਲ ਆਬਿਆਨਾ ਲਗੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਰ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਕੀਮਤੀ ਫਸਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਬਿਆਨਾ ਸਾਧਾਰਣ ਫਸਲ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਰ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਕਾਇਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜ਼ਿਲੇਦਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, S.D.Os ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ Executive Engineers ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਕ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ

ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਫਲਣ ਲਗਾ। ਇਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧੇਗਾ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਣਦਾ ਰਹੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੂਬਾ ਬਣੇ ਜਾਂ ਨਾ ਬਣੇ। (ਪ੍ਰਸੰਸਾ)

ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਜਿਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ architects ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਏ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੇਖਿਆ ਸਭ ਇਸ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ design ਨੂੰ ਸਲਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਵੰਤਰ ਤੇ ਬਨਾਵਟ ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਈ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਵਧੇਗਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਵਸੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਪਸੰਦ ਕਰੋ ਨਾ ਕਰੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ capital ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕ ਕਾਮਯਾਬ ਕੈਪੀਟਲ (capital) ਬਣਾਵਾਂਗੇ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ Low Income Group Housing Scheme ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ $7\frac{1}{2}$ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਛੋਟੇ ਆਦਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਮਿੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੁਪੈ ਕਾਹਦੇ ਦੇਣੇ ਕੀਤੇ ਨੇ 5% ਸੂਦ ਲਾ ਲਿਆ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕੋਈ 30 ਸਾਲ ਲਈ ਰਕਮ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਸੂਦ ਵੀ ਨਾ ਲਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਥੇ ਕਿੰਨੇਕੁ ਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜੋ 30 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਵਿਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਵਿਖਾਉ, ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਨੇ 30 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸੂਦ ਵੀ ਨਾ ਲਏ। ਸੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੇ ਲਗ ਭਗ 50-55 ਰੁਪੈ ਮਹੀਨਾ ਕਿਸ਼ਤ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੀ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ Backward Classes ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ reservations ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ 23 ਲੱਖ ਦਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ 25 ਲੱਖ ਦਾ provision ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ

[ਅਰਥ ਮੰਤਰੀ]

ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ Backward Classes ਦੇ ਵੇਖੇ ਸਨ ? ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਵੋ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ Gazetted Officers ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। Subordinate Services Selection Board ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਰੀਜਨ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਹਨ। ਹਰ ਥਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ।

ਫਿਰ ਅਸੀਂ 53,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ landless ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ communalism ਹੈ, ਸਰਵਿਸਾਂ ਵਿਚ communalism ਹੈ........

अध्यक्ष महोदय : केवल एक मिन्ट और रह गया है। (Only one minute is left.)

ਅਰਥ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਦਸ ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ।

ਚੂੰਕਿ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗਲਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗਲਾਂ ਵਲ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ।

ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਬਾਲੇ ਜ਼ਿਲੇ ਤੇ ਘੱਟ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਐਤਕੀ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਅੰਬਾਲੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਇਸ ਵਿਚੋਂ 67 ਲੱਖ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। 3 ਕਰੋੜ ਕੈਪੀਟਲ ਲਈ ਹੈ।

ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੀ debt liability ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ 110 ਕਰੋੜ ਦੀ debt liability ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ debt productive ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ invest ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ productive debt ਹੈ।

Mr. Speaker : According to the procedure the time of the sitting of the House cannot be extended without a regular motion.

MOTION TO EXTEND TIME OF THE SITTING OF THE ASSEMBLY.

Chief Minister (Shri Bhim Sen Sachar) : Sir, I beg to move-

> That the sitting of the House be extended by 10 minutes.

Mr. Speaker : Motion moved-

> That the sitting of the House be extended by 10 minutes.

पंडित श्री राम शर्मा : जनाब स्पीकर साहिब, मैं इस motion की मुखालफित के लिए खड़ा हुआ हूँ। इस तरह मैम्बरों को जबरदस्ती ज़्यादा देर के लिए बिठाया जा रहा है और इसको पास करने में pleasure of the House नहीं है। इस तरह की motion नहीं लाई जानी चाहिए।

Mr. Speaker : Question is.

That the sitting of the House be extended by 10 minutes.

The motion was carried.

RESUMPTION OF GENERAL DISCUSSION ON THE BUDGET

ਅਰਥ ਮੰਤਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਉੱਜਲ ਸਿੰਘ) : ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਲਈ ਕੁਝ figures ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ productive ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। Industrial Development ਦੇ ਸਿਲਸਲੇ ਵਿਚ sugar factories ਲਈ 60 ਲੱਖ fertilizers ਲਈ 95 ਲੱਖ 32 ਹਜ਼ਾਰ, ਲੇਬਰ ਕੋ-ਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਲਈ 44 ਲੱਖ, Industrialists ਲਈ 20 ਲੱਖ, 1 ਕਰੋੜ 94 ਲੱਖ ਕੈਪੀਟਲ ਲਈ, Industrial loans ਲਈ 1 ਕਰੋੜ 34 ਲੱਖ, ਇਕ ਕਰੋੜ ਤਿੰਨ ਲੱਖ Rehabilitation loans ਲਈ, 7 ਕਰੋੜ 55 ਲੱਖ Low Income Group Housing Schemes ਲਈ, National water supply ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ 75 ਲੱਖ, Nationalisation of transport ਵਾਸਤੇ 40 ਲੱਖ, ਕਮਯੁਨਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 47 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਫ ਪਤਾ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ debt productive debt ਹੈ। ਹਾਂ ਸਿਵਾਏ Capital Project ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਿਸ ਤੇ ਕਿ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਖਰਚ ਦੂਜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਾਂਗ productive ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਥੇ ਵੀ ਜੋ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਸਭ ਦਾ ਕਰਾਇਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ State ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ productive ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਅਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਸਾਰੀ debt liability productive ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਕਰਜ਼ਾ secured ਹੈ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗੀ yield ਹੋਵੇਗੀ।

ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ National Plan Loan ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੇ ਕਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ National Plan Loan ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 10 ਕਰੋੜ 38 ਲੱਖ ਇਕੱਠਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਰੁਪਿਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਤੇ ਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਜਜ਼ਬਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ। (ਪੰਡਿਤ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ : ਕੀ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਜਾਂ ਚੰਦਾ)।

ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ Loan ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ official pressure ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ।

ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਖੀਰਲੇ point ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਤਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ tax burden 5 ਗੁਣਾਂ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 5 ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ Land Revenue ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗੇਗਾ ਕਿ ਇਥੋਂ ਦਾ Land Revenue ਘੱਟ

[ਅਰਥ ਮੰਤਰੀ]

ਹੈ। ਆਬਿਆਨਾ ਲੈ ਲਵੋ, ਇਹ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। Bombay ਵਿਚ sugar cane ਤੇ 50 ਰੁਪਏ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਥੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। Sales Tax ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਵੋ। ਇਹ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। rural ਤੇ urban ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਵੋ। ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿਚ urban areas ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ rural areas ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ three times ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

ਤੁਸੀਂ Taxation Inquiry Commission ਦੀ report ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿਚ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗੇਗਾ। ਇਸ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ per capita ਟੈਕਸ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ	6.66
ਆਸਾਮ	6.69
ਬੰਬਈ	10.21
ਬੰਗਾਲ	8.14
ਪੈਪਸੂ	12.07
ਰਾਜਸਥਾਨ	6.99
ਸੁਰਾਸ਼ਟਰ	10.21
ਟ੍ਰਾਵਨਕੋਰ-ਕੋਚੀਨ	8.43
ਉੜੀਸਾ	3.67
ਮਦਰਾਸ	6.29
ਮਧਯ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼	5.69

ਇਨ੍ਹਾਂ figures ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ 10 ਸੂਬੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ per capita ਟੈਕਸ rate ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ Land Revenue ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ per acre ਲੈ ਲਵੋ। ਇਹ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।

Land Revenue per acre.

ਪੰਜਾਬ	1.11 ਰੁਪਏ
ਉੱਤਰ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼	4.42 ,,
ਮਦਰਾਸ	1.84 ,,
ਮਧਯ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼	1.33 ,,
ਬੰਬਈ	1.42 ,,
ਆਸਾਮ	2.42 ,,

ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ 5 ਗੁਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਭ ਸਟੇਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਹਨ।

ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥੋਂ ਨਾਲਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਸਿਵਾਏ 6-7 ਮਨਿਸਟਰਾਂ ਦੇ। (interruptions) (ਆਵਾਜ਼ਾਂ) ਛੇ ਮਨਿਸਟਰਾਂ ਦੇ।

ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦਾਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਥੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ Opposition ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਅਜ਼ਮਾਨ ਦਾ ਵਕਤ ਆਇਆ ਕਿ ਕੀ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਲਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਠਾਏ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਨਤਾ ਦਾ ਅਸਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਇਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਾ ਰਿਹਾ ਅਸਾਂ ਇਥੇ ਇਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਮਿੱਤ੍ਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਹਿਰਾਂ ਚਲਾ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ ਉਂਨੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕ ਇਸ ਲਈ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਲਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ Bhakra-Nangal Project ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਇਕ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਕੀ ਲੋਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 4 ਲੱਖ ਕਿਲੋਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਨੰਗਲ ਤੋਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਲੋਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ 377 ਮੀਲ ਪੱਕੀ ਸੜਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਲੋਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁਕਣ ਲਈ Community Projects ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦਿਹਾਤੀ ਜਨਤਾ ਸਹੀ ਮਹਿਨਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਿਆਂ ਸਜਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ achievement ਤੇ ਦੁਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲਗੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸੁਫਨੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲਗੇ। ਜਦੋਂ ਫੇਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਉਦੋਂ ਜਨਤਾ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣਾ verdict ਸਾਡੀ favour ਵਿਚ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ।

The Assembly then adjourned till 2 p.m. on Thursday, the 17th March, 1955.

PUNJAB VIDHAN SABHA

DEBATES

17th March, 1955.

Vol. I—No. 10.

OFFICIAL REPORT

CONTENTS

Thursday, 17th March, 1955.

Price Rs. 3/7/-

S. D. Press, Mani Majra

PUNJAB VIDHAN SABHA.

Thursday, the 17th March, 1955.

The Vidhan Sabha met in the Assembly Hall, Sector 10, Chandigarh Capital, at 2 P. M. of the Clock. Mr. Speaker (Sardar Gurdial Singh Dhillon) in the Chair.

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS.

STAFF ENGAGED ON THE CONSTRUCTION OF BHAKRA DAM

*4703. **Shri Mohan Lal Datta** : Will the Minister for Irrigation be pleased to state :—

(a) the number of labourers including supervisory staff below the rank of overseers employed by the Government on the construction of Bhakra Dam during the

ERRATA

Debate Vol. I No. 10, dated 17-3-1955.

Read	for	Page	& line No.
exceptions	exceqtions	17	22
,, is	,, f	20	39
,, ਕਲੀਲ	,, ਦਲੀਲ	22	1
,, के	,, न	22	15
,, religions	,, religious	24	30
,, abused	,, abhsed	33	10
,, washing	,, wasing	42	18
,, personnel	,, personal	42	45
,, number	,, umber	57	5th line in Q 691
,, directed	,, dirated	73	44
,, Panjab	,, punjab	75	46

RECRUITMENT OF PERSONNEL OFFICER, S.D O. TIME-KEEPING AND ENFORCEMENT IN THE DIRECTORATE OF CONSTRUCTION AND PLANT DESIGNS, NANGAL TOWNSHIP

*4106 **Sardar Harkishan Singh Surjit**: Will the Minister for Irrigation be pleased to state :

a) whether the Administrative Officer, Directorate of Construction and Plant Design, Nangal Township, advertised the post of Personnel Officer namely of S. D. O. Time-keeping and S.D. O. Enforcement in May, 1954;

b) the reasons, if any, why the Public Service Commission was not approached to advertise the post referred to in part (a) above;

PUNJAB VIDHAN SABHA.

Thursday, the 17th March, 1955.

The Vidhan Sabha met in the Assembly Hall, Sector 10, Chandigarh Capital, at 2 P. M. of the Clock. Mr. Speaker (Sardar Gurdial Singh Dhillon) in the Chair.

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS.

STAFF ENGAGED ON THE CONSTRUCTION OF BHAKRA DAM

*4703. **Shri Mohan Lal Datta** : Will the Minister for Irrigation be pleased to state :—

(a) the number of labourers including supervisory staff below the rank of overseers employed by the Government on the construction of Bhakra Dam during the years 1952-53, 1953-54 and 1954-55;

(b) the number of clerical staff engaged on the said construction during the period mentioned in part (a) above ;

(c) the number of officers from the rank of Sub-Divisional Officer up to Superintending Engineer employed on the above mentioned project during the period referred to above ;

(d) whether any reduction or retrenchment was effected in any of the categories mentioned in parts (a) to (c); if so, the percentage thereof ?

Chaudhri Lahri Singh :

	1952-53	1953-54	1954-55.
(a)	5082	6529	6643
(b)	324	574	626
(c)	182	251	273

(d) No reduction or retrenchment in the overall numbers was possible, as the construction was all the time expanding.

RECRUITMENT OF PERSONNEL OFFICER, S.D O. TIME-KEEPING AND ENFORCEMENT IN THE DIRECTORATE OF CONSTRUCTION AND PLANT DESIGNS, NANGAL TOWNSHIP

***4106 Sardar Harkishan Singh Surjit**: Will the Minister for Irrigation be pleased to state :

a) whether the Administrative Officer, Directorate of Construction and Plant Design, Nangal Township, advertised the post of Personnel Officer namely of S. D. O. Time-keeping and S.D. O. Enforcement in May, 1954;

b) the reasons, if any, why the Public Service Commission was not approached to advertise the post referred to in part (a) above;

[Sardar Harkishan Singh Surjit]

(c) number of applications received in response to the advertisement referred to in part (a) above and the number of applicants called for interview?

Chaudhri Lahri Singh :

(a) Yes.

(b) The General Manager, Bhakra Dam has been delegated powers to recruit officers for the Bhakra Dam Project without reference to the Public Service Commission.

(c)

Name of post.	No. of Applications received.	No. of Applicants called for interview.
i) Personnel Officer.	74	6
ii) S. D. O. Enforcement.	36	5
iii) S. D. O. Time-keeping.	102	10

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਨ ਲੇਕਿਨ interview ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਦਸਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ?

सिंचाई मन्त्री : जब किसी पोस्ट के लिए advertise किया जाता है तो उस के लिए 1st division, 2nd division और 3rd division वाले गर्ज़ेकि सब candidates apply कर देते हैं। लेकिन selection करते वक्त merits के हिसाब से जो लोग ज़्यादा suitable होते हैं, जिन को तजरुबा ज़्यादा होता है, जिनकी qualifications अच्छी होती हैं उनको रख लिया जाता है।

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : Advertisement ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਾਂ applications ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ worth ਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ interview ਵਿਚ ਹੀ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

श्रीमती सीता देवी : क्या वज़ीर साहिब बताने की कृपा करेंगे कि Bhakra और Nangal डैम की recruitment को Public Service Commission से क्यों exempt किया गया है ?

मन्त्री : Bhakra और Nangal में construction का काम बहुत ज़ोर से हो रहा है। अगर हम वहां की recruitment को Public Service Commission के through लें तो पांच-पांच, छः-छः महीने लग जाते हैं। तो हम ने इस विचार से कि construction में delay न हो जाए वहां के officers को direct recruitment करने के लिए empower किया हुआ है।

Public Service Commission में expert technical आदमी नहीं हैं। वहां Mr. Slocum जैसे और दूसरे भी बड़े बड़े expert और Judge बैठे हैं। वे फौरन ही आदमी की selection कर लेते हैं ताकि delay न हो।

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ ਹੀ exemption ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ?

मन्त्री : सब specialists की पोस्टों के लिए exemption दी जाती है।

श्रीमती सीता देवी : क्या वज़ीर साहिब कृपा कर के बताएंगे कि वे पोस्टें कोई खास किस्म की technical posts हैं जो कि Mr. Slocum को आप ने fill करने के लिए रखा है। पंजाब के अन्दर जितने दूसरे महकमें हैं उन की सब technical posts Public Service Commission के द्वारा ही भरी जाती है ?

मन्त्री : दूसरे महकमों में न तो construction का इतना ज़रूरी काम होता है और न ही expedite करने का झंझट होता है।

श्री मती सीता देवी : क्या वे बताएंगे कि Public Service Commission के लिये कोई ऐसा procedure नहीं हो सकता जिस से कि......

Mr. Speaker : It does not arise. It is not a supplementary question. It is a request for action.

SINKING OF EXPLORATORY TUBEWELLS IN THE STATE

* 4686. **Shri Baloo Ram :** Will the Minister for Irrigation be pleased to state :

(a) whether there was any scheme under the consideration of Government to sink six exploratory tubewells in district Hoshiarpur; if so, whether it was implemented and the extent to which it was implemented;

(b) whether the work in connection with the sinking of 46 exploratory tubewells in areas out of the irrigation boundary has been started by the Government; if so, where ?

Chaudhri Lahri Singh :

(a) Yes. Tentatively 10 sites have been selected for boring six exploratory tubewells, but final selection of sites will be made after inspection by the Geological Survey of India Party, who are expected to visit site shortly.

(b) No. (This work is to be carried out through the Government of India who are being reminded to expedite the work.)

FUNCTIONING OF CO-OPERATIVE, LABOUR AND CONSTRUCTION SOCIETIES.

*4661. **Sardar Gopal Singh Khalsa :** Will the Minister for Irrigation be pleased to state whether he has received any representation from Sardar Bakhshish Singh of Ludhiana, Sardar Mohinder Singh of Karnal, Sardar Waryam Singh of Jagadhri and Shri Mansa

[Sardar Gopal Singh Khalsa]

Ram Dhiman of Karnal and others against the functioning of Co-operative Labour and Construction Societies at these different places; if so, the action if any, taken or proposed to be taken in the matter ?

Chaudhri Lahri Singh :

No such representation has been received by Government or the Registrar, Co-operative Societies from any of the persons against the functioning of Labour and Construction Co-operative Societies at any of the places mentioned.

NOMINATION OF COMMISSION AGENTS FOR AUCTIONING EVACUEE PROPERTY.

*3754. **Maulvi Abdul Ghani Dar** : Will the Minister for Finance be pleased to state :

(a) the names of the persons or parties who have been nominated by the Government as Commission Agents for auctioning the evacuee property in the State;

(b) whether all the persons or parties mentioned in (a) above are property dealers; if not, the reasons for nominating them for the purpose ?

Sardar Ujjal Singh :

(a) A list of the groups of auctioneers nominated by the Government as urban auctioneers for auctioning the evacuee un-economic and composite properties in the State as it stands to-day, is given below.

(b) Almost all members of these groups are displaced persons who have lost much property and business in West Pakistan and have also experience of auction work.

List of the Urban auctioneers appointed for the auction of composite property sold under the Evacuee Interest (Separation) Act, 1951.

S. No.	Name of the District.	Name of Urban Auctioneers.
1.	Amritsar.	(I) Central Auctioneers.
		i) Shri Jagjit Singh Judge.
		ii) Shri Yogindar Nath Goel.
		iii) Shri Charanjit Singh.
		iv) Shri Gurbachan Singh.
		(II) United Auctioneers.
		i) Shri Hasmat Rai.
		ii) Shri Kartar Singh.
		iii) Shri Kirpal Singh.
		iv) Shri Mahbub Rai.
		v) Shri Tara Singh.
		vi) Shri Santa Singh.
		vii) Shri Kirpal Singh (II).

2. Gurdaspur (I) Messrs Pindi Dass & Co.
i) Shri Pindi Dass.
ii) Shri Hem Raj.
iii) Shri P. C.Puri
(II) Modern Auctioneers Batala.
i) Shri Khazan Singh.
ii) Shri Amar Singh.
iii) Shri Gulab Singh.
iv) Shri Ram Parkash Bahri
v) Shri Gurbux Singh.
vi) Shri Saran Singh.

3. Jullundur. (I) Adarsh Property Dealers.
i) Shri Pyara Lal B. A.,LL.B.
ii) Shri Prem Sagar.
iii) Shri Lachhman Dass Mehdiratta.
iv) Shri Balwant Rai Uppal.
v) Shri Harbans Lal Marwah.
(II) S. Balwant Singh Muchhal & Others.
i) Shri Balwant Singh Muchhal.
ii) Shri Amar Singh.
iii) Shri Sohan Singh.
iv) Shri Jagdish Chandar.
v) Shri Balwant Singh.

4. Hoshiarpur. (I) United Auctioneers.
i) Shri Barkat Ram Khosla.
ii) Shri Suraj Parkash.
iii) Shri Basant Lal.
iv) Shri Charan Singh.
v) Shri Raghbir Singh.
vi) Shri Jagdish Chandar.
(II) M. T. Auctioneers
i) Shri Jaswant Singh.
ii) Shri Surinder Kumar.
iii) Shri Kulwant Singh.
iv) Shri Prem Parkash.
v) Shri Ashwani Kumar.
vi) Shri Varinder Singh.

5. Ludhiana. (I) The Grain and Property Dealers Society Ltd.
i) Shri Raja Singh.
ii) Shri Hans Raj Puri.
iii) Shri Gulab Singh.
iv) Shri Bhagwan Singh.
v) Shri Sewa Singh.
vi) Shri Des Raj Mahajan.
(II) Ludhiana Composite Property Auctioneering Syndicate.
i) Shri Wazir Chand.
ii) Shri Gian Singh P. E. S. Retd.
iii) Shri Arjan Singh P.A.S. I. Retd.
iv) Shri Bahadur Singh.
v) Shri Sundar Dass Sehgal.

[Minister for Finance]

6. Ambala. (I) Sabharwal, Behl & Company.

i) Shri Harbhajan Singh Bhallaya.
ii) Shri Harbans Lal.
iii) Shri Gobind Ram.
iv) Shri Sawan Mal.
v) Shri Lachhman Dev

(II) M/s. Bhupendar Singh & Company.

i) Shri Bhupendar Singh.
ii) Shri Harbans Singh.
iii) Shri Harnam Singh.
iv) Shri Chaudhry Ram.
v) Shri Mohindar Singh.
vi) Shri Lachhman Dass.
vii) Shri Balwant Singh.
viii) Shri Ganpat Rai.

7. Karnal. (I) M/s Gian Singh Bar-at-Law & Others.

i) Shri Gian Singh Bar-at-Law.
ii) Shri Gian Chand Gulati, Advocate.
iii) Shri Amar Nath Vohra.
iv) Shri Ram Lal Sehgal.
v) Shri Keshab Chandar Duggal.

(II) M/s. Bal Krishan & Others.

i) Shri Bal Krishan.
ii) Shri Mulkh Raj Kohli.
iii) Shri Sain Ditta Mal.
iv) Shri Krishan Lal.
v) Shri Narain Singh.

8. Ferozepore. (I) M/s Shamsher Singh & others.

i) Shri Shamsher Singh.
ii) Shri Sadhu Ram.
iii) Shri Mohan Lal.
iv) Shri Charanji Lal.
v) Shri Nand Lal.

(II) Pursharthi Trading Co-operative Society.

i) Shri Beant Singh Duggal.
ii) Shri Bal Mukand.
iii) Shri Amar Singh.
iv) Shri Jaspal Singh
v) Shri Wazir Chand.

9. Rohtak (I) M/s. Ram Chand Chawla & Others.

i) Shri Ram Chand Chawla.
ii) Shri Gopal Dass.
iii) Shri Parma Nand Tuli.
iv) Shri Asa Nand.
v) Shri Jiwan Dass Gandhi.

(II) M/s. Sewa Ram & Others.

i) Shri Sewa Ram.
ii) Shri Ganesh Dass.
iii) Shri Ram Narain.
iv) Shri Dyal Chand.
v) Shri Daulat Ram.

10	Gurgaon	(I)	Punjab Refugee Auctioneers Society.
			i) Shri M. L. Varmani.
			ii) Shri Parkash Lal.
			iii) Shri Amir Singh.
			iv) Shri Gurcharn Singh.
			v) Shri Parma Nand.
			vi) Shri Bhagwan Dass.
		(II)	Refugee Association Rewari.
			i) Shri Amir Chand.
			ii) Shri Daulat Ram.
			iii) Shri Chhabil Dass.
			iv) Shri Raj Kanwar.
			v) Shri Udho Dass.
			vi) Shri Neb Raj.
11.	Simla.	(I)	Simla Auctioneering Society.
			i) Shri B. L. Bhandari.
			ii) Shri Chanan Shah.
			iii) Shri Agya Ram Lamba.
			iv) Shri Raja Ram Verma.
			v) Shri Labhu Ram.
12.	Kangra	(I)	Gulzar Chand & Friends.
			i) Shri Gulzar Chand.
			ii) Shri Kasturi Lal.
			iii) Shri Ram Nath Sharma.
13.	Hissar	(I)	M/s. Pindi Dass & Company.
			i) Shri Pindi Dass.
			ii) Shri Hem Rai.
			iii) Shri P .C. Puri B. A. LL. B.

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : क्या वज़ीर साहिब कृपा करके बताएंगे कि जिन के सपुर्द यह काम किया गया है वह साहिबान सब के सब कांग्रेसी हैं ?

ਮੰਤਰੀ : ਨਹੀਂ।

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : क्या वह मेहरबानी करके फरमाएंगे कि इन की नामज़दगी करने से पहले उन की दरखास्तें मांगी थीं और उन में उन की qualification और तजरुबा पूछा गया था और उन्होंने अपने affidavit या बयान वगैरा मैजिस्ट्रेटों से तसदीक करवा कर भेजे थे ?

Mr. Speaker : It does not arise out of the main question. The details have not been asked for in the question.

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : जनाब आली, जवाब में वज़ीर साहिब ने फरमाया है कि जो लोग उधर बहुत सी जायेदादें छोड़ कर आये थे जिन को इस काम का बहुत तजरुबा था उन को यह काम दिया गया था। मैं समझना चाहता हूँ कि आया उन्हों ने अरज़ियां मंगवाई थीं, affidavit मांगे थे और उन्होंने मैजिस्ट्रेटों से तसदीक करवा कर भेजे थे ?

ਮੰਤਰੀ : ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ । ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ applications ਆਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ Deputy Commissioners ਦੀਆਂ ਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਸਨ ਅਤੇ Rehabilitation Department ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ।

श्रीमती सीता देवी : क्या वज़ीर साहिब कृपा करके बताएंगे कि जो applications आईं वह individuals की थीं या कि groups की थीं ?

ਮੰਤਰੀ : ਅਸਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ individuals ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਗਰੁਪ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਭੇਜਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ । ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਦੇਣ ।

श्रीमती सीता देवी : क्या auction का काम करने वालों को preference दी गई है या कि किसी और व्यापार करने वालों को भी consider किया गया है ?

ਮੰਤਰੀ : Auction ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤਰਜੀਹ ਦਿਤੀ ਹੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਐਸੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ consider ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ।

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : क्या वज़ीर मुतअल्लका फरमाएंगे कि लुध्याना में जिन भाइयों को इजाज़त दी गई है इन में से कोई भी............

Mr. Speaker : It does not arise. The details have not been asked for in the main question.

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : जनाब मैं यह पूछना चाहता हूँ कि आया उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों को ही oblige किया या कि इंसाफ़ किया ?

Mr. Speaker : यह सवाल कैसे पैदा होता है ? (How does this question arise ?)

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : जनाब मेरा यह दावा है कि बिल्कुल ऐसा नहीं किया गया ।

Mr. Speaker : दावा कुछ भी हो मुझे तो आप के सवाल की शक्ल से मतलब है । (Whatever may be your contention I am concerned simply with the way in which you put your question.)

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : क्या मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि जिन को उन्होंने निलामी की इजाज़त दी उन में बहुत से कांग्रेसी हैं ?

ਮੰਤਰੀ : ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਕਫ਼ੀਅਤ ਰਖਦੇ ਹਨ ।

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ : ਇਹ ਦਸੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਕੀ ਹੈ ?

ਮੰਤਰੀ : ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਕ ਅੱਧਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਨ ।

श्रीमती सीता देवी : क्या मिनिस्टर साहिब बताने की कृपा करेंगे कि आया उन की knowledge में यह है कि कुछ सज्जन ऐसे हैं कि जिन्हों ने पहले कभी auction का काम नहीं किया और उन को काम दिया गया है ।.

ਮੰਤਰੀ : ਹੋ ਸਕਦਾ ਏ ਕਿ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਪਹਿਲੋਂ auction ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਜਿਹਾ ਵਪਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ auction ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਹੋਵੇ ।

श्रीमती सीता देवी : मिनिस्टर साहिब कोई ऐसे भी हो सकता है कि जिन्हों ने पहले कभी auction का काम न किया हो । मैं यह जानना चाहती हूँ कि जिन्हों ने auction का कोई काम ही नहीं किया हो तो उस में गवर्नमेंट समझती है कि वह auction का अच्छा काम कर सकते हैं और property को अच्छी कीमत पर बेच सकते हैं ?

Mr. Speaker : it does not arise.

ਮੰਤਰੀ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ।

मौलवी अब्दुल गनी डार : क्या मिनिस्टर साहिब, बताएंगे कि यह जो गरुप बनाए गए थे उन के पुराने रिकार्ड को भी आपने देखा था ?

ਮੰਤਰੀ : ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

मौलवी अब्दुल गनी डार : मैं यह पूछना चाहता हूँ कि जो गरुप बनाए गए थे, उन के पुराने रिकार्ड को भी देखा गया था या नहीं ?

ਮੰਤਰੀ : ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੀਕਾਰਡ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਲਈ ਗਰੁਪ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ । ਗਰੁਪਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਹਨ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥੀ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ । ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ exprience ਹੈ । ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ information ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਦਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ reserve ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਵਾਈ ਕੀਮਤ ਤੇ property ਨੂੰ ਨੀਲਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ।

श्री देवराज सेठी : आगे के लिए भी क्या यही गरुप काम करेंगे या सैन्ट्रल गवर्नमेंट ने कोई नई लिस्ट या गरुप बनाये ?

ਮੰਤਰੀ : Central Government ਨੇ urban ਨਿਕਾਸੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਨਵੀਂਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਤਲਬ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ । ਇਹ ਜਿਹੜੇ auctioners ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਇਹ Composite ਅਤੇ unattached property ਲਈ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ।

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : मैं ने यह अर्ज़ किया है कि जिस तरह political मफरूरों के लिये affidavit लिये जाते थे क्या उसी तरह इन के लिये affidavit का सिलसिला नहीं रखा गया था ।

ਮੰਤਰੀ : Affidavit ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ।

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : मेरा सवाल सीधा साधा सा है । आप बताएं कि affidavit तलब किये गये थे या नहीं ?

ਮੰਤਰੀ : Affidavits ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ ਗਏ । ਪਰ ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ।

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ : ਤਸੱਲੀ ਤੁਸਾਂ ਆਪਣੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ?

ਮੰਤਰੀ : ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ department ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ।

EXPENDITURE ON GENERAL ADMINISTRATION AND POLICE

*4561. **Shri Teg Ram** : Will the Minister for Finance be pleased to state the total expenditure incurred by the Government on General Administration and Police respectively during the current financial year up-to-date ?

Sardar Ujjal Singh : According to the revised estimates submitted by the Departments concerned, the estimated expenditure during the year 1954-55 incurred by Government on General Administration and Police is Rs. 1,39,17,020/- and Rs. 3,08,67,430/- respectively.

BASIC GRADE FOR TEACHERS IN PRIMARY SCHOOLS

*4689. **Sardar Khem Singh** : Will the Minister for Education be pleased to state :

(a) the basic grade of pay of teachers in Primary Schools in the State;

(b) whether the scale of pay mentioned in part (a) above is being paid to the Basic Trained teachers employed in the Primary Schools of Amritsar Municipal Committee; if not, the reasons therefor ?

Shri Jagat Narain :

(a) Rs. 47½-2-67½/P/2-3-97½/P/3-4-117½.

(b) basic trained teachers are given an initial salary of Rs. 57/8/- in the grade indicated in part (a) above, provided they are matriculates and are employed in Basic Primary Schools.

POSTS OF LECTURERS OF POLITICAL SCIENCE IN GOVERNMENT COLLEGES

* 4155. **Sardar Chanan Singh Dhut** : Will the Minister for Education be pleased to state :

(a) the number of vacancies which occurred in the posts of Lecturers on political science in the Government colleges of the State in 1953 and 1954;

(b) the number of applications received for the posts referred to in part (a) above and the number of applicants called for interview;

(c) the names and qualifications of those selected for the said posts ?

Shri Jagat Narain :

(a) 1953— Three
1954— Two

(b)

Year	No. of applications received.	No. of candidates called for interview.
1953	30	30 (by the Departmental Selection Boards)
1954	57	47 (by the Subordinate Services Selection Board.)

(c) 1. Shri Hukam Singh, M. A. (Pol. Sc.) I, M. A. (History) II.
2. Shri Bhagwant Rai Chawla. M. A. (Pol. Sc.) I.
3. Shri Surinder Partap Singh Dhillon, M.A. (Pol. Sc.) II.
4. Shri G. N. Kapur, M. A. (Pol. Sc.) II.
5. Shri Vishnoo Bhagwan, M. A. (Pol. Sc.) II.

HINDI AND SANSKRIT TEACHERS IN GOVERNMENT SCHOOLS

*,375. **Shrimati Sita Devi** : Will the Minister for Education be pleased to state :

(a) the number of such Sanskrit and Punjabi Teachers in Government Schools who have improved their qualifications by passing the M. A. examination in Sanskrit or Hindi or Punjabi district wise;

(b) the number of teachers referred to in part (a) above who have received training in teaching their respective subjects at the Central Training College, Lahore;

(c) whether it is a fact that teachers of the type referred to above are treated as Junior Teachers in Government Schools, if so, the reasons therefor ?

Shri Jagat Narain :

(a) Four.

(b) Three.

(c) They are classified among the Junior Teachers, but are designated as Sanskrit Teachers, Hindi teachers or Punjabi teachers, as the case may be.

श्रीमती सीता देवी : मिनिस्टर साहिब ने 'C' के जवाब में बताया है कि संस्कृत, हिन्दी और पंजाबी के teachers पर यह लागू नहीं होता। मैं जानना चाहती हूं कि अगर अंग्रेजी के teachers पर लागू होता है तो क्या वजह है कि संस्कृत, हिन्दी और पंजाबी teachers पर यह लागू न हो।

मन्त्री : आपने बजट स्पीच को पढ़ा ही होगा। उसमें यह बढ़ा दिया गया है।

श्रीमती सीता देवी : मैं जानना चाहती हूं कि गवर्नमैंट की नज़रों में संस्कृत, हिन्दी पंजाबी और अंग्रेज़ी के teachers में क्या कुछ फर्क है ?

मन्त्री : फर्क तो है ही।

श्रीमती सीता देवी : मैं मिनिस्टर साहिब से पूछना चाहती हूं कि संस्कृत हिन्दी और पंजाबी के मुकाबला में अंग्रेज़ी के teachers ...

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय मैम्बरान से अर्ज़ करूंगा कि वे supplementaries सवाल की शकल में किया करें। (I would like to request the hon. Members to ask supple mentaries in the form of questions.)

श्रीमती सीता देवी : क्या मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि यह फर्क क्यों है ? हिन्दी संस्कृत और पंजाबी के मुकाबला में अंग्रेज़ी वाले teachers की तनखाहें ज़्यादा क्यों हैं ?

मन्त्री : मैंने तो पहले ही बताया कि अब उनकी तंखाहें भी बढ़ा दी गई हैं।

श्रीमती सीता देवी : क्या मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि संस्कृत, हिन्दी और पंजाबी वाले teachers की तंखाहें अंग्रेज़ी वालों के बराबर कब होंगे ?

मन्त्री : विचार किया जाएगा।

श्रीमती सीता देवी : फिर भी कब ?

मन्त्री : Further examine करेंगे।

FIXATION OF PAY OF TEACHERS IN THE REVISED GRADE.

*4376. **Shrimati Sita Devi** : Will the Minister for Education be pleased to state :

(a) whether it is a fact that B.A., B.T., teachers after passing their M. A. Examination in a subject with which they are not directly concerned, are given 4 increments in the revised grade of Rs. 110/- and fixed at Rs. 150/-;

(b) whether it is also a fact that O. T. trained Shastris and Gianis working as Sanskrit and Punjabi Teachers respectively, after passing their M. A. Examination

in Sanskrit or Hindi or Punjabi, are not allowed the benefit of the revised grade and increments referred to in part (a) above;

(c) whether any representation has been received by the Government from the teachers mentioned in part (b) above to consider this matter; if so, the action taken by the Government thereon ?

Shri Jagat Narain :

(a) The grade of Senior Masters whose qualifications are B A./B.Sc. B.T., has been raised from 1st April, 1954 to Rs. 110/-8- 190-10-250. Persons holding Master's degree in any subject get a higher start in this grade of Rs. 126/- if they have Master's degree in the third division and Rs. 150/- if their Master's Degree is in the second or first division. Any senior master who joins the service after passing the B.A./B.Sc. B.T. Examination and later on passes the Master's Degree examination in any subject is given the same benefit.

(b) Yes.

(c) One teacher has made a representation to this effect but since the revised grade is meant only for Senior Masters, it cannot be given to Punjabi, Hindi or Sanskrit teachers who may hold the degree of M.A. in any one of these subjects but are not B.Ts. and have not been recruited as Senior Masters.

श्रीमती सीता देवी : मिनिस्टर साहिब ने हिस्सा 'B' का जवाब 'हां' में बताया है। क्या मैं जान सकती हूँ कि अगर संस्कृत, हिन्दी और पंजाबी के teachers M. A. कर लेते हैं तो उन की तनखाहों के ग्रेड उन B. A.B. T. से जो M. A. कर लेते हैं; क्यों कम क्या है ?

मन्त्री : आप तो यूनिवर्सिटी के सीनेट की मैम्बर है। यह उन्हीं का फैसला है।

श्रीमती सीता देवी : सवाल के पार्ट 'सी' के जवाब में मिनिस्टर साहिब ने फरमाया है कि उन teachers की representation गवर्नमेंट के पास आई थी तो मैं जानना चाहती हूं कि उस representation पर गवर्नमेंट ने क्या action लिया है।

मन्त्री : उन को वह नहीं मिल सका।

श्रीमती सीता देवी : मिनिस्टर साहिब ने कहा है कि वह उन को नहीं मिल सकता तो क्या वह बताएंगे कि वह उन को क्यों नहीं मिल सकता ?

मन्त्री : मैंने तो कहा है कि वह उन को नहीं मिल सका। मैं ने यह नहीं कहा कि वह उन को नहीं मिल सकता। यह तो बहन जी को खुद पता है कि उन में University ने फर्क रखा हुआ है। वह खुद Senate की मैम्बर है।

श्रीमती सीता देवी : यह जो फर्क University ने रखा हुआ है क्या गवर्नमेंट उस फर्क को दूर करने के लिए consider करने को तैयार हैं ?

मन्त्री : हां जरूर consider करेंगे।

COLLEGE APPOINTMENTS AND SCHOOL TEACHERS.

*4377. **Shrimati Sita Devi** : Will the Minister for Education be pleased to state whether there is any proposal under the consideration of Government to reserve an adequte precentage of College appointments for school teachers who have passed the M.A. examination at least in the Second Class ?

Shri Jagat Narain : No.

LIBRARIES AND READING ROOMS IN THE STATE

*4482 **Shri Rala Ram** : Will the Minister for Education be pleased to state the total amount spent by the Government on the establishment of Libraries and Reading Rooms by the Education Department in the State during the years 1953 and 1954 respectively ?

Shri Jagat Narain : The Education Department pays only the maintenance grants to the following category of Libraries :—

1. Dwarka Dass Library, Simla.
2. Public Libraries run by Voluntary Associations.
3. Libraries maintained by Small Town Committees.

The total amount spent by the department during the years 1953-54 and 1954-55 is as under :—

Year	Total amount spent.
1953-54	Rs. 8,500/-
1954-55	Rs. 9,025/-

No library or reading room has been established by the Department during these years.

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ libraries ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ grant ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ?

मन्त्री : गांवों की libraries को Development Department की तरफ से grant मिलती है ।

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਾ ਕੋਈ grant ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ libraries ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ?

मन्त्री : वह भी तो सरकार की तरफ से ही दी जाती हैं । एक ही तो बात है ।

SUBSIDIZED DISPENSARY IN TEHSIL SAMRALA

*4696. **Sardar Ajmer Singh** : Will the Minister for Education be pleased to state :

(a) the date when a subsidized dispensary was started at Khamanon Kalan, Tehsil Samrala, District Ludhiana;

(b) whether the Government intend to continue the said dispensary during the next financial year; if so, the amount provided for the said purpose in the Budget Estimates for 1955-56, if not, the reason therefor ?

Shri Jagat Narain :

(a) No subsidized dispensary has, so far, been opened at Khamanon Kalan. This proposal is, however, being considered for inclusion in the District and Local Schemes of the Second Five Year Plan.

(b) In view of (a) above, the question does not arise.

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ : ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਂ ਕੋਈ dispensary ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ dispensary ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਉਸ ਲਈ grant ਦੇਣੀ omit ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣ। ਉਸ dispensary ਦੀ building ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

मन्त्री : तो मैं इस बात का फिर पता कर लूंगा।

ORGANISATION OF VACCINATORS IN THE STATE.

* 4426. **Shri Mool Chand Jain** : Will the Minister for Education be pleased to state whether he has received any memoranda from the organisation of the vaccinators in the State regarding their grievances and demands; if so, the action, if any taken or proposed to be taken thereon ?

Sardar Gurbachan Singh Bajwa :

Part I	Yes.
Part II	The matter is under consideration of Government.

CATERING ARRANGEMENTS IN CONNECTION WITH CAPITAL INAUGURATION.

*4330. **Shri Dev Raj Sethi** : Will the Minister for Public Works be pleased to state :

(a) The total number of guests invited by the Government in connection with the Inauguration Ceremony of Chandigarh Capital held on the 7th October, 1953 for whom arrangements for tea had been made ;

(b) the name of the Caterer in charge of the catering arrangements together with the terms settled with him and the actual amount paid to him ?

Sardar Gurbachan Singh Bajwa :

(a) About four thousand guests were invited, but only

[Minister for Public Works]

3491 actually attended the function and were served with tea and soft drinks.

(b) The catering arrangements were made with Messrs. Oberoi Hotels (India) Ltd. at the rate of Rs. 4/- per tea. In addition, Government were also to pay the caterer the cost of transport of foodstuffs, crockery, hotel-personnel etc. from Delhi to Chandigarh. A sum of Rs. 14,220/- has already been paid and bills amounting to Rs. 3,431/4/- are still under investigation.

OFFICERS' HOSTEL, CHANDIGARH.

*4381 **Shri Dev Raj Sethi** : Will the Minister for Public Works be pleased to state :

(a) the total cost incurred by the Government on the building of the Officers' Hostel, together with the cost incurred on its furniture, equipment and other installations ;

(b) the terms on which the said Hostel has been given on lease by Government, together with the name of the party to whom it has been given ;

(c) the last date fixed for the submission of tenders for getting the said hostel on lease ;

(d) the details of lowest tender and the name of such tenderer ;

(e) whether any license for Bar has been given to the lessee for the Hostel ; if so, the terms thereof ?

Sardar Gurbachan Singh Bajwa :

(a) The total cost incurred on the construction, furnishing and fittings of the Officers' Hostel Building amounts to Rs. 5,21,559/-.

(b) The Hostel has been leased out to Messrs. Oberoi Hotels (India) Ltd. A copy of the Draft Lease Deed is attached at appendix 'A'

(c) 31st August, 1953.

(d) The lowest tender was of Messrs. Amrit Lal Suri & Bros: of Jullundur City ; a copy of their tender is attached at appendix 'B'. The Hostel was, however, leased out to Messrs Oberoi Hotels (India) Ltd. by private negotiations.

(e) Government have sanctioned the grant of the following bar licenses to the lessee of the Hostel :

(i) L-3 for retail vend of foreign liquor in the hotel

(ii) L-4 for retail vend of foreign liquor in the restaurant, and

(iii) L-5 for retail vend of foreign liquor in a bar

attached to the restaurant.

Besides the terms and conditions laid down under rules 5.39 and 5.40 (3), (4), and (5) of the Punjab Excise Manual, Volume II, these licenses have been assessed to the fees amounting to Rs. 466/-, 1160/- and 1160/- respectively for the financial year 1954-55.

APPENDIX A.

DRAFT OF LEASE DEED.

This deed of Lease made the day of 19 between the Governor of the Punjab (hereinafter called the "Lessor") of the one part and M/s Oberoi Hotels (India) Ltd., (hereinafter called the "Lessee") of the other part.

WHEREAS the building known as the Officers Hostel with the public rooms (Lounge, Bar and Dining room) kitchen, pantry stores together with servants, quarters, garages, grounds and lawns situated at Chandigarh (which is hereinafter called the said building) is owned by the lessor in full proprietary rights.

AND WHEREAS the lessor has agreed to grant the lease and temporary right of use and occupation of the said building,

NOW, THEREFORE, this deed witnesseth that the lessor hereby grants and conveys into the leset the lessee of the said building subject to the exceqtions, reservations, conditions, and convenants hereinafter contained and each of them, that is to say :—

1. The lease shall be for a period of three years commencing from with the option of the lessee to renew this for a further period of three years on the same terms and conditions; provides that the rates payable by officers shall be subject to review, in the background of the price level at the end af the first three years.
2. The said building shall be styled "Hotel" and not "Hostel".
3. The lease shall pay rent on the following sliding scale payable proportionately each month, by the 15th of the following month :—

First year	...	Rs. 19,200/-
Second year	...	Rs. 24,00 /-
Third year	...	Rs. 28,800/-
Fourth year	...	Rs. 33,600/-
Fifth year	...	Rs. 33 600/-
Sixth year	...	Rs. 33 600/-

4. The total accommodation of the said building comprises of 24 single and 9 double suites. Of this accommodation, the lessor shall, at all times, have a right to the use of 10 single and 3 double suites for the officers to be charged for, as and when occupied, at the rates specified in clause 7 provided that where any of the suites reserved for the lessor are not in use by it, the lessee may utilise these for putting up outside visitors subject to the condition that the suite or suites in question, shall be vacated on notice from the lessor. This notice shall normally allow 24 hours.
5. The term "Officers" means Government officials of the Punjab State and of the Government of India drawing a salary of Rs 750/- per mensem and upwards.
6. The rates to be charged to officers for the accomodation used by them shall be as under :—

Single suite	...	Rs. 10/8/- per day.
Double suite	...	Rs. 19/-/- per day.

[Minister for Public Works.]

Children will be charged extra as follows :—

Under 3 years of age. ... Rs 2/4/- per day.

Between 3 to 12 years. ... Rs. 3/8/- per day.

The above rates are inclusive of rent board and lodging, hot and cold water supply bedding and other linen, electricity for lights, fans and heaters. Hearing storves' will, however not be provided by the lessee. Any other special amenities, such as serving meals in the rooms, telephones, if required from the Hotel, shall be charged for, provided that the lessee shall, apart from special amenities for which extra charges are levied by the Hotel, provided officers exactly the same amenities as to an outside visitor.

The lessee shall run the said building as a 'first class Hotel'.

The lessee shall be entitled to charge outside visitors for board and lodging and other amenities at such a rate as considered fair and proper and the Punjab Government would not impose any restrictions in the way of rent control or fixation of rates. The lessor further agrees that if any legislation imposing any such restrictions is enacted by the Punjab Government for the State of Punjab, the said building shall be exempted from the same.

9. In the event of the lessor reserving any rooms out of the accommodation allocated to them (vide clause 4 above) free of rent, the lessee shall be entitled to charge at the rate of Rs. 7/- per person for board alone, with the reduced rate for children and the lessor shall give lessee credit to the extent of Rs. 3/8/- per single suite and Rs. 5/- per double suite which sum the lessee shall be entitled to to deduct from the monthly rent payable.

10. The lessor shall provide in the said building the following, which are included in the annual rent payable by the lessee :—

(i) Furniture with fittings (electric and sanitary), hot and cold water pipes (Mattresses to be provided by the lessee.)

(ii) Druggets for the residential rooms.

(iii) Hot water boiler.

(iv) Electric kitchen stoves.

(v) A Refrigerator.

(vi) Unfurnished residential accommodation for staff consisting of one Manager, four clerks and 4 servants quarters in addition to the existing servants quarters.

11. The lessor shall assist the lessee in obtaining a P. B. X. with a switch board of 50 lines, payment for which shall be made by the lessee.

12. The lessor shall—

(a) carry out suitable additions and alterations to the kitchen block to provide for a bakery, wine store, cutlery store and general store ;

(b) construct a dhobi ghat in the said building; and

(c) build a small room to house the cold storage plant.

13. The cost of conversion of a room into a cold storage including installation of the refrigerating unit shall be met half by the lessee and half by the lessor and at the end of the termination of the lease the whole shall vest in lessor.

14. The lessor shall be responsible for annual and major repairs whereas the lessee shall be responsible for day-to-day maintenance and minor repairs. In respect of the maintenance of lawns and hedges, the lessor shall incur all expenditure till 31st August, 1954 and from 1st September, 1954 onwards the lessor shall supply the lessee water free of charge for irrigation only of lawns and hedges, on a scale to be laid down by the Chief Engineer, Capital Project, Chandigarh, and all the other charges for the maintenance of lawns and hedges shall be borne by the lessee.
15. The lessor shall replace furniture and fittings etc. when with 'fair wear and tear' this becomes necessary.
16. The lessee shall not be responsible for the insurance of the building and its contents which are the property of the lessor. The lessee shall be responsible only for the payment of such local taxes as a tenant is normally required to pay. Other taxes, if any, shall be paid by the lessor.
17. The lessor shall grant the lessee bar licenses for the scale of foreign wines and spirits, as soon as possible.
18. The lessor undertakes to instruct the departments concerned to start the additions and alterations mentioned at clause 12 above, as soon as possible.

It is hereby agreed and declared that until a different meaning shall appear from the context :—

The expression 'Lessor' used in these presents shall include in addition to the Governor of Punjab, and in relation to any matter of anything contained in or arising out of these presents, every person duly authorised to act or represent, Governor of Punjab in respect of such matter or thing.

In witness whereof the parties hereto have hereunto respectively subcribed their names at the places and on the dates hereinafter in each case specified :—

Signed by for and on behalf of the Governor of the Punjab and setting under his authority.

at this day of 19.

Signed by the said at)
on the day of 19) Lessee

Witnesses :—

1. Name) Residence) Witness. Occupation)

2. Name) Residence) Witness. Occupation)

APPENDIX 'B'

Schedule showing the rates for catering at Officers Hostel Chandigarh Capital.

The Tenderers should quote rates for catering both in words and figures in the following manner :

		Permanent	Casual
(A)	For a single person	Rs. 4/8/-	Rs. 5/- per day.
	For married couple	Rs. 7/8/-	Rs. 8/8/- per day.
	For a child under 3 years	Rs. 1/-/-	Rs. 1/4/- per day.

[Minister for Public Works]

For a child between

3 and 6 years	Rs. 1/4/-	Rs. 1/8/- per day.
6 and 9 years	Rs 1/12/-	Rs. 2/- per day.
9 and 12 years	Rs. 2/-/-	Rs. 2/4/- per day.

1. The charges for two persons who occupy the same suite and have near relationship to each other shall be at the same rate as applicable to married couple.
2. Permanent resident means a resident staying for 21 days or more in a month.

FOR TWO OR MORE CHILDREN.

For a child under 3 years	Rs. 1/-/-	Rs. 1/-/- per day.
3 and 6 years	Rs. 1/2/-	Rs. 1/4/- per day.
6 and 9 years.	Rs. 1/6/-	Rs. 1/10/- per day.
9 and 12 years	Rs 1/12/-	Rs 2/-/- per day.

NOTE : Above 12 years full rates.

CASUAL GUESTS AT MEALS.

Early Tea.	Re. -/6/-
Breakfast.	Rs. 1/12/-
Lunch.	Rs. 2/-/-
Afternoon Tea.	Rs. -/10/-
Dinner.	Rs. 2/-/-

(B) Aerated water, ice, cigarettes etc. will be supplied by the Caterer at rates usually charged by hotels or clubs in Delhi, New Delhi and Simla for such supplies and other sundry requisites at the controlled rates.

(C) The Caterer will if required by any resident issue to such resident in his/her room a water bottle with a glass tumbler, and a tea tray with the necessary equipment (tea cossies with tray covers and tray cloth) and the resident will in such event be required to sign, in token of receipt thereof, on a list presented in duplicate showing the price of each article. The Caterer will return his copy to the resident when the equipment is returned to the Caterer.

(D) Hours of meals are as follows ;

Early Tea.	6-30 A. M. to 8-00 A. M.
Breakfast	7-30 A. M. to 9-30 A. M.
Lunch	1-00 P. M. to 2-30 P. M.
Afternoon Tea	4.00 P. M. to 6-00 P. M.
Dinner	8-00 P. M. to 9-30 P. M.

(E) No charge for mossing will be made in case where the resident has given 24 hours notice of his absence from the hostel but no rebate will be admissible if the absence is for less than 24 hours.

(F) Bedding is not supplied but in case of an emergency visiting Officer may obtain bedding (including sheets, towels, pillows and 2 blankets) from the caterer who will make charge of annas -/12/- per day upto 15 days and -/8/- annas per day for a longer period.

(G) Officers who go on tour or short leave but retain their accommodation in the hostel will be required to pay to the Caterer a service charge of -/12/- per day for retaining the vacant room.

(H) Any resident giving a notice of not less than 24 hours of his intention not to take Lunch at the Hostel will be allowed a rebate of Rs. 1/8/- per day of such notified absence. No casual visitor shall be entitled to such rebate unless he stays in the hostel at least for seven days.

(I) In case of rationing the full quota of sugar allowed to individuals by Rationing Authorities will be given by the Caterer to each resident once a week.

(J) The cooking medium (Vanaspati) and butter shall be such as may be recommended by the House Committee or Administrator from time to time.

(K) All milk supplies shall be purchased by the Caterer from such sources as may be desired by the House Committee or Administrator.

NOTE : 1. Blank spaces marked with an asterisk should be filled in by tenderer.

2. The rates quoted by the tenderer for all items of messing charges should be inclusive of Sales Tax.

Full signatures of Canteen & complete address in India	For M/s. Amrit Lal Suri & Bros. Narinder Lal Suri, Managing Partner. C/o Rly. Refreshment Rooms, Northern Railway, Jullundur City.

श्री देवराज सेठी : यह जो मिनिस्टर साहिब ने बताया है कि श्री अमृत लाल को यह होटल lease पर नहीं दिया गया हालांकि इसका lowest tender था और highest tender वाले को दे दिया है तो क्या वह बताएंगे कि इस का lease lowest tender वाले को क्यों नहीं दिया गया ?

ਮੰਤਰੀ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ tender lowest ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ lease ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਚੰਗਾ standard maintain ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ Messrs Oberoy & Co. ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

श्री देवराज सेठी : इन दोनों के बीच standard maintain कर. के लिए कौन से वाकियात ऐसे थे जिन को सामने रख कर इतने ज़्यादा rate वाले को यह दे दिया गया है ?

ਮੰਤਰੀ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

श्री देवराज सेठी : क्या मिनिस्टर साहिब उन के तजरुबे और काम के बारे में कोई concrete चीज़ बताएंगे कि जिस की बिना पर यह उन को दिया गया है ? इस तरह गोल मोल जवाब से कोई फायदा नहीं । वह कोई concrete चीज़ बताएं जिस को देख कर गवर्नमेंट की इतनी बड़ी building सिर्फ 19 हज़ार सालाना कराये पर दिया गया है ?

ਮੰਤਰੀ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬਲਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵੀ।

श्री देवराज सेठी : क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि सिर्फ इसी चीज़ को देखते हुए इन्हीं को इतनी क़लील रकम पर शराब के तीन licence भी दिए गए हैं ?

ਮੰਤਰੀ : ਇਹ ਰਕਮ ਤਾਂ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ licence ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ।

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : ਕੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ lowest ਅਤੇ highest ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਫਰਕ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਠੇਕੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ ?

ਮੰਤਰੀ : ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ।

श्रीमती सीतादेवी : मिनिस्टर साहिब ने बताया है कि उन को इस लिए यह ठेका दिया गया है क्योंकि उन के काम पहले हिन्दुस्तान और पाकिस्तान में है तो मैं यह जानना चाहती हूँ क्या गवर्नमेंट की यह policy नहीं है कि हर काम lowest tender वाले को दिया जाए ?

ਮੰਤਰੀ : ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੇਵਲ tenders ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੋਰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

श्रीमती सीता देवी: मिनिस्टर साहिब ने सवाल के पार्ट [ई] में बताया है कि तीन licence बार के भी दिए गए हैं तो क्या वह बताएंगे कि क्या यह गवर्नमेंट की उस policy के खिलाफ नहीं किया गया जिस के मुताबिक हम ने सूबे को dry करना है ?

ਮੰਤਰੀ : ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇਹ policy ਇਸ ਜ਼ਿਲੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।

श्रीमती सीता देवी : क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि गवर्नमेंट की policy इस बारे में एक ज़िला के लिए और है और बाकियों के लिये और है ?

ਮੰਤਰੀ : ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਨੂੰ dry ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ।

श्रीमती सीतादेवी : क्या गवर्नमेंट की policy यह नहीं कि सूबे को धीरे धीरे dry कर दिया जाए ?

ਮੰਤਰੀ : ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇਹੋ ਹੀ policy ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ dry ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

DISTRICT BOARD STIPENDS GURGAON.

*4524. **Shri Babu Dayal** : Will the Minister for Public Works be pleased to state whether he is aware of the hardship caused to students of professional institutions on account of the failure so far of the District Board Gurgaon to pay stipends to them; if so the reasons therefor ?

Sardar Gurbachan Singh Bajwa : The District Board, Gurgaon, has awarded scholarships to the following two students who are studying in professional institutions. Payment of their scholarships has been made upto the date noted against each. No bills for the remaining period have been received in the office of the District Board from

the Principals of the Institutions concerned.

1. Shri Indraj Singh, Medical College, Amritsar 31-12-54.
2. Shri Johri Lal, Medical College, Ludhiana 31-10-54.

LIBRARIES AND READING ROOMS IN THE STATE.

*4483. **Shri Rala Ram** : Will the Minister for Public Works be pleased to state the amount spent on the establishment of Libraries and Reading Rooms by the Local Bodies in the State during years 1953 and 1954 respectively.

Sardar Gurbachan Singh Bajwa: The information is being collected and it will be supplied to the member concerned when ready.

APPOINTMENT OF WELFARE OFFICERS.

*4685. **Shri Mam Raj** : Will the Minister for Labour be pleased to state whether any person belonging to the Hissar District or any other district of the Ambala Division has been appointed as a Welfare Officer; if so, their names and the districts to which they belong ?

Chaudhri Sundar Singh : One of the District Welfare Officers Shri Sant Ram Randhawa belongs to Ambala District.

श्री राम कुमार विढात : वज़ीर साहिब ने फरमाया है कि वह आदमी अम्बाला ज़िले का है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि वह अम्बाला ज़िले की किस तहसील का है ?

मन्त्री : तहसील का मुझे पता नहीं ।

CONCESSIONS TO SCHEDULED CASTES, SCHEDULED TRIBES AND BACKWARD CLASSES IN THE STATE.

*4401. **Shri Ram Chandra Comrade** : Will the Minister for Labour be pleased to state :

(a) the number and names of (a) Scheduled Castes (b) Scheduled tribes and (c) Backward Classes who are given concessions as regards fees, scholarships and appointments in the State;

(b) description and details of concessions allowed?

Chaudhri Sundar Singh :

(a) A list is laid on the Table showing the names of castes who are given educational concessions under the Harijan Welfare Scheme. In all 9741 students received concessions during 1953-54 and 10430 during 1954-55. No separate information regarding the number of each caste who received educational concessions is maintained by the Director of Public Instructions. In services Scheduled Castes and Scheduled Tribes are given 19 per cent representation,

[Minister for Labour]

and 2 per cent representation is given to Backward Classes.

(b) Government instructions are given below.

ANNEXURE 'A'

List of Scheduled Castes.

1. Ad Dharmi.
2. Bangali.
3. Barar.
4. Batwal.
5. Bawaria.
6. Bazigar.
7. Balmiki or Chuhra.
8. Bhanjra.
9. Chamar.
10. Chanal.
11. Dagi.
12. Dhanak.
13. Dumna or Mahasha.
14. Gagra.
15. Gandhila.
16. Kabirpanthi.
17. Khatik.
18. Kori or Koli.
19. Marija or Marecha.
20. Mazhabi.
21. Megh.
22. Nat.
23. Od.
24. Pasi.
25. Porna.
26. Pherera.
27. Ramdasi or Ravi Dasi.
28. Sanhai.
29. Sansi.
30. Sanhal.
31. Sapela.
32. Sarera.
33. Sikligarh.
34. Sirkiband.
35. Ramdasi Sikh.
36. Kabir Panthi Sikh.
37. Mazhabi Sikh.
38. Sikligarh Sikh.
39. Mahtam. (It is not a Scheduled Caste, but only eligible for getting educational concessions)

ANNEXURE 'B'

List of Backward Classes.

(Items 1–14: all religions i.e. Hindu Sikh and Christian etc.)

1. Aheira, Aheri, Heri, Naik, Theri or Turi.
2. Barra.
3. Beta, Hensi or Hesi.
4. Changar.
5. Chirimar.
6. Daiya.
7. Gwarila, Gauria or Gwar.
8. Kanjar or Kanchan.
9. Kurmi.
10. Nar.
11. Rahar.
12. Ghirath including Chabng & Bahti.
13. Ghai.) of Kangra
14. Darain.) District only.

(Items 15–44: Students Professing Sikh and Christian etc. as their religion.)

15. Ad. Dharmi.
16. Bangali.
17. Barar.
18. Batwal.
19. Bauria.
20. Bazigar.
21. Balmiki or Chuhra.
22. Bhunjra.
23. Chamar.
24. Chanal.
25. Dagi.
26. Dhanak.
27. Dumna or Mahsha.
28. Gagra.
29. Gandhila
30. Sirkiband.
31. Khatik.
32. Kori or Koli
33. Marija or Marecha
34. Magh.
35. Nat.
36. Od.
37. Pasi.
38. Perna.
39. Pherera.
40. Sanhai.
41. Sanhal.
42. Sansi.
43. Sapela.
44. Sarera.

Copy of memo No. 17176-WG-54/4041, dated Chandigarh on 10/11th February, 1955 from Shri R. P. Kapur, I. C. S., Home Secretary to Government, Punjab, to the Director of Public Instruction, Punjab, Simla.

Subject :—Scheme for the administration of fund for the promotion of education amongst educationally Backward Classes.

In supersession of Punjab Government, Education Department Memo No. 30556-C, dated the 13th December, 1948, as modified from time to time sanction of the Governor of Punjab is hereby accorded to the remission of tution fees and of grant of fees for the Public Examinations to the Scheduled Castes and backward classes students mentioned at annexure 'A' and 'B' on the rolls of recognised schools and affiliated colleges in the Punjab from the 5th class to M. A. Classes (Arts side) students studying in J. T., S. T. and Basic Training Classes (only in non Government recognised institutions), J. S. T. C., B. T. Senior Basic and M. Ed. classes with effect from the Ist April, 1954, up to 30th September, 1958.

2. The full fee concessions at present permissible in recognised schools are 10% of the total enrolment but the schools which admit Scheduled Castes and Backward Class Students should be allowed to raise this percentage subject to a maximum of 12½% in the ratio of number of Scheduled Castes and Backward Classes students admitted by them as follows :—

Percentage of Scheduled Castes and Backward Classes students in the School.	No. of full fee concessions admissible at the School.
Below ½%	10%
½ to 1½%	10½%
Above 1½% to 2½%	11%
Above 2½% to 3½%	11½%
Above 3½% to 4½%	12%
Above 4½	12½%

For the purpose of calculating fee concessions a fraction of 1/2 or more will count as one and less than 1/2 will be ignored. Five per cent of this concession should be reserved for Scheduled Castes and Backward Classes students. This 5% will be in addition to such fee concession as the students of Scheduled Castes and Backward Classes Students may earn ordinarily under the existing rules.

3. If the number of Scheduled Castes and Backward Classes students on the rolls of a school exceeds 5 per cent of its total enrolment the tution fees of the numbers in excess of 5 per cent will be paid by the Government to these schools.

4. In the case of Government College if the number of Scheduled Castes and Backward Classes students exceeds 2 per cent of its total enrolment the amount of tution fee due to the College on account of the number of in excess of 2 per cent will be paid by the Government to the College concerned.

5. Privately managed colleges should be requested to forego the full fee concession given to first 2 per cent of Schaduled Castes and Backward Classes students on their rolls. The tution fees

[Minister for Labour]

of the students in excess of 2 per cent of their total enrolment will be paid by Government to these colleges.

6. Sanction is also accorded to the grant of stipends to all Scheduled Castes and Backward Classes mentioned at Annexture 'A' and 'B' on the rolls of recognised schools and affiliated colleges with effect from the 1st April, 1954, at the following rates :—

9th and 10th Classes.		Rs. 6/- P. M.
Intermediate Arts Students.		Rs. 15/- P. M.
B. A. (Arts).		Rs. 20/- P. M.
M. A. Class.		Rs. 25/- P. M.
J. T.	Only in Non-Government recognised institutions.	Rs. 15/- P. M.
S. T.		
Basic Trained		
J. S. T. C.		Rs. 15/- P. M.
B. T.		Rs. 20/- P. M.
Senior Basic.		Rs. 20/- P. M.
M. Ed.		Rs. 25/- P. M.
Punjabi students from Scheduled Castes and Backward Classes reading in Kasturba Balika Ashram and Harijan Udyog Shala Delhi.	...	Rs. 20/- P. M. per student.

7. (i) The students whose parents/guardians earning is Rs. 150/- or above will not be entitled to any kind of relief in Middle and High Classes.

(ii) Children of gazetted Officers, or parents/guardians who pay income tax will not be entitled to any kind of relief under this scheme even beyond the matriculation classess.

(iii) Children who fail to get through the class promotion examination will forfeit the fee concession as well as stipend.

(iv) Children in receipt of these concessions are required to satisfy the rules and regulations embodied in the Punjab Education Code.

(v) The concessions under this scheme will be eligible to such students as studying in the recognised institutions of the State and whose parents/guardian domicile is in this State except the Punjabi students of Kasturba Balika Ashram and Harijan Udyog Shala, Delhi.

8. These orders do not apply to Arts and Science students of colleges who are covered by the Government of India Scheme.

9. Sanction is also accorded with immediate effect upto the 28th February, 1955, for the creation of the following posts in the office of the Director of Public Instruction, Punjab :—

(a) 1. One post of Harijan Welfare Officer in the P. E. S. Class II in the grade of Rs. 250-25-550/25-750.

2. One post of Assistant in the grade of Rs. 150-10-200/10-300.

3. One post of clerk in the grade of Rs. 60-4-80/5-120/5-175.

4. One post of a peon In the grade of Rs. 27-½-32.

(b) Travelling Allowance for Harijan Walfare Officer Rs. 1,000/-

The existing post of Welfare Officer in the grade of Rs. 150/220 is hereby abolished.

10. The charge is debitable to the Head "37-Education-E-General-T-Expenditure for promotion of education amongst educationally backward classes."

11. Your Office file is returned.

REGISTERED FACTORIES IN AMBALA CANTONMENT.

*4060, **Sardar Darshan Singh** : Will the Minister for Labour be pleased to state—

(a) the total number of registered factories in Ambala Cantonment at present;

(b) the number of factories which the Labour Inspector stationed at Ambala Cantonment is empowered to inspect ?

Chaudhri Sundar Singh :

(a) 253 (upto the 31st December, 1954).

(b) All factories in his jurisdiction.

EMPLOYED AND UNEMPLOYED LABOURERS IN THE STATE.

*4197. **Sardar Gurbachan Singh Atwal** : Will the Minister for Labour be pleased to lay on the Table if there is any report published by the Government conveying following information :

(i) the total number of labourers in the State together with the number of those employed and unemployed amongst them ;

(ii) the total number of such labourers depending on agriculture system and the average rate of daily wages paid to them per capita ;

(iii) the total number of such labourers following other occupations together with the details thereof and the average rate of wages per day paid per capita;

(iv) the total amount of wages earned by all the labourers;

(v) the total amount which has since been paid to them;

(vi) the steps adopted by the Government to have the balance of the wages, if any, collected;

(vii) the number of labour Unions working at present in the State;

(viii) whether these Unions are helping in the production and Welfare of the Labour, if so, in what respect ?

Chaudhri Sundar Singh : No such report has been published by the Labour Department.

ORDERS UNDER SECTION 144 CRIMINAL PROCEDURE CODE IN THE STATE.

* 4136. **Sardar Harkishan Singh Surjit**: Will the

[Sardar Harkishan Singh Surjit]
Chief Minister be pleased to state how many times orders under Section 144 Criminal Procedure Code were enforced in the State during the period from 1st January, 1954 to 1st October, 1954, together with the names of the places where they were enforced, the area covered by each such order, its duration and the reasons therefor in each case?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary): A statement containing the necessary information is given below.

Statement showing the number of times orders under Section 144 Criminal Procedure Code were enforced in the State during the period from 1st January, 1954 to 1st October, 1954 together with the names of the places where they were enforced, the area covered by each such order, its duration and the reasons therefor.

Serial No.	Places or localities where orders enforced.	Duration of the order.	Reasons.
	1. Hissar District.		
1.	Entire district.	16.2 54 to 25 2.54.	Preservation of public peace.
2.	—do -	26.2.54. to 25 4 54.	—do
3.	—do—	26 4.54 to 25.6.54.	—do—
4.	Municipal limits of Hissar, Hansi, Bhiwani, Sirsa, Dabwali and Fatehabad.	1.8 54 to 30.9 54.	To minimise loud-speaker nuisance.
5.	—do—	1.10.54 to 31.3.1955.	—do—
	2. Rohtak District.		
6.	Entire district.	12.2.54 to 11.4.54.	Preservation of public peace.
7.	—do –	12 4.54 to 11 6.54.	—do—
8.	—do—	12 6.54 to 11.8.54.	—do—
9.	—do— (Rescinded with immediate effect vide Punjab Government Notification No. 7336-SH-54/6437C/16736, dated 27.7.54.)	14.6.54 to 13.8.54.	—do—
10.	(i) Municipal Committees Rohtak, Bahadurgarh, Jhajjar, Beri and Sonepat and (ii) Small Town Committees of Mehm & Gohana.	27.2 54 to 26.4.54.	T minimise loud-speaker nuisance.
11.	– do –	25.6.54 to 24.8.54.	- do—

3. Gurgaon District.

12.	Entire district.	14.4.54 to 13.6.54	Preservation of public peace.
13.	Rewari Town and Manager Rewari Electric and Supply and General Industries Ltd.	5 5.54 to 4.7.54.	—do—

4. Karnal District.

14.	Karnal, Panipat, Shahabad, Kaithal and Thanesar.	10.4.54 to 9.6.54.	—do—
15.	Shahabad.	18.9.54 to 17.11.54.	—do—

5. Ambala District.

16.	Tehsils Naraingarh and Jagadhari.	6.3.54 to 5.7.54.	—do—
17.	Tehsil Ambala.	8.3.54 to 7.7 54.	—do—
18	200 yards from the building of Punjab Legislative Chamber Chandigarh Capital.	9.3.54 to 8.5.54.	—do—
19.	Tehsil Kharar and Rupar.	10.4.54 to 9.6.54.	—do—
20.	Police Station Sadhavra and Kharar.	7.7.54 to 24.8,54.	—do—
21.	(i) Municipal Committees, Ambala, City, Kalka, Rupar & Jagadhri. (ii) Notified area Committee, Yamuna Nagar; (iii) Town Committees Kharar, Sadhaura and Morinda; (iv) Chandigarh Capital ; (v) Revenue Estate, Kurali; (vi) Baldev Nagar Camp, Ambala; (vii) Ambala Cantt.	1.1.54 to 1.10.54.	To minimise loud-speaker nuisance.

6. Simla District.

22.	Entire district.	12 4.54 to 11.6 54	Preservation of public peace.
23.	—do—	14 6.54 to 13.8.54.	—do—

7. Kangra District.

24.	Kosari Revenue limits.	12.1.54 to 11.3 54.	—do—
25.	Entire district.	10.4.54 to 9.6.54.	—do—
26.	Municipal Area Dharamsala.	20.6 54 to 19.8 54.	To minimise loud-speaker nuisance.

[Chief Parliamentary Secratary]

	8. Hoshiarpur District.		
27.	Nangal, Hambewal and Dobeta (P.S. Anandpur)	11.1.54 to 10.8.54	Preservation of public peace.
28.	Entire district	11.4.54 to 24.6.54.	—do—
29.	Limits of Hoshiarpur Town.	10.3.54 to 9.11.54.	To minimise loud-speaker nuisance.
	9. Jullundur District.		
30.	Entire district.	9.4.54 to 8.5.54.	Preservation of public peace.
31.	Municipal limits of Jullundur City.	2.1.54 to 1.7.54	To minimise loud-speaker nuisance.
32.	do	5.7.54 to 4.9.54.	do
33.	Municipal limits of Phillaur.	20.4.54 to 19.6.54	do
34.	do	9.7.54 to 8.8 54	do
35.	Municipal limits of Banga.	1.5 54 to 30 6.54	do
36.	do	9.7.54 to 8.8.54	do
37.	Revenue Estate of Goraya.	3 5.54 to 2 7.54	do
38.	do	9.7.54 to 8.8.54	do
39.	Municipal limits of Kartarpur, Alawalpur, Nawanshar, Rahon, Nakodar and Nurmahal.	1.5.54 to 30.6.56	do
	10. Ludiana District.		
40.	Municipal limits of Ludhjana.	9.4.54 to 8.5.54	Preservation of public peace.
41.	do	9 5.54 to 8.6.54	do
42.	do	9.6.54 to 8,8.54	do
43.	do	1.1.54 till further orders.	To minimise loud-speaker nuisance.
44.	Town Committee limits Samrala.	1.1.54 to 31.12.54	do
45.	Municipal limits of Khanna.	do	do
46.	Municipal limits of Jagraon.	do	do
	11. Ferozepore District.		
47.	Limits of P. S. Jalalabad.	1.1.54 to 4.2.54 (withdrawn on 6.1.54).	Preservation of public peace.
48.	Entire district.	1.3.54 to 30.4 54	do
49.	do	1 5.54 to 15.6.54	do

50.	Limits of Muktsar and Fazilka Tehsils.	17.6.54 to 16.7 54	To minimise loud-speaker nuisance.
51.	Moga Town.	5.7.54 to 4.9.54 (extended upto 31.12.54	do
52.	Limits of Small Town Committee Takanwali.	25.8.54 to 24.10.54	do
	12. Amritsar District.		
53.	Municipal areas of Amritsar and Chheharta and within 1 mile radius of these Towns.	8.4.54 to 7.6 54	Preservation of public peace.
54.	Municipal limits of Amritsar, Chheharta & Tarn Taran.	19.1.54 to 18.3.54	To minimise loud-speaker nuisance.
55.	do	19.3.54 to 18.9.54	do
56.	do	19.9.54 to 31.1.55	do
57.	Municipal limits of Patti	5.1.54 to 4.3.54.	do
58.	do	13.3.54 to 12.5.54	do
59.	do	15.5.54 to 14 7.54	do
60.	do	15.7.54 to 31.1.55	do
61.	Municipal limits of Khem Karan.	11.6.54 to 10.8.54	do
62.	do	11.8.54 to 31.1.55	do
63.	Municipal limits of Jandiala.	8.5.54 to 7.7.54	do
64.	do	8.7.54 to 31.1.55	do
	13. Gurdaspur District		
65.	Entire district.	9.4.54 to 8.6.54	Preservation of public peace.
66.	Entire district (Order modified to be operative in area of P. Ss. Pathankot, Narotjaimal Singh and Sirihargobindpur only w. e. f. 7.7.54).	18.6.54 to 17.8.54	do
67.	Municipal limits of Gurdaspur, Batala, Qadian, Pathankot and Dhariwal.	22.2 54 to 21.4.54	To minimise loud-speaker nuisance.
68.	do	1.5 54 to 30.6.54	do
69.	do	7.7.54 to 6 9.54	do
70.	do	7.9.54 to 7.1.55	do

PUNITIVE POLICE POSTS IN CERTAIN VILLAGES OF DISTRICT FEROZEPORE.

*4137. **Sardar Harkishan Singh Surjit :** Will the Chief Minister be pleased to state whether it is a fact that Punitive Police was posted in villages Ajitwal, Chuharchak and Dhidike, Tehsil and District Ferozepore, during the year 1952 if so, the reasons therefor and the amount of punitive fine so far collected from the said villages ?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary) : No Punitive Police was posted in these villages during 1952. Such Police was, however, posted there for the period from 1st September, 1950 to 6th July, 1951. The reasons for its posting were that the area comprising these villages was found to be in a disturbed state and the conduct of the inhabitants of this area demanded an increase in the number of Police. A sum of Rs. 15,540/- was imposed on these villages on this account, but nothing has been realized from them so far.

DEATH OF CHOWKIDAR OF VILLAGE PANIAR-DHAMETA, DISTRICT KANGRA.

*4198. **Sardar Achhar Singh Chhina :** Will the Chief Minister be pleased to state.—

(a) whether he is aware of the fact that the Sub-Inspector, Haripur Police Station, Tehsil Dehra, District Kangra beat a Chowkidar of village Paniar Dhameta, District Kangra to death in the 1st week of September, 1954, if so, the action taken by the Government in this connection;

(b) whether he is further aware of the fact that the Sub-Inspector referred to in part (a) above also beat one Shri Ram Ditta aged 85 years of village, Jagnoli Tehsil Dehra, District Kangra, if so, the action take by the Government in the matter ?

Shri Prabodh Chandra : (Chief Parliamentary Secretary) :

(a) First Part ... No.
Second Part ... Does not arise.

(b) The reply is given in a statement blow :---

There was a long standing dispute over the possession of a piece of three acres of land between Ram Datta, Ex-Chowkidar of village Jagnoli and Punjab Singh. Punjab Singh averred that Ram Ditta had cheated him and given him land other than that sold to him by Ram Ditta. The complaint was referred to the Station House Officer of Haripur.

On the evening of 23rd July, 1954, Jhallo Ram, the adopted son of Ram Ditta, sent a telegram to the Superintendent of Police, Kangra, intimating that Ram Ditta had been beaten by Sub-Inspector on 20th July, 1954 and was lying unconscious in the

hospital at Nurpur. The Superintendent of Police deputed the District Inspector for immediate enquries. The District Inspector recorded the statements of Jhallo Ram and the Doctor-in-charge. The doctor reported that Ram Ditta was fully conscious and in a fit condition to make a statement. The Naib Tehsildar (Magistrate 3rd class) was sent for, but Shri Ram Ditta refused to make any statement before him. The doctor found only 3 injuries on the person of Ram Ditta It was revealed, during the enquiry, to the District Inspector that Ram Ditta came to the police on the 20th of July in an angry mood and abused every-body including the police at which the Sub-Inspector in-charge, Haripur Police Station, asked him to behave and on his failure to do so, the Sub-Inspector gave him a slap on the face. Shri Ram Ditta fell down but got up and sat for a while among others, while the dispute between him and Punjab Singh was being enquired into by S. H. O. Haripur. Shri Ram Ditta later walked away to the village after the dispute about the produce of the land was settled. The District Inspector came to the conclusion that the Sub-Inspector had given a slap on the face of Shri Ram Ditta on extreme provocation. Shri Ram Ditta died in hospital on 15th August, 1954, about 25 days after the incident. The post-mortem report conducted by the Civil Surgeon revealed that the large vessels of the deceased's heart showed arterio chlorosis changes and, in his opinion, death was due to haemorrhage inside the substance of the brain.

S. H O. Haripur was suspended and reverted to his substantive rank of A. S. I. A magisterial enquiry was ordered by the District Magistrate. The enquiring magistrate held that the death of Shri Ram Ditta, could not, in any manner, be connected with the slap given to him by the Sub-Inspector. The District Magistrate agreed with the views of the enquiring magistrate and held that the S. I acted under provocation and that the cause of death was most probably due to haemorrhage on account of the extreme old age of the deceased. The Sub-Inspector (since reverted to the rank of A. S. I.) is still under suspension, and final orders in the case will be passed by the Superintendent of Police, Kangra, who is competent to do the same.

DEATH OF SHRI MANGE RAM OF VILLAGE BARASI, DISTRICT HISSAR.

*4199. **Sardar Achhar Singh Chhina** : Will the Chief Minister be pleased to state whether he is aware of the fact that one Shri Mange Ram, Harijan, of village Barasi, Tehsil Hansi, District Hissar, was beaten to death by the police in the last week of August, 1954; if so, the action taken by the Government in this behalf ?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary) : It is incorrect that Shri Mange Ram was beaten to death by the police. The Civil Surgeon, who performed the post-mortem, did not find any injuries and opined that death was caused by heart failure on account of fever. A magisterial enquiry was also held and the inquiring officer reported that

[Chief Parliamentary Secretary]
the death of Mango Ram could not be ascribed to any torture alleged to have been committed on him by the police, and that some fever, possibly pneumonia, was the cause of his death.

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : ਕੀ ਚੀਫ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦੀ enquiry ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ enquiry ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਕਿ death ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਹੋਈ ?

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ enquiry ਕਰਾਈ ਸੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ enquiry ਕਰਾਵੇ ?

(It has been stated in the reply that an enquiry was conducted. What sort of other enquiry do you mean ?)

MURDER IN VILLAGE JAMSHER, DISTRICT JULLUNDUR.

*4378. **Shrimati Sita Devi** : Will the Chief Minister be pleased to state :—

(a) whether he is aware of the fact that Mahant Sital Dass was murdered in village Jamsher, District Jullundur ; if so, the steps, if any, proposed by the Government to stop recurrence of such cases ;

(b) whether any representation from the inhabitants of that village has been received by the Government for their protection ; if so, the action, if any, taken in the matter ?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary) :

(a) 1st part : Yes.

2nd part : Administrative machinery is always alert against such occurrences. Whenever circumstances or causes come to notice, prompt and suitable action is taken under the preventive sections of law. As regards the case under reference, unfortunately there was no information or indication with the Police to prevent the murder.

(b) No formal representation was received from the inhabitants of village Jamsher for protection. After the occurrence, the village was visited by the Deputy Commissioner and District Superintendent of Police who felt that the murder had caused some resentment, uneasiness and panic amongst the followers of the Mahant, because the accused were consisted as having the backing of influential sections of the village community. There was also some apprehension in the minds of the Mahant's followers that the other party

might attempt to over-awe them and the witnesses in the case. There was also some tension amongst the various communities in the village. They advised all the inhabitants to fully respect the law and authority. At the same time, one Assistant Sub-Inspector and two Foot Constables were posted in the village for keeping a watch over the situation and taking timely action whenever necessary.

श्री राम किशन : Chief Parliamentary Secretary साहिब ने फरमाया है कि कोई representation वहां नहीं पहुँचा । क्या चीफ मिनिस्टर साहिब को 29 दिसम्बर, 1954 को जमशेर के उन के visit पर कोई deputation मिला था या नहीं ?

Chief Parliamentary Secretary : No formal representation was received from the inhbitants of village Jamsher for protection लिख कर कोई representation नहीं दिया गया । बाकी उन के visit पर उन्हें कुछ कहा ही गया होगा जिस की बदौलत गवर्नमैंट को इस बात का इल्म हुआ कि लोगों के दिलों में कुछ खदशात हैं ।

श्री राम किशन : क्या गवर्नमैंट को इस कत्ल के सिलसिले में मुरादाबाद, U. P. से इस तरह की कोई इत्तलाह मिली है ।

Mr. Speaker : This question does not arise.

TRAVELLING ALLOWANCE DRAWN BY THE OFFICERS OF POLICE DEPARTMENT DURING JANUARY, 1955.

*4665. **Sardar Gopal Singh** : Will the Chief Minister be pleased to state the amount of travelling allowance drawn by all the Gazetted and Non-Gazetted Officers of the Police Department who visited Ludhiana during January, 1955 ?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary) : A sum of Rs. 4,350/3/9 on account of travelling allowance was drawn by the Gazetted and Non Gazetted Officers of the Police Department who visited Ludhiana during January, 1955. The amount also includes expenditure incurred on police escorts (for prisoners and treasure) who visited Ludhiana during this period, as well as T.A. of Police Officials who were engaged on Recovery work.

MEMORIAL IN THE MEMORY OF CHOWDHRY BUGGA MAL.

*4341. **Maulvi Abdul Ghani Dar** : Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal

[Maulvi Abdul Ghani Dar]
under the consideration of the Government to set up a memorial at Amritsar to perpetuate the memory of Chowdry Bugga Mal, the Hero of Jallianwala Bagh tragedy ?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary) : No.

BANNING OF PLURAL MARRIAGES BY GOVERNMENT SERVANTS.

*4379. **Shrimati Sita Devi** : Will the Chief Minister be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that the Government recently issued a circular prohibiting a Government servant from marrying a second time during the life time of his spouse ;

(b) if the answer to part (a) be in affirmative, whether any case in which the instructions referred to above had been contravened has come to the notice of the Government ;

(c) whether any representation on behalf of the All India Women's Conference against an officer under the Government for contravening the said instructions was received by him ; if so, the action, if any taken thereon ?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary) :

(a) Yes ; on 18th January, 1955 instructions were issued that no Government servant who has a wife living should contract another marriage without obtaining the permission of Government.

(b) No.

(c) Yes. A representation on behalf of the All India Women's Conference, Ludhiana Branch, against an Offices under the State Government for marrying a second time on 30th December, 1954 during the life time of his spouse has been received, and is under the consideration of Government.

श्रीमती सीता देवी : सवाल के (c) भाग के जवाब में कहा गया है कि जो representation आया है वह गवर्नमैंट के under consideration है। मैं जानना चाहती हूं कि इस बात का फैसला कब तक हो जाएगा ?

चीफ पार्लियामैंटरी सैक्रेटरी : जल्दी ही।

श्रीमती सीता देवी : क्या चीफ पार्लियामैंटरी सैक्रेटरी बताएंगे कि इस का फैसला गवर्नमैंट के orders के मुताबिक होगा या कोई relaxation की जाएगी ?

चीफ पार्लियामैंटरी सैक्रेटरी : कुदरतीतौर पर फैसला गवर्नमैंट के orders के मुताबिक ही किया जाएगा। कोई रियायत नहीं की जाएगी।

RE-ORGANIZATION OF THE PUNJAB CIVIL SECRETARIAT.

* 4445. **Shri Ram Kishan** : Will the Chief Minister be pleased to state whether any scheme has been prepared to reorganize the Punjab Civil Secretariat; if so, the details thereof and the steps so far taken to implement the same ?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary) : 1st part. A scheme to reorganize the Punjab Civil Secretariat has not yet been prepared.

2nd part. Does not arise.

श्री राम किशन : क्या चीफ पार्लियामैंटरी सैक्टरी साहिब बताएंगे कि क्या कोई reorganisation की स्कीम under consideration है ?

चीफ पार्लियामैंटरी सैक्टरी : आपने पूछा था कि कोई स्कीम prepare की गई है या नहीं, तो इसका जवाब दे दिया गया है कि "नहीं" अब अगर आप इस सवाल का नोटिस दें तो जवाब दिया जा सकता है ।

श्री राम किशन : क्या Chief Parliamentry Secretary साहिब बताएंगे कि Secretariat को reorganise करने के बारे में Union Government की तरफ से कोई हिदायत हुई है ?

चीफ पार्लियामैंटरी सैक्टरी : अगर आप नोटिस दें तो बता दिया जाएगा ।

श्री राम किशन : क्या Chief Parliamentary Secretary साहिब बताएंगे कि क्या Shri A. D. Gorawala की Report on Public Administration in India के मुताबिक सरकार को हिदायात आई हैं और वह reorganisation के बारे सोच रही है ?

Mr. Speaker : This is a suggestion. The hon. Member is giving information instead of seeking it.

श्री राम किशन : क्या Chief Parliamentary Secretary बताएंगे कि क्या Secretariat को reorganisation करने का विचार तो है कि नहीं ?

चीफ पार्लियामैंटरी सैक्टरी : अगर आप नोटिस दें तो आपको सारी और मुकम्मल इतलाह दे दी जाएगी । वैसे गवर्नमैंट हर अच्छी स्कीम पर सोच विचार करती है ।

TRAVELLING ALLOWANCE DRAWN BY THE MINISTERS.

* 4664. **Sardar Gopal Singh** : Will the Chief Minister be pleased to state the names of the places visited and the amount of travelling allowance drawn by the Finance Minister, Development Minister and the Minister for Public Works respectively, during the months of October and November, 1954 ?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary) : A statement containing the requisite information is given below :—

[Chief Parliamentary Secretary]

Statement showing names of the places visited and the travelling allowance drawn by the Development Minister, Finance Minister and Public Works Minister, Punjab, during the months of October and November, 1954.

Minister.	Names of the places visited.	Travelling allowance drawn during.	
		October 1954.	November 1954.
	October.	Rs.As.P.	Rs.
Development Minister.	Kharar, Jullundur, Amritsar, Ludhiana, Batala, Delhi, Siri Hargobindpur, Panipat, Karnal, Dera Baba Jaimal Singh, Gurdaspur, Hoshiarpur, Khanna, Lidhran, and Sidhwan Bet.	322—8—0	
	November.		
	The journeys performed were treated as private and no record was kept of the places visited.		Nil.
Finance Minister.	October.		
	Delhi, Ludhiana, Machhiwara, Khanna, Jullundur & Amritsar.	330—0—0	
	November.		
	Panipat, Delhi, Nabha (private visit) Ludhiana, Rupar, Yamunanagar, Amritsar, Batala, Gurdaspur, Jullundur, and Ambala Cantonment.		255—0—0
Public Works Minister.	October.		
	Pathankot, Batala, Ambala City, Simla, Khanna. Jullundur, Qadian and Amritsar.	375—0—0	
	November.		
	Muktsar, Batala, Hoshiarpur Dasuya, Jullundur, Ajnala, Amritsar, Gurdaspur and Siri Hargobindpur.		255—0—0

ਸਰਦਾਰ ਖੇਮ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਚੀਫ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਚੀਫ਼ ਮਨਿਸਟਰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਮਨਿਸਟਰਾਂ ਦੇ daily allowance ਵਿਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਹੈ ?

ਚੀਫ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ : ਮਨਿਸਟਰਾਂ ਦੇ daily allowances ਵਿਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ।

AMOUNT OF TRAVELLING ALLOWANCE DRAWN BY MINISTERS.

* 4694. **Sardar Khem Singh** : Will the Chief Minister be pleased to state the total amount of Travelling Allowance/ Dearness Allowance drawn by each Minister from April, 1954 upto date together with the amount spent on the petrol consumed in their State cars ?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary) : Ministers draw only daily allowance except when they travel by trains or by conveyance other than State cars. A statement showing the amount of Travelling Allowance and Dearness Allowance drawn by them along with the other required information is given below.

	Travelling Allowance.	Daily Allowance.	Amount spent on petrol.
	Rs.As.	Rs.	Rs. As.
Chief Minister.	68—5—0	2370—0—0	8712—11—0 (excluding amount spent from 12-10-54 to 26-11-54 for which log book is not readily available.)
Development Minister.	353—3—0	2550 0 0 Upto 31.1.55)	3954—11—0
Irrigation and Power Minister.	25—0—0	2550—0—0	5107—7—3
Finance Minister.	—	2966—0—0 (Upto 31.5.55)	4,558—0—6
Education Minister.	—	3131—4—0 (Upto 20.1.55)	5775—14—3
Public Works Minister.	—	2715—0—0	2587—15—0 (Upto 31-8-54 as the log book is not available for the period thereafter).
Labour Minister.	—	2775—0—0 (Upto 9.2.55).	3225—3—6

SALARIES OF GOVERNMENT SERVANTS IN THE STATE.

*4708. **Shri Mohan Lal Datta**: Will the Chief Minister be pleased to state :—

(a) the number of Government servants getting rupees two thousand or above as salary per mensem exclusive of all allowances;

(b) the number of Government servants getting between rupees one thousand and two thousands per mensem exclusive of all allowances;

(c) the number of Government servants getting between rupees 500 and one thousand per mensem exclusive of all allowances;

(d) the number of Government servants getting between rupees 100 and 500 per mensem exclusive of all allowances;

(e) the number of Government servants getting less than Rs. 100 per mensem;

(f) the steps the Government intend to take to bridge the gap between the highest and lowest paid Government servants in the State.

Shri Parbodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary) :

(a) 97.

(b) 132.

(c) 750.

(d) 16,000

(e) 61,000.

(f) Government have in the past taken steps to improve the pay scales of the low-paid employees and substantial increases have been allowed in the last three years. Similarly, dearness allowance is being progressively decreased in the case of high-paid employees.

Note. Figures given against items (a) to (e) are based on rough data available.

श्री चान्द राम अहलावत : क्या गवर्नमेंट ने low paid और highly paid Government Servants की तनखाहों में फर्क को दूर करने के लिए हिदायतें जारी की हैं ?

चीफ पार्लियामैंटरी सैक्रेटरी : इस का जवाब मैं पहले ही दे चुका हूँ कि इस फर्क को दूर करने के लिए Low paid Government Servants के Dearness Allowance में जहां कमी नहीं की गई वहां Highly Paid Government Servants के Dearness Allowance बन्द कर दिए गए हैं ।

Mr. Speaker. The hon. Member is putting a supplementary question in regard to the gap between the salaries of the Government servants and those of the Ministers whereas the main question relates to the salaries of the highest and lowest paid Government servants in the State. His question, therefore, does not arise out of the main question.

NATIONAL VOLUNTEER FORCE.

*4773. **Shri Dev Raj Sethi** : Will the Chief Minister be pleased to state :—

(a) whether the Government has received any communication from the Government of India regarding enlistment and training of National Volunteer Force in the State; if so, the decision, if any taken thereon in respect of :—

(i) the minimum and maximum ages of the volunteers to be enlisted;

(ii) the total strength sanctioned for the State;

(iii) the total number of camps to be set up along with their locations;

(iv) period of training, the amount of expenses proposed to be paid to the volunteers, and other amenities, if any proposed to be given;

(v) the syllabus of training to be given;

(vi) the date from which the training is to be started,

(b) the objective of the Force referred to in part (a) above ?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary) :

(a) Yes, the matter is receiving attention. All the points on which information is required, however, concern Government of India and their decisions are as under :—

(i) Between 18 and 40 years.

(ii) 6500 annually.

(iii) 13. Final location is still to be settled.

(iv) The required information is given at Annexures 'A' and 'B' enclosed.

(v) The training will include such subjects as firing of service rifles, field engineering education, first aid, hygiene, drill without arms, physical training, tent pitching etc.

(vi) In May, 1955.

(b) The object of the National Volunteer Force is to get people interested in National Service and inculcate in them a sense of discipline and self reliance.

[Chief Parliamentary Secretary]

ANNEXURE A.

Terms and conditions of training in National Volunteer Force.

Eligibility.

All able-bodied Indian male citizens (except ex-servicemen and ex-N.C.C. cadets) between the ages of 18 and 40 years will be eligible to join the National Volunteer Force.

2. Liability.

Every person who volunteers to join this Force will be liable to undergo continuous training for 30 days in a year and while undergoing training he will not be subject to the Army Act nor will he be liable to be called up for any form of military service on completion of the above said training. The Government will not be responsible for payment of any compensation (in the shape of pension or any other award) should any trainee suffer injury, disease or death in the course of training.

3. Equipment clothing and Necessaries

The authorised scale of personal equipment, clothing and necessaries authorised for each trainee is at Annexure 'B'. Wasing materials required will be admissible at the scale authorised for military hospitals.

4. Concessions.

Trainees will be entitled to the following concessions during the period of their training ;—

(a) A sum of Rs. 15/- will be paid to each trainee as out of pocket allowance on the completion of training.

(b) While in camps trainees will de entitled to free rations at the scale laid down. Rations will be admissible from the day they arrive to the day they depart, but in no case will these be authorised for more than 34 days in a year.

(c) Tented accommodation will be provided at the scale authorised for the personel of the T. A.

(d) While undergoing training, they will be entitled to free out-patient treatment for minor ailments which will be provided by M I Room of the camp. Those requiring hospitalization will be sent to the nearest civil hospital.

(e) Hair cleaning allowance will be admissible to Sikhs only at rupee one per month.

(f) No leave is authorised during the training period.

(g) The trainees will not be entitled to any travelling allowance or daily allowance in connection with their moves to and from the camp.

The trainees will not be entitled to any other concessions admissible to the personal of the Regular Army of the Territorial Army during the period of their training.

———

ANNEXURE B
National Volunteer Force.

Scales of personal equipment, clothing and necessaries per trainee.

	Scale per trainee.
Mug Enamelled.	1
Mess Tin.	1
Shirts/Bush shirts khaki.	2
Trousers/shorts drill khaki.	2 prs.
Cap GS OG *	1
*Pags and pagries will be issued to Sikhs in lieu.	
Chaplies FP	1 pr.
Bag clothes Seakit.	1
Buckles Brass No.	2 Nos.
Sowels Hand.	1
Socks	1 pr.

श्री देव राज सेठी : इस सवाल के जवाब में बताया है कि National volunteer Force में 650 volunteer भर्ती करेंगे तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि इसमें से कितनी भर्ती हो चुकी है और क्या प्रोग्राम है ?

चीफ पार्लियामैंटरी सैक्रेटरी : अगर आप नोटिस दें तो बता दिया जायगा ।

DISPUTE BETWEEN HARIJANS AND JAGIRDARS IN VILLAGE RAMPURA, DISTRICT GURGAON.

*4240. **Sardar Darshan Singh** : Will the Chief Minister be pleased to state whether it is a fact that the Assistant Director Panchayats visited village Rampura, Tehsil Rewari, District Gurgaon on 13th September, 1954, in connection with the dispute between the Harijans and the Jagirdars of the village about the common land; if so, the manner in which the dispute has been settled ?

Shri Prabodh Chandra : (Chief Parliamentary Secretary) : Yes. Attempts are being made to settle the dispute by providing new sites for the tanneries at a considerable distance from the abadi Deh as the Kunds are detrimental to the health of the villagers.

श्री चान्द राम अहलावत : यह झगड़ा कितने दिनों तक खत्म होगा ?

चीफ पार्लियामैंटरी सैक्रेटरी : यह मामला तो sub-judice है ।

श्री चान्द राम अहलावत : क्या Chief Parliamentary Secretary साहिब बताएंगे कि हरिजनों के पास जो sites थी उन्हें आबादी देह के अन्दर मालिक करार दिया गया था तो फिर उन्हें कबज़ा क्यों नहीं दिया गया और उन sites को विस्वेदारों के कबज़ा में क्यों रखा गया ।

अध्यक्ष महोदय : It is a suggestion.

ABSORPTION OF STAFF OF THE CIVIL SUPPLIES DEPARTMENT.

*4774. **Shri Dev Raj Sethi** : Will the Chief Minister be pleased to state :

(a) whether Government has taken any decision regarding the future of the Civil Supplies Department, if so, the details thereof;

(b) the manner in which and the extent to which the staff of the said department has been absorbed in other departments of the Government;

(c) whether the seniority of the personnel referred to in part (b) above has been fixed on the basis of their services in the Civil Supplies Department;

(d) whether any assurance in connection with (c) above has been held out; if so, what and the extent to which it has been given effect to ?

Shri Parbodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary) :

(a) No final decision has so far been taken regarding the future of the Civil Supplies Department.

(b) 50 o/o of the vacancies in non-gazetted posts to be filled up by direct recruitment in all other Government Departments have been reserved for the staff of the Civil Supplies Department through the Subordinate Services Selection Board; and 562 officia s of the Civil Supplies Department have been got absorbed in other Government Departments;

(c) No.

(d) No such assurance has been given.

श्री राम किशन : चीफ पार्लियामैनट्री सैक्रेट्री साहिब ने बताया है कि कोई final decision नहीं हुआ है । मैं दरयाफत करना चाहता हूँ कि जो भी decision इस सम्बन्ध में लिया गया है वह क्या है ।

चीफ पार्लियामैंन्टरी सैक्रेटरी : इस सवाल के बारे में जो information है वह माननीय मैम्बर को दी गई है ।

श्री राम किशन : क्या पार्लियामैंट्री सैक्रेटरी बताएंगे कि Civil Supplies Department में Seniority का असूल क्यों नहीं मद्देनज़र रखा जाता ?

चीफ पार्लियामैंटरी सैक्रेटरी : जैसा कि चीफ मिनिस्टर साहिब ने इस एवान में कहा था Civil Supplies का महकमा temporary है और temporary officers को Seniority का कोई ख्याल नहीं रखा जाता ।

EMPLOYEES IN THE OFFICES OF DEPUTY COMMISSIONERS, TEHSILDARS, AND REVENUE OFFICERS IN THE STATE.

*4061. **Sardar Darshan Singh** : Will the Minister for Development be pleased to state :

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ : ਇਹ ਦਸੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਕੀ ਹੈ ?

ਮੰਤਰੀ : ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਕ ਅੱਧਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਨ ।

श्रीमती सीता देवी : क्या मिनिस्टर साहिब बताने की कृपा करेंगे कि आया उन की knowledge में यह है कि कुछ सज्जन ऐसे हैं कि जिन्हों ने पहले कभी auction का काम नहीं किया और उन को काम दिया गया है ।

ਮੰਤਰੀ : ਹੋ ਸਕਦਾ ਏ ਕਿ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਪਹਿਲੋਂ auction ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਜਿਹਾ ਵਪਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ auction ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਹੋਵੇ ।

श्रीमती सीता देवी : मिनिस्टर साहिब कोई ऐसे भी हो सकता है कि जिन्हों ने पहले कभी auction का काम न किया हो । मैं यह जानना चाहती हूँ कि जिन्हों ने auction का कोई काम ही नहीं किया हां तो उस में गवर्नमेंट समझती है कि वह auction का अच्छा काम कर सकते हैं और property को अच्छी कीमत पर बेच सकते हैं ?

Mr. Speaker : it does not arise.

ਮੰਤਰੀ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ।

मौलवी अब्दुल गनी डार : क्या मिनिस्टर साहिब, बताएंगे कि यह जो गरुप बनाए गए थे उन के पुराने रिकार्ड को भी आपने देखा था ?

ਮੰਤਰੀ : ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

मौलवी अब्दुल गनी डार : मैं यह पूछना चाहता हूँ कि जो गरुप बनाए गए थे, उन के पुराने रिकार्ड को भी देखा गया था या नहीं ?

ਮੰਤਰੀ : ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੀਕਾਰਡ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਲਈ ਗਰੁਪ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ । ਗਰੁਪਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਹਨ ਉਹ ਪਰਸ਼ਾਰਥੀ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ । ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ exprience ਹੈ । ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ information ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਦਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ reserve ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਵਾਈ ਕੀਮਤ ਤੇ property ਨੂੰ ਨੀਲਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ।

श्री देवराज सेठी : आगे के लिए भी क्या यही गरुप काम करेंगे या सैण्ट्रल गवर्नमेंट ने कोई नई लिस्ट या गरुप बनाये ?

ਮੰਤਰੀ : Central Government ਨੇ urban ਨਿਕਾਸੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਨਵੀਂਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਤਲਬ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ । ਇਹ ਜਿਹੜੇ auctioners ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਇਹ Composite ਅਤੇ unattached property ਲਈ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ।

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : मैं ने यह अर्ज़ किया है कि जिस तरह political मफरूरों के लिये affidavit लिये जाते थे क्या उसी तरह इन के लिये affidavit का सिलसिला नहीं रखा गया था ।

ਮੰਤਰੀ : Affidavit ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ।

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : मेरा सवाल सीधा साधा सा है । आप बताएं कि affidavit तलब किये गये थे या नहीं ?

ਮੰਤਰੀ : Affidavits ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ ਗਏ । ਪਰ ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ।

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ : ਤਸੱਲੀ ਤੁਸਾਂ ਆਪਣੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ?

ਮੰਤਰੀ : ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ department ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ।

EXPENDITURE ON GENERAL ADMINISTRATION AND POLICE

*4561. **Shri Teg Ram** : Will the Minister for Finance be pleased to state the total expenditure incurred by the Government on General Administration and Police respectively during the current financial year up-to-date ?

Sardar Ujjal Singh : According to the revised estimates submitted by the Departments concerned, the estimated expenditure during the year 1954-55 incurred by Government on General Administration and Police is Rs. 1,39,17,020/- and Rs. 3,08,67,430/- respectively.

BASIC GRADE FOR TEACHERS IN PRIMARY SCHOOLS

*4689. **Sardar Khem Singh** : Will the Minister for Education be pleased to state :

(a) the basic grade of pay of teachers in Primary Schools in the State;

(b) whether the scale of pay mentioned in part (a) above is being paid to the Basic Trained teachers employed in the Primary Schools of Amritsar Municipal Committee; if not, the reasons therefor ?

Shri Jagat Narain :

(a) Rs. 47½-2-67½/P/2-3-97½/P/3-4-117½.

(b) basic trained teachers are given an initial salary of Rs. 57/8/- in the grade indicated in part (a) above, provided they are matriculates and are employed n Basic Primary Schools.

POSTS OF LECTURERS OF POLITICAL SCIENCE IN GOVERNMENT COLLEGES

* 4155. **Sardar Chanan Singh Dhut** : Will the Minister for Education be pleased to state :

(a) the number of vacancies which occurred in the posts of Lecturers on political science in the Government colleges of the State in 1953 and 1954;

(b) the number of applications received for the posts referred to in part (a) above and the number of applicants called for interview;

(c) the names and qualifications of those selected for the said posts ?

Shri Jagat Narain :

(a) 1953— Three
1954— Two

(b)

Year	No. of applications received.	No. of candidates called for interview.
1953	30	30 (by the Departmental Selection Boards)
1954	57	47 (by the Subordinate Services Selection Board.)

(c) 1. Shri Hukam Singh, M. A. (Pol. Sc.) I, M. A. (History) II.
2. Shri Bhagwant Rai Chawla, M. A. (Pol. Sc.) I.
3. Shri Surinder Partap Singh Dhillon, M.A. (Pol. Sc.) II.
4. Shri G. N. Kapur, M. A. (Pol. Sc.) II.
5. Shri Vishnoo Bhagwan, M. A. (Pol. Sc.) II.

HINDI AND SANSKRIT TEACHERS IN GOVERNMENT SCHOOLS

* 375. **Shrimati Sita Devi** : Will the Minister for Education be pleased to state :

(a) the number of such Sanskrit and Punjabi Teachers in Government Schools who have improved their qualifications by passing the M. A. examination in Sanskrit or Hindi or Punjabi district wise;

(b) the number of teachers referred to in part (a) above who have received training in teaching their respective subjects at the Central Training College, Lahore;

(c) whether it is a fact that teachers of the type referred to above are treated as Junior Teachers in Government Schools, if so, the reasons therefor ?

Shri Jagat Narain :

(a) Four.

(b) Three.

(c) They are classified among the Junior Teachers, but are designated as Sanskrit Teachers, Hindi teachers or Punjabi teachers, as the case may be.

श्रीमती सीता देवी : मिनिस्टर साहिब ने 'C' के जवाब में बताया है कि संस्कृत, हिन्दी और पंजाबी के teachers पर यह लागू नहीं होता। मैं जानना चाहती हूं कि अगर अंग्रेजी के teachers पर लागू होता है तो क्या वजह है कि संस्कृत, हिन्दी और पंजाबी teachers पर यह लागू न हो।

मन्त्री : आपने बजट स्पीच को पढ़ा ही होगा। उसमें यह बढ़ा दिया गया है।

श्रीमती सीता देवी : मैं जानना चाहती हूं कि गवर्नमैंट की नज़रों में संस्कृत, हिन्दी पंजाबी और अंग्रेजी के teachers में क्या कुछ फर्क है ?

मन्त्री : फर्क तो है ही।

श्रीमती सीता देवी : मैं मिनिस्टर साहिब से पूछना चाहती हूं कि संस्कृत हिन्दी और पंजाबी के मुकाबला में अंग्रेज़ी के teachers ...

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय मैम्बरान से अर्ज़ करूंगा कि वे supplementaries सवाल की शकल में किया करें। (I would like to request the hon. Members to ask supple mentaries in the form of questions.)

श्रीमती सीता देवी : क्या मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि यह फर्क क्यों है ? हिन्दी संस्कृत और पंजाबी के मुकाबला में अंग्रेजी वाले teachers की तनखाहें ज़्यादा क्यों हैं ?

मन्त्री : मैंने तो पहले ही बताया कि अब उनकी तंखाहें भी बढ़ा दी गई हैं।

श्रीमती सीता देवी : क्या मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि संस्कृत, हिन्दी और पंजाबी वाले teachers की तंखाहें अंग्रेज़ी वालों के बराबर कब होंगे ?

मन्त्री : विचार किया जाएगा।

श्रीमती सीता देवी : फिर भी कब ?

मन्त्री : Further examine करेंगे।

FIXATION OF PAY OF TEACHERS IN THE REVISED GRADE.

*4376. **Shrimati Sita Devi** : Will the Minister for Education be pleased to state :

(a) whether it is a fact that B.A., B.T., teachers after passing their M. A. Examination in a subject with which they are not directly concerned, are given 4 increments in the revised grade of Rs. 110/- and fixed at Rs. 150/-;

(b) whether it is also a fact that O. T. trained Shastris and Gianis working as Sanskrit and Punjabi Teachers respectively, after passing their M. A. Examination

in Sanskrit or Hindi or Punjabi, are not allowed the benefit of the revised grade and increments referred to in part (a) above;

(c) whether any representation has been received by the Government from the teachers mentioned in part (b) above to consider this matter; if so, the action taken by the Government thereon ?

Shri Jagat Narain :

(a) The grade of Senior Masters whose qualifications are B A./B.Sc. B.T., has been raised from 1st April, 1954 to Rs. 110/-8- 190-10-250. Persons holding Master's degree in any subject get a higher start in this grade of Rs. 126/- if they have Master's degree in the third division and Rs. 150/- if their Master's Degree is in the second or first division. Any senior master who joins the service after passing the B.A./B.Sc. B.T. Examination and later on passes the Master's Degree examination in any subject is given the same benefit.

(b) Yes.

(c) One teacher has made a representation to this effect but since the revised grade is meant only for Senior Masters, it cannot be given to Punjabi, Hindi or Sanskrit teachers who may hold the degree of M.A. in any one of these subjects but are not B.Ts. and have not been recruited as Senior Masters.

श्रीमती सीता देवी : मिनिस्टर साहिब ने हिस्सा 'B' का जवाब 'हां' में बताया है। क्या मैं जान सकती हूँ कि अगर संस्कृत, हिन्दी और पंजाबी के teachers M. A. कर लेते हैं तो उन की तनखाहों के ग्रेड उन B. A.B. T. से जो M. A. कर लेते हैं; क्यों कम क्या है ?

मन्त्री : आप तो यूनिवर्सिटी के सीनेट की मैम्बर है। यह उन्हीं का फैसला है।

श्रीमती सीता देवी : सवाल के पार्ट 'सी' के जवाब में मिनिस्टर साहिब ने फरमाया है कि उन teachers की representation गवर्नमेंट के पास आई थी तो मैं जानना चाहती हूं कि उस representation पर गवर्नमेंट ने क्या action लिया है।

मन्त्री : उन को वह नहीं मिल सका।

श्रीमती सीता देवी : मिनिस्टर साहिब ने कहा है कि वह उन को नहीं मिल सकता तो क्या वह बताएंगे कि वह उन को क्यों नहीं मिल सकता ?

मन्त्री : मैंने तो कहा है कि वह उन को नहीं मिल सका। मैं ने यह नहीं कहा कि वह उन को नहीं मिल सकता। यह तो बहन जी को खुद पता है कि उन में University ने फर्क रखा हुआ है। वह खुद Senate की मैम्बर है।

श्रीमती सीता देवी : यह जो फर्क University ने रखा हुआ है क्या गवर्नमेंट उस फर्क को दूर करने के लिए consider करने को तैयार हैं ?

मन्त्री : हां जरूर consider करेंगे।

COLLEGE APPOINTMENTS AND SCHOOL TEACHERS.

*4377. **Shrimati Sita Devi** : Will the Minister for Education be pleased to state whether there is any proposal under the consideration of Government to reserve an adequte precentage of College appointments for school teachers who have passed the M.A. examination at least in the Second Class ?

Shri Jagat Narain : No.

LIBRARIES AND READING ROOMS IN THE STATE

*4482 **Shri Rala Ram** : Will the Minister for Education be pleased to state the total amount spent by the Government on the establishment of Libraries and Reading Rooms by the Education Department in the State during the years 1953 and 1954 respectively ?

Shri Jagat Narain : The Education Department pays only the maintenance grants to the following category of Libraries :—

1. Dwarka Dass Library, Simla.
2. Public Libraries run by Voluntary Associations.
3. Libraries maintained by Small Town Committees.

The total amount spent by the department during the years 1953-54 and 1954-55 is as under :—

Year	Total amount spent.
1953-54	Rs. 8,500/-
1954-55	Rs. 9,025/-

No library or reading room has been established by the Department during these years.

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ libraries ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ grant ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ?

मन्त्री : गांवों की libraries को Development Department की तरफ से grant मिलती है ।

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੀ ਕੋਈ grant ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ libraries ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ?

मन्त्री : वह भी तो सरकार की तरफ से ही दी जाती हैं । एक ही तो बात है ।

SUBSIDIZED DISPENSARY IN TEHSIL SAMRALA

*4696. **Sardar Ajmer Singh** : Will the Minister for Education be pleased to state :

(a) the date when a subsidized dispensary was started at Khamanon Kalan, Tehsil Samrala, District Ludhiana;

(b) whether the Government intend to continue the said dispensary during the next financial year; if so, the amount provided for the said purpose in the Budget Estimates for 1955-56, if not, the reason therefor ?

Shri Jagat Narain :

(a) No subsidized dispensary has, so far, been opened at Khamanon Kalan. This proposal is, however, being considered for inclusion in the District and Local Schemes of the Second Five Year Plan.

(b) In view of (a) above, the question does not arise.

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ : ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਂ ਕੋਈ dispensary ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ dispensary ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਉਸ ਲਈ grant ਦੇਣੀ omit ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣ। ਉਸ dispensary ਦੀ building ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

मन्त्री : तो मैं इस बात का फिर पता कर लूंगा ।

ORGANISATION OF VACCINATORS IN THE STATE.

* 4426. **Shri Mool Chand Jain** : Will the Minister for Education be pleased to state whether he has received any memoranda from the organisation of the vaccinators in the State regarding their grievances and demands; if so, the action, if any taken or proposed to be taken thereon ?

Sardar Gurbachan Singh Bajwa :

Part I	Yes.
Part II	The matter is under consideration of Government.

CATERING ARRANGEMENTS IN CONNECTION WITH CAPITAL INAUGURATION.

*4330. **Shri Dev Raj Sethi** : Will the Minister for Public Works be pleased to state :

(a) The total number of guests invited by the Government in connection with the Inauguration Ceremony of Chandigarh Capital held on the 7th October, 1953 for whom arrangements for tea had been made ;

(b) the name of the Caterer in charge of the catering arrangements together with the terms settled with him and the actual amount paid to him ?

Sardar Gurbachan Singh Bajwa :

(a) About four thousand guests were invited, but only

[Minister for Public Works]

3491 actually attended the function and were served with tea and soft drinks.

(b) The catering arrangements were made with Messrs. Oberoi Hotels (India) Ltd. at the rate of Rs. 4/- per tea. In addition, Government were also to pay the caterer the cost of transport of foodstuffs, crockery, hotel-personnel etc. from Delhi to Chandigarh. A sum of Rs. 14,220/- has already been paid and bills amounting to Rs. 3,431/4/- are still under investigation.

OFFICERS' HOSTEL, CHANDIGARH.

*4381 **Shri Dev Raj Sethi** : Will the Minister for Public Works be pleased to state :

(a) the total cost incurred by the Government on the building of the Officers' Hostel, together with the cost incurred on its furniture, equipment and other installations ;

(b) the terms on which the said Hostel has been given on lease by Government, together with the name of the party to whom it has been given ;

(c) the last date fixed for the submission of tenders for getting the said hostel on lease ;

(d) the details of lowest tender and the name of such tenderer ;

(e) whether any license for Bar has been given to the lessee for the Hostel ; if so, the terms thereof ?

Sardar Gurbachan Singh Bajwa :

(a) The total cost incurred on the construction, furnishing and fittings of the Officers' Hostel Building amounts to Rs. 5,21,559/-.

(b) The Hostel has been leased out to Messrs. Oberoi Hotels (India) Ltd. A copy of the Draft Lease Deed is attached at appendix 'A'

(c) 31st August, 1953.

(d) The lowest tender was of Messrs. Amrit Lal Suri & Bros: of Jullundur City ; a copy of their tender is attached at appendix 'B'. The Hostel was, however, leased out to Messrs Oberoi Hotels (India) Ltd. by private negotiations.

(e) Government have sanctioned the grant of the following bar licenses to the lessee of the Hostel :

(i) L-3 for retail vend of foreign liquor in the hotel

(ii) L-4 for retail vend of foreign liquor in the restaurant, and

(iii) L-5 for retail vend of foreign liquor in a bar

attached to the restaurant.

Besides the terms and conditions laid down under rules 5.39 and 5.40 (3), (4), and (5) of the Punjab Excise Manual, Volume II, these licenses have been assessed to the fees amounting to Rs. 466/-, 1160/- and 1160/- respectively for the financial year 1954-55.

APPENDIX A.

DRAFT OF LEASE DEED.

This deed of Lease made the day of 19 between the Governor of the Punjab (hereinafter called the "Lessor") of the one part and M/s Oberoi Hotels (India) Ltd., (hereinafter called the "Lessee") of the other part,

WHEREAS the building known as the Officers Hostel with the public rooms (Lounge, Bar and Dining room) kitchen, pantry stores together with servants, quarters, garages, grounds and lawns situated at Chandigarh (which is hereinafter called the said building) is owned by the lessor in full proprietary rights.

AND WHEREAS the lessor has agreed to grant the lease and temporary right of use and occupation of the said building,

NOW, THEREFORE, this deed witnesseth that the lessor hereby grants and conveys into the leset the lessee of the said building subject to the exceqtions, reservations, conditions, and convenants hereinafter contained and each of them, that is to say :—

1. The lease shall be for a period of three years commencing from with the option of the lessee to renew this for a further period of three years on the same terms and conditions; provides that the rates payable by officers shall be subject to review, in the background of the price level at the end af the first three years.
2. The said building shall be styled "Hotel" and not "Hostel".
3. The lease shall pay rent on the following sliding scale payable proportionately each month, by the 15th of the following month :—

First year	...	Rs.	19,200/-
Second year	...	Rs.	24,00 /-
Third year	...	Rs.	28,800/-
Fourth year	...	Rs.	33,600/-
Fifth year	...	Rs.	33 600/-
Sixth year	...	Rs.	33 600/-

4. The total accommodation of the said building comprises of 24 single and 9 double suites. Of this accommodation, the lessor shall, at all times, have a right to the use of 10 single and 3 double suites for the officers to be charged for, as and when occupied, at the rates specified in clause 7 provided that where any of the suites reserved for the lessor are not in use by it, the lessee may utilise these for putting up outside visitors subject to the condition that the suite or suites in question, shall be vacated on notice from the lessor. This notice shall normally allow 24 hours.
5. The term "Officers" means Government officials of the Punjab State and of the Government of India drawing a salary of Rs 750/- per mensem and upwards.
6. The rates to be charged to officers for the accomodation used by them shall be as under :—

Single suite	...	Rs.	10/8/- per day.
Double suite	...	Rs.	19/-/- per day.

[Minister for Public Works.]

Children will be charged extra as follows :—

Under 3 years of age. ... Rs 2/4/- per day.

Between 3 to 12 years. ... Rs. 3/8/- per day.

The above rates are inclusive of rent board and lodging, hot and cold water supply bedding and other linen, electricity for lights, fans and heaters. Hearing storves' will, however not be provided by the lessee. Any other special amenities, such as serving meals in the rooms, telephones, if required from the Hotel, shall be charged for, provided that the lessee shall, apart from special amenities for which extra charges are levied by the Hotel, provided officers exactly the same amenities as to an outside visitor.

The lessee shall run the said building as a 'first class Hotel'.

The lessee shall be entitled to charge outside visitors for board and lodging and other amenities at such a rate as considered fair and proper and the Punjab Government would not impose any restrictions in the way of rent control or fixation of rates. The lessor further agrees that if any legislation imposing any such restrictions is enacted by the Punjab Government for the State of Punjab, the said building shall be exempted from the same.

9. In the event of the lessor reserving any rooms out of the accommodation allocated to them (vide clause 4 above) free of rent, the lessee shall be entitled to charge at the rate of Rs. 7/- per person for board alone, with the reduced rate for children and the lessor shall give lessee credit to the extent of Rs. 3/8/- per single suite and Rs. 5/- per double suite which sum the lessee shall be entitled to to deduct from the monthly rent payable.

10. The lessor shall provide in the said building the following, which are included in the annual rent payable by the lessee :—

(i) Furniture with fittings (electric and sanitary), hot and cold water pipes (Mattresses to be provided by the lessee.)

(ii) Druggets for the residential rooms.

(iii) Hot water boiler.

(iv) Electric kitchen stoves.

(v) A Refrigerator.

(vi) Unfurnished residential accommodation for staff consisting of one Manager, four clerks and 4 servants quarters in addition to the existing servants quarters.

11. The lessor shall assist the lessee in obtaining a P. B. X. with a switch board of 50 lines, payment for which shall be made by the lessee.

12. The lessor shall—

(a) carry out suitable additions and alterations to the kitchen block to provide for a bakery, wine store, cutlery store and general store ;

(b) construct a dhobi ghat in the said building; and

(c) build a small room to house the cold storage plant.

13. The cost of conversion of a room into a cold storage including installation of the refrigerating unit shall be met half by the lessee and half by the lessor and at the end of the termination of the lease the whole shall vest in lessor.

14. The lessor shall be responsible for annual and major repairs whereas the lessee shall be responsible for day-to-day maintenance and minor repairs. In respect of the maintenance of lawns and hedges, the lessor shall incur all expenditure till 31st August, 1954 and from 1st September, 1954 onwards the lessor shall supply the lessee water free of charge for irrigation only of lawns and hedges, on a scale to be laid down by the Chief Engineer, Capital Project, Chandigarh, and all the other charges for the maintenance of lawns and hedges shall be borne by the lessee.
15. The lessor shall replace furniture and fittings etc. when with 'fair wear and tear' this becomes necessary.
16. The lessee shall not be responsible for the insurance of the building and its contents which are the property of the lessor. The lessee shall be responsible only for the payment of such local taxes as a tenant is normally required to pay. Other taxes, if any, shall be paid by the lessor.
17. The lessor shall grant the lessee bar licenses for the scale of foreign wines and spirits, as soon as possible.
18. The lessor undertakes to instruct the departments concerned to start the additions and alterations mentioned at clause 12 above, as soon as possible.

It is hereby agreed and declared that until a different meaning shall appear from the context :—

The expression 'Lessor' used in these presents shall include in addition to the Governor of Punjab, and in relation to any matter of anything contained in or arising out of these presents, every person duly authorised to act or represent, Governor of Punjab in respect of such matter or thing.

In witness whereof the parties hereto have hereunto respectively subcribed their names at the places and on the dates hereinafter in each case specified :—

Signed by for and on behalf of the Governor of the Punjab and setting under his authority.

at this day of 19.

Signed by the said at)
on the day of 19) Lessee

Witnesses :—

1. Name)
Residence) Witness.
Occupation)

2. Name)
Residence) Witness.
Occupation)

APPENDIX 'B'

Schedule showing the rates for catering at Officers Hostel Chandigarh Capital.

The Tenderers should quote rates for catering both in words and figures in the following manner :

		Permanent	Casual
(A)	For a single person	Rs. 4/8/-	Rs. 5/- per day.
	For married couple	Rs. 7/8/-	Rs. 8/8/- per day.
	For a child under 3 years	Rs. 1/-/-	Rs. 1/4/- per day.

[Minister for Public Works]

For a child between

3 and 6 years	Rs. 1/4/-	Rs. 1/8/- per day.
6 and 9 years	Rs 1/12/-	Rs. 2/- per day.
9 and 12 years	Rs. 2/-/-	Rs. 2/4/- per day.

1. The charges for two persons who occupy the same suite and have near relationship to each other shall be at the same rate as applicable to married couple.
2. Permanent resident means a resident staying for 21 days or more in a month.

FOR TWO OR MORE CHILDREN.

For a child under 3 years	Rs. 1/-/-	Rs. 1/-/- per day.
3 and 6 years	Rs. 1/2/-	Rs. 1/4/- per day.
6 and 9 years.	Rs. 1/6/-	Rs. 1/10/- per day.
9 and 12 years	Rs 1/12/-	Rs 2/-/- per day.

NOTE : Above 12 years full rates.

CASUAL GUESTS AT MEALS.

Early Tea.	Re. -/6/-
Breakfast.	Rs. 1/12/-
Lunch.	Rs. 2/-/-
Afternoon Tea.	Rs. -/10/-
Dinner.	Rs. 2/-/-

(B) Aerated water, ice, cigarettes etc. will be supplied by the Caterer at rates usually charged by hotels or clubs in Delhi, New Delhi and Simla for such supplies and other sundry requisites at the controlled rates.

(C) The Caterer will if required by any resident issue to such resident in his/her room a water bottle with a glass tumbler, and a tea tray with the necessary equipment (tea cossies with tray covers and tray cloth) and the resident will in such event be required to sign, in token of receipt thereof, on a list presented in duplicate showing the price of each article. The Caterer will return his copy to the resident when the equipment is returned to the Caterer.

(D) Hours of meals are as follows :

Early Tea.	6-30 A. M. to 8-00 A. M.
Breakfast	7-30 A. M. to 9-30 A. M.
Lunch	1-00 P. M. to 2-30 P. M.
Afternoon Tea	4-00 P. M. to 6-00 P. M.
Dinner	8-00 P. M. to 9-30 P. M.

(E) No charge for messing will be made in case where the resident has given 24 hours notice of his absence from the hostel but no rebate will be admissible if the absence is for less than 24 hours.

(F) Bedding is not supplied but in case of an emergency visiting Officer may obtain bedding (including sheets, towels, pillows and 2 blankets) from the caterer who will make charge of annas -/12/- per day upto 15 days and -/8/- annas per day for a longer period.

(G) Officers who go on tour or short leave but retain their accommodation in the hostel will be required to pay to the Caterer a service charge of -/12/- per day for retaining the vacant room.

(H) Any resident giving a notice of not less than 24 hours of his intention not to take Lunch at the Hostel will be allowed a rebate of Rs. 1/8/- per day of such notified absence. No casual visitor shall be entitled to such rebate unless he stays in the hostel at least for seven days.

(I) In case of rationing the full quota of sugar allowed to individuals by Rationing Authorities will be given by the Caterer to each resident once a week.

(J) The cooking medium (Vanaspati) and butter shall be such as may be recommended by the House Committee or Administrator from time to time.

(K) All milk supplies shall be purchased by the Caterer from such sources as may be desired by the House Committee or Administrator.

NOTE : 1. Blank spaces marked with an asterisk should be filled in by tenderer.

2. The rates quoted by the tenderer for all items of messing charges should be inclusive of Sales Tax.

Full signatures of Canteen & complete address in India	For M/s. Amrit Lal Suri & Bros. Narinder Lal Suri, Managing Partner, C/o Rly. Refreshment Rooms, Northern Railway, Jullundur City.

श्री देवराज सेठी : यह जो मिनिस्टर साहिब ने बताया है कि श्री अमृत लाल को यह होटल lease पर नहीं दिया गया हालां कि इसका lowest tender था और highest tender वाले को दे दिया है तो क्या वह बताएंगे कि इस का lease lowest tender वाले को क्यों नहीं दिया गया ?

ਮੰਤਰੀ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ tender lowest ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ lease ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਚੰਗਾ standard maintain ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ Messrs Oberoy & Co. ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

श्री देवराज सेठी : इन दोनों के बीच standard maintain कर के लिए कौन से वाकियात ऐसे थे जिन को सामने रख कर इतने ज़्यादा rate वाले को यह दे दिया गया है ?

ਮੰਤਰੀ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

श्री देवराज सेठी : क्या मिनिस्टर साहिब उन के तजरुबे और काम के बारे में कोई concrete चीज़ बताएंगे कि जिस की बिना पर यह उन को दिया गया है ? इस तरह गोल मोल जवाब से कोई फायदा नहीं । वह कोई concrete चीज़ बताएं जिस को देख कर गवर्नमेंट की इतनी बड़ी building सिर्फ 19 हज़ार सालाना कराये पर दिया गया है ?

ਮੰਤਰੀ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬਲਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵੀ।

श्री देवराज सेठी : क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि सिर्फ इसी चीज़ को देखते हुए इन्हीं को इतनी कलील रकम पर शराब के तीन licence भी दिए गए हैं ?

ਮੰਤਰੀ : ਇਹ ਰਕਮ ਤਾਂ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ licence ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ।

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : ਕੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ lowest ਅਤੇ highest ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਫਰਕ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਠੇਕੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ ?

ਮੰਤਰੀ : ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ।

श्रीमती सीतादेवी : मिनिस्टर साहिब ने बताया है कि उन को इस लिए यह ठेका दिया गया है क्योंकि उन के काम पहले हिन्दुस्तान और पाकिस्तान में है तो मैं यह जानना चाहती हूँ क्या गवर्नमेंट की यह policy नहीं है कि हर काम lowest tender वाले को दिया जाए ?

ਮੰਤਰੀ : ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੇਵਲ tenders ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੋਰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

श्रीमती सीता देवी: मिनिस्टर साहिब ने सवाल के पार्ट [ई] में बताया है कि तीन licence बार के भी दिए गए हैं तो क्या वह बताएंगे कि क्या यह गवर्नमेंट की उस policy के खिलाफ नहीं किया गया जिस के मुताबिक हम ने सूबे को dry करना है ?

ਮੰਤਰੀ : ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇਹ policy ਇਸ ਜ਼ਿਲੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।

श्रीमती सीता देवी : क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि गवर्नमेंट की policy इस बारे में एक ज़िला के लिए और है और बाकियों के लिये और है ?

ਮੰਤਰੀ : ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਨੂੰ dry ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ।

श्रीमती सीतादेवी : क्या गवर्नमेंट की policy यह नहीं कि सूबे को धीरे धीरे dry कर दिया जाए ?

ਮੰਤਰੀ : ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇਹੋ ਹੀ policy ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ dry ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

DISTRICT BOARD STIPENDS GURGAON.

*4524. **Shri Babu Dayal** : Will the Minister for Public Works be pleased to state whether he is aware of the hardship caused to students of professional institutions on account of the failure so far of the District Board Gurgaon to pay stipends to them; if so the reasons therefor ?

Sardar Gurbachan Singh Bajwa : The District Board, Gurgaon, has awarded scholarships to the following two students who are studying in professional institutions. Payment of their scholarships has been made upto the date noted against each. No bills for the remaining period have been received in the office of the District Board from

the Principals of the Institutions concerned.

1. Shri Indraj Singh, Medical College, Amritsar 31-12-54.
2. Shri Johri Lal, Medical College, Ludhiana 31-10-54.

LIBRARIES AND READING ROOMS IN THE STATE.

*4483. **Shri Rala Ram** : Will the Minister for Public Works be pleased to state the amount spent on the establishment of Libraries and Reading Rooms by the Local Bodies in the State during years 1953 and 1954 respectively.

Sardar Gurbachan Singh Bajwa: The information is being collected and it will be supplied to the member concerned when ready.

APPOINTMENT OF WELFARE OFFICERS.

*4685. **Shri Mam Raj** : Will the Minister for Labour be pleased to state whether any person belonging to the Hissar District or any other district of the Ambala Division has been appointed as a Welfare Officer; if so, their names and the districts to which they belong ?

Chaudhri Sundar Singh : One of the District Welfare Officers Shri Sant Ram Randhawa belongs to Ambala District.

श्री राम कुमार विढात : वज़ीर साहिब ने फरमाया है कि वह आदमी अम्बाला ज़िले का है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि वह अम्बाला ज़िले की किस तहसील का है ?

मन्त्री : तहसील का मुझे पता नहीं ।

CONCESSIONS TO SCHEDULED CASTES, SCHEDULED TRIBES AND BACKWARD CLASSES IN THE STATE.

*4401. **Shri Ram Chandra Comrade** : Will the Minister for Labour be pleased to state :

(a) the number and names of (a) Scheduled Castes (b) Scheduled tribes and (c) Backward Classes who are given concessions as regards fees, scholarships and appointments in the State;

(b) description and details of concessions allowed?

Chaudhri Sundar Singh :

(a) A list is laid on the Table showing the names of castes who are given educational concessions under the Harijan Welfare Scheme. In all 9741 students received concessions during 1953-54 and 10430 during 1954-55. No separate information regarding the number of each caste who received educational concessions is maintained by the Director of Public Instructions. In services Scheduled Castes and Scheduled Tribes are given 19 per cent representation,

[Minister for Labour]

and 2 per cent representation is given to Backward Classes.

(b) Government instructions are given below.

ANNEXURE 'A'

List of Scheduled Castes.

1. Ad Dharmi.
2. Bangali.
3. Barar.
4. Batwal.
5. Bawaria.
6. Bazigar.
7. Balmiki or Chuhra.
8. Bhanjra.
9. Chamar.
10. Chanal.
11. Dagi.
12. Dhanak.
13. Dumna or Mahasha.
14. Gagra.
15. Gandhila.
16. Kabirpanthi.
17. Khatik.
18. Kori or Koli.
19. Marija or Marecha.
20. Mazhabi.
21. Megh.
22. Nat.
23. Od.
24. Pasi.
25. Porna.
26. Pherera.
27. Ramdasi or Ravi Dasi.
28. Sanhai.
29. Sansi.
30. Sanhal.
31. Sapela.
32. Sarera.
33. Sikligarh.
34. Sirkiband.
35. Ramdasi Sikh.
36. Kabir Panthi Sikh.
37. Mazhabi Sikh.
38. Sikligarh Sikh.
39. Mahtam. (It is not a Sch duled Caste, but only eligible for getting educational concessions)

ANNEXTURE 'B'

List of Backward Classes.

1. Aheira, Aheri, Heri, Naik, Theri or Turi.
2. Barra.
3. Beta, Hensi or Hesi.
4. Changar
5. Chirimar.
6. Daiya.
7. Gwarila, Gauria or Gwar.
8. Kanjar or Kanchan.
9. Kurmi.
10. Nar.
11. Rahar
12. Ghirath including Chahng & Bahti.
13. Ghai.) of Kangra
14. Darain.) District only.

) all religious i.e. Hindu Sikh and Christian etc.)

15. Ad. Dharmi.
16. Bangali.
17. Barar.
18. Batwal.
19. Bauria.
20. Bazigar.
21. Balmiki or Chuhra.
22. Bhunjra.
23. Chamar.
24. Chanal.
25. Dagi.
26. Dhanak.
27. Dumna or Mahsha.
28. Gagra.
29. Gandhila
30. Sirkiband.
31. Khatik.
32. Kori or Koli
33. Marija or Marecha
34. Magh.
35. Nat.
36. Od.
37. Pasi.
38. Perna.
39. Pherera.
40. Sanhai.
41. Sanhal.
42. Sansi.
43. Sapela.
44. Sarera.

) Students Professing Sikh and Christian etc. as their religion.

Copy of memo No. 17176-WG-54/4041, dated Chandigarh on 10/11th February, 1955 from Shri R. P. Kapur, I. C. S., Home Secretary to Government, Punjab, to the Director of Public Instruction, Punjab, Simla.

Subject :—Scheme for the administration of fund for the promotion of education amongst educationally Backward Classes.

In supersession of Punjab Government, Education Department Memo No. 30556-C, dated the 13th December, 1948, as modified from time to time sanction of the Governor of Punjab is hereby accorded to the remission of tution fees and of grant of fees for the Public Examinations to the Scheduled Castes and backward classes students mentioned at annexure 'A' and 'B' on the rolls of recognised schools and affiliated colleges in the Punjab from the 5th class to M. A. Classes (Arts side) students studying in J. T., S. T. and Basic Training Classes (only in non Government recognised institutions), J. S. T. C., B. T. Senior Basic and M. Ed. classes with effect from the Ist April, 1954, up to 30th September, 1958.

2. The full fee concessions at present permissible in recognised schools are 10% of the total enrolment but the schools which admit Scheduled Castes and Backward Class Students should be allowed to raise this percentage subject to a maximum of 12½% in the ratio of number of Scheduled Castes and Backward Classes students admitted by them as follows :—

Percentage of Scheduled Castes and Backward Classes students in the School.	No. of full fee concessions admissible at the School.
Below ½%	10%
½ to 1½%	10½%
Above 1½% to 2½%	11%
Above 2½% to 3½%	11½%
Above 3½% to 4½%	12%
Above 4½	12½%

For the purpose of calculating fee concessions a fraction of 1/2 or more will count as one and less than 1/2 will be ignored. Five per cent of this concession should be reserved for Scheduled Castes and Backward Classes students. This 5% will be in addition to such fee concession as the students of Scheduled Castes and Backward Classes Students may earn ordinarily under the existing rules.

3. If the number of Scheduled Castes and Backward Classes students on the rolls of a school exceeds 5 per cent of its total enrolment the tution fees of the numbers in excess of 5 per cent will be paid by the Government to these schools.

4. In the case of Government College if the number of Scheduled Castes and Backward Classes students exceeds 2 per cent of its total enrolment the amount of tution fee due to the College on account of the number of in excess of 2 per cent will be paid by the Government to the College concerned.

5. Privately managed colleges should be requested to forego the full fee concession given to first 2 per cent of Schaduled Castes and Backward Classes students on their rolls. The tution fees

[Minister for Labour]

of the students in excess of 2 per cent of their total enrolment will be paid by Government to these colleges.

6. Sanction is also accorded to the grant of stipends to all Scheduled Castes and Backward Classes mentioned at Annexture 'A' and 'B' on the rolls of recognised schools and affiliated colleges with effect from the 1st April, 1954, at the following rates :-

9th and 10th Classes.		Rs. 6/- P. M.
Intermediate Arts Students.		Rs. 15/- P. M.
B. A. (Arts).		Rs. 20/- P. M.
M. A. Class.		Rs. 25/- P. M.
J. T.	Only in Non-Government recognised institutions.	Rs. 15/- P. M.
S. T.		
Basic Trained		
J. S. T. C.		Rs. 15/- P. M.
B. T.		Rs. 20/- P. M.
Senior Basic.		Rs. 20/- P. M.
M. Ed.		Rs. 25/- P. M.
Punjabi students from Scheduled Castes and Backward Classes reading in Kasturba Balika Ashram and Harijan Udyog Shala Delhi.	...	Rs. 20/- P. M. per student.

7. (i) The students whose parents/guardians earning is Rs. 150/- or above will not be entitled to any kind of relief in Middle and High Classes.

(ii) Children of gazetted Officers, or parents/guardians who pay income tax will not be entitled to any kind of relief under this scheme even beyond the matriculation classess.

(iii) Children who fail to get through the class promotion examination will forfeit the fee concession as well as stipend.

(iv) Children in receipt of these concessions are required to satisfy the rules and regulations embodied in the Punjab Education Code.

(v) The concessions under this scheme will be eligible to such students as studying in the recognised institutions of the State and whose parents/guardian domicile is in this State except the Punjabi students of Kasturba Balika Ashram and Harijan Udyog Shala, Delhi.

8. These orders do not apply to Arts and Science students of colleges who are covered by the Government of India Scheme.

9. Sanction is also accorded with immediate effect upto the 28th February, 1955, for the creation of the following posts in the office of the Director of Public Instruction, Punjab :-

(a) 1. One post of Harijan Welfare Officer in the P. E. S. Class II in the grade of Rs. 250-25-550/25-750.

2. One post of Assistant in the grade of Rs. 150-10-200/10-300.

3. One post of clerk in the grade of Rs. 60-4-80/5-120/5-175.

4. One post of a peon in the grade of Rs. 27-½-32.

(b) Travelling Allowance for Harijan Walfare Officer Rs. 1,000/-

The existing post of Welfare Officer in the grade of Rs. 150/220 is hereby abolished.

10. The charge is debitable to the Head "37-Education-E-General-T-Expenditure for promotion of education amongst educationally backward classes."

11. Your Office file is returned.

REGISTERED FACTORIES IN AMBALA CANTONMENT.

*4060, **Sardar Darshan Singh** : Will the Minister for Labour be pleased to state—

(a) the total number of registered factories in Ambala Cantonment at present;

(b) the number of factories which the Labour Inspector stationed at Ambala Cantonment is empowered to inspect ?

Chaudhri Sundar Singh :

(a) 253 (upto the 31st December, 1954).

(b) All factories in his jurisdiction.

EMPLOYED AND UNEMPLOYED LABOURERS IN THE STATE.

*4197. **Sardar Gurbachan Singh Atwal** : Will the Minister for Labour be pleased to lay on the Table if there is any report published by the Government conveying following information :

(i) the total number of labourers in the State together with the number of those employed and unemployed amongst them ;

(ii) the total number of such labourers depending on agriculture system and the average rate of daily wages paid to them per capita ;

(iii) the total number of such labourers following other occupations together with the details thereof and the average rate of wages per day paid per capita;

(iv) the total amount of wages earned by all the labourers;

(v) the total amount which has since been paid to them;

(vi) the steps adopted by the Government to have the balance of the wages, if any, collected;

(vii) the number of labour Unions working at present in the State;

(viii) whether these Unions are helping in the production and Welfare of the Labour, if so, in what respect ?

Chaudhri Sundar Singh : No such report has been published by the Labour Department.

ORDERS UNDER SECTION 144 CRIMINAL PROCEDURE CODE IN THE STATE.

* 4136. **Sardar Harkishan Singh Surjit**: Will the

[Sardar Harkishan Singh Surjit]
Chief Minister be pleased to state how many times orders under Section 144 Criminal Procedure Code were enforced in the State during the period from 1st January, 1954 to 1st October, 1954, together with the names of the places where they were enforced, the area covered by each such order, its duration and the reasons therefor in each case ?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary): A statement containing the necessary information is given below.

Statement showing the number of times orders under Section 144 Criminal Procedure Code were enforced in the State during the period from 1st January, 1954 to 1st October, 1954 together with the names of the places where they were enforced, the area covered by each such order, its duration and the reasons therefor.

Serial No.	Places or localities where orders enforced.	Duration of the order.	Reasons.
	1. Hissar District.		
1.	Entire district.	16.2.54 to 25.2.54.	Preservation of public peace.
2.	—do—	26.2.54. to 25.4.54.	—do
3.	—do—	26.4.54 to 25.6.54.	—do—
4.	Municipal limits of Hissar, Hansi, Bhiwani, Sirsa, Dabwali and Fatehabad.	1.8.54 to 30.9.54.	To minimise loud-speaker nuisance.
5.	—do—	1.10.54 to 31.3.1955.	—do—
	2. Rohtak District.		
6.	Entire district.	12.2.54 to 11.4.54.	Preservation of public peace.
7.	—do—	12.4.54 to 11.6.54.	—do—
8.	—do—	12.6.54 to 11.8.54.	—do—
9.	—do— (Rescinded with immediate effect vide Punjab Government Notification No. 7336-SH-54/6437C/16736, dated 27.7.54.)	14.6.54 to 13.8.54.	—do—
10.	(i) Municipal Committees Rohtak, Bahadurgarh, Jhajjar, Beri and Sonepat and (ii) Small Town Committees of Mehm & Gohana.	27.2.54 to 26.4.54.	To minimise loud-speaker nuisance.
11.	—do—	25.6.54 to 24.8.54.	—do—

3. Gurgaon District.

12.	Entire district.	14.4.54 to 13.6.54	Preservation of public peace.
13.	Rewari Town and Manager Rewari Electric and Supply and General Industries Ltd.	5 5.54 to 4.7.54.	—do—

4. Karnal District.

14.	Karnal, Panipat, Shahabad, Kaithal and Thanesar.	10.4.54 to 9.6.54.	—do—
15.	Shahabad.	18.9.54 to 17.11.54.	—do—

5. Ambala District.

16.	Tehsils Naraingarh and Jagadhari.	6.3.54 to 5.7.54.	—do—
17.	Tehsil Ambala.	8.3.54 to 7.7 54.	—do—
18.	200 yards from the building of Punjab Legislative Chamber Chandigarh Capital.	9.3.54 to 8.5.54.	—do—
19.	Tehsil Kharar and Rupar.	10.4.54 to 9.6.54.	—do—
20.	Police Station Sadhavra and Kharar.	7.7.54 to 24.8,54.	—do—
21.	(i) Municipal Committees. Ambala, City, Kalka, Rupar & Jagadhri. (ii) Notified area Committee, Yamuna Nagar; (iii) Town Committees Kharar, Sadhaura and Morinda; (iv) Chandigarh Capital; (v) Revenue Estate, Kurali; (vi) Baldev Nagar Camp, Ambala; (vii) Ambala Cantt.	1.1.54 to 1.10.54.	To minimise loud-speaker nuisance.

6. Simla District.

22.	Entire district.	12 4.54 to 11.6 54	Preservation of public peace.
23.	—do—	14.6.54 to 13.8.54.	—do—

7. Kangra District.

24.	Kosari Revenue limits.	12.1.54 to 11.3 54.	—do—
25.	Entire district.	10.4.54 to 9.6.54.	—do—
26.	Municipal Area Dharamsala.	20.6 54 to 19.8 54.	To minimise loud-speaker nuisance.

[Chief Parliamentary Secratary]

	8. Hoshiarpur District.		
27.	Nangal, Hambewal and Dobeta (P.S. Anandpur)	11.1.54 to 10.8.54	Preservation of public peace.
28.	Entire district	11.4.54 to 24.6.54.	—do—
29.	Limits of Hoshiarpur Town.	10.3.54 to 9.11.54.	To minimise loud-speaker nuisance.
	9. Jullundur District.		
30.	Entire district.	9.4.54 to 8.5.54.	Preservation of public peace.
31.	Municipal limits of Jullundur City.	2.1.54 to 1.7.54	To minimise loud-speaker nuisance.
32.	do	5.7.54 to 4.9.54.	do
33.	Municipal limits of Phillaur.	20.4.54 to 19.6.54	do
34.	do	9.7.54 to 8.8 54	do
35.	Municipal limits of Banga.	1.5 54 to 30 6.54	do
36.	do	9.7.54 to 8.8.54	do
37.	Revenue Estate of Goraya.	3 5 54 to 2 7.54	do
38.	do	9.7.54 to 8.8.54	do
39.	Municipal limits of Kartarpur, Alawalpur, Nawansbar, Rahon, Nakodar and Nurmahal.	1.5.54 to 30.6.56	do
	10. Ludiana District.		
40.	Municipal limits of Ludhiana.	9.4.54 to 8.5.54	Preservation of public peace.
41.	do	9 5.54 to 8.6.54	do
42.	do	9.6.54 to 8,8.54	do
43.	do	1.1.54 till further orders.	To minimise loud-speaker nuisance.
44.	Town Committee limits Samrala.	1.1.54 to 31.12.54	do
45.	Municipal limits of Khanna.	do	do
46.	Municipal limits of Jagraon.	do	do
	11. Ferozepore District.		
47.	Limits of P. S. Jalalabad.	1.1.54 to 4.2.54 (withdrawn on 6.1.54).	Preservation of public peace.
48.	Entire district.	1.3.54 to 30.4 54	do
49.	do	1 5.54 to 15.6.54	do

50.	Limits of Muktsar and Fazilka Tehsils.	17.6.54 to 16.7 54	To minimise loud-speaker nuisance.
51.	Moga Town.	5.7.54 to 4.9.54 (extended upto 31.12.54	do
52.	Limits of Small Town Commi ttee Takanwali.	25.8.54 to 24.10.54	do
	12. Amritsar District.		
53.	Municipal areas of Amritsar and Chheharta and within 1 mile radius of these Towns.	8.4.54 to 7.6 54	Preservation of public peace.
54.	Municipal limits of Amritsar, Chheharta & Tarn Taran.	19.1.54 to 18.3.54	To minimise loud-speaker nuisance.
55.	do	19.3.54 to 18.9.54	do
56.	do	19.9.54 to 31.1.55	do
57.	Municipal limits of Patti	5.1.54 to 4.3.54.	do
58.	do	13.3.54 to 12.5.54	do
59.	do	15.5.54 to 14 7.54	do
60.	do	15.7.54 to 31.1.55	do
61.	Municipal limits of Khem Karan.	11.6.54 to 10.8.54	do
62.	do	11.8.54 to 31.1.55	do
63.	Municipal limits of Jandiala.	8.5.54 to 7.7.54	do
64.	do	8.7.54 to 31.1.55	do
	13 Gurdaspur District		
65.	Entire district.	9.4.54 to 8.6.54	Preservation of public peace.
66.	Entire district (Order modified to be operative in area of P. Ss. Pathankot, Narotjaimal Singh and Sirihargobindpur only w. e. f. 7.7.54).	18.6.54 to 17.8.54	do
67.	Municipal limits of Gurdaspur, Batala, Qadian, Pathankot and Dhariwal.	22.2.54 to 21.4.54	To minimise loud-speaker nuisance.
68.	do	1.5 54 to 30.6.54	do
69.	do	7.7.54 to 6 9.54	do
70.	do	7.9.54 to 7.1.55	do

PUNITIVE POLICE POSTS IN CERTAIN VILLAGES OF DISTRICT FEROZEPORE.

*4137. **Sardar Harkishan Singh Surjit :** Will the Chief Minister be pleased to state whether it is a fact that Punitive Police was posted in villages Ajitwal, Chuharchak and Dhidike, Tehsil and District Ferozepore, during the year 1952 if so, the reasons therefor and the amount of punitive fine so far collected from the said villages ?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary) : No Punitive Police was posted in these villages during 1952. Such Police was, however, posted there for the period from 1st September, 1950 to 6th July, 1951. The reasons for its posting were that the area comprising these villages was found to be in a disturbed state and the conduct of the inhabitants of this area demanded an increase in the number of Police. A sum of Rs. 15,540/- was imposed on these villages on this account, but nothing has been realized from them so far.

DEATH OF CHOWKIDAR OF VILLAGE PANIAR-DHAMETA, DISTRICT KANGRA.

*4193. **Sardar Achhar Singh Chhina :** Will the Chief Minister be pleased to state.—

(a) whether he is aware of the fact that the Sub-Inspector, Haripur Police Station, Tehsil Dehra, District Kangra beat a Chowkidar of village Paniar Dhameta, District Kangra to death in the 1st week of September, 1954, if so, the action taken by the Government in this connection;

(b) whether he is further aware of the fact that the Sub-Inspector referred to in part (a) above also beat one Shri Ram Ditta aged 85 years of village, Jagnoli Tehsil Dehra, District Kangra, if so, the action take by the Government in the matter ?

Shri Prabodh Chandra : (Chief Parliamentary Secretary) :

(a) First Part ... No.
Second Part ... Does not arise.

(b) The reply is given in a statement blow :---

There was a long standing dispute over the possession of a piece of three acres of land between Ram Datta, Ex-Chowkidar of village Jagnoli and Punjab Singh. Punjab Singh averred that Ram Ditta had cheated him and given him land other than that sold to him by Ram Ditta. The complaint was referred to the Station House Officer of Haripur.

On the evening of 23rd July, 1954, Jhallo Ram, the adopted son of Ram Ditta, sent a telegram to the Superintendent of Police, Kangra, intimating that Ram Ditta had been beaten by Sub-Inspector on 20th July, 1954 and was lying unconscious in the

hospital at Nurpur. The Superintendent of Police deputed the District Inspector for immediate enquries. The District Inspector recorded the statements of Jhallo Ram and the Doctor-in-charge. The doctor reported that Ram Ditta was fully conscious and in a fit condition to make a statement. The Naib Tehsildar (Magistrate 3rd class) was sent for, but Shri Ram Ditta refused to make any statement before him. The doctor found only 3 injuries on the person of Ram Ditta. It was revealed, during the enquiry, to the District Inspector that Ram Ditta came to the police on the 20th of July in an angry mood and abused every-body including the police at which the Sub-Inspector in-charge, Haripur Police Station, asked him to behave and on his failure to do so, the Sub-Inspector gave him a slap on the face. Shri Ram Ditta fell down but got up and sat for a while among others, while the dispute between him and Punjab Singh was being enquired into by S. H. O. Haripur. Shri Ram Ditta later walked away to the village after the dispute about the produce of the land was settled. The District Inspector came to the conclusion that the Sub-Inspector had given a slap on the face of Shri Ram Ditta on extreme provocation. Shri Ram Ditta died in hospital on 15th August, 1954, about 25 days after the incident. The post-mortem report conducted by the Civil Surgeon revealed that the large vessels of the deceased's heart showed arterio chlorosis changes and, in his opinion, death was due to haemorrhage inside the substance of the brain.

S. H O. Haripur was suspended and reverted to his substantive rank of A. S. I. A magisterial enquiry was ordered by the District Magistrate. The enquiring magistrate held that the death of Shri Ram Ditta, could not, in any manner, be connected with the slap given to him by the Sub-Inspector. The District Magistrate agreed with the views of the enquiring magistrate and held that the S. I acted under provocation and that the cause of death was most probably due to haemorrhage on account of the extreme old age of the deceased. The Sub-Inspector (since reverted to the rank of A. S. I.) is still under suspension, and final orders in the case will be passed by the Superintendent of Police, Kangra, who is competent to do the same.

DEATH OF SHRI MANGE RAM OF VILLAGE BARASI, DISTRICT HISSAR.

*4199. **Sardar Achhar Singh Chhina** : Will the Chief Minister be pleased to state whether he is aware of the fact that one Shri Mange Ram, Harijan, of village Barasi, Tehsil Hansi, District Hissar, was beaten to death by the police in the last week of August, 1954; if so, the action taken by the Government in this behalf ?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary) : It is incorrect that Shri Mange Ram was beaten to death by the police. The Civil Surgeon, who performed the post-mortem, did not find any injuries and opined that death was caused by heart failure on account of fever. A magisterial enquiry was also held and the inquiring officer reported that

[Chief Parliamentary Secretary]
the death of Mango Ram could not be ascribed to any torture alleged to have been committed on him by the police, and that some fever, possibly pneumonia, was the cause of his death.

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : ਕੀ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦੀ enquiry ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ enquiry ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਕਿ death ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਹੋਈ ?

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ enquiry ਕਰਾਈ ਸੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ enquiry ਕਰਾਵੇ ?

(It has been stated in the reply that an enquiry was conducted. What sort of other enquiry do you mean ?)

MURDER IN VILLAGE JAMSHER, DISTRICT JULLUNDUR.

*4378 **Shrimati Sita Devi** : Will the Chief Minister be pleased to state :—

(a) whether he is aware of the fact that Mahant Sital Dass was murdered in village Jamsher, District Jullundur ; if so, the steps, if any, proposed by the Government to stop recurrence of such cases ;

(b) whether any representation from the inhabitants of that village has been received by the Government for their protection ; if so, the action, if any, taken in the matter ?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary) :

(a) 1st part : Yes.

2nd part : Administrative machinery is always alert against such occurrences. Whenever circumstances or causes come to notice, prompt and suitable action is taken under the preventive sections of law. As regards the case under reference, unfortunately there was no information or indication with the Police to prevent the murder.

(b) No formal representation was received from the inhabitants of village Jamsher for protection. After the occurrence, the village was visited by the Deputy Commissioner and District Superintendent of Police who felt that the murder had caused some resentment, uneasiness and panic amongst the followers of the Mahant, because the accused were consisted as having the backing of influential sections of the village community. There was also some apprehension in the minds of the Mahant's followers that the other party

might attempt to over-awe them and the witnesses in the case. There was also some tension amongst the various communities in the village. They advised all the inhabitants to fully respect the law and authority. At the same time, one Assistant Sub-Inspector and two Foot Constables were posted in the village for keeping a watch over the situation and taking timely action whenever necessary.

श्री राम किशन : Chief Parliamentary Secretary साहिब ने फरमाया है कि कोई representation वहां नहीं पहुँचा। क्या चीफ मिनिस्टर साहिब को 29 दिसम्बर, 1954 को जमशेर के उन के visit पर कोई deputation मिला था या नहीं ?

Chief Parliamentary Secretary : No formal representation was received from the inhbitants of village Jamsher for protection लिख कर कोई representation नहीं दिया गया। बाकी उन के visit पर उन्हें कुछ कहा ही गया होगा जिस की बदौलत गवर्नमैंट को इस बात का इल्म हुआ कि लोगों के दिलों में कुछ खदशात हैं।

श्री राम किशन : क्या गवर्नमैंट को इस कत्ल के सिलसिले में मुरादाबाद, U. P. से इस तरह की कोई इत्तलाह मिली है।

Mr. Speaker : This question does not arise.

TRAVELLING ALLOWANCE DRAWN BY THE OFFICERS OF POLICE DEPARTMENT DURING JANUARY, 1955.

*4665. **Sardar Gopal Singh** : Will the Chief Minister be pleased to state the amount of travelling allowance drawn by all the Gazetted and Non-Gazetted Officers of the Police Department who visited Ludhiana during January, 1955 ?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary) : A sum of Rs. 4,350/3/9 on account of travelling allowance was drawn by the Gazetted and Non Gazetted Officers of the Police Department who visited Ludhiana during January, 1955. The amount also includes expenditure incurred on police escorts (for prisoners and treasure) who visited Ludhiana during this period, as well as T.A. of Police Officials who were engaged on Recovery work.

MEMORIAL IN THE MEMORY OF CHOWDHRY BUGGA MAL.

*4341. **Maulvi Abdul Ghani Dar** : Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal

[Maulvi Abdul Ghani Dar]
under the consideration of the Government to set up a memorial at Amritsar to perpetuate the memory of Chowdry Bugga Mal, the Hero of Jallianwala Bagh tragedy ?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary) : No.

BANNING OF PLURAL MARRIAGES BY GOVERNMENT SERVANTS.

*4379. **Shrimati Sita Devi :** Will the Chief Minister be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that the Government recently issued a circular prohibiting a Government servant from marrying a second time during the life time of his spouse ;

(b) if the answer to part (a) be in affirmative, whether any case in which the instructions referred to above had been contravened has come to the notice of the Government ;

(c) whether any representation on behalf of the All India Women's Conference against an officer under the Government for contravening the said instructions was received by him ; if so, the action, if any taken thereon ?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary) :

(a) Yes ; on 18th January, 1955 instructions were issued that no Government servant who has a wife living should contract another marriage without obtaining the permission of Government.

(b) No.

(c) Yes. A representation on behalf of the All India Women's Conference, Ludhiana Branch, against an Offices under the State Government for marrying a second time on 30th December, 1954 during the life time of his spouse has been received, and is under the consideration of Government.

श्रीमती सीता देवी : सवाल के (c) भाग के जवाब में कहा गया है कि जो representation आया है वह गवर्नमैंट के under consideration है। मैं जानना चाहती हूं कि इस बात का फैसला कब तक हो जाएगा ?

चीफ पार्लियामैंटरी सैक्रेटरी : जल्दी ही।

श्रीमती सीता देवी : क्या चीफ पार्लियामैंटरी सैक्रेटरी बताएंगे कि इस का फैसला गवर्नमैंट के orders के मुताबिक होगा या कोई relaxation की जाएगी ?

चीफ पार्लियामैंटरी सैक्रेटरी : कुदरतीतौर पर फैसला गवर्नमैंट के orders के मुताबिक ही किया जाएगा। कोई रियात नहीं की जाएगी।

RE-ORGANIZATION OF THE PUNJAB CIVIL SECRETARIAT.

* 4445. **Shri Ram Kishan** : Will the Chief Minister be pleased to state whether any scheme has been prepared to reorganize the Punjab Civil Secretariat; if so, the details thereof and the steps so far taken to implement the same ?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary) : 1st part. A scheme to reorganize the Punjab Civil Secretariat has not yet been prepared.

2nd part. Does not arise.

श्री राम किशन : क्या चीफ पार्लियामैंटरी सेक्रेटरी साहिब बताएंगे कि क्या कोई reorganisation की स्कीम under consideration है ?

चीफ पार्लियामैंटरी सैक्रेटरी : आपने पूछा था कि कोई स्कीम prepare की गई है या नहीं, तो इसका जवाब दे दिया गया है कि "नहीं" अब अगर आप इस सवाल का नोटिस दें तो जवाब दिया जा सकता है ।

श्री राम किशन : क्या Chief Parliamentry Secretary साहिब बताएंगे कि Secretariat को reorganise करने के बारे में Union Government की तरफ से कोई हिदायत हुई है ?

चीफ पार्लियामैंटरी सैक्रेटरी : अगर आप नोटिस दें तो बता दिया जाएगा ।

श्री राम किशन : क्या Chief Parliamentary Secretary साहिब बताएंगे कि क्या Shri A. D. Gorawala की Report on Public Administration in India के मुताबिक सरकार को हिदायात आई हैं और वह reorganisation के बारे सोच रही है ?

Mr. Speaker : This is a suggestion. The hon. Member is giving information instead of seeking it.

श्री राम किशन : क्या Chief Parliamentary Secretary बताएंगे कि क्या Secretariat की reorganisation करने का विचार तो है कि नहीं ?

चीफ पार्लियामैंटरी सैक्रेटरी : अगर आप नोटिस दें तो आपको सारी और मुकम्मल इतलाह दे दी जाएगी । वैसे गवर्नमैंट हर अच्छी स्कीम पर सोच विचार करती है ।

TRAVELLING ALLOWANCE DRAWN BY THE MINISTERS.

* 4664. **Sardar Gopal Singh** : Will the Chief Minister be pleased to state the names of the places visited and the amount of travelling allowance drawn by the Finance Minister, Development Minister and the Minister for Public Works respectively, during the months of October and November, 1954 ?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary) : A statement containing the requisite information is given below :—

[Chief Parliamentary Secretary]

Statement showing names of the places visited and the travelling allowance drawn by the Development Minister, Finance Minister and Public Works Minister, Punjab, during the months of October and November, 1954.

Minister.	Names of the places visited.	Travelling allowance drawn during.	
		October 1954.	November 1954.
	October.	Rs.As.P.	Rs.
Development Minister.	Kharar, Jullundur, Amritsar, Ludhiana, Batala, Delhi, Siri Hargobindpur, Panipat, Karnal, Dera Baba Jaimal Singh, Gurdaspur, Hoshiarpur, Khanna, Lidhran, and Sidhwan Bet.	322—8—0	
	November.		
	The journeys performed were treated as private and no record was kept of the places visited.		Nil.
Finance Minister.	October.		
	Delhi, Ludhiana, Machhiwara, Khanna, Jullundur & Amritsar.	330—0—0	
	November.		
	Panipat, Delhi, Nabha (private visit) Ludhiana, Rupar, Yamunanagar, Amritsar, Batala, Gurdaspur, Jullundur, and Ambala Cantonment.		255—0—0
Public Works Minister.	October.		
	Pathankot, Batala, Ambala City, Simla, Khanna, Jullundur, Qadian and Amritsar.	375—0—0	
	November.		
	Muktsar, Batala, Hoshiarpur Dasuya, Jullundur, Ajnala, Amritsar, Gurdaspur and Siri Hargobindpur.		255—0—0

ਸਰਦਾਰ ਖੇਮ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਚੀਫ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਚੀਫ਼ ਮਨਿਸਟਰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਮਨਿਸਟਰਾਂ ਦੇ daily allowance ਵਿਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਹੈ ?

ਚੀਫ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ : ਮਨਿਸਟਰਾਂ ਦੇ daily allowances ਵਿਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ।

AMOUNT OF TRAVELLING ALLOWANCE DRAWN BY MINISTERS.

* 4694. **Sardar Khem Singh** : Will the Chief Minister be pleased to state the total amount of Travelling Allowance/ Dearness Allowance drawn by each Minister from April, 1954 upto date together with the amount spent on the petrol consumed in their State cars ?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary) : Ministers draw only daily allowance except when they travel by trains or by conveyance other than State cars. A statement showing the amount of Travelling Allowance and Dearness Allowance drawn by them along with the other required information is given below.

	Travelling Allowance.	Daily Allowance.	Amount spent on petrol.
	Rs.As.	Rs.	Rs. As.
Chief Minister.	68—5—0	2370—0—0	8712—11—0 (excluding amount spent from 12-10-54 to 26-11-54 for which log book is not readily available.)
Development Minister.	353—3—0	2550 0 0 Upto 31.1.55)	3954—11—0
Irrigation and Power Minister.	25—0—0	2550—0—0	5107—7—3
Finance Minister.	—	2966—0—0 (Upto 31.5.55)	4,558—0—6
Education Minister.	—	3131—4—0 (Upto 20.1.55)	5775—14—3
Public Works Minister.	—	2715—0—0	2587—15—0 (Upto 31-8-54 as the log book is not available for the period thereafter).
Labour Minister.	—	2775—0—0 (Upto 9.2.55).	3225—3—6

SALARIES OF GOVERNMENT SERVANTS IN THE STATE.

*4708. **Shri Mohan Lal Datta** : Will the Chief Minister be pleased to state :—

(a) the number of Government servants getting rupees two thousand or above as salary per mensem exclusive of all allowances;

(b) the number of Government servants getting between rupees one thousand and two thousands per mensem exclusive of all allowances;

(c) the number of Government servants getting between rupees 500 and one thousand per mensem exclusive of all allowances;

(d) the number of Government servants getting between rupees 100 and 500 per mensem exclusive of all allowances;

(e) the number of Government servants getting less than Rs. 100 per mensem;

(f) the steps the Government intend to take to bridge the gap between the highest and lowest paid Government servants in the State.

Shri Parbodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary) :

(a) 97.

(b) 132.

(c) 750.

(d) 16,000

(e) 61,000.

(f) Government have in the past taken steps to improve the pay scales of the low-paid employees and substantial increases have been allowed in the last three years. Similarly, dearness allowance is being progressively decreased in the case of high-paid employees.

Note. Figures given against items (a) to (e) are based on rough data available.

श्री चान्द राम अहलावत : क्या गवर्नमेंट ने low paid और highly paid Government Servants की तनखाहों में फर्क को दूर करने के लिए हिदायतें जारी की हैं ?

चीफ पार्लियामैंटरी सैक्रेटरी : इस का जवाब मैं पहले ही दे चुका हूँ कि इस फर्क को दूर करने के लिए Low paid Government Servants के Dearness Allowance में जहां कमी नहीं की गई वहां Highly Paid Government Servants के Dearness Allowance बन्द कर दिए गए हैं ।

Mr. Speaker. The hon. Member is putting a supplementary question in regard to the gap between the salaries of the Government servants and those of the Ministers whereas the main question relates to the salaries of the highest and lowest paid Government servants in the State. His question, therefore, does not arise out of the main question.

NATIONAL VOLUNTEER FORCE.

*4773. **Shri Dev Raj Sethi** : Will the Chief Minister be pleased to state :—

(a) whether the Government has received any communication from the Government of India regarding enlistment and training of National Volunteer Force in the State; if so, the decision, if any taken thereon in respect of :—

(i) the minimum and maximum ages of the volunteers to be enlisted;

(ii) the total strength sanctioned for the State;

(iii) the total number of camps to be set up along with their locations;

(iv) period of training, the amount of expenses proposed to be paid to the volunteers, and other amenities, if any proposed to be given;

(v) the syllabus of training to be given;

(vi) the date from which the training is to be started,

(b) the objective of the Force referred to in part (a) above ?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary) :

(a) Yes, the matter is receiving attention. All the points on which information is required, however, concern Government of India and their decisions are as under :—

(i) Between 18 and 40 years.

(ii) 6500 annually.

(iii) 13. Final location is still to be settled.

(iv) The required information is given at Annexures 'A' and 'B' enclosed.

(v) The training will include such subjects as firing of service rifles, field engineering education, first aid, hygiene, drill without arms, physical training, tent pitching etc.

(vi) In May, 1955.

(b) The object of the National Volunteer Force is to get people interested in National Service and inculcate in them a sense of discipline and self reliance.

[Chief Parliamentary Secretary]

ANNEXURE A.

Terms and conditions of training in National Volunteer Force.

Eligibility.

All able-bodied Indian male citizens (except ex-servicemen and ex-N.C.C. cadets) between the ages of 18 and 40 years will be eligible to join the National Volunteer Force.

2. Liability.

Every person who volunteers to join this Force will be liable to undergo continuous training for 30 days in a year and while undergoing training he will not be subject to the Army Act nor will he be liable to be called up for any form of military service on completion of the above said training. The Government will not be responsible for payment of any compensation (in the shape of pension or any other award) should any trainee suffer injury, disease or death in the course of training.

3. Equipment clothing and Necessaries

The authorised scale of personal equipment, clothing and necessaries authorised for each trainee is at Annexure 'B'. Wasing materials required will be admissible at the scale authorised for military hospitals.

4. Concessions.

Trainees will be entitled to the following concessions during the period of their training ;—

(a) A sum of Rs. 15/- will be paid to each trainee as out of pocket allowance on the completion of training.

(b) While in camps trainees will de entitled to free rations at the scale laid down. Rations will be admissible from the day they arrive to the day they depart, but in no case will these be authorised for more than 34 days in a year.

(c) Tented accommodation will be provided at the scale authorised for the personel of the T. A.

(d) While undergoing training, they will be entitled to free out-patient treatment for minor ailments which will be provided by M I Room of the camp. Those requiring hospitalization will be sent to the nearest civil hospital.

(e) Hair cleaning allowance will be admissible to Sikhs only at rupee one per month.

(f) No leave is authorised during the training period.

(g) The trainees will not be entitled to any travelling allowance or daily allowance in connection with their moves to and from the camp.

The trainees will not be entitled to any other concessions admissible to the personal of the Regular Army of the Territorial Army during the period of their training.

———

ANNEXURE B
National Volunteer Force.

Scales of personal equipment, clothing and necessaries per trainee.

	Scale per trainee.
Mug Enamelled.	1
Mess Tin.	1
Shirts/Bush shirts khaki.	2
Trousers/shorts drill khaki.	2 prs.
Cap GS OG *	1
*Pags and pagries will be issued to Sikhs in lieu.	
Chaplies FP	1 pr.
Bag clothes Seakit.	1
Buckles Brass No.	2 Nos.
Sowels Hand.	1
Socks	1 pr.

श्री देव राज सेठी : इस सवाल के जवाब में बताया है कि National volunteer Force में 650 volunteer भर्ती करेंगे तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि इसमें से कितनी भर्ती हो चुकी है और क्या प्रोग्राम है ?

चीफ पार्लियामैंटरी सैक्रेटरी : अगर आप नोटिस दें तो बता दिया जायगा ।

DISPUTE BETWEEN HARIJANS AND JAGIRDARS IN VILLAGE RAMPURA, DISTRICT GURGAON.

*4240. **Sardar Darshan Singh** : Will the Chief Minister be pleased to state whether it is a fact that the Assistant Director Panchayats visited village Rampura, Tehsil Rewari, District Gurgaon on 13th September, 1954, in connection with the dispute between the Harijans and the Jagirdars of the village about the common land; if so, the manner in which the dispute has been settled ?

Shri Prabodh Chandra : (Chief Parliamentary Secretary) : Yes. Attempts are being made to settle the dispute by providing new sites for the tanneries at a considerable distance from the abadi Deh as the Kunds are detrimental to the health of the villagers.

श्री चान्द राम अहलावत : यह झगड़ा कितने दिनों तक खत्म होगा ?

चीफ पार्लियामैंटरी सैक्रेटरी : यह मामला तो sub-judice है ।

श्री चान्द राम अहलावत : क्या Chief Parliamentary Secretary साहिब बताएंगे कि हरिजनों के पास जो sites थी उन्हें आबादी देह के अन्दर मालिक करार दिया गया था तो फिर उन्हें कबज़ा क्यों नहीं दिया गया और उन sites को बिस्वेदारों के कबज़ा में क्यों रखा गया ।

अध्यक्ष महोदय : It is a suggestion.

ABSORPTION OF STAFF OF THE CIVIL SUPPLIES DEPARTMENT.

*4774. **Shri Dev Raj Sethi** : Will the Chief Minister be pleased to state :

(a) whether Government has taken any decision regarding the future of the Civil Supplies Department, if so, the details thereof;

(b) the manner in which and the extent to which the staff of the said department has been absorbed in other departments of the Government;

(c) whether the seniority of the personnel referred to in part (b) above has been fixed on the basis of their services in the Civil Supplies Department;

(d) whether any assurance in connection with (c) above has been held out; if so, what and the extent to which it has been given effect to ?

Shri Parbodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary) :

(a) No final decision has so far been taken regarding the future of the Civil Supplies Department.

(b) 50 o/o of the vacancies in non-gazetted posts to be filled up by direct recruitment in all other Government Departments have been reserved for the staff of the Civil Supplies Department through the Subordinate Services Selection Board; and 562 officials of the Civil Supplies Department have been got absorbed in other Government Departments;

(c) No.

(d) No such assurance has been given.

श्री राम किशन : चीफ पार्लियामैंनटरी सैक्रेटरी साहिब ने बताया है कि कोई final decision नहीं हुआ है। मैं दरयाफत करना चाहता हूँ कि जो भी decision इस सम्बन्ध में लिया गया है वह क्या है।

चीफ पार्लियामैंन्टरी सैक्रेटरी : इस सवाल के बारे में जो information है वह माननीय मैम्बर को दी गई है।

श्री राम किशन : क्या पार्लियामैंट्री सैक्रेटरी बताएंगे कि Civil Supplies Department में Seniority का असूल क्यों नहीं मद्देनज़र रखा जाता ?

चीफ पार्लियामैंटरी सैक्रेटरी : जैसा कि चीफ मिनिस्टर साहिब ने इस एवान में कहा था Civil Supplies का महकमा temporary है और temporary officers को Seniority का कोई ख्याल नहीं रखा जाता।

EMPLOYEES IN THE OFFICES OF DEPUTY COMMISSIONERS, TEHSILDARS, AND REVENUE OFFICERS IN THE STATE.

*4061. **Sardar Darshan Singh** : Will the Minister for Development be pleased to state :

order are duly informed of the demand. It is, therefore, requested that action should be taken accordingly and Government informed of the action taken by him in the matter after a month. The progress in respect of the registration of the parties should, however, be intimated to Government in the Industries Department after every six months.

2. The orders issued in the Punjab Government letter No 7939-I&C-52/18176, dated the 25th November, 1952, will apply to the products of the large scale industries in the Punjab.

3. The above orders would be effective for one year only, from the date of its issue the position will, however, be reviewed after seeing the results of the above preference.

4. (For Director, Public Relations, Punjab). It is requested that the contents of this letter may be given wide publicity.

5. The receipt of this letter may be acknowledged.

Yours faithfully,
(Sd.) M. S. RANDHAWA,
Secretary to Government Punjab,
Industries Department.

No. 10499-I&C-54/30425, dated Chandigarh, the 5th November, 1954.

A copy is forwarded to the Accountant General, Punjab for information.

(Sd.) PRITHVI NATH,
Assistant Secretary to Government, Punjab,
Finance Department.

A copy is forwarded to all Administrative Secretaries to Government Punjab, for information.

(Sd.) M. S. RANDHAWA,
Secretary to Government Punjab,
Industries Department.

To

All Administrative Secretaries to Government, Punjab.

U.O. No. 10499-I&C-54, dated Chandigarh, the 5th November, 1954.

No. 19921-I&C-53/2552, dated 28th December, 1953.

From

Shri S. R. Maini, I.A.S.,
Secretary to Government, Punjab,
Industries Department.

To

The Controller of Stores, Punjab,
and All Heads of Departments, High Court,
Commissioner, District and Sessions Judges,
Deputy Commissioners in the Punjab.

Subject :—Purchase of Stores.

Sir,

No. 4135-I&C-53/29501, dated 28-4-53.
(2) No. 18049-I&C-53/93310, dated 13-10-53.

I am dirated to invite your attention to the Punjab Government letters noted in the margin which explain in detail the policy of Government with regard to the purchase of Stores. In one of these letters i. e. letter No. I&C-53/29501, dated the 28th April, 1953, the following decision of Government among others, was conveyed :—

"That Government Departments should go in for

[Minister for Finance]

Cottage and Small-Scale industries products manufactured in the Punjab in preference to manufactured goods of large scale industries of equal standards even if the price of the former is higher but subject to a maximum limit of 10 per cent".

It has come to the notice of Government that the above decision of Government is not being translated into action by some Departments on one pretext or the other I am, therefore, to impress upon you once again the desirability of following the above instructions rigidly.

Yours faithfully,
(Sd.) X X X
Secretary to Government Punjab,
Industries Department.

Endt No. 2553, dated Chandigarh, the 28th December, 1953.

A copy is forwarded to the Accountant General, Punjab for information, in continuation of Punjab Government Endorsement No. 4135-I&C-53/29502, dated the 28th April, 1953 and No. 1809-I&C-53/40312, dated the 13th November, 1953.

By order,
(Sd.) X X X
Assistant Secretary, to Government Punjab
Finance Department.

1. U. O. No. 4135-I&C-53, dated 28-4-53.

2. U. O. No. 18049 I&C-53, dated 13-11-53.

A copy is forwarded to all Administrative Secretaries to Government Punjab, for information, in continuation of the unofficial references noted in the margin.

(Sd.) X X X
Secretary to Government Punjab,
Industries Department.

To

All Administrative Secretaries to Government Punjab.
U. O. No. 19921-I&C-53, dated Chandigarh, the 28th December, 1953

PUNJAB GOVERNMENT PURCHASE POLICY ORDER OF PREFERENCE.

The State Government has decided to make their purchases for the public service in such a way as to encourage the development of the industries of the country to the utmost possible extent consistent with economy and efficiency. For purpose of the development of industries the following order of preference shall be maintained :—

IN CASE OF RAW MATERIALS.

1. Raw materials produced in the Punjab shall be purchased in preference to those produced in other States of India.
2. Raw materials produced in other States of India shall be purchased in preference to imported materials.

IN CASE OF MANUFACTURED GOODS.

1. Cottage and small scale industries products shall be purchased in preference to the products of the large scale industries.
2. Articles manufactured particularly in the punjab shall be parchased in preference to articles manufactured in other States of India.
3. Articles manufactured in other States of India shall be purchased in preference to imported goods.
4. Articles of foreign manufacture held in stock in India shall be purchased rather than to import them.
5. Articles manufactured abroad shall be imported in special cases.

IN CASE OF GOODS MANUFACTURED IN INDIA CARE SHALL BE TAKEN TO PURCHASE.

1. Articles manufactured in India from raw material produced in India in preference to articles manufactured from imported materials, and,
2. Articles wholly or partially manufactured in India from imported materials in preference to imported goods.

The Punjab Stores Departmant has succeeded in restricting the purchases to firms within the State except where stores of a specialized nature are not available at competitive prices. The Department generally finds no difficulty in meeting, from within the State its requirements of hosiery, woollen yarn, cotton waste, ropes, chemicals, scientific instruments, wooden furniture, utensils, leather goods and allied products. It is only in the case of heavy machinery like oil engines, pumping sets, tractors, welding plants or X-Ray equipment etc. that the Department has to secure the stores from the dealers in Bombay, Calcutta and other States.

In order to avail of all these trade preferences by the State Industrialists the Punjab Stores Department has devised a system for the enlistment of approved contractors who will henceforth be eligible to tender their rates for the supplies to be made to the various State Government Departments.

For the sake of convenience the approved contractors have been divided into the following three categories :—

1. Large Scale Stockists
2. Large Scale Manufacturers, and
3. Small Scale Manufacturers.

The large scale stockists will be required to deposit a permanent security of Rs. 1,000 for orders of the value of Rs. 20,000/-/-. The large scale manufacturers will be required to pay a permanent security of Rs. 500/-. In the case of small scale manufacturers the amount of permanent security to be deposited shall be Rs. 200/-.

Applications for approved contractors should be made on the prescribed forms available from the office of the Controller of Stores, Punjab, Jullundur on payment of Rs. 5/- (Rupees five only).

(Sd.) ....
Additional Controller,
for Controller of Stores, punjab,
Jullundur City.

Copy of letter No, 2338-I&C-53/14354, dated 12th March, 1953, from the Secretary to Government, Punjab, Industries Department to all Heads of Departments, High Court, Commissioners of Divisions, District and Sessions Judges, and Deputy Commissioners in the Punjab and Administrator, Simla.

Subject :—Purchase of Khadi Cloth for preparation of uniform Articles etc.

[Minister for Finance]

I am directed to invite a reference to the instructions issued with Punjab Government circular letter No. 5148-I&C-49/56083, dated the 22nd September, 1949, in connection with the purchase of Khadi cloth and to say that in accordance with the policy laid down by Government, the Punjab Stores Department has for the last three years supported the purchases of Khadi cloth manufactured either by the Controller, Government Cotton Spinning and Weaving Centres, Jullundur or any of the other allied institutions run by the Punjab Industries Department. This is obvious from the fact that rate contracts for office durries, bed sheets, pillow covers, towels, bastas and dusters, lining cloth, long cloth and white drill required for uniforms of Class IV Government Servants, have all along been passed on to one or other of these institutions. It has, however, been noticed that sometime the indenting officers are inclined to purchase mill made cloth which is readily available on control rate through the agency of the Civil Supplies Department. This tendency is against the policy of Government. It is, therefore, again requested that priority should be given to the purchase of handspun and handwoven cloth over the cloth made out of mill yarn and that no order should be given to any outside agency, except where a non-compliance certificate is obtained from the Controller, Government Cotton Spinning and Weaving Centres, Jullundur or other industrial institutions, approved by the Punjab Stores Department, first preference being given to the products of the jails, where available. It is further considered that the price factor of Khadi cloth, even if slightly higher over the mill made cloth should in no way be a handicap for the indenting officers in securing their supplies from any of the above sources. Attention in this connection is also invited to resolution No. Pur-1.4 (1), dated the 20th June, 1952, passed by the Ministry of Works Housing and Supply, Government of India copy endorsed to all Heads of Departments etc., vide Punjab Government Endt. No. 5102-I&C-52/3209, dated the 20th August, 1952, deciding that perference should be given to handspun and handwoven materials sand other products of cottage and small scale industries.

Copy of letter No. 13605-I&C-54/2078, dated the 22nd January, 1955, from Secretary to Government Punjab, Industries Department, to all Heads of Departments, High Court, Commissioners of Divisions, District and Sessions Judges, Deputy Commissioners, in the Punjab and the Controller of Stores, Punjab, Jullundur, and copy endorsed to the all Administrative Secretaries to Government, Punjab, including Secretary to Government, Punjab, Finance Department.

Subject :—Use of Khadi against Government Requirement.

I am directed to invite a reference to the instructions issued with Punjab Government circular letter No. 2338-I&C-53/14354, dated the 12th March, 1953, (copy enclosed), wherein it has been stressed that no other cloth than the Khadi cloth should in any circumstances be purchased against Government requirements except in cases where the Controller, Government Cotton Spinning and Weaving Centres, Jullundur or other industrial institutions approved by the Punjab Stores Department have furnished a non-compliance certificate. In order to see that no Government Department is allowed to use any other cloth than the Khadi cloth which is considered of the greatest help to the small scale industry, Government have decided that in future no Government Department whether or not they have powers to the local purchase of stores to a certain extent be allowed any purchase of cotton cloth except in cases

where the requirement is so urgent and immediate that it cannot be postponed or unless the purchase is of Khadi and that purchases of all odd items of cloth as for example curtains, dusters, towels etc., should be confined to Punjab Government letter under reference. You are, therefore, requested to see that in future all cases where any purchase of cotton cloth is required to be made should be referred to Government, in the Industries Department, but it should be noted that no case is referred to Government in the Industries Department, in which the financial sanction of the Finance Department has not been obtained.

2. It is also requested that cases of emergent nature where the purchases of cotton cloth are made without prior approval of the Government in the Industries Department should also be brought to the notice of Government in the Industries Department by giving specific reasons why prior approval of the Government in the Industries Department was not obtained.

3. The receipt of this letter may be acknowledge.

Copy of letter No. 2338-I&C-53/14354, dated the 12th March, 1953, from the Secretary to Government, Punjab, Industries Department, to all Heads of Departments, High Court, Commissioners of Divisions, District and Sessions Judges, and Deputy Commissioners in the Punjab and Administrator, Simla.

Subject :—Purchase of Khadi Cloth for preparation of uniform articles etc.

I am directed to invite a reference to the instructions issued with Punjab Government circular letter No. 5148-I&C-49/56083, dated the 22nd September, 1949, in connection with the purchase of Khadi Cloth and to say, that in accordance with the policy laid down by Government, the Punjab Stores Department has for the last three years supported the purchases of Khadi cloth manufactured either by the Controller, Government Cotton Spinning and Weaving Centres, Jullundur or any of the other allied institutions run by the Punjab Industries Department. This is obvious from the fact that rate contracts for office durries, bed sheets, pillow covers, towels, bastas and dusters, lining cloth, long cloth and white drill required for uniforms of Class IV Government Servents, have all along been passed on to one or other of these institutions. It has, however, been noticed that some time the indenting officers are inclined to purchase mill made cloth which is readily available on control rate through the agency of the Civil Supplies Department. This tendency is against the policy of Government. It is, therefore, again requested that priority should be given to the purchase of handspun and handwoven cloth over the cloth made out of mill yarn and that no order should be given to any outside agency, except where a non-compliance certificate is obtained from the Controller, Government Cotton Spinning and Weaving Centres, Jullundur or other industrial institutions approved by the Punjab Stores Department, first preference being given to the products of the Jails, where available. It is further considered that the price factor of Khadi Cloth, even if slightly higher over the mill made cloth, should in no way be a handicap for the indenting officers in securing their supplies from any of the above sources. Attention in this connection is also invited to resolution No. Pur-1.4 (1), dated the 20th June, 1952 passed by the Ministry of Works, Housing and supply, Government of India, copy endorsed to all Heads of Departments etc., vide Punjab Government endorsement No. 5102-I&C-52/3209, dated the 20th August. 1952, deciding that preference should be given to handspun and handwoven materials and other products of cottage and small scale industries.

Points of Order.

ਸਰਦਾਰ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ: On a point of order, Sir. ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ! ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਦੂਸਰੀ row ਵਿਚ ਬੈਠਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਲ ਤੋਂ ਮੇਰੀ seat ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੀਡਰ ਆਫ਼ ਦੀ ਹਾਊਸ ਜਾਂ ਚੀਫ਼ ਵਿਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਨਾਬ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਐਸਾ ਕਰਨਾ ਮੁਨਾਸਬ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

3 p. m.

Mr. Speaker: इस के मुतअल्लिक मैं ने आने से पहले दरियाफ्त किया था। Seating के बारे में सब arrangement Speaker करता है। मैं खुद हैरान था कि आप की seat पीछे कैसे चली गई। इस में गवर्नमेंट का कोई कसूर नहीं और न ही आप की तकरीर की वजह से यह पीछे की गई है। Executive Engineer के किसी आदमी ने पंखे लगाते हुए आप के बैंच को पीछे हटाया था ताकि खड़ा होने के लिए जगह बन सके। गलती से आप का bench वहीं का वहीं रह गया। आप की seat को नहीं बदला गया है। (हंसी)

(I had made an enquiry about it before I came here. As you know, all arrangements in regard to the seating are made by the Speaker. I was myself wondering as to how your seat had been shifted backwards. Government is not to blame for it nor has it been done in view of the speech delivered by you the other day. The fact of the matter is that somebody belonging to Executive Engineer's office while putting up fans had shifted your bench backwards. The bench through an oversight continued to lie there. In fact your seat has not been changed.) (Laughter),

मौलवी अब्दुल ग़नी डार: On a point of order, Sir. दफ्तर की तरफ से कल की कारवाई के मुतअल्लिक जो बुलिटन मुहैया किया गया है उस में दिया हुआ है ......

अध्यक्ष महोदय: Bulletin के बारे में अगर आप कोई बात मेरे नोटिस में लाना चाहें तो मेरे कमरे में आ कर बता सकते हैं। इसे यहां discuss न करें क्योंकि यह मेम्बर साहिबान की सहूलियत के लिए निकाला जाता है, Press के लिए नहीं।

(If the hon . Member wants to bring to my notice anything pertaining to the Bulletin, he can see me in my room. He should not discuss it here as the Bulletin is issued for the convenience of the members and not for the Press.)

मौलवी अब्दुल ग़नी डार: प्रेस में अगर कोई गलत ब्यानी हो जाए तो काबिले बरदाशत हो सकती है मगर Bulletin में गलती हो तो ज्यादा परेशानी होती है। इसे बिल्कुल सही होना चाहिए। कल चीफ मनिस्टर साहिब ने 10 मिन्ट मांगें थे इस के बाद हाउस का pleasure पूछा था, हाउस ने रज़ामन्दी दे दी। Bulletin में लिखा है कि टाईम interruption की वजह से दिया गया। चीफ़ मनिस्टर साहिब की suggestion का कोई ज़िक्र नहीं जिस का मतलब यह लिया जा सकता है कि उन की suggestion पर नहीं दिया गया।

अध्यक्ष महोदय: यहां पर लफ्ज़ 'interruption' procedural sense में इस्तेमाल किया गया है। Rules के मुताबिक रोज़ 6½ बजे हाऊस उठता है, इस को 'hour of interruption' कहा जाता है।

(In the Bulletin, the word 'interruption' has been used in the procedural sense. According to the Rules, every day the House rises at 6–30 P. M., the hour which is called in technical language 'the hour of interruption'.

मौलवी अब्दुल ग़नी डार: मैं ने भी interruption का यही मतलब लिया है। मैं ने कहा था कि चीफ़ मिनिस्टिर साहिब ने जो तजवीज़ की थी उसका हवाला क्यों नहीं दिया गया। उनकी suggestion पर ही हाऊस ने वक्त बढ़ाने का हक दिया था। मेरी पहली Privilege Motion पर आखिर में आप ने फरमाया था कि सरकार को अपोज़ीशन को confidence में लेना चाहिए था।

अध्यक्ष महोदय: अब इस में क्या झगड़ा है? यह Bulletin तो आप की सहूलियत के लिए निकाला जाता है। (This is no point on which one should join issue. The Bulletin is issued for your convenience.)

श्री राम सरूप: On a point of order, Sir. जमहूरियत के अन्दर Opposition को काफी महत्व दिया जाता है। इस हाऊस में 8 घंटे, 38 मिन्ट, general discussion हुई है, Opposition के 13 आदमी बोले और उन्होंने 4 घंटे 22 मिन्ट लिए। Treasury Benches, जिन पर बैठे मेम्बरों की तादाद 100 के करीब हैं, के 17 आदमियों ने बहिस में हिस्सा लिया और 4 घंटे 16 मिंट बोले। आखिर हमें भी तो अपने हलकों की नुमाइंदगी करनी है। इस मामले पर मैं आपकी ruling चाहता हूं।

Chief Parliamentary Secretary: Sir, that is what I wanted to say. The time which is being given to the Members of the Opposition for making speeches is excessive. The Members who are occupying the Treasury Benches are very much dissatisfied with the time allotted to them for this purpose. I would request you, Sir, to give them sufficient time so that they may be able to explain the grievances of their constituents or give some suggestions.

श्री राम सरूप: Opposition के 20 या 22 मेम्बर हम से ज़्यादा time ले गए। हम ने भी तो अपने हलकों के मुतअल्लिक कुछ कहना होता है।

मौलवी अब्दुल ग़नी डार: जनाब स्पीकर साहिब, आप पार्लियमैंट की कारवाई उठा कर देख लें। कांग्रेस के बहुत ज़्यादा मैम्बर हैं मगर पंडित जवाहर लाल जी अपोज़ीशन को कितना वक्त देते हैं।

श्री राम सरूप: हम ने भी तो अपने हलके के बारे में कुछ कहना है या नहीं?

Mr. Speaker: I shall feel obliged to the hon. Member, if he guides me about the practice in Parliament.

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : अच्छा जनाब ! स्पीकर साहिब, मैं ने पहले भी कई बार गुज़ारिश की है और अब फिर आप के द्वारा गुज़ारिश करता हूँ कि असेम्बली जितने दिन पहले साल बैठी थी ......

चीफ पार्लियमैंटरी सैक्रेटरी : On a point of order, Sir. क्या कोई मैम्बर किसी ऐसे मौज़ू पर जिस पर हाऊस अपना फैसला दे चुका हो फिर बहस कर सकता है ? मतलब की बात कहें तो सुनी जा सकती है ।

Mr. Speaker : Order, please.

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : यह मतलब की बात कहते हैं मैं आपके ज़रिए इन्हें समझाना चाहता हूँ ।

चीफ पार्लियमैंटरी सैक्रेटरी : मेरा point of order बड़ा सीधा सा है । क्या उस मौज़ू पर जिस पर बहस हो चुकी हो, final decision भी लिया जा चुका हो, दोबारा बहस हो सकती है ?

Mr. Speaker : When the matter has already been decided, it cannot be raised again.

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : कल तो non official day को official day बनाने के बारे में फैसला किया गया था । अगर जनाब को यकीन न आये तो कार्रवाई देख लीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : साफ साफ बातें हुई थीं (The whole matter was made clear.)

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : इनके दिमाग की हालत यह है ।

चीफ पार्लियमैंटरी सैक्रेटरी : On a point of order, Sir. क्या आप की ruling के बाद किसी मामले पर जिस का फैसला हो चुका हो दोबारा discussion हो सकती है, किसी आदमी को रियायत दी जा सकती है ?

Mr. Speaker: Let me hear what he wants to say.

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : मैं आप की खिदमत में यह अर्ज़ करना चाहता हूँ कि देश की सब असेम्बलियों ने पंडित जवाहर लाल जी के नागपुर में एक शख्स के चाकू के हमले से बच जाने पर उन्हें मुबारकबाद दी है । हमारे हाऊस के लीडर साहिब इस मतलब के लिये दो मिन्ट नहीं निकाल सके । उन के दिमाग की यह हालत है ।

Mr. Speaker: I am sorry this is irrelevant.

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : जनाब मैं ने तो उनकी बात का जवाब दिया है । वह ऐसी बातें करते रहें तो हम क्या करें ?

SITTING OF THE ASSEMBLY.

Minister for Development (Sardar Partap Singh Kairon) : Sir I beg to move—

> That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned till 2.00 P. M. on Monday, the 21st March, 1955.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned till 2 00 P. M. on Monday, the 21st March, 1955.

Mr. Speaker : Question is—

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned till 2.00 P. M. on Monday, the 21st March, 1955.

The motion was carried.

DEMANDS FOR GRANTS.
IRRIGATION.

Minister for Irrigation: (Chaudhri Lahri Singh) : Sir, I want to put forward one suggestion for your consideration. Demands Nos. 7, 8 and 9 are inter-related. I suggest that you may kindly allow the hon. Members to discuss these demands together. If this suggestion is accepted, I will move the motions in respect of these demands together.

Mr. Speaker : I have no objection.

Minister for Irrigation : Sir I beg to move—

That a sum not exceeding Rs. 1,47, 68,200 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1955-56 in respect of XVII—Irrigation—Working Expenses, 17-Interest on Irrigation Works for which Capital Accounts are kept and 18-Other Irrigation Expenditure financed from Ordinary Revenues.

That a sum not exceeding Rs. 1,44,23, 300 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1955-56 in respect of Irrigation Establishment charges.

That a sum not exceeding Rs. 7,11,69,300 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1955-56 in respect of 68-Construction of Irrigation Works (Capital Expenditure).

Mr. Speaker : Motions moved—

That a sum not exceeding Rs. 1,47,68,200 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1955-56 in respect of XVII-Irrigation-Working Expenses, 17-Interest on Irrigation Works for which Capital Accounts are kept and 18-Other Irrigation Expenditure financed from Ordinary Revenues.

That a sum not exceeding Rs.1,44,23,300 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1955-56 in respect of Irrigation Establishment Charges.

That a sum not exceeding Rs.7,11,69,300 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1955-56 in respect of 68-Construction of Irrigation Works (Capital Expenditure).

Mr. Speaker : I have received notices of the following cut motions in respect of Demands Nos. 7, 8 and 9. These will be deemed to have been moved and can be discussed along with the main motions.

DEMAND NO. 7

1. **Shri Wadhawa Ram.**
2. **Sardar Bachan Singh.**
3. **Sardar Darshan Singh.**
4. **Sardar Achhar Singh.**
5. **Sardar Chanan Singh.**

That item of Rs. 1,11,23,400 on account of A-1- Productive be reduced by Rs. 100/-.

6. **Shri Wadhawa Ram.**
7. **Sardar Bachan Singh.**
8. **Sardar Darshan Singh.**
9. **Sardar Achhar Singh.**
10. **Sardar Chanan Singh.**

That item of Rs. 2,17,000 on account of A-Extensions and Improvements (Provincial) be reduced by Rs. 100/-.

11. **Bakhshi Partap Singh.**

That item of Rs 29,65,600 on account of Grow More Food be reduced by Re. 1/-.

12. **Rai Raghuvir Singh.**

That item of Rs. 29,656,00 on account of Grow More Food be reduced by Re. 1/-.

13. **Shri Wadhawa Ram.**
14. **Sardar Bachan Singh.**
15. **Sardar Darshan Singh.**
16. **Sardar Achhar Singh.**
17. **Sardar Chanan Singh.**

That item of Rs. 23,10,800 on account of B-Navigation. Embankment and Drainage Works be reduced by Rs. 100/-.

18. **Shri Mool Chand Jain.**

That the demand be reduced by Rs. 100.

19. **Pandit Shri Ram Sharma.**

That the demand be reduced by Rs. 100.

20. **Maulvi Abdul Ghani Dar.**

That the demand be reduced by Re. 1.

21. **Chaudhri Maru Singh Malik.**

That the demand be reduced by Rs. 100.

22. **Sardar Partap Singh Rattakhera.**

That the demand be reduced by Re. 1.

23. **Shri Samar Singh.**

That the demand be reduced by Rs. 100.

24. **Shri Dharam Vir Vasisht.**

That the demand be reduced by Re. 1.

25. **Professor Mota Singh Anandpuri.**

That the demand be reduced by Re. 1.

26. **Shri Daulat Ram Sharma.**

That the demand be reduced by Rs. 100.

27. **Professor Sher Singh.**

That the demand be reduced by Re. 1.

28. **Shri Ram Sarup.**
That the demand be reduced by Rs. 100.
29. **Rao Gajraj Singh.**
That the demand be reduced by Rs. 100.
30. **Sadar Uttam Singh.**
That the demand be reduced by Re. 1.
31. **Shri Babu Dayal.**
That the demand be reduced by Rs. 100.
32. **Sardar Rajinder Singh Gyani.**
That the demand be reduced by Re. 1.
33. **Shrimati Parkash Kaur.**
That the demand be reduced by Re. 1.
34. **Shri Benarsi Dass Gupta.**
That the demand be reduced by Rs. 10.

DEMAND NO. 8

1. **Shri Mool Chand Jain.**
That the demand be reduced by Rs. 100.
2. **Maulvi Abdul Ghani Dar.**
That the demand be reduced by Re. 1.
3. **Shri Wadhawa Ram.**
4. **Sardar Bachan Singh.**
5. **Sardar Darshan Singh.**
6. **Sardar Achhar Singh Chinna.**
7. **Sardar Chanan Singh Dhut.**
That the demand be reduced by Rs. 100.
8. **Shri Babu Dayal.**
That the demand be reduced by Rs. 100.
9. **Shri Rala Ram.**
That the demand be reduced by Re. 1.
10. **Rai Raghuvir Singh.**
That the demand be reduced by Re. 1.
11. **Chaudhri Maru Singh Malik.**
That the demand be reduced by Rs. 100.
12. **Shri Hari Ram.**
That the demand be reduced by Re. 1.
13. **Professor Sher Singh.**
That the demand be reduced by Re. I.
14. **Rao Gajraj Singh.**
That the demand be reduced by Rs. 100.
15. **Shri Ram Sarup.**
That the demand be reduced by Rs. 100.
16. **Sardar Ajmer Singh.**
17. **Sardar Sarup Singh.**
18. **Sardar Shamsher Singh.**
That the demand be reduced by Re. 1.
19. **Shri Benarsi Dass Gupta.**
That the demand be reduced by Re. 100.

DEMAND NO. 9

1. **Shri Mool Chand Jain.**
That the demand be reduced by Re. 100.

2. **Maulvi Abdul Ghani Dar.**
That the demand be reduced by Re. 1.

3. **Shri Wadhawa Ram.**
4. **Sardar Bachan Singh:**
5. **Sardar Darshan Singh.**
6. **Sardar Achhar Singh Chhina.**
7. **Sardar Chanan Singh.**
That the demand be reduced by Rs. 100,

8. **Shri Samar Singh.**
That the demand be reduced by Rs. 100.

9· **Rai Raghuvir Singh.**
That the demand be reduced by Rs. 1,

10. **Chaudhri Maru Singh Malik.**
That the demand be reduced by Rs. 100.

11. **Sardar Khem Singh.**
That the demand be reduced by Rs. 10.

12. **Rao Gajraj Singh.**
That the demand be reduced by Rs. 100.

13. **Shri Sadhu Ram.**
That the demand be reduced by Rs. 100.

14. **Shri Babu Dayal.**
That the demand be reduced by Rs. 100.

15, **Sardar Ajmer Singh.**
16. **Sardar Sarup Singh.**
17. **Sardar Shamsher Singh.**
That the demand be reduced by Rs. 100.

18. **Shri Benarsi Dass Gupta.**
That the demand be reduced by Re. 100.

ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ (ਅਜਨਾਲਾ) : ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ! ਪੰਜਾਬ ਦੀਅ ਨਹਿਰਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ । ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਨਹਿਰੀ system ਐਸਾਂ defective ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਨਤਾ ਬੜੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਆਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਾਂ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲੇ ਹੋਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕਈ ਆਦਮੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਹੋ ਆਏ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਥੀ Official Benches ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹੋ defective system ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ Revenue ਦਾ source ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਅਸਲ ਵਿਚ ਨਹਿਰਾਂ Public utility ਲਈ ਹੋਣੀਅ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵਧਾ ਵਧਾ ਕੇ revenue ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪੈ interest ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ capital ਕਰੀਬਨ 48 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਦਾ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ interest charge ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ। ਜਦੋਂ

Partition ਹੋਈ ਤਾਂ Capital ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜਾ ਸੀ । ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹੋ policy ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਖੀ ਹੈ । ਇਹ ਵੱਡੇ ੨ ਦਾਵ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਾਂ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ irrigated area ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, foodgrains ਦੀ production ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਹੁਤ prosperity ਆ ਰਹੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਕੁਝ ਮਸਾਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ Irrigation Minister ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਇਕ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ । ਕਲ ਵੀ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿਚ ਬੜੇ ਕਾਹਲੇ ਪੈ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ general way ਵਿਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਮਸਲਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ Opposition ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਉੱਜਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਦਾ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮੁਤਫਿਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਇਕ ਇਕ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ । ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ irrigated area ਜ਼ਰੂਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ । ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ 4-5 cusecs ਫੀ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਘਟਾ ਕੇ $3\frac{1}{2}$ cusecs ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ । ਹਾਂ ਆਬਿਆਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਾ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਧਿਆ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਾਦ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਘਟ ਚੁਕੀ ਹੈ ਕਪਾਹ ਦਾ area ਜ਼ਰੂਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ । ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਲੁਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹਨ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਵਢ-ਵੱਤਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਦਿਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸਦੇ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜ਼ਰਾ ਵੇਖੋ । ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਢ-ਵੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਲਿਆਉ ਅਰਜ਼ੀ ਉਸ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਦਿਤਾ 'ਰੌਣੀ' । ਅੱਜ ਕਲ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ B. class ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ A class ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਲਿਆ ਤੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ A class ਕਰ ਦੇਈਏ । ਉਸਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਪਰ A class ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਲੇਕਨ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹੋ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । 'ਵਢ-ਵੱਤਰ' ਅਤੇ 'A class' ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ।

ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫਸਲ ਵੱਤਰ ਵਿਚ ਬੀਜੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 'ਰੌਣੀ' ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਛੋਲਾ ਹੈ । ਉਸਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ । ਬਾਦ ਵਿਚ ਉਸ ਵਿਚ ਛੋਲੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਢ-ਵੱਤਰ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਲੁਟਣ ਦਾ ਇਕ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ।

ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਣੇ ਅਤੇ ਗੋਹੂੰ ਉੱਤੇ ਆਬਿਆਨਾ ਘੱਟ

[ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ]

ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ instructions ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ 'ਆਲ੍ਹਾ' ਫਸਲ ਤੇ ਆਬਿਆਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ 'ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਫਸਲਾਂ' ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਵਿਚ ਸਰ੍ਹਿਉਂ ਬੀਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਆਬਿਆਨਾ ਲਗਾਉਣ ਵੇਲੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗੇ। ਕੋਈ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ representation ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਫਸਰ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਧਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿਉ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਗ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਨ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਾਵੇਲਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਚਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲਾਂ ਸੁਨਣ ਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁਲ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲੁਟਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸਤੋਂ ਬਾਦ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲੁਟਣ ਦਾ ਚੋਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਤਾਵਾਨ ਦਾ । ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਰਾਹੀਂ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ! ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ 'ਤਾਵਾਨ' ਹੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਨਹਿਰਾਂ ਖੋਦਨ ਵੇਲੇ ਪਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬੇਲਦਾਰ S. D. O. ਦੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਸ਼ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਜਦ ਇਸ ਅਨਗਹਿਲੀ ਨਾਲ ਕੋਈ breach ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ cut ਬਣਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਤਾਵਾਨ ਲਗਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਠੋਸ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਬਨੋਇ ਦੀ ਜ਼ਿਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕਲੋਂ ਤਾਵਾਨ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ breach ਨੂੰ cut ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੇਲਦਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬਿਚਾਰਾ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਵੇਲਾ ਮਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੇਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ Engineering Department ਤੋਂ ਅਲੱਗ independent ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟਣ ਦਾ ਇਹ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਜੋ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਤਾਵਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਦੇ ਬੜੇ ਹਾਕਮਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਚ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਉ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਾਸ ਅਪੀਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਉਸ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਇਕ ਵਜ਼ੀਰ ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਸੇ ਛੀਨਾ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਭੁਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਰਖਿਆ ਸੀ।

ਇਸਤੋਂ ਬਾਦ ਮੈਂ Betterment Charges ਵਲ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ । ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Betterment Charges ਲਗਾਏ ਸਨ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ

ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਦ ਉਸਦੀ ਕਿਸਮ ਬਦਲੀ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਪੁਰ advance water rate ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਆਬਿਆਨਾ, ਫਿਰ advance water rate ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ Betterment charges ਲਗ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹਿਸਾਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਸ ਪੁਰ ਵੇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਇਸ Betterment fee ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਦੀ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਆਵੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ betterment charges ਵੀ ਦਿਉ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛਿਪੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਪੁਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸਦਾ 45% ਰੁਪਿਆ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦੀ ਵਿਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸਾਂ ਪੁਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ-ਅਹਿਲੀ ਅਤੇ ਗ਼ਫ਼ਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਭਾਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਦੇਣ? ਫਿਰ betterment eharges ਕਿਸ principle ਪੁਰ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ unearned ਕੀਮਤ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਹਿਲੋਂ ਦੋ ਸੌ ਰੁਪਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕੀਮਤ ਚੂੰਕਿ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾਲ ਚਾਰ ਸੌ ਰੁਪੈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ betterment charges ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿਉ। ਇਹ ਕੀ ਮਖੌਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਦੋ, ਚਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁਰ ਹੈ ਉਹ betterment fee ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਜਿਹੜੀ income ਹੀ unearned ਹੈ ਉਸਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਪੜੇ ਲਾਹੁਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਗਾਉ। ਬੇਸ਼ਕ ਮੋਟੇ ਢਿੱਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਲਾਉ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੁਟੀ ਹੋਈ ਕਮਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਨਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਜੇ ਇਹ ਹਾਲਤ ਰਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ warn ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਹ tax ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਇਕ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਪੁਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉ ਜਿਹੜੇ tractors ਤੀਕਰ ਖਰੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਹਿਮ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਉ। ਸ ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 80 ਫੀ ਸਦੀ ਛੋਟੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ taxes ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ drainage ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਪੁਰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਵੇਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਸੂਰ ਨਾਲਾ ਦੇ ਬਨਾਉਣ ਪੁਰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ ਖਰਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ 5, 6, 7 ਜਾਂ 8 ਮੀਲ ਦੂਰ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਖਰਚਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 20 000 ਰੁਪਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲੇ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ

[ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ]

ਕਿ ਆਖਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ taxes ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹਨ ਉਹ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚ ਤੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਜੇਹੜੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਨਾਲੇ ਹੋਣ ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਆਪੇ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖਰਚਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਾਣਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜ਼ਿਦ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਤਾਵਾਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ departments ਕਿਤਨੇ efficient ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿਚ ਕਿਤਨੀ co-ordination ਅਤੇ co-operation ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮੁਰੱਬਾਬੰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਵੇਂ ਮਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦੇ department ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁਰੱਬਾਬੰਦੀ ਹੋ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੁਰੱਬਾਬੰਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਹਿਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਹਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਨਹਿਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ; ਚਕਬੰਦੀ ਤਾਂ ਸੰਨ 1911-12 ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਨਹਿਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ revenue records ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹਿਰੀ ਹੈ ਪਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਿਜੀ ਚਕਬੰਦੀ ਤਾਂ 1911-12 ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਛਿੱਛਰਵਾਲ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਕਿਤਨੇ ਸੌ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਅੱਠ ਦਸ ਕਨਾਲ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨਹਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਰੱਬਾਬੰਦੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ co-ordination .

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਧਰੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ allot ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਕਰਕੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਹੁਣ ਨਹਿਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਵਾਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁਛਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਣ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁਟ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਚ ਮੁਚ ਦਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਿਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਇਸ ਲੁਟ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਸਨ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਕੇ Irrigation Department ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ refugees ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹਿਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਬੜੀਆਂ demonstrations ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਵੀ ਆ ਕੇ demonstration ਕਰਨੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ

ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੁਕ ਗਏ ਹਨ ਇਥੇ 141 ਦਫਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਹਿਰ ਦਾ department ਕਤੱਈ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

सिंचाई मन्त्री : वह तो बड़ा जाग रहा है।

ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ : ਹਾਂ ਉਹ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣੇ ਹੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਦਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ।.........

सिंचाई मन्त्री : On a point of order, Sir. किसी ने जो अभी कहना है वह यह पहले कैसे कह सकते हैं। यह कैसे बताया जा सकता है कि किसी का क्या attitude होगा। This should not be allowed.

अध्यक्ष महोदय : आप इस तरह न करें। यह तो उनको भी पता है कि आप ने क्या कहना है और आप को भी पता है कि उसका जवाब उन्हों ने क्या देना है। (You should not do like that. In that way he knows what you have to say and you also know what reply he has to give.)

ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ oppositions ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਉਹ.........

Mr. Speaker : The hon. Member's time is over.

श्री रला राम (मुकेरियां) : अध्यक्ष महोदय ! पंजाब को बजा तौर पर अपने Engineers पर और अपने नहर के महकमे पर फ़खर है। अपने engineers की बदौलत और नहर के महकमे की बदौलत पंजाब में पहले जो कमी थी अब वह अन्न के लिहाज़ से बचत का सूबा हो गया है। अब यहां अनाज surplus होता है। इस कारनामे के लिए मैं अपने नहर के महकमे को और उन अफसरान को जिन्होंने दिन रात एक कर के सूबा को आगे ले जाने के लिए काम किया है बधाई देना चाहता हूँ। (एक आवाज़-और वज़ीर साहिब को) और हमारे सिंचाई मन्त्री ने जब से इस विभाग का charge संभाला है कौन व्यक्ति है जो इस बात से इनकार कर सके कि वह भी रात दिन इसी फिक्र में रहे हैं कि यह सूबा अन्न की पैदावार में इतना बढ़ जाए कि सारे हिन्दुस्तान की सेवा कर सके। आज नहरों का जो जाल पंजाब में बिछाया जा रहा है नंगल भाखड़ा को तो छोड़िये क्योंकि उन का इस demand से ताल्लुक नहीं है और सिंचाई द्वारा जो इस सूबा को सरसबज़ बनाया जा रहा है उस से सारी दुनिया भी परिचित है। एक सज्जन ने यह एतराज़ किया है कि बाज़ दफा नहरों का महकमा यह प्रयत्न करता है कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा जहां तक लेजाया जा सके ले जाया जाए यानी इस की जो mileage हो उस को बढ़ा दिया जाए और इस के नतीजे के तौर पर जो ज़िमींदार हैं उन को पानी कम मिलने लगा है। यह ठीक है कि पानी की मिक्दार उतनी नहीं बढ़ाई जा सकती जितनी कि हम इन तीनों दरियाओं से बढ़ा सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, यह

[श्री रला राम]

international समस्या बन चुकी है और इस पर International Bank विचार कर रहा है। जब इस समस्या का हल हो जाएगा तो यह पानी की मिक्दार और नहरों की mileage भी बढ़ जाए गी। यह mileage जो बढ़ गई है अध्यक्ष महोदय, यह तो इनकार नहीं किया जा सकता कि इस से फायदा जो है वह ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के number को मिल जाएगा। इस सिलसिला में किसी ने कहा है Thou shalt judge the tree by its fruit.

जब हम किसी भी चीज़ से हुए फायदा का अन्दाज़ा लगाएं तो हम देखें कि उस चीज़ से ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोगों को लाभ होता है। इसी तरह जब हम ने इन नहरों से हुए फायदे का अन्दाज़ा लगाना है तो हम देखते हैं कि इस सिंचाई से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा पहुँचाने का प्रयत्न किया गया है। आखिर यह चीज़ अन्न की पैदावार बढ़ाने में काफी हद तक सफल हुई है। यह बात ठीक है कि महकमा नहर को चाहिए कि पानी की मिक्दार जो हो वह ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा कर उतनी कर दी जाए जितनी कि पहले ज़मीदारों को मिलती थी उससे कम न हो। जहां तक नहरों की mileage का सम्बन्ध है मैं समझता हूँ कि हम इस बात में हक बजानब होंगे यदि हम सिंचाई मन्त्री और महकमा नहर को बधाई दें। अध्यक्ष महोदय, इस महकमे की working में कुछ नकायस भी है। जब हम देखते हैं कि यह महकमा किस तरह से काम कर रहा है तो इस से भी हम आंखें बन्द नहीं कर सकते। मैं यह बात तसलीम करता हूँ। जब मैं अपने हलके में जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वहां जो महकमा नहर के अफसरान हैं जहां तक उन का ताल्लुक है वह हमेशा यह प्रयत्न करते हैं कि corruption को बन्द किया जाए। कम अज़ कम उन की तरफ से भ्रष्टाचार को घटाने का प्रयत्न किया गया है परन्तु इस बात में जो सफलता हुई है अध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा अपने मन्त्री महोदय तक यह बात पहुँचाना चाहता हूँ कि सफलता इतनी ज़्यादा नहीं कि उस के लिए जनता भी आवाज़ उठा सके कि वाकयई इस में कुछ फर्क पड़ गया है। उन्हें इस तरफ भी ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत से ज़मीदारों की यह शिकायत है कि उन की खेतियों को नहर का पानी नहीं लगा लेकिन फिर भी उन पर आबयाना लगा दिया गया है। जब मैं अपने हलका में गया तो मेरे पास बहुत से ज़मींदार ऐसे आए जिन्होंने यह बताया कि हमें पटवारियों ने कहा है कि उन्हें हिदायतें मिली हैं कि जहां तक हो सके हम आबयाने को बढ़ाएं ताकि यह पहले से बढ़ जाए। अध्यक्ष महोदय उन्होंने बगैर सोचे समझे आबयाना लगाया है इस लिए गरीब किसानों के साथ सख्ती हुई है। चुनाचे जो हमारी District Advisory Committee बनी हुई है मैं ने यह प्रश्न उस के अन्दर उठाया था और इस का अभी तक कोई हल नहीं निकल सका। जहां तक नहरी इलाके का ताल्लुक है ज़मीदार भी सच्चाई छिपाने की कोशिश करते हैं। हम यह चाहते हैं कि कोई भी case छिप न सके और हम उन के लिये कभी कहने को तैयार नहीं है जो deserving cases न हों। लेकिन अध्यक्ष महोदय, एक या दो गांवों में भी अगर इस तरह से आबयाना लग जाये तो सारे इलाके में हाहाकार मच जाती है। मैं अपने मन्त्री महोदय का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि जब यह policy उन की नहीं है तो अफसरान जो हैं उन्हों ने भी हुकम नहीं दिया होगा। परन्तु जो छोटे अफसर हैं उन की तरफ से यह बात कही गई

होगी। मैं यह गवर्नमेंट से कहता हूं कि यह उस की prestige को lower करने वाली बात है।

इस किस्म के cases मेरे इलाके में हुए हैं। मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी चीज़ छुपाने की कोशिश करता है तो उसे सख्ती के साथ निकालें और आबयाना लें। इस से जनता में कोई असन्तोष नहीं होगा। मगर अगर कहीं ज़मीन ऊंची है, पानी लगा ही नहीं तो अगर ऐसी सूरत में आबयाना लगा दिया जाता है तो वहां असन्तोष बजा तौर पर होता है। इस किस्म के वाकयात हुए हैं जिन्हें रोका जाए।

जहां तक corruption का ताल्लुक है यह subordinate staff में कम नहीं हुई। अभी एक सज्जन ने पुलिस का ज़िक्र किया। मैं यह कह सकता हूं कि जहां तक पुलिस का ताल्लुक है जनता feel करती है कि आगे से कुछ फर्क है। मगर नहर के subordinate staff के मुतअल्लिक शोक से कहना पड़ता है कि अभी जनता इस के मुतल्लिक यह नहीं feel करती कि इस में कोई फर्क है। अब जब कि यहां लोकतन्त्र है आम लोगों में यह feeling होनी चाहिए कि इन लोगों में पहले से फर्क है। इस वक्त दो ही ऐसी जमातें हैं, दो ही किस्म के ऐसे लोग हैं जिन के रवैया में अभी तक कोई फर्क नहीं आया। पटवारी, कानूनगो छोटे Civil अफसर और नहर के महकमे के अमले में अभी तक ऐसा फर्क नहीं आया जिसे जनता appreciate कर सके। अध्यक्ष महोदय मेरे अपने नोटिस में ऐसे cases आए हैं। अभी मैं इन का ज़िक्र Assembly के Floor पर नहीं करना चाहता और न ही मैंने यह मन्त्री महोदय के नोटिस में लाए हैं क्योंकि मैं believe करता हूँ कि पहले केस immediate officer concerned के पास ले जाया जाए। मै कुछ बातें उन के नोटिस में लाया हूं हम देखेंगे कि क्या कार्यवाही होती है? Cases कुछ इस किस्म के हैं। एक जगह पर नावाजिब तौर पर खराबा दिया जाता है। चुनांचि किस्मत कुछ ऐसी कि वहां Executive Engineer आ गए। इस नाजायज़ बात को छुपाने के लिए रात रात में गैस light में उस फसल को कटवाया गया जिस का नावाजिब खराबा लिया गया था ताकि वह उन के अफसर के नोटिस में न आ सके। तो मै कहना चाहता हूँ कि इस किस्म की corruption अभी बहुत है। ऐसी बातों से हमें आंखें बन्द नहीं करनी चाहिएं। जब हम अपने हलके में जाते है तो लोग कहते हैं कि बाकी सब बातें अच्छी हैं मगर यह staff कांग्रेस हकूमत को बहुत ही बदनाम कर देगा। इन बातों के रुकने से महकमें में रिश्वत काफी हद तक रुक जाएगी और यह एक बड़ी भारी achievement होगी। यह ठीक है कि मन्त्री महोदय और Chief Engineer साहिब बड़ा प्रयत्न करते हैं। इस दिशा में सुधार करने के लिये। मैं उन को वहां ले गया। उन्हों ने अमले को डांटा भी मगर उन के बरताव में change नहीं आई।

जहां तक मेरे हल्के से शाह नहर का ताल्लुक है अकसर ज़मींदारों को यह शिकायत रहती है कि उन को काफी पानी नहीं मिलता। यह ठीक है कि अब रेह के अन्दर पक्का हैड बनना मन्ज़ूर हो गया है और अगली पांच वर्षीय योजना में इस की मन्ज़ूरी दी है, नई नहरें निकालेंगे जिन से होशियारपुर और दसूए की तहसीलों को फायदा पहुंचेगा, और इसी तरह के जो सिंचाई के प्रयत्न हमारे मन्त्री महोदय कर रहे हैं उस के लिए मैं उन का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। और शाह नहर के बारे में ज़मींदार एक बात को बड़ा महसूस करते हैं। जिस वक्त धान लगाना होता है

[श्री रला राम]

उस वक्त उन्हें पानी काफी मिकदार में नहीं मिलता जितना कि मिलना ज़रूरी है । इस बारे में एक बात यह कहना चाहता हूं कि शाह नहर के इलाके का मुकाबिला अमृतसर और फिरोज़पुर के इलाके से न किया जाए। दोनों ज़मीनों में फर्क है। हमारी ज़मीन के तीन फुट नीचे पथरीली surface आ जाती है इस वजह से इस के लिए पानी की खासी मिकदार में ज़रूरत होती है और अगर इस इलाके को गुरदासपुर और अमृतसर के इलाके से मापें तो यह इस इलाका के ज़मींदारों के साथ बेइनसाफी होगी। चुनांचि कई गांवों में चावल की फसल नहीं लगाई जा सकी हालांकि इन गांवों में हज़ारों मन चावल पैदा होता है मगर चूंकि पानी ठीक मिकदार में नहीं मिला इस लिए यहां के ज़मींदारों का बड़ा नुकसान हुआ क्योंकि यहां chief crop धान ही है। अगर ज़िमींदारों को वक्त पर पानी नहीं मिलता तो नतीजा यह होता है कि ज़िमींदार इस बड़ी फसल से महरूम रह जाते हैं जो कि उन के गुज़ारे का आधार है। उन बेचारों के पास गुज़ारे का दूसरा तरीका बाकी नहीं रह जाता। इस लिए इस बात का कुछ प्रबन्ध किया जाना चाहिये। यह ठीक है कि हैड पक्का होने से शायद उन को पानी ठीक तरह मिलने लगे। फिर जब कभी flood आ जाता है तो channel, silt up हो जाती है जिस के लिए कोई विशेष प्रबन्ध करना चाहिए। जिन बातों का ज़िक्र मैं ने किया है उन की ओर मैं मन्त्री महोदय से विशेष ध्यान देने की प्रार्थना करूंगा। पंजाब की खुशहाली और वैभव का सम्बन्ध ऐसी ही बातों पर निर्भर है। आज जो तरक्की हमें अपने सूबे में नज़र आ रही है इस का श्रेय इसी महकमे को है जिस की बदौलत आज हम अपनी ज़रूरतें पूरी करते हुए हिन्दुस्तान के एक बड़े हिस्से की पानी की ज़रूरतों को भी पूरा कर पाए हैं और पंजाब के अन्दर जो खुशहाली के चिन्ह नज़र आ रहे हैं उस के लिए यश इसी महकमे को है। नहरों के ज़रिए या Tube-Wells के ज़रिये जो सिंचाई का काम पंजाब में किया गया है उस के लिए मन्त्री महोदय को बधाई देता हूं और प्रार्थना करता हूँ कि नहरों और Tube-Wells के इलावा भी जो प्रबन्ध हुशियारपुर ज़िला में हो सकते हैं वह किए जाए। आप के नोटिस में यह बात लाई गई थी कि बालाचौर, माहिलपुर आदि ग्रामों में lift irrigation से लोगों को फायदा पहुंचाया जा सकता है। मगर अभी इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया जिस से ज़िमींदारों की फसलों को सिंचाई द्वारा फायदा पहुँचाया जा सकता। इस दिशा में प्रयत्न किया जाना चाहिए।

अन्त में मैं मन्त्री महोदय को उन की achivements के लिए हार्दिक बधाई देता हूँ।

ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਰੱਤਾਖੇੜਾ (ਮਲ੍ਹਾਂ ਵਾਲਾ) : ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਗਰ ਇਹ system ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ ਤੌਰ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ public ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮਗਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਹੈ, Peoples Government ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ system ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਖ ਸੁਖ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਦੇ ਹੋਏ, ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ Irrigation ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਵਲ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਕੁਝ suggestions ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ! ਵਢ-ਵਤਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ Opposition ਦੇ ਕਾਬਲ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਛੇੜੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਜ਼ਾਹਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ । ਮੈਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ।

ਕਿਸਾਨ ਖਰੀਫ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੜੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਫਸਲ ਜਦੋਂ ਕਟ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਵੱਤਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਵੱਤਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋੜ ਪਏ ਤਾਂ ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਕਈ ਵੇਰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਬਾਰਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਤਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਵਢ-ਵੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਕਿਸਾਨ ਵਢ-ਵੱਤਰ ਲਈ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ । ਪਰ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਪਰੋਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਆਉ ਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਆਬਪਾਸ਼ੀ ਦਾ ਰਕਬਾ ਵਧਾ ਕੇ ਦੱਸੋ । ਉਹ ਨਹਿਰ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ 'ਰੌਣੀ' ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ । ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਲੈਣ ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੌਣੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਫਿਰ ਕੁਝ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਪਰਚੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਢ-ਵੱਤਰ ਤੇ ਆਬਿਆਨਾ ਲਗਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਆਬਿਆਨੇ ਦੀ ਮਾਫੀ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਦਰਖਾਸਤ ਜਿਸ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ ਪਾਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਚੁਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਉਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਆਬਿਆਨਾ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਕ ਕਤਰਾ ਵੀ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਹੋਵੇ । ਨਹਿਰ ਦਾ ਆਬਿਆਨਾ ਖਰੀਫ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਢ-ਵੱਤਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਪਰ ਆਬਿਆਨਾ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਆਬਿਆਨਾ ਵਸੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਵਲ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ Irrigation ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ।

ਦੂਜੀ ਅਰਜ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਸ਼ਮਾਹੀ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਧਵਾਂ ਨਹਿਰ ਜੋ ਮੋਗਾ, ਜ਼ੀਰਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਗਰਾਉਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ । ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ । ਕਈ ਵੇਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ । ਇਥੇ ਬਹੁਤ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਢ-ਵੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਬਿਆਨਾ ਲਗਾਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਮੇਰੀ, ਇਸ ਲਈ, ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿਧਵਾਂ ਨਹਿਰ ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਨ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ।

ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਉਹ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮੇਰੇ Opposition ਵਚ ਬੈਠੇ ਕਾਬਲ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੰਦਮ ਖਾਲਸ ਤੇ ਚਣੇ ਖਾਲਸ ਦੀ ਫਸਲ ਤੇ ਆਬਿਆਨੇ ਦੀ

[ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਰੱਤਾਖੇੜਾ]

ਕਮੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਸੋਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਜ਼ਰਾਇਤ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਾਕਫ਼ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਸਰਸੋਂ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ 1 ਜਾਂ 2 ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਗੰਦਮ ਨੂੰ 3–4 ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਸ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਲਗਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਆਬਿਆਨਾ ਵੱਧ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਰਸੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਚਾਰੇ ਲਈ ਕੱਟ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਬਿਆਨਾ ਪੂਰਾ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ! ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੱਕੀ ਦਾ ਚਾਰਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਬਿਆਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ½ ਤੇ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਦ ਬੀਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਬਿਆਨਾ ਪੂਰਾ। ਮੈਂ ਅਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਕਈ ਪਕਾਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਚਾਰਾ, ਜੋ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਦ ਬੀਜੀ ਜਾਵੇ ਆਬਿਆਨੇ ਵਿਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਫ਼ਿਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾਇਤ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰਾਇਤ ਦੇ ਵਾਕਫ਼ ਤੋਂ ਪੁਛੋ। ਜੇਕਰ ਮਕਈ ਦਾ ਚਾਰਾ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਬੀਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਆਬਿਆਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ। ਚਾਰਾ ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਵੀ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

(चौधरी लहरी सिंह : अच्छा।)

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰਾਇਤ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁਛੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮਕਈ ਦਾ ਚਾਰਾ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਵੀ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਮਈ ਵਿਚ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਮਕਈ ਦੇ ਚਾਰੇ ਤੇ ਆਬਿਆਨਾ ½ ਹੈ ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪੂਰਾ। ਫ਼ਸਲ ਇਕੋ ਹੈ, ਚਾਰਾ ਇਕੋ ਹੈ ਪਰ ਆਬਿਆਨੇ ਵਿਚ ਇਕ ਤੇ ਰਿਆਇਤ ਹੈ ਦੂਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਆਬਿਆਨੇ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਇਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਖਾਹ ਕਿਸੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜੀ ਜਾਵੇ ਅਰ ਪਕਾਵੀਂ ਨਾਲੋਂ ਚਾਰੇ ਤੇ ½ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਭੁਲ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਸ਼ਮਾਹੀ ਨਹਿਰਾਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਨਹਿਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਬਾਦ ਜਿਥੇ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜੀ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਆਬਿਆਨਾ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਦ ਤੇ ਉਹ ਵਢ-ਵੱਤਰ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਰਸਤਾ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਫ਼ਸਲ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਦ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਬੀਜੀ ਜਾਵੇ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਆਬਿਆਨਾ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਲੇਟ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਆਬਿਆਨਾ ਬਚਾ ਲੈਣਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਫਸਲ ਨੂੰ ਲੇਟ ਬੀਜਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ 4–5 ਮਣ ਫ਼ੀ ਘੁਮਾਉਂ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ 3–4 ਰੁਪਏ ਆਬਿਆਨਾ ਭਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤਰੀਕਾ fool proof ਹੈ ਅਤੇ corruption proof ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।

4 p.m. ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ,ਇਕ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਲ ਮੈਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੁਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ agreement ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਚਾਰ ਗੁਣਾਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 80 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਪਾਣੀ misuse ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਗੇ ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ discharge ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੋਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦਿਤਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਗ਼ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਰੀਪੋਰਟ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ misuse of water ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਨਹਿਰ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ misuse ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ । ਕਾਇਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ agreement ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ, ਮੈਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ agreement ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੁਖਦਾਇਕ agreement ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਾਇਮ ਰਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸਿਰਫ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਗੇ । ਤਹਿਸੀਲ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਚ ਢਿੱਲੂ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ Abohar Branch ਦਾ ਡੰਗਾ ਖੇੜਾ minor ਸੈਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਇਕ ਵਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ 50 ਏਕੜ ਬਾਗ਼ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬਾਗ਼ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਾਗ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਂਦਾ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਗੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਲੋਂ ਇਹ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ discharge ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉੱਧਰ ਪਾਣੀ ਬਾਗ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦਿਤਾ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਬਣਿਆਂ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਇਸਦੇ ਮੋਘੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ check ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲਗੇ ਕਿ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ discharge ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਗਰ ਪਤਾ ਉਸ ਵਕਤ ਲਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਕ ਵਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਬਾਗ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਸੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ discharge ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬੰਜਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕਰਨ।

[ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਰੱਤਾਖੇੜਾ]

ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ corruption ਬਹੁਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਸ ਬੋਰਡ ਵਿਚ official ਤੇ non-official members ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਬੋਰਡ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰੇ। ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚ ਉਹ ਹੀ ਮਹਿਕਮਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦੀ ਹੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੋਰਡ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

मौलवी अब्दुल ग़नी डार (नूह) : स्पीकर साहिब, बारिश बड़ी ही रहमत है अगर वह वक्त पर हो। और बे-वक्त की बारिश जिस को सारी दुनिया रहमत कहती हैं ज़हमत हो जाती है और बरबादी का बाइस बन जाती है। नहर का महकमा किसानों के लिए बड़ी भारी रहमत है। जहां जहां आबपाशी होती है यकीनन वह सब जगह बरकत का बाइस है और पंजाब की तरक्की का बाइस है। अच्छे engineers, काबिल engineers भी यकीनन उन के लिए मुबारिक बाद के मुसतहिक़ हैं लेकिन, स्पीकर साहिब, जिन ज़िलों में बारिश की बरकत नहीं पहुंचती वे यूं समझते है जैसे एक गरीब घराना यूं समझता है कि सारी दुनिया भूखी मर रही है। मैं आप की विसातत से अपने फ़ाज़िल Minister साहिब को यह अर्ज़ करना चाहता हूँ कि गुड़गावां के ज़िला ने क्या गुनाह किया हुआ है। गुड़गावां ने आफ़िशल पार्टी का ज़बरदस्त साथ दिया। राओ गजराज सिंह ने मिनिस्टरों से यह कह कर बात बन्द कर दो, कि गुड़गाओं को हम पंजाब से अलग कर के दिल्ली के साथ मिलाना चाहते हैं। उन की हालत तो उस जाट की तरह है जो एक थानेदार को दाने साफ़ करके दे रहा था ! जब थानेदार को एक तार वसूल हुआ कि उस की तबदीली हो गई है तो यह सुनते ही झट उस जाट ने वह दाने अपने मुंह में डाल लिए और ख्याल किया कि यह थानेदार फिर यहां नहीं आएगा। तो मैं अपने मोहतरिम दोस्त राओ गजराज सिंह साहिब से पूछता हूँ कि उन्हें ने वज़ीर साहिब को दाने खिलाने की क्या ज़रूरत है जब वे पंजाब से अलग होना चाहते हैं।

स्पीकर साहिब, मैं तीन वर्ष से सुनता आया हूँ कि गुड़गावां में नहर नहीं जा सकती—रिवाड़ी तहसील जो बहुत बड़ी तहसील है वहां भी नहर नहीं जा सकती--तहसील फ़िरका और नूह को पानी नहीं मिल सकता मैं यह मुदत से सुनता आ रहा हूँ। आज गनीमत है कि एक दफ़ा तो कहा कि यू. पी. सरकार ने एक करोड़ 15 लाख की ढारस गुड़गांव ज़िला को बन्धाई है। दूसरी तरफ बन्द बान्धों का ज़िक्र किया। बजट के 296 सफ़ा पर बान्ध का ज़िक्र करते हुए only possible means के अलफाज़ इस्तेमाल किए है आठ बान्ध पहले बने और आठ और बनने हैं। लफ़्ज़ 'only' की

तरफ राओ साहिब को जो गुड़गांव के मैम्बर है खास तवज्जुह देनी चाहिए। स्पीकर साहिब वह नहर शायद जाएगी या न जाएगी उस में दो तीन तहसीलों और नूह को छोड़ दिया गया है। तीन चार दिन हुए मिनिस्टर साहिब ने फरमाया था कि गुड़गांव में हम इस लिए वह तजरुबा नहीं कर पाये क्योंकि ख्याल था कि Tubewell लगाने से 20/22 हज़ार रुपया ज़ाया हो जाएगा।

Minister for Irrigation : It is mis-statement of facts.

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : यह मज़े की बात है कि नौ लाख की आबादी तड़प रही हो और परेशान हो और मिनिस्टर साहिब यह कहें कि ट्यूबवैल मुनाफा पर शायद चले या न चले इस लिए 20/22 हज़ार रुपया सर्फ कर के तजरुबा करना फज़ूल बात है

सिंचाई मन्त्री : ज़रा इज़ाजत दें, तो मैं position explain करदूं। मैंने कहा था कि exploratory tubewells का खर्च Government of India बरदाशत करती है। हम चाहते थे कि exploratory tubewells अगर कामयाब न हों तो Central Government उन का खर्च बरदाशत कर लें। यह नहीं कि हम नहीं देना चाहते।

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : नाक को दाएं हाथ से पकड़ा जाए या बाएं से इस से कोई फर्क नहीं पड़ता इस तज़वीज़ पर इस लिए अमल नहीं किया गया कि पता नहीं फायदा होगा या नुक्सान। नहर की तज़वीज इस लिए रुकी थी कि जा नहीं सकती, tubewells की इस लिए रोक दी गई कि हिन्द सरकार तजरुबा करेगी कि नफा होता है या नुक्सान--वह जो 9 लाख दिया गया है इस तरह से दिया है जिस तरह बाकी ज़िलों को दिया है।

मैं आप के द्वारा सरकार से गुज़ारिश करना चाहता हूँ कि गुड़गांव से इनका सलूक निहायत गलत है इसी लिए वहां के मैम्बर साहिबान राओ गजराज सिंह और दूसरे गुड़गांव को अलहदा कर के पंजाब को बरबाद करना चाहते हैं। यह हमारे वज़ीर साहिब की बरकत है। इस लिए मैं इन्हें बधाई देता हूँ कि अगर पंजाब को कोई नुक्सान हुआ तो वह इन की वजह से होगा।

अध्यक्ष महोदय : हाऊस में राओ गजराज सिंह ने इस के बारे में कुछ नहीं कहा। (Rao Gajraj Singh has made no reference to this matter on the floor of the House.)

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : इस का चर्चा आपके ज़ेरेसाया इस हाऊस में एक बार नहीं कई बार हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : गुड़गाव के अलहदा होने के बारे में तो कोई reference नहीं हुआ। आप राओ साहिब को mis-quote कर रहे है।

(No reference has been made in regard to the seperation of Gurgaon. You are misquoting Rao Sahib.)

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : हाऊस में यह बात कई बार आ चुकी है वैसे आप मालिक हैं।

प्रिंसिपल रला राम जी ने इस महकमा में रिश्वतसतानी का काफी चर्चा किया! उन्हों ने कहा कि छोटे अफसर ऐसा करते हैं मैं उन से कहना चाहता हूँ कि कई लोगों का ख्याल था कि पुलिस के महकमे में भी बड़े अफसर रिश्वत नहीं लेते। मगर बाद में पता लगा कि रिश्वत जाती

[मौलवी अब्दुल ग़नी डार]

ऊपर तक थी खैर पानी तो नीचे को बहता है। इलज़ाम हमेशा छोटे अफसरों पर आता है। नरवाना में जाअली बिल्लों का किस्सा चला जिस गरीब छोटे अफसर ने इस बारे में शिकायत की उसे पागल बताया गया। सिवल सर्जन को कहा गया के इस के दिमाग़ का इलाज करो। सिवल सर्जन ने कहा दिमाग़ तो बिल्कुल ठीक है। दिमाग़ तो खराब इस लिए बताया गया था क्योंकि पानी नीचे को जाता है। हकीकत यह है कि रिश्वत हमेशा ऊपर से चलती है। किसी पटवारी ने एक रुपया ले लिया होगा या किसी कानूगो ने दस रुपए ले लिए होंगे लेकिन इस महकमे को तो sons-in-law का महकमा कहा जाता है। इस में बेइनसाफियां इतनी हुई है कि चीफ मिनिस्टर साहिब के पास अरज़ियों का पलन्दा इकट्ठा हो गया है। वज़ीर मुतअल्लिका ने कई जगह पर बददयान्त लोगों को पनाह दी। इन के महकमे में जो बेइनसाफियां हुई हैं उन का चर्चा तो सारे जहान में है। बेइनसाफियां भी भारी corruption से कम नहीं। इस सरकार के वक्त से पहले भी नहरें निकाली गई थीं। उस वक्त ऐसी सरकारी जिनस को हम अपनी नहीं कह सकते थे। इन्होंने betterment fee कभी नहीं लगाई थी, आबियाना नहीं बढ़ाया था। उस वक्त की पंजाब वज़ारत ने तो एलैक्शन इस वाइदे के ज़ोर पर लड़ी थी कि पिछली सरकार ने आबियाना को ड्योड़ा करके जो ज़्यादती की थी उस को ठीक किया जाएगा। आबियाना की शरह में जो अज़ाफा हुआ था उसे खतम किया जाएगा, वह वायदा तो पूरा हुआ नहीं मगर इन के हाथ लम्बे होते जा रहे हैं। किसानों से 80 करोड़ रुपया betterment fee की शकल में वसूल करने के ईरादे हैं। क्या पंजाब सरकार इस बात का ख्याल करेगी कि किसानों की हालत आज वह नहीं जिस में उन्होंने betterment fee लगाने का फैसला किया था ? फसलों की कीमतें गिर रही है। उन की हालत कमज़ोर हो रही है; तकसीम के बाद जितनी पैदावार बढ़ी है उतनी percentage पानी की नहीं बढ़ी। हालात ऐसे थे कि वह लोग उधर से उजड़ कर आए थे जिन्होंने West Punjab को अपनी मेहनतों से जंनत बना दिया था उन्होंने जान मारी और deficit province को surplus province बना दिया। सरकार ने भी पानी की इस ढंग से तकसीम की कि फसलों को फायदा पहुँचा। लेकिन यह किसानों से betterment fee लेने में कहां तक हक बजानब हैं कि हमारे वज़ीर साहिब को गौरव इस बात का कि किसान खुशी खुशी दे रहे हैं। इन को गौरव है कि betterment fee के इलावा वह और बीसों किस्म के टैक्स भी खुशी खुशी दे रहे हैं।

गौरव किया जाता है तरक्की की स्कीमों पर जो लोगों से लाखों रुपया ले कर चलाई जा रही है। मगर मैं उन से पूछता हूँ कि क्या इन्होंने कभी इस बात पर गौरव किया कि I. C. S. और P. C. S. के कितने अफसरों ने अपनी तनखाहों और एलौंसों में खुशी से cut लगवाने मन्ज़ूर किये। खुद इन्होंने अपनी आमदनी में से कितना रुपया छोड़ा है। अपने खर्च के बोझ को कितना कम किया किसानों के बारे में कहते हैं कि हमें उन पर बड़ा मान है।

जनाब वाला, अगर वह सरकार के हुक्म को पूरा नहीं करेंगे तो जाएंगे कहां हुक्म तो उन को मानना ही है खुशी से माने या रो कर माने--वोट देने का वक्त आता है तो कभी कभी उन का दाओ लग जाता। है हमारे वज़ीर साहिबान कहते हैं हम ने फलां चुनाव जीता--मोगा में दोनों सीटें हार गए थे मोगा वालों और नकोदर वालों और फतेहआबाद (जहां दोनों सीटें हार गए थे) के लोगों को तो इन पर ऐतमाद नहीं।

सिंचाई मन्त्री : मोगा में हम कैसे हारे थे ?

मौलवी अब्दुल गनी डार : जनाबे वाला किसी को ताकत से दबाया जा सकता है; एक दफा दबाया जा सकता है; कुछ अर्सा के लिए दबाया जा सकता है; हमेशा के लिए नहीं दबाया जा सकता । अगर इस तरह ज़ुल्म करेंगे--सख्तियां करेंगे तो आखिर लोगों--में जागृती होगी वह इन के लिए खतरनाक साबित होंगी । स्पीकर साहिब, गुड़गांव ज़िला का चर्चा हुआ कि वहां पर मानपुर गांव के पास नहर कट गई तो वहां पर पुलिस की ताज़ीरी चौकियां बिठाई जा रही हैं !

सिंचाई मन्त्री : On a point of order, Sir, गुड़गांवा ज़िला में हमारी नहर नहीं है ।

मौलवी अब्दुल गनी डार : अगर आप की नहीं है तो आप पुलिस चौकी क्यों बिठाते हैं ?

सिंचाई मन्त्री : हम कोई चौकी नहीं बिठा रहे ।

मौलवी अब्दुल गनी डार : अगर बिठाएंगे तो आप ही बिठाएंगे यू. पी. की सरकार नहीं बिठाएगी ।

Mr. Speaker: Is the hon. Member speaking on the basis of some hearsay ?

मौलवी अब्दुल गनी डार : नहीं साहिब, मैं पूरी ज़िम्मेदारी से कहता हूं । कल सेठी साहिब ने कहा था कि जो कुछ यहां कहते हो बाहिर कहो । हम बाहिर भी ऐसा ही कहने के लिए तैयार हैं, इन में कहां जुर्त पड़ी है जो मुकाबला में आएं ।

Mr. Speaker: The hon. Member does not care to listen to me. It has already been stated that the canal which passes through the Gurgaon district does not belong to the Punjab Government. He is not relevant in making mention of the police posts here.

मौलवी अब्दुल गनी डार : मुझ से पहले भाई ने काट छांट के बारे में कहा है मैं हज़ूर की तवज्जुह इधर दिलाना चाहता हूँ ।

Mr. Speaker : The hon. Member is at liberty to criticise the Government. But he should not try to state wrong facts on the floor of the House.

मौलवी अब्दुल गनी डार : जनाब मैं पूरी ज़िम्मादारी लेता हूँ ।

Mr. Speaker : But the canal does not belong to the Punjab Government.

मौलवी अब्दुल गनी डार : जनाब तो फिर हमारी Government ताज़ीरी चौकियां क्यों बिठा रही है ?

Mr. Speaker : Is the hon. Member prepared to give an evidence before the House ?

मौलवी अब्दुल गनी डार : जनाब मैं evidence देने को तैयार हूँ। चूंकि मैं उस इलाके को represent करता हूँ इस लिए मैं पूरी ज़िम्मादारी से कहता हूँ कि यह सब कुछ जो हो रहा है, नहीं होना चाहिए। खान साहिब तो ऐसे ही परेशान हो गए......

Mr. Speaker : खान साहिब की तो बात ही क्या आप ने मुझे भी परेशान कर रखा है। (What to talk of Khan Sahib, you have caused worry to me also.)

मौलवी अब्दुल गनी डार : आप को तो कतिअन हैरान नहीं होना चाहिए। अगर आप ही परेशान हो गए तो हमारा कुछ नहीं बनेगा, हमारी परेशानी तो काबले कबूल है।

Mr. Speaker : The hon. Member can bring the difficulties of the people of his constituency to the notice of the House. But he is not relevant in discussing the police posts here.

मौलवी अब्दुल गनी डार : जनाब जब अमेरीका discuss होता है और Russia भी discuss होता है तो आप इतमीनान से सुनते हैं मैं तो अपना इलाका ही discuss कर रहा हूँ।

राओ गजराज सिंह (गुड़गावां) : स्पीकर साहिब, नहर के बारे में जो कुछ आज इस हाऊस में कहा गया है वह मैं ने बड़े गौर से सुना है। उस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूँ कि पंजाब और पंजाब के साथ के कुछ इलाके ऐसे हैं जिन का culture ही agriculture है। मेरा मतलब यह है कि उन का तमामतर दारोमदार खेती के काम पर ही है। कुछ भाइयों को यह खुशफहमी हो जाती है कि हम तजारत करते हैं या मण्डियों के ज़रिए से रुपया कमाते हैं लेकिन वास्तव में उन की भी आर्थिक उन्नति खेत पर ही निर्भर होती है। इस इलाका में मण्डियों का काम भी खेती के काम पर ही depend करता है। खेती के मसले में नहर की बड़ी भारी importance है बड़ा भारी वजूद है। मुशतर्का पंजाब में हमारा बड़ा झगड़ा चलता रहा। दरियाओं का पानी महदूद है। दरिया तो दरिया ही रहेंगे समुद्र नहीं बन सकते। वे लोग अपनी मर्ज़ी से पानी देते थे। चुनांचि कुछ इलाके पानी से महरूम रहे। खास तौर पर Ambala Division prepartition days में बिल्कुल पानी से महरूम रहा। पिछले 3 सालों में भी हम अम्बाला डिवीज़न के भाई बार बार उठते रहे हैं और कहते रहे हैं कि हमारे साथ बेइनसाफी हुई है। मेरा मतलब यह नहीं है कि हमारे वज़ीर साहिबान हमारी तरफ तवज्जोह ही नहीं देते या वे हमारे लिए कुछ करना ही नहीं चाहते। लेकिन वह दौर ही मुश्किलों का दौर था। यही नहीं बल्कि जब भाखड़ा डैम कागज़ों पर बना था और कागज़ों पर यह लफ्ज़ लिखे गये थे कि ऐसी एक स्कीम बनेगी तो उस वक्त भी हमारे गुड़गावां और दूसरे पिछड़े हुए अलाकों के लोगों ने सदाए एहतजाज बुलन्द की थी। उस एहतजाज के जवाब में ज़बानी या तहरीरी तौर पर उस सरकार ने यह एलान किया था कि तुम्हारे लिए Gurgoan Project बनेगा। वह Project Okhle Head works पर बनेगा और वहां से पल्वल, नूह व फिरोजपुर झिरका और बल्लभगढ़ की तहसीलों को पानी मिलेगा जहां नहर नहीं थीं उस के लिए यह स्कीम बनाई गई थी। यह बात 1926 और 1928 की है। उस के बाद आज तक इस स्कीम को implement करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। वायदे बहुत सारे होते

रहे। लेकिन अगर काम होते हुए भी कहा जाए कि कुछ नहीं हो रहा तो वह गलत बात होती है। पिछले 28 वर्ष तक जुल्म होता रहा। इस साल जब कि 28 लाख रुपये की रकम इस कार्य के लिए रखी गई है अगर मैं गुड़गावां ज़िले का रहने वाला यह कहूं कि कुछ नहीं किया गया तो यह बात ungratefulness के बराबर होगी। जो स्कीम 28 वर्ष तक चालू रही और जिस के लिए एक पाई तक न रखी गई उस के लिये आज 28 लाख रुपये की रकम रखी गई है यह गवर्नमेंट की मेहरबानी का नतीजा है। बल्कि इस में क़िदवाई साहिब मरहूम का खास हाथ था। मैं आप के और इस हाऊस के सामने उन को homage pay करता हूं। हम उन के पास गए थे। मेरे मुअज़िज़ दोस्त चौधरी लहरी सिंह ने मुझे भी साथ बिठा लिया हालांकि मेरा हाथ टूटा हुआ था। इन्होंने कहा कि चलो इस काम के लिए उन के पास चलें। हमारे साथ और भी मैम्बर पार्लियामैन्ट थे। क़िदवाई साहिब को जब यह मालूम हुआ कि गुड़गावां ज़िला की यह हालत है तो एक लफ़ज़ में फैसला करते हुए क़िदवाई साहिब ने फरमाया कि कोई परवाह नहीं अगर पंजाब सरकार के पास रुपया नहीं है तो रुपया हम देंगे। आप जाओ इस काम को पाए तकमील तक पहुंचाओ। यह Central Government और क़िदवाई साहिब की मेहरबानी है कि आज हमारी सरकार ने इतनी हिम्मत से इस काम को हाथ में लिया है। मैं गवर्नमेंट को धन्यवाद देता हूँ। कहते हैं कि 100 वर्ष के बाद रूड़ी की भी सुनी जाती है आखिर में गुड़गावां ज़िला की भी सुनी गई। जो कुछ हमारी सरकार ने गुड़गावां ज़िला के लिए किया मैं मानता हूँ, कि वह इस अरसा से नहीं हो सका था।

स्पीकर साहिब, दर असल मैं आज बोलना नहीं चाहता था लेकिन कल कुछेक ऐसे शुबाहात ज़ाहिर किए गए कि मुझे बोलना ही पड़ा। मैं पिछले 10 सालों से चीफ़ इंजीनीयर्ज़ से बात कर रहा हूँ। खोसला साहिब से भी बात की और गवर्नमेंट आफ इंडिया के चीफ़ इंजीनियर से भी। मैं इस मामला में expert तो नहीं, इस के technical मामलों को ज़्यादा नहीं समझता लेकिन जो कुछ मुझे खोसला साहिब ने बताया वह यह था कि यह चीज़ यू. पी. के कतई इख्तियारात में नहीं। यह स्कीम यू. पी. गवर्नमेंट के रुकावट डालने से नहीं रुक सकती। बल्कि उन्होंने यह भी मुझे सलाह दी कि अगर 10 या 15 लाख रुपए के बिना पर यू. पी. गवर्नमेंट कोई रुकावट डाले तो यह हमारी गवर्नमेंट को छोड़ देना चाहिये। जब दो सौ करोड़ रुपया भाखड़ा पर खर्च किया जा रहा है तो यह 10 या 15 लाख क्या चीज़ है। इस गरीब ज़िले के लिए अगर 10 या 15 लाख रुपया और खर्च कर डाला तो क्या हुआ। मुझे उमीद है कि जनाब मिनिस्टर साहिब पूरी दलेरी के साथ इस situation को face करेंगे और इस की execution में कोई रुकावट नहीं आने देंगे।

यहां तक यू. पी. नहर का ताल्लुक है आखिर हिन्दुस्तान सारा एक है। हम सब की एक nationality है। इस लिए इस चीज़ में कोई तमीज़ नहीं होनी चाहिये। हमारे कमयूनिस्ट दोस्त और दूसरे भाई कुछ अपने vested interests की खातिर इस चीज़ की मुखालफ़ित कर रहे हैं। वह कहते हैं कि यह टोटे का सौदा क्यों अपने सिर पर उठा रहे हैं मैं कहता हूँ कि अगर इस गरीब इलाके को सहूलतें बाहम पहुँचाने की खातिर 10 या 15 लाख के टोटे का सौदा कर भी लिया तो क्या हो गया? जहां इतना रुपया दूसरे इलाकों को develop करने के लिए खर्च हो रहा है, वहां क्या गुड़गांव का कुछ भी हक नहीं है? आप

[राओ गजराज सिंह]

इस से घबराते क्यों है ? कहते हैं कि पानी बन्द हो जाएगा, यह हो जाए गा, वह हो जाएगा demonstrations करा देंगे, वगैरा वगैरा। (*interruption*) मैं उन्हें challenge करता हूँ कि आप बेशक अपने लोगों को तैयार कर लें जिन्हें नहरों का फायदा हुआ है कि आप हमारा सौदा ले लें, टोटे का सौदा हम ले लेते हैं। कहना आसान होता है लेकिन तकलीफ को वही जानता है जिसे हो रही हो। जिन्हें पीने के लिए पानी नहीं मिलता, उन के लिये अगर आज कुछ किया जा रहा है तो आप उस की मुखालफित करने पर तुले हुए है। जिन लोगों का गुज़ारा ही agriculture पर होता है, उन्हें क्यों न पानी मिले। 28 साल से तो हम लोग वावेला मचा रहे हैं गवर्नमेंट के आगे हाथ पसार रहे हैं। आखिर आप क्यों हरेक चीज़ में कदम—कदम पर रोड़े अटकाने की कोशिशें करते है ?...... [*interruption*]

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : ਤੁਸੀ ਖਾਹ-ਮ-ਖਾਹ ਕਿਉਂ ਲਾਲ ਪੀਲੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ? ਤੁਸੀ ਇਵੇਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਝਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ !

राओ गजराज सिंह : झगड़ा तो आप करते हैं। कम्यूनिस्ट भाइयों को पानी की बात से क्या, उन का काम तो आग लगाना है। आग तो पानी से बिल्कुल मुखतलिफ चीज़ है। चौधरी लहरी सिंह तो पानी के वज़ीर हैं और आप को पानी के महकमे के वज़ीर से क्या। आप तो आग के वज़ीर हैं... (*interruption*) Order, Order. मैं अर्ज़ कर रहा था कि गुड़गावां प्रोजैक्ट...

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਨਿਸਟਰ ਬਨਣਾ ਹੈ ?

राओ गजराज सिंह : मैं तो मिनिस्टरी वगैरा के लिए कोई candidate नहीं; अलबत्ता आप ......

अध्यक्ष महोदय : इन के साथ सौदे बाज़ी में पड़ने से क्या फायदा। (What is the use of making such bargains with them ?)

राओ गजराज सिंह : सौदे बाज़ी तो मैं इन से कोई नहीं कर रहा। बस इन की बातों का जवाब देने की कोशिश कर रहा था। आखिर सही सही चीज़ को सही क्यों न कहा जाए।

गुड़गांवां और रिवाड़ी तहसील का पहले इस गुड़गाँव प्रोजैक्ट में कोई नाम नहीं था। शुक्र है किदवाई साहिब मरहूम का जिन्होंने इस में पूरा interest लिया। अभी थोड़े ही दिन हुए हमारे Union Minister for Agriculture पंजाब राओ देशमुख रिवाड़ी तशरीफ ले आए थे। उन्होंने भी कहा था कि यह इलाका सेहरा नहीं है। अरब और दूसरे रेगिस्तान मुल्कों की तरह सेहरा नहीं है। अगर इस में कोशिश की जाए तो यह भी सर सब्ज़ इलाका बन सकता है। यह सेहरा ए-अरब जैसा नहीं। मैं कहूँगा कि आप इस मामले पर भी गौर फ़रमावें। कांग्रेस का असूल और हमारी constitution का fundamental principle ही है कि पसमान्दा इलाकों और backward लोगों को तरक्की के रास्ते पर आगे लाया जाए। उन की मदद की जाए ताकि वे अपने पावों पर खड़ा हो सकें। इसलिए जब इतना कुछ हो रहा है तो इस इलाके को develop करने के लिए कुछ किया जाने लगा है तो किसी को कोई grudge नहीं करना चाहिए।

प्रोफैसर मोता सिंह आनन्दपुरी : बिल्कुल कोई grudge नहीं।

राओ गजराज सिंह : इस के इलावा स्पीकर साहिब, सिर्फ नहरों का मामला नहीं। बांध और tubewells से भी सिंचाई के लिए पानी पहुँचाना चाहिए। जहां नहरी पानी नहीं जा सकता वहां दूसरे तरीकों से भी इस इलाके की मदद की जानी चाहिए। मेरे दोस्त मौलवी अब्दुल ग़नी यह भूल गए कि यहां गुड़गावां में पहाड़ी इलाका भी उतना ही है जितना कि मैदानी। एक पादरी टाईप के Deputy Commissioner मिस्टर मैकन थे। उन्होंने लोगों को encourage किया। लोगों ने अपनी मदद से हज़ारों एकड़ ज़मीन reclaim की, बांध से तो नीचे के हिस्से में पैदावार भी बढ़ गई। नहर के S. D. O. और ओवरसीयरज़ शायद यहां की इस बात से वाकिफ नहीं। पिछले साल भी यह मुतालबा किया गया था कि इस महकमें को Deputy Comissioner के कण्ट्रोल में रखा जाए। इस के इलावा पांच छः सालों से 15 बांधों के लिए लोगों ने दरखास्तें दी। उन्होंने कहा कि मिट्टी का काम हम खुद कर देंगे। आधी cost भी हम borne कर देंगे। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि मन्त्री महोदय ने कोई ध्यान नहीं दिया। मैं अर्ज़ करूंगा कि इस के लिए भी बजट में काफी रुपया provide किया जाये। पिछले साल और इस साल जो थोड़ा बहुत रुपया बजट में रखा गया है वह Grow More Food के बजट में से है। यह एक मुस्तकिल खर्च नहीं। इस के मुकाबला में बांधों का बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे ज़मीन को काफी हद तक खतरे से बचाया जा सकेगा। इसलिए यह ज़रूरी है कि यह खर्च आप permanent तौर पर provide करें। यह तो ज़रूरी नहीं कि हर साल और मुस्तकिल तौर पर गवर्नमेंट आफ इण्डिया इस मकसद के लिए पंजाब गवर्नमेंट को ग्रांट देती रहे। एक साल भी उस की तरफ से subsidy न आई तो यह सारा काम बीच में ही रह जाएगा। इसलिये मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट जितना ज़ोर नहरों पर दे रही है उतना ही बांधों पर दिया जाना चाहिए। गुड़गावां एक ऐसा ज़िला है जहां पर ½ बल्कि ¼ हिस्से पर नहरों से आबपाशी होगी और बाकी के हिस्सों में बंधों और tube wells से। मैं बांधों के बारे में अपने मिनिस्टर साहिब को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि अगर इस में आप ज़रा भी serious हो कर interest लें तो मेरे ज़िला के लोग voluntary labour देने को तैयार हैं, आप कुछ पैसा लगाएं और वह श्रमदान के लिए हर वक्त तैयार हैं। इस सिलसिला में उन्होंने लिख कर भी भेजा हुआ है। आगे भी हैं उन्होंने se'f help और voluntary तौर पर काम करने की मिसाल कायम कर दी है। उन्हों ने 42 मील लम्बी सड़क को तैयार किया है।

यू० पी० U. P. की नहर का ज़िक्र मेरे फाज़ल दोस्त ने किया। आप हमें अलहदा नहर दे तो हम उसकी जितनी भी terms हैं–जैसा कि दूसरे इलाकों में है, आबयाना वगैरा--वह अपनाने से इनकार नहीं करेंगे। मगर यू. पी की नहर के दाम हमें बहुत देने पड़ते हैं। नूह और पलवल के लोग जानते हैं कि उन्हें दुगना आबयाना देना पड़ता है। उन का rate पंजाब के rate से दुगना है। बल्कि अब उस से भी ज़्यादा बढ़ाने की कर रहे हैं।

सिंचाई मन्त्री : Three times है, दुगना नहीं।

राओ गजराज सिंह : मेरी अपनी information भी यही थी कि तीन गुना है। लेकिन चूंकि इन के इंजीनियर्ज़ से पूछा तो उन्हों ने बताया कि मुझे पिछले साल का पता है। तब तो दुगना था। इस लिए मैं ने दुगना कहा है। उन की इस के साथ यह भी शर्त है कि पहले

[राओ गजराज सिंह]

यू. पी. वाले इस पानी को avail करेंगे और बाद में जो बचेगा वह पंजाब वालों को मिलेगा। हमें यह बात बिल्कुल मन्ज़ूर नहीं। मैं ने आगे भी कहा था और आज फिर अर्ज़ करता हूं कि हम अपनी अलहदा नहर खुदवाएं। जिस स्कीम को हाथ में लिया है उसे जल्द-अज़-जल्द execute किया जाए। यू. पी. वाले कहते हैं कि नहर पर कण्ट्रोल उन का रहे; उन की तरफ से ही चालू हो और जो rates वह लगाएं वही enforce किए जाएं। मैं मन्त्री महोदय से कह देना चाहता हूँ कि हमें यह conditions बिल्कुल मन्ज़ूर नहीं।

श्रीमान् जी, आबपाशी के मुतअल्लिक मेरी अर्ज़ है कि सिर्फ इन चीज़ों से काम नहीं चलेगा। नहर के बिना यह जो झज्झर, भिवानी, तहसील रिवाड़ी और गुड़गावां का सारा इलाका है यहां बिजली से ही काम नहीं चलेगा। इस बात का मुझे बड़ा तलख़ तजरुबा है कि महकमा नहर के अफसरान बड़े आराम परस्त वाकया हुए हैं। पिछले साल जब rural electricity scheme मन्ज़ूर हुई थी तो उन्हों ने उस स्कीम में तीन कसबे भी डाल दिए थे। तो मैं पूछता हूँ कि क्या इस तरह से rural areas electrified हो सकते हैं? मैं वज़ीर साहिब से अर्ज़ करूंगा कि वह इस मामले में सख्ती से काम लें। जो scheme rural areas को electrify करने के लिए बनाई जाए उसे सिर्फ rural areas तक ही महदूद रखना चाहिए।

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : On a point of order, Sir. क्या अब electricity की demand पर बहस हो रही है या irrigation की demand पर?

अध्यक्ष महोदय : Order, order.

राओ गजराज सिंह : आप को अपनी दुकानों के लिए बिजली की ज़रूरत है मुझे तो कूओं के लिए ज़रूरत है। आप बेताब होते जा रहे हैं सिर्फ इस लिए कि कहीं आप की दुकानों की बिजली न खोई जाए। स्पीकर साहिब, मैं अर्ज़ करूंगा कि यह खेतों के काम के लिए............

(At this Maulvi Abdul Ghani Dar rose to say some thing.)

Mr. Speaker : Order, order.

राओ गजराज सिंह : स्पीकर साहिब, मैं सिंचाई मन्त्री जी से अर्ज़ करूंगा कि जो उन्हों ने बिजली के supply करने का commercial rate रखा हुआ है वह नहीं होना चाहिए क्योंकि इस के मुताबिक एक गांव को बिजली देने के लिए अगर एक या दो मील बिजली की लाईन लेजानी पड़ती है तो उस line पर जो तमाम expenses आते हैं वह उस connection से charge कर लिए जाते हैं। लेकिन गांवों के लोग बिजली के लेने के लिए इतना ज़्यादा खर्च अदा नहीं कर सकते। इसी लिए वह बेचारे बिजली के connections नहीं ले सकते।

स्पीकर साहिब, इस वक्त हो क्या रहा है? Capital Expenditure इन बिजली की lines पर चाहे Government of India का लगे चाहे पंजाब गवर्नमेंट का लगे यह उन लोगों से मुजराए कर लिया जाता है लेकिन यही चीज़ नहरों से पानी देने पर नहीं की जाती। नहरों की खुदाई पर या ज़मीन पर जो खर्च गवर्नमेंट करती है वह उन लोगों से नहीं लिया जाता है

जिन लोगों की ज़मीनों को पानी पहुंचाया जाता है । नहरों के case में तो यह Capital expenditure नहीं मांगा जाता, लेकिन बिजली के लिए लिया जाता है, यह फर्क क्यों ! नहरों की तरह इस सिलसिले में भी यह चाहिए कि जितनी बिजली वह consume करें उन से उस के हिसाब से पैसे वसूल कर लिए जाएं । इस तरह से वह इलाका सैराब हो सकता है जो कि men made desert है । वरना हम जानते हैं कि गांवों में बिजली की खपत नहीं होगी क्योंकि गांवों वालों से इस तरह connection देने के लिए पांच हज़ार या दस हज़ार तक मांगा जाता है । इस लिए मेरी गुज़ारिश है कि अगर मन्त्री महोदय को कायदा बदलने की ज़रूरत पड़े और उस से लोगों को सहूलत हो सकती हो तो यह कायदा को बदल दें । बिजली की सपलाइ भी उसी असूल पर होनी चाहिए जिस पर नहरों के पानी की की जाती है या नहरें ले जाई जाती हैं । मैं उन्हें कहता हूँ कि यह कायदा क्यों नहीं बदलते ।

सिंचाई मन्त्री : ज़रा आप इस point पर अच्छी तरह light throw करें कि यह capital expenditure से आप क्या मायने ले रहे हैं और बिजली का नहरों से क्या ताल्लुक है !

राओ गजराज सिंह : मेरा कहने का मतलब यह है कि जो आप नहरें बनाने पर capital लगाते हैं वह तो आप ज़मींदारों से वसूल नहीं करते जिन की ज़मींनों को उन नहरों से पानी दिया जाता है । मसलन आप एक नहर बानाने में 200 करोड़ रुपया लगाते हैं और वह नहर 10 हज़ार एकड़ ज़मीन को सैराब करती है तो आप की per एकड़ ज़मीन जितनी लागत आती है वह आप ज़िमींदारों से वसूल नहीं करते । आप उन से लेते हैं सिर्फ betterment levy या charges of water की शक्ल में tax वसूल करते हैं । लेकिन electricity की जो lines गांवों तक लेजाई जाती हैं और उन पर किया गया capital expenditure गांवों वालों से वसूल कर लेते हैं । आप को भी नहरों की तरह betterment charge की शक्ल में कुछ लेना चाहिए । नहरों को आप चाहे दो सौ मील तक क्यों न ले जाएं उन पर किया गया सारा Capital expenditure आप नहीं मांगते यह development का तरीका है लेकिन बिजली के सिलसिला में आप का तरीका commercial ढंग का है ।

फिर स्पीकर साहिब, हमारे सिंचाई मन्त्री जी कहते हैं कि पता नहीं कि वहाँ tube wells भी कामयाब होते हैं कि नहीं । मैं उन से अर्ज़ करता हूँ कि अगर आस पास के इलाके में तो tube well लग गए और उन के ज़रिए वहां आबपाशी होने लग गई और उस इलाके में न हुई तो लोग अपने घर छोड़ कर वहां चले जाएंगे और यह इलका बिल्कुल बंजर और वैरान हो जाएगा । वहां सिवाए गाये बकरी चराने के और कोई काम नहीं होगा । मैं वज़ीर साहिब से दरखास्त करूंगा कि वह उस इलाके की तरफ तवजोह दें । वह पहले जहां तीन चार दफ़ा इस सिलसिले में देहली हो आए हैं वहां अब और भी कोशिश करें । क्या हुआ अगर किदवाई साहिब नहीं रहे । दूसरों को बार बार कहने पर भी उन का दिल नर्म हो सकता है और उस इलाके के लिए इमदाद मिल सकती है ।

श्री मूल चन्द जैन (संभालका) : स्पीकर साहिब, irrigation की तीनों demands पर मैं ने cut motions दे रखी हैं । Cut motions पर बहस करने से पेशतर मैं Irrigation Minister साहिब को और उन के महकमे के चीफ़ इन्जनीअरज़ को इस पर

[श्री मूल चन्द जैन]

बधाई देना चाहता हूँ कि पिछले साल में हमारे पंजाब में गल्ला की पैदावार में जो इज़ाफा हुआ है जहां उस में peasantry का हाथ है वहां छोटी स्कीमों का कामयाब बनाने में इस महकमें के अफसरान ने भी इन का हाथ बटाया है। मैं इन्हें एक और बात पर बधाई देता हूँ वह यह कि इन्होंने हमारे पंजाब में labour Co-operative Societies के काम को जारी किया है।

स्पीकर साहिब, मैं जानता हूँ कि हमारे पंजाब में करोड़ों रुपये के मिट्टी के काम और दूसरे काम हो रहे हैं जिन पर unskilled labourers ही काम कर सकते हैं। लेकिन पहले unskilled labour का जितना भी काम होता था वह ठेकेदारों की मारफत होता था और उन unskilled labourers की कमाई वह खाया करते थे लेकिन अब चौधरी लहरी सिंह साहिब ने हिम्मत की और उन्होंने ठेकेदारों को हटा कर यह काम Labour Co-operative Societies को दिया है। इस का नतीजा यह हुआ कि अब सैकड़ों Labour Co-operative Societies जारी हो गई हैं। आज मैं उन के नोटिस में एक बात गुज़ारना चाहता हूँ कि महकमे के चन्द अफसरान उन societies को सुतीली मां की निगाह से देखते हैं। इस की वजह तो मुझे ठीक पता नहीं है। वह शायद इस लिए उन से सुतीली मां वाला बर्ताव करते हैं क्योंकि जब यही काम ठेकेदार कराते थे तो शायद उन से इन की बातचीत हो जाती थी लेकिन..........

सिंचाई मन्त्री : वह उन से मिल जाते थे।

श्री मूल चन्द जैन : यही कारण है या और कोई कारण है यह तो मैं ठीक नहीं कह सकता लेकिन इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि वह Co-operative Societies के साथ सुतीली मां वाला वर्ताव करते हैं। यह मुझे पता है कि हमारे सिंचाई मन्त्री उन पर सख्त निगरानी कर रहे हैं लेकिन फिर भी कुछ कसर है। मैं तो कहूँगा कि जब हम पंजाब में या बाकी के हिन्दुस्तान में socialistic तरीका की हकूमत बनाना चाहते हैं तो बजाए इस बात के कि हमें Labour Co-operative Societies की प्रवरिश करनी चाहिए उन के साथ सुतीली मां जैसा सलूक नहीं होना चाहिए। हमें चाहिए कि हम उन्हें अच्छी तरह से सलाह मशवरा दें और जब उन्हें काम में मुश्किलें पेश हों तो उन की सहायता करें।

(*At this stage the Deputy Speaker occupied the Chair.*)

मुझे किसी खास अफसर का नाम नहीं लेना है। मगर मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि एक S. D. O. के खिलाफ मेरे पास बार २ शिकायतें आई हैं। मालूम ऐसा होता है कि इस अफसर को Labour Co-operatives की तहरीक पसंद नहीं और उस की बार २ यही कोशिश रहती है कि किसी तरह यह फेल हो जाएं।

(**सिंचाई मन्त्री :** क्या यह S. D. O. Tubewells Division में है या Irrigation Division में) ग़ालबन यह S. D. O. Tubewells Division में है। खैर यह तो बात मैं ने by the way की है। शायद और अफ़सर भी हों जो ऐसी बातें करते हों। मेरा मतलब यह है कि जो निगरानी आज कल रखी जा रही है यह और भी बढ़ जानी चाहिए।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ यह है कि महकमे ने बड़ी तारीफ का काम किया है।

सूबे की तरक्की में इस का बड़ा हाथ है। मगर जो impression इस का जनता पर होना चाहिए, जिस तरह लोगों के दिल में महकमे के लिए प्यार होना चाहिए वह नहीं है । दरअसल यह महकमा पंजाब की बहुत भारी खिदमात कर रहा है । इस ने पंजाब को बनाया है मगर इन सारी बातों का जो impression जनता पर होना चाहिए वह नहीं है। वह ठीक है कि अंग्रेज़ी ज़माने में इस महकमे की बड़ी नुक्ताचीनी होती थी । मगर ऐसी नुक्ताचीनी आज के ज़माने में नहीं रहनी चाहिए। और यह नुक्ताचीनी सिर्फ जनता ही नहीं करती Civil Officers भी करते हैं। Deputy Commissioners और दूसरे बड़े २ अफसर भी कहते हैं कि जिस काम को वह 2 लाख रु० में कर सकते थे अगर यह इन के सुपुर्द होता। उसी काम को महकमा 6 लाख रु० में करता है। इन बातों की तरफ हमारी government को ध्यान देना चाहिए। इस महकमे के बारे में जो दो चार improvements मेरे दिमाग में आई हैं वह हाउस के सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ।

एक बात तो मैं corruption के cases के मुतअल्लिक कहना चाहता हूँ। पहले तो ऐसे सारे cases में Department के बड़े अफसर ही investigation करते थे मगर अब यह तो हो गया है कि यह cases पुलिस में भी जाते हैं। मगर ठीक तरह से नहीं होते। मिसाल के तौर पर नरवाना ब्रांच के कुछ cases investigate हो रहे हैं। 5, 6 महीने से cases चल रहे हैं मगर अभी तक किसी अदालत में नहीं गए । यह तो आप जानते हैं कि इतनी delay cases में नहीं होनी चाहिए । गवाह टूट जाते हैं और कई किस्म की गड़बड़ हो जाती है। Justice में delay करना justice को deny करना है। महकमे को खास तौर पर हिदायत होनी चाहिये कि corruption के cases 2 महीने के अन्दर अन्दर खत्म हो जाने चाहिएं। इस बारे में मेरी एक अफसर से बात हुई। मैं नाम नहीं लेना चाहता। Staff को एक 2 witnesses को examine करना पड़ता है। तो इस तरह वह पड़ताल में ही 15 दिन लगाएंगे । उन्हें क्या ज़रूरत है कि वह ज़्यादा मेहनत करें । अगर आप उन से केस को 2, 4 दिन में खत्म करने के लिये कहेंगे तो वह 5 7 दिन में कर ही देंगे इस तरह delay न होगी । मैं समझता हूँ कि investigation जल्दी खत्म होनी चाहिये।

इस के अलावा मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। यह बड़ा controversial मामला है। महकमा ने इसे बार बार reject किया है। मामला यह है कि Revenue Realisation Agency, Executive Engineer और Superintending Engineer के department से अलग होनी चाहिये। इस बारे में मैं ने और कई दूसरे आदमियों ने लिखा कि ज़िलेदार और Deputy Collector, Executive Engineer के महकमे इकट्ठे नहीं होने चाहिएं। मैं ने इस मामले पर काफी गौर किया है और इसे कई लोगों के साथ discuss भी किया है। मैं ने इस बात का जिक्र इस लिए किया है कि चूंकि हम महकमे से corruption को हटाने के मसले पर बहस कर रहे हैं। और यह corruption इन दोनों को अलग 2 कर के एक बड़ी हद तक दूर की जा सकती है। S. D. O. का काम सफाई silt clear कराना, पटड़ी साफ कराना ही रह जाए। S. D. O. तो यह भी नहीं करते और ठेकेदारों से मिलकर, फर्ज़ी लिख लिखा कर रुपया हड़प कर जाते हैं। अगर ज़िलेदार और

[श्री मूल चन्द जैन]

Deputy Collector अलग हों तो वह S. D. O. वगैरा के पोल खोलते रहें कि कहां गोल माल हुआ है। इस तरह हर किस्म का गोल माल पकड़ा जा सकता है। मेरा point यह है कि आप महकमें की expert advice बेशक लेते रहें, जहां तसल्ली न हो, राए लें मगर महकमें की advice मान कर, इस तजवीज़ को इस लिए न ठुकराएं कि महकमा 20, 25 साल से काम चला रहा है और कहता है कि Reveune Realisation Division अलग नहीं होनी चाहिए बल्कि इस पर फिर गौर करें। इस से corruption को दूर करने में बड़ी मदद मिलेगी।

मैं ने ज़िक किया है कि महकमे में गड़बड़ होती है। खास कर 31 मार्च के आस पास। अब 31 मार्च आने वाला है। Chief Engineer साहिब बैठे हैं......

ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ : ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ।

श्री मूल चन्द जैन : I am sorry. मैं आप की मारफत, स्पीकर साहिब, अपनी सरकार से कहना चाहता हूं कि वह मौके पर छिपकर देखें या छापे मारें और पता लगाएं कि इन 10, 15 दिनों में, 5, 10 अप्रैल तक जो खर्च होता है, जिन रकमों की अदायगी होती है वह जायज़ होती है। मैं समझता हूं कि यह सारा रुपया ठेकेदारों की मारफत हड़प किया जाता है। इस तरफ ध्यान दिया जाए। अब मैं करनाल ज़िले की नहरों और drainage की तरफ आप का ध्यान दिलाता हूं। करनाल में drainage का भी एक problem है। Public Relations Committee में भी बार बार ज़िक किया जाता है। महकमें को भी लिखा। चुतन्ग नदी पर पुल बनाने के बारे में कहा। महकमे के पास estimate भी है। Executive Engineer ने बताया कि पब्लिक को 56. 25 percent खर्च contribute करना होगा। तब नदी, नालों को ठीक कर सकते हैं। अगर पुल बनाने का यही फैसला है कि लोग 56. 25 percent दें तो यह पुल नहीं बन सकते-लोग इतना खर्च नहीं दे सकते।

(**सिंचाई मन्त्री** : यह हमारा फैसला नहीं है बल्कि यह तो बजट में provide किया गया है) चाहे कुछ भी हो इस को बदलना चाहिये। ज़मींदारों से आबयाना लिया जाता है, betterment charges देते हैं तो हम कहां तक लोगों को मनवा सकते हैं। लोग गरीब हैं इस लिए रुपया नहीं दे सकते, हां labour दे सकते हैं। अगर कोई पुल बनाना हो तो लोग 50 हज़ार या एक लाख रुपया कहां से दें। चुतन्ग पर 15, 15 मील तक पुल नहीं है। अए साल 5, 6 आदमी मर जाते हैं। खेतियां तबाह हो जाती हैं। इस लिये इस मामले में खास तौर पर ध्यान दें।

हमारे ज़िले में flood control measures जो लिये हैं, बाबैल के पास या और जगह पर, इस के लिये हम सरकार के शुक्रगुज़ार हैं। Government of India ने जो flood Control Board बनाया है यह भी बड़ा काम कर रहा है। करनाल जमुना के पानी से affected है, floods आते हैं। मगर जो इस के लिये रुपया provide किया गया है, काफी नहीं है। कुन्जपुरा के पास झील पर पुल का सवाल है। झील प्राय में पानी ज़्यादा हो जाने से लोगों को परेशानी होती है। इस तरफ ध्यान दिया जाये।

मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। मैं ने एक सवाल पूछा था कि करनाल में कितने Division काम कर रहे हैं।

स्पीकर साहिब, मुझे यह सुन कर हैरानी हुई कि हमारे ज़िला के अन्दर 8 Division काम कर रहे हैं। हमारे वज़ीर साहिब तो Headquarters में रहते हैं इस लिए हरेक Division में दिलचस्पी नहीं ले सकते। तो क्या मैं वज़ीर साहिब से पूछ सकता हूं कि अगले पांच साला योजना में हमारे ज़िले के लिए क्या क्या स्कीमें रखी गई हैं। इस ज़िला की तरफ बहुत कम ध्यान दिया गया है। कई नाले और drains हैं। फिर यह 56.25% का भी सिआपा है। जहां हमारे वज़ीर साहिब ने tube wells का ज़िक्र किया है वहां drains का ज़िक्र नहीं किया। करनाल ज़िले का drainage का मामला एक burning question है।

डिप्टी स्पीकर साहिब, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि करनाल ज़िले की drainage problem को अभी तक हल नहीं किया गया। जहां तक लोगों की ज़िन्दगी का सम्बन्ध है मैं यह गुज़ारिश करना चाहता हूं कि हम ने इन के standard को ऊंचा करना है इस लिए हमें drainage problem को solve करना चाहिए। करनाल ज़िले में इतने division न रखे जाएं बल्कि इतने हों जिस से लोगों को आसानी हो और drainage का मामला हल हो जाए।

एक और बात tube wells के लिए दी गई बिजली के बारे में है। Tube wells चलाने के लिए बिजली का rate ज़्यादा है। ज़मींदार इस रेट को बरदाश्त नहीं कर सकते। मैं वज़ीर साहिब से अर्ज़ करूंगा कि वह इस rate को revise करें और इतने रेट रखें जिस से ज़मींदार बिजली ले सकें। इस रेट के बारे में अफसरों की रिपोर्ट भी यह है। मुझे पता है कि इस रेट में कुछ कमी कर दी गई है। मेरी गुज़ारिश है कि इस रेट को जितना भी हो सके कम किया जाए।

मैं फिर इन मुश्किलात को जो मेरे ज़िले के लोगों को हैं और तजावीज़ को जो मैं ने इस बारे में की है वज़ीर साहिब के ध्यान में लाना चाहता हूँ और साथ ही वज़ीर साहिब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने करनाल ज़िले की तरफ ध्यान दिया है। और रुपए का भी provision किया है।

5 p. m.

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ (ਟਾਂਡਾ): ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, Irrigation Minister ਨੇ ਪਿਛੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੋ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਛਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਇਹ 1955 ਵਿਚ ਛਡਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਚਲਾਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੈਸੀਅਤ ਟੈਕਸ ਪਹਿਲੋਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹਿਰ ਪਹਿਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦਿੱਲੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਇਕ ਮਿੱਤਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ' ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿਤਾ ਹੈ (ਹਾਸਾ) ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੈਸੀਅਤੀ ਤਾਂ ਯਾਦ ਨਾ ਰਿਹਾ "ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ" ਯਾਦ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹ

[ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ]

10–12 ਰੁਪਏ ਏਕੜ ਖੁਸ਼ ਹੈਸੀਅਤ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਫਿਰ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਸਤ ਦੁਆਬ ਨਹਿਰ ਕਢੀ ਗਈ ਇਸ ਦੀ ਜਦੋਂ opening ceremony ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਤਰਫ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ–ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਚਾਰ ਫੁਟ ਪਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਫਿਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਦਾਣੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਸਿਵਾਇ ਕਮਾਦ ਦੇ। ਫਿਰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੋਘੇ ਨਾ ਬਣੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਹੈ ਪਾਣੀ ਲਾ ਲਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛੋਂ 'ਖੁਸ਼ ਹੈਸੀਅਤੀ' ਟੈਕਸ ਲਗ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਫਿਰ ਨਹਿਰ ਐਨੀ ਪੱਕੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 15 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਟੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਹਿਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਟੀ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਵੋ।

ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ (ਵਜ਼ੀਰ ਸਿੰਚਾਈ) ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹਿਰ ਲਈ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹਿਰ ਪਹਾੜ ਪਾਸੋਂ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਹਾੜ ਤੋਂ 10 ਮੀਲ ਤੇ 15 ਫੁਟ ਉੱਚੀ ਨਹਿਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਹਿਰ ਟੁਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਥੇ position ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਰਸਾਤੀ ਨਹਿਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਅਜੇ ਵੀ ਹੁਣ ਆ ਰਹੀਆਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਵਿਚ ਪਤਾ ਲਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਨਹਿਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਟੁਟੀ ਤਾਂ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਡੁਬੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਬੱਸ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ। Local Rate ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਹੈਸੀਅਤੀ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਆਬਿਆਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਹਰਿਆਨਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨਾਲ ਜਾਂ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਜ਼ਿਲੇ ਨਾਲ। ਇਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ water charges ਘੱਟ ਹਨ ਇਥੇ ਵੱਧ ਹਨ। (interruptions) ਉੱਥੇ ਰੇਟ 8 ਆਨੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ $4\frac{1}{2}$ ਰੁਪਏ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਥੇ ਨਹਿਰਾਂ ਹਨ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਡੋਬ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦਿਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਆਦਮੀ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਟੈਕਸ ਲਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਫਿਰ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ syphons ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ syphons ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰੁਖ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਚੋ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਖ ਬਦਲਣ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਵੇਰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਖ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੋ ਦਾ ਰਾਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉਲਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਰਬਾਦੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ tame ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ।

ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਿਸ ਵਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਲਾ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ lift ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਭਾਖੜਾ ਵਿਚੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਪੰਜ ਦਸ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਿਫਟਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਬਾਕੀ ਥਾਂਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਿਫਟਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਲਿਫਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ Tube-wells ਨਹੀਂ ਲਗ ਸਕਦੇ ਤੇ Tube-wells ਪੁਰ ਬਹੁਤ ਖਰਚ ਆਇਗਾ।

ਸ਼ਾਹ ਨਹਿਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਡੇ ਅਫਸਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਛੋਟੇ ਅਫਸਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਭਾਖੜੇ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਬਿਨਾ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ Overseer ਉੱਥੇ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ Overseers ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਦੇ ਵਡੇ ਅਫਸਰ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੱਥੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਛੋਟਿਆਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਰਸਦੀ ਆਪਸ ਵਿਚ ਵੰਡ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਵਡੇ ਅਫਸਰ ਉੱਪਰੋਂ ਦਬਾ ਪਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

सिंचाई मन्त्री : यह दरुस्त है कि अगर बड़े अफ़सर दियानतदार हों तो छोटे मुलाज़म भी रिश्वत लेने से झिझकते हैं।

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : ਸ਼ਾਹ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਰਕਬਾ ਇਸ ਤੋਂ ਸੈਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ 8,000 ਏਕੜ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ
2
25 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਖੇਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਕਬਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਟਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਪੋਰਟ ਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬ-ਤਲਬੀ

[ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ]
ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਪਾਸ਼ੀ ਵਿਖਾਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਬਿਆਨਾ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਕ ਵਿਘੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਆਬਿਆਨਾ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਘਿਆਂ ਦਾ ਵਸੂਲ ਕਰਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੇਤਲੀ ਤੇ ਪਥਰੀਲੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਥੇ ਦਿਆਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਜ਼ਾਇਜ਼ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆਬਿਆਨਾ ਵਸੂਲ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੱਚਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲਗੀ।

ਰੋਪੜ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਨਹਿਰ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਥੋੜ੍ਹੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਰੋਪੜ ਨੀਵਾਂ ਹੈ ਤੇ 100 ਫੁਟ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ level ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚੋਂ ਜਿਥੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 5 ਜਾਂ 10 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਉਥੋਂ ਨਹਿਰ ਗੁਜ਼ਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਜਰ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਏ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਰੁਕਾਵਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲਗੀ। ਬਰਬਾਦ ਪਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਰਚ ਐਂਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲਗਾ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ! ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ Ray Head ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਨਹਿਰ ਕਢੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਨਹਿਰ ਪੁਟੀ ਜਾ ਚੁਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤਕ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰ ਕਢੀ ਜਾਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ constitution ਦੀ ਦਫਾ 31 ਦੀ ਤਰਮੀਮ ਦਾ resolution ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਦਫਾ ਤਰਮੀਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ...........

सिंचाई मन्त्री: बिल्कुल नहीं। Don't talk of that. We are opposed to it that the poor zamindars should not get compensation for their land.

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ: ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਫੇਰ ਐਨੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖਵਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮਾਲੀਆ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ?

Mr. Deputy Speaker : The hon. Member should address the Chair.

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ technical side ਵਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗੇਗਾ ਕਿ Engineers ਤੇ revenue ਦੀ duplication ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ duplication ਹੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ breach ਜਾਂ cut ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲੇਦਾਰ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਿਖਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ cut ਲਿਖੋ। ਜੇ ਇਹ duplication ਤੇ ਖਰਚ ਘਟ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੀ। ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ Irrigation Department ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ duplication ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰੇ।

ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਬਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਟੈਕਸ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ Budget Speech ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ Taxation Enquiry Committee ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਟੈਕਸ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।

Mr. Deputy Speaker : The hon. Members time is over.

श्री देवीलाल (सिरसा): डिप्टी स्पीकर साहिब, इस समय उस demand पर बहस हो रही है जिस का हमारे ज़िले से ज़्यादा ताल्लुक है । इस के सम्बन्ध में हमें अपने सिंचाई मन्त्री को मुबारकबाद देनी चाहिए। यह खुशी का मुकाम है कि Opposition की तरफ से constructive suggestions दी गईं और उन्होंने भी मन्त्री महोदय को मुबारकबाद दी है। यह मानी हुई बात है कि जहां तक नहरों का ताल्लुक है उस से हमारे पंजाब को बहुत भारी फायदा पहुँचा है और अगर हिसार ज़िले को देखा जाए और उस का मुकाबला चार पांच साल पहले के हालात से किया जाये तो डिप्टी स्पीकर साहिब आप को उस का नक्शा ही बिल्कुल बदला हुआ मिलेगा ।

स्पीकर साहिब, आज उस इलाके में जहां के लोगों के पीने के लिए पानी बीस बीस मील के फासले से लाना पड़ता था और जो नहर की शक्ल उस वक्त देखते थे जब मज़दूरी करने लाहौर या लायलपुर के ज़िलों में जाते थे, कोई गांव ऐसा नहीं जिस के दोनों तरफ नहर न हो । इस बात से कोई आदमी इनकार नहीं कर सकता कि नहरों के मामले में हमारे प्रान्त ने बहुत तरक्की की है। सिंचाई मन्त्री और Chief Engineer और दूसरे Engineers साहिबान ने जिस ढंग से पानी पहुँचाने की कोशिश की है वह काबिले तारीफ़ है । नहरों के इतिहास में कभी ऐसा मौका नहीं आया कि जिस साल नहरें खोदी गई हों उसी साल पानी भी दिया गया हो । यह एक नई मिसाल कायम की गई है । पिछले साल जिस वक्त पानी दिया गया, साथ साथ नहरें भी खोदी जा रही थीं। इस तरह लोगों को कहत से बचाने के लिये जल्द से जल्द कोशिश की गई । मई, जून के महीनों में वज़ीर साहिब अपने office से निकल कर जगह जगह लोगों की शिकायात को सुन कर रफ़ा करने की कोशिश करते रहे, इस के लिए मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ । आजकल 'लेकिन' का लफ़्ज़ काफी प्रचलित हो गया है । मैं इस का इस्तेमाल न करता हुआ कुछ suggestions देना चाहता हूँ। यह बड़ी महत्वपूर्ण , हैं इस लिये इन की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। इन

[श्री देवी लाल]

की हमारे इलाके के लोगों के लिए बड़ी ऐहमीयत है ।

हमारे इलाके में इस साल पानी दिये जाने की वजह से और गए महीनों में जो बारिश हुई उस की वजह से फसल बहुत अच्छी हुई है । इस का अन्दाज़ा गिरते हुये भावों से लगाया जा सकता है । हमारे इलाके में जौहड़ों और तालाबों में से पानी पीने का रिवाज है क्योंकि वहां पर कूएं नहीं हैं । फसल इतनी ज़्यादा हुई है कि अगर इस वक्त जौहड़ों और तालाबों में पानी न डाला गया तो कटाई नहीं हो सकेगी । 8, 10 रोज़ में कटाई शुरु होने वाली है । एक हफ्ता के लिये पानी देने की अवश्य ज़रूरत है । वज़ीर साहिब को इस बात की तरफ ध्यान देना चाहिये ।

एक नई और अजीब चीज़ जो हिसार के इलाके में देखने में आई है वह यह है कि जिस साल पानी आया है, उसी साल से आबियाना वसूल किया जा रहा है । मई के अखीर में पानी पहुँचा था, उस से पहले बारिशों के होने की वजह से कुछ फसल सावनी भी खड़ी थी । लोगों ने उसे काट कर चने बीज दिये । उन पर खरीफ़ और रबी दोनों का आबियाना लगा दिया गया है । अव्वल तो चूंकि पानी देने का पहला साल था, आबियाना मुआफ़ किया जाता सारा नहीं तो फसले खरीफ का ज़रूर मुआफ किया जाना चाहिए क्योंकि जवार बाजरे की फसल पानी आने से पहले ही खड़ी थी और उसे काट कर चना बोया जा सकता था । नहर के महकमे के rules इस तरह के हैं कि सिवाए गवर्नमेंट के कोई उन्हें तबदील नहीं कर सकता । इस लिए इस साल का आबियाना मुआफ किया जाना चाहिए ।

इस के इलावा मैं एक और ज़रूरी बात की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ । पिछले साल जब पानी दिया गया था तो सरकार की भी कुछ मजबूरियां थीं । पहले प्रोग्राम के मुताबिक 1955 में पानी दिया जाना था मगर महकमा की कोशिश और हिम्मत से एक साल पहले पानी देने का प्रबन्ध किया गया । क़ुदरती बात है कि पिछले साल distributaries और minors अच्छी तरह नहीं खोदे जा सके थे । कुछ नहरें अन्धेरियां चलने की वजह से रेतों से भर चुकी हैं । इस लिए दरखास्त है कि रेत को निकलवा कर हर distributary को पानी पहुंचाया जाए । पिछले साल कई लोगों को पानी नहीं मिल सका, खास कर tails को पानी नहीं पहुँचा ।

इस के इलावा, Sirsa Branch में rotation से पानी आता है, पिछले महीने की 13 तारीख को आया था, फिर अभी तक नहीं आया । ख्याल यह है कि 30 मार्च को पहुँचेगा । फसलों का काफी नुकसान हो रहा है, इस लिए इस बात की तरफ ध्यान दे कर Sirsa Branch में जल्द से जल्द पानी दिया जाना चाहिए ।

इस के साथ साथ पंचायत ऐक्ट के तहत शामिलात देह का इन्तकाल पंचायतों के नाम हो चुका है ताकि पंचायतों की आमदनी में इज़ाफा हो सके । जब तक पानी नहीं दिया जाएगा, यह मकसद कैसे पूरा होगा । शामिलात देह की ज़मीन को पानी देने का इन्तज़ाम ज़रूर किया जाना चाहिए ताकि उस से जो income हो गांव के लोगों की बेहतरी के लिए खर्च की जा सके ।

एक और बात है जिस की तरफ बहुत से मैम्बरान साहिबान ने गवर्नमेंट का ध्यान दिलाया है । मेरा इशारा Betterment fee की तरफ है । यह पहली दफा सुनने में आई है । लायलपुर के ज़िले में और जालन्धर डिविज़न में कभी नहीं लगी । मैं इस के मुतअल्लिक बार बार ज़्यादा कहना मुनासिब नहीं समझता । इतना ही कहूँगा कि वज़ीर साहिब को इस मामले की तरफ खास

ध्यान देना चाहिए। उन्हें नहीं भूलना चाहिये कि जिन ज़िलों में चने का भाव 11--12 रुपये मन था, आज 5 रुपये या 5--4--0 फी मन है। इस चीज़ की बाबत लोगों में काफी असंतोष पैदा हो चुका है। इस से Opposition को भी नुक्ताचीनी करने का बहाना मिल जाता है। उन्हों ने वैसे तो मुख़ालिफत की नियत से मुख़ालिफत करनी है। किसी constructive काम में उन्हों ने हमारा साथ नहीं दिया। फिर देहातों में जा कर सरकार पर बेजा नुक्ताचीनी की जाती है।

जहां तक नहरों की खुदाई का ताल्लुक है, अगर public में spirit पैदा की जाए तो, distributaries और minors जल्द से जल्द खोले जा सकते हैं। मुख़ालिफों ने तो जा कर इस किस्म के हालात पैदा करने हैं कि गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा बदनाम हो।

जहां तक अनाज ज़्यादा पैदा करने का ताल्लुक है, हमारी पैदावार इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि भाव पांच रुपये मन तक आ चुका है। 1942 में तो हमारे सामने बैठे भाई Grow-More Food Campaign को चलाने के लिये बड़े ज़ोर से काम किया करते थे, जगह जगह नहरें साफ करते और जौहड़ खुदवाते फिरते थे। जब से अपनी सरकार बनी है, बिजली दे कर tubewells के लिये सहूलतें दे रही है मगर हमारे दोस्तों ने सिवाए मुख़ालिफत करने के कोई काम नहीं किया, न उन्हों ने लोगों की कोई सहायता की है न उन के उत्साह को बढ़ाया है ताकि वे अपने पावों पर खड़े हो सकें। मैं उन से अपील करता हूं कि जिस तरह आज उन्हों ने कुछ constructive suggestions दी हैं, इसी तरह आगे भी बजाये condemnation करने के अच्छे अच्छे सुझाव पेश किया करें और लोगों का उत्साह बढ़ाने में मदद दें। वे चाहते तो यह हैं कि अमरीका से मदद न ली जाये मगर कोशिश इस ढ़ंग से करते हैं कि हमारे देश को ज़्यादा से ज़्यादा अमरीका की मदद की ज़रूरत रहे। पिछले दिनों जब National Loan इकट्ठा किया जा रहा था तो उन्होंने इस की सख्त मुख़ालिफत की और कहा कि डंडे के ज़ोर से कर्ज़ा वसूल किया जा रहा है। कर्ज़ा इकट्ठा किया जाये तो मुख़ालिफत, अमरीका से रुपया लिया जाये तो भी मुख़ालिफत। फिर कहते हैं कि हमारा देश अमरीका का ग़ुलाम हो चुका है।

डिप्टी स्पीकर साहिब, मैं आप के द्वारा Opposition वाले भाइयों को यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि जिस तरह वे पिछले दिनों में करते रहे हैं Grow-More Food Campaign के सिलसिले में भी इस सरकार की सहायता करें। लोगों की spirit को ऊंचा करें। रुपया तो सरकार का खर्च होगा ही। उन को चाहिये कि वे लोगों की पार्टियां बना कर उन के साथ मिल कर काम करें और इस तरह State को पैदावार बढ़ाने में सरकार का हाथ बटाएं। अन्त में मैं अपनी सरकार को बधाई देता हूं कि स्टेट की हालत बेहतर बनाने में और लोगों को खुशहाल बनाने में महकमा नहर ने बहुत काम किया है। महकमा नहर के ज़रिये पंजाब स्टेट में बहुत development हुई है और हमें इस पर बड़ा फख्र हासिल है।

श्री चान्द राम अहलावत (झज्जर) : प्रधान जी, विभाजन के बाद अगर किसी महकमे ने तरक्की की है, और पंजाब जो कि एक घाटे का प्रान्त था......

ਸਰਦਾਰ ਉੱਤਮ ਸਿੰਘ : On a point of information, Sir. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ cut motions ਦਿਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਵਕਤ ਕਦੋਂ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ?

Mr. Deputy Speaker : अभी काफी वक्त पड़ा हुआ है । (There is sufficient time at our disposal.)

श्री चान्द राम अहलावत : जनाब मैं कह रहा था कि अगर किसी महकमे का हाथ है इस बात में कि पंजाब जो कि एक घाटे का राज्य था इस को surplus बना दे तो वह महकमा नहर का महकमा है । पंजाब में control के दिनों में और पीछे जो समय गुज़रा है इस में लोगों को खाध्यान्न के सम्बन्ध में काफी दुख उठाना पड़ा । लेकिन इस सूबे में इन दिनों वातावरण बदल गया है । जिस तरफ भी देखें और खास तौर पर अगर उन इलाकों की ओर देखा जाए जिन को हमेशा झूटे वादे दे कर टाल दिया जाता था तो हमारा सिर फखर से ऊंचा उठ जाता है । जिन इलाकों में पहले पीने का पानी भी प्राप्त नहीं होता था आज वे सरसब्ज़ नज़र आते हैं । मेरा इशारा उन इलाकों की तरफ है जहां से कि चौधरी छोटू राम मैम्बर बने और वज़ीर भी बने । उस इलाके को हमेशा पिछड़ा रखा गया और ignore किया गया । वहां के लोग खूब तगड़े थे, मज़बूत थे और ज़मीन भी बहुत ज़रखेज़ थी । Elections के दिनों में वादे किये जाते थे कि अगर हमारी हकूमत बन गई तो हम पानी अवश्य देंगे । लेकिन मुझे बड़ा अचम्भा रहा कि वे लोग जिन को हमारी नुमाइन्दगी करने का हक हासिल था हमेशा पानी देने में नाकाम रहे । Sir Chhotu Ram जैसे व्यक्ति भी उस पिछड़े हुये इलाके को पानी न दे सके । यह तो कांग्रेस गवर्नमेंट के वज़ीर चौधरी लहरी सिंह ही हैं जिन्हों ने वहां पर दरबार लगा लगा कर और अफसरों को साथ बिठा बिठा कर लोगों के कष्ट को दूर करने का प्रयत्न किया है और उन को पानी दिया है । पहले राज्य में अफसर बड़ी बड़ी तनखाहें लेते थे और दफतरों में बैठे रहते थे । न वे कभी स्वयं वहां जाने का कष्ट करते थे और न ही उन को लोगों की वास्तविक कठिनाइयों का ज्ञान ही होता था । वहां के लोग फौज में भरती होते थे । यद्यपि वे पिछड़े इलाकों के थे तथापि बहुत बहादुर थे, गोले बारूद से नहीं डरते थे । देश की रक्षा के लिए प्राणों पर खेल जाते थे । पिछली दुनियां की लड़ाई में उन लोगों ने जो काम कर के दिखाया उस से हिन्दुस्तान का नाम सारे संसार में ऊंचा हो गया । लेकिन इस के बावजूद उस इलाके को नज़र अन्दाज़ किया गया । आज मैं अपने सिंचाई मन्त्री को मुबारकबाद देता हूँ अपने झज्जर के इलाके की तरफ से कि उन्हों ने उन की काया पलट दी है । इस में कोई शक नहीं कि हमारी सब खाहिशात अभी तक पूरी नहीं हुई हैं क्योंकि अभी 1/3 हिस्सा इलाका में पानी नहीं पहुंचा है । इस लिए मैं उन से अर्ज़ करूंगा कि development scheme पर अमल करते हुए अगले बजट में बाकी इलाका के लिए अवश्य provision किया जाए । रिवाड़ी और झज्जर के इलाके को पानी की बहुत सख्त ज़रूरत है । मैं तो कहता हूं कि वहां पर lift वगैरा लगाने की भी ज़रूरत नहीं है । Lift के बगैर ही पानी पहुँचाया जा सकता है । अभी दो तीन रोज़ हुए हैं कि मैं खेता बास और गुड़यानी जैसे गांवों में गया था । उन के पास से रिवाड़ी का इलाका शुरू हो जाता है । वहां करीबन 55 गांव हैं । वे लोग इकट्ठे हो कर

आये थे कहने लगे कि अगर नहर को आगे कर दिया जाए तो हम खुद सब कुछ अपने सिर पर करने के लिए तैयार हैं बशर्तेकि सरकार वादा करे कि हमें पानी दिया जाएगा। मैं अपनी सरकार से यह प्रार्थना करूंगा कि उन्हें इसी पर सन्तुष्ट नहीं रहना चाहिए क्योंकि अभी बहुत सा इलाका ऐसा है जहां पानी देने की ज़रूरत है। जैसा कि मेरे मित्र राओ गजराज सिंह जी ने कहा है भिवानी, रिवाड़ी और लोहारू के इलाकों को पानी देने का काम बाकी है इस इलाका में कुओं के द्वारा सिंचाई का काम होता आया है। सब से ज़्यादा ध्यान देने वाली जो बात है वह यह है कि वहां के लोग जो बिजली मांगते हैं उन से service का खर्च पहले मांगा जाता है। उन गरीब लोगों के पास दो दो चार चार बिघे ज़मीन है और उस को भी वे बिचारे कुओं से सींचते रहे हैं। उन के पास पहले रुपये देने की गुंजाइश नहीं है। वे लोग भूखा मरते हैं और फौज में भरती हो जाते हैं और तरह तरह की तकलीफें उठाते हैं। मैं समझता हूँ कि सरकार को इस ओर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। उन लोगों को बिजली दे दी जाए और उन को इस योग्य बनाया जाए कि वे अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। उन की ज़मीन ज़रखेज़ है। कमी केवल पानी की है। अगर यह सुव्यवस्था हो जाए तो हमारा प्रान्त और भी उन्नति के पथ पर अग्रसर होगा। उन को बिजली पहले दे दी जाए और पैसे बाद में ले लिए जाएं। जैसा कि नहर का पानी दिया जाता है और बाद में betterment fees की शक्ल में पैसे लिये जाते हैं। वहां का किसान इस बात के लिए तैयार है।

स्पीकर साहिब, एक बात और मैं आप के संमुख रखना चाहता हूँ। कहा जाता है कि इस महकमें में corruption है। मैं मानता हूँ कि इस डिपार्टमैंट में corruption है। हमारे मंत्री महोदय ने रिश्वत का उन्मूलन करने के लिए जो तरीका अपनाया है उस के लिए वे बधाई के पात्र हैं। हमारा इलाका हिन्दुस्तान का पहला इलाका है जिस में उन्होंने Labour Co-operative Societies स्थापित की हैं। उन्होंने यह societies इस लिए बनाई थीं कि मज़दूरों को रोज़गार मिले और ठेकेदार जो कि अफसरों के साथ मिल कर भ्रष्टाचार करते हैं उन को समाप्त किया जाए। भ्रष्टाचार (corruption) को समाप्त करने की ओर यह एक ठोस कदम था जो उन्होंने उठाया। लेकिन जो अफसर इस काम को करने वाले हैं और इस काम को अधिक समझते हैं वे सदियों की गुलामी में रह चुके हैं उन की ज़हनीयत को बदलना आसान नहीं था। उन की ज़हनीयत एक दम धमकी से नहीं बदली जा सकती। मैं समझता हूं कि हमारे वज़ीर साहिब को इस ओर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं आप की विसातत से अपने प्रांत के अफसरों से भी प्रार्थना करना चाहता हूँ कि वे हमारे देश के कार्यवाहक हैं। देश हमारा भी है और उन का भी है हम सब ने मिल कर इस को बनाना है। और किसी गैर ने नहीं बनाना। Officers को अपने दिल में देश सेवा का भाव पैदा करना चाहिए उन के भीतर अपने देश को उन्नति के मार्ग पर अग्रसर करने की लगन उत्पन्न होनी चाहिए। उन्हें देखना चाहिए कि जो लोग मेहनत मज़दूरी कर के टैक्स देते हैं और गवर्नमैंट का खज़ाना भरते हैं वे भी पेट भर खाना खाएं। वे देखें कि जो कुछ वे गरीब अपनी गिरह से खर्च करते हैं और जितना वे काम करते हैं उतनी उजरत उन को मिलती है कि नहीं। मैं खुद मज़दूरों में जाता रहा हूँ. Labour Co-operative Society के काम के तजरुबे से मुझे यह मालूम होता है कि मज़दूरों को बहुत मुसीबत रही है। उस

[श्री चान्द राम अहलावत]

का कारण यह है कि कोई काम ऐसा नहीं हुआ जो कि Labour Co-operative Society को दिया गया हो और उस में किसी न किसी तरीके से कोई न कोई ठेकेदार दाखिल न कर दिया गया हो। इस की मुझे समझ नहीं आती कि जो काम भी Labour Co-operative Society को दिया जाता है उस में emergency के बहाने से या Scheduled time से पहले खत्म करने के बहाने से कोई न कोई ठेकेदार अवश्य ठोंस दिया जाता है। इस से भ्रष्टाचार भी बढ़ता है और मज़दूरों की कठिनाइयों में भी वृद्धि होती है।

मुझे समझ नहीं आती कि हरेक काम जो कि लेबर कोआपरेटिव सोसाइटिज़ को दिया जाना चाहिए, उस में emergencies के नाम पर या वक्त पर न खत्म होने के बहाने या किसी न किसी बहाने से उस में ठेकेदारों को दाखिल कर दिया जाता है। यही नहीं। खुद लेबर सोसाइटियों में भी ठेकेदारों को चोरी छिपे डाल दिया जाता है। इस तरह मेरी समझ में नहीं आता कि जब काम सारे का सारा ही ठेकेदारों के सुपुर्द करना होता है तो लेबर का क्यों इस में नाम लिया जाता है ? क्यों यह कहा जाता है कि काम लेबर सोसाईटिज़ के ज़रिए हो रहा है जब कि पैसा उसी ठेकेदार और अफसरों की जेबों में इकट्ठा हो रहा है ? इस लिए मैं समझता हूँ कि जो फैसला पिछली मीटिंग में किया गया था उस पर जल्दी से जल्दी अमल किया जाना चाहिए।

इस तरह मैं देखता हूं कि यह एक बड़ी भारी चाल चली जा रही है। जहां ठेकेदारों को independently काम दिया जाता है वहां साथ ही साथ उन्हें लेबर सोसाईटियों के बीच भी दाखिल किया जा रहा है। किसी न किसी बहाने से उन्हें directly भी इन सोसाईटियों के साथ attach किया जा रहा है। कहीं कहीं पर उन्हें भी इजाज़त मिलती जा रही है कि ठेकेदार भी अपनी सोसाईटियां बना सकते हैं--'बी' क्लास के नाम पर या 'ए' क्लास के नाम पर। मैं यह समझता हूं कि उन का दिमाग और गवर्नमेंट का दिमाग एक तरह से इस मामले पर साफ़ हो जाना चाहिये। वे चन्द मुट्ठी भर आदमी जो दूसरों की मेहनत पर जीते हैं, वह चन्द आदमी जो सरमाया का ढोंग रचा कर ग़रीबों--लाखों ग़रीबों को जिसमानी तौर पर काम पर लगाते हैं वे चन्द मुट्ठी भर आदमी जो जोकों की तरह मुल्क को बनाने वालों का खून चूस रहे हैं और उन के सूखे हुये शरीरों पर--रक्तहीन कंकालों पर--अपने महल खड़े कर रहे हैं और जब मज़दूर सारा सारा दिन कड़ी धूप में अपना खून पसीना एक कर रहा होता है, उस वक्त वे अपने महलों में आराम कर रहे होते हैं, उन्हें बहुत देर तक इन्हें exploit करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वे लोग जो उन की ग़रीबी का नाजायज़ फायदा उठा कर उन्हें पेशगी दे कर, उन्हें लालच दे कर उन्हें गुमराह करते हैं। उन्हें यह जान लेना चाहिए कि अब बहुत देर तक उन की दाल नहीं गलने वाली। खास तौर पर उस वक्त जब कि देश स्वतन्त्र है और हरेक आदमी को अपनी तरक्की करने के, अपने अधिकार प्राप्त करने के खुले मौके हैं। खैर, स्पीकर साहिब, मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जब हमारी गवर्नमेंट ने लेबर Co-operatives को encourage करने का फैसला किया है तो क्यों न उन्हें मजमूई तौर पर काम दिया जाए ? मुझे पता है कि Accountant General और दूसरे check करने वाले कर्मचारी यह एतराज़ करते हैं कि साहिब, इन सोसाईटियों को देने से बड़ा भारी खर्च होगा। मैं समझता हूं कि उन का यह

धारणा बिल्कुल ग़लत है। बात दरअसल यह है कि यह वावेला सिर्फ vested interests की तरफ से मचाया जा रहा है। बात दरअसल उलटी है। स्पीकर साहिब, अगर आप इस सारी चीज़ को investigate करें इस की जांच कराएं तो आप को पता लगेगा, इस में भी vested interests की एक गहरी चाल काम कर रही है। मैं तो इस बात के लिए भी तैयार हूँ और गवर्नमेंट को यह suggestion देता हूँ कि आप इस चीज़ की जांच करने के लिए बेशक एक Enquiry Committee बिठा दें जो कि इस stage पर पता करे कि काम ठेकेदारों को देने पर ज़्यादा खर्चा पड़ता है या लेबर की organised societies को देने पर।

आज आप लेबर की हालत को देखें। क्या है लेबर की हालत? एक बेचारा ग़रीब मज़दूर दिन में आठ दस घण्टे काम करता है—लगातार बग़ैर किसी किस्म का आराम किए काम करता है। वह ठेकेदारों के लिए काम करता है। उसे केवल रुपया या बारह आने दिहाड़ी सारा दिन मेहनत मज़दूरी करके शाम को मिलता है। घर पर उस के भी बाल बच्चे हैं। फिर यह ज़रूरी नहीं कि वह रुपया या बारह आने प्रतिदिन उसे सारा साल मिलता रहे। इस चीज़ के लिये मौजूदा हालात में उस के लिए कोई guarantee नहीं। स्पीकर साहिब, आप ही बताएं कि उस ग़रीब आदमी के लिए अपने बाल-बच्चों और बीवी को खिलाने के लिए, उन के पहनाने के लिये कितना पैसा होगा जिसकी रोज़ाना मज़दूरी आजकल के ज़माना में केवल बारह, चौदह आने या एक रुपया हो? इस हालत में वह किस तरह अपने बाल-बच्चों को तालीम दे सकेगा? किस तरह से वह उन के लिए दूसरी ज़रूरियात ज़िन्दगी मुहैया कर सकेगा? इन हालात में मैं समझता हूँ कि जहां दूसरी जगहों पर कर्मचारियों की तनखाहें बढ़ रही हैं वहां मज़दूरों को जो सारा दिन खून पसीना एक करके मेहनत करते हैं उन्हें भी basic pay मिलनी चाहिए। उन्हें भी ज़िन्दगी की बुनयादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मुनासिब और पर्याप्त मज़दूरी देनी चाहिए। गवर्नमेंट का यह कर्तव्य है कि वे उन को भी सुविधा पहुँचाने का प्रबन्ध करे जो जेष्ठ और आषाढ़ के महीनों की तपती और कड़कती धूप और लू में काम करते हैं जब कि उन्हें पीने के लिए पानी भी नहीं मिलता। मज़दूरों की दयनीय हालत का अन्दाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जो मज़दूर नहरों की पटड़ियों पर काम करते हैं उन की क्या हालत है। नई सोसाईटियों के जो rates हैं उन के मुताबिक तो Sch-dule of Rates पर 80% premium मिलता है लेकिन जो नहरों पर ठेकेदारों के नीचे काम करते हैं उन्हें 100 मुरब्बा फीट के लिए केवल एक रुपया मिलता है। यह बहुत कम है इस लिए मैं वज़ीर साहिब से अर्ज़ करना चाहता हूँ कि चाहे कुछ भी हो मज़दूरों को basic wage दिया जाने का प्रबन्ध किया जाए।

मुझे मालूम हुआ है कि मज़दूरों के हितों पर छापा मारने के लिए और उन में और भी ज़्यादा बेरोज़गारी पैदा करने के लिए एक और चाल चली जा रही है। मालूम हुआ है कि दो-तीन लाख रुपये की एक मशीन मंगवाई जा रही है मिट्टी खुदवाने के लिए।

सिंचाई मन्त्री: क्या?

श्री चान्द राम अहलावत: आप सुनने की कृपा करें। हमने यह सुना है कि मिट्टी खोदने के लिए मशीन मंगवाई जा रही है। मैं समझता हूं कि बेशक मशीनें मंगवाई जाएं पर ऐसे कामों के

[श्री चान्द राम अहलावत]

लिए जहां पर यह step labour को affect न करे। जो मिट्टी मज़दूर खोदता है, उस की रोटी छीन कर अगर मशीन लगाई जाए तो यह कहां तक ठीक है, इस का अन्दाज़ा आसानी से लगाया जा सकता है यह एक सोचने की बात है। इस लिए मैं जहां सिंचाई मंत्री जी को इस बात के लिए वधाई देता हूँ कि उन्हों ने सिंचाई में पिछड़े हुए इलाकों का खास ध्यान रखा है और उन इलाकों को सरसबज़ बनाने के लिए कोशिश की है और कर रहे हैं, वहां उन का ध्यान Labour Co-operative Socicties की तरफ दिलाता हूँ ताकि वे उन की हालत को बेहतर बना कर मज़दूरों के दिलोदिमाग़ में भरोसा पैदा करें।

मैं समझता हूँ कि वह जिस तरह पहले दमाग़ पर strain डालते हैं, लगन से काम करते और भरसक मेहनत करते आऐ हैं इसी तरह आगे के लिए भी करते रहेंगे। मैं जानता हूँ कि पंजाब ने आज तक जितनी तरक्की की है और जिस के नतीजे के तौर वह फालतू अनाज का सूबा बन पाया है उस में चौधरी साहिब का बहुत बड़ा हाथ है। इस लिए मैं भी उन्हें दूसरे मेम्बरों के साथ मुबारकबाद पेश करता हूँ।

ਸਰਦਾਰ ਉੱਤਮ ਸਿੰਘ (ਸ੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰ): ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ! ਇਹ ਡੀਮਾਂਡ ਨੰ: 7 Irrigation ਬਾਰੇ ਆਪ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ discuss ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛੜੇ ਹੋਏ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਇਸ ਲਈ ਸਚ ਮੁਚ ਉਹ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇ ਮੁਸਤਹਿਕ ਹਨ।

ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਿਰਫ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ suggestions ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।

ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ Madhopur Head ਨੂੰ extend ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰੁਪਿਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ Upper Bari Doab Canal ਵਿਚੋਂ ਇਕ drain ਕੱਢਕੇ Madhopur-Beas-link ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਥੇ ਉਸ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ Madhopur-Beas-link ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ ਸੇਮ drain ਵਿਚ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ affect ਕਰੇਗਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਗ਼ੌਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਲੂਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦ ਸੇਮ drain ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਵਧੇਗਾ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਵੇਗੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਸੇਮ drain ਦੇ

ਆਰ ਪਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ productivity ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ distributaries ਹਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 40 ਜਾਂ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਰਜਵਾਹੇ ਖੋਦਨ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸੇਮ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਬਪਾਸ਼ੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਕ ਫ਼ਸਲੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਦੀ supply ਦੋ ਫ਼ਸਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉੱਥੇ water supply non perennial ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ perennial ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਥੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕ ਫ਼ਸਲੀ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਫੇਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਉਸ ਸਕੀਮ ਵਲ ਆਪਣੇ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਤੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਡੇਢ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ suggestion ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਹੇਠਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਧੋਪੁਰ ਹੈਡ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਸੇਮ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਤਾਂਹ ਚੁਕ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸੇਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲੇ Upper Bari Doab ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫੇਰ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਤੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਲਈ ਹਾਲਾਂ ਤਾਈਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ T. C. A ਦੀ ਸਕੀਮ ਵਲ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸਦੇ ਹੇਠ ਡੇਢ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ tube wells ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਪਹਿਲੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਾਲਾਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਲਾਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੜੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਫੇਰ, ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵਲ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਰਜਬਾਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼-ਹੈਸੀਅਤੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਉਪਜਾਊ

[ਸਰਦਾਰ ਉਤਮ ਸਿੰਘ]

ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼-ਹੈਸੀਅਤੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਉਪਜਾਊ ਬਣ ਚੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

सिंचाई मन्त्री : इस बारे में क्या आप के नोटिस में कोई ऐसे cases हैं जहां ज़मीन पहले उपजाऊ हो चुकी हो और नहर के पानी मिलने पर वहां betterment fee भी लगा दी गई हो? अगर आप के नोटिस में कुछ ऐसे cases हैं तो आप उन पर light throw करें।

ਸਰਦਾਰ ਉੱਤਮ ਸਿੰਘ : ਮੇਰੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ cases ਹਨ ਜਿਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜਬਾਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉੱਥੇ Betterment Tax ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਗਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕਰ ਇਹ Tax ਹਟਾਇਆ ਨਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਸ਼ ਹੈਸੀਅਤ ਟੈਕਸ ਲਗਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਜਮਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਰਨ ਕਿ ਆਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਨਹਿਰ ਲਗਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ।

ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਅੱਲਕ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ consolidation ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ outlets ਲਗੇ ਹੋਏ ਸੀ consolidation ਦੇ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਬਦਲ ਕੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਬਪਾਸ਼ੀ ਦਾ ਢੰਗ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ outlets ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ line ਟੁਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਘਾਟਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਿਕਮਾ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਚਾਹਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ outlets ਦੀ line ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਛੋਂ ਉੱਥੇ consolidation ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ consolidation ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ outlets ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਅਮਲ-ਦਰਾਮਦ ਹਾਲਾਂ ਤਾਂਈਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਹਿਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ instructions ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।

ਮੇਰੇ ਇਕ honourable ਸਾਥੀ ਨੇ Labour Co-operative Societies ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦਸਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਿਕਮੇ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਇਹ instructions ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ Labour Co-operative Societies ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਲ ਵਰਤਨ ਦੇਣ।

ਇਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ Grow-More Food ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਹਿਰ ਦੇ outlets ਦਿਤੇ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੜਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ outlets ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੋਣ ਲਗ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਾਟਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੀ ਘਾਟਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

प्रोफैसर मोता सिंह आनन्दपुरी (आदमपुर) : स्पीकर साहिब, यह एक मुसल्लमा अमर है कि किसी मुल्क की उन्नति, prosperity या economy का दारोमदार irrigation पर है। इस मुल्क की तारीख़ बताती है कि जब तक यहां नहरें नहीं थीं, नहरों का सिलसिला यहां कायम नहीं हुआ था उस वक्त तक दुनिया का बारिश पर दारोमदार रहता था। उस वक्त बारिश का सिलसिला भी कुछ ऐसा अच्छा था कि चारों तरफ सरसबज़ा था जंगलात थे और उन का ज़िंदगी पर बड़ा अच्छा असर पड़ता था। उस ज़माना के लोग रुहानी और इखलाकी तौर पर काफ़ी तरक्की पर थे। अब भी अगर देश की economy और prosperity के लिए जो नहरों का काम जारी है अगर यह मुकम्मल हो गया तो मुल्क में इखलाकी और रुहानी तरक्की भी हो जाएगी। (तालियां) मैं ने इस सिलसिले में पूरे तौर पर तारीख़ का मुतालया किया है और यह देखा है कि यहां के बारे में एक मवरर्ख ने लिखा है कि यह एक ऐसा इलाका था कि यहां हर वक्त अच्छे अच्छे जानवर अच्छी अच्छी बोलियां बोलते थे इस में जंगल थे जो बड़े सरसबज़ थे। इस इलाके को देखने के लिए इरान से लोग आते थे। अब भी मुझे यकीन है कि चौधरी लहरी सिंह की हिम्मत के कारण यहां लोग बड़ी दूर दूर से आया करेंगे। लेकिन अभी यह मसला पूरी तरह से हल नहीं हो सका हालांकि Irrigation department ने बड़ी मेहनत की है। Chief Engineer ने जो circular note जारी किया है उस को मैं ने देखा है और उसे पढ़ा है। उस में उन्हों ने पूरे तौर से ज़ाहिर किया है कि इस महकमा की net income 1, 94, 30,400 रुपय है।

6. p.m. आज betterment charges, water rates और दूसरे petty sources से gross receipt 3 करोड़ 94 लाख रु० से ज़्यादा है तो Working expenses निकाल कर कुछ आमदन बच जाएगी और जितना कर्ज़ा लिया है, उसे repay करने में यह बचत काम आएगी। एक और अच्छी बात इस बारे में मुझे नज़र आई है। American system of Irrigation भी नहरों के सिर पर ही है। मगर वहां उन्हों ने कोई loan नहीं लिया। उन्हों ने यह सारा system commercial basis पर बनाया है। उन्हों ने waste land को redeem किया, उस को irrigate किया और उस का revenue interest के तौर पर दिया। एक Land Reclamation Fund बनाया, उस का interest और बन्जर ज़मीन को सैराब कर के जो revenue आया वह बतौर interest दे दिया जो waste land की sale price आई उस से loan repay कर दिया। इस

[प्रोफैसर मोता सिंह आनन्दपुरी]

के बाद भी जो थोड़ा बहुत खर्च रह गया था वह betterment charges लगा कर पूरा किया लेकिन इस के लगाने में भी एक खूबी थी। पहले उन्हों ने इस में 20 साल का instalment का system रायज किया मगर उस के बाद यह 40 साल कर दिया। इस तरह का आप भी कोई instalment system जारी करें। अगर 60 साल नहीं कर सकते, 50 साल नहीं कर सकते कम से कम 40 साल की instalment का system तो जारी करें। इस से betterment fees कम हो जाएंगी। भाव सस्ते हों गे......

(सिंचाई मन्त्री की ओर से विघ्न) अगर आप सुनते रहें तो मैं आप के हक की ही बात कर रहा हूँ। लोग betterment charges, water rates अदा कर सकेंगे। अगर आप 40 साल की instalment का system जारी कर देंगे तो लोगों को आराम होगा, खुशी होगी। आप को पता है कि लोगों ने आप की irrigation schemes में $7\frac{1}{2}$ लाख रुपए की contribution दी है। यह आप ही की figures में है। यह कोई मामूली बात नहीं है। इस लिए मैं कहता हूं कि आप लोगों की परेशानी दूर करें। जहां आप ने नहरें बनाई हैं और इस purpose के लिए लोगों की ज़मीनें ली हैं वहां लोगों को बड़ी परेशानी है। Construction के काम की वजह से उन की फसलें तबाह हो गई हैं। कहते तो थे कि compensation जल्दी अदा कर दी जायेगी मगर अब तक अदा नहीं की गई। कुछ रकमें तो खैर अदा कर दी गई हैं मगर बहुत सारी अभी अदा नहीं की गईं। लोगों को इस से बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। गरीब लोग थे काशत पर ही गुज़ारा था। खड़ी फसलें या तो काट ली गईं या damage हो गईं। रही सही कसर बारिशों ने पूरी कर दी, floods आए और सब कुछ बहा ले गए।

उन लोगों को compensation की रकमें जल्दी दी जाएं। हुशियारपुर में बांध बनाने के लिये जो आप खर्च रखते हैं, वह आप की बड़ी मेहरबानी है। लेकिन schemes बनी हुई हैं मगर चालु नहीं की गईं। जब तक यह चालू नहीं होंगी लोगों में परेशानी रहेगी। हकूमत betterment के काम कर रही है, ठीक है, मगर लोगों का impression हकूमत के मुताल्लिक ठीक नहीं है। यह impression दूर करना है। गवर्नमेंट को अपने अच्छे कामों के लिए credit लेने का तरीका भी आना चाहिए। यह बात ठीक नहीं कि हकूमत अच्छे काम भी करे और फिर भी नेकनामी हासिल न कर सके। यह आप के interest की बात है। इस लिये आप अपनी schemes को expedite करें।

फिर आप के जितने engineers हैं सब को बताएं कि यह जितने works हैं यह commercial undertakings की तरह चलाए जाएं जैसे कि Railways वगैरा हैं। इन्हें आप commercial undertakings बनाएं मगर साथ ही इस बात का ख्याल रखें कि लोगों को exploit न किया जाए। लोगों से betterment fees लीजिए, water rates और दूसरे charges लीजिए मगर जब कर्ज़ा और उस का interest अदा हो जाए तो चूंकि maintenance के लिए थोड़ी रकम की ज़रूरत होगी लोगों पर charges भी कम कर दिये जाएं। अगर इस तरह से इस महकमे को चलाया गया तो आप मुबारकबाद के मुस्तहिक होंगे और अगर आप ने यह नहीं किया तो आप socialist pattern की society नहीं कायम कर सकेंगे

और जिस तरह मेरे Communist भाईयों ने socialistic pattern की बात को महज़ एक hoax लिखा है, मुझे भी ऐसा ही न कहना पड़े। इस लिए आप की तवज्जुह इस तरफ दिलाई है कि commercial basis पर कोई भी चीज़ क्यों न हो, लोगों की exploitation नहीं होनी चाहिए। जूं जूं खर्च कम होता चला जाए fees भी कम होती चली जाएंगी और आप सचमुच ही राम राज्य कायम कर पाएंगे।

एक बात मैं बड़े ज़ोर से कहता हूँ कि चौधरी साहिब ने bridges के बारे में बड़ा अच्छा काम किया है। पहले हुक्म था कि चार चार मील के फासले पर bridge बनाया जाए इस से पब्लिक को काफी दिक्कत थी फिर इसे घटा कर तीन तीन मील का फासला कर दिया, फिर दो मील, फिर एक मील और अब यह हुक्म है कि जहां कहीं भी रास्ता हो bridge बना दिया जाए। चौधरी साहिब के हौसले की दाद देता हूँ मगर साथ ही यह भी कहूंगा कि अमला काम नहीं कर रहा। होता यह है कि वह अफसर report करें, Executive Engineer report करें। इस से लोगों की परेशानी बढ़ती है। आधी फसल एक तरफ पड़ी है तो बाकी आधी दूसरी तरफ। पुल नहीं बनाते। स्कीम है, लिखा हुआ हुक्म भी है, मगर operative नहीं। इस लिए आप के रास्ते में red-tapism नहीं खड़ा होना चाहिए। इस से लोगों में बदएतमादी बढ़ती है। आज आप ने नहरों का काम करके कुछ ऐसी बात कर दी है कि लोगों की आंखें आप पर लगी हुई हैं। उन की उम्मीदें पूरी होनी चाहिएं।

यह बात कई बार अखबारों और बहस में आई है कि गवर्नमेंट के सब Departments में से अगर रिश्वतखोरी का record है तो इस महकमे का है। इस लिए मैं उन की तवज्जुह इस तरफ दिलाता हूँ। अगर आप capital expenditure को लेकर बाकी का मामला छोड़ दें तो हालात बेहतर हो जाएंगे। आप ने नहरों पर bridges बनाने का काम किया है यह अच्छा है। लेकिन अगर आप इस gloomy picture को दूर कर दें तो आप मुबारकबाद के मुस्तहिक होंगे।

श्री साधू राम (नारायण गढ़): डिप्टी स्पीकर साहिब, आज जिस बजट पर बहस हो रही है इस में मजमूई तौर पर तरक्की दिखाई गई है। पंजाब तरक्की कर रहा है, देश तरक्की कर रहा है इस के लिए हम अपनी गवर्नमेंट के शुक्रगुज़ार है। लेकिन मैं अपने ज़िले के बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूँ। मैं ने अपने ज़िले अम्बाले के बारे में फिनांस मिनिस्टर साहिब की भी तवज्जुह दिलाई थी। ज़िला अम्बाला का इलाका ऐसा है जिस की तरफ तवज्जुह नहीं दी गई। जब मैं ने अपने फिनांस मिनिस्टर साहिब का ध्यान अपने ज़िले की तरफ दिलाया तो उन्हों ने कुछ आंकड़े इकट्ठे करके यह बताया कि ज़िला अम्बाला की तरक्की के लिये हम 1 करोड़ 13 लाख का खर्च कर रहे हैं। [बहुत ऊंची आवाज़ में] मैं, डिप्टी स्पीकर साहिब, आप के द्वारा फिर गवर्नमेंट से ज़ोरदार शब्दों में कहता हूँ कि हमारी वह शिकायत आज भी खड़ी है। गवर्नमेंट ने जो आंकड़े दिये हैं मैं उन्हें दोहराने के लिए तैयार हूँ लेकिन, डिप्टी स्पीकर साहिब, मैं यह नहीं कहता कि सरकार ordinary course में ज़िला अम्बाला के लिए कुछ खर्च नहीं कर रही है। ठीक है खर्च हो रहा है पर मेरे district की outstanding problems हैं। इन पर खर्च नहीं किया जा रहा है।

आप आज देख रहे हैं कि बजट में irrigation की development के बारे में, कितना

[श्री साधू राम]

provision किया गया है और इस को discuss करने के लिए खास दिन रखे गये हैं । कुल 35 demands बजट में हैं । इन demands में से Irrigation की 3 demands को discuss करने के लिए दो दिन खास तौर पर रखे गये है। यह ही मेरे इस दावे को साबत करता है कि Irrigation का मसला most important मसला है। हमारी स्टेट का, हमारे देश की तरक्की का आधार इस पर है।

डिप्टी स्पीकर साहिब, मैं जानता हूँ कि पंजाब दिन बदिन तरक्की कर रहा है । Cultivated land बढ़ रही है। लेकिन हमारे ज़िला में irrigation की स्कीमों से कोई फर्क नहीं पड़ा है । मैं आप के सामने एक चीज़ quote करना चाहता हूँ । मेरे मित्र श्री दरबारी लाल गुप्ता ने Upper House में एक सवाल पूछा तो उस के जवाब में उन्हें बताया गया कि 1959 तक पंजाब में कुल रकबा जो districtwise सैराब होगा वह क्या है । इस रकबे को अगर आप देखें तो पता लगेगा कि जहां बाकी के ज़िलों में 1959 तक 49, 50, 59, 60,% है और ज़िला अम्बाला का जो रकबा 1959 तक सैराब होगा वह 11% है । मुझे इस बात को देख कर बहुत दुख हुआ ।

सिंचाई मन्त्री : आप इतना ऊंचा न बोलें ज़रा आहिस्ता बोलें।

श्री साधू राम : मुझे शिकायत है कि जहां बाकी के ज़िलों की percentage इतनी ज़्यादा है वहां हमारे ज़िले की सब से कम क्यों है । हम भी सरकार को मुबारकबाद देने में किसी से पीछे नहीं रहते । हम भी सरकार को हर तरह से support करते है। फिर हमारे ज़िले की तरफ क्यों ध्यान नहीं दिया गया है ?

मैं यह भी महसूस करता हूं कि पंजाब मजमूई तौर पर तरक्की कर रहा है । और हमें खुशी है कि irrigated area बढ़े । Irrigated areas के बढ़ जाने से हमारे ज़िलों पर भी indirect असर पड़ता है पर हम तो अपने जिला में direct असर चाहते हैं ।

अब डिप्टी स्पीकर साहिब, मैं tube wells को लेता हूँ । मैं ने आगे भी अर्ज़ किया था कि हमारे ज़िले में 2 बड़े दरिया हैं, 2 छोटे दरिया हैं, छोटी छोटी नदियां भी हैं, इन का अलहदा मसला है इन से irrigtion की जा सकती है अगर ponds की शक्ल में dam बना दिये जाएं तो irrigated रकबा बढ़ सकता है । इस ज़िला में tubewells के लिए भी गुंजाईश है । लेकिन यहां पर तो इस तरफ एक धेला भी खर्च नहीं किया गया। और इस बारे में Budget में कोई provision नहीं की गई ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप ज़रा आहिस्ता बोलें।

(The hon. Member may speak a little less loudly)

श्री साधू राम : मैं इस लिए ऊंचा बोल रहा हूँ ताकि मेरी आवाज़ मिनिस्टर साहिब के कानों तक पहुंच सके ।

डिप्टी स्पीकर साहिब, मैं अर्ज़ कर रहा था कि जहां तक irrigation का सवाल है हमारे ज़िला में tubewells लगाए जाएं । मैं मानता हूं कि जगाधरी Tubewells scheme के नाम से एक स्कीम तैयार की गई है परन्तु उस से अम्बाला की बजाये दूसरे ज़िले सैराब होते हैं लेकिन नारायणगढ़ के अन्दर tubewells लगाने की कोई स्कीम तैयार नहीं की गई । इस ज़िले में दो नहरें पहले हैं और तीसरी अब निकाली गई है लेकिन इन नहरों के पानी से एक एकड़

ज़मीन का रकबा भी इस ज़िले में सैराब नहीं होता । मैं ने कई बार Xen. की खिदमत में हाज़र हो कर गुज़ारिश की, वज़ीर साहिब की खिदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया कि हम भी एक हिस्सा हैं पंजाब के । हमारा भी इस पर कोई हक्क है । पिछले साल मैं वज़ीर साहिब को अपने ज़िला में ले गया । उन्हों ने इस इलाके को देखा और कई promises किए लेकिन आज तक वह पूरे नहीं किए गए, मैं ने इन्हें पूरे अदादो शुमार बताए । इन के यह इलफाज़ थे कि 'चिराग तले अन्धेरा' लेकिन आज तक वह अन्धेरा दूर नहीं किया गया । मुझे इस बात का दुख है ।

सिंचाई मन्त्री : Tubewells के लिए बिजली पहुँचा दी गई है ।

श्री साधू राम : डिप्टी स्पीकर साहिब, मैं यह कह रहा था कि पिछले दिनों में इन की खिदमत में हाज़िर हुआ और कहा कि Narwana ब्रांच में से lift irrigation से अम्बाले ज़िले को पानी दिया जा सकता है । घग्गर पर डैम बना कर पानी दिया जा सकता है । इन्हों ने कहा था कि घग्गर में horizontal tube wells लगा दिए जांएगे लेकिन........

Mr. Deputy Speaker : This is not a public platform, please do not speak so loud.

श्री साधू राम : फिर मोहनी ताल को improve करके कूहल निकाल कर आबपाशी के मतलब के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है । यह पता चला था कि 1949 में $1\frac{1}{2}$ लाख रुपया मन्ज़ूर किया गया था पर वह आज तक खर्च नहीं किया गया । पता नहीं वह कहां गायब हो गया । मैं ने इस के बारे में सवाल पूछा था तो मज़ाक में जवाब दे दिया गया कि इस ज़िला के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है । इस किस्म का treatment हो रहा है । यह अच्छा treatment नहीं जो हमारे ज़िले अम्बाले से किया जा रहा है ।

Mr. Deputy Speaker : This discussion is irrelevant. Please speak to the demands before the House.

खान अब्दुल ग़फ्फार खान : On a point of order, Sir. आप का चाहे जो भी रूलिंग हो बसरोचशम । उस की न अपील है न दलील और न ही वकील लेकिन मैं यह अर्ज़ कर देना चाहता हूँ कि जो मेम्बर बोल रहें हैं वह relevant हैं ।

Mr. Deputy Speaker : What is your point of order ?

Khan Abdul Ghaffar Khan : Sir, my point of order is that the hon. Member, Shri Sadhu Ram, was asbolutely within his rights to say..............

Mr. Deputy Speaker : Order, order. This is no point of order. Please resume your seat.

श्री साधू राम : तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि हमारे ज़िले को ignore किया गया है । दूसरे ज़िले में कहां chos हैं । उनके लिए बजट में provision रखा गया है । हमारे ज़िले में भी एक Ambala Chos Reclamation Committee 1948 में बनाई गई थी इस ने अपनी report भी 1951 में submit कर दी लेकिन इस कमेटी की सिफारिशों पर अभी तक अमल नहीं किया गया ।

स्पीकर साहिब, काफी डीटेल्ज़ से इस सारे ज़िले का नकशा बताया गया है कि किस तरह चोज़ ज़िले को बरबाद करते हैं और दिन ब दिन चोज़ से तबाह शुदा

[श्री साधू राम]

ज़मीन का रकबा बढ़ता जा रहा है । इस सिलसिले में मैं आप की विसातत से कुछ आंकड़े गवर्नमैंन्ट को बताना चाहता हूं । सारे ज़िले का चो - स्ट्रिक्कन रकबा जो नदियों के बैडज़ के नीचे है वह 26676 एकड़ है । सिर्फ तहसील नारायण गढ़ में 44,000 एकड़ ज़मीन का रकबा नदियों की ज़द में आ गया है और 1,43,000 एकड़ ज़मीन का रकबा ऐसा है जो दराड़ों और खालों के नीचे दिन ब दिन आता जा रहा है । कमेटी की रिपोर्ट में इस का ज़िक्र किया गया है । लेकिन आज तक इस को ठीक करने के लिए न तो कोई प्रोवीज़न बजट में किया गया है बल्कि सारे बजट में इस के मुतअल्लिक ज़िक्र तक नहीं आया कि इस बारे में गवर्नमैंन्ट कोई कारवाई करना चाहती है या नहीं । इस लिए मैं आप की विसातत से गवर्नमैंन्ट की तवज्जुह इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूं कि इस तरह की बातें लोगों के दिलों में शकूक पैदा कर देती हैं ।

डिप्टी स्पीकर साहिब, आप हैरान होंगे कि जब हाऊस के बाहर किसी के मुतअल्लिक ज़िक्र आया तो वे कहने लगे कि वह भी अम्बाले की नुमाइंदगी करते हैं । और दूसरे साहिब भी कहने लगे कि वह भी अम्बाले की नुमाइंदगी करते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप relevant हैं ।

(Is the hon. Member relsvant's)

श्री साधु राम : उपाध्याक्ष महोदय । लोगों के दिल में शक्क है कि अगर कोई इस ज़िले का मैंम्बर मन्त्री मण्डल में होता तब शाइद यह चीज़ न होती ।

सिंचाई मन्त्री : लाला जगत नारायण हैं या आप, महरबानी कर के लोगों से पूछ लीजिए ।

खान अब्दुल ग़फार खान : On a point of order, Sir. मैं आप की रूलिंग इस बात पर चाहता हूँ कि जब बजट पर बहस की जा रही हो तो किसी के प्राईवेट treatment का ज़िक्र किया जावे तो उस पर बहस करने की इजाज़त हो सकती है या नहीं ? (*Interruptions*)

आप मेहरबानी करके वज़ीर आबपाशी को कहें कि वह बीच में न बोलें । वह खाह मखाह रुकावट पैदा कर रहे हैं ।

Mr. Deputy Speaker : What is your point of order ?

खान अबदुल ग़फार खान : मेरा point of order यह है कि किसी महिकमा का treatment जो किसी के साथ हो और उस महिकमे का ज़िक्र हो रहा हो और उस पर बहस की जा रही हो तो क्या ऐसी बहस करने की इजाज़त दी जा सकती है या नहीं ?

उपाध्यक्ष महोदय : महकमे के treatment के मुतअल्लिक तो ज़िक्र हो सकता है लेकिन private treatment or un-official interference का ज़िक्र नहीं किया जा सकता । (Reference can be made about the treatment of the Department but private treatment or un-official interference can't be discussed.)

बख्शी प्रताप सिंह (सुजानपुर) : डिप्टी स्पीकर साहिब, इस बात से किसी को

इनकार नहीं हो सकता कि पिछले दो तीन सालों से स्टेट के अन्दर नहरों का एक जाल बिछाया जा रहा है। यह भी हकीकत है कि यह जाल मैदानों के बीच में ही नहीं बल्कि कांगड़ा जैसे पहाड़ी इलाके में हमारी सरकार और हमारे इन्जीनियरों ने दशवारगुज़ार पहाड़ियों में भी नहरों का जाल बिछा दिया है। इस बजट में कांगड़ा ज़िला के लिए लग भग 24 लाख रुपया कूहलों के लिये रखा गया है। बेशतर कूहलों की स्कीमों का काम शुरू कर दिया गया है। इस लिये मैं आप की विसातत से अपने वज़ीर आबपाशी चौधरी लहरी सिंह को मुबारकबाद पेश करता हूँ। डिप्टी स्पीकर साहिब हमारी सरकार की तरफ से पिछले साल से वहां पर कूहलों का एक division कायम कर दिया गया है जिस का headquarter धर्मसाला में है। डिप्टी स्पीकर साहिब, मैं आप की विसातत से चौधरी साहिब की खिदमत में गुज़ारिश करना चाहता हूँ कि जितना उस division से वहां के लोग मुस्तफीद होना चाहते थे वह अभी तक मुस्तफीद नहीं हो सके। अकसर मैं समझता हूं और जानता हूं कि यह पहाड़ी इलाका है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट की तरफ से जितना रुपया इलाका में लगना चाहिये वह सही और हकीकी मायनों में नहीं लगा। यह दुख की बात है कि इस वक्त जितनी कूहलों तामीर हुई हैं उन में अभी तक पानी की रवानी बहुत कम है। बहुत सी कूहलों में पानी आता नहीं। कूहलों के बारे में Finance Minister ने अपनी Budget Speech में ज़िक्र किया है कुछ कूहलों की मुरम्मत की गई हैं लेकिन वह अभी तक इस काम में पूरी तरह कामयाब नहीं हुए। बहुत सारी कूहलें बरबाद पड़ी हुई हैं। मैं आप की विसातत से चौधरी साहिब की खिदमत में गुज़ारिश करूंगा कि वह इस मसले की तरफ ज़्यादा तवज्जुह दें। यह उन की मेहरबानी है कि वह इस मसले को नज़र अंदाज़ नहीं कर रहे। लेकिन जब वह इस मद में महकमे के अफसरों पर करोड़ों रुपये खर्च कर रहे हैं तो उन्हें पब्लिक रुपये को सही और हकीकी मायनों में बचाने का ख्याल रखना चाहिये। डिप्टी स्पीकर साहिब, मैं एक और बात आप के द्वारा चौधरी साहिब की खिदमत में रखना चाहता हूँ। वहां survey का काम हो रहा है। बैजनाथ कूहल का मसला हमारे सामने मौजूद है। लोगों को खाह मखाह परेशान किया जाता है। कई हालतों में एक survey हो जाती है फिर बदल कर दूसरी तरफ survey की जाती है। सरमायादार लोग कर्मचारियों से मिल जाते हैं और वह अपनी ज़मीनों को बचाने के लिए उस तरफ से उन को ऐसा करने पर मजबूर कर देते हैं। इस लिए मैं निहायत अदब के साथ आप के द्वारा चौधरी साहिब की खिदमत में गुज़ारिश करूंगा कि वहां के लोगों को तकलीफों का मुनासिब तदारक किया जाये।

6.30. P.M. डिप्टी स्पीकर साहिब, इस के अलावा वहां water lifting की स्कीम जारी की जा सकती है। पिछले साल इस मद पर इस एवान में बहस हुई थी।

(The Sabha then adjourned till 2 P. M. on Monday the 21st March, 1955.)

ਕ·ਰਵਾਈ ਜਿਸ ਵਿਚ

[illegible]

ਮਿਸਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸੰਭਾਲ ਸਮਾਂ 'A' 'B' or 'C' proceedings in which the file was recorded and its retention period	
ਕੀ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟ ਸ਼ਾਖਾ/ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਨੋਟ ਬੁੱਕ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ Whether note regarding case has been kept in the Branch/Sectional Note Book or not	
ਸਬੰਧਤ ਸਹਾਇਕ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ Initials of the concerned Assistant	
ਰਿਕਾਰਡਰ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ Initials of the Recorder	

ਪਿਛਲੇ ਹਵਾਲੇ Previous References	ਬਾਅਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ Later References

B-162000